

त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014–15 वार्षिक प्रतिवेदन 2014–2015

विषय सूची प्राक्कथन अध्याय—1 प्रस्तावना

क्रम0	विवरण	प्रस्तर संख्या	पृष्ठ संख्या
1	इस प्रतिवेदन के संबंध में	1.1	09
2	लेखा परीक्षित इकाइयों की रूपरेखा	1.2	09 से 10 तक
3	लेखा परीक्षा का प्राधिकार	1.3	10
4	मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, उ0 प्र0 के कार्यालय के संगठन की संरचना	1.4	10 से 11 तक
5	लेखा परीक्षा की योजना एवं संचालन	1.5	11 से 12 तक
6	लेखा परीक्षा आपत्तियों के प्रति विभाग का रुझान	1.6	12
7	लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के बाद की कार्यवाही	1.7	12

अध्याय-2

त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के कार्य, आय/प्राप्ति के स्रोत,
क्रियाकलापों के संदर्भ में संक्षिप्त विवरण

1	सामान्य विवरण	2.1	12 से 13 तक
2	जिला पंचायत	2.2	13 से 15 तक
3	क्षेत्र पंचायत	2.3	15 से 17 तक
4	ग्राम पंचायत	2.4	17 से 21 तक

अध्याय-3

त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की लेखा परीक्षा प्रगति

1	जिला पंचायत	3.1	22
2	क्षेत्र पंचायत	3.2	22
3	ग्राम पंचायत	3.3	22

अध्याय-4

अधिभार प्रतिवेदन एवं उनमें उद्घाटित महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा आपत्तियाँ

क्र०सं०	जिला पंचायत	4.1	पृष्ठ संख्या
1	आगरा मण्डल		24 से 28 तक
2	अलीगढ़ मण्डल		28 से 29 तक
3	इलाहाबाद मण्डल		29 से 41 तक
4	आजमगढ़ मण्डल		41 से 49 तक
5	चित्रकूट धाम मण्डल		49 से 57 तक
6	फैजाबाद मण्डल		58 से 61 तक
7	गोरखपुर मण्डल		62 से 68 तक
8	झाँसी मण्डल		69 से 71 तक
9	कानपुर मण्डल		72 से 111 तक
10	लखनऊ मण्डल		112 से 118 तक
11	मुरादाबाद मण्डल		118 से 129 तक
12	विन्ध्याचल धाम मण्डल		130 से 146 तक
13	वाराणसी मण्डल		146 से 161 तक

क्र०सं०	क्षेत्र पंचायत	4.2	पृष्ठ संख्या
1	इलाहाबाद मण्डल		162 से 166 तक
2	आजमगढ़ मण्डल		167 से 177 तक
3	फैजाबाद मण्डल		177 से 191 तक
4	कानपुर मण्डल		192 से 226 तक
5	विन्ध्याचल मण्डल		227
6	वाराणसी मण्डल		228 से 257 तक

क्र०सं०	ग्राम पंचायत	4.3	पृष्ठ संख्या
1	आगरा मण्डल		257 से 342 तक
2	अलीगढ़ मण्डल		343 से 357 तक
3	इलाहाबाद मण्डल		357 से 487 तक
4	आजमगढ़ मण्डल		487 से 556 तक
5	बरेली मण्डल		556 से 637 तक

6	बस्ती मण्डल		638 से 698 तक
7	चित्रकूट धाम मण्डल		699 से 729 तक
8	देवीपाटन मण्डल		730 से 794 तक
9	फैजाबाद मण्डल	भाग दो	795 से 932 तक
10	गोरखपुर मण्डल		932 से 1017 तक
11	झाँसी मण्डल		1018 से 1030 तक
12	कानपुर मण्डल		1030 से 1155 तक
13	लखनऊ मण्डल		1156 से 1293 तक
14	मेरठ मण्डल		1293 से 1325 तक
15	मुरादाबाद मण्डल		1326 से 1420 तक
16	सहारनपुर मण्डल		1421 से 1449 तक
17	विन्ध्याचलधाम मण्डल		1449 से 1498 तक
18	वाराणसी मण्डल		1499 से 1625 तक

अध्याय—5

निर्गत लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों / अधिभार प्रतिवेदनों का अनुपालन, समीक्षा व नास्ति संग्रह का विवरण

1	जिला पंचायत	5.1	1626
2	क्षेत्र पंचायत	5.2	1626
3	ग्राम पंचायत	5.3	1626

अध्याय—6

निष्कर्ष व सुझाव

1	निष्कर्ष	6.1	1627 से 1629 तक
2	संस्तुतियाँ	6.2	1629 से 1630 तक

पंचायती राज त्रिस्तरीय व्यवस्था

जिला पंचायत



क्षेत्र पंचायत



ग्राम पंचायत

पंचायती राज संस्थागत ढांचा

केन्द्र सरकार



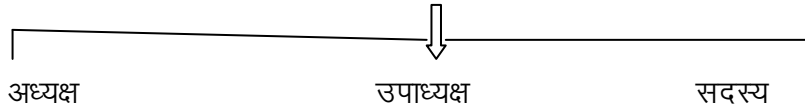
राज्य सरकार



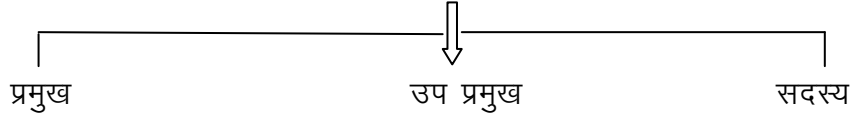
पंचायती संस्थाएं



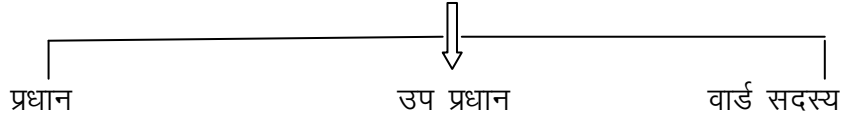
जिला पंचायत



क्षेत्र पंचायत समिति



ग्राम पंचायत



प्राक्कथन

केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा अनुदानित प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं, यथा—जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायतों के लेखों की लेखा परीक्षा राज्य सरकार के अधीन मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें, उत्तर प्रदेश द्वारा सम्पन्न कराते हुए इन संस्थाओं की लेखा परीक्षा के आधार पर अनिस्तारित प्रस्तरों को सम्मिलित करते हुए वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधान मण्डल के पटल पर रखे जाने की व्यवस्था है।

सहकारी और पंचायत लेखा परीक्षा विभाग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की सम्पादित लेखा परीक्षा के आधार पर वर्तमान प्रतिवेदन तैयार किया गया है। इस प्रतिवेदन में वर्ष 2015—16 की अवधि में वित्तीय वर्ष 2014—15 की लेखा परीक्षा में आये प्रकरणों के साथ—साथ पूर्ववर्ती वर्षों प्रकरण, जिनकी लेखा परीक्षा वर्ष 2015—16 में सम्पादित की गयी है, को भी सम्मिलित किया गया है।

यह वार्षिक प्रतिवेदन अध्याय में प्रस्तावना से प्रारम्भ होता है जिसमें प्रतिवेदन सम्बन्धी रूप रेखा, लेखा—परीक्षित इकाईयों की रूपरेखा, लेखा परीक्षा का प्राधिकार, लेखा परीक्षा विभाग का प्रशासनिक ढांचा व लेखा परीक्षा की योजना एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन कार्यवाही सम्मिलित है। अध्याय 2 में लेखा परीक्षित संस्थाओं के कार्यों, आय स्रोत एवं क्रिया कलापों के विषय में सामान्य विवरण है। अध्याय 3 में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की लेखा परीक्षा की प्रगति की स्थिति, अध्याय—4 में लेखा परीक्षा के उपरान्त प्रकाश में आयी महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा आपत्तियों का विवरण, अध्याय 5 में निर्गत लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों/अधिभार प्रतिवेदन आपत्तियों का अनुपालन, समीक्षा एवं नस्ति संग्रहीत की स्थिति तथा अध्याय—6 में निष्कर्ष एवं सुझाव को आच्छादित किया गया है।

अध्याय—1

प्रस्तावना

1.1—इस प्रतिवेदन के संबंध में रूपरेखा—

1. मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें, उत्तर प्रदेश का यह प्रतिवेदन राज्य की त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की यथा जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायतों को सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं में दिए गये अनुदान, योजनाओं के क्रियान्वयन व संचालन में हुए व्यय, इन संस्थाओं द्वारा विभिन्न मदों में प्राप्त आय की लेखा परीक्षा से सम्बन्धित है।
2. इस प्रतिवेदन का प्राथमिक उद्देश्य लेखा परीक्षा परिणामों को राज्य विधायिका के संज्ञान में लाना है। यह अपेक्षा की जाती है कि लेखा परीक्षा परिणाम, कार्यपालिका द्वारा सुधारात्मक कार्यवाही, संस्थाओं हेतु नीति निर्धारण व भविष्य की नीति निर्माण में सहायक होगा तथा एक जन उपयोगी शासन व्यवस्था के निर्माण में सहयोगी होगा।
3. लेखा परीक्षा के अंतर्गत संस्था की प्राप्तियों, व्ययों, परिसम्पत्तियों और दायित्वों की जांच की जाती है जिसमें यह निश्चित किया जाता है कि संस्था केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा विभिन्न मदों व योजनाओं में अनुदानित धन का उपयोग किस प्रकार कर रही है। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विभिन्न आदेशों, दिशा निर्देशों का पालन किस प्रकार किया गया है। व्ययों, योजना के उद्देश्यों की पूर्ति कहाँ तक हुयी है। किस सीमा तक मितव्ययिता, दक्षता, प्रभावकारिता के साथ संस्था द्वारा योजनाओं का क्रियान्वयन तथा संचालन किया गया है।
4. इस अध्याय में लेखा परीक्षित इकाईयों की रूपरेखा, लेखा परीक्षा का प्राधिकार, लेखा परीक्षा संगठन की संरचना, लेखा परीक्षा की योजना एवं संचालन का उल्लेख किया गया है।
5. इस प्रतिवेदन में वर्ष 2014—15 की अवधि के दौरान लेखा परीक्षित इन संस्थाओं के वित्तीय वर्ष 2014—15 के लेखों की लेखा परीक्षा में, संज्ञान में आये प्रकरणों के साथ—साथ संस्थाओं के विगत वर्षों के प्रकरणों, जिनके लेखों की लेखा परीक्षा वर्ष 2015—16 की अवधि में संपादित की गयी, को भी लिया गया है।

1.2—लेखा परीक्षित इकाईयों की रूपरेखा—

लेखा परीक्षा वर्ष 2015—16 के दौरान उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में जिला स्तर पर कुल 73 जिला पंचायतें थी। जो जिला पंचायत अध्यक्ष के नियंत्रणाधीन है। अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत का कार्यकारी अधिकारी होता है।

विकास खंड स्तर पर राज्य में कुल 823 क्षेत्र पंचायतें थी। जो ब्लाक प्रमुख के नियंत्रणाधीन है। खण्ड विकास अधिकारी क्षेत्र पंचायत का कार्यकारी अधिकारी होता है।

ग्राम पंचायत स्तर पर राज्य में कुल 52019 ग्राम पंचायतें थी। जो ग्राम प्रधान के नियंत्रणाधीन है। ग्राम्य विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम पंचायतों का कार्यकारी अधिकारी होता है।

इस प्रकार तत्समय मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें उत्तर प्रदेश की लेखा परीक्षा की परिधि में उपरोक्त तीनों स्तर के कुल 52915 पंचायती राज संस्थाएँ थी।

1.3—लेखा परीक्षा का प्राधिकार—

त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायतों की लेखा परीक्षा हेतु उ०प्र० जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत अधिनियम 1961 एवं उ०प्र० जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा नियमावली) 1965 के नियम— 2 व नियम— 174 से 180 के प्रावधानों के अन्तर्गत तथा उ०प्र० पंचायती राज अधिनियम की धारा 40 एवं उ०प्र० पंचायती राज नियमावली—1947 के नियम 186 के प्राविधानों के अन्तर्गत मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें उ०प्र० में ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा का प्राधिकार निहित है।

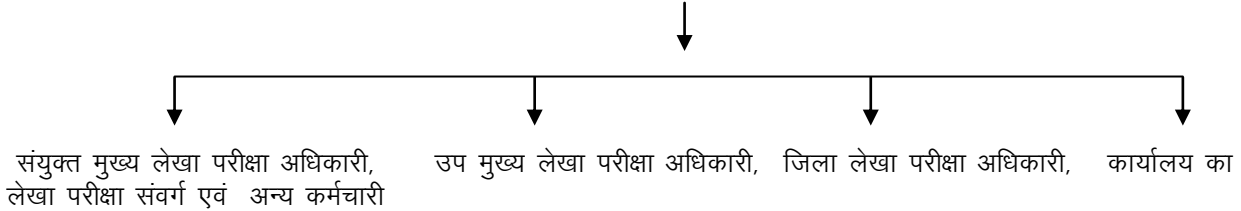
1.4—मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, उ०प्र० के कार्यालय के संगठन की संरचना

उत्तर प्रदेश में सहकारी और पंचायत संस्थाओं की लेखा परीक्षा का कार्य मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें, उत्तर प्रदेश द्वारा संपादित कराया जाता है।

जनपद स्तर पर जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के नियंत्रणाधीन लेखा परीक्षा कार्मिकों (यथा—लेखा परीक्षक, ज्येष्ठ लेखा परीक्षक, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी) की नियुक्ति रहती है। जिनके द्वारा जनपद स्तर पर समस्त पंचायती राज संस्थाओं यथा— जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा सम्पादित/निष्पादित की जाती है। मंडल स्तर पर उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी की नियुक्ति रहती है। जिसके द्वारा जनपद स्तर पर होने वाले लेखा परीक्षा कार्य की गुणवत्ता नियंत्रण, लेखा परीक्षा कार्य का नियोजन एवं प्रशासनिक नियंत्रण किया जाता का ढाँचा निम्न प्रकार है—

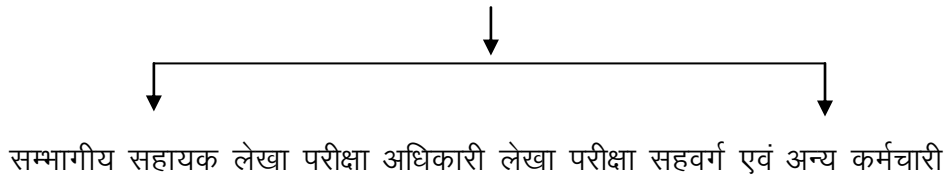
(अ) मुख्यालय स्तरीय

मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी



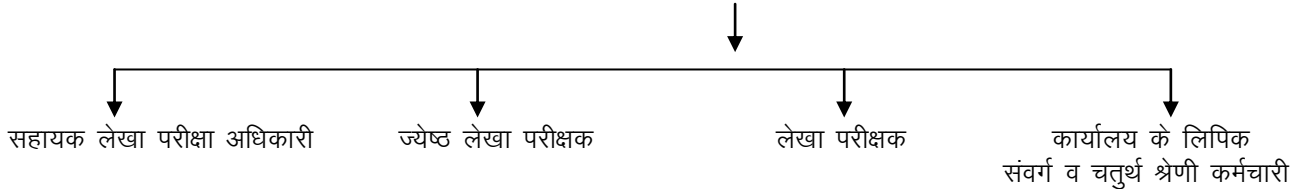
(ब) मंडल स्तरीय

मंडलीय उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी



(स) जनपद स्तरीय

जिला लेखा परीक्षा अधिकारी



1.5—लेखा परीक्षा की योजना एवं संचालन—

लेखा परीक्षा की प्रक्रिया वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में जनपद स्तर पर लेखा परीक्षा कार्मिकों को पूरे वर्ष के लिए लेखा परीक्षा कार्य के आवंटन से होती है। तत्पश्चात सरकार की प्राथमिकताओं के अनुरूप निर्मित विभागीय नीति के तहत तदनुसार वर्ष पर्यन्त लेखा परीक्षा कार्य का संचालन किया जाता है।

प्रशासनिक विभागों के अधिनियम व नियमावली में निर्धारित सीमा, प्रशासनिक विभागों द्वारा निर्धारित परिक्षेत्र के तहत संस्था के क्रिया कलाप, उनके द्वारा किये गये व्यय, वित्तीय अधिकारों की सीमा आदि का परीक्षण कर लेखा परीक्षा परिणाम निर्धारित किये जाते हैं।

प्रत्येक इकाई की लेखा परीक्षा की समाप्ति पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन संस्था के प्रमुख व अन्य संबंधित पक्षों को इस आग्रह के साथ प्रेषित किया जाता है कि लेखा परीक्षा आपत्तियों का अनुपालन प्रतिवेदन की प्राप्ति के पश्चात अधिनियम एवं नियमावली में निर्धारित अवधि के अंदर प्रेषित करें।

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में निहित मुख्य बिंदु जो अपहरण, दुर्विनियोग एवं गंभीर वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित रहते हैं। उन्हें अधिभार प्रतिवेदन में सम्मिलित करने की प्रक्रिया अपनायी जाती है तथा अधिभार की कार्यवाही निर्धारित की जाती है।

1.6—निष्पादित लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के प्रति विभाग का रुझान

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखा परीक्षा आपत्तियां संबंधित संस्थाओं के प्रमुखों एवं प्रशासनिक विभाग के अधिकारियों को इस आशय से अग्रसारित किया जाता है कि निर्धारित अवधि (एक माह) के अंदर अनुपालन आख्या प्रशासनिक विभाग के माध्यम से लेखा परीक्षा विभाग को प्रेषित कर दिया जाए। जैसा कि प्रशासनिक विभाग में संगत अधिनियमों/नियमावली में प्रख्यापित है।

प्रशासनिक विभागों के माध्यम से अनुपालन आख्या माँगे जाने का औचित्य यह है, कि लेखा परीक्षा आपत्तियों का समुचित अनुपालन नियमानुसार हुआ है अथवा नहीं ? इसका सम्पूर्ण संज्ञान प्रशासनिक विभाग को रहे तथा संस्था की लेखा परीक्षा में इंगित कमियों का निराकरण प्रभावी रूप से करा कर योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति संभव हो सके। इसके साथ ही संगत अधिनियम एवं नियमावली में निहित अधिकारों के तहत आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए संबंधित पक्षों पर प्रशासनिक कार्यवाही, ब्याज सहित वसूली आदि करायी जा सके एवं लेखा परीक्षा आपत्तियों में निहित सुधारात्मक पक्ष के साथ-साथ दण्डात्मक पक्ष का भी प्रभावी रूप से पालन सुनिश्चित किया जा सके। जिससे संस्था में वित्तीय अनुशासन बनाये रखा जा सके एवं लोक धन पर प्रभावी नियंत्रण द्वारा विभिन्न योजनाओं के उद्देश्यों की प्राप्ति संभव हो सके।

1.7—लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के बाद की कार्यवाही—

वर्ष 2010—11 (पूर्ववर्ती वर्षों को सम्मिलित करते हुए) वर्ष 2011—12 एवं 2012—2013 के वार्षिक प्रतिवेदन को चर्चा हेतु सदन के पटल पर रखा जा चुका है। जिस पर विधान मण्डल की उच्च स्तरीय पंचायती राज समिति के समक्ष लेखा परीक्षा आपत्तियों, विशिष्ट लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों एवं अधिभार की कार्यवाही चर्चा के अन्तर्गत हैं।

अध्याय—2

त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों, आय/प्राप्ति के स्रोत, व क्रियाकलापों के संदर्भ में

2.1— सामान्य विवरण—

वैदिक काल से ही भारत वर्ष में किसी न किसी रूप में ग्राम पंचायत और ग्राम सभाएं विद्यमान रही हैं। मगर अंग्रेजों के शासनकाल में ये संस्थाएं लुप्त हो गयीं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राज्य सरकारों ने ग्राम पंचायत के विकास को प्रोत्साहित किया तथा आजादी के बाद संविधान के अन्तर्गत राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अधीन अनुच्छेद 40 के प्राविधान से इनकी गतिविधियों को अधिक बल मिला। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाएं स्वतंत्रता के पूर्व से ही कार्यरत रही हैं। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने वाला तिहत्तरवां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 दिनांक

24.04.1993 से लागू हो जाने पर राज्य सरकारों के लिए यह आवश्यक हो गया था कि राज्यों के पंचायती राज कानूनों को भी एक वर्ष के अन्दर अर्थात् 23 अप्रैल 1994 तक संविधान संशोधन के अनुरूप संशोधित कर दिया जाये। तत् समय उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों के लिए उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 तथा क्षेत्र समितियों तथा जिला परिषदों के लिए उत्तर प्रदेश क्षेत्र परिषद समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 अस्तित्व में थे, अतः इन दोनों अधिनियमों में संविधान (तिहत्तरवां संशोधन) अधिनियम 1992 के अनुरूप संशोधन करने के लिए उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम 1994 पारित किया गया, जो संपूर्ण प्रदेश में दिनांक— 22 अप्रैल 1994 से लागू हो गया।

उत्तर प्रदेश विधि (संशोधन) अधिनियम 1994 में मुख्यतः उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 तथा उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 के उन्ही प्रावधानों को संशोधित किया गया, जो संविधान (तिहत्तरवां संशोधन) अधिनियम 1992 से प्रभावित थे, किन्तु कुछ ऐसे प्रावधानों को भी संशोधित किया गया, जिसे लागू करने में व्यावहारिक कठिनाइयाँ उत्पन्न हो रही थी। संशोधन के पूर्व ग्राम स्तर की संस्थाओं को गांव सभा तथा गांव पंचायत कहा जाता था। जो कि अब ग्राम सभा तथा ग्राम पंचायत कहलायेगा। इसी प्रकार पूर्व में क्षेत्र समिति के नाम से पहचानी जाने वाली मध्य स्तर की संस्था संशोधन के पश्चात् क्षेत्र पंचायत तथा जिला स्तर की संस्था जिला परिषद संशोधन के बाद जिला पंचायत कहलाती है तथा उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 हो गया।

भारतीय संविधान के तिहत्तरवे संशोधन में ग्राम पंचायत को न सिर्फ संवैधानिक संस्था का दर्जा दिया है, अपितु विकास का केन्द्र भी बना दिया है। मनरेगा, बारहवाँ/तेरहवाँ वित्त आयोग, मध्यान्ह भोजन, छात्रवृत्ति आदि विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जा रहा है। जिसके द्वारा गांव स्तर पर आधारभूत सुविधाओं के विकास, ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत ग्रामीण परिवारों के वयस्क व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराकर आजीविका सुनिश्चित कराने, छात्रवृत्ति एवं पौष्टिक भोजन द्वारा बच्चों में शिक्षा ग्रहण करने की प्रवृत्ति एवं क्षमता विकसित करने, उनमें अच्छी समझ एवं भाईचारे के लिए भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदेश की 52019 ग्राम पंचायतों को विभिन्न मदों में अरबों रुपये की धनराशि वित्तीय वर्ष 2014-15 में उपलब्ध करायी गई। जिसमें से कुल 36228 ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा वित्तीय वर्ष 2015-16 में सम्पन्न करायी गयी।

2.2—जिला पंचायत

त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत जिला पंचायत शीर्षस्थ संस्था है। प्रत्येक जिले में एक जिला पंचायत स्थापित है। जिला पंचायत के गठन, इनके अधिकार, कार्य, दायित्व, निधियाँ, कार्य प्रणाली लेखा परीक्षा आदि उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अन्तर्गत परिभाषित है। तत्समय उत्तर प्रदेश में कुल 73 जिला पंचायतों का गठन हुआ था। जिला पंचायत के कार्यों का सुचारु रूप से संपादन के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष, तथा जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव पाँच वर्ष के अन्तराल पर किया जाता है। जिला पंचायत के दिन प्रतिदिन के कार्यों के सुचारु रूप से क्रियान्वयन के लिए अपर मुख्य अधिकारी की तैनाती की जाती है। जिसकी सहायता के लिए वित्तीय परामर्शदाता, कार्याधिकारी, स्टोर इंचार्ज, लेखाकार, अवर अभियन्ता/अभियंता टैक्स ऑफीसर, लिपिक आदि की नियुक्ति की जाती है।

(क) जिला पंचायत के अधिकार एवं कृत्य—

त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में जिला पंचायत जनपद की शीर्ष संस्था है। जिला पंचायत के गठन, इनके अधिकार, कार्य, दायित्व, निधियाँ, कार्य प्रणाली, लेखा परीक्षा आदि उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अन्तर्गत परिभाषित है। अधिनियम के धारा 33 के अनुसार जिला पंचायत के सामान्य अधिकार और कृत्य निम्नवत् होंगे।

1. जिन मेलों तथा उत्सवों का प्रबंध राज्य सरकार करती है या आगे करें, उससे भिन्न मेलों तथा उत्सवों का ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों तथा जिला पंचायतों द्वारा प्रबंध और नियंत्रण के प्रयोजन के लिए वर्गीकरण करना।
2. ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों तथा जिला पंचायतों द्वारा प्रबंध के प्रयोजनों के लिए सड़कों का क्रमशः ग्राम सड़कों, अन्तरग्रामित सड़कों तथा जिला सड़कों के रूप में वर्गीकरण।
3. जिले की ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों के कार्यकलापों का तदर्थ बनाये गये नियमों के अनुसार सामान्य रूप से पर्यवेक्षण।
4. तदर्थ बनाये गये नियमों के अधीन रहते हुए एक ओर राज्य सरकार तथा दूसरी ओर क्षेत्र पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों के बीच पत्र व्यवहार के लिए मुख्य माध्यम के रूप में कार्य करना।
5. ग्रामीण क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए आधारभूत सुविधाओं का विकास।
6. ऐसे अन्य कृत्यों का सम्पादन करना जो नियत किये जाये।

जिला पंचायत के आय/प्राप्तियों के स्रोत—

ग्रामीण क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए जिला पंचायत की महत्वपूर्ण भूमिका है। उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 के प्रावधानानुसार जिला पंचायत की अनेकों मदों में कर लगाने, कर का निर्धारण करने तथा ब्याज सहित वसूली का अधिकार है। जिला पंचायतों को अपनी सम्पत्ति से भी किराये आदि के रूप में आय प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त राज्य वित्त आयोग, केन्द्रीय वित्त आयोग, मनरेगा, सांसद निधि, विधायक निधि आदि मदों में भी जिला पंचायत को अनुदान प्राप्त होता है। जिसका उपयोग जनपद के ग्रामीण क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए किया जाता है।

(1) निजी स्रोत से आय—

1—उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम की धारा 119—145 में जिला पंचायतों को निम्न कर लगाने का अधिकार दिया गया है। जिनसे उन्हें आय प्राप्त होती है।

1. लाइसेंस शुल्क
2. दुकानों एवं हाट बाजारों में कर लगाना
3. नौका हाउस पर कर
4. कॉजी हाउस पर कर
5. सिनेमा प्रदर्शनियों आदि पर कर

जिला पंचायतों में सामान्त्याः निम्न मदों से आय प्राप्त होती है।

1. सम्पत्ति व विभव कर
2. लाइसेंस शुल्क
3. मृत पशु भाव निस्तारण
4. सम्पत्तियों आदि (दुकान, भवन किराया)

5. नौका घाट
6. मेला प्रदर्शनी
7. हाट बाजार एवं तहबाजारी
8. कॉजी हाउस
9. कृषि एवं पशुपालन
10. जिला निधि में उपलब्ध धनराशि पर अर्जित ब्याज
11. अन्य मदों से प्राप्तियां

(2) वाह्य स्रोतों से आय— जिला पंचायतों को निजी स्रोतों से आय के अतिरिक्त अन्य वाह्य स्रोतों से भी धनराशि अनुदान के रूप में प्राप्त होती है। जिसका उपयोग विभिन्न विकास कार्यों के लिए किया जाता है। जिला पंचायतों को सामान्यतया निम्न मदों में धनराशि प्राप्त होती है।

1. भू-राजस्व अनुदान
2. राज्य वित्त आयोग
3. केन्द्रीय वित्त आयोग
4. डी०आर०डी०ए० से प्राप्त अनुदान
5. मनरेगा
6. सांसद निधि
7. विधायक निधि
8. आंचलिक निधि
9. अन्य विभिन्न मदों से

मनरेगा के संदर्भ में जिला पंचायत की भूमिका—

1. जिला योजना एवं श्रमिक बजट (लेबर बजट) को अन्तिम रूप देना तथा जनपद के अंदर मनरेगा के कार्यों का पर्यवेक्षण एवं मानीटरिंग करना जिला पंचायत की जिम्मेदारी है।
2. जिला पंचायत खण्ड विकास वार मनरेगा के अर्न्तगत आगामी वर्षों में कराये जाने वाले कार्यों का अनुमोदन 31 दिसम्बर तक करेगी।

2.3—क्षेत्र पंचायत

विकास कार्यों एवं प्रशासनिक कार्यों के निमित्त राज्य सरकार द्वारा जनपद को खण्डों में विभक्त किया गया है। उ०प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम-1961 की विभिन्न धाराओं के तहत एक निगमित निकाय के रूप में लेखा परीक्षा वर्ष के दौरान 823 क्षेत्र पंचायत गठित थी। प्रत्येक क्षेत्र पंचायत का कार्यकाल उसकी प्रथम बैठक के लिए नियत तिथि से पांच वर्ष की अवधि तक के लिए रहेगा। क्षेत्र पंचायत हेतु निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से ही चुना हुआ व्यक्ति क्षेत्र पंचायत का प्रमुख होगा। कार्य सम्पादन के लिए प्रति दो मास में कम से कम एक बैठक किये जाने की व्यवस्था दी गयी है। खण्ड विकास अधिकारी को क्षेत्र पंचायत का मुख्य कार्यपालक अधिकारी बनाया गया है। अधिनियम

की धारा-99 से 101 के तहत प्रत्येक क्षेत्र पंचायत के लिए एक निधि की स्थापना की जायेगी। जिसे क्षेत्र पंचायत निधि कहा जायेगा। क्षेत्र पंचायत निधि में से धन का समस्त आहरण और उसका वितरण प्रमुख एवं खण्ड विकास अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है।

क्षेत्र पंचायत की बैठक एवं कृत्य-

अधिनियम की धारा-84 के अनुसार प्रत्येक दो मास में क्षेत्र पंचायत की कम से कम एक बैठक होगी। इसके अतिरिक्त प्रमुख जब कभी भी उचित समझे क्षेत्र पंचायत की बैठक बुला सकता है तथा प्रमुख निर्वाचित सदस्यों के 1/5 के लिखित अध्याचन पर अध्याचन की तारीख या प्राप्ति के दिनांक से एक माह के अंदर बैठक अवश्य बुलायेगा। क्षेत्र पंचायत निम्नलिखित धारा-86 मामलों पर विचार करेगी तथा योजना तैयार करेगी।

1. क्षेत्र पंचायत विकास खंड की ग्राम पंचायतों की विकास योजनाओं को सम्मिलित करने के पश्चात् विकास खण्ड के लिए प्रत्येक वर्ष एक विकास योजना तैयार करेगी।
2. यह योजना खण्ड विकास अधिकारी, कार्यसमिति, वित्त एवं विकास समिति और समता समिति की सहायता से नियत तिथि से तैयार की जाएगी।
3. विकास खण्ड के भीतर शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक विकास, सामुदायिक कल्याण आदि से संबंधित कार्यक्रम।
4. ऐसे अन्य कार्य जो नियमों में उल्लिखित है।

क्षेत्र पंचायत के आय/प्राप्तियों के स्रोत-

ग्रामीण क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए क्षेत्र पंचायत की महत्वपूर्ण भूमिका है। उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 के प्रावधानानुसार क्षेत्र पंचायत की कुछ मदों में कर लगाने, कर का निर्धारण करने तथा ब्याज सहित वसूली का अधिकार है। इसके अतिरिक्त राज्य वित्त आयोग, केन्द्रीय वित्त आयोग, मनरेगा, सांसद निधि, विधायक निधि आदि मदों में भी क्षेत्र पंचायत को अनुदान प्राप्त होता है। जिसका उपयोग जनपद के ग्रामीण क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए किया जाता है।

(1) निजी स्रोत से आय-

1-उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम की धारा 131-क में क्षेत्र पंचायतों को निम्न कर लगाने का अधिकार दिया गया है। जिनसे उन्हें आय प्राप्त होती है।

1. लाइसेंस शुल्क
2. दुकानों एवं हाट बाजारों में कर लगाना
3. सम्पत्ति व विभव कर
4. कॉजी हाउस पर कर
5. अन्य मदों से प्राप्तियां

(2) वाह्य स्रोतों से आय-

क्षेत्र पंचायतों को निजी स्रोतों से आय के अतिरिक्त अन्य वाह्य स्रोतों से भी धनराशि अनुदान के रूप में प्राप्त होती है। जिसका उपयोग विभिन्न विकास कार्यों के लिए किया जाता है। क्षेत्र पंचायतों को सामान्यतया निम्न मदों में धनराशि प्राप्त होती है।

1. भू-राजस्व अनुदान
2. राज्य वित्त आयोग
3. केन्द्रीय वित्त आयोग

- 4.डी0आर0डी0ए0 से प्राप्त अनुदान
- 5.मनरेगा
- 6.सांसद निधि
- 7.विधायक निधि
- 8.आंचलिक निधि
- 9.अन्य विभिन्न मदों से

क्षेत्र पंचायत के अधिकार एवं कृत्य—

अधिनियम की धारा—35 एवं 79 तथा संलग्न अनुसूची—3 व 6 में क्षेत्र पंचायत के अधिकार तथा कृत्य निर्धारित किये गये हैं।

अधिनियम की धारा—32 के अनुसार ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जैसा राज्य सरकार समय —समय पर विनिर्दिष्ट करें। प्रत्येक क्षेत्र पंचायत उसमें उल्लिखित कृत्यों का सम्पादन करेगी।

2.4 ग्राम पंचायत

ग्राम पंचायत, त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की सबसे छोटी इकाई है। एक या अधिक राजस्व गांव को मिलाकर ग्राम का गठन होता है। एक ग्राम पंचायत के गठन की व्यवस्था यथासम्भव एक हजार या उससे अधिक की जनसंख्या पर की गयी है। लेखा परीक्षा काल में उ0प्र0 में कुल 52019 ग्राम पंचायतें कार्यरत हैं। ग्राम पंचायत के कार्यों का सुचारु रूप से संचालन के लिये प्रत्येक ग्राम सभा हेतु प्रधान व सदस्यों का चुनाव प्रत्येक पांच वर्षों के अन्तराल पर किया जाता है। उ0प्र0 पंचायती राज अधिनियम 1947 के अनुसार ग्राम पंचायत की बैठक सामान्यतः प्रत्येक मास में कम से कम एक बार होनी चाहिए किन्तु दो लगातार बैठकों के मध्य दो मास से अधिक का अन्तराल नहीं होना चाहिए। ग्राम प्रधान की प्रति दिन के कार्यों के सुचारु रूप से चलाने हेतु ग्राम्य विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी की तैनाती शासन द्वारा की गयी है। ग्राम पंचायत के समस्त खातों का संचालन ग्राम प्रधान एवं ग्राम्य विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से संचालन किया जाता है।

ग्राम सभा की बैठक तथा कृत्य

उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम की धारा 11 के अनुसार प्रतिवर्ष ग्राम सभा की दो सामान्य बैठक होगी, (खरीफ की बैठक तथा रबी की बैठक), इसके अतिरिक्त विहित अधिकारी की लिखित मांग अथवा सदस्यों की कुल संख्या का कम से कम 1/5 की मांग पर मांग की दिनांक से 30 दिन के अन्दर प्रधान ग्राम सभा की असाधारण सामान्य बैठक अवश्य बुलाएगा। प्रधान किसी भी समय असाधारण बैठक बुला सकता है, किन्तु ग्राम सभा निम्नलिखित मामलों पर विचार करेगी तथा ग्राम पंचायत की सिफारिश व सुझाव दे सकती है।

- 1— ग्राम पंचायत के खातों का वार्षिक विवरण, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की प्रशासन को रिपोर्ट और अन्तिम लेखा परीक्षा टिप्पणी और उन पर दिये गये उत्तर यदि कोई हो।
- 2— पूर्ववर्ती वर्ष से सम्बन्धित ग्राम पंचायत के विकास कार्यक्रमों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान लिए जाने के लिये प्रस्तावित विकास कार्यों की रिपोर्ट।
- 3— ग्राम में समाज के सभी वर्गों के बीच एकता और समन्वय की अभिवृद्धि।
- 4— ग्राम के भीतर प्रौढ शिक्षा का कार्यक्रम।
- 5— ऐसे अन्य कार्य जो नियत किये जाये।

ग्राम सभा निम्नलिखित कृत्यों का सम्पादन करेगी—

- क— सामुदायिक कल्याण कार्यक्रमों के लिये स्वैच्छिक जन और अंशदान जुटाना।
- ख— ग्राम से सम्बन्धित विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के लिये हितकारी की पहचान।
- ग— ग्राम से सम्बन्धित विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता पहुंचाना।

ग्राम पंचायतों के अधिकार व कर्तव्य कृत्य

उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 15 के अनुसार ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जैसा राज्य सरकार समय-समय पर विनिर्दिष्ट करें। प्रत्येक ग्राम पंचायत उसमें उल्लिखित कृत्यों का सम्पादन करेगी।

उक्त के अतिरिक्त ग्राम पंचायत प्रतिवर्ष पंचायत क्षेत्र के लिये एक विकास योजना तैयार करेगी और उसे सम्बन्धित क्षेत्र पंचायत की ऐसे दिनांक के पूर्व और ऐसे प्रारूप और रीति में जैसी नियत की जाये, प्रेषित करेगी तथा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित में से किसी एक या सभी कृत्यों की ग्राम पंचायत को समानुदेशित कर सकती है।

- 1— पंचायत क्षेत्र में स्थित किसी वन की व्यवस्था तथा अनुरक्षण।
- 2— पंचायत क्षेत्र के भीतर स्थित सरकार की बंजर भूमि, चारागाह भूमि या खाली पड़ी भूमि की व्यवस्था।
- 3— किसी कर या भू राजस्व का संग्रह और संबन्धित अभिलेखों का अनुरक्षण।

कर तथा शुल्क का आरोपण—

उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 37 के प्रावधानानुसार ग्राम पंचायत निम्नांकित कर लगायेगी

क— उन क्षेत्रों में जहां उ0प्र0 जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 जौनसार वाबर जमींदारी-विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम 1956 के अधीन मध्यवर्तियों के अधिकार, आगम और स्वत्व अर्जित कर लिये गये हो, भूमि पर उसके लिये देय अथवा देय समझे जाने वाली भू-राजस्व की धनराशि पर प्रति रुपया (कम से कम पच्चीस पैसे किन्तु पचास पैसे से अनधिक) का कर लगा सकती है।

ख— उक्त खण्ड क में अभिदिष्ट क्षेत्रों से भिन्न क्षेत्रों में भौमिक अधिकार से सम्बन्धित प्रवृत्त विधि के अधीन किसी काश्तकार द्वारा, वह कुछ भी कहलाता हो, देय भू-राजस्व की धनराशि पर प्रति रुपया (कम से कम पच्चीस पैसे किन्तु पचास पैसे से अनधिक) कर लगा सकती है।

उक्त के अतिरिक्त ग्राम पंचायत निम्नवत् सभी या कोई कर, फीस और शुल्क लगा सकती है।

ग— प्रेक्षागृह, चलचित्र अथवा इसी प्रकार के मनोरंजन कार्य, जो अस्थायी रूप से ग्राम पंचायत के क्षेत्र में आया हुआ है।

घ— ग्राम पंचायत के क्षेत्र में रखे हुए और किराये पर चलाने जाने वाले यन्त्र चलित वाहनो से भिन्न वाहनों तथा पशुओं पर उसके स्वामियों द्वारा देय कर लगा सकती है।

ङ— उन व्यक्तियों से जिन पर खण्ड-ग के अधीन कोई कर लगाया गया हो, भिन्न व्यक्तियों पर लगा सकती है। जो ऐसे बाजारों, हाटों अथवा मेलों में बिक्री के लिये सामान प्रदर्शित करें। जो सम्बन्धित ग्राम पंचायत के स्वामित्व या नियन्त्रण में हो।

च— उन पशुओं की रजिस्ट्री पर शुल्क सभा लगा सकती है, जो ऐसे बाजार अथवा भूमि पर बेचे गये हो, जो ग्राम पंचायत के स्वामित्व में या उसके नियन्त्रण में हो।

छ— वधशालाओ और पड़ाव की भूमि के लिये शुल्क लगा सकती है।

ज— जल शुल्क— जहां ग्राम सभा द्वारा घर के उपयोग के लिये जल सम्भारित किया जाता है।

झ— यदि सफाई ग्राम पंचायत द्वारा की जाती हो, तो निजी शौचालयों और नालियों को साफ करने के लिये कर लगा सकती है, जो उन मकानों के जिनमें वे निजी शौचालय या नालियां संलग्न हो, स्वामियों अथवा अध्यासियों द्वारा देय होगा।

ज— सड़कों की सफाई और उन पर रोशनी की व्यवस्था के लिये कर।

ट— जहां ग्राम पंचायत द्वारा सिंचाई के प्रयोजनार्थ छोटी सिंचाई की परियोजनाओं जल सम्भरण हेतु बनायी गयी या अनुरक्षित की गयी हो, की कोई सिंचाई दर।

ठ— कोई ऐसा अन्य कर जिसे राज्य में आरोपित करने का अधिकार राज्य विधान मण्डल को संविधान के अधीन, उनके अनुच्छेद 277 को सम्मिलित करते हुये, हो और जिनका ग्राम पंचायत द्वारा आरोपण राज्य सरकार ने प्राधिकृत किया है।

ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिये ग्राम पंचायतों द्वारा अनेक योजनाओं/ परियोजनाओं का संचालन किया जाता है। विकास के कार्यों के क्रियान्वयन के लिये उ0प्र0 पंचायती राज अधिनियम 1947 के अनुसार कर लगाने व वसूलने का अधिकार है तथा राज्य सरकार / भारत सरकार द्वारा विकास के कार्यों के लिये धनराशि उपलब्ध करायी जाती है। वर्तमान में ग्राम पंचायत द्वारा मूलतः चार महत्वपूर्ण परियोजनाओं/कार्यों का संचालन किया जा रहा है, जिनका विवरण निम्नवत् है :-

1 —महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम-2005 (मनरेगा)

ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार चाहने वाले प्रत्येक परिवार को वर्ष में न्यूनतम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की गयी, इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक गृहस्थी को जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिये स्वेच्छा से आगे आते हैं। इस अधिनियम के अधीन बनायी गयी स्कीम के अनुसार किसी वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के अन्तर्गत के लिये ऐसा कार्य उपलब्ध करायेगा तथा प्रत्येक व्यक्ति जिसने ऐसा कार्य किया है, प्रत्येक कार्य दिवस के लिये निर्धारित मजदूरी की दर से मजदूरी प्राप्त करने का हकदार होगा तथा ऐसी मजदूरी का भुगतान कार्य करने के पन्द्रह दिन के अन्दर किया जायेगा, अधिनियम की धारा 7(1) के अनुसार यदि स्कीम के अन्तर्गत नियोजन चाहने वाले आवेदक को निर्धारित समय (आवेदन के पन्द्रह दिन) के अन्दर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो वह निर्धारित दर से बेरोजगारी भत्ता पाने का हकदार होता है।

1—मनरेगा का उद्देश्य

ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक गृहस्थी को जिसके वयस्क सदस्य अकुशल कार्य करने के लिये उत्सुक हैं, को एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराकर, जीवन सुरक्षा को बढ़ाना है।

2—मनरेगा का लक्ष्य:-

1— जहां अन्य रोजगार की सुविधा कम है। ऐसी ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर लोगो को रोजगार मुहैया कराकर मजबूत सामाजिक सुरक्षा तन्त्र का निर्माण करना है।

2— ऐसे क्षेत्रों में रोजगार मुहैया कराकर, (जो गरीबी के मूल कारण हैं) जैसे बाढ़, सूखा, जंगलों का कटान, भूमि कटान, कृषि प्रधान आर्थिक संरचना के विकास के लिये सुविधा प्रदान करना।

3— अधिनियम, ग्रामीण, जीविकोपार्जन, हेतु राष्ट्रीय रिसोर्स आधार को मजबूत करता है, तथा ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूत व टिकाऊ सम्पत्ति का निर्माण करता है, मनरेगा में गरीबी के कारणों को पूर्ण रूप से बदलने की क्षमता है।

4- ग्रामीण गरीबों को कानूनी अधिकार के अन्तर्गत रोजगार उपलब्ध कराना।

5- सबसे निचले स्तर पर अपने क्षेत्र के समन्वित विकास के लिये स्वयं कार्य का निर्धारण करना तथा पारदर्शिता के साथ इसे पूर्ण करना।

मनरेगा के अन्तर्गत अनुमन्य कार्य

1- जल संचयन व जल प्रबन्धन।

2- वानिकी व वृक्षारोपण।

3- सिंचाई हेतु नहरें, जिसमें छोटे व अति छोटे सिंचाई की व्यवस्था सम्मिलित हो।

4- सिंचाई के साधन की व्यवस्था, वृक्षारोपण, हार्टीकल्चर।

5- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवारों, भूमि सुधार के अन्तर्गत सहायता प्राप्त परिवार, इन्दिरा आवास योजना/गरीबी रेखा के नीचे के परिवार के भूमि का भूमि विकास।

6- परम्परागत जल सुविधाओं का जीर्णोद्धार, जिसमें टैकों की सफाई भी सम्मिलित है।

7- भूमि सुधार/विकास।

8- बाढ़ नियन्त्रण जिसमें जल भराव क्षेत्रों को संरक्षित करना भी सम्मिलित है।

9- ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ना, सड़क का निर्माण, आवश्यकतानुसार ग्राम क्षेत्र में नाली का निर्माण, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत आने वाले सड़कों पर मनरेगा के अन्तर्गत कार्य नहीं कराया जाना चाहिये, मनरेगा के अन्तर्गत सीमेन्ट सड़क का निर्माण प्रतिबन्धित है तथा ऐसी सड़कों को प्राथमिकता दी जायेगी जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के निवास से जोड़ती है।

10- कोई अन्य कार्य जो भारत सरकार, राज्य सरकार से विचार विमर्श कर अधिसूचित करे।

11-अन्य योजनाओं के अन्तर्गत निर्मित सम्पत्ति का रख रखाव का कार्य मनरेगा के अन्तर्गत अनुमन्य है।

12- मनरेगा के अन्तर्गत भूमि क्रय अनुमन्य नहीं है।

2-छात्रवृत्ति योजना-

समाज के सभी वर्गों के बच्चों की पढ़ाई के लिये प्रेरित करने तथा उन्हें आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों को राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों के माध्यम से छात्रवृत्ति उपलब्ध कराया जाता है। विभिन्न वर्गों के छात्रों के लिये अलग-अलग विभागों से छात्रवृत्ति प्राप्त होती है। जैसे विकलांग बच्चों के लिये विकलांग कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक छात्रों के लिये अल्पसंख्यक विकास विभाग आदि से धनराशि ग्राम पंचायत को प्राप्त होती है। जिससे ग्राम पंचायत द्वारा संबन्धित वर्ग के छात्रों को प्राप्त कराया जाता है।

3- राज्य वित्त आयोग/केन्द्रीय वित्त आयोग/अन्य स्रोतों से प्राप्त अनुदान-

ग्रामीण क्षेत्रों के सम्बन्धित विकास के लिये राज्य वित्त आयोग तथा केन्द्रीय वित्त आयोग से अनुदान प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 तथा उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के अनुसार ग्राम पंचायत कर आरोपित कर सकती है उक्त समस्त धनराशि का उपयोग ग्राम पंचायतों द्वारा विभिन्न विकास के कार्यों, वृक्षारोपण, सड़क निर्माण, नाली निर्माण, जलाशयों/नलकूपों का निर्माण, पुराने जलाशयों का जीर्णोद्धार, भूमि संरक्षण आदि कार्यों का निर्धारण ग्राम सभा की खुली बैठक में किया जाता है। समिति द्वारा कार्य एवं क्रय की आन्तरिक लेखा परीक्षा की व्यवस्था भी की गयी है।

4-मध्यान्ह भोजन योजना

प्रदेश के राजकीय परिषदीय तथा राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराकर शिक्षा ग्रहण करने की क्षमता को विकसित करने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों के माध्यम से मध्यान्ह भोजन योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजनान्तर्गत प्रत्येक छात्र को सप्ताह में शासन द्वारा निर्धारित भोज्य पदार्थ दिये जाने की व्यवस्था की गयी है। इस योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्राथमिक स्तर एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर शासनादेशों द्वारा निर्धारित दर से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। खाद्यान्न में भोजन पकाने के लिए परिवर्तन लागत की व्यवस्था की गयी है। परिवर्तन लागत में सब्जी, तेल, मसाले एवं गैस अन्य सामग्रियों की व्यवस्था की जाती है। शासनादेशों द्वारा निर्धारित परिवर्तन लागत विद्यालय को उपलब्ध करायी जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में मध्यान्ह भोजन योजना के क्रियान्वयन अर्थात् भोजन निर्माण कार्य मुख्यतः ग्राम पंचायतों की देख-रेख में किया जाता है। भोजन बनाने हेतु आवश्यक खाद्यान्न निःशुल्क प्रदान किया जाता है। जो अपने देख-रेख में विद्यालय परिसर में बने किचन शेड में भोजन तैयार कराते हैं। भोजन बनाने हेतु लगने वाली अन्य आवश्यक सामग्री की व्यवस्था करने का दायित्व भी ग्राम प्रधान का ही है। इस हेतु उन्हें परिवर्तन लागत उपलब्ध कराया जाता है।

विद्यालयों में पके पकाए भोजन की व्यवस्था की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर योजना के अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण हेतु मंडलीय सहायक निदेशक (बेसिक शिक्षा) को दायित्व सौंपा गया है तथा विकास खण्ड स्तर पर उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में टास्क फोर्स गठित की गयी है। जिसमें सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक को सदस्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है।

योजना के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए निम्नवत् व्यवस्था की गयी है।

1. मेनू को विद्यालयों की दीवारों पर 6' / 8' साइज में चस्पा कराया जाएगा ताकि पारदर्शिता बनी रहे एवं परोसा जा रहा भोजन मेनू के अनुरूप है कि नहीं, यह सर्वविदित रह सके।
2. भोजन वितरण के माह से पूर्व माह में खाद्यान्न को विद्यालय तक पहुंचाये जाने की व्यवस्था की गयी है।

ख-संगठनात्मक ढांचा- विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम प्रधान, पंचायत सचिव/ग्राम्य विकास अधिकारी उत्तरदायी है। मनरेगा के क्रियान्वयन के लिए विकास खण्ड स्तर पर खण्ड विकास अधिकारी, जिला स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी व जिलाधिकारी, राज्य स्तर पर निदेशक, ग्राम्य विकास व शासन स्तर पर प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास, तेरहवां वित्त आयोग के क्रियान्वयन के लिए ब्लाक स्तर पर सहायक विकास अधिकारी, पंचायती राज व शासन स्तर पर प्रमुख सचिव पंचायती राज, मध्यान्ह भोजन योजना के लिए ब्लॉक स्तर पर सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/उप विद्यालय निरीक्षक, जिला स्तर पर बेसिक शिक्षा अधिकारी, राज्य स्तर पर निदेशक, बेसिक शिक्षा व शासन स्तर पर प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा को उत्तरदायी बनाया गया है। इसी प्रकार अन्य योजनाओं के लिए संबंधित विभागों के विभिन्न स्तरों के अधिकारी उत्तरदायी हैं।

अध्याय—3

त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की लेखा परीक्षा प्रगति

3.1—जिला पंचायतें

वर्ष 2015—16 में राज्य की कुल 73 जिला पंचायतों में से 47 जिला पंचायतों के वित्तीय वर्ष 2014—2015 की लेखा परीक्षा सम्पन्न की गयी। लेखा परीक्षित जिला पंचायतों की जनपदवार सूची परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। लेखा उपलब्धता अपेक्षित सहयोग न मिलने पर लेखा परीक्षा में अपेक्षित प्रगति न हो सकी।

3.2—क्षेत्र पंचायतें

वर्ष 2015—16 में राज्य की कुल 820 क्षेत्र पंचायतों में से 79 क्षेत्र पंचायतों वित्तीय वर्ष 2014—2015 की लेखा परीक्षा सम्पन्न की गयी। लेखा परीक्षित क्षेत्र पंचायतों की जनपदवार सूची परिशिष्ट 2 पर संलग्न है। क्षेत्र पंचायतों के प्रशासनिक अधिकारी (मुख्य विकास अधिकारी) एवं कार्यकारी अधिकारी (खण्ड विकास अधिकारी) द्वारा लेखा परीक्षा में सहयोग न करने एवं लेखा परीक्षक के समक्ष लेखा परीक्षा हेतु समस्त निर्धारित अभिलेख प्रस्तुत न करने के कारण लेखा परीक्षा में अपेक्षित प्रगति न हो सकी।

3.3—ग्राम पंचायतें

वर्ष 2015—16 में राज्य की कुल 52019 ग्राम पंचायतों में से 36228 ग्राम पंचायतों के वित्तीय वर्ष 2014—15 की लेखा परीक्षा सम्पन्न की गयी। लेखा परीक्षित ग्राम पंचायतों की जनपदवार सूची परिशिष्ट 3 पर संलग्न है। ग्राम पंचायतों के प्रशासनिक अधिकारी (जिला पंचायती राज अधिकारी व खण्ड विकास अधिकारी) एवं कार्यकारी अधिकारी (ग्राम्य विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी) द्वारा लेखा परीक्षा में सहयोग न करने एवं लेखा परीक्षक के समक्ष लेखा परीक्षा हेतु समस्त निर्धारित अभिलेख प्रस्तुत न करने के कारण लेखा परीक्षा में अपेक्षित प्रगति न हो सकी।

अध्याय—4

लेखा परीक्षा में उद्घाटित महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा आपत्तियों का विवरण

लेखा परीक्षा के उद्देश्य— निष्पादित लेखा परीक्षा का उद्देश्य यह देखना था कि क्या—

1. संस्था द्वारा अपनायी गयी प्रक्रिया नियमावली के किसी नियम अथवा संविधान के किसी अनुच्छेद के विपरीत नहीं है।
2. किये गये व्यय में नियमों/मार्गदर्शी सिद्धान्तों का अनुपालन किया गया है तथा वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का उल्लंघन नहीं हुआ है।
3. न्यूनतम मूल्य में उच्च गुणवत्ता की सामग्री का क्रय किया गया है तथा न्यूनतम लागत में अधिकतम हित प्राप्त किया गया है।

4. संस्था द्वारा प्रभावी ढंग से योजना का अनुश्रवण करते हुए भौतिक लक्ष्य को समय से पूरा कर लिया गया है।
5. बैंक खातों का मिलान कर लिया गया है।
6. सृजित परिसम्पत्तियों का लेखांकन किया गया है।
7. निर्धारित समस्त अभिलेखों का लेखांकन, रख रखाव एवं प्रस्तुतिकरण समुचित रूप से किया गया है।

लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं कार्यविधि

त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय वर्ष 2014-15 तक के अवधि की लेखा परीक्षा अप्रैल 2015 से मार्च 2016 के मध्य की गयी। जिसमें राज्य के सभी जनपदों के 52915 पंचायती राज संस्थाओं के उपलब्ध अभिलेखों की जांच की गयी। योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी प्रशासनिक विभागों द्वारा निर्धारित किये गए उद्देश्यों, लेखा नियमों, सक्षम प्राधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर जनपद के जिला लेखा परीक्षा अधिकारी द्वारा जनपद में तैनात लेखा परीक्षा कर्मियों के माध्यम से लेखा परीक्षा कार्य संपादित कराया गया।

पंचायती राज संस्थाओं की लेखा परीक्षा में उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षणोपरान्त लेखा परीक्षक की टिप्पणियां लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के माध्यम से संबंधित पक्षों को निर्गत की गयी।

जिला पंचायत

जनपद—फिरोजाबाद मंडल —आगरा

जिला पंचायत— फिरोजाबाद

प्रस्तर—1

ईट भट्टों से लाइसेन्स शुल्क की ब्याज सहित वसूली न किया जाना—संस्था के कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा अपने क्षेत्र के निम्नलिखित 12 ईट भट्टों से लाइसेन्स शुल्क/राजस्व की ब्याज सहित वसूली नहीं की गई।

1. जय ईट उद्योग, उत्तरारा जसराना। रू0 5,000.00
2. बजरंग ईट उद्योग, गोविन्दपुर, शिकोहाबाद। रू0 5,000.00
3. जय करौली माँ ईट भट्टा भोखूपुर हाथवन्त। रू0 5,000.00
4. पवनसुत ईट उद्योग बरकतपुर फिरोजाबाद। रू0 5,000.00
5. मै0 बी0एस0यादव ईट उद्योग, फरीदा—एका। रू0 5,000.00
6. अन्नपूर्णा ईट उद्योग, एटा रोड शिकोहाबाद। रू0 5,000.00
7. राम ईट उद्योग, दरिगापुर मोहिनीपुर। रू0 5,000.00
8. शंकर ब्रिक फील्ड गाजीपुर फिरोजाबाद। रू0 5,000.00
9. श्री आर0ईट उद्योग कौरारी सरहद, एका। रू0 5,000.00
10. माया ईट उद्योग नगला धारू। रू0 5,000.00
11. बांके बिहारी ईट उद्योग, घाघउ शिकोहाबाद। रू0 5,000.00
12. शान्ति देवी ईट उद्योग पालर, टीकामई। रू0 5,000.00

उपरोक्तानुसार जिला पंचायत को रू0 रू0 60,000 की हानि हुई। उक्त धनराशि सम्बन्धित ईट भट्टों से न वसूल होने की स्थिति/इंगित कार्यवाही न करने पर संस्था को हुयी हानि की ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से **अपर मुख्य अधिकारी श्री सुभाषचन्द्र भारतीया, कर निरीक्षक श्री हरिओम तथा पटल लिपिक श्री मुकेश भारद्वाज** से उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत नियमावली के नियम संख्या—179 (2) डी के प्राविधानों के अनुसार की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर—2

शीतगृहों से लाइसेन्स शुल्क की ब्याज सहित वसूली न किया जाना — संस्था के कर्मचारियों/ अधिकारियों द्वारा अपने क्षेत्र के निम्नलिखित 30 शीतगृहों से लाइसेन्स शुल्क/राजस्व की ब्याज सहित वसूली नहीं की गई।

1. भुवनेश कोल्ड स्टोरेज, ग्राम व पोस्ट मक्खनपुर। रू0 5,000.00
2. कृष्णा कोल्ड स्टोरेज, इन्दुमई, आगरा रोड, शिकोहाबाद। रू0 5,000.00
3. माँ भगवती कोल्ड स्टोरेज, ग्राम व पोस्ट दखिनारा। रू0 5,000.00
4. अमन कोल्ड स्टोर, मैनुपुरी रोड, शिकोहाबाद। रू0 5,000.00
5. गिराज कोल्ड स्टोर, मैनुपुरी रोड, शिकोहाबाद। रू0 5,000.00
6. राज कोल्ड स्टोर, मुस्तफाबाद रोड, शिकोहाबाद। रू0 5,000.00
7. के0पी0सिंह कोल्ड स्टोर, एटा रोड, शिकोहाबाद। रू0 5,000.00
8. पवन प्रिजर्वेशन कोल्ड स्टोर, एटा रोड, शिकोहाबाद। रू0 5,000.00
9. जय दुर्गे प्रिजर्वेशन कोल्ड स्टोर, एटा रोड, शिकोहाबाद। रू0 5,000.00
10. आर0डी0गुप्ता कोल्ड स्टोरेज, ग्राम व पोस्ट रूपसपुर। रू0 5,000.00
11. जय शिव दुर्गा एण्ड धर्मेन्द्र कोल्ड स्टोर, एटा रोड, शिकोहाबाद। रू0 5,000.00
12. माँ सिद्धेश्वरी कोल्ड स्टोरेज, ग्राम व पोस्ट नगला मान सिंह, रूपसपुर। रू0 5,000.00
13. बालाजी कोल्ड स्टोर, न0 कोठी, शिकोहाबाद। रू0 5,000.00
14. सुमन कोल्ड स्टोर, मैनुपुरी रोड, शिकोहाबाद। रू0 5,000.00
15. देवता कोल्ड स्टोर, अदमपुर, शिकोहाबाद। रू0 5,000.00
16. गुंजन कोल्ड स्टोरेज, पैगू रोड, सिरसागंज, पोस्ट करहरा। रू0 5,000.00
17. बसन्ती देवी वीरभान सिंह शीतगृह, इटावा रोड, सिरसागंज, पोस्ट रुधेमई। रू0 5,000.00
18. मक्खनपुर कोल्ड स्टोरेज, ग्राम बिल्टीगढ़ खेडा, थाना मक्खनपुर। रू0 5,000.00
19. भोले आइस कोल्ड स्टोरेज, ग्राम व पोस्ट मटसैना, फिरोजाबाद। रू0 5,000.00
20. निधि कोल्ड स्टोरेज, एटा रोड, पोस्ट व थाना टूण्डला। रू0 5,000.00
21. माँ दुर्गायणी शीतगृह चुल्हावली रोड, पीपल चौकी चुल्हावली, टूण्डला। रू0 5,000.00
22. बालाजी कोल्ड स्टोरेज, आगरा रोड, उसायनी, फिरोजाबाद। रू0 5,000.00
23. चूड़ामणि कोल्ड स्टोरेज, प्रतापपुर, पोस्ट व थाना टूण्डला। रू0 5,000.00
24. हृदयपाल कोल्ड स्टोरेज, मोहम्मदपुर, टूण्डला। रू0 5,000.00
25. मारुतीनन्दन कोल्ड स्टोरेज, ग्राम व पोस्ट बरतरा, नारखी। रू0 5,000.00
26. राजा कोल्ड स्टोरेज, सेमरा अतीकाबाद, पोस्ट कठफोरी। रू0 5,000.00
27. गंगा देवी कोल्ड स्टोरेज, सोथरा रोड, सिरसागंज। रू0 5,000.00

28. एल0आर0 कोल्ड स्टोरेज, आगरा रोड, सिरसागंज। रू0 5,000.00
29. अमर शीतालय प्रा0लि0 कौरारा रोड, सिरसागंज। रू0 5,000.00
30. पुष्पादेवी कोल्ड स्टोरेज, इटावा रोड, सिरसागंज। रू0 5,000.00

उपरोक्तानुसार जिला पंचायत को रू0 रू0 1,50,000 की हानि हुई। उक्त धनराशि सम्बन्धित शीतगृहों से न वसूल होने की स्थिति/इंगित कार्यवाही न करने पर संस्था को हुयी हानि की ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से **अपर मुख्य अधिकारी श्री सुभाषचन्द्र भारतीया, कर निरीक्षक श्री हरिओम तथा पटल लिपिक श्री मुकेश भारद्वाज** से उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत नियमावली के नियम संख्या-179 (2) डी के प्राविधानों के अनुसार की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-3

औद्योगिक संस्थानों से लाइसेंस शुल्क की ब्याज सहित वसूली न किया जाना – संस्था के कर्मचारियों/ अधिकारियों द्वारा औद्योगिक संस्थानों से राजस्व की ससमय ब्याज सहित वसूली नहीं की गई। जिससे जिला पंचायत को रू0 0.91 लाख की हानि हुई। निम्नलिखित 32 व्यावसायिक/औद्योगिक संस्थानों/प्रतिष्ठानों/मैरिज होम/मैडीकल स्टोर इत्यादि से लाइसेंस शुल्क की ब्याज सहित वसूली न कर जिला पंचायत को रू0 91,000 की आर्थिक क्षति पहुंचायी गयी है।

1. ओ0पी0ग्लास इण्डस्ट्रीज, मकखनपुर। रू0 5,000.00
2. श्री राम ग्लास वर्क्स, मकखनपुर। रू0 5,000.00
3. के0पी0 ग्लास वर्क्स, मकखनपुर। रू0 5,000.00
4. पीताम्बर ग्लास वर्क्स, राजा का ताल, फिरोजाबाद। रू0 5,000.00
5. लेबर ग्लास वर्क्स, ग्राम मौढा, पोस्ट दौकैली। रू0 5,000.00
6. आकाशदीप ग्लास इण्डस्ट्रीज, ग्राम मौढा, पोस्ट दौकैली। रू0 5,000.00
7. मित्तल ग्लास इण्डस्ट्रीज, राजा का ताल, फिरोजाबाद। रू0 5,000.00
8. अमित रिसोर्ट पोस्ट किशनपुर चमेली बाग। रू0 5,000.00
9. एफ0एम0वाटिका, एन0एन0-2, राजा का ताल, फिरोजाबाद। रू0 5,000.00
10. बजाज आइरन एण्ड हाइड्रोपेपर, आगरा रोड, सिरसागंज। रू0 2,000.00
11. मकखनपुर फिलिंग स्टेशन, मकखनपुर। रू0 2,000.00
12. भारत पेट्रोलियम, न0कोठी आगरा रोड, पोस्ट आरौंज, शिकोहाबाद। रू0 2,000.00
13. गुन्जन फिलिंग स्टेशन, इटावा रोड, सिरसागंज। रू0 2,000.00
14. वीरभान सिंह फिलिंग स्टेशन, इटावा रोड, सिरसागंज। रू0 2,000.00
15. चौहान फिलिंग स्टेशन, ग्राम व पोस्ट बैजुआ खास। रू0 2,000.00
17. सिकहरा फिलिंग स्टेशन, ग्राम व पोस्ट मुस्तफाबाद। रू0 2,000.00
18. नेशनल हाईवे फिलिंग स्टेशन, जसराना। रू0 2,000.00

19. विजय फिलिंग स्टेशन, दौकेली, फिरोजाबाद। ₹0 2,000.00
20. शंकरपुरा किसान सेवा केन्द्र, ग्राम व पोस्ट शंकरपुर, थाना बसई मोहम्मदपुर। ₹0 2,000.00
21. भगतजी फिलिंग स्टेशन, मोहम्मदाबाद, टूण्डला। ₹0 2,000.00
22. बालाजी फिलिंग स्टेशन, बसई, टूण्डला। ₹0 2,000.00
23. बालाजी फिलिंग स्टेशन, नगला दल, टूण्डला। ₹0 2,000.00
24. किसान इण्डियन ऑयल। ₹0 2,000.00
25. एस0आर0पेट्रोल पम्प, बहादुरपुर नगला बीच, फिरोजाबाद। ₹0 2,000.00
26. गोगाजी फिलिंग स्टेशन, कपावली, नारखी। ₹0 2,000.00
27. अमरदीप फिलिंग स्टेशन, जलेसर रोड, शाहपुर। ₹0 2,000.00
28. गोविन्दराम फिलिंग स्टेशन, ग्राम पहाडपुर, पोस्ट नगला बीच, फिरोजाबाद। ₹0 2,000.00
29. दिनेश फिलिंग स्टेशन, बाबा की शाला, पोस्ट उखरैण्ड, फिरोजाबाद। ₹0 2,000.00
30. वन्दना फिलिंग स्टेशन, ग्राम व पोस्ट कठफोरी, फिरोजाबाद। ₹0 2,000.00
31. इण्डियन ऑयल पेट्रोल पम्प, अहमदपुर कौरारा, फिरोजाबाद। ₹0 2,000.00
32. ज्योती फिलिंग स्टेशन, भावली, सिरसागंज। ₹0 2,000.00

उक्त सम्बन्धित प्रतिष्ठानों से ब्याज सहित वसूल न होने/इंगित कार्यवाही न करने पर संस्था को हुयी हानि की ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से तत्कालीन **अपर मुख्य अधिकारी श्री सुभाषचन्द्र भारतीया, कर निरीक्षक श्री हरिओम तथा पटल लिपिक श्री मुकेश भारद्वाज** से उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत नियमावली के नियम संख्या 179(2)—डी के प्राविधानों के अनुसार की जानी आपेक्षित है।

प्रस्तर-4

नियमों की अनदेखी कर अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर निर्माण कार्य कराकर संस्था को आर्थिक क्षति पहुंचाना—जिला पंचायत का प्राथमिक कार्य ग्राम सभाओं को जिला मुख्यालय से सड़कों द्वारा जोड़ना एवं उनका अनुरक्षण व अनुच्छेद 2 में वर्णित शक्तियों एवं कार्यों का कराना हैं, जिला पंचायतें जिला सड़को पर ही कार्य कराने हेतु अधिकृत हैं। कार्य कराने के पूर्व ग्राम पंचायतों से अनापत्ति प्रमाण पत्र व प्रस्ताव प्राप्त किये जाने चाहिए तथा कार्य दो क्षेत्र पंचायतों के मध्य ही किया जाना चाहिए। ₹0 24,24,58,241.00 के निर्माण कार्य जानबूझकर नियमों की अनदेखी करके कराये गये हैं। अतः उपरोक्तानुसार वित्तीय वर्ष 2014-15 में जिला पंचायत फिरोजाबाद द्वारा निर्माण कार्यों पर व्यय ₹0 11,17,78,729.00 के दुरुपयोग का प्रकरण उ0प्र0 शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

प्रस्तर-5

वर्ष 2009-10 से बकाये की ब्याज सहित वसूली न कराये जाने के सम्बन्ध में—जिला पंचायत वित्तीय वर्ष-2014-15 के दौरान 31 मार्च 2015 को मृत पशु शव निस्तारण नीलामी/लाइसेंस का बकाया ₹0-96000.00 बकाया दर्शाया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली हेतु कोई ठोस प्रयास नहीं किये गये जिससे संस्था को हुयी हानि की ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से तत्कालीन **अपर**

मुख्य अधिकारी श्री सुभाषचन्द्र भारतीया तथा पटल लिपिक श्री राधेश्याम शर्मा से उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत नियमावली के नियम संख्या 179(2)-डी के प्राविधानों के अनुसार की जानी आपेक्षित है।

जनपद—अलीगढ़ मण्डल—अलीगढ़ जिला पंचायत—अलीगढ़

प्रस्तर—1

आलोच्य वर्ष 2014-15 में ठेकेदारों से मिट्टी खड़ण्जा आदि से सम्बन्धित कार्य कराया गया परन्तु मिट्टी से सम्बन्धित कार्यो पर मिट्टी पर ठेकेदारों से उनके बिलो से रायल्टी नहीं काटी गयी जबकि शासनादेश संख्या 389/77-5-2002-1(216) औद्योगिक विकास अनुभाग-5 दिनांक 05-8-2002 में दिये गये निर्देशानुसार देय राँयल्टी का भुगतान कराये जाने के उपरान्त ही ठेकेदारों को भुगतान किया जाना था । विवरण निम्न प्रकार है —

बिल सं०	दिनांक	आंकलित प्रयुक्त उपखनिज की मिट्टी की मात्रा	दर	रायल्टी की धनराशि
75	30-04-2014	506-28	14-00	7093-00
76	30-04-2014	598-39	14-00	8377-00
77	30-04-2014	592-96	14-00	8301-00
79	30-04-2014	535-67	14-00	4699-00
88	05-05-2014	934-62	14-00	13084-00
89	05-05-2014	939-23	14-00	13149-00
187	03-06-2014	70-56	14-00	987-00
189	03-06-2014	10-80	14-00	151-00
193	03-06-2014	215-12	14-00	3011-00
194	03-06-2014	145-90	14-00	2042-00
195	03-06-2014	153-77	14-00	2152-00
196	03-06-2014	148-94	14-00	2085-00
198	03-06-2014	237-83	14-00	3329-00
योग				68460-00

अतः नियमानुसार कार्यवाही करते हुए रु0 68460-00 की रायल्टी न काटकर अधिक किये गये भुगतान की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी अधिकारी एवं कर्मचारी से करायी जानी अपेक्षित है ।

प्रस्तर-2

वर्ष 2014-15 के व्यय प्रमाणको की जांच करने पर ज्ञात हुआ कि ठेकेदारों से मिट्टी खड़ण्जा आदि से सम्बन्धित कार्य कराया गया है परन्तु ठेकेदारों को भुगतान करते समय निम्नलिखित बिलों से राँयल्टी की कटौती निर्धारित दर पर नहीं की गयी जबकि शासनादेश संख्या 389/77-5-2002 -1(216) औद्योगिक विकास अनुभाग-5 दिनांक 05-8-2002 में दिये गये निर्देशानुसार देय राँयल्टी का भुगतान कराये जाने के उपरान्त ही ठेकेदारों को भुगतान किया जाना था। जिसके लिये तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी/लेखाकार/पटल प्रभारी उत्तरदायी है। विवरण निम्न प्रकार है--

बिल सं०	दिनांक	आंकलित प्रयुक्त उपखनिज की मिट्टी की मात्रा	दर	राँयल्टी की धनराशि जो काटी गयी	रायल्टी जो काटी जानी थी	कम काटी गयी कटौती की धनराशि (अन्तर)
85	05-05-2014	800-81	14-00	2254-00	11211-00	8957-00
86	05-05-2014	351-48	14-00	4494-00	4920-00	426-00
योग						9383-00

अतः रु0 9382-00 की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी तत्कालीन अपरमुख्य अधिकारी / लेखाकार / पटल प्रभारी से किया जाना अपेक्षित रहा ।

जनपद— फतेहपुर मण्डल—इलाहाबाद

जिला पंचायत—: फतेहपुर

प्रस्तर— 1

आलोच्य वर्ष 2014-2015 से सम्बंधित अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि कतिपय मदों, तहबाजारी ठेका बकाया धनराशि की वसूली न कर की गयी अनियमितता, बालू मौरंग, गिड़ी परिवहन शुल्क ठेका मद की बकाया, नौका घाट ठेका की बकाया धनराशि की वसूली न करके की गयी अनियमितता, मत्स्य आखेट ठेका की बकाया धनराशि की वसूली न करके की गयी अनियमितता, हड्डी चमड़ा ठेका की बकाया धनराशि की वसूली न करके की गयी अनियमितता, कांजी हाउस ठेसा की बकाया धनराशि की वसूली न करके की गयी अनियमितता, दुकान किराया की बकाया धनराशि की वसूली न करके की गयी अनियमितता हेतु श्री एल०एन०खरे, अपर मुख्य अधिकारी, श्री हरस्व रूप वर्मा, अपर मुख्य अधिकारी, श्री वी०सी०पन्त, अपर मुख्य अधिकारी श्री कमलेश कुमार कार्य अधिकारी/कर अधिकारी उत्तरदायी है अतः 8739610-78 की ब्याज सहित वसूली उक्त से की जानी अपेक्षित है।

उक्त प्रकरण में की गयी अनियमितता का विस्तृत निम्न प्रकार है।

क. तहबाजारी नीलामी का कार्यशासन देश के तहत वर्ष 2012-13 से नहीं हो रहा है। तहबाजारी नीलामी ठेका मांग वसूली, बकाया रजिस्टर के अनुसार विगत वर्षों की भांति दिनांक 31.03.2015 को रुपया 2017807.00 बकाया धनराशि दर्शायी गयी है। उक्त बकाया की वसूली हेतु कोई ठोस कार्यवाही न किये जाने से उक्त बकाये धनराशि के डूब जाने की पूरी संभावना है, जिससे जिला पंचायत को भारी क्षति संभावित है। उक्त बकाये धनराशि के वसूली हेतु कोई ठोस कार्यवाही न करने के लिए श्री एल0एन0खरे श्री हरस्वरूप वर्मा, श्री वी0सी0पन्त एवं अन्य तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारीगण तथा श्री कमलेश कुमार कार्य अधिकारी/कर अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी रहें हैं अतः एवं वसूली हेतु कोई कार्यवाही न करके की गयी अनियमितता के लिए उक्त गंभीर प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

(मू0आ0सं020)

ख. बालू, मौरंग, गिट्टी परिवहन शुल्क मांग वसूली व बकाया रजिस्टर 2014-15 के अनुसार उक्त मद की नीलामी ठेका आय का रु0 3638810.00 दिनांक 31.03.215 को बकाया रहा, जो निम्न विवरणानुसार वर्ष 1998-99 से 2009-10 के मध्य अवधि का है। उक्त बकाया की वसूली हेतु कोई कार्यवाही न किये जाने से उक्त बकाये धनराशि के डूब जाने की पूरी संभावना है, जिससे जिला पंचायत को भारी क्षति संभावित है। उक्त बकाये धनराशि के वसूली हेतु कोई ठोस कार्यवाही न करने के लिए श्री एल0एन0खरे श्री हरस्वरूप वर्मा, श्री वी0सी0पन्त एवं अन्य तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारीगण तथा श्री हरस्वरूप वर्मा, श्री वी0सी0पन्त एवं अन्य तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारीगण तथा श्री कमलेश कुमार कार्य अधिकारी/कर अधिकारी पूर्ण रूपसे उत्तरदायी रहें हैं अतः एवं ब्याज सहित वसूली हेतु कोई ठोस कार्यवाही न करके की गयी अनियमितता के लिए उक्त गंभीर प्रकाश में लाया जाता है। विवरण निम्नवत है:-

क्र0	वर्ष	बकाया धनराशि	आलोच्य वर्ष में वसूली
1	99-1998	5000.00	शून्य
2	2000-1999	20898.00	शून्य
3	01-2000	152500.00	शून्य
4	02-2001	95500.00	शून्य
5	03-2002	683412.00	शून्य
6	04-2003	266500.00	शून्य
7	05-2004	361000.00	शून्य
8	06-2005	621000.00	शून्य
9	07-2006	1383000.00	शून्य
10	10-2009	50000.00	शून्य
योग		3638810.00	मूल्य

आ0सं0 (21)

ग. नौका घाट नीलामी ठेका मांग वसूली बकाया रजिस्टर के अनुसार दिनांक 31.03.2015 को उक्त मद में रुपया 1232181.71 बकाया पावना दर्शाया गया। उक्त मद में दिनांक 31.03.2014 को बकाया रुपया 1266771.78 था जिसमें वर्ष 1987-88 का रुपया 1000.00 वर्ष 1991-92 का रुपया 7090.00 तथा वर्ष 2013-14 का

रुपया 3000.00 कुल रुपया 11090.00 आलोच्य वर्ष में वसूल हुआ। इस प्रकार वर्ष 1951-52 से वर्ष 2006-07 के मध्य अवधि का कुल बकाया 1255681.78 तथा आलोच्य वर्ष की मांग का बकाया रुपया 6500.00 कुल बकाया रुपया 1262181.78 दिनांक 31.03.2015 को बकाया रहा। उक्त बकाया की वसूली हेतु कोई ठोस कार्यवाही न किये जाने से उक्त बकाये धनराशि के डूब जाने की पूरी संभावना है, जिससे जिला पंचायत को भारी क्षति संभावित है उक्त बकाये धनराशि के वसूली हेतु कोई ठोस कार्यवाही न करने के लिए श्री एल0एन0खरे श्री हरस्वरूप वर्मा, श्री वी0सी0पन्त एवं अन्य तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारीगण तथा श्री कमलेश कुमार कार्य अधिकारी/कर अधिकारी पूर्ण रूपसे उत्तरदायी रहें हैं। अतः एवं ब्याज सहित वसूली हेतु कोई ठोस कार्यवाही न करके की गयी अनियमितता के लिए उक्त गंभीर प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

मू0आ0सं0(22)

विवरण निम्नवत है:-

वर्ष	बकाया	मांग	वर्ष में वसूली	दिनांक 31.03. 2015 को बकाया
14-2015 के पूर्व	1266771.78	1266771.78	11090.00	1255681.78
14-2015	1255681.78	1962181.78	700000.00	1262181.78

घ. मत्स्य आखेट नीलामी मांग वसूली बकाया रजिस्टर 2014-15 के अनुसार उक्त मद में विगत वर्षों की भांति दिनांक 31.03.2015 को रुपया 419101.00 धनराशि बकाया पावना दर्शाया गया है जो निम्न विवरणानुसार वर्ष 1991-92 से 2005-06 के मध्य अवधि का है। उक्त बकाया की वसूली हेतु कोई ठोस कार्यवाही न किये जाने से उक्त बकाये धनराशि के डूब जाने की पूरी संभावना है, जिससे जिला पंचायत को भारी क्षति संभावित है उक्त बकाये धनराशि के वसूली हेतु कोई ठोस कार्यवाही न करने के लिए श्री एल0एन0खरे श्री हरस्वरूप वर्मा, श्री वी0सी0पन्त एवं अन्य तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारीगण तथा श्री कमलेश कुमार कार्य अधिकारी/ कर अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी रहें हैं। अतः एवं ब्याज सहित वसूली हेतु कोई ठोस कार्यवाही न करके की गयी अनियमितता के लिए उक्त गंभीर प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

मू0आ0सं0(23)

विवरण निम्नवत है:-

क्रमांक	वर्ष	दिनांक 31.03.2015 को बकाया
1	1991-92	41125.00
2	1992-93	200.00
3	1995-96	17776.00
4	1997-98	77500.00
5	1999-2000	129000.00
6	2001-02	150000.00
7	2005-06	3500.00
	योग	419101.00

ड. हड्डी, चमड़ा ठेका मांग वसूली बकाया रजिस्टर के अनुसार दिनांक 31.03.2015 को उक्त मद में निम्न विवरणानुसार गत वर्ष की भांति रुपया 538120.00 वसूली हेतु बकाया धनराशि दर्शायी गयी है। उक्त बकाया की वसूली हेतु कोई ठोस कार्यवाही न किये जाने से उक्त बकाये धनराशि के डूब जाने की पूरी संभावना है, जिससे जिला पंचायत को भारी क्षति संभावित हैं उक्त बकाये धनराशि के वसूली हेतु कोई ठोस कार्यवाही न करने के लिए श्री एल0एन0खरे श्री हरस्वरूप वर्मा, श्री वी0सी0सन्त एवं अन्य तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारीगण तथा श्री कामलेश कुमार कार्य अधिकारी/कर अधिकारी पूर्ण रूपसे उत्तरदायी रहें हैं। अतः एवं ब्याज सहित वसूली हेतु कोई ठोस कार्यवाही न करके की गयी अनियमितता के लिए उक्त गंभीर प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है

मू0आ0सं0(24)

विवरण निम्नवत है:—

क्र0	वर्ष	दिनांक 31.03.2015 को बकाया
1	1996—97	35060.00
2	1997—98	54575.00
3	99—1998	21153.00
4	2000—1999	44277.00
5	01—2000	63315.00
6	02—2001	36500.00
7	03—2002	70000.00
8	04—2003	28500.00
9	05—2004	43000.00
10	06—2005	46400.00
11	07—2006	44200.00
12	2008—09	17140.00
13	2010—11	18000.00
14	2011—12	16000.00
	योग	538120.00

च. कांजी हाउस ठेसा मांग वसूली व बकाया रजिस्टर के अनुसार गत वर्षों की भांति दिनांक 31.03.2015 को उक्त मद की वसूली हेतु बकाया धनराशि 109438.00 दर्शायी गयी है। उक्त बकाये की धनराशि वर्ष 1974—75 से 2005—06 के मध्य अवधि की है। उक्त बकाया की वसूली हेतु कोई ठोस कार्यवाही न किये जाने से उक्त बकाये धनराशि के डूब जाने की पूरी संभावना है, जिससे जिला पंचायत को भारी क्षति संभावित है। उक्त बकाये धनराशि के वसूली हेतु कोई ठोस कार्यवाही न करने के लिए श्री एल0एन0खरे श्री हरस्वरूप वर्मा, श्री वी0सी0पन्त एवं अन्य तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारीगण तथा श्री कमलेश कुमार कार्य अधिकारी/कर अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी रहें हैं।

अतः एवं ब्याज सहित वसूली हेतु कोई ठोस कार्यवाही न करके की गयी अनियमितता के लिए उक्त गंभीर प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

मू0आ0सं0(25)

छ. दूकान, भवन किराया मांग वसूली बकाया रजिस्टर के अनुसार दिनांक 31.03.2015 को उक्त मद की कुल बकाया धनराशि रुपया 754153.00 दर्शायी गयी है, जिनमे से अधिकांश 15 वर्षों के मध्य अवधि का है बकाया किरायेदारों से वसूली हेतु आलोच्य वर्ष में कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। उक्त बकाया की वसूली हेतु कोई ठोस कार्यवाही न किये जाने से उक्त बकाये धनराशि के डूब जाने की पूरी संभावना है, जिससे जिला पंचायत को भारी क्षति संभावित है। उक्त बकाये धनराशि के वसूली हेतु कोई ठोस कार्यवाही न करने के लिए श्री एल0एन0खरे श्री हरस्वरूप वर्मा, श्री वी0सी0पन्त एवं अन्य तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारीगण तथा श्री कमलेश कुमार कार्य अधिकारी/कर अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी रहें है। अतः एवं ब्याज सहित वसूली हेतु कोई ठोस कार्यवाही न करके की गयी अनियमितता के लिए उक्त गंभीर प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है। विवरण निम्नवत है:-

मू0आ0सं0(26)

वर्ष	प्रारंभिक बकाया	बकाया सहित कुल मांग	वसूली	वर्ष के अंत में बकाया
14-2015 से पूर्व	681170.00	681170.00	53080.00	628090.00
14-2015	628090.00	1078988.00	324835.00	754153.00

जनपद—कौशाम्बी मण्डल— इलाहाबाद

जिला पंचायत—कौशाम्बी

प्रस्तर—1

सम्पर्क मार्ग पभोशा रोड से बक्सी का पुरवा मरम्मत एवं लेपन कार्य की पत्रावली की जाँच में पाया गया कि पत्रावली में रायल्टी भुगतान से सम्बन्धित रवन्ना प्रपत्र एम0एम0-II फर्जी तरीके से प्राप्त कर लगाए गये हैं विवरण निम्नवत् है।

क्र०	एम0एम0-II का नम्बर व समय	दिनांक	पट्टा या अनुज्ञा धारक का नाम	मात्रा	गन्तव्य स्थल	गाड़ी सं०
1.	211766 1.00 ए.एम.	15.03.14	गोविन्द शरण गुप्ता डहरी ग्रीट	9 घं.मी०	कौशाम्बी	यू०पी०71 टी०581
2.	211767 ए. 1.00 ए.एम.	15.03.14	“ “	9 घं. मी०	कौशाम्बी	यू०पी०71 टी०581
3.	411072 1.00 ए.एम.	15.03.14	मुजीरहमान डहटी ग्रीट	6 घं. मी०	कौशाम्बी	यू०पी०71 टी०581

उपरोक्त में एक ही गाड़ी नं० एक ही समय पर दो स्थानों पर तीन रवन्ना प्रपत्र लगे हैं तथा सभी में दिनांक 15.03.14 को काटकर 15.02.15 बनाया गया है जो सैद्धान्तिक व तार्किक रूप से वैध नहीं हो सकते ।

4.	0312274 1.30 ए.एम.	11.03.15	शैलेन्द्र सिंह पुत्र श्री शिवरतन सिंह गौड़ गौहारी 512 ग्रीट	9 घं. मी०	कौशाम्बी	यू०पी०96 सी०9634
5.	0909544 1-30 ए.एम.	11.03.15	“ “ “	6 घ०मी०	कौशाम्बी	यू०पी०96 सी०9634
6.	0909545 1.30 ए.एम.	11.03.15		6 घ०मी०	कौशाम्बी	यू०पी०96 सी०9634

सभी रवन्ना प्रपत्र एम0एम0-II एक ही समय पर प्राप्त किए जाने दर्शित हैं। गन्तव्य स्थल में इलाहाबाद को काटकर कौशाम्बी अंकित है।

7.	0884884 12.20 पी.एम.	16.03.15	शिवराज सिंह पहरा ग्रीट	9घं. मी.	कौशाम्बी	यू०पी०33 टी०351

8.	0884885 12.20 पी.एम.	16.03.15	शिवराज सिंह पहरा ग्रिट	9घं. मी.	कौशाम्बी	यू0पी033 टी0351
9.	0942413 12.20 पी.एम.	16.03.15	शिवराज सिंह पहरा ग्रिट	6घं. मी.	कौशाम्बी	यू0पी033 टी0351
10.	0942414 12.20 पी.एम.	16.03.15	शिवराज सिंह पहरा ग्रिट	6घं. मी.	कौशाम्बी	यू0पी033 टी0351

क्रमांक 7 से 10 तक के खन्ना प्रपत्रों में एक ही समय 12.20 पी0एम0 अंकित है। सभी में एक तिथि 16.03.15 अंकित है और गन्तव्य स्थल इलाहाबाद को काटकर कौशाम्बी अंकित है तथा गाड़ी नं0 एक ही है। यह सैद्धान्तिक दृष्टि से वैध नहीं हो सकते।।

11.	0884875 10.10 पी.एम.	14.03.14	शिवराज सिंह पहरा ग्रिट	9 घं. मी	कौशाम्बी	यू0पी033 टी 0351
12.	0942403 10.10 पी.एम.	14.03.15		6 घं. मी	कौशाम्बी	यू0पी033 टी 0351

एक ही गाड़ी नं द्वारा एक ही समय पर दो खन्ना प्राप्त हुआ है।

13.	348421 3 ए.एम.	18.02.14	सत्यदेव सिंह ग्रिट चितइया	9 घं.मी.	कौशाम्बी	यू0पी071 टी0581
14.	348422 3 ए.एम.	18.02.14		9 घं.मी.	कौशाम्बी	यू0पी071 टी0581
15.	348423 3 ए.एम.	18.02.14		9 घं.मी.	कौशाम्बी	यू0पी071 टी0581

क्रमांक 13,14 व 15 के क्रमांक पर अंकित खन्ना एक ही समय पर एक ही गाड़ी नं द्वारा प्राप्त है खन्ना में दिनांक 18.02.14 को काटकर 18.02.15 बनाया गया है संग्रह कार्यालय व सचल दल की मोहर में भी 18.02.14 अंकित है। स्पष्ट है कि खन्ना फर्जी ढंग से प्राप्त है और वैध नहीं है।

16.	00943281 1.5 पी.एम.	11.03.15	हरिशंकर राजपूत कुम्हारौरा ग्रिट	9घं. मी	इला0	यू0पी070बी. टी. 6696
17.	0443280 1-5 पी.एम.	11.03.15	हरिशंकर राजपूत कुम्हारौरा ग्रिट	9घं. मी	इला0	यू0पी0 70 बी.टी.6696
18.	0994238	11.03.15	हरिशंकर राजपूत	6 घं. मी	इला0	यू0पी070

	1.5 पी.एम.		कुम्हारौरा ग्रिट			बी.टी.6696
19.	0801082 7ए.एम.	4.12.13	अलफ नारायण गोण्डा गिट्टी	3 घं. मी	कौशाम्बी	यू0पी070 बी.टी.6686
20.	0801083 7 ए.एम.	4.12.13	अलफ नारायण गोण्डा गिट्टी	3 घं. मी	कौशाम्बी	यू0पी070 बी.टी.6686
21.	0809998 7ए.एम.	4.12.13	अलफ नारायण गोण्डा गिट्टी	9 घं. मी	कौशाम्बी	यू0पी070 बी.टी.6686
22.	0691154 7ए.एम.	4.12.13	सुचित कुमार गोण्डा गिट्टी	6 घं. मी	कौशाम्बी	यू0पी070 बी.टी.6686

क्रमांक 19,20,21 के रवन्ना प्रपत्रों पर दिनांक 04.12.13 व क्रमांक 22 के रवन्ना प्रपत्र पर दिनांक 04.01.14 अंकित है जिसे काटकर दिनांक 04.02.15 किया गया है। जो कि स्पष्ट रूप से फर्जी है। सभी पर एक ही समय अंकित है तथा एक ही गाड़ी से ढुलाई हुई दर्शित है जो कि वैध रूप से सम्भव नहीं है।

23.	0451503 12.45ए.एम.	19.03.15	शकिल मन्सूरी डहरा गिट्टी	9 घं.मी	कौशाम्बी	यू0पी033 टी0351
24.	0451504 12.45 ए.एम.	19.03.15	शकिल मन्सूरी डहरा गिट्टी	9 घं.मी	कौशाम्बी	यू0पी033 टी0351
25.	0942433 12.45 ए.एम.	19.03.15	शिवराज सिंह पहरा गिट्टी	6 घं.मी	कौशाम्बी	यू0पी033 टी0351
26.	0942434 12.45 ए.एम.	19.03.15	शिवराज सिंह पहरा गिट्टी	6 घं.मी	कौशाम्बी	यू0पी033 टी0351

क्रमांक 23, 24, 25 व 26 से सम्बन्धित रवन्ना प्रपत्रों पर एक ही समय 12.45 ए.एम अंकित है तथा एक ही गाड़ी नं0 यू0पी033टी0351 का प्रयोग दर्शित है जोकि वैध रूप से सम्भव नहीं है। रवन्ना प्रपत्र में दिनांक को उपरिलेखन कर 19.02.15 बना दिया गया है।

उक्त के अतिरिक्त पत्रावली में लगे अन्य रवन्ना प्रपत्रों में भी विसंगतियों है। रवन्ना प्रपत्र 0422481 में दिनांक 16.09.14 को काटकर 16.02.15 बनाया गया है। 494304 में दिनांक 28.03.14 को काटकर 28.02.15, 0404254 में दिनांक 06.02.14 को काटकर 06.02.15, 0727048 में दिनांक 02.09.14 को काटकर 06.02.15 बनाया गया है। इस प्रकार लगभग एक वर्ष पूर्व के रवन्ना प्रपत्रों पर उपरिलेखन कर उसे फर्जी व अवैध रूप से लगाया गया है।

स्पष्ट है कि फर्जी व अवैध रवन्ना प्रपत्रों को लगाकर रायल्टी के रूप में राजकीय राजस्व की क्षति की गयी है।

अवैध रवन्ना में ग्रीक की मात्रा

— 142 घ.मी.

अवैध रवन्ना में गिट्टी की मात्रा

— 119 घ.मी

पेनाल्टी— 142x 102

= 14484 x 6 = 86904.00

$$119 \times 72 = 8568 \times 6 = 51408.00$$

$$\text{योग रू0} = 138312.00$$

उपरोक्तानुसार 142 घ.मी0 गिट व 119 घ.मी0 गिट्टी की रायल्टी क्रमशः रू0 14484.00 रू0 8568.00 होती है जिसका छः गुना पैनाल्टी की दर से जमा करने योग्य रायल्टी की धनराशि क्रमशः रू0 86904.00 व रू0 51408.00 अर्थात् कुल रू0 138312.00 होती है।

चूँकि पत्रावली में फर्जी रायल्टी प्रपत्र एम0एम0-द्वितीय लगे होने के मुख्य उत्तरदायी जिला पंचायत के अभियन्ता व अपर मुख्य अधिकारी है। अतः उक्त रू0 138312.00 की ब्याज सहित वसूली अभियन्ता श्री अभय सिंह और अपर मुख्य अधिकारी श्री एल0एन0खरे से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-2

13 वां वित्त आयोग के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 कालाकाकर रोड से अफजलपुर सातों तक मरम्मत एवं लेपन कार्य की पत्रावली जाँच में पाया गया कि पेन्टिंग कार्य में रू0 105812.00 का अधिक भुगतान किया गया है। जो निम्न प्रकार है -

$$\text{स्टीमेटेड पी1} - 1 \times 1 \times 2000.00 \times 3.00 = 6000.00 \text{ वर्ग मीटर}$$

$$\text{पी2} - 1 \times 1 \times 2000.00 \times 3.00 = 6000.00 \text{ वर्ग मीटर}$$

में कार्य जो कराया गया एम0बी0के अनुसार गणना = 5989.15 वर्ग मीटर पाया गया।

उपरोक्त कार्य का एनालीसिस ऑफ रेट अनुसार दर -

$$\text{पी1} - 177.20 \text{ प्रति वर्ग मीटर}$$

$$\text{पी2} - 103.10 \text{ प्रति मी}^2$$

उपरोक्त दर अनुसार आगणित धनराशि

$$1. \text{ आई0एच01} = 5989.15 \text{ वर्ग मीटर} \times 177.20 = \text{रू0 } 1061277.38$$

$$2. \text{ पी2} = 5989.15 \text{ वर्ग मीटर} \times 103.10 = \text{रू0 } 617481.36$$

$$\text{भुगतान योग्य धनराशि} - \text{रू0 } 1678758.74$$

उपरोक्त कार्य में संस्था द्वारा व्यय

$$\text{कर दिया गया मैक्स फाल्ट की धनराशि} = (-) 11,12000.00$$

$$\text{ठेकेदार को भुगतान योग्य धनराशि} = 566758.74$$

किन्तु ठेकेदार को भुगतान की गयी धनराशि -

फाइनल बिल के अनुसार -

$$\text{आई0एच011} = 5989.15 \times 69.20 = 414449.18$$

$$\text{पी2} = 5989.15 \times 43.10 = 258132.36$$

$$\text{रू0 } 672571.54$$

अधिक भुगतान की गयी धनराशि $(-)$ 672571.54 - 566758.74

$$= \text{रू0 } 105812.80$$

उपरोक्तानुसार रू0 105812.80 का अधिक भुगतान किया गया है। अतः रू0 105812.80 की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी अभियन्ता श्री अभय सिंह व अपर मुख्य अधिकारी श्री एल0एन0खरे से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-3

कालाकाकर रोड से अफजलपुर सातों तक मरम्मत एवं लेपन कार्य को पत्रावली में प्राक्कलन सीट की जाँच में पाया गया कि –

कलेक्शन ऑफ यु0एस0 63 एम0 एम0 एस0एस0 बी0 ऑफ ग्रेड $-21 \times 1 \times 2000 \times 3.00 \times 0.097 = 582.00$ घन मीटर

ग्रेड-2 /सी ऑल वर्क 0.97 घन मीटर/10 घन मीटर फार 7.5

$28\% = 162.96$ घन मीटर

कम्पेक्ट थिकनेस- $1 \times 1 \times 2000 \times 3.00 \times 0.075 = 450.00$ घन मीटर 28%

सम्बन्धित बिल में ठेकेदार को 126.00 मी³ का भुगतान किया जाना चाहिए। किन्तु फाइनल बिल में $162.76 \times 1524.00 =$ रू0 248046.24 का भुगतान किया गया।

भुगतान करना चाहिए था $126.00 \times 1524.00 =$ रू0 192024.00

अधिक किया गया भुगतान रू0 56.022.24

कलेक्शन ऑफ 22.4.53 मि0 मि0 सैण्ड स्पेन ब्लॉक्स फार ग्रेड-3 (जी3) 1/आल वर्क दर 97 प्री घनमीटर/110 घनमीटर सी आल वर्क दर 97 घन मीटर/10वर्ग मीटर

फार 7.5 मि0मि0 कम्पेक्ट थिकनेस में $1 \times 12000.00 \times 3.00 \times 0.097 = 582.00$ घन मीटर

होना चाहिए कम्पेक्ट - $1 \times 12000.00 \times 3.00 \times 0.075 = 450.00$ घन मीटर

भुगतान किया गया $-546.55 \times 1558 = 851524.90$

भुगतान करना चाहिए था $-450.00 \times 1558 = 701100.00$

अधिक भुगतान **रू0 150424.90**

कलेक्शन ऑफ स्टोर एस0 सी0 किकिंग टाइप बी (11.2) मि0मि0 स्टोर गिरड-दर 1900 / 10 एबब ग्रेड 3 वर्ग मीटर फार 0 दर 19 घन मीटर/1(जी-3) कोट में $1 \times 2000.00 \times 3.00 \times 0.019 = 114.00$ घन मीटर

कम्पेक्ट - $1 \times 12000.00 \times 3.00 \times 0.0154 = 90$ घन मीटर

भुगतान किया गया $-113.70 \times 2279 = 259122.30$

भुगतान करना चाहिए $-90.00 \times 2279 = 205110.00$

अधिक किया गया भुगतान रू0 -54012.30

इस प्रकार उपरोक्तानुसार नियम विरुद्ध किया गया कुल भुगतान -
 $=$ रू0 56022.24

+ ₹0 150424.90

+ ₹0 54012.30

योग = 260459.44 की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी अभियन्ता श्री अभय सिंह व अपर मुख्य अधिकारी श्री एल0एन0खरे से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-4

आलोच्य वर्ष 2014-15 के हड़डी चमड़ा से सम्बन्धित फाइलों की जाँच में पाया गया कि ठेकेदार से अनुबन्ध न कराये जाने के फलस्वरूप स्टाम्प पेपर के रूप में राजस्व की हानि हुई विवरण निम्नवत् हैं -

क्र0	ठेके का स्थान	ठेके का वर्ष	ठेके की राशि	स्टाम्प पेपर के रूप में राजस्व की हानि (ठेके की राशि का 2%)
1.	वि0ख0सरसवां 1. जाफरपुर महावा 2. कुम्भियांवा 3. सरसवाँ	2014-15	55000.00	1100.00
2.	सम्पूर्ण ब्लॉक मंझनपुर	2014-15	60000.00	1200.00
3.	वि0ख0कड़ा की न्याय पंचायत 1. सौरई बुजुर्ग 2. अम्बाई बुजुर्ग 3. अलीपुर जीता	2014-15	31000.00	620.00
4.	वि0ख0 कड़ा की 5 न्याय पंचायत 1. सैनी 2. दारानगर 3. सिपाह 4. शहजातपुर 5. कड़ा	2014-15	32000.00	640.00
5.	वि0ख0सिराथू न्याय पंचायत नारा	2014-15	19000.00	380.00
6.	वि0ख0सिराथू 6 न्याय पंचायत 1. बम्हरौली 2. रूपनारायणपुर गोरियो 3. रामपुर घमांवा 4. विदनपुर काकोड़ा 5. चमन्धा 6. कशिया	2014-15	80000.00	1600.00

7.	वि०ख०सिराथू 5 न्यय पंचायत 1. उहिहिन बुजुर्ग 2. उदिहिन खुर्द 3. अफजलपुर बारी 4. समसाबाद 5. शाखा	2014-15	40000.00	800.00
8.	सम्पूर्ण वि०ख० चायल	2014-15	3600.00	720.00
9.	वि०ख०सिराथू 4 न्याय पंचायत 1. रसूलपुर गोरसा 2. टेगाई 3. कोर्रो 4. देवखरपुर	2014-15	75000.00	1500.00
			योग	8560.00

उपरोक्तानुसार ठेके की राशि के 2 प्रतिशत की दर से स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध कराया जाना था किंतु वर्ष 2014-15 के उपरोक्त उठाये गये ठेके पर ठेकेदार से अनुबन्ध न कराये जाने से कुल रू० 8560.00 के राजस्व की हानि हुई। चूँकि अनुबन्ध ठेकों के उठाए जाने के समय ही कराया जाता है, इसलिए उक्त राजस्व हानि रू० 8560.00 की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी अधिकारी अपर मुख्य अधिकारी श्री अजय कुमार राय से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-5

आलोच्य वर्ष 2014-15 के पशुबाड़ा नीलामी सम्बन्धी फाइलों की जाँच में पाया गया कि कुछ पशुबाड़ों के अनुबन्ध में नियमानुसार स्टैम्प पेपर नहीं लगाया गया है जिससे स्टाम्प के रूप में राजकीय राजस्व की हानि हुई। विवरण निम्न प्रकार है।

क्र०	पशुबाड़ा	अनुबन्धकर्ता का नाम	वर्ष की माँग	स्टैम्प की धनराशि
1.	उमरछा	उमाकान्त पुत्र नाथूराम नि०उमरछा	16000.00	320.00
2.	उलाचीपुर	वसीम अख्तर पुत्र कयूम नि० खालीसपुर	4200.00	84.00
3.	बसेढी	रामसुरेमन पुत्र ब्रदी प्रसाद नि० बसेढी	11000.00	220.00
4.	महमूदपुर	नियामत रज्जा पुत्र मो० रज्जा नि० वसीपुर	70000.00	1400.00
			योग	2024.00

उपरोक्तानुसार कुल रू० 2024.00 का स्टैम्प पेपर नहीं लगा है। जिससे रू० 2024.00 के राजस्व को क्षति हुई। उक्त राजस्व क्षति रू० 2024.00 की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी अधिकारी अपर मुख्य अधिकारी

श्री अजय कुमार राय से की जानी अपेक्षित है। पशुबाड़ा औधन, घोसिया, बिदाव, भकंदा, बड़हरी, रानीपुर, मवाई, व टेनशाह आलमाबाद की नीलामी में कोई नहीं भाग लिया जिसके लिए व्यापक प्रचार-प्रसार कर नीलामी कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-6

टेण्डर फार्म बिक्री रजि० की जाँच से ज्ञात हुआ कि आलोच्य वर्ष 2014-15 में निम्न विवरणानुसार टेण्डर फार्म की बिक्री की गयी हैं -

दिनांक	नियत समय तक कुल बिके फार्म	कुल बिके फार्म का विक्रय मूल्य
13.08.14	139 अदद	रु० 105700.00
23.09.14	108 अदद	रु० 83100.00
14.10.14	57 अदद	रु० 113700.00
16.10.14	106 अदद	रु० 84500.00
28.01.15	99 अदद	रु० 82400.00
24.03.15	58 अदद	रु० 34200.00
30.03.15	29 अदद	रु० 50400.00
	योग	रु० 554000.00

नियमानुसार टेण्डर फार्म की बिक्री पर 13.5% की दर से व्यापार कर ब्याज सहित वसूल की जानी चाहिए तथा वसूल की गयी व्यापार कर की धनराशि को ट्रेजरी चालान द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के सुसंगत प्राप्ति लेखा शीर्ष में जमा किया जाना चाहिए। उपरोक्त टेण्डर फार्मों के विक्रय मूल्य रु० 554000.00 पर 13.50 प्रतिशत की दर से 74790.00 व्यापार कर वसूल नहीं किये जाने से रु० 74790.00 राजस्व की हानि हुई। टेण्डर फार्म बिक्री पर व्यापार कर वसूल न करने के उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों पर नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है तथा राजस्व क्षति रु० 74790.00 की ब्याज सहित वसूली भी की जानी अपेक्षित है।

जनपद—आजमगढ़ मण्डल—आजमगढ़ जिला पंचायत, आजमगढ़।

प्रस्तर सं०-1

वर्ष 2014-15 में निर्माण कार्य में नियमानुसार वांछित अभिलेख संलग्न न कर रु० 453729000 की अनियमितता की गयी है, जैसे टेण्डर की प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण है, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र नहीं, परिसम्पत्ति रजिस्टर न बनाया जाना, सम्पत्तियों के क्रय में रायल्टी जमा का प्रमाणपत्र प्रस्तुत न करना आदि जिसके लिये अभियन्ता श्री अखिलेश्वर मल्ल एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री विनोद कुमार सिंह उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित हैं।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं० 2)

प्रस्तर सं0-2

वर्ष 2014-15 में नौकाघाट की बकाया धनराशि की ब्याज सहित वसूली न कर रु0 89422 की अनियमितता की गयी। जिसके लिये अपर मुख्य अधिकारी श्री विन्ध्याचल सिंह एवं श्री विनोद कुमार सिंह उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित हैं।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं0 3)

प्रस्तर सं0-3

वर्ष 2014-15 में साइकिल स्टैण्ड की बकाया धनराशि की ब्याज सहित वसूली न कर रु0 42900 की अनियमितता की गयी। जिसके लिये अपर मुख्य अधिकारी श्री विन्ध्याचल सिंह एवं श्री विनोद कुमार सिंह तथा लेखाकार श्री दीपचन्द राम उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित हैं।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं0 4)

प्रस्तर सं0-04

वर्ष 2014-15 में मृतक पशु एवं शव निस्तारण में बकाया की धनराशि प्रपत्र-3 में शून्य दर्शाकर रु0 5000 की अनियमितता की गयी। जिसके लिये अपर मुख्य अधिकारी श्री विन्ध्याचल सिंह एवं श्री विनोद कुमार सिंह उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित हैं।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं0 5)

प्रस्तर सं0-05

वर्ष 2014-15 में मेला की विगत वर्षों की बकाया धनराशि रु0 41052 की ब्याज सहित वसूली न कर अनियमितता की गयी। जिसके लिये अपर मुख्य अधिकारी श्री विन्ध्याचल सिंह एवं श्री विनोद कुमार सिंह उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित हैं।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं0 6)

प्रस्तर सं0-06

वर्ष 2014-15 में पड़ाव अड्डा की बकाया धनराशि को विगत वर्षों से पावना दर्शाया जा रहा है, जिसे प्रपत्र-3 में शून्य दर्शाकर रु0 491995 की अनियमितता की गयी। जिसके लिये अपर मुख्य अधिकारी श्री विन्ध्याचल सिंह एवं श्री विनोद कुमार सिंह उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित हैं।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं0 7)

प्रस्तर सं0-07

वर्ष 2014-15 में भवन किराया की बकाया धनराशि की ब्याज सहित वसूली न कर रु0 7758450 की अनियमितता की गयी। जिसके लिये अपर मुख्य अधिकारी श्री विन्ध्याचल सिंह एवं श्री विनोद कुमार सिंह उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित हैं।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं0 8)

प्रस्तर सं०-08

वर्ष 2014-15 में सम्पत्ति कर व विभव कर की बकाया धनराशि रु० 10155193 की ब्याज सहित वसूली न कर अनियमितता की गयी। जिसके लिये अपर मुख्य अधिकारी श्री विनोद कुमार सिंह एवं श्री एकरामुल्लाह अंसारी कर अधिकारी उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित हैं।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं० 9)

प्रस्तर सं०-09

वर्ष 2014-15 में तहबाजारी की बकाया धनराशि रु० 3986646 की ब्याज सहित वसूली न कर अनियमितता की गयी। जिसके लिये अपर मुख्य अधिकारी श्री विनोद कुमार सिंह एवं श्री विन्ध्याचल सिंह कुशवाहा तथा श्री एकरामुल्लाह अंसारी कर अधिकारी उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित हैं।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं० 12)

प्रस्तर सं०-10

वर्ष 2014-15 में शासकीय अनुदान को बैंक में जमा करने पर उस पर अर्जित ब्याज रु० 23523267 को राजकीय कोषागार जमा न कर वित्तीय अनियमितता की गयी। जिसके लिये अपर मुख्य अधिकारी श्री विनोद कुमार सिंह एवं श्री चन्द्रशेखर यादव, लेखाकार उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित हैं।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं० 19)

प्रस्तर सं०-11

वर्ष 2014-15 में संस्था में फोटो स्टेट मशीन होते हुये भी फोटो स्टेट पर व्यय रु० 34330 दर्शित कर अनियमितता की गयी। जिसके लिये अपर मुख्य अधिकारी श्री विनोद कुमार सिंह एवं श्री चन्द्रशेखर यादव, लेखाकार उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली की जानी चाहिए।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं० 21)

प्रस्तर सं०-12

वर्ष 2014-15 में किराये पर ली गयी गाड़ी की लॉग बुक व अन्य पत्रावली प्रस्तुत न करना तथा गाड़ी में ईंधन के रूप में व्यय रु० 129493 का व्यय कर धन का दुरुपयोग किया गया। जिसके लिये अपर मुख्य अधिकारी श्री विनोद कुमार सिंह उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली की जानी चाहिए।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं० 23)

जनपद— मऊ मण्डल—आजमगढ़ जिला पंचायत—मऊ

प्रस्तर संख्या—1

आलोच्य वर्ष में शासन से प्राप्त अनुदानों को बैंक खातों में रोके रखे जाने से निम्नविवरणानुसार रु0 5365726 ब्याज प्राप्त हुआ—

क्रमांक	अनुदान का मद	प्राप्त ब्याज
1	मनरेगा	14387
2	13 वां वित्त	3010188
3	राज्य वित्त	2341151
4	योग	5365726

शासनादेश संख्या ए.1/122/ दस 2012—10(33)/2010 दिनांक 21 मार्च 2012 के अनुसार शासन से प्राप्त अनुदानों को बैंक खातों में रोके रखे जाने से यदि ब्याज अर्जित होता है तो यह संस्था की आय न होकर राजकीय आय होगी। अतः इसे राजकीय राजकोष में जमा करा दिया जाना चाहिये। परन्तु इसका अनुपालन वर्षान्त तक न कर वित्तीय अनियमितता की गयी है। इसके प्रति अपर मुख्य अधिकारी श्री उमेश चन्द्र पटेल व लेखाकार कन्हैया सिंह व लेखाकार श्री मुन्ना यादव उत्तरदायी हैं। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित हैं।

(सामान्य आपत्ति सं0 21)

प्रस्तर संख्या—2

आलोच्य वर्ष में सम्पत्ति एवं विभव कर से कुल वसूली रु0 2607360.00 है। जबकि कर अनुभाग संबन्धी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को वेतन/भत्तों के रूप में कुल भुगतान रु0 7074836.00 है। इस प्रकार वेतन भत्तों पर वसूली की अपेक्षा रु0 4467476 अधिक व्यय किया गया है, जो संस्था हित में नहीं है। इससे स्पष्ट है कि कर संबन्धी अधिकारी/कर्मचारी अपने दायित्वों का निर्वहन संस्था हित में नहीं कर रहे हैं। बकाया धनराशि की ब्याज सहित वसूली विगत वर्षों की भांति लगभग पूर्ववत बरकरार है। इसके प्रति कर अधिकारी श्री सुरेश कुमार वर्मा, समस्त कर निरीक्षक एवं कर समाहर्तागण व अपर मुख्य अधिकारी श्री उमेश चन्द्र पटेल उत्तरदायी हैं। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित हैं।

(सामान्य आपत्ति सं0 22)

प्रस्तर संख्या—3

वर्ष 2014—15 में जिला पंचायत मऊ के निजी श्रोतों से कुल आय रु0 5768606 है , जो विगत वर्ष के रु0 8719725 के सापेक्ष रु0 2951119 कम है। आलोच्य वर्ष के निजी श्रोतों की आय विगत वर्ष के निजी श्रोतों के आय से 10% और अधिक होना चाहिए। अर्थात् $8719725 + 871973 = 9591698$ निजी श्रोतों से आय होनी चाहिये। इस प्रकार निजी श्रोतों से आय में रु0 871973 वृद्धि की जगह गत वर्ष के सापेक्ष रु0 2951119 की कमी लाकर संस्था को आर्थिक क्षति पहुंचायी गयी है। यह कर अनुभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों का संस्था के प्रति उदासीनता को दर्शाता है। इस प्रति कर अधिकारी श्री सुरेश कुमार वर्मा एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री उमेश चन्द्र पटेल उत्तरदायी हैं। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित हैं।

(सामान्य आपत्ति सं0 23)

प्रस्तर संख्या-4

जिला पंचायत के मासिक लेखा प्रपत्र (ड.)के निम्नांकित विवरणनुसार जिला निधि से आलोच्य वर्ष की कुल आय रू0 18148386 है। विवरण निम्नवत है :-

1	विभव व सम्पत्ति कर	2487140
2	लाइसेंस कर	1330866
3	कांजी हाउस	2600
4	तहबजारी	9500
5	मेला प्रदर्शनी	20200
6	सम्पत्ति से किराया	355787
7	पुराने भण्डारों की बिक्री	813063
8	निष्प्रयोज्य सामान की बिक्री	41500
9	सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री/सेविंग बैंक से निकासी	12500000
10	कर्मचारियों से अग्रिम की वसूली	166609
11	प्रिमियम	260800
12	जिला निधि पर ब्याज	157921
13	ठेकेदार पंजीकरण	2400
	योग	18148386

यह लेखा परीक्षा की दृष्टि से गलत है। मासिक लेखा के पृष्ठ -9 प्राप्तियां शीर्ष के कॉलम 18(1) "सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री से आय व सेविंग बैंक से निकासी से आय" रू0 12500000 निजी श्रोतों से आय का हिस्सा नहीं है। इस प्रकार निजी श्रोत की वास्तविक आय रू0 5648386 ही है। इससे स्पष्ट है कि जिला निधि से आय को रू0 12500000 अधिक दर्शाकर सूचना प्रेषित की जा रही है। इसके प्रति तत्कालीन लेखाकार व अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित हैं।

(सामान्य आपत्ति सं0 24)

प्रस्तर संख्या- 5

दिनांक 31.03.15 को दुकान भवन का किराया बकाया रू0 8.19 लाख है जो विगत वर्षों से दर्शित चला आ रहा है। अवधारित कर की ब्याज सहित वसूली न कर अनुभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा संस्था को आर्थिक क्षति पहुँचाई गयी है। इसके प्रति कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(सामान्य आपत्ति सं0 25)

प्रस्तर संख्या-6

दिनांक 01.04.14 को जिला निधि का प्रारम्भिक अवशेष रु0 5289534 है। आलोच्य वर्ष की इस मद की आय रु0 18148386 व व्यय रु0 21678108 है। इस प्रकार दिनांक 31.03.15 को अन्तिम शेष रु0 1759812 होना चाहिये। मासिक लेखा के अनुसार वर्षान्त में इस मद का अन्तिम अवशेष रु0 6063300 है अर्थात् रु0 4303488 अधिक दर्शित है। इसका कारण राज्य वित्त मद से रु0 4303488 स्थानान्तरित कर इस मद में रखना है। लेखा परीक्षा की दृष्टि से यह स्थानान्तरण औचित्यहीन व अनियमित है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0 26)

प्रस्तर संख्या-7

दिनांक 31.03.15 को निम्न विवरणनुसार कुल रु0 1076.96 लाख अनुदान अवशेष है, जो बैंक खातों में रोक कर रखा गया है।

1. राज्य वित्त – 519.24 लाख	3. 13वां वित्त – 517.53 लाख
2. मनरेगा – 0.76 लाख	4. सांसद निधि – 39.43 लाख

प्रमुख सचिव शासन के शासनादेश सं0 बी-1-1197/दस 1999 दिनांक 30.03.1999 के अनुसार राजकीय अनुदान की अवशेष धनराशि राजकीय कोषागार में जमाकर दिया जाना चाहिये। ऐसा न करके गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी है। जिसके लिए लेखाकार श्री मुन्ना यादव व अपर मुख्य अधिकारी श्री उमेश चन्द्र पटेल उत्तरदायी हैं। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0 42)

प्रस्तर संख्या – 8

लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक के अवलोकन में पाया गया कि दिनांक 13.06.14 को जिला पंचायत मऊ की बैठक हेतु बाउचर सं0 65 द्वारा दिनांक 30.08.14 को रु0 4000 का भुगतान "पन्ना साउण्ड एवं सर्विस भीटी-मऊ" को किया गया है। उल्लेखनीय है कि 1- जिला पंचायत मऊ के पास अपना खुद का जनरेटर है, 2- जिला पंचायत जनरेटर के लागबुक के अनुसार दिनांक 13.06.2014 को 20 ली0 तेल क्रय किया गया है। लागबुक में जनरेटर के खराब होने का कोई उल्लेख नहीं है। अतः किया गया व्यय काल्पनिक है जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। प्रतीत इसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0 13)

जनपद मण्डल-आजमगढ़ जिला पंचायत-बलिया

प्र0 सं0	जिला पंचायत का नाम	आडिट नोट में आपत्ति की संख्या	आपत्ति का विवरण	धनराशि		
				अपहरण	दुर्विनियोग	गम्भीर अनियमितता
1	2	3	4	5	6	7
1	बलिया	2	वर्ष 2014-15 में निम्न विवरण के अनुसार बैंकों में जमा अनुदान की धनराशियों पर ब्याज	—	—	2372449.00

		प्राप्त हुआ है – शासनादेश संख्या ए-1-122 / 10-2012-10 (33) / 2010 दिनांक 21.03.2012 के प्रस्तर 3 के अनुसार अनुदान पर प्राप्त ब्याज संस्था की न होकर राज्य सरकार की होगी। <table><tr><th>क्र.सं.</th><th>खाता संख्या</th><th>मद</th><th>प्राप्त ब्याज</th></tr><tr><td>1</td><td>90254 यू0बी0 आई0</td><td>सांसद क्षेत्रीय विकास निधि</td><td>31416</td></tr><tr><td>2</td><td>15363</td><td>तेरहवां वित्त</td><td>553026</td></tr><tr><td>3</td><td>15782</td><td>राज्य वित्त</td><td>194187</td></tr><tr><td>4</td><td>16501</td><td>विधायक निधि</td><td>17622</td></tr><tr><td>5</td><td>30538</td><td>सांसद निधि</td><td>30811</td></tr><tr><td>6</td><td>16501</td><td>पूर्वा वि0 / विधायक निधि</td><td>148451</td></tr><tr><td>7</td><td>15363</td><td>तेरहवां वित्त</td><td>1100393</td></tr><tr><td>8</td><td>15782</td><td>राज्य वित्त</td><td>296543</td></tr><tr><td></td><td></td><td>योग</td><td>2372449</td></tr></table> उपरोक्त ब्याज की धनराशि राज्य सरकार को वापस नहीं किया गया है जो शासनादेश का उल्लंघन है। ब्याज की धनराशि राज्य सरकार को वापस न कर वित्तीय अनियमितता की गयी है। सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।	क्र.सं.	खाता संख्या	मद	प्राप्त ब्याज	1	90254 यू0बी0 आई0	सांसद क्षेत्रीय विकास निधि	31416	2	15363	तेरहवां वित्त	553026	3	15782	राज्य वित्त	194187	4	16501	विधायक निधि	17622	5	30538	सांसद निधि	30811	6	16501	पूर्वा वि0 / विधायक निधि	148451	7	15363	तेरहवां वित्त	1100393	8	15782	राज्य वित्त	296543			योग	2372449			
क्र.सं.	खाता संख्या	मद	प्राप्त ब्याज																																										
1	90254 यू0बी0 आई0	सांसद क्षेत्रीय विकास निधि	31416																																										
2	15363	तेरहवां वित्त	553026																																										
3	15782	राज्य वित्त	194187																																										
4	16501	विधायक निधि	17622																																										
5	30538	सांसद निधि	30811																																										
6	16501	पूर्वा वि0 / विधायक निधि	148451																																										
7	15363	तेरहवां वित्त	1100393																																										
8	15782	राज्य वित्त	296543																																										
		योग	2372449																																										
2	बलिया	11	दिनांक 07.02.2015 को जिला पंचायत सदस्यों के क्षेत्रों में सोलर लाईट लगाने हेतु 500 अदद् सोलर लाइट रू0 7025000.00 में क्रय करना दर्शित है। उक्त सोलर लाईट क्रय करने का प्रस्ताव, क्रय करने हेतु निविदा एवं उक्त लाईट लगाने की पुष्टि में कोई अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके लिए श्री अजय यादव ए.एम.ए. श्री बृजेश सिंह, वित्तीय परामर्शदाता एवं श्री कन्हैया सिंह, आंकिक पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।	—	—	7025000.00																																							

3	बलिया	16	दिनांक 27.11.2014 को जनरेटर में प्रयोग हेतु डीजल मूल्य रु0 15426.00 का भुगतान किया जाना दर्शित है। जिसकी पुष्टि में डीजल क्रय की रसीद प्रस्तुत नहीं की गयी। जिससे डीजल क्रय की पुष्टि होती। बिना प्रमाणक के व्यय दर्शाकर रु0 15426.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिए श्री अजय यादव ए0एम0ए0 एवं श्री कन्हैया सिंह, आंकिक पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।	15426.00	—	—
4	बलिया	18	निम्न विवरण के अनुसार 15 अगस्त के अवसर पर जनपद वासियों को हार्दिक शुभकामना सन्देश के प्रकाशन पर अखबारों में विज्ञापन पर व्यय किया गया है। दिनांक धनराशि 28.10.2014 48395.00 49351.00 49929.00 10000.00 24423.00 योग 182098.00 उपरोक्त व्यय की पुष्टि में संबंधित अखबारों की प्राप्तियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। इतनी अधिक धनराशि विज्ञापन पर व्यय करके जनता से प्राप्त करों का दुरुपयोग है, जिसके लिए भी अजय यादव, अ0मु0अधि0, ब्रजेश सिंह वि0प0दा0 एवं कन्हैया सिंह आंकिक उत्तरदायी है। इनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।	—	—	182098.00
5	बलिया	20	निम्नलिखित विवरण के अनुसार वर्ष आलोच्य में कराये गये निर्माण कार्य हेतु ठेकेदारों को भुगतान करते समय मिट्टी कार्य हेतु निर्धारित दर रु0 9.00 प्रति घन मीटर की दर से रायल्टी नहीं काटी गयी है। आपत्ति में अंकित विवरण के अनुसार रु0 79858.43 के राजकीय राजस्व की क्षति की गयी है। जिसमें लिए वित्तीय परामर्शदाता श्री ब्रजेश सिंह व अपर मुख्य अधिकारी श्री अजय कुमार यादव उत्तरदायी है। वित्तीय परामर्शदाता श्री सिंह व	—	—	79858.43

			अ0मु0अधि0 श्री यादव से रु0 79858.43 की ब्याज सहित वसूली कर राजकीय कोषागार में जमा किया जाना अपेक्षित है।			
			योग	15426.00	—	9659405.43

जनपद का नाम—बांदा मण्डल का नाम—चित्रकूटधाम मण्डल

जिला पंचायत का नाम — जिला पंचायत बांदा।

प्रस्तर संख्या—1

आपत्ति संख्या 33—जिला पंचायत बांदा की लेखा परीक्षा वर्ष 2014—15 में पाया गया कि लेखा परीक्षा के दौरान बार बार मांग करने पर लेखाकार द्वारा दुकानों के किराये के बकाये की सूची जो लेखा परीक्षा में प्रस्तुत की गई कुल 1 लगायत 26 कुल 26 पृष्ठों में की गई जिसमें दुकानों का नंबर, आबंटी का नाम, मासिक किराया दर, मुकदमा/बढ़ोत्तरी कियाया, अवधि माहों में कब से कब तक एवं धनराशि के स्तम्भ अंकित किये गये और बकाया किराया दर्शाया गया, किन्तु —

(i) सूची में किसी अधिकृत/व्यक्ति/कर्मचारी/अधिकारी द्वारा अंकों को प्रमाणित नहीं किया गया है और न ही मुहर लगाकर हस्ताक्षर हस्ताक्षर किये गये, चूँकि सस्था के कम्प्यूटर से यह सूची तैयार की गयी है। अतः कम्प्यूटर आधारित अभिलेख मांगते हुए लेखा परीक्षा में संज्ञान लिया गया।

(ii) संदर्भित सूची जो कुल 26 पृष्ठों में उपलब्ध हुयी में मात्र दुकानों की स्थिति के अनुसार यथा—पश्चिम दिशा पंचायत बाउण्ड्री की दुकानें (पेज 1 एवं 2), पश्चिम दिशा 'ए' ब्लॉक की दुकानें (पेज 3), पश्चिम दिशा 'बी' ब्लॉक की दुकानें (पेज 4), पूर्व दिशा की दुकानें (पेज 5), पूर्व दिशा सुपर मार्केट की दुकानें (पेज 6), पूर्व दिशा में नई निर्मित दुकानें (पेज 7), नरैनी स्थिति दुकानें (पेज 8), करतल स्थिति दुकानें (पेज 8), तिन्दवारी स्थिति दुकानें (पेज 9), प्रधान डाकघर की दुकानें (पेज 10), बदोसा स्थिति दुकानें (पेज 11), कमासिन स्थिति दुकानें (पेज 12), चक्का रोड बबेरु स्थिति दुकानें (पेज 13), कैप्टन बट्टी प्रसाद स्थिति दुकानें (पेज 14), नार्मल स्कूल कमला मार्केट की दुकानें (पेज 15 से 20), नार्मल स्कूल प्रधान तल की दुकानें (पेज 21 से 22), पंचायत बाउण्ड्री उत्तर दिशा की दुकानें (पेज 23), उत्तर दिशा सुपर मार्केट की दुकानें (पेज 24), कैथी बाजार स्थिति नार्मल स्कूल कमला मार्केट के पूर्वी / पश्चिमी गेट से लगी नव निर्मित दुकानें (पेज 25), कैथी बाजार स्थिति प्रथम गेट से उत्तर / दक्षिण दिशा की नव निर्मित दुकानें (पेज 26) में जो बकाया किराया जो मार्च 2013 तक का ही दर्शित है उसका कुल योग कहीं अंकित नहीं किया गया अपितु वर्षवार / पृष्ठवार कुल बकाया किराया जो मार्च 2013 तक का ही दर्शित है का योग दर्शित किया गया है। जिसका महायोग नहीं लिखा गया है। लेखा परीक्षा में उक्त शीर्ष/पृष्ठ वार में दिये गये योगों का महायोग करने पर मार्च 13 तक बकाया किराया का योग 6988057/— होता है जिसके वसूली के लिए प्रबंध तत्र द्वारा कोई वैधानिक /

कानूनी / विधिक एवं ठोस कार्यवाही नहीं की गयी और बकायादारों को नोटिस दिये जाने की पुष्टि में कोई अभिलेखा लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं है, जो स्पष्ट करता है कि बकाया की धनराशि का सक्षम एवं सफलतम प्रयास न होने से ये धनराशि अशोध्य हो जाएगी और संस्था की क्षति होगी। जिस हेतु संस्था का प्रबंध तंत्र कर अधिकारी, लेखाकार यथा तत्कालीन से लेकर अद्यतन रहे ए0एम0ए0 सीधे जिम्मेदार है।

(iii) बकाया किराये की सूची लेखा परीक्षा में बार बार मांग करने पर प्रस्तुत की गयी जैसा कि उपर की आपत्ति में विवरण उल्लिखित है, में माह अप्रैल 2013 से मार्च 2015 तक की कुल 24 माहों का संदर्भित बकायेदारों से बकाया किराये का उल्लेख नहीं किया गया और न तो यह सम्भव है कि बकायेदारों से 10-11 एवं पूर्व से लेकर 12-13 तक जो किराया बकाया है जैसा कि सूची में उल्लिखित है को छोड़कर 13-14 एवं 14-15 की मांग की वसूली हो गयी हो। अतः स्पष्ट है कि सूची में अंकित समस्त बकायादारों पर अप्रैल 2013 से मार्च 2015 तक कुल 24 माहों का किराया भी बकाया है जिसकी गणना लेखा परीक्षा में संबंधित बकायादारों से दर्शित मासिक किराये की दर 24 माह का सूचियों में एक अलग से स्तंभ बनाकर लेखा परीक्षा द्वारा गणना की गई है जिसके अनुसार कुल 24 माह का बकाया किराया संबंधित बकायादारों पर 4017282 अगणित होता है इस धनराशि में ऐसे किरायेदारों का बकाया किराया जो 2013 तक के बकायादार न हों और 13-14 और 14-15 में 24 माह अथवा कम माहों का बकायादार है का उल्लेख बकायादारों की सूची में न होने से गणना करना संभव न हो सका और 4017282 के अंतर्गत उनसे संबंधित बकाया की धनराशि को सम्मिलित कर पाना संभव न हो सका, और रुपया 4017282 के अंतर्गत उनसे संबंधित बकाया धनराशि को सम्मिलित कर पाना संभव न हो सका। अतएवं पुराने बकायादारों से ही 13-14 एवं 14-15 का बकाया रु 4017282 का न तो प्रदर्शित किया जाना और न ही वसूल किया जाना स्पष्ट करता है कि संस्था का प्रबंध तंत्र पंचायत के हितों के प्रति कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहा है। और संस्था को क्रमागत राजस्व की क्षति पहुंचायी गयी है जिसकी क्षतिपूर्ति की कार्यवाही अपेक्षित है इसके लिए पंचायत के प्रबंध तंत्र के साथ साथ लेखाकार, कर अधिकारी एवं तत्कालीन से लगातार वर्तमान ए0एम0ए0 सीधे जिम्मेदार है। जिनके प्रति कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

आपत्ति संख्या-34

उपरोक्त बकाया किराया पर उठी दुकानों / भवनों से पाना बकाया है की उपरोक्त (i), (ii), (iii) से स्पष्ट है कि मार्च 2013 तक कुल बकाया रु0 6988057.00 तथा उन्हीं बकायादारों पर अप्रैल 2013 से मार्च 2015 तक 24 माहों का किराया रु0 4017282.00 कुल बकाया है, रु0 11005339.00 बकाया है जिसकी वसूली हेतु न तो कोई ठोस प्रयास किये जा रहे हैं और न ही नोटिस जारी होने, विधिक कार्यवाही होने की पुष्टि में कोई अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराये गये जो स्पष्ट करता है कि संस्था को कुल रु0 6988057.00 + 4017282.00 = 11005339.00 की हानि होने की पूर्ण संभावना है जिसकी क्षतिपूर्ति हेतु संस्था के श्री जगदीश सिंह पटल प्रभारी कर अधिकारी तत्कालीन रिक्त (तत्कालीन पटल प्रभारी श्री जगदीश) 2012-13 से 2014-15 तक के एवं ए0एम0ए0 तत्कालीन श्री अनिल कुमार शर्मा (सितम्बर 2013 तक) श्री वी0सी0 पंत (सितंबर 2013 से मार्च 2015 तक) जिम्मेदार

हैं। अतः उक्त संदर्भित कर्मचारियों/अधिकारियों पर क्षतिपूर्ति/अधिभार की कार्यवाही ब्याज सहित वसूली की जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-2

जिला पंचायत बांदा वित्तीय वर्ष 2014-15 श्री ब्रजकिशोर समाहर्ता से आर-5 की जांच करते समय पाया गया कि कुल रुपये 69734.00 वसूल किये गये। छः महिने बाद धनराशि ज्यों की ज्यों जमा की गई। श्री ब्रजकिशोर को वसूली के धन का छः माह रोकने का अधिकार प्राप्त नहीं है अतः ब्याज रु0 4274.00 की ब्याज सहित वसूली श्री ब्रजकिशोर से अपेक्षित है। प्रपत्र-5 अप्राप्त रहे।

प्रस्तर संख्या-3

जिला पंचायत बांदा वित्तीय वर्ष 2014-15 में कैश बुक के व्यय पक्ष की जांच करते हुए पाया गया कि दिनांक 04.07.14 को रु 35000.00 जिला पंचायत सदस्यों को यात्रा भत्ता का भुगतान किया गया। लेखा परीक्षा में सदस्यों के यात्रा भत्ता देयक नहीं पाये गये। प्रमाणकाधीन धनराशि रु0 35000.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री विपिन चन्द्र पंत से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-4

जिला पंचायत बांदा वित्तीय वर्ष 2014-15 में कैश बुक के व्यय पक्ष की जांच करते हुए पाया गया कि श्री महावीर व विश्वंभर सिंह सेवा निवृत्ति लेखपालों की नियुक्ति रु0 5000.00 मासिक मानदेय पर दिनांक 27.07.13 को की गई। नियुक्ति का उद्देश्य बांदा जिला पंचायत की नजूल भूमि व संपत्तियों का राजस्व भू अभिलेखों एवं भौतिक सत्यापन आदि का अभिलेख तैयार किये जाने से संबंधित है। दिनांक 27.07.2013 से लेखपालों की नियुक्ति किये हुए लगभग दो वर्ष होने जा रहे हैं फिर भी भौतिक सत्यापन एवं अभिलेख तैयार कराने का कार्य संपादित नहीं हुआ है। अतः अभिलेख तैयार करके एक सप्ताह के अंदर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किये जाए अन्यथा कि स्थिति 31.03.2015 तक भुगतान की गई मानदेय की धनराशि रु0 188707.00 तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री बिपिन चन्द्र व वित्तीय परामर्श दाता श्री इंद्रभान सिंह एवं अवर अभियंता ओम प्रकाश गुप्ता एवं श्री राकेश कुमार से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-5

जिला पंचायत बांदा वित्तीय वर्ष 2014-15 में कैश बुक के व्यय पक्ष की जांच करते हुए पाया गया कि पी0आर0डी0 कार्मिकों को 2014-15 में रुपये 219885.00 पारिश्रमिक का भुगतान किया गया है शासनादेश संख्या 337/33-2-2002/28 जनवरी 2002 में पेरा (2) के अंतर्गत दैनिक कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की जा सकती। स्पष्ट है कि शासनादेश का उल्लंघन कर पांच पी0आर0डी0 कार्मिकों की नियुक्ति की गई। अतः नियुक्ति संस्था के हित में नहीं है शासनादेश का उल्लंघन कर भुगतान की गई समस्त धनराशि रु0 219885.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री विपिन चन्द्र पंत से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-6

जिला पंचायत बांदा वित्तीय वर्ष 2014-15 में कैश बुक के व्यय पक्ष की जांच करते हुए पाया गया कि दिनांक 30.07.14 को रु 15000.00 इंडियन हेराल्ड बावत पत्रिका में प्रकाशन हेतु व्यय किया

गया। व्यय अनियमित है जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री विपिन चन्द्र पंत से अपेक्षित है।

जनपद—हमीरपुर मण्डल—चित्रकूट धाम बांदा जिला पंचायत—हमीरपुर

प्रस्तर—01

दिनांक 31.03.2015 को जिला पंचायत हमीरपुर द्वारा निर्मित दुकानों, भवनों एवं विद्यालय के बकाये किराये का विवरण निम्न प्रकार है।

- 1 :— हमीरपुर में (दुकानों, भवनों एवं विद्यालयों का बकाया) 8,43,511.00, 13,24,751.00
- 2 :— मौदहा में (दुकानों, भवनों एवं विद्यालयों का बकाया) 6,24,751.00
- 3 :— मुस्करा में (दुकानों, भवनों एवं विद्यालयों का बकाया) 3,49,948.00
- 4 :— राठ में (दुकानों, भवनों एवं विद्यालयों का बकाया) 4,82,441.00

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि पटल सहायक द्वारा मांग एवं वसूली रजि० में वार्षिक लेखा बन्दी नहीं की जाती है और नहीं प्रत्येक तीन वर्ष में किराये में 25% वृद्धि की गयी है। प्रत्येक त्रैमास में बकाये किराये के वसूली की समीक्षा कर वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही भी न किया जाना आपत्ति जनक रहा है। कई वर्षों से वसूली के प्रति पटल सहायक एवं उच्चाधिकारी द्वारा उदासीनता बरतते के कारण संस्था को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक क्षति हो रही है। जो संस्था के हित में नहीं है। वसूली की ठोस कार्यवाही हेतु ए०एम०ए० लेखाकार एवं पटल सहायक का ध्यान आवश्यक कार्यवाही हेतु आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर—02

जिला पंचायत हमीरपुर के निम्नलिखित बकायेदारों से वसूली हेतु कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है जिसका विवरण निम्न प्रकार है—

क्र०सं०	बकायेदार का नाम	बकायेदार के पिता का नाम व पता	सम्बन्धित / बाजार	अवधि जब से बकाया है।	अवशेष धनराशि
1	मलखान सिंह	श्री भरोसा सिंह नि०—बजेहटा	छानी बाजार	98—99	10,000.00
2	अरविन्द सिंह	श्री चित्तर सिंह निवासी छानी	खन्ना बाजार	98—99	500.00
3	इन्द्रपाल सिंह	श्री अमृत लाल निवासी मुस्करा	पशु बाजार मुस्करा	2003—04	26,000.00
4	इन्द्रपाल सिंह	श्री अमृत लाल निवासी मुस्करा	मुस्करा बाजार	2003—04	26,000.00
5	भानू प्रकाश	श्री लक्ष्मी राम निवासी मुस्करा	मुस्करा बाजार	2003—04	26,500.00

6	भानू प्रकाश	श्री लक्ष्मी राम निवासी मुस्करा	पशु बाजार मुस्करा	2003-04	32500.00
7	प्रकाश	श्री बिन्दा निवासी महेरा	पशु बाजार छानी	05-06	11000.00
8	प्रकाश	श्री बिन्दा निवासी महेरा	छानी बाजार	05-06	40,000.00
9	श्री मंगल	श्री रामसनेही निवासी दामूपुरवा	पशु बाजार मुस्करा	05-06	33,000.00
10	श्री जुझार सिंह	स्व० श्री पुलीचन्द्र निवासी बसवारी	इमिलिया बाजार	05-06	4000.00
11	श्री राजदेवर	श्री कल्लू प्रसाद निवासी अमन शहीद हमीरपुर	पशु बाजार मुस्करा	08-09	61000.00
12	श्री अजीज	श्री महबूब खाँ निवासी मुस्करा	तहबाजारी मुस्करा	08-09	40,000.00
13	श्री शिवकुमार	श्री हरनारायण निवासी भेड़ी डांडा	तहबाजारी बिर्वार	08-09	35,000.00
14	श्री फूल सिंह	श्री प्रभूदयाल निवासी गहरौली	तहबाजारी गहरौली	08-09	22,000.00
15	श्री मनोज कुमार	श्री हरदयाल राजपूत निवासी मुस्करा	तहबाजारी मुस्करा	2010-11	85,000.00
16	श्री मनोज कुमार	श्री हरदयाल राजपूत निवासी मुस्करा	पशु बाजार मुस्करा	2010-11	15,000.00
17	श्री देवेन्द्र सिंह	स्व० श्री स्वतन्त्र कुमार सिंह निवासी सिसोलर	तहबाजारी (बालू मोरंग)	2012-12	1,30,000.00
योग					597500.00

वसूली की ठोस कार्यवाही हेतु अपर मुख्य अधिकारी एवं पटल सहायकों तथा लेखाकार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। अन्यथा की स्थिति में तत्कालीन पटल सहायक, अपर मुख्य अधिकारी, एवं लेखाकार जिम्मेदार होंगे।

प्रस्तर-03

जिला पंचायत हमीरपुर में वर्ष 2014-15 के लिये मौका घाटों की नीलामी (1) को की गयी थी जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

क्र० सं०	घाट का नाम	समिति/नीलामी लेने वाले व्यक्ति का नाम	नीलामी की धनराशि
1	भटपुरा	मत्स्य जीवी सहकारी समिति भौली	52,000.00
2	रिरुवा बुजुर्ग	मत्स्य जीवी सहकारी समिति बसरिया	1,41,000.00
3	सुरौली बुजुर्ग	मत्स्य जीवी सहकारी समिति सुरौली बुजुर्ग	18,000.00
4	सिकरोढ़ी	छुटकौनी पुत्र रघुवर नि०- सिकराढ़ी	12,000.00

5	पत्थोरा	रामफल पुत्र श्री पूरन ग्राम परसेड़ा, थाना चाँदपुर, फतेहपुर	6,000.00
योग			2,29,000.00

उपरोक्त नीलामी प्रक्रिया में निम्न कमियाँ प्रकाश में आयी है।

- (I) :- स्टाम्प एक्ट की धारा-2(6) के अन्तर्गत परिभाषित अन्य विलेखों सहित अचल सम्पत्ति के निश्चित अवधि के उपभोग के अधिकार का अन्तरण पट्टा की श्रेणी में आता है। एवं इस पर एक्ट के शेड्यूल-1 बी के अनुच्छेद-35 के अन्तर्गत स्टाम्प शुल्क देय है। इस प्रकार अनुबन्ध न कराकर डी0आई0जी0 स्टाम्प के रेकी रेकनर के आदेश सं0-14782-852/स्टाम्प दिनांक 26.11.09 के अनुसार भीकम सिंह एवं लेखाकार श्री नन्द किशोर का है।
- (II) :- नीलामी प्रक्रिया हेतु व्यापक प्रचार/प्रसार न करके नीलामी प्रक्रिया को प्रतिस्पर्धा से वंचित रखा गया तथा नीलामी की धनराशि अधिक होने की सम्भावना को खत्म किया गया।
- (III) :- रजिस्टर्ड सहकारी को प्राथमिकता के आधार पर आवंटन नहीं किया गया है। उत्तरदायी के प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-04

जिला पंचायत हमीरपुर में वर्ष 2014-15 में हड़डी/चमड़ा नीलामी का विवरण निम्न प्रकार है-

क्र0सं0	विकास खण्ड का नाम	नीलामी लेने वाले व्यक्ति/संख्या का नाम	नीलामी की धनराशि
1	विकास खण्ड, राठ	श्री मइयादीन सचिव मुगलपुरा, राठ	40,00000
2	विकास खण्ड, गोहाण्ड	श्री मइयादीन सचिव मुगलपुरा, राठ	31,000.00
3	विकास खण्ड, सुमेरपुर	(1) सिद्धगोपाल निवासी पन्धरी (2) बलराम सभापति निवासी पचखुरा महान	61,000.00 1,45,000.00
4	विकास खण्ड, मौदहा	पशु शव विच्छेदन समिति लेखा सभापति	1,35,000.00
5	विकास खण्ड, सरीला	श्री परमेश्वरी दीन निवासी भेड़ी डांडा	68,000.00
6	विकास खण्ड, कुरारा	(1) जगदीश प्रसाद प्रजापति कुरारा (2) आसिफ इकबाल	55,000.00 12,000.00
7	विकास खण्ड, मुस्करा	श्रीमती जमुनिया पत्नी गजब निवासी लोदीपुर	1,37,000.00
योग			6,84,000.00

उपरोक्त नीलामी प्रक्रिया में निम्न कमियाँ प्रकाश में आयी।

- (I) :- डी0आई0जी0 स्टाम्प के रेडी रेकनर शासनादेश सं0-14782-852/स्टाम्प दिनांक 26.11.09 के अनुसार 2% स्टाम्प से अनुबन्ध न कराकर मु0 13680.00 रु0 से राजस्व की क्षति की गयी जिसका उत्तर दायित्व ए0एम0ए0 एवं लेखाकार का होगा।

- (II) :- विकास खण्ड कुरारा के श्री जगदीश प्रसाद सभापति द्वारा 55000.00 के सापेक्ष 30,000.00 रु० जमा किये है 25,000.00 जमा हेतु शेष है। जमा न होने की स्थिति में उक्त का दायित्व अपर मुख्य अधिकारी भीकम सिंह एवं लेखाकार श्री नन्दकिशोर एवं पटल सहायक का होगा। उत्तरदायी के प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-05

वर्ष 2014-15 की मत्स्य आखेट की नीलामी प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार है। जो यमुना नदी से सम्बन्धित है।

क्र०सं०	नदी का नाम तथा सन्दर्भित	पट्टे धारक का नाम	नीलामी की धनराशि
1	यमुना नदी 0-5	मत्स्य जीवी सहकारी समिति मनकी कला घसीटे लाल	1,48,000.00
2	यमुना नदी 05-25	श्री सुशील कुमार निशाद पुत्र रामबाबू नि० पुराना घाट, हमीरपुर	3,90,000.00
3	यमुना नदी 25-30	मत्स्य जीवी सहकारी समिति भौली सचिव रामकरन	1,80,000.00
4	यमुना नदी 30-35	मत्स्य जीवी सहकारी समिति मनकी कला सचिव घसीटे लाल	60,000.00
5	यमुना नदी 35-45	श्री कामना पुत्र श्री अयोध्या प्रसाद नि० बेतवा घाट	60,000.00
6	वेतवा नदी 0-10	श्री सुशील कुमार निशाद पुत्र श्री रामबाबू नि० हमीरपुर	48,000.00
7	वेतवा नदी 10-25	श्री कालीचरन सचिव मत्स्य जीवी सहकारी समिति सुरौली बुजुर्ग	72,000.00
8	वेतवा नदी 25-65	मत्स्य जीवी सहकारी समिति लि० बसरिया अध्यक्ष महादेव	1,10,000.00
योग			10,68,000.00

उपरोक्त नीलामी प्रक्रिया में निम्न कमियां प्रकाश में आयी है।

- (I) :- क्रमांक 2, 5 एवं 6 पर नीलामी प्रक्रिया में मत्स्य समितियों को प्राथमिकता के आधार पर नीलामी नहीं दिया जाना प्रतीत होता है।
- (II):- स्टाम्प एक्ट की धारा-2(6) के अन्तर्गत परिभाषित अन्य विलेखों सहित अचल सम्पत्तियों के निश्चित अवधि के उपयोग के अधिकार का अन्तरण पट्टा की श्रेणी में आता है एक्ट के शेड्यूल-1 बी अनुच्छेद-35 के अन्तर्गत स्टाम्प शुल्क देय है। इस प्रकार डी०आई०जी० स्टाम्प के आदेश संख्या-14782-852/स्टाम्प दिनांक 26.11.09 के अनुसार 2% स्टाम्प शुल्क मु० 21,360.00 रु० राजस्व की क्षति की गयी है। जिसका उत्तर दायित्व अपर मुख्य अधिकारी/लेखाकार श्री नन्दकिशोर का होगा।
- (III):- क्रमांक 6 में वेतवा नदी की नीलामी सन्दर्भित दूरी 10-25 पर श्री कालीचरन सचिव द्वारा एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी मत्स्य श्री एन०के० अग्रवाल की जांच आख्या द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि

उक्त जल धारा की नीलामी सचिव मत्स्य जीवी सहकारी समिति लि० सुरौली बुजुर्ग श्री कालीचरन द्वारा नहीं ली गयी है।

अतः साजिशकर्ताओं एवं कूट रचित अभिलेख नीलामी हेतु प्रस्तुत कर नीलामी लेने वालों के खिलाफ आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी आपेक्षित है।

प्रस्तर-06

वर्ष 2013-14 की निम्नलिखित अनकैश चार्ज के सम्बन्धित खाते से भुगतान करके जिला निधि के अन्य खाते में क्रेडिट कराकर सम्बन्धित को उक्त धनराशि प्रेषित न करके जिला पंचायत द्वारा उक्त धनराशि रोके रखा गया जो गम्भीर आपत्ति है (बी०ओ०बी० के खाता सं०-3045 खाते में क्रेडिट किया गया)

क्रेडिट तिथि	चेक संख्या	सम्बन्धित धनराशि	मद
09.04.2014	390764	36,459.00	श्रम प्रतिकर
09.04.2014	390764	11,19,739.00	रायल्टी

निर्धारित प्राविधानों के अनुसार सम्बन्धित के पक्ष में धनराशि भेजने की कार्यवाही अमल में लायी जाये अन्यथा की स्थिति में उक्त का दायित्व अपर मुख्य अधिकारी भीकम सिंह, लेखाकार नन्द किशोर का होगा।

उत्तरदायी के प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-07

शासनादेश संख्या 10/2015/ए-1-502/दस-2015-10(33)/2010 दिनांक 2015 वित्त (लेखा)-अनुभाग-1 लखनऊ के पैरा-3 के अनुसार यदि शासन द्वारा अवमुक्त धनराशियों को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया गया है तो अर्जित ब्याज से स्था की आय न होकर राज्य सरकार की होगी और अर्जित आय को राजकोष में जमा करा दिया जाये/जाना चाहिये। संस्था द्वारा विभिन्न मदों में विभिन्न वर्षों में ब्याज अर्जित का विवरण निम्न प्रकार है।

क्र०सं०	योजना का नाम	वर्ष	अर्जित ब्याज की धनराशि	विवरण
1	राज्य वित्त आयोग	31.03.14 तक 2014-15 में	16,01,673.00 20,39,243.00	ग्रान्ट रजि० के अनुसार/बैंक पास बुक
2	तेरहवां वित्त आयोग	31.03.2014 तक 2014-15 में	14,90,925.00 2184724.00	ग्रान्ट रजि० के अनुसार/बैंक पास बुक
3	बी०आर०जी०एफ० विकास खाता इलाहाबाद बैंक के खाते	31.03.2014 तक 2014-15 में	42,38,782.00 12,08,077.00	बी०आर०जी०एफ० की बैंक के पृष्ठ में अंकित
4	बी०आर०जी०एफ० नोडल खाता पी०एन०बी०	09-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14	6,52,559.00 21,95,940.00 26,88,806.00 40,00,972.00 35,46,462.00	बी०आर०जी०एफ० की कैश बुक के पृष्ठ 29 वर्ष 2014-15 की कैश बुक में

		2014-15	28,30,366.00	
		योग	2,86,78,529-00	

आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय उच्चाधिकार्यों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर-08

दिनांक 25.07.2014 को जिला पंचायत हमीरपुर के जिला निधि खाता संख्या 108 को 19,17,967 रु० क्रेडिट करते हुये बी०आर०जी०एफ० योजना के खाता सं०-10030100013734 को डेबिट करके ट्रान्सफर लेखा पारित किया गया जिसको संस्था की मुख्य कैश बुक में जमानत मद में जमा दर्शाया गया है। बी०आर०एफ० की कैश बुक में वर्ष 2013-14 में ये धनराशि निर्गत की गयी थी जिसका विवरण निम्न प्रकार दर्शित है। चेक सं०-258086 के द्वारा निर्गत।

क्र०सं०	धनराशि से सम्बन्धित विवरण	धनराशि
1	जिला निधि से अधिक भुगतान का वापस विवरण होना	5,55,308.00
2	रायल्टी की चेक की धनराशि	20,550.00
3	विवरण हीन जमानत की धनराशि	12,44,632.00
4	अर्थदण्ड की धनराशि विलम्ब शुल्क की धनराशि	11,773.00
5	विलम्ब शुल्क की धनराशि	13,500.00
6	श्रम प्रतिकर की धनराशि	72,204.00
	योग	19,17,967.00

उपरोक्त विवरण के अनुसार दर्शित धनराशि को जिला निधि मद में जमानत धनराशि के रूप में जमा दर्शाया गया है। जो लेखा नियमों के प्रतिकूल है। सम्बन्धित मदों की धनराशियों को सम्बन्धित मदों में ट्रान्सफर करके सम्बन्धितों को भुगतान किया जाना चाहिये। अस्तु क्र० 02 पर 20,550.00 रायल्टी की धनराशि जिलाधिकारी हमीरपुर, एवं क्र० 06 पर 72,204.00 रु० श्रम प्रतिकर के पक्ष में भेजने की कार्यवाही अमल में लाई जाये एवं 5,55,308.00 रु० जिला निधि से भुगतान अधिक किया गया था कि पुष्टि करायी जाये तथा 12,44,632.00 रु० किन-किन ठेकेदारों की और कब-कब की धनराशि जमानत की है। विवरण खोजकर जमा जमानत की वापसी की कार्यवाही अमल में लायी जाये अन्यथा की स्थिति में उक्त का दायित्व जमानत भुगतान कर्ता लेखाकार तथा अपर मुख्य अधिकारी का होगा। उत्तरदायी के प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

जनपद –बाराबंकी मण्डल – फैजाबाद

जिला पंचायत – बाराबंकी

क्र० सं०	नाम संस्था	आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	आपत्ति संख्या	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम	धनराशि
1	जिला पंचायत बाराबंकी	वित्तीय वर्ष 2013-14 की कैशबुक में माह जुलाई 2013 के पूर्व का अन्तर रु० 3177912.00 का है जिसका समाधान विवरण पत्र वर्ष के अन्त दिनांक 31.03.2014 तक नहीं बनाया गया है। समाधान विवरण पत्र तैयार करना लेखाकार का दायित्व है। संस्था के उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा समाधान हेतु कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। अतः असमाधानित धनराशि रु० 3177912.00 की ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।	2	श्री रामानन्द श्रीवास्तव एवं श्री जी०एन० सिंह एवं अजय मौर्य	3177912.00
2	जिला पंचायत बाराबंकी	वर्ष 2013-14 में कर निरीक्षक द्वारा वसूल की गयी धनराशि चालान सं० 15 के द्वारा रु० 3000.00 कम जमा की गयी है। कर निरीक्षक द्वारा उक्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली, कर-निरीक्षक से की जानी अपेक्षित है।	3	तत्कालीन टीसी	3000.00
3	जिला पंचायत बाराबंकी	आ०सं० 6- वर्ष 2013-14 में सी०एफ०एल० बल्व 30 नग क्रय दर्शाकर 31.03.2014 तक 17 बल्व जारी कर अपर मुख्य अधिकारी एवं अध्यक्ष के कक्ष में लगाया जाना	6	श्री दिनेश शर्मा स्टोर कीपर	2470.00

		दर्शाया गया है। लेकिन उक्त बल्ब की डिमाण्ड किस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा की गयी है। यह स्पष्ट नहीं किया गया है। और न ही प्राप्त कर्ता के हस्ताक्षर हैं। शेष 13 नग सी0एफ0एल0 बल्ब को स्टोक के अन्तिम अवशेष में दर्शाया नहीं गया है। जिसमें 8 नग 23 वॉट तथा 5 नग 25 वॉट के दर्शित हैं। इस प्रकार उक्त 13 नग बल्ब की मूल्य लागत धनराशि 2470.00 है। उक्त धनराशि का अपहरण स्टोर कीपर द्वारा किया गया है। अतः उक्त अपहृत धनराशि रु0 2470.00 की ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्ति से की जानी अपेक्षित है।			
		3)आ0सं0 7— वर्ष 2013–14 में 8 नग सी0एफ0एल0 एवं 4 नग ट्यूब लाइट मय फिटिंग के पूजा स्टेशनरी बाराबंकी से क्रय दर्शाया गया है। वर्ष के अन्त दिनांक 31.03.2014 तक इसका उपयोग नहीं किया गया है और न तो 31.03.2014 तक स्टोक अवशेष में दर्शित है। उक्त सामग्री की कुल लागत धनराशि रु0 2240.00 का अपहरण स्टोर कीपर द्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित कर्मचारी, श्री दिनेश शर्मा स्टोर कीपर से की जानी अपेक्षित है।	7	श्री दिनेश शर्मा स्टोर कीपर	2240.00
		3)आ0सं0 8— वर्ष 2013–14 में 16 नग छोटी साइज एवं 6 नग बड़ी साइज की तौलिया क्रय किया गया है। 14 नग छोटी साइज एवं 6 नग बड़ी साइज की तौलिया किसके द्वारा मांग किये जाने से दिया गया है। स्पष्ट नहीं है। शेष 2 नग छोटी तौलिया को स्टोक अवशेष (स्टोक	8	श्री दिनेश शर्मा स्टोर कीपर	130.00

		रजि0) में अवशेष दर्शाया नहीं गया है। अतः उक्त मूल्य की धनराशि रू0 130.00 है। अतः उक्त धनराशि रू0 130.00 का अपहरण स्टोर कीपर द्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली स्टोर कीपर श्री दिनेश शर्मा से की जानी अपेक्षित है।			
		3)आ0सं0 10 — वर्ष 2013-14 में 126 रिम ए-4 शीट पेपर क्रय किया जाना दर्शित है। जिसमें से विभिन्न कर्मचारियों को 89 रिम एवं 5750 पन्ने जारी किया जाना दर्शित है। लेकिन मांग पत्र जारी नहीं किया गया है। उक्त दर्शित उपभोग के बाद भी 255 रिम पेपर शेष बचता है। जिसे दिनांक 31.03.2014 के स्टॉक अवशेष में दर्शित नहीं किया गया है। अतः दर्शित दर 200/— प्रति रिम के हिसाब से 5100.00 की धनराशि का अपहरण स्टोर कीपर श्री दिनेश शर्मा द्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री दिनेश शर्मा स्टोर कीपर से की जानी अपेक्षित है।	10	श्री दिनेश शर्मा स्टोर कीपर	5100.00
		कुल	कुल आपत्ति 6,7,8,10		9940.00
4		वर्ष 2013-14 में जिला पंचायत बाराबंकी की सामान्य बैठक में स्टॉक सं0 4 (2) के द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि महादेवा मेले से आय शून्य हो गयी है क्योंकि तह बजारी की वसूली शासन द्वारा समाप्त कर दी गयी है। अतः मेले का आयोजन शासन द्वारा पर्यटन विभाग या प्रशासन द्वारा किया जाना चाहिए। जिसके सम्बन्ध में दिनांक 30.05.2013 को अपर मुख्य अधिकारी द्वारा प्रमुख सचिव को पत्र भी जारी किया जा	11 (घ)	तत्कालीन अपर मुख्य अधि0 एवं वित्तीय परामर्श	500000.00

		चुका है। लेकिन शासन द्वारा प्रति उत्तर में कोई जवाब संलग्न नहीं है फिर भी अभियन्ता द्वारा रु0 8.00 लाख का स्टीमेन्ट टेण्डर मेले की साफ-सफाई एवं प्रकाश व्यवस्था हेतु दिये गये। टेण्डर फार्म पर एक ही व्यक्ति की लिखावट प्रतीत होती है। ठेका भट्टी कन्सट्रक्शन एवं सप्लायर्स को दिया गया है। 1-आमंत्रित टेण्डर किस-किस के सामने खोला गया है स्पष्ट नहीं है। 2-दिनांक 30.11.2013 को अगहनी मेला प्रारम्भ होने का जिक्र करते हुए दिनांक 14.11.2013 को उप जिलाधिकारी रामनगर द्वारा एक मांग पत्र रु0 5 लाख जिला पंचायत को दिया गया है। दिनांक 25.11.2013 को उप जिला अधिकारी रामनगर द्वारा जिला पंचायत अध्यक्ष एवं अपर मुख्य अधिकारी को पत्र जारी किया गया है। पत्र में रु0 5.00 लाख की डिमाण्ड की गयी है। इसी दिन 3.00 लाख की चेक जिला पंचायत द्वारा जारी कर दी गयी। शेष 2.00 लाख दिनांक 30.11.2013 को देना दर्शाया गया है। इसके सापेक्ष कोई भी शासनादेश/मण्डलायुक्त का आदेश निर्गत नहीं है और न तो इसके सम्बन्धित कोई नियम है। पत्रावली में इसके सम्बन्धित कोई आदेश चस्पा नहीं है। और न ही इसके व्यय प्रमाणक उपलब्ध कराये गये। अतः उक्त रु0 5.00 लाख की अपहरण तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी/ वित्तीय परामर्श दाता द्वारा किया गया है। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।			
		योग			3690852.00

जनपद –देवरिया मण्डल– गोरखपुर
जिला पंचायत देवरिया

प्रस्तर सं0 1

दिनांक 31.03.2015 को निम्न विवरणानुसार निजी स्रोतो पर कर के रूप में बकाया रू0 101.21 लाख दर्शित है।
(आंकड़े लाख में)

क्रमांक	विवरण	01.04.14 को बकाया मांग	वर्ष 14-15 का मांग	कुल मांग	बकाया के सापेक्ष	वर्ष के मांग के सापेक्ष	वसूली	अवशेष
1	सम्पत्ति एवं विभव कर	51.94	27.13	79.07	—	27.13	27.13	51.94
2	सम्पत्ति से आय दुकान भवन किराया	69.11	67.62	136.73	13.04	74.42	87.46	49.27
	योग	121.05	94.75	215.80	13.04	101.55	114.59	101.21

उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि चालू मांग (डिमान्ड) के सापेक्ष वसूली हुई है किन्तु बकाया मांग के सापेक्ष प्रभावी वसूली नहीं होने के कारण 31.03.2015 को 101.21 लाख बकाया दर्शित है। जो कुल मांग का 46.9 प्रतिशत है। सम्पत्ति एवं विभव कर शीर्ष में बकाया के सापेक्ष वसूली शून्य है। जबकि सम्पत्ति (दुकान, भवन, किराया) वसूली 69.11 लाख के सापेक्ष 13.04 लाख ही दर्शित है। जो कम है। बकाया ब्याज सहित वसूली न होने से स्पष्ट है कि विभाग द्वारा ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही में लापरवाही बरती जा रही है। इस प्रकार 31.03.2015 को रू0 101.21 लाख बकाया दर्शा कर संस्था को क्षति पहुंचायी गयी है। जिसके लिये अध्यक्ष, अपर मुख्य अधिकारी, कर अधिकारी से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0 02

दिनांक 02.01.2015 को रू0 22845.00 का भुगतान मनोज एजुकेशन सेन्टर देवरिया को किया जाना दर्शित है। लेखा परीक्षा में स्टेशनरी का मांग पत्र, क्रय आदेश, स्टेशनरी स्टॉक एवं उपभोग पंजी अप्राप्त रहा। क्रय एक साथ न कर टुकड़ों में किये जाने का क्या औचित्य रहा। विभागीय निर्देशानुसार रू0 5000.00 से अधिक के स्टेशनरी क्रय से सम्बन्धित भुगतान मण्डलायुक्त महोदय की स्वीकृति से होती है। जिसका परिपालन नहीं किया गया है। उक्त हेतु विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0 03

दिनांक 10.02.2014 को संस्था के जनरेटर में डीजल क्रय रू0 43316.00 का भुगतान किया जाना दर्शित है। उपरोक्त जनरेटर पर दर्शित व्ययों की पुष्टि हेतु संस्था के जनरेटर का लागबुक प्रस्तुत नहीं रहा। जिसके अभाव में दर्शित व्यय अपुष्टित रहे। उक्त हेतु विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0 04

दिनांक 05.02.2015 को वा0सं0 21 से 30 तक द्वारा रू0 40495.00 का भुगतान एस0एस0आटो मोबाइल सोनूघाट को संस्था के जनरेटर में डीजल हेतु किया जाना दर्शित है। लेखा परीक्षा में जनरेटर का लाग बुक प्रस्तुत नहीं रहा। जिसके अभाव में दर्शित डीजल व्यय की पुष्टि न की जा सकी। उक्त हेतु विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0 05

दिनांक 02.03.2015 को संस्था के जनरेटर हेतु रू0 17016.00 का डीजल क्रय दर्शित है। उक्त व्यय की पुष्टि हेतु जनरेटर का लाग बुक उपलब्ध नहीं रहा। जिससे उक्त व्यय की पुष्टि न की जा सकी। उक्त हेतु विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0 06

दिनांक 31.03.2014 को कैशबुक में अन्तिम रोकड़ शेष रू0 193217530.58 दर्शित है। जबकि 01.04.2014 को प्रा0 रोकड़ शेष रू0 193217411.58 दर्शित है। इस प्रकार रू0 119.00 से रोकड़ शेष कम दर्शा कर अपहरण किया गया है। जिसका दायित्व लेखाकार कपिल देव यादव व कैशियर की है। जिसकी ब्याज सहित वसूली लेखाकार कपिल देव यादव से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0 07

जिला पंचायत के माह अप्रैल 2014 से माह जुलाई 2014 तक के प्रमाणको की जांच से स्पष्ट है कि तेरहवां वित एवं राज्य वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि रू0 22904800.00 से पुलिया निर्माण, इण्टरलाकिंग कार्य, मरम्मत कार्य, कार्य लेपन कार्य इत्यादि पर व्यय किया गया है। उपरोक्त निर्माण कार्यों से सम्बन्धित स्टीमेट कार्य योजना, प्रोजेक्ट/कार्य से सम्बन्धित पत्रावली, ठेकेदार को जारी किया गया कार्य आदेश एवं पत्रावली, टेन्डर पत्रावली, मापन पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र निर्माण कार्य प्रयुक्त सामग्री क्रय एवं मजदूरी भुगतान सम्बन्धी मूल प्रमाणक इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः निर्माण कार्यों पर दर्शित व्यय अपुष्टित रहा। उपरोक्त अनियमितता के सम्बन्ध में निर्माण अनुभाग के सम्बन्धित कर्मचारी/पटल प्रभारी, सम्बन्धित अवर अभियंता, सम्बन्धित अभियंता तथा अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत देवरिया के उत्तरदायी हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली एवं उक्त के सम्बन्ध में विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0 08

संस्था में प्रमाणक सं0 45 दिनांक 24.04.2014 से वित्तीय परामर्श दाता कार्यालय के लिये रू0 73900.00 का एक कम्प्यूटर, एक प्रिन्टर, एक यू0पी0एस0 क्रय किया गया है। प्रमाणक सं0 132 दिनांक 30.06.2014 से फर्नीचर हाउस मालवीय रोड देवरिया (बिल सं0 245 दिनांक 29.03.2014) आलमारी क्रय रू0 3900.00 का 66 इंच का आलमारी क्रय किया गया है। इसी प्रकार प्रमाणक सं0 62 दिनांक 25.06.2014 से कम्प्यूटर सामग्री क्रय का भुगतान श्री बालाजी कम्प्यूटर कोतवाली रोड देवरिया (बिल सं0 502 बुक सं0 11 दिनांक 15.05.2014) को रू0 2700.00 किया गया। नियमानुसार संस्था को सम्बन्धित अनुभाग से मांग पत्र प्राप्त कर क्रय कमेटी बनाकर टेन्डर/कोटेशन मगाकर आपूर्ति हेतु क्रय आदेश न्यूनतम दर वाले फर्म को जारी कर आपूर्ति सुनिश्चित होने के उपरान्त ही एकाउन्ट पेई चेक के माध्यम से ही भुगतान किया जाना चाहिये था और भुगतान प्राप्ति रसीद प्राप्त करनी चाहिये थी। सामग्री क्रय एवं डेड स्टॉक क्रय पत्रावली भी अलग से बनायी जानी चाहिये थी। उपरोक्त अनियमितता के सम्बन्ध में सामग्री क्रय प्रभारी, लेखाकार एवं अपर मुख्य अधिकारी देवरिया उत्तरदायी हैं। जिसे विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0 09

जिला पंचायत देवरिया के माह अप्रैल 2014 से माह जलाई 2014 तक के प्रमाणकों से स्पष्ट है कि सांसद निधि रू0 4684000.00 से कराये गये कार्य की पुष्टि में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, मापन पुस्तिका, कार्य योजना, स्टीमेट, प्रोजेक्ट/कार्य से सम्बन्धित पत्रावली, टेन्डर पत्रावली, निर्माण कार्य में प्रयुक्त सामग्री क्रय एवं मजदूरी भुगतान सम्बन्धी मूल प्रमाणक इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः निर्माण कार्यों पर दर्शित व्यय अपुष्टित रहा। उपरोक्त अनियमितता के सम्बन्ध में जिला पंचायत देवरिया के निर्माण अनुभाग के सम्बन्धित कर्मचारी/पटल प्रभारी, सम्बन्धित अवर अभियंता, सम्बन्धित अभियंता तथा अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत देवरिया के उत्तरदायी है। उक्त के सम्बन्ध में विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0 10

जिला पंचायत देवरिया के माह अप्रैल 2014 से माह जलाई 2014 तक के प्रमाणको से स्पष्ट है कि विधायक निधि रू0 1483000.00 से कराये गये कार्य की पुष्टि में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, मापन पुस्तिका, कार्य योजना, स्टीमेट, प्रोजेक्ट/कार्य से सम्बन्धित पत्रावली, टेन्डर पत्रावली, निर्माण कार्य में प्रयुक्त सामग्री क्रय एवं मजदूरी भुगतान सम्बन्धी मूल प्रमाणक इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः निर्माण कार्यों पर दर्शित व्यय अपुष्टित रहा। उपरोक्त अनियमितता के सम्बन्ध में जिला पंचायत देवरिया के निर्माण अनुभाग के सम्बन्धित कर्मचारी/पटल प्रभारी, सम्बन्धित अवर अभियंता, सम्बन्धित अभियंता तथा अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत देवरिया के उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली एवं उक्त के सम्बन्ध में विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0 11

जिला पंचायत देवरिया के वाहन हेतु विभागीय वाहन यू0पी0 52 ए0जी0 0089 हेतु विभिन्न तिथियों में डीजल क्रय के रूप में रू0. 18179.00 दर्शित किया गया है। वाहन से सम्बन्धित लाग बुक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। यात्रा का स्थान, दिनांक/उद्देश्य के बारे में जानकारी स्पष्ट नहीं है। उपरोक्त डीजल क्रय बिल वित्तीय वर्ष 2013-14 का है जबकि भुगतान वर्ष 2014-15 में किया गया है। पूर्व में उपरोक्त देनदारी को जिम्मेदारी पक्ष में दर्शित कर इसके लिये प्राविधान किया गया है अथवा नहीं इस सम्बन्ध में जानकारी अप्राप्त रही। इस अनियमितता के सम्बन्ध में वाहन चालक, वाहन प्रभारी, लेखाकार एवं अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी है। जिनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0 12

माननीय अध्यक्ष महोदय जिला पंचायत देवरिया के वाहन हेतु विभिन्न तिथियों में डीजल क्रय के रूप में रू0. 31024.00 दर्शित किया गया है। वाहन से सम्बन्धित लाग बुक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। यात्रा का स्थान, दिनांक उद्देश्य के बारे में जानकारी स्पष्ट नहीं है। उपरोक्त डीजल क्रय बिल वित्तीय वर्ष 2013-14 का है जबकि भुगतान वर्ष 2014-15 में किया गया है। पूर्व में उपरोक्त देनदारी को जिम्मेदारी पक्ष में दर्शित कर इसके लिये प्राविधान किया गया है अथवा नहीं इस सम्बन्ध में जानकारी अप्राप्त रही। इस अनियमितता के सम्बन्ध में वाहन चालक, वाहन प्रभारी, लेखाकार एवं अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी है। जिनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0 13

संस्था द्वारा विभागीय वाहन पूर्व माननीय अध्यक्ष के वाहन का सर्विसिंग एवं मरम्मत कार्य पर रू0 20866.00 व्यय किया गया है। वाहनो का लागबुक तथा मरम्मत सम्बन्धी समस्त पत्रावली, स्टॉक पंजिका इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। स्टॉक पंजिका के अप्राप्त रहने से सामग्री क्रय को स्टॉक में दर्ज किये जाने की स्थिति अज्ञात रही। मरम्मत के क्रम में पुरानी सामग्रियों को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज किये जाने के सम्बन्ध में भी जानकारी अप्राप्त रही। पूर्व में वाहनो का मरम्मत एवं सर्विसिंग कब कराया गया था पत्रावलियों के अभाव में इसकी जानकारी नहीं हो सकी। गाड़ियो की मरम्मत एवं सर्विसिंग कार्य के लिये सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति ली गयी अथवा नहीं पत्रावलियों के अभाव में इसकी जानकारी अप्राप्त रही। उपरोक्त वाहन मरम्मत एवं सर्विसिंग कार्य सम्बन्धी बिल वित्तीय वर्ष 2013-14 का है जबकि बिल का भुगतान वर्ष 2014-15 में किया गया है। पूर्व में उपरोक्त देनदारी को जिम्मेदारी पक्ष में दर्शित कर इसके लिये प्राविधान किया गया है अथवा नहीं इस सम्बन्ध में जानकारी अप्राप्त रही। इस अनियमितता के सम्बन्ध में वाहन चालक, वाहन प्रभारी, लेखाकार एवं अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी है। जिनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0 14

जिला पंचायत देवरिया में विभागीय जनरेटर हेतु विभिन्न तिथियों में डीजल क्रय पर रू0 23450.00 का डीजल क्रय दर्शित है। उक्त व्यय की पुष्टि हेतु जनरेटर का लाग बुक उपलब्ध नहीं रहा। जिससे उक्त व्यय की पुष्टि न की जा सकी। उक्त हेतु विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0 15

जिला पंचायत देवरिया के कतिपय तिथियों में स्टेशनरी क्रय पर रू0 26710.00 का व्यय दर्शित किया गया है। जिसमें प्रमाणक सं0 77 दिनांक 30.05.2014 से मनोज एजुकेशनल सेन्टर कचहरी चौराहा देवरिया को स्टेशनरी क्रय का भुगतान रू0 10860.00 का किया गया है जो वर्ष 2013-14 का है जबकि भुगतान 2014-15 में किया गया है पूर्व में उपरोक्त देनदारी के पक्ष में प्राविधान किया गया था अथवा नहीं इस सम्बन्ध में जानकारी अप्राप्त रही। प्रमाणक सं0 78 दिनांक 30.05.2014 से रू0 15850.00 का भुगतान किया गया है। नियमानुसार संस्था को सम्बन्धित अनुभाग से मांग पत्र प्राप्त कर क्रय कमेटी बनाकर टेन्डर/कोटेशन मगाकर आपूर्ति हेतु क्रय आदेश न्यूनतम दर वाले फर्म को जारी कर आपूर्ति सुनिश्चित होने के उपरान्त ही एकाउन्ट पेई चेक के माध्यम से ही भुगतान किया जाना चाहिये था और भुगतान प्राप्ति रसीद प्राप्त करनी चाहिये थी। सामग्री क्रय एवं डेड स्टॉक क्रय पत्रावली भी अलग से बनायी जानी चाहिये थी। उपरोक्त अनियमितता के सम्बन्ध में स्टेशनरी अनुभाग के पटल प्रभारी, लेखाकार एवं अपर मुख्य अधिकारी देवरिया उत्तरदायी है। जिनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0 16

दिनांक 19.11.2014 को भुगतान प्रमाणक सं0 49 द्वारा रू0 3500.00 का भुगतान कार्डलेस (माइक) हेतु गुप्ता इलेक्ट्रानिक्स ठठेरी गली देवरिया को किया गया कोषबही में दर्शित है। परन्तु उक्त भुगतान से सम्बन्धित बिल लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा। उक्त की पुष्टि में स्टॉक बुक भी अप्रस्तुत रहा। अतः 3500.00 की धनराशि दुरुपयोगित रही। जिसके लिये लेखाकार एवं अपरमुख्य अधिकारी देवरिया से रू0 1750.00 बराबर बराबर ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर सं० 17

अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत देवरिया के पद नाम से गाडी सं० यू०पी० 52 ए०जी० 0089 है। उक्त गाडी हेतु प्रतिमाह वेतन से 500.00 की कटौती की जानी चाहिये। परन्तु वर्ष पर्यन्त 500.00 की कटौती प्रतिमाह नहीं की गयी है। इस प्रकार रू० 6000.00 की हानि पहुंचायी गयी है, जिसके लिये लेखाकार तथा अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी है। जिससे रू० 3000.00 बराबर बराबर ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर सं० 18

राज्य वित्त आयोग से वर्ष 2014-15 में कराया गये कार्य पर रू० 16405100.00 का व्यय दर्शित है। जिससे पुलिया निर्माण, इण्टरलाकिंग कार्य, मरम्मत कार्य लेपन कार्य इत्यादि पर व्यय किया गया है। उपरोक्त निर्माण कार्यों से सम्बन्धित स्टीमेट कार्ययोजना, प्रोजेक्ट/कार्य से सम्बन्धित पत्रावली, ठेकदार को जारी किया गया कार्य आदेश एवं पत्रावली, टेन्डर पत्रावली, मापन पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र निर्माण कार्य प्रयुक्त सामग्री क्रय एवं मजदूरी भुगतान सम्बन्धी मूल प्रमाणक इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः निर्माण कार्यों पर दर्शित व्यय अपुष्टित रहा। उपरोक्त दुरुपयोग के सम्बन्ध में निर्माण अनुभाग के सम्बन्धित कर्मचारी/पटल प्रभारी, सम्बन्धित अवर अभियंता, सम्बन्धित अभियंता तथा अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत देवरिया के उत्तरदायी है। उक्त के सम्बन्ध में रू० 8202550.00 की ब्याज सहित वसूली बराबर बराबर अपर मुख्य अधिकारी देवरिया एवं अभियन्ता से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं० 19

निर्माण कार्य ग्राम पंचायत मदैना में वंश बहादुर सिंह के घर से काली मन्दिर जाने वाली सड़क का इ०ला० कार्य की पत्रावली की तांच में पाया गया कि उक्त कार्य पर 74 घन मी० मिट्टी का कार्य हुआ है, परन्तु उक्त पर शासनादेश अनुसार रायल्टी नहीं काटी गयी है। 74 घन मी० मिट्टी कार्य पर 14.00 रू० प्रति घन मी० की दर से रू० 1036.00 की कटौती नहीं कर के शासकीय कार्यों पर क्षति पहुंचायी गयी है। अतः रू० 1036.00 की जिला अभियन्ता श्री विरेन्द्र प्रताप सिंह एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री घनश्याम राय से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर सं० 20

निर्माण कार्य पत्रावली रामपुर दुल्लह पिच मार्ग से कैलाश राव के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य की पत्रावली की जांच में पाया गया कि उक्त कार्य की अनुमानित लाग रू० 4.00 लाख है। परन्तु कार्य पर 439000.00 रू० का भुगतान हुआ है। आकलन से ज्यादा भुगतान दर्शाकर धनराशि का दुरुपयोग किया गया है। अतः 390000.00 रू० की ब्याज सहित वसूली जिला अभियन्ता श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री घनश्याम राय से अपेक्षित है।

प्रस्तर सं० 21

राज्य वित्त आयोग वर्ष 2014-15 के निर्माण कार्य ग्राम विशुनपुर कला में इण्टरलाकिंग कार्य की पत्रावली की जांच में पाया गया कि उक्त कार्य का प्रस्ताव पारित नहीं है। कहां से कहां तक कार्य कराया गया है। इसका विवरण अंकित नहीं है। उक्त कार्य की अनुमानित लागत 5.00 लाख है। उक्त कार्य पर कुल 52.64 घनमीटर मिट्टी कार्य दर्शित है। जिसपर रायल्टी की कटौती नहीं की गयी है। 14 रू० घन मी० की दर से 52.64 घन मी० पर 735.56 रू० की रायल्टी की कटौती नहीं करके शासन को क्षति पहुंचायी गयी है। अतः 736.00 रू० की जिला अभियन्ता श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री घनश्याम राय से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

जनपद—कुशीनगर

मण्डल—गोरखपुर

जिलापंचायत — कुशीनगर

प्रस्तर संख्या—1

आलोच्य वर्ष में राजस्व विभाग की जमीन पर निर्मित सर्किट हाउस में साज—सज्जा पर निम्न विवरण के अनुसार व्यय कर का दुरुपयोग किया गया है यदि राजस्व विभाग गेस्ट हाउस को ले लेता है, तो उस निर्माण पर समस्त व्यय की धनराशि बेकार होगी। बार—बार मांग करने के पश्चात् भी संस्था गेस्ट हाउस की मूल पत्रावली अंकेक्षण के समय उपलब्ध नहीं कराई गई, जिसके अभाव में गेस्ट हाउस निर्माण की शर्तों आदि की जानकारी लेखा परीक्षा दल को नहीं हो सकी।

क्र०सं०	प्र०सं०	दिनांक	मद	धनराशि	विवरण
1	3	03/04/2014	जि०वि०	1,15,330.00	फर्नीचर आपूर्ति मेसर्स ताज लाइन इन्वे०
2	4	03/04/2014	जि०वि०	1,19,568.00	फर्नीचर आपूर्ति मेसर्स ताज लाइन इन्वे०
3	5	03/04/2014	जि०वि०	1,19,568.00	फर्नीचर आपूर्ति मेसर्स ताज लाइन इन्वे०
4	6	03/04/2014	जि०वि०	1,15,330.00	फर्नीचर आपूर्ति मेसर्स ताज लाइन इन्वे०
5	4	03/05/2014	जि०वि०	5,000.00	जेनेटर किराया
6	5	03/05/2014	जि०वि०	2,000.00	सफाई मजदूरी
7	5	03/05/2014	जि०वि०	6,236.00	जेनेरेटर डीजल
8	103	27/05/2014	जि०वि०	13,936.00	डिनर सेट
9	21	16/06/2014	जि०वि०	12,047.00	सामान क्रय
10	22	16/06/2014	जि०वि०	12,685.00	सामान क्रय
11	142	23/06/2014	रा०वि०	7,21,070.00	साज सज्जा, जेनेरेटर विपिन जाय०
12	68	23/08/2014	रा०वि०	9,04,937.00	साज सज्जा, जेनेरेटर विपिन जाय०
13	36	18/10/2014	रा०वि०	4,79,342.00	साज सज्जा, जेनेरेटर विपिन जाय०

योग— 26,27,139.00

इस प्रकार यदि राजस्व विभाग गेस्ट हाउस अपने स्वामित्व में ले लेता है तो मु० 26,27,139.00 की धनराशि दुरुपयोग हो जायेगी। जिसके लिए अ०मु०अधि० श्री अशोक कुमार मध्यसिया उत्तरदायी है। जिनसे दुरुपयोगित धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना आपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	योग
0.00	26,27,139.00	26,27,139.00

प्रस्तर सं०-2

कलेक्ट्रेट परिसर के सामने बुद्धा पार्क के निर्माण हेतु 2011-12 में बी.आर.जी.एफ. योजना के अन्तर्गत 125.66 लाख की धनराशि प्राप्त हुई। उक्त निर्माण निविदा के आधार पर फ्रेण्ड्स कं० कम्पनी को कार्य करने हेतु 09-11-2011 को स्वीकृति 19-11-2011 को ठेका दिया गया, जिस हेतु अनुबंध 14-06-2012 को हुआ।

क्र०सं०	दिनांक	प्र०सं०	धनराशि	विवरण
1	03/05/2014	18	9,16,973.00	बुद्धा पार्क के निर्माण हेतु में फ्रेण्ड्स कं० कम्पनी को चेक सं०007445
2	29/01/2015	83	9,37,600.00	बुद्धा पार्क के निर्माण हेतु में फ्रेण्ड्स कं० कम्पनी
3	29/01/2015	84	2,51,277.00	बुद्धा पार्क के निर्माण हेतु में फ्रेण्ड्स कं० कम्पनी
4	24/03/2015	160	2,52,214.00	बुद्धा पार्क के निर्माण हेतु में फ्रेण्ड्स कं० कम्पनी

योग— 26,27,139.00

जिस जमीन पर बुद्धा पार्क का निर्माण संस्था द्वारा कराया जा रहा है, वह उद्यान विभाग की (6.80 एकड़) है। न्यायालय से निर्माण के पूर्व और अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किए बर्गर निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया, जो अनियमित रहा। अभियंता द्वारा दिनांक 31-03-2014 तक निर्माण कार्य पूर्ण करने का आदेश दिनांक 29-03-2014 को दिया गया। जब कि वाद सं० 521/2012 संजय तिवारी एडवोकेट बनाम अध्यक्ष जि०पं०, कुशीनगर द्वारा पूरब-पश्चिम 25 मीटर के रास्ते की मांग न्यायालय द्वारा किया गया है।

इस प्रकार उक्त पार्क विवादित जमीन पर निर्माण शुरू कर के आलोच्य वर्ष में मु० 23,58,064.00 की धनराशि का दुरुपयोग किया गया है, जिसके लिए अभियंता/ अ०मु०अ० श्री अशोक कुमार मध्यसिया उत्तरदायी है। जिनसे दुरुपयोगित धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	योग
0.00	23,58,064.00	23,58,064.00

जनपद— ललितपुर मण्डल—झांसी
जिला पंचायत — ललितपुर ।

विकास खण्ड	जिला पंचायत	प्रस्तर संख्या	आपत्ति का विवरण	प्रकरणों में सन्निहित धनराशि		
				अपहरण	दुरुपयोग / गम्भीर अनियमितताएं	योग
1	2	3	4	5	6	7
	जिला पंचायत, ललितपुर	1—	श्री सुनील कुमार गुप्ता, अभियन्ता द्वारा गाड़ी नं० यू०पी०९४—जी ०१४१ ललितपुर से लखनऊ ले जाई गई थी । जिसमें लौटते समय वाउचर नं० ५० दिनांक २४.०३.१५ को चैक नं० ०२९८०२ द्वारा रू० ३३३१—०० का डीजल डलवाया गया था । लेखा परीक्षा दौरान गाड़ी श्री गुप्ता द्वारा किसके आदेश से एवं किन कारणों से लखनऊ ले जाई गई थी, आदि के सम्बंध में आदेशों से पुष्टि नहीं कराई गई थी । अतः पुष्टि न कराई जाने के कारण उपभोगित ८५ लीटर डीजल की धनराशि रू० ५५.०० प्रति लीटर की दर से रू० ४६७५—०० की ब्याज सहित वसूली श्री सुनील कुमार गुप्ता अभियन्ता से की जानी अपेक्षित है । (मूल आपत्ति संख्या—१५)	—	४,६७५—००	४,६७५—००
		२—	वाउचर नं० ३९ दिनांक २४.०३.१५ को चैक सं० ०२०८०१ द्वारा श्री सुनील कुमार गुप्ता, अभियन्ता द्वारा स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देयक बिल जमा किये बिना	—	१५,९२५—००	१५,९२५—००

			ही व्यय वाउचर से रू0 15,925-00 का भुगतान किया दर्शित है, जो वित्तीय नियमों के विपरीत है । जब तक सीनान्तरण यात्रा भत्ता देयक बिल प्रस्तुत करके धनराशि की मांग न की जाए, तब तक भुगतान किया जाना गम्भीर वित्तीय अनियमितता है, जिसकी ब्याज सहित वसूली अपर मुख्य अधिकारी श्री एस0 कुमार से की जानी अपेक्षित है । (मूल आपत्ति संख्या-16)			
	3-	भवन आबंटन पत्रांक 375/जि.पं., ललितपुर/ 2013-14 दिनांक 24.09.13 द्वारा श्री अनिल कुमार दीक्षित लेखाकार को रहने हेतु आवास का आबंटन किया गया था, परन्तु श्री दीक्षित के वेतन के साथ देय एच0आर0ए0 की धनराशि रू0 1010-00 प्रतिमाह की दर से अक्टूबर 2013 से सीमान्तरण तिथि 30.06.15 तक कुल 21 माह माह की धनराशि रू0 21210-00 वसूल नहीं की गई, जबकि श्री दीक्षित द्वारा आबंटित आवास का निरस्तीकरण न करवाये जाने के कारण ही अन्य कर्मचारी को उसी भवन का आबंटन नहीं किया जा सका था। अतः रू0 1010-00 प्रति माह की दर से 21 माह के भवन किराए भत्ते की धनराशि रू0 21210-00 की ब्याज सहित वसूली श्री अनिल कुमार दीक्षित लेखाकार से की	—	21,210-00	21,210-00	

			जानी अपेक्षित है । (मूल आपत्ति संख्या-17)			

		4-	लेखा परीक्षा दौरान व्यय प्रमाणकों की जांच के दौरान पाया गया , कि सेवा निवृत्त कर्मचारी 1- श्री बद्रीप्रसाद, 2- श्री कृपाराम एवं 3- श्री अमृतसिंह को राजस्व की वसूली हेतु दैनिक वेतन भोगी के रूप में नियुक्त करके भुगतान स्वीकृत किया गया था, जो अनियमित है, क्योंकि राज्य सरकार की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार की दैनिक वेतन भोगी के रूप में की गई नियुक्ति अवैध होगी । इस प्रकार दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की नियुक्ति करके माह नवम्बर 2014 से अगस्त 2015 तक भुगतान की गई धनराशि रू0 107756-00 भुगतान स्वीकृत कर्ता से ब्याज सहित वसूली योग्य है इस प्रकार अनियमित रूप से भुगतान की गई धनराशि की वसूली रू0 3002-00, जिसकी स्वीकृति अपर मुख्य अधिकारी श्री रामबाबू मिश्रा द्वारा दी गई , से एवं रू0 104754-00, जिसकी स्वीकृति अपर मुख्य अधिकारी श्री एस0कुमार द्वारा दी गई , से की जानी अपेक्षित है । इसके उपरान्त भी अनियमित हो रहे भुगतान की धनराशि की सम्बंधित तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारियों से की जानी चाहिए, जब तक कि अनियमित भुगतान की धनराशि देनी बन्द न कर दी जाए । (मूल आपत्ति संख्या-18)	—	1,07,756.00	107756.00

जनपद –कानपुर देहात मण्डल–कानपुर जिला पंचायत–कानपुर देहात

प्रस्तर संख्या–1

उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 2967/11/32-2-2002-15 की 104/ 02 दिनांक 07.10.2002 के अनुसार जिला पंचायत द्वारा मृत्यु पशु निस्तारण से प्राप्त आय का 50% भाग जनपद की ग्राम पंचायत को प्रदान किया जाना चाहिये था। विगत तीन वर्ष 12-13 13-14 व 14-15 में जिला पंचायत द्वारा उक्त मद में 50% अर्थात् 1160663 की धनराशि ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित न कर अनियमितता की गयी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या–2

जिला पंचायत कानपुर देहात के स्वीकृत आदेश दि० 15.07.14 के क्रम में श्री कृष्णदेव चतुर्वेदी के पक्ष में माननीय उच्च न्यायालय के पूर्व पारित आदेश पर तहसीलदार अकबरपुर कानपुर देहात के पत्र संख्या 1054/वा.न०/ बसूली –2014 दि० 09.07.14 द्वारा तथा उप श्रमायुक्त उ०प्र० कानपुर देहात क्षेत्र द्वारा बसूली प्रमाणपत्र अंकित धनराशि पर 9% ब्याज तथा कोर्ट व्यय सहित दि० 16.07.14 को रु 755479.37 का भुगतान बैंक ड्राफ्ट संख्या 48710 दि०-23.07.14 द्वारा तहसीलदार अकबरपुर कानपुर देहात को निम्न विवरण के अनुसार किया गया है।

1. बकाया धनराशि—664142.00
2. दि० 08.01.13 से 16.07.14 तक का 9% ब्याज—90837.37+500.00
3. कोटिब्याज— योग— 755479.37

उक्त बाद से सम्बंधित पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने से जांच व भुगतान कि पुष्टि नहीं की जा सकी। यदि श्री कृष्णदेव चतुर्वेदी का भुगतान समय से कर दिया गया होता तो ब्याज रु०-90837.37 व कोर्ट व्यय रु-500 कुल रु 91337.37 से संस्था की हानि नहीं होती संस्था को हुयी हानि रु० 91337.37 की ब्याज सहित बसूली सम्बंधित पक्ष से की जानी अपेक्षित है।

जनपद—औरैयामण्डल—कानपुरजिला पंचायत—औरैया**प्रस्तर—1**

निम्न ठेकेदारों/फर्मों को उनके हैसियत चरित्र प्रमाण पत्र की वैधता तिथि समाप्त हो जाने के बाद भी उनको निर्माण कार्यों का ठेका दिया गया है जो अनियमित रहा।

क्रम सं०	ठेकेदारों का नाम	हैसियत प्रमाण पत्र की वैधता समाप्ति तिथि	चरित्र प्रमाण पत्र की वैधता समाप्ति तिथि	ठेके की धन राशि
1.	मै. बेबी इंटर प्राइजेज	16.05.2014	09.04.2014	15,99,400.00
2.	मै. किसान ट्रेडर्स	16.11.2014	10.01.2015	27,74,445.00
3.	मै. तनवीर खाँ	16.09.2014	19.12.2013	39,25,580.00
4.	मै. शरीफ खाँ	20.07.2013	01.09.2014	96,05,925.00
5.	मै. अमर सिंह	09.08.2014	29.08.2012	1,26,26,66.00
योग				3,05,32,012.00

उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या 8)

प्रस्तर—2

जिला पंचायत औरैया के लाइसेन्स शुल्क मांग वसूली रजिस्ट्रारों की जांच में पाया गया कि दिनांक 31.03.2015 को निम्न संस्थाओं पर लाइसेन्स शुल्क का वसूली हेतु शेष था।

क्र०सं०	विकास खण्ड का नाम	ईट भट्टों से बकाया	पवर मिलों से बकाया	दुकानों से बकाया
1.	भाग्य नगर	6000.00	4900.00	1450.00
2.	औरैया	2000.00	1500.00	14210.00
3.	अजीतमल	26500.00	1300.00	7525.00
4.	विधूना	16500.00	11600.00	6060.00
5.	ऐरवाकटरा	—	—	9260.00
6.	अछल्दा	26500.00	5500.00	2450.00
	योग	77500.00	24800.00	40955.00

इस प्रकार जिला पंचायत के वसूली विभाग की शिथिलता के कारण लाइसेन्स शुल्क का रुपया 143255.00 वसूली हेतु शेष रहा। इस बकाया की वसूली न करने की लिए उत्तरदायी कार्मिकों के विरुद्ध

अनुशासनात्मक कार्य वाही की जानी अपेक्षित है साथ ही उक्त बकाया की अविलम्ब ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-3

जिला पंचायत औरैया की दुकानों पर दिनांक 31.03.2015 को निम्न विवरण के अनुसार किराया वसूल करना शेष रहा-

क्रमांक	बाजार का नाम	दुकान की क्रमांक	दुकान मालिक का नाम	बकाया की अवधि	दर प्रति माह	बकाया की धन राशि
1.	जिला पंचायत बाजार, अयाना रोड, मुरादगंज	1	श्री रमेश बाबू एस/ओ0 श्री रघुनंदन लाल	1 / 15 से 3 / 15	200 / -	600.00
		2	श्री प्रदीप कुमार एस/ओ0 श्री नरायन	6 / 14से 3 / 15	200 / -	2000.00
		3	श्री रामकिशोर एस/ओ0 श्री तुलसीदास	6 / 13से 3 / 15	200 / -	4,400.00
		4	श्री अशोक कुमार एस/ओ0 श्री विशम्भरदयाल	11 / 14से 3 / 15	200 / -	1,000.00
		5	श्री पंकज एस/ओ0 श्री राजकुमार	8 / 14से 3 / 15	200 / -	1,600.00
		6	श्री बलराम सिंह एस/ओ0 श्री जगदीश सिंह	4 / 14से 3 / 15	200 / -	2,400.00
		7	श्री राम किशोर एस/ओ0 श्रीरामसेवक	4 / 14 से 3 / 15	200 / -	4,800.00
		8	श्री मनोजकुमार एस/ओ0 श्री अहिवरन सिंह	6 / 14से 3 / 15	200 / -	2,000.00
		9	श्री राम बिहारी एस/ओ0 श्री पंचमलाल		133 / -	3,688.00
		10	श्री पुत्तू सिंह एस/ओ0 श्री बलराम सिंह	4 / 14से 3 / 15	133 / -	1,596.00
		11	श्री आशुतोष एस/ओ0 श्री रमेश चन्द्र	1 / 15से 3 / 15	266 / -	798.00
		12	श्री राम लखन एस/ओ0 श्री रामशंकर	12 / 14से 3 / 15	133 / -	532.00
		13	श्री वीरेंद्र सिंह	12 / 14से	133 / -	532.00

		14	एस/ओ० श्री भारत सिंह श्री नरेश कुमार एस/ओ० श्री रघुनंदन लाल	3/15 4/14से 3/15	133/—	1,596.00
		15	श्री सुनील कुमार एस/ओ० श्री वेद प्रकाश	2/14से 3/15	133/—	1,862.00
		16	श्री राधे श्याम एस/ओ० श्री रामनाथ	9/14से 3/15	133/—	931.00
		17	श्री कमलेश कुमार एस/ओ० श्री रामनाथ	10/14से 3/15	133/—	798.00
2	आयुर्वेद चिकित्सालय के सामने, मुरादगंज	2	श्रीसत्य वीर सिंह एस/ओ० श्री शिवराम	3/15	242/—	242.00
		3	श्री सुशील कुमार एस/ओ० श्री हाकिम सिंह	1/15से 3/15	133/—	399.00
		4	श्री सुनील कुमार एस/ओ० श्री हाकिम सिंह	1/15से 3/15	133/—	399.00
3	इटवा कानपुर रोड, मुरादगंज	1	श्री राजेश कुमार एस/ओ० श्री राम बाबू	4/14 से 3/15	200/—	2,400.00
		2	श्री राजेश कुमार एस/ओ० श्री राम बाबू	4/14 से 3/15	200/—	2,400.00
		3	कोई विवरण अंकित नहीं			
		4	श्री रामेश चन्द्र एस/ओ० श्री सूरज प्रसाद	4माह	165/—	6,600.00
		5	श्री सतीश चन्द्र एस/ओ० श्री गुरु दयाल	5/14 से 3/15	165/—	1,815.00
		6	श्री राम शंकर एस/ओ० श्री नाथुराम	12/14 से 3/15	165/—	660.00
		7	श्री राम नरेश एस/ओ० बनवारी लाल	11/14 से 3/15	165/—	825.00
		8	श्रीमती लक्ष्मी देवी	11/14 से	165/—	825.00

		9	डब्ल्यू/ओ० राम नरेश श्री मुन्ना बाबू एस/ओ० श्री जगदीश चन्द्र	3 / 15 8 / 14 से 3 / 15	248 / —	1,984.00
		10	श्री मनोज कुमार एस/ओ० श्री रमेश चन्द्र	1 / 15 से 3 / 15	165 / —	495.00
		11	श्री भगवानदास एस/ओ० श्री रघुनंदन लाल	1 / 15से 3 / 15	165 / —	495.00
4	कृषि फार्म गेट के सामने	1	श्री जमील एस/ओ० श्री वजीर बक्स	9 / 14से 3 / 15	148 / —	1,036.00

5	जिला पंचायत मार्केट, फफूंदर रोड मुरादगंज	1	श्री राजेंद्र प्रसाद शुक्ल एस/ओ० श्री गोपीनाथ	10 / 14से 3 / 15	250 / —	1,500.00
		2	श्री बृजेन्द्र सिंह एस/ओ० श्री तिलम सिंह	12 / 13से 3 / 15	150 / —	3,950.00
		3	श्री शीभा राम एस/ओ० श्री श्रीराम	1 / 15से 3 / 15	250 / —	750.00
		4	श्री सुनील कुमार एस/ओ० श्री अशोक कुमार	12 / 14से 3 / 15	250 / —	1,000.00
		5	श्री संतोष कुमार एस/ओ० श्री राम शंकर	9 / 14से 3 / 15	250 / —	1,750.00
		6	रमेश चन्द्र एस/ओ० श्री नरायण प्रसाद	11 / 14से 3 / 15	250 / —	1,250.00
		7	श्री निर्भय सिंह एस/ओ० श्री अकबर सिंह	11 / 14से 3 / 15	250 / —	1,250.00
		8	श्री राम मिलन एस/ओ० श्री बल देव प्रसाद	9 / 14से 3 / 15	250 / —	1,750.00
		9	श्री राम मिलन	9 / 14से	250 / —	1,750.00

		10	एस/ओ० श्री बल देव प्रसाद श्री मुन्नाखाँ एस/ओ० उस्मान खाँ	3/15 11/14से 3/15	250/—	1,250.00
		11	श्री प्रमोद कुमार एस/ओ० श्री पंछी लाल	11/14से 3/15	250/—	1,250.00
		12	रमेश चन्द्र एस/ओ० श्री मन्नी लाल	मार्च 15 तक	150/—	4,900.00
		13	श्री प्रवीण कुमार एस/ओ० श्री जगदीश नारायण	22 माह 7/14से 3/15	200/— 250/—	2,250.00
		14	लक्ष्मी नारायण एस/ओ० श्री शिव नारायण	5/14से 3/15	250/—	2,750.00
		15	श्री आनंद कुमार एस/ओ० श्री लक्ष्मी नारायण	मार्च 15	250/—	250.00
		16	श्री सागर कुमार एस/ओ० श्री राम सागर	मार्च 15	300/—	300.00
		17	श्री राजीव कुमार एस/ओ० श्री जगत नारायण	1/13से 3/15	200/—	5,400.00
6	जिला पंचायत इंटर कालेज के सामने, मुरादगंज	1	श्री जय वीर सिंह एस/ओ० श्री ओम प्रकाश	12/14से 3/15	300/—	1,200.00
		2	श्री सच्चिदा नन्द एस/ओ० श्री कृष्ण गोपाल	8/14से 3/15	300/—	2,400.00
		3	श्री प्रवीण कुमार एस/ओ० श्री नित्यानन्द	8/14से 3/15	300/—	2,400.00
		4	श्री अशोक कुमार एस/ओ० श्री सुख वासी लाल	7/14से 3/15	300/—	2,700.00

		5	श्री राशिद एस/ओ0 श्री रिया सुदीन	7 / 14से 3 / 14	300 /—	2,700.00
		6	श्री सत्य प्रकाश एस/ओ0 श्री सुरेश चन्द्र	1 / 15से 3 / 15	300 /—	900.00
		7	श्री उमेश कुमार एस/ओ0 श्री मन्नी लाल	10 / 14से 3 / 15	300 /—	1,800.00
		8	श्री बृजेश बाबू एस/ओ0 श्री राम बाबू	4 / 14से 3 / 15	300 /—	3,600.00
		9	श्री सनि उल्लाह एस/ओ0 श्री शरीफ खाँ	2 / 14से 3 / 15	300 /—	4,200.00
		10	श्री आरिफ खाँ एस/ओ0 श्री सलीम खाँ	2 / 14से 3 / 15	300 /—	4,200.00
		11	श्री मुहम्मद शकील एस/ओ0 श्री बकरीद खाँ	1 / 14से 3 / 15	300 /—	4,500.00
		12	श्री पलीनु दीन एस/ओ0 श्री अल्लादिया	मार्च 15 तक	300 /—	6,000.00
		13	श्री राजेंद्र कुमार एस/ओ0 श्री राधे लाल	20 मार्च 12 / 14से 3 / 15	300 /—	1,200.00
योग						1,22,808.00

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि जिला पंचायत की दुकानों से किराया की नियमित वसूली नहीं की जा रही है। यह स्थिति संस्था के आर्थिक हितों के अनुकूल नहीं है। उक्त बकाया किराए की तत्परता पूर्वक वसूली कर संस्था की दुकानों से नियमित किराए की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या 16)

प्रस्तर-4

वर्ष में निम्न कार्यों के स्टीमेंट में दर्शित लंबाई वास्तविक कार्य की लंबाई में अंतर में पाया गया है स्टीमेंट में दर्शित लंबाई का कार्य कराया गया है, फिर भी भुगतान स्वीकृत धनराशि के अनुरूप ही किया गया है। विवरण निम्नवत है—

क्रमांक	कार्य का नाम	स्टीमेंट में स्वीकृत धनराशि	स्टीमेंट में स्वीकृत लंबाई	वास्तविक कार्य की लंबाई	व्यय की गयी धन राशि
1	विकास खंड अजीत मल में ग्राम लक्ष्मण पुर मेंडामर रोड से रवींद्र के घर तक सी0सी0 कार्य	10 लाख	330मी0	310मी0	997778.00
2	विकास खंड औरैया में ग्राम गुदड़ी मेंडामर रोड से राम औतर के घर तक सी0सी0 वनाली निर्माण कार्य	10लाख	320मी0	280मी0	997905.00
3	विकास खंड औरैया में ग्राम क्योटरा में राम कुमार शुक्ल के घर से यमुना रोड तक सी0सी0 वनाली निर्माण कार्य	10 लाख	360मी0	321मी0	996500.00
4	विकास खंड औरैया में ग्राम खानपुर	8.50 लाख	130 मी0	115 मी0	849150.00
	में शाकिर के घर से मुस्तकीम के घर तक सी0सी0 वनाली कार्य				
योग		38,50,000.00	1140मी0	1026मी0	38,41,333.00

उक्त व्ययों के संबंध में निम्न आपत्तियाँ हैं—

- उत्तर प्रदेश लोक निर्माण के विभाग के आदेश संख्या— 7399 एम0टी0/ सामान्य वर्ग/ 60 एम0टी0/2008 दिनांक 16.9.2008 के अनुसार निर्माण कार्य स्थल का विस्तार से निरीक्षण कर प्रारम्भिक आगणन बनाया जाना चाहिए। किन्तु उक्त कार्यों की पत्र वालियों में अवर अभियंता की कार्य से पूर्व की निरीक्षण रिपोर्ट व कार्य के पूर्व की कार्य स्थल की फोटो संलग्न ही है। जिस से ज्ञात न हो सका कि कार्य स्थलों पर पूर्व में कोई निर्माण कार्य था अथवा नहीं।
- उक्त स्थलों का विगत पाँच वर्षों में जन पद की अन्य निर्माण कार्य इकाइयों यथा क्षेत्र पंचायत, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग, समाज कल्याण विभाग, लोक निर्माण विभाग अथवा ग्राम

पंचायत द्वारा कोई निर्माण कार्य नहीं कराया गया है का प्रमाण पत्र संदर्भित निर्माण इकाइयों से प्राप्त नहीं किया गया है।

- पत्र वालियों में एम0एम0 11 फार्म संलग्न होने से ज्ञात न हो सका कि प्रयुक्त भू सम्पदा पर राजकीय रायल्टी का भुगतान किया गया अथवा नहीं।
- आगणन में कुल 1140 मी0 लबाई में निर्माण कार्य कराया जाना प्राविधानित था जब कि वास्तव में मी0 1026 लबाई पर ही निर्माण कार्य कराया गया। इस प्रकार 114 मी0 निर्माण कार्य कम कराया गया, जब कि भुगतान स्वीकृत लागत के अनुरूप ही किया गया।
- कार्य पूर्ण होने पर कार्यों की गुणवत्ता जांच हेतु लैब टेस्टिंग न ही कराई गयी। ऐसी स्थिति में कार्यों के अधोमान कहो होने से इंकार नहीं किया जा सकता।
- कार्य पूर्ण होने पर अभियंता अवर अभियंता की सत्यापन रिपोर्ट पत्रावलियों में संलग्न नहीं है।
- स्लैब के नीचे 125 माइक्रो नथिकनेस की में बरेन का प्रयोग नहीं किया गया है। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि निर्माण कार्यों में व्यापक पैमाने पर अनियमितता की गयी है जिसके लिए तत्कालीन अभियंता, अपर मुख्य अधिकारी व वित्तीय परामर्शदाता उत्तदायी है। जिनके विरुद्ध नियमानुसार विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या 21)

प्रस्तर-5

उत्तर प्रदेश सरकार के नोटिफिकेशन संख्या-1411/36-2-2009-251 (एम0एम0)/95, लखनऊ दिनांक 20.11.2009 जो कि भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्त विनियमिती) अभिनियम 1966 तथा तद् विषयक उत्तर प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण एवं कर्म कार (नियोजन एवं सेवा शर्त विनियमन) नियमावली 2009 के प्रयोजनार्थ उपकर निर्धारण एवं उपकर संग्रह अधिकारी द्वारा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य की लागत का 1% की दर से श्रम उपकर वसूल कर धन राशि उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्म कार कल्याण बोर्ड में जमा किया जाना है इस 1% श्रम उपकर की धन राशि को ठेकेदारों के बिलों से आयकर की भांति एवं उसी भावना से काटा जाना है। वर्ष 2014-15 में जिला पंचायत औरैया में उक्त श्रम उपकर की कटौती ठेकेदारों के बिलों से न कर बिलों में 1 % श्रम उपकर अतिरिक्त जोड़कर एवं इसी राशि की कटौती कर वर्ष में कुल रु0 7,693,00.00 कर्म कार कल्याण बोर्ड में जमा किया गया है। इस प्रकार बिलों की राशि को रु0 7,69,300.00 से बढ़ाकर एवं इसी की कटौती दर्शाकर जिला पंचायत को रु0 7,69,300.00 की आर्थिक क्षति पहुंचायी गयी है जिसके लिए जिला पंचायत में कार्यरत है। लेखाकार श्री होरी लाल एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री सुरेन्द्र कुमार वर्मा उत्तरदायी है। संदर्भित बिलों में उक्त अनियमित लेखा होने के बावजूद बिलों पर तत्कालीन वित्तीय परामर्श दाताओं द्वारा प्रतिकूल टिप्पणी न किया जाना उक्त अनियमितता में उनका भी शामिल होना दर्शाता है। अतः जिला पंचायत को पहुंचाई गयी आर्थिक क्षति रु0 7,69,300.00 की क्षति पूर्ति तत्कालीन लेखाकार श्री होरी लाल, अपर मुख्य अधिकारी श्री सुरेन्द्र कुमार वर्मा, वित्तीय परामर्शदाता श्री अशेष चन्द्र शर्मा व श्री बृजेश कुमार शुक्ल से धनराशि की संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या 22)

प्रस्तर-6

वर्ष में राजकीय अनुदान खातों पर जिला पंचायत औरैया को निम्न विवरण के अनुसार ब्याज प्राप्त हुआ है—

1	राजवित्त आयोग अनुदान खाता पर ब्याज	20,94,156.00
2	तेरहवें वित्त आयोग अनुदान खाता पर ब्याज	23,04,062.00
3	मनरेगा अनुदान खाता पर ब्याज	12,297.00
	योग	44,10,515.00

संदर्भित अनुदानदाता संस्थाओं के निर्देशानुसार उन के द्वारा प्रदत्त अनुदान पर वर्ष में अर्जित ब्याज जिला पंचायत द्वारा वर्षान्त में उन को वापस कर दिया जाना चाहिए किन्तु जिला पंचायत औरैया में उक्त ब्याज आतिथितक संदर्भित संस्थाओं को वापस नहीं किया गया है जो निर्देशों के विपरीत रहा। अविलंब उक्त ब्याज संदर्भित संस्थाओं को वापस किया जाना अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में उत्तरदायी के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या 23)

प्रस्तर-7

वर्ष 2014-15 की निर्माण कार्य पत्रावली संख्या 679 जो विकास खण्ड औरैया में ग्राम सरइया में क्योतरा संपर्क मार्ग से श्री बालक राम दूबे के घर होते हुये श्री राम कृष्ण सविता के घर तक नगर बस्ती में सी0सी0 वनाली निर्माण कार्य से संबन्धित है की जांच में निम्न आपत्तियाँ पायी गयी।

- उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग के आदेश संख्या 7399 एम0टी0/सामान्य वर्ग/60 एम0टी0/2008 दिनांक 16.09.2008 के अनुसार निर्माण कार्य स्थल का विस्तार से निरीक्षण कर प्रारम्भिक आगणन बनाया जाना चाहिए, किन्तु उक्त पत्रावली में अवर अभियंता की कार्य से पूर्ण की निर्माण कार्य स्थल की विस्तृत सर्वे रिपोर्ट एवं कार्य के पूर्ण की कार्य स्थल की फोटो संलग्न नहीं है।
- अवर अभियंता द्वारा प्रस्तुत कार्य स्थल के नागरी नक्शा में कार्य स्थल की कार्य के पूर्व की स्थिति नहीं दर्शायी गयी है जब कि भुगतान बिल में रु0 22590.00 पुरानी ईंटों का मूल्य समायोजित किया गया है। स्पष्ट है कि कार्य स्थल में ग्राम पंचायत का खंडजा स्थित था।
- प्राक्कलन में 68 मीटर लंबाई पर 0.75 मी0 ऊंचाई में मिट्टी पुराई का प्रावधान किया गया है जब कि कार्य स्थल में खंडजा स्थित था, ऐसी स्थिति में मिट्टी पूराई पर व्यय का प्रावधान एवं इस पर किया गया व्यय अनियमित रहा।
- चूंकि निर्माण कार्य ग्राम पंचायत सर इया में कराया गया है। अतः ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र अपेक्षित था जो नहीं लिया गया है।
- चूंकि कार्य स्थल पर पूर्व में ग्राम पंचायत का खंडजा निर्मित था। अतः ग्राम पंचायत से सम्पत्ति का हस्तांतरण होने के बाद ही उस स्थल पर निर्माण कार्य कराया जाना चाहिये किन्तु ग्राम पंचायत से सम्पत्ति का हस्तांतरण हुये बिना ही निर्माण कार्य कराया गया जो अनियमित रहा।
- ग्राम पंचायत की सम्पत्ति के मूल्य का आंकलन कर सम्पत्ति का मूल्य ग्राम पंचायत को भुगतान किया जाना चाहिये जो नहीं किया गया।

- पत्रावली में प्रपत्र एम0एम011 संलग्न नहीं है जिस से निर्माण कार्य में प्रयुक्त खनिज सम्पदा की आपूर्ति की पुष्टि नहीं की जा सकी।
- पत्रावली में निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद की फोटो संलग्न नहीं है।
- अभिलेखों में कार्य प्रारम्भ समाप्ति की तिथि अंकित नहीं है।
- खनिज सम्पदा पर भुगतान की गयी रायल्टी की रशीद पत्रावली में संलग्न नहीं हैं।
- कार्य की परिमाप पुस्तिका लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं की गयी है।

इन तथ्यों से उक्त निर्माण कार्य पर दर्शित व्यय रु0 7,98,200.00 संदिग्ध प्रतीत हुआ। अतः संदिग्ध कार्य पर दर्शित व्यय रु0 7,98,200.00 अवर अभियंता श्री विजय कुमार पटेल, प्रभारी अभियंता श्री योगेंद्र कुमार दविवेदी, लेखाकर श्री होरी लाल, वित्तीय परामर्शदाता श्री बृजेश कुमार शुक्ला एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री सुरेन्द्र कुमार वर्मा से संयुक्त रूप से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या 24)

प्रस्तर-8

वर्ष में जिला पंचायत औरैया में निर्माण कार्यों पर निम्न विवरण के अनुसार खनिज सम्पदा का उपभोग किया जाना दर्शाया गया है—

क्र०	प्र० सं०	दिनांक	कार्य का विवरण	सीमेंट, बालू व ईट रोड़ा 1:4:8	सीमेंट व मौरंग 1:	सीमेंट, बालू व ईट रोड़ा 1:6:12	सीमेंट, मौरंग व स्टोन ग्रेट 1:2:4	सीमेंट व बालू 1:4	कुल व्यय	श्रम उपकरण की राशि
1	60	26.07.2014	विकास खण्ड औरैया में बरवटपुर में गणेश सिंह के मकान से ओम प्रकाश के चौबे के मकान तक सी0सी0 वनाली कार्य	—	12.73	44.14	40.67	81.70	3,98,000.00	3,943.00
2	61	26.07.2014	विकास खण्ड औरैया में ग्राम मकसौली में असेवरा	—	9.15	33.50	32.31	—	2,99,000.00	2,963.00

			संपर्क मार्ग से प्रचीन देवी मंदिर तक सी0सी0 कार्य							
3	62	26.07.2014	वि0ख0 अजीत मल मे ग्राम सबलपुर मे पुता नीभुर्जी के मकान से रगेन्द्र वकील के घर तक सी0सी0 व नाली	—	6.94	50.04	44.45	31.25	3,99,300.00	3,95,00.00
4	67	26.07.2014	वि0ख0 औरैया मे ग्राम बलपुर मे महेन्द्र सिंह से गर के मकान से तिलक सिंह पाल के मकान तक सी0सी0 कार्य	—	26.63	111.11	107.14	53.00	9,96,885.00	9,880.00
5	68	26.07.2014	वि0ख0 औरैया मे ग्राम महमूद पुर मे विनोद यादव के घर से राम प्रकाश नागर की गली मे सीसी0 व नाली	—	46.93	109.67	102.36	327.40	9,96,100.00	9,864.00

6	69	26.07.2014	वि०ख० औरैया मे ग्राम किशनपुर मे पक्की सड़क से जगत सिंह वराम अवतार के घर तक सी०सी० व नाली	—	18.78	114.06	109.28	211.25	9,66,700.00	9,580.00
7	18	19.08.2014	वि०ख० अछल्दा मे ग्राम रामपुर मे वाहिद खाँ के घर से हामिद खाँ के घर तक सी०सी० व नाली कार्य	—	13.70	59.75	60.36	48.00	5,15,000.00	5,099.00
8	19	19.08.2014	वि० ख० एरवाकटरा मे ग्राम कटरा मे श्री कृष्ण यादव के मकान से गोपी यादव के मकान तक सी०सी० व नाली	—	9.36	49.29	50.61	—	4,49,200.00	4,457.00
9	20	19.08.2014	वि०ख० भाग्य नगर मे ग्राम बूढ़ा दाना मे राम किशन के घर से राम	—	17.34	55.96	55.78	61.50	4,91,900.00	4,895.00

			अवतार के घर तक सी0सी0 व नाली							
10	21	19.08.2014	वि0ख0 भाग्य नगर मे कंचौसी मुख्य मार्ग तिराहे से असीन खाँ के घर तक सी0सी0 व नाली	—	25.08	120.85	118.84	26.25	9,98,200.00	9,895.00
11	22	19.08.2014	वि0ख0 औरैया मे ग्राम तिवर लालपुर मे गिरधर की दुकान से राम शंकर के घर तक	—	25.14	111.98	117.68	138.00	9,83,800.00	9,743.00
12	23	19.08.2014	वि0ख0 अजीत मल मे जुआ भीखेपुर मार्ग से ककरई चाँद पुर मे महेश परिहार के घर तक से जय नारायण के घर तक सी0सी0 वनाली	—	9.37	46.48	47.61	43.45	4,19,500.00	4,155.00
13	24	19.08.2014	वि0ख0 सहार मे ग्राम	—	33.65	120.52	112.13	61.97	9,96,900.00	9876.00

			सहायल मे नजमा के घर से जाकिर के घर तक सी0सी0.व नाली							
14	25	19.08.2014	वि0ख0 औरैया मे ग्राम चीरु हली मे डामर रोड से आन्सर के घर तक सी0सी0 व नाली	—	76.12	82.30	73.23	202.40	9,75000.00	9702.00
15	26	19.08.2014	वि0ख0 सहार मे पूर्वारा वत मे गलियों का निर्माण	—	75.68	86.28	85.13	230.88	9,99300.00	9900.00
16	27	25.08.2014	वि0ख0 औरैया मे जिला पंचायत कार्यालय मे अनुरक्षण कार्य	—	59.64	—	41.26	1051. 23	9,92300.00	9830.00
17	28	25.08.2014	वि0ख0 औरैया मे रोषगपुर मे नाली निर्माण	—	179.43	53.55	30.85	393.50	9,96500.00	9873.00
18	29	25.08.2014	वि0ख0 औरैया मे कस्बा खाँ पुर में	—	9.04	68.16	70.93	102.10	5,47288.00	5429.00

			औरैया जालौन रोड से हाफिज की दुकान से प्राथमिकस्वा स्थ केंद्रतक सी0सी0 व नाली							
19	22	10.09.2014	वि0ख0 औरैया मे ग्राम आनेपुर मे जगत नारायण के घर से राम सिंह के घर तक सी0सी0 व नाली	.—	44.92	103.17	106.81	307.80	9,93300.00	9842.00
20	23	10.09.2014	वि0ख0 औरैया मे भड़ारीपुर डामर रोड से अवध बिहारी के घर तक सी0सी0 व नाली	—	11.78	54.01	49.17	79.90	4,97700.00	4928.00
21	24	10.09.2014	वि0ख0 औरैया मे ग्राम तालेपुर मे कब्रिस्तान के समाने से डामर रोड से मस्जिद तक सी0सी0 व नाली	—	17.34	71.57	68.17	78.00	5,97700.00	5921.00
22	57	20.10.2014	वि0ख0	—	38.42	110.75	108.30	134.00	9,99100.00	9894.00

			सहार के ग्राम सींगपुर मे डामर रोड से ओम प्रकाश के घर तक सी0सी0 व नाली							
23	58	20.10.2014	वि0ख0 औरैया मे केशमपुर मे सेव राम के घर से सुरेन्द्र के घर तक सी0सी0 व नाली कार्य	—	36.11	118.22	106.63	218.85	9,89310.00	9800.00
24	59	20.10.2014	वि0ख0 विधुना के ग्राम महरदु मे अवशेष मार्ग सी0सी0	—	—	82.95	88.56	—	88955.00	8808.00
25	25	18.11.2014	वि0ख0 औरैया मे कल्हुपुर मे बेचे लाल पाल के घर से गिरेन्द्रदिवा कर के घर तक सी0सी0 व नाली	—	33.55	80.62	95.07	95.10	9,98,100.00	9893.00
26	26	18.11.2014	वि0ख0 औरैया मे कस्बा खान पुर मे ' शकीर	—	15.50	7.19	57.07	37.50	8,52300.00	8439.00

			बाजे वाले के घर से मुश्तकीन के घर तक सी0सी0							
27	27	18.11.2014	वि0ख0 औरैया मे कस्बा खान पुर मे नईबस्ती मे भूरे मिस्त्री के घर से नन्हें दूध वाले के घर तक इंटर लॉकिंग	—	15.15	7.19	48.70	62.50	7,98000.00	8028.00
28	28	10.09.2014	वि0ख0 औरैया मे ग्राम गोहना मे सी0सी0	—	14.93	42.65	40.46	—	4,99500.00	4953.00
29	29	10.09.2014	वि0ख0 औरैया ग्राम मे राहतपुर मे इंटर कालेज के पीछे से प्रमोद चौधरी के घर तक सी0सी0 व नाली	—	16.23	53.83	55.13	55.00	5,74100.00	5690.00
30	30	10.09.2014	वि0ख0 औरैया ग्राम जैलपुर मे राम नजर के घर से सामुदायिक सी0सी0	—	23.16	65.52	72.30	53.00	7,59500.00	7524.00
	31	18.11.2014	वि0ख0	—	19.21	85.02	94.49	94.90	9,99700.00	9900.00

31			औरैया मे ग्राम ककरैया मे डामर रोड से राजीव पाल के घर तक सी0सी0							
32	32	18.11.2014	वि0ख0 सहार मे ग्राम किशन पुर मे सुरेश के घर से मुंशी बाबा की कुटिया तक सी0सी0	—	16.10	55.70	55.46	—	6,0990.00	6100.00
33	33	18.11.2014	वि0ख0 सहार में करौंधा मे सूखम पूर कीम डैया सड़क मार्ग पर लेपन कार्य	—	—	—	—	—	998200.00	9887.00
34	34	18.11.2014	वि0ख0 औरैया मे नवलपुर मे मिहौली संपर्क मार्ग से तलब तक व अजब सिंह के घर तक सी0सी0 व नाली	—	15.18	58.26	54.62	95.40	5,97400.00	5922.00
35			वि0ख0 औरैया मे	—	30.69	117.52	113.42	158.02	9,95400.00	9861.00

			ग्राम भगवती सरइया मे सुमित नारायण के घर से सोबन के घर के कुशवाहा के घर तक सी0सी0 व नाली							
36	36	05.12.2014	वि0ख0 औरैया मे ग्राम से गनपुर मे भिखेपुर जुही खाँ मार्ग से महेंद्र यादव के घर तक सी0सी0 व नाली	—	18.56	80.92	90.16	95.40	8,96700.00	8890.00
37	37	05.12.2014	वि0ख0 अजीतमल मे मुरादगंज भीखेपुर मार्ग से पंचायत घर के बगल से फकीर मो0 चौक तक सी0सी0 व नाली	—	20.63	75.34	90.85	83.55	9,05000.00	8970.00
38	38	05.12.2014	वि0ख0 अजीत मल मे कस्बा जाना मे सलाउद्दीन फौजी के	—	37.62	54.69	85.83	96.10	8,83000.00	8751.00

			घर से ईश्वरी पाण्डेय के तक सी0सी0 व नाली							
39	11	05.12.2014	देईपुर कटराछिबरा मऊ संपर्क मार्ग से ब्रिजराज सिंह के घर से छमदी सिंह के खेत तक सी0सी0 व नाली	—	33.64	69.17	64.33	86.00	6,81400.00	6757.00
40	12	05.12.2014	वि0ख0 विधुनामें ग्राम मढहा माही मे अनंत राम कहार के दरवाजे से सी0सी0 व नाली	—	12.78	60.48	58.58	75.20	523700.00	5187.00
41	13	05.12.2014	वि0ख0 औरैया मे ग्राम जमालीपुर मे डामर रोड से विजय सिंह के घर से मुलायम के घर तक संपर्क फार्म सी0सी0 व नाली	—	26.88	70.19	80.86	84.80	846000.00	8390.00
42	14	05.12.2014	वि0ख0	—	16.02	2.97	4.81	38.70	08,47,500.00	8,412.00

			औरैया मे कस्बा खान पुर मे नयी बस्ती मे ' शरीफ मिस्त्री के घर से मुन्ना दारोगा के घर तक ई0ला0 कार्य							
43	15	05.12.2014	वि0ख0 औरैया मे ग्राम स्वरूप नगर मे डामर रोड से सीता राम के घर से भानुप्रताप के घर तक सी0सी0 व नाली कार्य	—	28.52	90.83	89.29	—	09,99,200.00	9,898.00
44	16	05.12.2014	वि0ख0 औरैया मे सैन्यपुर मे डामर रोड से सुरेश के घर तक सी0सी0 व नाली कार्य	—	23.46	91.76	87.05	38.40	09,79,100.00	9,700.00
45	17	05.12.2014	वि0ख0 सहार मे ग्राम पुर वारा वत मे ईद गाह डामर रोड के बगल से विमला देवी के घर तक	—	20.43	71.75	76.18	73.50	08,79,000.00	8,712.00

			सी0सी0 व नाली							
46	18	05.12.2014	वि0ख0 औरैया मे ग्राम चपटा मे मर रोड से मुन्ना के घर तक व अमर सिंह के घर से सुनील के घर तक सी0सी0 व नाली	—	22.48	87.53	85.96	143.10	09,43,700.00	9,349.00
47	19	05.12.2014	वि0ख0 अछल्दा मे ग्राम लखुरिया मे राज पाल सिंह के घर से मुलायम सिंह के घर तक सी0सी0 व नाली	—	18.52	53.20	41.91	126.00	5,49,500.00	5,444.00
48	20	05.12.2014	वि0ख0 भाग्य नगर मे फफूंद बाई पास मार्ग पर लेपन कार्य	—	—	—	1723.63	—	5,98,100.00	5,928.00
49	41	05.12.2014	वि0ख0 औरैया मे ग्राम शहबा जपुर मेनुशरत अली के घर से मुकीम के घर तक	—	10.62	42.42	45.06	40.08	4,62,800.00	4,587.00

			व सहारम खाँ के घर से ' शंभू के घर तक सी0सी0 व नाली							
50	55	29.12.2014	वि0ख. औरैया मे औरैया जालौग मार्ग से मतीउल्ला के घर होते हुए छोटी ईद गाह तक ई0ला0 कार्य	—	17.76	04.47	56.26	152.45	9,98,700.00	9,987.00
51	56	29.12.2014	वि0ख0 औरैया ग्राम जरहौलिया मेदेवी मेदिर से नेचुरलना लेत कनाला निर्माण	15.84	—	—	44.35	—	3,99,700.00	—
52	57	29.12.2014	वि0ख0 अछल्दा मे ग्राम पसिया मे डामर रोड से मज्जानाय मंदिर होते हुए राधा जोगिन के घर तक सी0सी0 व नाली	—	11.50	27.22	31.06	75.60	3,49,300.00	—
53	58	29.12.2014	वि0खा अछल्दा मे ग्राम भाई पुर मे डामर	—	8.90	48.13	44.85	—	4,95,700.00	—

			रोड से बबा की पूलिया तक सी0सी0 कार्य							
54	59	29.12.2014	वि0ख0 औरैया मे पुराने औरैया जालौन मार्ग सेइन्डेन गैस गोदाम तक सी0सी0 व नाली	—	20.19	06.83	150.76	110.24	9,94,700.00	—
55	60	29.12.2014	वि0ख0 विधूना मे ग्राम नगला प्रसादी मे ज्ञान सिंह पाल के घर से डामर रोड तक सी0सी0 व नाली	—	18.37	87.84	94.22	196.00	9,99,900.00	—
56	31	23.01.2015	वि0ख0 औरैया मे ग्राम आनेपुर मे एन0एच 2 रोड से सहकारी समिति तक व जगराम सिंह के घर तक सी0सी0 व नाली	—	7.29	37.99	38.30	40.02	4,19,730.00	4,158.00
57	32	23.12.2015	वि0ख0 औरैया मे	—	31.50	87.85	83.63	—	10,00,000.00	9,924.00

			औरैया डिबियापुर डामर रोड से ग्राम सुरान मे नहर की पटरी पर दूधिया खेरामो तक सी0सी0वना ली							
58	33	23.12.2015	वि0ख0 औरैया मे ग्राम पुराखुर्द मे मुलायम भदौरिया के घर से कमलेश कुमार दोहरे के घर तक सी0सी0 व नाली	—	36.63	81.79	102.84	50.20	09,94,900.00	9,853.00
59	41	23.12.2015	वि0ख0 अजीत मल मे ग्राम बेलाझार मे पत्तापुरा डामर रोड से अनिल कुमार के घर तक सी0सी0 व नाली	—	18.64	45.67	59.34	53.50	5,99,700.00	5,938.00
60	51	28.01.2015	वि0ख0 अजीत मल मे ग्राम भरसान मे फूटा कुंवाडा मर	—	28.17	80.58	98.61	128.40	9,98,200.00	09,885.00

			रोड से अट्सू मार्ग पर सी0सी0 व नाली							
61	25	07.02.2015	वि0ख0 एरवा कटरा मे पुराने सी0सी0 रोड से युसुफ अली के घर तक सी0सी0 वनाली	—	19.31	61.49	67.47	204.70	7,17,925.00	7,111.00
62	26	07.02.2015	ग्राम सुनासी मे अनन्त राम मुरैना मार्ग से ईद गाह की पुलिया तक एवं आसाराम के घर से खलील के घर तक सी0सी0 वनाली	—	30.50	81.02	92.23	180.60	9,96,500.00	9,876.00
63	27	07.02.2015	वि0ख0 औरैया मे औरैया जालौन मार्ग से कस्बा खानपुर जाने वाले मार्ग पर पुलिया वरिटे निंगवाल निर्माण	—	93.00	50.25	50.90	2.90	9,88,800.00	9,899.00
64	28	07.02.2015	कस्बा	—	90.99	—	11.70	78.01	6,55,600.00	6,498.00

			खानपुर मे पैगंबर पुर संपर्क मार्ग पर आर0सी0 सी0 पुलिया निर्माण							
65	29	07.02.2015	ग्राम कुंभापुर मे ग्राम बिलियापुर मे डामर रोड से पुतान सिंह के मकान तक सी0सी0 व नाली	—	10.71	62.49	69.15	32.64	9,69,700.00	6,632.00
66	30	07.02.2015	ग्राम कुंभापुर मे डामर रोड से छबीर मकेम कान तक व डामर रोड से बहादुर सिंह केप्लट तक सी0सी0 वनाली	—	11.58	43.03	47.07	104.30	4,89,600.00	4,848.00
67	31	07.02.2015	वि0ख0 विधूना मे ग्राम पुरवा धनी मे प्रा0 पाठशाला से चरण सिंह के घर तक सी0सी0 व नाली	—	38.95	102.34	101.52	58.60	9,47,600.00	9,384.00

68	32	07.02.2015	वि०ख० औरैया मे ग्राम गुदरी मे डामर रोड से राम औतार के घर तक सी०सी० व नाली	—	31.14	88.83	88.45	50.40	9,97,900.00	9,895.00
69	30	03.03.2015	वि०ख० भाग्य नगर मे ग्राम बिंदपुर मे फफूद माईनगर नगर से मान सिंह राजपूत के दरवाजक होते हुए ' शकील के घर तक सी०सी० व नाली	—	20.05	73.68	69.99	86.10	7,59,500.00	7,522.00
70	39	03.03.2015	वि०ख० अछल्दा मे ग्राम लहतोरियो मे नेविलगंज बहारपुर मार्ग से कलक्टर सिंह के घर तक सी०सी० व नाली	—	11.03	62.48	57.31	36.39	5,99,500.00	5,939.00
71	40	03.03.2015	वि०ख० अछल्दा मे ग्राम	—	14.60	60.66	47.64	154.10	6,08,900.00	6,032.00

			नगलाराय सिंह मे डामर रोड से कैलाश के दरवाजे तक सी0सी0 व नाली							
72	41	03.03.2015	वि0ख0 औरैया मे ग्राम नौरी मे जगत पुर मई संपर्ग मार्ग से रघुवीर के मकान तक सी0सी0 व नाली	—	24.66	50.00	49.37	20.00	5,58,800.00	5,542.00
73	42	03.03.2015	वि0ख0 सहार मे अमौवाहार मे अंबेडकर पार्क पक्की सड़क सक सोबरन के घर तक सी.सी0 व नाली	—	5.05	31.40	24.40	19.60	2,98,700.00	2,959.00
74	43	03.03.2015	वि0ख0 अछल्दा मे ग्राम गढ़ वाना मे सी0सी0 व नाली	—	17.96	59.19	48.17	19.40	5,99,700.00	5,938.00
75	44	03.03.2015	वि0ख0 औरैया मे ग्राम पाकर पूर्व मे अयाना फरिहा मार्ग	—	19.87	69.10	72.43	—	7,86,000.00	7,785.00

			से गुमटी तक सी0सी0 कार्य							
76	45	03.03.2015	वि0ख0 औरैया मे गणेश कापुरवा मे डामर रोड से राजेंद्र पाल के दरवाजे तक सी0सी0 व नाली	—	17.96	60.60	53.12	—	6,19,700.00	6,138.00
77	46	03.03.2015	वि0ख0 औरैया मे ग्राम द्वारिका पुर मे प्रा0 पाठशाला से तहसीलदार के दरवाजे के तक सी0सी0 व नाली	—	19.19	82.64	86.52	68.40	8,47,300.00	8,407.00
78	47	03.03.2015	वि0ख0 औरैया मे ग्राम बसंत पुर मे डामर रोड से मंगल सिंह के दरवाजे तक सी0सी0 व नाली	—	24.32	65.86	68.27	92.42	7,19,600.00	7,126.00
79	48	03.03.2015	वि0ख0 अछल्दा मे ग्राम पाता मे राम चन्द्र	—	27.34	23.12	20.79	51.80	2,91,600.00	2,891.00

			के घर से लज्जाराम के घर तक सी0सी0 व नाली							
80	58	03.03.2015	वि0ख0 भाग्य नगर मे पाताबं बाडामर रोड से ग्राम बनकेपुर वामे मदन के घर तक सी0सी0 व नाली	—	12.74	75.48	60.71	65.10	6,88,200.00	6,821.00
81	59	03.03.2015	वि0ख0 औरैया मे खान पुमशा बिरस फीउल्ला प्रधान के घर से मुकीम मुल्ला के घर तक सी0सी0 व नाली	—	136.83	35.55	24.05	19.40	9,98,000.00	9,893.00
82	60	03.03.2015	वि0ख0 विधूना मे पुरवा मौराजपुर मे डामर रोड से कैलाश चन्द्र के मडैया तक सी0सी0 व नाली	—	49.59	75.47	71.17	137.70	9,98,900.00	9,893.00
83	61	03.03.2015	वि0ख0 भाग्य नगर मे ग्राम	—	23.63	49.86	56.96	189.50	6,30,000.00	6,239.00

			दहगाँव मे कंचौसी पेंटिंग मार्ग से जू0 हा0स्कूल तक सी0सी0 व नाली							
84	62	27.03.2015	वि0ख0 विधूना मे ग्राम अली पुर मे डामर रोड से ' शाहिद खान के घर तक सी0सी0 व नाली	79.90	20.81	—	108.69	—	9,99,000.00	9,966.00
85	63	27.03.2015	वि0ख0 औरैया मे ग्राम जरहौलिया में गब्बर के घर से तालाब सी0सी0 व नाली	15.64	—	—	42.47	—	3,96,400.00	3,929.00
86	64	27.03.2015	वि0ख0 औरैया मे ग्राम आनेपुर पेंटिंग मार्ग से प्रधान जी के घर तक सी0सी0 वनाली	52.71	10.74	—	54.73	75.00	5,24,500.00	5,196.00
87		27.03.2015	वि0ख0 सहार मे ग्राम गोपाल पुर में	—	24.74	82.25	102.39	27.91	9,96,600.00	9,880.00

			पेंटिंग मार्ग से रघुनंदन के घर होते हुए मस्जिद वाली गली तक सी0सी0 व नाली							
88	66	27.03.2015	वि0ख0 अजीत मल मे ग्राम गंगा दास पुर मार्ग से भर खान जाने वाले मार्ग पर सी0सी0 व नाली	—	15.02	64.22	63.05	85.60	6,58,200.00	6,518.00
89	67	27.03.2015	वि0ख0 अजीत मल मे ग्राम गंगा दास पुर मे पेंटिंग मार्ग से गोपाल के घर होते हुए फूटा कुवाभदशान मार्ग पर सी0सी0 व नाली	—	7.78	29.96	37.19	—	3,59,300.00	3,559.00
90	68	27.03.2015	वि0ख0 अजीत मल मे ग्राम मल खान पुर मे डामर रोड से रवींद्र के मकान तक सी0सी0 69 व नाली	—	23.64	87.40	92.96	114.80	9,97,700.00	9,889.00

91	69	27.03.2015	वि०ख० भाग्य नगर मे ग्राम पूर वा देवी मे जहूर अली के घर से धर्म पुर मार्ग पर सी०सी० कार्य	—	20.95	68.54	67.87	—	7,47,400.00	7,401.00
92	76	27.03.2015	वि०ख० औरैया मे खानपुर गंवरपुर संपर्क मार्ग पर आर० सी०सी० पुलिया निर्माण	18.26	28.31	—	18.44	105.36	9,83,400.00	9,786.00
93	77	27.03.2015	वि०ख० अजीत मल मे ग्राम औरैया मे पुराने जालों न मार्ग से इंडेनगैसगो दाम तक सी०सी० व नाली		42.50	6.15	130.93	84.80	9,97,000.00	9,888.00
94	78	27.03.2015	वि०ख० औरैया मे कस्बा खान पुरमे ई० लाकिंग कार्य	—	33.71	5.86	54.93	61.13	9,96,800.00	9,884.00
95	79	27.03.2015	वि०ख० एरवा कटरा मे अनंतापुर सुतियानी डामर रोड	—	21.34	89.82	78.87	—	9,00,000.00	8,939.00

			से नग लाजाद वपुर संपर्क मार्क पर सी0सी0 व नाली							
96	80	27.03.2015	वि0ख0 औरैया कार्यालय मे अनुरक्षण कार्य	—	7.34	—	52.38	—	9,99,600.00	9,903.00
97	81	27.03.2015	वि0ख0 सहार मे ग्राम बदरियापुर मे इस्लाम के घर से मस्जिद तक आर0सी0 सी0 व नाली निर्माण	25.21	—	—	78.37	—	7,13,600.00	7,073.00
98	82	27.03.2015	वि0ख0 अजीत मल मे ग्राम हरपालपुर मे छीतापुर मलगवा मार्ग से बारात घर तक सी0सी0 व नाली	89.00	29.05	—	95.13	72.00	9,98,600.00	9,860.00
99	104	31.03.2015	वि0ख0 एरवाकटरा में ग्राम एरवाटी कुरमेरोशन ला लबाथम के घर से	—	12.32	69.54	59.68	49.25	6,69,500.00	6,632.00

			सुधादिवा कर के घर तक सी0सी0 व नाली							
100	105	31.03.2015	वि0ख0 एरवाकटरा मे ग्राम न गलाइ मलिहा मे कारिदा यादव के घर से अच्छे लाल यादव के घर तक सी0सी0 व नाली	—	20.41	70.39	57.46	22.20	7,14,300.00	7,077.00
101	106	31.03.2015	वि0ख0 भाग्य नगर मे मुराद गंज फफूंद मार्ग से ग्राम अकबरपुर डाडाजा ने वाले मार्ग पर सी0सी0 व नाली	—	25.59	83.65	97.72	93.00	9,87,700.00	9,788.00
102	107	31.03.2015	वि0ख0 औरैया मे ग्राम भर से नमेराम बालक के मकान से टावर तक सी0सी0 व नाली	—	3.23	27.16	28.97	41.30	2,84,100.00	2,816.00
103	108	31.03.2015	वि0ख0 सहार में ग्राम	—	8.24	46.07	59.17	35.10	5,46,900.00	5,422.00

			भजोखर में मुख्य खड़ंगा से जगदीश के घर होते हुए हवलदार के घर तक सी0सी0 व नाली							
104	109	31.03.2015	वि0ख0 अछल्दा मे ग्राम शिव पुर मोर्चा मे सोबरन सिंह मकान से प्रा0 पाठशाला तक सी0सी0 व नाली	—	44.19	105.12	106.90	87.00	9,98,000.00	9,884.00
105	112	31.03.2015	वि0ख0 औरैया मे खान पुर मे सफी उल्ला प्रधान के घर के बगल मे रिटेनिंग वालव नाला निर्माण	—	27.59	14.92	65.46	132.00	9,71,500.00	9,626.00
106	70	31.03.2015	वि0ख0 जिला पंचायत औरैया कार्यालय मे अनुरक्षण कार्य	—	—	—	—	—	5,99,000.00	5,936.00
योग				296.56	2,699.01	6,007.02	8,836.85	9,109.48	8,11,35,033.00	7,69,300.00

प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक 3891/77-5-2002-(216)93 दिनांक 05.08.2002 के अनुसार सार्वजनिक निर्माण कार्यों में प्रयुक्त होने वाले उप-खनिजों (गिट्टी, साधारण बालू,मौरंग, इमारती पत्थर, साधारण मिट्टी आदि) की आपूर्ति प्राप्त करते समय यह सुनिश्चित किया जाय कि प्राप्त किए जाने वाले उप-खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान कर वैधरवन्ना (एम0एम0 11)द्वारा खनिज का परिवहन किया गया है साथ ही रायल्टी के पूर्व भुगतान को सुनिश्चित करने हेतु आपूर्ति कर्ता फर्म/संस्था से रायल्टी भुगतान का ट्रेजरी चालान प्राप्त कर पत्रावली में रखा जाय तथा जिन मामलों बिना रायल्टी का भुगतान किए उपखनिजों की आपूर्ति हो गयी हो, उनको बिलों का भुगतान करने से पूर्व निर्धारित दर पर रायल्टी की धन राशि की कटौती कर धन राशि कोषागार में जमा कराया जाय। जिला पंचायत औरैया में वर्ष 2014-15 में उक्त निर्माण कार्यों में निम्न विवरण के अनुसार खनिजों का उपयोग किया गया है।

बी0बी0 कार्य 1:4:8 में उपयोग की गयी बालू की मात्रा

$$296.56 \times 0.47 = 139.38 \text{ घन मी०}$$

बी0डब्ल्यू 1:4 में उप योग की गयी मौरंग की मात्रा

$$2699.01 \times 0.27 = 728.73 \text{ घन मी०}$$

बी0बी0 1:6:12 में उप योग की गयी बालू की मात्रा

$$6007.02 \times 0.47 = 2823.30 \text{ घन मी०}$$

1:2:4 कार्य में उपयोग की गयी मौरंग की मात्रा

$$8836.85 \times 0.445 = 3932.40 \text{ घन मी०}$$

1:2:4 कार्य में उपयोग की गयी स्टोन गिट्टी की मात्रा

$$8836.85 \times 0.89 = 7864.80 \text{ घन मी०}$$

अतः उपयोग खनिजों की आपूर्ति एवं रायल्टी कटौती तथा संदर्भित मद में जमा की पुष्टि नहीं हो सकी।
उक्त उप-खनिजों पर रायल्टी की धनराशि निम्नवत रही—

क्रमांक	खनिज का नाम	मात्रा घ०मी० में	रायल्टी की दर प्रति घ०मी० में	रायल्टी की धनराशि
1	साधारण बालू	3099.32	33.00	1,02,278.00
2	मौरंग	4661.13	33.00	1,53,817.00
3	स्टोन, गिट्टी	7864.80	75.00	5,89,817.00
योग				8,45,955.00

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि खनिजों पर उक्त रायल्टी की कटौती नहीं की गयी तथा राज की राजस्व को क्षति पहुंचायी गयी है। साथ ही ठेकेदारों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया है। उक्त शासन देश के अनुसार इस राजस्व हानि के लिए जिला पंचायत में कार्यरत रहे निम्न अधिकारी कर्मचारी उत्तरदायी हैं—

1. श्री सुरेन्द्र कुमार वर्मा (अपर मुख्य अधिकारी)
2. श्री अशेष चन्द्र शर्मा (वित्तीय परामर्श दाता)
3. श्री बृजेश कुमार शुक्ला (वित्तीय परामर्श दाता)
4. श्री रणधीर सिंह राजपूत (अवर अभियंता)
5. श्री विजय कुमार पटेल (अवर अभियन्ता)
6. श्री योगेन्द्र कुमार द्विवेदी (अवर अभियन्ता)
7. श्री होरी लाल (लेखाकार)

अतः रायल्टी की धनराशि ₹0 8,45,955.00 एवं इस पर राजकीय निर्देशानुसार उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करते हुए सम्पूर्ण धनराशि राज्य सरकार को सन्दर्भित मद में प्रेषित की जानी अपेक्षित है।

जनपद—रायबरेली

मण्डल—लखनऊ

जिला पंचायत— रायबरेली

क्र० सं०	प्र० सं०	क्र० सं०	आपत्ति संख्या	उत्तरदायी कर्मचारी / अधिकारी का नाम	धनराशि			आपत्ति का विवरण																				
					अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग																					
1	4	5	6	7	8	9	10	11																				
1	1	1	6	श्री वी०के० सिंह चौहान अ०मु०अधि०	1341356	—	1341356	समीक्ष्य वर्ष 2014-15 में राजवित्त आयोग से प्राप्त एवं गत वर्ष के अवशेष धनराशि से रुपये 113462440.00 व्यय किया गया जिसमें से रुपये 1341356 के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न होने के कारण धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।																				
2	2	2	29	श्री वी०के० सिंह चौहान अ०मु०अधि० श्री भगत सिंह अभियन्ता, श्री योगेन्द्र सिंह अप० अभि०, श्री प्रमोद कुमार सिंह अप० अभि०	65012	—	65012	समीक्ष्य वर्ष में संस्था में निम्नांकित अधिकारियों / कर्मचारियों के नाम से निर्मित / आवंटित आवास उपलब्ध होने के बावजूद भी आवास भत्ता अनियमित रूप से लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित से अपेक्षित है। <table><tr><th>क्र० सं०</th><th>नाम अधिकारी / कर्मचारी</th><th>पदनाम</th><th>वर्ष 2014-15 में प्राप्त कुल आवास भत्ता की हानि</th></tr><tr><td>1</td><td>श्री वी०के० सिंह</td><td>ए०एम०ए०</td><td>21872.00</td></tr><tr><td>2</td><td>श्री भगत सिंह</td><td>अभियन्ता</td><td>18900.00</td></tr><tr><td>3</td><td>श्री योगेन्द्र सिंह</td><td>अप०अभि०</td><td>12120.00</td></tr><tr><td>4</td><td>श्री प्रमोद कुमार</td><td>अप०अभि०</td><td>12120.00</td></tr></table>	क्र० सं०	नाम अधिकारी / कर्मचारी	पदनाम	वर्ष 2014-15 में प्राप्त कुल आवास भत्ता की हानि	1	श्री वी०के० सिंह	ए०एम०ए०	21872.00	2	श्री भगत सिंह	अभियन्ता	18900.00	3	श्री योगेन्द्र सिंह	अप०अभि०	12120.00	4	श्री प्रमोद कुमार	अप०अभि०	12120.00
क्र० सं०	नाम अधिकारी / कर्मचारी	पदनाम	वर्ष 2014-15 में प्राप्त कुल आवास भत्ता की हानि																									
1	श्री वी०के० सिंह	ए०एम०ए०	21872.00																									
2	श्री भगत सिंह	अभियन्ता	18900.00																									
3	श्री योगेन्द्र सिंह	अप०अभि०	12120.00																									
4	श्री प्रमोद कुमार	अप०अभि०	12120.00																									
3	3	3	30	श्री प्रेम चन्द्र शुक्ला कैशियर / श्री के०के० त्रिवेदी लेखाकार एवं श्री वि०के० सिंह चौहान	1350	—	1350	कैश रसीद सं०-1 / 5342 दिनांक 05.06.2014 द्वारा पशु गृह से प्राप्त धनराशि रु० 1350.00 का लेखांकन कैशबुक / वर्तितसार पत्र में न करके धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित से अपेक्षित है।																				

क्र० सं०	प्र० सं०	क्र० सं०	आपत्ति संख्या	उत्तरदायी कर्मचारी / अधिकारी का नाम	धनराशि			आपत्ति का विवरण																																																																													
					अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग																																																																														
1	4	5	6	7	8	9	10	11																																																																													
				अ०मु०अधि०																																																																																	
4	4	4	35	श्री वी०के० सिंह चौहान अ०मु०अधि०	—	44100	44100	समीक्ष्य वर्ष में ऊर्जा आधारित मिनी पेय जल योजना सापिना कार्य, जो भेज से सम्बन्धित है, समयान्तर्गत न पूर्ण होने की दशा में 1 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक पेनाल्टी लगाने का प्रावधान है किन्तु निम्न कार्यों के भुगतान के समय कार्य देर से होने पर भी 1 प्रतिशत से कम अधोलिखित विवरणानुसार कम पेनाल्टी ली गयी है जिसकी ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है— <table><tr><th>क्र०</th><th>ग्राम पंचायत</th><th>कार्य पूर्ण होने की तिथि</th><th>कार्य पूर्ण हुआ</th><th>पेनाल्टी ली गयी धन राशि</th><th>पेनाल्टी की न्यूनतम धनराशि</th><th>अन्तर (कम ली गयी पेनाल्टी की धनराशि)</th></tr><tr><td>1</td><td>महनासा</td><td>11.5.14</td><td>4.7.14</td><td>1050</td><td>5250</td><td>4200</td></tr><tr><td>2</td><td>कोटवा बहादुर गंज</td><td>28.4.14</td><td>7.8.14</td><td>—</td><td>5250</td><td>5250</td></tr><tr><td>3</td><td>जफरापुर</td><td>10.5.14</td><td>10.9.14</td><td>—</td><td>5250</td><td>5250</td></tr><tr><td>4</td><td>सिकरौदा</td><td>10.5.14</td><td>10.9.14</td><td>—</td><td>5250</td><td>5250</td></tr><tr><td>5</td><td>तेरुखा</td><td>10.5.14</td><td>31.7.14</td><td>—</td><td>5250</td><td>5250</td></tr><tr><td>6</td><td>कान्हाक ऊ</td><td>25.4.14</td><td>10.4.14</td><td>—</td><td>5250</td><td>5250</td></tr><tr><td>7</td><td>गोविन्द पुर</td><td>25.4.14</td><td>10.4.14</td><td>—</td><td>5250</td><td>5250</td></tr><tr><td>8</td><td>मीरका पुरवा</td><td>10.15.14</td><td>30.6.14</td><td>1050</td><td>5250</td><td>4200</td></tr><tr><td>9</td><td>सुल्तान पुर</td><td>10.15.14</td><td>9.7.14</td><td>1050</td><td>5250</td><td>4200</td></tr><tr><td colspan="2">कुल योग</td><td></td><td></td><td></td><td>47250</td><td>44100</td></tr></table>	क्र०	ग्राम पंचायत	कार्य पूर्ण होने की तिथि	कार्य पूर्ण हुआ	पेनाल्टी ली गयी धन राशि	पेनाल्टी की न्यूनतम धनराशि	अन्तर (कम ली गयी पेनाल्टी की धनराशि)	1	महनासा	11.5.14	4.7.14	1050	5250	4200	2	कोटवा बहादुर गंज	28.4.14	7.8.14	—	5250	5250	3	जफरापुर	10.5.14	10.9.14	—	5250	5250	4	सिकरौदा	10.5.14	10.9.14	—	5250	5250	5	तेरुखा	10.5.14	31.7.14	—	5250	5250	6	कान्हाक ऊ	25.4.14	10.4.14	—	5250	5250	7	गोविन्द पुर	25.4.14	10.4.14	—	5250	5250	8	मीरका पुरवा	10.15.14	30.6.14	1050	5250	4200	9	सुल्तान पुर	10.15.14	9.7.14	1050	5250	4200	कुल योग					47250	44100
क्र०	ग्राम पंचायत	कार्य पूर्ण होने की तिथि	कार्य पूर्ण हुआ	पेनाल्टी ली गयी धन राशि	पेनाल्टी की न्यूनतम धनराशि	अन्तर (कम ली गयी पेनाल्टी की धनराशि)																																																																															
1	महनासा	11.5.14	4.7.14	1050	5250	4200																																																																															
2	कोटवा बहादुर गंज	28.4.14	7.8.14	—	5250	5250																																																																															
3	जफरापुर	10.5.14	10.9.14	—	5250	5250																																																																															
4	सिकरौदा	10.5.14	10.9.14	—	5250	5250																																																																															
5	तेरुखा	10.5.14	31.7.14	—	5250	5250																																																																															
6	कान्हाक ऊ	25.4.14	10.4.14	—	5250	5250																																																																															
7	गोविन्द पुर	25.4.14	10.4.14	—	5250	5250																																																																															
8	मीरका पुरवा	10.15.14	30.6.14	1050	5250	4200																																																																															
9	सुल्तान पुर	10.15.14	9.7.14	1050	5250	4200																																																																															
कुल योग					47250	44100																																																																															
5	5	5	41	श्री वी०के० सिंह चौहान अ०मु०अधि०	3697052	—	3697052	राज्य वित्त आयोग मद में अनुदान रजि०/लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के अनुसार दिनांक 31.03.14 को अन्तिम अवशेष रू० 50408824.00 था जिसे दिनांक 01.07.14 को प्रा० अवशेष में रू० 46711772.00 करके यथोचित कारण बिना रू० 3697052.00 धन का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।																																																																													
6	6	6	45	श्री वी०के०	—	23900	23900	जिला पंचायत के नियमानुसार टैक्सी स्टैण्ड का ठेका गत वर्ष में हुये ठेके की धनराशि पर न्यूनतम 10 बढ़ाकर ठेका दिया जाना																																																																													

क्र० सं०	प्र० सं०	क्र० सं०	आपत्ति संख्या	उत्तरदायी कर्मचारी / अधिकारी का नाम	धनराशि			आपत्ति का विवरण																																										
					अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग																																											
1	4	5	6	7	8	9	10	11																																										
				सिंह चौहान अ०मु०अधि०				चाहिए जबकि समीक्षा वर्ष में जिन विवरणानुसार कतिपय टैक्सी स्टेण्ड का ठेका उपरोक्त नियम के विरुद्ध कम पर देकर संस्था को आर्थिक क्षति पहुंचायी गयी है जिसकी ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है— <table><tr><th>क्र० सं०</th><th>नाम टैक्सी स्टेण्ड</th><th>वर्ष 13-14 में नीलामी की धनराशि</th><th>नीलाम की वांछित धनराशि</th><th>वर्ष 14-15 में नीलामी की धनराशि</th><th>अन्त कुल नीलामी की धन राशि</th></tr><tr><td>1</td><td>हरचन्दपुर</td><td>52500</td><td>57750</td><td>56000</td><td>1750</td></tr><tr><td>2</td><td>जगतपुर</td><td>86500</td><td>95150</td><td>88000</td><td>7150</td></tr><tr><td>3</td><td>गुरुबक्श गंज</td><td>81500</td><td>89650</td><td>86500</td><td>3150</td></tr><tr><td>4</td><td>गदागंज</td><td>124500</td><td>136950</td><td>126500</td><td>10450</td></tr><tr><td>5</td><td>शिवगढ़</td><td>84000</td><td>92400</td><td>91000</td><td>1400</td></tr><tr><td></td><td>योग</td><td>429000</td><td>471900</td><td>448000</td><td>23900</td></tr></table>	क्र० सं०	नाम टैक्सी स्टेण्ड	वर्ष 13-14 में नीलामी की धनराशि	नीलाम की वांछित धनराशि	वर्ष 14-15 में नीलामी की धनराशि	अन्त कुल नीलामी की धन राशि	1	हरचन्दपुर	52500	57750	56000	1750	2	जगतपुर	86500	95150	88000	7150	3	गुरुबक्श गंज	81500	89650	86500	3150	4	गदागंज	124500	136950	126500	10450	5	शिवगढ़	84000	92400	91000	1400		योग	429000	471900	448000	23900
क्र० सं०	नाम टैक्सी स्टेण्ड	वर्ष 13-14 में नीलामी की धनराशि	नीलाम की वांछित धनराशि	वर्ष 14-15 में नीलामी की धनराशि	अन्त कुल नीलामी की धन राशि																																													
1	हरचन्दपुर	52500	57750	56000	1750																																													
2	जगतपुर	86500	95150	88000	7150																																													
3	गुरुबक्श गंज	81500	89650	86500	3150																																													
4	गदागंज	124500	136950	126500	10450																																													
5	शिवगढ़	84000	92400	91000	1400																																													
	योग	429000	471900	448000	23900																																													
7	7	7	50, 51, 52	श्री आफताब टैक्स कलेक्टर, श्री तेजकरन पाल, चपरासी	1044	—	1044	समीक्ष्य वर्ष में निम्नांकित विवरणानुसार पशु रजिस्ट्रेशन फार्म पर अंकित क्रमिक योग की धनराशि कम अंकित करके धन का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित से अपेक्षित है— <table><tr><th>क्र० सं०</th><th>पशु रजि० फार्म सं० व अंकित धन राशि</th><th>धनराशि जो आगे ले ली जायेगी फार्म सं०</th><th>धन राशि</th><th>अन्तर की धनराशि</th><th>सम्बन्धित कर्मचारी कानाम</th></tr><tr><td>1</td><td>672 / 67 रु० 16538</td><td>672 / 68</td><td>16534</td><td>4.00</td><td>श्री राम अकबाल</td></tr><tr><td>2</td><td>672 / 4 रु० 1092</td><td>674 / 105</td><td>1052</td><td>40.00</td><td>श्री तेजकरन पाल</td></tr><tr><td>3</td><td>666 / 46 रु० 4524</td><td>666 / 46</td><td>3524</td><td>1000.00</td><td>श्री राम अकबाल</td></tr><tr><td></td><td>योग</td><td>—</td><td>—</td><td>1044.00</td><td></td></tr></table>	क्र० सं०	पशु रजि० फार्म सं० व अंकित धन राशि	धनराशि जो आगे ले ली जायेगी फार्म सं०	धन राशि	अन्तर की धनराशि	सम्बन्धित कर्मचारी कानाम	1	672 / 67 रु० 16538	672 / 68	16534	4.00	श्री राम अकबाल	2	672 / 4 रु० 1092	674 / 105	1052	40.00	श्री तेजकरन पाल	3	666 / 46 रु० 4524	666 / 46	3524	1000.00	श्री राम अकबाल		योग	—	—	1044.00													
क्र० सं०	पशु रजि० फार्म सं० व अंकित धन राशि	धनराशि जो आगे ले ली जायेगी फार्म सं०	धन राशि	अन्तर की धनराशि	सम्बन्धित कर्मचारी कानाम																																													
1	672 / 67 रु० 16538	672 / 68	16534	4.00	श्री राम अकबाल																																													
2	672 / 4 रु० 1092	674 / 105	1052	40.00	श्री तेजकरन पाल																																													
3	666 / 46 रु० 4524	666 / 46	3524	1000.00	श्री राम अकबाल																																													
	योग	—	—	1044.00																																														

क्र० सं०	प्र० सं०	क्र० सं०	आपत्ति संख्या	उत्तरदायी कर्मचारी / अधिकारी का नाम	धनराशि			आपत्ति का विवरण																																																
					अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग																																																	
1	4	5	6	7	8	9	10	11																																																
8	8	8	46	श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव क०लि० एवं श्री वी०के० सिंह चौहान अ०मु०अधि०	25816	—	25816	जिला पंचायत द्वारा टैक्सी स्टैण्ड के ठेके की धनराशि पर रू० 80.00 प्रति हजार की दर से स्टैम्प शुल्क लिया जाना था जो नहीं लिया गया है जिसका विवरण निम्नवत् है— नह <table><tr><th>क्र० सं०</th><th>नाम टैक्सी स्टैण्ड</th><th>ठेका ली धनराशि</th><th>क्या स्टाम्प लिया गया</th><th>स्टैम्प लिया जाना पारित</th><th>अन्तर कम लिया गया स्टैम्प</th></tr><tr><td>1</td><td>सवैया तिराहा</td><td>1600</td><td>0.00</td><td>128</td><td>128</td></tr><tr><td>2</td><td>गदागंज</td><td>126500</td><td>0.00</td><td>10120</td><td>10120</td></tr><tr><td>3</td><td>मटियरवा चौराहा</td><td>67500</td><td>0.00</td><td>5400</td><td>5400</td></tr><tr><td>4</td><td>डीह</td><td>25000</td><td>0.00</td><td>2000</td><td>2000</td></tr><tr><td>5</td><td>सूची</td><td>54100</td><td>0.00</td><td>4328</td><td>4328</td></tr><tr><td>6</td><td>खीरों</td><td>48000</td><td>0.00</td><td>3840</td><td>3840</td></tr><tr><td></td><td>योग</td><td>322700</td><td>0.00</td><td>25816</td><td>25816</td></tr></table> रि	क्र० सं०	नाम टैक्सी स्टैण्ड	ठेका ली धनराशि	क्या स्टाम्प लिया गया	स्टैम्प लिया जाना पारित	अन्तर कम लिया गया स्टैम्प	1	सवैया तिराहा	1600	0.00	128	128	2	गदागंज	126500	0.00	10120	10120	3	मटियरवा चौराहा	67500	0.00	5400	5400	4	डीह	25000	0.00	2000	2000	5	सूची	54100	0.00	4328	4328	6	खीरों	48000	0.00	3840	3840		योग	322700	0.00	25816	25816
क्र० सं०	नाम टैक्सी स्टैण्ड	ठेका ली धनराशि	क्या स्टाम्प लिया गया	स्टैम्प लिया जाना पारित	अन्तर कम लिया गया स्टैम्प																																																			
1	सवैया तिराहा	1600	0.00	128	128																																																			
2	गदागंज	126500	0.00	10120	10120																																																			
3	मटियरवा चौराहा	67500	0.00	5400	5400																																																			
4	डीह	25000	0.00	2000	2000																																																			
5	सूची	54100	0.00	4328	4328																																																			
6	खीरों	48000	0.00	3840	3840																																																			
	योग	322700	0.00	25816	25816																																																			
								उपरोक्त विवरणानुसार रू० 25816.00 का स्टाम्प शुल्क कम लिया गया है। जिसकी सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।																																																
9	9	9	62, 63, 64 एवं 67	श्री विजय प्रकाश कर निरीक्षक श्री महेश कुमार पौण्ड कीपर	740 200	—	740 200	समीक्ष्य वर्ष 2014—15 में कर व लाइसेंस आदि से सम्बन्धित प्रपत्र 5 के अनुसार प्राप्त धनराशि निम्न विवरणानुसार जिला निधि खाता / सामान्य कैशबुक में कम जमा दर्शाकर धन का अपहरण सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है— <table><tr><th>प्रमाणक व दिनांक</th><th>प्राप्त धन राशि का विवरण</th><th>कैश रसीदों के अनुसार प्राप्त धनराशि</th><th>बैंक में जमा</th><th>अन्तर की धन राशि</th><th>सम्बन्धित कर्मचारी का नाम</th></tr><tr><td>10.8.14</td><td>कर एवं लाइसेंस</td><td>422552—422586</td><td>20060</td><td>500</td><td>श्री विजय प्रकाश कर</td></tr></table>	प्रमाणक व दिनांक	प्राप्त धन राशि का विवरण	कैश रसीदों के अनुसार प्राप्त धनराशि	बैंक में जमा	अन्तर की धन राशि	सम्बन्धित कर्मचारी का नाम	10.8.14	कर एवं लाइसेंस	422552—422586	20060	500	श्री विजय प्रकाश कर																																				
प्रमाणक व दिनांक	प्राप्त धन राशि का विवरण	कैश रसीदों के अनुसार प्राप्त धनराशि	बैंक में जमा	अन्तर की धन राशि	सम्बन्धित कर्मचारी का नाम																																																			
10.8.14	कर एवं लाइसेंस	422552—422586	20060	500	श्री विजय प्रकाश कर																																																			

क्र० सं०	प्र० सं०	क्र० सं०	आपत्ति संख्या	उत्तरदायी कर्मचारी/ अधिकारी का नाम	धनराशि			आपत्ति का विवरण					
					अपहरण	गम्भीर अनिय- मितता	योग						
1	4	5	6	7	8	9	10	11					
									शुल्क	तक रु० 20560.00			निरीक्षक
								12.5.14	“	432044— 432058 तक रु० 4440.00	4340	100	श्री विजय प्रकाश कर निरीक्षक
								20.06.14	“	531556—5 3158 तक रु० 10940. 00	10800	140	श्री विजय प्रकाश कर निरीक्षक
								10.2.15	“	642376—6 42392 तक रु० 21660. 00	21460	200	श्री महेश कुमार पौण्ड कीपर
								योग		57600.00	56660	940	

जनपद— सीतापुर मण्डल— लखनऊ जिला पंचायत — सीतापुर

प्रस्तर-1— अनुदान का एक मद से दूसरे मद में हस्तान्तरण—

दिनांक 23/08/2014 व दिनांक 02/09/2015 को क्रमशः रुपये 452700/—, 11932800/— कुल धनराशि रू0 12385500/— राज्य वित्त मद के अनुदान को पिछड़ा क्षेत्र अनुदान मद में बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के विपरीत हस्तान्तरित किया गया है जो कि नियम विरुद्ध रहा। आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर-2— शासन की स्वीकृति के बिना भवन ऋण का वितरण—

जिला पंचायत द्वारा निम्न कर्मचारियों को विशेष सुविधा प्रदान करते हुये अनियमित रूप से भवन ऋण दिया गया है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2014-15 के वार्षिक विवरणियों में ऋण का पावना दर्शित नहीं हो रहा है। विवरण निम्न प्रकार है —

बा0सं0-161 दिनांक 26/03/2015 श्री पुष्पेन्द्र कुमार सिंह, प्राशा0अधि0	रू0 440000/—
बा0सं0-162 दिनांक 27/03/2015 श्री ब्रजेश कुमार, लेखाकार	रू0 389000/—
बा0सं0-163 दिनांक 27/03/2015 श्री देवेन्द्र सिंह, अभियन्ता,	रू0 75000/—
कुल	रू0 1579000/—

उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित रही।

प्रस्तर-3 किराये की वाहन अनियमित रूप से प्रयुक्त किया जाना—

संस्था पर निजी तौर पर तीन गाड़ियां शासकीय कार्य हेतु उपलब्ध हैं फिर भी अपर मुख्य अधिकारी द्वारा माह फरवरी व मार्च में किराये की गाड़ी का भुगतान क्रमशः बा0सं0 24 रू0 6000/—, बा0सं0-85 रू0 2975/—, बा0सं0 110 रू0 17500/— समेकित धनराशि रू0 26475/— का अनियमित भुगतान किया गया है। संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित रही।

प्रस्तर-4 पूर्ण धनराशि/नियमानुसार नीलामी की धरोहर धनराशि प्राप्त किये बिना ही सम्बन्धित को ठेका दिया गया है—

वर्ष 2014-15 में नौका घाट वीरसिंहपुर, विकास खण्ड सिधौली की नीलामी रू0 29721/— में नाविक सह0 श्रम संविदा समिति वीरसिंहपुर को मात्र 10000/— जमा करने के उपरान्त ठेका दिया गया रू0 1972/— की वसूली सम्बन्धित ठेकेदार से नहीं की गई। संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित रही।

प्रस्तर-5 नीलामी की धरोहर की पूर्ण धनराशि प्राप्त किये बिना ठेका दिया जाना—

वर्ष 2014-15 में पशु शव निस्तारण हेतु विकास खण्ड खैराबाद के सहकारी समिति धरैचा के सभापति श्री कबीर के नाम से रू0 90365/— व रू0 82150/— का ठेका दिया गया था जिसके सापेक्ष श्री कबीर द्वारा मात्र रू0 47000/— व रू0 37820/— जमा किया गया अवशेष धनराशि रू0 87695/— श्री कबीर

सम्बन्धित ठेकेदार से वसूली नहीं की गई है। संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करते हुए ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित रहा।

प्रस्तर-6

वर्ष 2014-15 में पशु शव निस्तारण हेतु सहकारी समिति खपुरा विकास खण्ड खैराबाद को दिये गये ठेके क्रमशः रु0 55038/- व रु0 50034/- के सापेक्ष जमा धनराशि क्रमशः रु0 25100/- व रु0 25100/- जमा धनराशि के आधार पर ठेका आवंटित किया गया है जो कि अनियमित है रु0 54872/- की वसूली सम्बन्धित ठेकेदार मु0 हनीफ से वसूली नहीं की गई है। संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करते हुए ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित रहा।

प्रस्तर-7

वर्ष 2014-15 में पशु बाजार हेतु मांग वसूली एवं बकाया पंजिका की जांच में पाया गया कि रु0 1762385/- की वसूली वर्षान्त अवशेष है। इसी क्रम में आलोच्य वर्ष श्री रहमतुल्ला को पशु बाजार खैराबाद का ठेका रु0 545000/- में तथा पशु बाजार लहरपुर का ठेका रु0 180000/- का दिया गया है जिसके सापेक्ष बकाया रु0 368000/- की वसूली सम्बन्धित ठेकेदार से वर्षान्त नहीं की गई है। विगत वर्षों के बकायेदारों से रु0 1762385/- आपत्ति कुल धनराशि- 2130385/- की वसूली हेतु कोई भी प्रभावी कार्यवाही न किये जाने हेतु तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री पी0 के0 गुप्ता उत्तरदायी हैं। अतः इनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

जनपद—मुरादाबाद मण्डल—मुरादाबाद जिला पंचायत — मुरादाबाद

प्रस्तर सं0-1

जिला पंचायत में वर्ष 2014-15 में दुकानों एवं भवनों के किराया चालू माँग 1832838.00 रु0 एवं बकाया रु0 4116376.00 कुल रु0 5939214.00 के सापेक्ष चालू एवं बकाया के क्रमशः रु0 606646.50 तथा 1692066.50 कुल रुपये 2298723.00 की वसूली हुई है। दिनांक 31-3-2015 की चालू माँग एवं बकाया के विरुद्ध क्रमशः रु0 1222512.50 एवं 2424309.50 कुल रु0 3646822.00 बकाया रही। बकाया धनराशि विगत वर्षों से चली आ रही है। जिस हेतु बकाया अवधि के वसूली कार्मिक एवं अ0मु0अ0 उत्तरदायी हैं दुकानों को किराये पर उठाये जाने का राजकीय स्टाम्प पर अनुबंध नहीं कराये गये हैं। जिससे राजकीय राजस्व की क्षति हो रही है। अनुबंध कराये जाने हेतु कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में अपर मुख्य अधिकारी श्री फरहत अली के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आ0सं0 17)

प्रस्तर-2

दिनांक 31-3-2015 को विभव तथा सम्पत्ति कर, तहबाजारी नौकाघाट, कृषि भूमि, हड्डी चमड़ा एवं भवन किराये आदि में अत्यधिक मात्रा में धनराशियाँ बकाया पड़ी है। अधिकांश धनराशियाँ विगत वर्षों की भाँति यथावत् दर्शित है। वसूली न किये जाने के कारण जिला पंचायत को आवश्यक रुप से क्षति सम्भावित हैं जिसके लिए बकाया अवधि के पटल कार्मिक एवं अपर मुख्य अधिकारी जिम्मेदार हैं बकाया धनराशियों की

वसूली हेतु ठोस एवं वैधानिक प्रयास किये जाने चाहिये। इस प्रति अपर मुख्य अधिकारी का ध्यान समुचित कार्यवाही हेतु आकृष्ट किया जाता है। अन्यथा की स्थिति में अपर मुख्य अधिकारी श्री फरहत अली के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

क्र०सं०	मद का नाम	धनराशि
1—	विभव तथा सम्पत्ति कर	अज्ञात
2—	तह बाजारी	अज्ञात
3—	नौका घाट	2.76
4—	कृषि भूमि नीलामी	0.10
5—	हड्डी एवं चमड़ा	11.72
6—	भवन किराया	36.47

प्रस्तर सं०-3

जिला पंचायत कालोनी में स्थित आवासों की पंजिका के अनुसार निम्न पूर्व अधिकारियों/ कर्मचारियों से धनराशियाँ विगत वर्षों से बकाया दर्शायी जा रही है। जिसकी वसूली हेतु कोई कार्यवाही नहीं की जा रही हैं धनराशियाँ वसूल न होने की स्थिति में जिला पंचायत को अनावश्यक रूप से क्षति सम्भावित है। ब्याज सहित वसूली कराये जाने हेतु अपर मुख्य अधिकारी का ध्यान समुचित कार्यवाही हेतु आकृष्ट किया जाता है। अन्यथा की स्थिति में अपर मुख्य अधिकारी श्री फरहत अली के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

क्र०सं०	आवास का किराया	संबंधित अधिकारी/कर्मचारी	धनराशियाँ
1—	कोठी नं० 1	श्री एस०आर० सिंह सेवानिवृत्त ए.एम.ए.	4264.50
2—	कोठी नं० 2	श्री ए०अ० (स्पष्ट संकेत नहीं है)	629.00
3—	कोठी नं० 5	श्री राजेन्द्र प्रकाश पूर्व जे.ई. जिला पंचायत मुरा०	796.00
4—	कोठी नं० 5	श्री बलवीर सिंह जिला विद्यालय निरीक्षक	37.8.00
5—	मुख्य द्वार दुकान	सचिव इंस्टीट्यूट	2774.00
6—	मोटर गैराज	जिला प्रादेशिक विकास दल	315.00
7—	कोठी नं० 2	श्री वी.एन. त्रिपाठी पूर्व वी.पी.डी.	38014.00
8—	मकान नं० 11	श्री महेश शर्मा प्र०अ० जे.पी. नगर	975.00
9—	मकान नं० 03	श्रीमती इन्द्रदेवी पत्नि श्री सतीश चन्द्र सेवानिवृत्त शिक्षा विभाग	125452.00
10—	-----	श्री तपेश चन्द्र शर्मा अभियन्ता वर्तमान अ०मु० अ० अमरोहा	1476.00
11—	-----	श्री मनोहर सिंह सेवानिवृत्त, शिक्षा विभाग	38581.39
12—	शूट नं० 4	श्री इरशाद अहमद पूर्व अभियन्ता जिला पंचायत मुरादाबाद।	37530.00
13—	खोखा स्टोर	श्री रामदयाल पुत्र विलास सिंह मौ० किसरौल मुरादाबाद।	13277.00
14—	ढांग स्कूल	बाल विकास परियोजना अधिकारी, मुरादाबाद।	462520.00
		योग	1077612.69

प्रस्तर सं०-4

वार्षिक लेखा के अनुसार वर्ष 2014-15 में निम्न मदों से प्राप्त आय दर्शायी गई है। जिसकी पुष्टि हेतु माँग वसूली पंजिका एवं पत्रावलियाँ प्रस्तुत न कये जाने के कारण दर्शित आय अपुष्ट रही। संबंधित अभिलेख प्रस्तुत कर पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में अपर मुख्य अधिकारी श्री फरहत अली के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(धनराशि लाख रु० में)

क्र०सं०	मद का नाम	प्राप्त धनराशि
1-	रीठ नक्काशा से	6-14
2-	पुराने भंडार और की बिक्री	0-40
3-	अन्य प्रकीर्ण	4-21

प्रस्तर सं०-5

वार्षिक लेखा दि० 31-03-2015 के अनुसार जमानत ठेकेदारों को देय वर्ष के प्रारंभ में रु० 6496752.00 दर्शित की। वर्ष में रुपये 8640667.00 जमानत प्राप्त रु० 6568777.00 वापिस एवं वर्षान्त पर रु० 8568642.00 देय दर्शायी गई है। जबकि जमानत पंजिका के अनुसार देय रु० 8682552.00 दर्शित है। इस प्रकार रु० 113910.00 का अन्तर वार्षिक लेखा एवं जमानत पंजिका के मध्य अन्तर विद्यमान है। जिसका समाधान किया जाना अपेक्षित है।

अन्यथा की स्थिति में अपर मुख्य अधिकारी एवं लेखाकार (प्रथम) से ब्याज सहित वसूली कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर सं०-6

वर्ष आलोच्य में जिला पंचायत सम्मेलन को निम्न अनुदानों की धनआशियाँ स्थानान्तरित की गई है। जिनकी पुष्टि में जिला पंचायत सम्मेलन से पुष्टि पत्र प्राप्त कर नहीं रखा गया है। जो अपेक्षित था।

राज्य वित्त आयोग	64750784.00
तेरहवाँ वित्त आयोग	24746991.00
योग	89497775.00

अपुष्ट धनराशि हेतु अपर मुख्य अधिकारी एवं लेखाकार प्रथम के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

जनपद— रामपुर मण्डल — मुरादाबाद
जिला पंचायत— रामपुर ।

प्रस्तर-1

निजी स्त्रोतों के अन्तर्गत लम्बित वसूली रु० 31.19 लाख। आहरण वितरण अधिकारी का दायित्व है कि निजी स्त्रोतों के अन्तर्गत होने वाली आय से सम्बन्धित मांग समय से प्रस्तुत करके सम्बन्धित पक्षों से निर्धारित समयावधि के भीतर वसूली सुनिश्चित करें।

जिला पंचायत रामपुर के निजी स्त्रोतों से सम्बन्धित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि संप्रेक्षावधि के अन्त में विभिन्न मदों के अन्तर्गत रु० 31.19 लाख की वसूली लम्बित है। विवरण निम्न प्रकार है—

(आकड़े लाख रुपये में)

क्र०सं०	मद	वर्ष 14-15 की मांग	गतवर्ष का बकाया	योग	वर्ष में वसूली	अवशेष	10 वर्ष से अधिक बकाया	आर०सी० जारी
1.	सम्पत्ति एवं विभव कर	20.00	5.50	25.50	13.84	11.66	0	—
2.	लाइसेंस	41.88	0	41.88	41.88	0	0	—
3.	मृतपशु भाव निस्तारण	9.25	2.99	12.24	9.70	2.54	0.08	आर०सी० जारी
4.	दुकान भवन किराया	13.00	5.82	18.82	8.05	10.77	0	आर०सी० जारी
5.	नौका घाट	0	1.64	1.64	0	1.64	0.11	आर०सी० जारी
6.	मेला प्रदर्शिनी	14.02	4.00	18.02	14.02	4.00	0.20	आर०सी० जारी
7.	कृषि / तरु पालन	2.75	.94	3.69	3.11	0.58	0.32	आर०सी० जारी
8.	योग	100.90	20.89	121.79	90.60	31.19	0.70	

(उपरोक्त आकड़े वर्ष 2014-15 के प्रपत्र-3 के आधार पर अंकित किया गया है)

संप्रेशा में इंगित करने पर इकाई द्वारा बताया गया कि वसूली हेतु प्रयास किये जा रहे हैं परन्तु अभी तक वसूली नहीं हुई है। उत्तर संप्रेशा के अनुरूप नहीं है। अतः रु० 31.19 की लम्बित वसूली का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है। अग्रेतर उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 148 व 150 के अनुसार मांग पत्र/नोटिस भेजने के 45 दिन के बाद बकायेदार की चल-अचल सम्पत्ति अधिग्रहीत कर ली जानी चाहिए थी, परन्तु शासनादेशों का पालन नहीं किया जा रहा है। प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है। इस प्रति उत्तरदायी के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आ०सं० 14(i))

प्रस्तर-2

अन्त्योदय/स्थानीय विकास व स्पेशल कम्पोनेन्ट योजनान्तर्गत वितरित ऋण में रु० 8.89 लाख का आज तक वसूल न होना—

क्र०सं०	योजना का नाम	शासन से प्राप्त	वितरित धनराशि	वापस धनराशि	बकाया धनराशि	वसूली धनराशि	वसूली हेतु अवशेष
1.	अन्त्योदय	50.58	48.84	1.74	23.42	17.47	5.99
2.	स्पेशल कम्पोनेन्ट	21.48	18.19	0	7.10	4.20	2.90
3.	योग	72.06	67.03	1.74	30.52	21.67	8.89

(उपरोक्त आकड़े वर्ष 2014-15 के प्रपत्र-5 के आधार पर अंकित किया गया है)

(ii) स्पेशल कम्पोनेन्ट के अन्तर्गत रु0 21.48 लाख प्राप्त दर्शित थी जिसमें रु0 18.19 लाख का वितरण दर्शित है, शेष रु0 3.29 लाख न तो वापस किया गया दर्शित है और न ही वितरण किया गया दर्शित है, जो अनियमित प्रतीत होता है जिसका दायित्व का निर्धारण कर ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। इस प्रति उत्तरदायी के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आ0सं0 15(ii))

(iii) उक्त वसूली हेतु अवशेष धनराशि रु0 889000.00 लाख का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है। इस प्रति उत्तरदायी के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आ0सं0 15(iii))

प्रस्तर-3

कृषि भूमि की नीलामी कई वर्षों से न किया जाना तथा रु0 0.22 लाख की हानि जिला पंचायत रामपुर के अन्तर्गत 26 प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सम्बन्ध कृषि भूमि को कृषि कार्य हेतु प्रतिवर्ष ठेके पर देने के लिए नीलामी की कार्यवाही नीलामी समिति द्वारा की जाती है। जिसमें सर्वाधिक बोली बोलने वाले व्यक्ति को भूमि एक वर्ष के पट्टे पर देकर निर्धारित स्टाम्प पेपर पर इकरार नामा/अनुबन्ध किया जाता है।

लेखापरीक्षा दौरान पाया गया कि जिला पंचायत द्वारा 11 कृषि भूमि की नीलामी प्रति वर्ष की जाती है जिसका वर्ष 2014-15 में रु0 9.25 लाख में नीलामी की जानी दर्शित है शेष की नीलामी नहीं की जाती है जो गम्भीर आपत्ति का विषय है।

अग्रेतर जांच में पाया गया कि जिला पंचायत द्वारा पट्टे पर दी जाने वाली कृषि भूमि का इकरारनामा/अनुबन्ध निर्धारित स्टाम्प शुल्क नहीं लिया जा रहा है जिसके कारण रु0 0.22 लाख की राजस्व हानि वहन करनी पड़ी, जबकि भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा-35 बी के अनुसार जिला पंचायतों/स्थानीय निकायों में किये जाने वाले वार्षिक ठेकों/पट्टों हेतु किये जाने अनुबन्ध पर रुपये 80.00 प्रति हजार की दर से स्टाम्प शुल्क प्रभावित है। इस प्रति उत्तरदायी के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आ0सं0 19)

प्रस्तर-4

मृत पशु-शव-निस्तारण के ठेके में स्टाम्प शुल्क न लेने से रु0 0.74 लाख की हानि भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा-35 बी के अनुसार जिला पंचायतों/स्थानीय निकायों में किये जाने वाले वार्षिक ठेकों/पट्टों हेतु किये जाने अनुबन्ध पर रुपये 80.00 प्रति हजार की दर से स्टाम्प शुल्क प्रभावित है। इस प्रति उत्तरदायी के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

जिला पंचायत द्वारा मृत पशु-शव-निस्तारण हेतु वर्ष 2014-15 में सभी विकास खण्डों हेतु ठेकेदारों को रु0 9.25 लाख की धनराशि में ठेके दिये थे परन्तु ठेकेदार से पंजीकृत अनुबन्ध गठित नहीं किया गया जिससे रु0 0.74 लाख राजस्व (स्टाम्प शुल्क) की हानि शासन को वहन करनी पड़ी। अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है। इस प्रति उत्तरदायी के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आ0सं0 20)

प्रस्तर-5

वर्ष में निर्माण सम्बन्धी पत्रावलियों की रेण्डम जांच में निम्न कमियां पायी गयी—

- (i) वित्तीय 2014-15 में ग्राम अहमद नगर विकास खण्ड चमरौआ में सीसी व नाली निर्माण कार्य अनुमानित रु0 2.82 लाख-60 मीटर लम्बी सड़क के प्राक्कलन में चैनैजवार दोनों तरफ की चौड़ाई व ऊंचाई की माप न

दर्शाते हुए एक ही लाइन में स्टीमेट बना दिया गया, जो सही नहीं है। इस प्रकार के प्राक्कलन से कार्य के वास्तविक लागत का आंकलन करना सम्भव नहीं है। तकनीकी रूप से इस प्रकार के प्राक्कलन मान्य नहीं है तथा पी0डब्लू0डी0 के नियमों विपरीत है। इसे मात्र प्रारम्भिक प्राक्कलन कहा जा सकता है। यह विस्तृत प्राक्कलन नहीं है। (टेण्डर दिनांक 29.10.2014 को श्री नईम अहमद के नाम खुला था, इनके द्वारा सेकुरिटी रू0 28400.00 एफ0डी0आर0 लगायी दर्शायी गयी परन्तु मूल प्रति या फोटो कापी संलग्न नहीं है तथा डाले गये तीनों टेण्डरों में एक ही हस्तलिपि है और टेण्डर में ठेकेदारों के पते अंकित नहीं है टेण्डर के प्रपत्रों को देखने से ऐसे टेण्डर लिफाफे में बन्द नहीं किये गये थे, सीधे फाइल में नथ्थी कर दिये गये थे। एम0बी0 में कार्य प्रारम्भ का दिनांक अंकित नहीं है तथा यह लिखा गया है कि जिस दिनांक को वर्क आर्डर हुआ था उसी दिनांक से कार्य प्रारम्भ हुआ है इस प्रकार प्रायः प्रत्येक एम0बी0 में लिखा गया है, यह कैसी विधिवत तैयारी थी? या संयोग था कि जिस दिन वर्क आर्डर होता है उसी दिन कार्य प्रारम्भ हो जाता है जो संदिग्ध प्रतीत होता है। इस प्रकार अनियमित प्राक्कलन के अनुसार किये गये भुगतान रू0 2.82 लाख संदिग्ध हैं।

(ii) वित्तीय 2014-15 में ग्राम अहमद नगर विकास खण्ड चमरौआ में सीसी व नाली निर्माण कार्य अनुमानित रू0 4.45 लाख-100 मीटर लम्बी सड़क के प्राक्कलन में चैनेजवार दोनों तरफ की चौड़ाई व ऊँचाई की माप न दर्शाते हुए एक ही लाइन में स्टीमेट बना दिया गया, जो सही नहीं है। इस प्रकार के प्राक्कलन से कार्य के वास्तविक लागत का आंकलन करना सम्भव नहीं है। तकनीकी रूप से इस प्रकार के प्राक्कलन मान्य नहीं है तथा पी0डब्लू0डी0 के नियमों विपरीत है। इसे मात्र प्रारम्भिक प्राक्कलन कहा जा सकता है। यह विस्तृत प्राक्कलन नहीं है। इस प्रकार अनियमित प्राक्कलन के अनुसार किये गये भुगतान रू0 4.45 लाख संदिग्ध हैं।

(iii) वित्तीय 2014-15 में ग्राम रायपुर विकास खण्ड शाहबाद में सीसी व नाली निर्माण कार्य अनुमानित रू0 2.36 लाख-50 मीटर लम्बी सड़क के प्राक्कलन में चैनेजवार दोनों तरफ की चौड़ाई व ऊँचाई की माप न दर्शाते हुए एक ही लाइन में स्टीमेट बना दिया गया, जो सही नहीं है। इस प्रकार के प्राक्कलन से कार्य के वास्तविक लागत का आंकलन करना सम्भव नहीं है। तकनीकी रूप से इस प्रकार के प्राक्कलन मान्य नहीं है तथा पी0डब्लू0डी0 के नियमों विपरीत है। इसे मात्र प्रारम्भिक प्राक्कलन कहा जा सकता है। यह विस्तृत प्राक्कलन नहीं है। (टेण्डर दिनांक 21.01.2015 को श्री हरपाल सिंह के नाम खुला था, इनके द्वारा सेकुरिटी रू0 47000.00 एफ0डी0आर0 लगायी दर्शायी गयी फोटो कापी संलग्न है तथा डाले गये तीनों टेण्डरों में एक ही हस्तलिपि है और टेण्डर में ठेकेदारों के पते अंकित नहीं है, टेण्डर के प्रपत्रों को देखने से ऐसा प्रतीत होता है टेण्डर लिफाफे में बन्द नहीं किये गये थे, सीधे फाइल में नथ्थी कर दिये गये थे। एम0बी0 में कार्य प्रारम्भ का दिनांक अंकित नहीं है तथा यह लिखा गया है कि जिस दिनांक को वर्क आर्डर हुआ था उसी दिनांक से कार्य प्रारम्भ हुआ है इस प्रकार प्रायः प्रत्येक एम0बी0 में लिखा गया है, यह कैसी विधिवत तैयारी थी? या संयोग था कि जिस दिन वर्क आर्डर होता है उसी दिन कार्य प्रारम्भ हो जाता है जो संदिग्ध प्रतीत होता है।) इस प्रकार अनियमित प्राक्कलन के अनुसार किये गये भुगतान रू0 2.33 लाख संदिग्ध हैं।

(iv) वित्तीय 2014-15 में ग्राम अकौदा में 50 मीटर सीसी व नाली निर्माण कार्य अनुमानित रू0 2.36 लाख- 50 मीटर लम्बी सड़क के प्राक्कलन में चैनेजवार दोनों तरफ की चौड़ाई व ऊँचाई की माप न दर्शाते हुए एक ही लाइन में स्टीमेट बना दिया गया, जो सही नहीं है। इस प्रकार के प्राक्कलन से कार्य के वास्तविक लागत का आंकलन करना सम्भव नहीं है। तकनीकी रूप से इस प्रकार के प्राक्कलन मान्य नहीं है तथा पी0डब्लू0डी0 के नियमों विपरीत है। इसे मात्र प्रारम्भिक प्राक्कलन कहा जा सकता है। यह विस्तृत

प्राक्कलन नहीं है। (टेण्डर दिनांक 21.01.2015 को श्री जकी उर रहमान के नाम खुला था, इनके द्वारा सेकुरिटी रू0 23600.00 एफ0डी0आर0 लगायी दर्शायी गयी फोटो कापी संलग्न है तथा डाले गये तीनों टेण्डरों में एक ही हस्तलिपि है और टेण्डर में ठेकेदारों के पते अंकित नहीं है, टेण्डर के प्रपत्रों को देखने से ऐसा प्रतीत होता है टेण्डर लिफाफे में बन्द नहीं किये गये थे, सीधे फाइल में नथ्थी कर दिये गये थे। एम0बी0 में कार्य प्रारम्भ का दिनांक अंकित नहीं है तथा यह लिखा गया है कि जिस दिनांक को वर्क आर्डर हुआ था उसी दिनांक से कार्य प्रारम्भ हुआ है इस प्रकार प्रायः प्रत्येक एम0बी0 में लिखा गया है, यह कैसी विधिवत तैयारी थी? या संयोग था कि जिस दिन वर्क आर्डर होता है उसी दिन कार्य प्रारम्भ हो जाता है जो संदिग्ध प्रतीत होता है।) इस प्रकार अनियमित प्राक्कलन के अनुसार किये गये भुगतान रू0 2.36 लाख संदिग्ध हैं।

- (V) वित्तीय वर्ष 2014-15 ग्राम मुतिया पुरा विकास खण्ड चमरौआ में 125 मीटर खंडजा व नाली निर्माण कार्य अनुमानित रू0 3.10 लाख-125 मीटर लम्बे कार्य के प्राक्कलन में चैनेजवार दोनों तरफ की चौड़ाई व ऊंचाई की माप न दर्शाते हुए एक ही लाइन में स्टीमेट बना दिया गया, जो सही नहीं है। इस प्रकार के प्राक्कलन से कार्य के वास्तविक लागत का आंकलन करना सम्भव नहीं है। तकनीकी रूप से इस प्रकार के प्राक्कलन मान्य नहीं है। इसे मात्र प्रारम्भिक प्राक्कलन कहा जा सकता है। यह विस्तृत प्राक्कलन नहीं है। प्राक्कलन के साथ कार्य का एल सेक्शन व क्रॉस सेक्शन तथा साइड प्लान भी संलग्न नहीं है। (टेण्डर दिनांक 24.09.2014 को श्री नईम अहमद के नाम खुला था, इनके द्वारा सेकुरिटी रू0 31000.00 एफ0डी0आर0 लगायी दर्शायी गयी फोटो कापी संलग्न है तथा डाले गये तीनों टेण्डरों में एक ही हस्तलिपि है और टेण्डर में ठेकेदारों के पते अंकित नहीं है, टेण्डर के प्रपत्रों को देखने से ऐसा प्रतीत होता है टेण्डर लिफाफे में बन्द नहीं किये गये थे, सीधे फाइल में नथ्थी कर दिये गये थे। एम0बी0 में कार्य प्रारम्भ का दिनांक अंकित नहीं है तथा यह लिखा गया है कि जिस दिनांक को वर्क आर्डर हुआ था उसी दिनांक से कार्य प्रारम्भ हुआ है इस प्रकार प्रायः प्रत्येक एम0बी0 में लिखा गया है, यह कैसी विधिवत तैयारी थी? या संयोग था कि जिस दिन वर्क आर्डर होता है उसी दिन कार्य प्रारम्भ हो जाता है जो संदिग्ध प्रतीत होता है।) इस प्रकार उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम-6 का उल्लंघन करते हुए अनियमित प्राक्कलन के अनुसार किये गये भुगतान रू0 2.51 लाख संदिग्ध हैं। उत्तरदायी से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

(आ0सं0 25)

प्रस्तर-6

विगत वर्षों में ऑडिट दौरान निर्माण सम्बन्धी फाइल उपलब्ध नहीं करायी गयी थी जिससे सम्बन्धित वर्षों की आपत्तियों उन वर्षों में निर्गत नहीं की गयी थी, वर्ष 2014-15 में विशेष निरीक्षण में जो फाइल उपलब्ध करायी गयी उनकी आपत्तियां वर्ष 2014-15 में सम्मिलित कर ली गयी, जो निम्न प्रकार हैं-

- (i) वित्तीय वर्ष 2010-11 ग्राम पदमपुर में 400 मीटर खंडजा निर्माण कार्य अनुमानित रू0 3.00 लाख श्री असलम खां ठेकेदार को उक्त कार्य के सापेक्ष रू0 2,99,818.00 का भुगतान दिनांक 04.05.2011 को स्वीकृत कर दिया गया, जबकि पत्रावली में कार्यपूर्ति का प्रमाण-पत्र व एम0बी0 संलग्न नहीं है। अनुबन्ध प्रमाण पत्र पर ठेकेदार के हस्ताक्षर करने की तिथि अंकित नहीं है तथा पूर्णरूप से भरा नहीं गया है। वर्क आर्डर पर फ्ल्यूड का प्रयोग किया गया है, जो पूर्णतया वर्जित है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पहले किसी अन्य ठेकेदार को वर्क आर्डर जारी किया गया था। कराये गये कार्य की स्थिति संदिग्ध है।

- ii) वित्तीय वर्ष 2010-11 ग्राम खुकिया नगला में 320 मीटर खंडजा निर्माण कार्य का प्राक्कलन ही गलत बनाया गया है। प्राक्कलन में मिट्टी के कार्य एवं सोलिंग के कार्य में ऊंचाई व चौड़ाई की चैनेजवार नाप करते हुए तैयार किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया है, जिससे प्राक्कलन की लागत का आंकलन सम्भव नहीं है। प्राक्कलन में 210 मीटर की एक चौड़ाई व ऊंचाई दर्शायी गयी है, जो सम्भव नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्राक्कलन बिना मौके पर जाये कार्यालय में बैठकर तैयार किया गया है। पहले जिस प्राक्कलन पर टेण्डर किया गया है, टेण्डर के बाद उसके स्थान पर पुनः संशोधित प्राक्कलन तैयार किया गया है। उल्लेखनीय है कि संशोधित प्राक्कलन भी गलत तैयार किया गया है। प्राक्कलन के साथ कार्य का एल सेक्शन व क्रास सेक्शन तथा साइड प्लान भी संलग्न नहीं है। इस प्रकार उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम-6 का उल्लंघन करते हुए अनियमित प्राक्कलन के अनुसार किये गये भुगतान संदिग्ध है।
- (iii) वित्तीय वर्ष 2010-11 ग्राम पदमपुर में 400 मीटर खंडजा निर्माण कार्य 400 मीटर लम्बे कार्य के प्राक्कलन में चैनेजवार दोनों तरफ की चौड़ाई व ऊंचाई की माप न दर्शाते हुए एक ही लाइन में स्टीमेट बना दिया गया, जो सही नहीं है। इस प्रकार के प्राक्कलन से कार्य के वास्तविक लागत का आंकलन करना सम्भव नहीं है। तकनीकी रूप से इस प्रकार के प्राक्कलन मान्य नहीं है। इसे मात्र प्रारम्भिक प्राक्कलन कहा जा सकता है। यह विस्तृत प्राक्कलन नहीं है। प्राक्कलन के साथ कार्य का एल सेक्शन व क्रास सेक्शन तथा साइड प्लान भी संलग्न नहीं है। इस प्रकार उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम-6 का उल्लंघन करते हुए अनियमित प्राक्कलन के अनुसार किये गये भुगतान संदिग्ध है।
- (iv) वित्तीय वर्ष 2010-11 ग्राम भटपुरा चक्रदान विकास खण्ड विलास पुर में सीसी व नाली निर्माण कार्य अनुमानित लागत रु0 4.80 लाख के सापेक्ष वैरियेशन स्टेटमेंट के आधार पर रु0 4,76,216.00 का भुगतान किया गया है। कार्य के सत्यापन की रिपोर्ट तथा कार्य पूर्ण होने का कोई भी उल्लेख पत्रावली में संलग्न नहीं है। ठेकेदार के भुगतान मांगे जाने पर ही भुगतान कर दिया गया है। इस प्रकार अनियमित प्राक्कलन के अनुसार किये गये भुगतान संदिग्ध है।
- (v) वित्तीय वर्ष 2010-11 ग्राम लाला नगला में 230 मीटर नाला निर्माण कार्य अनुमानित लागत रु0 4.00 लाख कार्य के प्राक्कलन में की चौड़ाई व ऊंचाई का माप नहीं किया गया है। एक चौड़ाई व ऊंचाई पूरी लम्बाई में मानते हुए एक लाइन से प्राक्कलन तैयार किया गया है। 1x230x1.20x0.95 इस प्रकार के प्राक्कलन से वास्तविक लागत का आंकलन नहीं किया जा सकता है। वैरियेशन स्टेटमेंट के आधार पर लम्बाई 235 मीटर दर्शाते हुए रु0 4,06,043.00 का भुगतान किया गया है। इस प्रकार उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम-6 का उल्लंघन करते हुए अनियमित प्राक्कलन के अनुसार किये गये भुगतान संदिग्ध है।
- (vi) वित्तीय वर्ष 2010-11 ग्राम हसन पुर धावनी में 60 मीटर सीसी व नाली निर्माण कार्य अनुमानित लागत रु0 2.00 लाख अनुमानित लागत रु0 2.00 लाख के सापेक्ष वैरियेशन स्टेटमेंट के आधार पर रु0 1,98,662.00 का भुगतान किया गया है। कार्य के सत्यापन की रिपोर्ट तथा कार्य पूर्ण होने का कोई भी उल्लेख पत्रावली में संलग्न नहीं है। ठेकेदार के भुगतान मांगे जाने पर ही भुगतान कर दिया गया है। इस प्रकार अनियमित प्राक्कलन के अनुसार किये गये भुगतान संदिग्ध है।
- (vii) वित्तीय वर्ष 2010-11 ग्राम माचेगढ. में 200 मीटर खंडजा निर्माण कार्य 200 मीटर लम्बी सड़क के प्राक्कलन में चैनेजवार दोनों तरफ की चौड़ाई व ऊंचाई की माप न दर्शाते हुए एक ही लाइन में स्टीमेट

बना दिया गया, जो सही नहीं है। इस प्रकार के प्राक्कलन से कार्य के वास्तविक लागत का आंकलन करना सम्भव नहीं है। तकनीकी रूप से इस प्रकार के प्राक्कलन मान्य नहीं है तथा पी0डब्लू0डी0 के नियमों विपरीत है। इसे मात्र प्रारम्भिक प्राक्कलन कहा जा सकता है। यह विस्तृत प्राक्कलन नहीं है। प्राक्कलन के साथ कार्य का एल सेक्शन व क्रास सेक्शन तथा साइड प्लान भी संलग्न नहीं है। कार्य के सत्यापन की रिपोर्ट तथा कार्य पूर्ण होने का कोई भी अभिलेख पत्रावली संलग्न नहीं है। इस प्रकार अनियमित प्राक्कलन के अनुसार किये गये भुगतान संदिग्ध है।

(viii) जिला पंचायत रामपुर कार्यालय अनुरक्षण कार्य अनुमानित लागत रू0 3,25,000.00 के सापेक्ष वेरियेशन स्टेटमेंट के आधार पर रू0 3,27,271.00 का भुगतान किया गया है। टेण्डर कार्यदेश भुगतान स्वीकृत संलग्न है, कार्यों का सत्यापन उपलब्ध नहीं है।

(ix) वित्तीय वर्ष 2010-11 ग्राम माचेगढ़ में खंडजा निर्माण कार्य अनुमानित लागत रू0 1.50 लाख जमानत धनराशि में एफ0डी0आर0 का नम्बर व धनराशि अनुबन्ध पत्र में अंकित है। नियमानुसार इसकी छाया प्रति के साथ वास्तविक बिल की प्रति तथा कार्यों का सत्यापन की रिपोर्ट प्राथमिक प्राक्कलन व वास्तविक प्राक्कलन संलग्न होना चाहिए। प्रकाशित करायी गयी विज्ञप्ति की प्रति भी संलग्न नहीं है।

(x) जिला पंचायत की वार्षिक पुताई व मरम्मत कार्य फाइल सं0-25 रू0 3.00 लाख के सापेक्ष श्री मौ0 हसन का टेण्डर स्वीकृत किया गया, जिसका अनुबन्ध दिनांक 13.08.2010 को किया गया, जिसके क्रम में दिनांक 20.08.2010 को वर्क आर्डर जारी किया गया, जिसमें दिनांक 20.11.2010 तक कार्य पूर्ण किया जाना था। जबकि एम0बी0 नं0 283 के पृष्ठ 47 पर पूर्णतः की स्थिति दिनांक 25.11.2010 दर्शायी गयी है, जबकि वेरियेशन रिपोर्ट, जो कि एम0डी0 के समय दी जाती है, को कार्य पूर्ण होने के चार माह पूर्व में दिनांक 25.08.2010 में ही स्वीकृत हो गया, जिससे प्रतीत होता है कि जिला पंचायत में निर्माण/मरम्मत कार्य में नियमों की अवहेलना करते हुए अनियमित तरीके से कार्य कराया गया।

(xi) दिनांक 01.11.2011 को अवर अभियन्ता श्री रमन कुमार द्वारा तीन विभिन्न विकास खण्डों में तीन पृथक-पृथक कार्यों की माप व माप पुस्तिकाओं में अंकित की गयी, जो व्यवहारिक दृष्टिकोण से कार्यों के मध्य दूरियों को दृष्टिगत रखते हुए सम्भव नहीं है। कार्य का विवरण निम्नानुसार है—

(क) ग्राम गुजरौला में 210 मीटर सी0सी0 निर्माण, एम0बी0 पुस्तिका 285 विकास खण्ड विलास पुर।

(ख) ग्राम सींगन खेड़ा में सी0सी0 रोड निर्माण व नाली निर्माण, एम0बी0 पुस्तिका 286 विकास खण्ड सैदनगर।

(ग) ग्राम डोहरिया में सी0सी0 रोड निर्माण व नाली निर्माण, एम0बी0 पुस्तिका 286 विकास खण्ड शाहबाद। इस प्रकार की गयी माप एवं भुगतान संदिग्ध है।

(xii) वित्तीय वर्ष 2010-11 में राज्य वित्त आयोग फाइल सं0-75 में ग्राम पदम पुर में 400 मीटर अनुमानित लागत रू0 3.00 लाख में प्रस्तुत विल रू0 2,99,818.00 की माप पुस्तिका 284 के पृष्ठ सं0 1 व 2 पर कार्य प्रारम्भ 01.04.2011 तथा कार्य समाप्ति 05.04.2011 दर्शित है अवर अभियन्ता द्वारा माप की दिनांक 10.04.2011 दर्शित है, जबकि फाइल में नोट शीट पृष्ठ सं0 3 पर वेरियेशन चार्ट पर रिपोर्ट 04.04.2011 दर्शित है। कार्य माप दिनांक 10.04.2011 से वेरियेशन रिपोर्ट जारी की गयी है, जो कि कार्य में की गयी अनियमितता को उजागर करता है।

(xiii) वित्तीय वर्ष 2010-11 में फाइल सं0-52 में ग्राम अहमद नगर में 180 मीटर अनुमानित लागत रु0 1.57 लाख में प्रस्तुत बिल रु0 1,52,126.00 दिनांक 11.03.2011 को भुगतान किया गया है। कार्य की माप पुस्तिका 283 के पृष्ठ सं0 66 व 67 पर कार्य समाप्ति 28.01.2011 व कार्य की माप की दिनांक 05.02.2011 दर्शित है, जबकि फाइल में संलग्न नोटशीट पृष्ठ सं0 3 पर वेरियेशन रिपोर्ट चार्ट पर निर्माण लिपिक अवर अभियंता ए0एम0ए0 द्वारा हस्ताक्षर दिनांक 28.08.2010 को कराये गये हैं। वेरियेशन रिपोर्ट कार्य की समाप्ति की माप होने के बाद जारी होना चाहिए था। इस प्रकार लगभग 5 माह पूर्व ही वेरियेशन रिपोर्ट जारी किया जाना नियम विरुद्ध एवं संदिग्ध है।

(xiv) वित्तीय वर्ष 2010-11 में फाइल सं0-70 में ग्राम मुल्ला खेड़ा के मजरे सुल्तान पुर में 1.00 किलोमीटर की डामर रोड मरम्मत में अनुमानित लागत रु0 6.52 लाख में प्रस्तुत बिल रु0 6,08,224.00 दिनांक 27.06.2011 को स्वीकृत किया गया है। कार्य की माप पुस्तिका 282 के पृष्ठ सं0 83 व 84 पर कार्य समाप्ति 22.06.2011 व कार्य की माप की दिनांक 23.06.2011 दर्शित है, जबकि फाइल में संलग्न नोटशीट पृष्ठ सं0 3 पर वेरियेशन रिपोर्ट चार्ट पर निर्माण लिपिक अवर अभियंता ए0एम0ए0 द्वारा हस्ताक्षर दिनांक 18.06.2011 को कराये गये हैं। वेरियेशन रिपोर्ट कार्य की समाप्ति की माप होने के बाद जारी होना चाहिए था। इस प्रकार लगभग 10 दिन पूर्व ही वेरियेशन रिपोर्ट जारी किया जाना नियम विरुद्ध एवं संदिग्ध है।

(xv) फाइल सं0 76 राज्य वित्त के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010-11 में किये गये कार्य की माप एम0बी0 नं0 281 के पृष्ठ सं0 98 से 100 तक की गयी है। एम0बी0 के अवलोकन में पाया गया कि कार्य आरम्भ होने का दिनांक नहीं दर्शाया गया है तथा कार्य पूर्ण होने व माप करने का दिनांक पृथक-पृथक अंकित है। मिट्टी कार्य की माप में केवल लम्बाई व चौड़ाई अंकित की गयी है। ऊंचाई बाद में कुल एरिया के साथ एक ही बार में आंकलित कर दी गयी है, इससे स्पष्ट है कि माप मौके पर नहीं की गयी, जो नियम विरुद्ध है। इस प्रकार उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम-28 का उल्लंघन करते हुए अनियमित प्राक्कलन के अनुसार किये गये भुगतान संदिग्ध है।

(xvi) फाइल सं0-69 राज्य वित्त के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010-11 में देवी पुरा में सी0सी0 रोड़ व नाली निर्माण 240 मीटर का टेण्डर रु0 8.00 लाख में होना था, जिसके सापेक्ष कुल तीन टेण्डर 1-श्री महमूद ठेकेदार 2-श्री इरफान मियां 3-श्री इकरार हुसैन द्वारा भरे गये, जबकि तीनों टेण्डरों पर एक ही हस्तलिपि से प्रविष्टियां की गयी थी। टेण्डरों पर ठेकेदारों के पते अंकित नहीं थे। उक्त टेण्डर श्री इकरार हुसैन के नाम खुला। जिनको कार्यालय अभियंता द्वारा दिनांक 30.03.2011 को पत्रांक-668 द्वारा तीन माह में अनुबन्ध करने सम्बन्धी पत्र निर्गत किया गया, जबकि दिनांक 15.04.2011 को पत्रांक सं0-704 द्वारा इसी सम्बन्ध में तीन दिन की चेतावनी जारी की गयी और अन्ततः दिनांक 20.05.2011 को पत्रांक सं0-1493 द्वारा अन्तिम चेतावनी एक सप्ताह की जारी की गयी, जो कि 26.05.2011 को पूर्ण होने के उपरान्त दिनांक 10.06.2011 को जारी स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध क्यों किया गया, जबकि अन्तिम चेतावनी के बाद टेण्डर निरस्त किया जाना चाहिए था। अतः अनियमित रूप से दिया गया। इस प्रकार उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम-6, 21 व 28 का उल्लंघन करते हुए अनियमित प्राक्कलन के अनुसार किये गये भुगतान संदिग्ध है।

उक्त टेण्डर के सापेक्ष कार्य कब प्रारम्भ, कब समाप्त हुआ के सम्बन्ध में कोई भी अभिलेख नहीं थे और न ही काम पूर्ण होने पर अभियंता/अवर अभियंता द्वारा कार्य पूर्ण होने का कम्प्लीशन सर्टीफिकेट पत्रावली में नहीं था। ठेकेदार की जमानत धनराशि कार्य पूर्ण होने के छह माह या प्रथम वर्षा ऋतु के बाद की जानी चाहिए थी, जिसका पालन नहीं किया गया। अतः उपरोक्त टेण्डर व टेण्डर सम्बन्धी कार्य अनियमित रहे।

(xvii) पत्रावली सं० 64, 65, 66 व 67 के परीक्षण में पाया गया कि समस्त निर्माण कार्य की एम०बी० कार्यों के साथ साथ न करके पूरी एम०बी० की प्रविष्टियां एक ही दिनांक में की गयी हैं साथ ही कराये निर्माण कार्य का नियमानुसार प्राक्कलन नहीं कराया गया तथा मनमाने रीति से लागत के अनुसार प्राक्कलन तैयार कराये गये। इस प्रकार उ०प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम-6, 28, 35 व 36 का उल्लंघन करते हुए अनियमित प्राक्कलन के अनुसार किये गये भुगतान संदिग्ध है।

(xviii) फाइल सं० 7 राज्य वित्त से वित्तीय वर्ष ग्राम सीकम पुर में 200 मीटर सी०सी० रोड़ व नाली निर्माण का कार्य कराया गया। कार्य दिनांक 20.10.2013 को समाप्त हुआ तथा एक ही दिन दिनांक 27.10.2013 को एम०बी० कर दी गयी। कोई रिकार्ड, मेजरमेंट दर्ज नहीं है। एम०बी० में कार्य प्रारम्भ होने की कोई तिथि अंकित नहीं है। कार्य का प्राक्कलन चैनेजवार न बना कर पूरी लम्बाई 200 मीटर का एक साथ बना दिया गया है। पत्रावली में तीन बार प्राक्कलन बदला गया है और कार्य के किये गये भुगतान एवं प्रथम बार तैयार किये गये प्राक्कलन में 10 प्रतिशत से अधिक का वैरियेशन है। प्रथम प्राक्कलन रू० 7.80 लाख , दूसरा प्राक्कलन रू० 8,60,750.00 तथा तीसरा प्राक्कलन रू० 9,21,562.00 का बनाया गया है, तीसरा प्राक्कलन टेण्डर होने के बाद बनाया गया है। प्रत्येक बार कार्य की माप में अन्तर आया है। इससे सिद्ध होता है कि पूर्व के दो प्राक्कलन वास्तविक न होकर काल्पनिक तैयार किये गये थे। जो कि किये गये भुगतान को अनियमित एवं संदिग्ध बनाता है। इस प्रकार उ०प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम-6, 15, 28, 35 व 36 का उल्लंघन करते हुए अनियमित प्राक्कलन के अनुसार किये गये भुगतान संदिग्ध है।

(xix) फाइल सं०-13 राज्य वित्त से वित्तीय वर्ष 2011-12 में ग्राम राम नगर में सी०सी० रोड़ व नाली निर्माण 200 मीटर कराया गया। 200 मीटर लम्बी सी०सी० रोड़ का चैनेजवार चौड़ाई व लम्बाई न लेते हुए एक ही लाइन में 160मीटर व 40 मीटर लम्बाई मानते हुए प्राक्कलन तैयार किया गया है। इस प्रकार का प्राक्कलन नियमानुसार नहीं है न ही कार्य के एल-सेक्शन व सी-सेक्शन व साइड प्लान भी संलग्न है।

कार्य की माप पुस्तिका के निरीक्षण में पाया कि कार्य की माप एम०बी० नं० 284 के पृष्ठ 27 से 29 पर अंकित किये गये हैं। एम०बी० में कार्य प्रारम्भ होने का दिनांक अंकित नहीं है। कार्य समाप्त होने की तिथि 10.08.2011 तथा माप दर्ज करने की तिथि 03.08.2011 अंकित है। कार्य की कोई भी रिकार्ड मेजरमेंट अंकित नहीं किया गया है। कार्य पूर्ण होने के उपरान्त, बाद में अन्दाजे से माप दर्ज की गयी है। इस प्रकार उ०प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम-6, 28, 35 व 36 का उल्लंघन करते हुए अनियमित प्राक्कलन के अनुसार किये गये भुगतान संदिग्ध है।

(xx) वित्तीय वर्ष 2013-14 में ग्राम इण्डिखेड़ा में 200मीटर डामर रोड़ व दीवार निर्माण कार्य कराया गया साथ ही फाइल नं० 64 के पृष्ठ 6 पर जो भुगतान की स्वीकृत दी गयी है व माप पुस्तिका 295 के पृष्ठ 5 से 6 पर किये गये अंकन के आधार पर दी गयी है। जबकि माप पुस्तिका में इस कार्य का अंकन पृष्ठ 4 से 6 पर दर्ज किया गया है। कार्य समाप्त होने के दिनांक में भी कटिंग की गयी है साथ ही कार्य का कोई भी रिकार्ड मेजरमेंट दर्ज नहीं किया गया है। सभी माप कार्य समाप्त होने के बाद एक ही दिन में दर्ज कराना दर्शाया गया है। इससे प्रतीत होता है कि कार्य की माप मौके पर न जाकर कार्यालय पर ही दर्ज कर दी गयी है। इस प्रकार उ०प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम-6, 28, 35 व 36 का उल्लंघन करते हुए अनियमित प्राक्कलन के अनुसार किये गये भुगतान संदिग्ध है।

उपरोक्त वर्षों की निर्माण पत्रावलियों के रेण्डम परीक्षण से प्रमाणित होता है कि अधिकांश कार्यों में निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व ब्यौरेवार नक्शे का अनुमान नहीं तैयार किया गया, स्वीकृत नक्शों व अनुमानों में परिवर्तन व विस्तार 10 प्रतिशत की सीमा से अधिक हुआ, टेण्डर के सम्बन्ध में निर्धारित प्रक्रिया का समुचित रीति से पालन नहीं किया गया, निर्माण कार्य प्रारम्भ करने का दिनांक अंकित नहीं किया गया, निर्माण कार्य व सामाग्री की माप सम्यक रीति से नहीं की गयी, माप पुस्तिकों के सम्बन्ध में दिये गये निर्देश का पालन नहीं किया गया तथा एम0बी0गलत रीति से की गयी। इस प्रकार उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के प्राविधनों का अनुपालन सुनिश्चित न करते हुए अनियमित भुगतान किया गया, जिसके लिए अध्यक्ष जिला पंचायत एवं तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी, अभियंता एवं अवर अभियंता उत्तरदायी हैं। समस्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली संबंधित से की जानी अपेक्षित है।

(आ0सं0 26)

जनपद—अमरोहा

मण्डल—मुरादाबाद

1—जिला पंचायत — अमरोहा

वर्ष—2014—15

प्रस्तर सं0—1 क

बाल संग्रह के उठाये गए ठेका का राजकीय स्टाम्प पर अनुबन्ध न कराकर रुपये 100200.00 की वित्तीय अनियमितता कर राजकीय धन की क्षति की गयी है। उत्तरदायी व्यक्ति श्री हेतराम सिंह पटल लिपिक एवं श्री फरहत अली अपर मुख्य अधिकारी से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0—1 ख

कृषि भूमि नीलामी के उठाये गए ठेके का राजकीय स्टाम्प पर अनुबन्ध न कराकर रू0 1400.00 की वित्तीय अनियमितता कर राजकीय धन की क्षति की गयी है। उत्तरदायी व्यक्ति श्री हेतराम सिंह पटेल लिपिक एवं श्री फरहत अली अपर मुख्य अधिकारी से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

जनपद— मीरजापुर मण्डल— विन्ध्याचलधाम
जिला पंचायत मीरजापुर

प्रस्तर संख्या	आपति का विवरण	अपहरण	दुर्विनियोग	गंभीर अनियमितता
01	संस्था के कैश बुक के अनुसार वर्ष 2013-14 में राजस्व के रूप में क्रमशः आय कर रु0 3709297.00 व्यापार कर रु0 6721847.00 मिट्टी रायल्टी रु0 2685176.00 शेष कर रु0 3022649.00 कुल रु0 16138969.00 की कटौती की गयी जिसकी जमा की पुष्टि में कोषागार स्टेटमेंट (मदवार) एवं दाखिल जमा रिटर्न संबंधित विभागों का बार-बार माँगे जाने के बाद भी उपलब्ध नहीं कराया गया जिस कारण संस्था द्वारा राजस्व मद में की गयी कुल कटौती रु0 16138969.00 जमा की स्थिति संदिग्ध है । जिस हेतु अपर मुख्य अधिकारी श्री विन्ध्याचल कुशवाहा, वित्तीय सलाहकार श्री अमरनाथ राय व तत्कालीन लेखाकार उत्तरदायी हैं । सामान्य आपति संख्या— 02			16138969.00
02	निजी श्रोत से आय के संसाधनों की समीक्षा करने पर निम्न विवरण के अनुसार संस्था को आर्थिक क्षति पहुँचाने की स्थिति प्रकाश में आयी । संस्था स्तर पर नियमानुसार अनिवार्य रूप से निजी श्रोत से होने वाले आय का मदवार रजिस्टर प्रति वर्ष तैयार कराकर उसमें वसूली योग्य धनराशि (अवधारण) वर्ष में वसूली की धनराशि और वर्षान्त में वसूली हेतु बकाया धनराशि का विवरण तैयार कर वार्षिक लेखाबन्दी की जानी चाहिए थी । आय व्यय विवरण पत्र में मात्र वसूली की धनराशि का उल्लेख कर दिया जाता है। कितनी धनराशि ब्याज सहित वसूली हेतु शेष रह गयी इसे छोड़ दिया जाता है। अवधारण जमा व बकाया रजिस्टर पूर्ण नहीं किया जाता, नीलामी की प्रक्रिया अपनाई जाती है अथवा नहीं यह भी ज्ञात नहीं हो सका ।			81305000.00

(आंकड़े लाख रुपये में)													
क्र० सं०	मद का नाम	03—04	04—05	05—06	06—07	07—08	08—09	09—10	10—11	11—12	12—13	13—14	आंकलित क्षति
01	विभव एवं सम्पत्ति कर	16.90	16.90	16.80	15.03	16.65	17.87	17.94	23.38	20.14	34.99	31.07	84.44
02	लाइसेन्स	9.93	9.93	8.78	10.83	19.18	16.49	13.86	14.60	16.47	24.01	26.54	19.59
03	मृतक पशु शव निस्तारण	—	—	—	—	—	—	0.29	4.95	1.15	2.01	—	—
04	दुकान भवन किराया	0.40	हाट बाजार मद में	हाट बाजार मद में	—	0.85	हाट बाजार मद में	2.58	1.80	1.73	हाट बाजार मद में	3.86	—
05	नौका घाट	0.91	0.87	0.85	0.50	1.25	0.97	0.96	1.05	1.67	1.80	3.25	3.45
06	मेला प्रदर्शनी	0.06	0.06	0.07	0.05	0.07	—	—	—	—	—	—	—
07	हाट / तहबाजारी	3.15	41.35	32.41	34.59	13.44	62.15	27.47	16.39	17.54	27.50	0.04	378.59
08	काजी हाउस	0.17	0.14	0.14	0.02	0.04	0.07	0.05	0.08	0.12	0.04	—	1.40
09	कृषि एवं तरुपालन	0.03	0.01	0.01	0.03	—	0.03	0.01	0.03	—	—	—	—
10	ब्याज जिला निधि	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	प्रकीर्ण	4.10	9.39	33.32	8.49	2.81	3.99	4.36	45.55	23.99	5.09	—	—
12	असाधारण तथा ऋण	4.77	0.95	0.78	0.62	4.10	7.71	10.69	3.17	5.21	—	—	—
13	पाषाण खनिज	32.83	—	—	—	28.88	—	50.28	40.35	26.90	43.82	135.45	326.03
14	सम्पत्ति से आय	0.65	0.34	0.84	0.85	2.50	0.75	0.84	0.66	0.64	0.12	13.89	—
योग		73.90	79.94	94.00	71.01	89.77	110.03	129.33	152.01	115.56	139.38	214.10	813.50

उपरोक्त स्थिति में ऐसा प्रतीत होता है कि संस्था स्तर पर जानबूझकर योजना बद्ध तरीके से आवश्यक अभिलेख तैयार न कर के वसूली की गयी धनरशि जमा न करके वर्ष 2003—04 से वर्ष 2013—14 के मध्य लगभग 813.50 लाख की क्षति पहुँचायी गयी ।

लेखा परीक्षा दल द्वारा उद्घाटित प्रकरण पर जिला लेखा परीक्षा अधिकारी मीरजापुर द्वारा उपरोक्त आशय का पत्र प्रेषित कर संस्था का पक्ष प्राप्त किया गया । संस्था द्वारा अपने उत्तर में निम्न आशय की टिप्पणी की गयी है ।

क) वर्ष 2003—04 से वर्ष 2006—07 तक पाषाण खनन में प्रतिवर्ष आय (वसूली) हुयी है । विवरण सुलभ है ।

ख) लीज ठेकेदारों द्वारा जिला पंचायत का खनन शुल्क रु० 20.00 प्रति ट्रक एवं रु० 10.00 प्रति ट्रैक्टर की

दर से जमा कराया जाता था ।

ग) प्रति वर्ष 10 प्रतिशत वृद्धि से आंकलित क्षति उचित नहीं है।

ऑडिट का समीक्षात्मक निष्कर्ष—

संस्था द्वारा प्रतिवर्ष वसूली के आंकड़े उपलब्ध कराये । किन्तु यह स्पष्ट नहीं किया जा सका है कि जब अवधारण जमा व वसूली का रजिस्टर ही नहीं तैयार है तो यह आंकड़े कहां से उपलब्ध कराये गये हैं । साथ ही संस्था द्वारा प्रतिवर्ष आडिट में उपलब्ध कराये गये आय व्यय विवरण में यह आंकड़े क्यों नहीं लिए गये, यह भी स्पष्ट नहीं किया गया तथा यह भी स्पष्ट नहीं किया जा सका कि जिला पंचायत बोर्ड द्वारा प्रतिवर्ष कितने प्रतिशत अधिक का लक्ष्य निर्धारित किया गया, न ही कोई कार्यवाही की प्रति प्रस्तुत की गयी इस प्रकार उपरोक्त आपत्ति का संस्था का पक्ष संतोषप्रद नहीं पाया गया, तथा उपरोक्त आपत्ति निम्न निष्कर्ष के साथ प्रकाश में लायी जाती है । संस्था स्तर पर निजी श्रोत से होने वाली आय के उपरोक्त मदों का मांग, वसूली , बकाया का रजिस्टर जानबूझ कर निहित स्वार्थों के चलते तैयार नहीं कराया जा रहा है । मनवांछित धनराशि वसूली के रूप में दर्शायी जा रही है । अंकन रु0 8 करोड़ 12लाख 10हजार की हानि का आंकलन दर्शित जमा धनराशि को आधार मान कर किया गया है । इन वर्षों में कितनी धनराशि वसूली नहीं हो पाई और कितना बकाया रह गयी इसका आंकलन अपूर्ण रजिस्टर के अभाव में नहीं हो सका । इसी प्रकार विभव एवं सम्पत्ति कर अन्य मदों में अब तक कितना बकाया पड़ा है का विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया । प्रत्येक मद का वर्षवार रजिस्टर तैयार कराकर बकाया धनराशि, वसूल धनराशि की पुष्टि करायी जाये अन्यथा उपलब्ध कराये गये विवरण पर प्रश्न चिन्ह यथावत रहेगा साथ ही वसूली के सापेक्ष की गयी क्षति के आंकलन पर अपेक्षित है कि संस्था स्तर पर कमेटी गठित कर वास्तविक क्षति और इसके कारणों की जानकारी प्राप्त कर उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए क्षतिपूर्ति एवं वैधानिक कार्यवाही की जाए। जिस हेतु अपर मुख्य अधिकारी श्री विन्ध्याचल कुशवाहा, वित्तीय सलाहकार श्री अमरनाथ राय व तत्कालीन लेखाकार उत्तरदायी हैं ।

सामान्य आपत्ति संख्या-03

03

सम्पत्ति एवं विभव कर जिला पंचायत के आय का प्रमुख राजस्व श्रोत है । जिसकी बकाया में निरन्तर वृद्धि हो रही है । जिसकी वसूली एक वैधानिक कार्यवाही भी नहीं की जा रही है । बकाया पड़ने का प्रमुख कारण प्रशासनिक अधिकारियों की शिथिलता एवं कर्मचारियों की उदासीनता है । जिसके लिए तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी एवं कर्मचारी गण उत्तरदायी है। बकाया की स्थिति सम्पत्ति एवं विभव कर रजिस्टर के अनुसार निम्न प्रकार है—

क्र० सं०	क्षेत्र पंचायत का नाम	प्रा० अवशेष	वर्ष की माँग	कुल माँग	वर्ष की वसूली की धनराशि	बकाया 31.03.2014	अधिक वसूली
01	कोन	सम्बन्धित रजिस्टर अपूर्ण पाया गया					
02	लाल गंज	सम्बन्धित रजिस्टर अपूर्ण पाया गया					
03	पहाड़ी	सम्बन्धित रजिस्टर अपूर्ण पाया गया					
04	सिटी	सम्बन्धित रजिस्टर अपूर्ण पाया गया					
05	नरायन पुर	10508038.60	1756600.00	12264638.60	821400.00	11443238.60	---

41362566.57

	06	जमाल पुर	6385148.97	847200.00	7232348.97	416650.00	6836498.97	10800													
	07	मझवां	3679517.40	362600.00	4042117.40	72400.00	3971717.40	2000													
	08	राजगढ़	2455107.82	527800.00	2982907.82	380550.00	2603307.82	950													
	09	सीखड़	2175226.83	264200.00	2439426.83	59800.00	2379626.83	---													
	10	हलिया	5662391.59	713200.00	6375591.59	144700.00	6232641.59	1750													
	11	छानवे	6107486.51	679600.00	6787086.51	320600.00	6472486.51	6000													
	12	मड़िहान	1360698.85	206800.00	1567498.85	145550.00	1423048.85	1100													
	योग		38333616.57	5358000.00	43691616.57	2361650.00	41362566.57	22600													
सम्पत्ति एवं विभव कर रजिस्टर कोन, लालगंज, पहाड़ी, सिटी का रजिस्टर अपूर्ण पाया गया जिसकी लेखा बन्दी नहीं की गयी है । शेष आठ क्षेत्र पंचायत की वसूली 2361650.00 तथा बकाया वसूली 41362566.57 शेष रही जिसके लिए तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री विन्ध्याचल कुशवाहा एवं वित्तीय सलाहकार श्री अमर लाथ राय संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं । सामान्य आपत्ति संख्या- 04																					
04	जिला पंचायत द्वारा नौका घाट का ठेका नीलामी द्वारा दिया जाता है किन्तु विगत वर्षों में नौका घाट की नीलाम की गयी सम्पूर्ण धनराशि को जमा कराये बिना ही सम्बन्धित पक्ष को कार्यादेश दे दिया जाता है और वर्षान्त तक नीलामी की धनराशि जमा नहीं कराई जाती है । जिसके कारण संस्था को हानि हो रही है । वर्षान्त में बकाया की स्थिति निम्न प्रकार है- संस्था में रखे गये नौका घाट रजिस्टर के अनुसार नौका घाट के बकाया का विवरण निम्न प्रकार है- <table><tr><td>प्रा0 अवशेष</td><td>वर्ष की माँग</td><td>योग</td><td>वर्ष में प्राप्त</td><td>वर्ष के अन्त में शेष</td></tr><tr><td>433738.00</td><td>307800.00</td><td>741538.00</td><td>287700.00</td><td>453838.00</td></tr></table> इस प्रकार रु0 453838.00 की बकाया धनराशि की ब्याज सहित वसूली नहीं हो रही है। जिसके लिए तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री विन्ध्याचल कुशवाहा एवं वित्तीय सलाहकार श्री अमर नाथ राय संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उपरोक्त उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। सामान्य आपत्ति संख्या- 05									प्रा0 अवशेष	वर्ष की माँग	योग	वर्ष में प्राप्त	वर्ष के अन्त में शेष	433738.00	307800.00	741538.00	287700.00	453838.00		453838.00
प्रा0 अवशेष	वर्ष की माँग	योग	वर्ष में प्राप्त	वर्ष के अन्त में शेष																	
433738.00	307800.00	741538.00	287700.00	453838.00																	

जनपद—सोनभद्र

मण्डल—विन्ध्याचलधाम

प्रस्तर सं०	जिला पंचायत	वि० ख०	आपत्ति का विवरण	अपहरण	दुरुप-योग	अनियमितता
1	सोनभद्र	—	वर्ष 2014-15 में जिला पंचायत द्वारा कुल राजकीय अनुदान से निर्माण रु० 344804358.85 तथा जिला निधि से निर्माण पर व्यय रु० 19839224.00 अर्थात् कुल निर्माण पर व्यय रु० 364643582.85 दर्शित किया गया दर्शित है जिस पर अधोलिखित आपत्तियां हैं— (अ) निर्माण कार्यों से संबंधित जिला स्तरीय कमेटी से अनुमोदित संस्था को निर्माण कार्य संस्था को कराने हेतु आबंटित कार्यों की सूची प्राप्त होती है किंतु आलोच्य वर्ष में बार-बार मांगने पर भी आबंटित कार्यों की सूची ले०प० में उपलब्ध नहीं करायी गयी जिससे यह ज्ञात न हो सका कि जिला पंचायत द्वारा कराये गये निर्माण कार्य जिला कमेटी द्वारा अनुमोदित ही हैं। (ब) लेखा परीक्षा में उपलब्ध पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि सुनियोजित तरीके से एक ही तरह के 3-3 टेण्डर फार्म लगा करके एक को स्वीकृत कर लिया गया है जिससे स्पष्ट हो जाता है कि जिला पंचायत में टेण्डर प्रक्रिया मात्र कागजी कोरम को पूरा करना है तथा मनमाने तरीके से कोरम को पूरा दर्शाकर सुनियोजित तरीके से मनचाहे व्यक्ति का टेण्डर स्वीकृत करके ठेका दे दिया गया है। विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस ओर विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। (स) जिला पंचायत द्वारा सृजित निर्माण कार्य का परिसंपत्ति रजिस्टर तैयार ही नहीं किया जा रहा है जिससे यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि कितने और कौन-कौन से कार्य किस वर्ष में कराये गये हैं तथा अभी तक कुल कितने कार्य कराये गये हैं। इससे यह संभव है कि एक ही कार्य को बार-बार कराया जाना दर्शाकर धनराशि का अपहरण किया गया हो। विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस ओर विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। (द) किसी भी कार्य का आलोच्य वर्ष में कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र या प्रोजेक्ट कम्प्लीशन रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप	—	—	364643582.85

		पर उपलब्ध नहीं कराया गया जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका कि कौन सा कार्य पूर्ण हो गया और कौन सा अपूर्ण है। विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस ओर विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। (य) शासनादेश सं० 3891/77-5-2002 दिनांक 05.08.02 एवं 4951(11)77-5-506/ दिनांक 05.10.06 एवं तत्संबंधी अन्य शासनादेशों में यह व्यवस्था है कि निर्माण कार्यों में प्रयुक्त होने वाले उपखनिजों जैसे- गिट्टी, मोरंग आदि की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु आपूर्तिकर्ता से रायल्टी जमा किये जाने के परिणामस्वरूप ट्रेजरी चालान की प्रमाणित प्रति एवं सामग्री परिवहन को सुनिश्चित करने हेतु वैध रवन्ना (एम.एम.11) प्राप्त करने के उपरान्त ही भुगतान सुनिश्चित किया जाय किंतु पत्रावलियों में न तो रायल्टी जमाकर ट्रेजरी चालान और न ही वैध रवन्ना पाया गया। पत्रावलियों में इन प्रमाणों के संबंध में कोई टिप्पणी तक अंकित नहीं है। इस प्रकार नियमानुसार कार्य न करके जिला पंचायत द्वारा अनियमित रूप से मनमाने ढंग से कार्य करके भुगतान किया जा रहा है। निर्माण सामग्री आपूर्ति की स्थिति को सुनिश्चित ही नहीं किया गया। अवर अभियंता की पैमाइश पुस्तिका को बार-बार मांगने पर ले०प० में उपलब्ध नहीं कराया गया। उपरोक्त से स्पष्ट है कि जब निर्माण सामग्री की उपलब्धता ही संदिग्ध है तो ऐसी स्थिति में दर्शित संपूर्ण निर्माण कार्य ही संदिग्ध प्रतीत होता है अर्थात् दर्शित व्यय भी संदिग्ध है अर्थात् रु० 364643582.85 का व्यय योजनाबद्ध तरीके से बिना कार्य कराये ही भुगतान किया गया है जिसके लिये तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी वित्तीय परामर्शदाता, अभियंता, अवर अभियंता, लेखाकार तथा संबंधित ठेकेदार सभी पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं। विभागीय अधिकारियों द्वारा नियमानुसार ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना वांछनीय है। (मूल आपत्ति संख्या – 02)			
2		आलोच्य वर्ष में अनुभाग के कर्मचारियों तथा अधिकारियों के वेतन पर नक्शा आय व्यय के अनुसार आलोच्य वर्ष में रु० 4368314.00 व्यय किया गया है जबकि संपत्ति व विभव कर की वसूली संपत्ति कर रु० 1989183.00 तथा लाइसेंस की वसूली रु० 1001925.00 अर्थात् कुल रु० 2991108.00 की ही वसूली हुई है। इस प्रकार वेतन व्यय से वसूली रु० 1377206.00 कम	—	—	1377206.00

			हुई है। उक्त से स्पष्ट है कि कर्मचारियों की उदासीनता के कारण ही संपत्ति एवं विभव कर दिनांक 31.03.15 को रु0 4860102.00, दुकानों का किराया रु0 559725.00, नौकाघाट का रु0 2819068.00, तहबाजारी का रु0 4734354.00 तथा मछली का रु0 488128.00 बकाया है। आलोच्य वर्ष की संपत्ति एवं विभव कर की मदवार वार्षिक लेखाबंदी भी नहीं की गई है जिससे वर्ष की मांग, वसूली एवं बकाया ज्ञात नहीं हो सका। अतः वेतन पर वसूली से अधिक व्यय रु0 1377206.00 की क्षतिपूर्ति के साथ ही बकाया ब्याज सहित वसूली हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। (मूल आपत्ति संख्या – 03)			
3			आलोच्य वर्ष मेनिजी श्रोत से आय के मदों से संबंधित अभिलेख जैसे— कर समाहर्ताओं को निर्गत कैश रसीद, प्रयुक्त एवं अवशेष कैश रसीद का विवरण, बैंक जमा पासबुके जिसमे निजी स्त्रोत से होने वाली आय जमा की गई हो, को बार-बार मांगने पर भी ले0प0 मे उपलब्ध नहीं कराया गया जिससे कर समाहर्ताओं की क्षेत्रवार वसूली तथा उसकी जमा की पुष्टि नहीं की जा सकी तथा उनके द्वारा की गयी अनियमितताओ तथा अपहरण की भी जानकारी नहीं हो सकी। अतः विभागीय अधिकारियों का ध्यान संबंधित पटल प्रभारियों के विरुद्ध इस ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। (मूल आपत्ति संख्या – 04)	—	—	—
4			आलोच्य वर्ष मे कांजी हाउस के कर्मचारियों के वेतन पर व्यय रु0 278263.00 दर्शाया गया है जबकि वर्ष मे कांजी हाउस से आय शून्य दर्शित है। कांजी हाउस हेतु अब नीलामी प्रक्रिया अपनायी गयी है किंतु यदि नीलामी नहीं हुई तो कर्मचारियों द्वारा कांजी हाउस चलाये जाने चाहिये थे। जिलापंचायत के पास लगभग सभी विकास खण्डों मे एवं मुख्य बाजारों मे कांजी हाउस का निजी भवन निर्मित है परंतु उसे/उन्हे चलाया नहीं जा रहा है तथा उच्च अधिकारियों का ध्यान इस तरह की अनियमितता तथा लापरवाही हेतु विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। उक्त वेतन के भुगतान हेतु दायित्व श्री आलोक सिंह अपर मुख्य अधिकारी तथा श्री अशोक कुमार व श्री राकेश कुमार वित्त परामर्शदाता का है जिनसे उक्त की ब्याज सहित क्षतिपूर्ति वांछनीय है। (मूल आपत्ति संख्या – 05)	—	—	278263.00
5			आलोच्य वर्ष 2014-15 मे देशी चिकित्सा के वैद्य के वेतन	—	—	2897164.00

			पर व्यय रु0 2897164.00 दर्शित है। वास्तव में वैद्यों द्वारा किसी की चिकित्सा नहीं की जाती है तथा उनके बैठने का स्थान भी नहीं है। जब बैठने का स्थान ही निर्धारित नहीं है तो चिकित्सा करने का प्रश्न ही नहीं है। विधिवत सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि उनके द्वारा निजी तौर पर मरीजों से धनराशि लेकर चिकित्सा की जाती है। ले0प0 में बार-बार मांगने पर भी उनके द्वारा देखे गये मरीजों का रजिस्टर उपलब्ध नहीं कराया गया। उनके द्वारा राजकीय अस्पताल की भांति रु0 01-00 प्रति मरीज लेवी भी जमा नहीं की जाती है। इस प्रकार उपरोक्त वैद्यों को बिना काम का वेतन देकर संस्था को रु0 2897164.00 की क्षति पहुँचायी गयी है जिसका उत्तरदायित्व अध्यक्ष श्रीमती अनीता राकेश, अपर मुख्य अधिकारी श्री आलोक सिंह, तत्कालीन वित्त परामर्शदाता श्री अशोक कुमार तथा श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव एवं लेखाकार श्री अजय शंकर शर्मा का है जिनसे ब्याज सहित क्षतिपूर्ति वांछनीय है। विगत वर्ष इनके वेतन पर रु0 1646372.00 व्यय किया गया था परन्तु आलोच्य वर्ष में रु0 2897164.00 दर्शित है। इस प्रकार रु0 1250792.00 के अधिक व्यय का विवरण प्रस्तुत कर पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या – 06)			
6			आलोच्य वर्ष में पौण्ड से आय शून्य दर्शित है। जिला पंचायत के स्टॉक रजि0 के अनुसार वर्ष में पौण्ड रजि0 प्रपत्र 62 में से कुल 4 नग प्रपत्र एवं पौण्ड रसीद 49 नग में से 4 नग रसीद निर्गत किये गये हैं। उक्त से स्पष्ट है कि पौण्ड रजि0 4 नग तथा पौण्ड रसीद 4 नग प्रयुक्त हुई है जिससे आय भी हुई किंतु इसका अपहरण करके धनराशि प्राप्त शून्य दर्शित है। विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस ओर विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है कि सन्निहित धनराशि की ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही वांछनीय है। उल्लेखनीय है कि पौण्ड की नीलामी हेतु समाचार पत्र में दिया गया विज्ञापन तथा नीलामी हेतु प्रक्रिया का अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। (मूल आपत्ति संख्या – 08)	—	—	—
7			आलोच्य वर्ष 2014-15 में राजकीय अनुदान का उपभोग न करके बैंक में धनराशि रखकर अधोलिखित ब्याज कमाया गया है:-	—	—	44158061.00

क्र०	मद	प्रा० शेष	वर्ष में प्राप्त	कुल अवशेष			
1	13 वां वित्त आयोग	6363873.00	5188425.00	11552298.00			
2	राज्य वित्त आयोग	6644991.00	6180383.00	12825374.00			
3	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि बैंक आफ इण्डिया पंजाब नेशनल बैंक	3819197.00 5233916.00	615561.00 2808076.00	4434758.00 8041992.00			
4	डा० अम्बेडकर ग्राम सी०सी०रोड	6396691.00	906948.00	7303639.00			
	योग—	28458668.00	15699393.00	44158061.00			
उपरोक्त दर्शित विवरण से स्पष्ट है कि प्रा० शेष रु० 28458668.00 वर्ष में प्राप्त ब्याज रु० 15699393.00 तथा कुल ब्याज रु० 44158061.00 कमाया गया है। क्रमांक 1 तथा 2 में प्रा० शेष तथा वर्ष में प्राप्त लगभग समान है जिससे स्पष्ट है कि इनका ब्याज केवल 2013-14 तथा 2014-15 का ही दर्शित है। अर्थात् इसके पूर्व के प्राप्त ब्याज का अनियमित रूप से उपभोग दर्शाकर धनराशि का अपहरण या दुरुपयोग किया गया है। राजकीय अनुदान जनपद के विकास के लिये दिया जाता है न कि ब्याज कमाने के लिये। अतः सम्पूर्ण ब्याज की धनराशि रु० 44158061.00 अबिलम्ब शासन को वापस की जाय। विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान इस ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। राजकीय अनुदान की धनराशि के दुरुपयोग का दायित्व अपर मुख्य अधिकारी श्री आलोक सिंह, वित्तीय परामर्शदाता श्री अशोक कुमार तथा श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव का है। (मूल आपत्ति संख्या – 09)							
8		दि० 31.03.15 को राजकीय अनुदान की अवशेष धनराशि अधोलिखित है—			—	—	282302074.00
		1. डा० अम्बेडकर ग्राम विकास योजना 42263.00 2. राज्य वित्त आयोग 114831591.00 3. 13वाँ वित्त आयोग 42541765.00 4. पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि 101530278.00					

		5. डा0अम्बेडकर ग्राम मे सी0सी0रोड 23356177.00 कुल योग – 282302074.00 दि0 31.03.14 को भी अवशेष धनराशि रु0 401176183.00 थी। उपरोक्त से स्पष्ट है कि जिला पंचायत द्वारा प्राप्त राजकीय अनुदान का उचित उपभोग न करने के कारण जनपद का सही विकास नहीं हो पा रहा है। नियमानुसार अवशेष अनुदान को वर्ष के अंत में शासन को वापस कर दिया जाना चाहिये था किंतु ऐसा न करके अनुदान की धनराशि को रोककर उसका अनियमित दुरुपयोग एवं अपहरण किया जा रहा है। अतः अवशेष धनराशि (अनुदान) को शासन को वापस किया जाये। विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान इस ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। उक्त दुरुपयोग का दायित्व अपर मुख्य अधिकारी श्री आलोक सिंह, वित्तीय परामर्शदाता श्री अशोक कुमार तथा श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव का है। (मूल आपत्ति संख्या – 10)			
9		जिला पंचायत की रावर्ट्सगंज रेनूकूट तथा डाला में क्रमशः 80, 87 तथा 13 दुकानें हैं जिनका किराया बाजार दर से काफी कम है। इन दुकानों का औसत मासिक किराया रु0 335.00 रहा जबकि स्थानीय बाजारी मूल्य के अनुसार रावर्ट्सगंज की 80 दुकानों का किराया रु0 2000.00 प्रतिमाह की दर से रु0 160000.00, रेनूकूट की 87 दुकानों का मासिक किराया रु0 1800.00 की दर से रु0 156600.00 तथा डाला की 13 दुकानों का किराया रु0 1500.00 की दर से रु0 19500.00 अर्थात् कुल रु0 336100.00 प्रतिमाह अर्थात् रु0 336100.00 × 12 माह = रु0 4033200.00 किराया प्रतिवर्ष जिला पंचायत को प्राप्त होना चाहिये था, परन्तु आलोच्य वर्ष में इस मद में मात्र रु0 637407.00 ही प्राप्त हुआ। इस प्रकार संस्था को प्रतिवर्ष रु0 3395793.00 की हानि हुई। साथ ही इतने कम किराये के बावजूद दिनांक 31.03.15 को रु0 559725.00 बकाया है जो एक वर्ष की कुल मांग के लगभग है। यह विभागीय अधिकारियों की उदासीनता व लापरवाही का स्पष्ट द्योतक है। उक्त का उत्तरदायित्व अध्यक्ष श्रीमती अनीता राकेश तथा अपर मुख्य अधिकारी श्री आलोक सिंह तथा वित्तीय परामर्शदाता श्री अशोक कुमार तथा श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव का रहा आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या – 11)	—	—	3395793.00

10

जिला पंचायत के समस्त अनुभागों का बकाया तथा बकाया की ब्याज सहित वसूली का विवरण अनुभाग/मदवार तथा दि० 31.03.15 को बकाया अवशेष का विवरण अधोलिखित है :-

(आंकड़े लाख रु० में)

क्र०	नाम मद	वर्ष की मांग	पिछला बकाया	योग	चालू की वसूली	बकाया की वसूली	वर्षांत शेष
1	संपत्ति कर	—	69.45	69.45	—	20.85	48.60
2	हड्डी चमड़ा	0.55	—	0.55	0.55	7	—
3	लाइसेंस	9.64	—	9.64	9.64	—	—
4	खनिज परिवहन	157.29	639.49	796.78	152.46	421.81	222.51
5	नौकाघाट	9.98	29.38	39.36	9.77	1.40	28.19
6	मछली	0.74	4.17	4.91	0.74	0.03	4.14
7	तहबाजारी	—	48.89	48.89	—	1.54	47.35
8	किराया	8.91	5.46	14.37	5.03	3.74	5.60
9	कांजी हाउस	—	0.88	0.88	—	—	0.88
10	प्रकीर्ण	27.11	—	27.11	27.11	—	—
11	असाधारण तथा ऋण	117.58	—	117.58	117.58	—	—
12	ब्याज	40.79	—	40.79	40.79	—	—
	योग —	372.59	797.72	1170.31	363.67	449.37	357.27

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि करो की वसूली की ओर प्रबंध तंत्र का ध्यान नहीं है। जिला पंचायत के पास कर अनुभाग से पर्याप्त कार्मिक होते हुए भी वसूली न होने से स्पष्ट है कि जि०पं० के प्रबंध तंत्र काइस ओर ध्यान ही नहीं है। संपत्ति एवं विभव कर की लेखाबंदी पर्याप्त कर्मचारियों के होते हुए भी न होना बड़े खेद का विषय है जिसके कारण जिला पंचायत को संपत्ति एवं विभव कर की वर्ष 2014-15 की मांग ब्याज भी दिये गये विवरण पत्र में शून्य दर्शित है जो वार्षिक लेखाबंदी न होने का ही परिणाम है। अतः विभागीय अधिकारियों एवं प्रबंध तंत्र का

—

—

35726000.00

			ध्यान इस ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। करो की वसूली न होने का दायित्व अपर मुख्य अधिकारी श्री आलोक कुमार सिंह के साथ कर अनुभाग के समस्त कर्मचारी एवं वित्तीय परामर्शदाता श्री अशोक कुमार तथा श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव का रहा जिनसे क्षतिपूर्ति अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या-12)																												
11			बजट की समीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि बजट कागजी कोरम पूरा करना है। उसमें दर्शित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु न कभी समीक्षा की जाती है तथा न ही कोशिश। दर्शित बजट के आय व्यय तथा वास्तविक आय व्यय में कोई समरूपता नहीं है। नियमानुसार गत वर्ष की आय व्यय को दृष्टिगत रखते हुये आय पक्ष में गतवर्ष से कुछ वृद्धि के साथ तथा व्यय पक्ष में कुछ कमी दिखाकर बजट तैयार किया जाता है और उस पर सख्ती से अमल किया जाता है। परंतु संस्था द्वारा ऐसा नहीं किया गया है। बजट अनुमान एवं वास्तविक आय व्यय के अवलोकन से स्पष्ट है कि बजट में पारित आय पक्ष के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रयास ही नहीं किया गया है तथा व्यय पक्ष में नियंत्रण भी नहीं है। संस्था के पारित बजट की आय से कम आय अर्जित करके गंभीर अनियमितता की गयी है जिसका उत्तरदायित्व अध्यक्ष श्रीमती अनीता राकेश व अ०मु०अधि० श्री आलोक सिंह का है। विभागीय अधिकारियों द्वारा संबंधित उक्त अधिकारियों से क्षतिपूर्ति वांछनीय है। बजट में दर्शित आय व्यय एवं वास्तविक आय में विचलन की स्थिति अधोलिखित है— बजट से कम प्राप्तियों का विवरण— <table><tr><th>क्र०</th><th>मद का नाम</th><th>बजट अनुमान</th><th>वास्तविक आय</th><th>कम प्राप्ति</th></tr><tr><td>1</td><td>विभव एवं संपत्ति कर</td><td>2200000.00</td><td>1989183.00</td><td>210817.00</td></tr><tr><td>2</td><td>हड्डी चमड़ा</td><td>120000.00</td><td>—</td><td>120000.00</td></tr><tr><td>3</td><td>कांजी हाउस</td><td>25000.00</td><td>—</td><td>25000.00</td></tr><tr><td>4</td><td>नौकाघाट</td><td>2000000.00</td><td>1098599.00</td><td>901401.00</td></tr></table>	क्र०	मद का नाम	बजट अनुमान	वास्तविक आय	कम प्राप्ति	1	विभव एवं संपत्ति कर	2200000.00	1989183.00	210817.00	2	हड्डी चमड़ा	120000.00	—	120000.00	3	कांजी हाउस	25000.00	—	25000.00	4	नौकाघाट	2000000.00	1098599.00	901401.00	—	—	3727060.00
क्र०	मद का नाम	बजट अनुमान	वास्तविक आय	कम प्राप्ति																											
1	विभव एवं संपत्ति कर	2200000.00	1989183.00	210817.00																											
2	हड्डी चमड़ा	120000.00	—	120000.00																											
3	कांजी हाउस	25000.00	—	25000.00																											
4	नौकाघाट	2000000.00	1098599.00	901401.00																											

			5	मछली	420000.00	76110.00	343890.00			
			6	मेला प्रदर्शनी	2500.00	—	2500.00			
			7	संपत्ति से आय	2500.00	—	2500.00			
			8	वृक्ष बिक्री से आय	1000.00	—	1000.00			
			9	ब्याज	4500000.00	3900707.00	599293.00			
			10	असाधारण तथा ऋण	10500000.00	8979341.00	1520659.00			
				योग—	19771000.00	16043940.00	3727060.00			
			(मूल आपत्ति संख्या – 17)							
12			आलोच्य वर्ष 2014-15 में जिला पंचायत द्वारा ठेकेदारों के बिल से रायल्टी रु0 12137024.00, व्यापार कर रु0 13592634.00 तथा आयकर रु0 7587885.00 अर्थात् कुल रु0 33317543.00 की कटौती की गयी है। शासनादेश संख्या 3891/77-5-2002 दिनांक 5.06.02 एवं 4951(11)77-05-506 दिनांक 5.10.06 एवं तत्संबंधी शासनादेशों में यह व्यवस्था है कि निर्माण कार्यों में प्रयुक्त होने वाले खनिजों की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु आपूर्तिकर्ता से रायल्टी जमा किये जाने के परिणाम स्वरूप ट्रेजरी चालान की प्रमाणित प्रति तथा सामग्री परिवहन का सुनिश्चित करने हेतु वैध रवन्ना (एम.एम.11) प्राप्त करने के उपरांत ही भुगतान सुनिश्चित करें। परंतु उपरोक्त से स्पष्ट है कि ठेकेदार द्वारा उक्त प्रमाण पत्र नहीं दिये गये तथा तथ्य का छिपाने के उद्देश्य से जिला पंचायत द्वारा रायल्टी स्वयं बिल से काटकर अवास्तविक आपूर्ति का छिपाया गया है। जिला पंचायत द्वारा उपरोक्त काटी गयी रायल्टी व्यापार कर तथा आयकर को राजकीय कोषागार में जमा करने के ट्रेजरी चालान की प्रतियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी जिससे पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः ट्रेजरी चालान की प्रतियां उपलब्ध कराकर पुष्टि कराया जाना वांछनीय है। अन्यथा की दशा में ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही श्री आलोक सिंह अ0मु0अधि0, श्री अशोक कुमार तथा श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव वित्तीय परामर्शदाता तथा तत्कालीन लेखाकार का है।					—	—	33317543.00
			(मूल आपत्ति संख्या-21)					—	—	771822747.00

जनपद— भदोही मण्डल— विन्ध्याचलधाम

जिला पंचायत— भदोही

प्रस्तर संख्या	आपत्ति का विवरण	अपहरण	दुर्विनियोग	गम्भीर अनियमितता	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम
प्रस्तर 1	दिनांक 31.03.15 को अन्तिम अवशेष राजवित्त रु. 19255698 तेरहवां वित्त आयोग रु. 22286392 विधायक निधि रु. 1087728 पूर्वान्वल विकास रु. 4309960 कुल रु0 रहा। नियमानुसार प्राप्त अनुदान का उपयोग 31 मार्च कर लिया जाना चाहिये। इस प्रकार धनराशि को रोककर विकास कार्य को बाधित किया गया है। उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।	—	—	46939778 / —	अपर मुख्य अधिकारी एवं वित्तीय सलाहकार।
प्रस्तर 2	आलोच्य वर्ष राजवित्त की जाँच करने पर पाया गया कि वर्ष 13-14 में निम्न कार्य पर धनराशि व्यय की गयी परन्तु कार्य अपूर्ण रहा जिसे वर्ष 2014-15 में भी पूर्ण नहीं किया गया, जिससे रु0 5144690 / — हानिपरक रहा। उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। 1.शिव मन्दिर के पास कमलाशंकर तिवारी कुरमैचा	—	—	5144690 / —	अपर मुख्य अधिकारी एवं वित्तीय सलाहकार।

के घर से बिन्द बस्ती तिराहे रामू बिन्द के घर तक 600.00 मी. लेपन कार्य पर व्यय रु. 618300.00 2.सीकी चौरा वार्डर सी. सी. रोड से कुरमैचा बिन्द बस्ती तक लेपन कार्य 400.00 मी. पर व्यय रु0 414720.00 3. सीकी चौरा वार्डर सी. सी. रोड से सीकी चौरा यादव बस्ती मलाधर यादव के घर तक 600.00 मी. लेपन पर व्यय रु0 617330.00 4. चौरा कला पाल बस्ती से सीकी चौरा यादव बस्ती तक लेपन कार्य 600.00मी. पर व्यय रु. 631530.00 5. जी. टी. रोड सराय जगदीश मस्जिद से किशुनदेव पुर बाह्मण बस्ती तक लेपन कार्य 600.00 मी. पर व्यय रु. 621900.00 6. ज्ञानपुर दुर्गागंज मार्ग नागमलपुर मुस्लिम बस्ती से गनेशरायपुर पाल बस्ती तक लेपन कार्य 500.00 मी. पर व्यय रु. 534060.00 7.एम. एम. सी. इण्टर कालेज से गनेशरायपुर मातादीन पाल के घर तक लेपन कार्य 500.00मी. पर व्यय रु. 510480.00 8.नौवापुर पिच रोड से तिल्लू पाल के घर तक लेपन कार्य 500.00मी. पर व्यय रु. 508950.00 9.दशरथपुर में प्रेम बहादुर सिंह के मशीन से				

प्रस्तर 3	जगदीशपुर यादव बस्ती तक लेपन कार्य 400.00मी. पर व्यय रु. 687420.00 आलोच्य वर्ष तेरहवां वित्त की जाँच करने पर पाया गया कि वर्ष 12-13 एवं 13-14 में निम्न कार्य पर धनराशि व्यय की गयी परन्तु कार्य अपूर्ण रहा जिसे वर्ष 2014-15 में भी पूर्ण नहीं किया गया, जिससे रु0 4473630.00 हानिपरक रहा। उत्तरदायी अधिकारी /कर्मचारी के प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। 1.कावल चक कलुटी पिच रोड से प्रा. पा. कावल तक लेपन कार्य 190.00मी. पर व्यय रु.296280.00 2. अजयपुर प्रधानमन्त्री रोड से अजयपुर ब्राह्मण बस्ती तक लेपन कार्य पर व्यय रु. 437400.00 3. जी. टी. रोड जंगीगंज मंगल कारपेट के बगल से मंगलपुर कलनुआ मार्ग तक लेपन कार्य 400.00मी. पर व्यय रु. 442980.00 4. केदारपुर से शुक्लान बस्ती तक लेपन कार्य 400.00मी. पर व्यय रु. 687420.00 5. जंगीगंज धनतुलसी मार्ग से इटहरा यादव बस्ती लेपन कार्य 170.00मी. पर व्यय रु.244440.00	—	4473630.00	—	अपर मुख्य अधिकारी एवं वित्तीय सलाहक

6. इनारगांव डुहिया ब्राह्मण बस्ती से दुर्गा माँ के मन्दिर तक लेपन कार्य 500.00मी. पर व्यय रु. 518400.00				
7. नथई पुर यादव बस्ती तिराहे से प्रयागदास पुर ब्राह्मण बस्ती तक लेपन कार्य 420.00 मी. पर व्यय रु. 640890.00				
8. गंगापुर तेलिया आश्रम से वैरी वीसा यादव बस्ती तक लेपन कार्य पर व्यय रु. 1205820.00				

जनपद—गाजीपुर

मण्डल—वाराणसी

जिला पंचायत— गाजीपुर

प्रस्तर—1

जिला पंचायत—गाजीपुर की वर्ष 2014—15 में प्रपत्र—5 से संकलित धनराशि रु0 97385.00 रोकड़ बही में आय एवं बैंक पासबुक में जमा का परीक्षण प्रपत्र सं0—5 से करने पर निम्न विवरण के अनुसार समाहरित (वसूली) धनराशि रु0 97385.00 रोकड़ बही में कम दर्शित/बैंक पासबुक में जमा नहीं पायी गयी जिससे धनराशियों के अपहरण की स्थिति स्पष्ट होती है, इसके लिए सम्बन्धित वसूली कर्ता/रोकड़िया/लेखाकार सहित अपर मुख्य अधिकारी एवं वित्त परामर्श अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी है, क्योंकि प्रायः इनके हस्ताक्षर वसूली दर्शाने वाले प्रपत्र सं0—5 पर नहीं पाए गए हैं जिससे अंकनों की शुद्धता प्रभावित हुई है किन्तु इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करते हुए टिप्पणी में अंकित रु0 94683.00 (संजय रु0 90201.00 तथा जोखन रु0 4482.00) धनराशियाँ दिनांक 28 व 19.03.2016 को जमा तो करा लिया गया है किन्तु वर्ष 2014—15 के रोकड़ शेष को प्रभावित होने से नहीं बचाया जा सका, शेष रु0 2702.00 जमा कराकर भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति पर अंकुश लगाये जाने की कार्यवाही किया जाना चाहिए—

क्र० सं०	नम समाहर्ता	प्रपत्र सं०—5 का क्रमांक	दिनांक	दर्शित धनराशि	वास्तविक या जमा	अन्तर की धनराशि	टिप्पणी
01	जोखन	470033—100	30.06.14	16310	16048	262	जमा
02	कैलाश	551313	21.06.14	8912	8712	200	
03	जोखन	630001—52	30.06.14	10853	10824	29	जमा
04	जोखन	630053—100	15.07.14	9184	9068	116	जमा
05	संजय	961024	14.04.14	504	—	504	जमा
06	संजय	961067	25.04.14	9027	8927	100	जमा
07	जोखन	425801—100	25.03.15	17623	15823	1800	जमा
08	जोखन	425801—100	30.07.14	15407	14407	1000	जमा
09	रामेश्वर	621622	02.08.14	932	912	20	
10	रामेश्वर	621675	21.08.14	2433	2413	20	
11	कैलाश	669352	11.07.14	38880	38840	20	
12	संजय	551446	06.07.14	6000	—	6000	जमा
13	संजय	551474	26.07.14	6000	—	6000	जमा
14	संजय	551477	31.07.14	4005	—	4005	जमा
15	संजय	551478	31.07.14	6000	—	6000	जमा
16	संजय	551481	02.08.14	7386	7376	10	जमा
17	रामेश्वर	594822	01.07.14	116	112	4	
18	रामेश्वर	594833	04.07.14	9072	9012	60	
19	रामेश्वर	594867	08.07.14	616	612	4	
20	रामेश्वर	519521	03.09.14	8898	8896	2	
21	रामेश्वर	519575	05.10.14	3733	3713	20	
22	संजय	767704	05.08.14	1200	—	1200	जमा
23	संजय	767719	07.08.14	28731	28631	100	जमा
24	संजय	767742	12.08.14	418	—	418	जमा
25	संजय	767749	16.08.14	2010	—	2010	जमा
26	संजय	767752	19.08.14	6000	—	6000	जमा
27	संजय	767786	01.09.14	3000	—	3000	जमा
28	जोखन	594101—95	11.09.14	46807	46443	364	जमा
29	जोखन	625659	14.07.14	9886	9836	50	जमा
30	कैलाश	441151	20.08.14	468	—	468	
31	संजय	792538	13.09.14	3000	—	3000	जमा
32	संजय	792544	18.09.14	2505	—	2505	जमा
33	संजय	792552	29.09.14	1582	—	1582	जमा
34	संजय	792556	02.10.14	15091	15079	18	जमा
35	संजय	972561	04.10.14	6000	—	6000	जमा
36	संजय	792593	16.10.14	376	—	376	जमा
37	संजय	528401—06	31.10.14	15853	13348	2505	जमा
38	संजय	528414	14.11.14	548	—	548	जमा
39	संजय	528415—23	29.11.14	36861	27656	9205	जमा

40	संजय	528425	11.12.14	4372	4272	100	जमा
41	संजय	528435	11.12.14	484	—	484	जमा
42	संजय	528479	19.12.14	1117	—	1117	जमा
43	कैलाश	538419—21	16.10.14	5762	5562	200	
44	रामेश्वर	608069—80	31.12.14	18016	17016	1000	
45	संजय	651213	15.02.15	3000	—	3000	जमा
46	संजय	651214	18.02.15	294	—	294	जमा
47	संजय	651218	19.02.15	3000	—	3000	जमा
48	संजय	651250—60	02.03.15	12600	12500	100	जमा
49	संजय	633613	14.03.15	4800	2400	2400	जमा
50	संजय	633653	19.03.15	3000	—	3000	जमा
51	संजय	698102	03.01.15	3000	—	3000	जमा
52	संजय	698106	05.01.15	288	288	60	जमा
53	संजय	698144	19.01.15	6000	—	6000	जमा
54	संजय	698151	19.01.15	750	—	750	जमा
55	अरविन्द	495321	03.02.15	194	190	4	
56	संजय	774403	09.03.15	150	50	100	जमा
57	संजय	774426	09.03.15	1500	—	1500	जमा
58	संजय	774450(पार्श्व)	10.03.15	23030	22030	1000	जमा
59	संजय	774462(पार्श्व)	10.03.15	24891	24881	10	जमा
60	संजय	469014	29.03.15	1050	—	1050	जमा
61	संजय	675224	23.03.15	150	—	150	जमा
62	संजय	675225	23.03.15	900	150	750	जमा
63	संजय	675235	25.03.15	450	200	250	जमा
64	संजय	452768	13.03.15	1000	—	1000	जमा
65	जोखन	667620(पार्श्व)	16.03.15	3600	3300	300	जमा
66	जोखन	613755	08.03.15	8952	8852	100	जमा
67	जोखन	613769	09.03.15	75	50	25	जमा
68	जोखन	613785(पार्श्व)	09.03.15	12227	12222	5	जमा
69	जोखन	633296—300	15.01.15	10010	9920	90	जमा
70	जोखन	630001—53	26.06.14	11015	10824	191	जमा
71	जोखन	773865(पार्श्व)	02.03.15	1125	1025	1000	जमा
72	जोखन	773898	02.03.15	250	200	50	जमा
73	कैलाश	673112	14.12.14	610	600	10	
74	संजय	528479	19.12.14	650	—	650	कमजमा
				530545	433160	97385	94683

प्रस्तर-2

जिला पंचायत गाजीपुर के वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि संस्था द्वारा कर्मचारियों के पेंशन निधि में प्रति वर्ष किए गए अंशदान के लिए बचत खाता सं०-392702011062637, यू०बी०आई० शाखा, विस्तार पटल, विकास भवन, गाजीपुर में संचालित की गयी है जिसमें मुद्रित अन्तिम अवशेष की धनराशि दिनांक-31.03.14 को ₹० 903473.15 तथा दिनांक-31.03.15 को ₹० 750365.00 दर्शित पाया गया और दिनांक 21.06.2013 के पश्चात् की प्रविष्टियों के लिए पृथक से एक कैशबुक बनाया गया है किन्तु

उसमें दर्शित कुल आय से यह स्पष्ट नहीं है कि सामान्य रोकड़ बही के व्यय पक्ष से विभिन्न तिथियों में जितनी धनराशियां पेंशन निधि अंशदान के रूप में भुगतान द्वारा प्रेषित की गई है, उसे पूर्णतः बैंक पासबुक में जमा की गई है अथवा नहीं क्योंकि तदनुसार निर्मित पेंशन अंशदान कैशबुक में दर्शित आय की प्रतिष्ठिया सामान्य रोकड़ बही के पेंशन अंशदान में दर्शित व्यय से प्रायः सुमेलित नहीं पाए गए तथा दिनांक-31.03.2015 को अन्तिम रोकड़ शेष रु0 727502.15 पेंशन निधि कैशबुक में दर्शित नहीं पाया गया। पेंशन निधि में अंशदान रोकड़ बही व मासिक लेखा के अनुसार क्रमशः रु0 1283992.00 व रु0 777830.00 दिया जाना तथा अतिव्ययता पर व्यय रु0 2535931.00 दर्शित पाया गया, जबकि बैंक पासबुक में जमा एवं आहरण क्रमशः रु0 546796.00 व रु0 750365.00 मुद्रित पाए गए। इस प्रकार रोकड़ बही एवं मासिक लेखा के साथ बैंक पासबुक की धनराशियों में अन्तर क्रमशः रु0 737796.00 व रु0 231034.00 तथा रु0 1785566.00 आकलित की गई जिसके सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट नहीं की गई जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी व वित्त परामर्श अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदाई है।

प्रस्तर-3

जिला पंचायत गाजीपुर द्वारा वर्ष 2014-15 में आयोजित चोचकपुर मेले से प्राप्त आय प्रपत्र सं0-5 क्रमांक-683070, दिनांक-10.11.2014 द्वारा मात्र अंकन रु0 30060.00 एवं प्रपत्र सं0-5 क्रमांक-618019, दिनांक-23.11.2014 द्वारा अंकन रु0 6950.00 संकलित रूप से दर्शाया गया है, जबकि मेले से आय की वसूली स्थाई दुकानों के लिए आबंटित वर्ग फीट/मीटर की दर से भूमि का कर/किराया व अन्य अस्थाई दुकानों के लिए दैनिक वस्तु की बिक्री के आधार पर कर/किराया व पशुओं के आगमन एवं बिक्री पर शुल्क पशु/व्यक्तिवार प्रपत्र सं0-5 निर्गत करके किए जाने की नियमानुसार व्यवस्था दी गई है, जिसमें दुकान सम्बन्धि सभी विवरण पत्र रखे जाने चाहिए जो मेले से वास्तव में प्राप्त आय को पुष्ट करते हो, किन्तु लेखा परीक्षा में इस प्रकार की कोई पत्रावली उपलब्ध करायी गई। परिणामतः दर्शित संकलित आय की कुल धनराशि रु0 36410.00 की स्थिति अपुष्टित होने के कारण संदिग्ध रही। इससे सम्बन्धित आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत किया जाना चाहिए, ताकि दर्शित धनराशि की पुष्टि करते हुए उसकी वैधता स्पष्ट हो सके।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त आय रु0 36410.00 के सापेक्ष चोचकपुर मेले के आयोजन/प्रबन्ध पर व्यय रु0 163130.00 दर्शाया गया है जो दर्शित आय से रु0 126720.00 अधिक है। इसमें कार्मिकों के यात्रा भत्ता पर दर्शित व्यय की धनराशि रु0 10056.00 सम्मिलित नहीं है, इस अतिव्यय पर नियन्त्रण न किए जाने/कम दर्शाये जाने के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट नहीं की गई जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी एवं वित्त परामर्श अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। धनराशि की प्रभावी ब्याजसहित वसूली के लिए वैधानिक कार्यवाही किया जाना चाहिए।

जिला पंचायत गाजीपुर के वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि संस्था द्वारा चोचकपुर मेले के आयोजन पर दर्शित व्यय रु0 163130.00 का भुगतान निम्न विवरण के अनुसार दर्शित पाया गया-

क्र0 सं0	विवरण / " शीर्ष / प्रमाणक सं0	भुगतान प्राप्तकर्ता	मात्रा घ0मी0	दर	चेक सं0 / तिथि	धनराशि
1	बिजली व्यव0 88 / 14.11.14	अभियन्ता अग्रिम समा	सूची	सूची	097642 / 14.11 (05.11.2014)	46500.00 15000.00
2	टेण्ट व्यवस्था 267 / 20.12	शमशुलहक आयकर	सूची	सूची	097802 / 20.12 097803 / 20.12	27190.00 640.00

3	पोस्टर/बैनर सफेद बालू चूना बैरिकेटिंग— नाव मिट्टी—268 स्वीपर (म.रा.16400 ट्रैक्टर.32000)	अभियन्ता रायल्टी अभियन्ता अग्रिम समा अभियन्ता	5 अदद 20.000 2 विव. — 14 अदद 250.04 16 दिन	700 450 500 — 600 183 175	097642 / 14.11 (05.11.2014) 097804 / 20.12	20400.00 0.00 5000.00 48400.00
4	विज्ञापन 27 / 14.01.2015	हिन्दुस्तान प्रकाशन	1	—	बिल 1776781 / 08.10.2014	(2427.00)
5	योग—					163130.00

उपरोक्त दर्शित भुगतानों के सम्बन्ध में निम्न न्यूनताएं पायी गयी।

शासनादेशसंख्या—3891 / 77-5-2002-1(216)/93 एवं संख्या — 4951-(11)/77-05-506 / 06 दिनांक 05/10/2006 और तत्सम्बन्धित अन्य शासनादेशों में यह व्यवस्था निर्धारित है कि कार्यों में प्रयुक्त होने वाले उपखनिजों मिट्टी, बालू आदि की आपूर्ति सुनिश्चित करते हुए आपूर्तिकर्ता से रायल्टी जमा किये जाने के प्रमाण स्वरूप ट्रेजरी चलान की प्रमाणित प्रति व सामग्री परिवहन को सुनिश्चित करने के लिए वैध रवन्ना (एम. एम.-11) प्राप्त कर लिया जाये तत्पश्चात ही भुगतान किया जाए किन्तु प्रमाणकों के साथ न तो रायल्टी जमा कर ट्रेजरी-चलान की प्रति के साथ सी0टी0आर0 की प्रति ही और न वैध रवन्ना ही संलग्न पाया गया व भुगतान कर दिया गया है। इस प्रकार मिट्टी, बालू आदि की आपूर्ति पूर्णतः संदिग्ध है और जब खनिज आपूर्ति ही संदिग्ध है तो दर्शित कार्य भी संदिग्ध ही हुआ। इस प्रकार भुगतान की हुई धनराशि भी आपुष्टित रही। इस प्रकार आयकर का भुगतान वास्तव में किए जाने की पुष्टि भी सी0टी0आर0 एवं दाखिल-रिटर्न के अभाव में नहीं की जा सकी। साथ ही मेला सम्बन्धि कार्य के लिए विज्ञापन व्यय रू0 2427.00 व यात्रा व्यय रू0 10056.00 दर्शाया गया है, उसे मेला व्यय में नहीं दर्शाया गया है तथा ट्रैक्टर से मेले में मिट्टी ढुलाई को 16 मजदूरों से समायोजन रू0 175.00 की दर से किए जाने की स्थिति स्पष्ट नहीं की गयी। विद्युत व्यवस्था एवं साफ-सफाई और बैरिकेटिंग का भुगतान (अग्रिम समायोजन दर्शाते हुए) अभियन्ता को किया जाना दर्शाया गया है। इस प्रकार दर्शित व्यय संदिग्ध रहा। इससे सम्बन्धित अपेक्षित अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराकर धनराशि की पुष्टि नहीं कराई गयी। इसके लिए अपर मुख्य अधिकारी एवं वित्त परामर्श अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। धनराशि की प्रभावी ब्याज सहित वसूली के लिए वैधानिक कार्यवाही किया जाना चाहिए।

प्रस्तर-4

जिला पंचायत गाजीपुर के वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि संस्था द्वारा पारित अनुमानित आय-व्यय (बजट) में प्राविधानित आय एवं सामान्य लेखा में दर्शित वास्तविक आय में निम्न विवरण के अनुसार रू0 6235 लाख से विचलन पाया गया जा बजट निर्धारण में निर्दिष्ट अधिनियम/नियम के अनुसार समुचित आकलन नहीं होने के कारण सम्भावित है, इस विचलन का कारण संस्था द्वारा स्पष्ट किया जाना चाहिए

क्रमांक	शीर्ष का नाम	बजट प्राविधान	वास्तविक आय	कम(-)अधिक(+)
1	विभव सम्पत्ति कर	2800000.00	वि. 2344026.00 व. 1150020.00	(-)1649980.00
2	लाइसेंस शुल्क	4100000.00	वि. 398634.00 व. 1655557.00 आ. 415745.00	(-)2444443.00
3	बालू वाहन शुल्क	500000.00	195000.00	(-)305000.00
4	पशु शव निस्तारण	100000.00	143800.00	(+)43800.00
5	कांजी हाऊस	3000.00	0.00	(-)3000.00
6	सार्व0 नौकाघाट	2500000.00	वि. 60000.00 व. 823800.00	(-)1676200.00
7	लेवी शुल्क	10000.00	4908.00	(-)5092.00
8	तहबाजारी			0.00
9	निजी सम्पत्ति आय	500000.00	479464.00	(-)68178.00
10	मेला/प्रदर्शनी	95000.00	65410.00	(-)29590.00
11	अन्त्योदय ऋण	10000.00	0.00	(-)10000.00
12	रोड रोलर से आय	0.00	0.00	0.00

यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिए कि किन परिस्थितियों में लाइसेंस शुल्क, पशु शव नितारण, सार्वजनिक नौकाघाट व रोड रोलर से आय का बजट विगत वर्षों की 55 लाख, 5 लाख, 26 लाख व 50 हजार की तुलना में क्रमशः 41 लाख, 1 लाख, 25 लाख व शून्य कर दिया गया। वीरपुर घाट की संस्था के कार्मिक द्वारा वर्ष के सापेक्ष जनवरी 2015 से मार्च 2015 तक की वसूली रोकड़ बही में जमा दर्शित नहीं है, इसे भी स्पष्ट किया जाना चाहिए। उपरोक्त अनियमितता के लिए उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-5

जिला पंचायत गाजीपुर के वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि संस्था द्वारा वर्ष की निजी स्त्रोत की आय के कुछ शीर्षों से सम्बन्धित उपलब्ध कराए गए मांग, समाहरण, एवं अवशेष निकाला गया है और न उसे आगामी वर्ष के लिए अग्रनित ही किया गया है तथा प्रत्येक स्तम्भ का योग निकाल कर खाता बन्द नहीं किया गया है। अतः अनुपलब्ध मांग व वसूली सूची के ही लेखा परीक्षा द्वारा केवल प्रपत्र सं0-5, सामान्य कोष बही, मासिक लेखा एवं सम्बन्धित पंजिकाओं के आधार पर वर्ष की मांग एवं गत वर्षों के अवशेष के सापेक्ष प्राप्तियों के संग्रह एवं वर्ष के अन्त में अवशेष निम्न विवरण के अनुसार आकलित की गई-

क्र0 सं0	शीर्ष	वर्ष की मांग	प्रारम्भिक अवशेष	वसूली वर्ष के सापेक्ष	वसूली गत वर्ष के सापेक्ष	अन्तिम अवशेष वर्ष का	अन्तिम अवशेष सम्पूर्ण
1	2	3	4	5	6	7	8
1	विभव व सम्पत्ति कर	5355150	25720778	1150020	2344026	4205130	27581882.00
2	लाइसेन्स शुल्क	2469936	—	1655557	—	814379	814379.00

3	सार्वजनिक नौकाघाट	823800	195148.72 60000.00	823800	60000	—	195148.72
4	हाटबाजार तहबाजारी	—	518297.55	—	—	—	518297.55
5	दुकान भवन किराया	332402.00	880711.00	116592	211475 151397	215810	885046.00
	योग—	8981288	27314935.27	3745969	2615501 151397	5235319	29994753.27

जिला पंचायतों की आय में वृद्धि करने सम्बन्धित शासनादेश सं०-2004-1/33-2-2001-26 बी०/2001, दिनांक-26.09.2001 के क्रम में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा यह निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी प्रकार की वसूली प्रत्येक दशा में वित्तीय वर्ष के अन्त तक अवयव पूर्ण कर लिए जाये एवं किसी भी दशा में अग्रेनित न किए जाये किन्तु इस शासनादेश का अतिक्रमण करते हुए समुचित प्रबन्धन के अभाव में न केवल वर्तमान लेखा परीक्षा वर्ष की वसूली, दर्शित मांग के सापेक्ष, रु० 5235319.00 वाधित रखा जाना अगणित ही गई बल्कि विगत वर्षों के अवशेष सहित सम्पूर्ण अवशेष की बाधित धनराशि रु० 29994753.27 अगणित की गई। पुनः यह भी पाया गया कि समस्त शीर्षों में कर का निर्धारण जिला पंचायत की उपविधि के अनुसार नहीं किया गया है तथा जिला पंचायत, गाजीपुर के अधिकार क्षेत्र में आने वाले कर निर्धारण के योग्य प्रायः सम्पूर्ण व्यक्तियों/व्यवसायियों/विद्यालयों/संस्थाओं/प्रतिष्ठानों पर सूची बनाकर कराधान एवं उनसे वसूली किए जाने का प्रमाण भी उपलब्ध नहीं कराया गया। इसके लिए अपर मुख्य अधिकारी व वित्त परामर्श अधिकारी सहित सम्पूर्ण प्रबन्ध एवं वसूली तन्त्र उत्तरादायी है। प्रभावी ब्याज सहित वसूली के लिए वैधानिक कार्यवाही किया जाना चाहिए।

प्रस्तर-6

जिला पंचायत गाजीपुर के वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि संस्था द्वारा अपने सामान्य रोकड़ बही में दिनांक 31.03.2015 को रु० 223052212.19 अन्तिम रोकड़ दर्शाया गया है, जिसे अराष्ट्रीयकृत/राष्ट्रीयकृत बैंकों/राजकीय कोषागार में जमा रहने की पुष्टि में जो पासबुक/स्टेटमेंट आफ एकाउन्ट्स उपलब्ध कराए गए, जो अधिनियम की धारा-99 के अनुसार आय व व्यय के प्रत्येक शीर्षक के अनुसार न तो चिन्हांकित ही किए गए हैं और न शासनादेश सं०-ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010, दिनांक 21 मार्च 2012 में निर्दिष्ट विधान के अनुसार संस्था द्वारा केवल स्टेट बैंक आफ इण्डिया सहित किसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में (वित्त विभाग की अनुमति से) ही संचालित किए गए हैं और उन पर अर्जित बैंक ब्याज विगत वर्ष का रु० 4504507.00 एवं वर्ष का रु० 12616658.00 को राजकीय सम्पत्ति मानकर उसे राजकीय कोषागार में जमा भी नहीं किया गया है बल्कि कतिपय धनराशि रु० 3809141.00 का उपभोग दर्शाकर दुरुपयोग भी किया गया है तथा वर्ष का रु० 1116.00 ब्याज आय के रूप में दर्शित ही नहीं है। वेतनादि के लिए राज्य वित्त से रु० 14000000.00 की धनराशि के हस्तांतरण किए जाने व राज्य वित्त का धन खाता सं०-1799 में अवशेष रहने के कारण बैंक से प्राप्त ब्याज की आय को निजी स्रोत की आय का ब्याज मान लेना कपटपूर्ण आचरण है। अतः इसे अनुदान का ब्याज माना गया है। पासबुकों में 31.03.2015 को जो अन्तिम अवशेष मुद्रित किए गए हैं उनका योग मात्र रु० 239083052.54 ही पाया गया। अतः रोकड़ बही की धनराशि से विचलन मात्र रु० 16030840.35 का रहा जिससे सम्बन्धित बैंक समाधान विवरण पत्र मांगोपरान्त भी लेखा परीक्षा में अपलब्ध नहीं कराया गया अतः अन्तर का समाधान सम्भव नहीं हो सका। समाधान विवरण पत्र

तैयार कर समाधान कराया जाना चाहिए अन्यथा ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही किया जाना चाहिए। विवरण निम्नवत है-

क्र० सं०	योजना	बैंक शाखा / खाता सं० / रोकड़ बही	01.04.13 को प्रा० अवशेष	2013-14 में जमा	2013-14 में आहरण	31.03.14 को शेष
1	चिन्हित नहीं	इलाहाबाद बैंक 20267935623	53724	2170	—	2170.00 53724.00
2	तदैव	काशी गोमती बैंक 3959	1541023.60	62257	—	62257.00 1541023.60
3	तदैव	पंजाब नेशनल बैंक 662000100260007	37410	1511	—	1511.00 37410.00
4	तदैव	बैंक आफ इण्डिया 691710100007034 691710110000017 (04.04.2014 से) ब्याज	2529453 26200836 (25060492)	102190 — — 975373	— 1140344 1350000	102190.00 2529453.00 — 23710492 975373
5	जिला निधि	यू०बी०आई०वि०प० 39270201101799 बैंक ब्याज अनु० 13 वां वित्त अनु० राज्य वित्त 327210 से हस्तां० नकद जमा सेलरी आदि पेंशन आदि भविष्य निधि डी० ए० बोनस डी० डी० हस्तांतरित शांति ब्रिक फील्ड भरतराम ट० मु० अ० कैशियर धर्मदेव अन्य व निर्माण योग:—	170854075	6106269 49912646 186938713 6319050 8941149 — — — — — — — — — — — — — 258217827	— 90548141 — — 13792984 4722540 1591248 140913 43175 109220 561861 21293 1343212 9958919 4650993 167015604. 42 294500203. 42	128465429.58 6106269
6	मनरेगा	392702010315556 बैंक ब्याज	40004 695366	29709	— —	40004 725075

7	13 वां वित्त	392702010327210 बैंक ब्याज ठेकेदार से खाता सं० 1799 से विज्ञापन व्यय अपर मुख्य अधि० धर्मदेव यादव निर्माण कार्य पर 1799 में हस्तांतरित इनवर्ड चेक रिट० योग:-	117538991 3809141	5337179 281546 90548141 96166866	3809181 — — 110618 9393354 2415766 120093902 6319050 1202481 143344312	68833507 5337179
8	चिन्हित नहीं	392702010322309	5188	—	—	5188
9		राजकीय कोषागार	554797.36	—	—	554797.36
10		बैंक योग— योग बैंक व्याज	319355501.96 4504507.00	342941245. 0 12616658.0	436525718. 42 3809141.0	225771028.54 13312024.0
11	दर्शित नहीं	सामान्य रोकड़ बही (राजवित्तवेतनादि हेतु) अर्थ दण्ड, ईट कटौती,अ.वा. बैंक व्याज नकद वसूली / प्रकीर्ण आय	7969823.25	(14000000. 0) 152761.0 7252443.0 8841948.0	14479091.0 449872.0 163130.0 26320.0 87274.06	8251288.19
12		जमानत	17070413.0	13321475.0	12217894.0	18173994.0
13	11+12	योग	25040236.25	29568627.0	28183581.06	26425282.19
14	13 वां	वित्त व्याज	127543805.00 3809141.00	69033710.0 5337179.0	138524648.0 3809141.0	58052867.0 5337179.0
15		राज्य वित्त	131801086.00	186889761. 0	186219042.0	132471805.0
16	मनरेगा	ब्याज	40004.00 695366.00	— 29709.0	— —	40004.0 725075.0
17		14+15+16 योग—	263889402.00	261290359. 0	328552831.0	196626930.0
18	13+17	सामान्य रोकड़ बही	288929638.25	290858986. 0	356736412. 06	223052212.19
19	10—18	अन्तर(1)	34930370.71	64698917.0	83598447.36	16030840.35
20	7—14	13 वां वित्त अन्तर	—10004814.00	21795977.0	1010523.0	10780640.0

प्रस्तर—7

लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि क्र० 4 के खाजा सं०—17 में दिनांक—06.02.2014 और 04.04.2014 को क्रमशः दर्शित रोकड़ शेष रु० 26200836.00 और रु० 25060492.00 बिना किसी जमा/आहरण की प्रविष्टि के ही पासबुक में अन्तिम अवशेष दर्शाए गए हैं जिसमें रु० 1140344.00 का अन्तर विद्यमान है। अतः लेखा

परीक्षा द्वारा इस धनराशि को अपहरण की कोटि में रखा गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर-8

लेखा परीक्षा में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि दिनांक 31.03.2015 को संस्था द्वारा सामान्य रोकड़ बही में दर्शित रोकड़ बही में दर्शित रोकड़ शेष की धनराशि रू0 223052212.19 में शासकीय अनुदानों और जमानत की धनराशियों क्रमशः रू0 196626930.00 एवं रू0 18173994.00 तथा जुबली स्कालरशिप रू0 2269.00 के अतिरिक्त रू0 8249019.19 में किन-किन शीर्षों का कितना-कितना धन पड़ा रहा है। संस्था द्वारा विभिन्न बैंकों में संचालित खातों का इस प्रकार चिन्हांकन किया जाना चाहिए कि किस खाता में किस योजना की धनराशि जमा है ताकि पुष्टि किया जा सके कि वास्तव में लेखा परीक्षा वर्ष में योजनावार कितना धन व्यय किया गया तथा कितना धन अवशेष रहा। नियमानुसार अनिवार्य रूप से प्रत्येक खाते का चिन्हांकन किया जाना चाहिए जिसको जानबूझकर इस प्रकार अनियमित ढंग से संचालित किया गया है। इस कार्य प्रणाली से यह प्रमाणित नहीं किया जा सका कि संस्था को निजी स्रोत से प्राप्त होने वाली आय को पूर्णतः बैंक में वास्तव में जमा कर दिया गया है अथवा नहीं, और यदि जमा भी किया गया है तो किस खातों में। यह भी सम्भव है कि प्राप्त आय को बैंक खातों में जमा भी न किया गया हो एवं अपहरण कर लिया गया हो। बैंक खातों में दिनांक 31.03.2015 को अवशेष दर्शित धन रू0 239083052.54 में योजनावार जाने का कारण स्पष्ट नहीं किया गया, जिसके निमित्त नियमानुसार कार्यवाही किया जाना चाहिए।

उपरोक्त के क्रम में लेखा परीक्षा का मत है कि संस्था द्वारा जानबूझकर प्रत्येक योजना का अलग-अलग खाता नहीं खोला गया है तथा वर्ष के अन्त में शासकीय धन को वापस भी नहीं किया गया है। निजी और अन्य स्रोतों से प्राप्त आय को स्वतः छिपाने के उद्देश्य से सम्भवतः जानबूझकर इस तरह के खातों का संचालन किया जा रहा है। इसके लिए अपर मुख्य अधिकारी व वित्त परामर्श अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। इस सम्बन्ध में विभागीय अधिकारियों द्वारा वैधानिक कार्यवाही किया जाना चाहिए।

प्रस्तर-9

बैंक पासबुक और कैशबुक के आय व व्यय पक्ष में अन्तर का प्रमुख कारण तेरहवें वित्त की आय व हस्तांतरण का कैशबुक में अशुद्ध लेखांकन एवं अन्य बैंक लेखों से मिलान न करना व प्रविष्टि करना तथा प्रत्येक माह के अन्त में समाधान विवरण न तैयार करना है जिससे अवशेष का दुरुपयोग किया जाना सम्भावित है। चेक क्लियरिंग से प्राप्त आय रू0 132626.00 तथा नकद जमा रू0 8961844.00 कुल रू0 9094460.00 बैंक खाता सं0-1799 में जमा के सापेक्ष कैशबुक में नकद आय मात्र रू0 8560733.00 ही पाया गया। अतः अन्तर रू0 533727.00 ही पाया गया। अतः अन्तर रू0 533727.00 का रहा जिसका समाधान अपेक्षित है। समाधान न होने की स्थिति में उत्तरदायी कर्मियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही किया जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-10

13वें वित्त की धनराशि हेतु दिनांक 03.11.2012 को जिला पंचायत द्वारा धनराशि रू0 66185300.00 बचत बैंक खाता सं0-39210201101799 से हस्तांतरित कर पृथक खाता सं0-392702010327210 यू0बी0आई0, विकास भवन, गाजीपुर में खोला गया है जिसमें विगत व वर्तमान वर्षों में प्राप्त व्याज की धनराशियां रू0 766619.00 एवं रू0 3751330.00 तथा शासन से प्राप्त व्याज की धनराशि रू0 57811.00 अनुदान पंजिका में दर्शित पायी गयी और उक्त तिथि के पश्चात् 13वें वित्त की शासन से प्राप्त की गयी सम्पूर्ण धनराशि प्रारम्भ में खाता सं0-1799 में जमा कर अतिविलम्ब से प्रायः इसी खाते में हस्तांतरित कर जमा दर्शित किया गया है। विलम्ब से हस्तांतरित धनराशियों का विवरण अधोलिखित है—

क्र० सं०	दिनांक	खाता 1799 में जमा	दिनांक	खाता 327210 में हस्तांतरित	अवधि दिन में
1	07.07.2014	9577820.00			
2	07.07.2014	8153110.00	17.07.2014	177309330.00	10
7	14.10.2013	19121064.00	29.11.2014	19121064.00	320
8	—	—	—	—	—
9	21.08.2014	32181716.00	03.09.2014	32181716.00	13
10	30.03.2014	21514431.00	25.04.2014	21514431.00	26
	योग—	49912646.00		90548141.00	

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि बैंक पासबुक से अपर मुख्य अधिकारी के नाम से ₹0 9393354.00 तथा कैशियर श्री धर्मदेव यादव के नाम ₹0 2415766.00 आहरण दिखाया गया है और इस प्रकार आहरित धनराशि के व्यय किये जाने का शीर्ष सामान्य कैशबुक से स्पष्ट नहीं होती है जिससे कुल धनराशि ₹0 11809120.00 के दुरुपयोग की स्थिति स्पष्ट होती है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर—11

वर्ष 2014—15 के अन्त तक विभिन्न योजनाओं में प्राप्त शासकीय अनुदान (मनरेगा नहीं) में से ₹0 195861851.00 का उपभोग नहीं किया गया और न ही नियमानुसार सम्बन्धित विभागों को वापस ही किया गया है और इस प्रकार अनियमित रूप से अनुदान की धनराशि को रोक रखकर वर्ष प्रतिवर्ष दुरुपयोग करने के साथ साथ विकास योजनाओं को बाधित एवं श्रमिकों को राजगार से वंचित भी किया जा रहा है। यह धनराशि किन—किन बैंक खातों में संरक्षित रही, स्पष्ट नहीं हो सका क्योंकि संस्था द्वारा न तो योजना वार बैंक खाता ही खोले गये हैं और न उनका योजनावार चिन्हांकन ही किया गया है। इसके लिए अपर मुख्य अधिकारी एवं वित्त परामर्श अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। जिनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही किया जाना चाहिए।

प्रस्तर—12

जिला पंचायत गाजीपुर के वर्ष 2014—15 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि संस्था द्वारा मासिक लेखा माह मार्च, 2015 के प्रकीर्ण शीर्ष के अन्तर्गत कई—कई शीर्षों की विविध प्राप्तियों एवं विविध भुगतानों की संकलित धनराशियां दर्शायी गयी हैं जिसका शीर्षानुसार विवरण सहित संगत धनराशि पृथक—पृथक दर्शाते हुए पंजिका तैयार कर लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराई गई, जिससे लेखा परीक्षा द्वारा कैशबुक, व्यय प्रमाणकों व वर्गीकरण पंजी के आधार पर निम्न प्रकार प्रकीर्ण आय का विवरण तैयार किया गया—

क्रमांक	विवरण	धनराशि
1	राज्य वित्त से वेतन आदि हेतु हस्तांतरित	0.00
2	अर्थ दण्ड	122700.00
3	टेण्डर मूल्य	1103980.00
4	अदेयता प्रमाण पत्र शुल्क	1600.00
5	पुराना ईट कटौती	29531.00
6	अग्रिम वापसी से आय	530.00
7	मुआयना शुल्क	4.00
	योग—	1258345.00

राज्य वित्त की धनराशि से वेतन आदि के लिए हस्तांतरित धनराशि का अंकन नहीं पाया गया, अदेयता प्रमाण पत्र निर्गत करने के निमित्त शुल्क लेने के अधिकार और दर से सम्बन्धित अधिनियम/नियम का सन्दर्भ/राज्य सरकार की विज्ञप्ति/आदेश की प्रति लेखा परीक्षा को सुलभ कराया जाना चाहिए। जन सूचना हेतु प्राप्त शुल्क की प्रति लेखा परीक्षा को सुलभ कराना चाहिए। जन सूचना हेतु प्राप्त शुल्क से सम्बन्धित सूचना दिये जाने अथवा न दिए जाने की दशा में वाद चलने के कारण धनराशि के अपव्यय होने के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट किया जाना चाहिए। वर्गीकरण पंजी में दर्शित अर्थदण्ड रु0 122700.00 के सापेक्ष ठेकेदारों से कार्यों में विलम्ब सम्बन्धि अर्थ—दण्ड समाहरण रु0 121000.00 व्यय प्रमाणकों के आधार पर पाया गया (विवरण पत्र संलग्न)। इस प्रकार अन्तर की धनराशि रु0 1700.00 कि वर्गीकरण पंजी में न दर्शाए जाने के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट किया जाना चाहिए। दर्शित टेण्डर—मूल्य सम्बन्धि पंजीकृत ठेकेदारों की सूची एवं पंजिका पूर्ण विवरण सहित लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गयी जो अपेक्षित रही। पुराना ईट कटौती से आय रु0 29531.00 में रु0 2257.00 दर्शित नहीं है। अतः दर्शित प्रकीर्ण आय की स्थिति पूर्णतः संदिग्ध रही जिसे स्पष्ट किया जाना चाहिए। उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली अपर मुख्य अधिकारी सहित अन्य उत्तरदायी व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर—13

जिला पंचायत गाजीपुर के वर्ष 2014—15 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि संस्था द्वारा बालू शुल्क से आय रु0 195000.00 दर्शाया गया है किन्तु निकाले जाने वाले बालू के घाटों का ठेका दिए जाने एवं उससे प्राप्त आय का अंकन सामान्य कैशबुक में किए जाने का विवरण लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं पाया गया जबकि इन व्यापारों का जनपद में पर्याप्त प्रचलन है। इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट नहीं की गई। अतः जनपद में बालू के खनन एवं मत्स्य आखेट के अवैध व्यापार की स्थिति स्पष्ट होती है। इसके लिए जिला पंचायत प्रशासन उत्तरदायी है। इसके लिए विभागीय अधिकारियों द्वारा वैधानिक कार्यवाही किया जाना चाहिए।

प्रस्तर—14

जिला पंचायत गाजीपुर के वर्ष 2014—15 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि संस्था द्वारा आयुर्वेदिक चिकित्सालय इन्दौर और होम्योपैथी चिकित्सालय लहरपुर से प्रति रोगी एक रूपया की दर से लेवी शुल्क का संकलित आय रु0 6112.00 मासिक लेखा माह मार्च 2015 में दर्शाया गया है जिससे सम्बन्धित रोगी पर्ची की कार्बन प्रति/पंजिका लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गया जो अपेक्षित रहा। इस आय के सापेक्ष संस्था द्वारा चिकित्सा अधिकारियों व कर्मचारियों के वेतन भत्ते पर अंकन रु0 2222841.00 व्यय दर्शाया गया है जिनके द्वारा प्रायः प्रतिदिन औसतन 1—2 रोगियों की चिकित्सा किया जाना आय के आधार पर आकलित किया

गया। संस्था द्वारा रोगियों को प्रदत्त सुविधाओं यथा—औषधि, शायिका आदि पर होने वाले व्यय सम्बन्धि इण्डेण्ट/बिल सहित स्कन्ध पंजिका लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गयी जिससे की गयी चिकित्सा एवं चिकित्सा कर्मचारियों के वेतन भत्ते पर व्यय एवं दर्शित आय के वास्तविकता की पुष्टि नहीं होती है। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली अपर मुख्य अधिकारी सहित अन्य उत्तरदायी व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर—15

जिला पंचायत गाजीपुर द्वारा वर्ष 2014—15 की लेखा परीक्षा में लेखन सामग्री पर व्यय रु0 128740.00 दर्शाया गया है जो रु0 100000.00 से अधिक हाने के कारण टेण्डर द्वारा किया जाना चाहिए था किन्तु लेखा परीक्षा में टेण्डर द्वारा क्रय का विवरण उपलब्ध नहीं पया गया एवं क्रय के लिए मांग पत्र, टेण्डर कोटेशन व बिल/क्रय मूल प्रमाणक तथा स्कन्द पंजी आदि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे जिससे क्रय की स्थिति संदिग्ध रही। इस सम्बन्ध में तथ्यों को स्पष्ट नहीं की गयी जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी व वित्त परामर्श अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी है विभागीय अधिकारियों द्वारा वैधानिक कार्यवाही किया जाना चाहिए।

प्रस्तर—16

जिला पंचायत गाजीपुर द्वारा वर्ष 2014—15 की लेखा परीक्षा में जीप/कार तेल पर रु0 143880.00 तथा उसके किराए पर रु0 244250.00 व्यय का भुगतान किया जाना दर्शाया गया है जो रु0 100000.00 से अधिक होने के कारण राज्य की स्वीकृति व टेण्डर आमन्त्रित कर किराए पर लिया जाना चाहिए था जिसका प्रमाण लेखा परीक्षा में नहीं पाया गया। साथ ही लागबुक व मूल प्रमाणक अनुपलब्ध रहे। अतः सम्पूर्ण धनराशि रु0 388130.00 का दुरुपयोग किया जाना लेखा परीक्षा द्वारा संज्ञान में लिया गया। इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट नहीं की गयी जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी व वित्त परामर्श अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। इस सम्बन्ध में विभागीय कार्यवाही किया जाना चाहिए।

प्रस्तर—17

जिला पंचायत गाजीपुर द्वारा वर्ष 2014—15 की लेखा परीक्षा में जेनेरेटर तेल हेतु विभिन्न अधिकारियों /कर्मचारियों को रु0 5000.00 की दर से कई तिथियों में अग्रिम दिया जाना लेखा परीक्षा में पाया गया किन्तु उनकी प्रतिपूर्ति में तेल क्रय का मूल प्रमाणक, जेनेरेटर का ब्रेक डाउन रजिस्टर व लागबुक, मांग पत्र, स्कन्ध पंजी आदि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे जिससे अग्रिम की धनराशि का समायोजन, तेल क्रय/उपयोग/अवशेष की मात्रा संदिग्ध रहा। अपेक्षित अभिलेख प्रस्तुत कर समायोजित धनराशि की पुष्टि कराई जानी चाहिए अन्यथा स्थिति में इस शीर्ष में व्यय प्रमाणकों के आधार पर आगणित रु0 35000.00 की ब्याज सहित वसूली की वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर—18

जिला पंचायत गाजीपुर द्वारा वर्ष 2014—15 की लेखा परीक्षा में स्टेशनरी हेतु कर अधिकारी को रु0 5000.00 की दर से अग्रिम दिया जाना लेखा परीक्षा में पाया गया किन्तु उनकी प्रतिपूर्ति में स्टेशनरी क्रय का मूल प्रमाणक, मांग पत्र स्कन्ध पंजी आदि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे जिससे अग्रिम की धनराशि का समायोजन संदिग्ध रहा जबकि अग्रिम पंजी में समायोजन भी दर्शाया गया है। अपेक्षित अभिलेख प्रस्तुत कर समायोजित धनराशि की पुष्टि कराई जानी चाहिए अन्यथा ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-19

जिला पंचायत गाजीपुर द्वारा वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में बैटरी क्रय रु0 9700.00 की दर से किया जाना लेखा परीक्षा में पाया गया किन्तु उनकी पुष्टि में बैटरी क्रय का मूल प्रमाणक, मांग पत्र, स्कन्ध पंजी आदि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे जिससे बैटरी की धनराशि का भुगतान संदिग्ध रहा। अपेक्षित अभिलेख प्रस्तुत कर भुगतान की धनराशि की पुष्टि कराई जानी चाहिए अन्यथा ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-20

जिला पंचायत गाजीपुर द्वारा वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में अपने पूर्णकालिक स्थाई सेवकों के वेतन से एक रूपया में दस पैसे की दर से भविष्य निधि में अभिदान के लिए कृत कटौती की धनराशि रु0 1987257.00 लेखा परीक्षा द्वारा आगणित किया गया है जिसके लिए उ0प्र0 जिला पंचायत सेवा नियमावली 1970 के नियम-76 के अनुसार सेवकों के लाभ के लिए भविष्य निधि स्थापित किए जाने का प्रमाण उपलब्ध नहीं पाया गया बल्कि सभी पूर्णकालिक स्थाई सेवाकों के नाम से यूनियन बैंक आफ इण्डिया, शाखा-विस्तार पटल, विकास भवन, गाजीपुर में पृथक-पृथक खाजा खोलकर नियम-77 के अनुसार एक रूपया दर पैसे की दर से अभिदान का धन जाम किया जाना दर्शाया गया है किन्तु प्रत्येक सेवकों के नाम से खोले गये व्यक्तिगत खाता सम्बन्धी लेपर बुक व पासबुक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। फलतः अंशदान स्थाई/अस्थायी अग्रिम प्रदत्त, वसूल व अवशेष तथा लाभ प्रदान किए जाने की स्थिति संदिग्ध रही। यह भी ज्ञात नहीं हो सका कि इस मद में कर्मचारियों का कितना धन जमा है। पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इस अनियमिता हेतु उत्तरदायी कर्मिकों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-21

जिला पंचायत गाजीपुर की वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि संस्था द्वारा 13वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर अवमुक्त धनराशियों का उपयोग निर्देशों के विपरीत वर्ष में केवल मार्ग/भवन निर्माण/मरम्मत आदि पर व्यय दर्शाकर रु0 142333789.00 का भुगतान अनुदान पंजी में दर्शाया गया है, किन्तु सम्बन्धित व्यय प्रमाणकों की तुलना अनुदान पंजी से करने पर व्यय की धनराशि रु0 142334973.00 पायी गयी (सूची संलग्न)। फलस्वरूप अन्तर रु0 1184.00 के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट किया जाना चाहिए। पुनः 13वें वित्त आयोग द्वारा यह निर्देश दिए गए हैं कि अनुदान का उपयोग सभी के लिए शुद्ध पेय जलपूर्ति एवं स्वच्छता की पुरानी सुविधाओं का पुनर्वास एवं नवीन सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के साथ साथ आवर्ती रूप से व्यय की गई धनराशि का 50 प्रतिशत अंश की पुनर्वापसी उपभोग शुल्क के रूप में प्राप्ति सुनिश्चित करके की जाय, किन्तु संस्था द्वारा ऐसा न कर वर्ष में व्यय दर्शित धनराशि रु0 142333789.00 का 50 प्रतिशत अंश रु0 71166895.00 को नष्ट करके संस्था को हानि पहुचाई गई है। इसके लिए जिला पंचायत प्रशासन स्वयं उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली क्षतिपूर्ति की प्रभावी एवं वैधानिक कार्यवाही किया जाना चाहिए।

प्रस्तर-22

संस्था द्वारा राजकीय राजस्व यथा आयकर, व्यापार कर एवं रायल्टी की कटौती, जमा तथा शेष सम्बन्धी कोई विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। विवरण के अभाव में वास्तविक राजस्व की धनराशि एवं की गयी वास्तविक कटौती की धनराशि की गणना सम्भव नहीं। कैशबुक/प्रमाणकों के आधार पर लेखा परीक्षा में तैयार किये गये विवरण के अनुसार राजकीय राजस्व मद में निम्न विवरण के अनुसार शासकीय

अनुदानों से दर्शित कार्यों पर दर्शित व्ययों के भुगतानों के सापेक्ष राजकीय राजस्व कटौतियां की गयी है—(सूची संलग्न)

आयकर	व्यापार कर	रायल्टी	योग
7343609.00	12774071.00	2056209	22173889.00

वर्ष 2014-15 में राजकीय राजस्व मद में कुल कितनी कटौतियां की गयी है तथा उनके सापेक्ष कितनी धनराशि जमा तथा वर्षान्त में शेष रह गयी इस आशय का विवरण तैयार कराकर लेखा परीक्षा में इसकी पुष्टि करायी जानी आवश्यक है। राजकीय राजस्व की धनराशि के निर्दिष्ट शीर्षों की जमा की पुष्टि में लेखा परीक्षा में मात्र कुछ चालानों की प्रतियां प्रस्तुत की गयी जिनसे यह स्पष्ट है कि अधिकांश धनराशि अनियमित रूप से कैश जमा की गयी है जो आपत्तिजनक के साथ-साथ असुरक्षित भी है। राजस्व की जमा धनराशि की पुष्टि में दाखिल रिटर्न/जमा सत्यापन प्रमाण पत्र/जिन बैंक खातों से धनराशि जमा की गयी उनसे सम्बन्धित बैंक पास बुक/स्टेटमेंट ऑफ अकाउन्ट उपलब्ध कराते हुए जमा धनराशि की पुष्टि हेतु सम्बन्धित मदों के कोषागार स्टेटमेंट प्रस्तुत किये जाने चाहिए। उक्त के अभाव में राजकीय राजस्व की धनराशि रु0 22173889.00 का आकलन एवं सम्बन्धित शीर्षों में जमा की पुष्टि नहीं की जा सकी। उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली अपर मुख्य अधिकारी सहित उत्तरदायी अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-23

जिला पंचायत गाजीपुर की वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि संस्था द्वारा शासकीय अनुदानों का उपभोग रु0 328552831.00 दर्शाकर निर्माण कार्यों पर व्यय दर्शाया गया है जिसमें राजकीय राजस्व रु0 22173889.00 एवं वेतन पेंशन आदि पर व्यय रु0 8924631.00 भी सम्मिलित है। जिला पंचायत द्वारा वर्ष 2014-15 में उपरोक्तानुसार दर्शित निर्माण कार्यों पर निम्न गम्भीर तथ्य प्रकाश में आए जिसका समाधान अपेक्षित है—

(क). निर्माण कार्यों की स्वीकृति/जिला स्तरीय कमेटी द्वारा अनुमोदित सूची एवं संस्था को निर्माण कार्य कराने हेतु आवंटित कार्यों की सूची उपलब्ध नहीं करायी गयी जिससे यह ज्ञात नहीं हो पा रहा है कि जो कार्य संस्था द्वारा जिला पंचायत को आवंटित किया गया है अथवा नहीं।

(ख). निर्माण कार्य पत्रावलियों में एक ही तरह के तीन-तीन टेण्डर फार्म लगाये गये हैं और उनमें से एक को स्वीकृत किया गया है। जिससे स्पष्ट होता है कि संस्था पर टेण्डर प्रक्रिया मात्र एक कागजी कोरम पूर्ण करने के रूप में की गयी है। कार्य किसको दिया जाना है यह पूर्व से ही निर्धारित होता है।

यह भी उल्लेखनीय है कि संलग्न प्राक्कलन पत्र नियमानुसार निर्धारित रीति से प्रारूप पर नहीं तैयार किए गये हैं जिससे यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि निर्माण कार्यों में प्रयोग किये जाने वाले प्रत्येक पदार्थ की गुणवत्ता, मात्रा, दर व मूल्य क्या है तथा मिट्टी के लिए कण्टूर आदि का विवरण भी नहीं दिया गया है। इसी प्रकार स्वीकृत मानचित्र भी नियमानुसार निर्धारित रीति से प्रारूप पर नहीं तैयार किए गये हैं जिससे पूर्व और पश्चात् की दशा व दिशा का बोध नहीं हो पा रहा है। इस प्रकार प्राक्कलन में निर्धारित अनुमानित लागत की पुष्टि नहीं की जा सकी।

(ग). जो भी निर्माण कार्य दर्शित है उनके लोकेशन/अवस्थान जान बूझकर भ्रामक बनाये गये हैं अर्थात् कौन सा कार्य किस विकास खण्ड में किस ग्राम पंचायत में कहाँ से कहाँ तक किस प्रकार की भूमि (गाटा/प्लाट संख्या सहित) पर कराया गया है स्पष्ट विवरण भी अंकित नहीं किया जाता है।

(घ). संस्था स्तर पर सृजित परिसम्पत्तियों की पूँजी तैयार नहीं की जाती है जिसमें यह स्पष्ट नहीं होता है कि कितने और कौन-कौन से पूर्ण अथवा कार्य किस वर्ष में कराये गये और उनका स्वामित्व सक्षम अधिकारी द्वारा औपचारिक रूप से जिला पंचायत में सन्निहित कर दी गई है अथवा नहीं।

(ड). किसी भी कार्य का कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं (पी. सी. आर.) निर्धारित प्रारूप पर संलग्न नहीं है जिससे यह ज्ञात नहीं हो पाता है कि कौन-सा कार्य पूर्ण हो चुका है कौन सा अपूर्ण है।

(च). शासनादेश सं०-3891/77-5-2002-1(216)/93 दिनांक-05.08.2002 एवं सं०-4951-(11)/77-05-06-506/06 दिनांक-05.10.2006 एवं तत्सम्बन्धित अन्य शासनादेशों में यह व्यवस्था निर्धारित है कि निर्माण कार्यों में प्रयुक्त होने वाले उपखनिजों यथा गिट्टी, मोरम आदि की आपूर्ति सुनिश्चित करते हुए आपूर्ति कर्ता से रायल्टी जमा किये जाने के प्रमाण स्वरूप ट्रेजरी चालान की प्रमाणित प्रति, एवं सामग्री परिवहन को सुनिश्चित करते हुये वैध रवन्ना (एम.एम.11) प्राप्त कर लिया जाय तत्पश्चात ही भुगतान किया जाय किन्तु पत्रावलियों में न तो रायल्टी जमा कर ट्रेजरी चालान की प्रति के साथ सी०टी०आर० की प्रति और न ही वैध रवन्ना ही पाया गया यहा तक की प्रमाणकों एवं वैध रवन्ना के सम्बन्ध में कोई टिप्पणी तक अंकित नहीं है और भुगतान कर दिया गया है। इस प्रकार निर्धारित व्यवस्था के प्रतिकूल मनमाने एवं अनियमित ढंग से भुगतान किये गये है। य सुनिश्चित नहीं किया गया कि निर्माण कार्यों में प्रयुक्त होने वाले खनिज सामग्री की आपूर्ति हुई भी अथवा नहीं और एस पर देय रायल्टी जमा हुई अथवा नहीं ऐसे में अपेक्षित है कि ठेकेदारों से यह स्पष्ट कराया जाय और प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाय कि उनके द्वारा खनिज सामग्री की आपूर्ति किन फर्मों से और कहाँ से (प्रत्येक निर्माण कार्य पर अलग-अलग) की गयी और देय रायल्टी जमा की गयी अथवा नहीं। यदि जमा की गयी है तो प्रमाण स्वरूप ट्रेजरी चालान की प्रमाणिक प्रति प्राप्त किया जाय अन्यथा स्थिति में खान/खनिज सामग्री आपूर्ति ही संदिग्ध है और जब सामग्री आपूर्ति ही संदिग्ध है तो दर्शित निर्माण कार्य भी स्वमेव संदिग्ध हो जाता है।

(छ). जिला पंचायत द्वारा जिस ग्राम सभा में कार्य कराया गया है, उस ग्राम पंचायत का प्रस्ताव पत्रावली में संलग्न नहीं है, साथ ही श्रमिक मांग पत्र भी नहीं प्राप्त किया गया है। साथ ही मस्टर रोल कहाँ से प्राप्त किया गया है, उल्लेख नहीं किया गया है तथा न तो मस्टर रोल का लेखा ही रखा गया है।

(ज). उ०प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा-63 के अनुसार जिला पंचायत द्वारा जिले के समस्त विकास खण्डों की विकास योजनाओं को समेकित करते हुए विकास योजनाएँ तैयार किया जाना चाहिए जबकि अधिनियम की धारा-86 के अनुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा अपने विकास खण्ड के समस्त ग्राम पंचायतों की विकास योजनाओं को समेकित करते हुए विकास योजनाएँ तैयार किया जाना चाहिए। इस प्रकार जिला पंचायत की विकास योजनाओं में स्वतः ही क्षेत्र पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों की विकास योजनाएँ समेकित हो जाएंगी। इसी क्रम में धारा-33(1)(2) के अनुसार ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं जिला पंचायतों द्वारा प्रबन्ध के प्रयोजन के लिए सड़कों का क्रमशः ग्रामसड़कों, अन्तरग्रामित सड़कों एवं जिला सड़कों के रूप में वर्गीकरण किया जाना चाहिए। अतएव किसी एक ग्राम पंचायत में केवल उस ग्राम पंचायत द्वारा, दो या दो से अधिक ग्राम पंचायतों में ही जिला पंचायत द्वारा योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अधिनियम में उपबन्ध है जिसका संस्था द्वारा अनुपालन किए जाने का प्रमाण उपलब्ध नहीं पाया गया।

उपर्युक्त बिन्दु (क) से (ज) को दृष्टिगत रखते हुए लेखा परीक्षा का मत है कि जो भी निर्माण कार्य दर्शित हैं, वे संदिग्ध है अतः जिला पंचायत द्वारा दर्शित कार्य से सृजित परिसम्पत्ति की पुष्टि नहीं की जा सकी व इसकी भी सम्भावना है कि दर्शित निर्माण कार्यों पर जा व्यय दर्शाए गए हैं वे बिना कार्य कराए ही योजनाबद्ध ढंग से दुरुपयोग कर लिए गये हो जिसके लिए ठेकेदार, लेखाकार, वित्तीयपरामर्श अधिकारी एवं अपर मुख्य अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। इसके निमित्त वैधानिक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

क्षेत्र पंचायत
जनपद—फतेहपुर मण्डल—इलाहाबाद
क्षेत्र पंचायत — मलवा

प्रस्तर—1

आलोच्य वर्ष में दिनांक 15.07.2014 के पूर्व स्वीकृत स्टीमेट के अनुसार सी0सी0 रोड निर्माण कार्य में लेइंग ऑफ सीमेन्ट कंक्रीट इन 1:2:4 विद सीमेन्ट कोर्स सैन्ड एण्ड 20 मी0मी0 स्टोन गिटकी मजदूरी दर 1100/ घनमीटर से तदनुरूप काल्पनिक मस्टर रोल तैयार कर भुगतान दर्शाया गया है। जबकि पी0डब्ल्यू0डी0 क्रम0सं0 279 (ए) के अनुसार उक्त मद की मजदूरी दर रू0 602/घनमीटर की दर से भुगतान की जानी चाहिए थी। लेखा परीक्षा अनुसार सी0सी0 1:2:4 एनालीसिस आफ वेजेस रेट निम्नवत है। यूनिट—2.83घन मी0

1.	मिस्त्री 1/10 दिन	दर 275	= 27.50
2.	मेसन 1/2 दिन	दर 250	= 125.00
3	बेलदार 4	दर 150	= 600.00
4	कुली 4	दर 150	= 600.00
5	भिस्ती 2	दर 165	= 330.00
6	ब्लैकस्मिथ 1/10	दर 200	= 20

योग—1702.50

$$= 1702.50/2.83 = 601.59 = 602 / \text{घनमीटर}$$

उक्त मद में अधिक भुगतान मजदूरी का विवरण निम्नवत् है:—

क्र.	नाम कार्य सी0सी0 रोड निर्माण	सी0सी0 1:2:4 यूनिट	अधिक भुगतान दर घनमीटर (1100—602=498)	वसूली योग्य धन
1.	रारी बुजुर्ग में सफात के घर से मस्जिद तक सी0सी0 रोड	83.51 घन मीटर	498=	41587.98
2.	मुनीर पेंटिंग रोड से गोंसाई बाबा मन्दिर तक सी0सी0 रोड	61.24 = घन मीटर	498=	30497.52
3.	हरदौलपुर में मैकू सोनकर के घर से कालीदीन सोनकर तक	50.05= घन मीटर	498=	24924.90
4.	वीकमपुर में खागलबाबा मठिया से सुरेन्द्र के घर तक	36.25 = घन मीटर	498=	18052.50

5.	पहुर रामपुर में अतर सिंह के मकान से कंधई के मकान तक	56.72 = घन मीटर	498=	28246.56
योग			143309.46	

उक्त विवरणानुसार उपरोक्त पांच कार्यों में सी0सी0 1:2:4 मद में 1100—602=498/ घन मीटर मजदूरी दर अधिक प्राक्कलित कर फर्जी मस्टर रोल तैयार कर रू0 143309.46 का अपहरण किया गया है। उक्त कार्य के लिए मुख्य रूप से श्री हरि नारायण यादव सहायक अभियन्ता दोषी है। अतएव श्री हरि नारायण यादव सहायक अभियन्ता से रू0 143309.46 ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-2

आलोच्य वर्ष में दिनांक 15.07.2014 के बाद स्वीकृत स्टीमेट के अनुसार सी0सी0 रोड निर्माण कार्यों में लेइंग ऑफ सीमेन्ट कंक्रीट इन 1:2:4 विद सीमेन्ट कोर्स सैन्ड एण्ड 20मी0 स्टोन ग्रीटदर 1650/ घनमीटर से तदनु रूप काल्पनिक मस्टर रोल तैयार कर भुगतान दर्शाया गया है, जबकि पी0डब्ल्यू0डी0 क्रम0सं0 279/एड्ड के अनुसार उक्त मद की मजदूरी दर रू0 800/घन मी0 की दर से भुगतान की जानी चाहिए थी। निम्न विवरणानुसार रू0 1650.800 = 850/घन मी0 काल्पनिक मस्टर रोल तैयार कर दो कार्यों में रू0 129183.00 का अपहरण किया गया है। उक्त कार्य के लिए मुख्य रूप से श्री हरि नारायण यादव सहायक अभियन्ता दोषी है। अतएव श्री हरि नारायण यादव सहायक अभियन्ता से रू0 129183.00 ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

लेखा परीक्षा अनुसार एनालीसिस आफ वेजेस रेट फॉर द वर्कसी0सी0 1:2:4 निम्नवत है। यूनिट—2.83 घन मी0

1.	मिस्त्री 1/10 दिन	दर 350	= 35.00
2.	मेसन 1/2 दिन	दर 325	= 162.50
3	बेलदार 4	दर 200	= 800.00
4	कुली 4	दर 200	= 800.00
5	भिस्ती 2	दर 220	= 440.00
6	ब्लैक स्मिथ 1/10	दर 275	= 27.50

योग—2265.00

योग= 2265/2.83 = 800.35 = 800.00 रू0

उक्त मद में अधिक भुगतान मजदूरी का विवरण निम्नवत् है:-

क्र०.	नाम कार्य सी०सी० रोड निर्माण	सी०सी० 1:2:4 यूनिट	अधिक भुगतान दर घनमीटर	वसूली योग्य धन
1.	गुनीर में मदराही से सत्यम के घर तक सी०सी० रोड निर्माण	70.98=घन मी०	850=	60333.98
2.	उमरगहना मेन रोड जगदीश की दुकान से नाती पटेल के घर तक सी०सी० रोड	81.00= घन मी०	850=	68850.00
योग				129183.00

प्रस्तर-3

आलोच्य वर्ष के निम्नलिखित सी०सी० रोड निर्माण कार्य के स्थलीय/भौतिक सत्यापन से यह गम्भीर तथ्य प्रकाश में आया कि बेस सी०सी० 1:6:12 के कार्यों में सीमेन्ट व बालू मिश्रण का कार्य नहीं करवाया गया है, किन्तु साजिशन काल्पनिक एम०वी० तैयार कर तदनुरूप सामग्री आपूर्ति का फर्जी बाउचर लगवा कर तथा फर्जी मस्टर रोल तैयार कर रू०-466240.76 का अपहरण किया गया है। इस प्रकार काल्पनिक एम०वी० तैयार करने के लिए उक्त अपहरित धनराशि की आधी रकम रू० 233120.38 श्री हरि नारायण यादव सहायक अभियन्ता से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है तथा कार्यवार अपहरित धनराशि की आधी रकम सम्बन्धित कार्य प्रभारियों से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। अपहरित धनराशि की ब्याज सहित वसूली के साथ ही साथ उक्त सहायक अभियन्ता एवं सम्बन्धित कार्य प्रभारियों के विरुद्ध वैधानिक/प्रशासनिक कार्यवाही की जानी भी अपेक्षित है। विवरण निम्नवत्

क्र०	कार्य का नाम/कार्य प्रभारी का नाम	सी०सी० 1:6:12 कार्य की मात्रा घन मी०	काल्पनिक प्रयुक्त सामग्री			मिक्सिंग लेबर चार्ज
			सीमेन्ट (बोरी)	कोर्स सैण्ड घन मी०	फाइन सैण्ड घन मी०	
1.	पहुर रामपुर में अतर सिंह के मकान से कंधई के मकान तक सी०सी०/श्री राम प्रकाश कटियार ए०डी०ओ० (ए०जी०)	51.50	115.98	24.22	.	51.55

	दर रू0 में	.	दर 320	दर 1200	.	दर 210
	अपहरित धनराशि (77003.10)	.	37113.60	29064.00	.	10825.50
2.	वीकमपुर खागल बाबा की मठिया तक सी0सी0 कार्यप्रभारी श्री हरि नारायण यादव ए0ई0	29	62.25	.	13.63	29
	दर रू0 में	.	दर 320	दर 850	.	दर 210
	अपहरित धनराशि (37595.5)	.	19920.00	.	11585.50	6090.00
3.	गुनीर में मदराही रोड से सत्यम के दरवाजे तक सी0सी0 / कार्य प्रभारी श्री हरि नारायण यादव ए0ई0	48.10	108.22	.	22.60	48.10
	दर रू0 में	.	दर 363	दर 934	.	दर 210
	अपहरित धनराशि (70493.26)	.	39283.86	.	21108.40	10101.00
4.	सरी बुजुर्ग में सफात के घर से मस्जिद तक सी0सी0 / कार्य प्रभारी श्री राम प्रकाश कटियार ए0ड0ओ0 (ए0जी0)	64. 96	146.16	30.53	.	64.96
	दर रू0 में	.	दर 320	दर 1200	.	दर 210
	अपहरित धनराशि (97048.80)	.	46771.20	36636.00	.	13641.60
5.	गुनीर पेंटिंग रोड से गोसाई बाबा मन्दिर तक सी0सी0 / कार्य प्रभारी श्री हरि नारायण यादव ए0ई0	49.71	118.84	.	23.36	49.71

	दर रू0 में	.	दर 320	.	दर 850	दर 210
	अपहरित धनराशि (68323.90)	.	38028 ^८ 80	.	19856.00	10459.10
6.	उमरगहना मेन रोड से नाती पटेल के घर तक सी0सी0 / कार्य प्रभारी— श्री हरि नारायण यादव ए0ई0	43.20	97.20	20.30	.	43.20
	दर रू0 में	.	दर 363	दर 1390	.	दर 210
	अपहरित धनराशि (72572.60)	.	35283.60	28217.00	.	9072.00
7.	हरदौलपुर में मैकू सोनकर के घर से कालीदीन के घर तक सी0सी0 / कार्य प्रभारी— श्री एस0पी0 सिंह (ग्रा0वि0अ0)	28.92	65.07	13.59	.	28.92
	दर रू0 में	.	दर 320	दर 1200	.	दर 210
	अपहरित धनराशि (43203.60)	.	20822.40	16308.00	.	6073.20
कुल अपहरित धनराशि :— 77003.10+37595.50+70493.26+97048.80+68323.90+72572.60+43203.60= Rs. 466240.76						

जनपद— मऊ मण्डल— आजमगढ़

क्षेत्र पंचायत — रानीपुर

प्रस्तर संख्या—1

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2014—15 के अनुदान रजि० पार्ट 3 का अन्तिम अवशेष रु 806043 दर्शित है। संस्था में योजनानुसार बैंक खाते के अनुसार अन्तिम शेष रु 583388 का प्रमाण—पत्र है। इस प्रकार अन्तर रु 222655 का रहा। जिसके अन्तर्गत मात्र चेक सं० 735460 पर रु 17000 का असमायोजित दिनांक 31.03.15 का दर्शाया गया है, जबकि 205655 रु का समाधान विवरण पत्र तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली संबंधी आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं० 2)

प्रस्तर संख्या —2

आलोच्य वर्ष 2014—15 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि तेरहवाँ वित्त योजना शीर्ष के अन्तर्गत वर्ष 2014—15 में प्रारम्भिक अवशेष रु 4717110, वर्ष में प्राप्त रु 3158354, व व्यय रु 3869720 के उपरान्त वर्षान्त में 31.03.15 को अवशेष ऋणात्मक रु 239655 ग्रांट रजि० 3 में दर्शित है। इस प्रकार आय से अधिक व्यय दर्शाया जाना संदिग्ध प्रतीत होता है। उक्त धनराशि अवास्तविक रूप से व्यय दर्शाया गया है, जिसे उनके द्वारा आगामी वर्ष में अनुदान से खारिज करने की योजना है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार पूर्ण रूप से जिम्मेदार हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं० 3)

प्रस्तर संख्या —3

आलोच्य वर्ष 2008—09 के अनुदान पंजिका 3 की जाँच में पाया गया कि मनरेगा कंटीजेंसी प्रशासनिक मद में रु 4960 एवं मनरेगा ग्रा०पं० के मद में रु 318095 कुल रु 323055 दिनांक 31.03.2009 को अवशेष दर्शित है। जिसे आगामी वर्षों में प्रारम्भिक शेष न दर्शाकर सम्बन्धित मद को समाप्त कर दिया गया है। लेखा परीक्षा अनुसार उक्त मदों की धनराशि रु 323055 सम्बन्धित विभाग को स्थानांतरण द्वारा या ट्रेजरी के माध्यम से भुगतान किया जाना था, किन्तु सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार द्वारा ट्रांसफर या भुगतान से सम्बन्धित प्रमाणक या विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। बिना आधार या प्रमाणक के उक्त धनराशि को अवशेष दर्शाने से गबन की सम्भावना है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार पूर्ण रूप से जिम्मेदार हैं। जिम्मेदार व्यक्ति के विरुद्ध धनराशि की ब्याज सहित वसूली संबंधी विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (सामान्य आपत्ति सं० 4)

प्रस्तर संख्या —4

दिनांक 31.03.15 को राज्यवित्त ब्याज मद में रु० 138458 तथा क्षेत्र पंचायत निधि ब्याज मद में वर्ष 2011—12 में रु 12226 कम दर्शित है। इस प्रकार ब्याज मद में रु 228497 अवशेष दर्शित किया जाना चाहिये। जिसे शासनादेश संख्या ए-1/122/दस2012-10(33)/2010 दिनांक 21 मार्च 2012 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार शासन द्वारा अवमुक्त धनराशियों को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया गया है तो वह अर्जित ब्याज संस्था की नहीं मानी जायेगी नियमानुसार अर्जित ब्याज को राजकीय कोषागार में जमा न कर तत्कालीन खण्ड

विकास अधिकारी एवं लेखाकार द्वारा गम्भीर अनियमितता बरती गयी है। जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस किया जाय। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं० 5)

प्रस्तर संख्या-5

लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 में पाया गया कि तेरहवें वित्त आयोग मद में रु 725000 प्राप्त हुआ जिसे वर्ष के दौरान राज्य वित्त मद में स्थानांतरण किया गया अनुदान पंजिका 3 में दर्शाया गया है। किन्तु स्थानांतरण से सम्बन्धित शासकीय आदेश लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। बिना आदेश प्राप्त किये ही 13 वें वित्त से राज्य वित्त मद में स्थानांतरण अनियमित है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार पूर्ण रूप से जिम्मेदार हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं० 6)

प्रस्तर संख्या-6

आलोच्य वर्ष में राज्य वित्त योजनान्तर्गत ग्रांट रजि० 3 में रु 10267395 व्यय दर्शित है, जबकि निर्माण कार्य पंजिका के अनुसार व्यय रु 9689830 दर्शाया गया है। इस प्रकार रु 577565 अनुदान रजि० 3 में अधिक व्यय दर्शाया गया है, जबकि व्यय निर्माण कार्य पंजिका के अनुरूप होना चाहिये। अधिक व्यय दर्शाने का कारण एवं साक्ष्य लेखा परीक्षा नहीं उपलब्ध कराया गया। अधिक व्यय की धनराशि का किस कार्य पर व्यय किया गया की पुष्टि में सम्बन्धित निर्माण पत्रावली, प्रमाणक आदि प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्रांट रजि० 3 में वास्तविक उपयोगिता अनुदान से रु 577565 का अधिक उपयोग दर्शाकर धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार पूर्ण रूप से जिम्मेदार हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध ब्याज सहित वसूली संबंधी विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं० 7)

प्रस्तर संख्या-7

आलोच्य वर्ष 2014-15 में तेरहवें वित्त योजनान्तर्गत ग्रांट रजि० 3 के अनुसार रु 3869720 व्यय दर्शित है, जबकि निर्माण कार्य पंजिका के अनुसार व्यय रु 3875570 दर्शाया गया है। इस प्रकार रु 5850 अनुदान रजि० 3 में कम दर्शाया गया है। कम व्यय दर्शाये जाने का कारण लेखा परीक्षा में स्पष्ट नहीं किया गया, जिससे व्यय धनराशि की पुष्टि न की जा सकी अपहरण की सम्भावना है। उत्तरदायी व्यक्ति के विरुद्ध ब्याज सहित वसूली संबंधी आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं० 8)

प्रस्तर संख्या-8

दिनांक 31.03.15 को क्षेत्र पंचायत ग्रांट रजि० 3 के अनुसार केन्द्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत रु 583388 शेष रही। इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश सं० बी०१-1197-दस 99 दिनांक 30.03.199 के अनुसार राजकीय धनराशि को कोषागार के वैयक्तिक खाते में रखा जाना चाहिए। लेकिन इस अनुदान की धनराशि को रोके रखकर न्यूनतम प्रतिशत ब्याज की दर से रु 228497 कमाया गया है। अर्जित ब्याज की धनराशि का निधि में दुरुपयोग/अपहरण करने के उद्देश्य से खातों का संचालन भी योजनावार नहीं किया गया है, और न ही अर्जित ब्याज को योजनावार दर्शित किया गया है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार द्वारा अवशेष धनराशि के साथ साथ ब्याज की धनराशि वैयक्तिक खाते में जमा न कर अनियमितता बरती गयी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं० 9)

प्रस्तर संख्या –9

लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 में निर्माण कार्य पंजिका में मनरेगा के अन्तर्गत दिनांक 20.07.2010 को चेक सं० 852770 द्वारा देवखरी के इमिलिया मौजे में कांग्रेस,” शेषनाथ एवं राजकपूर लाभार्थी के खेत के समतलीकरण का कार्य राजेश कुमार ग्रा० वि० अधि० को रु 104000 भुगतान किया गया है, जबकि उक्त ग्राम पंचायत के दाउतपुर मौजे में राज कपूर, कांग्रेस एवं शेषनाथ के खेत के समतलीकरण कराने हेतु दिनांक 01.09.10 को चेक सं० 854105 द्वारा रु 117000 कार्य प्रभारी श्री सुबाशचन्द्र ग्रा०वि०अधि० को भुगतान किया गया है। उक्त सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि एक ही लाभार्थी को दो कार्य प्रभारी द्वारा एक ही ग्राम पंचायत में अलग-अलग तिथियों में कार्य कराया जाना दर्शाया गया है। इस प्रकार दिनांक 01.09.2010 को कार्य प्रभारी श्री सुबाशचन्द्र ग्रा०वि०अ० द्वारा अवास्तविक रूप से रु 117000 खेत समतलीकरण पर दर्शाकर अपहरण कर लिया गया है, जिसके लिए कार्य प्रभारी श्री सुबाशचन्द्र ग्रा०वि०अ० के साथ-साथ तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं० 12)

प्रस्तर संख्या-10

लेखा परीक्षा वर्ष में 13 वें/राज्य वित्त के अन्तर्गत क्षेत्र पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत एवं विकास खण्ड के कार्यालय, ग्राम विकास अधिकारी आवास, ब्लाक प्रमुख कक्ष आदि का निर्माण कार्य कराया गया है जिस पर कुल लागत व्यय रु० 2275431 हुआ है। जो शासनादेश/ जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत नियमों नियमावली के अन्तर्गत के प्रतिकूल है, उक्त नियमों के अन्तर्गत राज्य वित्त एवं 13 वें वित्त के अन्तर्गत उक्त दर्शित कार्यों पर व्यय अनियमित है, जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं कार्यालय प्रभारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्ति के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं० 13)

क्षेत्र पंचायत –कोपागंज–

प्रस्तर संख्या –11

वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा करते समय प्रकाश में आया कि राज्य वित्त/13 वें वित्त योजना से भुगतान करते समय भुगतान की धनराशि पर 4%की दर से बिक्री कर/वाणिज्यकर व 2.24%की दर से आयकर की कटौती नहीं की गयी है। इस प्रकार वाणिज्य कर रु 335996 एवं आयकर रु 188156 अर्थात् कुल रु 524152 की कटौती न कर राजकीय धन की क्षति पहुँचाकर अनियमितता बरती गयी है जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री शिवमूर्ति रावत एवं सहायक लेखाकार श्री उमेश राय उत्तरदायी हैं। विवरण निम्नवत है—उत्तरदायी व्यक्ति के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

क्रमांक	फर्म का नाम	वर्ष में भुगतान की गयी धनराशि	वाणिज्य कर (4%)	आयकर (2.24%)
1	मेसर्स आर बी०आर० ईट उद्योग फैजुल्लाहपुर	3121126	124845	69913
2	मेसर्स प्रभुनाथ सिंह सप्लायर शॉवरकोल	1033807	41352	23157
3	मेसर्स उमेशचन्द्र यादव ईट उद्योग देवकली	932120	37284	20879
4	मेसर्स आर०ए० इलेक्ट्रिकल्स, आजमगढ़	986902	39476	22106

5	मेसर्स पूजा ईट भट्टा उद्योग गरथैली	704452	28178	15779
6	मेसर्स शमसाद ईट भट्टा उद्योग रसूलपुर	12060	482	270
7	मेसर्स अर्चना सिंह ईट उद्योग कोटवाकोपड़ा	866081	34643	19400
8	मेसर्स मौर्या सीमेंट स्टोर चोरपाकला	381038	15241	8535
9	मेसर्स फतेहबहादुर ट्रेडर्स	112040	4481	2509
10	मेसर्स बजरंग ट्रेडर्स	36072	1442	808
11	मेसर्स सौरभ इण्टर प्राइजेज डाड़ी	214302	8572	4800
	योग	8400000	335996	188156

कुल योग (वाणिज्य कर + आयकर)= 335996 + 188156 =524152

(सामान्य आपत्ति सं0 2)

प्रस्तर संख्या-12

वर्ष 2013-14 की लेखा परीक्षा करते समय प्रकाश में आया कि मनरेगा योजना से क्रय किये गए वस्तुओं का भुगतान करते समय भुगतान की धनराशि पर 4% वाणिज्य कर एवं 2.24% की दर से आयकर की कटौती नहीं की गयी है। इस प्रकार वाणिज्य कर रु 3588470 एवं आयकर रु 200948 अर्थात् कुल रु 559795 की कटौती न कर राजकीय धन की क्षति पहुँचाकर अनियमितता बरती गयी है जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री शिवमूर्ति रावत, श्री मनोज कुमार वर्मा एवं सहायक लेखाकार श्री उमेश राय उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्ति के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्नवत है-

क्रमांक	फर्म का नाम	वर्ष में भुगतान की गयी धनराशि	वाणिज्य कर (4%)	आयकर (2.24%)
1	मेसर्स लालचन्द चौहान सीमेंट विक्रेता	155120	6204	3474
2	मेसर्स वसीम इकबाल ईट उद्योग सलेमपुर	143623	5744	3217
3	मेसर्स प्रभुनाथ सिंह बिल्डिंग मैटेरियल्स	1011156	40446	22649
4	मेसर्स रामनगीना ईट भट्टा उद्योग सोड़सर	1655076	66203	37073
5	मेसर्स आर बी0आर0 ईट उद्योग फैजुल्लाहपुर	2007084	80283	44958
6	मेसर्स सावित्री देवी ईट भट्टा उद्योग देवकली	596023	23840	13350
7	मेसर्स असन्निशॉ ईट उद्योग फैजुल्लाहपुर	193600	7744	4336
8	मेसर्स राजेन्द्र प्रसाद चौहान ईट उद्योग डंगौली	148203	5929	3320
9	मेसर्स चौहान बिल्डिंग मैटेरियल्स कोइरियापार	265758	10630	5952

10	मेसर्स अर्चना सिंह ईट उद्योग कोटवाकोपड़ा	1420857	56834	31827
11	मेसर्स उमेशचन्द्र यादव ईट उद्योग देवकली	66428	2657	1487
12	मेसर्स उदय बिल्डिंग मैटेरियल्स इन्दारा	92557	3702	2073
13	मेसर्स शुभम बिल्डिंग मैटेरियल्स डाड़ी	798207	31928	17879
14	मेसर्स त्रिपाठी ब्रिक्स फील्ड सोडसर	116800	4672	2616
15	मेसर्स कमाल एण्ड संस फतेहपुरतालनरजा	148166	5926	3318
16	मेसर्स बृजेश कुमार ईट भट्टा उद्योग पिढ़वल	152645	6105	3419
	योग	8971303	358847	200948

कुल योग (वाणिज्य कर + आयकर)= 358847 + 200948=559795

(सामान्य आपत्ति सं0 3)

प्रस्तर संख्या-13

वर्ष 2013-14 की लेखा परीक्षा करते समय प्रकाश में आया कि राज्य वित्त/ 13वें वित्त योजना से क्रय किए गए वस्तुओं का भुगतान करते समय भुगतान की धनराशि पर 4%कीदर से बिक्री कर/वाणिज्यकर व 2.24% की दर से आयकर की कटौती नहीं की गयी है। इस प्रकार वाणिज्य कर रु0 258566 एवं आयकर रु0 144793 अर्थात कुल रु0 403359 की कटौती न कर राजकीय धन की क्षति पहुँचाकर अनियमितता बरती गयी है जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री शिवमूर्ति रावत, श्री मनोज कुमार वर्मा एवं सहायक लेखाकार श्री उमेश राय उत्तरदायी हैं। विवरण निम्नवत है—

क्रमांक	फर्म का नाम	वर्ष में भुगतान की गयी धनराशि	वाणिज्य कर (4%)	आयकर (2.24%)
1	मेसर्स आर बी0आर0 ईट उद्योग फैजुल्लाहपुर	2230357	89214	49959
2	मेसर्स पूजा ईट भट्टा उद्योग गरथैली	1043775	41751	23380
3	मेसर्स श्री कृष्ण ट्रडर्स ढाढ़ाचँवर	11152	446	249
4	मेसर्स यू0के0 भट्टा उद्योग जोगरी	20697	827	463
5	मेसर्स आर0ए0इलेक्ट्रिकल्स, आजमगढ़	1188496	47539	26622
6	मेसर्स उमेशचन्द्र यादव ईट उद्योग देवकली	807505	32300	18088
7	मेसर्स शमसाद ईट भट्टा उद्योग	12060	482	270
8	मेसर्स प्रकाश आयरन स्टोर्स नदवासराय	29356	1174	657
9	मेसर्स शुभम इण्टरप्राइजेज	147817	5912	3311
10	मेसर्स सौरभ इण्टरप्राइजेज डाड़ी	58615	2344	1312

11	मेसर्स बजरंग सप्लाय एजेंसी	63425	2537	1420
12	मेसर्स प्रभुनाथ सिंह सप्लायर भँवरकोल	851016	34040	19062
	योग	6464271	258566	144793

कुल योग (वाणिज्य कर + आयकर)= 258566 + 144793=403359 उत्तरदायी व्यक्ति के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। (सामान्य आपत्ति सं० 4)

प्रस्तर संख्या –14

वर्ष 2012-13 की लेखा परीक्षा करते समय प्रकाश में आया कि राज्य वित्त/ 13वें वित्त योजना से क्रय किए गए वस्तुओं का भुगतान करते समय भुगतान की धनराशि पर 4%की दर से बिक्री कर/वाणिज्यकर व 2.24%की दर से आयकर की कटौती नहीं की गयी है। इस प्रकार वाणिज्य कर रु० 111663 एवं आयकर रु० 62529 अर्थात् कुल रु० 174192 की कटौती न कर राजकीय धन की क्षति पहुँचाकर अनियमितता बरती गयी है जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री शिवमूर्ति रावत , श्री मनोज कुमार वर्मा एवं सहायक लेखाकार श्री उमेश राय उत्तरदायी हैं। विवरण निम्नवत है—

क्रमांक	फर्म का नाम	वर्ष में भुगतान की गयी धनराशि	वाणिज्य कर (4%)	आयकर (2.24%)
1	मेसर्स उमेशचन्द्र यादव ईट उद्योग देवकली	467684	18707	10476
2	मेसर्स सौरभ इण्टरप्राइजेज डाड़ी	967677	38707	21675
3	मेसर्स आर०पी०आर० मार्का ईट उद्योग जोगरी	445526	17821	9979
4	मेसर्स रामनगीना राय भट्टा उद्योग	168354	6734	3771
5	मेसर्स कंकरीट ईट उद्योग करहाँ	54334	2173	1217
6	मेसर्स दिवाकर ईट भट्टा उद्योग फैजुल्लाहपुर	265795	10631	5953
7	मेसर्स पूजा ईट भट्टा उद्योग गरथैली	422265	16890	9458
8	योग	2791635	111663	62529

कुल योग (वाणिज्य कर + आयकर)= 111663 + 62529=174192 उत्तरदायी व्यक्ति के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। (सामान्य आपत्ति सं० 5)

प्रस्तर संख्या –15

वर्ष 2012-13 की लेखा परीक्षा करते समय प्रकाश में आया कि मनरेगा योजना से क्रय किये गए वस्तुओं का भुगतान करते समय भुगतान की धनराशि पर 4%वाणिज्य कर एवं 2.24 % की दर से आयकर की कटौती नहीं की गयी है। इस प्रकार वाणिज्य कर रु 22809 एवं आयकर रु 12772 अर्थात् कुल रु० 35581 की कटौती न कर राजकीय धन की क्षति पहुँचाकर अनियमितता बरती गयी है जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री शिवमूर्ति रावत, श्री मनोज कुमार वर्मा एवं सहायक लेखाकार श्री उमेश राय उत्तरदायी हैं। विवरण निम्नवत है—

क्रमांक	फर्म का नाम	वर्ष में भुगतान की गयी धनराशि	वाणिज्य कर (4%)	आयकर (2.24%)
1	मेसर्स ओम ईट उद्योग गारथैली	152740	6109	3421
2	मेसर्स रामनगीना राय भट्टा उद्योग सोड़सर	269898	10795	6045
3	मेसर्स राजेन्द्र प्रसाद चौहान ईट उद्योग डंगौली	133970	5358	3000
4	मेसर्स मंगल बिल्डिंग मैटेरियल्स कोइरियापार	13684	547	306
	योग	570292	22809	12772

कुल योग (वाणिज्य कर + आयकर)= 22809 + 12772=35581 उत्तरदायी व्यक्ति के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0 6)

प्रस्तर संख्या-16

वर्ष 2014-15 में मनरेगा सेल मानदेय मद से रु0 65872 अन्य मदों पर व्यय कर वित्तीय अनियमितता की गयी है, क्योंकि मानदेय मद से केवल मानदेय ही दिया जाना चाहिये, इस हेतु खण्ड विकास अधिकारी श्री शिवमूर्ति रावत व सहायक लेखाकार श्री उमेश राय उत्तरदायी हैं जिनके प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्ति के विरुद्ध विभागीय आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। विवरण निम्नवत है –

क्रमांक	दिनांक	चेक संख्या	धनराशि रु0	व्यय का विवरण
1	13.11.14	422139	14620	कार्यालय व्यय
2	25.11.14	422140	30000	कार्यालय आवासीय रंगाई पुताई
3	19.12.14	422152	21252	बिजली वायरिंग, पानी व टेलीफोन बिल
4	योग		65872.00	

(सामान्य आपत्ति सं0 7)

प्रस्तर संख्या –17

वर्ष 2014-15 में 13 वें वित्त आयोग परफारमेंस मद में दिनांक 14.08.14 को चेक सं0 202 द्वारा रु0 25000 विकास खण्ड परिसर की साफ सफाई पर खर्च किया गया है, जिसका व्यय बाउचर भी अवास्तविक पाया गया। यहां यह उल्लेखनीय है कि विकास खण्ड स्तर पर सफाई कर्मचारी की नियुक्ति है व इनको प्रतिमाह वेतन का भुगतान किया जाता है। इसके बावजूद परिसर सफाई पर काल्पनिक बिल, बाउचर बनाकर रु0 25000 का अपहरण कर लिया गया है, इस हेतु खण्ड विकास अधिकारी श्री शिवमूर्ति रावत व सहायक लेखाकार श्री उमेश राय उत्तरदायी हैं, जिनके प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-8)

प्रस्तर संख्या –18

वर्ष 2014-15 में इन्दिरा आवास प्रशासनिक मद से रु0 26138 अन्य मदों पर व्यय कर वित्तीय अनियमितता की गयी है, क्योंकि इस मद से केवल इन्दिरा आवास से सम्बन्धित मदों पर ही व्यय किया जाना

चाहिये था, इस हेतु खण्ड विकास अधिकारी श्री शिवमूर्ति रावत व सहायक लेखाकार श्री उमेश राय उत्तरदायी हैं जिनके प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। विवरण निम्नवत है –

क्रमांक	दिनांक	चेक संख्या	धनराशि रु0	व्यय का विवरण
1	21.08.14	965492	5510	डीजल क्रय व्यय
2	19.02.15	965496	6680	डीजल क्रय व्यय व प्रिंटर मरम्मत
3	18.02.15	965497	13948	कार्यालय व्यय
4	योग		26138.00	

(सामान्य आपत्ति सं0 9)

प्रस्तर संख्या-19

किचेन शेड मद वर्ष 2012-13 से अक्टूबर 2015 तक रु 15000 यथावत चला आ रहा है , किन्तु वर्ष 2014-15 के नवम्बर माह में ग्राण्ट रजि0 द्वितीय में रु 15000 व्यय दर्शित है, जबकि यह रु0 15000 कहां व्यय किया गया है, इसका व्यय बाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है, एवं ग्राण्ट रजि0 द्वितीय में इससे सम्बन्धित कोई कार्य भी दर्शित नहीं है। अतः रु0 15000 का अपहरण कर लिया गया है जिस हेतु खण्ड विकास अधिकारी श्री शिवमूर्ति रावत व सहायक लेखाकार श्री उमेश राय उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0 10)

प्रस्तर संख्या-20

वर्ष 2014-15 में राज्य वित्त/13 वां वित्त योजना के व्यय मद से अप्रैल 2014 एवं जुलाई 2014 में ग्राण्ट रजि0 3 में क्रमशः रु 53508 एवं 65381 व्यय दर्शित है। यह व्यय किस कार्य पर किया गया है इसका विवरण ग्राण्ट रजि0 द्वितीय में नहीं है और न ही लेखा परीक्षा में इसका व्यय प्रमाणक प्रस्तुत किया गया है। अतः सक्षम अधिकारियों की स्वीकृति प्राप्त न कर मनमाने ढंग से काल्पनिक व्यय दर्शाकर कुल रु0 118889 का अपहरण कर लिया गया है, जिस हेतु खण्ड विकास अधिकारी श्री शिवमूर्ति रावत व सहायक लेखाकार श्री उमेश राय उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय आवश्यक कार्यवाही एवं ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-11)

प्रस्तर संख्या -21

वर्ष 2013-14 में मनरेगा सेल मानदेय मद से रु0 20554 अन्य मदों पर व्यय कर वित्तीय अनियमितता की गयी है, क्योंकि मानदेय मद से केवल मानदेय ही दिया जाना चाहिये, इस हेतु खण्ड विकास अधिकारी श्री शिवमूर्ति रावत, श्री मनोज कुमार वर्मा व सहायक लेखाकार श्री उमेश राय उत्तरदायी हैं जिनके प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्ति के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।
विवरण निम्नवत है –

क्रमांक	दिनांक	चेक संख्या	धनराशि रु0	व्यय का विवरण
1	20.07.13	422097	1809	फोटोकॉपी व्यय
2	20.07.13	422098	1500	इण्टरनेट मोडेम मरम्मत
3	20.07.13	422099	1500	डाक टिकट क्रय
5	03.10.13	422103	3745	नेटसेटर व पेन ड्राइव क्रय

6	03.10.13	422104	12000	कम्प्यूटर व प्रिन्टर मरम्मत
7	योग		20554.00	

(सामान्य आपत्ति सं0 12)

प्रस्तर संख्या-22

वर्ष 2013-14 में मनरेगा योजना के व्यय मद से जनवरी 2014 में ग्राण्ट रजि0 3 में रु 23171 व्यय दर्शित है। यह व्यय किस कार्य पर किया गया है इसका विवरण ग्राण्ट रजि0 द्वितीय में नहीं है, और न ही लेखा परीक्षा में इसका व्यय प्रमाणक प्रस्तुत किया गया है। अतः मनमाने ढंग से काल्पनिक व्यय दर्शाकर कुल रु 23171 का अपहरण कर लिया गया है, जिस हेतु खण्ड विकास अधिकारी श्री मनोज कुमार वर्मा व सहायक लेखाकार श्री उमेश राय उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0 13)

प्रस्तर संख्या-23

वर्ष 2012-13 में मनरेगा सेल मानदेय योजना के मद से दिनांक 17.04.2012 को चेक सं0 434346 द्वारा रु 70963 मनरेगा प्रचार-प्रसार स्लोगन पर व्यय दर्शित कर गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी है, क्योंकि मानदेय मद से मानदेय ही दिया जाना चाहिए। जिस हेतु खण्ड विकास अधिकारी श्री मनोज कुमार वर्मा व सहायक लेखाकार श्री उमेश राय उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0 14)

जनपद-बलिया मण्डल -आजमगढ़

प्रस्तर सं0	क्षेत्र पंचायत का नाम	ऑडिट नोट में आपत्ति की संख्या	आपत्ति का विवरण	धनराशि		
				अपहरण	दुर्विनियोग	गम्भीर अनियमितता
1	2	3	4	5	6	7
1	बौसडीह	2	दिनांक 14.11.2014 को राज्य वित्त के ग्रांट रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 6 पर कुल शेष रु0 605237.00 में रु0 72000.00 आयकर का धन को जोड़कर शेष में वृद्धि की गयी है। इसके प्रति लेखाकार श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री अर्जुन तिवारी मुख्य रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्ति पर विभागीय आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।	—	—	72000.00

2	बॉसडीह	8 एवं 11	आलोच्य वर्ष 2014-15 में निर्माण कार्यों में कुल रु0 41727.00 का मिट्टी का कार्य किया गया है। जिसपर कोई रायल्टी चार्ज नहीं किया गया है जबकि रु0 14 घन मी0 की दर से रु0 6714.96 रायल्टी का चार्ज किया जाना चाहिए था। इसके प्रति लेखाकार श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री अर्जुन तिवारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। विभागीय आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।	—	—	6714.96
3	बॉसडीह	8 एवं 11	आलोच्य वर्ष 2014-15 में क्षेत्र पंचायत में मनरेगा के अन्तर्गत कराये गये कुल मिट्टी कार्य पर रु0 1656907.00 का व्यय किया गया है किन्तु इस कार्य पर 1 प्रतिशत की दर से रायल्टी रु0 16569.07 चार्ज नहीं किया गया है। इसमें खण्ड विकास अधिकारी श्री अर्जुन तिवारी एवं लेखाकार श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। विभागीय आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।	—	—	16569.07
4	बॉसडीह	14	आलोच्य वर्ष के लेखा परीक्षा में दिनांक 09.04.2014 को रु0 122158.00 (80029 रु0 राज्य वित्त का एवं 42129.00 तेरहवां वित्त मद से) आयकर की कटौती को आयकर विभाग में जमा दर्शाया गया है किन्तु उक्त आयकर धनराशि की जमा की पुष्टि में कोई चालान अथवा रसीद उपलब्ध नहीं होने से जमा की पुष्टि नहीं हो सकी। इसके लिए खण्ड विकास अधिकारी	—	—	122158.00

			श्री अर्जुन तिवारी एवं लेखाकार श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। विभागीय आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।			
			योग	—	—	217442.03

जनपद फैजाबाद

मण्डल फैजाबाद

क्षेत्र पंचायत—हैरिंग्टनगंज

क्र०	क्षेत्र पंचायत का नाम	विकास खण्ड	जिला	आपत्ति का विवरण	धनराशि	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1.	हैरिंग्टनगंज	हैरिंग्टनगंज	फैजाबाद	1. राज्य वित्त/तेरहवां वित्त योजना के अन्तर्गत राम आसरे एजुकेशनल एकेडमी से अहिवरन के पुरवा तक सम्पर्क मार्ग पर खड़जा निर्माण की पुष्टि में वांछित अभिलेख यथा एम० बी० कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत न कर धन का अपहरण किया गया। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों श्री विजय शंकर, खण्ड विकास अधिकारी, श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव जे०ई०आर०ई०एस०, श्री सत्येन्द्र कुमार यादव कार्यप्रभारी, श्री रामराज पाठक सहायक लेखाकार, श्रीमती प्रियंका सेन यादव—ब्लाक प्रमुख से की जानी अपेक्षित है। (आ० सं० 14)	112180.00	

				2. राज्य वित्त/तेरहवां वित्त योजना के अन्तर्गत खडभडिया धर्मगंज सम्पर्क मार्ग पर खड़जा निर्माण की पुष्टि में वांछित अभिलेख यथा एम0 बी0 कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत न कर धन का अपहरण किया गया। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरादायी व्यक्तियों श्री विजय शंकर, खण्ड विकास अधिकारी, श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव जे0ई0आर0ई0एस0, श्री सत्येन्द्र कुमार यादव कार्यप्रभारी, श्री रामराज पाठक सहायक लेखाकार, श्रीमती प्रियंका सेन यादव—ब्लाक प्रमुख से की जानी अपेक्षित है। (आ0 सं015)	886356.00	
				3. राज्य वित्त/तेरहवां वित्त योजना के अन्तर्गत पलिया लोहानी में जयदेव के खेत से साखू के घर तक सम्पर्क मार्ग पर खड़जा निर्माण की पुष्टि में वांछित अभिलेख यथा एम0 बी0 कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत न कर धन का अपहरण किया गया। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरादायी व्यक्तियों श्री विजय शंकर, खण्ड विकास अधिकारी, श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव जे0ई0आर0ई0एस0, श्री सत्येन्द्र कुमार यादव कार्यप्रभारी, श्री रामराज पाठक सहायक लेखाकार,	619280.00	

				श्रीमती प्रियंका सेन यादव— ब्लाक प्रमुख से की जानी अपेक्षित है। (आ0 सं0—16)		
				4. राज्य वित्त/तेरहवां वित्त योजना के अन्तर्गत सिधौरा पक्की सड़क से राममिलन के घर तक सम्पर्क मार्ग पर खड़जा निर्माण की पुष्टि में वांछित अभिलेख यथा एम0 बी0 कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र आदिप्रस्तुत न कर धन का अपहरण किया गया। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरादायी व्यक्तियों श्री विजय शंकर, खण्ड विकास अधिकारी, श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव जे0ई0आर0ई0एस0, श्री सत्येन्द्र कुमार यादव कार्यप्रभारी, श्री रामराज पाठक सहायक लेखाकार, श्रीमती प्रियंका सेन यादव— ब्लाक प्रमुख से की जानी अपेक्षित है। (आ0 सं017)	453646.00	
				5. राज्य वित्त/तेरहवां वित्त योजना के अन्तर्गत गिरधरामऊ बरईन के पुरवा में इन्टर लाकिंग कार्य हेतु किये गये भुगतान की पुष्टि में वांछित अभिलेख यथा एम0 बी0 कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत न कर धन का अपहरण किया गया। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरादायी व्यक्तियों श्री विजय शंकर, खण्ड विकास अधिकारी, श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव जे0ई0आर0ई0एस0, श्री	910910.00	

				सत्येन्द्र कुमार यादव कार्यप्रभारी, श्री रामराज पाठक सहायक लेखाकार, श्रीमती प्रियका सेन यादव—ब्लाक प्रमुख से की जानी अपेक्षित है। (आ0 सं0—18)		
				6. राज्य वित्त/तेरहवां वित्त योजना के अन्तर्गत हूँसेपुर में पक्की सड़क से मगन के घर तक खड़जा निर्माण पर पर किये गये भुगतान की पुष्टि में वांछित अभिलेख यथा एम0 बी0 कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र साइड प्लान आदि प्रस्तुत न कर धन का अपहरण किया गया। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरादायी व्यक्तियों श्री विजय शंकर, खण्ड विकास अधिकारी, श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव जे0ई0आर0ई0एस0, श्री अविनाश चतुर्वेदी कार्यप्रभारी, श्री रामराज पाठक सहायक लेखाकार, श्रीमती प्रियका सेन यादव—ब्लाक प्रमुख से की जानी अपेक्षित है। (आ0 सं019)	442760.00	
				7. राज्य वित्त/तेरहवां वित्त योजना के अन्तर्गत राना पुर में खजुरहट मिल्कीपुर मार्ग से निमडी पक्की सड़क तक खड़जा निर्माण की पुष्टि में वांछित अभिलेख यथा एम0 बी0 कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत न कर धन का अपहरण किया गया। जिसकी ब्याज सहित	394500.00	

				वसूली उत्तरादायी व्यक्तियों श्री विजय शंकर, खण्ड विकास अधिकारी, श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव जे0ई0आर0ई0एस0, श्री अविनाश चतुर्वेदी कार्यप्रभारी, श्री रामराज पाठक सहायक लेखाकार, श्रीमती प्रियंका सेन यादव-ब्लाक प्रमुख से की जानी अपेक्षित है। (आ0 सं0 20)		
				8. राज्य वित्त/तेरहवां वित्त योजना के अन्तर्गत निमडी में धर्मेन्द्र नाथ चौवे के मन्दिर से परिसन मिश्रा के घर तक खड़जा निर्माण पर किये गये भुगतान की पुष्टि में वांछित अभिलेख यथा एम0 बी0 कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत न कर धन का अपहरण किया गया। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरादायी व्यक्तियों श्री विजय शंकर, खण्ड विकास अधिकारी, श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव जे0ई0आर0ई0एस0, श्री अविनाश चतुर्वेदी कार्यप्रभारी, श्री रामराज पाठक सहायक लेखाकार, श्रीमती प्रियंका सेन यादव- ब्लाक प्रमुख से की जानी अपेक्षित है। (आ0 सं0 21)	126060.00	
				9. राज्य वित्त/तेरहवां वित्त योजना के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय पूरे राम नाथ उपाध्याय पुरवा से खुददीपुर तक खड़जा निर्माण पर किये गये भुगतान की पुष्टि में	527097.00	

				वांछित अभिलेख यथा एम0 बी0 साइड प्लान कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत न कर धन का अपहरण किया गया। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरादायी व्यक्तियों श्री विजय शंकर, खण्ड विकास अधिकारी, श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव जे0ई0आर0ई0एस0, श्री सत्येन्द्र कुमार यादव कार्यप्रभारी, श्री रामराज पाठक सहायक लेखाकार, श्रीमती प्रियंका सेन यादव—ब्लाक प्रमुख से की जानी अपेक्षित है। (आ0 सं022)		
				10. राज्य वित्त/तेरहवां वित्त योजना के अन्तर्गत राम नरेश पोस्टमैन के घर से रामकेदार पाठक के घर तक खड़जा निर्माण पर किये गये भुगतान की पुष्टि में वांछित अभिलेख यथा एम0 बी0 कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र साइड प्लान आदि प्रस्तुत न कर धन का अपहरण किया गया। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरादायी व्यक्तियों श्री विजय शंकर, खण्ड विकास अधिकारी, श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव जे0ई0आर0ई0एस0, श्री अविनाश चतुर्वेदी कार्यप्रभारी, श्री रामराज पाठक सहायक लेखाकार, श्रीमती प्रियंका सेन यादव—ब्लाक प्रमुख से की जानी अपेक्षित है। (आ0 सं0 23)	268600.00	

				11. राज्य वित्त/तेरहवां वित्त योजना के अन्तर्गत विभिन्न स्थानों पर स्ट्रीट लाइट लगाई पर किये गये भुगतान की वांछित अभिलेख यथा एम0 बी0 फोटोग्राफ कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत न कर धन का अपहरण किया गया। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरादायी व्यक्तियों श्री विजय शंकर, खण्ड विकास अधिकारी, श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव जे0ई0आर0ई0एस0, श्री अविनाश चतुर्वेदी कार्यप्रभारी, श्री रामराज पाठक सहायक लेखाकार, श्रीमती प्रियका सेन यादव-ब्लाक प्रमुख से की जानी अपेक्षित है। (आ0 सं0-24)	491580.00	
				12. वित्तीय वर्ष-2014-15के विभिन्न तिथियों में श्री अविनाश चतुर्वेदी को किये गये अग्रिम भुगतान का समायोजन/प्रमाण रूप में वांछित अभिलेख प्रस्तुत न कर धन का अपहरण किया गया। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरादायी व्यक्तियों श्री विजय शंकर, खण्ड विकास अधिकारी, श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव जे0ई0आर0ई0एस0, श्री अविनाश चतुर्वेदी कार्यप्रभारी, श्री रामराज पाठक सहायक लेखाकार, श्रीमती प्रियका सेन	510000.00	

				यादव-ब्लाक प्रमुख से की जानी अपेक्षित है। (आ0 सं025 ए-बी)		
				13. वित्तीय वर्ष-2014-15 के विभिन्न तिथियों में श्री सतेन्द्र कुमार यादव कार्य प्रभारी को द्वारा किये गये अग्रिम भुगतान का समायोजन/पुष्टि परक वांछित अभिलेख प्रस्तुत न कर धन का अपहरण किया गया। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरादायी व्यक्तियों श्री विजय शंकर, खण्ड विकास अधिकारी, श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव जे0ई0आर0ई0एस0, श्री सत्येन्द्र कुमार यादव कार्यप्रभारी, श्री रामराज पाठक सहायक लेखाकार, श्रीमती प्रियंका सेन यादव-ब्लाक प्रमुख से की जानी अपेक्षित है। (आ0 सं026)	250000.00	
				योग-	5992969.00	

जनपद –अमेठी

मण्डल –फैजाबाद

क्षेत्र पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां

क्र०	क्षेत्र पंचायत	लेखा परीक्षा वर्ष	प्रस्तारों की संख्या	सन्निहित धनराशि	आपत्ति का पूर्ण विवरण	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम व पद																		
1	संग्रामपुर	2014-15	01	1,14,008.00	लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में विभिन्न ट्रेडर्स एवं सप्लायर्स से सामग्री क्रय तो की गयी है लेकिन उनके बिल से आयकर की कटौती नहीं की गयी है। जिसका विवरण निम्नवत् है। <table><tr><td>(1) मेसर्स शिवा शिखर एसोसिएट्स</td><td>6,92,932.00</td></tr><tr><td>(2) मेसर्स रवि इण्डस्ट्रीज</td><td>1,18,083.00</td></tr><tr><td>(3) मेसर्स जितेन्द्र बहादुर सिंह</td><td>2,04,868.00</td></tr><tr><td>(4) मेसर्स तिरंगा ब्रिक्स फील्ड</td><td>7,33,359.00</td></tr><tr><td>(5) मेसर्स अमित ट्रेडर्स एवं सप्लायर्स</td><td>4,85,249.00</td></tr><tr><td>(6) मेसर्स आदि शक्ति मां कालिका ट्रेडर्स</td><td>2,75,777.00</td></tr><tr><td>(7) मेसर्स अस्मित ईट उद्योग</td><td>1,03,571.00</td></tr><tr><td>(8) मेसर्स राजपती ट्रेडर्स</td><td>2,96,351.00</td></tr><tr><td>योग</td><td>28,50,190.00</td></tr></table> आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194सी के प्राविधानानुसार किसी भी फर्म, सप्लायर्स अथवा कान्ट्रैक्टर के रु० 30,000.00 से अधिक के प्रत्येक बिल का भुगतान करते समय स्रोत पर ही 2 प्रतिशत की आयकर की कटौती होनी चाहिये। ऐसा न करने पर भुगतान करने वाले व्यक्ति से 2 प्रतिशत का आयकर एवं उतनी ही धनराशि का जुर्माना ब्याज सहित वसूल किया जाना चाहिये। क्षेत्र पंचायत संग्रामपुर में वित्तीय वर्ष 2014-15 में विभिन्न फर्मों एवं सप्लायर्स से कुल रु० 28,50,190.00 की सामग्री क्रय की गयी लेकिन किसी भी बिल पर टीडीएस की कटौती नहीं की गयी, जिससे सरकार को रु० 28,50,190.00 का 2 प्रतिशत अर्थात् रु० 57004.00 के राजकीय राजस्व की क्षति हुई है। अतः आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194सी के प्राविधानानुसार खण्ड विकास अधिकारी श्री राम आशीष से रु० 57004.00 का आयकर एवं रु० 57004.00 का जुर्माना अर्थात् कुल रु० 1,14,008.00 व्यक्तिगत रूप से ब्याज सहित वसूली किया जाना चाहिये।	(1) मेसर्स शिवा शिखर एसोसिएट्स	6,92,932.00	(2) मेसर्स रवि इण्डस्ट्रीज	1,18,083.00	(3) मेसर्स जितेन्द्र बहादुर सिंह	2,04,868.00	(4) मेसर्स तिरंगा ब्रिक्स फील्ड	7,33,359.00	(5) मेसर्स अमित ट्रेडर्स एवं सप्लायर्स	4,85,249.00	(6) मेसर्स आदि शक्ति मां कालिका ट्रेडर्स	2,75,777.00	(7) मेसर्स अस्मित ईट उद्योग	1,03,571.00	(8) मेसर्स राजपती ट्रेडर्स	2,96,351.00	योग	28,50,190.00	श्री राम आशीष, खण्ड विकास अधिकारी,
(1) मेसर्स शिवा शिखर एसोसिएट्स	6,92,932.00																							
(2) मेसर्स रवि इण्डस्ट्रीज	1,18,083.00																							
(3) मेसर्स जितेन्द्र बहादुर सिंह	2,04,868.00																							
(4) मेसर्स तिरंगा ब्रिक्स फील्ड	7,33,359.00																							
(5) मेसर्स अमित ट्रेडर्स एवं सप्लायर्स	4,85,249.00																							
(6) मेसर्स आदि शक्ति मां कालिका ट्रेडर्स	2,75,777.00																							
(7) मेसर्स अस्मित ईट उद्योग	1,03,571.00																							
(8) मेसर्स राजपती ट्रेडर्स	2,96,351.00																							
योग	28,50,190.00																							

जनपद – बाराबंकी

मण्डल— फैजाबाद

क्षेत्र पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां

क्रम सं०	क्षेत्र पंचायत	आपत्ति का विवरण/आपत्ति संख्या	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम	आपत्ति संख्या	सन्निहित धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	सिरौलीगौसपुर	1) क्षेत्र पंचायत सिरौलीगौसपुर के वित्तीय वर्ष 2013-14 में क्षेत्र पंचायत द्वारा मनरेगा के मद में रू० 749219.00 व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष कोई भी पत्रावली/व्यय प्रमाणक/अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे साईट प्लान, प्राक्कलन, टेण्डर नोटिस प्रकाशन, टेण्डर स्वीकृति कार्य आदेश, एम०बी० आदि महत्वपूर्ण अभिलेखों से सम्बन्धित कोई पुष्टि/जानकारी प्राप्त न हो सकी। उपरोक्त अपुष्ट भुगतानित धनराशि का अपहरण किया गया जिसे उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।	1 ब्लाक प्रमुख 2 खण्ड विकास अधिकारी 3 लेखाकार	3	749219.00
		2) क्षेत्र पंचायत सिरौलीगौसपुर के वित्तीय वर्ष 2013-14 में क्षेत्र पंचायत द्वारा राज्य वित्त आयोग के मद में रू० 6166735.00 व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष कोई भी पत्रावली/व्यय प्रमाणक/अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे साईट प्लान, प्राक्कलन, टेण्डर नोटिस प्रकाशन, टेण्डर स्वीकृति कार्य आदेश, एम०बी० आदि महत्वपूर्ण अभिलेखों से सम्बन्धित कोई पुष्टि/जानकारी प्राप्त न हो सकी।	1 ब्लाक प्रमुख 2 खण्ड विकास अधिकारी 3 लेखाकार	4	6166735.00

		उपरोक्त अपुष्ट भुगतानित धनराशि का अपहरण किया गया जिसे उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।			
		3) क्षेत्र पंचायत सिरौलीगौसपुर के वित्तीय वर्ष 2013-14 में क्षेत्र पंचायत द्वारा तेरहवां वित्त के मद में रु0 2493364.00 व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष कोई भी पत्रावली/व्यय प्रमाणक/अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे साईट प्लान, प्राक्कलन, टेण्डर नोटिस प्रकाशन, टेण्डर स्वीकृति कार्य आदेश, एम0बी0 आदि महत्वपूर्ण अभिलेखों से सम्बन्धित कोई पुष्टि/जानकारी प्राप्त न हो सकी। उपरोक्त अपुष्ट भुगतानित धनराशि का अपहरण किया गया जिसे उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।	1 ब्लाक प्रमुख 2 खण्ड विकास अधिकारी 3 लेखाकार	5	2493364.00
		4) क्षेत्र पंचायत सिरौलीगौसपुर के वित्तीय वर्ष 2013-14 में क्षेत्र पंचायत द्वारा पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के मद में रु0 1315478.00 व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष कोई भी पत्रावली/व्यय प्रमाणक/अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे साईट प्लान, प्राक्कलन, टेण्डर नोटिस प्रकाशन, टेण्डर स्वीकृति कार्य आदेश, एम0बी0 आदि महत्वपूर्ण अभिलेखों से सम्बन्धित कोई पुष्टि/जानकारी प्राप्त न हो सकी। उपरोक्त अपुष्ट भुगतानित धनराशि का अपहरण किया गया जिसे उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।	1 ब्लाक प्रमुख 2 खण्ड विकास अधिकारी 3 लेखाकार	6	1315478.00

		5)क्षेत्र पंचायत सिरौलीगौसपुर के वित्तीय वर्ष 2013-14 में क्षेत्र पंचायत द्वारा रिवाल्विंग मद में रू0 617165.00 व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष कोई भी पत्रावली/व्यय प्रमाणक/अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे साईट प्लान, प्राक्कलन, टेण्डर नोटिस प्रकाशन, टेण्डर स्वीकृति कार्य आदेश, एम0बी0 आदि महत्वपूर्ण अभिलेखों से सम्बन्धित कोई पुष्टि/जानकारी प्राप्त न हो सकी। उपरोक्त अपुष्ट भुगतानित धनराशि का अपहरण किया गया जिसे उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।	1 ब्लाक प्रमुख 2 खण्ड विकास अधिकारी 3 लेखाकार	7	617165.00
		6)क्षेत्र पंचायत सिरौलीगौसपुर के वित्तीय वर्ष 2013-14 में क्षेत्र पंचायत मनरेगा कर्मियों के मानदेय पर रू0 160000.00 व्यय किया गया। संविदा कार्मिक सूची व सम्बन्धित पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही। उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।	1 ब्लाक प्रमुख 2 खण्ड विकास अधिकारी 3 लेखाकार		160000.00
			योग		11501961.00
2	पूरेडलई	1) क्षेत्र पंचायत पूरेडलई में वित्तीय वर्ष 2012-13 से पूर्ववर्ती वर्षों में सराय बदई झील के सौंदर्यीकरण हेतु रू0 1.10 करोड़ की परियोजना स्वीकृत हुयी थी, जिसके सापेक्ष क्षेत्र पंचायत पूरेडलई को रू0 2500000.00 दिया गया था। आवंटित धनराशियों में से रू0 313560.00 श्रमांश पर तथा रू0 75381.00 सामग्री पर वित्तीय वर्ष 2012-13 के पूर्ववर्ती वर्षों में किया गया था। इस प्रकार कुल आवंटित धनराशि रू0 2500000.00 में से मात्र 388941.00 ही उक्त परियोजना पर व्यय किया गया था तथा अवशेष धनराशि रू0 2111059.00 जून 2012 में मनरेगा के मद में हस्तान्तरति कर धन का	1 ब्लाक प्रमुख 2 खण्ड विकास अधिकारी 3 लेखाकार	3	2111059

		दुरुपयोग है। एक परियोजना की धनराशि दूसरे परियोजना पर व्यय करना अत्यन्त आपत्तिजनक है। अतः उक्त दुरुपयोग की गयी धनराशि रु0 2111059.00 की उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।			
		2) क्षेत्र पंचायत पूरेडलई की वित्तीय वर्ष 2012-13 में मनरेगा मद से घाघरा नदी नक 5.5 कि०मी० नाले की सफाई का कार्य खण्ड विकास अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया गया था जिसकी अनुमानित लागत रु0 16.34 लाख थी परन्तु उक्त परियोजना पर मात्र 398555.00 ही व्यय किया गया। उक्त परियोजना पर व्यय की गयी धनराशि रु0 398355.00 कुल आवंटित धनराशि रु0 16.34 लाख का मात्र 24 प्रतिशत ही है। उक्त परियोजना पर आंशिक कार्य कराया गया जिसमें परियोजना के उद्देश्यों की पूर्ति पूर्ण रूप से न हो सकी। अतः आंशिक कार्य पर रु0 398355.00 का दुरुपयोग किया गया जिसे उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।	1 ब्लाक प्रमुख 2 खण्ड विकास अधिकारी 3 लेखाकार	4	398355
		3) वित्तीय वर्ष 2012-13 में क्षेत्र पंचायत द्वारा रिवाल्विंग मद के रूप में रु0 1412051.00 व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष कोई भी पत्रावली/व्यय प्रमाणक/अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे साईट प्लान, प्राक्कलन, टेण्डर नोटिस प्रकाशन, टेण्डर स्वीकृति कार्य आदेश, एम०बी० आदि महत्वपूर्ण अभिलेखों से सम्बन्धित कोई पुष्टि/जानकारी प्राप्त न हो सकी। उपरोक्त अपुष्ट भुगतानित धनराशि का अपहरण किया गया जिसे उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित	1 ब्लाक प्रमुख 2 खण्ड विकास अधिकारी 3 लेखाकार	5	1412051.00

		वसूल किया जाना अपेक्षित है।			
		4) क्षेत्र पंचायत पूरेडलई की वित्तीय वर्ष 2012-13 में क्षेत्र पंचायत द्वारा पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के मदमें रु0 2413518.00 व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष कोई भी पत्रावली/व्यय प्रमाणक/अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे साईट प्लान, प्राक्कलन, टेण्डर नोटिस प्रकाशन, टेण्डर स्वीकृति कार्य आदेश, एम0बी0 आदि महत्वपूर्ण अभिलेखों से सम्बन्धित कोई पुष्टि/जानकारी प्राप्त न हो सकी। उपरोक्त अपुष्ट भुगतानित धनराशि का अपहरण किया गया जिसे उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।	1 ब्लाक प्रमुख 2 खण्ड विकास अधिकारी 3 लेखाकार	6	2413518.00
		5) क्षेत्र पंचायत पूरेडलई की वित्तीय वर्ष 2012-13 में क्षेत्र पंचायत द्वारा राज्य वित्त आयोग के मद में रु0 1712176.00 व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष कोई भी पत्रावली/व्यय प्रमाणक/अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे साईट प्लान, प्राक्कलन, टेण्डर नोटिस प्रकाशन, टेण्डर स्वीकृति कार्य आदेश, एम0बी0 आदि महत्वपूर्ण अभिलेखों से सम्बन्धित कोई पुष्टि/जानकारी प्राप्त न हो सकी। उपरोक्त अपुष्ट भुगतानित धनराशि का अपहरण किया गया जिसे उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।	1 ब्लाक प्रमुख 2 खण्ड विकास अधिकारी 3 लेखाकार	7	1712176.00
		योग-----			8047159.00
		महायोग-----			19549120.00

जनपद— अम्बेडकरनगर मण्डल— फैजाबाद

क्र०	क्षेत्र पंचायत	आपत्ति का संक्षिप्त विवरण व आपत्ति संख्या	आपत्ति सं०	सन्निहित धनराशि	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम
1	2	3			4
1	क्षेत्र पंचायत कटेहरी (2014-15)	1 मनरेगा योजनान्तर्गत आय कर कटौती मनरेगा सामग्री मद के बिलो से किए बिना ही भुगतान कर राजकीय राजस्व की क्षति गांभीर अनियमितता किया जाना। 2 वैट/व्यापार कर कटौती सामग्री मद मनरेगा से न करके राजकीय राजस्व की क्षति कर अनियमितता किया जाना। 3 नकद रोकड़ शेष कोषबही में अधिक समय तक रोक कर रखा गया। फलस्वरूप 18 प्रतिशत दण्डात्मक ब्याज का अधिभार। उक्त क्षति की गयी धनराशि की ब्याज सहित वसूली उ०प्र० क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत बजट एवं सामान्य लेखा नियमावली 1965 के नियम 179 के अन्तर्गत उत्तरदायी व्यक्तियों से बराबर-बराबर की अपेक्षित है।	16 16 15	374298.00 660720.00 37166.00	श्री प्रदीप कुमार श्रीवास्तव खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री मनोज वर्मा ए० पी० ओ० / नियंत्रणकर्ता अधिकारी
		योग—		1072184.00	

जनपद— कानपुर नगर मण्डल— कानपुर
संस्था— क्षेत्र पंचायत भीतर गाँव,

प्रस्तर्कों की सं०	मूल आप० क्र०	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम व पद	आपत्तियों का संक्षिप्त विवरण	धनराशि
1.	2	श्री अशोक कुमार गुप्ता, बी०डी०ओ०	लेखा परीक्षा वर्ष राष्ट्रीय ग्रामीण जागरूकता सप्ताह में व्यय धनराशि रु० 25000.00 के व्यय प्रमाणक नहीं पाये गये। धन का अपहरण किया गया है। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।	25000.00
2.	3	श्री अशोक कुमार गुप्ता, बी०डी०ओ०	लेखा परीक्षा वर्ष में गाड़ी सं० यू०पी० 77/1998 की गाड़ी पर व्यय कुल रु० 76158.00 है। जबकि गाड़ी हेतु कोई वाहन चालक नहीं है न ही गाड़ी पर मीटर रीडिंग का स्पष्ट विवरण है। रु० 76158.00 फर्जी व्यय दर्शाकर धन का दुरुपयोग किया गया है। ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।	76158.00
3.	4	श्री पी०सी०राम, बी०डी०	लेखा परीक्षा वर्ष में गाड़ी सं० यू०आर०डी०-6509 की लाग बुक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही तथा कुल व्यय रु० 10215.00 फर्जी व्यय दर्शाकर धन का दुरुपयोग किया गया है। ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।	10215.00
4.	5	श्री अशोक कुमार गुप्ता, बी०डी०ओ०	लेखा परीक्षा वर्ष में इन्दिरा आवास प्रशासनिक मद हेतु व्यय रु० 22000.00 के प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे। धन का दुरुपयोग किया गया है। ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।	22000.00
5	6	श्री अशोक कुमार गुप्ता, बी०डी०ओ० एवं ब्लाक प्रमुख श्रीमती सरोज कुरील	लेखा परीक्षा वर्ष में सोलर लाईट क्रय का भुगतान नेडा से 1650000.00 तथा ओम साई सप्लायर्स से रु० 213000.00 कुल व्यय रु० 1863000.00 के लेखा परीक्षा में टेण्डर कुटेशन आदि	1863000.00

			नहीं पाये गये न ही क्रय प्रमाणक, स्टॉक रजिस्टर, वितरण सूची लेखा परीक्षा में प्रस्तुत की गयी है। धन का दुरुपयोग किया गया है। ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।	
6	7.	श्री अशोक कुमार गुप्ता, बी०डी०ओ० एवं श्री राम किशोर दुबे, सहा० लेखाकार	इन्दिरा आवास प्रशासनिक मद से इन्दिरा आवास की फोटो अपलोडिंग हेतु भुगतान रु० 23840.00 के आवास के फोटोग्राफ आदि प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। जिससे सहायक लेखाकार से कराये जाने की पुष्टि नहीं होती है। फर्जी व्यय दर्शाकर धन का दुरुपयोग किया गया है। जबकि विकास खण्ड में सभी सुविधायें अनुमन्य हैं। ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।	23840.00
7	8	श्री अशोक कुमार गुप्ता, बी०डी०ओ० एवं श्री राम किशोर दुबे, सहा० लेखाकार	लेखा परीक्षा वर्ष में दिनेश जन सेवा केन्द्र को इन्दिरा आवास की फोटो अपलोडिंग हेतु भुगतान किया गया है। जबकि विकास खण्ड में सभी सुविधायें उपलब्ध हैं। फर्जी व्यय दर्शाकर रु० 6765.00 का दुरुपयोग किया गया है। ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।	6765.00
8	9	श्री अशोक कुमार गुप्ता, बी०डी०ओ० एवं श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, कैशियर	लेखा परीक्षा वर्ष में रु० 10600.00 एम०एस० ट्रेडिंग कम्पनी को कुर्सी, आलमारी खरीद का भुगतान किया गया है। लेखा परीक्षा में स्टॉक रजि०, सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा, ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।	10600.00
9	10	श्री अशोक कुमार गुप्ता, बी०डी०ओ० एवं श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, कैशियर	लेखा परीक्षा वर्ष 14-15 में कुर्सी क्रय हेतु अग्रिम रु० 10000.00 श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव से किया गया है। जबकि लेखा परीक्षा में स्टॉक रजि० सामग्री क्रय की अनुपलब्धता रही। अतः क्रय का भुगतान सम्बन्धित फर्म को ऐकाउन्ट पेई चेक के माध्यम से होना चाहिये। नाम से क्रय किये जाने का औचित्य प्रतीत नहीं होता है। ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।	10000.00

10.	11	श्री अशोक कुमार गुप्ता, बी०डी०ओ० एवं श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, कैशियर	लेखा परीक्षा वर्ष में क्रय की गयी स्टेशनरी का स्टॉक रजि० नहीं पाया गया है। रू० 7565.00 की क्रय की गयी स्टेशनरी में रू० 3717.00 के क्रय प्रमाणक अनाधिकृत कर्म० से क्रय किया गया है। रजिस्टर्ड कर्म० या सरकार से अनुमोदित कर्म० से स्टेशनरी क्रय किया जाना चाहिये था। रू० 7565.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।	7656.00
11.	12	श्री अशोक कुमार गुप्ता, बी०डी०ओ० एवं श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, कैशियर	लेखा परीक्षा वर्ष में मां दुर्गा हाउस भीतर गांव से पुताई मद में रू० 42840.00 का भुगतान किया गया है, जिसके प्रमाणक, फोटोग्राफ कराये जाने के नहीं पाये गए, ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।	42840.00
12.	13	श्री अशोक कुमार गुप्ता, बी०डी०ओ० एवं श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, कैशियर	लेखा परीक्षा वर्ष में 2014-15 में जनरेटर मद में व्यय रू० 72931.00 की लागत बुक एवं सम्बन्धित फर्म को भुगतान नहीं किये गये हैं। अतः धनराशि का दुरुपयोग किया गया है। ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।	72391.00
13.	14	श्री अशोक कुमार गुप्ता, बी०डी०ओ० एवं श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, कैशियर	मनरेगा प्रासंगिक व्यय व्यय में जनरेटर मद में व्यय रू० 27504.00 तथा दिनेश जन सेवा केन्द्र को भुगतान रू० 3220.00 कुल व्यय रू० 30724.00 के जनरेटर की लागत बुक अप्राप्त रही तथा 3220.00 विकास खण्ड में सभी सुविधायें होने के बावजूद अलग से कराये जाने का औचित्य प्रतीत नहीं होता है। दुरुपयोग किया गया है। ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।	30724.00
14.	15	श्री अशोक कुमार गुप्ता, बी०डी०ओ० एवं श्री प्रमोद कुमार	लेखा परीक्षा वर्ष राष्ट्रीय ग्रामीण गारन्टी निधि प्रासंगिक व्यय जनरेटर मद में व्यय धनराशि रू० 20467.00	20467.00

		श्रीवास्तव, कैशियर	की लाग बुक आदि प्रस्तुत नहीं की गयी है। ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।	
15.	15	श्री अशोक कुमार गुप्ता,बी०डी०ओ० एवं श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, कैशियर	लेखा परीक्षा वर्ष में राष्ट्रीय ग्रामीण गारन्टी निधि प्रास० व्यय में दिनेश जन सेवा केन्द्र को रू० 11878.00 फर्जी भुगतान दर्शाकर धन का दुरुपयोग किया गया है। ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।	11878.00
16.	16	श्री अशोक कुमार गुप्ता,बी०डी०ओ० एवं श्री शिशुपाल सिंह, ए०डी०ओ०, ए०जी० तथा ब्लाक प्रमुख श्रीमती सरोज कुरील	लेखा परीक्षा वर्ष में राज्य वित्त खाते से आहरित धनराशि रू० 783091.00 के व्यय प्रमाणक, कृत कार्यों के फोटो ग्राफ, पैमाईश पुस्तिका, टेण्डर कुटेशन आदि नहीं पाये गये न ही हस्तगत कार्यों की सूची प्रस्तुत की गयी है, ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।	783091.00
17.	17	श्री अशोक कुमार गुप्ता, बी०डी०ओ० एवं श्री संतोष वर्मा तथा ब्लाक प्रमुख श्रीमती सरोज कुरील	लेखा परीक्षा वर्ष में राज्य वित्त खाते से विकास खण्ड परिसर के सुन्दरीकरण मद में व्यय रू० 135048.00 के व्यय प्रमाणक एम०बी०, फोटो ग्राफ आदि प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी, ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।	135048.00
18.	18	श्री अशोक कुमार गुप्ता,बी०डी०ओ० एवं ब्लाक प्रमुख श्रीमती सरोज कुरील तथा शैलेन्द्र तिवारी	लेखा परीक्षा में पासीखेड़ा में मेन रोड से दुर्गा के मकान से दलित बस्ती तक सी०सी० रोड व नाली निर्माण कार्य राज्य वित्त खाते से आहरित रू० 2073130.00 के व्यय प्रमाणक, एम०बी० वर्क आर्डर, फोटो ग्राफ आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अतः रू० 2073130.00 के व्यय की वास्तविक पुष्टि नहीं की जा सकी, ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।	2073130.00
19.	19	श्री अशोक कुमार गुप्ता,बी०डी०ओ० एवं ब्लाक प्रमुख श्रीमती सरोज कुरील तथा	ग्राम पंचायत शाखाहारी में सी०सी० रोड से रामलीला मैदान तक नाली व सी०सी० कार्य लेखा परीक्षा में उक्त कार्य हेतु स्टीमेट 10.61 स्वीकृत था।	527000.00

		शैलेन्द्र तिवारी, आपूर्तिकर्ता	जबकि भुगतान 1588337.00 व्यय किया गया है। लेखा परीक्षा में एम0बी0, फोटो आदि प्रस्तुत नहीं किया गया है। स्वीकृत स्टीमेट से रू0 5.27 लाख रू0 अधिक व्यय है। जिसकी स्वीकृति आदि नहीं पायी गयी है। ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।	
20.	20	श्री अशोक कुमार गुप्ता,बी0डी0ओ0 एवं ब्लाक प्रमुख श्रीमती सरोज कुरील तथा शैलेन्द्र तिवारी	लेखा परीक्षा वर्ष में तेरहवें वित्त आयोग से व्यय धनराशि रू0 467708.00 के व्यय प्रमाणक, फोटो ग्राफ, एम0बी0 आदि नहीं पाये गये हैं, ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।	467708.00
21.	21	श्री अशोक कुमार गुप्ता,बी0डी0ओ0 एवं ब्लाक प्रमुख श्रीमती सरोज कुरील	ग्राम डूहरपुर में लोनिया तालाब से डण्डा तालाब तक नाला निर्माण पर व्यय रू0 672319.00 के व्यय प्रमाणक, एम0बी0, फोटो ग्राफ आदि लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे, ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।	672319.00
22.	22	श्री अशोक कुमार गुप्ता,बी0डी0ओ0 एवं ब्लाक प्रमुख श्रीमती सरोज कुरील	लेखा परीक्षा में लाखन खेड़ा में हीरा लाल कुरील के दरवाजे से सी0सी0 रोड व नाला निर्माण पर कुल व्यय रू0 890868.00 के फोटो ग्राफ, एम0बी0 नहीं पायी गयी, ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।	890868.00
23.	23	श्री अशोक कुमार गुप्ता,बी0डी0ओ0 एवं ब्लाक प्रमुख श्रीमती सरोज कुरील	लेखा परीक्षा में क्षेत्र पंचायत सदस्यों की एक बैठक का आयोजन किया गया है। जबकि 80 कुल बी0डी0सी0 हैं। जब सम्पूर्ण उपस्थित हुये होंगे तो रू0 500.00 की दर भत्ता रू0 40000.00 व्यय होना चाहिये। जबकि रू0 135000.00 व्यय करके रू0 95000.00 अधिक दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित रही।	95000.00
कुल योग —				7878147.00

जनपद – कानपुर नगर
क्षेत्र पंचायत-घाटमपुर

प्रस्तरो की संख्या	सामान्य आ0सं0	आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	धनराशि	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम
24	2.	आलोच्य वर्ष 2014-15 में तेहरवें वित्त से ग्राम गुरैमनपुर में इन्टरलॉकिंग से रघुवीर निशाद के घर तक सी.सी.रोड एवं नाली निर्माण कार्य कराया गया है। उक्त कार्य में सामग्री क्रय में रू0 512101.00 एवं मजदूरी पर रू0 147904.00 की धनराशि व्यय की गयी। उक्त कार्य में प्रयुक्त सामग्री क्रय हेतु टेण्डर प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। मजदूरी बैंक खाते के द्वारा न कर नकद दर्शाया गया है। मजदूरी के भुगतान की पुष्टि नहीं होती है। जिससे स्पष्ट है कि मजदूरी का भुगतान मस्टर रोल पर न कर अनियमित भुगतान दर्शाकर गम्भीर अनियमितताएं कर अपहरण किया गया है। अपहृत धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।	660005.00	श्री रवींद्र कुशवाहा कार्य प्रभारी श्री पी0सी0 राम बी.डी.ओ. श्री रामकेश संखवार ब्लाक प्रमुख
25	3.	आलोच्य वर्ष 2014-15 में राज्य वित्त से ग्राम दुर्गागंज में दुर्गा के दरवाजे से गोपी चन्द्र के दरवाजे तक सी.सी.रोड एवं नाली निर्माण कार्य कराया गया है। उक्त कार्य में सामग्री क्रय में रू0 213224.00 एवं मजदूरी पर रू0 52876.00 की धनराशि व्यय की गयी। उक्त कार्य में प्रयुक्त सामग्री क्रय हेतु टेण्डर प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। मजदूरी बैंक खाते के द्वारा न कर नकद दर्शाया गया है। मजदूरी के भुगतान की पुष्टि नहीं होती है। जिससे स्पष्ट है कि	266100.00	श्री प्रवीण मिश्रा कार्य प्रभारी श्री अशोक कुमार गुप्ता बी.डी.ओ श्री रामकेश संखवार ब्लाक प्रमुख

		मजदूरी का भुगतान मस्टर रोल पर न कर अनियमित भुगतान दर्शाकर गम्भीर अनियमितताएं कर अपहरण किया गया है। अपहृत धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।		
26	15.	अतः नियमों के विपरीत सोलर लाइट क्रय हेतु भुगतान किये जाने के कारण रू0 3045000.00 की वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री प्रेम चन्द्र राम एवं ब्लाक प्रमुख श्री रामकेश संखवार से करते हुए आवश्यक प्रशासनिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। अपहृत धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।	3045000.00	श्री पी0सी0 राम बी.डी.ओ. श्री रामकेश संखवार ब्लाक प्रमुख
27	4.	आलोच्य वर्ष 2014-15 में तेहरवें वित्त से ग्राम सरगांव में छोटे लाल के मकान से राजेश अवस्थी के खेत तक नाला निर्माण कार्य कराया गया है। उक्त कार्य में सामग्री क्रय में रू0 294954.00 एवं मजदूरी पर रू0 99236.00 की धनराशि व्यय की गयी। उक्त कार्य में प्रयुक्त सामग्री क्रय हेतु टेण्डर प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। मजदूरी बैंक खाते के द्वारा न कर नकद दर्शाया गया है। मजदूरी के भुगतान की पुष्टि नहीं होती है। जिससे स्पष्ट है कि मजदूरी का भुगतान मस्टर रोल पर न कर अनियमित भुगतान दर्शाकर गम्भीर अनियमितताएं कर अपहरण किया गया है। अपहृत धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।	394190.00	श्री रवींद्र कुशवाहा कार्य प्रभारी श्री पी0सी0 राम बी.डी.ओ. श्री रामकेश संखवार ब्लाक प्रमुख
28	5.	आलोच्य वर्ष 2014-15 में राज्य वित्त से ग्राम कोटरा में जबरीक की दुकान से राम आसरे के मकान तक सी.सी.रोड एवं नाली निर्माण कार्य कराया गया है। उक्त कार्य में सामग्री क्रय में रू0 880499.00 एवं मजदूरी पर रू0	1109683.00	कार्यप्रभारी श्री योगेश श्रीवास्तव, श्री पी0सी0 राम बी.डी.ओ. श्री रामकेश संखवार ब्लाक प्रमुख

		229184.00 की धनराशि च्यय की गयी। उक्त कार्य में प्रयुक्त सामग्री क्रय हेतु टेण्डर प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। मजदूरी बैंक खाते के द्वारा न कर नकद दर्शाया गया है। मजदूरी के भुगतान की पुष्टि नहीं होती है। जिससे स्पष्ट है कि मजदूरी का भुगतान मस्टर रौल पर न कर अनियमित भुगतान दर्शाकर गम्भीर अनियमितताएं कर अपहरण किया गया है। अपहृत धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।		
29	6.	आलोच्य वर्ष 2014-15 में राज्य वित्त से ग्राम कोटरा में बाबू सिंह के दरवाजे से राज बहादुर निशाद के दरवाजे तक सी.सी.रोड एवं नाली निर्माण कार्य कराया गया है। उक्त कार्य में सामग्री क्रय में ₹0 269022.00 एवं मजदूरी पर ₹0 72394.00 की धनराशि व्यय की गयी। उक्त कार्य में प्रयुक्त सामग्री क्रय हेतु टेण्डर प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। मजदूरी बैंक खाते के द्वारा न कर नकद दर्शाया गया है। मजदूरी के भुगतान की पुष्टि नहीं होती है। जिससे स्पष्ट है कि मजदूरी का भुगतान मस्टर रौल पर न कर अनियमित भुगतान दर्शाकर गम्भीर अनियमितताएं कर अपहरण किया गया है। अपहृत धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।	341416.00	कार्यप्रभारी श्री योगेश श्रीवास्तव, श्री पी0सी0 राम बी.डी.ओ. श्री रामकेश संखवार ब्लाक प्रमुख
30	7.	आलोच्य वर्ष 2014-15 में तेहरवें वित्त से ग्राम हथेरुआ में धनीराम के घर से पप्पू अवस्थी के घर तक सी.सी.रोड एवं नाली निर्माण कार्य कराया गया है। उक्त कार्य में सामग्री क्रय में ₹0 496252.00 एवं मजदूरी पर ₹0 126124.00 की धनराशि व्यय की गयी। उक्त कार्य में प्रयुक्त सामग्री क्रय हेतु टेण्डर प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। मजदूरी बैंक खाते के द्वारा न	622376.00	कार्यप्रभारी श्री कृष्ण मुरारी पाठक श्री अशोक कुमार गुप्ता बी.डी.ओ. श्री रामकेश संखवार ब्लाक प्रमुख

		कर नकद दर्शाया गया है। मजदूरी के भुगतान की पुष्टि नहीं होती है। जिससे स्पष्ट है कि मजदूरी का भुगतान मस्टर रौल पर न कर अनियमित भुगतान दर्शाकर गम्भीर अनियमितताएं कर अपहरण किया गया है। अपहृत धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।		
31	8.	आलोच्य वर्ष 2014-15 में राज्य वित्त से ग्राम मढ़ा में मेन रोड से राजेन्द्र यादव के दरवाजे तक सी.सी.रोड कार्य कराया गया है। उक्त कार्य में सामग्री क्रय में ₹0 426154.00 एवं मजदूरी पर ₹0 105802.00 की धनराशि व्यय की गयी। उक्त कार्य में प्रयुक्त सामग्री क्रय हेतु टेण्डर प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। मजदूरी बैंक खाते के द्वारा न कर नकद दर्शाया गया है। मजदूरी के भुगतान की पुष्टि नहीं होती है। जिससे स्पष्ट है कि मजदूरी का भुगतान मस्टर रौल पर न कर अनियमित भुगतान दर्शाकर गम्भीर अनियमितताएं कर अपहरण किया गया है। अपहृत धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।	531956.00	कार्यप्रभारी श्री सन्त राम यादव श्री अशोक कुमार गुप्ता बी.डी.ओ. श्री रामकेश संखवार ब्लाक प्रमुख
32	9.	आलोच्य वर्ष 2014-15 में ग्राम मढ़ा में राज्य वित्त से छोटे लाल के दरवाजे से अशोक प्रजापति के दरवाजे तक सी.सी. रोड एवं नाली निर्माण कार्य कराया गया है। उक्त कार्य में सामग्री क्रय में ₹0 299685.00 एवं मजदूरी पर ₹0 78310.00 की धनराशिव्यय की गयी। उक्त कार्य में प्रयुक्त सामग्री क्रय हेतु टेण्डर प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। मजदूरी बैंक खाते के द्वारा न कर नकद दर्शाया गया है। मजदूरी के भुगतान की पुष्टि नहीं होती है। जिससे स्पष्ट है कि मजदूरी का भुगतान मस्टर रौल पर न कर अनियमित भुगतान दर्शाकर गम्भीर अनियमितताएं कर अपहरण किया गया	377995.00	कार्यप्रभारी श्री सन्त राम यादव श्री अशोक कुमार गुप्ता बी.डी.ओ. श्री रामकेश संखवार ब्लाक प्रमुख

		है। अपहृत धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।		
33	10.	आलोच्य वर्ष 2014-15 में ग्राम मखौली में राज्य वित्त से लाखन सिंह यादव के दरवाजे से राजा बाबा तालाब की पुलिया तक सी.सी.रोड कार्य कराया गया है। उक्त कार्य में सामग्री क्रय में रु0 402102.00 एवं मजदूरी पर रु0 112352.00 की धनराशि व्यय की गयी। उक्त कार्य में प्रयुक्त सामग्री क्रय हेतु टेण्डर प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। मजदूरी बैंक खाते के द्वारा न कर नकद दर्शाया गया है। मजदूरी के भुगतान की पुष्टि नहीं होती है। जिससे स्पष्ट है कि मजदूरी का भुगतान मस्टर रोल पर न कर अनियमित भुगतान दर्शाकर गम्भीर अनियमितताएं कर अपहरण किया गया है। अपहृत धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।	514454.00	कार्यप्रभारी श्री अखिलेश दुवे श्री पी0सी0 राम बी.डी.ओ. श्री रामकेश संखवार ब्लाक प्रमुख
34	11.	उक्त सभी सामान नकद क्रय किये जाने की व्यवस्था नहीं है। सामान क्रय हेतु क्रय नियमावली का पालन नहीं किया गया है। परियोजना बोर्ड किस हेतु क्रय किये गये। एवं कहां पर लगाये गये। इसका कोई विवरण नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि बोर्ड क्रय ही नहीं किये गये। अतः उक्त सम्पूर्ण धनराशि कैशियर के माध्यम से राज्य वित्त खाते से निकाल कर अपहरण कर ली गयी। अतः रु0 137000.00 की वसूली श्री ब्रजेश कुमार कैशियर खण्ड विकास अधिकारी श्री श्री पी0सी0 राम एवं ब्लाक प्रमुख श्री रामकेश संखवार से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। अपहृत धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।	137000.00	कार्यप्रभारी श्री ब्रजेश कुमार कैशियर श्री पी0सी0 राम बी.डी.ओ. श्री रामकेश संखवार ब्लाक प्रमुख

35	12.	विकास खण्ड में राज्य वित्त से पेन्टिंग सामान क्रय एवं मजदूरी के समस्त भुगतान नकद किये गये हैं। जबकि मजदूरी का भुगतान बैंक खाते के द्वारा एवं सामान क्रय एकाउन्टपेयी चेक से किया जाना चाहिए था। भुगतान नकद किया जाना पूर्णतया अनियमित भुगतान है। उक्त पेन्टिंग कार्य की मेजरमेन्ट बुक भी उपलब्ध नहीं करायी गयी। उक्त कार्य में धनराशि व्यय किये जाने हेतु सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान श्री ब्रजेश कुमार कैशियर कोकिया गया है। इस प्रकार अनियमित ढंग से भुगतान दर्शाकर समस्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रु0 231393.00 की वसूली श्री ब्रजेश कुमार कैशियर खण्ड विकास अधिकारी श्री श्री पी0सी0 राम एवं ब्लाक प्रमुख श्री रामकेश संखवार से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।	231393.00	कार्यप्रभारी श्री ब्रजेश कुमार कैशियर श्री पी0सी0 राम बी.डी.ओ. श्री रामकेश संखवार ब्लाक प्रमुख
	13.	आलोच्य वर्ष 2014-15 में 7 तेहरवें वित्त एवं राज्य वित्त से अन्य कार्यों को कराया गया है। उक्त कार्यों में सामग्री क्रय में रु0 1095189.00 एवं मजदूरी पर रु0 366098.00 की धनराशि व्यय की गयी। उक्त कार्य में प्रयुक्त सामग्री क्रय हेतु टेण्डर प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। उक्त की फाइले भी प्रस्तुत नहीं की गयी। मजदूरी के भुगतान की पुष्टि नहीं होती है। जिससे स्पष्ट है कि मजदूरी का भुगतान मस्टर रोल पर न कर अनियमित भुगतान दर्शाकर गम्भीर अनियमितताएं कर अपहरण किया गया है। अपहृत धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।	1461287.00	श्री पी0सी0 राम बी.डी.ओ. श्री रामकेश संखवार ब्लाक प्रमुख
36	16.	आलोच्य वर्ष 2014-15 में ग्राम कोटरा में राज्य वित्त से मलखान के दरवाजे से अरुण संखवार के खड़जा तक सी.	118555.00	कार्यप्रभारी श्री योगेश श्रीवास्तव, श्री पी0सी0 राम बी.डी.ओ.

		सी.रोड कार्य कराया गया है। उक्त कार्य में सामग्री क्रय में रु0 88431.00 एवं मजदूरी पर रु0 30124.00 की धनराशि व्यय की गयी। उक्त कार्य में प्रयुक्त सामग्री क्रय हेतु टेण्डर प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। मजदूरी बैंक खाते के द्वारा न कर नकद दर्शाया गया है। मजदूरी के भुगतान की पुष्टि नहीं होती है। जिससे स्पष्ट है कि मजदूरी का भुगतान मस्टर रोल पर न कर अनियमित भुगतान दर्शाकर गम्भीर अनियमितताएं कर अपहरण किया गया है। अपहृत धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।		श्री रामकेश संखवार ब्लाक प्रमुख
37	17.	आलोच्य वर्ष 2014-15 में विकास खंड में राज्य वित्त से स्टोर का मरम्मत कार्य न कराकर स्टोर निर्माण कार्य कराया गया है। जो पूर्ण तथा अनियमित एवं अवैध है। उक्त कार्य में प्रयुक्त सामग्री क्रय हेतु टेण्डर प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। मजदूरी पर रु0 94184.00, विद्युत सामान पर रु0 56000.00 शटरिंग पर रु0 10000.00 प्लम्बर सामान पर रु0 14115.00 की धनराशियों का व्यय एकाउण्ट पेयी चेक से न कर नकद किया गया है। जो पूर्ण तथा अनियमित है। अतः उक्त धनराशि रु0 517237.00 कार्य प्रभारी श्री हरी लाल ए.डी.ओ.(सी), सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी श्री अशोक कुमार गुप्ता एवं श्री पी0सी0 राम एवं ब्लाक प्रमुख श्री रामकेश संखवार से अद्यतन वसूली करते हुए आवश्यक प्रशासनिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। अपहृत धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।	517237.00	कार्य प्रभारी श्री हरी लाल ए.डी.ओ.(सी), श्री अशोक कुमार गुप्ता एवं श्री पी0सी0 राम बी.डी.ओ. श्री रामकेश संखवार ब्लाक प्रमुख

क्षेत्र पंचायत— बिधनू

प्रस्तरी की संख्या	सामान्य आ0सं0	आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	धनराशि	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम
38	1.	मनरेगा/नरेगा प्रशासनिक मद के गत वर्ष 2013-14 व आलोच्य वर्ष 2014-15 के अंतिम शेष व प्रा0 अवशेष की धनराशि में अन्तर पाया गया। अन्दर की धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी चाहिए।	623449.00	श्री प्रेम चन्द्र बी0डी0ओ0 श्री एश्वर्य यादवबी.डी.ओ. श्री एस0पी0 तिवारी एकाऊटेन्ट
39	2.	लेखा परीक्षा में प्रासंगिक व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक अनुउपलब्ध रहने के कारण व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी अतः संबंधित धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी चाहिए।	9750.00 61558.00	श्री प्रेम चन्द्र बी0डी0ओ0 श्री एश्वर्य यादवबी.डी.ओ. श्री एस0पी0तिवारी एकाऊटेन्ट, श्री अमित बाजपेयी कनि0लेखाकार
40	3.	कार्यालय फर्नीचर/डेड स्टॉक सम्बन्धित क्रय पत्रावलियां/ अनुमोदन पत्र/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अपुष्टित धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी चाहिए।	10600.00	श्री प्रेम चन्द्र बी0डी0ओ0 श्री एश्वर्य यादवबी.डी.ओ. श्री एस0पी0तिवारी एकाऊटेन्ट, श्री अमित बाजपेयी कनि0लेखाकार
41	5.	मिटटी ढुलाई, ट्रैक्टर भाडा , मिक्चर मशीन आदि का भुगतान सम्बन्धित प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किये गये। अपुष्टित धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी चाहिए।	206674.00	श्री प्रेम चन्द्र बी0डी0ओ0 श्री एश्वर्य यादवबी.डी.ओ. श्री नरेन्द्र कुमार ग्राम लक्षमणपुर
42	7.	अप्रमाणित मस्टर रोलो पर श्रमांश /मजदूरी का भुगतान किया गया है। अपुष्टित धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से	42900.00 40500.00	श्री प्रेम चन्द्र बी0डी0ओ0 श्री एश्वर्य यादव बी.डी.ओ. श्री शिव बिहारी शुक्ला ए0डी0ओ0 पंचायत

		की जानी चाहिए।		
43	8.	मांग पत्र व बिल में दर्शित उपभोग की सामाग्री में अन्तर पाया गया। अनियमित व अपुष्टित धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी चाहिए।	11930.60 126900.00	श्री प्रेम चन्द्र बी०डी०ओ० श्री एश्वर्य यादवबी.डी.ओ. श्री भीष्म प्रताप सिंह कार्य प्रभारी
44	9.	अपूर्ण/अप्रमाणित संलग्न कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र के सापेक्ष भुगतान किया गया। अनियमित व अपुष्टित धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी चाहिए।	274000.00	श्री प्रेम चन्द्र बी०डी०ओ० श्री एश्वर्य यादवबी.डी.ओ. श्री जितेन्द्र मिश्रा कार्य प्रभारी
45	10.	अपूर्ण/अप्रमाणित संलग्न कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र के सापेक्ष भुगतान किया गया। अनियमित व अपुष्टित धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी चाहिए।	694000.00	श्री प्रेम चन्द्र बी०डी०ओ० श्री एश्वर्य यादवबी.डी.ओ. श्री मानू लाल यादव कार्य प्रभारी
46	12.	बिना कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र के सापेक्ष भुगतान किया गया। अनियमित व अपुष्टित धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी चाहिए।	607000.00	श्री प्रेम चन्द्र बी०डी०ओ० श्री एश्वर्य यादव बी.डी.ओ. श्री विक्रम शर्मा कार्य प्रभारी
47	13.	बिना कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र के सापेक्ष भुगतान किया गया। अभिलेखों के अभाव में अपुष्टित धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी चाहिए।	687000.00	श्री प्रेम चन्द्र बी०डी०ओ० श्री एश्वर्य यादवबी.डी.ओ. श्री मानू लाल यादव कार्य प्रभारी
48	14.	कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व मांग पत्र में दर्शायी गयी सामाग्री की मात्रा में अंतर। सम्यक अभिलेखों के अभाव में अपुष्टित धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी चाहिए।	21237.00	श्री प्रेम चन्द्र बी०डी०ओ० श्री एश्वर्य यादवबी.डी.ओ. श्री श्री बिहारी शुक्ला कार्य प्रभारी
49	15.	कार्य में किये गये व्यय के सापेक्ष प्रमाणक लेखा परीक्षा में नही प्रस्तुत किये गये। अभिलेखों के अभाव में अपुष्टित धनराशि की ब्याज सहित	16000.00	श्री प्रेम चन्द्र बी०डी०ओ० श्री एश्वर्य यादवबी.डी.ओ. श्री अमित बाजपेयी कैशियर

		वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी चाहिए।		
50	16.	कृत निर्माण कार्य से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किये गये। अभिलेखों के अभाव में अपुष्टित धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी चाहिए।	125489.00	श्री एश्वर्य यादवबी.डी.ओ. सम्बन्धित कार्य प्रभारी मेसर्स हिमांशु इन्टर प्राइजेज
51	17.	कृत जीर्णोद्धार कार्य से सम्बन्धित पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक/बिल/ मस्टर रोल/कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किये गये। अभिलेखों के अभाव में अपुष्टित धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी चाहिए।	47580.00 46413.00	श्री एश्वर्य यादव बी.डी.ओ. सम्बन्धित कार्य प्रभारी श्री शिव बिहारी शुक्ला ए0डी0 पंचायत
कुल योग —			3652980.00	

क्षेत्र पंचायत : चौबेपुर

प्रस्तरो की संख्या	सामान्य आ0सं0	आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	धनराशि	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम
52	2.	व्यय धनराशियों के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अभिलेखों के अभाव में अपुष्टित धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी चाहिए।	3030318.00	श्री टी0एन0 पाण्डेय बी0डी0ओ0 श्री कृपा राम राजपूतबी.डी. ओ. श्री मुकेश यादव ब्लाक प्रमुख
53	3.	निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किये बगैर ही भुगतान किया गया। अभिलेखों के अभाव में अपुष्टित धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी चाहिए।	318982.00	श्री टी0एन0 पाण्डेय बी0डी0ओ0 श्री मुकेश यादव ब्लाक प्रमुख

		से की जानी चाहिए।		
62	12.	निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किये बगैर ही भुगतान किया गया। अभिलेखों के अभाव में अपुष्टित धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी चाहिए।	636744400	श्री टी०एन० पाण्डेय बी०डी०ओ० श्री मुकेश यादव ब्लाक प्रमुख
63	13.	निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किये बगैर ही भुगतान किया गया। अभिलेखों के अभाव में अपुष्टित धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी चाहिए।	145650.00	श्री कृपाराम राजपूत बी०डी०ओ० श्री मुकेश यादव ब्लाक प्रमुख
64	14.	निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किये बगैर ही भुगतान किया गया। अभिलेखों के अभाव में अपुष्टित धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी चाहिए।	254753.00	श्री कृपाराम राजपूत बी०डी०ओ० श्री मुकेश यादव ब्लाक प्रमुख
		कुल योग:—	6755809.00	

जनपद—फर्रुखाबाद मण्डल— कानपुर

क्षेत्र पंचायत— मोहम्मदाबाद

लेखा परीक्षा वर्ष 2000—01 से 2011—12

प्रस्तर—1

क्षेत्र मोहम्मदाबाद की वर्ष 2000—01 से 2011—12 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्षों में निम्न विवरणानुसार लाभार्थियों को बायोंगैस अनुदान वितरित किया गया, किन्तु उक्त से सम्बन्धित पत्रावली, उपभोग प्रमाण पत्र तथा अनुदान प्रप्ति की रसीद आदि लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहने से दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। उत्तरदायी व्यक्तियों से अपुष्टित धनराशि की अभिलेखों के अभाव में अपुष्टित धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी चाहिए। ब्याज सहित वसूली की जानी चाहिए। विवरण निम्नवत है—

वर्ष	लाभार्थियों को वितरित धनराशि
2003—04	24600
2004—05	24010
2005—06	5900

2006-07	12900
2007-08	14300
2008-09	8100
2009-10	17000
2010-11	48100

(आ0सं0-01)

प्रस्तर-2

दिनांक 25/03/2010 को बारहवाँ वित्त आयोग में (अनुदान रजिस्टर-2) में अवशेष ₹0 852399.00 दर्शाया गया है जबकि लेखा परीक्षानुसार अवशेष 2177899.00 होता है। इस प्रकार ₹0 1325500.00 से अवशेष कम दर्शाया गया है। उक्त अवधि का अनुदान रजिस्टर-3 अप्राप्त रहने के कारण तत्सम्बन्धी स्थिति भी अज्ञात रही। दर्शित अन्तर का कारण स्पष्ट करते हुए पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्ति से सम्बन्धित धन की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(आ0सं0-2)

प्रस्तर-3

दिनांक 25/03/2010 को राज्य वित्त आयोग में (अनुदानरजि0-2) में अवशेष 1915837.00 दर्शाया गया है जबकि लेखा परीक्षानुसार अवशेष 1849317.00 होता है। इस प्रकार ₹0 66520.00 से अवशेष अधिक दर्शाया गया है। उक्त अन्तर का कारण स्पष्ट करते हुए पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही अपेक्षित है।

(आ0सं0-3)

प्रस्तर-4

ग्रान्ट रजिस्टर-2 के व्याज शीर्ष की जाँच में पाया गया कि वर्ष 2010-11 में ग्रान्ट रजिस्टर में दिए गये आय एवं व्यय के विवरणानुसार वर्षान्त में 688774.85 होता है जबकि सम्बन्धित रजिस्टर में 689374.85 दर्शित है इस प्रकार ₹0600 से अवशेष अधिक दर्शित है। यहाँ यह भी अल्लेखनीय है कि आगामी वर्ष में उक्त शीर्ष में प्रारम्भिक शेष 812,361.85 (अनुदान रजि0-3 के अनुसार) दर्शित है अतः स्पष्ट है कि अनुदान रजिस्टर-2 में प्रविष्टिया पूर्ण नहीं की गई है अन्तर का कारण स्पष्ट करते हुये पुष्टि उपरान्त आवश्यक सुधार अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(आ0सं0-4)

प्रस्तर-5

वर्ष 2010-11 में अनुदान रजिस्टर-2 की जाँच में पाया गया कि 12 वाँ वित्त आयोग में वर्षान्त में अवशेष धनराशि 112089.00 दर्शित है किन्तु आगामी वर्ष में प्रारम्भिक शेष उक्त मद में ₹0 377,307.00 दर्शाया गया है इस प्रकार ₹0 2,65,218.00 से अवशेष अधिक दर्शित है अन्तर का कारण स्पष्ट करते हुये पुष्टि उपरान्त आवश्यक सुधार अपेक्षित है। लापरवाही के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(आ0सं0-5)

प्रस्तर-6

वर्ष 2009-10 के ग्रांट रजि0-2 की जाँच में पाया गया कि दिनांक 31/03/2010 को राज्य वित्त आयोग के शीर्ष में पृष्ठ संख्या 83 पर अवशेष रू0 1915837.00 था वर्ष 2010-11 में 138000.00 का व्यय दर्शाया गया अतः तदनुसार अवशेष रू0 1777837.00 होना चाहिए था जबकि अवशेष रू0 1979837.00 दर्शित है इस प्रकार रू0 202000.00 से अवशेष अधिक दर्शित है यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि आगामी वर्ष में उक्त मद में प्रारम्भिक शेष 987358.00 ही दर्शित है (अनुदान रजि0-3 के अनुसार)। अन्तर का कारण स्पष्ट करते हुये पुष्टि उपरान्त आवश्यक सुधार अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(आ0सं0-6)

प्रस्तर-7

वर्ष 2007-08 में रैसेपुर महोई एवं बदनपुर से ज्योंता सम्पर्क मार्ग पर निम्न रू0 92245.00 दर्शाया गया है जिसकी पुष्टि से सम्बन्धित पत्रावली, व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे दर्शित व्यय अपुष्ट रहा पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि दिनांक 01.04.2000 को उक्त कार्य हेतु रू0 70839.00 अवशेष था तथापि कार्य को आठ वर्ष बाद वर्ष 2007-08 में पूर्ण कराया गया जिससे कार्य की लागत जान बूझकर बढ़ायी गयी। स्थिति स्पष्ट करते हुए व्यय के औचित्य की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(आ0सं0-7)

प्रस्तर-8

वर्ष 2003-04 में धुम्र रहित चूल्हा हेतु रू0 20414.77 की धनराशि प्राप्त हुई, जिसके सापेक्ष वर्ष 2004-05 में रू0 16556.00 की धनराशि का व्यय दर्शाया गया जिसकी पुष्टि में सम्बन्धित पत्रावली व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे दर्शित व्यय अपुष्ट रहा पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है अन्यथा की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि शेष रू0 3858.77 वर्ष 2004-05 से वर्ष 2011-12 तक यथावत दर्शित किया जा रहा है उक्त धनराशि को अबिलम्ब निर्धारित शीर्ष में जमा कराया जाना अपेक्षित है। अन्यथा उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली की जाये।

(आ0सं0-9)

प्रस्तर-9

वर्ष 2005-06 में पिछड़ा वर्ग रैपिड सर्वे में प्रगणांको का मानदेय रू0 52500.00 प्राप्त दर्शाया गया है जिसके सापेक्ष वर्ष 2005-06 में 48300.00 का एवं वर्ष 2006-07 में रू0 4200.00 का भुगतान दर्शित है किन्तु इससे सम्बन्धित पत्रावली, भुगतान प्राप्त रसीद आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गयी जिससे दर्शित भुगतान अपुष्ट रहा जिसकी पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्ति से इसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(आ0सं0-10)

संस्था का नाम— क्षेत्र 0 पं०—नबाबगंज
लेखा परीक्षा वर्ष 2000—01 से 2006—07

प्रस्तर—1

क्षेत्र 0 पं० नबाबगंज की वर्ष 2000—01 से 2006—07 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्षों में निम्न विवरणानुसार लाभार्थियों को बायोंगैस अनुदान वितरित किया गया, किन्तु उक्त से सम्बन्धित पत्रावली, उपभोग प्रमाण पत्र तथा अनुदान प्रप्ति की रसीद आदि लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहने से दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

विवरण निम्नवत है—

वर्ष	लाभार्थियों को वितरित धनराशि
2000—01	18900.00
2001—02	45400.00
2002—03	19400.00
2003—04	37600.00
2004—05	27300.00
2006—07	8900.00

(आ0सं०—1)

प्रस्तर—2

क्षेत्र पं० नबाबगंज में वर्ष 2000—01 में दिनांक 15.01.2001 को सी0डी0ओ0फरूखाबाद को रू० 25000.00 वापस करना अनुदान पंजिका—3 में दर्शित किन्तु इसकी पुष्टि में सम्बन्धित पावती/चेक की छायाप्रति अप्राप्त रहने से वापसी अपुष्ट रहा। उक्त पावती प्राप्त कर पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। (आ0सं०—2)

प्रस्तर—3

क्षेत्र पं० नबाबगंज की वर्ष 2002—03 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि मार्च 2003 में रू० 60170.00 अयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० लखनऊ को वापस किया जाना दर्शित है किन्तु इसकी पुष्टि में सम्बन्धित पावती/चेक की छायाप्रति अप्राप्त रहने से वापसी अपुष्ट रहा। उक्त पावती प्राप्त कर पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(आ0सं०—3)

संस्था का नाम— क्षेत्र 0 पं 0 शमशाबाद
लेखा परीक्षा वर्ष 2000—01 से 2009—10

प्रस्तर—1

क्षेत्र 0 पं 0 शमशाबाद की लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2009—10 में बायोंगैस मद में रू 0 15900.00 व्यय किया गया है किन्तु सम्बन्धित पत्रावली, उपभोग प्रमाण पत्र एवं चेक प्राप्ति रसीद लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहने से लाभार्थियों का चयन एवं अनुदान वितरण अपुष्ट रहा। पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(आ 0 सं 0—1)

प्रस्तर—2

वर्ष 2006—07 में पाया गया कि राज्य वित्त योजना मद से दि 02/06/2006 को रू 0 75000.00 श्रीमान जिला पंचायत राज अधिकारी को वापस दर्शाया गया है किन्तु वापसी की पुष्टि में सम्बन्धित चालान/रसीद लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही। अतः दर्शित वापसी अपुष्ट रही। पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(आ 0 सं 0—2)

प्रस्तर—3

वर्ष 2000—01 में निम्न विवरणानुसार निम्नांकित मदों में व्यय दर्शाया गया है जिसकी पुष्टि में सम्बन्धित पत्रावली, व्यय प्रमाणक आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे सम्बन्धित शीर्षों में दर्शित व्यय अपुष्ट रहा अपुष्टित धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों की जानी चाहिए।

मद/शीर्ष	व्यय की गई धनराशि
संगणना मानदेय	3150.00
मतदेय स्थल बूथ निर्माण	8370.00
मतदेय स्थल भोजन व नास्ता	51200.00
व्यय	
मतदान कर्मिका एवं सहायको	134500.00
का यात्रा भत्ता	
मतदान स्थल पर	24750.00
भोजन/नास्ता	

(आ 0 सं 0—5)

प्रस्तर-4

वर्ष 2002-03 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि प्र0मंत्री ग्राम पेय जल योजना मद में 76170.00 व्यय दर्शाया गया है जिसकी पुष्टि में सम्बन्धित व्यय प्रमाणक आदि लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे। अपुष्टित धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी चाहिए।

(आ0सं0-6)

संस्था का नाम— क्षे0पं0 कमालगंज
लेखा परीक्षा वर्ष—1999-2000 से 2003-04

प्रस्तर-1

क्षे0पं0 कमालगंज की वर्ष 1999-2000 से 2003-04 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्षों में निम्न विवरणानुसार लाभार्थियों को बायोगैस अनुदान वितरित किया गया है। किन्तु उक्त से सम्बन्धित पत्रावली, उपभोग प्रमाण पत्र तथा अनुदान प्राप्ति रसीद आदि लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहने से दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। अपुष्टित धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी चाहिए। विवरण निम्नवत है—

वर्ष	व्यय की गई धनराशि
1999-2000	21200.00
2000-01	48800.00
2001-02	48200.00
2002-03	110615.00
2003-04	26300.00

(आ0सं0-1)

प्रस्तर-2

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार मातृत्व लाभ वितरित किया गया है। किन्तु उससे सम्बन्धित पत्रावली, अनुदान प्राप्ति रसीद आदि लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही अतः लाभार्थियों का चयन एवं दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। अपुष्टित धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी चाहिए।

वर्ष	व्यय की धनराशि
1999-2000	182500.00
2000-2001	306000.00

(आ0सं0-2)

प्रस्तर-3

वर्ष 1999-2000 में पर्यावरण गोष्ठी जागरूकता पर रू0 17000.00 व्यय दर्शाया गया है। किन्तु इसकी पुष्टि सम्बन्धित पत्रावली, व्यय प्रमाणक आदि लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहने से दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। अपुष्टित धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी चाहिए।

(आ0सं0-4)

संस्था का नाम- क्षेत्र0 राजेपुर
लेखा परीक्षा वर्ष 2000-01 से 2011-12

प्रस्तर-1

क्षेत्र0 राजेपुर की वर्ष 2000-01 से 2011-12 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्षों में निम्न विवरणानुसार लाभार्थीओं को बायोगैस अनुदान वितरित किया गया है। किन्तु उक्त से सम्बन्धित पत्रावली, उपभोग प्रमाण पत्र तथा अनुदान प्राप्ति रसीद आदि लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहने से दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। अपुष्टित धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी चाहिए। विवरण निम्नवत है-

वर्ष	लाभार्थीयों को वितरित धनराशि
2000-01	25900.00
2001-02	19500.00
2002-03	74350.00
2003-04	19400.00
2004-05	23300.00
2005-06	2700.00
2006-07	8100.00
2007-08	5400.00
2008-09	10800.00
2009-10	2700.00
2010-11	40100.00

(आ0सं0 1)

प्रस्तर-2

वर्ष 2000-01 में धुम्र रहित चूल्हा शीर्ष में रु0 2500.00 का अनुदान वितरित लाभार्थियों को दर्शित है, किन्तु इसकी पुष्टि में सम्बन्धित पत्रावली, अनुदान प्राप्ति रसीद, आदि लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही। अतः दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। अपुष्टित धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी चाहिए।

(आ0सं0 2)

प्रस्तर-3

आलोच्य वर्षों में निम्न विवरणानुसार मातृत्व लाभ विभिन्न लाभार्थियों को वितरित किया गया किन्तु इससे सम्बन्धित पत्रावली, अनुदान प्राप्ति रसीद आदि लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही। अतः लाभार्थियों का चयन एवं दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। अपुष्टित धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी चाहिए।

वर्ष	धनराशि
2000-01	148500.00
2001-02	17500.00

(आ0सं0 3)

प्रस्तर-4

माह मार्च 2001 में मतगणना कर्मियों को मानदेय की धनराशि रु0 7565.00 व्यय दर्शायी गयी है किन्तु सम्बन्धित पत्रावली, भुगतान प्राप्ति रसीद आदि लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही। अतः दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। अपुष्टित धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी चाहिए।

(आ0सं0 4)

प्रस्तर-5

वर्ष 2002-03 में प्रधानमंत्री योजनान्तर्गत हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सी0डी0ओ0 फर्रुखाबाद के पत्रांक 4965/दिनांक 22.05.2002 द्वारा रु0 70310.00 प्राप्त दर्शाया गया है। आलोच्य वर्ष में रु0 68358.00 उक्त मद में व्यय दर्शाये गये हैं, किन्तु इससे सम्बन्धित पत्रावली, व्यय प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहने से लाभार्थियों के चयन, हैण्डपम्प मरम्मत के स्थान एवं भुगतान की स्थिति अपुष्ट रही। अपुष्टित धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी चाहिए।

(आ0सं0 5)

प्रस्तर-6

वर्ष 2005-06 में रैपिड सर्वे में लगे गणको के मानदेय पर व्यय रु0 37200.00 दर्शित है। किन्तु इसकी पुष्टि में सम्बन्धित पत्रावली भुगतान प्राप्ति रसीद आदि लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे। अतः दर्शित भुगतान अपुष्ट रहा। अपुष्टित धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी चाहिए।

(आ0सं0 6)

प्रस्तर-7

वर्ष 2006-07 में रू0 37333.00 एवं वर्ष 2007-08 में रू0 21251.00 आर्थिक गणना मानदेय पर भुगतान दर्शित है। किन्तु सम्बन्धित पत्रावली भुगतान प्राप्ति रसीद लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहने से मानदेय का भुगतान अपुष्ट रहा। अपुष्टित धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी चाहिए।

(आ0सं0 7)

संस्था का नाम— क्षे0पं0 बढपुर

लेखा परीक्षा वर्ष 2000-01 से 2011-12

प्रस्तर-1

क्षे0पं0 बढपुर की वर्ष 2000-01 से 2011-12 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्षों में निम्न विवरणानुसार लाभार्थीओं को बायोगैस अनुदान वितरित किया गया है। किन्तु उक्त से सम्बन्धित पत्रावली, उपभोग प्रमाण पत्र तथा अनुदान प्राप्ति रसीद आदि लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहने से दर्शित व्यय अपुष्ट रहा अपुष्टित धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी चाहिए।

विवरण निम्नवत है—

वर्ष	लाभार्थीयों को वितरित धनराशि
2000-01	70500.00
2001-02	49500.00
2002-03	94540.00
2003-04	28300.00
2004-05	25600.00
2005-06	6200.00
2006-07	19700.00
2007-08	13500.00
2008-09	—
2009-10	8900.00
2010-11	34800.00

(आ0सं0-1)

प्रस्तर-2

वर्ष 2000-01 में पंचायत निर्वाचन मानदेय मद में व्यय रू010163.00 दर्शाया गया है किन्तु सम्बन्धित व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक, एवं मानदेय प्राप्ति रसीद आदि लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहने से दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। अपुष्टित धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी चाहिए।

(आ0सं0-2)

प्रस्तर-3

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार मातृत्व लाभ वितरित किया गया है। किन्तु उससे सम्बन्धित पत्रावली, अनुदान प्राप्ति रसीद आदि लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही। अतः लाभार्थियों का चयन एवं दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। अपुष्टित धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी चाहिए।

वर्ष	व्यय की धनराशि
2000-2001	133500.00
2001-2002	388220.50

(आ0सं0-3)

प्रस्तर-4

वर्ष 2006-07 में आर्थिक गणना प्रशिक्षण में रू0 63221.00 का व्यय दर्शाया गया है किन्तु सम्बन्धित पत्रावली, प्रमाणक आदि लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहने से दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। अपुष्टित धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी चाहिए।

(आ0सं0-5)

जनपद-कन्नौज मण्डल- कानपुर क्षेत्र पंचायत- जलालाबाद

लेखा परीक्षा वर्ष 2000-01 से 2013-14

प्रस्तर-1

वर्ष 2000-01 में दिनांक 1/4/2000 को एस0जी0आर0वाई0 अनुदान का प्रारम्भिक अवशेष रू0 36139.00 था। वर्ष आय शून्य रही तथा वर्ष में श्री दिनेश कुमार अवर अभियन्ता (ग्रा0अभि0सेवा) को चेक सं0 498644 दिनांक 22.02.01 को 19774.00 रू0 बाउण्ड्रीवाल हेतु अवशेष अन्तिम भुगतान (वर्ष में कुल भुगतान) किया गया जिसके सम्बन्ध में कोई पत्रावली देखने को नहीं मिली। अतः भुगतान की पुष्टि ना की जा सकी। अपुष्टित धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी चाहिए।

(आ0सं0-09)

प्रस्तर-2

विकेन्द्रीकरण गोष्ठी आयोजन हेतु 1/4/2000 को 35346.00 प्रा0 शेष था। वर्ष में 25000 रू0 डी0पी0आर0ओ0 कन्नौज से प्राप्त हुआ कुल रू0 60346.00 जिसे 14/11/2000 में श्री विनोद कुमार चतुर्वेदी द्वारा पंच सम्मेलन में व्यय किया गया। व्यय से सम्बन्धित पत्रावली बिल वाउचर उपस्थिति सम्बन्धी अभिलेख

एवं व्यय की स्वीकृति न हो पाने के कारण पुष्टि न की जा सकी। अपुष्टित धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी चाहिए।

(आ0सं0-12)

प्रस्तर-3

वर्ष 2000-01 में एस0आर0वाई0 अनुदान की मद में दिनांक 1/4/2000 को रू0 880474.00 शेष था। वर्ष में 984823.00 सी0डी0ओ0 कन्नौज से प्राप्त हुआ तथा वर्ष में रू0 1283080.00 सम्पर्क मार्ग खड़जा, व पुलिया निर्माण में व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित स्टीमेट, निर्माण पत्रावली मस्टररोल, बिल/वाउचर उपभोग प्रमाण पत्र, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र सृजित सम्पत्तियों का रजिस्टर आदि देखने को नहीं मिला। अतः सृजित परिसम्पत्तियों व भुगतान की पुष्टि न की जा सकी।

उल्लेखनीय है कि वर्षान्त में 31/03/2001 को अवशेष धन रू0 582217.00 बैंक में जमा अंकित है जिसकी बैंक पास बुक बैंक स्टेटमेंट आदि के अभाव में पुष्टि न की जा सकी। अपुष्टित धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी चाहिए।

(आ0सं0-15)

प्रस्तर-4

वर्ष 2001-02 में प्रशा0 मद से 65117.00 नकद व्यय किया गया जिसका विवरण निम्नवत है-

1000.00 डीजल एवं मरम्मत

16740.00 समग्र रोजगार योजना की स्टेशनरी

1933.00 टेलीफोन

500.00 स्टेशनरी कार्यालय

44944.00 श्री हरी शंकर आर्या को वेतन एवं भत्ते

योग- 65117.00

वेतन का रजि0 स्टेशनरी स्टॉक रजि0 लॉगबुक बिल वाउचर आदि अनुपलब्ध रहने के कारण व्यय/उपभोग की पुष्टि न की जा सकी। उपर्युक्त आवश्यक अभिलेखों के अभाव में अपुष्टित धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी चाहिए।

(आ0सं0-30)

प्रस्तर-5

वर्ष 2001-02 में प्रशा0 मद -पी0ओ0एल0/ स्टेशनरी की मद से 13258.00 नकद व्यय किया गया जिसका विवरण निम्नवत है-

7000.00 कार्यालय स्टेशनरी अग्रिम श्री हरी शंकर आर्या

5000.00 प्रमुख कार्यालय साजसज्जा अग्रिम

1000.00 डीजल अग्रिम चालक श्री राजकुमार

210.00 टेलीफोन बिल भुगतान

48.00 अग्रिम के विपरीत अन्तर धन का समायोजनात्मक भुगतान

योग- 13258.00

अग्रिम प्राप्तकर्ताओं द्वारा अग्रिम के सापेक्ष किये गये भुगतान का बिल/वाउचर आदि में प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समायोजन की पुष्टि न की जा सकी। अपुष्टित धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी चाहिए।

(आ0सं0-31)

प्रस्तर-6

वर्ष 2001-02 में एस0आर0वाई0 योजनान्तर्गत 1/4/01 को प्रा0 शेष 582217.00 था। वर्ष में 3299867.00 प्राप्त हुआ तथा 1537956.00 रु0 सम्पर्क मार्ग एवं पुलिया निर्माण हेतु उपयोग किया गया जिससे सम्बन्धित निर्माण पत्रावली मस्टररोल स्टीमेट, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र उपभोग प्रमाणपत्र स्टीमेट बिल वाउचर आदि उपलब्ध नहीं कराए गये फलतः व्यय एवं सम्यक उपभोग की पुष्टि न की जा सकी। अपुष्टित धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी चाहिए। (आ0सं0-32)

प्रस्तर-7

वर्ष 2002-03 में एस0जी0आर0वाई0 का अर्पित व्याज की मद में दिनांक 1/4/02 को 31720.00 शेष था। वर्ष में प्राप्त ब्याज का अंकन नहीं है। वर्ष में रु0 4070.00 चेंक सं0 498661 दिनांक 21.01.2002 धनराशि रु0 114070.00 (110000,4070) में शामिल करके ऑडिट में देखने को नहीं मिली। अतः पुष्टि न की जा सकी। वर्षान्त में रु0 27650.00 जमा रहा जिसकी बैंक पासबुक से पुष्टि नहीं कराई गई। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। (आ0सं0-33)

प्रस्तर-8

वर्ष 2002-03 में एस0आर0वाई0 अनुदान मद में 1/4/02 को 2344128.00 जमा अंकित है। वर्ष में 2831397.00 पी0डी0डी0आर0डी0ए0 से प्राप्त हुआ तथा वर्ष में 4928696.00 उपभोग किया गया व्यय का विवरण निम्नवत है—

2344910.00	निर्माण कार्या पर व्यय
1500000.00	पृथक खाते में ट्रान्सफर (27.03.2003)
26033.00	सी0डी0ओ0 को 2 % ट्रान्सफर
26033.00	प्रशा0 मद में ट्रान्सफर
31720.00	व्याज पी0डी0 को ट्रान्सफर
4928696.00	कुल योग

पी0डी0को किये गये ट्रान्सफर का आदेश देखने को नहीं मिला वर्षान्त में 246829.00 जमा रहा जिसकी बैंक पासबुक के अभाव में पुष्टि न की जा सकी।

रु0 334491.00 निर्माण कार्यों पर व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित पत्रावली उपभोग प्रमाण पत्र कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि ऑडिट में प्रस्तुत नहीं किये गये फलतः उपभोग की पुष्टि न की जा सकी। अपुष्टित धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी चाहिए।

(आ0सं0 35)

प्रस्तर-9

वर्ष 2003-04 में प्रशा0 मद में दिनांक 1/4/2003 को प्रा0 " शेष रु0 48119.00 जमा अंकित है वर्ष में 39538.00 सी0डी0ओ0 से प्राप्त हुआ तथा 81842.00 उपभोग किया गया। वर्षान्त में 5815.00 जमा शेष दर्शित है जिसकी बैंक पास बुक में पुष्टि नहीं करायी गई। व्यय का विवरण निम्नवत रहा—

टेलीफोन	—	1776.00
स्टेशनरी क्रय	—	23708.00
पी.एल. ऑयल	—	12189.00
जीप मरम्मत	—	8762.00

कैम्पस सफाई	—	812.00
पंखा बिजली	—	1250.00
प्रकाश व्यवस्था	—	3000.00
खाद्यान्य हैण्डलिंग चार्ज	—	30345.00
योग :-		81842.00

उक्त व्यय से सम्बन्धित बिल/वाउचर पत्रावली, खाद्यान्न हैण्डलिंग चार्ज विवरण रजि०, टेलीफोन रजि० परिवहन निरीक्षक की रिपोर्ट कैम्पस सफाई का मस्टररोल एवं प्रकाश व्यवस्था की फाइल एवं बिल वाउचर ऑडिट में प्रस्तुत नहीं किये गये। फलतः व्यय की पुष्टि न की जा सकी। अपुष्टित धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी चाहिए।

(आ०सं० 38)

प्रस्तर—10

एस०आर०वाई० अनुदान पुराना खाता में दिनांक 1/4/03 को प्रा० शेष 246829.00 जमा अंकित है। वर्ष की प्रप्ति इस खाते में शून्य रही जब कि वर्ष में 243688.00 निर्माण कार्य पर व्यय किया गया जिसकी पत्रावली, प्राक्कलन आख्या मस्टररोल कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र व उपभोग प्रमाण पत्र ऑडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया फलतः उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। वर्षान्त में 3141.00 जमा दर्शित है। जिसे अगले ग्रान्ट रजि०-2 पर फारवर्ड नहीं किया न ही किसी दूसरी मद में ट्रान्सफर किया गया। बैंक पास बुक से भी पुष्टि नहीं करायी गई जो कि आपत्तिजनक है। अपुष्टित धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी चाहिए।

(आ०सं० 39)

प्रस्तर—11

एस०आर०वाई० नया खाता संख्या 11593 में 1/4/2003 को प्रा० शेष 15,00,000.00 जमा दर्शित हैं। वर्ष में 1976997.00 सी०डी०ओ० से प्राप्त हुआ तथा 119259.00 एस०बी०आई० जलालाबाद के । खाता संख्या 5480 से ट्रान्सफर लिया गया। इस प्रकार इस खाते में कुल 2096256.00 की आमद हुई तथा वर्ष में 3524714.00 रु० व्यय/ट्रान्सफर किया गया जिसकी विवरण निम्नवत है—

3375176.00	सड़क निर्माण
103000.00	में आनन्द बायोगैस 10 बायोगैस हेतु अनुदान
7000.00	
39538.00	प्रासंगिक मद में ट्रान्सफर
3524714.00	कुल योग

निर्माण कार्य सम्बन्धी माप पुस्तिका प्राक्कलन मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र उपभोग प्रमाण पत्र आदि स्वीकृत बायोगैस पत्रावली ऑडिट में उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः उपभोग की पुष्टि न की जा सकी। अपुष्टित धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी चाहिए।

(आ०सं० 40)

प्रस्तर—12

वर्ष 04-05 एस०आर०वाई० अनुदान की मद में खाता सं० 11593 में दिनांक 1/4/04 को प्रा० शेष रु० 71539.00 जमा दर्शित है। वर्ष 04-05 में 31,31,295.00 पी०डी० डी०आर०डी०ए० से प्राप्त हुआ तथा वर्ष में 3168350.00 व्यय अंकित है। जिसमें 339000.00 इन्दिरा आवास 52288.00 2% प्रशा० मद में ट्रान्सफर 2777068.00 सम्पर्क मार्ग निर्माण में व्यय किया गया। निर्माण से सम्बन्धित पत्रावली, मेजरमेन्ट बुक प्राक्कलन, एम आर

कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र उपभोग प्रमाण पत्र आदि ऑडिट में प्रस्तुत नहीं कराये गये। अतः उपभोग की पुष्टि न की जा सकी। अपुष्टित धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी चाहिए।

(आ0सं0 42)

प्रस्तर-13

वर्ष 05-06 में प्रशा0 मद (कण्टीजेसी) ग्रा0रजि0-2 के अनुसार 1/4/2005 को प्रा0 शेष 1128.00 जमा है। वर्ष में रू0 77374.00 की प्राप्ति हुई जिसका विवरण निम्नवत है-

29554.00	—	एस0आर0वाई0की 2% प्रास0 व्यय हेतु
27380.00—		डी0आर0डी0ए0 से
10500.00—		डी0ई0ओ0 से
5000.00—		निरस्त चेंक वापस पकड़ी गई
4940.00—		करेन्ट बैलेन्स
77374.00—		कुल योग

तथा वर्ष में 59142.00 व्यय किया गया जिसका विवरण निम्नवत है-

3267.00—	शौचालय व्यय
464.00—	क्राकरी
2050.00—	टेलीफोन
11122.00—	स्टेशनरी
300.00—	शील मोहर
1986.00—	बिजली उपकरण
1205.00—	पण्डाल भाड़ा
7640.00—	कम्प्यूटर
440.00—	फोटोकॉपी
5000.00—	डीजल
5000.00—	स्कन्ध व्यय
5837.00—	जीप मरम्मत
3016.00—	दैनिक मजदूरी
11815.00—	सामान्य निर्वाचन
59142.00 —	कुल योग

व्ययों से सम्बन्धित बिल/वाउचर पत्रावली ऑडिट में उपलब्ध न होने के कारण व्ययों की पुष्टि न की जा सकी। अपुष्टित धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी चाहिए।

(आ0सं0 46)

प्रस्तर-14

वर्ष 05-06 में एस0जी0आर0वाई0 का 22.50% धन का ग्राम थकलापुर में-4 तिलपई डिसगरा में -5 परमपुर में-4 अटारा ठड़िया में-1 अटारा में -2 कुल योग -16 आवास पर रू0 10000.00 प्रति आवास की दर से रू0 16000.00 व्यय किया गया है जिसकी पत्रावली ऑडिट में उपलब्ध नहीं करायी गयी। अतः कृत कार्य की पुष्टि नहीं की जा सकी, अपुष्टित धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी चाहिए।

(आ0सं0 49)

प्रस्तर-15

वर्ष 05-06 व 06-07 में समर से बिल लगवाई रू0 50755.00 व्यय निम्नवत दर्शाया गया है-

चेंक सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
0668995	04/02/2006	38563.00	समर सेबिल क्रय शिवेन्द्र सिंह
0709873	18/08/2006	10992.00	समर से बिल क्रय लगवाई
0709874	18/08/2006	1200.00	केबिल क्रय
		50755.00	कुल योग

उक्त व्ययों के क्रम /भुगतान प्रमाणक ऑडिट में प्रस्तुत नहीं किये गये। समरसेबिल किस कम्पनी का अज्ञात रहा। अतः विधिवत जाँच न की जा सकी। उल्लेखनीय है कि समरसेबिल का व्यय अधिक प्रतीत होता है अपुष्टित धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी चाहिए।

(आ0सं0 51)

प्रस्तर-16

वर्ष 05-06 में 12 वॉ वित्त की धनराशि से 38563.00 समरसेबिल व 115000.00 से 50 बोर्ड लखनऊ से क्रय किये गये अंकित है जिसकी निविदा अमंत्रित की गई या नहीं अज्ञात रहा। रू0 115000.00 के प्रमाणक की ऑडिट में अनुपलब्ध रहा। अतः उक्त व्यय की पुष्टि न की जा सकी। अपुष्टित धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी चाहिए।

(आ0सं0 52)

प्रस्तर-17

वर्ष 05-06 में राज्य वित्त की धनराशि से 1524887.00 का खड़न्जा निर्माण कराया गया जिससे सम्बन्धित एम0बी प्राक्कलन एम0आर0 बिल/वाउचर एवं उपभोग प्रमाण पत्र कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र ऑडिट में प्रस्तुत नहीं किया गये। फलतः विधिवत जाँच न की जा सकी। अपुष्टित धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी चाहिए।

(आ0सं0 53)

प्रस्तर-18

वर्ष 06-07 में 12वॉ वित्त की धनराशि से मात्र 10982.00 समरसेबिल लगवाई मजदूरी का भुगतान किया गया जिसका प्रमाणक आडिट में उपलब्ध नहीं कराया गया। अपुष्टित धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी चाहिए।

(आ0सं0 54)

प्रस्तर-19

वर्ष 06-07 राज्य वित्त की मद से कुल 321256.00 उपयोग किया गया जिसका विवरण निम्नवत है-

22736.00-	मानदेय सफाई कर्मचारी
13250.00-	प्रमुख कक्ष साजसज्जा
4500.00-	बी0डी0सी0 मेम्बर मानदेय
1200.00-	समरसेबिल केबिल क्रय
279570.00-	तिलपई सीसी रोड निर्माण
321256.00	कुल योग

उक्त व्ययों से सम्बन्धित बिल/वाउचर, एमआर, एमपी, प्राक्कलन, उपभोग प्रमाण पत्र व कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि ऑडिट में उपलब्ध नहीं कराए गये फलतः विधिवत जाँच न की जा सकी। अपुष्टित धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी चाहिए।
(आ0सं0 55)

प्रस्तर-20

वर्ष 07-08 में राज्य वित्त की मद में 5976.00 सफाई कर्मचारी दैनिक वेतन व 58000.00 रु0 क्षे0पं0 सदस्य व प्रमुख का मानदेय कुल 63976.00 भुगतान किया गया। सफाई कर्मचारी की दैनिक वेतन भुगतान सीट (हाजिरी क्रम भुगतान पत्र) व क्षे0पं0 व प्रमुख का भुगतान रजि0 वाउचर ऑडिट में प्रस्तुत न की जा सकी। उक्त आवश्यक भुगतान की विधिवत जाँच न की जा सकी। अपुष्टित धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी चाहिए।
(आ0सं0 56)

प्रस्तर-21

वर्ष 08-09 में राज्य वित्त की धनराशि से 458.00 बैंक चार्ज, 49000.00 क्षे0पं0 व प्रमुख का मानदेय भुगतान व 981876.00 पुलिया, तालाब व क्षे0पं0 कार्यालय निर्माण पर व्यय किया गया। इस प्रकार कुल 1031334.00 व्यय किया गया। जिससे सम्बन्धित बिल/वाउचर, निर्माण पत्रावली ऑडिट में प्रस्तुत नहीं की गई। अतः उपरोक्त व्ययों की पुष्टि न की जा सकी। अपुष्टित धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी चाहिए।
(आ0सं0 59)

प्रस्तर-22

वर्ष 2009-'10 में राज्य वित्त से 39000.00 मानदेय प्रमुख व 1166420.00 विकास कार्यों पर व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित भुगतान रजि0/वाउचर, एमपी स्टीमेट, एमआर, निर्माण रजि0, उपभोग प्रमाण पत्र, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत नहीं किये गये फलतः व्यय की पुष्टि न की जा सकी। अपुष्टित धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी चाहिए।
(आ0सं0 60)

प्रस्तर-23

वर्ष 09-10 में 12 वाँ वित्त की धनराशि से 2925.00 बिजली मरम्मत कार्यालय 4271.00 दि0 वेस्टर्न प्रिंसीजन इन्स्ट्रूमेंट इम्पेरियम रुड़की से सामान क्रय व 377760.00 का सार्वजनिक निर्माण कार्य कराया गया जिससे सम्बन्धित बिज/वाउचर एम आर आदि ऑडिट में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः भुगतान की पुष्टि न की जा सकी। अपुष्टित धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी चाहिए।
(आ0सं0 62ए)

प्रस्तर-24

वर्ष 07-08 में खाद्यान्न दुलाई का 870.00 दिनेश चन्द्र नदसिया, 14871.00 सुलेमान रैगावाँ व 2261.00 नन्दलाल कुल 18002.00 रु0 भुगतान किया गया जिसकी रिसीविंग पत्रावली में उपलब्ध नहीं कराई गई जो आपत्ति जनक है। अपुष्टित धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी चाहिए।
(आ0सं0 62 सी)

प्रस्तर-25

दिनांक 17/03/2008 को चेक सं0 599857 से हैण्डलिंग चार्ज का शेष धन रु0 82133.00 पी0डी0डी0आर0डी0ए0 को वापस किया गया जिसका आदेश रिसीविंग। चेक काउन्टरफाईल ऑडिट में उपलब्ध नहीं कराया गया। अपुष्टित धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी चाहिए।
(आ0सं0 63)

प्रस्तर-26

वर्ष 07-08एस0जी0आर0वाई0 का 22.50% धन में से चेक सं0 1406356 दिनांक 14/11/07 से रू0 447075.00, चेक सं0 1406358 से 04/12/07 से 447075.00 प्रबन्ध निदेशक लघु उद्योग विभाग इलाहाबाद को दिया गया जिसकी कोई फाइल या काउन्टरफाइल एवं आदेश ऑडिट में उपलब्ध नहीं कराया गया अपुष्टित धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी चाहिए।

(आ0सं0 64)

प्रस्तर-27

वर्ष 07-08 में 10 ग्राम पंचायतों में हैण्डपम्प मरम्मत पर 51000.00 रू0 व्यय किया गया जिसकी पत्रावली ऑडिट में अनुपलब्ध रही अतः चिन्हित हैण्डपम्पों की जानकारी न की जा सकी/ नहीं व्यय की पुष्टि न की जा सकी। अपुष्टित धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी चाहिए।

(आ0सं0 65)

प्रस्तर-28

वर्ष 2010-11 में राज्य वित्त से 749985.00 व्यय किया गया जिसमें 27000.00 मानदेय प्रमुख क्षेत्रों व शेष 722985.00 विकास कार्यों पर व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित एम बी, एम आर, उपभोग एवं कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि आडिट में प्रस्तुत नहीं किये गये। अपुष्टित धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी चाहिए।

(आ0सं0 69)

प्रस्तर-29

वर्ष 2011-12 में राज्य वित्त की मद से 1654764.00 रू0 व्यय किया गया जिसमें 57484.00 मानदेय व शेष 1597280.00 सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित एम बी, एम आर स्टीमेट कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र उपभोग प्रमाण पत्र एवं स्वीकृत कार्य योजना ऑडिट में प्रस्तुत नहीं की गई। अतः विधिवत जाँच न की जा सकी। अपुष्टित धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी चाहिए।

(आ0सं0 71)

प्रस्तर-30

वर्ष 12-13 में राज्य वित्त से 12000.00 श्रीमती सुनीता कश्यप अध्यक्ष क्षेत्रों एवं 14000 रू0 क्षेत्रों सदस्यों को मानदेय भुगतान किया गया जिसका भुगतान प्रमाणक ऑडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया अपुष्टित धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी चाहिए।

(आ0सं0 72)

प्रस्तर-31

वर्ष 2013-14 में राज्य वित्त की मद से 754333.00 विकास कार्यों पर एवं मानदेय पर भुगतान किया गया नया 13वाँ वित्त से 450267.00 का विकास कार्य कराया गया जिससे सम्बन्धित पत्रावली एम बी स्टीमेट एम आर आदि प्रस्तुत नहीं किये गये। अपुष्टित धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी चाहिए।

(आ0सं0 73)

प्रस्तर-32

चेक सं0 008131 दिनांक 14/09/2012 के द्वारा क्षेत्रों सदस्यों को मानदेय एवं स्वल्पाहार पर 14000.00 रू0 व्यय किया गया जिसका मानदेय रजि0 एवं स्वल्पाहार के प्रमाणक ऑडिट में उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः व्यय की पुष्टि न की जा सकी। अपुष्टित धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी चाहिए।

(आ0सं0 75)

प्रस्तर-33

मनरेगा 5 प्रशा0 मद का दिनांक 01/04/2010 का प्रा0 धन43854.00 था वर्ष में 704618.00 की प्राप्ति हुई तथा 713887.00 व्यय हुआ इस प्रकार 31/03/2011 को 31585.00 शेष आना चाहिए था जबकि चाहिए जब कि ग्रा0 रजि0 में 29301.00 अंकित है जो कि 5284.00 कम है। बैंक पासबुक के अभाव में पुष्टि न की जा सकी। अपुष्टित धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी चाहिए।

(आ0सं0 83)

संस्था का नाम— क्षे0पं0 तालग्राम
लेखा परीक्षा वर्ष 2000-01 से 2006-07

प्रस्तर-1

क्षे0पं0 तालग्राम की वर्ष 2000-01 से 2006-07 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्षों में निम्न विवरणानुसार लाभार्थियों को बायोगैस अनुदान वितरित किया गया है। किन्तु उक्त से सम्बन्धित पत्रावली, उपभोग प्रमाण पत्र तथा अनुदान प्राप्ति रसीद आदि लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहने से दर्शित व्यय अपुष्ट रहा अपुष्टित धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी चाहिए। विवरण निम्नवत है—

वर्ष	लाभार्थियों को वितरित धनराशि
2000-01	48800.00
2001-02	14800.00
2002-03	31945.00
2003-04	7700.00

(आ0सं0-1)

प्रस्तर-2

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार मातृत्व लाभ वितरित किया गया है। किन्तु उससे सम्बन्धित पत्रावली, अनुदान प्राप्ति रसीद आदि लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही। अतः लाभार्थियों का चयन एवं दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। अपुष्टित धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी चाहिए।

वर्ष	व्यय की धनराशि
2000-01	200000.00
2001-2002	130000.00

(आ0सं0-2)

प्रस्तर-3

वर्ष 2000-01 में प्रगणक/संगणक मानदेय दिया गया है, रू0 15864.00 एवं 2002-03 में रू0 859.00 का भुगतान दिया गया है जिसकी पुष्टि में सम्बन्धित पत्रावली/अनुदान प्राप्ति रसीद लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही। अतः दर्शित भुगतान अपुष्ट रहा। अपुष्टित धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी चाहिए।

(आ0सं0-3)

प्रस्तर-4

वर्ष 2002-03 में रू0 12000.00 हैण्डपम्प मरम्मत (ग्राम पंचायत हेतु) भुगतान किया गया है किन्तु सम्बन्धित प्रमाणक एवं पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही। अतः दर्शित भुगतान अपुष्ट रहा। अपुष्टित धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी चाहिए।

(आ0सं0-4)

प्रस्तर-5

वर्ष 2005-06 में रू0 29150.00 साक्षरता प्रशिक्षण मद में एवं रू0 15000.00 रैपिड सर्वे पर्यवेक्षक मानदेय मद में भुगतान किया गया किन्तु इसकी पुष्टि में सम्बन्धित प्रमाणक, पत्रावली आदि लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही। अतः दर्शित भुगतान अपुष्ट रहा। अपुष्टित धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी चाहिए।

(आ0सं0-5)

जनपद – भदोही मण्डल – विंध्याचल
क्षेत्र पंचायत–

प्रस्तर संख्या	आपत्ति का विवरण	अपहरण	दुर्विनियोग	गम्भीर अनियमितता	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम
प्रस्तर 1	क्षेत्र पंचायत डीघ में वर्ष 2014-15 दिनांक 31.03.15 को रु0 17809518.94 राजकीय अनुदान की धनराशि अप्रयुक्त अवशेष दर्शित की गयी है। नियमानुसार अनुदान की धनराशि वर्ष में उपभोग न कर गम्भीर अनियमितता की गयी है। उत्तरदायी व्यक्ति के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।	—	—	17809518.94	खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार
प्रस्तर 2	क्षेत्र पंचायत डीघ वर्ष 2014-15 में अनुदान पंजी के अनुसार रु0 26620915.00 निर्माण कार्यो पर व्यय दर्शित किया गया है परन्तु व्यय से सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किया गया जिससे व्यय अपुष्ट रहा।	26620915.00	—	—	खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार
प्रस्तर 3	क्षेत्र पंचायत भदोही वर्ष 2014-15 में दिनांक 31.03.15 को रु0 4738936.45 राजकीय अनुदान की धनराशि अवशेष अप्रयुक्त दर्शित की गयी है। नियमानुसार अनुदान की धनराशि रोककर गम्भीर अनियमितता की गयी है। उत्तरदायी व्यक्ति के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।	—	—	4738936.45	खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार

जनपद—गाजीपुर

मण्डल—वाराणसी

क्षेत्र पंचायत—जखनियाँ लेखा परीक्षा वर्ष— 12—13

प्रस्तर—1

वर्ष 2012-13 में राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार सम्बन्धित कार्यों से कोई भी प्रमाणक यथा—बाउचर मापन पुस्तिका कार्यपुष्टि प्रमाणपत्र, सत्यापन रिपोर्ट कार्य के प्रारम्भ एवं मध्य तथा अन्त की फोटोग्राफी आदि बार—बार मांग के बाद भी प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे उपरोक्त व्ययों की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में रु० 4193702.00 दुरुपयोगित रहा, जिसका उत्तरदायित्व सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी श्री दिनेश कुमार यादव एवं लेखाकार श्री रामबचन/कंगन राम तथा सम्बन्धित कार्य प्रभारियों का रहा। ब्याज सहित वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

क्र० सं०	कार्य का नाम	ग्राम पंचायत	कहाँ से कहाँ तक	लागत	कार्य प्रभारी
1	खण्डजा कार्य	पदुमपुर	पिच रोड से मंगरू राय के सरहद तक	195171.00	अरुण कुमार (स०वि०अ०, कृषि)
2	नाली निर्माण	पदुमपुर रामराय	प्रा०पाठ० से सूरज पटेल के घर तक	257446.00	जगदीश चन्द्र (स०वि०अ०, सह०)
3	खण्डजा मरम्मत	भुड़कुड़ा	सुमन्त जायसवाल के घर से जगरनाथ प्रजापति के घर तक	111432.00	जगदीश चन्द्र (स०वि०अ०)
4	खण्डजा मरम्मत	एमावंशी	प्रा०पाठ० से यादव बस्ती तक	86334.00	सहगुन राम (स०वि०अ०)
5	खण्डजा कार्य	भुड़कुड़ा	सी०सी० रोड से राजेश के घर से नेहाल अहमद के घर तक	167388.00	जगदीश चन्द्र (स०वि०अ०)
6	कृषि गोदाम की मरम्मत	जखनियाँ	वि० ख० जखनियाँ में	106538.00	जगदीश चन्द्र (स०वि०अ०)
7	गेट निर्माण एवं चहारदीवारी निर्माण	जखनियाँ	वि० ख० जखनियाँ में	155466.00	सहगुन राम (स०वि०अ०)
8	खण्डजा कार्य	भुड़कुड़ा	राम अवतार के घर से मोहित के घर तक	504547.00	सहगुन राम (स०वि०अ०)
9	खण्डजा मरम्मत	दुल्लहपुर	रेलवे लाइन से नट बस्ती तक	314963.00	जगदीश चन्द्र (स०वि०अ०)
10	खण्डजा कार्य	निजामुद्दीन पुर	कब्रिस्तान से लल्ला चौराहा के खेत तक	254825.00	जगदीश चन्द्र (स०वि०अ०)

11	खड़जा कार्य	निजामुद्दीन पुर	डीह बाबा स्थान से कब्रिस्तान तक	247710.00	जगदीश चन्द्र (स0वि0अ0)
12	खड़जा मरम्मत	हरदासपुर कलां	चूच सिंह के घर से पिच रोड नहर तक	137028.00	सहगुन राम (स0वि0अ0)
13	खड़जा मरम्मत	रामपुर पटारी	दुर्गा मंदिर से रिकू सिंह के भट्ठा तक	131835.00	सहगुन राम (स0वि0अ0)
14	इण्टरलाकिंग कार्य	झोटारी धामपुर	रात मनोहर लोहिया डिग्री कॉलेज के प्रांगण में	217295.00	जगदीश चन्द्र (स0वि0अ0)
15	खड़जा कार्य	परसपुर	दुर्गा विजय प्रजापति के घर से विनोद सिंह के चक तक	263550.00	जगदीश चन्द्र (स0वि0अ0)
16	नाली निर्माण	जही	राजेन्द्र चौहान के घर से व" शोमदी तक	352400.00	जगदीश चन्द्र (स0वि0अ0)
17	सी0 सी0 रोड निर्माण एवं श्रमांश पर व्यय	अखारी	रेलवे लाइन से राम विजय के घर तक	319620.00	जगदीश चन्द्र (स0वि0अ0)
18	खड़जा कार्य	धर्मागतपुर	रामनवल के घर से रामअवध के घर तक	59367.00	जगदीश चन्द्र (स0वि0अ0)
19	खड़जा कार्य	सदराजहापुर	प्रताप यादव के पम्पिंग सेट से लाला यादव के घर तक	307187.00	जगदीश चन्द्र (स0वि0अ0)
योग— 4193702.00					

प्रस्तर-2

क्षेत्र पंचायत-जखनियाँ लेखा परीक्षा वर्ष- 12-13

वर्ष 2012-13 में निम्न विवरणानुसार विभिन्न मदों में रु0 6161838.00 वर्षान्त में अवशेष रखा गया। स्पष्ट है कि अनुदान का समय से उपभोग नहीं किये जाने के फलस्वरूप अनुदान अवशेष रहा। अनुदान को रोके जाने का कोई कारण भी लेखा परीक्षा में स्पष्ट नहीं किया गया।

राजकीय अनुदानों का भारी मात्रा में अवशेष दिखाये जाने से स्पष्ट होता है कि जिस कार्य हेतु अनुदान प्राप्त किये गये थे वे कार्य नहीं कराये गये। इससे सम्बन्धित अधिकारियों की कार्यों के प्रति शिथिलता स्पष्ट होती है। विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस ओर अपेक्षित है। अतः अनुप्रयुक्त अनुदान रु0 6161838.00 वित्तीय सहायता दाता को वापस किया जाना अपेक्षित है। उत्तरदायी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवही अपेक्षित है।

क्र0 सं0	विवरण	धनराशि
1	विधायक निधि	559.00
2	स्वच्छता कार्यक्रम	565.00

3	राष्ट्रीय बायो गैस	12100.00
4	कर्मचारी पावना/कार्यालय व्यय	72051.00
5	राज्य वित्त आयोग	1870864.00
6	युवक मंगल दल प्रो० धनराशि	22000.00
7	आर्थिक सामा० जाति गणना	272.00
8	13 वां वित्त आयोग	518389.00
9	मनरेगा क्षेत्र पंचायत	3280619.00
10	मनरेगा ग्राम पंचायत	43.00
11	प्रशासनिक मद	364276.00
12	निशुल्क बोरिंग	20100.00
	योग—	6161838.00

प्रस्तर-3

क्षेत्र पं०-जखनियाँ

लेखा परीक्षा वर्ष- 12-13

लेखा परीक्षा वर्ष 2012-13 में मनरेगा अनुदान रजिस्टर के अनुसार क्षेत्र पंचायत जखनियाँ द्वारा मनरेगा के अन्तर्गत कुल ₹0 4642396.00 व्यय किया गया है। व्यय से सम्बन्धित अभिलेख/प्रमाणक आदि पत्रावली जैसे-सृजित परि सम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, निर्माण कार्य रजिस्टर, कार्यादेश पत्रावली, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य सम्यापन रिपोर्ट/कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कोटेशन, टेण्डर पत्रावली आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं, जिससे व्यय एवं कार्यों की पुष्टि नहीं की जा सकी। प्रमाणकों/अभिलेखों के अभाव में राजकीय धनराशि के दुरुपयोग की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता, जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-4

क्षेत्र पं०-जखनियाँ

लेखा परीक्षा वर्ष- 12-13

दिनांक 31.03.2013 का अर्जित ब्याज के अन्तर्गत ₹0 303568.18 दर्शाया जा रहा है। संस्था के अभिलेखों में इस कमायें ब्याज को योजनावार दर्शित नहीं किया जा रहा है। शासनादेश सं०-ए-1-122/10-2012-10(33)/2010 दिनांक 21 मार्च 2012 के अनुसार इस धनराशि 303568.18 को राजकोष में जमा किया जाना अपेक्षित है। अतएव अंकन ₹0 303568.18 ब्याज की धनराशि को राजकीय कोष में तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा जमा नहीं कराया गया है एवं रोककर रखा गया है। इस प्रकार जान बुझकर अनियमितता करने के उद्देश्य से राजकीय कोष में जमा न करने हेतु आहरण-वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी के प्रति विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-5**क्षेत्र पं०-जखनियाँ****लेखा परीक्षा वर्ष- 12-13**

दिनांक 31.03.2013 को आयकर मद में विगत वर्ष की भांति रु० 265553.00 अवशेष दर्शाया जा रहा है। आलोच्य वर्ष में आयकर की कटौती नहीं की गई है, जो आपत्तिजनक है। नियमानुसार जिस माह में कटौती होती है, उसके अगले माह की 07 तारीख तक सरकारी कोषागार में निर्धारित हेड में जमा कर दिया जाना चाहिए। नियमों की अवहेलना कर विगत वर्षों से आयकर कटौती की धनराशि रु० 265553.00 रोक रख कर वित्तीय अनियमितता की गई है, जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री दिनेश कुमार यादव एवं लेखाकार रामबचन राम/कंगन राम उत्तरदायी है। उत्तरदायी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-6**क्षेत्र पं०-जखनियाँ****लेखा परीक्षा वर्ष- 12-13**

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194(सी०) के अनुसार शासकीय अनुदानों से कराये जाने वाले निर्माण कार्यो तथा सामग्री आपूर्ति के बिलों से स्रोत पर आयकर की कटौती किये जाने के उपरान्त ही बिलों का भुगतान किया जाना चाहिए। स्रोत पर कर की कटौती करने तथा इस प्रकार का निर्धारित न करने के उत्तरदायी होंगे। ऐसा न करने पर आयकर की धनराशि के बराबर अर्थदण्ड सम्बन्धित अधिकारी पर आरोपित किया जा सकता है। लेखा परीक्षा में निम्न विवरणानुसार स्रोत पर आयकर की कटौती न कर रु० 13479.00 सरकारी राजस्व की क्षति पहुंचाई गई है, जिसका उत्तरदायी श्री दिनेश कुमार यादव, खण्ड विकास अधिकारी का रहा। उत्तरदायी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

क्र० सं०	चेक सं०/दिनांक	धनराशि	आयकर 2.26%की दर से
1	20256/01.08.12	85625.00	1935.00
2	567802/08.08.12	9720.00	220.00
3	567803/08.08.12	59098.00	1336.00
4	567804/08.08.12	61940.00	1400.00
5	567809/08.08.12	92925.00	2100.00
6	567835	134343.00	2429.00
7	567838	107474.00	1023.00
8	224170/15.03.13	45267.00	1023.00
	योग	596392.00	13479.00

प्रस्तर-7**क्षेत्र पं०-जखनियाँ****लेखा परीक्षा वर्ष- 12-13**

वर्ष 2012-13 में 13 वे वित्त आयोग के अन्तर्गत 1360373.00 के कार्य निम्न विवरणानुसार किये गये-

क्र० सं०	कार्य का नाम	ग्राम पंचायत	कहाँ से कहाँ तक	लागत
1	नाली निर्माण	जाही	हरीवंश गिरी के मकान से ब्रेकिही खरवार के मकान तक	91652.00
2	नाली निर्माण	रामपुर पतारी	विशुनपुर में महेन्द्र राय के खेत से कैलाश राजभर के घर तक	254460.00
3	नाली निर्माण	जफरपुर	हरीजन बस्ती के उत्तर से दक्षिण मार्ग तक	173940.00
4	नाली निर्माण	जही	जयप्रकाश के घर से ढोकी के घर तक	48681.00
5	नाली निर्माण	झोटारी	लल्लन के मकान से बलदेव के मकान के आगे तक	325000.00
6	नाली निर्माण	दुल्लहपुर	दुल्लहपुर बाजार में भोला जायसवाल के घर से रेलवे गेट तक	270060.00
7	नाली निर्माण	देवरीबारी	गोविन्द चौहान के घर से नाला तक	196580.00
			योग—	1360373.00

उपरोक्त व्ययों से सम्बन्धित अभिलेख/प्रमाणक आदि पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः व्ययों की पुष्टि नहीं हो सकी। कार्यों की पुष्टि में सृजित परिसम्पत्ति रजिस्टर, निर्माण कार्य रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, कार्यदेश पत्रावली, वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य सत्यापन रिपोर्ट/कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, कोटेशन एवं टेण्डर पत्रावली आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार व्ययों एवं कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। प्रमाणक/अभिलेख के अभाव में अपुष्टित होने की स्थिति में राजकीय अनुदान के अपहरण/दुरुपयोग की पूर्ण संभावना है। जिस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी—दिनेश कुमार यादव एवं लेखाकार रामबचन राम/कंगन राम तथा कार्य प्रभारी उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

जनपद—गाजीपुर क्षेत्र पं०—भदौरा

लेखा परीक्षा वर्ष—04—05, 05—06

प्रस्तर—1

ले० प० वर्ष में 2004—05 में दुग्ध संग्रह केन्द्र निर्माण पर रू० 6365.00 व्यय अनु०रजि० में दर्शित है। जिसकी पुष्टि में ले०प० में पत्रावली/राज्यादेश कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र सत्यापन पत्र आदि प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे दर्शित व्यय रू० 6365.00 धनराशि की पुष्टि नहीं होती है। वास्तव में दुग्ध संग्रह केन्द्र का निर्माण कराया गया या नहीं यह स्पष्ट नहीं होता है। अतः दर्शित व्यय की वस्तुस्थिति संदिग्ध प्रतीत होती है। जिस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सुशील कुमार सिंह, लेखाकार श्री अवध बिहारी सिंह एवं कार्य प्रभारी जिम्मेदार है। ब्याज सहित वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-2

क्षेत्र पं०-भदौरा

लेखा परीक्षा वर्ष-04-05, 05-06

आलोच्य वर्ष 04-05 में राष्ट्रीय बायोगैस अनुदान शीर्ष के अन्तर्गत रु० 46200.00 व्यय अनु०रजि० के अनुसार दर्शित है। बायोगैस संयंत्र कहाँ-कहाँ लगाये गये एवं किसको भुगतान किया गया इससे सम्बन्धित कोई विवरण यथा लाभार्थियों की पात्रता सूची, कराये गये कार्यों की सत्यापन रिपोर्ट, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, सत्यापन प्रमाणपत्र, कार्यादेश आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं होती है। जिस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सुशील कुमार सिंह, लेखाकार श्री अवध बिहारी सिंह जिम्मेदार है। ब्याज सहित वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-3

क्षेत्र पं०-भदौरा

लेखा परीक्षा वर्ष-04-05, 05-06

आलोच्य वर्ष 04-05 में विधायक निधि योजना के अन्तर्गत 2209110.00 रु० व्यय विभिन्न कार्यों पर दर्शाया गया है। जिसकी पुष्टि में अधिकांश कार्य पत्रावली, कार्यादेश, टेण्डर/कोटेशन पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, सत्यापन प्रमाणपत्र, माप-पुस्तिका, सत्यापित स्टॉक रजिस्टर, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजि०, क्षेत्र पंचायत स्तर पर गठित समिति द्वारा निर्गत पुष्टि प्रमाणपत्र, प्रशासकीय एवं तकनीकी स्वीकृति वैट एवं आयकर कटौती से सम्बन्धित रजि० आदि ले० प० में प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त के संदर्भ में निम्न आपत्तियाँ हैं—

अ. ले० प० में प्रस्तुत सामुदायिक मिलन केन्द्र सम्बन्धित पत्रावली में संलग्न मस्टर रोल की जाँच में दिनांक 01.07.2004 से 07.03.2005 तक कुल रु० 311125.00 का भुगतान मस्टररोल के माध्यम से अनियमित रूप से बिना श्रमिकों के हस्ताक्षर कराये एवं भुगतान की पुष्टि किये बिना मस्टररोल पर किसी भी अधिकारी द्वारा एवं समिति द्वारा पुष्टि नहीं की गई है।

ब. महावीर मंदिर सेवराई तालाब की बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्यप्रभारी श्री ज्वाला प्रसाद श्रीवास्तव द्वारा किया गया है। इसमें कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र एवं एम०बी०बुक नहीं पाया गया। साथ ही दिनांक 01.02.08 को पत्रांक 1820 द्वारा तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री गोविन्द लाल श्रीवास्तव द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है। जिसमें “कोई कार्य नहीं किया गया है” एवं इस पर 1.48 लाख के भुगतान की बात उल्लिखित की गई है। कार्य पत्रावली में निरीक्षण पत्र के साथ कोई अनुपालन पत्रावली संलग्न नहीं पायी गई है। उक्त के संदर्भ में कोई विभागीय कार्यवाही की गई या नहीं इसके सम्बन्ध में कोई पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट करना है कि योजना से सम्बन्धित दर्शित व्यय रु० 2209110.00 के सापेक्ष निर्माण कार्य की पुष्टि नहीं होती है। बिना प्रमाणक संदिग्ध मस्टररोल एवं आवश्यक अभिलेख के बिना व्यय दर्शित करते हुए योजना की धनराशि का आहरण किया गया है। जिस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सुशील कुमार सिंह एवं लेखाकार श्री अवध बिहारी सिंह एवं कार्य प्रभारी जिम्मेदार है। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-4

क्षेत्र पं०-भदौरा

लेखा परीक्षा वर्ष-04-05, 05-06

क्षे० पं० भदौरा जनपद गाजीपुर की अनु०पंजि० भाग-3 की वर्ष 04-05 के अनुसार बैंक में जमा शासकीय अनुदान से प्राप्त ब्याज रु० 37074.00 दर्शाया गया है। प्रारम्भिक अवशेष 1284.00 वर्ष में व्यय 25588.00 एवं अंतिम अवशेष 12770.00 दर्शित हैं। इसी प्रकार वर्ष 05-06 में रु० 61609.00 ब्याज मद में आय दर्शित है। उल्लेखनीय है कि इस मद में प्रा० शेष रु० 12770.00 व्यय शून्य एवं अंतिम अवशेष 74379.00 दर्शित है।

यद्यपि बैंक खाते ले० प० मे अप्रस्तुत रहें। जिससे यह पुष्टि नहीं किया जा सका कि शासकीय अनुदान से किन-किन खातों पर कितना ब्याज कमाया गया। अतएव कमाये गये ब्याज की वास्तविक गणना/पुष्टि किये जाने हेतु बैंक खातें प्रस्तुत किये जाने अपेक्षित है तथा दर्शित किये गये ब्याज रु० 74379.00 को नियमानुसार राजकोष में जमा कर चालान प्रस्तुत कर पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है एवं जमा न किये जाने की स्थिति में बरती जा रही इस अनियमितता हेतु खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है।

अर्जित ब्याज की राशि में 25588.00 रु० व्यय दर्शाया गया है। जिसमें रु० 900.00 टेलीफोन बिल पर व्यय किया गया एवं रु० 24688.00 परियोजना निदेशक को वापस किया गया दर्शित है। किन्तु स्पष्ट नहीं है कि यह किन कार्यों पर व्यय किया गया है। पुनः एस. जी. आर. वाय. (क्षे०प०) ग्रांट रजि० पृ० सं०-93 पर दिनांक 06.08.2005 को खाता सं०- 500239 सं०क्षे० ग्रा०बैंक भदौरा से रु० 40669 की ब्याज प्राप्त हुई है। इसे ब्याज के लेखे (खाता पृष्ठ) में शामिल नहीं कर इसी मद में व्यय कर दिया गया है जो लेखा के दृष्टिकोण से आपत्तिजनक है। इस प्रकार रु० 74739.00 40669.00 व रु० 900.00 कुल 115948.00 हेतु खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-5

क्षेत्र पं०-भदौरा

लेखा परीक्षा वर्ष-04-05, 05-06

इन्दिरा आवास योजना-

ले०प० वर्ष 04-05 में अनु० रजि० के आधार पर इन्दिरा आवास योजना शीर्ष में 1539647.00 रु० व्यय दर्शाया गया है। इस व्यय की पुष्टि में सम्बन्धित अभिलेख/पत्रावली ले०प० में प्रस्तुत नहीं किया गया। ले०प० में लाभार्थियों की अनुमोदित सूची, धनराशि प्राप्त कराये जाने की पुष्टि प्रमाणपत्र लाभार्थियों द्वारा निर्गत प्राप्ति रसीद सत्यापन रिपोर्ट, निरीक्षण आख्या प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे उपरोक्त दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं होती है। अपुष्टि एवं अप्रमाणित होने की स्थिति में राजकीय धनराशि के दुरुपयोग की पूर्ण संभावना है। इस हेतु खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-6

क्षेत्र पं०-भदौरा

लेखा परीक्षा वर्ष-04-05, 05-06

सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (सूखा राहत) शीर्ष के अंतर्गत अनु०रजि० के आधार पर रु० 1282286.00 व्यय विभिन्न कार्यों पर दर्शित है। इससे सम्बन्धित पत्रावली अनुमानित व्यय, माप पुस्तिका, सत्यापन रिपोर्ट कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सृजित चल अचल संपत्ति रजि०, निर्माण कार्य रजि० आदि ले० प० में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे दर्शित व्यय की वास्तविकता की पुष्टि नहीं होती है। जिसमें राजकीय धन का गंभीर वित्तीय अनियमितता की स्थिति हो सकती है। जिस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-7

क्षेत्र पं०-भदौरा

लेखा परीक्षा वर्ष-04-05, 05-06

क्षेत्र पंचायत (70 %) शीर्ष के अन्तर्गत वर्ष 04-05 में 4914894.00 व्यय दर्शित है। इस व्यय की पुष्टि में अभिलेख ले०प० में प्रस्तुत नहीं किये गये एवं कार्यों की पुष्टि में अनुमानित व्यय, माप पुस्तिका, सृजित परिसम्पत्तियों का रजि० सार्वजनिक निर्माण कार्य रजि०, क्रयादेश, टेण्डर/कोटेशन कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र सत्यापन रिपोर्ट, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, क्षे०प० स्तर पर गठित समिति द्वारा पुष्टि प्रमाणपत्र ले०प० में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे दर्शित व्यय धनराशि की पुष्टि किसी भी स्तर से नहीं होती है। जिससे अपुष्टित एवं

अप्रमाणित होने की स्थिति में राजकीय धन का दुरुपयोग संभावित है। जिस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकारी उत्तरादायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-8

क्षेत्र पं०-भदौरा

लेखा परीक्षा वर्ष-04-05, 05-06

एस0जी0आर0वाई0 : के अन्तर्गत वर्ष 04-05 में 376735.00 व्यय दर्शित है। जिसकी पुष्टि सम्बन्धित पत्रावली/अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। श्रमिकों से सम्बन्धित श्रमिक जॉब कार्ड, आदि ले0 प0 में प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे एस0जी0आर0वाई0 के अन्तर्गत कराये गये कार्य की पुष्टि नहीं होती है। अभिलेखों के अभाव में अपुष्टित होने की स्थिति में राजकीय अनुदान के उपभोग की स्थिति संदिग्ध है। जिस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-9

क्षेत्र पं०-भदौरा

लेखा परीक्षा वर्ष-04-05, 05-06

विधायक निधि:

इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 05-06 में रू0 1015391.00 अनु0 रजि0 के अनुसार व्यय दर्शित है। व्यय की पुष्टि में पत्रावली ले0प0 में प्रस्तुत नहीं किया गया एवं कार्यों की पुष्टि में क्रयादेश, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, सत्यापन रिपोर्ट अनुमानित व्यय, माप पुस्तिका, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सार्वजनिक निर्माण कार्य रजि0, सृजित परिसम्पत्तियों का रजि0, सत्यापित स्टॉक रजि0 आदि भी प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे धनराशि व्यय की पुष्टि नहीं होती है। इसमें गंभीर वित्तीय अनियमितता की पूर्ण संभावना है। जिस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार एवं कार्यप्रभारी उत्तरादायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-10

क्षेत्र पं०-भदौरा

लेखा परीक्षा वर्ष-04-05, 05-06

एस0जी0आर0वाई0 : (सूखा राहत): योजना के अन्तर्गत वर्ष 05-06 में रू0 270880 अनु0रजि0 के अनुसार व्यय दर्शित है। व्यय की पुष्टि में कार्यादेश, अनुमानित व्यय, माप पुस्तिका प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजि0, सृजित परिसम्पत्तियों का रजि0 आदि प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे धनराशि व्यय की पुष्टि नहीं होती है। इसमें गंभीर वित्तीय अनियमितता की पूर्ण संभावना है। जिस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार एवं कार्य प्रभारी उत्तरादायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-11

क्षेत्र पं०-भदौरा

लेखा परीक्षा वर्ष-04-05, 05-06

एस0जी0आर0वाई0 : क्षेत्र पंचायत अंश योजना के अंतर्गत वर्ष 05-06 में रू0 3627352 अनु0 रजि0 के अनुसार व्यय दर्शित है। व्यय की पुष्टि में पत्रावली ले0 प0 में प्रस्तुत नहीं किया गया एवं कार्यों की पुष्टि में कार्यादेश, अनुमानित व्यय, माप पुस्तिका प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजि0, सृजित परिसम्पत्तियों का रजि0, सत्यापित स्टॉक रजि0 आदि प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे व्यय की गई धनराशि की पुष्टि नहीं होती है। इसमें निहित गंभीर वित्तीय अनियमितता की पूर्ण संभावना बनी हुई है। जिस

हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार कार्य प्रभारी उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-12

क्षेत्र पं०-भदौरा

लेखा परीक्षा वर्ष-04-05, 05-06

निम्नलिखित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे अप्राप्त होने की स्थिति में राजकीय धन/अनुदान की व्यय की वास्तविकता की पुष्टि नहीं होती है। अतः उक्त व्यय से सम्बन्धित धनराशि अपहरण किया जाना प्रतीत होता है।

दिनांक	चेक संख्या	राशि	उद्देश्य
07.08.2008	026674	10000	कार्यालय मरम्मत हेतु
04.11.2004	345582	7296	रंगाई पोताई हेतु

उपरोक्त से सम्बन्धित फाइल/पत्रावली ले०प० में अप्राप्त रहा अतः उपरोक्त धनराशि दुरुपयोग किया गया प्रतीत होता है। वांछित विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। इस हेतु खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार उत्तरदायी है। अतः उत्तरदायी से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

जनपद-गाजीपुर

क्षेत्र पं०-सादात

लेखा परीक्षा वर्ष-2006-07

प्रस्तर-1

आलोच्य वर्ष 2006-07 में निम्न विवरणानुसार विभिन्न मदों में रु० 2636468.00 वर्षान्त में अवशेष दर्शित है, स्पष्ट है कि अनुदान का समय से उपभोग नहीं किये जाने के फलस्वरूप अनुदान अवशेष पड़ा रहा। अनुदान को रोके जाने का कोई कारण भी लेखा परीक्षा में स्पष्ट नहीं किया गया।

राजकीय अनुदानों का भारी मात्रा में अवशेष दिखाये जाने से स्पष्ट होता है जिस कार्य हेतु अनुदान प्राप्त किये गये थे, वे कार्य नहीं कराये गये। इससे सम्बन्धित अधिकारियों का सम्बन्धित कार्यों के प्रति शिथिलता स्पष्ट होती है। विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस ओर अपेक्षित है।

अतः अप्रयुक्त अनुदान रु० 2636468 वित्तीय सहायतादाता को वापस न कर विभागीय व्यवस्थाओं एवं शासकीय निर्देशों के विपरीत कार्य किया गया है, जिस हेतु तत्कालीन वीडिओ जगदीश त्रिपाठी, लेखाकार फुलेश्वर राम उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

क्र० सं०	विवरण	धनराशि
1	बायोगैस	18500.00
2	वेतन जेएसी (एनआरईपी)	118752.00
3	स्व०रो०यो०	371172.00
4	जेएसी (एनआरईपी) से वसूली का धन	80000
5	एसजीआरवाई (क्षे०पं०अंश)	1372655.00

6	राज्य वित्त (क्षेत्र 0 पं 0 अंश)	258278.00
7	प्रासंगिक विविध व्यय	32466.00
8	निर्धूल चूल्हा व रख-रखाव	5592.00
9	स्व 0 श्री घनश्याम राय जेईसीआरईएस से वसूली का धन	14053.00
10	आदर्श जलाशय योजना	365000.00
	कुल योग-	2636468.00

क्षेत्र पं 0-सादात
लेखा परीक्षा वर्ष-2006-07

प्रस्तर-2

स 0 ग्रा 0 रो 0 यो 0 के अन्तर्गत वर्ष 2006-07 में 9388360.00 रु 0 व्यय किया गया, लेकिन निम्न कार्यों से सम्बन्धित कोई भी प्रमाणक यथा बाउचर, मापन पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, सत्यापन रिपोर्ट आदि मांग के बाद भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे निम्न व्ययों की पुष्टि नहीं की जा सकी-

क्र 0 सं 0	दिनांक	चेक सं 0	अनुदान रजि 0 में अंकित कार्यों का विवरण	धनराशि	कार्य प्राधिकारी
1	20.04.06	061565	फौलादपुर एलआर का शेष भाग	109588	पत्रावली अनुपलब्ध
2	20.04.06	061566	चौरापुर कादीपुर एलआर	64056	पत्रावली अनुपलब्ध
3	26.05.06	224538	क्षेत्र 0 पं 0 अंश (एसजीआरवाई)	2838213	पत्रावली अनुपलब्ध
4	05.06.06	061567	धतरा में पोखरा खुदाई	189588	पत्रावली अनुपलब्ध
5	05.06.06	061569	दौलतपुर में पोखरा खुदाई	93240	पत्रावली अनुपलब्ध
6	10.07.06	061571	4 सम्पर्क मार्गों के खाद्यान्न का नगद भुगतान	178437	पत्रावली अनुपलब्ध
7	10.07.06	061572	5 सम्पर्क मार्गों के खाद्यान्न का नगद भुगतान	257775	पत्रावली अनुपलब्ध
8	11.07.06	061573	4 सम्पर्क मार्गों के खाद्यान्न का नगद भुगतान	230118	पत्रावली अनुपलब्ध
9	11.07.06	061574	32 विकास कार्यों पर राहत आपूर्ति का भुगतान	76800	पत्रावली अनुपलब्ध
10	12.07.06	061575	5 विकास कार्यों पर राहत आपूर्ति का भुगतान	161331	पत्रावली अनुपलब्ध
11	12.07.06	061576	4 निर्माण कार्यों पर खाद्यान्न का नगद भुगतान	218379	पत्रावली अनुपलब्ध
12	23.10.06	061577	-----	232278	पत्रावली अनुपलब्ध
13	23.10.06	061579	2 ड्रेन 06-07 का भुगतान	310302	पत्रावली अनुपलब्ध

14	27.10.06	061580	एलआर गाजीपुर कार्य रोड पर	60606	पत्रावली अनुपलब्ध
15	27.10.06	061581	एलआर गाजीपुर मार्ग से यादव बस्ती	62160	पत्रावली अनुपलब्ध
16	27.10.06	061582	मिर्जापुर निठोहर बस्ती से बनगांव नदी तक ड्रेन	126651	पत्रावली अनुपलब्ध
17	01.11.06	061583	2 सम्पर्क मार्गों का भुगतान	133660	पत्रावली अनुपलब्ध
18	01.11.06	061584	एक मार्ग 06-07 का भुगतान	34329	पत्रावली अनुपलब्ध
19	28.11.06	061585	नदी की सिल्ट सफाई हेतु	90000	पत्रावली अनुपलब्ध
20	28.11.06	061586	इकरा उदर मैक एलआर 06-07	293365	पत्रावली अनुपलब्ध
21	28.11.06	061587	तीन सम्पर्क मार्गों का भुगतान	241081	पत्रावली अनुपलब्ध
22	28.11.06	061588	तीन सं० मार्ग का भुगतान	167795	पत्रावली अनुपलब्ध
23	26.12.06	061589	चार सं० मार्गों के खाद्यान्न अंश का नगद भुगतान	177807	पत्रावली अनुपलब्ध
24	26.12.06	061590	तीन एलआर ड्रेन के खाद्यान्न अंश का नगद भुगतान	253302	पत्रावली अनुपलब्ध
25	26.12.06	061591	दो सं० मार्गों के खाद्यान्न अंश का नगद भुगतान	31731	पत्रावली अनुपलब्ध
26	06.12.06	061592	भाला-गाजीपुर मार्ग पर खाद्यान्न अंश का नगद भुगतान	28980	पत्रावली अनुपलब्ध
27	26.12.06	061593	गजीपुर से सरसौली एलआर खाद्यान्न अंश का नगद भुगतान	28980	पत्रावली अनुपलब्ध
28	28.12.06	061595	8 इंदिरा आवास हेतु	200000	पत्रावली अनुपलब्ध
29	28.12.06	061596	1 इंदिरा आवास हेतु	25000	पत्रावली अनुपलब्ध
30	28.12.06	061597	1 इंदिरा आवास हेतु	25000	पत्रावली अनुपलब्ध
31	28.12.06	061598	3 इंदिरा आवास हेतु	75000	पत्रावली अनुपलब्ध
32	16.01.07	072051	सटैफ ताल से उदली नदी तक ड्रेन	253820	पत्रावली अनुपलब्ध
33	01.02.07	072052	-----	57540	पत्रावली अनुपलब्ध
34	01.02.07	072055	1-मिर्जापुर एलआर, 2-कटेरी-खनजुरा एलआर, 3-बरकला एलआर	142390	पत्रावली अनुपलब्ध
35	01.02.07	072057	परसनी कला एलआर	120940	पत्रावली अनुपलब्ध
36	06.02.07	072058	1-मिर्जापुर एलआर, 2-खुटही एलआर	193032	पत्रावली अनुपलब्ध
37	06.02.07	072059	1-सादात खाद्यान्न अंश, 2-कनेरी विस्तार ड्रेन	289350	पत्रावली अनुपलब्ध

38	07.02.07	072060	1—मजूही, जखनिया, बिजही, 2—निरंजन कटरवा एलआर	196040	पत्रावली अनुपलब्ध
39	12.02.07	072062	प्यारेपुर नहर की पुलिया से मिर्जापुर तक एलआर	95700	पत्रावली अनुपलब्ध
40	13.02.07	072063	डतरा पुल उकराव	224245	पत्रावली अनुपलब्ध
41	13.02.07	072064	कृषक महाविद्यालय से उठक्कल तक एलआर	196156	पत्रावली अनुपलब्ध
42	14.02.07	072065	1—बघाई हरि0 बस्ती से एलआर, 2—भर बस्ती एलआर, 3—गुदाईपुर गहरौली एलआर	291450	पत्रावली अनुपलब्ध
43	20.02.07	233034	राज्यांश	262697	पत्रावली अनुपलब्ध
			कुल —	9338702.00	

उपर्युक्त व्ययों से सम्बन्धित पत्रावली/प्रमाणकों के अभाव में दर्शित धनराशियों की पुष्टि नहीं होती है, एवं कृत कार्यों से सम्बन्धित आवश्यक अभिलेख व कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः दर्शित व्ययों एवं सम्बन्धित कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। जिससे राजकीय अनुदान का दुरुपयोग/अपहरण संभावित है। जिस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार एवं कार्य प्रभारी उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-3

क्षेत्र पं०—सादात

लेखा परीक्षा वर्ष— 2006—07

राज्य वित्त (क्षे०पं०अंश) के अन्तर्गत वर्ष 2006—07 के अनुदान रजि० द्वितीय में 3110086 रु० व्यय किया गया दर्शात है। लेकिन निम्न कार्यों से संबन्धित कोई भी प्रमाणक, कार्यों से संबंधित पत्रावली, मापन पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, सत्यापन रिपोर्ट, सृजित परि०रजि० आदि मांग के बाद भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे निम्न व्ययों एवं कार्यों की पुष्टि नहीं की जा सकी—

क्र० सं०	दिनांक	चेक सं०	अनुदान रजि० द्वितीय में अंकित कार्यों का विवरण	धनराशि	कार्य प्राधिकारी
1	09.11.06	029858	05—06 का अंश व तृतीय किस्त 06—07 का राज्यांश	930875	पत्रावली अनुपलब्ध
2	14.02.07	036339	द्वितीय किस्त गोदालीपुर में एलआर	1564398	पत्रावली अनुपलब्ध
3	15.02.07	072066	गुदाईपुर में एलआर	194590	पत्रावली अनुपलब्ध
4	15.02.07	072067	खड़जा कार्य	83285	पत्रावली अनुपलब्ध
5	16.02.07	072068	तीन सं० मार्गों का भुगतान	276254	पत्रावली अनुपलब्ध
6	16.02.07	072069	खाद्यान्न अंश खुटही	59094	पत्रावली अनुपलब्ध
			कुल—	3108496.00	

उपर्युक्त व्ययों से संबंधित पत्रावली/प्रमाणकों/बाउचरों के अभाव में दर्शित व्यय अपुष्ट रही एवं कृत कार्यों से संबंधित पत्रावली, सृजित परि० का रजि० कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, मापन पुस्तिका प्रशासकीय एवं तकनीकी स्वीकृति आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जाने से पुष्टि नहीं होती है। अतः राजकीय अनुदान का अपहरण/ है। जिस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार तथा कार्य प्रभारी उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-4

क्षेत्र पं०-सादात

लेखा परीक्षा वर्ष- 2006-07

अनुदान रजिस्टर तृतीय के अनुसार आलोच्य वर्ष में बायोगैस अनुदान मद में 12600 कर भुगतान किया गया दर्शित है। परन्तु लेखा परीक्षा में पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं रहा। अतः लाभार्थियों ने संयंत्र बनाया या नहीं बनाया इसकी पुष्टि नहीं हो पाती है। अपुष्टित होने की स्थिति में राजकीय अनुदान का दुरुपयोग है। जिस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी-जगदीश त्रिपाठी एवं लेखाकार-फुलेश्वर राम एवं कार्य प्रभारी उत्तरदायी है। जिनके विरुद्ध कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-5

क्षेत्र पं०-सादात

लेखा परीक्षा वर्ष- 2006-07

दिनांक-31.03.07 को अर्जित ब्याज के अन्तर्गत 502185.95 रु० दर्शाया जा रहा है। संस्था के अभिलेख में इस कमाये गये ब्याज को योजनावार दर्शित नहीं किया जा रहा है। शासनादेश सं०-ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010, दिनांक 21 मार्च, 2012 के अनुसार यह अर्जित ब्याज नियमानुसार संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय है और इस धनराशि रु० 502185.95 को राजकोष में जमा किया जाना अपेक्षित है। अतएव अंकन रु० 502185.95 रु० ब्याज की धनराशि को राजकीय कोष में खण्ड विकास अधिकारी द्वारा जमा नहीं कराया गया है एवं रोककर रखा गया है। इस प्रकार जान बुझकर अनियमितता करने के उद्देश्य से राजकोष में जमा न करने हेतु आहरण वितरण अधिकारी खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-6

क्षेत्र पं०-सादात

लेखा परीक्षा वर्ष- 2006-07

आदर्श जलाशय योजना के अन्तर्गत वर्ष 2006-07 में 135000 रु० व्यय अनुदान रजिस्टर के अनुसार दर्शित है। जिसकी पुष्टि में संबंधित पत्रावली/अभिलेख आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं होती है। अतः अपुष्टित एवं अप्रमाणित होने की स्थिति में राजकीय अनुदान का दुरुपयोग की पूर्ण संभावना है। इस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी-जगदीश त्रिपाठी व लेखाकार-फुलेश्वर राम एवं कार्य प्रभारी उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही अपेक्षित है।

जनपद—गाजीपुर

क्षेत्र पं०—मनिहारी

लेखा परीक्षा वर्ष— 2004—05

प्रस्तर—1

वर्ष 2004—05 में निम्न विवरणानुसार योजनार्गत मदों में रू० 3352382.00 वर्ष के अन्त में अवशेष रह गया स्पष्ट है कि अनुदान का समय से उपभोग नहीं किए जाने के फलस्वरूप अनुदान अवशेष रहा। अनुदान को व्यय करने से रोके जाने का कोई भी कारण लेखा परीक्षा में स्पष्ट नहीं किया गया।

राजकीय अनुदानों का भारी मात्रा में अवशेष दिखाए जाने से स्पष्ट होता है कि जिस कार्य हेतु अनुदान प्राप्त किए गए हैं वे कार्य नहीं कराए गए। इससे संबंधित अधिकारियों का संबंधित कार्यों के प्रति शिथिलता स्पष्ट होती है। विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस ओर विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है। साथ ही योजनार्गत अनुप्रयुक्त अनुदान रू० 3352382.00 वित्तीय सहायता दाता को वापस किया जाना अपेक्षित है। शासनादेश सं०—2501/026—03—99—4(215) दिनांक—04.08.99 के अनुसार अवशेष अनुदान की धनराशि यथा” शीघ्र शासन को वापस कर दी जानी चाहिए। किन्तु वापस नहीं किया गया है। इस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री मेवालाल व लेखाकार श्री वंश लोचन श्रीवास्तव उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

योजनार्गत अप्रयुक्त अनुदान का विवरण—

क्रमांक	विवरण	अवशेष धनराशि
1	बायोगैस	2710.00
2	इन्दिरा आवास	64780.00
3	सु०रो० योजना	00.10
4	स०ग्रा०रो० योजना क्षेत्र पं० अंश (03—04)	4318.00
5	स०ग्रा०रो० योजना सुखा राहत	6785.00
6	युवक मंगल दल	2000.00
7	निर्धुम चूल्हा	1500.00
8	स०ग्रा०रो० योजना क्षेत्र पं० अंश (04—05)	2594185.00
9	राज्य वित्त क्षेत्र पं०	676104.00
	योग	3352382.10

उपरोक्त में अवशेष आयकर, राशि, वेतन, प्रासंगिक व्यय, टेलिफोन व्यय, लेखन सामग्री आदि सम्मिलित नहीं है। इस पर टिप्पणी की गयी है।

प्रस्तर-2

क्षेत्र पं०-मनिहारी

लेखा परीक्षा वर्ष- 2004-05

ग्रान्ट रजिस्टर द्वितीय व तृतीय के अनुसार आलोच्य वर्ष में बायोगैस अनुदान मद में रु० 57900.00 का भुगतान किया गया है। इस मद में अनुदान रजि० II व III के प्रा० अवशेष 12650.00 प्राप्त अनु०-47960.00 व्यय 57900.00 एवं अवशेष 2710.00 दर्शित है। बायोगैस अनुदान मद में रु० 57900.00 के व्यय से संबंधित लाभार्थियों की पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे व्यय की गई धनराशि की वस्तु स्थिति की पुष्टि नहीं होती है। संबंधित धनराशि का उपयोग बायोगैस संयंत्र बनवाने में उपयोगित रही या नहीं इसकी पुष्टि कार्यपुर्ति प्रमाण पत्र, सत्यापन रिपोर्ट आदि के अभाव में नहीं होती है। अपुष्टि होने की स्थिति में राजकीय धन का दुरुपयोग की पूर्ण संभावना है जिस हेतु बी.डी.ओ. श्री मेवालाल एवं लेखाकार श्री वंश लोचन श्रीवास्तव उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-3

क्षेत्र पं०-मनिहारी

लेखा परीक्षा वर्ष- 2004-05

दिनांक-31.03.2005 को अर्जित ब्याज के अन्तर्गत 112303.00 रु० वर्ष में विभिन्न खातों पर प्राप्त ब्याज दर्शाया जा रहा है। शासकीय व्यवस्था के अनुसार शासन द्वारा अवमुक्त धनराशियों को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी और अर्जित ब्याज/आय को राजकोष में जमा कर दिया जाये।

क्षे०पं०-मनिहारी, जनपद गाजीपुर की अनुदान पंजिका भाग-3 की वर्ष 2004-05 के अनुसार बैंक में जमा शासकीय अनुदान से प्राप्त ब्याज रु० 112303.00 अर्जित किया गया है। उल्लेखनीय है कि इस मद में प्रा० अवशेष 219775.10 वर्ष में प्राप्त 112303.00 वर्ष में व्यय 60356.00 व अवशेष 271742.10 दर्शित है। यद्यपि बैंक खाते लेखा परीक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए। जिससे यह पुष्ट नहीं किया जा सका कि वास्तव में शासकीय अनुदान से कितना ब्याज कमाया गया। अतएव कमाये गए ब्याज की वास्तविक गणना/पुष्टि किए जाने हेतु बैंक खाते प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है तथा दर्शित किए गए ब्याज अंकन रु० 271742.10 नियमानुसार राजकोष में जमाकर चालान प्रस्तुत कर पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है और जमा न किए जाने की स्थिति में बढ़ती जा रही इस अनियमितता हेतु खण्ड विकास अधिकारी श्री मेवालाल एवं लेखाकार श्री वंश लोचन श्रीवास्तव उत्तरदायी है।

अर्जित ब्याज की धनराशि में से रु० 60336.00 की धनराशि व्यय दर्शायी जा रही है किन्तु यह स्पष्ट नहीं रहा कि यह धनराशि जमा न कर अनियमितता के रूप में अंकन रु० 60336.00 व्यय कर शासकीय धनराशि का दुरुपयोग करते हुए शासकीय धन की क्षति की गयी है जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री मेवालाल एवं लेखाकार श्री वंश लोचन श्रीवास्तव उत्तरदायी है।

अतः खण्ड विकास अधिकारी श्री मेवालाल एवं लेखाकार श्री वंश लोचन श्रीवास्तव से अंकन रु० 60336.00 सहित 271742.10 ब्याज सहित वसूली कर राजकोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही जमा की पुष्टि में चालान प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

प्रस्तर-4

क्षेत्र पं०-मनिहारी

लेखा परीक्षा वर्ष- 2004-05

लेखा परीक्षा वर्ष 2004-05 में अनुदान रजि० II के आधार पर इन्दिरा आवास हेतु निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित किया गया है। जिसका विवरण निम्नवत है-

दिनांक	नाम लाभार्थी/जिसे चेक निर्गत किया गया है	चेक संख्या	धनराशि
27.07.04	श्रीमती बादामी पुत्र श्री लक्षिराम, ग्राम-खुटहन, द्वितीय किस्त का भुगतान	32818	9647.00
09.09.04	यू0बी0आई0 शादियाबाद, समग्र गाँव सराय मानिकराम के 21 लाभार्थियों में से 14 नए एवं 7 पुराने हेतु भुगतान	359001	350000.00
09.09.04	डी0सी0बी0 शादियाब से ग्राम-सराय मानिकराम को दो पुराना हेतु (2X10000) दर से भुगतान	359002	20000.00
09.09.04	शाखा प्रबन्धक संयुक्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बुजुर्गा द्वारा चक सिकन्दरा के 4 में से 1-1 ए एवं 3 स्तरोन्नयन हेतु भुगतान	359004	50000.00
09.09.04	श्री हरिराम पुत्र श्री कुबेर राम, मनिहारी के ऋण किस्त का भुगतान	359006	3000.00
30.09.04	सं0क्षे0ग्रा0 बैंक बुजुर्गा द्वारा सराय गोकुल में 6 नए एवं 4 स्तरोन्नयन हेतु भुगतान	359009	160000.00
30.09.05	शाखा प्रबन्धक यू0बी0आई0मनिकपुरा द्वारा लालपुरहरा में 3 नव निर्माण एवं 6 स्तरोन्नयन हेतु भुगतान	359015	120000.00
06.10.14	शाखा प्रबन्धक यू0बी0आई0का धरा द्वारा कुकुड़ा में 3 नव निर्माण एवं 6 स्तरोन्नयन हेतु भुगतान	359015	120000.00
19.10.04	शाखा प्रबन्धक एस0के0जी0मनिहारी द्वारा पासोतिया में 5 नया एवं 8 स्तरोन्नयन हेतु भुगतान	359018	180000.00
10.11.04	शाखा प्रबन्धक यू0बी0आई0 कटघरा द्वारा सौरी में 10 नये एवं 18 पुराने हेतु भुगतान	359042	380000.00
11.01.05	सं0क्षे0ग्रा0 बैंक द्वारा सराय गोकुल में 2 नए एवं 10 स्तरोन्नयन हेतु भुगतान	359052	140000.00
27.01.05	शाखा प्रबन्धक यू0बी0आई0 मनिकपुरा द्वारा श्री नवी रसूल पुत्र श्री रमजान वाजिदपुर को भुगतान	359055	25000.00
29.02.05	राज नारायण पुत्र श्री महादेव को भुगतान एस0के0जी0 द्वारा मौलिया व रमजान को भुगतान	359060 429144	10000.00 19294.00
		योग-	1586941.00

अनुदान रजि० III में इन्दिरा आवास शीर्ष में कुल 1576941.00 रु० व्यय दर्शित है किन्तु ग्रांट रजि० II के अनुसार उपरोक्त विवरण के आधार पर कुल 1586941.00 का व्यय विवरण दर्शित है। इस प्रकार 10000.00 से अधिक व्यय आधारहीन किया गया प्रतीत होता है। उल्लेखनीय है कि इस मद में ग्रा० बैलेन्स 49866.00 वर्ष में प्राप्त 1545000.00 वर्ष में व्यय 1576941 एवं अवशेष (31.03.05) को 17925.00 दर्शित है। इस प्रकार ग्रांट रजि०— III एवं ग्रांट रजि०— II में 10000.00 का अन्तर है। इससे स्पष्ट है कि ग्रांट रजि० पर अंकित लेखों का मिलान व जाँच विभागीय अधिकारी व लेखाकार द्वारा नहीं किया जाता है जो लेखा सिद्धान्तों के विपरीत कार्य एवं गंभीर प्रकरण है। इसमें राजकीय अनुदान के दुरुपयोग की पूर्ण सम्भावना है। इस प्रकार मांग के बावजूद उक्त योजना में दर्शित व्ययों से संबंधित प्रमाणकों/पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी तथा कार्यों की पुष्टि में कार्य पुष्टि में कार्य विवरण पत्र, सत्यापन रिपोर्ट, माप पुस्तिका, चयनित पात्र लाभार्थियों की सूची, सृजित आवास सम्बन्धित विवरण पत्र, सत्यापन रिपोर्ट सहित क्षेत्र पंचायत स्तर पर गठित समितियों के पुष्टित/प्रमाणित अभिलेख (कार्यवाही की प्रति) लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया। जिससे सम्बन्धित व्ययों एवं उसके सापेक्ष कराए गए कार्यों की वस्तु स्थिति की पुष्टि नहीं होती है। अतः विकास खण्ड स्तर पर अभिलेखों के अभाव में अपुष्टित एवं अप्रमाणित होने की स्थिति में राजकीय अंशदान का अपहरण की पूर्ण संभावना है। लेखा परीक्षा में अभिलेखों का न रखा जाना यह एक गम्भीर प्रकरण है। जिस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री मेवालाल एवं लेखाकार श्री वंश लोचन श्रीवास्तव एवं कार्य प्रभारी उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-5

क्षेत्र पं०—मनिहारी

लेखा परीक्षा वर्ष— 2004—05

सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना क्षेत्र पं० अंश (03—04) में आलोच्य वर्ष 2004—05 में कुल 3026908.00 रु० अनुदान रजि० II में दर्शित विभिन्न कार्यों पर व्यय दिखाकर खारिज किया गया है। सम्बन्धित कार्यों से कोई भी पत्रावली/प्रमाणक, मापन पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, सत्यापन रिपोर्ट, निरीक्षण पुस्तिका, सृजित परि०रजि०, कोटेशन, टेन्डर पत्रावली, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति आदि मांग के बाद भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जो गम्भीर आपत्ति का विषय है। जिसके कारण व्ययों की पुष्टि नहीं की जा सकी। सम्पूर्ण ग्रा०रो० योजना क्षेत्र पंचायत अंश (03—04) के अन्तर्गत कराए गए कार्यों का विवरण—

क्रमांक	उत्तरदायी व्यक्ति/कार्य प्रभारी	पंचायत का नाम	कार्य विवरण	चेक संख्या	दिनांक	धनराशि
1	—	खुटहन	धुरभारी के घर से रामवृक्ष के घर तक पकिया कार्य	15822	01.06.04	17618.00
2	—	त्रिलोकपुर	त्रिलोकपुर पुलिया से चमक पाल मौजा तक अवशेष कार्य	15822	01.06.04	40913.00
3	—	कनेरी	चौहान बस्ती से हरिहरपुर मार्ग तक मिट्टी कार्य	15823	02.06.04	14590.00

4	—	धावा	धावा पी0डब्ल्यू0डी0 सड़क से नहर पकिया तक मिट्टी कार्य	15824	07.06.04	13818.00
5	—	गोरारीगाँ	बदनपुर नहर से दक्षिण गोरारी गाँव तक मिट्टी कार्य	15824	07.06.04	45080.00
6	—	खलीलपुर चौरा	सियार खुर्द नहर से खलीलपुर चौसा तक मिट्टी कार्य	15825	17.06.04	3703.00
7	—	गेरारी से जलालपुर	गेरारी गाँव से जलीलपुर तक मिट्टी कार्य	15825	17.06.04	27600.00
8	—	भगरिथपुर	पी0डब्ल्यू0डी0 प्रधानमंत्री सड़क योजना से गोपालपुर खडंजा से आगे भगरिथपुर में मिट्टी कार्य	15826	22.06.04	33327.00
9	—	रसूलपुर	मारकण्डेय के बगीचा से शिवा बाबा की कुटी तक खडंजा हेतु ईट आपूर्ति	15829	22.06.04	165166.00
10	—	कुकुढा से पढरी	कुकुढा से पढरी के बीच पकिया निर्माण पर मजदूरी	15830	25.06.04	4987.00
11	—	कटघरा	कटघरा मेला गेट से गाँव तक खडंजा पर कार्य	15831	25.06.04	27992.00
12	—	सिखड़ी	हंसराजपुर दुल्हपुर मार्ग से सिखड़ी यादव बस्ती तक खडंजा कार्य	15835	29.06.04	44321.00

13	—	बैरीसाल सुल्तानपुर से हरिजन बस्ती	बैरीसाल सुल्तानपुर से दक्षिण हरिजन बस्ती तक सम्पर्क मार्ग पर मिट्टी कार्य	15836	05.07.04	39704.00
14	—	बरहट	नरहर से विरिथा मार्ग के बीच प्रजापति के घर तक पकिया निर्माण	15839	16.07.04	81319.00
15	—	नसूलपुर	मारकण्डे के बगीचे से शिवा बाबा कुटी जक खडंजा	15842	27.07.04	37776.00
16	—	—	रदवारधन सौरी में शंकर के घर तक मिट्टी कार्य	15842	27.07.04	38689.00
17	—	—	निघात बैरियर से देवनन्दन के खेत तक मिट्टी कार्य	15843	30.07.04	28980.00
18	—	—	आयकर कटौती 01.04.04 से 30. 07.04 तक	—	—	5263.00
19	—	मुबारकपुर	मुबारकपुर पी0डब्ल्यू0डी0 सड़क से सेमाइना मार्ग पर पकिया निर्माण	15846	25.08.04	17573.00
20	—	—	स्पा इण्टर प्राइजेज रौजा, गाजीपुर को ह्यूम पाइप हेतु भुगतान	15847	25.08.04	31963.00
21	—	सालिमपुर	सालिमपुर स्कूल से पोखरा तक सम्पर्क पर भुगतान	15848	06.09.04	31963.00

22	—	सलेमपुर	सलेमपुर जंगली इण्टर कालेज से सलेमपुर तक सम्पर्क मार्ग पर ईट आपूर्ति	15850	15.09.04	160620.00
23	—	बुजुर्गा सलेमपुर	बुजुर्गा सलेमपुर में पोखरा खुदाई कार्य	15851	24.09.04	94024.00
24	—	हंसराजपुर	हंसराजपुर नसीरपुर पीपर पाती सम्पर्क मार्ग पर पकिया कार्य	15851	24.09.04	10936.00
25	—	धावा	धावा मुहब्बतपुर रजई क घर तक सम्पर्क मार्ग निर्माण	15851	24.09.04	8809.00
26	—	धावा	धावा तलिया से भदैयाताल तक की मजदूरी	15853	01.10.04	48300.00
27	—	ओझीपुर	ओझीपुर प्रा०पा० के पास पोखरा खुदाई	15852	—	62340.00
28	—	धावा	नगीना के घर से सरजु कुशवाहा के घर तक सम्पर्क मार्ग पर कार्य	15853	01.10.04	50680.00
29	—	सराय मनिकराय	देवकली पम्प कैनाल से रामपुर तक सम्पर्क मार्ग पर कार्य	15854	01.10.04	8695.00
30	—	धावा	धावा पी०डब्ल्यू०डी सड़क से नहर, पुलिया जलालपुर तक मिट्टी कार्य	15855	01.10.04	8695.00
31	—	धावा	पाखण्डी के घर से रामपुर तक विद्युत कार्य	15855	01.10.04	8695.00

32	—	रसूलपुर	रसूलपुर यादव बस्ती से पूरब पोखरा खुदाई कार्य	15856	08.10.04	77795.00
33	—	जलालपुर से सराय गोकुल	जलालपुर से सराय गोकुल नहर पट्टी पर मिट्टी कार्य	15857	08.10.04	69552.00
34	—	कनेरी	कनेरी, सुखराम यादव के खेत से ताल तक ड्रेनेज खुदाई कार्य	15858	01.10.04	37674.00
35	—	कटघरा	कटघरा सुखा सम्पर्क मार्ग से कब्रिस्तान तक मिट्टी कार्य	15859	10.10.04	28980.00
36	—	ओझीपुर	डीहबाबा के स्थान से सम्पर्क मार्ग पर मिट्टी कार्य	18961	19.10.04	28980.00
37	—	फिरोजपुर	फिरोजपुर पीच सड़क से चाल बस्ती से काकरचक यादव बस्ती तक खड़जा	18962	19.10.04	103270.00
38	—	सौरी	चण्डी माई स्थान से कल्याणपुर रोड तक सम्पर्क मार्ग पर कार्य	18963	30.10.04	39928.00
39	—	सलेमपुर	सलेम जंगली इण्टर कालेज से सलेमपुर गाँव तक खड़जा कार्य	18964	02.11.04	28674.00
40	—	परेवा	परेवा नहर से जयराम यादव के घर तक सम्पर्क मार्ग पर कार्य	18965	06.11.04	33166.00
41	—	ओझीपुर	डीहबाबा के पास	18966	06.11.04	15584.00

			पोखरा कार्य का भुगतान			
42	—	—	जगपत राम हवलदार के घर से पीच सड़क तक कार्य	18967	03.11.04	30402.00
43	—	गोरारी	गोरारी पीच सड़क से कादीपुरा तक कार्य	18968	03.11.04	25599.00
44	—	जलालपुर सराय गोकुल	जलालपुर सराय गोकुल नहर पर कार्य	18969	30.11.04	44919.00
45	—	सुजानपुर	सुतनीपुर पकिया के आगे सम्पर्क मार्ग	18970	04.12.04	103040.00
46	—	मुबारकपुर	मुबारकपुर में पोखरा खुदाई	18971	04.12.04	31878.00
47	—	—	जगपत राम हवलदार के घर से पीच सड़क तक मरम्मत कार्य	18972	04.012.04	9378.00
48	—	सुजनीपुर	सुजनीपुर शिव मन्दिर से क्षेत्रा0 विद्यालय तक कार्य	18972	04.012.04	24961.00
49	—	रसूलपुर	मारकण्डेय के बगीचा से रसूलपुर तक कार्य	18972	04.12.04	10349.00
50	—	मनेरपुर	छतयाचट्टी से मनेरपुर चौहान बस्ती तक कार्य	18972	04.12.04	34776.00
51	—	सिंहाकारी	कैलाश यादव के घर से प्रमोद के घर तक कार्य	18974	13.12.04	10360.00
52	—	कादीपुर	हुसेनपुर में पुलिया निर्माण	18975	13.12.04	18675.00

53	—	देवकली	देवकली पम्प कैनाल से विरोन नदी तक ड्रेनेज कार्य	18976	13.12.04	32361.00
54	—	खुटहन	मुबारकपुर से पसला मार्ग पर खुटहन में दुलारी के घर तक सम्पर्क मार्ग पर कार्य	18977	13.12.04	15114.00
55	—	परसोतिया	परसोतिया में तलाब खुदाई कार्य	18978	13.12.04	57960.00
56	—	खुटहन	खुटहन मार्ग पर मिट्टी कार्य	18979	13.12.04	38640.00
57	—	कुकुड़ा	कुकुड़ा से पढ़री मार्ग तक मिट्टी कार्य	18980	13.12.04	38640.00
58	—	बरहर	बरहर अस्पताल से उत्तर सिंह नारायणपुर जाने वाले मार्ग पर मिट्टी कार्य	19726	03.01.05	28980.00
59	—	सुल्तानपुर	सुल्तानपुर पुलिया से आगे मिट्टी कार्य	19725	03.01.05	21130.00
60	—	खुटहन	खुटहन से उमराव मार्ग पर मिट्टी कार्य	19731	06.01.05	38640.00
61	—	कुकुड़ा	हरिजन बस्ती से पढ़री मार्ग पर मिट्टी कार्य	19732	06.01.05	38640.00
62	—	शादियाबाद	शादियाबाद पी0डब्ल्यू0डी रोड से सादात माइनर पटरी तक	19734	18.01.05	27531.00
63	—	सियार खुर्द	शिवजी मन्दिर के पास पोखरा खुदाई	19734	18.01.05	23667.00

64	—	कटघरा	कटघरा शादियाबाद रोड से शेषनाथ के घर तक कार्य	19735	18.01.05	6762.00
65	—	टड़ियात	टड़ियात प्रा० विद्यालय से सुभगराज के दरवाजे तक मिट्टी कार्य	19735	18.01.05	28980.00
66	—	रसूलपुर	पोखरा खुदाई कार्य	19737	18.01.05	19449.00
67	—	बुजुर्गा सलेमपुर	बुजुर्गा में पोखरा खुदाई कार्य	19732	18.01.05	23506.00
68	—	मुबारकपुर	पोखरा खुदाई कार्य	44822	05.02.05	29946.00
69	—	परसोतिया	पोखरा खुदाई कार्य	44827	11.02.05	17388.00
70	—	सियार खुर्द	शिव मन्दिर के पास पोखरा खुदाई	44828	11.02.05	13386.00
71	—	देवकली	देवकली नाला से बिरनो नदी तक ड्रेनेज कार्य	10255	23.03.05	13524.00
72	—	शादियाबाद	शादियाबाद भितरी मार्ग से बादशाहपुर जाने वाली सड़क पर पकिया निर्माण हेतु भुगतान	10256	23.03.05	4681.00
					योग—	2595899.00

अनुदान रजि० III में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना क्षेत्र (03-04) शीर्ष में कुल व्यय 3026908.00 रु० दर्शित है। किन्तु ग्रांट रजि० II के अनुसार उपरोक्त विवरण के अनुसार पर 2595899.00 का ही कार्य दिखलाकर भुगतान किया गया है शेष (3026908-2595899) रु० 431009 रु० अन्तर की धनराशि का कोई कार्य अनुदान रजि० में अंकित नहीं है और न ही कोई पत्रावली ही इस सम्बन्ध में प्रयुक्त की गई। इस प्रकार लेखा परीक्षा में मांग के बावजूद उक्त योजना में दर्शित व्ययों/कार्यों से सम्बन्धित प्रमाणकों/पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी तथा कार्यों की पुष्टि में कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र/सत्यापन रिपोर्ट, माप पुस्तिका, सत्यापित सृजित सम्पत्तियों का रजि० क्षेत्र पंचायत सतितियों से पुष्टित/प्रमाणित अभिलेख (कार्यवाही की प्रति) लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे सम्बन्धित व्ययों एवं उसके सापेक्ष कराये गया कार्यों की वस्तु स्थिति की पुष्टि नहीं होती है। अतः अपुष्टित एवं अप्रमाणित होने की स्थिति में राजकीय धन का

अपहरण/दुरुपयोग/गम्भीर वित्तीय अनियमितता की पर्याप्त सम्भावना है। लेखा परीक्षा में व्ययों एवं कार्यों की पुष्टि में प्रमाण/पत्रावली प्रस्तुत नहीं किया जाना साथ में अभिलेखों का न रखा जाना गम्भीर प्रकरण है। जिस हेतु तत्कालीन वी0डी0ओ0 श्री मेवालाल एवं लेखाकार श्री वंशलोचन श्रीवास्तव पूर्ण रूपेण उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध ब्याज सहित वसूली/विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-6

क्षेत्र पं0-मनिहारी

लेखा परीक्षा वर्ष- 2004-05

अनुदान रजि0- II में अंकित सम्पूर्ण रोजगार योजना क्षेत्र पं0 अंश 2004-05 शीर्ष के अन्तर्गत कराए गये कार्यों के सम्बन्ध में कोई भी प्रमाणक/पत्रावली अभिलेखों कोटेशन/टेण्डर पत्रावली कार्यादेश, मापन पुस्तिका, सृजित परिसम्पत्ति रजि0, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, सत्यापन रिपोर्ट, निरीक्षण पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जो आलोच्य वर्ष 2004-05 में गम्भीर अपत्ति का विषय है। कराए गए कार्यों का विवरण निम्नवत है-

सम्पूर्ण गा0रो0 योजना क्षेत्र पं0 अंश 2004-05

क्रमांक	उत्तरदायी व्यक्ति / कार्य प्रभारी	कार्य विवरण	पंचायत का नाम	चेक संख्या	दिनांक	धनराशि
1		जय मां कामाख्या ईंट भट्ठा से सराय मानिक राम नहर दक्षिण खडंजा हेतु ईंट आपूर्ति	सराय मानिक राम	19721	23.12.04	118192.00
2		नान्हू पंडित के घर तक खडंजा	त्रिलोकपुर	19722	23.12.04	56065.00
3		तोडरपुर यादव भट्ठा से खडंजा शारदा ईंट उद्योग बहलोलपुर तक	तोडरपुर	19723	24.12.04	61672.00
4		दलित बस्ती के पोखरे से नदी तक ड्रेनेज कार्य	बसिला दलित बस्ती	19723	24.12.04	68640.00
5		खट्टर बाबा के स्थान पर पोखरा खुदाई	विषधरपुर	19724	31.12.04	49588.00
6		अहिया पुरवा से नदी तक सम्पर्क मार्ग पर	गौसपुर	19727	03.01.05	19320.00

		मिट्टी कार्य				
7		विसर्जन यादव के घर से वंश लोचन के घर तक खडंजा	इन्दरपुर	19728	03.01.05	50500.00
8		दलित बस्ती से मगई नदी तक ड्रेनेज कार्य	बसिला दलित बस्ती	19729	03.01.05	35420.00
9		पी0डब्ल्यू0डी0 रोड से मनेरी तक मिट्टी कार्य	हरिहरपुर	19730	04.01.05	34694.00
10		पाखण्डी के घर से हरिजन बस्ती तक अवशेष मार्ग पर ईट आपूर्ति	धावा	19733	04.01.05	67127.00
11		विसर्जन यादव के घर से हरिजन वंशलोचन के घर तक सम्पर्क मार्ग पर कार्य	इन्दरपुर	19733	11.01.05	11252.00
12		वंशी कुशवाहा के घर से उत्तर सम्पर्क मार्ग पर कार्य	सौरी	19735	18.01.05	18354.00
13		जटवा दुर्गाजी के मन्दिर तक सम्पर्क मार्ग पर कार्य	सौरी	19735	18.01.05	25599.00
14		सराय गोविन्द खडंजा से शिवबचन प्रधान के घर तक ईट आपूर्ति	सराय गोविन्द	19739	25.01.05	45458.00
15		विसर्जन यादव के घर से वंशलोचन तक खडंजा	इन्दरपुर	19738	25.01.05	43812.00
16		कैलाश यादव के घर से दूधनाथ के घर तक नाली निर्माण सामग्री	सराय गोकुल	19740	25.01.05	17948.00

17		नान्दू यादव के घर तक खड़जा मजदूरी	त्रिलोकपुर	44824	01.02.05	9425.00
18		कैलाश के घर से शिवाजी तक सम्पर्क मार्ग	सिखड़ी	44822	05.02.05	58944.00
19		कैलाश के घर से दूधनाथ के घर तक नाली खड़जा	सराय गोकुल	44823	05.02.05	58944.00
20		अहिया पुरवा से नदी तक सम्पर्क मार्ग	गौसपुर	44823	05.02.05	25617.00
21		डिहवा से उमराव सम्पर्क मार्ग पर कार्य	डिहवा	44824	05.02.05	38640.00
22		वसिला दलित बस्ती से मगई नदी तक ड्रेनेज कार्य	वसिला दलित बस्ती	44824	05.02.05	42021.00
23		पाखण्डी के घर से हरिजन बस्ती तक कार्य	धावा	44825	07.02.05	11718.00
24		पी0डब्ल्यू0डी0 से हरिजन बस्ती होते हुए कनेरी रोड पर अन्तिम प्राप्ति	हरिहरपुर	44826	10.02.05	6279.00
25		अडिया पाल बस्ती से उखरा तक सम्पर्क मार्ग पर मिट्टी कार्य	अंडिलापाल बस्ती	44825	21.02.05	18676.00
26		सियार खुर्द नहर से दक्षिण केशरी के घर तक खड़जा	बहरामपुर	44831	21.02.05	33336.00
27		खुट्टूर बाबा के पोखरा पर सीढ़ी कार्य हेतु सामग्री	विषधरपुर	44832	21.02.05	53782.00

28		छेदी के खेत से उसनू के मशीन तक सम्पर्क मार्ग पर कार्य	रसूलपुर	44833	01.03.05	41581.00
29		खुटहन खड़जा से सौरी नहर तक मिट्टी कार्य	खुटहन	44833	01.03.05	52308.00
30		सराय गोविन्द खड़जा से शिवबचन प्रधान तक सम्पर्क मार्ग पर कार्य	सराय गोविन्द	44834	05.03.05	18209.00
31		प्रधानमंत्री सड़क योजना से गोपालपुर तक सम्पर्क मार्ग पर कार्य	गोपालपुर	44835	05.03.05	28014.00
32		शादियाबाद जखनियाँ तक सम्पर्क मार्ग पर मिट्टी कार्य	शादियाबाद	44837	05.03.05	45080.00
33		प्रधानमंत्री सड़क योजना से गोपालपुर तक कार्य	गोपालपुर	44836	05.03.05	9800.00
34		सुजनीपुर मूशहर बस्ती से पूरब में पोखरा कार्य	सुजनीपुर	44838	07.03.05	36708.00
35		राजभर बस्ती से आगे सम्पर्क मार्ग पर ईट आपूर्ति	खुटहन	44839	09.03.05	96196.00
36		सौरी तक सम्पर्क मार्ग में ईट आपूर्ति	खुटहन	44810	10.03.05	34094.00
37		नसीरपुर पोखरा खुदाई कार्य	नसीरपुर	10251	18.03.05	35420.00
38		श्री किसान ईट भण्डार रसूलपुर द्वारा सराय	सराय गोकुल	10253	18.03.05	11228.00

		गोकुल से हरिहरपुर सम्पर्क मार्ग पर कार्य				
39		टोडरपुर खडंजा में यादव बस्ती तक के कार्य की मजदूरी	टोडरपुर	10254	13.03.05	6272.00
40		टोडरपुर खडंजा का भुगतान	टोडरपुर	10257	23.03.05	8883.00
41		वर्सिला दलित बस्ती से मगई नदी तक ड्रेनेज कार्य	वर्सिला डलिया बस्ती	10257	23.03.05	9016.00
42		सम्पत बलि खडंजा से सौरी नगर तक कार्य	खुटहन	10258	23.03.05	2289.00
43		घाटा ग्राम पंचायत में पोखरा खुदाई	धावा	10259	31.03.05	28980.00
44		छटया से खण्डकपुर तक सम्पर्क मार्ग पर कार्य	छतया	10259	31.03.05	28980.00
45		ओझीपुर काली माँ के स्थान से नदी तक सम्पर्क मार्ग पर कार्य	ओझीपुर	10259	31.03.05	21735.00
46		01.08.04 से 31.03.05 तक आयकर कटौती	—	—	—	25212.00
					योग —	7670616.00

अनुदान रजि० II के आधार पर उपरोक्त दर्शित कार्यों के सापेक्ष रू० 1670616.00 व्यय दिखाकर खारिज किया गया है। उपर्युक्त दर्शित व्ययों की पुष्टि में क्रयादेश, प्रमाणकों/पत्रावलिया लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। कार्यों की पुष्टि में माप पुस्तिका, स्तयापन रिपोर्ट, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, सृजित परिसम्पत्ति रजि० टेण्डर/कोटेशन पत्रावली, प्रशासकीय एवं तकनीकी स्वीकृति, क्षेत्र पंचायत स्तर पर गणित समितियों से की पुष्टि प्रमाण पत्र व सत्यापन रिपोर्ट आदि लेखा परीक्षा में मांग के बाबजूद प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे सम्बन्धित व्ययों एवं उसके सापेक्ष कराये गये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। लेखा परीक्षा में व्ययों एवं कार्यों की पुष्टि में अभिलेख/पत्रावली प्रस्तुत नहीं किए जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि संस्था में सम्बन्धित कार्यों के सापेक्ष प्रमाणक/पत्रावली उपलब्ध नहीं है। अतः अपुष्टित एवं अप्रमाणित होने की स्थिति में राजकीय अनुदान

का अपहरण/दुरुपयोग/गम्भीर अनियमितता की संभावना है। जिस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री मेवालाल, लेखाकार श्री वंश लोचन श्रीवास्तव उत्तरदायी है। इस ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान उत्तरदायी से ब्याज सहित वसूली हेतु विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर-7

क्षेत्र पं०-मनिहारी

लेखा परीक्षा वर्ष- 2004-05

आलोच्य वर्ष में आयकर मद में रू० 28933.00 जमा दर्शाया जा रहा है जिसकी पुष्टि में आयकर जमा प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।

आयकर अधि० 1961 (यथा संशोधित) की धारा 194सी क अनुसार शासकीय अनुदानों से कराए जाने वाले निर्माण कार्यो तथा सामग्री आपूर्ति की बिलो स्रोत पर आयकर कटौती किए जाने के उपरान्त ही भुगतान किया जाना चाहिए। स्रोत पर कर कटौती करने तथा इस प्रकार काटे गये आयकर की धनराशि अगले माह की 7 तारीख तक अर्थात् निर्धारित सम्यान्तर्गत लेखा शीर्ष 0021 आयकर मे जमा करने हेतु आहरण वितरण अधिकारी उत्तरदायी हो या ऐसा करने से विफल रहने की स्थिति में आहरण वितरण अधिकारी पर वसूलनीय आयकर की धनराशि के बराबर अर्थदण्ड आरोपित किया जा सकता है।

क्षेत्र पंचायत मनिहारी जनपद-गाजीपुर की वर्ष 2004-05 के दौरान अनुदान रजि० II एवं III के सापेक्ष में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत बिल के भुगतान के सापेक्ष स्रोत पर कुल कटौती रू० 33656.00 तथा जमा 28933.00 दर्शित है। उल्लेखनीय है कि इस शीर्ष में प्रा० अवशेष 20580.00 वर्ष में प्राप्त 33665.00, जमा रू० 28933.00 व अवशेष 25212.00 दर्शित है। आलोच्य वर्ष में जमा 28933.00 की पुष्टि में जमा चालान व रिटर्न, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। अतः जमा की वस्तु स्थिति अपुष्टित रही। अतः उक्त विवरण से स्पष्ट है कि आयकर कटौती की सम्पूर्ण धनराशि आयकर शीर्ष से समायान्तर्गत जमा नहीं करायी गयी है इस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री मेवालाल एवं लेखाकार श्री वंश लोचन श्रीवास्तव उत्तरदायी है। उक्त करों की जमा सुनिश्चित करते हुए अर्थदण्ड की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत

जनपद आगरा

मण्डल-आगरा

ग्राम पंचायत- पाली किरावली

विकास खण्ड फतेहपुर सीकरी, ले०प०वर्ष 2014-15

प्रधान का नाम- श्री हरी बाबू

ग्रा०प०वि०अधि० श्री नरेश कुमार सिंघल

प्रस्तर-01

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण एवं मरम्मत कार्यो हेतु सामग्री, मजदूरी व्यय एवं अन्य वस्तुओं के मद में निम्न प्रकार व्यय दर्शाया गया है।

क्र.सं.	मद	धनराशि		
		चेक से	नगद	कुल
1.	भवन निर्माण सामग्री	5951425.00	---	5951425.00
2.	मजदूरी	-----	128646.00	128646.00

3.	हैण्ड पम्प मरम्मत	60785.00	9000.00	69785.00
4.	स्ट्रीट लाइट	-----	12000.00	12000.00
योग—				805573.00

उपरोक्त विवरण के अनुसार क्रय, व्यय पर कुल ₹0 805573.00 व्यय किया गया लेकिन निर्माण सामग्री क्रय से सम्बन्धित कोई भी बाउचर्स, मजदूरी भुगतान सम्बन्धित कोई मस्टररोल एवं अन्य मदों में व्यय सम्बन्धित कोई प्रमाणक/रसीद लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि प्रत्येक क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणित वाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टररोल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जांच हेतु प्रस्तुत किया जाना, ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व है। अन्यथा की स्थिति में पंचायत राज विभाग उ० प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु-08(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गवन मानते हुये वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय ₹0 805573.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्री हरी बाबू एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री नरेश कुमार सिंघल से ₹0 402786-50 बराबर ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

आप०सं०-7

प्रस्तर-02

लेखापरीक्षा वर्ष 14-15 में प्रशासनिक मद में विभिन्न व्यय निम्न प्रकार किये गये—

1. कैश बुक फीडिंग	₹0 5000.00
2. वाल पेंटिंग	₹0 6216.00
3. अन्य व्यय	₹0 225.00
योग	₹0 11441.00

उपरोक्त व्यय के सापेक्ष कोई बिल/वाउचर/रसीद नहीं पाई गई। नियमानुसार ऐसी स्थिति में व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है। अतः ₹0 11441.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री हरी बाबू व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री नरेश सिंघल से ₹0 5720-50 से किया जाना अपेक्षित है।

आप०सं० 11

ग्राम पंचायत— साँथा

विकास खण्ड फतेहपुर सीकरी, ले० प० 2014-15

प्रधान का नाम— श्री लाल सिंह

ग्रा०प०वि०अधि० श्री भोरन सिंह

प्रस्तर-01

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण एवं मरम्मत कार्यों हेतु सामग्री, मजदूरी व्यय एवं अन्य वस्तुओं के मद में निम्न प्रकार व्यय दर्शाया गया है।

क्र०सं०	मद	धनराशि
1.	भवन निर्माणसामग्री	232500.00
2.	मजदूरी	142109.00
3.	हैण्डपम्प	45108.00
4.	स्ट्रीट लाइट	152240.00
	योग—	571957.00

उपरोक्त विवरण के अनुसार क्रय, व्यय पर कुल ₹0 571957.00 व्यय किया गया लेकिन निर्माण सामग्री क्रय से सम्बन्धित कोई भी बाउचर्स, मजदूरी भुगतान सम्बन्धित कोई मस्टररोल एवं अन्य मदों में व्यय सम्बन्धित कोई प्रमाणक/रसीद लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि प्रत्येक क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणित बाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टररोल व अन्य व्यय से सम्बन्धि प्रमाणक/रसीद जांच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व है। अन्यथा की स्थिति में पंचायत राज विभाग उ० प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु-08(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बाउचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुये वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय ₹0 571957.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्री लाल सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री भोरन सिंह से ₹0 285978-50 बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

आप०सं० 9

प्रस्तर-02

ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 में फर्नीचर व कूड़ा गाड़ी क्रय पर ₹0 5500.00 व्यय किया गया लेकिन इन क्रय की गई वस्तुओं की प्रविष्टि रूपपत्र संख्या-25(नियम 202) स्टॉक बुक में कर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया अतः उक्त स्टॉक बुक को पूर्ण कर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में निम्न वस्तुओं के क्रय पर व्यय दर्शाया गया-

क्र० सं०	मद	धनराशि	दिनांक	विवरण
1.	कूड़ा गाड़ी	5500.00	09.09.2014	-----
	योग-	5500.00		

उपरोक्त दर्शित व्ययों की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। पंचायत राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 08 के बिन्दु 08(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। अतः उक्त व्यय को गबन मानते हुये ₹0 5500.00 ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान लाल सिंह व ग्राम पंचायत अधि० श्री भोरन सिंह से ₹0 2750-00 बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

आपत्ति सं० 13

ग्राम पंचायत- ओलेण्डा

विकास खण्ड फतेहपुर सीकरी, ले० प० 14-15

प्रधान का नाम- श्री अशोक कुमार

ग्रा०प०वि०अधि० श्री भोरन सिंह

प्रस्तर- 01

लेखा परीक्षा वर्ष 14-15 में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण एवं मरम्मत कार्य हेतु सामग्री, मजदूरी व्यय एवं अन्य वस्तुओं के मद में निम्न प्रकार व्यय दर्शाया गया है।

क्र०सं०	मद	धनराशि
1.	भवन निर्माणसामग्री	1224080.00
2.	मजदूरी	347802.00

3.	हैण्डपम्प	7940.00
4.	मिट्टी भराव	20000.00
5.	नाला खुदाई	19000.00
	योग	1618822.00

उपरोक्त विवरण के अनुसार क्रय, व्यय पर कुल रु0 1618822.00 व्यय किया गया लेकिन निर्माण सामग्री क्रय से सम्बन्धित कोई भी बाउचर्स, मजदूरी भुगतान सम्बन्धित कोई मस्टररोल एवं अन्य मदों में व्यय सम्बन्धित कोई प्रमाणक/रसीद लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि प्रत्येक क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणित वाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टररोल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जांच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व है। अन्यथा की स्थिति में पंचायत राज विभाग उ0 प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु-08 (क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुये ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। अतः उपरोक्त व्यय रु0 1618822.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्री अशोक कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री भोरन सिंह से रु0 809411-00 बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

आप0सं0-09

प्रस्तर- 02

ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 में फर्नीचर व कूड़ा गाड़ी क्रय पर रु0 11000.00 का व्यय किया गया है लेकिन इन क्रय की गई वस्तुओं की प्रविष्टि रूप पत्र संख्या-25 नियम 222 स्टॉक बुक में कर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उक्त स्टॉक बुक को पूर्ण कर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। लेखा परीक्षा वर्ष में निम्न वस्तुओं के क्रय पर व्यय दर्शाया गया है।

क्र0सं0	मद	धनराशि	दिनांक
1.	कूड़ा गाड़ी	5500.00	04.07.2014
2.	कूड़ा गाड़ी	5500.00	24.12.2014
	योग	11000.00	

उपरोक्त दर्शित व्ययों की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। पंचायत राज विभाग उ0 प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 08 के बिन्दु 08 (क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये धनराशि की ग्राम प्रधान व ग्राम पं0 सचिव से की जायेगी। अतः उक्त व्यय को गबन मानते हुये रु0 11000.00 ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री अशोक कुमार व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री भोरन सिंह से रु0 49000-00 बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

आप0सं0-10

प्रस्तर-03

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में निम्न विवरण के अनुसार बैंक से धनराशि आहरण कर कैशबुक में अंकन नहीं किया गया।

क्र0सं0	दिनांक	चेक संख्या	धनराशि
1.	31.03.2015	012474	98000.00

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट के कि आहरित धनराशि का लेखांकन कोषबही में आय पक्ष में ही नहीं किया जाने के कारण धनराशि ग्राम पंचायत अभिलेखों से बाहर रही, जो अपहरण है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री अशोक कुमार व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री भोरन सिंह से किया जाना अपेक्षित है। उपरोक्त के विषय में स्पष्ट करना है कि दि० 31.03.2013 को खाता संख्या-3112252190 सैन्ट्रल बैंक ऑफ इन्डिया से कई आहरण किये गये, जिसमें अन्तिम आहरण को कैश बुक में नहीं लिया और दैनिक अवशेष भी इसी प्रकार कैशबुक में। दिनांक 31.03.2015 को अन्तिम शेष रु० 132222.00 होना चाहिए जबकि कैश बुक में 230222.00 दर्शाया गया है।

आप०सं० 12

ग्राम पंचायत— दौलताबाद
प्रधान का नाम— श्री ध्रुव सिंह
प्रस्तर— 01

विकास खण्ड फतेहपुर सीकरी, ले० प० 2014-15
ग्रा०प०वि०अधि० श्री भोरन सिंह

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण एवं मरम्मत कार्य हेतु सामग्री, मजदूरी व्यय एवं अन्य बस्तुओं के मद में निम्न प्रकार व्यय दर्शाया गया है।

क्र०सं०	मद	धनराशि
1.	भवन निर्माण सामग्री	813970.00
2.	मजदूरी	259430.00
3.	हैण्डपम्प	70640.00
	योग—	1144040.00

उपरोक्त विवरण के अनुसार क्रय, व्यय पर कुल रु० 1144040.00 व्यय किया गया लेकिन निर्माण सामग्री क्रय से सम्बन्धित कोई भी बाउचर्स, मजदूरी भुगतान सम्बन्धित कोई मस्टररोल एवं अन्य मदों में व्यय सम्बन्धित कोई प्रमाणक/रसीद लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि प्रत्येक क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणित बाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टररोल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जांच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व है। अन्यथा की स्थिति में पंचायत राज विभाग उ० प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु-08(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुये वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। अतः उपरोक्त व्यय रु० 1144040.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्री ध्रुव सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री भोरन सिंह से रु० 572020-00 बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

आप०सं० 09

प्रस्तर 02

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में निम्न विवरण के अनुसार बैंक से धनराशि आहरण कर कैश बुक में अंकन नहीं किया गया।

क्र०सं०	दिनांक	चेक संख्या	धनराशि
1.	14.08.2014	004443	20000.00
2.	10.11.2014	011481	20000.00
	योग—		40000.00

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट के कि आहरित धनराशि का लेखांकन कोषबही में आय पक्ष में ही नहीं किया जाने के कारण धनराशि ग्राम पंचायत अभिलेखों से बाहर रही, जो अपहरण है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री ध्रुव सिंह व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री भोरन सिंह से रु० 20000-00 बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

आप०सं०-12

ग्राम पंचायत- गोठरा

विकास खण्ड फतेहपुर सीकरी, ले० प० 2014-15

प्रधान का नाम- श्रीमती विमलेश देवी

ग्रा०प०वि०अधि० श्री भोरन सिंह

प्रस्तर- 01

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण एवं मरम्मत कार्य हेतु सामग्री, मजदूरी व्यय एवं अन्य वस्तुओं के मद में निम्न प्रकार व्यय दर्शाया गया है।

क्र०सं०	मद	धनराशि
1.	भवन निर्माण सामग्री	294270.00
2.	मजदूरी	115659.00
3.	हैण्डपम्प	41000.00
	योग-	450929.00

उपरोक्त विवरण के अनुसार क्रय, व्यय पर कुल रु० 450929.00 व्यय किया गया लेकिन निर्माण सामग्री क्रय से सम्बन्धित कोई भी बाउचर्स, मजदूरी भुगतान सम्बन्धित कोई मस्टररोल एवं अन्य मदों में व्यय सम्बन्धित कोई प्रमाणक/रसीद लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि प्रत्येक क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणित बाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टररोल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जांच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व है। अन्यथा की स्थिति में पंचायत राज विभाग उ० प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु-08(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुये वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। अतः उपरोक्त व्यय रु० 450929.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती विमलेश देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री भोरन सिंह से रु० 255464-50 बराबर-बराबर ब्याज सहित ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

आप०सं० 09

प्रस्तर 02

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में निम्न विवरण के अनुसार बैंक से धनराशि आहरण कर कैश बुक में अंकन नहीं किया गया।

क्र०सं०	चेक संख्या	धनराशि
1.	151835	10000.00
2.	151832	30000.00
3.	151831	50000.00
4.	151837	20000.00
5.	181841	2700.00
	योग-	112700.00

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट के कि आहरित धनराशि का लेखांकन कोषबही में आय पक्ष में ही नहीं किया जाने के कारण धनराशि ग्राम पंचायत अभिलेखों से बाहर रही, जो अपहरण है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती विमलेश देवी व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री भोरन सिंह से रु0 56350-00 बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

आप0सं0-12

प्रस्तर 03

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में ग्राम प्रधान व सचिव द्वारा कोषबही के आयपक्ष का योग वास्तविक योग से कम दर्शाकर रोकड़ शेष का अपहरण किया गया। विवरण निम्न प्रकार है।

माह	कोषबही के अनुसार योग	ले0प0के अनुसार	अंतर
11 / 14	28483.00	28783.00	300.00

अतः रु0 300.00 ग्राम प्रधान श्रीमती विमलेश देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री भोरन सिंह से रु0 150-00 बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

आप0सं0-10

ग्राम पंचायत- जाजऊ

विकास खण्ड फतेहपुर सीकरी, ले0 प0 2014-15

प्रधान का नाम- श्रीमती आशा वर्मा

ग्रा0प0वि0अधि0-श्री भोरन सिंह

प्रस्तर- 01

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण एवं मरम्मत कार्यों हेतु सामग्री, मजदूरी व्यय एवं अन्य वस्तुओं के मद में निम्न प्रकार व्यय दर्शाया गया है।

क्र0सं0	मद	धनराशि
1.	भवन निर्माण सामग्री	1230550
2.	मजदूरी	307034
3.	हैण्डपम्प	24948
	योग-	1562532

उपरोक्त विवरण के अनुसार क्रय, व्यय पर कुल रु0 1562532 व्यय किया गया लेकिन निर्माण सामग्री क्रय से सम्बन्धित कोई भी वाउचर्स, मजदूरी भुगतान सम्बन्धित कोई मस्टररोल एवं अन्य मदों में व्यय सम्बन्धित कोई प्रमाणक/रसीद लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि प्रत्येक क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणित वाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टररोल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जांच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व है। अन्यथा की स्थिति में पंचायत राज विभाग उ0 प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु-08(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुये वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। अतः उपरोक्त व्यय रु0 1562532 गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती आशा शर्मा एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री भोरन सिंह से रु0 781266-00 बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

आप0सं0-09

प्रस्तर 02

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में निम्न विवरण के अनुसार बैंक से धनराशि आहरण कर कैश बुक में अंकन नहीं किया गया।

क्र०सं०	दिनांक	चेक संख्या	धनराशि
1.	05.04.2014	406130	43000
2.	05.04.2014	406133	99500
3.	05.04.2014	406134	98800
4.	05.04.2014	406131	50000
5.	07.04.2014	406127	142600
		योग—	433900

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट के कि आहरित धनराशि का लेखांकन कोषबही में आय पक्ष में ही नहीं किया जाने के कारण धनराशि ग्राम पंचायत अभिलेखों से बाहर रही, जो अपहरण है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती आशा वर्मा व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री भोरन सिंह से रु० 216950-00 किया जाना अपेक्षित है।

आप०सं०-11

प्रस्तर-03

ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 में फर्नीचर व कूड़ा गाड़ी क्रय पर रु० 550.00 का व्यय किया गया है लेकिन इन क्रय की गई वस्तुओं की प्रविष्टि रूप पत्र संख्या-25 नियम 222 स्टॉक बुक में कर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः उक्त स्टॉक बुक को पूर्ण कर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। लेखा परीक्षा वर्ष में निम्न वस्तुओं के क्रय पर व्यय दर्शाया गया है।

क्र०सं०	मद	धनराशि	दिनांक
1.	कूड़ा गाड़ी	5500.00	09.09.2014
	योग	5500.00	

उपरोक्त दर्शित व्ययों की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। पंचायत राज विभाग उ० प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 08 के बिन्दु 08 (क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचा० सचिव से की जायेगी। अतः उक्त व्यय को गबन मानते हुये रु० 5500.00 ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री आशा शर्मा व ग्राम पंचा० अधिकारी श्री भोरन सिंह से रु० 2750-00 बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

आप०सं० 12

ग्राम पंचायत— बसेरी काजी
प्रधान का नाम—श्री छोटे लाल

विकास खण्ड फतेहपुर सीकरी, ले० प० 2014-15
ग्रा०प०वि०अधि० श्री भोरन सिंह

प्रस्तर-01

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण एवं मरम्मत कार्य हेतु सामग्री, मजदूरी व्यय एवं अन्य वस्तुओं के मद में निम्न प्रकार व्यय दर्शाया गया है।

क्र०सं०	मद	धनराशि
1.	भवन निर्माणसामग्री	329650
2.	मजदूरी	79066
3.	हैण्डपम्प	25148
	मिट्टी	47500
	स्टीट लाइट	91250
	योग—	572614

उपरोक्त विवरण के अनुसार क्रय, व्यय पर कुल ₹0 562614 व्यय किया गया लेकिन निर्माण सामग्री क्रय से सम्बन्धित कोई भी बाउचर्स, मजदूरी भुगतान सम्बन्धित कोई मस्टररोल एवं अन्य मदों में व्यय सम्बन्धित कोई प्रमाणक/रसीद लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि प्रत्येक क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणित बाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टररोल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जांच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व है। अन्यथा की स्थिति में पंचायत राज विभाग उ० प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु-08(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुये वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। अतः उपरोक्त व्यय ₹0 572614 गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्री छोटे लाल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री भोरन सिंह से ₹0 286307-00 बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

आप०सं० 09

प्रस्तर 02

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में निम्न विवरण के अनुसार बैंक से धनराशि आहरण कर कैश बुक में अंकन नहीं किया गया।

क्र०सं०	दिनांक	चेक संख्या	धनराशि
1.	23.02.2015	11705	20000
		योग—	20000

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट के कि आहरित धनराशि का लेखांकन कोषबही में आय पक्ष में ही नहीं किये जाने के कारण धनराशि ग्राम पंचायत अभिलेखों से बाहर रही, जो अपहरण है जिसकी ब्याज सहित वसूलीग्राम प्रधान श्री छोटे लाल व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री भोरन सिंह से ₹0 10000-00 बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

आप०सं०011

ग्राम पंचायत-न० बहरावती
प्रधान का नाम-श्री अशोक कुमार

विकास खण्ड फतेहपुर सीकरी, ले० प० 2014-15
ग्रा०प०वि०अधि० श्री भोरन सिंह

प्रस्तर- 01

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण एवं मरम्मत कार्यों हेतु सामग्री, मजदूरी व्यय एवं अन्य वस्तुओं के मद में निम्न प्रकार व्यय दर्शाया गया है।

क्र०सं०	मद	धनराशि
1.	भवन निर्माण सामग्री	434100
2.	मजदूरी	91312
3.	शौचालय	8000
	मिट्टी	41000
	योग—	574412.00

उपरोक्त विवरण के अनुसार क्रय, व्यय पर कुल ₹0 574412 व्यय किया गया लेकिन निर्माण सामग्री क्रय से सम्बन्धित कोई भी वाउचर्स, मजदूरी भुगतान सम्बन्धित कोई मस्टररोल एवं अन्य मदों में व्यय सम्बन्धित कोई प्रमाणक/रसीद लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि प्रत्येक क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणित बाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टररोल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जांच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व है। अन्यथा की स्थिति में पंचायत राज विभाग उ० प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु-08(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुये वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। अतः उपरोक्त व्यय ₹0 574412 गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्री अशोक कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री भोरन सिंह से ₹0 287206-00 बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

आप०सं० 09

ग्राम पंचायत—निनवाया **विकास खण्ड फतेहपुर सीकरी, ले० प० 2014-15**
प्रधान का नाम—श्रीमती कमल देई **ग्रा०प०वि०अधि० श्री भोरन सिंह**
प्रस्तर—01

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण एवं मरम्मत कार्यों हेतु सामग्री, मजदूरी व्यय एवं अन्य वस्तुओं के मद में निम्न प्रकार व्यय दर्शाया गया है।

क्र०सं०	मद	धनराशि
1.	भवन निर्माण सामग्री	326050
2.	मजदूरी	101680
3.	हैण्डपम्प	6722
	योग—	434452

उपरोक्त विवरण के अनुसार क्रय, व्यय पर कुल ₹0 434452 व्यय किया गया लेकिन निर्माण सामग्री क्रय से सम्बन्धित कोई भी बाउचर्स, मजदूरी भुगतान सम्बन्धित कोई मस्टररोल एवं अन्य मदों में व्यय सम्बन्धित कोई प्रमाणक/रसीद लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि प्रत्येक क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणित बाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टररोल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जांच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व है। अन्यथा की स्थिति में पंचायत राज विभाग उ० प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के

बिन्दु-08(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुये ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। अतः उपरोक्त व्यय रु0 434452 गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती कमल देई एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री भोरन सिंह से रु0 217226-00 बराबर-बराबर ब्याज सहित ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

आप0सं0-09

ग्राम पंचायत-चौमाशाहपुर विकास खण्ड फतेहपुर सीकरी, ले0 प0 2014-15

प्रधान का नाम-श्री अशोक कुमार ग्रा0प0वि0अधि0 श्री नरेश कुमार सिंघल

प्रस्तर-01

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण एवं मरम्मत कार्य हेतु सामग्री, मजदूरी व्यय एवं अन्य वस्तुओं के मद में निम्न प्रकार व्यय दर्शाया गया है।

क्र0सं0	मद	धनराशि
1.	भवन निर्माण सामग्री	424329
2.	मजदूरी	172696
3.	हैण्डपम्प	43675
	तालाब	6000
	मिट्टी	66000
	योग-	712700

उपरोक्त विवरण के अनुसार क्रय, व्यय पर कुल रु0 712700 व्यय किया गया लेकिन निर्माण सामग्री क्रय से सम्बन्धित कोई भी वाउचर्स, मजदूरी भुगतान सम्बन्धित कोई मस्टररोल एवं अन्य मदों में व्यय सम्बन्धित कोई प्रमाणक/रसीद लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि प्रत्येक क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणित वाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टररोल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जांच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व है। अन्यथा की स्थिति में पंचायत राज विभाग उ0 प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु-08(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुये वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। अतः उपरोक्त व्यय रु0 712700 गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्री अशोक कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री नरेश कुमार सिंघल से रु0 356350-00 बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

आप0सं0 07

प्रस्तर-02

वर्ष 2014-15 में प्रशासनिक व्यय मद रु0 47066.00 व्यय दर्शाया गया है जिसके सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक नहीं पाया गया। नियमानुसार प्रमाणक रहित व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है जिसकी वसूली ग्राम प्रधान व सचिव से की जानी होती है अतः रु0 47066.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री अशोक कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री नरेश कुमार सिंघल से रु0 23533-00 बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

आप0सं0 10

ग्राम पंचायत—पतसाल
प्रधान का नाम—श्रीमती सुनिता
प्रस्तर— 01

विकास खण्ड फतेहपुर सीकरी, ले0 प0 2014—15
ग्रा0प0वि0अधि0 श्री नरेश कुमार सिंघल

लेखा परीक्षा वर्ष 2014—15 में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण एवं मरम्मत कार्यो हेतु सामग्री, मजदूरी व्यय एवं अन्य बस्तुओं के मद में निम्न प्रकार व्यय दर्शाया गया है।

क्र0सं0	मद	धनराशि
1.	भवन निर्माणसामग्री	450715
2.	मजदूरी	147122
3.	नाला सफाई	57100
4.	स्ट्रीट लाइट	4000
5.	मिट्टी भराव	11500
	योग—	670437.00

उपरोक्त विवरण के अनुसार क्रय, व्यय पर कुल रू0 670437.00 व्यय किया गया लेकिन निर्माण सामग्री क्रय से सम्बन्धित कोई भी बाउचर्स, मजदूरी भुगतान सम्बन्धित कोई मस्टररोल एवं अन्य मदों में व्यय सम्बन्धित कोई प्रमाणक/रसीद लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि प्रत्येक क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणित बाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टररोल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जांच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व है। अन्यथा की स्थिति में पंचायत राज विभाग उ0 प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय—8 के बिन्दु—08(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुये वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। अतः उपरोक्त व्यय रू0 670437.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती सुनिता एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री नरेश कुमार सिंघल से रू0 335218—50 बराबर—बराबर ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

आप0सं0 07

प्रस्तर—02

वर्ष 2014—15 में प्रशासनिक व्यय मद रू0 13320.00 व्यय दर्शाया गया है जिसके सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक नहीं पाया गया। नियमानुसार प्रमाणक रहित व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है जिसकी वसूली ग्राम प्रधान व सचिव से की जानी होती है अतः रू0 47066.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सुनीता एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री नरेश कुमार सिंघल से रू0 23533—00 बराबर—बराबर ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

आप0सं0 11

ग्राम पंचायत— तेहरा रावत
प्रधान का नाम—श्री चन्द्रभान सिंह
प्रस्तर—01

विकास खण्ड फतेहपुर सीकरी, ले० प० 2014—15
ग्रा०प०वि०अधि० श्री नरेश कुमार सिंघल

लेखा परीक्षा वर्ष 2014—15 में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण एवं मरम्मत कार्यो हेतु सामग्री, मजदूरी व्यय एवं अन्य वस्तुओं के मद में निम्न प्रकार व्यय दर्शाया गया है।

क्र०सं०	मद	धनराशि
1.	भवन निर्माण सामग्री	386900
2.	मजदूरी	105742
3.	हैण्डपम्प	17812
	योग—	510454

उपरोक्त विवरण के अनुसार क्रय, व्यय पर कुल रू० 510454 व्यय किया गया लेकिन निर्माण सामग्री क्रय से सम्बन्धित कोई भी बाउचर्स, मजदूरी भुगतान सम्बन्धित कोई मस्टररोल एवं अन्य मदों में व्यय सम्बन्धित कोई प्रमाणक/रसीद लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि प्रत्येक क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणित बाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टररोल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जांच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व है। अन्यथा की स्थिति में पंचायत राज विभाग उ० प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय—8 के बिन्दु—08(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुये वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। अतः उपरोक्त व्यय रू० 5104454 गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्री चन्द्रभान सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री नरेश कुमार सिंघल से रू० 255227—00 बराबर—बराबर ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

आप०सं० 08

प्रस्तर 02

लेखा परीक्षा वर्ष 2014—15 में निम्न विवरण के अनुसार बैंक से धनराशि आहरण कर कैश बुक में अंकन नहीं किया गया ।

क्र०सं०	दिनांक	चेक संख्या	धनराशि
1.	21.08.2014	005111	3100
		योग—	3100

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट के कि आहरित धनराशि का लेखांकन कोषबही में आय पक्ष में ही नहीं किया जाने के कारण धनराशि ग्राम पंचायत अभिलेखों से बाहर रही, जो अपहरण है जिसकी ब्याज सहित बसूली ग्राम प्रधान श्री चन्द्रभान सिंह व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री भोरन सिंह से रू० 1550—00 बराबर—बराबर किया जाना अपेक्षित है।

आप०सं० 13

प्रस्तर— 03

ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 में फर्नीचर व कूड़ा गाड़ी क्रय पर ₹0 5500.00 का व्यय किया गया है लेकिन इस क्रय की गई वस्तुओं की प्रविष्टि रूप पत्र संख्या-25 नियम 222 स्टॉक बुक में कर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः उक्त स्टॉकबुक को पूर्ण कर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है लेखा परीक्षा वर्ष में निम्न वस्तुओं के क्रय पर व्यय दर्शाया गया है।

क्र०सं०	मद	धनराशि	दिनांक
1.	कूड़ा गाड़ी	5500.00	16.08.2014
	योग	5500.00	

उपरोक्त दर्शित व्ययों की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। पंचायत राज विभाग उ० प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 08 के बिन्दु 08 (क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुऐ धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पं० सचिव से की जायेगी। अतः उक्त व्यय को गबन मानते हुऐ ₹0 5500.00 ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री चन्द्रभान सिंह व ग्राम पंचा० अधि० श्री भोरन सिंह से ₹0 2750-00 किया जाना अपेक्षित है।

आप०सं० 12

ग्राम पंचायत— महदरु

विकास खण्ड फतेहपुर सीकरी, ले० प० 2014-15

प्रधान का नाम—श्री मुकेश कुमार

ग्रा०प०वि०अधि० श्री नरेश कुमार सिंघल

प्रस्तर—01

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण एवं मरम्मत कार्यों हेतु सामग्री, मजदूरी व्यय एवं अन्य वस्तुओं के मद में निम्न प्रकार व्यय दर्शाया गया है।

क्र०सं०	मद	धनराशि
1.	भवन निर्माण सामग्री	543921
2.	मजदूरी	133330
3.	हैण्डपम्प	65724
	मिट्टी	9950
	योग—	752925.00

उपरोक्त विवरण के अनुसार क्रय, व्यय पर कुल ₹0 752925 व्यय किया गया लेकिन निर्माण सामग्री क्रय से सम्बन्धित कोई भी बाउचर्स, मजदूरी भुगतान सम्बन्धित कोई मस्टररोल एवं अन्य मदों में व्यय सम्बन्धित कोई प्रमाणक/रसीद लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि प्रत्येक क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणित बाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टररोल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व है। अन्यथा की स्थिति में पंचायत राज विभाग उ० प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु-08(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुऐ वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। अतः उपरोक्त व्यय ₹0 752925 गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्री मुकेश कुमार एवं ग्राम पंचायत

अधिकारी श्री नरेश कुमार सिंघल से रु0 376462-00 बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

आप0सं0-07

ग्राम पंचायत-दुल्हारा

विकास खण्ड फतेहपुर सीकरी, ले0 प0 2014-15

प्रधान का नाम-श्री नटवर सिंह

ग्रा0प0वि0अधि0 श्री ब्रजमोहन सिंह

प्रस्तर-01

दिनांक 30.09.2014 को निर्माण कार्य रजिस्टर पृष्ठ संख्या-11 में (कन्या पाठशाला से बच्चू सिंह के घर तक) खड़जा निर्माण इन्टर लौकिंग ईट दर्शाया गया है। कार्य पूर्ति की नाप तोल मद में खड़जा की लम्बाई एवं चौड़ाई नहीं दर्शाई गई है केवल क्षेत्र फल 710.80 वर्ग मीटर दर्शाया गया है।

लेखा परीक्षा में पाया गया कि किसी कार्य स्थल पर खड़जे के दोनों ओर नाली निर्माण कराया गया है जिसकी कुल लम्बाई दोनो ओर 244 मी0 दर्शाई गयी है इस प्रकार खड़जे की लम्बाई 122 मी0 तथा चौड़ाई 5.82 मी होती है। विभागीय निर्देशानुसार ग्रामीण क्षेत्र में 2.5 मी0 से अधिक चौड़ाई में सी0सी0 रोड अथवा खड़जा निर्माण नहीं कराया जा सकेगा। अतः निम्न विवरण के अनुसार अधिक चौड़ाई मान कर गणना कर निर्माण सामग्री मद व्यय व मजदूरी मद व्यय अधिक दर्शाकर धनराशि का अपहरण किया और अभिलेखों में चौड़ाई नहीं दर्शाई।

कार्य स्थल:- कन्या पाठशाला से बच्चू सिंह के घर तक	माप वर्ग मी0	इन्टर लॉक		बालू		मजदूरी	कुल लागत
		संख्या	मूल्य	मात्रा	मूल्य		
निर्माण रजि0 के अनुसारन	710.8	20628	371304	20.76घ. मी.	13494	87036	471834
लेखा परी0 अनुसार	305.00	9150	164700	15.25	9912	41175	215787

उपरोक्त विवरण के अनुसार 256047.00 अधिक व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण किया गया। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री नटवर सिंह व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ब्रजमोहन सिंह से रु0 128023-00 किया जाना अपेक्षित है। साथ ही अभिलेखों में कार्यों की माप स्पष्ट रूप से न दर्शाये जाने के लिए विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

आप0 सं0-08

ग्राम पंचायत-रसूलपुर

विकास खण्ड फतेहपुर सीकरी, ले0 प0 2014-15

प्रधान का नाम-श्री सुरेश

ग्रा0प0वि0अधि0 श्री विजय सिंह कटियार

प्रस्तर-01

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण एवं मरम्मत कार्यों हेतु सामग्री, मजदूरी व्यय एवं अन्य वस्तुओं के मद में निम्न प्रकार व्यय दर्शाया गया है।

क्र0सं0	मद	धनराशि
1.	भवन निर्माण सामग्री	67800
2.	मजदूरी	19000

3.	हैण्डपम्प	7200
4.	मिट्टी भराव शमशान घाट	90000
5.	पंचायत घर मरम्मत	89489
6.	सामु0 मिलन केन्द्र मरम्मत	114300
7.	स्ट्रीट लाइट	36500
8.	कूड़ा गाड़ी	5500
9.	वॉल पेन्टिंग	6432
10.	कैमरा	9500
11.	कैश बुक फीडिंग	5000
12.	मानदेय प्रधान	30000
	योग—	480721.00

उपरोक्त विवरण के अनुसार क्रय, व्यय पर कुल रू0 480721 व्यय किया गया लेकिन निर्माण सामग्री क्रय से सम्बन्धित कोई भी बाउचर्स, मजदूरी भुगतान सम्बन्धित कोई मस्टररोल एवं अन्य मदों में व्यय सम्बन्धित कोई प्रमाणक/रसीद लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि प्रत्येक क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणित बाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टररोल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जांच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व है। अन्यथा की स्थिति में पंचायत राज विभाग उ0 प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु-08(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बाउचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुये वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। अतः उपरोक्त व्यय रू0 480721 गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्री सुरेश एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विजय सिंह कटियार से रू0 240360-50 बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

आप0सं0 11

प्रस्तर 02

छात्रवृद्धि खाता संख्या पुराना 2000/4702 नया 000711002005796 जिला सहकारी बैंक लि0 आगरा से निम्न विवरण के अनुसार धनराशि का आहरण किया गया

दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	आहरण कर्ता का नाम
19.06.12	147641	5100.00	राजबीर सिंह सचिव
01.01.15	अंकित नहीं	52000.00	विजय सिंह सचिव
	योग—	57100.00	

उक्त आहरित धनराशि का छात्रों को वितरण नहीं किया गया और न ही अनुदान दाता को वापिस किया गया ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि धनराशि का अपहरण कर लिया गया जिसकी वसूली सम्बन्धित आहरण कर्ता क्रमशः श्री राजबीर सिंह तत्कालीन सचिव व विजय सिंह कटियार वर्तमान सचिव से ब्याज सहित वसूली

कर सम्बन्धित अनुदान दाता को वापिस किया जाना अपेक्षित है। साथ ही उत्तरदायी सचिव के विरुद्ध विभागीय दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाया जाना अपेक्षित है।

आप0सं0 10

ग्राम पंचायत—सोनोठी

विकास खण्ड फतेहपुर सीकरी, ले0 प0 2014—15

प्रधान का नाम—श्रीमती सन्तोष कुमारी

ग्रा0प0वि0अधि0 श्री नरेश कुमार सिंघल

प्रस्तर—01

लेखा परीक्षा वर्ष 2014—15 में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण एवं मरम्मत कार्यो हेतु सामग्री, मजदूरी व्यय एवं अन्य वस्तुओं के मद में निम्न प्रकार व्यय दर्शाया गया है।

क्र0सं0	मद	धनराशि
1.	भवन निर्माण सामग्री	1161698
2.	मजदूरी	260978
3.	हैण्डपम्प	23080
4.	स्ट्रीट लाइट	43800
5.	कूड़ा गाड़ी	5500
6.	वॉल पेन्टिंग	5664
	योग—	1500720

उपरोक्त विवरण के अनुसार क्रय, व्यय पर कुल रू0 1506720.00 व्यय किया गया लेकिन निर्माण सामग्री क्रय से सम्बन्धित कोई भी बाउचर्स, मजदूरी भुगतान सम्बन्धित कोई मस्टररोल एवं अन्य मदों में व्यय सम्बन्धित कोई प्रमाणक/रसीद लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि प्रत्येक क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणित बाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टररोल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जांच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व है। अन्यथा की स्थिति में पंचायत राज विभाग उ0 प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय—8 के बिन्दु—08(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुये वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। अतः उपरोक्त व्यय रू0 1506720.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती सन्तोष कुमारी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री नरेश कुमार सिंघल से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

आप0सं0—07,11 व 12

ग्राम पंचायत—मंगोली

विकास खण्ड फतेहपुर सीकरी, ले0 प0 2014—15

प्रधान का नाम—श्री गोरे लाल

ग्रा0प0वि0अधि0 श्री धर्मेन्द्र सिंह

प्रस्तर—01

लेखा परीक्षा वर्ष 2014—15 में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण एवं मरम्मत कार्यो हेतु सामग्री, मजदूरी व्यय एवं अन्य वस्तुओं के मद में निम्न प्रकार व्यय दर्शाया गया है।

क्र०सं०	मद	धनराशि
1.	भवन निर्माण सामग्री	664805
2.	मजदूरी	168500
3.	हैण्डपम्प	50500
4.	मिट्टी भराव	229750
5.	कूड़ा गाड़ी	5500
6.	स्टेशनरी	11850
7.	मानदेय प्रधान (अवधि स्पष्ट नहीं)	49750
	योग—	1180655.00

उपरोक्त विवरण के अनुसार क्रय, व्यय पर कुल रू० 1180655.00 व्यय किया गया लेकिन निर्माण सामग्री क्रय से सम्बन्धित कोई भी बाउचर्स, मजदूरी भुगतान सम्बन्धित कोई मस्टररोल एवं अन्य मदों में व्यय सम्बन्धित कोई प्रमाणक/रसीद लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि प्रत्येक क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणित बाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टररोल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जांच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व है। अन्यथा की स्थिति में पंचायत राज विभाग उ० प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु-08(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुये वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। अतः उपरोक्त व्यय रू० 1180655.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्री गोरे लाल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री धर्मेन्द्र सिंह से रू० 590327-50 बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

आप०सं०-07,10 व 11

ग्राम पंचायत-डाबर

विकास खण्ड फतेहपुर सीकरी, ले० प० 2014-15

प्रधान का नाम-श्रीमती मछला

ग्रा०प०वि०अधि० श्री धर्मेन्द्र सिंह

प्रस्तर-01

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण एवं मरम्मत कार्यों हेतु सामग्री, मजदूरी व्यय एवं अन्य वस्तुओं के मद में निम्न प्रकार व्यय दर्शाया गया है।

क्र०सं०	मद	धनराशि
1.	भवन निर्माण सामग्री	531956
2.	मजदूरी	102000
3.	हैण्डपम्प	27400
4.	मिट्टी भराव	123000
5.	नाला सफाई	27500
6.	स्टेशनरी	10496
7.	मानदेय प्रधान	39750
	योग—	862102.00

उपरोक्त विवरण के अनुसार क्रय, व्यय पर कुल रू० 862102.00 व्यय किया गया लेकिन निर्माण सामग्री क्रय से सम्बन्धित कोई भी बाउचर्स, मजदूरी भुगतान सम्बन्धित कोई मस्टररोल एवं अन्य मदों में व्यय सम्बन्धित

कोई प्रमाणक/रसीद लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि प्रत्येक क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणित बाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टररोल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जांच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व है। अन्यथा की स्थिति में पंचायत राज विभाग उ० प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु-08(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बाउचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुये वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। अतः उपरोक्त व्यय रू० 862102.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती मछला एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री धर्मेन्द्र सिंह से रू० 431051-00 बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

आप०सं० 07, व 10

ग्राम पंचायत-भडकोल

विकास खण्ड फतेहपुर सीकरी, ले० प० 2014-15

प्रधान का नाम-श्रीमती गंगादेवी

ग्रा०प०वि०अधि० श्री धर्मेन्द्र सिंह

प्रस्तर-01

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण एवं मरम्मत कार्य हेतु सामग्री, मजदूरी व्यय एवं अन्य वस्तुओं के मद में निम्न प्रकार व्यय दर्शाया गया है।

क्र०सं०	मद	धनराशि
1.	भवन निर्माण सामग्री	453012
2.	मजदूरी	141000
3.	हैण्डपम्प	21000
4.	मिटटी भराव	258100
5.	स्टेशनरी	10568
6.	मानदेय प्रधान	38500
	योग-	922180.00

उपरोक्त विवरण के अनुसार क्रय, व्यय पर कुल रू० 922180.00 व्यय किया गया लेकिन निर्माण सामग्री क्रय से सम्बन्धित कोई भी बाउचर्स, मजदूरी भुगतान सम्बन्धित कोई मस्टररोल एवं अन्य मदों में व्यय सम्बन्धित कोई प्रमाणक/रसीद लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि प्रत्येक क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणित बाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टररोल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जांच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व है। अन्यथा की स्थिति में पंचायत राज विभाग उ० प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु-08(क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बाउचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुये वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। अतः उपरोक्त व्यय रू० 922180.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती मछला एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री धर्मेन्द्र सिंह से रू० 461090-00 बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

आप०सं०-07, व 11

ग्राम पंचायत—मंडी मिर्जा खॉ
प्रधान का नाम—श्री वदन सिंह
प्रस्तर—01

विकास खण्ड फतेहपुर सीकरी, ले0 प0 2014—15
ग्रा0प0वि0अधि0 श्री धर्मेन्द्र सिंह

लेखा परीक्षा वर्ष 2014—15 में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण एवं मरम्मत कार्यो हेतु सामग्री, मजदूरी व्यय एवं अन्य वस्तुओं के मद में निम्न प्रकार व्यय दर्शाया गया है।

क्र0सं0	मद	धनराशि
1.	भवन निर्माण सामग्री	1081556
2.	मजदूरी	209000
4.	कूड़ा गाड़ी	5500
5.	स्टेशनरी	10775
6.	मानदेय प्रधान	24250
	योग—	1331081

उपरोक्त विवरण के अनुसार क्रय, व्यय पर कुल रू0 1413081.00 व्यय किया गया लेकिन निर्माण सामग्री क्रय से सम्बन्धित कोई भी बाउचर्स, मजदूरी भुगतान सम्बन्धित कोई मस्टररोल एवं अन्य मदों में व्यय सम्बन्धित कोई प्रमाणक/रसीद लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि प्रत्येक क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणित बाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टररोल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जांच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व है। अन्यथा की स्थिति में पंचायत राज विभाग उ0 प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय—8 के बिन्दु—08 (क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुये वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। अतः उपरोक्त व्यय रू0 1331081.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान वदन सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री धर्मेन्द्र सिंह से रू0 665540—50 बराबर—बराबर ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

आप0सं0—07,10,12 व 14

ग्राम पंचायत—सिंगारपुर
प्रधान का नाम—श्री तत्कालीन
प्रस्तर—01

विकास खण्ड फतेहपुर सीकरी, ले0 प0 2014—15
ग्रा0प0वि0अधि0 श्री धर्मेन्द्र सिंह

लेखा परीक्षा वर्ष 2014—15 में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण एवं मरम्मत कार्यो हेतु सामग्री, मजदूरी व्यय एवं अन्य वस्तुओं के मद में निम्न प्रकार व्यय दर्शाया गया है।

क्र0सं0	मद	धनराशि
1.	भवन निर्माण सामग्री	401200
2.	मजदूरी	73940
4.	कूड़ा गाड़ी	5500
5.	स्टेशनरी/व्यय के सापेक्ष अस्पष्ट	17940
6.	मानदेय प्रधान	10750
7.	पंचायत घर	5500
8.	स्ट्रीट लाइट	115450

9.	मिट्टी भराव	69000
10	नाला सफाई	30000
	योग—	729280

उपरोक्त विवरण के अनुसार क्रय, व्यय पर कुल ₹0 729280.00 व्यय किया गया लेकिन निर्माण सामग्री क्रय से सम्बन्धित कोई भी बाउचर्स, मजदूरी भुगतान सम्बन्धित कोई मस्टररोल एवं अन्य मदों में व्यय सम्बन्धित कोई प्रमाणक/रसीद लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि प्रत्येक क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणित बाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टररोल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जांच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व है। अन्यथा की स्थिति में पंचायत राज विभाग उ० प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु-08 (क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुये वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। अतः उपरोक्त व्यय ₹0 729280.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान तत्कालीन एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री धर्मेन्द्र सिंह से ₹0 364640-00 बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

आप०सं० 07,10,11 व 16

ग्राम पंचायत-अरतौनी विकास खण्ड बिचपुरी, ले० प० 2014-15

प्रधान का नाम-श्रीमती अन्जू वर्मा ग्रा०प०वि०अधि० श्री संजय वर्मा

प्रस्तर-01

दिनांक 24.05.2014 को मानदेय प्रधान ₹0 435200.00 अवधि 10/2010 से 05/2014 तक का भुगतान किया गया है। ग्राम पंचायत में प्रधान के निर्वाचन उपरान्त से मानदेय भुगतान न किया जाना पंचायत सचिव की घोर उदासीनता का परिचायक है। ऐसा प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा विगत वर्षों में भी मानदेय का भुगतान कर दिया है। अतः उक्त प्रधान के पूरे पाँच वर्षों की एक साथ जांच कराई जाये। सत्यता पाये जाने पर ग्राम प्रधान तथा ग्राम सचिव से संयुक्त रूप से वसूली कर वित्त नियंत्रक पंचायती राज द्वारा निर्धारित हैड में जमा कराया जाना अपेक्षित है। उक्त सचिव मानदेय का समय पूर्व भुगतान करने का अभ्यस्त है जैसे 31.05.2014 का 24.05.2014 को 31.12.2014 का 30.12.2014 तथा 31.03.2015 को। अतः विभागीय कार्यवाही भी अपेक्षित है।

आप०सं० 22

प्रस्तर 02

ग्राम पंचायत द्वारा ₹0 63180.00 का भुगतान मनरेगा द्वारा कराये गये पिछले कार्य का किया गया है जो कि ग्राम निधि के अनुदान का खुला दुरुपयोग है। पिछले कार्य का ट्रैक्टर भाड़ा 54 दिन दर ₹0 1170.00 क्यो दिया गया। संक्षम अधिकारी की जाँचोपरान्त स्वीकृति, भुगतान इस निधि से क्यो आवश्यक रहा। आदि का उत्तर लेखा परीक्षा दौरान अप्राप्त रहा। ब्याज सहित वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

दिनांक 13.01.2015 ₹0 31590.00

दिनांक 14.01.2015 ₹0 31590.00

योग-₹0 63180.00

आप० सं० 23

ग्राम पंचायत—गढसानी
प्रधान का नाम—श्रीमती उर्मिला
प्रस्तर—01

विकास खण्ड बिचपुरी, ले0 प0 2014—15
ग्रा0प0वि0अधि0 श्री रामबीर सिंह

दिनांक 28.08.2014 को रू0 40,600.00 मस्टररोल पूर्व भुगतान अंकित कर किया गया है। उक्त की अवधि तथा कार्य स्थल अंकित न होने से संन्देहात्मक प्रतीत होता है। ब्याज सहित वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

आप0 सं0 19

ग्राम पंचायत—खलौआ
प्रधान का नाम—श्रीमती शिव देवी
प्रस्तर— 01

विकास खण्ड बिचपुरी, ले0 प0 2014—15
ग्रा0प0वि0अधि0 श्री रामबीर सिंह

ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 28.12.2014 को रू0 11625.00 लाल पत्थर स्वास्थ्य केन्द्र के सामने लगवाई व्यय दर्शित है। कैशबुक की जांच के दौरान प्रकाश में आया कि पत्थर क्रय ही नहीं किये गये तब कराया गया कार्य फर्जी तथा व्यय फर्जी दर्शाकर धन का अपहरण किया गया। अतः ब्याज सहित वसूली ग्राम सचिव श्री रामबीर सिंह तथा ग्राम प्रधान श्रीमती शिव देवी से रू0 5812—50 बराबर—बराबर करके वित्त नियन्त्रक पंचायती राज द्वारा निर्धारित हैड मे जमा कराया जाना अपेक्षित है।

आप0 सं0 07

प्रस्तर 02

आलोच्य वर्ष मे ग्राम पंचायत द्वारा राजकीय सफाई कर्मचारी की तैनाती होते हुऐ भी ग्राम पंचायत सफाई, कूड़ा कचारा हटवाई आदि पर रू0 83570.00 कतिपय तिथियों में भुगतान दर्शाकर अनुदान का दुरुपयोग ही किया है। जिसकी विभागीय जांचोपरान्त अवश्य कार्यवाही की जाये। सत्यता पाये जाने पर ग्राम सचिव तथा ग्राम प्रधान से धनराशि रू0 41785—00 बराबर—बराबर ब्याज सहित वसूली कर वित्त नियन्त्रक पंचायती राज द्वारा निर्धारित हैड मे जमा कराया जाना अपेक्षित है। जैसे 26.06.2014 रू0 46000.00, 30.06.2014 रू0 7500.00, 03.07.2014 रू0 4720.00, 08.07.2014 रू0 5000.00 व 10000.00 तथा 29.12.2014 रू0 10350.00 आदि।

आप0 सं0 11

ग्राम पंचायत—सरदवन
प्रधान का नाम—श्री अशोक पाठक
प्रस्तर—01

विकास खण्ड बिचपुरी, ले0 प0 2014—15
ग्रा0प0वि0अधि0 श्री प्रमोद दुबे

दिनांक 21.09.2014 को खड़जा निर्माण राजेन्द्र के प्लाट से सत्य प्रकाश के घर तक व्यय धनराशि रू0 3000.00 जबकि उक्त खड़जा के साथ 30.09.2014 को नाली निर्माण व्यय रू0 9000.00 दर्शित किया गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि नाली निर्माण हेतु सीमेन्ट, रेता आदि क्रय ही नहीं किया गया तब उक्त निर्माण कार्य तथा भुगतानित धनराशि फर्जी /काल्पनिक रही। अतः ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

आप0 सं0—27

ग्राम पंचायत—लडामदा
प्रधान का नाम—श्री भगवती
प्रस्तर—01

विकास खण्ड बिचपुरी, ले0 प0 2014—15
ग्रा0प0वि0अधि0 श्री मोहन सिंह

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा समरसेबल मरम्मत करवाई व्यय रू0 25400.00 का व्यय विभिन्न तिथियों में दर्शाया गया है, जबकि विकास खण्ड से सम्बन्धित ग्राम सचिव के अतिरिक्त किसी भी कार्मिक द्वारा उक्त मद में व्यय दर्शित नहीं किया गया है। स्पष्ट है उक्त धनराशि का दुरुपयोग किया गया है। ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

आप0 सं0—13

ग्राम पंचायत— अजीजपुर
प्रधान का नाम—श्रीमती गुडड़ी
प्रस्तर—01

विकास खण्ड —बिचपुरी, ले0 प0 2014—15
ग्रा0प0वि0अधि0 श्री मोहन सिंह

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष दौरान निम्न माह में अन्तिम शेष वास्तविक से कम दर्शित कर धनराशि का अपहरण किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम सचिव श्री मोहन सिंह तथा ग्राम प्रधान श्रीमती गुडड़ी से कर वित्त नियन्त्रक पंचायतीराज द्वारा निर्धारित हैड में जमा कराई जानी अपेक्षित है।

माह	गणनानुसार आय	कैशबुक में दर्शित	गणनानुसार शेष	कैशबुक में दर्शित	अन्तर वसूली योग्य
09 / 14	1248215.00	1244615.00	3890.00	290.00	3600.00
02 / 15	1573776.00	1569194.00	4582.00	3982.00	600.00
				योग—	4200.00

आप0 सं0 22

प्रस्तर 02

दिनांक 24.12.2014 को चेक संख्या— 11261 से रू0 10000.00 का बैंक से आहरण किया गया है परन्तु कैशबुक में दर्ज नहीं पाया गया स्पष्ट है कि रू0 10000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम सचिव श्री मोहन सिंह तथा ग्राम प्रधान श्रीमती गुडड़ी से रू0 5000—00 कर वित्त नियन्त्रक पंचायती राज द्वारा निर्धारित हैड में जमा कराई जानी अपेक्षित है।

आप0 सं0 23

ग्राम पंचायत— चौहटना
प्रधान का नाम—श्री ओमप्रकाश व श्री मोहन सिंह
प्रस्तर—01

विकास खण्ड —बिचपुरी, ले0 प0 2014—15
ग्रा0प0वि0अधि0 श्री बिजेन्द्र सिंह

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष दौरान ग्राम पंचायत से कूड़ा हटवाई पर निम्न विवरण अनुसार रू0 10750.00 का भुगतान कर अनुदान का दुरुपयोग किया है। वर्ष दौरान ग्राम पंचायत पर राजकीय सफाई कर्मचारी की तैनाती रही है। उक्त भुगतान का पूर्ण रूप से दुरुपयोग किया गया है। जांचोपरान्त उचित एवं आवश्यक कार्यवाही की जाये । जाँच में सत्यता पाये जाने पर वित्त नियन्त्रक द्वारा ब्याज सहित वसूली निर्धारित हैड में धनराशि जमा कराई जाये ।

जैसे —	06.08.2014	रू0 5000.00
	04.09.2014	रू0 1500.00
	22.03.2015	रू0 4250.00
	योग—	रू0 10750.00

आ0 सं0 22

प्रस्तर 02

ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 24.03.2015 को पंचायत घर प्लास्टर कराई व्यय दर्शित किया गया है। सम्बन्धित पंचायत घर का निर्माण किस समय तैयार किया गया की जानकारी लेखा परीक्षा दौरान नहीं दी गई तथा दिनांक 24.03.2015 को ही रु0 50000.00 का विल्डिंग मैटेरियल क्रय किया गया है। उक्त तिथि को दर्शित प्लास्टर पूर्णतः फर्जी काल्पनिक है, ब्याज सहित वसूली कार्यवाही अपेक्षित है।

आप0सं0 23**ग्राम पंचायत— मलिकपुर****विकास खण्ड —फतेहपुर सीकरी, ले0 प0 2014—15****प्रधान का नाम—श्री अमरचन्द्र,****ग्रा0प0वि0अधि0 श्री सुरेन्द्र सिंह भदौरिया****प्रस्तर—01**

लेखा परीक्षा वर्ष 2014—15 में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण एवं मरम्मत कार्यों हेतु सामग्री, मजदूरी व्यय एवं अन्य वस्तुओं के मद में निम्न प्रकार व्यय दर्शाया गया है।

क्र0सं0	मद	धनराशि
1.	भवन निर्माण सामग्री	165490
2.	मजदूरी	85920
4.	हैण्ड पम्प मरम्मत	43300
5.	मिटटी भराव	48925
6.	मानदेय प्रधान	35000
7.	वाल पेन्टिंग	5448
8.	बेरी	2500
9.	फोटो स्टेट	500
10.	फीडिंग	4500
	योग—	391583

उपरोक्त विवरण के अनुसार क्रय, व्यय पर कुल रु0 391583.00 व्यय किया गया लेकिन निर्माण सामग्री क्रय से सम्बन्धित कोई भी बाउचर्स, मजदूरी भुगतान सम्बन्धित कोई मस्टररोल एवं अन्य मदों में व्यय सम्बन्धित कोई प्रमाणक/रसीद लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि प्रत्येक क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणित बाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टररोल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जांच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व है। अन्यथा की स्थिति में पंचायत राज विभाग उ0 प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय—8 के बिन्दु—08 (क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुये वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। अतः उपरोक्त व्यय रु0 391583.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान अमर चन्द्र एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुरेन्द्र सिंह भदौरिया से रु0 195791—00 बराबर—बराबर ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

आप0सं0—07 व 10,

ग्राम पंचायत— दयौरैठा
प्रधान का नाम—श्री रामजीलाल,
प्रस्तर—01

विकास खण्ड —फतेहपुर सीकरी, ले0 प0 2014—15
ग्रा0प0वि0अधि0 श्री तालेवर शर्मा

लेखा परीक्षा वर्ष 2014—15 में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण एवं मरम्मत कार्यों हेतु सामग्री, मजदूरी व्यय एवं अन्य वस्तुओं के मद में निम्न प्रकार व्यय दर्शाया गया है।

क्र0सं0	मद	धनराशि
1.	भवन निर्माण सामग्री	238920
2.	मजदूरी	50896
4.	हैण्ड पम्प मरम्मत	122091
5.	मिट्टी भराव	199790
6.	स्ट्रीट लाइट	91250
7.	वृक्षा रोपण	1250
8.	नाला सफाई	9982
	योग—	714179

उपरोक्त विवरण के अनुसार क्रय, व्यय पर कुल रू0 714179.00 व्यय किया गया लेकिन निर्माण सामग्री क्रय से सम्बन्धित कोई भी बाउचर्स, मजदूरी भुगतान सम्बन्धित कोई मस्टररोल एवं अन्य मदों में व्यय सम्बन्धित कोई प्रमाणक/रसीद लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि प्रत्येक क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणित बाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टररोल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जांच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व है। अन्यथा की स्थिति में पंचायत राज विभाग उ0 प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय—8 के बिन्दु—08 (क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुये वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। अतः उपरोक्त व्यय रू0 714179.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्री रामजी लाल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री तालेवर सिंह से रू0 357089—00 बराबर—बराबर ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

आप0सं0 09

ग्राम पंचायत—दूरा

विकास खण्ड —फतेहपुर सीकरी, ले0 प0 2014—15

प्रधान का नाम—श्रीमती मछला देवी, ग्रा0प0वि0अधि0 श्री तालेवर शर्मा

प्रस्तर—01

लेखा परीक्षा वर्ष 2014—15 में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण एवं मरम्मत कार्यों हेतु सामग्री, मजदूरी व्यय एवं अन्य वस्तुओं के मद में निम्न प्रकार व्यय दर्शाया गया है।

क्र0सं0	मद	धनराशि
1.	भवन निर्माण सामग्री	1471443
2.	मजदूरी	335676
4.	हैण्ड पम्प मरम्मत	55080
5.	मिट्टी भराव	19500

6.	स्ट्रीट लाइट	87750
	योग—	1969449

उपरोक्त विवरण के अनुसार क्रय, व्यय पर कुल रू0 1969449.00 व्यय किया गया लेकिन निर्माण सामग्री क्रय से सम्बन्धित कोई भी बाउचर्स, मजदूरी भुगतान सम्बन्धित कोई मस्टररोल एवं अन्य मदों में व्यय सम्बन्धित कोई प्रमाणक/रसीद लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि प्रत्येक क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणित बाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टररोल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जांच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व है। अन्यथा की स्थिति में पंचायत राज विभाग उ0 प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु-08 (क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुये वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। अतः उपरोक्त व्यय रू0 1969449.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती मछला देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री तालेवर सिंह से रू0 984724-50 बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

आप0सं0 10

प्रस्तर 02

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में ग्राम प्रधान/सचिव द्वारा ग्राम पंचायत कोशबही में बैंक से आहरित धनराशि के सापेक्ष दर्शित व्ययों का योग वास्तविक योग से अधिक दर्शाकर धनराशि का अपहरण किया गया। ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है।

क्र0	माह	कैश बही अनु0योग(व्यय पक्ष) ले0प0 अनु0माह के व्ययों का योग	अन्तर
1.	जून	97060.00	91060 6000.00

ग्राम पंचायत— सीकरी चार हिस्सा विकास खण्ड —फतेहपुर सीकरी, ले0 प0 2014-15
 प्रधान का नाम—श्रीमती मुन्नी देवी, ग्रा0प0वि0अधि0 श्री भोरन सिंह

प्रस्तर-01

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण एवं मरम्मत कार्यों हेतु सामग्री, मजदूरी व्यय एवं अन्य वस्तुओं के मद में निम्न प्रकार व्यय दर्शाया गया है।

क्र0सं0	मद	धनराशि
1.	भवन निर्माण सामग्री	2061918
2.	मजदूरी	567626
4.	हैण्ड पम्प मरम्मत	61418
	योग—	2690962

उपरोक्त विवरण के अनुसार क्रय, व्यय पर कुल रू0 2690962.00 व्यय किया गया लेकिन निर्माण सामग्री क्रय से सम्बन्धित कोई भी बाउचर्स, मजदूरी भुगतान सम्बन्धित कोई मस्टररोल एवं अन्य मदों में व्यय सम्बन्धित कोई प्रमाणक/रसीद लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि प्रत्येक क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणित बाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टररोल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जांच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व है। अन्यथा की स्थिति में

पंचायत राज विभाग उ० प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु-08 (क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुये वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। अतः उपरोक्त व्यय रू० 2690962.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती मुन्नी देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री भोरन सिंह से रू० 1345481-00 बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

आप०सं० 09

प्रस्तर 02

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में प्रधान/सचिव द्वारा कोषबही में बैंक से आहरित धनराशि के सापेक्ष दर्शित व्ययों का योग वास्वतविक योग से अधिक दर्शाकर धनराशि का अपहरण किया गया विवरण निम्न प्रकार है-

क्र०	माह	कैश बही अनु०योग(व्यय पक्ष)	ले०प० अनु०माह के व्ययों का योग	अन्तर
1.	4 / 14	1702850.00	1701576.00	1274.00

अतः रू० 1274.00 का अपहरण कर लिया गया जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती मुन्नी देवी व सचिव श्री भोरन सिंह से रू० 637-00 बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

आप०सं०-10

प्रस्तर 03

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में ग्राम प्रधान व सचिव द्वारा कोषबही के आय पक्ष का योग वास्वतविक योग से कम दर्शाकर रोकड़ शेष का अपहरण कर लिया गया विवरण निम्न प्रकार है।

माह	कोषबही अनु०योग	लेखा परी० अनु० योग	अन्तर
6 / 14	35683.00	42883.00	7200.00

अतः उक्त धनराशि रू० 7200.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती मुन्नी देवी व सचिव श्री भोरन सिंह से रू० 3600-00 बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आप० सं० 11

प्रस्तर 04

दिनांक 01.03.2015 को चेक संख्या- 011738 खाता संख्या 3112862900 से श्री भोरन सिंह द्वारा रू० 55000.00 का आहरण किया गया लेकिन कैश बुक में मात्र रू० 5500.00 दर्शाया गया व मासिक योग में भी रू० 5500.00 ही लिया गया अतः रू० 49500.00 का श्री भोरन सिंह द्वारा अपहरण कर लिया गया जिसकी वसूली रू० 3600-00 बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है साथ ही विभागीय कार्यवाही अमल में लाई जानी अपेक्षित है।

आ० सं० 13

प्रस्तर 05

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में निम्न विवरणानुसार बैंक से धनराशि आहरित कर कैश बुक में अंकन नहीं किया गया अतः उक्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया विवरण निम्नानुसार है।

क्र०सं०	दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	अभ्युक्ति
1	11.07.2014	04565	12000.00	ग्राम निधि प्रथम
2	04.08.2014	04566	15000.00	

3	14.08.2014	04567	70000.00	
4	14.08.2014	04568	67500.00	
5	14.08.2014	04569	50820.00	
6	22.08.2014	04570	25000.00	
7	20.08.2014	04571	22000.00	
8	25.08.2014	04572	5000.00	
9	25.08.2014	04573	35000.00	
10	25.11.2014	0011328	30000.00	
		योग—	332320.00	

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि आहरित धनराशि रू0 332320.00 का लेखांकन कोषबही के आय पक्ष में नहीं किये जाने के कारण धनराशि ग्राम पंचायत अभिलेखों से बाहर है जो अपहरण है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती मुन्नी देवी व सचिव श्री भोरन सिंह से रू0 166160-00 बराबर बराबर किया जाना अपेक्षित है।

आ0 सं0-15

ग्राम पंचायत— ताजपुर नगरीया,
प्रधान का नाम—श्री लाखन सिंह,
प्रस्तर—01

विकास खण्ड —फतेहपुर सीकरी, ले0 प0 2014-15
ग्रा0प0वि0अधि0 श्री भोरन सिंह

लेखा परीक्षा वर्ष 14-15 में ग्राम प्रधान/सचिव द्वारा ग्राम पंचायत कोषबही में बैंक से आहरित धनराशि के सापेक्ष दर्शित व्ययों का योग वास्तविक योग से अधिक दर्शाकर धनराशि का अपहरण किया गया विवरण निम्न प्रकार है—

क्र0	माह	कैश बही अनु0योग(व्यय पक्ष)	ले0प0 अनु0माह के व्ययों का योग	अन्तर
1.	8/14	170497.00	177997.00	7500.00
2.	3/15	135934.00	140934.00	5000.00
		योग—	12500.00	

अतः रू0 12500.00 का अपहरण कर लिया गया जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री लाखन सिंह व सचिव श्री भोरन सिंह से रू0 6250-00 बराबर बराबर किया जाना अपेक्षित है।

आ0 सं0 09

प्रस्तर 02

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण एवं मरम्मत कार्य हेतु सामग्री, मजदूरी व्यय एवं अन्य वस्तुओं के मद में निम्न प्रकार व्यय दर्शाया गया है।

क्र0सं0	मद	धनराशि
1.	भवन निर्माण सामग्री	175740
2.	मजदूरी	38857
3.	हैण्ड पम्प मरम्मत	34275
4.	मिट्टी भराव	29400
5.	नाली सफाई	12480
6.	स्ट्रीट लाइट	59430
7.	कूड़ा गाड़ी क्रय	5500
	योग—	355682

उपरोक्त विवरण के अनुसार क्रय, व्यय पर कुल रू0 355682.00 व्यय किया गया लेकिन निर्माण सामग्री क्रय से सम्बन्धित कोई भी बाउचर्स, मजदूरी भुगतान सम्बन्धित कोई मस्टररोल एवं अन्य मदों में व्यय सम्बन्धित कोई प्रमाणक/रसीद लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि प्रत्येक क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणित बाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टररोल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जांच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व है। अन्यथा की स्थिति में पंचायत राज विभाग उ0 प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु-08 (क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुये वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। अतः उपरोक्त व्यय रू0 355682.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्री लाखन सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री भोरन सिंह से रू0 177841-00 बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

आप0सं0-10व15

ग्राम पंचायत- सिरौली, विकास खण्ड -फतेहपुर सीकरी, ले0 प0 2014-15

प्रधान का नाम-श्री साहूकार सिंह, ग्रा0प0वि0अधि0 श्री तालेवर शर्मा

प्रस्तर-01

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण एवं मरम्मत कार्यों हेतु सामग्री, मजदूरी व्यय एवं अन्य वस्तुओं के मद में निम्न प्रकार व्यय दर्शाया गया है।

क्र0सं0	मद	धनराशि
1.	भवन निर्माण सामग्री	224938
2.	मजदूरी	14445
3.	हैण्ड पम्प मरम्मत	87690
4.	मिट्टी भराव	15600
5.	वौर वैल भराव	15600
6.	कूड़ा गाड़ी	6000
	योग-	364273

उपरोक्त विवरण के अनुसार क्रय, व्यय पर कुल रू0 364273.00 व्यय किया गया लेकिन निर्माण सामग्री क्रय से सम्बन्धित कोई भी बाउचर्स, मजदूरी भुगतान सम्बन्धित कोई मस्टररोल एवं अन्य मदों में व्यय सम्बन्धित कोई प्रमाणक/रसीद लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि प्रत्येक क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणित बाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टररोल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जांच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व है। अन्यथा की स्थिति में पंचायत राज विभाग उ0 प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु-08 (क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुये वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। अतः उपरोक्त व्यय रू0 364273.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्री साहूकार सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री तालेवर शर्मा से रू0 182136-50 बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

आप0सं0 09 व 10

ग्राम पंचायत—टीकरी,
प्रधान का नाम—श्री तत्कालीन,
प्रस्तर—01

विकास खण्ड—फतेहपुर सीकरी, ले० प० 2014—15
ग्रा०प०वि०अधि० श्री तालेवर शर्मा

लेखा परीक्षा वर्ष 2014—15 में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण एवं मरम्मत कार्यों हेतु सामग्री, मजदूरी व्यय एवं अन्य वस्तुओं के मद में निम्न प्रकार व्यय दर्शाया गया है।

क्र०सं०	मद	धनराशि
1.	भवन निर्माण सामग्री	514908
2.	मजदूरी	72634
3.	हैण्ड पम्प मरम्मत	50635
4.	मिट्टी भराव	98300
5.	विज्ञापन	3524
6.	सफाई	39897
7.	कैमरा	7530
	योग—	787428

उपरोक्त विवरण के अनुसार क्रय, व्यय पर कुल रू० 787418.00 व्यय किया गया लेकिन निर्माण सामग्री क्रय से सम्बन्धित कोई भी बाउचर्स, मजदूरी भुगतान सम्बन्धित कोई मस्टररोल एवं अन्य मदों में व्यय सम्बन्धित कोई प्रमाणक/रसीद लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि प्रत्येक क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणित बाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टररोल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जांच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व है। अन्यथा की स्थिति में पंचायत राज विभाग उ० प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय—8 के बिन्दु—08 (क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुये वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। अतः उपरोक्त व्यय रू० 787428.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्री तत्कालीन एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री तालेवर शर्मा से रू० 393714—00 बराबर—बराबर ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

आप०सं० 09 व 10

ग्राम पंचायत—वानपुर,
प्रधान का नाम—श्री तत्कालीन
प्रस्तर—01

विकास खण्ड—फतेहपुर सीकरी, ले० प० 2014—15
ग्रा०प०वि०अधि० श्री तालेवर शर्मा

लेखा परीक्षा वर्ष 2014—15 में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण एवं मरम्मत कार्यों हेतु सामग्री, मजदूरी व्यय एवं अन्य वस्तुओं के मद में निम्न प्रकार व्यय दर्शाया गया है।

क्र०सं०	मद	धनराशि
1.	भवन निर्माण सामग्री	75350
2.	मजदूरी	23868
3.	हैण्ड पम्प मरम्मत	58626
4.	मिट्टी भराव	53000
5.	स्ट्रीट लाइट	73000
6.	कैमरा	7150
	योग—	290994

उपरोक्त विवरण के अनुसार क्रय, व्यय पर कुल ₹0 290994.00 व्यय किया गया लेकिन निर्माण सामग्री क्रय से सम्बन्धित कोई भी बाउचर्स, मजदूरी भुगतान सम्बन्धित कोई मस्टररोल एवं अन्य मदों में व्यय सम्बन्धित कोई प्रमाणक/रसीद लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि प्रत्येक क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणित बाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टररोल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जांच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व है। अन्यथा की स्थिति में पंचायत राज विभाग उ० प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु-08 (क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुये वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। अतः उपरोक्त व्यय ₹0 290994.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्री तत्कालीन एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री तालेवर शर्मा से ₹0 145497-00 बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

आप०सं० 09 व 10

**ग्राम पंचायत— भरापुरा,
प्रधान का नाम—श्रीमती कमलेश,
प्रस्तर—01**

**विकास खण्ड —फतेहाबाद, ले० प० 2014—15
ग्रा०प०वि०अधि० श्री त्रिलोकचन्द्र शर्मा**

लेखा परीक्षा वर्ष 2014—15 में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण एवं मरम्मत कार्यों हेतु सामग्री, मजदूरी व्यय एवं अन्य वस्तुओं के मद में निम्न प्रकार व्यय दर्शाया गया है।

क्र०सं०	मद	धनराशि
1.	भवन निर्माण सामग्री	515875
2.	मजदूरी	78218
3.	हैण्ड पम्प मरम्मत	162724
4.	मिट्टी भराव	149900
5.	परिवार रजि० कम्प्यूटरीकरण	14690
6.	सफाई	12012
7.	स्ट्रीट लाइट	73000
	योग—	1006419

उपरोक्त विवरण के अनुसार क्रय, व्यय पर कुल ₹0 1006419.00 व्यय किया गया लेकिन निर्माण सामग्री क्रय से सम्बन्धित कोई भी बाउचर्स, मजदूरी भुगतान सम्बन्धित कोई मस्टररोल एवं अन्य मदों में व्यय सम्बन्धित कोई प्रमाणक/रसीद लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि प्रत्येक क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणित बाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टररोल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जांच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व है। अन्यथा की स्थिति में पंचायत राज विभाग उ० प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु-08 (क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुये वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। अतः उपरोक्त व्यय ₹0 1006419.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती कमलेश एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री त्रिलोकचन्द्र शर्मा से ₹0 503209—50 बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

आप०सं०—09

ग्राम पंचायत— पारौली सिकरवार,
प्रधान का नाम—श्रीमती कन्ठश्री,
प्रस्तर—01

विकास खण्ड —फतेहाबाद, ले0 प0 2014—15
ग्रा0प0वि0अधि0 श्री त्रिलोकचन्द्र शर्मा

लेखा परीक्षा वर्ष 2014—15 में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण एवं मरम्मत कार्यों हेतु सामग्री, मजदूरी व्यय एवं अन्य वस्तुओं के मद में निम्न प्रकार व्यय दर्शाया गया है।

क्र0सं0	मद	धनराशि
1.	भवन निर्माण सामग्री	411164
2.	मजदूरी	68694
3.	हैण्ड पम्प मरम्मत	43695
4.	मिट्टी भराव	30400
	योग—	553953

उपरोक्त विवरण के अनुसार क्रय, व्यय पर कुल रू0 553953.00 व्यय किया गया लेकिन निर्माण सामग्री क्रय से सम्बन्धित कोई भी बाउचर्स, मजदूरी भुगतान सम्बन्धित कोई मस्टररोल एवं अन्य मदों में व्यय सम्बन्धित कोई प्रमाणक/रसीद लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि प्रत्येक क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणित बाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टररोल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जांच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व है। अन्यथा की स्थिति में पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय—8 के बिन्दु—08 (क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुये वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। अतः उपरोक्त व्यय रू0 553953.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती कन्ठ श्री एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री त्रिलोकचन्द्र शर्मा से रू0 276976—50 बराबर—बराबर ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

आप0सं0 09

ग्राम पंचायत— प्रतापपुरा,
प्रधान का नाम—श्री प्रमोद कुमार,
प्रस्तर—01

विकास खण्ड —फतेहाबाद, ले0 प0 2014—15
ग्रा0प0वि0अधि0 श्री त्रिलोकचन्द्र शर्मा

लेखा परीक्षा वर्ष 2014—15 में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण एवं मरम्मत कार्यों हेतु सामग्री, मजदूरी व्यय एवं अन्य वस्तुओं के मद में निम्न प्रकार व्यय दर्शाया गया है।

क्र0सं0	मद	धनराशि
1.	भवन निर्माण सामग्री	612300
2.	मजदूरी	106934
3.	हैण्ड पम्प मरम्मत	189206
4.	मिट्टी भराव	71000
5.	परिवार रजि0 कम्प्यूटरीकरण	14690
6.	सफाई	12012
7.	स्ट्रीट लाइट	73000
	योग—	1079142

उपरोक्त विवरण के अनुसार क्रय, व्यय पर कुल ₹0 1079142.00 व्यय किया गया लेकिन निर्माण सामग्री क्रय से सम्बन्धित कोई भी बाउचर्स, मजदूरी भुगतान सम्बन्धित कोई मस्टररोल एवं अन्य मदों में व्यय सम्बन्धित कोई प्रमाणक/रसीद लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि प्रत्येक क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणित बाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टररोल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जांच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व है। अन्यथा की स्थिति में पंचायत राज विभाग उ० प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु-08 (क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुये वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। अतः उपरोक्त व्यय ₹0 1079142.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्री प्रमोद कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री त्रिलोकचन्द्र शर्मा से ₹0 539571-00 बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

आप०सं० 09

ग्राम पंचायत- सलेमपुर मुडिया,

विकास खण्ड -फतेहाबाद, ले० प० 2014-15

प्रधान का नाम-श्री रामप्रसाद,

ग्रा०प०वि०अधि० श्री महेश वर्मा

प्रस्तर-01

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण एवं मरम्मत कार्यों हेतु सामग्री, मजदूरी व्यय एवं अन्य वस्तुओं के मद में निम्न प्रकार व्यय दर्शाया गया है।

क्र०सं०	मद	धनराशि
1.	भवन निर्माण सामग्री	663340.00
2.	मजदूरी	125378.00
3.	हैण्ड पम्प मरम्मत	174900.00
4.	मिट्टी भराव	47786.00
5.	स्ट्रीट लाइट	103500.00
	योग-	1114904.00

उपरोक्त विवरण के अनुसार क्रय, व्यय पर कुल ₹0 1114904.00 व्यय किया गया लेकिन निर्माण सामग्री क्रय से सम्बन्धित कोई भी बाउचर्स, मजदूरी भुगतान सम्बन्धित कोई मस्टररोल एवं अन्य मदों में व्यय सम्बन्धित कोई प्रमाणक/रसीद लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि प्रत्येक क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणित बाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टररोल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जांच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व है। अन्यथा की स्थिति में पंचायत राज विभाग उ० प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु-08 (क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुये वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। अतः उपरोक्त व्यय ₹0 1114904.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्री रामप्रसाद एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री त्रिलोकचन्द्र शर्मा से ₹0 557452-00 बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

आप०सं०-09

ग्राम पंचायत— रामपुर मुडिया,
प्रधान का नाम—श्रीमती नीरज,
प्रस्तर—01

विकास खण्ड —फतेहाबाद, ले0 प0 2014—15
ग्रा0प0वि0अधि0 श्री नीरज शर्मा

लेखा परीक्षा वर्ष 2014—15 में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण एवं मरम्मत कार्यों हेतु सामग्री, मजदूरी व्यय एवं अन्य वस्तुओं के मद में निम्न प्रकार व्यय दर्शाया गया है।

क्र0सं0	मद	धनराशि
1.	भवन निर्माण सामग्री	410383
2.	मजदूरी	50184
3.	हैण्ड पम्प मरम्मत	147498
4.	मिट्टी भराव	57456
5.	स्ट्रीट लाइट	17000
	योग—	682521

उपरोक्त विवरण के अनुसार क्रय, व्यय पर कुल रू0 682521.00 व्यय किया गया लेकिन निर्माण सामग्री क्रय से सम्बन्धित कोई भी बाउचर्स, मजदूरी भुगतान सम्बन्धित कोई मस्टररोल एवं अन्य मदों में व्यय सम्बन्धित कोई प्रमाणक/रसीद लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि प्रत्येक क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणित बाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टररोल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जांच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व है। अन्यथा की स्थिति में पंचायत राज विभाग उ0 प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय—8 के बिन्दु—08 (क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुये वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। अतः उपरोक्त व्यय रू0 682521.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती नीरज एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री नीरज शर्मा से रू0 बराबर—बराबर ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

आप0सं0 09

ग्राम पंचायत— नीचाखेड़ा,
प्रधान का नाम—श्री प्रकाश,
प्रस्तर— 01

विकास खण्ड —फतेहाबाद, ले0 प0 2014—15
ग्रा0प0वि0अधि0 श्री मोहम्मद हनीफ

लेखा परीक्षा वर्ष 2014—15 में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण एवं मरम्मत कार्यों हेतु सामग्री, मजदूरी व्यय एवं अन्य वस्तुओं के मद में निम्न प्रकार व्यय दर्शाया गया है।

क्र0सं0	मद	धनराशि
1.	भवन निर्माण सामग्री	364147
2.	मजदूरी	79244
3.	हैण्ड पम्प मरम्मत	163540
4.	मिट्टी भराव	25820
5.	स्ट्रीट लाइट	113900
6.	तालाब भराई	21000
	योग—	767651

उपरोक्त विवरण के अनुसार क्रय, व्यय पर कुल रू0 767651.00 व्यय किया गया लेकिन निर्माण सामग्री क्रय से सम्बन्धित कोई भी बाउचर्स, मजदूरी भुगतान सम्बन्धित कोई मस्टररोल एवं अन्य मदों में व्यय सम्बन्धित कोई प्रमाणक/रसीद लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि प्रत्येक क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणित बाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टररोल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जांच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व है। अन्यथा की स्थिति में पंचायत राज विभाग उ0 प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु-08 (क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुये वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। अतः उपरोक्त व्यय रू0 767651.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्री प्रकाश एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मो0 हनीफ से रू0 383825-50 बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

आप0सं0 09

ग्राम पंचायत-नागर, विकास खण्ड-फतेहाबाद, ले0 प0 2014-15
ग्राम प्रधान का नाम-श्रीमती सौमोती, ग्रा0प0वि0अधि0 श्री मोहम्मद हनीफ
प्रस्तर-01

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण एवं मरम्मत कार्यों हेतु सामग्री, मजदूरी व्यय एवं अन्य वस्तुओं के मद में निम्न प्रकार व्यय दर्शाया गया है।

क्र0सं0	मद	धनराशि
1.	भवन निर्माण सामग्री	310540
2.	मजदूरी	29988
3.	हैण्ड पम्प मरम्मत	93628
4.	मिट्टी भराव	41863
5.	स्ट्रीट लाइट	94650
	योग-	570669

उपरोक्त विवरण के अनुसार क्रय, व्यय पर कुल रू0 570669.00 व्यय किया गया लेकिन निर्माण सामग्री क्रय से सम्बन्धित कोई भी बाउचर्स, मजदूरी भुगतान सम्बन्धित कोई मस्टररोल एवं अन्य मदों में व्यय सम्बन्धित कोई प्रमाणक/रसीद लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि प्रत्येक क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणित बाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टररोल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जांच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व है। अन्यथा की स्थिति में पंचायत राज विभाग उ0 प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु-08 (क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुये वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। अतः उपरोक्त व्यय रू0 570669.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती सोमोती एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मो0 285334-50 हनीफ से रू0 बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

आप0सं0 09

ग्राम पंचायत— हुमायूँपुर ईधौन,
प्रधान का नाम—श्री मेघ सिंह,
प्रस्तर—01

विकास खण्ड —फतेहाबाद, ले0 प0 2014—15
ग्रा0प0वि0अधि0 श्री त्रिलोकचन्द्र शर्मा

लेखा परीक्षा वर्ष 2014—15 में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण एवं मरम्मत कार्यो हेतु सामग्री, मजदूरी व्यय एवं अन्य वस्तुओं के मद में निम्न प्रकार व्यय दर्शाया गया है।

क्र0सं0	मद	धनराशि
1.	भवन निर्माण सामग्री	502050
2.	मजदूरी	63652
3.	हैण्ड पम्प मरम्मत	143218
4.	मिट्टी भराव	31000
5.	सफाई	6240
	योग—	746160

उपरोक्त विवरण के अनुसार क्रय, व्यय पर कुल रू0 746160.00 व्यय किया गया लेकिन निर्माण सामग्री क्रय से सम्बन्धित कोई भी बाउचर्स, मजदूरी भुगतान सम्बन्धित कोई मस्टररोल एवं अन्य मदों में व्यय सम्बन्धित कोई प्रमाणक/रसीद लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि प्रत्येक क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणित बाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टररोल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जांच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व है। अन्यथा की स्थिति में पंचायत राज विभाग उ0 प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय—8 के बिन्दु—08 (क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुये वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। अतः उपरोक्त व्यय रू0 746160.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्री मेघ सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री त्रिलोक चन्द्र शर्मा से रू0 373080—00 बराबर—बराबर ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

आप0सं0 09

प्रस्तर—02

लेखा परीक्षा वर्ष 2014—15 में ग्राम पंचायत कर की वसूली को कोषबही में आमद नहीं दर्शाया गया है जबकि पंचायत कर आय के सापेक्ष सहायक विकास अधिकारी पंचायत को पंचायत कर का 10 प्रतिशत भुगतान रू0 2000.00 कोषबही में दर्शाया गया है।

अतः ब्याज सहित वसूल किये गये पंचायत कर को कोषबही में नहीं दर्शाकर रू0 20000.00 की धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री मेघ सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री त्रिलोक चन्द्र शर्मा से रू0 1000—00 बराबर—बराबर किया जाना अपेक्षित है।

आप0 सं0 12

ग्राम पंचायत—धिमश्री, विकास खण्ड —फतेहाबाद, ले0 प0 2014—15
प्रधान का नाम—श्रीमती मीरा देवी, ग्रा0प0वि0अधि0 श्री महेश वर्माप्रस्तर—01

लेखा परीक्षा वर्ष 2014—15 में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण एवं मरम्मत कार्यो हेतु सामग्री, मजदूरी व्यय एवं अन्य वस्तुओं के मद में निम्न प्रकार व्यय दर्शाया गया है।

क्र०सं०	मद	धनराशि
1.	भवन निर्माण सामग्री	2681747
2.	मजदूरी	320844
3.	हैण्ड पम्प मरम्मत	320000
4.	मिट्टी भराव	169455
5.	सफाई	48000
6.	स्ट्रीट लाइट	463250
7.	पानी की निकासी	28300
	योग-	4031596

उपरोक्त विवरण के अनुसार क्रय, व्यय पर कुल ₹0 4031596.00 व्यय किया गया लेकिन निर्माण सामग्री क्रय से सम्बन्धित कोई भी बाउचर्स, मजदूरी भुगतान सम्बन्धित कोई मस्टररोल एवं अन्य मदों में व्यय सम्बन्धित कोई प्रमाणक/रसीद लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि प्रत्येक क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणित बाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टररोल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जांच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व है। अन्यथा की स्थिति में पंचायत राज विभाग उ० प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु-08 (क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुये वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। अतः उपरोक्त व्यय ₹0 4031596.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती मीरा देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री महेश वर्मा से ₹0 2015798 बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

आप०सं०-09

प्रस्तर-02

ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 में तसला क्रय ₹0 2022.00 व्यय किया गया है लेकिन इन क्रय की गई वस्तुओं की प्रविष्टि रूप पत्र संख्या-25 स्टाक बुक में कर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। उपरोक्त व्यय की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। पंचायत राज विभाग उ० प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु-08 (क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुये वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। अतः उक्त व्यय ₹0 2022.00 गबन मानते हुए की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती मीरा देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री महेश वर्मा से ₹0 1011-00 बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

आप० सं० 12

ग्राम पंचायत- रामगढ़,
प्रधान का नाम-श्री रामगोपाल,

विकास खण्ड -फतेहाबाद, ले० प० 2014-15
ग्रा०प०वि०अधि० श्री मुहम्मद हनीफ

प्रस्तर-01

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण एवं मरम्मत कार्यों हेतु सामग्री, मजदूरी व्यय एवं अन्य वस्तुओं के मद में निम्न प्रकार व्यय दर्शाया गया है।

क्र०सं०	मद	धनराशि
1.	भवन निर्माण सामग्री	156000
2.	मजदूरी	40664

3.	हैण्ड पम्प मरम्मत	30653
4.	स्ट्रीट लाइट	27000
	योग—	254317

उपरोक्त विवरण के अनुसार क्रय, व्यय पर कुल ₹0 254317.00 व्यय किया गया लेकिन निर्माण सामग्री क्रय से सम्बन्धित कोई भी बाउचर्स, मजदूरी भुगतान सम्बन्धित कोई मस्टररोल एवं अन्य मदों में व्यय सम्बन्धित कोई प्रमाणक/रसीद लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि प्रत्येक क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणित बाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टररोल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जांच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व है। अन्यथा की स्थिति में पंचायत राज विभाग उ० प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु-08 (क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुये वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। अतः उपरोक्त व्यय ₹0 254317.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्री रामगोपाल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मुहम्मद हनीफ से ₹0 127158-50 बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

आप० सं० 09

प्रस्तर-02

ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 में कूड़ा गाड़ी क्रय ₹0 11000.00 दिनांक 22.12.2014 को व्यय किया गया है लेकिन इन क्रय की गई वस्तुओं की प्रविष्टि रूप पत्र संख्या-25 स्टाक बुक में कर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। उपरोक्त व्यय की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। पंचायत राज विभाग उ० प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु-08 (क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुये ब्याज वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उक्त व्यय ₹0 11000.00 गबन मानते हुए की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री रामगोपाल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मुहम्मद हनीफ से ₹0 5500-00 बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

आप० सं० 12

ग्राम पंचायत— रूपपुर,

प्रधान का नाम—श्रीमती विरमा देवी,

विकास खण्ड —फतेहाबाद, ले० प० 2014-15

ग्रा०प०वि०अधि० श्री मोहम्मद हनीफ

प्रस्तर-01

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण एवं मरम्मत कार्य हेतु सामग्री, मजदूरी व्यय एवं अन्य वस्तुओं के मद में निम्न प्रकार व्यय दर्शाया गया है।

क्र०सं०	मद	धनराशि
1.	भवन निर्माण सामग्री	465500
2.	मजदूरी	160030
3.	हैण्ड पम्प मरम्मत	22000
4.	मिट्टी भराव	22808
5.	तालाब भराव	6000
	योग—	676338

उपरोक्त विवरण के अनुसार क्रय, व्यय पर कुल रू0 676338.00 व्यय किया गया लेकिन निर्माण सामग्री क्रय से सम्बन्धित कोई भी बाउचर्स, मजदूरी भुगतान सम्बन्धित कोई मस्टररोल एवं अन्य मदों में व्यय सम्बन्धित कोई प्रमाणक/रसीद लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि प्रत्येक क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणित बाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टररोल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जांच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व है। अन्यथा की स्थिति में पंचायत राज विभाग उ0 प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु-08 (क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुये वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। अतः उपरोक्त व्यय रू0 676388.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती विरमा देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मोहम्मद हनीफ से रू0 338169-00 बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

आप0सं0 09

प्रस्तर-02

ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 में तसला फावडा क्रय रू0 2000.00 व्यय किया गया है लेकिन इन क्रय की गई वस्तुओं की प्रविष्टि रूप पत्र संख्या-25 स्टाक बुक में कर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। उपरोक्त व्यय की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। पंचायत राज विभाग उ0 प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु-08 (क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुये वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उक्त व्यय रू0 2000.00 गबन मानते हुये की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती श्रीमती विरमा देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मोहम्मद हनीफ से रू0 1000-00 बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

आप0 सं0 12

**ग्राम पंचायत- हुमायूँपुर गूजर,
प्रधान का नाम-श्री अमर सिंह,**

**विकास खण्ड -फतेहाबाद, ले0 प0 2014-15
ग्रा0प0वि0अधि0 श्री मोहम्मद हनीफ**

प्रस्तर-01

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण एवं मरम्मत कार्यों हेतु सामग्री, मजदूरी व्यय एवं अन्य वस्तुओं के मद में निम्न प्रकार व्यय दर्शाया गया है।

क्र0सं0	मद	धनराशि
1.	भवन निर्माण सामग्री	897200.00
2.	मजदूरी	144794.00
3.	हैण्ड पम्प मरम्मत	25000.00
4.	मिट्टी भराव	97828.00
5.	शौचालय	4000.00
	योग-	1168822.00

उपरोक्त विवरण के अनुसार क्रय, व्यय पर कुल रू0 1168822.00 व्यय किया गया लेकिन निर्माण सामग्री क्रय से सम्बन्धित कोई भी बाउचर्स, मजदूरी भुगतान सम्बन्धित कोई मस्टररोल एवं अन्य मदों में व्यय सम्बन्धित कोई प्रमाणक/रसीद लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि प्रत्येक क्रय सामग्री के

सापेक्ष प्रमाणित बाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टररोल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जांच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व है। अन्यथा की स्थिति में पंचायत राज विभाग उ० प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु-08 (क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बाउचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुये वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। अतः उपरोक्त व्यय रु० 1168822.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्री अमर सिंह देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मोहम्मद हनीफ से रु० 584411-00 बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

आप० सं० 09

प्रस्तर-02

ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 में क्रय भवन निर्माण सामग्री रु० 15000.00 (दि० 26.3.15 2500 ईट) के उपभोग की किसी भी प्रमाणक से पुष्टि नहीं होती है। अतः उपरोक्त रु० 15000-00 की निर्माण सामग्री का अपहरण कर लिया गया जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री अमर सिंह देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री त्रिलोकचन्द्र शर्मा से रु० 7500-00 बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

आप० सं० 14

प्रस्तर-03

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में ग्राम पंचायत कर की वसूली को कोषबही में आमद नहीं दर्शाया गया है जबकि पंचायत कर आय के सापेक्ष सहायक विकास अधिकारी पंचायत को पंचायत कर का 10 प्रतिशत भुगतान रु० 1000.00 कोषबही में दर्शाया गया है। अतः वसूल किये गये पंचायत कर को कोषबही में नहीं दर्शाकर रु० 10000.00 की धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री अमर सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री त्रिलोक चन्द्र शर्मा से रु० 5000-00 बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

आप० सं०-13

ग्राम पंचायत- बिहारी,

विकास खण्ड -फतेहाबाद, ले० प० 2014-15

प्रधान का नाम-श्री राधेश्याम,

ग्रा०प०वि०अधि० श्री मो० हनीफ

प्रस्तर-01

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण एवं मरम्मत कार्यों हेतु सामग्री, मजदूरी व्यय एवं अन्य वस्तुओं के मद में निम्न प्रकार व्यय दर्शाया गया है।

क्र०सं०	मद	धनराशि
1.	भवन निर्माण सामग्री	242500
2.	मजदूरी	58614
3.	हैण्ड पम्प मरम्मत	44152
4.	मिट्टी भराव	34982
5.	तालाब भराव	39900
6.	सफाई	41520
	योग-	461668

उपरोक्त विवरण के अनुसार क्रय, व्यय पर कुल रु० 461668.00 व्यय किया गया लेकिन निर्माण सामग्री क्रय से सम्बन्धित कोई भी बाउचर्स, मजदूरी भुगतान सम्बन्धित कोई मस्टररोल एवं अन्य मदों में व्यय सम्बन्धित कोई प्रमाणक/रसीद लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि प्रत्येक क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणित बाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टररोल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जांच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व है। अन्यथा की स्थिति में पंचायत

राज विभाग उ० प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु-08 (क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुये वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। अतः उपरोक्त व्यय रू० 461668.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्री अमर सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मो० हनीफ से रू० 230834-00 बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

आप० सं० 09

प्रस्तर-02

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में ग्राम पंचायत कर की वसूली को कोषवही में आमद नहीं द" र्गया गया है जबकि पंचायत कर आय के सापेक्ष सहायक विकास अधिकारी पंचायत को पंचायत कर का 10 प्रतिशत भुगतान रू० 2000.00 कोषवही में दर्शाया गया है। अतः वसूल किये गये पंचायत कर को कोषवही में नहीं दर्शाकर रू० 20000.00 की धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री अमर सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मो० हनीफ से रू० 10000-00 बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

आप० सं० 13

ग्राम पंचायत- तिबाहा, विकास खण्ड -फतेहाबाद, ले० प० 2014-15

प्रधान का नाम-श्री मजबूत सिंह, ग्रा०प०वि०अधि० श्री त्रिलोकचन्द्र शर्मा

प्रस्तर- 01

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण एवं मरम्मत कार्यो हेतु सामग्री, मजदूरी व्यय एवं अन्य वस्तुओं के मद में निम्न प्रकार व्यय दर्शाया गया है।

क्र०सं०	मद	धनराशि
1.	भवन निर्माणसामग्री	422550
2.	मजदूरी	83950
3.	हैण्ड पम्प मरम्मत	123800
4.	मिट्टी भराव	38200
	योग-	668500

उपरोक्त विवरण के अनुसार क्रय, व्यय पर कुल रू० 668500.00 व्यय किया गया लेकिन निर्माण सामग्री क्रय से सम्बन्धित कोई भी बाउचर्स, मजदूरी भुगतान सम्बन्धित कोई मस्टररोल एवं अन्य मदों में व्यय सम्बन्धित कोई प्रमाणक/रसीद लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि प्रत्येक क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणित बाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टररोल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जांच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व है। अन्यथा की स्थिति में पंचायत राज विभाग उ० प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु-08 (क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुये वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। अतः उपरोक्त व्यय रू० 668500.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्री मजबूत सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री त्रिलोक चन्द्र शर्मा से रू० 334250-00 बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

आप० सं० 09

प्रस्तर-02

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में ग्राम पंचायत कर की वसूली को कोषवही में आमद नहीं दर्शाया गया है जबकि पंचायत कर आय के सापेक्ष सहायक विकास अधिकारी पंचायत को पंचायत कर का 10 प्रतिशत भुगतान रू0 2000.00 कोषवही में दर्शाया गया है। अतः वसूल किये गये पंचायत कर को कोषवही में नहीं दर्शाकर रू0 20000.00 की धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ग्राम प्रधान श्री मजबूत सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री त्रिलोक चन्द्र शर्मा से रू0 10000-00 बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

आप0 सं0 13

ग्राम पंचायत- बीलपुरा,

विकास खण्ड -फतेहाबाद, ले0 प0 2014-15

प्रधान का नाम-श्री मोहन सिंह,

ग्रा0प0वि0अधि0 श्री मो0 हनीफ

प्रस्तर-01

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण एवं मरम्मत कार्यों हेतु सामग्री, मजदूरी व्यय एवं अन्य वस्तुओं के मद में निम्न प्रकार व्यय दर्शाया गया है।

क्र0सं0	मद	धनराशि
1.	भवन निर्माण सामग्री	634480
2.	मजदूरी	61438
3.	हैण्ड पम्प मरम्मत	31000
4.	मिट्टी भराव	119032
5.	तालाब भराव	6000
	योग-	851950

उपरोक्त विवरण के अनुसार क्रय, व्यय पर कुल रू0 851950.00 व्यय किया गया लेकिन निर्माण सामग्री क्रय से सम्बन्धित कोई भी बाउचर्स, मजदूरी भुगतान सम्बन्धित कोई मस्टररोल एवं अन्य मदों में व्यय सम्बन्धित कोई प्रमाणक/रसीद लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि प्रत्येक क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणित बाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टररोल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जांच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व है। अन्यथा की स्थिति में पंचायत राज विभाग उ0 प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु-08 (क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुये वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। अतः उपरोक्त व्यय रू0 851950.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्री मोहन सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मो0 हनीफ से रू0 425975-00 बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

आप0सं0 09

प्रस्तर-02

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में ग्राम पंचायत कर की वसूली कोषवही में आमद नहीं दर्शाया गया है जबकि पंचायत कर आय के सापेक्ष सहायक विकास अधिकारी पंचायत को पंचायत कर का 10 प्रतिशत भुगतान रू0 2000.00 कोषवही में दर्शाया गया है। अतः वसूल किये गये पंचायत कर को कोषवही में नहीं दर्शाकर रू0 20000.00 की धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ग्राम प्रधान श्री मोहन सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मो0 हनीफ से रू0 10000-00 बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

आप0 सं0 13

ग्राम पंचायत— रसूलपुर,

विकास खण्ड —एत्मादपुर ले० प० 2014—15

प्रधान का नाम—श्री चन्द्र प्रकाश,

ग्रा०प०वि०अधि० श्री सुनील कुमार सिंह

प्रस्तर— 01 लेखा परीक्षा वर्ष 2014—15 में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण एवं मरम्मत कार्यो हेतु सामग्री, मजदूरी व्यय एवं अन्य वस्तुओं के मद में निम्न प्रकार व्यय दर्शाया गया है।

क्र०सं०	मद	धनराशि
1.	भवन निर्माण सामग्री	264700
2.	पंचायत कर	1000
3.	हैण्डपम्प	20500
4.	स्ट्रीट लाईट	124200
	योग—	410400

उपरोक्त विवरण के अनुसार क्रय, व्यय पर कुल रू० 410400.00 व्यय किया गया लेकिन निर्माण सामग्री क्रय से सम्बन्धित कोई भी बाउचर्स, मजदूरी भुगतान सम्बन्धित कोई मस्टररोल एवं अन्य मदों में व्यय सम्बन्धित कोई प्रमाणक/रसीद लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि प्रत्येक क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणित बाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टररोल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जांच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व है। अन्यथा की स्थिति में पंचायत राज विभाग उ० प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय—8 के बिन्दु—08 (क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुये ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। अतः उपरोक्त व्यय रू० 410400.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्री चन्द्रप्रकाश एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुनील कुमार सिंह से रू० 205200—00 बराबर—बराबर ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

आप०सं० 09

ग्राम पंचायत— ब्यारा,

विकास खण्ड —अछनेरा ले० प० 2014—15

प्रधान का नाम—श्री कांता प्रसाद,

ग्रा०प०वि०अधि० श्री विनोद शर्मा

प्रस्तर—01

लेखा परीक्षा वर्ष 2014—15 में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण एवं मरम्मत कार्यो हेतु सामग्री, मजदूरी व्यय एवं अन्य वस्तुओं के मद में निम्न प्रकार व्यय दर्शाया गया है।

क्र०सं०	मद	धनराशि
1.	भवन निर्माण सामग्री	316820
2.	अन्य व्यय	47525
3.	हैण्डपम्प	8000
4.	मजदूरी	48050
5.	मिट्टी कार्य	4000
6.	नाली सफाई	6400
7.	जल निकासी	5425
	योग—	436220

उपरोक्त विवरण के अनुसार क्रय, व्यय पर कुल रू0 436220.00 व्यय किया गया लेकिन निर्माण सामग्री क्रय से सम्बन्धित कोई भी बाउचर्स, मजदूरी भुगतान सम्बन्धित कोई मस्टररोल एवं अन्य मदों में व्यय सम्बन्धित कोई प्रमाणक/रसीद लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि प्रत्येक क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणित बाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टररोल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जांच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व है। अन्यथा की स्थिति में पंचायत राज विभाग उ0 प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु-08 (क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुये ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। अतः उपरोक्त व्यय रू0 436220.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्री कांता प्रसाद एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विनोद शर्मा से रू0 218110-00 बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

आप0सं0 06

प्रस्तर-03

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में निम्न विवरण के अनुसार बैंक से धनराशि आहरण कर कैशबुक में अंकन नहीं किया गया।

क्र0सं0	दिनांक	चेक संख्या	धनराशि
1.	12.09.2014	986638	रू0 36480.00

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट के कि आहरित धनराशि का लेखांकन कोषबही में आय पक्ष में ही नहीं किये जाने के कारण धनराशि ग्राम पंचायत अभिलेखों से बाहर रही, जो अपहरण है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री कांता प्रसाद एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विनोद शर्मा से रू0 18240-00 बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

आप0सं0 21

ग्राम पंचायत-झारौठी,

प्रधान का नाम-श्री राजवीर सिंह,

प्रस्तर-01

विकास खण्ड -अछनेरा ले0 प0 2014-15

ग्रा0प0वि0अधि0 श्री विनोद शर्मा

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण एवं मरम्मत कार्य हेतु सामग्री, मजदूरी व्यय एवं अन्य वस्तुओं के मद में निम्न प्रकार व्यय दर्शाया गया है।

क्र0सं0	मद	धनराशि
1.	फोटोस्टेट	600
2.	मिट्टी कार्य	83600
3.	तालाब भराई	19300
4.	स्ट्रीट लाईट	73000
	योग-	176500

उपरोक्त विवरण के अनुसार क्रय, व्यय पर कुल ₹0 176500.00 व्यय किया गया लेकिन निर्माण सामग्री क्रय से सम्बन्धित कोई भी बाउचर्स, मजदूरी भुगतान सम्बन्धित कोई मस्टररोल एवं अन्य मदों में व्यय सम्बन्धित कोई प्रमाणक/रसीद लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि प्रत्येक क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणित बाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टररोल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जांच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व है। अन्यथा की स्थिति में पंचायत राज विभाग उ० प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु-08 (क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुये ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। अतः उपरोक्त व्यय ₹0 176500.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्री राजवीर सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विनोद शर्मा से ₹0 88250-00 बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

आप०सं० 06

ग्राम पंचायत- बरौली,

विकास खण्ड -अछनेरा ले० प० 2014-15

प्रधान का नाम-श्री सतीश,

ग्रा०प०वि०अधि० श्री विनोद शर्मा

प्रस्तर-01

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण एवं मरम्मत कार्यों हेतु सामग्री, मजदूरी व्यय एवं अन्य वस्तुओं के मद में निम्न प्रकार व्यय दर्शाया गया है।

क्र०सं०	मद	धनराशि
1.	निर्माण सामग्री	112698
2.	हैडपम्प कार्य	45055
3.	मिट्टी भराव	40600
4.	स्ट्रीट लाईट	36500
5.	अन्य व्यय	22350
6.	मजदूरी	22350
	योग-	279553

उपरोक्त विवरण के अनुसार क्रय, व्यय पर कुल ₹0 279553.00 व्यय किया गया लेकिन निर्माण सामग्री क्रय से सम्बन्धित कोई भी बाउचर्स, मजदूरी भुगतान सम्बन्धित कोई मस्टररोल एवं अन्य मदों में व्यय सम्बन्धित कोई प्रमाणक/रसीद लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि प्रत्येक क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणित बाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टररोल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जांच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व है। अन्यथा की स्थिति में पंचायत राज विभाग उ० प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु-08 (क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुये ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। अतः उपरोक्त व्यय ₹0 279553.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्री सतीश एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विनोद शर्मा से ₹0139776-00 बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

आप०सं० 06

ग्राम पंचायत— स्वारा,
प्रधान का नाम—श्री लाखन सिंह,
प्रस्तर—02

विकास खण्ड —फतेहाबाद ले0 प0 2014—15
ग्रा0प0वि0अधि0 श्री मनोज उपाध्याय

लेखा परीक्षा वर्ष 2014—15 में निम्न विवरण के अनुसार बैंक से धनराशि आहरण कर कैश बुक में अंकन नहीं किया गया।

क्र0सं0	दिनांक	चेक संख्या	धनराशि
1.	07.07.2014	567008	5000
		योग—	5000

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट के कि आहरित धनराशि का लेखांकन कोषबही में आय पक्ष में ही नहीं किये जाने के कारण धनराशि ग्राम पंचायत अभिलेखों से बाहर रही, जो अपहरण है जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री लाखन सिंह व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मनोज उपाध्याय से रू0 2500—00 बराबर—बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

आप0सं0—11

ग्राम पंचायत— निबोहरा,
प्रधान का नाम—श्री जवाहर सिंह,
प्रस्तर—01

विकास खण्ड —फतेहाबाद ले0 प0 2014—15
ग्रा0प0वि0अधि0 श्री मनोज कुमार

लेखा परीक्षा वर्ष 2014—15 में ग्राम प्रधान व सचिव द्वारा कोषबही के आयपक्ष का योग वास्तविक योग से कम दर्शितकर रोकड शेष/धनराशि का अपहरण किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

क्र0सं0	मद	कोषबही के अनुसार योग	ले0परीक्षा के अनुसार योग	अंतर
1.	जुलाई 2014	321773.85	331773.85	10000.00

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट के कि रू0 10000.00 का अपहरण सचिव व प्रधान द्वारा किया गया है जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री जवाहर सिंह व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मनोज कुमार से रू0 5000—00 बराबर—बराबर ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

आप0सं0—11

ग्राम पंचायत— पलिया,
प्रधान का नाम—तत्कालीन
प्रस्तर—01

विकास खण्ड —फतेहाबाद ले0 प0 2014—15
ग्रा0प0वि0अधि0 श्री उर्वीश शर्मा

लेखा परीक्षा वर्ष 2014—15 में ग्राम प्रधान व सचिव द्वारा कोषबही के आयपक्ष का योग वास्तविक योग से कम दर्शितकर रोकड शेष/धनराशि का अपहरण किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

क्र०सं०	मह	कोषबही के अनुसार योग	ले० परीक्षा के अनुसार योग	अंतर
1.	मार्च 2015	62460	82460	20000.00

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट के कि रू० 20000.00 का अपहरण सचिव व प्रधान द्वारा किया गया है जिसकी वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री उर्वीश शर्मा से रू० 10000-00 बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

आप०सं०-10

ग्राम पंचायत-जमालनगर भैस
प्रधान का नाम-श्री पप्पू यादव
प्रस्तर-01

विकास खण्ड-एत्मादपुर ले० प० 2014-15
ग्रा०प०वि०अधि० श्री कोमल सिंह

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण एवं मरम्मत कार्य हेतु सामग्री, मजदूरी व्यय एवं अन्य वस्तुओं के मद में निम्न प्रकार व्यय दर्शाया गया है।

क्र०सं०	मद	धनराशि
1.	निर्माण सामग्री	887155
2.	हैडपम्प कार्य	113000
3.	मिट्टी भराव	100000
4.	मजदूरी	268000
	योग-	1368155

उपरोक्त विवरण के अनुसार क्रय, व्यय पर कुल रू० 1368155.00 व्यय किया गया लेकिन निर्माण सामग्री क्रय से सम्बन्धित कोई भी बाउचर्स, मजदूरी भुगतान सम्बन्धित कोई मस्टररोल एवं अन्य मदों में व्यय सम्बन्धित कोई प्रमाणक/रसीद लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि प्रत्येक क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणित बाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टररोल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जांच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व है। अन्यथा की स्थिति में पंचायत राज विभाग उ० प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु-08 (क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुये ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। अतः उपरोक्त व्यय रू० 1368155.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्री पप्पू यादव एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कोमल सिंह से रू० 684077-50 बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

आप०सं० 23

ग्राम पंचायत-नवलपुर
प्रधान का नाम-श्री नबाब सिंह
प्रस्तर-01

विकास खण्ड-एत्मादपुर ले० प० 2014-15
ग्रा०प०वि०अधि० श्री सुनील कुमार शर्मा

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण एवं मरम्मत कार्य हेतु सामग्री, मजदूरी व्यय एवं अन्य वस्तुओं के मद में निम्न प्रकार व्यय दर्शाया गया है।

क्र०सं०	मद	धनराशि
1.	निर्माण सामग्री	137800
2.	पंचायत कर	1000
3.	स्ट्रीट लाईट	214000
4.	मजदूरी	35000
	योग—	387800

उपरोक्त विवरण के अनुसार क्रय, व्यय पर कुल ₹0 387800.00 व्यय किया गया लेकिन निर्माण सामग्री क्रय से सम्बन्धित कोई भी बाउचर्स, मजदूरी भुगतान सम्बन्धित कोई मस्टररोल एवं अन्य मदों में व्यय सम्बन्धित कोई प्रमाणक/रसीद लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि प्रत्येक क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणित बाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टररोल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जांच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व है। अन्यथा की स्थिति में पंचायत राज विभाग उ० प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु-08 (क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुये ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। अतः उपरोक्त व्यय ₹0 387800.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्री नबाब सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुनील कुमार शर्मा से ₹0 193900-00 बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

आप०सं० 23

ग्राम पंचायत-न०बरी

विकास खण्ड-एत्मादपुर ले० प० 2014-15

प्रधान का नाम-श्री पीर मोहम्मद

ग्रा०प०वि०अधि० श्री कोमल सिंह

प्रस्तर-01

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण एवं मरम्मत कार्यों हेतु सामग्री, मजदूरी व्यय एवं अन्य वस्तुओं के मद में निम्न प्रकार व्यय दर्शाया गया है।

क्र०सं०	मद	धनराशि
1.	निर्माण सामग्री व मजदूरी	276000
	योग—	276000

उपरोक्त विवरण के अनुसार क्रय, व्यय पर कुल ₹0 276000.00 व्यय किया गया लेकिन निर्माण सामग्री क्रय से सम्बन्धित कोई भी बाउचर्स, मजदूरी भुगतान सम्बन्धित कोई मस्टररोल एवं अन्य मदों में व्यय सम्बन्धित कोई प्रमाणक/रसीद लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि प्रत्येक क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणित बाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टररोल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जांच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व है। अन्यथा की स्थिति में पंचायत राज विभाग उ० प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु-08 (क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुये ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। अतः उपरोक्त

व्यय रू0 276000.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्री पीरमोहम्मद एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कोमल सिंह से रू0 138000-00 बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

आप0सं0 23

ग्राम पंचायत-तमाचगढ़

विकास खण्ड-एत्मादपुर ले0 प0 2014-15

प्रधान का नाम-श्री शैलेन्द्र

ग्रा0प0वि0अधि0 श्री सुरेन्द्र पाल गौतम

प्रस्तर-01

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण एवं मरम्मत कार्यो हेतु सामग्री, मजदूरी व्यय एवं अन्य वस्तुओं के मद में निम्न प्रकार व्यय दर्शाया गया है।

क्र0सं0	मद	धनराशि
1.	निर्माण सामग्री व मजदूरी	412907
2.	हैण्डपम्प	47700
	योग-	460607

उपरोक्त विवरण के अनुसार क्रय, व्यय पर कुल रू0 460607.00 व्यय किया गया लेकिन निर्माण सामग्री क्रय से सम्बन्धित कोई भी बाउचर्स, मजदूरी भुगतान सम्बन्धित कोई मस्टररोल एवं अन्य मदों में व्यय सम्बन्धित कोई प्रमाणक/रसीद लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि प्रत्येक क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणित बाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टररोल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जांच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व है। अन्यथा की स्थिति में पंचायत राज विभाग उ0 प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु-08 (क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुये ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। अतः उपरोक्त व्यय रू0 406607.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्री शैलेन्द्र एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुरेन्द्र पाल गौतम से रू0 230303-50 बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

आप0सं0 23

ग्राम पंचायत-न0 बेल

विकास खण्ड-एत्मादपुर ले0 प0 2014-15

प्रधान का नाम-श्रीमती विमला देवी

ग्रा0प0वि0अधि0 श्री सुरेन्द्र पाल गौतम

प्रस्तर-01

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण एवं मरम्मत कार्यो हेतु सामग्री, मजदूरी व्यय एवं अन्य वस्तुओं के मद में निम्न प्रकार व्यय दर्शाया गया है।

क्र0सं0	मद	धनराशि
1.	निर्माण सामग्री	267280
	योग-	267280

उपरोक्त विवरण के अनुसार क्रय, व्यय पर कुल रू0 267280.00 व्यय किया गया लेकिन निर्माण सामग्री क्रय से सम्बन्धित कोई भी बाउचर्स, मजदूरी भुगतान सम्बन्धित कोई मस्टररोल एवं अन्य मदों में व्यय सम्बन्धित कोई प्रमाणक/रसीद लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि प्रत्येक क्रय सामग्री के सापेक्ष

प्रमाणित बाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टररोल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जांच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व है। अन्यथा की स्थिति में पंचायत राज विभाग उ० प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु-08 (क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुये ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। अतः उपरोक्त व्यय रु० 267280.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती विमला देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुरेन्द्रपाल गौतम से रु० 133640-00 बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

आप०सं० 23

ग्राम पंचायत-खेडी अडू
प्रधान का नाम-श्रीमती त्रिवेनी देवी
प्रस्तर-01

विकास खण्ड-एत्मादपुर ले० प० 2014-15
ग्रा०प०वि०अधि० श्री कोमल सिंह

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण एवं मरम्मत कार्य हेतु सामग्री, मजदूरी व्यय एवं अन्य वस्तुओं के मद में निम्न प्रकार व्यय दर्शाया गया है।

क्र०सं०	मद	धनराशि
1.	निर्माण सामग्री	748600
2.	मजदूरी	291000
3.	हेण्डपम्प	130250
	योग-	1169850

उपरोक्त विवरण के अनुसार क्रय, व्यय पर कुल रु० 1169850.00 व्यय किया गया लेकिन निर्माण सामग्री क्रय से सम्बन्धित कोई भी बाउचर्स, मजदूरी भुगतान सम्बन्धित कोई मस्टररोल एवं अन्य मदों में व्यय सम्बन्धित कोई प्रमाणक/रसीद लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि प्रत्येक क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणित बाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टररोल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जांच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व है। अन्यथा की स्थिति में पंचायत राज विभाग उ० प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु-08 (क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुये ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। अतः उपरोक्त व्यय रु० 1169850.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती त्रिवेनी देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कोमल सिंह से रु० 584925-00 बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

आप०सं० 23

ग्राम पंचायत-चिरहोली
प्रधान का नाम-श्रीमती सीमा देवी
प्रस्तर-01

विकास खण्ड-एत्मादपुर ले० प० 2014-15
ग्रा०प०वि०अधि० श्री राजेन्द्र

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण एवं मरम्मत कार्य हेतु सामग्री, मजदूरी व्यय एवं अन्य वस्तुओं के मद में निम्न प्रकार व्यय दर्शाया गया है।

क्र०सं०	मद	धनराशि
1.	निर्माण सामग्री	261090

2.	मजदूरी	-----
3.	हैण्डपम्प	120290
	योग-	381380

उपरोक्त विवरण के अनुसार क्रय, व्यय पर कुल ₹0 381380.00 व्यय किया गया लेकिन निर्माण सामग्री क्रय से सम्बन्धित कोई भी बाउचर्स, मजदूरी भुगतान सम्बन्धित कोई मस्टररोल एवं अन्य मदों में व्यय सम्बन्धित कोई प्रमाणक/रसीद लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि प्रत्येक क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणित बाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टररोल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जांच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व है। अन्यथा की स्थिति में पंचायत राज विभाग उ० प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु-08 (क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुये ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। अतः उपरोक्त व्यय ₹0 318380.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती सीमा देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजेन्द्र से ₹0 190690-00 बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

आप०सं० 23

ग्राम पंचायत-कुरगवाँ

प्रधान का नाम-श्रीमती रामढकेली

प्रस्तर-01

विकास खण्ड-एत्मादपुर ले० प० 2014-15

ग्रा०प०वि०अधि० श्री कोमल सिंह

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण एवं मरम्मत कार्यों हेतु सामग्री, मजदूरी व्यय एवं अन्य वस्तुओं के मद में निम्न प्रकार व्यय दर्शाया गया है।

क्र०सं०	मद	धनराशि
1.	निर्माण सामग्री	395000
2.	मजदूरी	142450
3.	हैण्डपम्प	70000
	योग-	607450

उपरोक्त विवरण के अनुसार क्रय, व्यय पर कुल ₹0 607450.00 व्यय किया गया लेकिन निर्माण सामग्री क्रय से सम्बन्धित कोई भी बाउचर्स, मजदूरी भुगतान सम्बन्धित कोई मस्टररोल एवं अन्य मदों में व्यय सम्बन्धित कोई प्रमाणक/रसीद लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि प्रत्येक क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणित बाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टररोल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जांच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व है। अन्यथा की स्थिति में पंचायत राज विभाग उ० प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु-08 (क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुये ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। अतः उपरोक्त व्यय ₹0 607450.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती रामढकेली एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कोमल सिंह से ₹0 303725-00 बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

आप०सं० 23

प्रस्तर-02

वर्ष 14-15 में अन्य व्यय जैसे पंचायत कर में जमा रू0 2000.00 बिना वसूली किये जमा किया जाना आपत्तिजनक है। इसी प्रकार ग्राम प्रधान को मानदेय रू0 32500.00 बिना प्रमाणक/पंजिका के भुगतान किया जाना आपत्तिजनक है। अतः सम्बन्धित धनराशि को अपहरण मानते हुये उक्त की ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित प्रधान/सचिव से रू0 17250-00 बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

आप0सं0 25**ग्राम पंचायत-चावली****विकास खण्ड-एत्मादपुर ले0 प0 2014-15****प्रधान का नाम-श्री भंवर सिंह****ग्रा0प0वि0अधि0 श्री राजेन्द्र****प्रस्तर-01**

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण एवं मरम्मत कार्यों हेतु सामग्री, मजदूरी व्यय एवं अन्य वस्तुओं के मद में निम्न प्रकार व्यय दर्शाया गया है।

क्र0सं0	मद	धनराशि
1.	निर्माण सामग्री	634480
2.	हैण्डपम्प	225727
3.	स्ट्रीट लाईट	178200
	योग-	1038407

उपरोक्त विवरण के अनुसार क्रय, व्यय पर कुल रू0 1038407.00 व्यय किया गया लेकिन निर्माण सामग्री क्रय से सम्बन्धित कोई भी बाउचर्स, मजदूरी भुगतान सम्बन्धित कोई मस्टररोल एवं अन्य मदों में व्यय सम्बन्धित कोई प्रमाणक/रसीद लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि प्रत्येक क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणित बाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टररोल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जांच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व है। अन्यथा की स्थिति में पंचायत राज विभाग उ0 प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु-08 (क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुये ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। अतः उपरोक्त व्यय रू0 1038407.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्री भंवर सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजेन्द्र से रू0 519203-50 बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

आप0सं0 22**ग्राम पंचायत-लखनामई****विकास खण्ड-एत्मादपुर ले0 प0 2014-15****प्रधान का नाम-श्रीमती भुवनेश्वरी देवी****ग्रा0प0वि0अधि0 श्री सुरेन्द्र पाल गौतम****प्रस्तर-01**

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण एवं मरम्मत कार्यों हेतु सामग्री, मजदूरी व्यय एवं अन्य वस्तुओं के मद में निम्न प्रकार व्यय दर्शाया गया है।

क्र0सं0	मद	धनराशि
1.	निर्माण सामग्री	215240
2.	मानदेय	13250
	योग-	228490

उपरोक्त विवरण के अनुसार क्रय, व्यय पर कुल ₹0 228490.00 व्यय किया गया लेकिन निर्माण सामग्री क्रय से सम्बन्धित कोई भी बाउचर्स, मजदूरी भुगतान सम्बन्धित कोई मस्टररोल एवं अन्य मदों में व्यय सम्बन्धित कोई प्रमाणक/रसीद लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि प्रत्येक क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणित बाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टररोल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जांच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व है। अन्यथा की स्थिति में पंचायत राज विभाग उ० प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु-08 (क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुये ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। अतः उपरोक्त व्यय ₹0 228490.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती भुवनेश्वरी देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुरेन्द्र पाल गौतम से ₹0 114245-00 बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

आप०सं० 23

ग्राम पंचायत-जारौली
प्रधान- श्रीमती राजकुमारी
प्रस्तर-01

विकास खण्ड – शमशाबाद जनपद आगरा
सचिव- श्री केशव सिंह

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण एवं मरम्मत कार्यों हेतु सामग्री, मजदूरी व्यय एवं अन्य वस्तुओं के मद में निम्न प्रकार व्यय दर्शाया गया है।

क्र०सं०	मद	धनराशि
1.	निर्माण सामग्री	188800
2.	मिट्टी कार्य	142000
3.	हैण्डपम्प	119760
4	मस्टररोल	65208
5	सी०एफ०एल० लगाने पर व्यय	62400
6	प्रधान पर मानदेय	30000
7	अन्य	1090
	योग-	609298.00

उपरोक्त विवरण के अनुसार क्रय, व्यय पर कुल ₹0 609298.00 व्यय किया गया लेकिन निर्माण सामग्री क्रय से सम्बन्धित कोई भी बाउचर्स, मजदूरी भुगतान सम्बन्धित कोई मस्टररोल एवं अन्य मदों में व्यय सम्बन्धित कोई प्रमाणक/रसीद लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि प्रत्येक क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणित बाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टररोल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जांच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व है। अन्यथा की स्थिति में पंचायत राज विभाग उ० प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु-08 (क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुये ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। अतः उपरोक्त व्यय ₹0 609298.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती राजकुमारी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री केशव सिंह से ₹0 609298.00 आधी-आधी ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

आप०सं० 03

ग्राम पंचायत—बडोबरा कलां
प्रधान— श्री राजकुमार
प्रस्तर—01

विकास खण्ड —शमशाबाद जनपद आगरा
सचिव— श्री केशव सिंह

लेखा परीक्षा वर्ष 2014—15 में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण एवं मरम्मत कार्य हेतु सामग्री, मजदूरी व्यय एवं अन्य वस्तुओं के मद में निम्न प्रकार व्यय दर्शाया गया है।

क्र०सं०	मद	धनराशि
1.	निर्माण सामग्री	620100
2.	मिट्टी कार्य	102600
3.	हैण्डपम्प	66700
4	मस्टररोल	117600
5	सी०एफ०एल० लगाने पर व्यय	40000
6	प्रधान पर मानदेय	30000
7	अन्य	700
	योग—	977700

उपरोक्त विवरण के अनुसार क्रय, व्यय पर कुल रू० 977700 व्यय किया गया लेकिन निर्माण सामग्री क्रय से सम्बन्धित कोई भी बाउचर्स, मजदूरी भुगतान सम्बन्धित कोई मस्टररोल एवं अन्य मदों में व्यय सम्बन्धित कोई प्रमाणक/रसीद लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि प्रत्येक क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणित बाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टररोल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जांच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व है। अन्यथा की स्थिति में पंचायत राज विभाग उ० प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय—8 के बिन्दु—08 (क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुये ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। अतः उपरोक्त व्यय रू० 977700 गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती राजकुमारी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री केशव सिंह से रू० 977700 आधी—आधी ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

आप०सं०—06

प्रस्तर संख्या—02

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 20.09.2014 को पंचायत कर की वसूली किये बिना ही रू० 3000.00 डी०पी०आर०ओ० के खातों में जमा किया गया नियमानुसार कर की वसूली का 10 प्रतिशत ही डी०पी०आर०ओ० कार्यालय में खुले पी०एल०ए० खाते में जमा किया जाता है। अतः ग्राम पंचायत द्वारा राजकीय अनुदान का भुगतान नियमों को धता बताते हुए किया गया है जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री राजकुमार व सचिव श्री केशव सिंह से आधी—आधी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत—ठेरई
प्रधान— श्रीमती मीरादेवी
प्रस्तर—01

विकास खण्ड —शमशाबाद जनपद आगरा
सचिव— श्री राकेश कुमार कर्दम

लेखा परीक्षा वर्ष 2014—15 में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण एवं मरम्मत कार्य हेतु सामग्री, मजदूरी व्यय एवं अन्य वस्तुओं के मद में निम्न प्रकार व्यय दर्शाया गया है।

क्र०सं०	मद	धनराशि
1.	निर्माण सामग्री	537500
2.	मिट्टी कार्य	100800
3.	हैण्डपम्प	90750
4	मस्टररोल	50325
5	प्राइमरी विद्यालय शौचालय की मरम्मत	15455
6	प्रधान पर मानदेय	27500
7	अन्य	3800
	योग—	826155

उपरोक्त विवरण के अनुसार क्रय, व्यय पर कुल ₹0 806155 व्यय किया गया लेकिन निर्माण सामग्री क्रय से सम्बन्धित कोई भी बाउचर्स, मजदूरी भुगतान सम्बन्धित कोई मस्टररोल एवं अन्य मदों में व्यय सम्बन्धित कोई प्रमाणक/रसीद लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि प्रत्येक क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणित बाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टररोल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जांच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व है। अन्यथा की स्थिति में पंचायत राज विभाग उ० प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु-08 (क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुये ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। अतः उपरोक्त व्यय ₹0 826155 गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती राजकुमारी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री केशव सिंह से ₹0 826155 आधी-आधी ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

आप०सं०-05

ग्राम पंचायत-चितौरा

प्रधान- श्री बिजय पाल सिंह

प्रस्तर-01

विकास खण्ड -शमशाबादजनपद आगरा

सचिव- श्री केशव सिंह

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण एवं मरम्मत कार्यों हेतु सामग्री, मजदूरी व्यय एवं अन्य वस्तुओं के मद में निम्न प्रकार व्यय दर्शाया गया है।

क्र०सं०	मद	धनराशि
1.	निर्माण सामग्री	1564400
2.	मिट्टी कार्य	18000
3.	हैण्डपम्प	257675
4	मस्टररोल	225680
6	प्रधान पर मानदेय	40000
7	अन्य	5450
	योग—	2111205.00

उपरोक्त विवरण के अनुसार क्रय, व्यय पर कुल ₹0 2111205.00 व्यय किया गया लेकिन निर्माण सामग्री क्रय से सम्बन्धित कोई भी बाउचर्स, मजदूरी भुगतान सम्बन्धित कोई मस्टररोल एवं अन्य मदों में व्यय सम्बन्धित कोई प्रमाणक/रसीद लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि प्रत्येक क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणित बाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टररोल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद

जांच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व है। अन्यथा की स्थिति में पंचायत राज विभाग उ० प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु-08 (क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुये ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। अतः उपरोक्त व्यय रु० 2111205.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती राजकुमारी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री केशव सिंह से रु० 2111205.00 आधी-आधी ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

आप०सं० 07

प्रस्तर संख्या-02

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 29.05.2014 को पंचायत कर की वसूली किये बिना ही रु० 1000.00 डी०पी०आर०ओ० के खातों में जमा किया गया नियमानुसार कर की वसूली का 10 प्रतिशत ही डी०पी०आर०ओ० कार्यालय में खुले पी०एल०ए० खाते में जमा किया जाता है। अतः ग्राम पंचायत द्वारा राजकीय अनुदान का भुगतान नियमों को धता बताते हुए किया गया है जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री बिजयपाल सिंह व सचिव श्री केशव सिंह से आधी-आधी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-बडोबरा खुर्द

विकास खण्ड -शमशाबादजनपद आगरा

प्रधान-श्री अमृतलाल

सचिव- श्री केशव सिंह

प्रस्तर-01

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण एवं मरम्मत कार्यो हेतु सामग्री, मजदूरी व्यय एवं अन्य वस्तुओं के मद में निम्न प्रकार व्यय दर्शाया गया है।

क्र०सं०	मद	धनराशि
1.	निर्माण सामग्री	511600
2.	मिटटी कार्य	22000
3.	हैण्डपम्प	221859
4	मस्टरौल	130348
6	प्रधान पर मानदेय	40000
7	अन्य	10600
8	सी०एफ०एल० लगाने पर व्यय	66000
9	शौचालय निर्माण	350600
	योग-	1371497.00

उपरोक्त विवरण के अनुसार क्रय, व्यय पर कुल रु० 1371497.00 व्यय किया गया लेकिन निर्माण सामग्री क्रय से सम्बन्धित कोई भी वाउचर्स, मजदूरी भुगतान सम्बन्धित कोई मस्टररोल एवं अन्य मदों में व्यय सम्बन्धित कोई प्रमाणक/रसीद लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि प्रत्येक क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणित वाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टररोल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जांच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व है। अन्यथा की स्थिति में पंचायत राज विभाग उ० प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु-08 (क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुये ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। अतः

उपरोक्त व्यय रू0 1371497.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती राजकुमारी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री केशव सिंह से रू0 1371497.00 आधी-आधी ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

आप0सं0 06

ग्राम पंचायत-भनपुरा
प्रधान- श्री केशव सिंह

विकास खण्ड - शमशाबाद जनपद आगरा
सचिव- श्री केशव सिंह

प्रस्तर-01

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण एवं मरम्मत कार्यो हेतु सामग्री, मजदूरी व्यय एवं अन्य वस्तुओं के मद में निम्न प्रकार व्यय दर्शाया गया है।

क्र0सं0	मद	धनराशि
1.	निर्माण सामग्री	153000
2.	मिट्टी कार्य	79500
3.	हैण्डपम्प	13894
4	मस्टरौल	106483
5	प्रधान पर मानदेय	27500
6	अन्य	800
	योग-	558177

उपरोक्त विवरण के अनुसार क्रय, व्यय पर कुल रू0 558177 व्यय किया गया लेकिन निर्माण सामग्री क्रय से सम्बन्धित कोई भी बाउचर्स, मजदूरी भुगतान सम्बन्धित कोई मस्टररोल एवं अन्य मदों में व्यय सम्बन्धित कोई प्रमाणक/रसीद लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि प्रत्येक क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणित बाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टररोल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जांच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व है। अन्यथा की स्थिति में पंचायत राज विभाग उ0 प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु-08 (क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुये ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। अतः उपरोक्त व्यय रू0 558177.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्री केशव सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री केशव सिंह से रू0 558177.00 आधी-आधी ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

आप0सं0 06

ग्राम पंचायत-एत्मादपुर अजनेरा
प्रधान-श्रीमती बृहम्मावती

विकास खण्ड-शमशाबाद जनपद आगरा
सचिव- श्री मुरारी लाल राठौर एवं राकेश कुमार कर्दम

प्रस्तर-01

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण एवं मरम्मत कार्यो हेतु सामग्री, मजदूरी व्यय एवं अन्य वस्तुओं के मद में निम्न प्रकार व्यय दर्शाया गया है।

क्र0सं0	मद	माह अप्रैल से नं0 14	माह दिसम्बर 14से मार्च 2015 तक	धनराशि
1.	निर्माण सामग्री	723000	137500	860500
2.	मिट्टी कार्य	72500	56500	129000

3.	हैण्डपम्प	—	24695	24695
4	मस्टररौल	160700	—	160700
6	प्रधान पर मानदेय	17500	10000	27500
7	कैमरा	—	6850	6850
	योग—	973700	235545	1209245.00

उपरोक्त विवरण के अनुसार क्रय, व्यय पर कुल ₹0 1209245.00 व्यय किया गया लेकिन निर्माण सामग्री क्रय से सम्बन्धित कोई भी बाउचर्स, मजदूरी भुगतान सम्बन्धित कोई मस्टररोल एवं अन्य मदों में व्यय सम्बन्धित कोई प्रमाणक/रसीद लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि प्रत्येक क्रय सामग्री के सापेक्ष प्रमाणित बाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टररोल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जांच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व है। अन्यथा की स्थिति में पंचायत राज विभाग उ० प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु-08 (क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुये ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। अतः उपरोक्त व्यय ₹0 1209245.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती बहम्मावती एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मुरारी लाल राठौर व श्री राकेश कुमार कर्दम से ₹0 1209245 आधी-आधी ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

आप०सं० 06

ग्राम पंचायत—मुजफ्फरपुर

विकास खण्ड — शमशाबाद जनपद आगरा

प्रधान—श्री पूरन चन्द

सचिव— श्री केशव सिंह

प्रस्तर—01

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण एवं मरम्मत कार्य हेतु सामग्री, मजदूरी व्यय एवं अन्य वस्तुओं के मद में निम्न प्रकार व्यय दर्शाया गया है।

क्र० सं०	मद	धनराशि
1.	निर्माण सामग्री	397400
2.	मिट्टी कार्य	193178
3.	हैण्डपम्प	105316
4	मस्टररौल	113178
6	प्रधान पर मानदेय	30000
7	अन्य	1734
8	सी०एफ०एल०	40000
	योग—	877628.00

उपरोक्त विवरण के अनुसार क्रय, व्यय पर कुल ₹0 877628.00 व्यय किया गया लेकिन निर्माण सामग्री क्रय से सम्बन्धित कोई भी बाउचर्स, मजदूरी भुगतान सम्बन्धित कोई मस्टररोल एवं अन्य मदों में व्यय सम्बन्धित कोई प्रमाणक/रसीद लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि प्रत्येक क्रय सामग्री के सापेक्ष

प्रमाणित बाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टररोल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जांच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व है। अन्यथा की स्थिति में पंचायत राज विभाग उ० प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु-08 (क) के प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बाउचर्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुये ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। अतः उपरोक्त व्यय रु० 877628.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्री पूरन चन्द एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री केशव सिंह से रु० 877628.00 आधी-आधी ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

आप०सं० 06

जनपद मथुरा

मंडल आगरा

1.ग्राम पंचायत, ओल,

विकास खण्ड फरह जनपद मथुरा

प्रस्तर-1 वर्ष 2014-15 में निम्न विवरणानुसार रु० 3560042.00 का व्यय दर्शित है, जिसके व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे।

सामग्री	3207676.00
मजदूरी	198808.00
मिट्टी	100616.00
हैण्डपम्प	25800.00
अन्य	27142.00

प्रस्तर-2 वर्ष 2013-14 में निम्न विवरणानुसार रु० 2551547.64 का व्यय दर्शित है, जिसके व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे।

सामग्री	1936294.00
मजदूरी	268328.00
मिट्टी	171834.00
हैण्डपम्प	170630.00
अन्य	4461.64

प्रस्तर-3 दि० 01.04.2013 को निम्न विवरणानुसार स्टॉक दर्शित कर वर्ष पर्यन्त कहीं भी लगाया नहीं गया है और न ही वर्षान्त में शेष स्टॉक ही दर्शित किया गया है।

ईट	4925.00	4800 / हजार	23640.00
टाइल्स	9500.00	16000 / हजार	152000.00
सैंड	180 घनफुट	18 / घनफुट	2700.00
योग			178340.00

उक्त सामग्री के उपभोग का व्यय प्रमाणक अनुपलब्ध रहने से स्टॉक के उपभोग की पुष्टि नहीं होती। व्यय प्रमाणकों के अभाव में व्यय की गई धनराशि रु० 3560042.00 व 2551547.64 एवं रु० 178340.00 कुल योग रु० 6289929-64 की प्रधान श्री रमेश चन्द्र व सचिव श्री सुभाष से रु० 3144964-82 बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

2. ग्राम पंचायत, धाना तेजा, विकास खण्ड फरह जनपद मथुरा

प्रस्तर-1 ग्राम पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार वर्ष 2013-14 व 2014-15 में व्यय दर्शाया गया है जिसके बिल/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। प्रमाणको के अभाव में धन को गबन मानते हुये कुल रू0 3108422-00 में प्रधान श्री बीरबल व सचिव श्री सुभाष रू0 1554211-00 बराबर-बराबर की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

वर्ष 2013-14	सामग्री	641270.00
	मजदूरी	75716.00
	मिट्टी	18372.00
	हैण्डपम्प	24700.00
	अन्य	782368.00
	मानदेय	21500.00
	कुल योग रू0	1563926-00
वर्ष 2014-15	सामग्री	513390.00
	मजदूरी	139804.00
	मिट्टी	99050.00
	अन्य	20004.00
	अन्य व्यय	772248.00
	कुल योग रू0	1544496-00
	सकल योग -	3108422-00

3. ग्राम पंचायत अरूआ बांगर, विकास खण्ड मांट जनपद मथुरा

प्रस्तर-1 वर्ष 2014-15 में निम्न विवरणानुसार रू0 4565288.00 व्यय किया गया है

सामग्री क्रय	3475460.00
मजदूरी	466964.00
हैण्डपम्प	268944.00
मानदेय	30000.00
मिट्टी कार्य	323530.00
अन्य	390.00

उक्त व्ययों के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः पंचायती राज नियमावली के अन्तर्गत उक्त धनराशि को अपहरण मानते हुये ग्राम प्रधान श्रीमती कुसुमादेवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री धीरेन्द्र पाल से उक्त धनराशि की वसूली कुल योग रू0 2282644-00 बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

4. ग्राम पंचायत भीम बांगर, विकास खण्ड मांट जनपद मथुरा

प्रस्तर-1 वर्ष 2014-15 में निम्न विवरणानुसार रू0 721031.00 व्यय किया गया है-

सामग्री क्रय	462220.00
मजदूरी	105696.00
हैण्डपम्प	22575.00
मानदेय	30000.00
मिट्टी कार्य	100200.00
अन्य	340.00

उक्त व्यय की पुष्टि में कोई भी प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया। मानदेय की धनराशि को छोड़कर रू0 691031.00 का प्रधान व ग्रा0पं0 अधिकारी द्वारा अपहरण किया गया। अतः उक्त धनराशि की ग्राम प्रधान श्रीमती राममूर्ति देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री धीरेन्द्र पाल सिंह से रू0 345515-50 बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

5.ग्राम पंचायत इरौली जुन्नारदार, विकास खण्ड मांट जनपद मथुरा

प्रस्तर-1 वर्ष 2014-15 में निम्न विवरणानुसार रू0 331921.00 व्यय किया गया है

सामग्री क्रय	235550.00
मजदूरी	26916.00
हैण्डपम्प	29340.00
मानदेय	30000.00
मिट्टी कार्य	5750.00
अन्य	4365.00

उक्त व्ययों के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः पंचायती राज नियमावली के अन्तर्गत उक्त धनराशि को अपहरण मानते हुये ग्राम प्रधान श्री पातीराम शर्मा एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजनलाल से उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली रू0 165960-50 बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

6.ग्राम पंचायत डांगोली, विकास खण्ड मांट जनपद मथुरा

प्रस्तर-1 वर्ष 2014-15 में निम्न विवरणानुसार रू0 740866.00 व्यय किया गया है

सामग्री क्रय	498740.00
मजदूरी	103236.00
हैण्डपम्प	35140.00
मानदेय	30000.00
मिट्टी कार्य	72450.00
अन्य	1300.00

उक्त व्ययों के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः पंचायती राज नियमावली के अन्तर्गत उक्त धनराशि को अपहरण मानते हुये ग्राम प्रधान श्री देवकी नंदन एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री महीपाल से उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली रू0 370433-00 बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

7.ग्राम पंचायत मिरताना, विकास खण्ड मांट जनपद मथुरा

प्रस्तर-1 वर्ष 2014-15 में निम्न विवरणानुसार रू0 632392.00 व्यय किया गया है

सामग्री क्रय	337100.00
मजदूरी	103236.00
हैण्डपम्प	85156.00
मानदेय	30000.00
मिट्टी कार्य	75300.00
अन्य	1600.00

उक्त व्ययों के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः पंचायती राज नियमावली के अन्तर्गत उक्त धनराशि को अपहरण मानते हुये ग्राम प्रधान श्रीमती हेमवती एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री महीपाल से उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली रु0 316196-00 बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

8.ग्राम पंचायत पानीगाँव, विकास खण्ड मांट जनपद मथुरा

प्रस्तर-1- वर्ष 2014-15 में निम्न विवरणानुसार रु0 2432658.00 व्यय किया गया है

सामग्री क्रय	2111841.00
मजदूरी	166516.00
हैण्डपम्प	17401.00
मानदेय	30000.00
मिट्टी कार्य	105900.00
अन्य	1000.00

उक्त व्ययों के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः पंचायती राज नियमावली के अन्तर्गत उक्त धनराशि को अपहरण मानते हुये ग्राम प्रधान श्रीमती कपूरी देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजनलाल से उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली रु0 1216329-00 बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

9.ग्राम पंचायत माँटराजा, विकास खण्ड मांट जनपद मथुरा

प्रस्तर-1 वर्ष 2014-15 में निम्न विवरणानुसार रु0 1783994.00 व्यय किया गया है

सामग्री क्रय	1343337.00
मजदूरी	212862.00
हैण्डपम्प	115520.00
मानदेय	30000.00
मिट्टी कार्य	79675.00
अन्य	2600.00

उक्त व्ययों के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः पंचायती राज नियमावली के अन्तर्गत उक्त धनराशि को अपहरण मानते हुये ग्राम प्रधान श्री अशरफ अहमद एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजनलाल से उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली रु0 891997-00 बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

10.ग्राम पंचायत वंशै, विकास खण्ड राया जनपद मथुरा

प्रस्तर-1 वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 में निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है:-

मद/वर्ष	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
सामग्री	32640.00	118730.00	140200.00	332070.00
मिट्टी कार्य	18750.00	26550.00	20700.00	24186.00
मजदूरी	4800.00	28000.00	52332.00	42837.00
हैण्डपम्प	23118.00	20680.00	35300.00	29245.00
इंटरलाकिंग	111165.00	---	150440.00	---

मानदेय	3000.00	7200.00	16400.00	5000.00
अन्य	55.00	57.00	79294.00	1057.00
योग	193528.00	201217.00	494666.00	494395.00

कुल योग— 1383806—00

उक्त व्ययों के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः पंचायती राज नियमावली के अन्तर्गत उक्त धनराशि को अपहरण मानते हुये ग्राम प्रधान श्री विजय सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दिलीप सिंह से उक्त धनराशि रु0 1383806.00 की ब्याज सहित वसूली रु0 691903—00 बराबर—बराबर किया जाना अपेक्षित है।

11.ग्राम पंचायत पिरसुआ,

विकास खण्ड राया जनपद मथुरा

प्रस्तर—1—वर्ष 2010—11, 2011—12, 2012—13, 2013—14 एवं 2014—15 में निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है—

मद / वर्ष	2010—11	2011—12	2012—13	2013—14	2014—15
सामग्री	39480.00	88350.00	335520.00	170000.00	502000.00
मिट्टी कार्य	800.00	----	----	----	139000.00
मजदूरी	2200.00	35870.00	46910.00	72800.00	67500.00
हैण्डपम्प	19808.00	28417.00	36820.00	35000.00	18870.00
इंटरलॉकिंग	100000.00	194861.00	68250.00	341000.00	----
मानदेय	7200.00	7200.00	7200.00	14800.00	----
अन्य	34822	5736.20	23792.00	19340.00	2450.00
योग	204310.00	360434.20	518492.00	652940.00	729820.00

उक्त व्ययों के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः पंचायती राज नियमावली के अन्तर्गत उक्त धनराशि को अपहरण मानते हुये ग्राम प्रधान श्री ज्ञानेन्द्र सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रताप सिंह से उक्त धनराशि रु0 2465996.20 की ब्याज सहित वसूली रु0 1232998—10 बराबर—बराबर किया जाना अपेक्षित है।

12.ग्राम पंचायत सौखेड़ा,

विकास खण्ड राया जनपद मथुरा

प्रस्तर—1 वर्ष 2014—15 में निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है:—

मद / वर्ष	2014—15
सामग्री	72898.00
मिट्टी कार्य	81000.00
मजदूरी	187000.00
हैण्डपम्प	17480.00
इंटरलॉकिंग	----
मानदेय	35000.00
अन्य	2000.00
योग	395378.00

उक्त व्ययों के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः पंचायती राज नियमावली के अन्तर्गत उक्त धनराशि को अपहरण मानते हुये ग्राम प्रधान श्री महावीर सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री नानकचंद से उक्त धनराशि रु0 395378.00 की ब्याज सहित वसूली रु0 197689-00 बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

13.ग्राम पंचायत बीरबल,

विकास खण्ड राया जनपद मथुरा

प्रस्तर-1 वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 में निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है:-

मद/वर्ष	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
सामग्री	178030.0	304748.00	177695.00	295323.00	453416.00
मिट्टी कार्य	82090.00	29500.00	11200.00	129905.00	8000.00
मजदूरी	32505.00	56790.00	29032.00	67958.00	58468.00
हैण्डपम्प	14061.00	15000.00	21500.00	46680.00	74310.00
इंटरलॉकिंग	----	----	164722.00	155728.00	93215.00
मानदेय	----	14400.00	3600.00	20500.00	30000.00
अन्य	7149.00	208.00	27120.00	5490.00	10851.00
योग	313835.00	420646.00	434869.00	721584.00	728260.00

उक्त व्ययों के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः पंचायती राज नियमावली के अन्तर्गत उक्त धनराशि को अपहरण मानते हुये ग्राम प्रधान श्री बहादुर सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रताप सिंह से उक्त धनराशि रु0 2619194.00 की ब्याज सहित वसूली रु0 1309597-00 बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

14.ग्राम पंचायत चूडाहंसी,

विकास खण्ड राया जनपद मथुरा

प्रस्तर-1-वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 में निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है:-

मद/वर्ष	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
सामग्री	203523.00	81200.00	173691.00	375527.00
मिट्टी कार्य	45310.00	7000.00	16250.00	23900.00
मजदूरी	44280.00	1750.00	34866.00	19096.00
हैण्डपम्प	7205.00	32962.00	29496.00	30910.00
इंटरलॉकिंग	46370.00	243797.00	287060.00	255572.00
मानदेय	7200.00	7200.00	16000.00	30000.00
अन्य	6938.32	57.00	45080.00	3057.00
योग	360826.32	373966.00	602443.00	738062.00

उक्त व्ययों के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः पंचायती राज नियमावली के अन्तर्गत उक्त धनराशि को अपहरण मानते हुये ग्राम प्रधान श्री नेत्रपाल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दिलीप शर्मा से उक्त धनराशि रु0 2075297.32 की ब्याज सहित वसूली रु0 1037648-66 बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

15.ग्राम पंचायत इटौली,

विकास खण्ड राया जनपद मथुरा

प्रस्तर-1—वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 में निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है:-

मद / वर्ष	2012-13	2013-14	2014-15
सामग्री	298502.00	423850.00	375680.00
मिट्टी कार्य	66500.00	74200.00	119500.00
मजदूरी	25500.00	83660.00	78910.00
हैण्डपम्प	12030.00	38008.00	24300.00
इंटरलॉकिंग	----	----	----
मानदेय	7200.00	16400.00	30000.00
अन्य	35617.00	3500.00	2814.00
योग	445349.00	639618.00	631204.00

उक्त व्ययों के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः पंचायती राज नियमावली के अन्तर्गत उक्त धनराशि को अपहरण मानते हुये ग्राम प्रधान श्री चन्द्रभान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री नानकचन्द से उक्त धनराशि रु0 1716171.00 की ब्याज सहित वसूली रु0 858085-50 बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

16.ग्राम पंचायत कोयल,

विकास खण्ड राया जनपद मथुरा

प्रस्तर-1 वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 में निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है:-

मद / वर्ष	2012-13	2013-14	2014-15
सामग्री	122800.00	635765.00	335040.00
मिट्टी कार्य	25000.00	23160.00	34500.00
मजदूरी	17180.00	24244.00	20020.00
हैण्डपम्प	6500.00	29280.00	53100.00
इंटरलॉकिंग	40800.00	17476.00	69876.00
मानदेय	18000.00	5250.00	59500.00
अन्य	76149.00	27780.00	17890.00
योग	306429.00	762955.00	589926.00

उक्त व्ययों के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः पंचायती राज नियमावली के अन्तर्गत उक्त धनराशि को अपहरण मानते हुये ग्राम प्रधान श्रीमती विमलेश देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री महेश गौंड से उक्त धनराशि रु0 1659310.00 की ब्याज सहित वसूली रु0 829655-00 बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

17.ग्राम पंचायत अडूकी, विकास खण्ड मथुरा जनपद मथुरा

प्रस्तर-1 वर्ष 2013-14 की कोषबही की जांच के समय पाया गया कि दिनांक 30.04.2013 को प्रधान पर नगद शेष धनराशि रु0 110540.00 के स्थान पर रु0 10540.00 अंकित कर रु0 100000.00 तथा दिनांक 31.10.2013 को रु0 30641.00 के स्थान पर रु0 30541.00 अंकित कर रु0 100.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली रु0 100100-00 ग्राम प्रधान श्रीमती कश्मीरा तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ओम प्रकाश दीक्षित से रु0 50050-00 बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

18.ग्राम पंचायत अरहेरा, विकास खण्ड मथुरा जनपद मथुरा

प्रस्तर-1 वर्ष 2014-15 में निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है:-

मद / वर्ष	2014-15
सामग्री	331880.00
मिट्टी कार्य	21360.00
मजदूरी	125720.00
हैण्डपम्प	69630.00
अन्य	17129.00
योग	565719.00

उक्त व्ययों के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः पंचायती राज नियमावली के अन्तर्गत उक्त धनराशि को अपहरण मानते हुये ग्राम प्रधान श्रीमती सोनादेवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ओमप्रकाश दीक्षित से उक्त धनराशि रु0 565719.00 की ब्याज सहित वसूली रु0 3282859-50 बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-2 दि0 9.10.14 को चेक सं0 247866 के द्वारा रु0 10000.00 का भुगतान श्री कल्लू को बैंक द्वारा किया गया। उक्त निकासी/भुगतान की प्रविष्टि कोषबही में नहीं पाई गई। अतः आहरित धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। अतः पंचायती राज नियमावली के अन्तर्गत ग्राम प्रधान श्रीमती सोनादेवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ओमप्रकाश दीक्षित से उक्त धनराशि रु0 10000.00 की ब्याज सहित वसूली रु0 5000-00 बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-3 दिनांक 31.03.2014 को कोषबही में नगद धनराशि रु0 506.00 थी, किन्तु दिनांक 1.4.14 को प्रारंभ में नगद धनराशि रु0 150.00 अंकितकर रु0 356.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सोनादेवी तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ओम प्रकाश दीक्षित से रु0 178-00 बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

19.ग्राम पंचायत रुमरी, विकास खण्ड मथुरा जनपद मथुरा
प्रस्तर-1 वर्ष 2014-15 में निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है:-

मद / वर्ष	2014-15
सामग्री	601873.00
मिट्टी कार्य	81000.00
मजदूरी	120564.00
वृक्षारोपण	1750.00
प्रधान मानदेय	30000.00
हैण्डपम्प	41900.00
अन्य	14201.30
योग	891288.30

उक्त व्ययों के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः पंचायती राज नियमावली के अन्तर्गत उक्त धनराशि को अपहरण मानते हुये ग्राम प्रधान श्रीमती रजनी देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री नरेन्द्र शर्मा से उक्त धनराशि रु0 891288.30 की ब्याज सहित वसूली रु0 445644-15 बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

20.ग्राम पंचायत गनेशरा, विकास खण्ड मथुरा जनपद मथुरा
प्रस्तर-1 वर्ष 2014-15 में निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है:-

मद / वर्ष	2014-15
सामग्री	453212.40
मिट्टी कार्य	----
मजदूरी	16260.00
हैण्डपम्प	16625.00
अन्य	6407.00
योग	492504.40

उक्त व्ययों के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः पंचायती राज नियमावली के अन्तर्गत उक्त धनराशि को अपहरण मानते हुये ग्राम प्रधान श्रीमती जमुनादेवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ओमप्रकाश दीक्षित से उक्त धनराशि रु0 492504.40 की ब्याज सहित वसूली रु0 246252-20 बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-2 दि0 9.9.14 को चेक सं0 645511 (राजू के नाम निर्गत) से पीएनबी गोवर्धन रोड मथुरा खाता सं0 1838020100014321 से रु0 25000.00 का भुगतान प्राप्त किया गया है। उक्त निकासी/भुगतान की प्रविष्टि

कोषबही में नहीं पाई गई। अतः आहरित धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। अतः पंचायती राज नियमावली के अन्तर्गत ग्राम प्रधान श्रीमती जमुना देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ओमप्रकाश दीक्षित से उक्त धनराशि रु0 25000.00 की ब्याज सहित वसूली रु0 12500-00 बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

21.ग्राम पंचायत धौरेरा, विकास खण्ड मथुरा जनपद मथुरा
प्रस्तर-1 वर्ष 2014-15 में निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है:-

मद/वर्ष	2014-15
सामग्री	208015.00
मिट्टी कार्य	52700.00
मजदूरी	16260.00
हैण्डपम्प	23600.00
अन्य	9170.00
वृक्षारोपण	1750.00
प्रधान मानदेय	15000.00
योग	326495.00

उक्त व्ययों के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः पंचायती राज नियमावली के अन्तर्गत उक्त धनराशि को अपहरण मानते हुये ग्राम प्रधान श्री बाबूलाल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री नरेन्द्र शर्मा से उक्त धनराशि रु0 326495.00 की ब्याज सहित वसूली रु0 163247-50 बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

22.ग्राम पंचायत छरौरा, विकास खण्ड मथुरा जनपद मथुरा
प्रस्तर-1-वर्ष 2014-15 में निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है:-

मद/वर्ष	2014-15
सामग्री	651718.00
मिट्टी कार्य	----
मजदूरी	319772.00
हैण्डपम्प	41030.00
अन्य	28279.00
वृक्षारोपण	7000.00
प्रधान मानदेय	17200.00
योग	1064999.00

उक्त व्ययों के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः पंचायती राज नियमावली के अन्तर्गत उक्त धनराशि को अपहरण मानते हुये ग्राम प्रधान श्रीमती नंदनीदेवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ओमप्रकाश दीक्षित से उक्त धनराशि रु0 1064999.00 की ब्याज सहित वसूली रु0 532499-50 बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-2 दि0 27.08.2014 को उमेश आर्ट एण्ड कम्प्यूटर को पेंटिंग कार्य भुगतान रु0 6059.00 प्रधान द्वारा नगद किया गया। दि0 11.9.2014 को चेक संख्या 456406 द्वारा बैंक से रु0 6059.00 की धनराशि आहरित की गई, जिसकी प्रविष्टि कोषबही में नहीं की गई। इस प्रकार रु0 6059.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती नंदनी सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ओमप्रकाश दीक्षित द्वारा कर लिया गया, जिसकी ब्याज सहित वसूली रु0 3029-50 बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

23.ग्राम पंचायत न0 काशी, विकास खण्ड मथुरा जनपद मथुरा

प्रस्तर-1—वर्ष 2014-15 में निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है:-

मद / वर्ष	2014-15
सामग्री	602486.00
मिट्टी कार्य	149000.00
मजदूरी	96868.00
हैण्डपम्प	68750.00
अन्य	9117.40
वृक्षारोपण	2750.00
प्रधान मानदेय	30000.00
योग	958971.40

उक्त व्ययों के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः पंचायती राज नियमावली के अन्तर्गत उक्त धनराशि को अपहरण मानते हुये ग्राम प्रधान श्री रघुवीर सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री नरेन्द्र शर्मा से उक्त धनराशि रु0 958971.40 की ब्याज सहित वसूली रु0 479485-70 बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

जनपद मैनपुरी मण्डल आगरा
ग्राम पंचायत मेरापुर गुजराती वर्ष 2014-15

प्रस्तर-1

लेखा परीक्षा दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत सचिव द्वारा क्रमशः दि० 01.04.14, 05.08.2014 व 01.02.2015 को क्रमशः चेक सं० 6146, 6163 व 6176 द्वारा क्रमशः धनराशि रू० 15000, 10000 व 10000 कुल रू० 35000.00 का ग्राम निधि खाता प्रथम बैंक से स्वयं के नाम से मिट्टी ढुलाई हेतु आहरण किया गया। जिसकी पुष्टि हेतु कैश बुक एवं भुगतान प्रमाणक प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट हैं कि आहरित धनराशि का प्रधान एवं सचिव द्वारा सीधे अपहरण किया गया है। इस प्रकार फर्जी व्यय दर्शाकर अनुदान धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री सुबोध कुमार व ग्राम पंचा.अधि.श्री डी०डी० पाण्डेय से संयुक्त रूप से रू० 17500-00 बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित हैं।

(सा०प्रति० की आपत्ति सं०-22)

ग्राम पंचायत कुचेला वर्ष 2010-11 से 2014-15

प्रस्तर-1

लेखा परीक्षा दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत सचिव द्वारा दिनांक 12.12.2014 धनराशि रू० 25000.00 का ग्राम निधि खाता प्रथम बैंक से स्वयं के नाम से आहरण किया गया। जिसकी पुष्टि हेतु कैशबुक एवं भुगतान प्रमाणक प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट हैं कि आहरित धनराशि का प्रधान एवं सचिव द्वारा सीधे अपहरण किया गया है। इस प्रकार फर्जी व्यय दर्शाकर अनुदान धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती अर्चना यादव व ग्राम पंचा.अधि. श्री हरी सिंह से संयुक्त रूप से रू० 12500-00 बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित हैं।

(सा०प्रति० की आपत्ति सं०-17)

प्रस्तर-2

प्रथम खाता दिनांक 10.02.2013 में चेक सं० 073 से ग्राम अकबरपुर में सम्पर्क मार्ग से वेदपाल के घर तक सी०सी० कार्य बावत् सामग्री भुगतान में 75 बोरी दर 290 से 22500 दर्शित है। जबकि गणना अनुसार रू० 21750 होता है। जो रू० 750 से भुगतान अधिक है ब्याज सहित वसूली श्रीमती अर्चना प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से रू० 375-00 बराबर-बराबर अपेक्षित है।

(सा०प्रति० की आपत्ति सं०-20)

ग्राम पंचायत औंग वर्ष 2014-15

प्रस्तर-1

वर्ष आलोच्य दौरान ग्राम पंचायत द्वारा पेयजल परिसम्पत्तियों के संचालन एवं रख रखाव पर भुगतानित धनराशि रू० 55900.00 की पुष्टि में पेयजल परिसम्पत्ति रजिस्टर तैयार कर नहीं रखा गया। शा०सं० 3082/33-03 -2005- 100 (77)/2005 टी०सी० दि० 15.12.2005 के अनुसार ग्राम पंचायतों द्वारा पेयजल परिसम्पत्तियों के संचालन एवं रखरखाव हेतु रिकरिंग कास्ट का 50 प्रतिशत अंश उपभोक्ताओं से जल शुल्क के रूप में वसूली की जानी चाहिये परन्तु पंचायत द्वारा उक्त धनराशि की वसूली नहीं की गयी। इस प्रकार रू०

55900 के 50 प्रतिशत रु0 27950 का दुरुपयोग किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती नीरज कुमारी व ग्राम पंचा.अधि. श्री विनय कुमार से संयुक्त रुप से रु0 13975.00 बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित हैं।

(सा0प्रति0 की आपत्ति सं0-06)

जनपद — फिरोजाबाद मण्डल — आगरा नाम संस्था ग्राम पंचायत

ग्राम पंचायत भोंडेला	विकास खण्ड— फिरोजाबाद	जनपद— फिरोजाबाद
प्रधान श्री भीकम सिंह	सचिव श्री मान प्रताप सिंह	धनराशि— 595149.00
प्रस्तर—01		

ग्राम पंचायत द्वारा दर्शित व्यय से संबन्धित व्यय प्रमाणक/वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए जो वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मेनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8'क' के अनुसार अपहरण है। अतः सचिव व प्रधान से धनराशि रुपया 595149.00 ब्याज सहित वसूली की समान रुप से अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या—4)

ग्राम पंचायत अलीनगर केंजरा	विकास खण्ड— फिरोजाबाद	जनपद— फिरोजाबाद
प्रधान श्री गजराज सिंह	सचिव श्री मान प्रताप सिंह	धनराशि— 2231236.00
प्रस्तर—01		

ग्राम पंचायत द्वारा दर्शित व्यय से संबन्धित व्यय प्रमाणक/वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए जो वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मेनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8'क' के अनुसार अपहरण है। अतः सचिव व प्रधान से धनराशि रु0 2231236.00 की ब्याज सहित वसूली समान रुप से अपेक्षित है

(आपत्ति संख्या—4)

ग्राम पंचायत सोफीपुर	विकास खण्ड— फिरोजाबाद	जनपद— फिरोजाबाद
प्रधान श्री यतीश कुमार	सचिव श्री मान प्रताप सिंह	धनराशि— 724350.00
प्रस्तर—01		

ग्राम पंचायत द्वारा दर्शित व्यय से संबन्धित व्यय प्रमाणक/वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए जो वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मेनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8'क' के अनुसार अपहरण है। अतः सचिव व प्रधान से धनराशि रुपया 724350.00 की ब्याज सहित वसूली समान रुप से अपेक्षित है

(आपत्ति संख्या—4)

ग्राम पंचायत जरौली कलौ	विकास खण्ड— फिरोजाबाद	जनपद— फिरोजाबाद
प्रधान श्री चन्द्र पाल	सचिव श्री मान प्रताप सिंह	धनराशि— 2361433.00
प्रस्तर—01		

ग्राम पंचायत द्वारा दर्शित व्यय से संबन्धित व्यय प्रमाणक / वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए जो वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मेनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8'क' के अनुसार अपहरण है। अतः सचिव व प्रधान से धनराशि रुपया 2361433.00 की ब्याज सहित वसूली समान रुप से अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या—4)

ग्राम पंचायत खगरई
प्रधान श्री राजकुमार

विकास खण्ड— फिरोजाबाद
सचिव श्री मान प्रताप सिंह

जनपद— फिरोजाबाद
धनराशि— 943187.00

प्रस्तर—01

ग्राम पंचायत द्वारा दर्शित व्यय से संबन्धित व्यय प्रमाणक / वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए जो वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मेनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8'क' के अनुसार अपहरण है। अतः सचिव व प्रधान से धनराशि रुपया— 943187.00 की ब्याज सहित वसूली समान रूप से अपेक्षित है

(आपत्ति संख्या—4)

ग्राम पंचायत ढकपुरा
प्रधान श्री विनोद कुमार

विकास खण्ड— फिरोजाबाद
सचिव श्री बहादुर सिंह

जनपद— फिरोजाबाद
धनराशि— 198000.00

प्रस्तर—01

ग्राम पंचायत द्वारा दर्शित व्यय से संबन्धित व्यय प्रमाणक / वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए जो वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मेनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8'क' के अनुसार अपहरण है। अतः सचिव व प्रधान से धनराशि रुपया —198000.00 की ब्याज सहित वसूली समान रूप से अपेक्षित है

(आपत्ति संख्या—4)

ग्राम पंचायत सैंगई
प्रधान श्री रेशम पाल सिंह

विकास खण्ड— फिरोजाबाद
सचिव श्री बहादुर सिंह

जनपद— फिरोजाबाद
धनराशि— 878357.00

प्रस्तर—01

ग्राम पंचायत द्वारा दर्शित व्यय से संबन्धित व्यय प्रमाणक / वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए जो वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मेनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8'क' के अनुसार अपहरण है। अतः सचिव व प्रधान से धनराशि रुपया— 878357.00 की ब्याज सहित वसूली समान रूप से अपेक्षित है

(आपत्ति संख्या—4)

ग्राम पंचायत आलमपुर कनेटा
प्रधान श्री पुष्पेंद्र सिंह

विकास खण्ड— फिरोजाबाद
सचिव श्री महेंद्र सिंह

जनपद— फिरोजाबाद
धनराशि— 313154.00

प्रस्तर—01

ग्राम पंचायत द्वारा दर्शित व्यय से संबन्धित व्यय प्रमाणक / वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए जो वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मेनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8'क' के अनुसार अपहरण है। अतः सचिव व प्रधान से धनराशि रुपया 313154.00 की ब्याज सहित वसूली समान रूप से अपेक्षित है

(आपत्ति संख्या—4)

ग्राम पंचायत आकलपुर दामोदरपुर
प्रधान श्रीमती रमा देवी

विकास खण्ड— फिरोजाबाद
सचिव श्री महेंद्र सिंह

जनपद— फिरोजाबाद
धनराशि— 624820.00

प्रस्तर—01

ग्राम पंचायत द्वारा दर्शित व्यय से संबन्धित व्यय प्रमाणक / वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए जो वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मेनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8'क' के अनुसार अपहरण है। अतः सचिव व प्रधान से धनराशि रुपया 624820.00 की ब्याज सहित वसूली समान रूप से अपेक्षित है

(आपत्ति संख्या—4)

ग्राम पंचायत नगला मुल्ला
प्रधान श्री इरफान अली

विकास खण्ड—फिरोजाबाद
सचिव श्री महेंद्र सिंह

जनपद— फिरोजाबाद
धनराशि— 650755.00

प्रस्तर—01

ग्राम पंचायत द्वारा दर्शित व्यय से संबन्धित व्यय प्रमाणक / वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए जो वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मेनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8'क' के अनुसार अपहरण है । अतः सचिव व प्रधान से धनराशि रुपया 650755.00 की ब्याज सहित वसूली समान रूप से अपेक्षित है

(आपत्ति संख्या—4)

ग्राम पंचायत जरौली खुर्द
प्रधान श्री अर्जुन सिंह

विकास खण्ड— फिरोजाबाद
सचिव श्री दिलीप सिंह

जनपद— फिरोजाबाद
धनराशि— 1284368.00

प्रस्तर—01

ग्राम पंचायत द्वारा दर्शित व्यय से संबन्धित व्यय प्रमाणक / वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए जो वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मेनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8'क' के अनुसार अपहरण है । अतः सचिव व प्रधान से धनराशि रुपया 1284368.00 की ब्याज सहित वसूली समान रूप से अपेक्षित है

(आपत्ति संख्या—4)

ग्राम पंचायत उलारु खेड़ा
प्रधान श्री उमेश चन्द्र

विकास खण्ड— फिरोजाबाद
सचिव श्री दिलीप सिंह

जनपद— फिरोजाबाद
धनराशि— 1892620.00

प्रस्तर—01

ग्राम पंचायत द्वारा दर्शित व्यय से संबन्धित व्यय प्रमाणक / वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए जो वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मेनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8'क' के अनुसार अपहरण है । अतः सचिव व प्रधान से धनराशि रुपया 1892620.00 की ब्याज सहित वसूली समान रूप से अपेक्षित है ।

(आपत्ति संख्या—4)

ग्राम पंचायत जैंदामई
प्रधान श्रीमति सावित्री देवी

विकास खण्ड— फिरोजाबाद
सचिव श्री सुरेश बाबू

जनपद— फिरोजाबाद
धनराशि— 501074.00

प्रस्तर—01

ग्राम पंचायत द्वारा दर्शित व्यय से संबन्धित व्यय प्रमाणक / वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए जो वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मेनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8'क' के अनुसार अपहरण है । अतः सचिव व प्रधान से धनराशि रुपया 501074.00 की ब्याज सहित वसूली समान रूप से अपेक्षित है

(आपत्ति संख्या—4)

ग्राम पंचायत कोलामई
प्रधान श्री संतोष कुमार

विकास खण्ड— फिरोजाबाद
सचिव श्री बहादुर सिंह

जनपद— फिरोजाबाद
धनराशि— 527713.00

प्रस्तर—01

ग्राम पंचायत द्वारा दर्शित व्यय से संबन्धित व्यय प्रमाणक / वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए जो वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मेनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8'क' के अनुसार अपहरण है । अतः सचिव व प्रधान से धनराशि रुपया 527713.00 की ब्याज सहित वसूली समान रूप से अपेक्षित है

(आपत्ति संख्या—4)

ग्राम पंचायत सड़ामई
प्रधान श्री अमर सिंह

विकास खण्ड—फिरोजाबाद
सचिव श्री बहादुर सिंह

जनपद— फिरोजाबाद
धनराशि— 779035.00

प्रस्तर—01

ग्राम पंचायत द्वारा दर्शित व्यय से संबन्धित व्यय प्रमाणक / वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए जो वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मेनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8'क' के अनुसार अपहरण है । अतः सचिव व प्रधान से धनराशि रु0 779035.00 की ब्याज सहित वसूली समान रूप से अपेक्षित है

(आपत्ति संख्या—4)

ग्राम पंचायत वाजिदपुर कुतुबपुर
प्रधान श्रीमती संजूदेवी

विकास खण्ड— फिरोजाबाद
सचिव श्री शाबिर अली

जनपद— फिरोजाबाद
धनराशि— 1034771.00

प्रस्तर—01

ग्राम पंचायत द्वारा दर्शित व्यय से संबन्धित व्यय प्रमाणक / वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए जो वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मेनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8'क' के अनुसार अपहरण है । अतः सचिव व प्रधान से धनराशि रुपया 1034771.00 की ब्याज सहित वसूली समान रूप से अपेक्षित है

(आपत्ति संख्या—4)

ग्राम पंचायत—वजीरपुर जेहलपुर
प्रधान श्री धरम सिंह

विकास खण्ड— फिरोजाबाद
सचिव श्री महेंद्र सिंह

जनपद— फिरोजाबाद
धनराशि— 1026088.00

प्रस्तर—01

ग्राम पंचायत द्वारा दर्शित व्यय से संबन्धित व्यय प्रमाणक / वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए जो वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मेनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8'क' के अनुसार अपहरण है । अतः सचिव व प्रधान से धनराशि रुपया 1026088.00 की ब्याज सहित वसूली समान रूप से अपेक्षित है

(आपत्ति संख्या—4)

ग्राम पंचायत —मटसेना
प्रधान श्री मुखिया सिंह

विकास खण्ड— फिरोजाबाद
सचिव श्री महेंद्र सिंह

जनपद— फिरोजाबाद
धनराशि— 1087515.00

प्रस्तर—01

ग्राम पंचायत द्वारा दर्शित व्यय से संबन्धित व्यय प्रमाणक / वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए जो वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मेनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8'क' के अनुसार अपहरण है । अतः सचिव व प्रधान से धनराशि रुपया 1087515.00 की ब्याज सहित वसूली समान रूप से अपेक्षित है

(आपत्ति संख्या—4)

ग्राम पंचायत फरौल नगरिया
प्रधान श्री मूल चंद

विकास खण्ड—फिरोजाबाद
सचिव श्री बहादुर सिंह

जनपद— फिरोजाबाद
धनराशि—1026874.00

प्रस्तर—01

ग्राम पंचायत द्वारा दर्शित व्यय से संबन्धित व्यय प्रमाणक / वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए जो वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मेनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8'क' के अनुसार अपहरण है । अतः सचिव व प्रधान से धनराशि रुपया 1026874.00 की ब्याज सहित वसूली समान रूप से अपेक्षित है

(आपत्ति संख्या—4)

ग्राम पंचायत किन्हरपुर
प्रधान श्री प्रभु दयाल
प्रस्तर-01

विकास खण्ड- फिरोजाबाद
सचिव श्री महेंद्र सिंह

जनपद- फिरोजाबाद
धनराशि- 359464.00

ग्राम पंचायत द्वारा दर्शित व्यय से संबन्धित व्यय प्रमाणक / वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए जो वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मेनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8'क' के अनुसार अपहरण है । अतः सचिव व प्रधान से धनराशि रुपया 359464.00 की ब्याज सहित वसूली समान रूप से अपेक्षित है

(आपत्ति संख्या-4)

ग्राम पंचायत नागऊ
प्रधान श्रीमती माया देवी
प्रस्तर-01

विकास खण्ड- फिरोजाबाद
सचिव श्री दिलीप कुमार

जनपद- फिरोजाबाद
धनराशि- 1952603.00

ग्राम पंचायत द्वारा दर्शित व्यय से संबन्धित व्यय प्रमाणक / वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए जो वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मेनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8'क' के अनुसार अपहरण है । अतः सचिव व प्रधान से धनराशि रुपया 1952603.00 की ब्याज सहित वसूली समान रूप से अपेक्षित है

(आपत्ति संख्या-4)

ग्राम पंचायत लतुरा
प्रधान श्रीमती इंद्रवती
प्रस्तर-01

विकास खण्ड- फिरोजाबाद
सचिव श्री शाबिर अली

जनपद- फिरोजाबाद
धनराशि- 735350.00

ग्राम पंचायत द्वारा दर्शित व्यय से संबन्धित व्यय प्रमाणक / वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए जो वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मेनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8'क' के अनुसार अपहरण है । अतः सचिव व प्रधान से धनराशि रुपया 735350.00 की ब्याज सहित वसूली समान रूप से अपेक्षित है

(आपत्ति संख्या-4)

ग्राम पंचायत-गढ़ी कल्याण
प्रधान श्री हरप्रसाद
प्रस्तर-01

विकास खण्ड- नारखी
सचिव श्री प्रणवीर सिंह

जनपद- फिरोजाबाद
धनराशि- 626267.00

ग्राम पंचायत द्वारा दर्शित व्यय से संबन्धित व्यय प्रमाणक/वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए जो वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मेनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8'क' के अनुसार अपहरण है । अतः सचिव व प्रधान से धनराशि रुपया 505410.00 की ब्याज सहित वसूली समान रूप से अपेक्षित है

प्रस्तर-02

पेयजल परियोजनाओं/हैंडपंप मरम्मत के संचालन एवं रख रखाव, रिकरिंग कॉस्ट का 50पी अंश उपभोक्ताओं से जल शुल्क के रूप में न वसूल कर ग्राम पंचायत को रुपया 120857.00 की हानि पहुंचाई गयी है । प्रधान व सचिव से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है ।

आपत्ति संख्या 4 एवं 13

श्री हर प्रसाद (प्रधान)

313133.50

श्री प्रणवीर सिंह (ग्राम पंचायत अधिकारी)

313133.50

ग्राम पंचायत सेवला रामपुर
प्रधान श्रीमती निशा सिंह

विकास खण्ड— नारखी
सचिव श्री प्रणवीर सिंह

जनपद— फिरोजाबाद
धनराशि— 879795.00

प्रस्तर—01

ग्राम पंचायत द्वारा दर्शित व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक / वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए जो वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मेनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8'क' के अनुसार अपहरण है । अतः सचिव व प्रधान से धनराशि रुपया 736740.00 की ब्याज सहित वसूली समान रूप से अपेक्षित है ।

प्रस्तर—02

पेयजल परियोजनाओं/हैंडपंप मरम्मत के संचालन एवं रखरखाव, रिकरिंग कॉस्ट का 50पी अंश उपभोक्ताओं से जल शुल्क के रूप में न वसूल कर ग्राम पंचायत को रुपया 143055.00 की हानि पहुंचाई गयी है । प्रधान व सचिव से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है ।

आपत्ति संख्या 4 एवं—13

श्रीमती निशा सिंह (प्रधान)

439897.50

श्री प्रणवीर सिंह (ग्राम पंचायत अधिकारी)

439897.50

ग्राम पंचायत असन
प्रधान श्री हरी शंकर

विकास खण्ड— नारखी
सचिव श्री विक्रम सिंह राणा

जनपद— फिरोजाबाद
धनराशि 5000.00

प्रस्तर—01

बैंक खाता ग्राम निधि प्रथम संख्या 9878 से चेक संख्या 385880 से दिनांक 5-11-14 को रुपया 5000.00 का आहरण कर कैश बुक में प्रविष्टि न करके धन का अपहरण किया गया है। सचिव व प्रधान से उक्त धन की समान रूप से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है । (आपत्ति संख्या—15)

ग्राम पंचायत—नगला डूंगर
प्रधान श्री कमलेश कुमार

विकास खण्ड— नारखी
सचिव श्री राजेश धाकरे

जनपद— फिरोजाबाद
धनराशि 13400.00

प्रस्तर—01

बैंक खाता ग्राम निधि प्रथम संख्या 8927 से चेक संख्या 389709 से दिनांक 14-03-15 को रुपया 5000.00 का आहरण कर कैश बुक में प्रविष्टि न करके धन का अपहरण किया गया है। सचिव व प्रधान से उक्त धन की समान रूप से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है । **आपत्ति संख्या—15**

प्रस्तर—02

ग्राम पंचायत द्वारा हैंडपंप के निष्प्रयोज्य कलपुर्जों की नीलामी से प्राप्त धनराशि को आय में न दर्शाकर रुपया 8400.00 का अपहरण किया गया है। सचिव व प्रधान से उक्त धन की समान रूप से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है ।

(आपत्ति संख्या—13)

श्री कमलेश कुमार (प्रधान)

6700.00

श्री राजेश धाकरे (ग्राम पंचायत अधिकारी)

6700.00

ग्राम पंचायत झपारा
प्रधान श्रीमती सरोज यादव
प्रस्तर-01

विकास खण्ड- जसराना
सचिव श्री राकेश कुमार

जनपद- फिरोजाबाद
धनराशि 313000.00

ग्राम पंचायत द्वारा दर्शित व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक / वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए जो वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मेनुअल के अध्याय - 8 के प्रस्तर 8'क' के अनुसार अपहरण है। अतः सचिव व प्रधान से धनराशि रु0 313000.00 की ब्याज सहित वसूली समान रूप से अपेक्षित है

(आपत्ति संख्या-4)

ग्राम पंचायत-मुहम्मदपुर बैरई
प्रधान श्री श्याम रतन
प्रस्तर-01

विकास खण्ड- शिकोहाबाद
सचिव श्री पवन कुमार

जनपद- फिरोजाबाद
धनराशि 601539.00

ग्राम पंचायत द्वारा दर्शित व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक / वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए जो वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मेनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8'क' के अनुसार अपहरण है। अतः सचिव व प्रधान से धनराशि रुपया 601539.00 की ब्याज सहित वसूली समान रूप से अपेक्षित है

(आपत्ति संख्या-11)

ग्राम पंचायत आमरी
प्रधान श्री मानेश
प्रस्तर-01

विकास खण्ड- शिकोहाबाद
सचिव श्री पवन कुमार

जनपद- फिरोजाबाद
धनराशि 1429110.00

ग्राम पंचायत द्वारा दर्शित व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक / वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए जो वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मेनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8'क' के अनुसार अपहरण है। अतः सचिव व प्रधान से धनराशि रुपया 1429110.00 की ब्याज सहित वसूली समान रूप से अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-11)

ग्राम पंचायत-भड़ाईपुरा
प्रधान श्री सोमराज
प्रस्तर-01

विकास खण्ड- शिकोहाबाद
सचिव श्री विनय कुमार

जनपद- फिरोजाबाद
धनराशि 14000.00

बैंक खाता ग्रामनिधि प्रथम संख्या 44814 से चेक संख्या 87594 से दिनांक 29-8-2012 को रुपया 14000.00 का आहरण कर कैश बुक में प्रविष्टि न करके धन का अपहरण किया गया है। सचिव व प्रधान से उक्त धन की समान रूप से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-3)

ग्राम पंचायत असूआ
प्रधान श्री फौरन सिंह
प्रस्तर-01

विकास खण्ड-शिकोहाबाद
सचिव श्री सुनील यादव

जनपद- फिरोजाबाद
धनराशि - 20000.00

बैंक खाता ग्रामनिधि प्रथम संख्या 45130 से चेक संख्या 35787018 से दिनांक 18-6-2014 को रुपया 20000.00 का आहरण कर कैश बुक में प्रविष्टि न करके धन का अपहरण किया गया है। सचिव व प्रधान से उक्त धन की समान रूप से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-3)

ग्राम पंचायत—नौशहरा	विकास खण्ड— शिकोहाबाद	जनपद— फिरोजाबाद
प्रधान श्रीमती अंजू देवी	सचिव श्री सुनील यादव	धनराशि 40000.00
प्रस्तर—01		

बैंक खाता ग्रामनिधि प्रथम संख्या 45087 से चेक संख्या 35185834 से दिनांक 17-4-14 को रुपया 20000.00 का आहरण एवं बैंक संख्या 35185836 से दिनांक 2-4-2014 को रुपया 20000.00 का आहरण कर कैश बुक में प्रविष्टि न करके धन का अपहरण किया गया है। सचिव व प्रधान से उक्त धन की समान रूप से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या—3)

ग्राम पंचायत डाहिनी	विकास खण्ड— शिकोहाबाद	जनपद— फिरोजाबाद
प्रधान श्री राहुल यादव	सचिव श्री पवन कुमार	धनराशि — 1375717.00
प्रस्तर—01		

ग्राम पंचायत द्वारा दर्शित व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक / वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए जो वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मेनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8'क' के अनुसार अपहरण है। अतः सचिव व प्रधान से धनराशि रुपया 1375717.00 की ब्याज सहित वसूली समान रूप से अपेक्षित है

(आपत्ति संख्या—11)

ग्राम पंचायत हरगनपुर	विकास खण्ड— शिकोहाबाद	जनपद— फिरोजाबाद
प्रधान श्री सतीश यादव	सचिव श्री सतेन्द्र सिंह यादव	धनराशि 943910.00
प्रस्तर—01		

ग्राम पंचायत द्वारा दर्शित व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक / वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए जो वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मेनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8'क' के अनुसार अपहरण है। अतः सचिव व प्रधान से धनराशि रुपया 943910.00 की ब्याज सहित वसूली समान रूप से अपेक्षित है

(आपत्ति संख्या—11)

ग्राम पंचायत अंगदपुर	विकासखण्ड— शिकोहाबाद	जनपद— फिरोजाबाद
प्रधान श्री कमलेश कुमार	सचिव श्री अशोक सामौर्या	धनराशि 1016160.00
प्रस्तर—01		

ग्राम पंचायत द्वारा दर्शित व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक / वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए जो वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मेनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8'क' के अनुसार अपहरण है। अतः सचिव व प्रधान से धनराशि रुपया 1016160.00 की ब्याज सहित वसूली समान रूप से अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या—11)

ग्राम पंचायत—जहांगीरपुर गैलरई	विकास खण्ड— शिकोहाबाद	जनपद— फिरोजाबाद
प्रधान श्री मिथलेश	सचिव श्री अशोक सामौर्या	धनराशि 628000.00
प्रस्तर—01		

ग्राम पंचायत द्वारा दर्शित व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक / वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए जो वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मेनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8'क' के अनुसार अपहरण है। अतः सचिव व प्रधान से धनराशि रुपया 628000.00 की ब्याज सहित वसूली समान रूप से अपेक्षित है

(आपत्ति संख्या—11)

ग्राम पंचायत गागई विकास खण्ड—शिकोहाबाद
प्रधान श्री एदल सिंह सचिव श्री अशोक सामौर्या
प्रस्तर—01

जनपद— फिरोजाबाद
धनराशि 1071430.00

ग्राम पंचायत द्वारा दर्शित व्यय से संबन्धित व्यय प्रमाणक / वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए जो वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मेनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8'क' के अनुसार अपहरण है । अतः सचिव व प्रधान से धनराशि रुपया 1071430.00 की ब्याज सहित वसूली समान रूप से अपेक्षित है

(आपत्ति संख्या—11)

ग्राम पंचायत अरमरा जट विकास खण्ड— शिकोहाबाद
प्रधान श्रीमती शिमला देवी सचिव — श्री अशोक सामौर्या
प्रस्तर—01

जनपद— फिरोजाबाद
धनराशि 498400.00

ग्राम पंचायत द्वारा दर्शित व्यय से संबन्धित व्यय प्रमाणक / वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए जो वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मेनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8'क' के अनुसार अपहरण है । अतः सचिव व प्रधान से धनराशि रुपया 498400.00 की ब्याज सहित वसूली समान रूप से अपेक्षित है

(आपत्ति संख्या—11)

ग्राम पंचायत अहमदपुर मढ़ा विकास खण्ड— हाथवन्त
प्रधान श्री रवींद्र सिंह सचिव श्री सुरेन्द्र सिंह
प्रस्तर—01

जनपद— फिरोजाबाद
धनराशि 756330.00

ग्राम पंचायत द्वारा दर्शित व्यय से संबन्धित व्यय प्रमाणक / वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए जो वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मेनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8'क' के अनुसार अपहरण है । अतः सचिव व प्रधान से धनराशि रुपया 756330.00 की ब्याज सहित वसूली समान रूप से अपेक्षित है ।

(आपत्ति संख्या—04)

ग्राम पंचायत —निकाऊ विकास खण्ड— हाथवन्त
प्रधान श्री हरिओम सचिव श्री यशपाल सिंह
प्रस्तर—01

जनपद— फिरोजाबाद
धनराशि 1703430.00

ग्राम पंचायत द्वारा दर्शित व्यय से संबन्धित व्यय प्रमाणक / वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए जो वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मेनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8'क' के अनुसार अपहरण है । अतः सचिव व प्रधान से धनराशि रुपया 1703430.00 की ब्याज सहित वसूली समान रूप से अपेक्षित है

(आपत्ति संख्या—04)

ग्राम पंचायत —नायकपुर विकास खण्ड—हाथवन्त
प्रधान श्रीमती रामलली सचिव श्री महेन्द्रपाल सिंह
प्रस्तर—01

जनपद— फिरोजाबाद
धनराशि 681200.00

ग्राम पंचायत द्वारा दर्शित व्यय से संबन्धित व्यय प्रमाणक / वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए जो वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मेनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8'क' के अनुसार अपहरण है । अतः सचिव व प्रधान से धनराशि रुपया 681200.00 की ब्याज सहित वसूली समान रूप से अपेक्षित है

(आपत्ति संख्या—04)

ग्राम पंचायत—पिलखर जैत
प्रधान श्रीमती सुमन
प्रस्तर—01

विकास खण्ड—एका
सचिव श्री संतोष कुमार

जनपद— फिरोजाबाद
धनराशि 16000.00

बैंक खाता ग्रामनिधि प्रथम संख्या 02251 से चेक संख्या 352458 से दिनांक 14-10-2014 को रुपया 8000.00 का आहरण कर कैश बुक में प्रविष्टि न करके धनराशि का अपहरण किया गया एवं बैंक संख्या 352459 से दिनांक 14-10-2014 को रुपया 18000.00 का आहरण कर कैश बुक में रुपया 10000.00 की प्रविष्टि करके रुपया 8000.00 का अपहरण किया गया है। सचिव व प्रधान से उक्त धन रुपया 16000.00 की समान रूप से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या—15)

ग्राम पंचायत—पैढत
प्रधान श्री राजेंद्र सिंह
प्रस्तर—01

विकासखण्ड—एका
सचिव श्री रामसेवक यादव

जनपद— फिरोजाबाद
धनराशि 15000.00

बैंक खाता ग्रामनिधि प्रथम संख्या 2215 से चेक संख्या 61341 से दिनांक 20-9-2014 को रुपया 15000.00 का आहरण कर कैश बुक में प्रविष्टि न करके धन का अपहरण किया गया है। सचिव व प्रधान से उक्त धन की समान रूप से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या—15)

ग्राम पंचायत कोंडरा
प्रधान श्रीमती अफसाना
प्रस्तर—01

विकासखण्ड— एका
सचिव श्री विनोद कुमार

जनपद— फिरोजाबाद
धनराशि 50000.00

बैंक खाता ग्रामनिधि प्रथम संख्या 0186 से चेक संख्या 081 से दिनांक 22-12-2014 को रुपया 15000.00 का आहरण एवं बैंक संख्या 083 से दिनांक 2-4-2014 को रुपया 35000.00 का आहरण कर कैश बुक में प्रविष्टि न करके धनराशि रुपया 50000.00 का अपहरण किया गया है। सचिव व प्रधान से उक्त धन की समान रूप से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या—15)

ग्राम पंचायत—देवा
प्रधान श्रीमती सीमा देवी
प्रस्तर —01

विकासखण्ड— एका
सचिव श्री अमित यादव एवं श्री रामसेवक

जनपद— फिरोजाबाद
धनराशि 12733.00

ग्राम पंचायत देवा में अपंजीकृत फर्म से निर्माण सामग्री कृत्य कर अवधारित वैट रुपया 12733.00 का भुगतान नहीं किया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम 2007 के क्लॉज़(ए)सब सेक्शन (1) में शैड्यूल ii के अंतर्गत निर्धारित दरों का पूर्णतयः उल्लंघन है। सचिव व प्रधान से उक्त धन की निम्न विवरण अनुसार ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या—11)

श्रीमती सीमा देवी (प्रधान)	6366.50
श्री अमित यादव (ग्राम पंचायत अधिकारी)	3183.25
श्री रामसेवक यादव (ग्राम पंचायत अधिकारी)	3183.25

ग्राम पंचायत गदनपुर विकास खण्ड—एका जनपद—फिरोजाबाद
 प्रधान श्रीमती बबीता देवी सचिव श्री रामसेवक व श्री अवधेश कुमार धनराशि—402000.00
 प्रस्तर—01

ग्राम पंचायत द्वारा दर्शित व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक/वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए जो वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मेनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8'क' के अनुसार अपहरण है। अतः सचिव व प्रधान से धनराशि रुपया 402000.00 की ब्याज सहित वसूली निम्न प्रकार से की जानी अपेक्षित है

(आपत्ति संख्या—04)

श्रीमती बबीता देवी (प्रधान)	201000.00
श्री अवधेश कुमार (ग्राम पंचायत अधिकारी)	100500.00
श्री रामसेवक यादव (ग्राम पंचायत अधिकारी)	100500.00

ग्राम पंचायत नगला सिंह विकासखण्ड— का जनपद—फिरोजाबाद
 प्रधान श्रीमती अनीता कुमारी सचिव श्री रामसेवक, श्री अवधेश कुमार धनराशि 392999.00
 प्रस्तर —01

ग्राम पंचायत द्वारा दर्शित व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक/वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए जो वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मेनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8'क' के अनुसार अपहरण है। अतः सचिव व प्रधान से धनराशि रुपया 392999.00 की ब्याज सहित वसूली निम्न रूप से अपेक्षित है

(आपत्ति संख्या—04)

श्रीमती अनीता कुमारी (प्रधान)	196499.50
श्री अवधेश कुमार (ग्राम पंचायत अधिकारी)	98249.75
श्री रामसेवक यादव (ग्राम पंचायत अधिकारी)	98249.75

ग्राम पंचायत फतेहपुर पाठ विकास खण्ड— एका जनपद—फिरोजाबाद
 प्रधान श्रीमती संध्या देवी सचिव श्री विनोद कुमार, श्री अमित कुमार धनराशि 558830.00
 प्रस्तर—01

ग्राम पंचायत द्वारा दर्शित व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक / वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए जो वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मेनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8'क' के अनुसार अपहरण है । अतः सचिव व प्रधान से धनराशि रुपया 558830.00 की ब्याज सहित वसूली निम्न रूप से अपेक्षित है

(आपत्ति संख्या—04)

श्रीमती संध्या देवी (प्रधान)	279415.00
श्री अमित यादव (ग्राम पंचायत अधिकारी)	139707.50
श्री रामसेवक यादव (ग्राम पंचायत अधिकारी)	139707.50

ग्राम पंचायत का नाम मचन
प्रधान श्री रामगोपाल
प्रस्तर-01

विकास खण्ड- एका
सचिव श्री संतोष कुमार

जनपद- फिरोजाबाद
धनराशि 10000.00

बैंक खाता ग्राम निधि प्रथम संख्या 02278 से चेक संख्या 052 से दिनांक 29-09-2014 को रुपया 10000.00 का आहरण कर कैश बुक में प्रविष्टि न करके धन का अपहरण किया गया है। सचिव व प्रधान से उक्त धन की समान रूप से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या-15)

ग्राम पंचायत-भैंसा ब्रजपुर
प्रधान श्रीमती उमेश कुमारी
प्रस्तर-01

विकास खण्ड- टूंडला
सचिव श्री अवधेश चन्द्र

जनपद- फिरोजाबाद
धनराशि 448665.00

ग्राम पंचायत द्वारा दर्शित व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक / वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए जो वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मेनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8'क' के अनुसार अपहरण है। अतः सचिव व प्रधान से धनराशि रुपया 448665.00 की ब्याज सहित वसूली समान रूप से अपेक्षित है

(आपत्ति संख्या-04)

ग्राम पंचायत-पहाड़ीपुर भोंडेल
प्रधान श्री होडिल सिंह
प्रस्तर-01

विकास खण्ड- टूंडला

जनपद- फिरोजाबाद
धनराशि 1082549.00

ग्राम पंचायत द्वारा दर्शित व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक / वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए जो वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मेनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8'क' के अनुसार अपहरण है। अतः सचिव व प्रधान से धनराशि रुपया 1082549.00 की ब्याज सहित वसूली निम्न रूप से अपेक्षित है

(आपत्ति संख्या-04)

श्री होडिल सिंह (प्रधान)	541274.50
श्री अवधेश कुमार (ग्राम पंचायत अधिकारी)	270637.25
श्री ध्रुवेन्द्र कुमार (ग्राम पंचायत अधिकारी)	270637.25

ग्राम पंचायत -सिरौलिया
प्रधान श्रीमती हरिभेजी
प्रस्तर-01

विकासखण्ड- टूंडला

जनपद- फिरोजाबाद
धनराशि 1137965.00

ग्राम पंचायत द्वारा दर्शित व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक/वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए जो वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मेनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8'क' के अनुसार अपहरण है। अतः सचिव व प्रधान से धनराशि रुपया 1137965.00 की ब्याज सहित वसूली निम्न रूप से अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-04)

श्रीमती हरिभेजी (प्रधान)	568982.50
श्री ध्रुवेन्द्र कुमार (ग्राम पंचायत अधिकारी)	284491.25
श्री रामदत्त गालिब (ग्राम पंचायत अधिकारी)	284491.25

ग्राम पंचायत-बनकट
प्रधान श्रीमती मुन्नी देवी

विकास खण्ड-टूंडला
सचिव श्री ध्रुवेन्द्र कुमार

जनपद- फिरोजाबाद
धनराशि 1074491.00

प्रस्तर-01

ग्राम पंचायत द्वारा दर्शित व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक/वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए जो वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मेनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8'क' के अनुसार अपहरण है । अतः सचिव व प्रधान से धनराशि रुपया 1074491.00 की ब्याज सहित वसूली समान रूप से अपेक्षित है

(आपत्ति संख्या-04)

ग्राम पंचायत नाम पचोखरा

विकासखण्ड- टूंडला

जनपद- फिरोजाबाद

प्रधान श्री हुकुम सिंह

सचिव श्रीमती इन्द्रलता तोमर

धनराशि 9590.00

प्रस्तर-01

दिनांक 26-03-2015 को ग्राम पंचायत पचोखरा द्वारा अनिल सीमेंट एजेंसी से रुपया 59020.00 कि निर्माण सामग्री क्रय कि गयी है जबकि कैश बुक में उसके सापेक्ष रुपया 49430.00 का ही स्टॉक क्रय पाया गया। अतः अंतर रुपया 9590.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान व सचिव से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-9)

ग्राम पंचायत-छिकाऊ

विकासखण्ड- टूंडला

जनपद- फिरोजाबाद

प्रधान श्रीमती सावित्री देवी

सचिव श्रीमती इन्द्रलता तोमर

धनराशि 5000.00

प्रस्तर-01

बैंक खाता ग्राम निधि प्रथम संख्या 9019 से चेक संख्या 906734 से दिनांक 12-02-2015 को रुपया 5000.00 का आहरण कर कैश बुक में प्रविष्टि न करके धन का अपहरण किया गया है। सचिव व प्रधान से उक्त धन की समान रूप से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है ।

(आपत्ति संख्या 15)

ग्राम पंचायत-मौहम्मदपुर

विकासखण्ड- टूंडला

जनपद- फिरोजाबाद

प्रधान श्रीमती रेखा सोलंकी

सचिव श्री नेत्रपाल सिंह

धनराशि 888897.00

प्रस्तर -01

ग्राम पंचायत द्वारा दर्शित व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक / वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए जो वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मेनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8'क' के अनुसार अपहरण है । अतः सचिव व प्रधान से धनराशि रु0 888897.00 की ब्याज सहित वसूली समान रूप से अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-04)

ग्राम पंचायत-दिनौली

विकासखण्ड-टूंडला

जनपद- फिरोजाबाद

प्रधान श्री राजेंद्र सिंह

सचिव श्री नेत्रपाल सिंह

धनराशि 822537.00

प्रस्तर-01

ग्राम पंचायत द्वारा दर्शित व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक / वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए जो वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मेनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8'क' के अनुसार अपहरण है । अतः सचिव व प्रधान से धनराशि रुपया 822537.00 की ब्याज सहित वसूली समान रूप से अपेक्षित है

(आपत्ति संख्या-04)

ग्राम पंचायत-जाजपुर

विकासखण्ड- टूंडला

जनपद- फिरोजाबाद

प्रधान श्री मुन्नेश कुमार

सचिव श्री अमरकान्त शर्मा

धनराशि 1232339.00

प्रस्तर-01

ग्राम पंचायत द्वारा दर्शित व्यय से संबन्धित व्यय प्रमाणक / वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए जो वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मेनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8'क' के अनुसार अपहरण है । अतः सचिव व प्रधान से धनराशि रुपया 1232339.00 की ब्याज सहित वसूली समान रूप से अपेक्षित है

(आपत्ति संख्या-04)

ग्राम पंचायत-नगला सूरज
प्रधान श्रीमती अर्चना देवी

विकासखण्ड- टूंडला
सचिव श्री रामदत्त गालिब

जनपद- फिरोजाबाद
धनराशि - 842263.00

प्रस्तर-01

ग्राम पंचायत द्वारा दर्शित व्यय से संबन्धित व्यय प्रमाणक / वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए जो वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मेनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8'क' के अनुसार अपहरण है । अतः सचिव व प्रधान से धनराशि रु0 842263.00 की ब्याज सहित वसूली समान रूप से अपेक्षित है

(आपत्ति संख्या-04)

ग्राम पंचायत लतीफपुर
प्रधान श्री देवेन्द्र सिंह

विकासखण्ड- टूंडला
सचिव श्री रामदत्त गालिब, श्री नेत्रपाल सिंह

जनपद- फिरोजाबाद
धनराशि 638334.00

प्रस्तर-01

ग्राम पंचायत द्वारा दर्शित व्यय से संबन्धित व्यय प्रमाणक / वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए जो वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मेनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8'क' के अनुसार अपहरण है । अतः सचिव व प्रधान से धनराशि रुपया 638334.00 की ब्याज सहित वसूली निम्न रूप से अपेक्षित है

(आपत्ति संख्या-04)

श्री देवेन्द्र सिंह (प्रधान)	319167.00
श्री नेत्रपाल सिंह (ग्राम पंचायत अधिकारी)	159583.50
श्री रामदत्त गालिब (ग्राम पंचायत अधिकारी)	159583.50

ग्राम पंचायत भीखनपुर बझौरा
प्रधान श्री रामगोपाल

विकासखण्ड- टूंडला
सचिव श्री रामदत्त गालिब

जनपद- फिरोजाबाद
धनराशि 417158.00

प्रस्तर-01

ग्राम पंचायत द्वारा दर्शित व्यय से संबन्धित व्यय प्रमाणक / वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए जो वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मेनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8'क' के अनुसार अपहरण है । अतः सचिव व प्रधान से धनराशि रुपया 417158.00 की ब्याज सहित वसूली समान रूप से अपेक्षित है

(आपत्ति संख्या-04)

ग्राम पंचायत बसई
प्रधान श्री नरोत्तम सिंह

विकासखण्ड- टूंडला
सचिव सुश्री दिव्या दीक्षित

जनपद- फिरोजाबाद
धनराशि 905631.00

प्रस्तर-01

ग्राम पंचायत द्वारा दर्शित व्यय से संबन्धित व्यय प्रमाणक / वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए जो वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मेनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8'क' के अनुसार अपहरण है । अतः सचिव व प्रधान से धनराशि रुपया 905631.00 की ब्याज सहित वसूली समान रूप से अपेक्षित है

(आपत्ति संख्या-04)

ग्राम पंचायत जारखी विकासखण्ड— दूँडला जनपद— फिरोजाबाद
 प्रधान श्री राजेंद्र प्रताप सचिव श्री ध्रुवेन्द्र कुमार, सुश्री दिव्या दीक्षित धनराशि 1089114.00
 प्रस्तर—01

ग्राम पंचायत द्वारा दर्शित व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक / वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए जो वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मेनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8'क' के अनुसार अपहरण है । अतः सचिव व प्रधान से धनराशि रुपया 1089114.00 की ब्याज सहित वसूली निम्न रूप से अपेक्षित है

(आपत्ति संख्या—04)

श्री राजेंद्र प्रताप (प्रधान)	544557.00
श्री ध्रुवेन्द्र कुमार (ग्राम पंचायत अधिकारी)	272278.50
सुश्री दिव्या दीक्षित (ग्राम पंचायत अधिकारी)	272278.50

ग्राम पंचायत नैपई विकासखण्ड— नारखी जनपद— फिरोजाबाद
 प्रधान श्रीमती शीला देवी सचिव श्री जितेंद्र सिंह यादव धनराशि 60378.00
 प्रस्तर—01

ग्राम पंचायत द्वारा हैंडपंप के निष्प्रोज्य कलपुर्जों की नीलामी से प्राप्त धनराशि को आय में न दर्शाकर रुपया 60378.00 का अपहरण किया गया है। प्रधान व सचिव से उक्त धनराशि की समान रूप से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या—13)

ग्राम पंचायत जौंधरी विकासखण्ड— नारखी जनपद— फिरोजाबाद
 प्रधान कुमारी वीना सचिव श्री जितेंद्र सिंह यादव धनराशि 18400.00
 प्रस्तर—01

ग्राम पंचायत द्वारा हैंडपंप के निष्प्रोज्य कलपुर्जों की नीलामी से प्राप्त धनराशि को आय में न दर्शाकर रुपया 18400.00 का अपहरण किया गया है । प्रधान व सचिव से उक्त धनराशि की समान रूप से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या—13

ग्राम पंचायत कार्तिकी विकासखण्ड— नारखी जनपद— फिरोजाबाद
 प्रधान श्री सतेन्द्रपाल सिंह सचिव श्री जितेंद्र सिंह यादव धनराशि 25000.00
 प्रस्तर—01

ग्राम पंचायत द्वारा हैंडपंप के निष्प्रोज्य कलपुर्जों की नीलामी से प्राप्त धनराशि को आय में न दर्शाकर रुपया 25000.00 का अपहरण किया गया है। प्रधान व सचिव से उक्त धनराशि की समान रूप से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है

आपत्ति संख्या—13

ग्राम पंचायत नगला सिकंदर विकासखण्ड—नारखी जनपद—फिरोजाबाद
 प्रधान श्री राजप्रताप सिंह सचिव श्री जितेंद्र सिंह यादव धनराशि 34000.00
 प्रस्तर—01

ग्राम पंचायत द्वारा हैंडपंप के निष्प्रोज्य कलपुर्जों की नीलामी से प्राप्त धनराशि को आय में न दर्शाकर रुपया 34000.00 का अपहरण किया गया है। प्रधान व सचिव से उक्त धनराशि की समान रूप से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या—13

ग्राम पंचायत नारखी तालुका विकासखण्ड— नारखी जनपद— फिरोजाबाद
 प्रधान श्रीमती सर्वेश देवी सचिव श्री जितेंद्र सिंह यादव धनराशि 48000.00
 प्रस्तर—01

ग्राम पंचायत द्वारा हैंडपंप के निष्प्रोज्य कलपुर्जों की नीलामी से प्राप्त धनराशि को आय में न दर्शाकर रुपया 48000.00 का अपहरण किया गया है। प्रधान व सचिव से उक्त धनराशि की समान रूप से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या—13

ग्राम पंचायत—गौँछ विकासखण्ड— नारखी जनपद— फिरोजाबाद
 प्रधान श्री राजकुमार सिंह सचिव श्री सतीश चन्द्र शर्मा धनराशि 22000.00
 प्रस्तर—01

ग्राम पंचायत द्वारा हैंडपंप के निष्प्रोज्य कलपुर्जों की नीलामी से प्राप्त धनराशि को आय में न दर्शाकर रुपया 22000.00 का अपहरण किया गया है। प्रधान व सचिव से उक्त धनराशि की समान रूप से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या—13

ग्राम पंचायत डोरसा मोहम्मदपुर विकासखण्ड— नारखी जनपद— फिरोजाबाद
 प्रधान श्रीमती प्रकाशवती सचिव श्री विक्रम सिंह राणा धनराशि 45000.00
 प्रस्तर—01

ग्राम पंचायत द्वारा हैंडपंप के निष्प्रोज्य कलपुर्जों की नीलामी से प्राप्त धनराशि को आय में न दर्शाकर रुपया 45000.00 का अपहरण किया गया है। प्रधान व सचिव से उक्त धनराशि की समान रूप से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या—13

ग्राम पंचायत डौरी विकासखण्ड— नारखी जनपद— फिरोजाबाद
 प्रधान श्री समीद खाँ सचिव श्री राजेश धाकरे धनराशि 18700.00
 प्रस्तर—01

ग्राम पंचायत द्वारा हैंडपंप के निष्प्रोज्य कलपुर्जों की नीलामी से प्राप्त धनराशि को आय में न दर्शाकर रुपया 18700.00 का अपहरण किया गया है। प्रधान व सचिव से उक्त धनराशि की समान रूप से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है

आपत्ति संख्या—13

जनपद—अलीगढ़

मण्डल — अलीगढ़

प्रस्तर—1 ग्राम पंचायत जामुना

विकास खण्ड—अतरौली जनपद— अलीगढ़

दिनांक 01-05-2013 को खाता संख्या— 9871 से चेक संख्या 292881 से रू0 5000-00 का आहरण कर कोषबही में प्रविष्टि नहीं की गई और न ही उसके उपभोग का साक्ष्य प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार रू0 5000-00 का प्रयोग ग्राम पंचायत में न कर व्यक्तिगत हित में किया गया है। अतः इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम श्री चन्द्रपाल, तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं श्री महावीर सिंह, तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से रू0 2500-00 बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति सं0-24

प्रस्तर—2

लेखा परीक्षा वर्ष 2012-13 में दिनांक 21-04-2012 को छात्रवृत्ति खाते से रू0 7740-00 का आहरण कर कोषबही में प्रविष्टि नहीं की गयी और न ही इसके वितरण का कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। अतः इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम श्री चन्द्रपाल, तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं श्री महावीर सिंह, तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से रू0 3870-00 बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति सं0- 23 (3)

प्रस्तर—3

लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14 में एम0 आर0-54 एवं 63 के द्वारा श्री ओम प्रकाश के घर से मुख्य सड़क तक मिट्टी, नाली, खड़ण्जा पर रू0 9725-00 का व्यय दर्शित है। पुनः उसी कार्य पर वर्ष 2014-15 में एम0 आर0 62 एवं 64 के द्वारा मिट्टी, नाली, खड़ण्जा पर रू0 6118-00 का व्यय दर्शित है। इस प्रकार एक ही कार्य को एक ही वर्ष के अन्दर दो बार पूर्ण किया जाना धन का दुरुपयोग है। अतः वर्ष 2014-15 में उक्त कार्य पर व्यय धनराशि रू0 6118-00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम श्री चन्द्रपाल, तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं श्री महावीर सिंह, तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से रू0 3059-00 बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति सं0-26

2-ग्राम पंचायत कासिमपुर गदाईपुर,

विकास खण्ड— अतरौली जनपद—अलीगढ़—

प्रस्तर—4

लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14 में खाता संख्या 9680 ग्राम निधि से दिनांक 17-06-2013 में चेक संख्या 293209 से रू0 5000-00 एवं दिनांक 09-07-2013 में चेक संख्या 293213 से रू0 9950-00 का आहरण कर कोषबही में प्रविष्टि रू0 5000-00 की गयी है, इस प्रकार कुल रू0 9950-00 की प्रविष्टि कोषबही में नहीं की गयी और न ही इसके उपभोग के साक्ष्य प्रस्तुत किये गये। अतः रू0 9950-00 की ब्याज सहित वसूली श्री वीरपाल, प्रधान एवं श्री महावीर सिंह से रू0 4975-00 की बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित रहा ।

आपत्ति संख्या-21

प्रस्तर—5

लेखा परीक्षा वर्ष 2012-13 में छात्रवृत्ति खाते में से दिनांक 26-04-2012 में रू0 13200-00 का आहरण कर कोषबही में प्रविष्टि नहीं की गयी और न ही इसके विवरण का कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है।

अतः रू0 13200-00 की ब्याज सहित वसूली श्री वीरपाल, प्रधान एवं श्री महावीर सिंह से रू0 6600-00 बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित रहा ।

आपत्ति संख्या-23(3)

3-ग्राम पंचायत उस्मानपुर विकास खण्ड उत्तरौली जनपद-अलीगढ़-

प्रस्तर-6

लेखा परीक्षा वर्ष 2012-13 में माह अक्टूबर 2012 में अन्त में प्रधान के पास नकद शेष रू0 5700-00 होना कोषबही में दर्शित है। लेकिन 01-11-2012 को प्रारम्भिक शेष नकद बही में शून्य दर्शित है इस प्रकार रू0 5700-00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा कर लिया गया है। उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली श्री ऊदल सिंह, प्रधान एवं श्री भान सिंह से रू0 2850-00 बराबर- बराबर किया जाना अपेक्षित रहा ।

आपत्ति संख्या-23

प्रस्तर-7

लेखा परीक्षा वर्ष 2012-13 में ग्राम पंचायत निधि खाता संख्या-9707 से दिनांक 01-01-2013 को चेक संख्या 282469 से रू0 21650-00 एवं दिनांक 10-02-2013 को चेक संख्या 282473 से रू0 5000-00 कुल रू0 26650-00 का आहरण कर कोषबही में प्रविष्टि नहीं की गयी और न ही उपभोग का कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। अतः इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली श्री ऊदल सिंह, प्रधान एवं श्री अजय संत से रू0 13325-00 बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित रहा ।

आपत्ति संख्या- 24, 25

4- ग्राम पंचायत जाखैरा विकास खण्ड-अतरौली जनपद-अलीगढ़ -

प्रस्तर-8

लेखा परीक्षा वर्ष 2011-12 में दिनांक 22-07-2011 को चेक संख्या 199369 से रू0 4500-00 का आहरण कर कोषबही में प्रविष्टि नहीं की गयी और न ही इसके विवरण का कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। अतः इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली श्रीमती सुंमन देवी प्रधान एवं श्री अजय संत, ग्राम पंचायत अधिकारी से किया जाना अपेक्षित रहा ।

(आ0सं0-18)

प्रस्तर-9

लेखा परीक्षा वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 में भूदेव के मकान से पोखर तक निम्न प्रकार कार्य होना दर्शित है। दि0 22-03-2012 एम0 आर0-43 के अनुसार मिट्टी कार्य रू0 6375, दि0 23-03-2012 एम0 आर0-42 के अनुसार मिट्टी कार्य रू0 6000-00 दि0 18-04-2012 एम0 आर0-1 के अनुसार एल टाइप नाली खड़ण्जा कार्य रू0 17550-00 कुल रू0 29925-00। पुनः उक्त कार्य पर दिनांक 31-10-2012 एम0 आर0-25 के अनुसार मिट्टी कार्य रू0 16000-00 एवं दि0 22-05-2013 एम0 आर0-7 के अनुसार एल टाइप नाली खड़ण्जा रू0 13000-00 कुल रू0 29000-00।

उक्त के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां हैं :-

1- कार्य की माप कोषबही एवं मास्टररोल में अंकित नहीं है ।

2- जब दि0 18-04-2012 को उक्त कार्य नाली खड़ण्जा पूर्व में हो चुका था तब पुनः उक्त कार्य पर मिट्टी एवं नाली खड़ण्जा पर व्यय का औचित्य स्पष्ट नहीं होता है। दुबारा किया गया रू0 29000-00 का भुगतान संदिग्ध एवं वसूली योग्य है। अतः रू0 29000-00 की ब्याज सहित वसूली श्रीमती सुमन देवी प्रधान एवं श्री अजय संत, ग्राम पंचायत अधिकारी से किया जाना अपेक्षित रहा ।

(आ0सं0-19)

प्रस्तर-10

लेखा परीक्षा वर्ष 2011-12 में महीपाल के घर से पंचायत घर तक मिट्टी खडण्जा नाली निर्माण पर रु0 11250-00 का व्यय दर्शित है। पुनः उक्त कार्य पर वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में रु0 17000-00 का भुगतान दर्शित है। इस प्रकार एक ही कार्य को एक वर्ष में दो बार पूर्ण होना दिखाना राजकीय धन का दुरुपयोग है एवं वसूली योग्य है। अतः रु0 17000-00 की ब्याज सहित वसूली श्रीमती सुमन देवी प्रधान एवं श्री अजय संत, ग्राम पंचायत अधिकारी से किया जाना अपेक्षित रहा ।

(आ0सं0-20)

प्रस्तर-11

लेखा परीक्षा वर्ष 2012-13 में छात्रवृत्ति मद का रु0 350-00 अन्य कार्य पर व्यय कर दिया गया जो गम्भीर आपत्तिजनक है। अतः रु0 350-00 की ब्याज सहित वसूली श्रीमती सुमन देवी प्रधान एवं श्री अजय संत, ग्राम पंचायत अधिकारी से किया जाना अपेक्षित रहा ।

(आ0सं0-22)

5-ग्राम पंचायत कोरहरघुपुरा विकास खण्ड- अतरौली जनपद-अलीगढ़

प्रस्तर-12

लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14 में हैण्डपम्प मिस्त्री श्री विनोद कुमार को विभिन्न दिनांकों में रु0 119493-00 का भुगतान दर्शित है। लेकिन इस धनराशि के सापेक्ष क्रय सामग्री का विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे उक्त धन के उपयोग की पुष्टि नहीं हो सकी। अतः किया गया व्यय संदिग्ध है एवं धन का दुरुपयोग प्रतीत होता है। अतः रु0 119493-00 की ब्याज सहित वसूली श्री हेम सिंह प्रधान एवं श्री रईस अहमद, ग्राम पंचायत अधिकारी से किया जाना अपेक्षित रहा ।

(आ0सं0-21)

प्रस्तर-13

लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14 में कोषबही अनुसार निर्माण सामग्री क्रय कर रु0 580364-00 एवं मिट्टी खडण्जा पर रु0 317577-00 का व्यय दर्शित है, लेकिन उक्त सामग्री के क्रय एवं उपभोग के सम्बन्ध में कोई भी प्रमाणक एवं मास्टररोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः कुल व्यय रु0 897941-00 की ब्याज सहित वसूली श्री हेम सिंह प्रधान एवं श्री रईस अहमद, ग्राम पंचायत अधिकारी से किया जाना अपेक्षित रहा ।

(आ0सं0-22)

प्रस्तर-14

लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14 में ग्राम निधि खाता संख्या-9681 से दिनांक 12-06-2013 को चेक संख्या-284335 से रु0 5000-00 एवं दिनांक 31-10-2013 को चेक संख्या 298078 से रु0 30000-00 कुल रु0 35000-00 का आहरण की कोषबही में प्रविष्टि नहीं की गयी है और न ही उसके उपभोग का कोई साक्ष्य लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया। अतः रु0 35000-00 की ब्याज सहित वसूली श्री हेम सिंह प्रधान एवं श्री रईस अहमद, ग्राम पंचायत अधिकारी से किया जाना अपेक्षित रहा ।

(आ0सं0-24)

6- ग्राम पंचायत सूरजपुर विकास खण्ड- अतरौली जनपद-अलीगढ़-

प्रस्तर-15

लेखा परीक्षा वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 में ग्राम निधि खाते से क्रमशः रु0 358678-00 एवं रु0 198780-00 का आहरण किया गया है, लेकिन बार-बार कहने के बाद भी लेखा परीक्षा में उक्त वर्षों के

अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। जिससे उक्त वर्षों में कोई गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। अतः ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 के अन्तर्गत अपहरण मानते हुए कुल रु0 557458-00 की ब्याज सहित वसूली श्री विजय पाल प्रधान एवं श्री रईस अहमद, ग्राम पंचायत अधिकारी से किया जाना अपेक्षित रहा।

(आ0सं0-21)

प्रस्तर-16

लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14 में ग्राम निधि खाता संख्या-2931 से दिनांक 22-05-2013 चेक संख्या-689884 रु0 5000-00, दिनांक 02-09-2013 चेक संख्या-155541 रु0 5000-00 एवं दिनांक 10-01-2014 चेक संख्या-155556 रु0 5000-00 कुल रु0 15000-00 का आहरण किया गया है, लेकिन इसकी प्रविष्टि कोषबही में नहीं की गयी है, और न ही उपभोग का कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। अतः इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली श्री विजयपाल प्रधान एवं श्री रईस अहमद, ग्राम पंचायत अधिकारी से किया जाना अपेक्षित रहा।

(आ0सं0-22)

7-ग्राम पंचायत चौमुहा विकास खण्ड-अतरौली जनपद-अलीगढ़

प्रस्तर-17

लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14 में हैण्ड पम्प मिस्त्री श्री विनोद को विभिन्न तिथियों में रु0 118875-00 देना दर्शित है, लेकिन उक्त धनराशि के सापेक्ष क्रय सामग्री एवं मजदूरी का प्रमाणक एवं कोई विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। श्री विनोद को किया गया भुगतान भुगतान संदिग्ध प्रतीत होता है। अतः रु0 118875-00 की ब्याज सहित वसूली श्री प्रताप सिंह तत्कालीन प्रधान एवं श्री रईस अहमद तत्कालीन सचिव से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित रहा।

(आपत्ति संख्या-21)

प्रस्तर-18

दिनांक 13-03-2014 में दर्शित इण्टरप्राइजेस को लैम्प पोस्ट हेतु रु0 36750-00 का भुगतान किया गया है, लेकिन क्रय सामग्री का बाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया और उपरोक्तानुसार लैम्प पोस्ट स्टॉक रजिस्टर में दर्शित होने का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः रु0 36750-00 की ब्याज सहित वसूली श्री प्रताप सिंह तत्कालीन प्रधान एवं श्री रईस अहमद तत्कालीन सचिव से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित रहा।

(आपत्ति संख्या-23)

प्रस्तर-19

लेखा परीक्षा वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 में ग्राम निधि खाते से क्रमशः रु0 471250-00 एवं रु0 201625-00 का आहरण किया गया। उक्त आहरित धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक एवं सम्बन्धित अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे। जिससे उक्त आहरित धनराशि को ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 के अन्तर्गत अपहरण मानते हुए कुल रु0 672875-00 की ब्याज सहित वसूली श्री प्रताप सिंह तत्कालीन प्रधान एवं श्री रईस अहमद तत्कालीन सचिव से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित रहा।

(आपत्ति संख्या-24)

8- ग्राम पंचायत जिरौली धूम सिंह

विकास खण्ड-अतरौली जनपद-अलीगढ़

प्रस्तर-20

लेखा परीक्षा वर्ष 2012-13 में कोषबही में सितम्बर 2012 के अन्त में प्रधान के नगद शेष रु0 11148-00 दर्शित है, लेकिन दि0 01-01-2012 को प्रधान के नगद में शेष कोषबही में शून्य दर्शित है। अतः

रु0 11148-00 की ब्याज सहित वसूली श्री विनोद कुमार तत्कालीन प्रधान एवं श्री विनोद मौर्या तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित रहा ।

(आपत्ति संख्या-21)

प्रस्तर-21

दिनांक 18-05-2012 को छात्रवृत्ति खाते से रु0 21100-00 का आहरण कर कोषबही में रु0 21000-00 की प्रविष्टि की गई। इस प्रकार रु0 100-00 का अपहरण कर लिया गया। अतः रु0 100-00 की ब्याज सहित वसूली श्री विनोद कुमार तत्कालीन प्रधान एवं श्री विनोद मौर्या तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित रहा।

(आपत्ति संख्या-23(3))

9-ग्राम पंचायत- भवीगढ़ विकास खण्ड-अतरौली जनपद-अलीगढ़

प्रस्तर-22

लेखा परीक्षा 2013-14 में दिनांक 28-03-2014 को ग्राम निधि खाता संख्या 2919 से चेक संख्या-156705 से रु0 5000-00 का आहरण किया गया लेकिन उसकी प्रविष्टि कोषबही में नहीं की गई और न ही उसके उपभोग का कोई साक्ष्य लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया। अतः रु0 5000-00 की ब्याज सहित वसूली श्री गुडडन, तत्कालीन प्रधान एवं श्री विनोद मौर्या तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित रहा।

(आपत्ति संख्या-23)

प्रस्तर-23

लेखा परीक्षा वर्ष में निम्न कार्यों में मिट्टी कार्य का अत्यधिक भुगतान किया गया है :-

1- भोजराज के घर से पूरन के घर तक मिट्टी कार्य- $(85 \times 4.95 \times 0.6 = 253$ घन मीटर)का भुगतान दर 162.55 प्रति घन मीटर से रु0 41124-00 किया गया, जबकि भुगतान दर रु0 120-00 घन मीटर की दर से रु0 30360-00 होना चाहिए था। अधिक हुआ भुगतान रु0 41124.00-30360.00=10764.00।

2-विनोद के ट्यूबवेल से चन्द्रपाल के कमरा तक $79 \times 4.80 \times 0.8 = 303$ घन मीटर मिट्टी कार्य हेतु कुल भुगतान 194.81 की दर से रु0 59029.00 किया गया जबकि रु0 120.00 प्रति घन मीटर की दर से रु0 36360.00 होना चाहिए। अंतर अधिक भुगतान रु0 22669.00 इस प्रकार उक्त दोनों मिट्टी कार्यों पर वास्तविक दर से रु0 33433.00 का अधिक भुगतान किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री गुडडन, तत्कालीन प्रधान एवं श्री विनोद मौर्या तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित रहा।

(आपत्ति संख्या-24)

10-ग्राम पंचायत चण्डौला बुजुर्ग विकास खण्ड-अतरौली जनपद-अलीगढ़

प्रस्तर-24

लेखा परीक्षा वर्ष 2011-12 में ग्राम निधि मद का रु0 10000-00 छात्रवृत्ति वितरण पर व्यय किया गया, एवं वर्ष 2013-14 में छात्रवृत्ति मद का रु0 155-00 ग्राम निधि मद में व्यय किया गया है। अतः रु0 9845-00 छात्रवृत्ति खाते से निधि खाते में हस्तान्तरित कराया जाना अपेक्षित है, अन्यथा की स्थिति में रु0 9845-00 की ब्याज सहित वसूली श्रीमती पुष्पा देवी तत्कालीन प्रधान एवं श्री विदेशी खाँ एवं श्री सुरेश चन्द्र हितैशी तत्कालीन सचिव से कर निधि खाते में जमा कराया जाना अपेक्षित रहा।

(आपत्ति संख्या-18)

11—ग्राम पंचायत हैबतपुर विकास खण्ड— अतरौली जनपद—अलीगढ़—**प्रस्तर—25**

लेखा परीक्षा वर्ष 2012—13 में छात्रवृत्ति खाता संख्या 10825 से दिनांक 19-08-2012 को रू0 15520—00 का आहरण कर कोषबही में प्रविष्टि नहीं की गयी है और न ही उसके उपभोग का साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। अतः रू0 15520—00 की ब्याज सहित वसूली श्री राकेश कुमार, तत्कालीन प्रधान एवं श्री अजयपाल ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर—बराबर किया जाना अपेक्षित रहा।

(आपत्ति संख्या—21)**12— ग्राम पंचायत रायपुर दलपतपुर विकास खण्ड— अतरौली जनपद—अलीगढ़—****प्रस्तर—26**

लेखा परीक्षा वर्ष 2013—14 में ग्राम निधि खाता सं0—9733 से निम्नानुसार धनराशि का आहरण किया गया जिनकी प्रविष्टि कोषबही में नहीं किया गया —

क्र0 सं0	दिनांक	चेक संख्या	धनराशि
1	16-04-2013	291723	रू0 5000—00
2	04-09-2013	293897	रू0 26000—00
3	07-09-2013	299003	रू0 26000—00
4	05-02-2014	269003	रू0 20580—00
5	05-02-2014	269005	रू0 5400—00
		योग-----	रू0 82980—00

उक्त धनराशि रू0 82980—00 की ब्याज सहित वसूली श्री सुनहरी लाल, प्रधान एवं श्री रईस अहमद ग्रा0 पं0 अधिकारी से बराबर—बराबर किया जाना अपेक्षित रहा ।

(आपत्ति संख्या—23)**प्रस्तर—27**

लेखा परीक्षा वर्ष 2013—14 में दिसम्बर 2013 के आय पक्ष का योग रू0 68531—00 है तथा व्यय पक्ष का योग रू0 67277—00 है, इस प्रकार माह के अन्त में नगद शेष रू0 1254—00 होना चाहिए, जबकि कोष बही में रू0 254—00 नगद शेष अंकित है । इस प्रकार रू0 1000—00 से कम नगद शेष दर्शित कर ६ धन का अपहरण किया गया है। अतः रू0 1000—00 की ब्याज सहित वसूली श्री सुनहरी लाल, प्रधान एवं श्री रईस अहमद ग्रा0 पं0 अधिकारी से बराबर—बराबर किया जाना अपेक्षित रहा ।

(आपत्ति संख्या—24)**प्रस्तर—28**

लेखा परीक्षा वर्ष 2013—14 में ग्राम प्रधान को माह दिसम्बर 2013 का मानदेय दो बार दिया गया है। रू0 750—00 की ब्याज सहित वसूली श्री सुनहरी लाल, प्रधान एवं श्री रईस अहमद ग्रा0 पं0 अधिकारी से बराबर—बराबर किया जाना अपेक्षित रहा ।

(आपत्ति संख्या—26)**13—ग्राम पंचायत पनिहारा अब्दुल्लापुर विकास खण्ड— अतरौली जनपद—अलीगढ़—****प्रस्तर—29**

लेखा परीक्षा वर्ष 2011—12 में कोषबही में 31-03-2012 को प्रधान के पास नगद शेष रू0 7200—00 को आगले वर्ष दिनांक 01-04-2012 को प्रारम्भिक शेष के रूप में अंकित न कर रू0 7200—00 का अपहरण

कर लिया गया। अतः रू0 7200-00 की ब्याज सहित वसूली श्री नन्द किशोर प्रधान एवं श्री चरन सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित रहा ।
(आपत्ति संख्या-22)

14-ग्राम पंचायत लोहगढ़ विकास खण्ड-अतरौली जनपद-अलीगढ़-

प्रस्तर-30

लेखा परीक्षा वर्ष में 2012-13 में ग्राम निधि मद से रू0 975-00 छात्रवृत्ति वितरण पर व्यय कर दिया गया है, जो अनियमित है। अतः रू0 975-00 की ब्याज सहित वसूली श्री मेघ सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी एवं श्रीमती पुष्पा देवी तत्कालीन प्रधान से कर निधि खाते में जमा कराया जाना अपेक्षित रहा ।

(आपत्ति संख्या-21)

15-ग्राम पंचायत बढौली विकास खण्ड-खैर जनपद-अलीगढ़-

प्रस्तर-31

लेखा परीक्षा वर्ष 2012-13 ग्राम निधि खाता संख्या-9643 से दिनांक 09 -10-2012 को चेक संख्या-947965 से रू0 4500-00 एवं दि० 04-03-2013 को चेक संख्या-282930 से रू0 5000-00 का आहरण कर कोषबही में प्रविष्टि नहीं की गयी और न ही इसके उपभोग का साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। अतः रू0 9500-00 की ब्याज सहित वसूली श्रीमती मुन्नी देवी प्रधान एवं श्री अजय संत, ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-21)

प्रस्तर-32

लेखा परीक्षा वर्ष 2012-13 में क्रय ईट एवं उसके उपभोग का विवरण निम्नवत रहा:-प्रा० शेष ईट -6375 (कोषबही के अनुसार) वर्ष में क्रय ईट-86271 (कोषबही के अनुसार) खडण्जा उखडाई से प्राप्त ईट-5333 कुल ईट-97979 रही। लेखा परीक्षा वर्ष में कुल 1010 घन मीटर खडण्जा का निर्माण साथ में एक साईड में एल टाइप नाली का निर्माण किया गया इस प्रकार कुल 80800 ईट का उपभोग विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार शेष ईट 17179 का मूल्य रू0 68716 का कोई विवरण प्रस्तुत न करने के कारण रू0 68716-00 की ब्याज सहित वसूली श्रीमती मुन्नी देवी, तत्कालीन प्रधान एवं श्री अजय संत, तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित रहा ।

(आपत्ति संख्या-22-1)

16-ग्राम पंचायत दीबा हमीदपुर विकास खण्ड अतरौली जनपद-अलीगढ़-

प्रस्तर-33

लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14 की कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट की जांच व मिलान में पाया गया कि मैसर्स आर०के० ईट उद्योग सहजपुरा को मनमाने ढंग से चेको का भुगतान किया गया है। दिये गये भुगतान के सापेक्ष ईट खरीद बहुत कम दर्शायी गयी है, जांच से ऐसा प्रतीत होता है कि ईट फर्म को चेक देकर उससे नकद धन प्राप्त कर अपहरण किया गया है-

चेक संख्या	दिनांक	चेक की धन०	ईट क्रय प्रमाणक सं०	दिनांक	धनराशि
391610	14-05-13	99000-00	02	14-05-13	95832-00
391612	05-06-13	95000-00	11	12-06-13	32533-00
391611	21-06-13	31500-00	18	09-08-13	26083-00

391625	27-08-13	100000-00	22	13-08-13	10982-00
391624	27-08-13	160000-00	26	14-08-13	57228-00
856395	07-03-14	55000-00	30	14-08-13	22044-00
856394	07-03-14	95000-00	34	18-08-13	7128-00
856398	07-03-14	60000-00	37	19-08-13	10560-00
856396	08-03-14	95000-00	40	20-08-13	34531-00
856397	08-03-14	55000-00	51	05-03-14	6072-00
			53	05-03-14	7766-00
			56	07-03-14	3872-00
			58	07-03-14	51149-00
			63	08-03-14	22349-00
			66	09-03-14	48960-00
			73	10-03-14	20160-00
			80	15-03-14	55872-00
			82	21-03-14	16800-00
			84	21-03-14	7517-00
	योग----	845500-00		योग----	537438

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि कुल ईट खरीद रु0 537438-00 के सापेक्ष सम्बन्धित ईट फर्म को चेकों द्वारा कुल रु0 845500-00 का भुगतान किया गया है। अर्थात् रु0 308062-00 से अधिक भुगतान किया गया है। इस अधिक भुगतान के सापेक्ष कैशबुक में काल्पनिक व्यय जैसे मिट्टी भराव व हैण्डपम्प मरम्मत व्यय दर्शाकर आय-व्यय तैयार किया गया है। उक्त अन्तर रु0 308062-00 के अपहरण में तत्कालीन प्रधान श्री रामेश्वर दयाल शर्मा व तत्कालीन सचिव सेवा निवृत्त श्री ओम प्रकाश उत्तरदायी है। अतः रु0 308062-00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्री रामेश्वर दयाल शर्मा तत्कालीन प्रधान एवं श्री ओम प्रकाश सचित से बराबर बराबर कराया जाना अपेक्षित रहा।

(आपत्ति संख्या-03)

**17- ग्राम पंचायत पला चांद विकास खण्ड-खैर जनपद-अलीगढ़-
प्रस्तर-34**

दिनांक 04-06-14 में मनोज बिल्डिंग मटेरियल खीर को रु0 40000-00 का चेक दिया गया, लेकिन इसके सापेक्ष रु0 52400-00 की मटेरियल खरीद दर्शायी है। इस प्रकार दिये गये भुगतान से रु0 12400-00 अधिक की खरीद दर्शायी गयी जो कि अनियमित है। यदि खरीद अधिक हुई थी, तो चेक कम धनराशि का क्यो काटा गया। स्थिति संदिग्ध है। ऐसा प्रतीत होता है कि काल्पनिक खरीद दर्शाकर नकद किये गये भुगतान रु0 12400-00 का अपहरण किया गया। अतः रु0 12400-00 की ब्याज सहित वसूली श्रीमती मोहन देवी, तत्कालीन प्रधान एवं श्री मोहन प्रसाद, ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित रही।

(आपत्ति संख्या-04)

प्रस्तर-25

दिनांक 09-06-14 को अक्शा ब्रिक फील्ड पला चांद को रु0 45000-00 का भुगतान चेक से किया गया है लेकिन इसके सापेक्ष दिनांक 19-06-14 को प्रमाणक संख्या 08 द्वारा 24485-00 की ईट खरीद दर्शायी गई है। इस प्रकार दिये गये भुगतान से रु0 20515-00 से कम की खरीद दर्शायी है। जो कि अनियमित है। यदि खरीद कम की हुई तो चेक अधिक धनराशि का क्यों काटा गया? इस प्रकार दिये गये भुगतान में रु0 20515-00 अश्रन्य कार्यो पर व्यय दर्शाकर आय-व्यय बनाया गया है। अतः रु0 20515-00 की ब्याज सहित वसूली श्रीमती मोहन देवी, तत्कालीन प्रधान एवं श्री मोहन प्रसाद, ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित रही।

(आपत्ति संख्या-05)

प्रस्तर-36

लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14 से 2014-15 तक क्रमशः रु0 47597-00, एवं रु0 47902-00 का व्यय हैण्ड पम्प मरम्मत के मद में दर्शाया गया, लेकिन वित्तीय वर्ष में पुराने सामान की अर्थात स्क्रेप की बिक्री से आय बिल्कुल नहीं दर्शायी गयी है, इससे स्पष्ट है कि या तो नया सामान लगाया ही नहीं गया, या पुराने सामान की बिक्री की चोरी की गयी। कुल मरम्मत की लगभग 30-35 प्रतिशत की बिक्री पंचायत खाते में जमा करायी जानी चाहिए, जो नहीं करायी गयी। मरम्मत में हुए व्यय का पूरा विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः हैण्ड पम्प मरम्मत पर कुल हुए व्यय रु0 95499-00 की ब्याज सहित वसूली श्रीमती मोहन देवी, तत्कालीन प्रधान एवं श्री मोहन प्रसाद, ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित रही।

(आपत्ति संख्या-09)

19-ग्राम पंचायत सूजापुर विकास खण्ड-खैर जनपद-अलीगढ़-

प्रस्तर-37

दिनांक 26-05-14 को चेक संख्या 156 द्वारा ग्राम निधि खाता से रु0 850-00 का आहरण कर कैंशबुक में दर्शित नहीं किया गया है, अर्थात आहरित रु0 850-00 का ग्राम पंचायत के कार्यो पर व्यय नहीं किया गया। अतः रु0 850-00 की ब्याज सहित वसूली श्रीमती सावित्री देवी, तत्कालीन प्रधान एवं श्री जैनेश कुमार, ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित रही।

(आपत्ति संख्या-03)

20-ग्राम पंचायत जरारा विकास खण्ड-खैर जनपद-अलीगढ़-

प्रस्तर-38

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में दिसम्बर 2014 में कोषबही के आय पक्ष का योग रु0 200-00 से कम दर्शायी गयी है, जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती शशी देवी, तत्कालीन प्रधान एवं श्री नवेश कुमार, ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित रही।

(आपत्ति संख्या-03)

21-ग्राम पंचायत सुजानपुर विकास खण्ड-खैर जनपद-अलीगढ़ :—

प्रस्तर-39

लेखा परीक्षा वर्ष 2011-12 से 2014-15 तक ग्राम पंचायत मिट्टी भराव पर क्रमशः रु0 112800-00, रु0 137520-00, रु0 137000-00, व रु0 314000-00 का व्यय मिट्टी कार्य में दर्शाया गया है। इसकी पुष्टि में कार्ययोजना या कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र भी उपलब्ध नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त मिट्टी का अधिकांश भुगतान नकद में ही किया गया है। अतः मिट्टी कार्य पर कुल व्यय रु0 701320-00 की ब्याज सहित वसूली श्री देवीराम तत्कालीन प्रधान एवं श्री संजीव कुमार, तत्कालीन सचिव से किया जाना अपेक्षित रहा।

(आपत्ति संख्या-03)

जनपद— हाथरस मण्डल— अलीगढ़

1— ग्राम पंचायत—जाउइनायतपुर विकास खण्ड हसायन जनपद—हाथरस— प्रस्तर—1

दिनांक 28-08-2019 को खाता संख्या 4256 से चेक संख्या 199778 से रू0 5000-00 का आहरण कर कोषबही में प्रविष्टि नहीं की गयी है। जिसका अपहरण श्रीमती राजवती प्रधान एवं श्री रमेश चन्द्र शर्मा तत्कालीन सचिव द्वारा किया गया है। उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित से रू0 2500-00 बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है ।

(आपत्ति संख्या-29-1)

2— ग्राम पंचायत फुलरई मुगलगढी विकास खण्ड—सहायन जनपद—हाथरस— प्रस्तर—2

एम0डी0एम0 खाता संख्या 991010140003 से दिनांक 02-07-2009 को चेक संख्या-410474 द्वारा रू0 18500-00 का आहरण कर कोषबही में दर्ज नहीं किया गया है। अतः रू0 18500-00 की ब्याज सहित वसूली श्रीमती नीरज कुमारी, तत्कालीन प्रधान एवं श्री अनोखे सिंह, तत्कालीन सचिव अनोखे सिंह से किया जाना अपेक्षित रहा ।

(आपत्ति संख्या-29-1)

प्रस्तर—3

दिनांक 18-03-2011 को निधि खाते से रू0 5000-00 का आहरण किया गया जिसकी प्रविष्टि कोषबही में न कर अपहरण कर लिया गया है। अतः अपहरित धनराशि रू0 5000-00 की ब्याज सहित वसूली श्रीमती सरला देवी, प्रधान एवं श्री अनोखे सिंह, तत्कालीन सचिव से किया जाना अपेक्षित है ।

(आपत्ति संख्या-30)

प्रस्तर—4

दिनांक 20-08-2011 को सोर्य ट्रेडिंग कम्पनी को ग्राम निधि-1 खाता से रू0 30000-00 का भुगतान किया गया है, जिसे कैश बुक में दर्शाया गया है। व्यय पक्ष में उक्त कम्पनी से कोई वस्तु/सामग्री प्राप्त नहीं की गई, और न ही रू0 30000-00 नगद शेष बढ़ाकर दर्शाया गया ।अतः रू0 30000-00 की ब्याज सहित वसूली श्रीमती सरला देवी, प्रधान एवं श्री अनोखे सिंह, तत्कालीन सचिव से किया जाना अपेक्षित है ।

(आपत्ति संख्या-32-2)

प्रस्तर—5

माह मई 2012 में आय व्यय का योग क्रमशः रू0 531748-50 व रू0 501748-00 तथा दि0 31-05-15 का नकद अवशेष रू0 30000-50 कच्ची पेन्सिल से लगाकर दर्शाया गया है, परन्तु उक्त अवशेष को दि0 01-06-12 को मात्र रू0 0-50 दर्शाया गया है। इस प्रकार रू0 30000-00 से कम दर्शाकर अपहरण किया गया। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती सरला देवी, प्रधान एवं श्री अनोखे सिंह, तत्कालीन सचिव से किया जाना अपेक्षित है ।

(आपत्ति संख्या-34)

3- ग्राम पंचायत गिनौली किशनपुर विकास खण्ड-हसायन जनपद-हाथरस-

प्रस्तर-6

ग्राम निधि-1 खाते से ग्राम पंचायत अमृतपुर असदपुर के चेक सं0-710862 व 710963 से कुल रू0 10000-00(5000-00*2) बैंक से निकासी कर दी है, जो गम्भीर प्रकरण है अतः धनराशि की वापसी ग्राम पंचायत गिनौली किशनपुर के खाते में करायी जानी अपेक्षित है, अन्यथा की स्थिति में रू0 10000-00 की ब्याज सहित वसूली श्रीमती स्नेह लता ,तत्कालीन प्रधान एवं श्री यशपाल सिंह, तत्कालीन सचिव से की जानी अपेक्षित रही।

(आपत्ति संख्या-32)

4- ग्राम पंचायत शिहोरी विकास खण्ड हसायन जनपद-हाथरस:-

प्रस्तर-7

श्री देवेन्द्र सिंह सचिव ने दिनांक 22-09-2011 को छात्रवृत्ति खाते से रू0 41880-00 आहरण कर कोषबही में दर्ज नहीं किया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री राम गिरीश सिंह तत्कालीन प्रधान एवं श्री उदय प्रताप सिंह, तत्कालीन सचिव से की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-31-1)

5- ग्राम पंचायत बकायन विकास खण्ड-हसायन जनपद-हाथरस-

प्रस्तर-8

ग्राम निधि-1 दिनांक 14-08-14 को रू0 125482-00 अनुदान की प्राप्ति के बाद बैंक अवशेष रू0 324122-90 दिनांक 21-08-14 को चेक सं0 830363 के द्वारा रू0 48000-00 की निकासी के पश्चात बैंक में बकाया राशि रू0 256122-90 दर्शाया है, जबकि सही बैंक अवशेष रू0 276122-90 होता है। बैंक द्वारा भुगतान किये गये चेको के क्रमांक क्रमानुसार ही है केवल चेक सं0-830364 क्रम भंग कर रहा है। ग्राम पंचायत द्वारा चेक बुक व उसके प्रतिपर्ण मांगने पर भी प्रस्तुत नहीं किये गये है इस प्रकार अन्तर की धनराशि रू0 20000-00 की ब्याज सहित वसूली श्री अफजल अली, तत्कालीन प्रधान एवं श्री संजीव कुमार, तत्कालीन सचिव से किया जाना अपेक्षित रहा।

(आपत्ति संख्या -30)

6- ग्राम पंचायत मलामई ब विकास खण्ड-हसायन जनपद-हाथरस-

प्रस्तर-9

दि0 20-10-14 को चेक सं0-708224 से रू0 5000-00 का आहरण कर कोषबही में दर्ज नहीं किया गया है। इस आहरण के सापेक्ष कोई व्यय प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः रू0 5000-00 की ब्याज सहित वसूली श्री चन्द्रपाल तत्कालीन प्रधान एवं श्री के0पी0 सिंह तत्कालीन सचिव से की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-31)

7-ग्राम पंचायत बरसौली विकास खण्ड हसायन जनपद हाथरस-

प्रस्तर-10

आलोच्य वर्षों में विभिन्न मदों से जैसे ईट रू0 2125900-00 निर्माण सामग्री रू0 394750-00 शौचालय सामग्री रू0 541164 स्ट्रीट लाइट रू0 346750-00 क्रय की गई। व्यय हेतु कोटेशन टेण्डर की प्रक्रिया नियमानुसार नहीं अपनायी गयी। जो गम्भीर अनियमितता है। अतः कुल रू0 3408564-00 की ब्याज सहित वसूली श्री शीलेन्द्र कुमार एवं श्री राजू कुमार तत्कालीन प्रधान एवं श्री ओम प्रकाश, तत्कालीन सचिव से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित रहा।

(आपत्ति संख्या -28)

8—ग्राम पंचायत अण्डौली विकास खण्ड—हसायन जनपद—हाथरस—

प्रस्तर—11

लेखा परीक्षा वर्ष 2010—11 से 2014—15 तक विभिन्न मदों में जैसे ईट रु0 2186075—00 निर्माण सामग्री रु0 540700—00 स्ट्रीट लाईट पर रु0 124550—00 का व्यय किया गया है। सामग्री क्रय करने से पूर्व कोटेशन/टेण्डर की प्रक्रिया नियमानुसार नहीं अपनाई गयी। जो गम्भीर अनियमितता का विषय है एवं धन का सदुपयोग संदिग्ध है। अतः कुल रु02851325—00 की ब्याज सहित वसूली श्रीमती सीता देवी एवं श्री सतेन्द्र कुमार, तत्कालीन प्रधान एवं श्री ओम प्रकाश व श्री कुलदीप सिंह, तत्कालीन सचिव से बराबर बराबर किया जाना अपेक्षित रहा।

(आपत्ति संख्या—28)

9— ग्राम पंचायत महमूदपुर खेडिया टप्पा विकास खण्ड सिकन्दराराऊ जनपद—हाथरस—

प्रस्तर—12

दि020—03—2013 को चेक सं0—709899 से रु0 34500—00 का कृष्णा सुदामा ईट उद्योग को भुगतान किया गया है। जिसकी प्रविष्टि कोषबही में नहीं की गई और न ही इसके क्रय का कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है, जो सीधा गबन है। अतः रु0 34500—00 की ब्याज सहित वसूली श्री नरेश चन्द्र तत्कालीन प्रधान एवं श्री रणधीर सिंह, तत्कालीन सचिव से बराबर—बराबर किया जाना अपेक्षित रहा।

(आपत्ति संख्या—20)

प्रस्तर—13

माह जुलाई 2012 का नकद शेष रु0 2000—00 से कम दर्शित कर अपहरण किया गया जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री नरेश चन्द्र तत्कालीन प्रधान एवं श्री रणधीर सिंह, तत्कालीन सचिव से बराबर—बराबर किया जाना अपेक्षित रहा।

(आपत्ति संख्या—21)

प्रस्तर—14

दिनांक 17—05—2013 को चेक सं0—18 से चौधरी फर्टीलाइजर के नाम रु0 10000—00 का चेक जारी किया गया है, जिसकी प्रविष्टि कोषबही में नहीं की गई है एवं क्रय के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, जो सीधा गबन है। अतः रु0 10000—00 की ब्याज सहित वसूली श्री नरेश चन्द्र तत्कालीन प्रधान एवं श्री रणधीर सिंह, तत्कालीन सचिव से बराबर—बराबर किया जाना अपेक्षित रहा।

(आपत्ति संख्या—22)

10—ग्राम पंचायत डंडेसरी विकास खण्ड—सिकंदरा राऊ जनपद—हाथरस—

प्रस्तर—15

माह मई 2013 के आय पक्ष का योग रु0 165449—00 है, जबकि लेखा परीक्षा के अनुसार व्यय पक्ष को योग रु0 90449—00 है, इस प्रकार आय व्यय में रु0 75000—00 को अन्तर है। यह अन्तर अमन ईट उद्योग डंडेसरी को रु0 75000—00 का व्यय पक्ष शामिल न करने के कारण है। जिसके क्रय एवं उपभोग का कोई साक्ष्य भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः रु0 75000—00 का सीधा गबन किया गया। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री विनय कुमार सिंह तत्कालीन प्रधान एवं श्री रणधीर सिंह, तत्कालीन सचिव से बराबर—बराबर किया जाना अपेक्षित रहा।

(आपत्ति संख्या—15)

प्रस्तर—16

लेखा परीक्षा वर्ष 2013—14 में सितम्बर माह में ग्राम निधि खाता सं0—6 निर्मल भारत योजना के अन्तर्गत रु0 65600—00 का चेक निर्गत किया गया, जिसकी प्रविष्टि कैशबुक में नहीं की गयी है और न ही

उसके उपभोग का कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया। अतः रु0 65600-00 की ब्याज सहित वसूली श्री विनय कुमार सिंह तत्कालीन प्रधान एवं श्री रणधीर सिंह, तत्कालीन सचिव से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित रहा।

(आपत्ति संख्या-16)

प्रस्तर-17

माह फरवरी 2015 में ग्राम निधि-06 खाता सं0-9014 से रु0 80000-00 का आहरण कर कोषबही में दर्ज नहीं किया गया है, जिसके उपभोग की पुष्टि में कोई साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः रु0 80000-00 की ब्याज सहित वसूली श्री विनय कुमार सिंह तत्कालीन प्रधान एवं श्री रणधीर सिंह, तत्कालीन सचिव से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित रहा।

(आपत्ति संख्या-19)

11- ग्राम पंचायत अखईपुर विकास खण्ड-सासनी जनपद-हाथरस-

प्रस्तर-18

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2012-13 से 2014-15 तक हैण्ड पम्प पर मरम्मत का रु0 71055-00, रु0 110562-00, व 116926-00 का व्यय दर्शित है परन्तु तीनों वित्तीय वर्षों में पुराने सामान अर्थात् स्क्रेप की बिक्री से आय बिलकुल नहीं दिखाई गयी है, इससे स्पष्ट है कि या तो नया सामान क्रय नहीं किया गया या स्क्रेप बिक्री की चोरी की गयी है। कुल मरम्मत व्यय का 30 से 35 प्रतिशत स्क्रेप की बिक्री पंचायत खाते में जमा कराई जानी चाहिए थी जों नहीं कराई गयी। अतः कुल व्यय रु0 298543-00 का 30 प्रतिशत रु0 89562-00 की ब्याज सहित वसूली श्री सौदान सिंह तत्कालीन प्रधान एवं श्री गिरीश कुमार, तत्कालीन सचिव से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित रहा।

(आपत्ति संख्या-06)

12-ग्राम पंचायत चन्दैया विकास खण्ड-सासनी जनपद-हाथरस-

प्रस्तर-19

ग्राम पंचायत की कैशबुक वर्ष 2012-13 से 2014-15 तक में दिनांक 15-08-12 में रु0 2400-00, दि0 26-01-14 में रु0 2400-00, दि0 28-08-14 में रु0 3600-00 व दिनांक 26-01-15 में रु0 5850-00 का मिष्ठान वितरण स्वयं की आय से न कर राजकीय अनुदान से किया गया जो अनियमित है अतः कुल रु0 14250-00 की ब्याज सहित वसूली श्री मुरारी लाल तत्कालीन प्रधान एवं श्री ग्रीश कुमार, तत्कालीन सचिव से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित रहा।

(आपत्ति संख्या-07)

प्रस्तर-20

दि0 8-12-12 में रु0 1000-00, 30-01-13 में रु 1000-00, 13-08-13 में रु0 2000-00 एवं दि0 11-11-14 में रु0 2000-00 कुल रु0 6000-00 पंचायत कर के रूप में सहायक विकास अधिकारी को देना दर्शित है। जबकि ग्राम पंचायत में कर वसूल शून्य है। ग्राम पंचायत में कर वसूल का 10 प्रतिशत ही पंचायत कर के रूप में जमा करने का प्रावधान है। इस प्रकार राजकीय अनुदान से पंचायत कर जमा करना राजकीय धन का दुरुपयोग है। अतः रु0 6000-00 की ब्याज सहित वसूली श्री मुरारी लाल तत्कालीन प्रधान एवं श्री ग्रीश कुमार, तत्कालीन सचिव से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित रहा।

(आपत्ति संख्या-08)

13-ग्राम पंचायत नाई नगला ताहर विकास खण्ड-सिकन्दाराऊ जनपद-हाथरस-

प्रस्तर-21

दिनांक 03-03-2015 को खाता सं0 6549 से चेक सं0-162 द्वारा रु0 48000-00 का भुगतान राधा ईट उद्योग को किया गया जिसकी प्रविष्टि कोषबही में नहीं की गयी और न ही उसके उपभोग का कोई साक्ष्य

प्रस्तुत किय गया। अतः रू0 48000-00 की ब्याज सहित वसूली श्री प्रभात कुमार भार्मा तत्कालीन प्रधान एवं श्री यशपाल सिंह तत्कालीन सचिव से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित रहा।

(आपत्ति संख्या -16)

14-ग्राम पंचायत नीरजा गोकुलपुर विकास खण्ड-सिकन्दाराऊ जनपद-हाथरस -

प्रस्तर-22

माह दिसम्बर 2013 व सितम्बर 2014 में ग्राम निधि-1 खाते से क्रमशः रू0 5000-00 एवं रू0 5000-00 का आहरण कर कोषबही में प्रविष्टि न कर रू0 10000-00 का सीधे अपहरण कर लिया गया है। अतः रू0 10000-00 की ब्याज सहित वसूली श्री रामपाल सिंह तत्कालीन प्रधान एवं श्री देवेन्द्र सिंह तत्कालीन सचिव से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या -16)

प्रस्तर-23

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में माह जून के अन्त में आय पक्ष का योग रू0 343709-00 होता है जबकि कैशबुक में आय पक्ष का योग रू0 327709-00 एवं व्यय का योग रू0 327709-00 दर्शाया गया है। इस प्रकार आय पक्ष रू0 16000-00 कम दर्शाकर एव माह के अन्त में नकद शेष शून्य दर्शाकर रू0 16000-00 का अपहरण कर लिया गया। अतः रू0 16000-00 की ब्याज सहित वसूली श्री रामपाल सिंह तत्कालीन प्रधान एवं श्री देवेन्द्र सिंह तत्कालीन सचिव से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या -19)

जनपद-एटा,

मण्डल अलीगढ़

ग्राम पंचायत-वारथर, विकास खण्ड-शीतलपुर,

प्रस्तर 01

वर्ष 2014-15 में कुल 547 दिन की मजदूरी रू0 200/- की दर से कुल रू0 109400/- दी गयी जबकि दर प्रतिदिन रू0 156/- थी। इस प्रकार 40 रू0 प्रतिदिन के हिसाब से कुल रू0 24068.00 का अधिक का भुगतान कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान श्रीमती ब्रह्मादेवी व पंचायत सचिव श्री संजय शर्मा से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या 20)

प्रस्तर 02

वर्ष 2013-14 में 4 नये हैन्डपम्प कीमत रू0 144200/- के लगवाकर ग्राम पंचायत के अनुदान का दुरुपयोग किया गया। ग्राम पंचायत केवल पेयजल योजनाओं/परिसम्पत्तियों (हैन्डपम्प मरम्मत) के संचालन एवं रखरखाव पर ही व्यय कर सकती है। इस प्रकार रू0 144200/- की क्षति ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान श्रीमती ब्रह्मादेवी व पंचायत सचिव श्री संजय शर्मा से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या 21)

जनपद—कासगंज मण्डल—अलीगढ़

ग्राम पंचायत तकुआवर, विकास खण्ड सोंरो,,

प्रस्तर 01

वर्ष 2014-15 में दि० 22.08.2014 को हैन्डपम्प लगवाने पर रू० 104000 व्यय किया गया किसी भी अधिकारी से इसकी स्वीकृति नहीं ली गयी तथा शासनादेश के विरुद्ध है। ग्राम पंचायतों में हैन्डपम्प लगवाने का कार्य जल निगम द्वारा किया जा रहा है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा गम्भीर अनियमितता की गयी जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान श्रीमती यज्ञश्री एवं श्री गंगासिंह से रू०-52000.00 समान रूप से अपेक्षित है।
(आपत्ति संख्या 18)

संस्था का नाम : ग्राम पंचायत बढ़ारी वैश्य, विकास खण्ड कासगंज, जिला एटा, मण्डल अलीगढ़

प्रस्तर 01

वर्ष 2014-15 में दि० 01.10.14 व 02.02.15 को हैन्डपम्प लगवाने पर रू० 94000 तथा दि० 09.05.15 को हैन्डपम्प लगवाने पर रू० 52000 कुल रू०-146000.00 व्यय किया गया किसी भी अधिकारी से इसकी स्वीकृति नहीं ली गयी तथा शासनादेश के विरुद्ध है। ग्राम पंचायतों में हैन्डपम्प लगवाने का कार्य जलनिगम द्वारा किया जा रहा है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा गम्भीर अनियमितता की गयी जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री भगवानदास एवं सचिव श्री दिलीप कुमार से रू०-73000.00 समान रूप से अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या 13)

जनपद— इलाहाबाद मण्डल —इलाहाबाद/प्रयागराज

1—ग्राम पंचायत— माही

ग्राम पंचायत — माही विकास खण्ड — कौंधियारा जनपद — प्रयागराज की लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में निम्नलिखित प्रकरण प्रकाश में आये जिसकी ओर विभागीय अधिकारी वर्ग एवं प्रबंध तन्त्र का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है :-

क्र०		आपत्ति का विवरण	धनराशि
1	प्रस्तर-1	कैश बुक माह अक्टूबर 2014 में दिनांक 18.10.2014 को चेक संख्या 334544 से एवं 334551 से क्रमशः रुपया 20000.00 एवं रुपया 30,000.00 तथा दिनांक 28.10.2014 को चेक संख्या 334537 से रुपया 26,000.00 का आहरण कर तिथि में ही मटैरियल क्रय कूप मरम्मत/जगत निर्माण कार्य हेतु रुपया 50,000.00 एवं ईट क्रय कूप मरम्मत कार्य कमलाकांत शिवशंकर हेतु रुपया 26,000.00 का भुगतान कैशबुक व्यय पक्ष में दर्ज नहीं किया गया है जिसके लिए कोई भी वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया साथ ही दिनांक 31.03.2015 तक उक्त	76000.00

		क्रय सामग्री का प्रयोग भी नहीं किया गया है। स्टॉक बुक के अभाव में उक्त सामग्री के अवशेष होने का अंकन भी दर्शित नहीं रहा। अतः स्पष्ट है कि उपरोक्त सामग्री की धनराशि रुपया 76000 मात्र कैश बुक में खारिज करने के उद्देश्य से ही प्रविष्ट की गई है इस प्रकार अनुपयोगित क्रय सामग्री की धनराशि 76000.00 अपहरण कर लिया गया है। अतः बाउचर विहीन अनुपयोगित धनराशि 76000.00 प्रधान श्री पवन कुमार मिश्र एवं सचिव श्री संजय कुमार शुक्ल से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूली की जानी चाहिए।	
2	प्रस्तर-2	कैश बुक माह जनवरी 2015 में दिनांक 15 जनवरी 2015 को चेक संख्या 334548 एवं 334551 से क्रमशः रुपया 16800.00 एवं 5000.00 का आहरण कर कैश बुक व्यय पक्ष में उक्त तिथि में ही हैंडपंप मरम्मत सामान क्रय (20 नग) हेतु भुगतान कुल रुपया 21800.00 काव्यय दर्ज किया गया है परंतु संबंधित व्यय के लिए कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया तथा दिनांक 31 मार्च 2015 तक उक्त क्रय सामग्री का प्रयोग भी नहीं किया गया है। अतः मात्र कैश बुक में धन खारिज करने के उद्देश्य से प्रविष्टि की गई है। स्टॉक बुक में संबंधित क्रय सामग्री का अंकन भी देखने को नहीं मिला। अतः बिना वह व्यय प्रमाणक के अनुपयोगित धन राशि रुपया 21800.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री पवन कुमार मिश्र एवं सचिव श्री संजय कुमार शुक्ल से संयुक्त रूप से की जानी चाहिए।	21800.00

2-ग्राम पंचायत- उमरी ता0 पुरवा

ग्राम पंचायत -उमरी ता0 पुरवा विकास खण्ड-कौंधियारा जनपद - प्रयागराज की लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में निम्नलिखित प्रकरण प्रकाश में आये जिसकी ओर विभागीय अधिकारी वर्ग एवं प्रबंध तन्त्र का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है :-

क्र0		आपत्ति का विवरण					धनराशि	
1	प्रस्तर-1	कैश बुक माह नवम्बर 2014 तथा जनवरी फरवरी एवं मार्च 2015 में विभिन्न बाउचरों से क्रय ईट मां करमाइनदायी ब्रिक फील्ड करमा इलाहाबाद से कुल रु 13200.00 का अपहरण किया गया है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है :-					13200.00	
		दिनांक	बा0 सं0	ईट मात्रा व दर	मां करमाइनदायी ब्रिक फील्ड करमा इलाहाबाद	भुगतान धन	वास्तविक धन	अधिक भुगतान
		14.11.14	32	3125 / 6000	" "	20000.00	18750.00	1250.00
		14.11.14	33	6250 / 6000	" "	40000.00	37500.00	2500.00

		<table> <tr> <td>07.01.15</td> <td>35</td> <td>6250 / 6000</td> <td>" "</td> <td>40000.00</td> <td>37500.00</td> <td>2500.00</td> </tr> <tr> <td>16.01.15</td> <td>37</td> <td>3125 / 6000</td> <td>" "</td> <td>20000.00</td> <td>18750.00</td> <td>1250.00</td> </tr> <tr> <td>24.02.15</td> <td>41</td> <td>7125 / 6000</td> <td>" "</td> <td>45600.00</td> <td>42750.00</td> <td>2850.00</td> </tr> <tr> <td>04.05.15</td> <td>42</td> <td>7125 / 6000</td> <td>" "</td> <td>45600.00</td> <td>42750.00</td> <td>2850.00</td> </tr> <tr> <td>योग</td> <td></td> <td>33000 / 6000</td> <td>" "</td> <td>211200.00</td> <td>198000.00</td> <td>13200.00</td> </tr> </table> उपरोक्त विवरण के अनुसार अधिक भुगतान धनराशि रू0— 13200.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्रीमती उषा देवी एवं सचिव श्री सुशील कुमार तिवारी दोनो व्यक्तियों से संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूल की जानी चाहिए।	07.01.15	35	6250 / 6000	" "	40000.00	37500.00	2500.00	16.01.15	37	3125 / 6000	" "	20000.00	18750.00	1250.00	24.02.15	41	7125 / 6000	" "	45600.00	42750.00	2850.00	04.05.15	42	7125 / 6000	" "	45600.00	42750.00	2850.00	योग		33000 / 6000	" "	211200.00	198000.00	13200.00	
07.01.15	35	6250 / 6000	" "	40000.00	37500.00	2500.00																																
16.01.15	37	3125 / 6000	" "	20000.00	18750.00	1250.00																																
24.02.15	41	7125 / 6000	" "	45600.00	42750.00	2850.00																																
04.05.15	42	7125 / 6000	" "	45600.00	42750.00	2850.00																																
योग		33000 / 6000	" "	211200.00	198000.00	13200.00																																
2	प्रस्तर-2	वित्तीय वर्ष 2014 की समाप्ति पर दिनांक 24.02.2015 को बाउचर संख्या 41 से 7125 ईट रू0 6000 प्रति हजार की दर से रू0 42750 एवं दि0 04.03.2015 को बाउचर संख्या 42 से 7125 ईट 6000.00 की दर से रू0 42750.00 का भुगतान मां करमाइनदायी ब्रिक फील्ड को किया गया है। उक्त ईटों के लिए क्रय कोई भी बाउचर/कोटेशन लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया तथा उक्त क्रय ईटों से दि0 31.03.2015 तक कोई भी कार्य नहीं कराया गया है। स्पष्ट है कि मात्र कैश बुक में धन खारिज करने के उद्देश्य को पूरा किया गया है। स्टॉक बुक के अभाव में उक्त अवशेष ईट की पुष्टि भी नहीं हो सकी है। अतः अनुपयोगित/बाउचर विहीन धनराशि रू0 85500.00 का दुरुपयोग किया गया है। श्रीमती उषा देवी एवं सचिव श्री सुशील कुमार तिवारी दोनों व्यक्तियों से संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूली की जानी चाहिए।	85500.00																																			
3	प्रस्तर-3	कैशबुक माह जून 2014 में दिनांक 16 जून 2014 को बाउचर संख्या 13 एवं 14 से बुलबुल हैंड पंप मिस्ट्री को क्रमशः 06 हैंडपंप मरम्मत का भुगतान रुपया 5000 एवं तीन हैंड पंप मरम्मत का भुगतान रुपया 3000 तथा दिनांक 21 जून 2014 को बाउचर संख्या 16 व 17 से क्रमशः रुपया 3500.00 (04 हैंडपंप मरम्मत) का भुगतान, रुपया 5000.00 (06 हैंडपंप मरम्मत का भुगतान) दर्ज किया गया है। माह जुलाई में बाउचर संख्या 24 व 25 से दिनांक 17.07.2014 को क्रमशः रुपया 5000.00 एवं रुपय 5000.00 बुलबुल मिस्ट्री को हैंडपंप मरम्मत का भुगतान दर्ज किया गया है। इस प्रकार कुल 6 बाउचरों से 29 हैंडपंप मरम्मत मजदूरी का भुगतान रुपया 26500 बुलबुल मिस्ट्री को किया गया है परंतु हैंडपंप मरम्मत मजदूरी के पूर्व कोई भी हैंडपंप मरम्मत सामग्री क्रय नहीं की गई है, और ना ही भुगतान। धन के लिए कोई भी बाउचर प्राप्त किया गया है इसलिए विवरण सूची तथा स्टॉक बुके के अभाव में भी उक्त व्यय	26500.00																																			

		की पुष्टि नहीं की जा सकी है इस प्रकार काल्पनिक काल्पनिक व्यय दर्शित कर धन का आहरण किया गया है। अतः काल्पनिक बाउचर विहीन धनराशि रुपया 26500.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्रीमती उषा देवी एवं सचिव श्री सुशील कुमार तिवारी दोनों व्यक्तियों से संयुक्त रूप से की जानी चाहिए।	

3-ग्राम पंचायत- बेनीपुर

ग्राम पंचायत-बेनीपुर विकास खण्ड-कौंधियारा जनपद- प्रयागराज की लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में निम्नलिखित प्रकरण प्रकाश में आये जिसकी ओर विभागीय अधिकारी वर्ग एवं प्रबंध तन्त्र का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है-

क्र०		आपत्ति का विवरण	धनराशि
1	प्रस्तर-1	कैश बुक माह अप्रैल 2014 में दिनांक 7 अप्रैल 2014 को बाउचर संख्या 2 से ग्राम प्रधान का मानदेय 08 माह रुपया 2500.00 की दर से रु० 20000.00 चेक संख्या 169482 से आहरित कर भुगतान प्राप्त किया है। संबंधित बाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया शासनादेश संख्या 1/01/33-2-2014-34 जी/1 टी०स० 2 दिनांक 7 जनवरी 2014 के अनुसार ग्राम प्रधानों का मानदेय रुपया 750.00 से बढ़ाकर रुपया 2500.00 किया गया है। इस प्रकार दिसंबर 2013 से मार्च 2014 तक चार माह का रुपया 2500.00 प्रति माह की दर से कुल रुपया 10000.00 तथा अगस्त 2013 से नवंबर 2013 तक 04 माह तक का रुपया 750.00 प्रति माह की दर से कुल 3000 होता है। इस प्रकार कुल 08 माह का मानदेय मात्र रुपया 13000.00 ही भुगतान किया जाना चाहिए, परंतु रुपया 20000.00 भुगतान किया गया है। इस प्रकार रुपया 7000.00 अधिक भुगतान कर धन का अपहरण किया गया है। अतः अपहृत धनराशि रुपया 7000.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री हिंद लाल एवं सचिव श्री सुशील कुमार तिवारी से संयुक्त रूप से की जानी चाहिए।	7000.00
2	प्रस्तर-2	कैशबुक मार्च 2015 वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर दिनांक 3 मार्च 2015 को चेक संख्या 169499 से रुपया 56000.00 तथा दिनांक 4 मार्च 2015 को चेक संख्या 169500 से रुपया 56000.00 आहरण करके कैशबुक के व्यय पक्ष में दिनांक 4 मार्च 2015 को बाउचर संख्या 23 से 16000 ईट, रु० 7000.00 की दर से कुल रु० 112000.00 का भुगतान किया गया है। इससे संबंधित कोई भी बाउचर लेखा में प्रस्तुत नहीं किया गया और ना ही क्रय के पूर्व कोटेशन/टेण्डर ही प्राप्त किया गया है। दिनांक 31 मार्च 2015 तक उक्त क्रय ईट से कोई भी कार्य नहीं कराया गया है। स्टॉक बुक के अभाव में उक्त क्रय ईट के अवशेष होने की स्थिति भी स्पष्ट नहीं हो सकी है। अतः बाउचर विहीन/अनुपयोगित क्रय स्टॉक मूल्य रु० 112000.00 का	112000.00

		काल्पनिक/फर्जी व्यय दर्शाकर धनराशि अपहृत कर ली गई है। अतः धनराशि रुपया 112000.00 की ब्याज सहित वसूली श्री हिंद लाल एवं सचिव श्री सुशील कुमार तिवारी दोनों व्यक्तियों से की जानी चाहिए।	
3	प्रस्तर-3	कैशबुक दिनांक 7 जनवरी 2015 को चेक संख्या 169497 से रू0 30000.00 का आहरण करके व्यय पक्ष में दिनांक 07.01.2015 को बाउचर सं0 20 से रू0 8000.00 (गिरीश तिवारी के कूप मरम्मत में मजदूरी का भुगतान) बाउचर सं0 21 से रू0 17000.00 (हैण्डपम्प मरम्मत हेतु 10 नग हैण्डपम्प सामग्री मूल्य का भुगतान) तथा बाउचर सं0 22 से रुपया 5000.00 (हैण्डपम्प मिस्त्री को 10 नग हैण्डपम्प मरम्मत मजदूरी का भुगतान) व्यय दर्ज किया गया है। इस प्रकार कुल तीनों बाउचर से रुपया 30000.00 का भुगतान किया गया है, परन्तु लेखा परीक्षा में एक भी बाउचर मस्टर रोल प्रस्तुत नहीं किया गया है। हैण्डपंप की स्थलीय विवरण सूची भी उपलब्ध नहीं करायी गयी एवं जल संसाधन समिति से भी इसकी पुष्टि नहीं कराई गई है, जिससे स्पष्ट हो सके कि किन-किन स्थानों पर हैंडपंपों का मरम्मत कार्य कराया गया है। अतः स्पष्ट है कि बाउचर मस्टररोल विहीन धनराशि रुपया 30000.00 की प्रविष्टि मात्र कैशबुक में धन खारिज करने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया गया है। उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री हिंद लाल एवं सचिव श्री सुशील कुमार तिवारी दोनों व्यक्तियों से संयुक्त रूप से की जानी चाहिए।	30000.00

4-ग्राम पंचायत-चक घनश्याम दास

ग्राम पंचायत-चक घनश्याम दास विकास खण्ड-कौंधियारा जनपद- प्रयागराज की लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में निम्नलिखित प्रकरण प्रकाश में आये जिसकी ओर विभागीय अधिकारी वर्ग एवं प्रबंध तन्त्र का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है-

क्र0		आपत्ति का विवरण	धनराशि
1	प्रस्तर-1	कैशबुक माह फरवरी 2015 में दिनांक 24 फरवरी 2015 को चेक संख्या 593269 से रुपया 51300.00 आहरित कर कैशबुक के व्यय पक्ष में दिनांक 24 फरवरी 2015 को बाउचर संख्या 37 से रुपया 28000.00 (ईट 4000 दर 7000/हजार मां कर्माइनदायी ब्रिक फील्ड को भुगतान) बाउचर संख्या 38/36 से रुपया 5500.00(10 बैग सीमेंट दर 300 एवं 100 फिट बालू दर 2500/100 फुट) बाउचर संख्या 39/37 से रू0 6000 (स्कूल शौचालय मरम्मत कार्य में मजदूरों का भुगतान) तथा बाउचर संख्या 40/38 से दिनांक 28 फरवरी 2015 को रुपया 5400.00(खड़जा मजदूरी भुगतान बुलाकी के घर से तैयब के घर तक) एवं बाउचर संख्या 41/39 से रुपया 6400.00	51300.00

		(नाली मरम्मत मजदूरी का भुगतान इकबाल के घर से मुन्नू के घर तक) इस प्रकार कुल चार बाउचरों/मस्टर रोलों के माध्यम से कुल रुपया 51300.00 का भुगतान किया गया है। परंतु लेखा परीक्षा में एक भी बाउचर मस्टर रोल और प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः वाउचर/मस्टर रोल विहीन दर्शित धनराशि मात्र कैश बुक में धन खारिज करने के उद्देश्य से प्रविष्ट करा दी गई है। इस प्रकार अपहरण की धनराशि 51300.00 के लिए प्रधान श्री मोहम्मद शमीम एवं सचिव श्री सुशील कुमार तिवारी दोनों व्यक्तियों से संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूली किया जाना चाहिए है।	
2	प्रस्तर-2	कैश बुक माह मई 2014 में दिनांक 16 मई 2014 को चेक संख्या 609740 से रुपया 30,000.00 आहरित कर कैश बुक व्यय पक्ष में वाउचर संख्या 05 व 06 से दिनांक 16 मई 2014 को क्रमशः रुपया 15000.00(24 ट्रैक्टर मिट्टी रुपया 600/ ट्रैक्टर तथा रुपया 15000 (खड़जा निर्माण में मजदूरी बड़ी मस्जिद से हारुल के घर तक) का भुगतान तथा दिनांक 23 मई 2014 को दो चेकों को 609737 एवं 609738 से क्रम से रुपया 3750.00 एवं रुपया 5000.00 आहरित कर कैश बुक व्यय पक्ष में दिनांक 23 मई 2014 को ही वाउचर संख्या 7 से रुपया 3750.00 (मोहम्मद अली के घर से इमामबाड़ा एवं मकसूद के घर तक खड़जा निर्माण में मजदूरी का भुगतान 100×1.5 मी ⁰²) तथा बाउचर संख्या 08 से रुपया 5,000.00 उपरोक्त खरंजा मजदूरी भुगतान किया गया है। इस प्रकार चारों बाउचरों से कुल रुपया 38750.00 का भुगतान किया गया है। परंतु एक भी बाउचर मस्टररोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः वाउचर मस्टर रोल विहीन धनराशि रुपया 38750.00 की ब्याज सहित वसूली श्री मोहम्मद शमीम एवं सचिव श्री सुशील कुमार तिवारी दोनों व्यक्तियों से संयुक्त रूप से की जानी चाहिए।	38750.00
3	प्रस्तर-3	कैश बुक माह जनवरी 2015 में दिनांक 2 जनवरी 2015 को चेक संख्या 593261 से रुपया 12168.00 आहरित कर कैशबुक व्यय पक्ष में दिनांक 7 जनवरी 2015 को मस्टररोल संख्या 30 से रुपया 12168.00 (खड़जा मजदूरी भुगतान 45×2 मी ⁰² पताली के घर से अयूब मास्टर के घर तक) किया गया है, परंतु खड़जा मजदूरी के पूर्व ईट/पत्थर का क्रय विगत माहों तक नहीं किया गया है। दिनांक 7 जनवरी 2015 को चेक संख्या 593231 से रुपया 30000.00 का आहरण कर कैश बुक व्यय पक्ष वाउचर संख्या 31 से रुपया 17400.00 का भुगतान,	42168.00

	दिनांक 7 जनवरी 2015 को (30 बैगसीमेंट दर 300 एवं 350 फीट बालू दर रुपया 2500/100 फुट) तथा दिनांक 15 जनवरी 2015 को बाउचर संख्या 32 से रुपया 12600.00 (नाली मरम्मत 60 मीटर रज्जब के घर से प्रमोद जायसवाल के घर तक) का भुगतान किया गया है। इस प्रकार तीनों बाउचरों/मस्टररोल से कुल रुपया 42168.00 का भुगतान किया गया है। परंतु एक भी बाउचर मस्टररोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। भुगतान मजदूरी बिना ईट/पत्थर क्रय के औचित्य पूर्ण प्रतीत नहीं होती है। अतः बाउचर/मस्टररोल विहीन व्यय धनराशि मात्र कैशबुक में धन खारिज करने के उद्देश्य से की गई है। अतः उक्त धनराशि रुपया 42168.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री हिंद लाल एवं सचिव श्री सुशील कुमार तिवारी दोनों व्यक्तियों से संयुक्त रूप से की जानी चाहिए।	

5-ग्राम पंचायत- बड़गोहना कला

ग्राम पंचायत-बड़गोहना कला विकास खण्ड – कौंधियारा जनपद – प्रयागराज की लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में निम्नलिखित प्रकरण प्रकाश में आये जिसकी ओर विभागीय अधिकारी वर्ग एवं प्रबंध तन्त्र का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है :-

क्र०		आपत्ति का विवरण	धनराशि
1	प्रस्तर-1	कैश बुक माह सितंबर 2014 में दिनांक 29 सितंबर 2014 को चेक संख्या 985372 से रुपया 40,000.00 एवं दिनांक 30 सितंबर 2014 को चेक संख्या 985377 से रुपया 30000.00 का आहरण किया गया है। उक्त धनराशि से आहरित धन से कैशबुक व्यय पक्ष में दिनांक 29 सितंबर 2014 को ही रु० 54936.00 खड़जा मजदूरी एवं रुपया 15000.00 का मोरम क्रय दर्ज किया गया है। इस प्रकार कुल रुपया 69936.0 काव्यय दर्शित किया गया है। संबंधित व्ययों के लिए मस्टररोल बाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त खड़जा मजदूरी/सामग्री भुगतान के पूर्व माह अप्रैल 2014 से सितंबर 2014 तक किसी भी माह/तिथि में कोई भी ईट/पत्थर क्रय नहीं किया गया है। अतः फर्जी तरीके से बिना बाउचर के व्यय दर्शित करके धन का अपहरण किया गया है। जिसके लिए प्रधान श्रीमती रंजना देवी एवं सचिव श्री संजय कुमार शुक्ल को संयुक्त रूप से जिम्मेदार किया जाता है। जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों व्यक्तियों से की जानी चाहिए।	69936.00
2	प्रस्तर-2	कैश बुक माह मार्च 2015 में दिनांक 3 मार्च 2015 को चेक संख्या 985394 से रुपया 20000.00 आहरित कर नाली निर्माण	21600.00

		कार्य (बिना स्थलीय विवरण के) हेतु मजदूरी रुपये 21600.00 भुगतान की गई है। संबंधित मस्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त नाली निर्माण कार्य हेतु ईट सीमेंट बालू आदि का क्रय (दिसंबर 2014 से व्यय तिथि दिनांक 3 मार्च 2015 तक) नहीं किया गया है उपरोक्त सामग्री के अभाव में नाली का निर्माण कार्य संभव नहीं है। अतः बिना मास्टर रोल के फर्जी व्यय दर्शित कर धन का अपहरण किया गया है। जिसके लिए प्रधान श्रीमती रंजना देवी एवं सचिव श्री संजय कुमार शुक्ल को संयुक्त रूप से जिम्मेदार किया जाता है। जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों व्यक्तियों से संयुक्त रूप से की जानी चाहिए। इस पर विभागीय अधिकारी वर्ग का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।	
3	प्रस्तर-3	वित्तीय वर्ष 2014 की समाप्ति पर दिनांक 4 मार्च 2015 एवं दिनांक 21 मार्च 2015 को चेक संख्या 985395 से क्रमशः रु0 30000 एवं रु0 24000.00 आहरण कर उन्हीं तिथियों में नाली निर्माण कार्य (ननके के घर से रामराज के खेत तक) हेतु सामग्री क्रय की गई है। सामग्री विवरण दर्ज नहीं है। ईट एवं मटैरियल क्रय भूमिगत नाली निर्माण पर किया गया है। उपरोक्त दोनों बाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए तथा दिनांक 31 मार्च 2015 तक उक्त क्रय सामग्री का प्रयोग नहीं किया गया है। अतः अनुपयोगित वाउचर विहीन व्यय दर्शित कर कुल रुपये 54000.00 का दुरुपयोग किया गया है। जिसके लिए प्रधान श्रीमती रंजना देवी एवं सचिव श्री संजय कुमार शुक्ल को संयुक्त रूप से जिम्मेदार किया जाना चाहिए उक्त धन रुपये 54000.00 की ब्याज सहित वसूली दोनों व्यक्तियों से संयुक्त रूप से की जानी चाहिए।	54000.00

6-ग्राम पंचायत- अकोढ़ा

ग्राम पंचायत-अकोढ़ा विकास खण्ड – कौंधियारा जनपद – प्रयागराज की लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में निम्नलिखित प्रकरण प्रकाश में आये जिसकी ओर विभागीय अधिकारी वर्ग एवं प्रबंध तन्त्र का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है :-

क्र०		आपत्ति का विवरण	धनराशि
1	प्रस्तर-1	बैंक खाता एस0बी0आई0 करमा बाजार खाता संख्या 31570292571 से 3 माह (अप्रैल मई-जून 2014) में कुल रुपये 319000.00 का आहरण कर बिना कैश बुक बिना वाउचर मस्टररोल प्रस्तुत किए ही धन का अपहरण किया गया है। जिसके लिए प्रधान श्रीमती राजपति देवी एवं तत्कालीन सचिव श्री राजीव कुमार मिश्र को संयुक्त रूप से जिम्मेदार किया जाता है विवरण निम्नवत है-	319000.00

		<table><tr><th>क्र०</th><th>क्र० / दिनांक</th><th>चेक संख्या</th><th>धनराशि</th><th>विवरण</th></tr><tr><td>1</td><td>05.04.14</td><td>468652</td><td>60000.00</td><td>सी.ए. मल्टी चेक टी.आर. 0033363597962</td></tr><tr><td>2</td><td>05.04.14</td><td>468651</td><td>80000.00</td><td>सी.ए. मल्टी चेक टी.आर. 0033363597962</td></tr><tr><td>3</td><td>10.04.14</td><td>116342</td><td>30000.00</td><td>सी.ए. मल्टी चेक टी.आर. 0033363597962</td></tr><tr><td>4</td><td>10.04.14</td><td>116340</td><td>60000.00</td><td>सी.ए. मल्टी चेक टी.आर. 0033363597962</td></tr><tr><td>5</td><td>10.05.14</td><td>116344</td><td>30000.00</td><td>सी.ए. मल्टी चेक टी.आर. 0033363597962</td></tr><tr><td>6</td><td>10.05.14</td><td>116345</td><td>35000.00</td><td>सी.ए. मल्टी चेक टी.आर. 0033363597962</td></tr><tr><td>7</td><td>06.06.14</td><td>468653</td><td>24000.00</td><td>सी.ए. मल्टी चेक टी.आर. 0011699914257</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>319000.00</td><td></td></tr></table> अतः उपरोक्त विवरण के अनुसार रुपए 319000 की ब्याज सहित वसूली प्रधान एवं सचिव से की जानी चाहिए।	क्र०	क्र० / दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	विवरण	1	05.04.14	468652	60000.00	सी.ए. मल्टी चेक टी.आर. 0033363597962	2	05.04.14	468651	80000.00	सी.ए. मल्टी चेक टी.आर. 0033363597962	3	10.04.14	116342	30000.00	सी.ए. मल्टी चेक टी.आर. 0033363597962	4	10.04.14	116340	60000.00	सी.ए. मल्टी चेक टी.आर. 0033363597962	5	10.05.14	116344	30000.00	सी.ए. मल्टी चेक टी.आर. 0033363597962	6	10.05.14	116345	35000.00	सी.ए. मल्टी चेक टी.आर. 0033363597962	7	06.06.14	468653	24000.00	सी.ए. मल्टी चेक टी.आर. 0011699914257				319000.00		
क्र०	क्र० / दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	विवरण																																												
1	05.04.14	468652	60000.00	सी.ए. मल्टी चेक टी.आर. 0033363597962																																												
2	05.04.14	468651	80000.00	सी.ए. मल्टी चेक टी.आर. 0033363597962																																												
3	10.04.14	116342	30000.00	सी.ए. मल्टी चेक टी.आर. 0033363597962																																												
4	10.04.14	116340	60000.00	सी.ए. मल्टी चेक टी.आर. 0033363597962																																												
5	10.05.14	116344	30000.00	सी.ए. मल्टी चेक टी.आर. 0033363597962																																												
6	10.05.14	116345	35000.00	सी.ए. मल्टी चेक टी.आर. 0033363597962																																												
7	06.06.14	468653	24000.00	सी.ए. मल्टी चेक टी.आर. 0011699914257																																												
			319000.00																																													
2	प्रस्तर-2	कैश बुक माह फरवरी 2015 में दिनांक 25 फरवरी 2015 को चेक संख्या 468688 से श्री वीरेंद्र सिंह द्वारा रुपया 50,00.00 आहरण दर्ज कर कैश बुक व्यय पक्ष में दिनांक 25 फरवरी 2015 को वाउचर संख्या 36 से रुपया 30200.00(खड़जा बिछाने की मजदूरी पक्की सड़क से मोहनलाल के घर तक) तथा वाउचर संख्या 37 से 19800.00(डब्ल्यू.बी.एम. कार्य हेतु गिट्टी संपर्क मार्ग सेमरी पक्की सड़क से ऋषि राम के घर तक) का भुगतान किया गया है। इस प्रकार दोनों बाउचरों से कुल रुपया 50000.00 का भुगतान किया गया है, परंतु लेखा परीक्षा में दोनों ही व्यय प्रमाणक मास्टर रोल/ बाउचर प्रस्तुत नहीं किए गए। कैशबुक में अन्य माहों की प्रविष्टियों से ज्ञात होता है कि श्री वीरेंद्र सिंह ईट गिट्टी एवं मोरम आदि के सप्लायर हैं। खड़जा बिछाने की मजदूरी का भुगतान सप्लायर को किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। मजदूरी भुगतान मास्टर रोल से ही किया जाना चाहिए जिससे ग्रामीण श्रमिकों को अधिक से अधिक रोजगार मिल सके। तथा बाउचर संख्या 37 से क्रय गिट्टी का उपयोग दिनांक 31 मार्च 2015 तक नहीं किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि धन के अपहरण के उद्देश्य से कैशबुक में फर्जी प्रविष्टि कर दी गई है। स्टाक बुक के अभाव में अवशेष सामग्री की पुष्टि भी नहीं की जा सकी। अतः मास्टररोल वाउचर विहीन अनुपयोगित क्रय धनराशि रुपया 50000.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्रीमती राजपति देवी एवं सचिव श्री राजेंद्र सिंह से संयुक्त रूप से की जानी चाहिए।	50000.00																																													
3	प्रस्तर-3	कैशबुक माह दिसंबर 2014 में दिनांक 25 दिसंबर 2014 एवं दिनांक 28 दिसंबर 2014 को क्रमशः चेक संख्या 48663 एवं 64 से श्री उमाशंकर के	50000.00																																													

		माध्यम से रुपया 30000.00 तथा रू0 20,000.00 का आहरण करके कैशबुक व्यय पक्ष में क्रमशः उन्हीं तिथियों में वाउचर संख्या 10 से रुपया 30,000.00 (पंचायत भवन मरम्मत सीमेंट जंगला खिड़की सामग्री) तथा वाउचर संख्या 11 से रुपया 20000.00 (पंचायत भवन मरम्मत मजदूरी) का भुगतान दर्ज किया गया है। दोनों ही व्ययों हेतु कोई भी वाउचर मास्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। कैश बुक में की गई प्रविष्टियों के आधार पर श्री उमाशंकर सप्लायर सीमेंट गिट्टी जंगला खिड़की को पंचायत भवन मरम्मत मजदूरी का भुगतान किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। पंचायत भवन मरम्मत मजदूरी मास्टररोल से ही की जानी चाहिए जिससे ग्रामीण श्रमिकों को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध होता। इस प्रकार मनमानी तरीके से भुगतान दर्ज करके धन का अपहरण किया गया है। अतः वाउचर/मास्टर रोल विहीन कैशबुक में दर्ज धनराशि रुपया 50000.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान राजपति देवी एवं सचिव श्री रामेंद्र सिंह दोनों व्यक्तियों से संयुक्त रूप से की जानी चाहिए।	
4	प्रस्तर-4	कैशबुक माह फरवरी 2015 में दिनांक 25 फरवरी 2015 को चेक संख्या 468689 द्वारा रुपया 40,000.00 का आहरण (श्री वीरेंद्र सिंह) करके कैशबुक व्यय पक्ष में उसी तिथि में वाउचर संख्या 38 से रुपया 40000.00 (ईट 5715 दर 7000/हजार) का भुगतान वास्ते खडंजा पक्की सड़क से मोहनलाल के घर तक के लिए किया गया है। उक्त क्रय स्टॉक (ईट) का कोई प्रयोग दिनांक 31 मार्च 2015 तक नहीं किया गया है। स्टॉक बुक के अभाव में उक्त ईट के अवशेष होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। संबंधित क्रय स्टॉक का वाउचर भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः वाउचर विहीन अनुपयोगित क्रय स्टॉक मूल्य रुपया 40000.00 का दुरुपयोग किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान श्रीमती राजपति देवी एवं सचिव श्री रामेंद्र सिंह से संयुक्त रूप से की जानी चाहिए।	40000.00
5	प्रस्तर-5	कैश बुक माह दिसंबर 2014 में दिनांक 8 दिसंबर 2014 एवं दिनांक 9 दिसंबर 2014 को चेक संख्या 468654 एवं 55 से रुपया 60000.00 तथा रुपया 40000.00 का आहरण श्री उमाशंकर के माध्यम से करके कैशबुक व्यय पक्ष में वाउचर संख्या 1 एवं 2 से आहरण तिथियों में ही क्रमशः रू0 60000.00 एवं रू0 40000.000 कुल रू0100000.00 का भुगतान (संपर्क मार्ग कच्ची सड़क से ऋषि राम के घर में मजदूरी) दर्ज किया गया है। कैशबुक में इस बात का उल्लेख नहीं है कि किस प्रकार की मजदूरी (मिट्टी पटाई, मोरंग बिछाई, गिट्टी खुदाई या खुदायी कार्य) का भुगतान किया गया है, का उल्लेख नहीं किया गया है। कैश बुक में धन खारिज करने की खानापूर्ति भर की गई है। श्री उमाशंकर जो सीमेंट, गिट्टी, जंगला, खिड़की के सप्लायर हैं, को मजदूरी का भुगतान किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। मजदूरी का भुगतान मास्टर रोल के माध्यम से किया जाना चाहिए जिससे अधिक से अधिक ग्रामीण श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध होता। दोनों ही व्ययों से संबंधित मास्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए, इस प्रकार के भुगतान से गंभीर वित्तीय अनियमितता उजागर होती है।	100000.00

		अतः मस्टर रोल विहीन अनियमित तरीके से भुगतान रुपया 100000.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्रीमती राजपति देवी एवं सचिव श्री रामेंद्र सिंह दोनों व्यक्तियों से संयुक्त रूप से सहित की जानी चाहिए।	

7-ग्राम पंचायत- निरौधा

ग्राम पंचायत –निरौथा विकास खण्ड-कौंधियारा जनपद-प्रयागराज की लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में निम्नलिखित प्रकरण प्रकाश में आये जिसकी ओर विभागीय अधिकारी वर्ग एवं प्रबंध तन्त्र का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है :-

क्र०		आपत्ति का विवरण	धनराशि
1	प्रस्तर-1	कैशबुक माह फरवरी 2015 में दिनांक 26 फरवरी 2015 को चेक संख्या 231871 एवं चेक संख्या 231870 से क्रमशः रुपया 33000.00 एवं रुपया 45000.00 का भुगतान मेटेरियल के वास्ते दर्ज किया गया है। उक्त सामग्री का प्रयोग माह फरवरी एवं मार्च 2015 में दिनांक 31.03.2015 तक नहीं किया गया है। उक्त व्यय के कोई भी प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। संबंधित क्रय के लिए कोटेशन एवं स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि की पुष्टि भी प्रपत्रों के अभाव में नहीं हो सकी। इस प्रकार अनुपयोगित सामग्री क्रय करके बाउचर प्रस्तुत न करके धनराशि अपहृत कर लिया गया है। अपहृत धन रुपया 78000.00 के लिए प्रधान श्री मथुरा प्रसाद एवं सचिव श्री संजय कुमार शुक्ल को संयुक्त रूप से जिम्मेदार मानते हुए ब्याज सहित वसूली दोनों व्यक्तियों से संयुक्त रूप से की जानी चाहिए।	78000.00
2	प्रस्तर-2	कैशबुक माह अप्रैल 2014 में दिनांक 24 अप्रैल 2014 में दिनांक 24.04.2014 को चार चेकों से चेक संख्या 302360, 61, 62, एवं 64 से कुल रुपया 20000.00 का आहरण किया गया है। कैशबुक व्यय पक्ष में शौचालय पुताई सामग्री एवं मजदूरी भुगतान दिनांक 24.04.2014 को किया गया है, परंतु उक्त व्यय के लिए कोई भी यह प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः बाउचर विहीन व्यय दर्शित कर धन का अपहरण किया गया है। जिसके लिए प्रधान श्री मथुरा प्रसाद एवं सचिव श्री संजय कुमार शुक्ल दोनों व्यक्तियों को संयुक्त रूप से जिम्मेदार किया जाता है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उपरोक्त दोनों व्यक्तियों से की जानी चाहिए।	20000.00
3	प्रस्तर-3	कैश बुक दिनांक 26 अप्रैल 2014 को चेक संख्या 202363 से रुपया 20000.00 का आहरण किया गया है। कैशबुक व्यय पक्ष में दिनांक 26.04.2014 को मस्टर रोल वास्ते कूप मरम्मत मजदूरी रुपए 11952.00 एवं दिनांक 30.04.2014 को ग्राम पंचायत बुकलेट बनवाने का व्यय रु० 5000.00 दर्शित किया गया है। उपरोक्त दोनों व्ययों के लिए मस्टर रोल बाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। यह भी उल्लेखनीय है कि उपरोक्त कूप मरम्मत मजदूरी के लिए पूर्व में कोई भी मेटेरियल ईट सीमेंट बालू आदि क्रय नहीं किया गया है। अतः बिना मेटेरियल के कूप मरम्मत मजदूरी फर्जी साबित होती है। इस प्रकार वाउचर मस्टररोल के बिना फर्जी मजदूरी रुपया 11952.00 एवं	16952.00

		रुपया 5000.00 बुकलेट बनवाई व्यय कुल रुपया 16952.00 के लिए प्रधान श्री मथुरा प्रसाद एवं सचिव श्री संजय कुमार शुक्ला को जिम्मेदार किया जाता है दोनों व्यक्तियों से धन की ब्याज सहित वसूली की जानी चाहिए।	
4	प्रस्तर-4	कैशबुक माह मार्च 2015 में दिनांक 2 मार्च 2015 को चेक संख्या 23186 से रुपया 25000.00 का आहरण कर कैशबुक व्यय पक्ष में दिनांक 2 मार्च 2015 को रुपया 18700.00 हैंडपंप मरम्मत सामग्री 13 नग एवं मजदूरी मिस्त्री को भुगतान रुपया 6500.00 किया गया है। उक्त दोनों व्ययों हेतु कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। स्थलीय विवरण सूची एवं स्टॉक रजिस्टर के अभाव में उक्त क्रय एवं संबंधित भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि रु0 25200.00 के लिए प्रधान श्री मथुरा प्रसाद एवं सचिव श्री संजय कुमार शुक्ला को संयुक्त रूप से जिम्मेदार किया जाता है एवं इसकी ब्याज सहित वसूली दोनों व्यक्तियों से संयुक्त रूप से की जानी चाहिए।	25200.00

8—ग्राम पंचायत— लहबरा

ग्राम पंचायत—लहबरा विकास खण्ड — कौंधियारा जनपद — प्रयागराज की लेखा परीक्षा वर्ष 2014—15 में निम्नलिखित प्रकरण प्रकाश में आये जिसकी ओर विभागीय अधिकारी वर्ग एवं प्रबंध तन्त्र का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है :-

क्र0		आपत्ति का विवरण	धनराशि
1	प्रस्तर-1	कैशबुक माह फरवरी 2015 में दिनांक 24 फरवरी 2015 एवं 25 फरवरी 2015 को क्रमशः चेक संख्या 114389 एवं 114390 से रुपया 70000.00 तथा रुपया 70000.00 का आहरण श्री शिवम कुमार पांडे द्वारा करके कैश बुक व्यय पक्ष में आहरण तिथियों में ही बाउचर संख्या 65 एवं 66 से क्रमशः रु0 70000.00 (ईट 10,000 दर 7000 प्रति हजार वास्ते खडंजा मरम्मत बरदहा पक्की सड़क से कल्लू हरिजन के दरवाजे से होते हुए बरांव पक्की सड़क तक) का भुगतान दर्ज किया गया है। उक्त क्रय ईटों के लिए कोई भी वाउचर या टेंडर/कोटेशन लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया तथा उक्त क्रय ईटों का प्रयोग वित्तीय वर्ष की समाप्ति दिनांक 31 मार्च 2015 तक नहीं किया गया है। स्टॉक बुक के अभाव में उक्त क्रय ईटों के अवशेष की पुष्टि नहीं की जा सकी, इस प्रकार अनुपयोगित धनराशि 140000.00 का काल्पनिक व्यय दर्शाकर खारिज कर लिया गया है। अतः धनराशि रु0 140000.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री कैलाशनाथ एवं सचिव श्री रामेन्द्र सिंह दोनों व्यक्तियों से की जानी चाहिए।	140000.00
2	प्रस्तर-2	कैशबुक माह जुलाई 2014 में दिनांक 20 जुलाई 2014 को चेक संख्या 114361 द्वारा श्री त्रिवेणी प्रसाद सिंह के माध्यम से रुपया 60000.00 का	60000.00

		आहरण करके उसी तिथि में कैशबुक व्यय पक्ष में बाउचर संख्या 19, 20, 21 से क्रमशः रु0 42000.00(ईट 6000 दर 7000/हजार) रु0 10,000 खडंजा उखाड़ने की मजदूरी तथा रुपए 8000.00 (20 ट्रैक्टर मिट्टी 400/टैक्टर)का भुगतान किया गया है। इस प्रकार कुल रुपया 60000.00 का भुगतान दर्ज है परंतु उक्त व्ययों के लिए कोई भी बाउचर/मस्टर रोल प्रस्तुत नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि त्रिवेणी प्रसाद सिंह ईट, सीमेंट, बालू हैण्डपम्प सामग्री के सप्लायर हैं तो खडंजा मजदूरी भुगतान इनको किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार मात्र कैश बुक में धन खारिज करने के उद्देश्य को पूरा किया गया है। अतः बाउचर/मस्टर रोल विहीन धनराशि रुपया 60000.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री कैलाश नाथ एवं सचिव श्री रविंद्र सिंह दोनों व्यक्तियों से संयुक्त रूप से की जानी चाहिए।	
3	प्रस्तर-3	कैश बुक माह फरवरी 2015 में दिनांक 23 फरवरी 2015 को चेक संख्या 114388 से श्री देवकरन द्वारा रुपए 18000.00 का आहरण किया गया है। कैशबुक व्यय पक्ष में दिनांक 23 फरवरी 2015 को ही बाउचर संख्या 62, 63, 64 से क्रमशः रु0 4500.00 (15 बैग सीमेंट दर 300) रु0 7000, (एक टैक्टर बालू दर 7000.00) तथा 6500.00 (नाली निर्माण पसियान बस्ती की मजदूरी का भुगतान) किया गया है। उपरोक्त व्ययों हेतु एक भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि कैशबुक में अन्य माहों में की गई प्रविष्टियों के अनुसार श्री देवकरण सीमेंट बालू के सप्लायर हैं। नाली निर्माण मजदूरी भुगतान श्री देवकरण को किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार श्री देवकरण के माध्यम से धन आहरित कर कैशबुक में धन खारिज करने के उद्देश्य को पूरा किया गया है। अतः बाउचर/मस्टर रोल विहीन धनराशि रुपए 18000.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री कैलाश नाथ एवं श्री रामेंद्र सिंह सचिव से संयुक्त रूप से की जानी चाहिए।	18000.00
4	प्रस्तर-4	कैशबुक माह सितंबर 2014 में 24 सितंबर 2014 को चेक संख्या 114171 द्वारा श्री उमेश चंद्र पांडे द्वारा रु0 30000.00 का आहरण किया गया है, तथा कैशबुक व्यय पक्ष में दिनांक 24 सितंबर 2014 को ही बाउचर संख्या 42 एवं 43 से क्रमशः रुपया 9000.00 (30 बैग सीमेंट दर 300) तथा रुपए 21000.00 (नाली एवं पुलिया निर्माण मजदूरी जहीर आलम के दरवाजे से कंजे तालाब तक) का भुगतान दर्ज किया गया है। उपरोक्त दोनों व्ययों हेतु कोई भी बाउचर/ मस्टररोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। कैशबुक में अन्य माहों में की गई प्रविष्टियों के अनुसार श्री उमेश चंद्र पांडे ईट सीमेंट बालू के सप्लायर हैं। श्री उमेश चंद्र पांडे को नाली पुलिया निर्माण मजदूरी का भुगतान किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। नाली पुलिया निर्माण मजदूरी का भुगतान मस्टररोल से ही किया जाना चाहिए जिससे ग्रामीण श्रमिकों का अधिक	30000.00

	हित होता। इससे स्पष्ट होता है कि श्री उमेश चंद्र पांडे की मिलीभगत से धन आहरित कर कैशबुक में मात्र खानापूर्ति कर आहरण कर लिया गया है। अतः वाउचर/मस्टर रोल विहीन धनराशि रु0 30000.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री कैलाश नाथ एवं सचिव श्री रविंद्र सिंह से दोनों व्यक्तियों से संयुक्त रूप से की जानी चाहिए।	

9-ग्राम पंचायत- पीडीग्राम पंचायत-पीडी विकास खण्ड-कौंधियारा जनपद-प्रयागराज की लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में निम्नलिखित प्रकरण प्रकाश में आये जिसकी ओर विभागीय अधिकारी वर्ग एवं प्रबंध तन्त्र का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है :-

क्र०		आपत्ति का विवरण	धनराशि
1	प्रस्तर-1	कैशबुक माह मई 2014 में दिनांक 0.05.2014 को प्रधान का मानदेय 10 माह दर 2500=25000.00 दिनांक 04.03.2015 को 04 माह दर 2500=10000.00 तथा दिनांक 09.03.2015 को 04 माह दर 2500 = 100000.00 इस प्रकार वित्तीय वर्ष में कुल 18 माह दर 2500 = 45000.00 का भुगतान खारिज किया गया है। जबकी वित्तीय वर्ष में 12 माह का मानदेय दर 2500 = 15000.00 का ही भुगतान किया जाना चाहिए। इस प्रकार 06 माह दर 2500=15000.00 अधिक भुगतान प्राप्त कर भुगतान कर धन का आहरण किया गया है। डीएओ महोदय की टिप्पणी के क्रम में अवगत कराना है कि उपरोक्त तीनों भुगतान तिथियों में किसी भी तिथि में पिछले वित्तीय वर्ष/माह का बकाया मानदेय दिए जाने का उल्लेख कैशबुक में नहीं किया गया है। यदि पिछले वित्तीय वर्ष का भुगतान भी लिया जाए तो भी शासनादेश के अनुसार प्रधान का मानदेय रुपया 2500 देय नहीं है चूंकि भुगतान दिनांक 8 मई 2014 को पिछले 10 माह (जुलाई 13 से अप्रैल 14) का उल्लेख नहीं है जो मानदेय दिए जाने की दर से भी स्पष्ट है। अतः अपहृत धनराशि रु0 15000.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्रीमती गायत्री देवी एवं सचिव श्री संजय कुमार शुक्ला दोनों से संयुक्त रूप से की जानी चाहिए।	15000.00
2	प्रस्तर-2	कैशबुक माह मई 2014 में दिनांक 3 मई 2014 को चेक संख्या 297375 से रुपया 15000.00 एवं दिनांक 6 मई 2014 का चेक संख्या 207375 से रुपया 10000.00 दिनांक 8 मई 2014 को चेक संख्या 207384 से रु0 20,000.00 आहरित कर कैशबुक व्यय पक्ष में उक्त तिथियों में ही कच्ची सड़क से कृपाशंकर के घर तक खड़जा निर्माण हेतु ट्रैक्टर से मिट्टी डलवाई रुपया 15000.00 एवं 10000.00 तथा दिनांक 8 मई 2014 को मस्टररोल खड़जा मजदूरी रु0 20652.00 (मजदूर 156×22, मिस्त्री 2×300) का भुगतान दर्ज किया गया है। परंतु खड़जा कार्य के लिए पूर्व में कोई ईट/पत्थर के खड़जा मजदूरी दर्ज किया जाना, सम्बन्धित/बाउचर मस्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया जाना मात्र कैशबुक में धन	45652.00

		खारिज करने के उद्देश्य को प्रकट करता है। अतः कपटपूर्ण तरीके से अपहरण की गई कुल धनराशि रु0 45652.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्रीमती गायत्री देवी एवं सचिव श्री संजय कुमार शुक्ला दोनों से संयुक्त रूप से की जानी चाहिए।	
3	प्रस्तर-3	कैशबुक माह जून 2014 में 4 चेके 207402, 401, 399 एवं 400 से क्रमशः रु0 20000.00, 20000.00, 20000.00 तथा रुपया 10000.00 आहरित कर कैशबुक व्यय पक्ष में उक्त तिथि में ही मटेरियल क्रय, कूप मरम्मत/जगत निर्माण मद में रुपया 60000.00 एवं मिट्टी डलवाई जगत निर्माण कार्य 10 ट्राली दर 1000रु0 10,000.00 का व्यय दर्शित किया गया है। इस प्रकार कुल 4 बाउचरों से रुपया 70000.00 खारिज किया गया है परंतु लेखा परीक्षा में उक्त भुगतान सामग्री के वास्ते एक भी बाउचर प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः कैशबुक में मात्र धन खारिज करने के उद्देश्य को पूरा किया गया है। इस प्रकार अनुपयोगित/बाउचर विहीन सामग्री की धनराशि रु0 70000.00 की ब्याज सहित वसूली के लिए प्रधान श्रीमती गायत्री देवी एवं सचिव श्री संजय कुमार शुक्ल को संयुक्त रूप से की जानी चाहिए।	70000.00

10-ग्राम पंचायत – कुंआं

ग्राम पंचायत-कुंआं विकास खण्ड-कौंधियारा जनपद-प्रयागराज की लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में निम्नलिखित प्रकरण प्रकाश में आये जिसकी ओर विभागीय अधिकारी वर्ग एवं प्रबंध तन्त्र का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है :-

क्र0		आपत्ति का विवरण	धनराशि
1	प्रस्तर-1	कैशबुक माह अक्टूबर 2014 में दिनांक 17 अगस्त 2014 को चेक संख्या 114136 से चेक संख्या 114141 तक कुल 6 चेकों से प्रति चेक रुपया 5000.00 कुल रुपया 30000.00 का आहरण कर कैश बुक व्यय पक्ष में बाउचर संख्या 13 एवं 14 से रुपया 15000.00 (खड़जा निर्माण मजदूरी रामदेव द्विवेदी के घर से शशि कोल के घर तक) बाउचर संख्या 5 से रुपया 5000.00 (10 नग हैंडपंप रम्मत मजदूरी) तथा बाउचर संख्या 16 से रुपया 10000.00 स्ट्रीट लाइट हेतु भुगतान किया गया है। उपरोक्त चारों बाउचरों से कुल व्यय रु0 30000.00 के लिए कोई भी बाउचर मस्टररोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया यह भी उल्लेखनीय है कि हैंडपंप मजदूरी के पूर्व कोई भी सामग्री दिनांक 01.04.2014 से 17.10.2014 तक) क्रय नहीं की गई है, तथा स्ट्रीट लाइट मद हेतु भुगतान रु0 10000.00 के लिए विवरण दर्ज नहीं किया गया है, कि उक्त भुगतान	30000.00

		सामग्री अथवा मजदूरी मद में किसको किया गया है। संबंधित व्ययों के लिए स्थलीय विवरण की सूची भी प्रस्तुत नहीं की गई। इस प्रकार बाउचर विहीन मस्टररोल विहीन काल्पनिक व्यय दर्शित कर कैशबुक में धन खारिज करने के उद्देश्य को पूरा किया गया है। अतः उपरोक्त अपहरणकी धनराशि रु0 30000.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्रीमती कमला देवी सचिव श्री सुशील कुमार तिवारी दोनों व्यक्तियों से संयुक्त रूप से की जानी चाहिए।	
2	प्रस्तर-2	कैशबुक माह अगस्त 2014 में दिनांक 27.08.2014 को चेक संख्या 114130 से रु0 30000.00 का आहरण करके दिनांक 11.08.2014 को (14 दिन पूर्व) बाउचर संख्या 08 से रु0 30000.00 सुरेश चन्द्र के कूप में सामग्री मूल्य का भुगतान के माध्यम से व्यय दर्शित किया गया है। परन्तु वित्तीय वर्ष की समाप्ति दिनांक 31.03.2015 तक सुरेश चन्द्र के कूप का मरम्मत कार्य नहीं कराया गया है। कूप मरम्मत सामग्री सम्बन्धी बाउचर भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया उक्त के सामग्री के स्टॉक बुक में अंकन एवं अवशेष की पुष्टि नहीं की जा सकी इस प्रकार बाउचर विहीन क्रय स्टॉक मूल्य रु0 30000.00 काल्पनिक दर्शाकर अपहृत कर लिया गया है। अतः बाउचर विहीन दुरुपयोग रुपया 30,000 के लिए प्रधान श्रीमती कमला देवी एवं सचिव श्री सुशील कुमार तिवारी दोनों को संयुक्त रूप से उत्तरदायी मानते हुए ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।	30000.00
3	प्रस्तर-3	कैश बुक माह सितम्बर 2014 में दिनांक 11.09.2014 को तीन चेकों क्रमशः 114133,32,31 से रु0 25000.00, रु0 25000.00 तथा रु0 50000.00 का आहरण करके कैशबुक व्यय पक्ष में दिनांक 11.09.2014 को ही बाउचर संख्या 09 से रु0 100000.0 का भुगतान (16000 नग ईट दर रु0 6000.00/हजार एवं 8 टैक्टर मिट्टी दर 500/टैक्टर) किया गया है। परन्तु उक्त के वास्ते कोई बाउचर कोटेशन लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया यह भी स्पष्ट नहीं है कि उक्त सामग्री किन-किन कार्यों के प्रयोजन हेतु क्रय की गई है। अतः बाउचर विहीन/अनुपयोगित क्रय ईट मूल्य रु0 100000.00 का	100000.00

		अपहरण किया गया है जिसके लिए प्रधान श्रीमती गमला देवी एवं सचिव श्री सुशील कुमार तिवारी को संयुक्त रूप से दोनों व्यक्तियों को उत्तरदायी मानते हुए ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।	

11—ग्राम पंचायत – कनौजा खुर्द

ग्राम पंचायत –कनौजा खुर्द विकास खण्ड – फूलपुर जनपद—प्रयागराज की लेखा परीक्षा वर्ष 2014–15 में निम्नलिखित प्रकरण प्रकाश में आये जिसकी ओर विभागीय अधिकारी वर्ग एवं प्रबंध तन्त्र का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है :

क्र०		आपत्ति का विवरण	धनराशि																					
1	प्रस्तर-1	निम्न विवरण के अनुसार ग्राम प्रधान श्रीमती कनीजा बेगम व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शेषमणि मिश्रा द्वारा बैंक खाता संख्या 07570100022325 से धन आहरित किया गया है। जिसकी प्रविष्टि कोषबही में दर्ज नहीं है और ना ही व्यय किया गया हैं इस प्रकार ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा रू० 57500.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती कनीजा बेगम ग्राम प्रधान एवं श्री शेषमणि मिश्रा ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है। <table><tr><th>क्र०</th><th>आपत्ति का विवरण</th><th>धनराशि</th></tr><tr><td>1</td><td>17.04.14</td><td>5000.00</td></tr><tr><td>2</td><td>17.05.14</td><td>5000.00</td></tr><tr><td>3</td><td>17.06.14</td><td>40000.00</td></tr><tr><td>4</td><td>09.01.14</td><td>5000.00</td></tr><tr><td>5</td><td>09.02.14</td><td>2500.00</td></tr><tr><td></td><td>योग</td><td>57500.00</td></tr></table>	क्र०	आपत्ति का विवरण	धनराशि	1	17.04.14	5000.00	2	17.05.14	5000.00	3	17.06.14	40000.00	4	09.01.14	5000.00	5	09.02.14	2500.00		योग	57500.00	57500.00
क्र०	आपत्ति का विवरण	धनराशि																						
1	17.04.14	5000.00																						
2	17.05.14	5000.00																						
3	17.06.14	40000.00																						
4	09.01.14	5000.00																						
5	09.02.14	2500.00																						
	योग	57500.00																						

12—ग्राम पंचायत – परवेजाबाद

ग्राम पंचायत –परवेजाबाद विकास खण्ड—फूलपुर जनपद—प्रयागराज की लेखा परीक्षा वर्ष 2014–15 में निम्नलिखित प्रकरण प्रकाश में आये जिसकी ओर विभागीय अधिकारी वर्ग एवं प्रबंध तन्त्र का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है :-

क्र०		आपत्ति का विवरण	धनराशि
1	प्रस्तर-1	बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 07570/00022328 से चेक संख्या 65 दिनांक 12.04.2014 से रुपए 33600.00 तथा चेक संख्या 00019 दिनांक 23.05.2014 से रुपया 33600.00 जो बैंक द्वारा 11.06.2014 में आहरित हुआ है, का भुगतान जय श्री कृष्णा को ईट क्रय हेतु किया गया है। परंतु कोषबही में केवल चेक संख्या 00019 दिनांक 23.05.2014 की प्रविष्टि की गई है। चेक संख्या 65 दिनांक 12.04.2014 द्वारा	33600.00

		भुगतान की गई राशि की प्रविष्टि कोषबही में नहीं की गई है और ना ही व्यय प्रमाणक उपलब्ध है तथा कोई कार्य नहीं कराया गया है इस प्रकार ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा धन का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री शमशेर बहादुर यादव व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जय शंकर दुबे से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।	

13—ग्राम पंचायत —मन्दर देह माफी

ग्राम पंचायत —मन्दर देह माफी विकास खण्ड—कौडिहार जनपद—प्रयागराज की लेखा परीक्षा वर्ष 2014—15 में निम्नलिखित प्रकरण प्रकाश में आये जिसकी ओर विभागीय अधिकारी वर्ग एवं प्रबंध तन्त्र का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है :-

क्र०		आपत्ति का विवरण	धनराशि																																								
1	प्रस्तर—1	निम्न लिखित विवरण के अनुसार ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपम्प मरम्मत एवं सामग्री पर व्यय दर्शाया गया है — <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र०</th><th>क्र०/दिनांक</th><th>धनराशि</th><th>विवरण</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2/11.04.14</td><td>4900.00</td><td>हैण्डपम्प मरम्मत मजदूरी</td></tr> <tr> <td>2</td><td>4/23.04.14</td><td>22300.00</td><td>हैण्डपम्प सामग्री</td></tr> <tr> <td>3</td><td>12/14.07.14</td><td>4900.00</td><td>हैण्डपम्प मरम्मत मजदूरी</td></tr> <tr> <td>4</td><td>17/31.07.14</td><td>6300.00</td><td>हैण्डपम्प मरम्मत मजदूरी</td></tr> <tr> <td>5</td><td>23/26.08.14</td><td>5600.00</td><td>हैण्डपम्प मरम्मत मजदूरी</td></tr> <tr> <td>6</td><td>40/17.10.14</td><td>30450.00</td><td>हैण्डपम्प मरम्मत मजदूरी</td></tr> <tr> <td>7</td><td>39/08.03.15</td><td>2800.00</td><td>हैण्डपम्प मरम्मत मजदूरी</td></tr> <tr> <td>8</td><td>80/11.03.15</td><td>6000.00</td><td>हैण्डपम्प मरम्मत मजदूरी</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>83850.00</td><td></td></tr> </tbody> </table> उपरोक्तानुसार 2014—15 में हैण्डपम्प मरम्मत मजदूरी एवं सामग्री क्रय पर रु० 83850.00 का काम किया गया दर्शित है जिस पर निम्न आपत्तियां हैं— - हैण्डपम्प खराबी एवं मरम्मत की सूचना/मांग किसी भी सदस्य द्वारा नहीं किया गया है जिससे हैण्डपम्प खराब होने की वास्तविकता संदिग्ध प्रतीत होती है। जल संशोधन समिति से हैण्डपम्प मरम्मत की स्वीकृत नहीं किया गया है। - हैण्डपम्प मरम्मत हेतु क्रय दर्शित सामग्री से पूर्व ही बिना सामग्रीके मरम्मत करना दर्शित है। - क्रय दर्शित सामग्री की कोई रसीद नहीं है और न ही विवरण उपलब्ध रहा। - समान क्रय के पूर्व हैण्डपम्प की खराबी तथा उसमें प्रयुक्त होने वाली सामग्री का आंकलन व स्टीमेट भी नहीं बनाया गया है।	क्र०	क्र०/दिनांक	धनराशि	विवरण	1	2/11.04.14	4900.00	हैण्डपम्प मरम्मत मजदूरी	2	4/23.04.14	22300.00	हैण्डपम्प सामग्री	3	12/14.07.14	4900.00	हैण्डपम्प मरम्मत मजदूरी	4	17/31.07.14	6300.00	हैण्डपम्प मरम्मत मजदूरी	5	23/26.08.14	5600.00	हैण्डपम्प मरम्मत मजदूरी	6	40/17.10.14	30450.00	हैण्डपम्प मरम्मत मजदूरी	7	39/08.03.15	2800.00	हैण्डपम्प मरम्मत मजदूरी	8	80/11.03.15	6000.00	हैण्डपम्प मरम्मत मजदूरी			83850.00		83850.00
क्र०	क्र०/दिनांक	धनराशि	विवरण																																								
1	2/11.04.14	4900.00	हैण्डपम्प मरम्मत मजदूरी																																								
2	4/23.04.14	22300.00	हैण्डपम्प सामग्री																																								
3	12/14.07.14	4900.00	हैण्डपम्प मरम्मत मजदूरी																																								
4	17/31.07.14	6300.00	हैण्डपम्प मरम्मत मजदूरी																																								
5	23/26.08.14	5600.00	हैण्डपम्प मरम्मत मजदूरी																																								
6	40/17.10.14	30450.00	हैण्डपम्प मरम्मत मजदूरी																																								
7	39/08.03.15	2800.00	हैण्डपम्प मरम्मत मजदूरी																																								
8	80/11.03.15	6000.00	हैण्डपम्प मरम्मत मजदूरी																																								
		83850.00																																									

		उपरोक्त कारणों से क्रय फर्जी प्रतीत होता है जिसकी ब्याज सहित वसूली क्षतिपूर्ति ग्राम प्रधान श्रीमती अर्चना देवी व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अजय यादव से किया जाना अपेक्षित है।																																	
2	प्रस्तर-2	प्र0सं0 5 दिनांक 14.06.14 द्वारा नन्हू पटेल के घर से रामकृष्ण साहू के घर तक खड़जा चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण हेतु मजदूरी का भुगतान रु0 10050.00 दर्शित है, परन्तु चौड़ीकरण/उच्चीकरण में ईट और मिट्टी का प्रयोग नहीं हुआ है। अतः कार्य फर्जी प्रतीत होता है जिसकी ब्याज सहित वसूली क्षतिपूर्ति ग्राम प्रधान श्रीमती अर्चना देवी व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अजय यादव से किया जाना अपेक्षित है।	10500.00																																
3	प्रस्तर-3	शिव बहादुर के घर से रामचन्द्र साहू के घर तक नाली निर्माण पर निम्नलिखित विवरण के अनुसार कोषबही में क्रय दर्शाया गया है— <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र0</th><th>क्र0/दिनांक</th><th>धनराशि</th><th>विवरण</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>6/19.06.14</td><td>84000.00</td><td>12 हजार ईट क्रय</td></tr> <tr> <td>2</td><td>8/03.07.14</td><td>5000.00</td><td>125 फीट बालू क्रय</td></tr> <tr> <td>3</td><td>9/11.07.14</td><td>14900.00</td><td>मजदूरी</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>103900.00</td><td></td></tr> </tbody> </table> उपरोक्त के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां हैं — 1. नाली निर्माण हेतु लम्बाई/चौड़ाई/उंचाई के अनुसार स्टीमेट सक्षम अधिकारी द्वारा तैयार नहीं कराया गया है। 2. कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं रहा। 3. क्रमांक/लगायत 3 पर दर्शित क्रम से स्पष्ट है कि नाली निर्माण बिना सीमेंट के किया गया। अतः समस्त दर्शित व्यय रु0 103900.00 फर्जी है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती अर्चना देवी व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अजय यादव से किया जाना अपेक्षित है।	क्र0	क्र0/दिनांक	धनराशि	विवरण	1	6/19.06.14	84000.00	12 हजार ईट क्रय	2	8/03.07.14	5000.00	125 फीट बालू क्रय	3	9/11.07.14	14900.00	मजदूरी			103900.00		103900.00												
क्र0	क्र0/दिनांक	धनराशि	विवरण																																
1	6/19.06.14	84000.00	12 हजार ईट क्रय																																
2	8/03.07.14	5000.00	125 फीट बालू क्रय																																
3	9/11.07.14	14900.00	मजदूरी																																
		103900.00																																	
4	प्रस्तर-4	जुम्न के घर के सामने सी0सी0 रोड से नौखं कोटेदार के घर तक खड़जा निर्माण पर निम्नलिखित के अनुसार व्यय कोषबही में दर्शित है — <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र0</th><th>क्र0/दिनांक</th><th>धनराशि</th><th>विवरण</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>10/11.07.14</td><td>67200.00</td><td>9600 ईट क्रय श्याम आयरन स्टोर</td></tr> <tr> <td>2</td><td>11/04.07.14</td><td>10000.00</td><td>20 बैग सीमेंट 100 फीट बालू क्रय</td></tr> <tr> <td>3</td><td>13/21.07.14</td><td>10000.00</td><td>20 टाली मिट्टी</td></tr> <tr> <td>4</td><td>14/21.07.14</td><td>95200.00</td><td>13600 टी0आर0 1118102/204</td></tr> <tr> <td>5</td><td>15/26.07.14</td><td>14000.00</td><td>मजदूरी</td></tr> <tr> <td>6</td><td>16/30.07.14</td><td>9800.00</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>206200.00</td><td></td></tr> </tbody> </table>	क्र0	क्र0/दिनांक	धनराशि	विवरण	1	10/11.07.14	67200.00	9600 ईट क्रय श्याम आयरन स्टोर	2	11/04.07.14	10000.00	20 बैग सीमेंट 100 फीट बालू क्रय	3	13/21.07.14	10000.00	20 टाली मिट्टी	4	14/21.07.14	95200.00	13600 टी0आर0 1118102/204	5	15/26.07.14	14000.00	मजदूरी	6	16/30.07.14	9800.00				206200.00		206200.00
क्र0	क्र0/दिनांक	धनराशि	विवरण																																
1	10/11.07.14	67200.00	9600 ईट क्रय श्याम आयरन स्टोर																																
2	11/04.07.14	10000.00	20 बैग सीमेंट 100 फीट बालू क्रय																																
3	13/21.07.14	10000.00	20 टाली मिट्टी																																
4	14/21.07.14	95200.00	13600 टी0आर0 1118102/204																																
5	15/26.07.14	14000.00	मजदूरी																																
6	16/30.07.14	9800.00																																	
		206200.00																																	

		उपरोक्त के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ हैं – 1. जुम्नन के घर से नौखे के घर तक खड़जा निर्माण हेतु कोई प्रस्ताव देखने को नहीं मिला। 2. उक्त कार्य हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा होने वाले व्यय का विवरण/स्टीमेट नहीं बनाया गया है। 3. कोषबही में 78×3 मी० खड़जा दर्शाया गया है। 36 स्क्वायर/मी० खड़जा 234 स्क्वायर/मी० निमाण पर 58 ईट प्रति स्क्वायर/मी० की दर से 13572 ईट ही प्रयुक्त होना चाहिए जबकि 23200 ईट प्रयुक्त दर्शाया गया है। अतः क्रमांक 4 दर्शित राशि रु० 95200.00 व्यक्तिगत खाते में ट्रांसफर किया गया है। विवरण अप्राप्त रहा। 4. क्रमांक 5 पर दर्शित सीमेन्ट क्रय काम पूर्ण होने के बाद क्रय किया गया दर्शित है जिसका कोई औचित्य नहीं है। साथ ही श्याम आयरन स्टोर से ईट का क्रय भी फर्जी प्रतीत होता है। 5. कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र अनुपलब्ध रहा। उपरोक्त कारणों से व्यय फर्जी प्रतीत होता है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती अर्चना देवी व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अजय यादव से किया जाना अपेक्षित है।																																																	
5	प्रस्तर-5	ग्राम पंचायत में सामुदायिक भवन की सफाई/मरम्मत/निर्माण आदि पर बिना विवरण के अनुसार काम कोषबही में दर्शित है – <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र०</th><th>क्र०/दिनांक</th><th>धनराशि</th><th>विवरण</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>15/07.05.14</td><td>5000.00</td><td>सफाई पर व्यय</td></tr> <tr> <td>2</td><td>19/08.08.14</td><td>36855.00</td><td>खिड़की/दरवाजा क्रय/ बनवाने पर व्यय</td></tr> <tr> <td>3</td><td>20/09.08.14</td><td>7000.00</td><td>बालू 100 फीट सीमेन्ट 10 बैग</td></tr> <tr> <td>4</td><td>21/12.08.14</td><td>7500.00</td><td>खिड़की/दरवाजा जाम करवाने पर व्यय</td></tr> <tr> <td>5</td><td>22/14.08.14</td><td>57400.00</td><td>8200 ईट क्रय बाउण्ड्री बनवाने हेतु</td></tr> <tr> <td>6</td><td>24/22.08.14</td><td>56000.00</td><td>8000 ईट क्रय बाउण्ड्री हेतु</td></tr> <tr> <td>7</td><td>25/30.08.14</td><td>10000.00</td><td>बालू 100 फीट सीमेन्ट 20 बैग क्रय</td></tr> <tr> <td>8</td><td>42/21.10.14</td><td>56000.00</td><td>8000 ईट सामुदायिक भवन की बाउण्ड्री हेतु</td></tr> <tr> <td>9</td><td>52/28.11.14</td><td>25100.00</td><td>सामुदायिक भवन की बाउण्ड्री हेतु नींव खुदाई एवं निर्माण मजदूरी</td></tr> <tr> <td>10</td><td>53/28.11.14</td><td>6587.00</td><td>21 बैग सीमेन्ट 287 किला सरिया</td></tr> <tr> <td>11</td><td>54/28.11.14</td><td>5000.00</td><td>125 फीट बालू</td></tr> </tbody> </table>	क्र०	क्र०/दिनांक	धनराशि	विवरण	1	15/07.05.14	5000.00	सफाई पर व्यय	2	19/08.08.14	36855.00	खिड़की/दरवाजा क्रय/ बनवाने पर व्यय	3	20/09.08.14	7000.00	बालू 100 फीट सीमेन्ट 10 बैग	4	21/12.08.14	7500.00	खिड़की/दरवाजा जाम करवाने पर व्यय	5	22/14.08.14	57400.00	8200 ईट क्रय बाउण्ड्री बनवाने हेतु	6	24/22.08.14	56000.00	8000 ईट क्रय बाउण्ड्री हेतु	7	25/30.08.14	10000.00	बालू 100 फीट सीमेन्ट 20 बैग क्रय	8	42/21.10.14	56000.00	8000 ईट सामुदायिक भवन की बाउण्ड्री हेतु	9	52/28.11.14	25100.00	सामुदायिक भवन की बाउण्ड्री हेतु नींव खुदाई एवं निर्माण मजदूरी	10	53/28.11.14	6587.00	21 बैग सीमेन्ट 287 किला सरिया	11	54/28.11.14	5000.00	125 फीट बालू	255505.00
क्र०	क्र०/दिनांक	धनराशि	विवरण																																																
1	15/07.05.14	5000.00	सफाई पर व्यय																																																
2	19/08.08.14	36855.00	खिड़की/दरवाजा क्रय/ बनवाने पर व्यय																																																
3	20/09.08.14	7000.00	बालू 100 फीट सीमेन्ट 10 बैग																																																
4	21/12.08.14	7500.00	खिड़की/दरवाजा जाम करवाने पर व्यय																																																
5	22/14.08.14	57400.00	8200 ईट क्रय बाउण्ड्री बनवाने हेतु																																																
6	24/22.08.14	56000.00	8000 ईट क्रय बाउण्ड्री हेतु																																																
7	25/30.08.14	10000.00	बालू 100 फीट सीमेन्ट 20 बैग क्रय																																																
8	42/21.10.14	56000.00	8000 ईट सामुदायिक भवन की बाउण्ड्री हेतु																																																
9	52/28.11.14	25100.00	सामुदायिक भवन की बाउण्ड्री हेतु नींव खुदाई एवं निर्माण मजदूरी																																																
10	53/28.11.14	6587.00	21 बैग सीमेन्ट 287 किला सरिया																																																
11	54/28.11.14	5000.00	125 फीट बालू																																																

12	55/01.12.14	91000.00	13000 ईट बाउण्ड्री हेतु बड़ौदा यू0पी0 ग्रामीण बैंक	
13	56/01.12.14	4000.00	100 फीट बालू	
14	57/11.12.14	21000.00	बाउण्ड्री हेतु मजदूरी	
15	58/11.12.14	65000.00	सफाई, 30 बैग सीमेन्ट, 500फीट बालू 100 फीट गिट्टी	
16	59/11.12.14	25050.00	भवन की बाउण्ड्री /प्लास्टर छत मरम्मत की मजदूरी	
	कुल योग	478492.00		

उपरोक्त क्रय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां हैं –

1. सामुदायिक विकास क्षेत्र की बाउण्ड्री पर होने वाली व्यय का अनुमानित विवरण किसी सक्षम अधिकारी द्वारा तैयार नहीं कराया गया है। जो आपेक्षित रहा। बिना स्टीमेट के मनमाना काम कोषबही में दर्शाया गया है।
2. खिड़की दरवाजा क्रय रू0 36855.00 से सम्बन्धित प्रमाणक अनुपलब्ध रहा जिससे उसकी पुष्टि न की जा सकी।
3. क्रमांक 7 पर दर्शित क्रम 20 बैग सीमेन्ट के 2 माह बाद कार्य कराया जाना क्रय की स्थिति को संदिग्ध दर्शाता है।
4. सामुदायिक भवन की बाउण्ड्री हेतु नींव खुदाई पर मजदूरी रू0 25100.00 रू0 21000.00 (क्र0 14 पर) का व्यय, बाउण्ड्री निर्माण पर (15 मिस्त्री 600) तथा रू0 25050.00 (क्रमांक 16 पर) की मजदूरी बाउण्ड्री प्लास्टर एवं छत मरम्मत पर (17 मिस्त्री 73 लेबर) दर्शाया गया है। इस प्रकार दीवार जोड़ने हेतु कुल 15 मिस्त्री कार्य किये हैं और उसमें 43200 ईट का प्रयोग दर्शाया गया है जबकि 15 मिस्त्री अधिकतम 15000 ईट औसतन जोड़ सकते हैं। इस प्रकार 28200 ईट जिसका मूल्य 197400.00 होता है(कुल प्रयुक्त ईट का मूल्य 302400.00)अधिक प्रयुक्त दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली क्षतिपूर्ति ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा आपेक्षित है।
5. बाउण्ड्री वॉल हेतु एक मिस्त्री पर चार मजदूर तथा प्लास्टर/छत मरम्मत हेतु एक मिस्त्री पर 4.29 की दर से मजदूर कार्य का दर्शाया गया है जो सही नहीं है। दो मिस्त्री पर तीन मजदूर पर्याप्त है इस प्रकार 85 मजदूर अधिक दर्शाकर 4250.00 प्रति मजदूरी की दर से रू0 21250.00 का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली क्षतिपूर्ति ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से आपेक्षित है।
6. कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी अनुपलब्ध रहा।

अतः उपरोक्तानुसार बिना प्रमाणक व अधिक भुगतान की धनराशि रू0

		36855.00+197400.00+21250.00 कुल रू0 255505.00 की ब्याज सहित वसूली क्षतिपूर्ति ग्राम प्रधान श्रीमती अर्चना देवी व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अजय यादव से किया जाना अपेक्षित है।																																	
6	प्रस्तर— 6	श्री अशर्फी कुशवाहा के घर से पावर हाउस के सामने तक पुलिया तक नाली निर्माण पर निम्नलिखित विवरण के अनुसार व्यय कोषबही में दर्शित है— <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र०</th><th>क्र०/दिनांक</th><th>धनराशि</th><th>विवरण</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>26/02.09.14</td><td>10000.00</td><td>250 फीट बालू क्रय</td></tr> <tr> <td>2</td><td>27/09.09.14</td><td>5500.00</td><td>20 बोरी सीमेन्ट क्रय</td></tr> <tr> <td>3</td><td>28/09.09.14</td><td>77000.00</td><td>11000 ईट वसीम</td></tr> <tr> <td>4</td><td>29/12.09.14</td><td>84000.00</td><td>12000ईट ट्रान्सफर व्यक्तिगत</td></tr> <tr> <td>5</td><td>30/15.09.14</td><td>15600.00</td><td>40 बोरी सीमेन्ट 100 फीट बालू</td></tr> <tr> <td>6</td><td>31/29.09.14</td><td>23800.00</td><td>मस्टर रोल की मजदूरी</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>216200.00</td><td></td></tr> </tbody> </table> उपरोक्त के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां हैं— - नाली निर्माण हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमानित व्यय का स्टीमेट तैयार नहीं कराया गया है। - नाली निर्माण में कुल 350 फीट बालू का प्रयोग किया गया है। नाली निर्माण में 1:5 के अनुपात में कुल 35 बोरी सीमेन्ट प्रयुक्त होना चाहिए जबकि 60 बोरी सीमेन्ट 290 रू0 प्रति बोरी की दर से 7250.00 का काल्पनिक व्यय दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है। - नाली निर्माण हेतु 1:5 के अनुपात में सीमेन्ट/बालू का प्रयोग कर 1 बोरी सीमेन्ट में 300 ईट जोड़ा जाता है। इस प्रकार कुल 35 बोरी सीमेन्ट में 10500 व 11000 ईट ही जोड़ा जा सकता है परन्तु कुल 23000 ईट प्रयुक्त दर्शाया गया है। अतः 12000 ईट जिसका मूल्य रू0 84000.00 है अधिक प्रयुक्त दर्शाकर धन का आहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली क्षतिपूर्ति ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से अपेक्षित है। - क्रमांक 4 पर दर्शित ईट क्रय से सम्बन्धित रू0 84000.00 को किसी के व्यक्तिगत खाते में ट्रान्सफर किया गया है जिससे स्पष्ट	क्र०	क्र०/दिनांक	धनराशि	विवरण	1	26/02.09.14	10000.00	250 फीट बालू क्रय	2	27/09.09.14	5500.00	20 बोरी सीमेन्ट क्रय	3	28/09.09.14	77000.00	11000 ईट वसीम	4	29/12.09.14	84000.00	12000ईट ट्रान्सफर व्यक्तिगत	5	30/15.09.14	15600.00	40 बोरी सीमेन्ट 100 फीट बालू	6	31/29.09.14	23800.00	मस्टर रोल की मजदूरी			216200.00		91250.00
क्र०	क्र०/दिनांक	धनराशि	विवरण																																
1	26/02.09.14	10000.00	250 फीट बालू क्रय																																
2	27/09.09.14	5500.00	20 बोरी सीमेन्ट क्रय																																
3	28/09.09.14	77000.00	11000 ईट वसीम																																
4	29/12.09.14	84000.00	12000ईट ट्रान्सफर व्यक्तिगत																																
5	30/15.09.14	15600.00	40 बोरी सीमेन्ट 100 फीट बालू																																
6	31/29.09.14	23800.00	मस्टर रोल की मजदूरी																																
		216200.00																																	

		है कि इस धन का भी आहरण किया गया है। 5 उपरोक्त कारणों से अधिक सीमेंट मूल्य रु0 7750.00 तथा अधिक ईट मूल्य रु0 84000.00 कुल रु0 91250.00 का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली क्षतिपूर्ति ग्राम प्रधान श्रीमती अर्चना देवी व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अजय यादव से किया जाना अपेक्षित है।																									
7	प्रस्तर-7	शानू के घर से अशोक सोनकर के घर तक नाली निर्माण व निम्नलिखित के अनुसार कोषबही में व्यय दर्शाया गया है— <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र0</th><th>क्र0 / दिनांक</th><th>धनराशि</th><th>विवरण</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>32 / 25.09.14</td><td>51800.00</td><td>7400 ईट क्रय</td></tr> <tr> <td>2</td><td>34 / 30.09.14</td><td>5000.00</td><td>125 फीट बालू क्रय</td></tr> <tr> <td>3</td><td>35 / 04.10.14</td><td>3000.00</td><td>10 बैग सीमेंट क्रय</td></tr> <tr> <td>4</td><td>36 / 09.14</td><td>7500.00</td><td>मजदूरी</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>67300.00</td><td></td></tr> </tbody> </table> उपरोक्त के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां हैं — 1. नाली निर्माण पर होने वाले व्यय का अनुमानित स्टीमेट सक्षम अधिकारी द्वारा तैयार नहीं कराया गया है। 2. नली निर्माण की लम्बाई/चौड़ाई आदि की भी जानकारी नहीं करायी गयी है। 3. क्रमांक 1 पर दर्शित राशि चेक सं0 109 द्वारा से स्टीमेट ए/सी/बारू में ट्रान्सफर किया गया है जिसका उपयोग संदिग्ध है। 4. नाली निर्माण 1:5 के अनुपात के अनुसार सीमेंट/बालू से 10 बैग सीमेंट में कुल 3000 ईट जोड़ा जाता है। इस प्रकार नाली निर्माण में प्रयुक्त दर्शाया गया ईट फर्जी है। उपरोक्त कारणों से दर्शित समस्त व्यय रु0 67800.00 फर्जी है जिसका अपहरण किया गया है। अतः रु0 67800.0 जिसकी ब्याज सहित वसूली क्षतिपूर्ति ग्राम प्रधान श्रीमती अर्चना देवी व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अजय यादव से किया जाना अपेक्षित है।	क्र0	क्र0 / दिनांक	धनराशि	विवरण	1	32 / 25.09.14	51800.00	7400 ईट क्रय	2	34 / 30.09.14	5000.00	125 फीट बालू क्रय	3	35 / 04.10.14	3000.00	10 बैग सीमेंट क्रय	4	36 / 09.14	7500.00	मजदूरी			67300.00		67300.00
क्र0	क्र0 / दिनांक	धनराशि	विवरण																								
1	32 / 25.09.14	51800.00	7400 ईट क्रय																								
2	34 / 30.09.14	5000.00	125 फीट बालू क्रय																								
3	35 / 04.10.14	3000.00	10 बैग सीमेंट क्रय																								
4	36 / 09.14	7500.00	मजदूरी																								
		67300.00																									
8	प्रस्तर-8	सामुदायिक भवन के मुख्य गेट की बनवाई/पुताई पर बिना विवरण के अनुसार कोषबही में दर्शित है— <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र0</th><th>क्र0 / दिनांक</th><th>धनराशि</th><th>विवरण</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>62 / 07.01.15</td><td>29550.00</td><td>गेट दरवाजा हेतु सीमेंट क क्रय</td></tr> <tr> <td>2</td><td>63 / 07.01.15</td><td>10000.00</td><td>पेन्टिंग की मजदूरी</td></tr> </tbody> </table>	क्र0	क्र0 / दिनांक	धनराशि	विवरण	1	62 / 07.01.15	29550.00	गेट दरवाजा हेतु सीमेंट क क्रय	2	63 / 07.01.15	10000.00	पेन्टिंग की मजदूरी	70100.00												
क्र0	क्र0 / दिनांक	धनराशि	विवरण																								
1	62 / 07.01.15	29550.00	गेट दरवाजा हेतु सीमेंट क क्रय																								
2	63 / 07.01.15	10000.00	पेन्टिंग की मजदूरी																								

		3	66/20.01.15	30600.00	मेन गेट बनवाने पर व्यय	
				70100.00		
		उक्त के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां हैं— 1. मेनगेट 20.01.15 में बनवाया गया जबकि पेंटिंग 07.01.2015 में ही कर दी गयी जो संदिग्ध स्थिति का द्योतक है। 2. पेंटिंग एवं गेट पर व्यय मनमाना प्रतीत होता है जो किसी भी दशा में सत्यापित नहीं किया जा सकता। उपरोक्त की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती अर्चना देवी व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अजय यादव से किया जाना अपेक्षित है।				
9	प्रस्तर-9	चेक संख्या 114 दिनांक 29.09.14 द्वारा रू0 70000.00 की धनराशि को व्यक्तिगत खाता सं0 1151021250 में ट्रान्सफर किया गया है। इसी प्रकार चेक सं0 120 दिनांक 09.10.14 द्वारा रू0 49000.00 किसी के खाते में ट्रान्सफर हुआ है जिसका खाता सं0 अज्ञात रहा। उपरोक्त दोनों राशियां व्यक्तिगत खाते में ट्रान्सफर कर धन का अपहरण किया गया है। उपरोक्त की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती अर्चना देवी व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अजय यादव से किया जाना अपेक्षित है।				119000.00

14—ग्राम पंचायत—अहमद पुर पावन

ग्राम पंचायत—अहमदपुर पावन विकास खण्ड—कौड़िहार जनपद—प्रयागराज की लेखा परीक्षा वर्ष 2014—15 में निम्नलिखित प्रकरण प्रकाश में आये जिसकी ओर विभागीय अधिकारी वर्ग एवं प्रबंध तन्त्र का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है :-

क्र0		आपत्ति का विवरण	धनराशि																								
1	प्रस्तर-1	बबलू के घर से टिल्लू के घर तक खड़जा निर्माण पर निम्नलिखित विवरण के अनुसार कोषबही में व्यय दर्शित है— <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र0</th><th>क्र0/दिनांक</th><th>धनराशि</th><th>विवरण</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>21.04.2014</td><td>5000.00</td><td>मजदूरी</td></tr> <tr> <td>2</td><td>11.04.2014</td><td>5000.00</td><td>मजदूरी</td></tr> <tr> <td>3</td><td>15.04.2014</td><td>71600.00</td><td>ईंट 105800 @6800 मूल्य 71400 प्रमाणक अप्राप्त</td></tr> <tr> <td>4</td><td>16.04.2014</td><td>30000.0</td><td>सीमेंट, सरिया</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> उक्त के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां हैं— 1. खड़जा निर्माण हेतु ग्राम पंचायत में पारित प्रस्ताव देखने को नहीं मिला। 2. खड़जा हेतु अनुमानित व्यय का विवरण सक्षम अधिकारी द्वारा नहीं बनवाया गया है।	क्र0	क्र0/दिनांक	धनराशि	विवरण	1	21.04.2014	5000.00	मजदूरी	2	11.04.2014	5000.00	मजदूरी	3	15.04.2014	71600.00	ईंट 105800 @6800 मूल्य 71400 प्रमाणक अप्राप्त	4	16.04.2014	30000.0	सीमेंट, सरिया					11600.00
क्र0	क्र0/दिनांक	धनराशि	विवरण																								
1	21.04.2014	5000.00	मजदूरी																								
2	11.04.2014	5000.00	मजदूरी																								
3	15.04.2014	71600.00	ईंट 105800 @6800 मूल्य 71400 प्रमाणक अप्राप्त																								
4	16.04.2014	30000.0	सीमेंट, सरिया																								

		3. क्रमांक 1 व 2 पर दर्शित मजदूरी भुगतान का मस्टर रोल अप्राप्त रहा। 4. क्रमांक 3 पर ईट क्रय कोषबही में रु0 71600.00 दर्शित है जबकि दर्शित क्रय 10500 ईट का मूल्य रु0 6800.00 से रु0 71400.00 होता है। 5. क्रमांक 4 पर रु0 30000.00 का सीमेंट/सरिया क्रय दर्शाया गया है जबकि खडंजा हेतु न ही सीमेन्ट की आवश्यकता पड़ती है न ही सरिया की। 6. कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी उपलब्ध नहीं रहा। उपरोक्त कारणों से समस्त व्यय फर्जी प्रतीत होता है जिसकी ब्याज सहित वसूली क्षतिपूर्ति ग्राम प्रधान श्री जगलाल व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जयराम से अपेक्षित है।																																	
2	प्रस्तर-2	श्री भरत यादव के घर से झूरी कुशवाहा के घर तक नाली निर्माण हेतु कोषबही में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित है- <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र0</th><th>दिनांक</th><th>धनराशि</th><th>विवरण</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>16.04.2014</td><td>25000.00</td><td>नाली निर्माण हेतु प्रमाण नहीं</td></tr> <tr> <td>2</td><td>19.04.2014</td><td>5000.00</td><td>मजदूरी एवं मस्टर रोल नहीं</td></tr> <tr> <td>3</td><td>22.04.2014</td><td>21000.00</td><td>ईट बालू क्रय प्रमाणक नहीं</td></tr> <tr> <td>4</td><td>25.04.2014</td><td>5000.00</td><td>मजदूरी मस्टर रोल नहीं</td></tr> <tr> <td>5</td><td>25.04.2014</td><td>5000.00</td><td>मजदूरी मस्टर रोल नहीं</td></tr> <tr> <td>6</td><td>28.04.2014</td><td>5000.00</td><td>मजदूरी मस्टर रोल नहीं</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>66000.00</td><td></td></tr> </tbody> </table> उक्त के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां हैं- - नाली निर्माण हेतु अनुमानित व्यय का विवरण अप्राप्त रहा। - नाली कितनी लम्बाई/चौड़ाई/उंचाई में बनती है की स्थिति अज्ञात रही। - क्रमांक 1 पर दर्शित रु0 25000.00 किस मद पर व्यय किया गया न तो विवरण रहा और न ही प्रमाणक उपलब्ध रहा। - क्रमांक 3 पर दर्शित ईट/बालू तथा क्रमांक 4,5 व 6 पर दर्शित मजदूरी के प्रमाणक व मस्टर रोल अनुपलब्ध रहा। - कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र अनुपलब्ध रहा। उपरोक्त कारणों से समस्त व्यय फर्जी प्रतीत होता है, जिसकी ब्याज सहित वसूली क्षतिपूर्ति ग्राम प्रधान श्री जगलाल व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जयराम से अपेक्षित है।	क्र0	दिनांक	धनराशि	विवरण	1	16.04.2014	25000.00	नाली निर्माण हेतु प्रमाण नहीं	2	19.04.2014	5000.00	मजदूरी एवं मस्टर रोल नहीं	3	22.04.2014	21000.00	ईट बालू क्रय प्रमाणक नहीं	4	25.04.2014	5000.00	मजदूरी मस्टर रोल नहीं	5	25.04.2014	5000.00	मजदूरी मस्टर रोल नहीं	6	28.04.2014	5000.00	मजदूरी मस्टर रोल नहीं			66000.00		66000.00
क्र0	दिनांक	धनराशि	विवरण																																
1	16.04.2014	25000.00	नाली निर्माण हेतु प्रमाण नहीं																																
2	19.04.2014	5000.00	मजदूरी एवं मस्टर रोल नहीं																																
3	22.04.2014	21000.00	ईट बालू क्रय प्रमाणक नहीं																																
4	25.04.2014	5000.00	मजदूरी मस्टर रोल नहीं																																
5	25.04.2014	5000.00	मजदूरी मस्टर रोल नहीं																																
6	28.04.2014	5000.00	मजदूरी मस्टर रोल नहीं																																
		66000.00																																	

3	प्रस्तर-3	श्री जवाहर गुप्ता से सुनीता देवी के घर तक खड़जा मरम्मत पर निम्न लिखित विवरण के अनुसार व्यय दर्शित है— <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र०</th><th>दिनांक</th><th>धनराशि</th><th>विवरण</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>01.05.14</td><td>92000.00</td><td>10000 ईट 6800.00 की दर से, 40 बोरी सीमेन्ट, दो गाड़ी बालू 3000.00 की दर से</td></tr> <tr> <td>2</td><td>03.05.14</td><td>50000.00</td><td>7000 ईट 6800.00 की दर से वास्तविक मूल्य 47600.00</td></tr> <tr> <td>3</td><td>06.05.14</td><td>5000.00</td><td>5000.00 मजदूरी मस्टर रोल नहीं</td></tr> <tr> <td>4</td><td>12.05.14</td><td>5000.00</td><td>5000.00 मजदूरी मस्टर रोल नहीं</td></tr> <tr> <td>5</td><td>16.05.14</td><td>40000.00</td><td>40000.00 ह्यूम पाइप प्रमाणक नहीं</td></tr> <tr> <td>6</td><td>16.05.14</td><td>5000.00</td><td>मजदूरी मस्टर रोल नहीं</td></tr> <tr> <td>7</td><td>17.05.14</td><td>5000.00</td><td>मजदूरी मस्टर रोल नहीं</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>202000.00</td><td></td></tr> </tbody> </table> उपरोक्त दर्शित व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां हैं— 1. खड़जा मरम्मत हेतु जितने ईटों को प्रयुक्त दर्शाया गया है वह किसी भी दशा में उचित नहीं है। 2. खड़जा कितनी दूर तक मरम्मत होनी थी अज्ञात रहा तथा अनुमानित व्यय का विवरण भी अप्राप्त रहा। 3. क्रमांक 1 पर 10000 ईट 40 बैग सीमेन्ट और 2 गाड़ी बालू का मूल्य रु० 92000.00 दर्शित है जबकि गणनानुसार रु० 8200.00 आता है अतः व्यय फर्जी दर्शाया गया है। 4. खड़जा मरम्मत में सीमेन्ट क्रय 40 बैग की स्थिति भी संदिग्ध है 5. क्रमांक 2 वा 7000 ईट 6800.00 की दर से रु० 50000.00 में क्रय दर्शित है जबकि वास्तविक मूल्य रु० 47600.00 आता है। 6. क्रमांक 3,4 व 6 और 7 पर दर्शित मजदूरी का मस्टर रोल अप्राप्त रहा। 7. क्रमांक 5 पर दर्शित ह्यूम पाइप क्रय रु० 40000.00 का प्रमाणक अप्राप्त रहा। साथ ही खड़जा मरम्मत में ह्यूम पाइप का कोई औचित्य नहीं है। 8. कार्यपूर्ति प्रमाणक भी नहीं है।	क्र०	दिनांक	धनराशि	विवरण	1	01.05.14	92000.00	10000 ईट 6800.00 की दर से, 40 बोरी सीमेन्ट, दो गाड़ी बालू 3000.00 की दर से	2	03.05.14	50000.00	7000 ईट 6800.00 की दर से वास्तविक मूल्य 47600.00	3	06.05.14	5000.00	5000.00 मजदूरी मस्टर रोल नहीं	4	12.05.14	5000.00	5000.00 मजदूरी मस्टर रोल नहीं	5	16.05.14	40000.00	40000.00 ह्यूम पाइप प्रमाणक नहीं	6	16.05.14	5000.00	मजदूरी मस्टर रोल नहीं	7	17.05.14	5000.00	मजदूरी मस्टर रोल नहीं			202000.00		202000.00
क्र०	दिनांक	धनराशि	विवरण																																				
1	01.05.14	92000.00	10000 ईट 6800.00 की दर से, 40 बोरी सीमेन्ट, दो गाड़ी बालू 3000.00 की दर से																																				
2	03.05.14	50000.00	7000 ईट 6800.00 की दर से वास्तविक मूल्य 47600.00																																				
3	06.05.14	5000.00	5000.00 मजदूरी मस्टर रोल नहीं																																				
4	12.05.14	5000.00	5000.00 मजदूरी मस्टर रोल नहीं																																				
5	16.05.14	40000.00	40000.00 ह्यूम पाइप प्रमाणक नहीं																																				
6	16.05.14	5000.00	मजदूरी मस्टर रोल नहीं																																				
7	17.05.14	5000.00	मजदूरी मस्टर रोल नहीं																																				
		202000.00																																					

		उपरोक्त कारणों से समस्त व्यय फर्जी प्रतीत होता है जिसकी ब्याज सहित वसूली क्षतिपूर्ति ग्राम प्रधान श्री जगलाल व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जयराम से अपेक्षित है।																																																
4	प्रस्तर -4	श्री टिल्लू गुप्ता के घर से अतीक के घर तक नाली निर्माण पर कोषबही में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शाया गया है— <table><tr><td>क्र0</td><td>दिनांक</td><td>धनराशि</td><td>विवरण</td></tr><tr><td>1</td><td>20.05.14</td><td>45500.00</td><td>सीमेन्ट, बालू</td></tr><tr><td>2</td><td>20.05.14</td><td>5000.00</td><td>मजदूरी</td></tr><tr><td>3</td><td>24.05.14</td><td>28000.00</td><td>ह्यूम पाइप</td></tr><tr><td>4</td><td>24.05.14</td><td>5000.00</td><td>मजदूरी</td></tr><tr><td>5</td><td>31.05.14</td><td>30000.00</td><td>ईट 10500 रू0 6800.00 वास्तविक मूल्य 71400.00</td></tr><tr><td>6</td><td>02.06.14</td><td>56000.00</td><td>ईट</td></tr><tr><td>7</td><td>03.06.14</td><td>5000.00</td><td>मजदूरी</td></tr><tr><td>8</td><td>03.06.14</td><td>56000.00</td><td>ईट</td></tr><tr><td>9</td><td>04.06.14</td><td>5000.00</td><td>मजदूरी</td></tr><tr><td></td><td></td><td>235500.00</td><td></td></tr></table> उपरोक्त दर्शित व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां हैं— 1. नाली निर्माण हेतु अनुमानित व्यय का विवरण अप्राप्त रहा। 2. नाली कितनी लम्बाई/चौड़ाई/उंचाई में बनती है की स्थिति अज्ञात रही। 3. क्रमांक 1 से 9 पर दर्शित व्यय से सम्बन्धित न तो विवरण रहा और न ही प्रमाणक उपलब्ध रहा। 4. क्रमांक 5 पर दर्शित क्रय 10500 ईट रू0 6800.00 की दर से दर्शित है जिसका मूल्य रू0 30000.00 दर्शाया गया है जबकि गणनानुसार रू0 71400.00 होता है। 5. कार्यपूर्ति प्रमाणक भी नहीं है। उपरोक्त कारणों से समस्त व्यय फर्जी प्रतीत होता है जिसकी ब्याज सहित वसूली क्षतिपूर्ति ग्राम प्रधान श्री जगलाल व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जयराम से अपेक्षित है।				क्र0	दिनांक	धनराशि	विवरण	1	20.05.14	45500.00	सीमेन्ट, बालू	2	20.05.14	5000.00	मजदूरी	3	24.05.14	28000.00	ह्यूम पाइप	4	24.05.14	5000.00	मजदूरी	5	31.05.14	30000.00	ईट 10500 रू0 6800.00 वास्तविक मूल्य 71400.00	6	02.06.14	56000.00	ईट	7	03.06.14	5000.00	मजदूरी	8	03.06.14	56000.00	ईट	9	04.06.14	5000.00	मजदूरी			235500.00		235500.00
क्र0	दिनांक	धनराशि	विवरण																																															
1	20.05.14	45500.00	सीमेन्ट, बालू																																															
2	20.05.14	5000.00	मजदूरी																																															
3	24.05.14	28000.00	ह्यूम पाइप																																															
4	24.05.14	5000.00	मजदूरी																																															
5	31.05.14	30000.00	ईट 10500 रू0 6800.00 वास्तविक मूल्य 71400.00																																															
6	02.06.14	56000.00	ईट																																															
7	03.06.14	5000.00	मजदूरी																																															
8	03.06.14	56000.00	ईट																																															
9	04.06.14	5000.00	मजदूरी																																															
		235500.00																																																
5	प्रस्तर-5	ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष में निम्नलिखित विवरण के अनुसार हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय दर्शाया गया है— <table><tr><td>क्र0</td><td>दिनांक</td><td>धनराशि</td><td>विवरण</td></tr><tr><td>1</td><td>03.06.14</td><td>15000.00</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>04.06.14</td><td>7060.00</td><td></td></tr></table>				क्र0	दिनांक	धनराशि	विवरण	1	03.06.14	15000.00		2	04.06.14	7060.00		89560.00																																
क्र0	दिनांक	धनराशि	विवरण																																															
1	03.06.14	15000.00																																																
2	04.06.14	7060.00																																																

		<table><tr><td>3</td><td>10.07.14</td><td>10000.00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>26.11.14</td><td>26000.00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>09.01.15</td><td>31500.00</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>89560.00</td><td></td><td></td></tr></table> उपरोक्त दर्शित व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां हैं— 1. हैण्डपम्प मरम्मत हेतु किसी भी व्यक्ति द्वारा खराब होने तथा मरम्मत कराने का आवेदन पत्र नहीं दिया गया है। जल संसोधन समिति द्वारा मरम्मत की स्वीकृति नहीं दी गयी है। 2. क्रमांक 1 से 5 पर दर्शित समस्त व्यय हैण्डपम्प मरम्मत भी दर्शित है। सामग्री की क्रय नहीं है। बिना सामग्री हैण्डपम्प की मरम्मत का औचित्य अस्पष्ट रहा। 3. क्रमांक 1 से 5 पर दर्शित व्यय की पुष्टि में प्रमाणक अनुपलब्ध रहा जिससे दर्शित व्यय संदिग्ध स्थिति का द्योतक है। 4. कितने हैण्डपम्पों की मरम्मत कब कब करायी गयी अज्ञात रहा। और न ही ग्राम पंचायत में बनवाये गये हैण्डपम्पों की स्थिति स्पष्ट रही। उपरोक्त कारणों से समस्त व्यय फर्जी प्रतीत होता है जिसकी ब्याज सहित वसूली क्षतिपूर्ति ग्राम प्रधान श्री जगलाल व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जयराम से अपेक्षित है।	3	10.07.14	10000.00			4	26.11.14	26000.00			5	09.01.15	31500.00					89560.00															
3	10.07.14	10000.00																																	
4	26.11.14	26000.00																																	
5	09.01.15	31500.00																																	
		89560.00																																	
6	प्रस्तर-6	श्री भरत पाल के घर से ओम प्रकाश के घर तक नाली निर्माण पर निम्नलिखित व्ययों से सम्बन्धित <u>प्रमाणक/मस्टर</u> रोल लेखा परीक्षा अनुपलब्ध रहा— <table><tr><td>क्र0</td><td>दिनांक</td><td>धनराशि</td><td>विवरण</td></tr><tr><td>1</td><td>10.07.14</td><td>25000.00</td><td>नाली निर्माण हेतु क्रय</td></tr><tr><td>2</td><td>11.07.14</td><td>5000.00</td><td>मजदूरी</td></tr><tr><td>3</td><td>12.07.14</td><td>59682.00</td><td>नाली निर्माण पर व्यय</td></tr><tr><td>4</td><td>14.07.14</td><td>51317.00</td><td>ईट क्रय 4000 रु0 6800.00 की दर से</td></tr><tr><td>5</td><td>14.07.14</td><td>5000.00</td><td>मजदूरी</td></tr><tr><td>6</td><td>15.07.14</td><td>5000.00</td><td>मजदूरी</td></tr><tr><td></td><td></td><td>150999.00</td><td></td></tr></table>	क्र0	दिनांक	धनराशि	विवरण	1	10.07.14	25000.00	नाली निर्माण हेतु क्रय	2	11.07.14	5000.00	मजदूरी	3	12.07.14	59682.00	नाली निर्माण पर व्यय	4	14.07.14	51317.00	ईट क्रय 4000 रु0 6800.00 की दर से	5	14.07.14	5000.00	मजदूरी	6	15.07.14	5000.00	मजदूरी			150999.00		150999.00
क्र0	दिनांक	धनराशि	विवरण																																
1	10.07.14	25000.00	नाली निर्माण हेतु क्रय																																
2	11.07.14	5000.00	मजदूरी																																
3	12.07.14	59682.00	नाली निर्माण पर व्यय																																
4	14.07.14	51317.00	ईट क्रय 4000 रु0 6800.00 की दर से																																
5	14.07.14	5000.00	मजदूरी																																
6	15.07.14	5000.00	मजदूरी																																
		150999.00																																	

		उपरोक्त दर्शित व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां हैं— 1. नाली निर्माण हेतु अनुमानित व्यय का विवरण अप्राप्त रहा। जिसे सक्षम अधिकारी द्वारा तैयार कराया जाना अपेक्षित था। 2. क्रमांक 1 व 3 पर दर्शित धनराशि क्रमशः ₹0 25000.00 व ₹0 59682.00 कोषबही में नाली निर्माण पर व्यय दर्शित है जिसका प्रमाणक अनुपलब्ध रहा। यह भी अज्ञात रहा कि उक्त राशियों का उपयोग किस मद में किया गया है। भुगतान संदिग्ध है। 3. क्रमांक 4 पर दर्शित धनराशि ₹0 51317.00 ₹0 6800.00 की दर से क्रय दर्शित है। जबकि उसका वास्तविक मूल्य गणनानुसार ₹0 27200.00 होता है अतः व्यय फर्जी प्रतीत होता है। 4. क्रमांक 2,5 एवं 6 पर दर्शित व्यय मजदूरी से सम्बन्धित है परन्तु उसकी पुष्टि में मस्टर रोल अप्राप्त रहा। भुगतान अस्पष्ट रहा। 5. कार्यपूर्ति प्रमाणक भी नहीं है। उपरोक्त कारणों से दर्शित व्यय ₹0 150999.00 फर्जी प्रतीत होता है जिसकी ब्याज सहित वसूली क्षतिपूर्ति ग्राम प्रधान श्री जगलाल व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जयराम से अपेक्षित है।																					
7	प्रस्तर -7	श्री जावेद के घर से मिर्जा के घर तक खड़जा मरम्मत हेतु निम्नलिखित के अनुसार व्यय कोषबही में दर्शित है— <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र०</th><th>दिनांक</th><th>धनराशि</th><th>विवरण</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>01.05.14</td><td>91000.00</td><td>10000 ईट 6800.00 की दर से, 40 बोरी सीमेन्ट, दो गाड़ी बालू 3000.00 की दर से</td></tr> <tr> <td>2</td><td>03.05.14</td><td>46000.00</td><td></td></tr> <tr> <td>3</td><td>06.05.14</td><td>5000.00</td><td>5000.00 मजदूरी मस्टर रोल नहीं</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>142000.00</td><td></td></tr> </tbody> </table> उपरोक्त दर्शित व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां हैं— 1. खड़जा मरम्मत हेतु अनुमानित व्यय का विवरण तैयार नहीं कराया गया जो अपेक्षित था। 2. खड़जा निर्माण कितनी लम्बाई/चौड़ाई/ऊंचाई में मरम्मत होनी है का विवरण अज्ञात रहा। 3. क्रमांक 1 पर दर्शित ईट क्रय एवं सीमेन्ट क्रय का प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहा है। दर्शित क्रय 11000 ईट ₹0 6800.00 की दर से का मूल्य 74800.00 तथा सीमेन्ट 40×350=12200.00 कुल ₹0 8700.00 होता है। जबकि कोषबही में 91000.00 दर्शित है। खड़जा मरम्मत में सीमेन्ट क्रय का कोई औचित्य भी नहीं है। अतः क्रय फर्जी दर्शाया गया है।	क्र०	दिनांक	धनराशि	विवरण	1	01.05.14	91000.00	10000 ईट 6800.00 की दर से, 40 बोरी सीमेन्ट, दो गाड़ी बालू 3000.00 की दर से	2	03.05.14	46000.00		3	06.05.14	5000.00	5000.00 मजदूरी मस्टर रोल नहीं			142000.00		142000.00
क्र०	दिनांक	धनराशि	विवरण																				
1	01.05.14	91000.00	10000 ईट 6800.00 की दर से, 40 बोरी सीमेन्ट, दो गाड़ी बालू 3000.00 की दर से																				
2	03.05.14	46000.00																					
3	06.05.14	5000.00	5000.00 मजदूरी मस्टर रोल नहीं																				
		142000.00																					

		4. क्रमांक 2 पर दर्शित राशि रु0 4600.00 छः गाड़ी बालू रु0 3000.00 की दर से तथा दो क्विंटल सरिया दर्शित है। खड़जा मरम्मत में सरिया क्रय का कोई औचित्य नहीं है साथ ही बालू का क्रय भी काल्पनिक दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है। 5. क्रमांक 3 पर दर्शित मजदूरी भुगतान से संबंधित मस्टर रोल अप्राप्त रहा। उपरोक्त कारणों से समस्त व्यय फर्जी प्रतीत होता है जिसकी ब्याज सहित वसूली क्षतिपूर्ति ग्राम प्रधान श्री जगलाल व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जयराम से अपेक्षित है।																																																																																	
8	प्रस्तर-8	श्री धर्मपाल के घर से तालाब तक नाली निर्माण हेतु निम्नलिखित के अनुसार व्यय कोष बही में दर्शित है- <table> <tr> <th>क्र0</th> <th>दिनांक</th> <th>धनराशि</th> <th>विवरण</th> <th>वास्तविक मूल्य</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>02.08.14</td> <td>20000.00</td> <td>क्रय ईट 5000 दर 6800.00</td> <td>34000.00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>05.08.14</td> <td>5000.00</td> <td>मजदूरी</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>08.08.14</td> <td>56000.00</td> <td>खड़जा निर्माण हेतु विवरण व बाउचर अप्राप्त</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>08.08.14</td> <td>56000.00</td> <td>क्रय ईट 5000 दर 6800.00</td> <td>47600.00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>08.08.14</td> <td>5000.00</td> <td>मजदूरी</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>23.08.14</td> <td>56000.00</td> <td>क्रय ईट 7000 दर 6800.00</td> <td>47600.00</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>26.08.14</td> <td>5000.00</td> <td>मजदूरी</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>01.09.14</td> <td>5000.00</td> <td>मजदूरी</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>08.09.14</td> <td>5000.00</td> <td>मजदूरी</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>08.09.14</td> <td>70000.00</td> <td>नाली निर्माण हेतु 4000 दर 6800.00, 40 बैग सीमेन्ट, 1 गाड़ी बालू</td> <td>42400.00</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>10.09.14</td> <td>15000.00</td> <td>ह्यूम पाइप</td> <td></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>12.09.14</td> <td>5000.00</td> <td>मजदूरी</td> <td></td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>16.09.14</td> <td>5000.00</td> <td>मजदूरी</td> <td></td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>15.09.14</td> <td>5000.00</td> <td>मजदूरी</td> <td></td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>20.09.14</td> <td>5000.00</td> <td>मजदूरी</td> <td></td> </tr> </table>	क्र0	दिनांक	धनराशि	विवरण	वास्तविक मूल्य	1	02.08.14	20000.00	क्रय ईट 5000 दर 6800.00	34000.00	2	05.08.14	5000.00	मजदूरी		3	08.08.14	56000.00	खड़जा निर्माण हेतु विवरण व बाउचर अप्राप्त		4	08.08.14	56000.00	क्रय ईट 5000 दर 6800.00	47600.00	5	08.08.14	5000.00	मजदूरी		6	23.08.14	56000.00	क्रय ईट 7000 दर 6800.00	47600.00	7	26.08.14	5000.00	मजदूरी		8	01.09.14	5000.00	मजदूरी		9	08.09.14	5000.00	मजदूरी		10	08.09.14	70000.00	नाली निर्माण हेतु 4000 दर 6800.00, 40 बैग सीमेन्ट, 1 गाड़ी बालू	42400.00	11	10.09.14	15000.00	ह्यूम पाइप		12	12.09.14	5000.00	मजदूरी		13	16.09.14	5000.00	मजदूरी		14	15.09.14	5000.00	मजदूरी		15	20.09.14	5000.00	मजदूरी		333000.00
क्र0	दिनांक	धनराशि	विवरण	वास्तविक मूल्य																																																																															
1	02.08.14	20000.00	क्रय ईट 5000 दर 6800.00	34000.00																																																																															
2	05.08.14	5000.00	मजदूरी																																																																																
3	08.08.14	56000.00	खड़जा निर्माण हेतु विवरण व बाउचर अप्राप्त																																																																																
4	08.08.14	56000.00	क्रय ईट 5000 दर 6800.00	47600.00																																																																															
5	08.08.14	5000.00	मजदूरी																																																																																
6	23.08.14	56000.00	क्रय ईट 7000 दर 6800.00	47600.00																																																																															
7	26.08.14	5000.00	मजदूरी																																																																																
8	01.09.14	5000.00	मजदूरी																																																																																
9	08.09.14	5000.00	मजदूरी																																																																																
10	08.09.14	70000.00	नाली निर्माण हेतु 4000 दर 6800.00, 40 बैग सीमेन्ट, 1 गाड़ी बालू	42400.00																																																																															
11	10.09.14	15000.00	ह्यूम पाइप																																																																																
12	12.09.14	5000.00	मजदूरी																																																																																
13	16.09.14	5000.00	मजदूरी																																																																																
14	15.09.14	5000.00	मजदूरी																																																																																
15	20.09.14	5000.00	मजदूरी																																																																																

		16	25.09.14	5000.00	मजदूरी		
		17	29.09.14	5000.00	मजदूरी		
		18	30.09.14	5000.00	मजदूरी		
				333000.00			
		उपरोक्त दर्शित व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां हैं— 1. नाली निर्माण हेतु अनुमानित व्यय का विवरण अप्राप्त रहा। 2. नाली कितनी लम्बाई/चौड़ाई/ऊंचाई में बनती है की स्थिति अज्ञात रही। 3. क्रमांक 1 पर 5000 ईट 6800.00 की दर से रू0 20000.00 का क्रय को कोषबही में दर्शित है जबकि गणनानुसार 34000.00 होता है। स्पष्ट है कि व्यय फर्जी दर्शाया गया है। 4. क्रमांक 3 पर दर्शित रू0 56000.00 के व्यय का विवरण अप्राप्त रहा व्यय सम्बन्धी प्रमाणक भी अनुपलब्ध रहा। व्यय फर्जी दर्शाया गया है। 5. क्रमांक 4 पर दर्शित व्यय रू0 56000.00 7000 ईट रू0 6800.00 की दर से के सम्बन्धित है, जबकी गणनानुसार रू0 47600.00 बता रहा है। 6. इसी प्रकार क्रमांक 6 पर दर्शित राशि रू0 56000.00 है जबकि क्रय के विवरणानुसार मूल्य रू0 47600.00 होता है। 7. क्रमांक 10 पर नाली निर्माण हेतु 4000 ईट रू0 6800.00 की दर से, 40 बैग सीमेन्ट, 305 गाड़ी बालू रू0 3000.00 की दर से दर्शित है जो रू0 70000.00 है परन्तु गणनानुसार मूल्य रू0 42400.00 आता है। दर्शित व्यय फर्जी है। 8. क्रमांक 11 पर दर्शित ह्यूम पाइप क्रय का प्रमाणक अनुपलब्ध रहा। 9. क्रमांक 2,5,7 से 9 एवं 12 से 18 पर दर्शित मजदूरी भुगतान से सम्बन्धित मस्टर रोल अप्राप्त रहा भुगतान की दर्शित विवरण से भी स्पष्ट है कि भुगतान फर्जी दर्शाया गया है। 10. नाली निर्माण हेतु कुल 30000 ईट का क्रय दर्शाया गया है तथा 40 बोरी सीमेन्ट व एक गाड़ी 100 फीट बालू बाकी निर्माण हेतु मापदण्ड के कारण एक बोरी सीमेन्ट से 300 की जोड़ाई की जाती है। इस प्रकार ईटों का उपयोग 40 बैग से मात्र 12000 ही हो सकती है। इस प्रकार 18000 ईट का क्रय फर्जी दर्शाया गया है। 11. सीमेन्ट और बालू का अनुपात 1 अनुपाते 5 का होना चाहिए इस प्रकार 40 बैग एवं 400 फीट बालू की आवश्यकता है परन्तु 100 फीट बालू का प्रयोग दर्शित है। उपरोक्त कारणों से नाली निर्माण पर दर्शित अज्ञात व्यय फर्जी प्रतीत होता है जिसकी ब्याज सहित वसूली क्षतिपूर्ति					

		ग्राम प्रधान श्री जगलाल व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जयराम से अपेक्षित है।													
9	प्रस्तर-9	दिनांक 09.10.14 को कोषबही में शौचालय पर व्यय रु0 5000.00 अंकित था जिसे काटकर रु0 93000.00 बनाया गया जिसका कोई विवरण नहीं है। और न ही प्राप्ति रसीद है। यह राशि चेक सं0 212 दिनांक 09.10.2014 द्वारा आहरित दर्शायी गयी है। व्यय फर्जी दर्शाया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री जगलाल व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जयराम से अपेक्षित है।	93000.00												
10	प्रस्तर-10	दिनांक 09.10.14 को ह्यूम पाइप पर व्यय रु0 5000.00 कोषबही में अंकित था जिसे काटकर रु0 22694.00 बनाया गया जिसका कोई विवरण नहीं है। और न ही प्राप्ति रसीद है। व्यय फर्जी दर्शाया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री जगलाल व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जयराम से अपेक्षित है।	22694.00												
11	प्रस्तर-11	पक्की गेट से रामप्रसाद के घर तक खड़जा मरम्मत हेतु निम्न विवरण कोषबही में व्यय दर्शाया गया है— <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र0</th><th>दिनांक</th><th>धनराशि</th><th>विवरण</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>21.10.2014</td><td>105000.00</td><td>10000 ईट रु0 6800.00, 60 बोरी सीमेन्ट रु0 305.00 की दर से गणना से वास्तविक मूल्य 86300.00</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>105000.00</td><td></td></tr> </tbody> </table> खड़जा मरम्मत हेतु दर्शित व्यय पर निम्न आपत्तियां हैं— 1. खड़जा मरम्मत हेतु अनुमानित व्यय का विवरण तैयार नहीं कराया गया जो अपेक्षित था। जिसे सक्षम अधिकारी द्वारा तैयार कराया जाना चाहिए। 2. खड़जा निर्माण कितनी लम्बाई/चौड़ाई/उंचाई में मरम्मत होनी है का विवरण अज्ञात रहा। 3. खड़जा मरम्मत में सीमेन्ट क्रय का कोई औचित्य भी नहीं है। अतः क्रय फर्जी दर्शाया गया है। 4. दर्शित क्रय 10000 ईट व 60 बैग सीमेन्ट का मूल्य गणनानुसार रु0 86300.00 आता है जबकि कोषबही में 105000.00 दर्शित हैं 5. क्रय का कोई प्रमाणक नहीं है। उपरोक्त कारणों से नाली निर्माण पर दर्शित अज्ञात व्यय फर्जी प्रतीत होता है जिसकी ब्याज सहित वसूली क्षतिपूर्ति ग्राम प्रधान श्री जगलाल व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जयराम से अपेक्षित है।	क्र0	दिनांक	धनराशि	विवरण	1	21.10.2014	105000.00	10000 ईट रु0 6800.00, 60 बोरी सीमेन्ट रु0 305.00 की दर से गणना से वास्तविक मूल्य 86300.00			105000.00		105000.00
क्र0	दिनांक	धनराशि	विवरण												
1	21.10.2014	105000.00	10000 ईट रु0 6800.00, 60 बोरी सीमेन्ट रु0 305.00 की दर से गणना से वास्तविक मूल्य 86300.00												
		105000.00													
12	प्रस्तर-12	ग्राम पंचायत अहमदपुर पावन में कोषबही में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शाया गया है—	110395.00												

		<table> <tr> <th>क्र0</th><th>दिनांक</th><th>धनराशि</th><th>विवरण</th></tr> <tr> <td>1</td><td>22.10.14</td><td>20000.00</td><td>नाली निर्माण पर व्यय</td></tr> <tr> <td>2</td><td>28.10.14</td><td>34320.00</td><td>नाली निर्माण पर व्यय</td></tr> <tr> <td>3</td><td>29.10.14</td><td>16075.00</td><td>नाली निर्माण पर व्यय</td></tr> <tr> <td>4</td><td>01.11.14</td><td>5000.00</td><td>मजदूरी</td></tr> <tr> <td>5</td><td>01.11.14</td><td>15000.00</td><td>ह्यूम पाइप पर व्यय</td></tr> <tr> <td>6</td><td>03.11.14</td><td>5000.00</td><td>मजदूरी</td></tr> <tr> <td>7</td><td>07.11.14</td><td>5000.00</td><td>मजदूरी</td></tr> <tr> <td>8</td><td>08.11.14</td><td>5000.00</td><td>मजदूरी</td></tr> <tr> <td>9</td><td>14.11.14</td><td>5000.00</td><td>मजदूरी</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>110395.00</td><td></td></tr> </table> उक्त व्यय हेतु दर्शित व्यय पर निम्न आपत्तियां हैं— 1. कोषबही में उल्लेख नहीं है कि कार्य कहां कराया गया। और कितना कार्य कराया गया। 2. उपरोक्त कार्य हेतु अनुमानित व्यय का विवरण भी अनुपलब्ध एवं जो सक्षम अधिकारी द्वारा तैयार कराया जाना अपेक्षित था। 3. क्रमांक 1 से 9 पर दर्शित व्यय का <u>प्रमाणक/मस्टर</u> रोल अनुपलब्ध रहा जिसके कारण व्यय अस्पष्ट रहा। 4. क्रमांक 1 से 3 पर दर्शित नाली निर्माण पर व्यय में इस प्रकार का व्यय सम्मिलित है प्रमाणक के अभाव में अज्ञात रहा। उपरोक्त कारणों से दर्शित अज्ञात व्यय पूर्णतः फर्जी है जिसकी ब्याज सहित वसूली क्षतिपूर्ति ग्राम प्रधान श्री जगलाल व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जयराम से अपेक्षित है।	क्र0	दिनांक	धनराशि	विवरण	1	22.10.14	20000.00	नाली निर्माण पर व्यय	2	28.10.14	34320.00	नाली निर्माण पर व्यय	3	29.10.14	16075.00	नाली निर्माण पर व्यय	4	01.11.14	5000.00	मजदूरी	5	01.11.14	15000.00	ह्यूम पाइप पर व्यय	6	03.11.14	5000.00	मजदूरी	7	07.11.14	5000.00	मजदूरी	8	08.11.14	5000.00	मजदूरी	9	14.11.14	5000.00	मजदूरी			110395.00		
क्र0	दिनांक	धनराशि	विवरण																																												
1	22.10.14	20000.00	नाली निर्माण पर व्यय																																												
2	28.10.14	34320.00	नाली निर्माण पर व्यय																																												
3	29.10.14	16075.00	नाली निर्माण पर व्यय																																												
4	01.11.14	5000.00	मजदूरी																																												
5	01.11.14	15000.00	ह्यूम पाइप पर व्यय																																												
6	03.11.14	5000.00	मजदूरी																																												
7	07.11.14	5000.00	मजदूरी																																												
8	08.11.14	5000.00	मजदूरी																																												
9	14.11.14	5000.00	मजदूरी																																												
		110395.00																																													
13	प्रस्तर-13	श्री लल्लू प्रसाद के घर से पक्की सड़क तक नाली निर्माण हेतु कोषबही में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित है <table> <tr> <th>क्र0</th><th>दिनांक</th><th>धनराशि</th><th>विवरण</th></tr> <tr> <td>1</td><td>14.11.14</td><td>62000.00</td><td>8000 ईट रु0 6800.00 की दर से,</td></tr> <tr> <td>2</td><td>17.11.14</td><td>20000.00</td><td>80 बोरी सीमेंट, 2 क्विंटल सरिया</td></tr> </table>	क्र0	दिनांक	धनराशि	विवरण	1	14.11.14	62000.00	8000 ईट रु0 6800.00 की दर से,	2	17.11.14	20000.00	80 बोरी सीमेंट, 2 क्विंटल सरिया	111000.00																																
क्र0	दिनांक	धनराशि	विवरण																																												
1	14.11.14	62000.00	8000 ईट रु0 6800.00 की दर से,																																												
2	17.11.14	20000.00	80 बोरी सीमेंट, 2 क्विंटल सरिया																																												

3	18.11.14	5000.00	मजदूरी
4	26.11.14	19000.00	ह्यूम पाइप
5	29.11.14	5000.00	मजदूरी
		111000.00	

उक्त व्यय हेतु दर्शित व्यय पर निम्न आपत्तियां हैं—

1. नाली निर्माण हेतु अनुमानित व्यय का विवरण अप्राप्त रहा।
2. क्रमांक 1 पर दर्शित ईटें क्रय 8000 रु0 6800.00 की दर से रु0 62000.00 दर्शाया गया है जबकि वास्तविक मूल्य रु0 54400.00 होता है।
3. क्रमांक 2 पर दर्शित 60 बोरी सीमेंट एवं 2 क्विंटल सरिया का मूल्य रु0 20000.00 दर्शित है जिसका विवरण अप्राप्त है।
4. क्रमांक 1 लगायत 5 पर दर्शित क्रय व मजदूरी से सम्बन्धित प्रमाणक व मस्टर रोल अनुपलब्ध रहा।
5. क्रमांक 4 पर दर्शित ह्यूम पाइप का प्रमाणक अनुपलब्ध रहा जिससे यह अस्पष्ट रहा कि कितने ह्यूम पाइप क्रय किये गये हैं।
6. कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र अनुपलब्ध रहा।

उपरोक्त कारणों से दर्शित अज्ञात व्यय पूर्णतः फर्जी है जिसकी ब्याज सहित वसूली क्षतिपूर्ति ग्राम प्रधान श्री जगलाल व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जयराम से अपेक्षित है।

15—ग्राम पंचायत —इगुआ उर्फ काठगांव

ग्राम पंचायत—इगुआ उर्फ काठगांव विकास खण्ड —कौड़िहार जनपद — प्रयागराज की लेखा परीक्षा वर्ष 2014—15 में निम्नलिखित प्रकरण प्रकाश में आये जिसकी ओर विभागीय अधिकारी वर्ग एवं प्रबंध तन्त्र का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है :-

क्र0		आपत्ति का विवरण	धनराशि																								
1	प्रस्तर—1	निम्नलिखित विवरण के अनुसार ग्राम पंचायत इगुआ उर्फ काठगांव में मन्दिर से गणपत लाल के घर तक इन्टरलॉकिंग का कार्य पर कोषबही में व्यय दर्शाया गया है— <table> <tr> <th>क्र0</th><th>दिनांक</th><th>धनराशि</th><th>विवरण</th></tr> <tr> <td>1</td><td>1 / 02.04.14</td><td>4308.00</td><td>मजदूरी</td></tr> <tr> <td>2</td><td>2 / 09.04.14</td><td>93500.00</td><td>ईट क्रय हेतु भारत को भुगतान</td></tr> <tr> <td>3</td><td>3 / 09.04.14</td><td>90778.00</td><td>ईट क्रय हेतु भारत को भुगतान</td></tr> <tr> <td>4</td><td>4 / 10.07.14</td><td>25846.00</td><td>मजदूरी राजेश सिंह को</td></tr> <tr> <td>5</td><td>5 / 14.07.14</td><td>25846.00</td><td>मजदूरी ओमप्रकाश को</td></tr> </table>	क्र0	दिनांक	धनराशि	विवरण	1	1 / 02.04.14	4308.00	मजदूरी	2	2 / 09.04.14	93500.00	ईट क्रय हेतु भारत को भुगतान	3	3 / 09.04.14	90778.00	ईट क्रय हेतु भारत को भुगतान	4	4 / 10.07.14	25846.00	मजदूरी राजेश सिंह को	5	5 / 14.07.14	25846.00	मजदूरी ओमप्रकाश को	316734.00
क्र0	दिनांक	धनराशि	विवरण																								
1	1 / 02.04.14	4308.00	मजदूरी																								
2	2 / 09.04.14	93500.00	ईट क्रय हेतु भारत को भुगतान																								
3	3 / 09.04.14	90778.00	ईट क्रय हेतु भारत को भुगतान																								
4	4 / 10.07.14	25846.00	मजदूरी राजेश सिंह को																								
5	5 / 14.07.14	25846.00	मजदूरी ओमप्रकाश को																								

		<table><tr><td>6</td><td>7 / 19.08.14</td><td>4932.00</td><td>मजदूरी ओमप्रकाश को</td></tr><tr><td>7</td><td>8 / 19.08.14</td><td>4932.00</td><td>मजदूरी ओमप्रकाश को</td></tr><tr><td>8</td><td>9 / 19.08.14</td><td>4932.00</td><td>मजदूरी ओमप्रकाश को</td></tr><tr><td>9</td><td>10 / 25.08.14</td><td>6000.00</td><td>बलू सीमेंट क्रय</td></tr><tr><td>10</td><td>11 / 25.08.14</td><td>9770.00</td><td>मजदूरी</td></tr><tr><td>11</td><td>12 / 25.08.14</td><td>4240.00</td><td>गिट्टी क्रय</td></tr><tr><td>12</td><td>13 / 25.08.14</td><td>41650.00</td><td>ईंट क्रय राजेश सिंह को</td></tr><tr><td></td><td></td><td>316734.00</td><td></td></tr></table>	6	7 / 19.08.14	4932.00	मजदूरी ओमप्रकाश को	7	8 / 19.08.14	4932.00	मजदूरी ओमप्रकाश को	8	9 / 19.08.14	4932.00	मजदूरी ओमप्रकाश को	9	10 / 25.08.14	6000.00	बलू सीमेंट क्रय	10	11 / 25.08.14	9770.00	मजदूरी	11	12 / 25.08.14	4240.00	गिट्टी क्रय	12	13 / 25.08.14	41650.00	ईंट क्रय राजेश सिंह को			316734.00		
6	7 / 19.08.14	4932.00	मजदूरी ओमप्रकाश को																																
7	8 / 19.08.14	4932.00	मजदूरी ओमप्रकाश को																																
8	9 / 19.08.14	4932.00	मजदूरी ओमप्रकाश को																																
9	10 / 25.08.14	6000.00	बलू सीमेंट क्रय																																
10	11 / 25.08.14	9770.00	मजदूरी																																
11	12 / 25.08.14	4240.00	गिट्टी क्रय																																
12	13 / 25.08.14	41650.00	ईंट क्रय राजेश सिंह को																																
		316734.00																																	
		उक्त व्यय हेतु दर्शित व्यय पर निम्न आपत्तियां हैं— 1. उपरोक्त कार्य हेतु अनुमानित व्यय का विवरण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा तैयार नहीं कराया गया है। 2. इण्टरलाकिंग से पूर्व जमीन समतलीकरण हेतु मिट्टी का प्रयोग भी हुआ है। 3. उक्त कार्य हेतु मजदूरी का भुगतान रु0 80566.00 कि गया दर्शित है, जो राजेश सिंह व ओम प्रकाश के नाम चेक काटकर किये गये भुगतान से सम्बन्धी कोई भी मस्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। 4. उक्त कार्य हेतु ईंट क्रय पर रु0 225925.00 का व्यय दर्शित है जो भारत व राजेश सिंह के नाम से चेक निर्गत है, परन्तु ईंट क्रय का प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। 5. उक्त कार्य हेतु रु0 10240.00 की सीमेंट बालू व गिट्टी क्रय दर्शाया गया है जिसकी पुष्टि में प्रमाणक अनुपलब्ध रहा। 6. कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी अनुपलब्ध रहा। उपरोक्त कारणों से दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं होती है जिसकी ब्याज सहित क्षतिपूर्ति ग्राम प्रधान श्रीमती गुड़िया सिंह व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अतुल शंकर से अपेक्षित है।																																	
2	प्रस्तर-2	श्री सुशील पाल के घर से राम सजीवन पाल के घर तक इन्टरलॉकिंग कार्य हेतु निम्नलिखित विवरण के अनुसार व्यय कोषबही में दर्शित है— <table><tr><th>क्र0</th><th>दिनांक</th><th>धनराशि</th><th>विवरण</th></tr><tr><td>1</td><td>14 / 08.09.14</td><td>42144.00</td><td>ईंट क्रय चेक सं0 70एस 42144, 28890 राजेश सिंह</td></tr><tr><td>2</td><td>15 / 09.09.14</td><td>6400.00</td><td>सीमेण्ट बालू क्रय</td></tr><tr><td>3</td><td>16 / 09.09.14</td><td>16580.00</td><td>अगल बगल बाउण्ड्री हेतु ईंट क्रय</td></tr></table>	क्र0	दिनांक	धनराशि	विवरण	1	14 / 08.09.14	42144.00	ईंट क्रय चेक सं0 70एस 42144, 28890 राजेश सिंह	2	15 / 09.09.14	6400.00	सीमेण्ट बालू क्रय	3	16 / 09.09.14	16580.00	अगल बगल बाउण्ड्री हेतु ईंट क्रय	151920.00																
क्र0	दिनांक	धनराशि	विवरण																																
1	14 / 08.09.14	42144.00	ईंट क्रय चेक सं0 70एस 42144, 28890 राजेश सिंह																																
2	15 / 09.09.14	6400.00	सीमेण्ट बालू क्रय																																
3	16 / 09.09.14	16580.00	अगल बगल बाउण्ड्री हेतु ईंट क्रय																																

		<table> <tr> <td>4</td><td>17 / 13.09.14</td><td>15000.00</td><td>मिट्टी ढुलवाई</td></tr> <tr> <td>5</td><td>19 / 10.10.14</td><td>9926.00</td><td>मजदूरी</td></tr> <tr> <td>6</td><td>21 / 13.10.14</td><td>21070.00</td><td>मजदूरी चेक सं0 47</td></tr> <tr> <td>7</td><td>22 / 21.10.14</td><td>40800.00</td><td>मजदूरी ओमप्रकाश को</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>151920.00</td><td>ईट क्रय चेक सं0 48 श्याम आयरन स्टोर</td></tr> </table> उक्त क्रम में निम्न आपत्तियां हैं – 1. उक्त कार्य हेतु अनुमानित व्यय का विवरण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा तैयार नहीं कराया गया है। 2. इन्टरलाकिंग हेतु लम्बाई/चौड़ाई का भी विवरण अप्राप्त रहा। 3. क्रमांक 1 से 7 पर दर्शित क्रय/मजदूरी भुगतान से सम्बन्धित प्रमाणक/मस्टररोल अप्राप्त रहा। 4. क्रमांक 6 पर दर्शित मजदूरी का भुगतान चेक सं0 47 रू0 21070.00 राजेश सिंह को किया गया है जिसका आहरण बैंक सं 13.10.14 को हुआ है जबकि इसमें पूर्व निर्गत क्रमांक 75 तक का भुगतान 01.10.14 से पूर्व हो चुका है। अतः इस राशि का मजदूरी भुगतान दर्शाया जाना संदिग्ध प्रतीत होता है। 5. क्रमांक 7 पर दिनांक 21.10.14 को चेक सं0 48 की धनराशि रू0 40800.00 श्याम आयरन स्टोर को किया गया है। आयरन स्टोर से ईट का क्रय संदिग्ध प्रतीत होता है। उपरोक्त कारणों से दर्शित व्यय रू0 151920.00 की पुष्टि नहीं होती है जिसकी ब्याज सहित वसूली क्षतिपूर्ति ग्राम प्रधान श्रीमती गुड़िया सिंह व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अतुल शंकर से अपेक्षित है।	4	17 / 13.09.14	15000.00	मिट्टी ढुलवाई	5	19 / 10.10.14	9926.00	मजदूरी	6	21 / 13.10.14	21070.00	मजदूरी चेक सं0 47	7	22 / 21.10.14	40800.00	मजदूरी ओमप्रकाश को			151920.00	ईट क्रय चेक सं0 48 श्याम आयरन स्टोर	
4	17 / 13.09.14	15000.00	मिट्टी ढुलवाई																				
5	19 / 10.10.14	9926.00	मजदूरी																				
6	21 / 13.10.14	21070.00	मजदूरी चेक सं0 47																				
7	22 / 21.10.14	40800.00	मजदूरी ओमप्रकाश को																				
		151920.00	ईट क्रय चेक सं0 48 श्याम आयरन स्टोर																				
3	प्रस्तर-3	प्र0सं0 18 दिनांक 22.09.14 द्वारा रू0 9500.00 हैण्डपम्प मरम्मत की मजदूरी का भुगतान कोषबही में दर्शित है जिससे सम्बन्धित भुगतान प्रमाणक अनुपलब्ध रहा। हैण्डपम्प मरम्मत हेतु किसी भी व्यक्ति का आवेदन पत्र नहीं मिला न ही उसमें लगने वाली सामग्री का विवरण ही प्राप्त रहा। इस प्रकार भुगतान पूर्णतः फर्जी है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती गुड़िया सिंह व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अतुल शंकर से अपेक्षित है।	9500.00																				
4	प्रस्तर-4	श्री अनिल के घर से बूंदी के घर तक इन्टरलॉकिंग कार्य हेतु 340×11 कुल 3744 स्क्वायर फीट में निम्न विवरण के अनुसार व्यय कोषबही में दर्शित है— <table> <tr> <th>क्र0</th><th>प्र0/दिनांक</th><th>धनराशि</th><th>विवरण</th></tr> <tr> <td>1</td><td>23 / 28.10.14</td><td>28780.00</td><td>मजदूरी</td></tr> </table>	क्र0	प्र0/दिनांक	धनराशि	विवरण	1	23 / 28.10.14	28780.00	मजदूरी	443100.00												
क्र0	प्र0/दिनांक	धनराशि	विवरण																				
1	23 / 28.10.14	28780.00	मजदूरी																				

2	25 / 11.11.14	23380.00	मजदूरी
3	26 / 11.11.14	92250.00	ईंट क्रय
4	27 / 11.11.14	92250.00	ईंट क्रय
5	28 / 15.11.14	5250.00	सीमेण्ट
6	29 / 19.11.14	11486.00	ईंट क्रय
7	30 / 19.11.14	92250.00	ईंट क्रय
8	31 / 19.11.14	52500.00	मिट्टी ढुलवाई
9	32 / 19.11.14	11486.00	मजदूरी
10	33 / 21.11.14	92250.00	ईंट क्रय
11	34 / 21.11.14	51250.00	ईंट क्रय
12	35 / 22.11.14	48000.00	बालू क्रय
13	37 / 13.01.15	95200.00	ईंट क्रय
14	38 / 19.01.15	81600.00	ईंट क्रय
15	39 / 22.01.15	31090.00	मजदूरी
16	41 / 16.02.15	29904.00	मजदूरी
17	42 / 19.02.15	30600.00	ईंट क्रय
18	43 / 23.02.15	22350.00	मजदूरी
19	44 / 26.02.15	22500.00	सीमेण्ट
20	47 / 02.03.15	14000.00	बालू
21	48 / 13.03.15	17980.00	मजदूरी
22	49 / 10.03.15	17950.00	मजदूरी
		1004000.00	

उक्त क्रम में निम्न आपत्तियां हैं –

1. उक्त कार्य हेतु अनुमानित व्यय का विवरण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा तैयार नहीं कराया गया है।
2. इन्टरलाकिंग का कार्य 3740 वर्ग फीट में कराया गया है। प्रति वर्ग फीट में 6 ईंट की दर से कुल 22440 ईंट प्रयुक्त होने चाहिए जबकि 48000 ईंट प्रयुक्त दर्शाया गया है। इस प्रकार 25560 ईंटें अधिक प्रयुक्त दर्शाकर रु0 383400.00 का अपहरण किया गया है।
3. इन्टरलॉकिंग हेतु सीमेण्ट/बालू मजदूरी आदि पर कुल खर्च 60 वर्गफीट होता है। इस प्रकार उक्त मद में कुल रु0 224400.00 होना चाहिए जबकि रु0 284100.00 व्यय किया गया दर्शित है। इस प्रकार रु0 59700.00 अधिक दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है।
4. कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं रहा।
उपरोक्तानुसार इन्टरलाकिंग कार्य हेतु अधिक ईंट एवं उसे

		लगाने वाले अन्य खर्चे एवं मजदूरी पर अधिक व्यय क्रमशः 383400+59700 कुल रु0 443100.00 का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली क्षतिपूर्ति ग्राम प्रधान श्रीमती गुड़िया सिंह व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अतुल शंकर से अपेक्षित है।																													
5	प्रस्तर-5	बसन्त के घर से प्रा0पा0 तक पक्की नाली 150 मी0 हेतु निम्न विवरण के अनुसार व्यय कोषबही में दर्शित है- <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र0</th><th>दिनांक</th><th>धनराशि</th><th>विवरण</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>50 / 16.03.15</td><td>70000.00</td><td>सीमेन्ट बालू क्रय</td></tr> <tr> <td>2</td><td>51 / 16.03.15</td><td>70000.00</td><td>ईट क्रय</td></tr> <tr> <td>3</td><td>52 / 19.03.15</td><td>17980.00</td><td>मजदूरी</td></tr> <tr> <td>4</td><td>53 / 23.03.15</td><td>17980.00</td><td>मजदूरी</td></tr> <tr> <td>5</td><td>54 / 24.03.15</td><td>70000.00</td><td>सीमेन्ट बालू सरिया</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>245960.00</td><td></td></tr> </tbody> </table> उक्त क्रय में निम्न आपत्तियां हैं - 1. नाली निर्माण हेतु अनुमानित व्यय का विवरण पत्र नहीं बनाया गया है। किसी सक्षम अधिकारी द्वारा विवरण पत्र बनवाया जाना अपेक्षित था। 2. नाली निर्माण हेतु एक बोरी सीमेन्ट में 300 ईट की जोड़ाई हो सकती है। इस प्रकार 10000 ईट हेतु 34 बोरी सीमेन्ट पर्याप्त है जिसकी कीमत रु0 10200.00 हुआ। 3. 1 अनुपात 5 के अनुपात में सीमेन्ट बालू का प्रयोग करने पर 34 बोरी सीमेन्ट हेतु 350 फीट बालू पर्याप्त है जिसकी कीमत रु0 10500.00 होता है। इस प्रकार सीमेन्ट बालू तथा मजदूरी पर कुल व्यय रु0 56660.00 तथा ईट का मूल्य रु0 70000.00 को मिलाकर कुल व्यय रु0 126660.00 होना चाहिए जबकि व्यय रु0 245960.00 दर्शाया गया है। इस प्रकार रु0 119300.00 का अधिक/अनियमित व्यय दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली क्षतिपूर्ति ग्राम प्रधान श्रीमती गुड़िया सिंह व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अतुल शंकर से अपेक्षित है।	क्र0	दिनांक	धनराशि	विवरण	1	50 / 16.03.15	70000.00	सीमेन्ट बालू क्रय	2	51 / 16.03.15	70000.00	ईट क्रय	3	52 / 19.03.15	17980.00	मजदूरी	4	53 / 23.03.15	17980.00	मजदूरी	5	54 / 24.03.15	70000.00	सीमेन्ट बालू सरिया			245960.00		119300.00
क्र0	दिनांक	धनराशि	विवरण																												
1	50 / 16.03.15	70000.00	सीमेन्ट बालू क्रय																												
2	51 / 16.03.15	70000.00	ईट क्रय																												
3	52 / 19.03.15	17980.00	मजदूरी																												
4	53 / 23.03.15	17980.00	मजदूरी																												
5	54 / 24.03.15	70000.00	सीमेन्ट बालू सरिया																												
		245960.00																													

जनपद—प्रतापगढ़

मण्डल—प्रयागराज

प्रस्तर—1 ग्राम पंचायत नरिया

वि०ख० सदर

वर्ष 13-14 में व्यय रू० 228541 की पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उक्त व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान प्रधान जयन्त कुमार पाल व ग्रा० पं० अधि० सुरेन्द्र बहादुर सिंह से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर—2 ग्राम पंचायत—परसामऊ

विकास खण्ड—गौरा

अधिकार, अपहरण, दुरुपयोग, गंभीर आपत्तियाँ—2014-15 में रू० 467410.00 का क्रय किया गया। इस व्यय की पुष्टि में ग्रा० वि० अधि० श्री राम बहादुर सिंह से बार-बार कहने के बावजूद भी कोई व्यय प्रमाणक कार्यवाही रजिस्टर कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक ले० प० में प्रस्तुत नहीं की गई। अतः लेखा परीक्षक स्तर से उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। रू० 467410.00 को पूर्णतः अपहरण माना जाय। इस धनराशि की वसूली प्रधान श्री राम कुमार और ग्रा० वि० अधि० श्री राम बहादुर सिंह से की जानी अपेक्षित है इसके साथ सहयोग न करने के कारण इन पर उचित कार्यवाही अपेक्षित है। कार्यवाही रजिस्टर कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक ले० प० में प्रस्तुत नहीं की गई। अतः लेखा परीक्षक स्तर से उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। रू० 467410.00 को पूर्णतः अपहरण माना जाय। इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री राम कुमार और ग्रा० वि० अधि० श्री राम बहादुर सिंह से की जानी अपेक्षित है। इसके साथ सहयोग न करने के कारण इन पर उचित कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर—3 ग्राम पंचायत सुरूआमिश्रपुर

विकास खण्ड—गौरा

अधिभार/अपहरण/दुरुपयोग/गंभीर आपत्तियाँ— वर्ष 2014-15 में रू० 1202958.00 का व्यय किया गया। इस व्यय की पुष्टि में ग्रा० वि० अ० श्री राम विलास निग से बार-बार कहने के बावजूद भी कोई व्यय प्रमाणक कार्यवाही रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, बैंक पास बुक, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। अतः लेखा परीक्षक स्तर से उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकती। रू० 1202958.00 को पूर्णतः अपहरण माना जा सकता है। इस धनराशि की वसूली प्रधान श्री सुरेश चन्द्र सरोज और ग्रा० वि० अधि० श्री राम विलास सयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूली की जाना अपेक्षित है। इसके साथ उचित सहयोग न करने के कारण इन पर उचित कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर—4 ग्राम पंचायत—पनियारी

विकास खण्ड—गौरा

दिनांक 11.04.2014 को ग्राम पंचायत पनियारी के लेखा परीक्षा में रू० 29971.00 का ईट क्रय किया जाना दर्शित है। व्यय प्रमाणक के अभाव में यह स्पष्ट नहीं है कि खरीदे गए ईट किस स्थान पर प्रयुक्त किए गए एवं किस दर से कितने नग क्रय किये गए, स्पष्ट नहीं हो सका। अतः दर्शित व्यय फर्जी है। स्टॉक रजिस्टर में भी इसका विवरण अंकित नहीं किया। अतः शासन द्वारा दिए गये धन जो कि विकास कार्य हेतु है, का अपहरण है। अतः प्रधान की शिव नरेश पटेल एवं सचिव श्रीमती रूबी साहू से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-5 ग्राम पंचायत-पनियारी**विकास खण्ड-गौरा**

दिनांक 29.04.2014 को क्रय 24 बैग सीमेंट दर 300/- से रु 7200/- में क्रय किया जाना दर्शित किया गया है, जो नाली मरम्मत पर व्यय किया गया है, लेकिन नाली का निर्माण किस स्थल पर हुआ है स्पष्ट नहीं है। इसका व्यय प्रमाणक भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः दर्शित विवरण फर्जी है। अतः विभागीय नियमानुसार सम्बन्धित प्रधान एवं सचिव से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-6 ग्राम पंचायत-पनियारी**विकास खण्ड-गौरा**

दिनांक-11.09.2014 को 2000 नग ईट रु0 13000/- का क्रय किया जाना दर्शित हैं लेकिन यह ईट किस प्रयोजन हेतु क्रय किया गया है स्पष्ट नहीं है। व्यय प्रमाणक भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है इसके अलावा स्टॉक रजिस्टर पंजी में भी सम्बन्धित विवरण दर्ज नहीं है। अतः स्पष्ट है कि दर्शित व्यय संदिग्ध एवं फर्जी है। और धन का अपहरण किया गया है अतः विभागीय नियमानुसार सम्बन्धित प्रधान एवं सचिव से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-7- ग्राम पंचायत-सराय सुजान**विकास खण्ड-मान्धता**

दिनांक 21.04.2014 को रु0 49500/- व्यय रामदेव के घर से पक्की सड़क पर खड़े जा निर्माण एवं व्यय किया जाना दर्शित है। जो 9000 नग ईट दर रु 5500/- प्रति हजार से क्रय किया जाना कोषबही में अंकित है लेकिन इसका व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया इससे स्पष्ट है कि अंकित विवरण सत्य नहीं है एवं फर्जी रूप से अंकित किया गया है। अतः दर्शित विवरण की सत्यता प्रमाणित नहीं होती है। और धन का दुरुपयोग किया गया है। अतः सम्बन्धित प्रधान एवं सम्बन्धित सचिव वि० अधि० से विभागीय नियमानुसार ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-8 ग्राम पंचायत-सराय सुजान**विकास खण्ड-मान्धता**

01.10.2014 को पंचायत में सफाई किट पर रु0 13000/- खर्च का अंकन कोषबही में किया गया है। जो जयश्री ट्रेडर्स से खरीदा जाना दर्शित है। लेकिन इसका व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। स्टॉक रजिस्टर में की इसका अंकन नहीं किया गया है। अतः किट क्रय किया जाना फर्जी है और धन का सीधे अपहरण है। अतः सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्रा० वि० अधिकारी से विभागीय नियमानुसार ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-9- ग्राम पंचायत-नूरपुर**विकास खण्ड-मान्धता**

दिनांक 22.08.2014 को रु0 39000/- का व्यय ट्यूबवेल से राम लाल के घर तक खड़जा निर्माण हेतु दर्शित है जो कि 70 मी० गुणे 2.5 मीटर प्रथम श्रेणी ईट क्रय दर रु0 6500 गुणे 6000 रु0 क्रय किया जाना कोषबही में अंकित है किन्तु इसका व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः अंकित विवरण की सत्यता प्रमाणित नहीं होती है। एवं फर्जी रूप से अंकित कर धन का दुरुपयोग किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि प्रधान श्रीमती सरला एवं सचि० श्री नरेश यादव द्वारा सम्बन्धित धनराशि सीधे अपहृत कर दी गयी है। अतः नियमानुसार धन की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-10- ग्राम पंचायत-नूरपुर**विकास खण्ड-मान्धता**

दिनांक 21.10.2014 को ग्राम पंचायत के खाता प्रथम बैंक ऑफ बड़ौदा के खाता संख्या-35610100001363 शाखा कटरा गुलाब सिंह से रु0 100800.00 आहरित किया गया है। आहरित

धनराशि के व्यय से सम्बन्धित कोई विवरण परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही कार्यवाही रजिस्टर उक्त व्यय की दृष्टि में प्रस्तुत किया गया। व्यय प्रमाण को अप्राप्त होने के कारण सम्पूर्ण धनराशि गबन की श्रेणी में है। उक्त धन की ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित प्रधान एवं सचिव से अपेक्षित है।

प्रस्तर-11- ग्राम पंचायत-नूरपुर

विकास खण्ड-मान्धता

दिनांक 16.01.2015 को व्यय रू0 35000/- पक्की सड़क से अवधेश सिंह के घर तक खडंजा निर्माण कार्य 5000 नग ईंट गुणा 7000 रू0 की दर से 60 मी0 गुणा 2.5 मी0 की सड़क का निर्माण कोषबही में दर्शित है। किन्तु इसका कोई व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः सम्बन्धित कार्य फर्जी है इसकी सत्यता प्रमाणित नहीं होती। सम्बन्धित प्रधान एवं सचिव से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-12- ग्राम पंचायत-काशीपुर डुबकी

विकास खण्ड-विहार

ग्राम पंचायत काशीपुर डुबकी के वर्ष 2014-15 के तेरहवे वित्त आयोग एवं राज्यवित्त आयोग की धनराशि बैंक आफ बड़ौदा के खाता नं0 08960100018041 से निम्नलिखित तिथियों में धनराशि निकाली गयी है।

दिनांक	धनराशि
5.04.2014	20000
11.4.14	25900
19.04.14	21000
23.04.2014	8400
24.04.14	20792
03.05.14	40000
12.5.14	69070
20.05.14	92780
21.05.14	66370
31.05.14	48480
31.5.14	13500
16.6.14	20000
4.7.14	27500.00
12.7.14	26600.00
12.7.14	23868.00

14.7.14	32000.00
21.7.14	20000.00
20.8.14	16300.00
20.8.14	9300.00
29.8.14	4200
2.9.14	20000.00
4.9.14	32775.00
5.9.14	24150.00
6.9.14	5250.00
20.9.14	7526.00
22.9.14	142202.00
18.10.14	84.00
21.10.14	16068.00
22.10.14	36850.00
27.1.15	39144.00
28.1.15	7600.00
11.2.15	26000.00
18.2.15	39000.00
19.2.15	29000.00
19.2.15	10920.00
14.3.15	26000.00
19.3.15	19500.00
योग—	1085129.00

उपरोक्त धनराशि जो वर्ष 2014–15 में निकाली गयी है की पुष्टि हेतु कोई भी व्यय प्रमाणक किसी भी तिथि का लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया पुनः ग्राम विकास अधिकारी सेस उक्त धनराशि मांगा गया लेकिन प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण उपरोक्त व्यय की पुष्टि व्यय प्रमाणकों के अभाव में नहीं हो अपहरण कर ली गयी प्रतीत होती है। अतः बिना व्यय की पुष्टि के व्यय की गयी धनराशि 1085129 की वसूली

प्रधान श्रीमती पुष्पा देवी एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री सन्तोष कुमार पाण्डेय एवं राम नारायण पाण्डेय से उनके द्वारा आहरण की गयी धनराशि की ब्याज सहित वसूली प्रधान एवं ग्राम विकास अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी चाहिये।

प्रस्तर-13- ग्राम पंचायत-समसपुर दामू

विकास खण्ड-विहार

तेरहवें वित्त आयोग एवं राजकीय आयोग की धनराशि ग्राम निधि खाता प्रथम के खाता नं० 20870100009268 से निम्नलिखित तिथियों में धनराशि निकाली गयी है।

दिनांक	धनराशि
8.4.13	-----
11.4.13	84.00
2.5.13	45000.00
3.5.13	80000.00
3.5.13	70000.00
3.5.13	50000.00
3.5.13	100000.00
4.5.13	50000.00
4.5.13	50000.00
6.5.13	30000.00
6.5.13	45000.00
18.5.13	8000.00
18.5.13	42300.00
20.5.13	10000.00
31.5.13	35000.00
11.6.13	15000.00
30.9.13	56.00
30.9.13	225.00
30.9.13	140
1.10.13	31500.00
1.10.13	20000.00
4.10.13	20000.00
5.10.13	65000.00
28.10.13	10000.00
28.10.13	20000.00
28.10.13	20000.00
29.10.13	5000.00

29.10.13	7000.00
21.11.13	10000.00
7.12.13	10000.00
24.12.13	30000.00
24.12.13	33000.00
24.12.13	26000.00
17.1.14	5000.00
17.1.14	25000.00
27.1.14	8000.00
17.2.14	24000.00
21.2.14	16000.00
22.2.14	21000.00
4.3.14	15000.00
4.3.14	15000.00
14.3.14	20000.00
18.3.14	10000.00
19.3.14	30000.00
20.3.14	59890.00
	योग—1187195.00

उपरोक्त धनराशि जो वर्ष 2013-14 में निकाली गयी है जो उपर्युक्त तिथियों में निकाली गयी है उक्त धनराशि की पुष्टि हेतु कोई भी व्यय प्रमाणक किसी भी तिथि का लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किया गया बिना व्यय प्रमाणक के आहरण की गयी धनराशि अपहरण कर ली गयी प्रतीत होती है। अतः कुल रु0 1187195.00 की प्रधान श्रीमती कमला देवी एवं ग्राम वि अधि० श्री राजकुमार मिश्र से सयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूली की जानी आपेक्षित है।

प्रस्तर-14- ग्राम पंचायत-समसपुर दामू

विकास खण्ड-विहार

वर्ष 2014-15 के राज्य वित्त आयोग एवं तेरहवे वित्त आयोग की धनराशि जो ग्राम पंचायत के विकास हेतु जमा की गयी थी उसमें से निम्नलिखित तिथियों में धनराशि की निकासी की गयी है। जो निम्नवत है।

दिनांक	धनराशि
2.4.14	16000
9.4.14	40000.00

10.4.14	82500.00
15.4.14	45000.00
15.4.14	25000.00
15.4.14	10000.00
21.4.14	25000.00
24.4.14	40000.00
1.5.14	20000.00
1.5.14	10000.00
3.5.14	30000.00
23.5.14	25000.00
1.11.14	25000.00
25.11.14	47500.00
26.11.14	53500.00
4.12.14	39900.00
16.2.15	15000.00
16.2.15	45920.00
18.2.15	10000.00
28.2.15	4000.00
25.8.15	30000.00
योग	639320.00

वर्ष 2014-15 में सम्पूर्ण वर्ष में निकाली गयी धनराशि 639320.00 जो उपर्युक्त दर्शित निम्न तिथियों में आहरित की गयी है। के सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से उल्लेख करना है कि किसी भी धनराशि का व्यय प्रमाणक बाउचर लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किया गया बिना व्यय प्रमाणक के निकासी की गयी धनराशि अपुष्ट रही अतः बिना पुष्टि के आहरित की गयी धनराशि अपहरण कर ली गयी प्रतीत होती है। अतः इसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान श्रीमती कमला देवी प्रधान से एवं श्री राजकुमार मिश्र ग्राम वि० अधि० से संयुक्त रूप से बराबर-बराबर की जानी चाहिए।

प्रस्तर-15- ग्राम पंचायत-खटवारा**विकास खण्ड-विहार**

ग्राम पंचायत खटवारा के वर्ष 2013-14 के तेरहवें वित्त आयोग एवं राज्यवित्त आयोग की धनराशि को इलाहाबाद बैंक के शाखा डेरवा के खाता नं० 59001215827 से निम्नलिखित तिथियों में धनराशि निकाली गयी है।

दिनांक	धनराशि
18.4.13	83000.00
29.4.13	15000.00
6.6.13	18000.00
6.6.13	4500.00
24.6.13	22500.00
1.8.13	28200.00
14.8.13	15000.00
23.8.13	45000.00
4.9.13	31800.00
7.9.13	42400.00
9.9.13	7500.00
10.9.13	31800.00
11.9.13	24700.00
23.9.13	31800.00
29.11.13	21200.00
29.11.13	42400.00
29.11.13	36600.00
29.11.13	24425.00
5.1.14	53000.00
24.2.14	96000.00
24.2.14	53000.00
26.2.14	35.00

26.2.14	55000.00
28.2.14	32000.00
3.3.14	27000.00
5.3.14	55000.00
8.3.14	19880.00
योग	916740.00

उपरोक्त धनराशि जो वर्ष 2013-14 में निकाली गई है 916740.00 जो उपर्युक्त तिथियों में निकाली गई है। की पुष्टि हेतु कोई भी व्यय प्रमाणक किसी भी धनराशि लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किया गया। पुनः ग्राम विकास अधिकारी से उक्त धनराशि से सम्बन्धित बाउचर मागा गया लेकिन बाउचर देने में टाल मटोल किया गया। और अन्त तक नहीं दीया। जिसके कारण उपरोक्त व्ययों की पुष्टि व्यय प्रमाण के अभाव में नहीं हो सकी अतः बिना व्यय की पुष्टि के व्यय की गयी धनराशि अपहरण कर ली गयी प्रतीत होती है। अतः कुल रु० 916740.00 की प्रधान श्री दूधनाथ एवं ग्राम वि० अधि० श्री राजकुमार मिश्र से ब्याज सहित वसूली की जानी चाहिये।

प्रस्तर-16- ग्राम पंचायत-खटवारा

विकास खण्ड-विहार

वर्ष 2014-15 के राज्य वित्त आयोग एवं तेरहवे वित्त आयोग की धनराशि जो ग्राम पंचायत के विकास हेतु इलाहाबाद बैंक शाखा डेरवा के खाता नं० 59001215827 से निम्न लिखित तिथियों में धनराशि की निकासी की गयी है। जो निम्नवत है।

दिनांक	धनराशि
4.4.14	106000.00
4.4.14	24084.00
7.4.14	31800.00
10.4.14	14626.00
21.4.14	19800.00
22.4.14	53000.00
23.4.14	53000.00
25.4.14	28400.00
28.4.14	28400.00

31.5.14	14200.00
13.6.14	53000.00
20.6.14	10000.00
21.10.14	30262.00
21.10.14	4950.00
21.10.14	11076.00
27.10.14	84000.00
27.10.14	64000.00
27.10.14	6438.00
1.11.14	17500.00
20.1.15	48000.00
21.1.15	21905.00
29.1.15	28000.00
25.3.15	15000.00
25.3.15	65000.00
योग	832441.00

वर्ष 2014-15 में सम्पूर्ण वर्ष में निकाली गयी धनराशि 832441.00 जो उपर्युक्त दर्शित निम्न तिथियों के मे आहरित की गयी है। के सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से उल्लेख करना है कि किसी भी धनराशि व्यय प्रमाणक बाउचर लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किया। बिना व्यय प्रमाणक बाउचर के निकासी की धनराशि अपुष्ट रही अतः बिना पुष्टि के आहरित गयी धनराशि अपहरण कर ली गयी प्रतीत होती है। अतः इसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री दूधनाथ एवं ग्राम वि० अधि० श्री राज कुमार मिश्र से की जानी आपेक्षित है।

प्रस्तर-17- ग्राम पंचायत-महराजपुर

विकास खण्ड-विहार

आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि खाता प्रथम इलाहाबाद बैंक शाखा डेरवा बाजार के खाता सं० 59001437500 से एवं जिला सहकारी बैंक शाखा सुन्दर गंज के खाता सं० 1279 से निम्न अनुसार वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में धनराशि आहरित की गयी है। वर्ष 2013-14 में आहरित धनराशि के- इलाहाबाद बैंक शाखा- डेरवा बाजार

18.4.13	20000.00
22.4.13	40000.00
17.07.13	34000.00
18.7.13	10000.00
1.8.13	15000.00
23.8.13	20000.00
24.8.13	49900.00
27.9.13	15000.00
7.10.13	70000.00
18.10.13	19880.00
5.12.13	20000.00
13.12.13	45000.00
26.12.13	10000.00
6.1.14	25000.00
12.2.14	5000.00
26.2.14	20000.00
20.03.14	49500.00

जिला सहकारी बैंक शाखा सुन्दर गंज से आहरित

4.6.13	56400.00
11.6.13	10000.00
8.7.13	7000.00
योग	491680.00

वर्ष 2014-15 में आहरित धनराशि

3.4.14	30000.00
21.4.14	10000.00
	49500
	49720.00
	49980.00
9.6.14	49000.00
	50000.00
23.6.14	49500.00
3.7.14	25000.00
11.7.14	15980.00
	4000.00
14.7.14	10000.00
24.11.14	25000.00
28.11.14	30000.00
	39000.00
15.12.14	10000.00
	4000.00
	25000.00
12.1.15	30000.00
	20000.00
12.2.15	15000.00
27.3.15	44850.00
योग	635530.00

उपरोक्त आहरित धनराशि के व्यय की पुष्टि हेतु कोषबही रूप पत्र-6 एवं व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किया गया। अतः बिना व्यय की पुष्टि के व्यय की गयी धनराशि अपहरण की गयी प्रतीत होती है। अतः वर्ष 2013-14 में आहरित रू0 491680.00 एवं वर्ष 2014-15 में आहरित रू0 635530.00 इस प्रकार कुल आहरित धनराशि रू0 1127210.00 ग्रा0 पं0 वि0 अधि श्री राजकुमार मिश्र एवं प्रधान श्रीमती केतकी से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। ग्राम निधि प्रथम के सम्बन्ध में अन्य आपत्तियां-रूप पत्र 14 एवं 15 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण पंचायत कर की स्थिति अज्ञात रही।

प्रस्तर-18- ग्राम पंचायत-पुंवासी

विकास खण्ड-विहार

कराये गये कार्यों की कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारियों से हस्ताक्षरित कराके नहीं प्रस्तुत किया गया, जो कि आपत्तिजनक रहा।

अधिभार हेतु विचारणीय आपत्ति

1. आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि खाता प्रथम इलाहाबाद बैंक शाखा डेरवा के खाता सं0 50048611208 से निम्न विवरणानुसार धनराशि आहरित किया गया है-

9.4.14	21000.00
23.4.14	55000.00
28.4.14	9200.00
योग	85200.00
5.5.14	53000.00
12.5.14	90000.00
4.6.14	64600.00
7.6.14	13446.00
16.6.14	90000.00
25.6.14	90000.00
1.7.14	90000.00
2.7.14	20500.00
	15000.00
17.7.14	135450.00
	17472.00
12.7.14	3000.00
31.7.14	30000.00
27.8.14	12000.00
	9610.00
16.9.14	15750.00
27.9.14	60000.00
17.10.14	60000.00
29.10.14	15000.00
13.11.14	12950.00
31.12.14	45500.00
6.1.15	3625.00

16.1.15	25700.00
22.1.15	18200.00
6.2.15	39000.00
योग	1115003.00

उपरोक्तनुसार आहरित धनराशि के व्यय की पुष्टि हेतु कोषबही रूप पत्र-6 एवं व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किया गया। अतः कोषबही एवं व्यय प्रमाणक न प्राप्त होने के कारण व्यय अपुष्ट रहा। अतः बिना व्यय की पुष्टि के व्यय की गयी धनराशि अपहरण की गयी प्रतीत होती है। अतः रू0 1115003.00 ग्रा0 पं0 वि0 अ0 श्री राम नारायण पाण्डेय एवं प्रधान श्री दिनेश कुमार के प्रति आवश्यक कार्यवाही के पश्चात ब्याज सहित वसूली की जानी चाहिए।

ग्राम निधि प्रथम के सम्बन्ध में अन्य आपत्तियाँ—रूप पत्र 14 एवं 15 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण पंचायत कर की स्थिति अज्ञात रही।

प्रस्तर-19— ग्राम पंचायत—राजापुर

विकास खण्ड—बाबागंज

दिनांक 12.01.2015 को कोषवही से “नाली निर्माण हेतु भुगतान” दर्शाकर रू0 71750.00 खारिज किया गया है जिसके सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। उल्लेखनीय है कि कोषवही में व्यय का विवरण यथा सामग्री क्रय, मजदूरी, स्थान आदि अंकित नहीं किया गया है। स्पष्ट है कि अवास्तविक व्यय दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है जिसे प्रधान श्री दिलीप चौरसिया एवं ग्रा0पं0अ0 श्री विवेक कौलिक से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-20— ग्राम पंचायत—राजापुर

विकास खण्ड—बाबागंज

दिनांक 29.09.2014 को कोषवही में पन्ना लाल के कूप मरम्मत पर रू0 79008 निम्नवत व्यय दर्शाया गया है—

ईट 6430 नग दर 6500	रू0 = 41795.00
गिट्टी 2.5 X 800	रू0 = 2000.00
सीमेण्ट 38 X 320	रू0 = 12160.00
बालू 5.59 X 1250	रू0 = 6987.00
इंगल 33.60 X 65	रू0 = 2184.00
मजदूरी	रू0 = 13882.00
	रू0 = 37213.00
	योग = 72008.00

आदि का भुगतान त्रिपाठी सीमेन्ट एजेन्सी को किया गया।

1. उपरोक्त का योग रू0 79008.00 आता है।
2. उपरोक्त के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहा।
3. मजदूरी का भुगतान त्रिपाठी सीमेन्ट एजेन्सी को दिया गया दर्शित है।
4. सम्पूर्ण व्यय एक ही तिथि में दर्शाया गया है।
5. उक्त कार्य का प्रस्ताव व स्वीकृति उपलब्ध नहीं कराई गयी।

उक्त तथ्यों के प्रकाश में स्पष्ट है कि काल्पनिक कूप मरम्मत दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है जिसे प्रधान श्री दिलीप चौरसिया एवं ग्रा0पं0अ0 श्री विवेक कौलिक से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-21- ग्राम पंचायत-बहोरिकपुर**विकास खण्ड-बाबागंज**

ह्यूम पाइप क्रय किया गया, कोषवही में दर्शित है।-

उक्त क्रयों के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया।

क्र० सं०	दिनांक	विवरण	धनराशि
1	06.06.14	ह्यूम पाइप क्रय हेतु भुगतान आनन्द कुमार पाण्डेय	22100.00
2	22.09.14	ह्यूम पाइप क्रय हेतु भुगतान	30200.00
3	04.10.14	ह्यूम पाइप क्रय	19500.00
4	05.02.15	आहरण ह्यूम पाइप हेतु चेक से	49800.00
5	26.3.15	ह्यूम पाइप का अवशेष भुगतान	29250.00
		योग रू०	150850.00

उक्त क्रयों के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया।

- वर्ष पर्यन्त ह्यूम पाइप का किसी स्थान पर उपभोग नहीं दर्शाया गया।
- दिनांक 31 मार्च 2015 को उक्त ह्यूम पाइप स्टॉक अवशेष में नहीं दर्शाया गया है

उक्त तथ्यों के प्रकाश में स्पष्ट है कि ह्यूम पाइप क्रय का काल्पनिक व्यय दर्शाकर रू 150850.00 का अपहरण किया गया है जिसे प्रधान श्रीमती पुरवहिन व ग्रा०पं०अ० श्री विवेक कौलिक से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-22- ग्राम पंचायत-बदगवां**विकास खण्ड-बाबागंज**

दिनांक 05.01.15 व दिनांक 19.1.15 को हैण्डपम्प मरम्मत पर क्रमशः रू० 10000.00 व रू० 19000.00 व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रही। कराये गये हैण्ड पम्पों की मरम्मत के सम्बन्ध में सूची भी उपलब्ध नहीं रही। उल्लेखनीय है कि हैण्डपम्पों की मरम्मत में निकले पार्ट्स की बिक्री से कोई धनराशि कोषवही में नहीं ली गयी है। स्पष्ट है कि काल्पनिक व्यय दर्शाकर रू० 29000.00 का अपहरण किया गया है जिसे प्रधान रमेश तिवारी व ग्रा० पं० अ० विवेक कौलिक से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-23- ग्राम पंचायत-बदगवां**विकास खण्ड-बाबागंज**

दिनांक 12.1.2015 को ह्यूम पाइप क्रय पर रू० 33000.00 व्यय दर्शित है। जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहा। क्रय दर्शित ह्यूम पाइप का न तो वर्ष पर्यन्त उपभोग दर्शाया गया है। और न ही वर्षान्त में स्टॉक अवशेष। स्पष्ट है कि काल्पनिक ह्यूम पाइप क्रय दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है जिसे प्रधान रमेश तिवारी व ग्रा० पं० अ० कौलिक से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-24-ग्राम पंचायत-बदगवां**विकास खण्ड-बाबागंज**

माह जनवरी 2015 का प्रारम्भिक अवशेष रू० 11449.32 था। माह जनवरी में कोई आय नहीं दर्शायी गयी फिर भी रू० 77750.00 का व्यय दर्शाया गया और रू० 1348.92 अवशेष दर्शाया गया। खाते की पासबुक भी मांग करने पर उपलब्ध नहीं कराई गयी। उपरोक्त से स्पष्ट है कि 67649.00 का अनियमित भुगतान किया

गया है जिसके सम्बन्ध में जांचोपरान्त आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। और रु0 1348.92 अवशेष दर्शाया गया। खाते की पासबुक भी मांग करने पर उपलब्ध नहीं कराई गयी। उपरोक्त से स्पष्ट है कि 67649.00 का अनियमित भुगतान किया गया है जिसके सम्बन्ध में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-25- ग्राम पंचायत-बड़गो

विकास खण्ड-कालाकांकर

दिनांक 26.03.2015 को अवशेष पाइप क्रय पर रु0 26400.00 कूप मरम्मत जगत पाल मौर्या के दरवाजे पर हेतु मोरंग क्रय पर रु0 12000.00 सीमेन्ट क्रय पर रु0 12160.00 इंगल क्रय पर रु0 2275.00 गड़ारी क्रय पर रु0 500.00 तथा दिनांक 27.03.2015 को ईट क्रय पर रु0 37504.00 व्यय दर्शित है। जिसके सम्बन्ध में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहा और न ही दि0 31.03.2015 तक उपभोग किया गया। उल्लेखनीय है कि स्टाक रजिस्टर तैयार कर न तो स्टाक अवशेष दर्शाया गया है और न ही मौके पर उपलब्ध है। स्पष्ट होता है कि काल्पनिक स्टाक क्रय दर्शाकर ग्राम पंचायत के रु0 90839.00 का अपहरण किया गया है जिसे प्रधान निशा देवी व ग्रा0 पं0 अ0 राम आधार से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-26- ग्राम पंचायत-दादूपूरन सिंह

विकास खण्ड-सण्डवा चण्डिका

1. क्रम पंचायत की ऑडिट में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में राज्य वित्त/तेरहवां वित्त व अन्य योजनान्तर्गत निम्न विहीन व्यय दर्शित किया गया है।

वित्तीय वर्ष	कुल व्यय दर्शित धनराशि रु0	अन्य विवरण
2014-15	584000.00	ग्राम निधि प्रथम की धनराशि

उपर्युक्त विवरण में दर्शित धनराशि के व्यय से सम्बन्धित कोई व्यय प्रमाणक एवं रसीदे तथा कार्य से सम्बन्धित कार्य पत्रावलियों ऑडिट की गयी जबकि इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री इन्द्र प्रताप सिंह को कई बार ऑडिट का लगाये जाने के साथ-साथ विभिन्न तिथियों में पत्राचार किया गया। जिला पंचायत राज अधिकारी प्रतापगढ़ से भी पत्राचार किया इसके बावजूद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा व्यय प्रमाणक एवं बाउचर्स उपलब्ध नहीं कराये गये। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी यही बताया जाता रहा कि अभी कैश बुक नहीं बनी है और व्यय से सम्बन्धित बाउचर भी प्राप्त नहीं किये गये हैं। वह स्थिति ग्राम पंचायत में किये जा रहे भारी अनियमितता का द्योतक है। खण्ड विकास अधिकारी, सहायक कार्यक्रम अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी अर्थात् तीन-तीन नियंत्रणकर्ता अधिकारी होते हुए भी ग्राम पंचायतों की धनराशियों नियम विरुद्ध बिना बाउचर प्राप्त किये ... कर अनियमित ढंग से क्रय दर्शित कर ली जा रही है। ऑडिट आवटन वर्ष 2015-16 के अंत तक ऑडिट में अभिलेख प्रस्तुत नहीं जबकि प्राप्त कैश बुक की कैश बुक में आडिट क्रय की पुष्टि में कार्य पत्रावलियों तथा अन्य आवश्यक व्यय प्रमाणक साथ - साथ विभागीय अधिकारी भी यथा खण्ड विकास अधिकारी तथा सहायक विकास अधिकारी पंचायत, जो ग्राम पंचायत की ऑडिट के माडल अधिकारी भी है आदि ने कई पत्रों के पश्चात भी अभिलेख उपलब्ध करवाने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की जबकि अभिलेख उपलब्ध न कराने वाले कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्रमुख सचिव महोदय आयुक्त ग्राम विकास लखनऊ एवं निदेशक पंचायत राज द्वारा बार-बार निर्देशित किया गया है जिसका बार-बार उल्लेख पत्राचारों में किया गया है। एवं शासनादेशों की प्रतियाँ भी उपलब्ध करायी गयी है। अतः स्पष्ट है कि वर्ष में दर्शित कुल व्यय रु0 584000 अनियमित एवं प्रमाणक विहीन व्यय किया गया है जो कि पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड (8 क व 8 ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण एवं अधिभार के योग्य है। अतः आपत्ति में अंकित ग्राम निधि प्रथम

से सम्बन्धित कुल धनराशि रु0 584000/- में से श्री इन्द्र प्रताप सिंह ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से रु0 292000/- तथा श्री जय प्रकाश प्रधान से रु0 292000/- की ब्याज सहित वसूली के लिये अपेक्षित किया जाता है।

प्रस्तर-27- ग्राम पंचायत-घरौरा

विकास खण्ड-लक्ष्मणपुर

दिनांक 24.2.15 को ग्रा0 वि0 ख0 मनोज श्रीवास्तव के नाम रु0 16000 का आहरण है। इस सच का न तो कैंशबुक में अंकन है और न ही कोई व्यय प्रमाणक है इसकी पुष्टि में प्रस्तुत किया गया। रु0 16000 आहरण की श्रेणी में है जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान कमल कुमार व ग्रा0 वि0 अधि0 मनोज श्रीवास्तव से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-28- ग्राम पंचायत-कसेरुआ

विकास खण्ड-शिवगढ़

वर्ष 14-15 कैंशबुक में माह जनवरी में आहरित रु0 52000/- के सापेक्ष कोई व्यय नहीं दर्शित हैं और न ही फाइल में इस व्यय के कोई व्यय प्रमाणक ही संलग्न है। अतः रु0 52000/- के अपहरण की जिम्मेदारी प्रधान अकील अहमद व ग्रा0 पं0 अ0 श्री रमन श्रीवास्तव की है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-29- ग्राम पंचायत-वासुपुर

विकास खण्ड-लक्ष्मणपुर

दिनांक 07.04.2014 को हैण्डपम्प पर रु0 40000/- व्यय दिखाया गया है। उक्त व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक कार्यपूर्ति प्रमाणक पत्र सीनवार विवरण ले0 प0 में अप्राप्त रहा है। उक्त रु0 40000/- के अपहरण की जिम्मेदारी प्रधान श्रीमती नीलम सिंह व ग्रा0 पं0 आ0 श्री बृजेन्द्रमणि पाण्डे की है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-30-ग्राम पंचायत-पूरनपुर खास

विकास खण्ड-लक्ष्मणपुर

दिनांक 26.3.15 को रु0 27800.00 हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय किया गया । इस व्यय की पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त धन अपहरण की श्रेणी में हैं इस धन की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्रीमती पिकी सरोज व ग्रा0 पं0 अ0 मो0 रशीद से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-31- ग्राम पंचायत-पुरेगोलिया

विकास खण्ड-शिवगढ़

वर्ष 14-15 में हैण्डपम्प मरम्मत पर रु0 85820 का व्यय किया गया है। उक्त व्यय की पुष्टि में कार्य वाही रजिस्टर जल प्रबन्धन समिति की संस्तुति और न ही व्यय प्रमाणक, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत नहीं किया गया। स्थानवर विवरण भी अप्राप्त रहा। अतएव उक्त धनराशि अन्य की श्रेणी में है जिसकी मय ब्याज ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री विनोद गुप्ता व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रमन श्रीवास्तव से की जानी अपेक्षित है। आहरण का विवरण निम्नवत है-

4.4.14	3000
26.5.14	14300
12.5.14	8000
27.8.14	11520

8.9.14	3500
1.10.14	4000
10.10.14	2000
20.10.14	6000
12.1.15	15000
13.2.15	14000
4.3.15	4500
योग	85820.00

प्रस्तर-32- ग्राम पंचायत-घूरीपुर

विकास खण्ड-लक्ष्मणपुर

दिनांक 11.8.14 को रू0 35000 व दि0 19.8.14 को रू0 30000 का आहरण प्रधान श्री कैलाशनाथ के नाम किया गया। इस आहरण का कैशबुक में कोई उल्लेख नहीं है और न ही इस व्यय की पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक ही प्रस्तुत किये गये। अतः रू0 65000 आहरण की श्रेणी में है जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री कैलाश नाथ व ग्रा0 वि0 अं0 श्री संजय पाण्डे से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-33- ग्राम पंचायत-चन्दापुर

विकास खण्ड-लक्ष्मणपुर

वर्ष 14-15 में रू0 634647 का वर्ष में व्यय किया गया। इस व्यय की पुष्टि में ग्रा0 वि0 अं0 मनोज श्रीवास्तव द्वारा कोई भी मय प्रमाणक ले0 प0 में प्रस्तुत नहीं किया गया। बैंक पासबुक तक ग्रा0 वि0 आ0 प्रस्तुत न कर सके। अतः इस व्यय को लेखा-परीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सका। उक्त धनराशि रू0 634647 आपहरण की श्रेणी में है जिसकी मय ब्याज ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री राकेश बहादुर व ग्रा0 वि0 अं0 श्री मनोज श्रीवास्तव से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-34- ग्राम पंचायत-छेमरसरैया

विकास खण्ड-लक्ष्मणपुर

माह मई 14 में कैशबुक में रू0 423000 का आहरण किया गया जिसका व्यय का कोई विवरण कैशबुक में नहीं अंकित है और न ही व्यय प्रमाणक प्रस्तुत किये गये। रू0 423000 आहरण की श्रेणी में है जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान श्रीमती निर्मला देवी व ग्रा0 वि0 अं0 श्री बृजेन्द्रमणि पाण्डे से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-35- ग्राम पंचायत-अमरौना

विकास खण्ड-लक्ष्मणपुर

दि0 7.2.15 को रू0 400000 का भुगतान इण्टरलॉकिंग हेतु किया गया परन्तु इस व्यय की पुष्टि में कार्य पत्रावली कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र और कोई व्यय प्रमाणक ले0 प0 में प्रस्तुत नहीं किया गया रू0 400000/- अपहरण की श्रेणी में है और इसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री राम कुमार ग्रा0 वि0 अं0 श्री संजय पाण्डे से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-36— ग्राम पंचायत—खमसरा**विकास खण्ड—कुण्डा**

ग्राम पंचायत के वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा के दौरान यह ज्ञात हुआ है कि कोषबही पर दिनांक 01.10.2014 को रू0 25150.00 का आहरण ह्यूम-पाइप क्रय हेतु किया जाना दर्शित है जिसका क्रय संबंधी प्रमाणक लेखा परीक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार आहरित उक्त धनराशि संदिग्ध एवं विधि-विरुद्ध है। ह्यूम-पाइप का विवरण कोषबही पर जिस तरह से दर्शित है उससे भी ह्यूम पाइप का क्रय किया जाना संदिग्ध मालूम होता है। उल्लेखनीय है कि कोषबही पर ह्यूम पाइप के उपयोग स्थल का कोई विवरण अंकित नहीं है। अतः इससे स्पष्ट हो रहा है कि आहरित धनराशि का वास्तव में ह्यूम-पाइप क्रय न करके अपहरण कर लिया गया है।

अतः आहरित धनराशि रू0 25150.00 से अपहत मानते हुए विभागीय नियमानुसार 50:50 के अनुपात में प्रधान श्री राकेश चन्द्र पाण्डेय एवं ग्रा0 प0 अ0 श्री अमित कुमार मिश्रा से ब्याज सहित वसूली की जाय।

प्रस्तर-37— ग्राम पंचायत—चकादर**विकास खण्ड—कुण्डा**

आ0प0— चकादर अली के लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 के दौरान यह ज्ञात हुआ कि निम्नांकित विवरणों से धनराशि आहरित करते हुए हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सामान क्रय एवं ह्यूम पाइप क्रय पर व्यय किया जाना दर्शित है।

क्र0	दिनांक	आहरित धनराशि	पदवार विवरण
1	02.07.2014	11804.00	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सामान क्रय
2	04.09.2014	11200.00	ह्यूम पाइप क्रय
		23004.00	

उपरोक्त विवरणानुसार रू0 11804.00 का दिनांक 02.07.2014 को हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सामान क्रय किया जाना दर्शित है जिसके क्रय संबंधी प्रमाणक लेखा-परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। इतनी नहीं धनराशि का आहरण करके 02.07.2014 को हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सामान क्रय किया जाना संदिग्ध एवं विधि विरुद्ध है। इसके साथ हैण्डपम्प मरम्मत वाले स्थानों के बारे में भी स्पष्ट जानकारी प्राप्त नहीं हुई। इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि आहरित धनराशि का वास्तव में हैण्डपम्प मरम्मत के संदर्भ में प्रयोग न करके अपहरण कर लिया गया है जो नियम विरुद्ध है।

उपरोक्त विवरणानुसार रू0 11200.00 का आहरण दिनांक 04.09.14 को इसे ह्यूम पाइप क्रय पर व्यय किया जाना दर्शित है किन्तु क्रय संबंधी लेखा परीक्षण में अप्रस्तुत रहे। साथ ही इसके उपभोग स्थलों का उल्लेख नहीं किया गया है। इस तरह दिनांक 04.09.14 को ह्यूम पाइप क्रय किया जाना विधि विरुद्ध एवं संदिग्ध है स्पष्ट है कि उपरोक्त आहरित धनराशि का वास्तव में ह्यूम पाइप क्रय न करके अपहरण कर लिया गया है।

अतः उक्त संपूर्ण धनराशि रू0 23004.00 को अपहत मानते हुए विभागीय नियमानुसार 50:50 के अनुपात में प्रधान श्री नन्हें एवं ग्रा0वि0अं0 श्री त्रिलोक सिंह, से ब्याज सहित वसूली की जाय।

प्रस्तर-38— ग्राम पंचायत—गोतनी**विकास खण्ड—कुण्डा**

ग्रा0प0— गोतनी के वर्ष 2014-15 के लेखा परीक्षण के दौरान ज्ञात हुआ कि निम्नांकित विवरणों के अनुसार धनराशि आहरित करते हुए ह्यूम पाइप क्रय पर व्यय किया जाना दर्शित है।

क्र०	दिनांक	आहरित धनराशि	पदवार विवरण
1	19.6.14	13450.00	ह्यूम पाइप क्रय
2	04.3.14	21000.00	ह्यूम पाइप क्रय
		34450.00	

उपरोक्त विवरणानुसार रू० 13450.00 एवं रू० 21000.00 का क्रमशः 19.6.14 एवं 4.3.15 को आहरित कर ह्यूम पाइप क्रय किया जाना दर्शित है जिनके क्रय संबंधी प्रमाणक लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किये गये। इस प्रकार आहरित संपूर्ण धनराशि का व्यय रू० 34450.00 संदिग्ध एवं विधि विरुद्ध है। ह्यूम पाइप क्रय पर व्यय का विवरण कोषबही पर जिस तरह से दर्शित है उससे भी ह्यूम पाइप क्रय संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। क्योंकि कोषबही पर ह्यूम पाइप के लगाये जाने के स्थानों का कोई विवरण अंकित नहीं हैं इससे स्पष्ट हो रहा है कि आहरित धनराशि का वास्तव में ह्यूम पाइप क्रय न करके अपहरण कर लिया गया है।

अतः आहरित धनराशि संपूर्ण तौर पर रू० 34450.00 अपहृत मानते हुए विभागीय नियमानुसार 50:50 के अनुपात में प्रधान श्रीमती रूकसाना बानों एवं ग्रा० वि० अ० श्री अशोक कुमार सचान से ब्याज सहित वसूली की जाय।

प्रस्तर-39- ग्राम पंचायत-साहूमई

विकास खण्ड-कुण्डा

ग्रा० पं०- साहूपई के वर्ष 2014-15 के लेखा परीक्षा के दौरान ज्ञात हुआ कि निम्नांकित विवरण से धनराशि आहरित करते हुए ह्यूम पाइप क्रय पर व्यय किया जाना दर्शित है।

1	01.10.2014	50200.00	ह्यूम पाइप क्रय

उपरोक्त विवरण संबंधी प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे उपरोक्त रू० 50200.00 का व्यय संदिग्ध है। इसके साथ-साथ ह्यूम पाइप के उपयोग सीलों के बारे में भी स्पष्ट जानकारी का अभाव रहा। इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि आहरित धनराशि का वास्तव में ह्यूम पाइप क्रय न करके अपहरण कर लिया गया है जो के प्रतिकूल एवं अवैध हैं

अतः रू० 50200.00 को अपहृत मानते हुए विभागीय नियमानुसार 50:50 के अनुपात में प्रधान श्री सत्यनारायण एवं ग्रा० वि० अ० श्री अशोक कुमार सचान से ब्याज सहित वसूली की जाय।

प्रस्तर-40- ग्राम पंचायत-दयालपुर

विकास खण्ड-कालाकांकर

दिनांक 10.12.2014 को निर्मल भारत अभियान के अन्तर्गत रू० 165000.00 ग्राम पंचायत को प्राप्त हुआ जिसे तेरहवें वित्त आयोग कि खाते में जमा किया गया। दिनांक 11.12.2014 को उक्त खाते में रू० 1165015.00 आहरित कर निर्मल भारत अभियान खाते में जमा किया गया दर्शित है। दिनांक 11.12.2014 से दि० 31.03.2015 तक न तो उक्त धनराशि का कोई उपभोग दर्शाया गया ओर न ही दि० 31.03.2015 को अवशेष निर्मल भारत अभियान खाते की पासबुक लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराई गयी। स्पष्ट होता है कि धन का अपहरण कर लिया गया है जिसे प्रधान सरोजनी व ग्रा० पं० अ० विभूति प्रसाद से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-41- ग्राम पंचायत-जगदीश प्रथम

विकास खण्ड-शिवगढ़

वर्ष 2014-15 में रू० 868542.00 का व्यय किया गया। इस व्यय की पुष्टि में ग्रा० वि० अ० रशीद अहमद से बार-बार कहने के बावजूद भी कोई भी व्यय प्रमाणक, कार्यवाही रजि० कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र बैंक पासबुक ले० प० में प्रस्तुत नहीं की गयी। अतः ले० प० स्तर से उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकती। रू० 868542.00 पूर्णतः अपहरण की श्रेणी में आता है। इस धनराशि की प्रधान श्रीमती अनीता देवी व ग्रा० वि० अ० श्री रशीद अहमद से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित हैं। इसके साथ ही ग्रा० वि० अ० श्री रशीद अहमद

पर कार्य में सहयोग न करने व घोर उदासीनता का व्यवहार करने के कारण विभागीय जांचोपरान्त उचित कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-42-ग्राम पंचायत-अंतपुर (वि०ख०-मानधाता)

वर्ष 2013-14 के तेरहवें वित्त आयोग/ राज्य वित्त आयोग के खाता-1 की पास बुक के अनुसार निम्नलिखित धनराशियां निकाली गयी-

क्रमांक	दिनांक	धनराशि
1	11.01.13	52500.00
2	18.06.13	35000.00
3	08.08.13	50000.00
4	17.08.13	102.00
5	25.09.13	28000.00
6	26.12.13	49500.00
7	06.01.14	23000.00
8	14.02.14	4500.00
9	14.02.14	25200.00
10	10.03.14	49500.00
11	28.03.14	38500.00
	योग	355802.00

ग्राम पंचायत अंतपुर के खाता नं० 31564185240 भारतीय स्टेट बैंक शाखा चांदपुर वि०ख० मानधाता जनपद प्रतापगढ़ से 355802 रु० आहरित किये गये। उक्त के अतिरिक्त यहां विशेष ध्यान देने की बात यह है कि अंतपुर की कैश बुक जो लेखा परीक्षा में दी गयी मात्र आहरित धनराशि ही अंकित की गयी है। व्यय-पक्ष लिखा ही नहीं गया है।

उपरोक्त व्ययों की पुष्टि में कोषवही में विवरण नहीं अंकित नहीं किया गया है। आहरित धनराशि की पुष्टि हेतु व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किया गया जिससे भुगतान के औचित्य की पुष्टि नहीं हो सकी। अतः बिना व्ययों की पुष्टि के व्यय की गयी धनराशि अपहरण की गयी प्रतीत होती है। अतः कुल रूपया 355802.00 व्यय की गयी धनराशि ग्राम विकास अधिकारी ओम प्रकाश एवं प्रधान श्री राम सिंह के प्रति जांच एवं आवश्यक कार्यवाही हे उपरान्त संयुक्त रूप से सहित ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-43 ग्राम पंचायत ढिंगवस- वि०ख० रामपुर संग्रामगढ़

वर्ष 2013-14 के तेरहवें वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग के संबंध में अन्य आपत्तियां निम्नवत हैं-ग्राम पंचायत की ऑडिट में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2012-13/2013-14 में राज्य वित्त/तेरहवां वित्त एवं अन्य योजनान्तर्गत निम्न प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय दर्शित किया गया हैं-

वित्तीय वर्ष	कुल व्यय दर्शित धनराशि रु०
2012-13	761757.00
2013-14	391780.00
योग	1153537.00

उपरोक्त विवरण में दर्शित धनराशि के व्यय से संबंधित कोई व्यय प्रमाणक एवं रसीदे तथा कार्य से संबंधित कार्य पत्रावलियां ऑडिट में प्रस्तुत नहीं की गयी जबकि इस संबंध में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री दिनेशमणि त्रिपाठी को कई बार ऑडिट कार्यक्रम बनाये जाने के साथ-साथ विभिन्न तिथियों में पत्राचार किया गया। जिला पंचायत राज अधिकारी प्रतापगढ़ से भी पत्राचार किया गया उसके बावजूद ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा व्यय प्रमाणक एवं वाउचर्स उपलब्ध नहीं कराये गये। ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी द्वारा यही बताया जाता रहा कि अभी कैश बुक नहीं बनी है और व्यय से संबंधित वाउचर भी प्राप्त नहीं किये गये हैं। यह स्थिति ग्राम पंचायतों में किये जा रहे भारी अनियमितता का द्योतक है। खण्ड विकास अधिकारी, सहायक कार्यक्रम अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी पंचायत अर्थात् तीन-तीन नियंत्रणकर्ता का अधिकारी होते हुये भी ग्राम पंचायतों की धनराशियां नियम विरुद्ध बिना बाउचर प्राप्त किये निकाल कर अनियमित रूप से व्यय दर्शित कर ली जा रही है। ऑडिट आंवटन वर्ष 2014-15 के अंत तक ऑडिट में अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये थे जबकि प्राप्त कैश बुक/फीडिंग की कैश बुक में दर्शित व्यय की पुष्टि में कार्य पत्रावलियां तथा अन्य आवश्यक व्यय प्रमाणक तथा की गयी और उपलब्ध न कराने पर संपूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुये वसूली हेतु अधिभार की कार्यवाही किये जाने प्रतिवेदन निर्गत किये जाने हेतु भी लिखा गया परन्तु इस संबंध में संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारी के साथ-साथ विभागीय अधिकारी भी यथा खण्ड विकास अधिकारी तथा सहायक विकास अधिकारी पंचायत जो ग्राम पंचायत की ऑडिट व नोडल अधिकारी भी है आदि ने कई पत्रों के पश्चात भी अभिलेख उपलब्ध करवाने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की जबकि अभिलेख उपलब्ध न कराने वाले कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्रमुख सचिव महोदय, आयुक्त ग्राम विकास लखनऊ एवं निर्देशक पंचायत राज द्वारा बार-बार निर्देशित किया गया है। जिसका बार-बार उल्लेख पत्राचारों में किया गया है एवं शासनादेशों की प्रतियां भी उपलब्ध करायी गयी है। अतः स्पष्ट है कि इन वर्षों में दर्शित कुल व्यय रु० 1153537 अनियमित एवं प्रमाणक विहीन व्यय किया गया है। जो ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड (8क) व (8ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरित तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण एवं अधिभार के योग्य है। अतः आपत्ति में अंकित ग्राम निधि प्रथम से संबंधित कुल धनराशि रु० 1153537 में से श्री शिव कुमार मिश्रा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से रु०576768.50 तथा श्री राम खेलावन प्रधान से रु०576768.50 की ब्याज सहित वसूली के लिये इनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु अपहरण के इस गंभीर प्रकरण को सक्षम विभागीय अधिकारियों के समक्ष लाया जाता है। अभिलेखों की अपूर्णता के लिये मनरेगा के संबंध में सहायक विकास अधिकारी पंचायत पूर्ण रूपेण जिम्मेदार है। इन अधिकारियों के विरुद्ध भी समुचित कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा के साथ ऑडिट प्रतिवेदन निर्देशित अधिकारियों को निर्गत किये जाने हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।

प्रस्तर-44 ग्रामपंचायत खमपुरदूबेपट्टी

वि० ख० शिवगढ़

वर्ष 2013-14 में मनरेगा की कोष वही में निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है-

दिनांक	बाउचर सं०	मद	धनराशि
02.04.13	1	समन के घर से नाला तक नाली नि० मिस्त्री मजदूरी	1200.00
02.04.2013	2		3000.00
01.05.13	3		4500.00
02.05.13	4		1800.00
28.05.13	5	बेतल की मशीन से मिश्रान बस्ती तक सम्पर्क मार्ग मजदूरी	15250.00
03.06.13	6		18500.00
10.06.13	7		20164.00
08.07.13	8	प्र०म० सड़क से पू० मा० वि० तक सम्पर्क मार्ग मजदूरी	12922.00
12.07.13	9	जहीर के घर से मुन्ना के घर तक सं० मार्ग मजदूरी	17750.00
17.07.13	10		12070.00
06.08.13	11	मेंहदौरी जंगल के पास बांध निर्माण मजदूरी	40754.00
17.08.13	12	मेंहदौरी जंगल के पास बांध निर्माण मजदूरी	42742.00
22.08.13	13	200 पौध क्रय	5420.00
30.08.13	14	मेंहदौरी जंगल के पास बांध निर्माण मजदूरी	29962.00
07.09.13	15	वृक्षारोपण मजदूरी	4970.00
17.09.13	17	मेंहदौरी जंगल के पास बांध नि० बोर्ड	3500.00
17.09.13	18	बेतल की मशीन से मिश्रान बस्ती तक सम्पर्क मार्ग नि० बोर्ड	3500.00
23.09.13	19	फोटो ग्राफी	450.00
23.09.13	20	प्र०म० सड़क से पू०मा०वि० तक स०मा० हेतु फोटो ग्राफी	450.00
23.09.13	21	जहीर के घर से मुन्ना के घर तक स०मा० फोटो ग्राफी	450.00
23.09.13	22	वृक्षा रोपण फोटो ग्राफी	150.00
23.09.13	23	मेहदौरी जंगल के पास बांध निर्माण फोटो ग्राफी	150.00
30.09.13	24	प्र० मंत्री सड़क से हकीम के घर तक स०मा०नि०म ज०	22436.00
30.10.13	25	बोर्ड	3500.00
03.10.13	26	" 2 पाइप का भुगतान	4350.00
07.10.13	27	" मजदूरी	24850.00
21.10.13	28	"	26838.00
23.10.13	29		27974.00
29.10.13	30	रोजगार सेवक मानदेय अप्रैल 13 से जून 13 तक	9900.00
30.10.13	31	शंकर लाल के कूप मरम्मत हेतु 5 हजार ईट क्रय	27500.00

01.11.13	32	शंकर लाल कूप मरम्मत हेतु सीमेंट रेत क्रय	177650.00
02.11.13	33	शंकर लाल के कूप मरम्मत हेतु 1400 ईट क्रय	7700.00
03.11.13	34	शंकर लाल के कूप मरम्मत हेतु मजदूरी	3834.00
13.11.13	35	प्र० मंत्री सड़क से हकीम के घर तक स० मार्ग मजदूरी	23572.00
14.11.13	36	शंकर लाल के कूप मरम्मत हेतु मिस्त्री मजदूरी	1500.00
14.11.13	37	शंकर लाल के कूप मरम्मत हेतु मिस्त्री मजदूरी	1500.00
23.12.13	38	खण्डा पार स०मा० से मेहदौरी सीमा तक सम्पर्क मार्ग मजदूरी	10224.00
24.12.13	39	प्र० मंत्री सड़क से हकीम के घर तक स०मा० हेतु फोटो ग्राफी	150.00
24.12.13	40	मेहदौरी जंगल के पास बांध निर्माण फोटो ग्राफी	150.00
24.12.13	41	शंकर लाल के कूप मरम्मत की फोटो ग्राफी	150.00
01.01.14	42	आरटीजीएस के माध्यम से पी०एन०बी० प्रतापगढ़ में मनरेगा खाते में जमा।	65161.00
		योग	678593.00

उपरोक्त व्ययों की पुष्टि हेतु व्यय प्रमाणक एवं एम०बी० बुक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा तथा अपूर्ण पासबुक भी प्रस्तुत की गयी। जिससे रु० 1200.00 अधिक व्यय की भी पुष्टि न हो सकी तथा स्थिति अज्ञात रही।

अतः प्रमाणक न प्राप्त होने से व्यय अपुष्ट रहा। अतः बिना व्यय की पुष्टि के व्यय की गयी धनराशि अपहरण की गयी प्रतीत होती है। अतः 678593 + 1200 (अंतर) = 677393.00 ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामफेर सरोज एवं प्रधान श्री शिव सागर शुक्ल के प्रति जांच व आवश्यक कार्यवाही के पश्चात ब्याज सहित वसूली की जानी चाहिए।

प्रस्तर-45 ग्राम-हुसेनपुर

वि०ख०-शिवगढ़

आलोच्य वर्ष 2013-14 में तेरहवें वित्त आयोग / राज्य वित्त आयोग की कोष वही में निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है-

क्र० सं०	दिनांक	मद	धनराशि
1	16.04.13	ह्यूम पाइप 10 नग क्रय	22000.00
2	17.05.13	सेलर लाइट 1 नग श्री लाल जी पाण्डेय हेतु	24300.00
3	07.08.13	ह्यूम पाइप एन०पी० 1500 एमएम क्रय	12800.00
4	13.08.13	सेलर लाइट 1 नग क्रय	24300.00
5	04.09.13	सोलर लाइट 1 नग हेतु	24300.00
6	06.01.14	सामान्य लाभ पीएलए हेतु	1500.00
7	20.02.14	मार्ग हेतु 10 ट्राली अद्धा दर 2000.00	20000.00
8	25.02.14	सोलर लाइट 2 नग दर 24300.00	48600.00

9	01.03.14	कूप सफाई 2 नग (रामलाल पटेल बभुन्नी लाल हरि0)	1600.00
10	05.03.14	सेफल बल्ब 12 नग दर 800.00 हेतु व्यय	9600.00
11	07.03.14	सेलर लाइट 1 नग	24300.00
12	15.03.14	सड़क पर अट्टा 4 ट्राली	8000.00
		योग	221300.00

उपरोक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां पायी गयी—

1. क्रमांक 1 व 3 पर क्रय ह्यूम पाइप कहा लगाने हेतु क्रय किया गया, इस सम्बन्ध में कोष वही में कोई विवरण नहीं अंकित है।
2. क्रमांक 2 के अतिरिक्त क्रय सोलर लाइट व सिफल बल्ब कहा लगाने हेतु क्रय किया गया। इस सम्बन्ध में कोष वही में कोई विवरण नहीं अंकित है।
3. क्रमांक 7 व 12 अंकित व्यय की पुष्टि हेतु मार्ग का नाम नहीं दर्शित है।

उपरोक्त व्ययों की पुष्टि हेतु व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किया गया। जिससे भुगतान के औचित्य की पुष्टि नहीं हो सकी। अतः बिना व्यय की पुष्टि के व्यय की गयी धनराशि अपहरण की गयी पतीत होती है। अतः कुल रु0 221300.00 व्यय की गयी धनराशि ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रमन श्रीवास्तव एवं प्रधान श्री दयाराम के प्रति जांच एवं आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-46-अकोढ़िया

वि0ख0- मानधाता

आलोच्य वर्ष 2013-14 में 13 वे वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग (खाता-1) को कोष वही में दर्शित व्यय—

क्र0 सं0	दिनांक	मद	धनराशि
1	31.05.13	बढ़इया तालाब से बड़े राजा तक रोलिंग कार्य-1. मजदूरी 2. ह्यूम पर व्यय	9230.00 10770.00
2.	11.07.13	बढ़इया तालाब से बड़े राजा तक रोलिंग कार्य-1. अंकित ईट उद्योग 3. "	26000.00 7578.00
3.	06.01.14	मनसिंह क घर के पास कूप मरम्मत- सूर्यवंश ब्रिक फील्ड	22000.00
4		मनसिंह के घर के पास कूप रोलिंग कार्य-1. सीमेण्ट बालू 2. मजदूरी	7500.00 10000.00
5	25.03.14	तालाब के पास नाला पर पुलिया निर्माण- 1. ईट सप्लाई प्लस मिट्टी 3. मजदूरी भुगतान	96000.00 15000.00

6	30.03.14	पक्की नाली निर्माण 1. ईट मिट्टी सप्लाई 2. सीमेंट बालू 3. मजदूरी	40000.00 20000.00 10000.00
		योग	274078.00

उपरोक्त व्यय की पुष्टि हेतु व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे भुगतान के औचित्य की पुष्टि नहीं हो सकी। अतः बिना व्यय की पुष्टि के व्यय की गयी धनराशि अपहरण की गयी प्रतीत होती है। अतः रु0 274078.00 की ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अरविन्द कुमार सिंह एवं श्रीमती गुड्डी देवी से संयुक्त जिम्मेदारी के साथ ब्याज सहित वसूली किया जाना चाहिए।

प्रस्तर-47- ग्राम-वरिस्ता-वि० ख० मान्धाता

आलोच्य वर्ष 2013-14 के तेरहवें वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग के खाता-1 की कोषवही में निम्न कोष बही में निम्नानुसार ईट क्रय/ह्यूम पाइप दर्शित किये गये हैं।

क्र० सं०	दिनांक	मद	धनराशि
1	24.04.13	3000 नग ईट क्रय दर रु05800	15900.00
2	24.04.13	10 नग ह्यूम पाइप क्रय	19800.00
3	14.06.13	2000 नग ईट क्रय दर रु0 5800	10600.00
4	07.08.13	4000 नग ईट क्रय दर रु03800	21200.00
5	20.08.13	8000 नग ईट क्रय दर रु0 5800	42400.00
6	30.09.13	4000 नग ईट क्रय दर रु0 5800	21200.00
7	28.09.13	12 नग ह्यूम पाइप क्रय	23760.00
8	25.10.13	4000 नग ईट क्रय	21200.00
9	07.01.14	8000 नग ईट क्रय दर रु0 5300	42400.00
10	13.12.14	2500 नग ईट क्रय दर रु0 5800	13250.00
11	15.03.14	4000 नग ईट क्रय दर रु0 5300	21200.00
		योग	252910.00

उपरोक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां पायी गयी।

- क्रमांक 2 व 7 पर क्रय ह्यूम पाइप कहाँ लगाने हेतु क्रय किया गया है। इस सम्बन्ध में कोषवही में वितरण नहीं अंकित है।
- क्रमांक 1,3,4,5,6,8,9,10,11 पर क्रय किये गये ईट कहाँ लगाने हेतु क्रय किया गया है। इस सम्बन्ध में कोषवही में विवरण अंकित नहीं है।

उपरोक्त व्ययों की पुष्टि हेतु व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किया गया। जिससे भुगतान के औचित्य की पुष्टि नहीं हो सकी। अतः बिना व्यय की पुष्टि के व्यय की गयी धनराशि अपहरण की गयी प्रतीत होती है। अतः कुल रु0 252910.00 की ग्राम पंचायत अधिकारी श्री उदय प्रताप सिंह एवं श्रीमती नूरजहां से संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-48- ग्राम-महमदापुर**वि0ख0- सण्डवा चन्द्रिका**

आलोच्य वर्ष 2013-14 के तेरहवें वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग के सम्बन्ध में अन्य आपत्तियां निम्नवत है।-

ग्राम पंचायत की ऑडिट में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2011-12, 12-13, 13-14 में राज्य वित्त/तेरहवां वित्त आयोग एवं अन्य योजनान्तर्गत निम्न प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय दर्ज किया गया है।

वित्तीय वर्ष	कुल व्यय दर्शित धनराशि रू0	अन्य विवरण
2011-12	216691.00	ग्राम निधि प्रथम की धनराशि
2012-13	257882.00	ग्राम निधि प्रथम की धनराशि
2013-14	298897.00	ग्राम निधि प्रथम की धनराशि
कुल योग	773470.00	

उपर्युक्त विवरण में दर्शित धनराशि के व्यय में सम्बन्धित कोई व्यय प्रमाणक एवं रसीदे तथा कार्य से सम्बन्धित कार्य पत्रावलियां आडिट में प्रस्तुत नहीं की गयी जबकि इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री संजीव पाल को कई बार ऑडिट कार्यक्रम लगाये जाने के साथ-साथ विभिन्न तिथियों में पत्राचार किया गया। जिला पंचायत राज अधिकारी प्रतापगढ़ से भी पत्राचार किया गया। इसके बावजूद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा व्यय प्रमाणक एवं बाउचर्स उपलब्ध नहीं कराये गये। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा यही बताया जा रहा कि अभी कैश बुक नहीं बनी है और व्यय से सम्बन्धित बाउचर भी प्राप्त नहीं किये गये हैं। यह स्थिति ग्राम पंचायतों में किये जा रहे हैं। भारी अनियमितता का द्योतक है। खण्ड विकास अधिकारी, सहायक कार्यक्रम अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी पंचायत अर्थात् तीन-तीन नियंत्रणकर्ता अधिकारी होते हुए भी ग्राम पंचायतों की धनराशियां नियम विरुद्ध बिना बाउचर प्राप्त किये निकालकर अनियमित ढंग से व्यय दर्शित कर ली जा रही है। ऑडिट आवंटन वर्ष 2014-15 के अंत तक ऑडिट में अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये थे जबकि प्राप्त कैश बुक/फिडिंग की कैश बुक में दर्शित व्यय की पुष्टि में कार्य पत्रावलियां तथा अन्य आवश्यक व्यय प्रमाणक तथा अभिलेख की मांग की गयी और उपलब्ध न कराने पर सम्पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुए वसूली हेतु अधिभार की कार्यवाही किये जाने हेतु सक्षम अधिकारी को आवश्यक प्रतिवेदन निर्गत किये जाने हेतु भी लिखा गया। परन्तु इस सम्बन्ध में सम्बन्धित ग्राम पंचायत अधिकारी के साथ-साथ विभागीय अधिकारी भी यथा खण्ड विकास अधिकारी तथा सहायक विकास अधिकारी, पंचायत जो ग्राम पंचायत की ऑडिट के नोडल अधिकारी भी है, आदि ने कई पत्रों के पश्चात भी अभिलेख उपलब्ध करवाने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की जबकि अभिलेख न उपलब्ध कराने वाले कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्रमुख सचिव महोदय आयुक्त ग्राम विकास लखनऊ एवं निदेशक पंचायत राज द्वारा बार-बार निर्देशित किया गया है जिसका बार-बार उल्लेख पत्राचारों में किया गया है एवं शासनादेशों की प्रतियां भी उपलब्ध करायी गयी है। अतः स्पष्ट है कि वर्ष में दर्शित कुल व्यय रू0 773470.00 अनियमित एवं प्रमाणक विहीन व्यय किया गया है जो ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं (8 क) व (8 ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण एवं अधिभार के योग्य है। अतः आपत्ति में अंकित ग्राम निधि प्रथम से सम्बन्धित कुल धनराशि रू0 773470.00 में से श्री संजीव पाल ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से रू0 386735.00 तथा श्री असलुद्दीन प्रधान से रू0 386735.00 की ब्याज सहित वसूली के लिए इनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु अपहरण के इस गम्भीर प्रकरण को सक्षम विभागीय अधिकारियों के समक्ष लाया जाता है। अभिलेखों की पूर्णता के लिए मनरेगा के सम्बन्ध में सहायक कार्यक्रम अधिकारी तथा खण्ड विकास अधिकारी एवं ग्राम निधि प्रथम, तृतीय एवं एम0डी0एम0 के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी पंचायत

पूर्णरूपेण जिम्मेदार है। इन अधिकारियों के विरुद्ध भी समुचित कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा के साथ ऑडिट प्रतिवेदन निर्देशित अधिकारियों को निर्गत किये जाने हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।

प्रस्तर-49-ग्राम-गोबरी

वि०ख० सण्डवा-चन्द्रिका

आलोच्य वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के तेरहवें वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग के सम्बन्ध में अन्य आपत्तियां निम्नवत हैं-

ग्राम पंचायत की ऑडिट में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14 में राज्य वित्त/तेरहवां वित्त आयोग एवं अन्य योजनान्तर्गत निम्न प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय दर्शित किया गया है।

वित्तीय वर्ष	कुल व्यय दर्शित धनराशि रु०	अन्य विवरण
2011-12	324716.00	ग्राम निधि प्रथम की धनराशि
2012-13	256936.00	ग्राम निधि प्रथम की धनराशि
2013-14	---	
कुल योग	581652.00	

उपर्युक्त विवरण में दर्शित धनराशि के व्यय से सम्बन्धित कोई व्यय प्रमाणक एवं रसीदे तथा कार्य से सम्बन्धित कार्य पत्रावलियां ऑडिट में प्रस्तुत नहीं की गयी जबकि इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री इन्द्र प्रताप सिंह को कई बार ऑडिट कार्यक्रम लगाये जाने के साथ-साथ विभिन्न तिथियों में पत्राचार किया गया। इसके बावजूद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा व्यय प्रमाणक एवं बाउचर्स उपलब्ध नहीं कराये गये। ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा यही बताया जा रहा कि अभी कैश बुक नहीं बनी है और व्यय से सम्बन्धित बाउचर भी प्राप्त नहीं किये गये हैं। यह स्थिति ग्राम पंचायतों में किये जा रहे हैं। भारी अनियमितता का द्योतक है। खण्ड विकास अधिकारी, सहायक कार्यक्रम अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी पंचायत अर्थात् तीन-तीन नियंत्रणकर्ता अधिकारी होते हुए भी ग्राम पंचायतों की धनराशियां नियम विरुद्ध बिना बाउचर प्राप्त किये निकालकर अनियमित ढंग से व्यय दर्शित कर ली जा रही है। ऑडिट आवंटन वर्ष 2014-15 के अंत तक ऑडिट में अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये थे जबकि प्राप्त कैश बुक/फिडिंग की कैश बुक में दर्शित व्यय की पुष्टि में कार्य पत्रावलियां तथा अन्य आवश्यक व्यय प्रमाणक तथा अभिलेख की मांग की गयी और उपलब्ध न कराने पर सम्पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुए वसूली हेतु अधिभार की कार्यवाही किये जाने हेतु सक्षम अधिकारी को आवश्यक प्रतिवेदन निर्गत किये जाने हेतु भी लिखा गया। परन्तु इस सम्बन्ध में सम्बन्धित ग्राम पंचायत अधिकारी के साथ-साथ विभागीय अधिकारी भी यथा खण्ड विकास अधिकारी तथा सहायक विकास अधिकारी, पंचायत जो ग्राम पंचायत की ऑडिट के नोडल अधिकारी भी है, आदि ने कई पत्रों के पश्चात भी अभिलेख उपलब्ध करवाने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की जबकि अभिलेख न उपलब्ध करवाने हेतु कार्यवाही नहीं की जबकि अभिलेख उपलब्ध न कराने वाले कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्रमुख सचिव महोदय, आयुक्त ग्राम विकास लखनऊ एवं निदेशक पंचायत राज द्वारा बार-बार निर्देशित किया गया है, जिसका बार-बार उल्लेख पत्राचारों में किया गया है, एवं शासनादेशों की प्रतियां भी उपलब्ध करायी गयी है। अतः स्पष्ट है कि वर्ष में दर्शित कुल व्यय रु० 581652.00 अनियमित एवं प्रमाणक विहीन व्यय किया गया है जो ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड (8 क) व (8 ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरित तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण एवं अधिभार के योग्य हैं। अतः आपत्ति में अंकित ग्राम निधि प्रथम से सम्बन्धित कुल धनराशि रु० 581652.00 में से श्री इन्द्र प्रताप सिंह ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से रु० 290826.00 तथा श्री राम सुमेर प्रधान से रु० 290826.00 की ब्याज सहित वसूली के लिए इनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु अपहरण के इस गम्भीर प्रकरण को सक्षम विभागीय अधिकारियों के समक्ष लाया जाता है। अभिलेखों की पूर्णता के लिए मनरेगा के सम्बन्ध में सहायक कार्यक्रम अधिकारी तथा खण्ड विकास

अधिकारी एवं ग्राम निधि प्रथम, तृतीय एवं एम0डी0एम0 के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी पंचायत पूर्णरूपेण जिम्मेदार है। इन अधिकारियों के विरुद्ध भी समुचित कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा के साथ ऑडिट प्रतिवेदन निर्देशित अधिकारियों को निर्गत किये जाने हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।

प्रस्तर-50 ग्राम-खजुरी वि0ख0 सण्डवा-चन्द्रिका

वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के तेरहवें वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग के सम्बन्ध में अन्य आपत्तियां निम्नवत् है—

ग्राम पंचायत की ऑडिट में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2011-12 में राज्य वित्त/तेरहवां वित्त आयोग एवं अन्य योजनान्तर्गत निम्न प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय दर्शित किया गया है।

वित्तीय वर्ष	कुल व्यय दर्शित धनराशि रू0
2011-12	195578.00
2012-13	209768.00
2013-14	434950.00

उपर्युक्त विवरण में दर्शित धनराशि के व्यय से सम्बन्धित कोई व्यय प्रमाणक एवं रसीदे तथा कार्य से सम्बन्धित कार्य पत्रावलियां आडिट में प्रस्तुत नहीं की गयी जबकि इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री संजीव पाल को कई बार ऑडिट कार्यक्रम लगाये जाने के साथ-साथ विभिन्न तिथियों में पत्राचार किया गया। जिला पंचायत अधिकारी प्रतापगढ़ से भी पत्राचार किया गया। इसके बावजूद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा व्यय प्रमाणक एवं बाउचर्स उपलब्ध नहीं कराये गये। ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा यही बताया जा रहा कि अभी कैश बुक नहीं बनी है और व्यय से सम्बन्धित बाउचर भी प्राप्त नहीं किये गये हैं। यह स्थिति ग्राम पंचायतों में किये जा रहे हैं। भारी अनियमितता का द्योतक है। खण्ड विकास अधिकारी, सहायक कार्यक्रम अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी पंचायत अर्थात् तीन-तीन नियंत्रणकर्ता अधिकारी होत हुए भी ग्राम पंचायतों की धनराशियां नियम विरुद्ध बिना बाउचर प्राप्त किये निकालकर अनियमित ढंग से व्यय दर्शित कर ली जा रही है। ऑडिट आवंटन वर्ष 2014-15 के अंत तक ऑडिट में अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये थे जबकि प्राप्त कैश बुक/फिडिंग की कैश बुक में दर्शित व्यय की पुष्टि में कार्य पत्रावलियां तथा अन्य आवश्यक व्यय प्रमाणक तथा अभिलेख की मांग की गयी और उपलब्ध न कराने पर सम्पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुए वसूली हेतु अधिभार की कार्यवाही किये जाने हेतु सक्षम अधिकारी को आवश्यक प्रतिवेदन निर्गत किये जाने हेतु भी लिखा गया। परन्तु इस सम्बन्ध में सम्बन्धित ग्राम पंचायत अधिकारी के साथ-साथ विभागीय अधिकारी भी यथा खण्ड विकास अधिकारी तथा सहायक विकास अधिकारी, पंचायत जो ग्राम पंचायत की ऑडिट के नोडल अधिकारी भी है, आदि ने कई पत्रों के पश्चात भी अभिलेख उपलब्ध करवाने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की जबकि अभिलेख न उपलब्ध करवाने हेतु कार्यवाही नहीं कि जबकि अभिलेख उपलब्ध न कराने वाले कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्रमुख सचिव महोदय, आयुक्त ग्राम विकास लखनऊ एवं निदेशक पंचायत राज द्वारा बार-बार निर्देशित किया गया है, जिसका बार-बार उल्लेख पत्राचारों में किया गया है, एवं शासनादेशों की प्रतियां भी उपलब्ध करायी गयी है। अतः स्पष्ट है कि वर्ष में दर्शित कुल व्यय रू0 840296.00 अनियमित एवं प्रमाणक विहीन व्यय किया गया है जो ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड (8 क) व (8 ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरित तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण एवं अधिभार के योग्य हैं। अतः आपत्ति में अंकित ग्राम निधि प्रथम से सम्बन्धित कुल धनराशि रू0 840206.00 में से श्री संजीव पाल ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से रू0 420148.00 तथा श्री गेंदराज प्रधान से रू0 420148.00 की ब्याज सहित वसूली के लिए इनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु अपहरण के इस

गम्भीर प्रकरण को सक्षम विभागीय अधिकारियों के समक्ष लाया जाता है। अभिलेखों की पूर्णता के लिए मनरेगा के सम्बन्ध में सहायक कार्यक्रम अधिकारी तथा खण्ड विकास अधिकारी एवं ग्राम निधि प्रथम, तृतीय एवं एम0डी0एम0 के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी पंचायत पूर्णरूपेण जिम्मेदार है। इन अधिकारियों के विरुद्ध भी समुचित कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा के साथ ऑडिट प्रतिवेदन निर्देशित अधिकारियों को निर्गत किये जाने हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।

प्रस्तर-51-पश्चिम गाँव

वि0ख0-सण्डवा-चन्द्रिका

वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के तेरहवें वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग के सम्बन्ध में अन्य आपत्तियां निम्नवत् है-

ग्राम पंचायत की ऑडिट में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14 में राज्य वित्त/तेरहवां वित्त आयोग एवं अन्य योजनान्तर्गत निम्न प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय दर्शित किया गया है।

वित्तीय वर्ष	कुल व्यय दर्शित धनराशि रू0
2011-12	129500.00
2012-13	330000.00
2013-14	522241.00
कुल योग	981741.00

उपर्युक्त विवरण में दर्शित धनराशि के व्यय से सम्बन्धित कोई व्यय प्रमाणक एवं रसीदे तथा कार्य से सम्बन्धित कार्य पत्रावलियाँ ऑडिट में प्रस्तुत नहीं की गयी जबकि इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री इन्द्र प्रताप सिंह को कई बार ऑडिट कार्यक्रम लगाये जाने के साथ-साथ विभिन्न तिथियों में पत्राचार किया गया। इसके बावजूद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा व्यय प्रमाणक एवं बाउचर्स उपलब्ध नहीं कराये गये। ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा यही बताया जा रहा कि अभी कैश बुक नहीं बनी है और व्यय से सम्बन्धित बाउचर भी प्राप्त नहीं किये गये हैं। यह स्थिति ग्राम पंचायतों में किये जा रहे हैं। भारी अनियमितता का द्योतक है। खण्ड विकास अधिकारी, सहायक कार्यक्रम अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी पंचायत अर्थात् तीन-तीन नियंत्रणकर्ता अधिकारी होत हुए भी ग्राम पंचायतों की धनराशियां नियम विरुद्ध बिना बाउचर प्राप्त किये निकालकर अनियमित ढंग से व्यय दर्शित कर ली जा रही है। ऑडिट आवंटन वर्ष 2014-15 के अंत तक ऑडिट में अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये थे जबकि प्राप्त कैश बुक/ फिडिंग की कैश बुक में दर्शित व्यय की पुष्टि में कार्य पत्रावलियां तथा अन्य आवश्यक व्यय प्रमाणक तथा अभिलेख की मांग की गयी और उपलब्ध न कराने पर सम्पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुए वसूली हेतु अधिभार की कार्यवाही किये जाने हेतु सक्षम अधिकारी को आवश्यक प्रतिवेदन निर्गत किये जाने हेतु भी लिखा गया। परन्तु इस सम्बन्ध में सम्बन्धित ग्राम पंचायत अधिकारी के साथ-साथ विभागीय अधिकारी भी यथा खण्ड विकास अधिकारी तथा सहायक विकास अधिकारी, पंचायत जो ग्राम पंचायत की ऑडिट के नोडल अधिकारी भी है, आदि ने कई पत्रों के पश्चात भी अभिलेख उपलब्ध करवाने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की जबकि अभिलेख न उपलब्ध करवाने हेतु कार्यवाही नहीं की जबकि अभिलेख उपलब्ध न कराने वाले कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्रमुख सचिव महोदय, आयुक्त ग्राम विकास लखनऊ एवं निदेशक पंचायत राज द्वारा बार-बार निर्देशित किया गया है, जिसका बार-बार उल्लेख पत्राचारों में किया गया है, एवं शासनादेशों की प्रतियां भी उपलब्ध करायी गयी है। अतः स्पष्ट है कि वर्ष में दर्शित कुल व्यय रू0 981741.00 अनियमित एवं प्रमाणक विहीन व्यय किया गया है जो ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड

(8 क) व (8 ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरित तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण एवं अधिभार के योग्य हैं अतः आपत्ति में अंकित ग्राम निधि प्रथम से सम्बन्धित कुल धनराशि रु0 981741.00 में से श्री इन्द्र प्रताप सिंह ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से रु0 490870.50.00 तथा श्री मित्रसेन प्रधान से रु0 490870.00 की ब्याज सहित वसूली के लिए इनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु अपहरण के इस गम्भीर प्रकरण को सक्षम विभागीय अधिकारियों के समक्ष लाया जाता है। अभिलेखों की पूर्णता के लिए मनरेगा के सम्बन्ध में सहायक कार्यक्रम अधिकारी तथा खण्ड विकास अधिकारी एवं ग्राम निधि प्रथम, तृतीय एवं एम0डी0एम0 के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी पंचायत पूर्णरूपेण जिम्मेदार है। इन अधिकारियों के विरुद्ध भी समुचित कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा के साथ ऑडिट प्रतिवेदन निर्देशित अधिकारियों को निर्गत किये जाने हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।

प्रस्तर-52-ग्राम-मवइया कला – वि0ख0-सण्डवा चन्द्रिका

वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के तेरहवें वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग के सम्बन्ध में अन्य आपत्तियाँ निम्नवत् है-

ग्राम पंचायत की ऑडिट में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14 में राज्य वित्त/तेरहवां वित्त आयोग एवं अन्य योजनान्तर्गत निम्न प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय दर्शित किया गया है।

वित्तीय वर्ष	कुल व्यय दर्शित धनराशि रु0	अन्य विवरण
2011-12	66000.00	ग्राम निधि प्रथम की धनराशि
2012-13	112681.00	ग्राम निधि प्रथम की धनराशि
2013-14	66000.00	ग्राम निधि प्रथम की धनराशि
कुल योग	244681.00	

उपर्युक्त विवरण में दर्शित धनराशि के व्यय से सम्बन्धित कोई व्यय प्रमाणक एवं रसीदे तथा कार्य से सम्बन्धित कार्य पत्रावलियां आडिट में प्रस्तुत नहीं की गयी जबकि इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री संजीव पाल को कई बार ऑडिट कार्यक्रम लगाये जाने के साथ-साथ विभिन्न तिथियों में पत्राचार किया गया। जिला पंचायत अधिकारी प्रतापगढ़ से भी पत्राचार किया गया। इसके बावजूद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा व्यय प्रमाणक एवं बाउचर्स उपलब्ध नहीं कराये गये। ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा यही बताया जा रहा कि अभी कैश बुक नहीं बनी है और व्यय से सम्बन्धित बाउचर भी प्राप्त नहीं किये गये हैं। यह स्थिति ग्राम पंचायतों में किये जा रहे हैं। भारी अनियमितता का द्योतक है। खण्ड विकास अधिकारी, सहायक कार्यक्रम अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी पंचायत अर्थात् तीन-तीन नियंत्रणकर्ता अधिकारी होत हुए भी ग्राम पंचायतों की धनराशियां नियम विरुद्ध बिना बाउचर प्राप्त किये निकालकर अनियमित ढंग से व्यय दर्शित कर ली जा रही है। ऑडिट आवंटन वर्ष 2014-15 के अंत तक ऑडिट में अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये थे जबकि प्राप्त कैश बुक/फिडिंग की कैश बुक में दर्शित व्यय की पुष्टि में कार्य पत्रावलियां तथा अन्य आवश्यक व्यय प्रमाणक तथा अभिलेख की मांग की गयी और उपलब्ध न कराने पर सम्पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुए वसूली हेतु अधिभार की कार्यवाही किये जाने हेतु सक्षम अधिकारी को आवश्यक प्रतिवेदन निर्गत किये जाने हेतु भी लिखा गया। परन्तु इस सम्बन्ध में सम्बन्धित ग्राम पंचायत अधिकारी के साथ-साथ विभागीय अधिकारी भी यथा खण्ड विकास अधिकारी तथा सहायक विकास अधिकारी, पंचायत जो ग्राम पंचायत की ऑडिट के नोडल अधिकारी भी है, आदि ने कई पत्रों के पश्चात भी अभिलेख उपलब्ध करवाने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की जबकि अभिलेख न उपलब्ध करवाने हेतु कार्यवाही नहीं की जबकि अभिलेख उपलब्ध न कराने वाले कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्रमुख सचिव महोदय, आयुक्त ग्राम विकास लखनऊ एवं निदेशक पंचायत राज द्वारा बार-बार निर्देशित किया गया है, जिसका बार-बार उल्लेख पत्राचारों

में किया गया है, एवं शासनादेशों की प्रतियां भी उपलब्ध करायी गयी है। अतः स्पष्ट है कि वर्ष में दर्शित कुल व्यय रू0 244681.00 अनियमित एवं प्रमाणक विहीन व्यय किया गया है जो ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड (8 क) व (8 ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरित तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण एवं अधिभार के योग्य हैं। अतः आपत्ति में अंकित ग्राम निधि प्रथम से सम्बन्धित कुल धनराशि रू0 840206.00 में से श्री संजीव पाल ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से रू0 122340.50 तथा श्रीमती रेखादेवी प्रधान से रू0 122340.50 की ब्याज सहित वसूली के लिए इनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु अपहरण के इस गम्भीर प्रकरण को सक्षम विभागीय अधिकारियों के समक्ष लाया जाता है। अभिलेखों की पूर्णता के लिए मनरेगा के सम्बन्ध में सहायक कार्यक्रम अधिकारी तथा खण्ड विकास अधिकारी एवं ग्राम निधि प्रथम, तृतीय एवं एम0डी0एम0 के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी पंचायत पूर्णरूपेण जिम्मेदार है। इन अधिकारियों के विरुद्ध भी समुचित कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा के साथ ऑडिट प्रतिवेदन निर्देशित अधिकारियों को निर्गत किये जाने हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।

जनपद— फतेहपुर मण्डल— इलाहाबाद

नाम संस्था—अहमदगंज तिहार ग्राम पंचायत

लेखा परीक्षा वर्ष— 2014—15

विकास खण्ड—विजयीपुर

प्रस्तर—1

ग्राम सभा द्वारा निम्नांकित तिथियों में व्यय दर्शित किया गया है, जिसका विवरण निम्न दर्शित है:—

क्र0 सं0	दिनांक	कार्य का विवरण	धनराशि
1.	25/04/2014	मिट्टी पुराई एम0आर0 के आधार पर (कार्य का स्थान दर्शित नहीं) मस्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।	30750.00
2.	07/05/2014	मेजर वर्क्स (कार्य का विवरण अंकित नहीं) प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त।	4200.00
3.	08/05/2014	मरम्मत पर व्यय (कार्य का नाम अंकित नहीं) प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त।	20000.00
4.	16/08/2014	मेजर वर्क्स (कार्य का विवरण अंकित नहीं) प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त।	100000.00
5.	16/08/2014	मेजर वर्क्स (कार्य का विवरण अंकित नहीं) प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त।	45500.00
6.	16/08/2014	मेजर वर्क्स (कार्य का विवरण अंकित नहीं) प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त।	5000.00
7.	18/08/2014	मेजर वर्क्स (कार्य का विवरण अंकित नहीं) प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त।	10140.00
8.	13/10/2014	मरम्मत पर व्यय (कार्य का नाम अंकित नहीं) प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त।	5000.00
		योग—	220590.00

उपरोक्त दर्शित कार्य का नाम अंकित न करके एवं प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके कार्यों पर किया गया व्यय काल्पनिक रहा। इस प्रकार समस्त धनराशि रूपये-220590.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री राजेन्द्र एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विकास पाल से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

नाम संस्था- ग्राम पंचायत कटोघन

लेखा परीक्षा वर्ष- 2014-15

विकास खण्ड- ऐरांया

जनपद- फतेहपुर

प्रस्तर-1

लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि ग्राम निधि खाता बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा खागा में खाता सं0-14210100012702 से वित्तीय नियमों के विरुद्ध मनमाने ढंग से धनराशि आहरित की गयी है। धनराशि का भुगतान ऐसे व्यक्ति को किया गया है, जो न तो ग्राम पंचायत का प्रधान है और न तो कोई फर्म उसके नाम है। आहरित धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र0 सं0	दिनांक	धनराशि	भुगतान लेने वाले का नाम	चेक सं0 व अन्य विवरण
1.	03.04.2014	20000	अभिमन्यु सिंह	76
2.	07.04.2014	13000	"	77
3.	23.04.2014	20000	"	80
4.	05.05.2014	30000	"	82
5.	02.06.2014	17900	"	85
6.	03.06.2014	9400	"	86
7.	18.06.2014	10000	"	93
8.	21.07.2014	70000	"	95
9.	22.07.2014	16000	"	96
10.	09.08.2014	80000	"	97
11.	25.08.2014	25000	"	98
12.	04.09.2014	65000	"	99
13.	12.09.2014	26000	"	104
14.	23.09.2014	30000	"	106
15.	30.09.2014	38000	"	110
16.	15.10.2014	22500	"	113
17.	16.10.2014	13000	"	112
18.	11.11.2014	12600	"	124
19.	19.11.2014	15000	"	130
20.	02.01.2015	15000	"	138

	योग	548400		
21.	06.06.2014	30000	शिवकुमार सिंह	88
22.	25.06.2014	35000	"	91
23.	21.10.2014	21000	"	119
24.	10.11.2014	36000	"	127
25.	11.12.2014	35000	"	135
	योग	157000		
	कुल योग	705400		

उपरोक्त आहरित धनराशि वित्त लेखा अनुभाग-1 के शासनादेश सं० ए-1-1446/दस-4(2)-1997 दिनांक 04.08.1978, वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1 के शासनादेश सं० बी०-1-1134/दस-16/94/1988 दिनांक 30.03.1998 एवं वित्त लेखा अनुभाग-1 शासनादेश सं० ए-1-816/दस-2005-4(3)/2004 दिनांक 24.06.2005 के प्रतिकूल है, जिसके अन्तर्गत रु० 2000 से अधिक की धनराशि गैर सरकारी व्यक्तियों, फर्मों तथा ठेकेदारों को नकद किसी भी दशा में भुगतान नहीं किया जा सकता। उपरोक्त भुगतान किये गये हैं, उससे आहरित धनराशि के दुरुपयोग की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अतः धनराशि रु० 705400.00 की गम्भीर अनियमितता की गयी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती शान्ती देवी एवं ग्राम पंचायत श्री शिवकुमार से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-2

दिनांक 19.06.2014 को चेक सं० 90 नन्दी ब्रिकफील्ड को भुगतान किया गया है। उक्त क्रय ईंट से निम्न कार्य दर्शाया गया है:-

मैकू के घर से मन्दिर तक खड़जा निर्माण हेतु ईंट क्रय	रु० 116260/-
उपरोक्त खड़जा स्थल पर 70 ट्राली मिट्टी रु० 500 पुराई	रु० 35000/-
उपरोक्त खड़जा निर्माण की मजदूरी पर व्यय	रु० 18720/-

योग :-169980/-

उपरोक्त भुगतान पर निम्न आपत्तियाँ हैं :-

01. ईंट क्रय का प्रमाणक फाइल में नहीं है। (कैशबुक में अंकित प्रमाणक सं० 016)
02. कैश बुक में ईंट क्रय सारा ब्रिक फील्ड से दर्शाया गया है।
03. मिट्टी क्रय प्रमाणक पर भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम एवं हस्ताक्षर नहीं है। (प्रमाणक सं० 017)
04. खड़जा निर्माण मजदूरी प्रमाणक (18) पर किसी भी मजदूर का नाम एवं निशानी अंगूठा/हस्ताक्षर नहीं पाया गया।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर सिद्ध होता है कि काल्पनिक कार्य पर व्यय दर्शाकर समस्त धनराशि रु० 169980 का अपहरण कर लिया गया है, जिसकी प्रधान श्रीमती शान्ती देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शिवकुमार सिंह से संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-3

आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि खाता प्रथम से धनराशि आहरित करके हैण्ड

पम्प मरम्मत पर व्यय दर्शाया गया है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र० सं०	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री क्रय विवरण	मजदूरी हैण्डपम्प मरम्मत	दिनांक
1.	प्रेम सेल्स खागा से रू० 20000/-	10000/-	23/4/14, 25/4/14
2.	प्रेम सेल्स खागा से रू० 20000/-	8000/-	08/05/14, 18/5/14
3.	प्रेम सेल्स खागा से रू० 21000/-	—	24/9/14
4.	प्रेम सेल्स खागा से रू० 21500/-	10000/-	25/10/14, 30/10/14
5.	प्रेम सेल्स खागा से रू० 15000/-	—	12/01/2015
6.	प्रेम सेल्स खागा से रू० 20000/-	5000/-	14/01/2015
7.	प्रेम सेल्स खागा से रू० 21100/-	10000/-	27/02/15, 30/02/15
योग— 138600 /—		रू० 43000 /—	

आलोच्य वर्ष में हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री पर रू० 138600/- एवं हैण्डपम्प मरम्मत मजदूरी पर रू० 43000/- कुल रू० 181600/- व्यय किया जाना दर्शित है।

जिस पर निम्न आपत्तियाँ हैं: —

1. माह जनवरी 2015 में क्रय हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री एवं हैण्डपम्प मरम्मत मजदूरी का कोई प्रमाणक फाइल में संलग्न नहीं है।
2. माह जनवरी 2015 के हैण्डपम्प मरम्मत मजदूरी भुगतान के प्रमाणक पर भुगतान प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा नहीं है।
3. भुगतान प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर के अभाव में हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री एवं मजदूरी दोनों काल्पनिक सिद्ध होती है।
4. ग्राम विकास अनुभाग-1 उ०प्र० शासन के आदेश सं० 1739/38-5-99-2111/99 दिनांक 22.04.1999 के अनुसार हैण्डपम्पों की मरम्मत में व्यय होने वाली धनराशि के भुगतान हेतु जल संसाधन समिति से भुगतान आदेश प्राप्त होने के उपरान्त ही ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान द्वारा ग्राम निधि खाते से आहरित की जायेगी, किन्तु जल संसाधन समिति का भुगतान आदेश व प्रमाणक फाइल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त क्रय सामग्री किन-किन स्थानों पर प्रयोग में लाई गई और कितनी शेष है का कोई रजिस्टर/उल्लेख नहीं किया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के अभाव में सम्पूर्ण भुगतान काल्पनिक सिद्ध होता है, जिसकी ब्याज सहित वसूली रू० 181600 ग्राम पंचायत अधिकारी, शिवकुमार सिंह एवं प्रधान श्रीमती शान्ती देवी से संयुक्त की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-4

ग्राम पंचायत कटोघन के ग्राम निधि खातासे दिनांक 05.05.2014 को आग से पीड़ित व्यक्तियों को राहत सामग्री अनाज, धोती वितरण हेतु प्रधान/सचिव को रू0 30000/- भुगतान किया जाना दर्शित है। प्रमाणक सादे कागज पर है एवं प्रधान/सचिव किसी के द्वारा धनराशि प्राप्त किया जाना दर्शित नहीं है। उक्त की पुष्टि में वितरण की गयी सामग्री एवं प्राप्त कर्ताओं के हस्ताक्षर से सम्बन्धित वितरण सूची लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जो भी धनराशि प्रधान/सचिव को कागज पर काल्पनिक दिया जाना दर्शित है। वह धनराशि श्री अभिमन्यु सिंह द्वारा प्राप्त की गयी है। इस प्रकार उक्त भुगतान धनराशि की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्रीमती शान्ती देवी एवं ग्रा0पं0अ0 श्री शिव कुमार सिंह से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-5

दिनांक 03.05.2014 को पानी सेट निर्माण हेतु नन्दी ब्रिक फील्ड को रू0 50000/- भुगतान कर ईंट क्रय किया जाना दर्शित है, जिसका प्रमाणक, प्रमाणक फाइल में संलग्न नहीं है, जिससे स्पष्ट है कि उक्त ब्रिक फील्ड से कोई ईंट क्रय न कर सम्पूर्ण धनराशि अपहृत कर ली गयी है, जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान श्रीमती शान्ती देवी एवं ग्रा0पं0अ0 श्री शिव कुमार सिंह से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-6

दिनांक 25.06.2014 को ग्राम निधि प्रथम बैंक ऑफ बड़ौदा खागा के खाता सं0 14210100012702 से चेक सं0 92 से प्रेम सेल्स किशनपुर रोड़ खागा को स्थानान्तरित कर रू0 20000/- भुगतान किया जाना दर्शित है। कैश बुक के आय पक्ष में भी उक्त धनराशि अंकित है। जबकि कैशबुक के व्यय पक्ष में माह जून में कहीं भी प्रेम सेल्स खागा से कुछ भी क्रय करना दर्शित नहीं है। इस प्रकार प्रेम सेल्स खागा को भुगतानित सम्पूर्ण धनराशि अपहृत कर ली गयी है। अतः रू0 20000/- की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती शान्ती देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शिवकुमार सिंह से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-7

दिनांक 30.10.2014 ग्राम निधि प्रथम खाता बैंक ऑफ बड़ौदा खागा के खाता सं0 14210100012702 से 25000/- खाता सं0 01/20831 में एवं रू0 3000/- भी दिनांक 07.11.2014 को खाता सं0 01/20831 में स्थानान्तरित किया गया है। कैशबुक में दिनांक 30.10.2014 को स्ट्रीट लाइट/सोलर लाइट मरम्मत मजदूरी गुड्डू मिस्त्री खागा को कैश भुगतान किया जाना दर्शित है, जिसका व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। जबकि रू0 3000/- का भुगतान कैश बुक में दर्शित नहीं है। इस प्रकार उपरोक्त धनराशियाँ काल्पनिक व्यय दिखाकर अपहृत कर ली गयी है।

अतः रू0 28000/- की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्रीमती शान्ती देवी एवं ग्रा0पं0अ0 श्री शिवकुमार सिंह से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-8

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित कार्यों पर निम्न प्रकार व्यय किया जाना दर्शित है:-

क्र० सं०	कार्य का नाम	ईट क्रय की धनराशि	तिथि	सीमेंट, मौरग / गिट्टी		मजदूरी
				धनराशि	दिनांक	
1.	सामुदायिक भवन निर्माण	20000	03.04.2014	13000	07.04.2014	6144
2.	मुन्ना पासी के घर से कुन्तल के घर तक नाली एवं खडन्जा निर्माण	226300	02.06.2014	27000 20000 मिट्टी	02.06.14 08.06.14	18480
3.	दुल्ला के घर से मन्दिर तक खडन्जा निर्माण	194000	25.06.2014	50000 मिट्टी	14.07.14	35880
4.	अम्बा पुरवा आर०सी०सी० से आर०सी०सी० तक खडन्जा निर्माण	239000	22.07.14 09.08.14	25000 मिट्टी	25.08.14	21060
5.	पानी सेट निर्माण	150000	03.05.14 05.09.14	64000	सीमेंट / मोरम	30720
6.	नरेश यादव के घर से शेखर के घर तक खडन्जा निर्माण	92900	12.09.14	30000 मिट्टी	15.09.14	15600
7.	गाँधी चबूतरा मरम्मत व बरगद से पुलिया तक नाली निर्माण	169300	27.09.14 20.10.14	59000 सीमेंट / मोरम	27.09.14 20.10.14	46200
8.	गाँधी दयाल की खण्डहर में पुलिया का निर्माण	13000	01.10.14	6000 सीमेंट / मोरम	01.10.14	3072
9.	नहर रोड से बचन्ना के घर तक पुलिया नाली एवं खडन्जा निर्माण	252000	07.11.14	36910 सीमेंट / मोरम 36000 मिट्टी	10.11.14 07.11.14	38016

10.	संसारपुर में रामचन्द्र के घर से मन्दिर तक खडन्जा निर्माण	350000	25.11.14 08.12.14	78000 मिट्टी	30.11.14 16.12.14	34944
11.	प्राथमिक विद्यालय की शौचालय मरम्मत	52000	24.01.15	25000 सीमेन्ट / मोरम	24.01.15	9240
12.	धूमन के पुरवा में खरंजा निर्माण	247300	27.01.15	34100 मिट्टी		38640
	योग:-	2005800		<u>273100</u> 230910	<u>मिट्टी</u> सीमेन्ट / मोरम	297996

उपरोक्त दर्शित कार्यों में मजदूरी पर 297996/- मिट्टी पुराई 273100/- सीमेन्ट, मौरंग क्रय रु0 230910/- एवं ईट क्रय रु0 2005800/- का व्यय किया जाना दर्शित है। मिट्टी क्रय के प्रमाणको में न तो रसीदी टिकट है और न ही प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी है। मजदूरी भुगतान के मस्टर रोलों पर न तो मजदूरों के नाम हैं और न ही भुगतान प्राप्ति की पुष्टि में मजदूरों के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी है। इस प्रकार मिट्टी पुराई एवं मजदूरी के भुगतान की पुष्टि के अभाव में सामग्री के उपयोग की पुष्टि नहीं होती है। यदि उपरोक्त कार्यों में कुछ व्यय हुआ भी है तो उसकी वास्तविकता की पुष्टि नहीं होती है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रु0 2807806/- का व्यय काल्पनिक रहा, जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से ग्राम प्रधान श्रीमती शान्ती देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शिवकुमार सिंह से की जानी अपेक्षित है।

नाम संस्था- गौरा ग्राम पंचायत

लेखा परीक्षा वर्ष- 2014-15

विकास खण्ड- हथगाम

जनपद- फतेहपुर

प्रस्तर-1

निम्नांकित तिथियों में कैशबुक में निम्न कार्य दर्शित है, जिसमें निम्न प्रकार है:-

क्र० सं०	कार्य का नाम	दिनांक	भुगतानित धनराशि	मद
1.	हैण्डपम्प मरम्मत	05.11.2014	20000	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री
2.	गोवर्धन के घर से गोविन्द के घर तक खण्डजा मरम्मत कार्य	22.12.2014	61900	ईट क्रय
3.	उपरोक्त कार्य	09.02.2015	105000	ईट क्रय
4.	उपरोक्त कार्य	23.12.2014	16536	नकद मजदूरी का भुगतान
5.	हैण्डपम्प मरम्मत	23.12.2014	5000	नकद मजदूरी का भुगतान
योग :-			208436.00	

उपरोक्त तिथियों में कैश बुक में रू0 20000 हैण्डपम्प मरम्मत मजदूरी एवं 166900 खरंजा मरम्मत हेतु ईट क्रय किया जाना दर्शित है। उपरोक्त दोनों कार्यों की मजदूरी रू0 16536 एवं रू0 5000 उपरोक्त दर्शित तिथियों में नकद भुगतान की गयी है। जब कि बैंक पास बुक के अनुसार दिनांक 23.12.2014 को चेक सं0 41 से रू0 21630 क्लीयरिंग के माध्यम से खाते में स्थानान्तरित किये गये हैं। जिससे स्पष्ट है कि उपरोक्त कार्यों की मजदूरी काल्पनिक है। मजदूरी काल्पनिक होने पर कार्य भी काल्पनिक हो जाता है। अतः स्पष्ट है कि रू0 208436 की धनराशि भी काल्पनिक व्यय दर्शाकर अपहृत कर ली गयी है, जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री अब्दुल कलीम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विद्याभूषण से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-2

दिनांक 07.06.2014 को कैश बुक में हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सामग्री रू0 18960 की क्रय किया जाना दर्शित है एवं हैण्डपम्प मरम्मत की मजदूरी रू0 10000 दिनांक 10.06.2014 को भुगतान की जानी दर्शित है। जबकि उपरोक्त धनराशि दिनांक 07.06.2014 को चेक सं0 30 से 28960 की धनराशि क्लीयरिंग के माध्यम से खाते से स्थानान्तरित की गयी है। इस प्रकार कैशबुक में हैण्डपम्प सामग्री एवं मजदूरी पर कुल धनराशि रू0 28960 का नकद भुगतान द्वारा काल्पनिक व्यय दर्शाकर अपहृत कर ली गयी है, जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री अब्दुल कलीम एवं ग्रा0पं0अ0 श्री विद्याभूषण से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-3

दिनांक 31.12.2014 को कैशबुक के अनुसार बैंक खाते का बैलेन्स रू0 401332 था। दिनांक 30.01.2015 को बैंक खाते से रू0 1500 निकासी की गयी है एवं बैंक खाते का बैलेन्स माह जनवरी के अन्त में रू0 170512 दर्शित है। जबकि कैशबुक की प्रविष्टियों के अनुसार बैंक खाते का बैलेन्स रू0 399832 होना चाहिए। इस प्रकार अन्तर 229320 कैशबुक के अनुसार रहा। दिनांक 30.04.2014 को कैशबुक में बैंक खाता में जमा धनराशि रू0 274391 दर्शित है। जबकि बैंक पासबुक में बैंक खाता में इसी दिनांक में जमा रू0 45071 दर्शित है। इस प्रकार दोनों का अन्तर 229320 का रहा। 01.04.2014 से 30.04.2014 तक की बैंक पासबुक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही। माह अप्रैल में कैशबुक के अनुसार रू0 223749 क्रेडिट एवं रू0 132300 डेबिट किया गया दर्शित है। जबकि कैशबुक में दिनांक 01.04.2014 को बैंक खाते का बैलेन्स रू0 182942 दर्शित है। इस प्रकार दिनांक 01.04.2014 को भी दोनों का अन्तर रू0 229320 रहा। यह रू0 229320 का अन्तर आलोच्य वर्ष से पहले का है एवं इसका सम्बन्ध निकासी की धनराशि का कैशबुक में अंकन न होने से प्रतीत होता है। अतः विभागीय जाँच एवं पुष्टि के उपरान्त (निकासी की धनराशि होने की दशा में) ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

नाम संस्था— ग्राम पंचायत यौहन

लेखा परीक्षा वर्ष— 2014—15

विकास खण्ड— हथगाम

जनपद— फतेहपुर

प्रस्तर—1

दिनांक 01.12.2014 को प्रधान के पास नकद धनराशि रु0 90.00 थी। दिनांक 11.12.2014, 11.12.2014, 16.12.2014 एवं 30.12.2014 को क्रमशः रु0 13500.00, 5000.00, 25250.00 एवं 5000.00 कुल धनराशि रु0 48750.00 बैंक से आहरित करने के बाद माह के आय पक्ष का योग— रु0 48440.00 दर्शाया गया है जबकि आय पक्ष का योग 48840.00 होना चाहिए। इस प्रकार आय पक्ष का योग रु0 400.00 से कम दर्शाकर रोकड़ अपहृत कर लिया गया है। अतः रु0 400.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री खतील अहमद एवं ग्रा0पं0अ0 श्री बाबूलाल से बराबर बराबर तारीख की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर—2

दिनांक 31.10.2014 को बैंक खाते का बैलेन्स रु0 278328.00 था, दिनांक 20.11.2014 को चेक संख्या—006916 से धनराशि रु0 7500.00 आहरित की गयी है, जबकि कैशबुक में उक्त तिथि को बैंक से आहरित रु0 5000.00 दर्शाया गया है। इस प्रकार आहरित धनराशि रु0 2500.00 से कम कैशबुक में दर्शाकर रु0 2500.00 रोकड़ की धनराशि अपहृत कर लिया गया है। अतः रु0 2500.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री खतील अहमद एवं ग्रा0पं0अ0 श्री बाबूलाल से बराबर बराबर की जानी अपेक्षित है।

नाम संस्था— लहंगी

लेखा परीक्षा वर्ष— 2014—15

विकास खण्ड— मलवाँ,

जनपद— फतेहपुर

प्रस्तर—1

बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा मलवाँ खाता संख्या 08650100014319 से दिनांक 26.07.14 को चेक नं0 000063 द्वारा रु0 20000 अकाउन्ट पेयी चेक से श्री राना के नाम भुगतान किया जाना पास बुक में अंकित है, किंतु कैशबुक में कोई भी भुगतान उक्त धनराशि की श्री राना को नहीं किया गया है। व्यय प्रमाणक भी लेखा परीक्षा उपलब्ध नहीं कराया गया। इस प्रकार श्री राना को अकाउन्ट पेयी चेक से भुगतान कर उक्त धनराशि का आहरण कर लिया गया है। अतएव उक्त धनराशि की आधी रकम रु0 10000.00 ग्राम प्रधान श्रीमती रामादेवी व रु0 10000.00 ग्रा0पं0वि0 अधिकारी श्री प्रमोद सोनकर से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर—2

बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा मलवाँ खाता संख्या 08650100014319 से दिनांक 21.08.14 को चेक नं0 000074 के द्वारा रु0 20000 अज्ञात को ट्रांसफर किया जाना पासबुक में दर्ज है, किंतु कैशबुक में उक्त तिथि को उक्त चेक नं0 की रकम से डामर रोड से जागेश्वर तक खड़न्जा निर्माण कार्य के मस्टर रोल पर रु0 21480.00 भुगतान दर्शाया गया है। उक्त ट्रांसफर धनराशि किसको ट्रांसफर की गयी, की पुष्टि नहीं करायी गयी। चूँकि मस्टर रोल से मजदूरों को भुगतान नगद किया जाता है, तो रु0 20000.00 किसके खाते में ट्रांसफर किया गया है। मस्टर रोल के समय मजदूरों की सूची संलग्न कर पुष्टि नहीं करायी गयी। इस प्रकार रु0 20000.00 का प्रधान एवं ग्रा0पं0वि0 अधिकारी द्वारा अपहरण किया गया। अतएव उक्त धनराशि की आधी रकम रु0 10000.00 प्रधान श्रीमती रामा देवी व रु0 10000.00 ग्रा0पं0वि0 अधिकारी श्री प्रमोद सोनकर से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-3

आलोच्य वर्ष में निम्न विवरणानुसार आँगनबाड़ी केन्द्र निर्माण हेतु सामग्री क्रय की जानी दर्शायी गयी है, किंतु किसी भी आँगनबाड़ी केन्द्र का निर्माण लेखा परीक्षा तिथि तक नहीं किया गया है तथा आँगनबाड़ी केन्द्र निर्माण हेतु तथाकथित वाउचरों में क्रय दर्शित सामग्रियों की मात्रा तथा सामग्री स्टॉक रजिस्टर में दर्ज सामग्रियों के मात्रा में अंतर पाया गया, तथा निम्न विवरणानुसार कुछ प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिससे प्रतीत होता है कि आँगनबाड़ी केन्द्र हेतु आलोच्य वर्ष में या तो कोई सामग्री क्रय नहीं की गयी अथवा क्रय दर्शित सामग्री की मात्रा से कम क्रय की गयी। अतएव बिना प्रमाणक क्रय दर्शित सामग्रियों तथा स्टॉक में कम क्रय दर्शित सामग्रियों की धनराशि ₹0 178150.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्रीमती रामादेवी एवं ग्रा0पं0वि0 अधिकारी श्री प्रमोद सोनकर से आधी-आधी मु0 89075.00 की जानी अपेक्षित है। जिसका विवरण निम्न प्रकार रहा :-

वाउचर के अनुसार				स्टॉक रजिस्टर के अनुसार				
क्रय दिनांक	मद	मात्रा	कुल धनराशि	क्रय दिनांक	मद	मात्रा	दर	कुल धनराशि
26.02.15	सीमेंट, मोरंग	वाउचर अप्राप्त	32000.00	26.02.15	सीमेंट, मोरंग	—	—	—
14.03.15	ईंट	6500 नग	48750.00	14.03.15	ईंट	2500नग	7500	18750
19.03.15	दरवाजा / खिड़की	वाउचर अप्राप्त	20750.00	14.03.15	दरवाजा / खिड़की	—	—	—
25.03.15	ईंट	10000 नग	75000.00	25.03.15	ईंट	3500नग	7500	26250
26.03.15	सरिया	वाउचर प्राप्त	20250.00	26.03.15	सरिया	—	—	—
26.03.15	आर.सी. सी.गिट्टी	वाउचर प्राप्त	26400.00	26.03.15	आर.सी. सी. गिट्टी	—	—	—
		योग	223150.00				योग	45000
योग्य धनराशि 223150= (-)				45000.00 = 178150.00				

प्रस्तर-4

दिनांक 19.03.15 को बैंक ऑफ बड़ौदा मलवाँ के खाता संख्या 08650100014319 से चेक नं0 000120 के द्वारा ₹0 43800.00 अज्ञात को ट्रॉसफर किया जाना पासबुक में दर्शित है, किंतु कैशबुक में उक्त तिथि को वाउचर नं0 65 द्वारा किसी बिल का भुगतान ₹0 43800.00 किया जाना दर्ज है। किंतु लेखा परीक्षा में उक्त बिल प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही मौखिक रूप से उक्त बिल किस मद का है, जानकारी प्रदान की गयी। अतएव व्यय प्रमाणक के अभाव में नियमानुसार उक्त धनराशि का

आहरण/अपहरण मानते हुए, उक्त धनराशि रु0 43800 की ब्याज सहित वसूली क्रमशः आधी-आधी रु0 21900 प्रधान श्रीमती रामा देवी तथा रु0 21900.00 ग्रा0पं0वि0 अधिकारी श्री प्रमोद सोनकर से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-5

आलोच्य वर्ष में निम्न विवरणानुसार खडन्जा निर्माण हेतु रु0 209948.00 की ईट वाउचर के अनुसार कोषांकित है, जबकि स्टाक रजिस्टर में मात्र रु0 48180.00 की ईट ही क्रय दर्शित है। इस प्रकार रु0 161768.00 का अपहरण किया गया है। कैश बुक में नाम दर्ज खडन्जों का निर्माण भी लेखा परीक्षा तिथि तक नहीं कराया गया। इस प्रकार रु0 161768.00 का अपहरण मानते हुए उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली, संयुक्त रूप से ग्राम प्रधान श्रीमती रामादेवी व ग्रा0पं0वि0 अधिकारी श्री प्रमोद सोनकर से आधी-आधी रु0 80884.00 से की जानी अपेक्षित है।

वाउचर के अनुसार				स्टाक रजिस्टर के अनुसार					वसूली हेतु अंतर की धनराशि
क्रय दिनांक	मद	मात्रा	धन राशि	दिनांक	मद	स्टाक रजिस्टर पेज संख्या	मात्रा	धन राशि	
16.03.15	ईट	8000 नग	58400	16.03.15	ईट	07	1400	10220	48180
23.03.15	ईट	11760	85848	23.03.15	ईट	07	1700	12410	73438
23.03.15	ईट	9000	65700	23.03.15	ईट	07	3500	25550	40150
		योग	209948				योग	48180	161768

प्रस्तर-6

दिनांक 03.05.14 को चेक नं0 0043 से रु0 43840.00 मेसर्स मौल श्री ट्रेडर्स को कपूर के दरवाजे से श्री राम के दरवाजे तक भगवान खेड़ा में मिट्टी पुराई नाली व खडन्जा निर्माण का भुगतान कैश बुक में अंकित है, किंतु लेखा परीक्षा में सम्बन्धित व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया। अतएव नियमानुसार व्यय प्रमाणक के अभाव में रु0 43840.00 अपहरण किया जाना मानते हुए उक्त धनराशि की आधी रकम की ब्याज सहित वसूली रु0 21920.00 ग्राम प्रधान श्रीमती रामादेवी तथा रु0 21920.00 ग्रा0पं0वि0 अधिकारी श्री प्रमोद सोनकर से की जानी अपेक्षित है।

नाम ग्राम पंचायत- अन्दमऊ

लेखा परीक्षा वर्ष- 2014-15

विकास खण्ड- धाता,

जनपद- फतेहपुर

प्रस्तर-1

वर्ष 2014-15 में 15.04.2014 से 26.04.2014 तक पक्की सड़क में भरत सिंह के घर तक खडन्जा मरम्मत हेतु ईट क्रय, पुराना खडन्जा उखड़वाई, मिट्टी पुराई एवं मजदूरी पर कुल रु0 65872.00 का व्यय किया गया है। जिस पर निम्न आपत्तियां हैं।

- (क) उक्त कार्य हेतु व्यय होने वाली राशि का अनुमानित व्यय विवरण पत्र तैयार नहीं कराया गया है।
- (ख) सक्षम तकनीकी अधिकारी से प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि पक्की सड़क में भरत सिंह के घर तक खडन्जा का कार्य पूर्ण होने के बाद पुनः निम्न विवरण के अनुसार उसी कार्य हेतु नाजिमा ब्रिक्स फील्ड को ईट क्रय का भुगतान दर्शित है—

प्र0सं0	दिनांक	धनराशि
18	10.08.2014	95400.00
19	30.08.2014	35000.00
योग		130400.00

इस प्रकार रू0 130400.00 का ईट क्रय हेतु फर्जी भुगतान दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-2

प्र0सं0 16 दिनांक 16.06.2014 हैण्डपम्प मरम्मत हेतु राजू मशीनरी स्टोर से रू0 24300 का सामान क्रय किया गया है, जिसका प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। तथा प्र0सं0 17 दिनांक 08.07.2014 द्वारा 10 हैण्डपम्प की मजदूरी पर रू0 5000.00 का क्रय दर्शित है, जिसके सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ हैं—

- (क) हैण्डपम्प खराब होने एवं मरम्मत कराये जाने की पुष्टि में किसी सदस्य का आवेदन पत्र उपलब्ध नहीं रहा।
- (ख) क्रय सामग्री का प्रमाणक लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा।
- (ग) सामग्री क्रय के एक माह बाद मरम्मत कार्य पर व्यय दर्शित है।

उपरोक्त कारणों से हैण्डपम्प सामान एवं मरम्मत पर व्यय फर्जी प्रतीत होता है, जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से रू0 29300.00 संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

नाम ग्राम पंचायत— दपसौरा

लेखा परीक्षा वर्ष— 2014—15

विकास खण्ड— अमौली,

जनपद— फतेहपुर

प्रस्तर-1

आलोच्य वर्ष के ग्राम निधि प्रथम (राज्य वित्त/13वां वित्त) में कुल व्यय की गई धनराशि रू0 1086874.00 के सापेक्ष हैंडपंप निर्माण/मरम्मत में रू0 1003450.00 व्यय दर्शाया गया है। यह व्यय धनराशि सम्पूर्ण व्यय की 91.34 प्रतिशत है। जिसमें निम्न गम्भीर आपत्तियाँ पायी गई—

1. इसके कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये।
2. अधिकांशतः चेक सचिव/प्रधान/फर्म के नाम काटे गये हैं, जिसमें सचिव व प्रधान के नाम चेक काटना आपत्तिजनक रहा।
3. संस्था द्वारा हैंडपंप निर्माण/मरम्मत के स्थान की कोई सूची प्रस्तुत नहीं की गई।
4. उक्त कार्यों की पुष्टि में सक्षम अधिकारी के कार्यपूर्ति जाँच प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये।
5. कार्यवाही रजि0 के अभाव में उक्त कराये गये कार्यों के प्रस्ताव व अनुमोदन की पुष्टि नहीं होती है।
6. दौरान लेखा परीक्षा स्टॉक रजिस्टर उपलब्ध नहीं कराया गया।

उपरोक्त आपत्तियों से स्पष्ट है कि सम्पूर्ण व्यय धनराशि का 92.34 प्रतिशत पेयजल व्यवस्था में दर्शाकर नियम विरुद्ध कार्य दर्शाया गया है। अतः काल्पनिक व्यय बनाकर रू0 1003450.00 प्रधान व सचिव द्वारा अपहरण कर लिया गया है। यहाँ पर उल्लेखनीय है कि वित्त एवं लेखा प्रबन्ध

मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा 8(क) के अनुसार दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी।

अस्तु **रु0 1003450.00** की प्रधान श्रीमती कमला देवी व सचिव श्री रमेश चन्द्र से बराबर-बराबर ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है व अपहरण होने के कारण वैधानिक कार्यवाही भी की जानी अपेक्षित है।

नाम ग्राम पंचायत- रज्जीपुर छिवलहा

लेखा परीक्षा वर्ष- 2014-15

विकास खण्ड- हथगाम,

जनपद- फतेहपुर

प्रस्तर-1

दिनांक 30.11.2014 को बैंक पासबुक एवं कैश बुक में अन्तिम बैलेन्स रु0 1093883 था। माह दिसम्बर 2014 में कैश बुक के अनुसार आहरित धनराशि रु0 545000 एवं कैश बुक तथा पासबुक के अनुसार जमा धनराशि रु0 573458 दर्शाने के बाद 31 दिसम्बर 2014 को बैलेन्स रु0 915459 कैश बुक एवं बैंक पासबुक दोनों में ही दर्शाया गया है, जबकि उपरोक्त के अनुसार वास्तविक बैलेन्स रु0 1122341 होना चाहिए। इस प्रकार बैलेन्स अन्तर रु0 206882 रहा, जिसका विवरण पासबुक के अनुसार निम्न रहा :-

दिनांक	आहरण की धनराशि	चेक संख्या	टिप्पणी
25.12.2014	5000	521804	—
27.12.2014	100000	521796	—
29.12.2014	5000	521809	—
तिथि अंकित नहीं है।	96882	चेक सं0 अंकित नहीं है।	बिना प्रविष्टि के बैलेन्स में कमी
योग	206882	—	—

उपरोक्त आहरण की धनराशियाँ कैश बुक के आय पक्ष में अंकन न करके अपहृत कर ली गयी है, जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री छेद्दू एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विद्याभूषण से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है। इसके साथ सम्बन्धित व्यक्तियों पर विधिक (लीगल) कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-2

दिनांक 11.08.2014 को कैश बुक के अनुसार रु0 46660 की हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री क्रय किया जाना दर्शित है एवं दिनांक 17.10.2014 को उपरोक्त हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री से हैण्डपम्प मरम्मत की मजदूरी रु0 15000 नकद भुगतान किया जाना दर्शित है, जबकि उक्त रु0 15000 की धनराशि बैंक पासबुक के अनुसार नकद न आहरण होकर चेक संख्या 521792 से एस0बी0आई0 ट्रान्सफर के माध्यम से स्थानान्तरित की गयी है। इससे स्पष्ट है कि उक्त कार्य काल्पनिक दर्शाकर रु0 46660+15000 = 61660 की धनराशि अपहृत कर ली गयी है, जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से प्रधान श्री छेद्दू तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विद्याभूषण से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-3

दिनांक 21.10.2014 को कैशबुक में बैंक खाता से रू0 14690 आहरित दर्शाकर कमल मशीनरी स्टोर छिवलहा से हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री क्रय की गयी दर्शित है। इसी प्रकार दिनांक 05.11.2014 को रू0 23000 आहरित कर कमल मशीनरी स्टोर छिवलहा से हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री नकद क्रय किया जाना दर्शित है। दिनांक 05.12.2014 को उपरोक्त हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री से हैण्डपम्प मरम्मत की मजदूरी रू0 5000 का भुगतान किया जाना दर्शित है। जबकि रू0 14690 बैंक पासबुक के अनुसार चेक सं0 521793 से गोण्डा कलीयरिंग के माध्यम से स्थानान्तरित किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि उपरोक्त कार्यो को काल्पनिक दर्शाकर समस्त धनराशि रू0 42690 की धनराशि अपहृत कर ली गयी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से प्रधान श्री छेद्दू एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विद्याभूषण से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-4

दिनांक 21.01.2014 को कमल मशीनरी स्टोर छिवलहा से कैशबुक में हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री रू0 32624 की क्रय की गयी है, किन्तु उक्त सामग्री से हैण्डपम्प मरम्मत की मजदूरी नहीं भुगतान की गयी है, जिससे स्पष्ट है कि उपरोक्त सामग्री का उपयोग नहीं किया गया है। उक्त खरीद काल्पनिक दर्शाकर रू0 32624 का अपहरण कर लिया गया है। अतः रू0 32624 की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री छेद्दू एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विद्याभूषण से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-5

माह जनवरी, फरवरी मार्च 2015 में कैशबुक में निम्नलिखित कार्यानुसार व्यय दर्शित है।

(i) राजरानी के घर से बृजलाल के घर तक खरंजा निर्माण		
02.01.2015	ईंट क्रय	200000
12.01.2015	मिट्टी पुराई	40000 नकद
12.01.2015	मजदूरी	21200 नकद
	योग	261200
(ii) गुण्डा के घर के पीछे से सुखलाल के घर तक नाली निर्माण		
15.01.2015	ईंट क्रय	60000 नकद
06.02.2015	सीमेन्ट, मोरम क्रय	40000 नकद
12.02.2015	मजदूरी	15360
	योग	115360
(iii) सावन से बलराम की दूकान तक नाली निर्माण		
16.02.2015	ईंट क्रय	23640 नकद
16.02.2015	सीमेन्ट, मोरम क्रय	20000 नकद
11.03.2015	मजदूरी	14856
	योग	58496

उपरोक्त कार्यो में कुल रू0 435056 व्यय किया गया दर्शित है। इनमें से रू0 235096 नकद भुगतान किया गया है। जबकि 01.01.2015 से 11.03.2015 तक मात्र रू0 65000 नकद धनराशि बैंक से

आहरित की गयी है। इस धनराशि से भी रू0 3821 स्टेशनरी पर व्यय किया गया है। इस प्रकार इन कार्यों हेतु मात्र रू0 61179 नकद उपलब्ध थे। दिनांक 15.01.2015 को रू0 110000 चेक सं0 521813 इलाहाबाद क्लीयरिंग के माध्यम से एवं 06.02.2015 को रू0 74000 चेक सं0 521813 इलाहाबाद क्लीयरिंग के माध्यम से खाते में स्थानान्तरित किये गये हैं। जिन्हें विभिन्न कार्यों में नकद व्यय दर्शाया गया है। इन कार्यों के कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं कार्यवाही रजिस्टर लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे। जिससे स्पष्ट होता है कि उपरोक्त कार्यों में किये गये व्यय काल्पनिक हैं। यदि इन कार्यों में कुछ व्यय किया भी गया है तो भी उपरोक्त व्यय वास्तविक नहीं है। इस प्रकार काल्पनिक व्यय दर्शाकर रू0 435056 की धनराशि अपहृत कर ली गयी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री छेदू एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विद्याभूषण से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

नाम ग्राम पंचायत— ऊदूपुर
विकास खण्ड— अमौली,
प्रस्तर—1

लेखा परीक्षा वर्ष— 2014—15
जनपद— फतेहपुर

आलोच्य वर्ष 2013—14 की कैशबुक में दिनांक 11.03.14 को अन्तिम निकासी की गई है, जिसका दिनांक 11.03.2014 को अन्तिम बैंक अवशेष रू0 252430.00 है। वर्ष 2014—15 की कैशबुक में प्रारम्भिक बैंक अवशेष रू0 33078.00 दर्शित है, जो कि बैंक स्टेटमेंट के अनुसार सही पाया गया है। इस प्रकार दिनांक 12.03.2014 से 31.03.2014 के बीच संस्था को प्राप्त होने वाली आय व व्यय का कैश बुक में लेखा नहीं किया गया है, जिसके आय—व्यय का उल्लेख प्रिया साफ्टवेयर में भी नहीं है। जिसका विवरण निम्न है—

दिनांक	डेबिट	क्रेडिट
11.03.2014 को अवशेष	—	252430.00
12.03.2014 को जमा	—	45145.00
19.03.2014 को निकासी	33831—(पेड सुरेश सिंह)	
20.03.2014 को निकासी	90666—(पेड बिन्दकी फते0)	
21.03.2014 को निकासी	10000—(पेड रोहित सिंह)	
21.03.2014 को निकासी	30000—(पेड सुरेश सिंह)	
27.03.2014 को निकासी	10000—(पेड सुरेश सिंह)	
योग—	264497.00	योग—297575.00
31.03.2014 को बैंक अवशेष—		33078.00

अस्तु आहरित धनराशि रू0 264497.00 कैश बुक में दर्ज न कर अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री सुरेश सिंह व ग्राम पंचायत सचिव श्री रोहित सिंह राना से बराबर—बराबर की जानी अपेक्षित है। अपहरण होने के कारण वैधानिक कार्यवाही भी की जानी अपेक्षित है।

नाम संस्था— इटोलीपुर ग्राम पंचायत
विकास खण्ड— विजयीपुर
प्रस्तर—1

लेखा परीक्षा वर्ष— 2014—15
जनपद— फतेहपुर

निम्नांकित तिथियों को कैशबुक में हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सामग्री क्रय किया जाना एवं हैण्डपम्प मरम्मत मजदूरी पर व्यय दर्शाया गया है, जिसका विवरण निम्न है:—

क्र० सं०	दिनांक	क्रय हैण्डपम्प सामग्री	धनराशि	
			सामग्री	मजदूरी
1.	22.04.2014	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सामग्री क्रय	35500.00	10000.00
2.	22.04.2014	हैण्डपम्प मरम्मत मजदूरी का भुगतान		
3.	02.08.2014	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सामग्री क्रय	15000.00	7000.00
4.	24.09.2014	हैण्डपम्प मरम्मत मजदूरी का भुगतान		
5.	07.10.2014	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सामग्री क्रय	11980.00	6000.00
6.	16.10.2014	हैण्डपम्प मरम्मत मजदूरी का भुगतान		
		योग—	62480.00	23000.00

उपरोक्त सामग्री क्रय रुपये—62480.00 एवं मरम्मत मजदूरी रुपये—23000.00 से सम्बन्धित कोई प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया एवं जल संसाधन समिति की कोई स्वीकृति लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी तथा कितने हैण्डपम्पों की मरम्मत/किसके घर के पास का कोई विवरण अंकित नहीं किया गया है। जल संसाधन समिति की स्वीकृति एवं प्रमाणक के अभाव में उपरोक्त व्यय काल्पनिक है। अतः रुपये 85480.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री दिनेश एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विकास पाल से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर—2

निम्नांकित तिथियों में कैशबुक में निर्माण कार्य पर निम्न व्यय किये गये हैं, जिसका विवरण निम्न है:—

क्र० सं०	दिनांक	क्रय हैण्डपम्प सामग्री	धनराशि	
			सामग्री	मजदूरी
1.	04.04.2014	विवरण दर्शित नहीं है।	98000.00	.
2.	16.04.2014	खण्डजा मरम्मत हेतु ईंट क्रय	129500.00	.
3.	20.04.2014	खण्डजा हेतु मिट्टी पुराई	.	15000.00
4.	22.04.2014	खण्डजा निर्माण हेतु मजदूरी	.	22040.00
5.	03.06.2014	खण्डजा/नाली मरम्मत सामग्री क्रय हेतु भुगतान	49000.00	.
6.	16.06.2014	नाली मरम्मत हेतु सीमेण्ट, मोरम क्रय	20464.00	.
7.	18.06.2014	खण्डजा निर्माण हेतु मजदूरी पर व्यय	.	22176.00
8.	18.06.2014	खण्डजा हेतु मिट्टी पुराई पर मजदूरी	.	18000.00
9.	17.07.2014	खण्डजा/नाली मरम्मत सामग्री क्रय हेतु भुगतान	35000.00	.

10.	17.07.2014	खण्डजा / नाली मरम्मत हेतु मजदूरी	.	7020.00
11.	18.07.2014	खण्डजा हेतु मिट्टी पुराई पर मजदूरी	.	3000.00
12.	18.07.2014	खण्डजा / नाली हेतु ईट क्रय	63000.00	.
13.	16.08.2014	खण्डजा / नाली हेतु ईट क्रय	19600.00	.
14.	16.08.2014	खण्डजा हेतु मिट्टी पुराई हेतु मजदूरी	.	13500.00
15.	18.08.2014	खण्डजा निर्माण मरम्मत हेतु मजदूरी	.	23520.00
16.	18.08.2014	खण्डजा मरम्मत हेतु ईट क्रय	56000.00	.
17.	04.09.2014	खण्डजा हेतु मिट्टी पुराई पर मजदूरी	.	9000.00
18.	09.09.2014	खण्डजा मरम्मत हेतु मजदूरी	.	12480.00
		योग—	470564.00	145736.00

उपरोक्त दर्शित कार्यों का कोई विवरण (कहाँ से कहाँ तक एवं लम्बाई, चौड़ाई आदि) अंकित नहीं किया गया है। उपरोक्त दर्शित कार्य में जो सामग्री क्रय किया जाना दर्शित है, उसका कोई विवरण अंकित नहीं है। कार्य की प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कार्यों का सक्षम तकनीकी अधिकारी से प्रमाणित कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र माप पुस्तिका तथा प्रमाणक के अभाव में किया गया समस्त व्यय काल्पनिक रहा। इस प्रकार सामग्री क्रय करने पर किया गया व्यय रुपये 470564.00 एवं मिट्टी पुराई/मजदूरी पर व्यय रुपये—145736.00 कुल रूपया—616300.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री दिनेश एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विकास पाल से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत— ममरेजपुर
विकास खण्ड— मलवाँ
प्रस्तर—1

लेखा परीक्षा वर्ष— 2014—15
जनपद— फतेहपुर

बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा मलवाँ खाता सं० 08650100014366 से दिनांक 20.06.14 को चेक नं० 44 द्वारा रू० 30000.00 अकाउन्ट पेयी चेकसे श्री राजकुमार के नाम भुगतान किया जाना पास बुक में अंकित है, किंतु कैशबुक में कोई भी भुगतान उक्त धनराशि का श्री राजकुमार को नहीं किया गया है। जबकि कैशबुक में दिनांक 20.06.2014 को वाउचर क्रमांक 12 द्वारा कैशमेमो सहित ब्रिक फील्ड को 4900 नग ईट सीधा खंजर दर रू० 6300/— हजार मय भाड़ा रू० 30870 बावत खडन्जा निर्माण छेदी लाल के दरवाजे से मिश्रीलाल के दरवाजे तक भुगतान दर्शाया गया है, जिसका व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। क्या राजकुमार किसी फर्म का नाम है, जो उनके नाम चेक काटा गया। कैश बुक में दर्शित व्यय का भुगतान रू० 30870.00 साहिल ब्रिक फील्ड के नाम से अंकित है। यदि 'साहिल ब्रिक फील्ड' कोई फर्म है तो इसी फर्म के नाम चेक का भुगतान क्यों नहीं किया गया। अतएव व्यय प्रमाणक के अभाव में नियमानुसार उक्त धनराशि रू० 30870.00 का अपहरण मानते हुए उक्त धनराशि की आधी रकम रू० 15435.00 ग्राम प्रधान श्रीमती सरोज व आधी रकम रू० 15435.00 ग्रा०पं०वि० अधिकारी श्री आदित्य श्रीवास्तव से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-2

बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा मलवाँ खाता संख्या 0865010100014366 से दिनांक 08.07.14 को चेक नं० 63 द्वारा रू० 30000 अकाउन्ट पेयी चेक से श्री राज कुमार के नाम भुगतान किया जाना पासबुक में अंकित है। किंतु कैशबुकें कोई भी भुगतान उक्त धनराशि का श्री राज कुमार को नहीं किया गया है। व्यय प्रमाणक भी उपलब्ध नहीं कराया गया। इस प्रकार श्री राज कुमार को अकाउन्ट पेयी चेक से भुगतान कर उक्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। अतएव उक्त धनराशि की आधी रकम रू० 15000.00 प्रधान श्रीमती सरोज तथा रू० 15000.00 ग्रा०पं०वि० अधिकारी श्री आदित्य श्रीवास्तव से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-3

बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा मलवाँ खाता संख्या 08650100014366 से दिनांक 14.07.2014 को चेक नं० 65 द्वारा रू० 20000.00 अज्ञात को ट्रांसफर किया जाना पासबुक में दर्ज है, किंतु कैशबुक में उक्त तिथि को उक्त चेक नं० की रकम से रसीदें 25 ट्राली मिट्टी दर रू० 350.00 ट्राली कुल रू० 8750 अजय कुमार, ट्रैक्टर नं० यू.पी. 71ए/5765, को नाली निर्माण विशाल के दरवाजे से राजकुमार के घर तक के कार्य पर, भुगतान दर्शाया गया है। उक्त ट्रांसफर धनराशि किसको ट्रांसफर की गयी है, की पुष्टि नहीं करायी गयी। चूंकि कैशबुक में रू० 20000.00 किसी को ट्रांसफर दर्शित नहीं किया गया है। अतएव रू० 20000.00 अज्ञात को ट्रांसफर कर अपहरण कर लिया गया है। अतएव उक्त धनराशि की आधी रकम रू० 10000.00 ग्राम प्रधान श्रीमती सरोज व रू० 10000.00 ग्रा०पं०वि० अधिकारी श्री आदित्य श्रीवास्तव से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-4

बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा मलवाँ खाता संख्या 08650100014366 से दिनांक 24.02.2015 को चेक नं० 95 द्वारा रू० 15000.00 साहिल ब्रिक फील्ड को भुगतान किया जाना पासबुक में दर्शित है, किंतु कैशबुक में उक्त तिथि को वाउचर नं० 47 द्वारा कैशमेमो' साहिल ब्रिक फील्ड' को 3000 नग सीधा खंजर ईंट दर 7000/- हजार खडन्जा मरम्मत मेड़ी के दरवाजे से ननका सविता के घर तक रू० 21000.00 भुगतान दर्शाया जाना अंकित है। किंतु लेखा परीक्षा में उक्त कैशमेमो प्रस्तुत नहीं किया गया। अतएव व्यय प्रमाणक के अभाव में नियमानुसार उक्त धनराशि रू० 21000.00 का अपहरण मानते हुए, उक्त धनराशि की आधी रकम रू० 10500.00 ग्राम प्रधान श्रीमती सरोज व आधी रकम रू० 10500.00 ग्रा०पं०वि० अधिकारी श्री आदित्य श्रीवास्तव से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- गोबर्धनपुर

विकास खण्ड- भिटौरा

लेखा परीक्षा वर्ष- 2014-15

जनपद- फतेहपुर

प्रस्तर-1

आलोच्य वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा हेतु सम्बन्धित कर्मचारी से लिखित एवं मौखिक बार-बार ग्राम पंचायत के अभिलेख की मांग की गई परन्तु लेखा परीक्षा हेतु निर्धारित तिथि एवं अन्य तिथियों को भी सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा अभिलेख नहीं उपलब्ध कराया गया जबकि पंचायती राज अनुभाग-2 उ०प्र० सरकार की अधिसूचना संख्या- 1407/33.2-2011-72 जी/2011 दिनांक 30 मार्च 2011 तक निदेशक उ०प्र० पंचायतीराज लखनऊ पत्रांक संख्या- 1/1165/2014-1/47/ग्रा०पंचायत अधि०/09 लखनऊ दिनांक 29 जून 2014 के क्रम में तथा उ०प्र० पंचायती राज अधिनियम व नियमावली 1947 के नियम 182

व 186 में दी गई व्यवस्था के अन्तर्गत लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत के समस्त अभिलेख लेखा परीक्षा दल को उपलब्ध कराने को निर्देशित है, परन्तु सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उक्त शासनादेशों एवं नियम, अधिनियम की अवहेलना की गई और अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया, तदुपरान्त प्रिया साफ्ट फीडिंग में फीड वर्ष 2014-15 की कैश बुक निकालकर ऑडिट पूर्ण की गई जिसके बाउचर या व्यय प्रमाणक हेतु दिनांक 31.03.2016 को खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से पत्र द्वारा सम्बन्धित कर्मचारी से उपलब्ध कराने हेतु कहा गया, जिसे नहीं उपलब्ध कराने के कारण राशि अपहरण की गई सिद्ध होती है। वर्ष 2014-15 में निम्न राशि 13वां वित्त एवं राज्य वित्त आयोग की आहरण की गई है –

माह	राशि	माह	राशि
मई 14	71402	दिसम्बर 14	69305
जून 14	157698	जनवरी 15	40930
अगस्त 14	177070	मार्च 15	89290
नवम्बर 14	57500		
		योग	663195
		31.03.14 को पास	640
		प्रधान नकद शेष	
कुल योग			663835

उक्त आहरित धनराशि रु0 663835.00 के सापेक्ष बाउचर एवं मस्टर रोल नहीं प्रस्तुत है, ग्राम पंचायत के कृत कार्य का भौतिक सत्यापन प्रपत्र भी सहायक विकास अधिकारी पंचायत द्वारा नहीं प्रस्तुत है, अतः उक्त दोनों के अभाव में व्यय संदिग्ध सिद्ध होता है। अतः उक्त आहरण का अपहरण प्रधान एवं पंचायत अधिकारी द्वारा किया जाना सिद्ध होता है।

आलोच्य वर्ष- 2014-15 का व्यय विवरण निम्नवत है-

1.	नाली निर्माण पर व्यय	303220
2.	शौचालय निर्माण एवं मरम्मत	102210
3.	हैण्डपम्प सामग्री क्रय/मरम्मत व्यय	76930
4.	मानदेय प्रधान	30000+12500= 42500
5.	अन्य व्यय	113805
योग कुल व्यय		626165+12500= 638665

उक्त आहरित राशि रु0 663835.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री श्रीराम गुप्ता एवं ग्राम प्रधान श्रीमती संतोष कुमारी से क्रमशः 50-50 प्रतिशत ब्याज सहित वसूली कर ग्राम पंचायत कोष में जमा किए जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकर्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-16)

ग्राम पंचायत- सराय उदई

लेखा परीक्षा वर्ष- 2014-15

विकास खण्ड- भिटौरा

जनपद- फतेहपुर

प्रस्तर-1

आलोच्य वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा हेतु सम्बन्धित कर्मचारी से लिखित एवं मौखिक बार-बार ग्राम पंचायत के अभिलेख की मांग की गई परन्तु कर्मचारी द्वारा लेखा परीक्षा हेतु निर्धारित दिवस एवं अन्य दिवसों को ऑडिट हेतु नहीं अभिलेख नहीं उपलब्ध कराया गया जबकि पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0 सरकार की अधिसूचना संख्या- 1407/33.2-2011-72 जी/2011 दिनांक 30 मार्च 2011 तथा निदेशक

उ०प्र० पंचायतीराज लखनऊ पत्रांक संख्या- 1/1165/2014-1/47/ ग्रा०पंचायत अधि०/०९ लखनऊ दिनांक 29 जून 2014 के क्रम में तथा उ०प्र० पंचायती राज अधिनियम व नियमावली 1947 के नियम 182 व 186 में दी गई व्यवस्था के अन्तर्गत लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत के समस्त अभिलेख लेखा परीक्षा दल को उपलब्ध कराने को निर्देशित है, परन्तु सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उक्त आदेशों की अवहेलना की गई और अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया, इसके उपरान्त प्रिया साफ्ट फीडिंग में फीड वर्ष 2014-15 की कैश बुक निकालकर आडिट पूर्ण की गई एवं आहरण राशि के सापेक्ष बाउचर एवं मस्टर रोल की मांग दिनांक 31.03.2016 को मेमो/पत्र खण्ड विकास अधिकारी भितौरा के माध्यम से सम्बन्धित कर्मचारी से की गई, परन्तु बाउचर/मस्टर रोल आहरण राशि के सापेक्ष नहीं उपलब्ध कराया गया जिससे आलोच्य वर्ष की आहरित राशि अपहरण की गई सिद्ध होती है वर्ष 2014-15 के 13वां वित्त एवं राज्य वित्त आयोग की आहरित धनराशि निम्नवत हैं :-

माह	राशि	माह	राशि
अप्रैल 14	102809	अक्टूबर 14	425488
मई 14		नवम्बर 14	3500
जून 14	5000	दिसम्बर 14	46860
जुलाई 14	17920	जनवरी 15	278640
सितम्बर 14	29342	फरवरी 15	64827
		मार्च 15	14051
		योग	988437
		31.03.14 को पास	20362
		प्रधान नकद शेष	
		कुल योग	1008799

उक्त आहरित राशि रु० 1008799 13वां वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग की निधि के सापेक्ष बाउचर एवं मस्टर रोल प्रस्तुत न करने के कारण एवं पंचायत के कृत कार्य का भौतिक सत्यापन प्रपत्र सहा०वि० अधि० (पंचायत) भितौरा द्वारा न प्रस्तुत करने के कारण आहरित राशि का अपहरण प्रधान एवं ग्रा०पंच०/वि०अधि० द्वारा किया जाना सिद्ध होता है।

आलोच्य वर्ष-2014-15 का व्यय विवरण निम्नवत है-

1.	हैण्डपम्प निर्माण व मरम्मत पर व्यय	570809
2.	हैण्डपम्प सामग्री क्रय/मरम्मत व्यय	57407
3.	मानदेय प्रधान	38500
4.	कूड़ा गाड़ी एवं फर्नीचर क्रय	26000
5.	अन्य व्यय	83822+7500= 91322
6.	नाली निर्माण पर व्यय	252765
	योग कुल व्यय	1036803.00

उक्त अपहरित राशि की वसूली 50-50 प्रतिशत ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राम स्वरूप एवं ग्राम प्रधान श्री धनराज से संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूली कर ग्राम पंचायत कोष में जमा कराए जाने हेतु विभागीय अधिकारियों से अपेक्षा है। जिसकी पूर्ति किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-16)

ग्राम पंचायत— रसूलपुर
विकास खण्ड— भितौरा
प्रस्तर—1

लेखा परीक्षा वर्ष— 2014—15
जनपद— फतेहपुर

आलोच्य वर्ष 2014—15 में 13वां वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग की निधि से निम्न अनुसार आहरण किया गया है—

माह	राशि
जून 2014	2112
जुलाई 2014	57714
अगस्त 2014	92300
सितम्बर 2014	27220
योग	179346
31.03.14 को पास प्रधान	8453
नकद शेष	00
कुल योग	187799.00

उक्तानुसार वर्ष में रू0 187799.00 धनराशि प्रधान के पास रही जबकि कैश बुक अनुसार आलोच्य वर्ष 2014—15 में कोई कार्य ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत में नहीं कराया गया है, बिना कार्य के धन का आहरण का औचित्य अस्पष्ट रहा। अतः उक्त आहरित धनराशि रू0 187799 का अपहरण किया जाना सिद्ध होता है। इस राशि का 50—50 प्रतिशत ग्राम पंचायत अधिकारी श्री श्रीराम गुप्ता एवं ग्राम प्रधान श्रीमती राजकुमारी से ब्याज सहित वसूली कर ग्राम पंचायत कोष में जमा कराए जाने हेतु विभागीय अधिकारियों से अपेक्षा है।

(मूल आपत्ति संख्या—16)

ग्राम पंचायत— सीर इब्राहिमपुर
विकास खण्ड— भितौरा
प्रस्तर—1

लेखा परीक्षा वर्ष— 2014—15
जनपद— फतेहपुर

आलोच्य वर्ष 2014—15 की लेखा परीक्षा हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी को लिखित एवं मौखिक बार—बार ग्राम पंचायत के अभिलेख की मांग के बावजूद लेखा परीक्षा हेतु निर्धारित दिवस एवं अन्य दिवसों को अभिलेख नहीं उपलब्ध कराया गया जबकि पंचायती राज अनुभाग—2 उ0प्र0 सरकार की अधिसूचना संख्या—1407/33.2—2011—72 जी/2011 दिनांक 30 मार्च 2011 तथा निदेशक उ0प्र0 पंचायतीराज लखनऊ पत्रांक संख्या—1/1165/2014—1/47/ग्रा0पंचायत अधि0/09 लखनऊ दिनांक 29 जून 2014 के क्रम में तथा उ0प्र0 पंचायती राज अधिनियम व नियमावली 1947 के नियम 182 व 186 में दी गई व्यवस्था के अन्तर्गत लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत के समस्त अभिलेख लेखा परीक्षा दल को उपलब्ध कराने को निर्देशित है, परन्तु सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उक्त आदेशों की अवहेलना की गई और अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया, इसके उपरान्त प्रिया साफ्ट फीडिंग में फीड वर्ष 2014—15 की कैश बुक निकालकर ऑडिट पूर्ण की गई एवं आहरण राशि के सापेक्ष बाउचर एवं मस्टर रोल की मांग दिनांक 31.03.2016 को मेमो/पत्र खण्ड विकास अधिकारी भितौरा के माध्यम से सम्बन्धित कर्मचारी से की गई, परन्तु बाउचर/मस्टर रोल आहरण राशि के सापेक्ष नहीं उपलब्ध कराया गया जिससे आलोच्य वर्ष की आहरित राशि अपहरण की गई सिद्ध होती है वर्ष 2014—15 के 13वां वित्त एवं राज्य वित्त आयोग की आहरित धनराशि निम्नवत हैं :—

माह	राशि	माह	राशि
मई 14	10000	नवम्बर 14	129989
जून 14	224176	जनवरी 15	30700
जुलाई 14	51250	फरवरी 15	22700
सितम्बर 14	71955	मार्च 15	117915
अक्टूबर 14	72000	योग	935585
		31.03.14 को पास	1770
		प्रधान नकद शेष	
		कुल योग	937355

कुल आहरित राशि रू0 937355 के सापेक्ष बाउचर एवं मस्टर रोल प्रस्तुत न करने के कारण एवं पंचायत के कृत कार्य का भौतिक सत्यापन प्रपत्र सहा0वि0 अधि0 (पंचायत) भिटौरा द्वारा न प्रस्तुत करने के कारण आहरित राशि का अपहरण प्रधान एवं ग्रा0पं0/वि0अधि0 द्वारा किया जाना सिद्ध होता है।

आलोच्य वर्ष— 2014–15 का व्यय विवरण निम्नवत है—

1.	नाली एवं खण्डजा निर्माण पर व्यय	747206
2.	हैण्डपम्प सामग्री क्रय/मरम्मत व्यय	129950
3.	कूप निर्माण पर व्यय	9100
4.	मानदेय प्रधान को	43000
5.	अन्य व्यय	5903
	योग व्यय	935159

उक्त अपहरित राशि रू0 937355 की ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राम गुप्ता एवं ग्राम प्रधान श्री कामता प्रसाद से 50–50 प्रतिशत क्रमशः ब्याज सहित वसूली कर ग्राम पंचायत कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या—16)

ग्राम पंचायत— औढ़ेरा
विकास खण्ड— भिटौरा
प्रस्तर—1

लेखा परीक्षा वर्ष— 2014–15
जनपद— फतेहपुर

आलोच्य वर्ष 2014–15 की लेखा परीक्षा हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी को लिखित एवं मौखिक बार–बार ग्राम पंचायत के अभिलेख की मांग के बावजूद लेखा परीक्षा हेतु निर्धारित दिवस एवं अन्य दिवसों को अभिलेख नहीं उपलब्ध कराया गया जबकि पंचायती राज अनुभाग–2 उ0प्र0 सरकार की अधिसूचना संख्या— 1407/33.2–2011–72 जी/2011 दिनांक 30 मार्च 2011 तथा निदेशक

उ0प्र0 पंचायतीराज लखनऊ पत्रांक संख्या- 1/1165/2014-1/47/ग्रा0पंचायत अधि0/09 लखनऊ दिनांक 29 जून 2014 के क्रम में तथा उ0प्र0 पंचायती राज अधिनियम व नियमावली 1947 के नियम 182 व 186 में दी गई व्यवस्था के अन्तर्गत लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत के समस्त अभिलेख लेखा परीक्षा दल को उपलब्ध कराने को निर्देशित है, परन्तु सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उक्त आदेशों की अवहेलना की गई और अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया, इसके उपरान्त प्रिया साफ्ट फीडिंग में फीड वर्ष 2014-15 की कैश बुक निकालकर ऑडिट पूर्ण की गई एवं आहरण राशि के सापेक्ष बाउचर एवं मस्टर रोल की मांग दिनांक 31.03.2016 को मेमो/पत्र खण्ड विकास अधिकारी भितौरा के माध्यम से सम्बन्धित कर्मचारी से की गई, परन्तु बाउचर/मस्टर रोल आहरण राशि के सापेक्ष नहीं उपलब्ध कराया गया जिससे आलोच्य वर्ष की आहरित राशि अपहरण की गई सिद्ध होती है वर्ष 2014-15 के 13वें वित्त एवं राज्य वित्त आयोग की आहरित धनराशि निम्नवत हैं :-

माह	राशि	माह	राशि
अप्रैल 14	83073	सितम्बर 14	136150
मई 14	196205	अक्टूबर 14	158650
जून 14	190574	फरवरी 15	22500
जुलाई 14	200150	मार्च 15	99250
अगस्त 14	41000	योग	1127552
		31.03.2014 को पास	40005
		प्रधान नकद शेष	
कुल योग			1167557.00

कुल आहरित राशि रू0 1167557 के सापेक्ष बाउचर (व्यय प्रमाणक) एवं मस्टर रोल प्रस्तुत न करने के कारण एवं पंचायत में दर्शित कृत कार्य का भौतिक सत्यापन प्रपत्र सहा0वि0अ0 (पंचायत) भितौरा द्वारा न प्रस्तुत करने के कारण आहरित राशि रू0 1167557 का अपहरण प्रधान एवं ग्रा0प0/वि0अधि0 द्वारा किया जाना सिद्ध होता है।

आलोच्य वर्ष का व्यय विवरण निम्नवत है-

1.	खण्डजा निर्माण एवं मरम्मत पर व्यय	679304
2.	नाली एवं नाला निर्माण पर व्यय	389836
3.	हैण्डपम्प सामग्री क्रय/मरम्मत व्यय	63564
4.	मानदेय प्रधान	32000
5.	अन्य व्यय	10850
योग कुल व्यय-		1175554.00

उक्त अपहरित राशि की वसूली50-50 ग्रा0वि0अ0/ग्रा0पं0अ0 श्री हरि ओम तिवारी एवं ग्राम प्रधान श्रीमती चयना देवी से ब्याज सहित ब्याज सहित वसूल कर ग्राम पंचायत कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-16)

नाम ग्राम पंचायत- रुहेलापुर
विकास खण्ड- धाता,
प्रस्तर-1

लेखा परीक्षा वर्ष- 2014-15
जनपद- फतेहपुर

ग्राम पंचायत रुहेलापुर में निम्न विवरण के अनुसार हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सामग्री क्रय एवं मरम्मत पर व्यय दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है।

क्र०	प्र०सं० / दिनांक	धनराशि	विवरण
01	01 / शून्य	20000.00	सामग्री क्रय
02	02 / शून्य	4000.00	मजदूरी
03	09 / 09.12.14	11040.00	सामग्री क्रय
04	10 / 09.12.14	3500.00	मजदूरी
05	25 / 11.03.15	18938.00	सामग्री क्रय
06	26 / 11.03.15	4000.00	मजदूरी
योग—		61478.00	

उक्त भुगतान के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ हैं—

1. हैण्डपम्प खराब होने और उसे बनवाने जाने के सम्बन्ध में किसी सदस्य द्वारा आवेदन पत्र नहीं दिया गया और न ही लेखा परीक्षा में उपलब्ध रहा।
2. हैण्डपम्प में क्या खराबी है? कौन-कौन सा सामान लगाया जाना है, इसका कोई विवरण तैयार नहीं किया गया है।
3. क्रमांक 01, 02 और 05 पर दर्शित क्रय सामग्री का प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा।
उपरोक्त कारणों से हैण्डपम्प मरम्मत हेतु दर्शित क्रय सामग्री एवं मरम्मत मजदूरी पर किया गया भुगतान रु० 61478.00 फर्जी प्रतीत होता है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से अपेक्षित है।

प्रस्तर—2

ग्राम पंचायत में जब्बार के दरवाजे से शरीफ के दरवाजे तक एवं भरतलाल के दरवाजे से जौहरी तालाब तक नाली/खडंजा मरम्मत कार्य हेतु निम्न विवरण के अनुसार व्यय कोष बही में दर्शित है—

क्र०	प्र० / दिनांक	सामग्री का विवरण	धनराशि	अन्य
01	20 / 07.02.15	31 बोरी सीमेन्ट	9920.00	
02	22 / 20.02.15	आदर्श ब्रिक्स फील्ड से ईंट क्रय	40000.00	1600 / 7500
03	23 / 11.03.15	ईंट क्रय	17025.00	4000 / 7000
04	24 / 11.03.15	10 बोरी सीमेन्ट	3200	
कुल व्यय			70145.00	

नाली एवं खडंजा निर्माण हेतु क्रय दर्शित उपरोक्त सामग्री का उपयोग कोष बही के अनुसार नहीं हुआ है। इस प्रकार क्रय फर्जी प्रतीत होता है जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्रा०प०अधि० से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर—3

ग्राम पंचायत में प्र०सं० 31 दिनांक 30.05.15 द्वारा रु० 28000.00 का 4000.00 ईंट क्रय (आदर्श ब्रिक्स फील्ड से) कोषबही में दर्ज है, जिसका उपयोग वित्तीय वर्ष में नहीं हुआ है और न ही स्टाक रजिस्टर में उक्त सामग्री अवशेष दिखायी गयी है। क्रय किये गये ईंट का कहां उपयोग होना था? इसका भी उल्लेख कोषबही में दर्ज नहीं है, इस प्रकार ईंट क्रय का दुरुपयोग किया गया प्रतीत होता है, जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से अपेक्षित है।

नाम ग्राम पंचायत— पुरबुजुर्ग लेखा परीक्षा वर्ष— 2014—15

विकास खण्ड— हसवां,

जनपद— फतेह पुर

प्रस्तर—1

आलोच्य वर्ष 2014—15 में बैंक ऑफ बड़ौदा के खाता सं० 06500100009535 से रू० 399707.00 आहरण दर्शित रहा, किन्तु लेखा परीक्षा में कोषबही, व्यय प्रमाणक, स्टीमेट, कार्य योजना, एम०बी०, कोटेशन, स्टॉक रजिस्टर, निर्माण कार्य रजिस्टर, कार्यवाही पुस्तिका एवं सक्षम तकनीकी अधिकारी से प्रमाणित कार्य पूर्ति प्रमाण—पत्र (रूप पत्र—41) आदि उपलब्ध नहीं कराये गये। इस प्रकार बैंक से आहरित धनराशि रू० 399707.00 का अपहरण किया गया है। अतः ग्राम प्रधान श्री चन्दन सिंह एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से रू० 399707.00 ब्याज सहित वसूली करते हुए उचित कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

नाम संस्था — ग्राम पंचायत बड़ागाँव

लेखा परीक्षा वर्ष— 2014—15

विकास खण्ड— बहुआ

जनपद— फतेहपुर

प्रस्तर—1

आलोच्य वर्ष 2012—13 से 2014—15 तक ग्राम पंचायत बड़ागाँव अभिलेखों में से वर्ष 2012—13 से 2013—14 तक के बैंक स्टेटमेन्ट व वर्ष 2014—15 की कैश बुक व बैंक स्टेटमेंट लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किये गये लेकिन वर्ष 2012—13 व 2013—14 की कैश बुक व गार्ड फाइल अप्राप्त होने के कारण प्रिया साफ्ट फीडिंग से कैश बुक की नकल निकलवाकर लेखा परीक्षा सम्पन्न किया गया। लेखा परीक्षा में 2012—13 से 2014—15 तक के व्यय प्रमाणक अप्राप्त होने के कारण वर्ष 2012—13 में कुल व्यय रू० 383614.00 वर्ष 2013—14 में कुल व्यय रू० 3356552.00 एवं वर्ष 2014—15 में (जिनके व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहे) रू० 532500.00 आदि के व्यय प्रमाणक अप्राप्त होने के कारण कुल धनराशि रू० 4272666.00 का गबन मानते हुए तत्कालीन ग्राम पंच विकास अधिकारी श्री इन्द्रजीत सिंह चौहान एवं त्रिस्तरीय समिति के सदस्य (1) श्री कमलू (2) श्रीमती राजरानी (3) श्री राजेन्द्र प्रसाद से संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूली हेतु कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। प्रिया साफ्ट फीडिंग व कैश बुक के अनुसार वर्षवार निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित है जिनके व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहे।

वर्ष	व्यय विवरण	व्यय धनराशि
2012—13	1. डी०पी०आर०ओ०	1000.00
	2. हैण्ड पम्प मरम्मत	155450.00
	3. खडन्जा निर्माण	11400.00
	4. तालाब में पानी भराई	25000.00
	5. मिट्टी पुराई	12584.00
	6. खडन्जा निर्माण	177430.00
	7. स्टेशनरी खरीद	750.00
	कुल योग	383614.00

वर्ष	व्यय विवरण		व्यय धनराशि
2013—14	हैण्डपम्प मरम्मत		207935.00
	व्यक्तिगत शौचालय		15000.00
	खडन्जा मरम्मत (स्थान अंकित नहीं)		92468.00
	खडन्जा मरम्मत (सोहन से मिक्खू)		31030.00
	खडन्जा निर्माण (स्थान अंकित नहीं)		162150.00
	खडन्जा निर्माण (रसूलपुर से पीताम्बर)		85239.00
	खडन्जा निर्माण (राज कुमार से वासदेव)		131111.00
	खडन्जा निर्माण (स्थान अंकित नहीं)		222670.00
	खडन्जा निर्माण (स्थान अंकित नहीं)		121630.00
	खडन्जा निर्माण (पुत्तन से बदलू)		163643.00
	खडन्जा निर्माण (स्थान अंकित नहीं)		340880.00
	खडन्जा निर्माण (स्थान अंकित नहीं)		186984.00
	रास्ता मरम्मत (स्थान अंकित नहीं है)		48440.00
	नाली निर्माण (स्थान अंकित नहीं है)		376908.00
	नाली निर्माण (स्थान अंकित नहीं है)		25215.00
	नाली निर्माण (स्थान अंकित नहीं है)		127011.00
	नाली निर्माण (मुन्नी से ए.डी.ए. डिवाइडर)		148343.00
	नाली निर्माण (रामखेलावन से घनश्याम यादव तक)		80162.00
	नाली निर्माण (राम औतार से तालाब तक)		329660.00
	हैण्डपम्प स्थापना (सांसद निधि से)		108000.00
	स्ट्रीट लाइट		307500.00
	विवरण रहित व्यय		44573.00
कुल योग			3356552.00
वर्ष	दिनांक	व्यय विवरण	व्यय धनराशि
2014—15	15.04.14	2. कच्चा नाला खुदाई (म0रो0)	49920.00
	15.04.14	3. सोलर लाइट	472500.00
	21.04.14	4. स्टेशनरी	80.00
	20.06.14	5. हैण्ड पम्प मरम्मत	10000.00
कुल योग			532500.00

नाम संस्था – ग्राम पंचायत गौसपुर

विकास खण्ड— हथगांव

लेखा परीक्षा वर्ष— 2014–15

जनपद— फतेहपुर

प्रस्तर—1

माह अगस्त दिनांक 12.08.2014 को कैश बुक में बैंक खाते से आहरित धनराशि रु0 1950.00 दर्शाकर व्यय पक्ष में वर्ष 2012–13 प्रिया साफ्ट फीडिंग का भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। कैशबुक में बैंक खाते के बैलेन्स से रु0 1950.00 कम नहीं किया गया है। बैंक की पास बुक भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे स्पष्ट हो सके कि धनराशि का अपहरण हुआ है अथवा नहीं। कैशबुक के अनुसार फर्जी आहरण एवं फर्जी व्यय दर्शाना गम्भीर उदासीनता का द्योतक है जिसके लिये प्रधान—श्रीमती रामदेई एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राम करन उत्तरदायी रहे, जिसकी ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। इस ओर विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान आवश्यक कार्यवाही हेतु आकृष्ट किया जाता है।

(मूल आपत्ति संख्या—26)

प्रस्तर—2

ग्राम पंचायत की कैशबुक में निम्नांकित दिनांकों में केवल हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री क्रय किया जाना दर्शाया गया है जिसका प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया एवं क्रय की गयी सामग्री के सापेक्ष हैण्डपम्प मरम्मत मजदूरी पर कोई व्यय नहीं दर्शाया गया है जिसका विवरण निम्न है—

क्र० सं०	दिनांक	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री का भुगतान	धनराशि
01	12.05.2014	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री का भुगतान	34800.00
02	08.07.2014	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री का भुगतान	9750.00
03	12.08.2014	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री का भुगतान	25000.00
		योग	69550.00

इस प्रकार खरीद नियमों का उल्लंघन करते हुए क्रय सामग्री के सापेक्ष कोटेशन प्रस्ताव एवं स्टॉक रजिस्टर में इन्ट्री भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रकार फर्जी खरीद दर्शाकर धनराशि रु0 69550.00 अपहृत कर लिया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान श्रीमती रामदेई एवं ग्रा०पं०अ० श्री राम करन से बराबर बराबर की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या—27)

प्रस्तर—3

दिनांक 08.08.2014 को बरगदिया पुर में कोटेदार के घर से प्राईमरी पाठशाला तक खडन्जा निर्माण हेतु ईट क्रय का भुगतान रु0 15000.00 किया गया है, जिसका कोई प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है एवं उसका उपभोग दिनांक 31.03.2015 तक नहीं किया गया है और न ही अवशेष ईट को स्टॉक रजिस्टर में दर्शाया गया है। इस प्रकार खरीद नियमों का उल्लंघन करते हुए फर्जी खरीद दर्शाकर धनराशि रु0 15000.00 अपहृत कर ली गयी है। अतः रु0 15000.00 ब्याज सहित वसूली प्रधान श्रीमती रामदेई एवं ग्रा०पं०अ० श्री रामकरन से बराबर—बराबर की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या—28)

नाम संस्था – ग्राम पंचायत कापिल
विकास खण्ड– अमौली

लेखा परीक्षा वर्ष– 2014–15
जनपद– फतेहपुर

प्रस्तर–1

आलोच्य वर्ष 2013–14 में दिनांक 31.05.13 को रू0 99828 अवशेष था जिसमें निम्न विवरणानुसार संस्था को धनराशि की प्राप्ति व निकासी कैशबुक में अंकित नहीं की गई है। माह जून 13, जुलाई 13 व अगस्त 13 में संस्था की कैशबुक में आय–व्यय शून्य दर्शाया गया है—

तिथि	नाम	जमा/शासन से प्राप्त	निकासी
20.06.13	रमेश चन्द्र		35000.00
20.06.13	रामकरन		35000.00
08.07.13	रमेश चन्द्र		28000.00
26.07.13	रामकरन	125167.00	20000.00
26.07.13		49389.00	
27.07.13	संजय ट्रेडिंग कम्पनी		100000.00
13.08.13		49389.00	
14.08.13		84935.00	
योग		308880.00	218000.00

उपरोक्त निकासी रू0 218000/– का कैशबुक में लेखा न पारित कर व व्यय प्रमाणक न प्रस्तुत कर धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसका उल्लेख प्रिया साफ्टवेयर में भी नहीं है।

अस्तु रू0 218000/– की अपहरित धनराशि प्रधान श्री रामकरन व सचिव श्री रमेश चन्द्र से समानुपात में ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। अपहरण होने के कारण वैधानिक कार्यवाही भी की जानी अपेक्षित है।

जनपद—कौशाम्बी मण्डल—इलाहाबाद

1. नाम संस्था : ग्राम पंचायत घोसिया
 2. लेखा परीक्षा वर्ष : 2014—15
 3. विकास खण्ड : नेवादा
 4. जनपद : कौशाम्बी

प्रस्तर संख्या—1

व्यय विवरण :—

24.04.2014	हिन्दुस्तान ब्रिक उद्योग	82500.00
20.05.2014	ईदगाह से नहर के पास तथा मजदूरी भुगतान	42108.00
21.05.2014	हिन्दुस्तान ब्रेक फील्ड से ईट क्रय	82500.00
21.05.2014	ईट क्रय	82500.00
22.05.2014	हैण्ड पम्प सामग्री क्रय	13500.00
28.07.2014	हैण्ड पम्प सामग्री क्रय	22615.00
14.08.2014	खड़जा निर्माण मजदूरी भुगतान नहर के पुल से ईद गाह तक	29952.00
22.09.2014	स्पन पाइप क्रय	40000.00
22.09.2014	स्पन पाइप क्रय	60000.00
21.10.2014	हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु सामग्री क्रय	25100.00
28.11.2014	नहर के पुल निर्माण हेतु ईट क्रय	52800.00
29.11.14	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री क्रय	10500.00
29.01.15	हैण्डपम्प सामग्री क्रय	27966.00
29.01.15	हिन्दुस्तान ईट उद्योग से ईट क्रय	27000.00
18.02.2015	हिन्दुस्तान ईट उद्योग से ईट क्रय	98600.00
27.02.2015	हिन्दुस्तान ईट उद्योग से ईट क्रय	36000.00
23.03.2015	हिन्दुस्तान ईट उद्योग से ईट क्रय	47250.00
24.03.2015	सीमेण्ट बालू क्रय	40700.00
30.03.2015	इण्टरलाकिंग हेतु मजदूरी भुगतान	34400.00
	योग	855991.00

अपहरित धनराशि शब्दों में आठ लाख पचपन हजार नौ सौ एक इक्यानवे।

उपर्युक्त धनराशि से संबंधित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उपर्युक्त धनराशि गबन ग्राम प्रधान अप्पा बीवी एवं ग्रा0पं0अ0 कमलाकांत मिश्रा से संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

1. नाम संस्था : ग्राम पंचायत दुर्गापुर
2. लेखा परीक्षा वर्ष : 2014-15
3. विकास खण्ड : नेवादा
4. जनपद : कौशाम्बी

प्रस्तर संख्या – 1

कोषबही से व्यय विवरण :-

16.08.2014	मजदूरी भुगतान	5000.00
16.08.2014	ईट क्रय	14000.00
19.08.2014	ईट क्रय	67200.00
28.08.2014	बिल्डिंग सामग्री	3000.00
16.09.2014	मजदूरी भुगतान भुगतान	9760.00
16.09.2014	ईट क्रय	21800.00
26.09.2014	ईट क्रय	85000.00
09.12.2014	मजदूरी भुगतान भुगतान	26280.00
11.12.2014	ईट क्रय	27675.00
15.12.2014	मजदूरी भुगतान भुगतान	29988.00
15.12.2014	ईट क्रय	147000.00
17.12.2014	बालू क्रय	9800.00
24.12.2014	सीमेन्ट क्रय	15000.00
26.12.2014	ईट क्रय	57000.00
31.12.2014	मजदूरी भुगतान भुगतान	16788.00
14.03.2015	बालू क्रय	12000.00
16.03.2015	ईट क्रय	113850.00
17.03.2015	मजदूरी भुगतान भुगतान	34775.00
24.03.2015	सीमेन्ट बालू क्रय	38400.00
25.03.2015	ईट क्रय	68000.00
24.03.2015	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री क्रय	25000.00
30.03.2015	मजदूरी भुगतान भुगतान	31320.00
	योग	858636.00

कोषबही से व्यय की गयी उक्त धनराशि के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक एवं मस्टर रोल प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः धनराशि रु0 858636.00 को अपहरित मानते हुए ग्राम प्रधान श्री राम मिलन सिंह एवं ग्रा0पं0अ0 श्री कमलाकान्त मिश्र से संयुक्त रूप से धनराशि ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

1. नाम संस्था : ग्राम पंचायत सराय युसुफ
2. लेखा परीक्षा वर्ष : 2014-15
3. विकास खण्ड : नेवादा
4. जनपद : कौशाम्बी

प्रस्तर संख्या – 1

कोषवही से अपहरित धन का विवरण :-

22.04.2014	सराय युसुफ में मिट्टी पटाई मजदूरी भुगतान	14910.00
3.04.2014	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री क्रय	10000.00
23.04.2014	हैण्डपम्प मजदूरी भुगतान	10000.00
24.04.2014	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री क्रय	15000.00
7.06.2014	ननका ईट उद्योग से ईट क्रय	72800.00
10.06.2014	ईट बिछवाई मजदूरी भुगतान	19872.00
3.07.2014	चन्दू नर्सरी सराय अंकित को वृक्ष पौधों का क्रय	16600.00
13.08.2014	ननका ब्रिक फील्ड से ईट क्रय	121200.00
20.08.2014	ईट बिछवाई मजदूरी भुगतान	19656.00
29.08.2014	ननका ब्रिक फील्ड से ईट क्रय	125000.00
31.08.2014	सलीम के घर से सुरेश गुप्ता के घर तक ईट बिछवाई मजदूरी भुगतान	33892.00
	योग	458930.00

अपहरित धनराशि शब्दों में :- चार लाख अठ्ठावन हजार नौ सौ तीस मात्र

उपर्युक्त धनराशि से संबंधित व्यय प्रमाणक एवं मस्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। जिससे ₹0 458930.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री देशराज कुशवाहा एवं ग्रा0पं0अ0 श्री इन्द्रजीत प्रसाद त्रिपाठी द्वारा कर लिया गया है। अतः ₹0 458930.00 ग्राम प्रधान श्री देशराज कुशवाहा एवं ग्रा0पं0अ0 श्री इन्द्रजीत प्रसाद त्रिपाठी से बराबर बराबर ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

1. नाम संस्था : ग्राम पंचायत औधन
2. लेखा परीक्षा वर्ष : 2014-15
3. विकास खण्ड : नेवादा
4. जनपद : कौशाम्बी

प्रस्तर संख्या – 1

कौशाम्बी से व्यय विवरण :-

दिनांक	सामग्री व मजदूरी विवरण	व्यय धनराशि (₹0 में)
12.04.2014	हैण्डपम्प सामग्री क्रय (चेक सं0 17)	24900.00
12.04.2014	हैण्डपम्प मरम्मत मजदूरी भुगतान (चेक सं0 18)	12000.00
15.04.2014	डी.एम.एम. ह्यूम पाइप क्रय	75000.00

28.04.2014	शौचालय मरम्मत सामग्री क्रय (चेक सं0 20)	57000.00
28.04.2014	डी.एम.एम. ह्यूम पाइप क्रय	19800.00
28.04.2014	शौचालय मरम्मत मजदूरी (चेक सं0 18)	15360.00
09.05.2014	ईट क्रय (चेक सं0 22)	202350.00
30.05.2014	खड़न्जा निर्माण मजदूरी का भुगतान (चेक संख्या 23 व 24)	36192.00
31.05.2014	ईट क्रय (चेक सं0 26)	140250.00
18.07.2014	ईट क्रय (चेक सं0 27)	99000.00
18.07.2014	नाली मरम्मत मजदूरी का भुगतान (चेक सं0 30)	21600.00
21.07.2014	हैण्डपम्प सामग्री क्रय (चेक सं0 28)	30000.00
28.08.2014	सीमेंट का भुगतान (चेक सं0 35)	25100.00
28.08.2014	नाली मरम्मत मजदूरी भुगतान भुगतान चेक सं0 32	20244.00
28.08.2014	सीमेंट का भुगतान (चेक सं0 33)	19600.00
13.12.2014	खड़न्जा/नाली निर्माण मजदूरी भुगतान (चेक सं0 42)	25032.00
13.12.2014	नाली मरम्मत मजदूरी भुगतान (चेक सं0 44)	25344.00
15.12.2014	ईट क्रय (चेक सं0 43)	98105.00
15.12.2014	सीमेंट बालू क्रय (चेक सं0 45)	65000.00
14.01.2015	नाली मरम्मत मजदूरी भुगतान भुगतान (चेक सं0 47)	24876.00
14.01.2015	हैण्डपम्प मरम्मत मजदूरी भुगतान (चेक सं0 46)	25000.00
	योग	1061753.00

अपहरित धनराशि शब्दों में—रु0 दस लाख इकसठ हजार सात सौ तिरपन मात्र।

कोषवही से व्यय की गयी उपरोक्त विवरण युक्त धनराशि के सापेक्ष लेखा परीक्षा के समय कोई व्यय प्रमाणक एवं मस्टर रोल प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः धनराशि रु0 1061753.00 को अपहरित मानते हुए ग्राम प्रधान श्रीमती संगीता सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सत्य प्रकाश पाण्डेय से संयुक्त रूप से धनराशि ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

1. नाम संस्था : ग्राम पंचायत कटैया
2. लेखा परीक्षा वर्ष : 2014-15
3. विकास खण्ड : नेवादा
4. जनपद : कौशाम्बी

प्रस्तर संख्या – 1

कोषबही से व्यय विवरण :-

दिनांक	सामग्री व मजदूरी विवरण	व्यय धनराशि (रु० में)
15.04.2014	अंसल ईट उद्योग से ईट क्रय	6186.00
15.04.2014	अंसल ईट उद्योग से ईट क्रय	55000.00
22.04.2014	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सामग्री क्रय	23000.00
25.05.2014	खड़न्जा निर्माण मजदूरी भुगतान	14592.00
08.07.2014	हैण्डपम्प मरम्मत मजदूरी भुगतान भुगतान	6000.00
08.07.2014	खड़न्जा निर्माण मजदूरी भुगतान	14592.00
23.09.2014	अतुल नर्सरी को वृक्ष क्रय का भुगतान	6220.00
16.07.2014	अंसल ईट उद्योग से ईट क्रय	35000.00
24.09.2014	पुलिया निर्माण हेतु सीमेंट बालू क्रय	11050.00
29.09.2014	अंसल ईट उद्योग से ईट क्रय	35000.00
17.10.2014	अंसल ईट उद्योग से ईट क्रय	56000.00
28.10.2014	खड़न्जा निर्माण मजदूरी भुगतान	15360.00
7.11.2014	नाली निर्माण मजदूरी भुगतान	33792.00
20.11.2014	अंसल ईट उद्योग से ईट क्रय	28000.00
5.12.2014	अंसल ईट उद्योग से ईट क्रय	56000.00
7.12.2014	खड़न्जा/नाली निर्माण मजदूरी भुगतान	14432.00
20.12.2014	अंसल ईट उद्योग से ईट क्रय	28000.00
20.12.2014	खड़न्जा/नाली निर्माण मजदूरी भुगतान	35520.00
24.02.2014	अंसल ईट उद्योग से ईट क्रय	56000.00
	योग	529744.00

अतः कोषबही से व्यय की गयी उपरोक्त विवरण युक्त धनराशि के सापेक्ष लेखा परीक्षा के समय कोई व्यय प्रमाणक एवं मस्टर रोल प्रस्तुत नहीं किया गया। इसलिए धनराशि रु० 529744.00 को अपहरित मानते हुये ग्राम प्रधान श्रीमती शाबीरा खातून एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अशोक कुमार भट्ट से संयुक्त रूप से धनराशि ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

1. नाम संस्था : ग्राम पंचायत दरवेशपुर
2. लेखा परीक्षा वर्ष : 2014-15
3. विकास खण्ड : मूरतगंज
4. जनपद : कौशाम्बी

प्रस्तर.1 बाउचर सं० 28 दिनांक 09.01.2015 चेक सं० 00009 द्वारा प्रधान मानदेय रू० 22500.00 का भुगतान प्रधान श्री मनोज कुमार को किया गया है जो कि माह अप्रैल 2014 से नवम्बर 2014 तक के लिए था जिसमें 8 माह होते हैं। अतः 2500 रू० प्रतिमाह की दर से 8 माहों का 20,000.00 रू० होता है न कि 22500.00। अतः अन्तर रू० 2500.00 का अधिक मानदेय भुगतान रहा जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्री मनोज कुमार एवं तत्कालीन सचिव श्री अखिलेश सोनी से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर.2. कोषबही के अनुसार 31.03.2015 को बैंक खाता सं० 07795 का अन्तिम अवशेष रू० 2,27,910.00 दर्शाया गया है। जब कि कोषबही में पकड़ी गई आय+प्रा०अव०-आहरण के अनुसार अन्तिम अवशेष 234410.00 रू० आता है। अन्तर खोजने पर (दि० 31.08.2016 का स्वयं बैंक जाकर स्टेटमेन्ट निकलवाया क्योंकि ऑडिट दौरान अन्तरिम आपत्ति निर्गत करने के बावजूद स्टेटमेन्ट प्रस्तुत नहीं किया गया था) स्पष्ट रहा कि दि० 10.01.2015 को बियरर चेक जो कि प्रधान श्री मनोज कुमार के नाम काटा गया था की प्रविष्टि कोषबही में नहीं की गई है। अतः रू० 6500.00 का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्री मनोज कुमार एवं तत्कालीन सचिव श्री अखिलेश सोनी से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर.3 निम्न विवरण के अनुसार राजकोट मिल स्टोर से हैण्डपम्प मरम्मत की सामग्री क्रय किया जाना दर्शाया गया है किन्तु सामग्री के विरुद्ध हैण्डपम्प मरम्मत मजदूरी का भुगतान नहीं दर्शित है जिससे स्पष्ट है कि कैशबुक में फर्जी सामग्री क्रय दर्शाकर धनराशि का अपहरण किया गया है क्रय सामग्री के प्रमाणक भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे। अतः रू० 20740.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्री मनोज कुमार एवं सचिव श्री अखिलेश सोनी से की जानी अपेक्षित है।

दिनांक	चेक सं०	धनराशि	विवरण
10.06.2014	17	10,050.00	राजकोट मिल स्टोर से हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री क्रय
20.10.14	27	10690.00	" "
	योग	20740.00	

प्रस्तर.4 आलोच्य वर्ष 2014-15 में निम्न विवरण के अनुसार सामग्री खरीद का भुगतान कैशबुक में दर्शित है किन्तु व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने से खरीद की पुष्टि नहीं होती है। अतः खरीद फर्जी है। अतः रू० 4,64,772.00 तत्कालीन प्रधान श्री मनोज कुमार एवं सचिव श्री अखिलेश सोनी से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्न है :-

क्र०सं०	दिनांक	वा०स० (कोषवही में अंकित)	चेक सं०	सामग्री	धनराशि	फर्म/व्यक्ति का नाम जैसा कोष वही में दर्ज है
1.	24.05.14	1	40 बियरर	ईट क्रय	17100.00	मनोज कुमार प्रधान को नकद भुगतान

2.	24.05.14	2	38	प्राइमरी स्कूल में शौचालय सामग्री	20610.00	जाफरी ट्रेडर्स
3.	30.05.14	3	42	ईट क्रय	39900.00	फर्म का नाम कोष वही में अंकित नहीं
4.	31.05.14	4	39	बाबा कुआं की मरम्मत हेतु सामग्री क्रय	42862.00	जाफरी ट्रेडर्स
5.	31.05.14	5	नकद	फावड़ा चलना,	1500.00	नकद क्रय
6.	02.06.14	6	43 बियरर	बालू क्रय	12000.00	नकद (मनोज कुमार)
7.	11.06.14	9	19	स्ट्रीट लाइट	50000.00	शंकर इलेक्ट्रानिक्स
8.	11.06.14	10	45	ईट क्रय	22800.00	द्वाबा ईट उद्योग
9.	20.06.14	12	20 बियरर	ईट क्रय कहां से अज्ञात	22800.00	मनोज कुमार नकद
10.	25.06.14	13	21	सीमेन्ट क्रय	13500.00	जनता ट्रेडर्स
11.	27.06.14	16	25 बियरर	ईट क्रय	34200.00	द्वाबा ईट उद्योग क्रय
12.	30.06.14	17	25 बियरर	ईट क्रय	22800.00	मनोज कुमार को नकद भुगतान
13.	01.07.14	19	27	ईट क्रय	57000.00	द्वाबा ईट उद्योग
14.	05.07.14	20	29	ईट क्रय	25950.00	द्वाबा ईट उद्योग
15.	07.07.14	21	00001 बियरर	ईट क्रय	19950.00	मो नासिर को भुगतान
16.	08.07.14	24	00002	सीमेन्ट क्रय	20100.00	जनता ट्रेडर्स
17.	08.07.14	24	00026	सीमेन्ट क्रय	13800.00	जनता ट्रेडर्स
18.	20.10.14	28	00007	ईट क्रय	22800.00	द्वाबा ईट उद्योग
19.	10.01.15	29	00010	सीमेन्ट क्रय	5100.00	जनता ट्रेडर्स
				योग	464772.00	

प्रस्तर.5 निम्न विवरण के अनुसार आलोच्य वर्ष (2014–15) में मजदूरी भुगतान कोष बही से खारिज है किन्तु निम्न के मस्टर रोल प्रस्तुत नहीं रहे जिससे मजदूरी भुगतान की पुष्टि न की जा सकी।

अतः रु0 91906.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्री मनोज कुमार एवं सचिव श्री अखिलेश सोनी से की जानी अपेक्षित है।

क्र०	वा०स०	दिनांक	चेक सं०	धनराशि	धनराशि किसके भुगतान रही कैश बुक के अनुसार
1	7	10.06.14	18	3896.00	शौचालय मरम्मत की मजदूरी भुगतान किन्तु पास बुक प्रस्तुत न किए जाने से भुगतान किसको रही अज्ञात
2.	11	20.06.14	16	7990.00	राम प्रकाश को भुगतान।
3.	14	26.06.14	22	6498.00	राम प्रकाश को भुगतान।

4.	15	26.04.14	23	29810.00	मनोज कुमार प्रधान
5.	18	30.06.14	28	15580.00	मनोज कुमार प्रधान
6.	22	08.07.14	30	13404.00	राम प्रकाश को भुगतान
7.	25	17.07.14	04	14728.00	आंशिक मजदूरी मजदूरी भुगतान किसको भुगतान रहा ? अज्ञात?
			योग	91906.00	

1. नाम संस्था : ग्राम पंचायत जलालपुर बोरियो
2. लेखा परीक्षा वर्ष : 2014-15
3. विकास खण्ड : मूरतगंज
4. जनपद : कौशाम्बी

प्रस्तर.1..दि० 30.05.2014 को बियरर चेक सं० 80 धनराशि रू० 20500.00 ग्राम प्रधान श्रीमती कलावती देवी का मानदेय भुगतान किया गया।

मई 2013 से नवम्बर 2014 तक = 7 माह X 750 = 5250.00

दिसम्बर 2013 से मार्च 2014 तक = 6 माह X 2500 = 15000.00

कुल = 20250.00

इस प्रकार कुल मानदेय 20250.00 रू. होता है। न कि रू० 20500.00।

अतः 250.00 रू. प्रधान मानदेय अधिक भुगतान रहा जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती कलावती देवी एवं सचिव श्री रविदत्त से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर.2.निम्न विवरण के अनुसार धनराशियाँ कोष बही से खारिज हैं। जो कि सामग्री क्रय एवं मजदूरी भुगतान के नाम पर खारिज है। किन्तु खारिज धनराशियों के पुष्टि में न तो क्रय सामग्री के व्यय प्रमाणक और न मजदूरी भुगतान के मस्टर रोल प्रस्तुत रहे। अतः धनराशियों के फर्जी खारिज कर या बढ़ा चढ़ाकर खारिज किए जाने की पूर्ण संभावना है। अतः धनराशि रू० 850880.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती कलावती देवी एवं तत्कालीन सचिव श्री रवि दत्त मिश्र से की जानी अपेक्षित है।

विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र०	कार्य का नाम	धनराशि	चेक सं०	दिनांक	अन्य विवरण
1.	मजदूरी भुगतान व मिट्टी क्रय	32800.00	74	23.04.14	बियरर चेक से देशराज को भुगतान
2.	मजदूरी भुगतान मिट्टी क्रय	20100.00	77	15.04.14	बियरर चेक से देशराज को भुगतान
3.	मिट्टी क्रय	10100.00	78	23.05.14	बियरर चेक से देशराज को भुगतान
4.	हैण्डपम्प सामग्री क्रय	28930.00	75	23.04.14	खाता सं० 02/58 में ट्रान्सफर
5.	" "	22705.00	97	09.09.14	" " "
6.	" "	13005.00	126	13.01.15	" " "
7.	पोलिंग बूथ पर रैम्प	2050.00	76	25.04.14	बियरर चेक से देशराज को

	निर्माण आदि				भुगतान
8.	ईट क्रय	34200.00	79	28.05.14	नं0 328702/9 में ट्रांसफर
9.	सफाई उपकरण	4100.00	81	12.06.14	बियरर चेक से टू कैश
10.	सफाई ट्राली	6720.00	91	29.08.14	कलावती को
11.	मजदूरी भुगतान	26000.00	91	29.08.14	
12.	स्ट्रीट लाइट	49000.00	82	23.06.14	शंकर इलेक्ट्रानिक्स 02 / 10 में टी.आर.
13.	" "	49000.00	83	25.06.14	" " " "
14.	" "	24500.00	86	30.07.14	शंकर इलेक्ट्रानिक्स 02 / 10 में टी.आर.
15.	मजदूरी भुगतान भुगतान	19950.00	84	05.07.14	बियरर चेक से देशराज को भुगतान
16.	मजदूरी भुगतान	30400.00	85	11.07.14	बियरर चेक से कलावती देवी को
17.	सीमेन्ट बालू	22800.00	87	07.08.14	जाफरी ट्रेडर्स को ट्रांसफर
18.	मजदूरी	9800.00	88	22.08.14	बियरर चेक कलावती
19.	ईट क्रय	31500.00	89	26.08.14	अकाउन्ट 328702 / 9 में टी. आर.
20.	ईट क्रय	10200.00	95	08.09.14	अकाउन्ट 328702६९ में टी. आर.
21.	बालू क्रय	6000.00	90	26.08.14	कलावती को
22.	मजदूरी	10100.00	90	26.08.14	
23.	वृक्षारोपण की मजदूरी	7900.00	92	03.09.14	टू कैश
24.	पौध क्रय	10375.00	93	10.09.14	अतुल नर्सरी
25.	शौचालय प्रोत्साहन राशि	2200.00	94	05.09.14	
26.	शौचालय प्रोत्साहन राशि	2200.00	103	28.10.14	01 / 13902 अमरनाथ को टी. आर.
27.	सीमेंट+सरिया+बालू क्रय	27200.00	96	09.09.14	टी.आर. जव जाफरी ट्रेडर्स
28.	मजदूरी भुगतान	20200.00	98	11.09.14	कलावती को
29.	मजदूरी भुगतान	17500.00	99	19.09.14	कलावती को
30.	ईट क्रय	37500.00	100	15.10.14	कलावती को
31.	ईट क्रय	36100.00	101	18.10.14	कलावती को
32.	सीमेन्ट+सरिया+गिट्टी	23130.00	102	30.10.14	सौरभ एजेन्सी को भुगतान
33.	मजदूरी भुगतान	5000.00	124	09.01.15	कलावती को
34.	ईट क्रय	21000.00	125	13.01.15	बजरंग इण्टरप्राइजेज को भुगतान
35.	ईट क्रय	10200.00	121	14.01.15	अरमान ब्रिक फील्ड
36.	ईट क्रय	28000.00	129	29.01.15	बजरंग इण्टरप्राइजेज
37.	सामग्री क्रय(पुलिया)	11525.00	131	04.02.15	कलावती को
38.	सामग्री (पुलिया)	26700.00	128	05.02.15	सौरभ एजेन्सी
39.	मजदूरी भुगतान	15100.00	132	07.02.15	कलावती को
40.	मजदूरी भुगतान	10200.00	133	12.02.15	कलावती को

41.	सामग्री क्रय (नाम अज्ञात) राजकोट मिल स्टोर से	15490.00	134	27.02.15	02/58 में टी.आर.
42.	सामग्री क्रय (नाम अज्ञात) सौरभ एजेन्सी से	16300.00	135	27.02.15	02/138 में टी.आर.
43.	बालू क्रय	9000.00	106	19.03.15	02/1857 में टी.आर.
44.	ईट क्रय	14000.00	107	19.03.15	02/135 में टी.आर.
45.	मजदूरी भुगतान	12600.00	108	21.03.15	कलावती
46.	मजदूरी भुगतान	7500.00	109	21.03.15	कलावती
	योग	850,880.00			

1. नाम संस्था : ग्राम पंचायत उमरछा
2. लेखा परीक्षा वर्ष : 2014-15
3. विकास खण्ड : मूरतगंज
4. जनपद : कौशाम्बी

प्रस्तर संख्या - 1

ग्राम पंचायत उमरछा के वर्ष 2014-15 के तत्कालीन सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री धर्मेन्द्र कुमार पाण्डेय थे। वर्तमान समय में यह ग्राम पंचायत ग्राम विकास अधिकारी श्री मैकू लाल के पास है। श्री मैकू लाल द्वारा इस ग्राम पंचायत के बैंक पास बुक वर्ष 2014-15 के अतिरिक्त कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। श्री मैकू लाल द्वारा बताया गया कि तत्कालीन सचिव श्री धर्मेन्द्र कुमार पाण्डेय द्वारा चेक बुक एवं पास बुक 2014-15 के अतिरिक्त कोई अभिलेख हस्तगत नहीं कराए गए।

श्री धर्मेन्द्र कुमार पाण्डेय वर्तमान में निलंबित है। इसलिए (पं०) श्री वी०के० उपाध्याय से अन्य सभी अभिलेख प्रस्तुत करवाने हेतु कहा गया किन्तु उनके द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं करवाए जा सके। बल्कि उन्होंने मुझसे स्वयं कहा कि मैं श्री पाण्डेय से कहूँ कि श्री पाण्डेय वर्ष 2014-15 में कराए गए कार्यों की सूची उपलब्ध करा दें। वर्ष 2014-15 में सचिव श्री धर्मेन्द्र कुमार पाण्डेय एवं प्रधान श्री वीरेन्द्र सिंह यादव द्वारा रु० 532765.00 खाता सं० 13090100015586 से आहरित किए गए हैं जिसमें से रु० 342635.00 नकद एवं रु० 190130.00 विभिन्न संस्थाओं/ट्रेडर्स को भुगतान किया गया है। नकद आहरण कोई मस्टर रोल व व्यय प्रमाणक एवं ट्रेडर्स/फर्मों को भुगतान धनराशि के वाउचर (बिल व रसीदें) प्रस्तुत नहीं की गई हैं। स्पष्ट है कि श्री धर्मेन्द्र कुमार पाण्डेय एवं श्री वीरेन्द्र सिंह यादव द्वारा धनराशियों रु० 5,32,765.00 का वर्ष 2014-15 में अपहरण किया गया है। अतः रु० 2,66,382.50 की श्री धर्मेन्द्र कुमार पाण्डेय से एवं रु० 266,382.50 की ब्याज सहित वसूली श्री वीरेन्द्र सिंह यादव से की जानी अपेक्षित है।

1. नाम संस्था : ग्राम पंचायत अरई सुमेरपुर
2. लेखा परीक्षा वर्ष : 2014-15
3. विकास खण्ड : मूरतगंज
4. जनपद : कौशाम्बी

प्रस्तर संख्या - 1

ग्राम पंचायत द्वारा निम्न विवरण के अनुसार सामग्री क्रय किया जाना कोषवही में दर्शित है किन्तु पुष्टि स्वरूप एक भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे क्रय सामग्री की पुष्टि न की जा सकी। अतः ब्याज सहित वसूली रु० 4,83,900.00 प्रधान (तत्कालीन) श्री कृष्णा प्रसाद एवं सचिव (तत्कालीन) श्री रविदत्त मिश्र से की जानी अपेक्षित है।

क्रय सामग्री का विवरण निम्न प्रकार हैं :-

क्र0	नाम सामग्री	धनराशि	चेक सं0	दिनांक	सामग्री जहाँ से क्रय किया जाना दर्शाया गया	धनराशि जिसको भुगतान रही (02/33)
1.	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	11550.00	98	24.04.14	केसरवानी ट्रेडर्स	02/33 खाते में टी. आर. रही
2.	ईट क्रय	14500.00	101	30.04.14	कौशाम्बी ईट उद्योग	श्री कृष्णा प्रसाद
3.	हैण्ड पम्प मरम्मत सामग्री	4500.00	100	16.05.14	केसरवानी ट्रेडर्स	02/33 में ट्रान्सफर रही।
4.	बालू क्रय	11000.00	64	31.07.14	अज्ञात	श्री कृष्णा प्रसाद
5.	पौध क्रय	12050.00	66 (बियररचेक)	22.08.14	जगन्नाथ नर्सरी	जगन्नाथ
6.	ह्यूम पाइप क्रय	15000.00	69 (बियररचेक)	01.09.14	अज्ञात	श्री कृष्णा प्रसाद
7.	ईट क्रय	1,15600.00	68	01.09.14	कौशाम्बी ईट उद्योग	खा0सं0328702/4 को ट्रान्सफर
8.	केसरवानी ट्रेडर्स से सामग्री क्रय किन्तु क्रय की गई अज्ञात रहा	16000.00	71	01.09.14	केसरवानी ट्रेडर्स	02/33 ट्रान्सफर रही
9.	“ ” “	15300.00	73	13.10.14	“ ” “	“ ” “
10.	ईट क्रय	68000.00	72	15.10.14	कौशाम्बी ईट उद्योग	कौशाम्बी ईट उद्योग
11.	केसरवानी ट्रेडर्स से क्रय सामग्री का भुगतान(किन्तु क्या क्रय रहा अज्ञात)	38200.00	80	08.12.14	केसरवानी ट्रेडर्स	02/33 को ट्रान्फर
12.	राइन ट्रेडर्स से सामग्री क्रय (सामग्री का नाम अज्ञात)	16550.00	82	24.01.15	राइन ट्रेडर्स	राइन ट्रेडर्स
13.	केसरवानी ट्रेडर्स से सामग्री क्रय (सामग्री का नाम अज्ञात)	35100.00	85	23.02.15	केसरवानी ट्रेडर्स	02/33 में ट्रान्सफर
14.	सौरभ एजेन्सी से क्रय सामग्री (सामग्री का नाम अज्ञात)	21000.00	86	25.02.15	सौरभ एजेन्सी	02/138 में ट्रान्सफर

15.	ईट क्रय (कौशाम्बी ईट उ0)	50500.00	89	20.03.15	कौशाम्बी ईट उद्योग	कौशाम्बी ईट उद्योग
16.	केसरवानी ट्रेडर्स से क्रय सामग्री का भुगतान (सामग्री का नाम अज्ञात)	39050.00	90	20.03.15	केसरवानी ट्रेडर्स	केसरवानी ट्रेडर्स
	योग	483900.00				

प्रस्तर.2. निम्न विवरण के अनुसार मजदूरी भुगतान कोषबही में दर्शित है किन्तु पुष्टिस्वरूप मस्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे। अतः भुगतान की गई मजदूरी की पुष्टि न की जा सकी। अतः रु0 274200.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्री कृष्ण प्रसाद एवं तत्कालीन सचिव श्री रवि दत्त मिश्र से की जानी अपेक्षित है। मजदूरी भुगतान का विवरण निम्न प्रकार हैं :-

क्र0	कार्य का नाम	धनराशि	चेक सं0	दिनांक	अन्य विवरण
1.	खड़न्जा मरम्मत भजन के घर से तालाब तक	20300.00	102	12.05.14	श्री कृष्णा प्रसाद प्रधान
2.	हैण्डपम्प मरम्मत की मजदूरी	10100.00	103	21.05.14	श्री कृष्णा प्रसाद प्रधान
3.	खड़न्जा मरम्मत लल्लू मौर्य से कैलाश	20100.00	104	26.05.14	श्री कृष्णा प्रसाद प्रधान
4.	नाली मरम्मत रामदास से बब्बू भुँजवा	20500.00	105	13.06.14	श्री कृष्णा प्रसाद प्रधान
5.	नाली मरम्मत रमेश केसरवानी से तालाब	23100.00	63	10.07.14	श्री कृष्णा प्रसाद प्रधान
6.	वृक्षा रोपण की मजदूरी (कहाँ रोपण करवाया ?)	10200.00	65	19.08.14	श्री कृष्णा प्रसाद प्रधान
7.	खड़न्जा मरम्मत केसरवानी कुँआ से कल्लू मौर्य	14000.00	67	26.08.14	श्री कृष्णा प्रसाद प्रधान
8.	हैण्डपम्प मरम्मत मजदूरी भुगतान	9800.00	70	09.09.14	श्री कृष्णा प्रसाद प्रधान
9.	नाली निर्माण राम सजीवन से संतोष टू केश	18600.00	74	15.10.14	श्री कृष्णा प्रसाद प्रधान
10.	खड़न्जा निर्माण राम सजीवन से संतोष पासी	26300.00	75	20.10.14	श्री कृष्णा प्रसाद प्रधान
11.	मिट्टी डलवाई+खड़न्जा निर्माण टुन्नु से रोड	15000.00	76	07.11.14	श्री कृष्णा प्रसाद प्रधान

12.	खड़न्जा निर्माण रोड से अच्छन के हैण्डपम्प तक	5000.00	77	17.11.14	श्री कृष्णा प्रसाद प्रधान
13.	नाली निर्माण रोड से अली के घर तक	10100.00	79	27.11.14	श्री कृष्णा प्रसाद प्रधान
14.	खड़न्जा मरम्मत नफीस से सद्दीकी	15100.00	81	19.01.14	श्री कृष्णा प्रसाद प्रधान
15.	खड़न्जा निर्माण सफी से रोड तक	5000.00	82	29.01.14	श्री कृष्णा प्रसाद प्रधान
16.	खड़न्जा मरम्मत हैण्डपम्प से पुरा तक	15900.00	84	18.02.14	श्री कृष्णा प्रसाद प्रधान
17.	नाला खुदाई भोला से तालाब	5000.00	87	25.02.14	श्री कृष्णा प्रसाद प्रधान
18.	“ “ “	23500.00	88	03.03.14	श्री कृष्णा प्रसाद प्रधान
19.	हैण्डपम्प मरम्मत मजदूरी	6000.00	62	20.06.14	श्री कृष्णा प्रसाद प्रधान
20.	सफाई कर्मी की ट्राली मरम्मत करवाई	600.00	नकद		श्री कृष्णा प्रसाद प्रधान
	योग	2,74,200.00			

प्रस्तर—3 दिनांक 19.06.2014 को चेक संख्या 61 द्वारा श्री कमलेश कुमार को रु0. 1500.00 का भुगतान कोषबही से खारिज है किन्तु कोषबही में भुगतान किए जाने का कारण/उद्देश्य अंकित नहीं है अतः रु0 1500.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री कृष्णा प्रसाद एवं तत्कालीन सचिव श्री रवी दत्त द्विवेदी से की जानी अपेक्षित है।

1. नाम संस्था : ग्राम पंचायत बथुई
2. लेखा परीक्षा वर्ष : 2014—15
3. विकास खण्ड : मूरतगंज
4. जनपद : कौशाम्बी

प्रस्तर संख्या—1

कोषबही के अनुसार दि0 08.12.2014 को रु0 17900.00 की मजदूरी भुगतान काली माता का चबूतरा एवं परिसर निर्माण से सम्बन्धित दर्शाई गई है। रु0 17900.00 का मस्टर रोल प्रस्तुत नहीं रहा। स्टेटमेन्ट ऑफ एकाउन्ट/पास बुक के मिलान से स्पष्ट रहा कि दि0 08.12.14 को चेक सं0 51 धनराशि रु0 17900.00 खाता सं0 02/33 में ट्रान्सफर रही।

अतः धनराशि जब खाता सं0 02/33 में ट्रान्सफर रही तो मजदूरी भुगतान हेतु धनराशि उपलब्ध कैसे रही? अतः फर्जी मजदूरी भुगतान दर्शित रही जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री विमलेश कुमार त्रिपाठी एवं तत्कालीन सचिव श्री रवि दत्त मिश्र से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 2. निम्न विवरण के अनुसार आलोच्य वर्ष में विभिन्न सामग्री क्रय किया जाना कोष बही में दर्शित है जिसके व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे जिससे क्रय सामग्री एवं भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः धनराशि रु0 279550.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री विमलेश कुमार त्रिपाठी एवं तत्कालीन सचिव श्री रवि दत्त मिश्र से की जानी अपेक्षित है।

विवरण निम्न प्रकार से हैं :-

क्र०	नाम सामग्री	भुगतान किसको रही	धनराशि	चेक सं०	दिनांक
1.	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	श्री विमलेश कुमार त्रिपाठी	23500.00	21 बियरर चेक	28.04.14
2.	सामग्री का नाम अज्ञात	रामजी ट्रेडर्स	15000.00	22	12.06.14
3.	ह्यूम पाइप क्रय	सुनीता दुबे	10000.00	25 बियरर चेक	17.06.14
4.	ईट क्रय का भुगतान	02/02 खाते में ट्रान्सफर कोष बही में सन्थासी ब्रिक फील्ड को भुगतान दर्शित	57000.00	23	14.06.14
5.	सामग्री का नाम अज्ञात	जाफरी ट्रेडर्स	36800.00	27	03.07.14
6.	सामग्री का नाम अज्ञात	जाफरी ट्रेडर्स	10100.00	46	22.08.14
7.	सामग्री का नाम अज्ञात	राजकोट मिल स्टोर	35600.00	48	21.10.14
8.	बालू क्रय का भुगतान	कैश	10000.00	49 बियरर चेक	22.10.14
9.	डिजिटल कैमरा	विमलेश कुमार त्रिपाठी	6450.00	50 बियरर चेक	04.12.14
10.	सामग्री का नाम अज्ञात	त्रिपाठी ट्रेडर्स	45000.00	54	03.03.15
11.	सामग्री का नाम अज्ञात	सौरभ एजेन्सी 02/138 को ट्रान्सफर	30100.00	55	03.03.15
		योग	2,79,550.00		

प्रस्तर- 3

निम्न विवरण के अनुसार विभिन्न मदों की मजदूरी भुगतान कोष बही से खारिज है जिनके मस्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे अतः मजदूरी भुगतान की पुष्टि न की जा सकी। बिना मस्टर रोल के किया गया भुगतान फर्जी है और राजकीय धन का अपहरण है। अतः धनराशि ₹ 212050.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री विमलेश कुमार त्रिपाठी एवं तत्कालीन सचिव श्री रवि दत्त मिश्र से की जानी अपेक्षित है।
विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र०	नाम सामग्री	भुगतान किसको रही	धनराशि	चेक सं०	दिनांक
1.	नाली निर्माण एवं मरम्मत रामबदन के घर से तालाब तक	विमलेश कुमार त्रिपाठी	26100.00	24	12.06.14
2.	चन्द्रभूषण तिवारी के कुँआ की मरम्मत कार्य की मजदूरी	विमलेश कुमार त्रिपाठी	19000.00	24	12.06.14
3.	खड़न्जा निर्माण की मजदूरी शिवमूरत तिवारी के घर से राजेश तिवारी के घर तक	कैश	24750.00	26	03.07.14
4.	हैण्डपम्प मरम्मत मजदूरी का	कैश	18000.00	26	03.07.14

	भुगतान				
5.	खड़न्जा मरम्मत की मजदूरी भुगतान बृजेश के घर से अर्का बधुई सम्पर्क मार्ग तक	विमलेश कुमार त्रिपाठी	35100.00	30	22.07.14
6.	नाली+खड़न्जा निर्माण की मजदूरी उदयभान के गोड़ा से मेन खड़न्जा तक	कैश	48450.00	47	08.09.14
7.	हैण्डपम्प मरम्मत की मजदूरी	कैश	3800.00	49	22.10.14
8.	कूप मरम्मत की मजदूरी भुगतान	कैश	11200.00	49	22.10.14
9.	खड़न्जा मरम्मत की मजदूरी भुगतान	विमलेश कुमार त्रिपाठी	25650.00	50	04.12.14
		योग	212050.00		

1. नाम संस्था : ग्राम पंचायत नसीरपुर
2. लेखा परीक्षा वर्ष : 2014-15
3. विकास खण्ड : मूरतगंज
4. जनपद : कौशाम्बी

प्रस्तर -1

निम्न विवरण के अनुसार सामग्री क्रय एवं मजदूरी भुगतान कोष बही से खारिज है किन्तु क्रय सामग्री के व्यय प्रमाणक व मजदूरी भुगतान के मस्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे जिससे क्रय सामग्री व मजदूरी भुगतान की पुष्टि न की जा सकी। कतिपय धनराशियाँ सम्बन्धित फर्मों को एकाउन्ट पेयी चेक के माध्यम से भुगतान रही किन्तु बिल और रसीदों के अभाव में इस बात की पूर्ण संभावना रहती है कि भुगतान चेक के माध्यम से किए जाने के उपरान्त नकद वापस ले ली गई होगी।

अतः रु0 11,33,193.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती लक्ष्मी देवी एवं तत्कालीन सचिव श्री अखिलेश सोनी से की जानी अपेक्षित है।

वर्ष भर में शीर्षवार भुगतान धनराशियों का विवरण :-

क्र0	नाम कार्य	धनराशि	फर्म / व्यक्तियों का नाम	तिथियाँ व चेक सं0 का भुगतान हुआ	धनराशि
1.	मिनी वाटर सप्लाई ओवर हेड टैंक (बी.आर.जी.एफ.)	3,25,621.00	ओम कान्सट्रक्शन	09.04.14 चे0 30 05.06.14 चे 56	206272.00 1,19,349.00
2.	हैण्डपम्प की मजदूरी भुगतान	12000.00	श्रीमती लक्ष्मी दवी (बियरर चेक)	15.04.14 चे0 47 05.06.14 चे0 54	6000.00 6000.00
3.	हैण्ड पम्प सामग्री	37415.00	राजकोट मिल स्टोर (एकाउन्ट पेयी)	17.10.14 चे0 64	37415.00
4.	शौचालय निर्माण	13200.00	विजय सिंह (बियरर चेक)	15.04.16 चे0 48	13200.00

5.	ईट क्रय	79800.00	सागर ब्रिक फील्ड (एकाउन्ट पेयी)	21.04.14 चे 46	79800.00
6.	ईट क्रय	17100.00	श्रीमती लक्ष्मी देवी (बियरर चेक)	26.04.14 चे 49	17100.00
7.	ईट क्रय	31350.00	मो0नासिर (बियरर चेक)	17.05.14 चे 51	31350.00
8.	मजदूरी भुगतान (रामचन्द्र जव पक्की सड़क)	15480.00	श्रीमती लक्ष्मी देवी (बियरर चेक)	19.05.14 चे 52	15480.00
9.	स्ट्रीट लाइट हेतु (शंकर इलेक्ट्रानिक्स)	62500.00	भांकर इलेक्ट्रानिक्स (एकाउन्ट पेयी)	05.05.14 चे 50	62500.00
10.	ईट क्रय	59850.00	जादौन ब्रीक फील्ड (एकाउन्ट पेयी)	25.08.14 चे 61	59850.00
11.	ईट क्रय	79800.00	जादौन ब्रीक फील्ड (एकाउन्ट पेयी)	05.06.14 चे 54	79800.00
12.	ईट क्रय	39900.00	जादौन ब्रीक फील्ड (एकाउन्ट पेयी)	26.06.14 चे 59	39900.00
13.	मजदूरी भुगतान	46968.00	श्रीमती लक्ष्मी देवी (बियरर चेक)	26.06.14 चे 58	46968.00
14.	मजदूरी भुगतान	19950.00	श्रीमती लक्ष्मी देवी (बियरर चेक)	23.08.14 चे 60	19950.00
15.	मजदूरी भुगतान	9740.00	श्रीमती लक्ष्मी देवी (बियरर चेक)	11.06.14 चे 56	9740.00
16.	ईट क्रय	11400.00	श्रीमती लक्ष्मी देवी (बियरर चेक)	18.06.14 चे 57	11400.00
17.	कुरा तालाब में पानी भराई	5000.00	पप्पू (बियरर चेक)	25.08.14 चे 62	5000.00
18.	मजदूरी भुगतान (बरमबाबा चबूतरा)	10000.00	मिन्टू (बियरर चेक)	25.08.14 चे 63	10000.00
19.	सामग्री क्रय (सामग्री का नाम अंकित नहीं)	7500.00	मिन्टू (बियरर चेक)	20.10.14 चे 66	7500.00
20.	सामग्री क्रय (सामग्री का नाम अंकित नहीं)	25400.00	जादौन ब्रिक फील्ड (एकाउन्ट पेयी)	30.10.14 चे 67	25400.00

21.	मजदूरी भुगतान	35600.00	श्रीमती लक्ष्मी देवी (बियरर चेक)	17.10.14 चे0 65	35600.00
22.	पौध क्रय	10375.00	अतुल नर्सरी (एकाउन्ट पेयी)	22.10.14 चे0 68	10375.00
23.	ईंट क्रय	54400.00	अरमान ब्रिक फील्ड (एकाउन्ट पेयी)	12.01.15 चे0 70	54400.00
24.	ईंट क्रय	27200.00	श्रीमती लक्ष्मी देवी (बियरर चेक)	10.01.15 चे0 73	27200.00
25.	कैमरा खरीद	6500.00	अमित कुमार (बियरर चेक)	10.01.15 चे0 72	6500.00
26.	हैण्डपम्प मजदूरी	3000.00	सूरज यादव	03.02.15 चे0 75	3000.00
27.	हैण्ड पम्प सामग्री	30544.00	राजकोट मिल स्टोर (एकाउन्ट पेयी)	12.02.15 चे0 77	30544.00
28.	ईंट क्रय	13600.00	विजय सिंह (बियरर चेक से)	06.02.15 चे0 76	13600.00
29.	ईंट क्रय	34000.00	श्रीमती लक्ष्मी देवी (बियरर चेक)	12.02.15 चे0 78	34000.00
30.	मजदूरी भुगतान	8000.00	विजय सिंह (बियरर चेक से)	12.02.15 से0 80	8000.00
	योग	11,33,193.00			

1. नाम संस्था : ग्राम पंचायत उदाथू
2. लेखा परीक्षा वर्ष : 2014-15
3. विकास खण्ड : मूरतगंज
4. जनपद : कौशाम्बी

प्रस्तर —1 वर्ष (2014-15) के दौरान ह्यूम पाइप पर रू0 20,200.00 का व्यय दि0 26.08.2014 को कैशबुक में दर्शित है। उक्त भुगतान से संबंधित बाउचर न होने से ह्यूम पाइप का साइज, संख्या एवं दर ज्ञात नहीं हो सकी किस फर्म से खरीदा गया एवं उसमें वाणिज्यकर भुगतान किया अथवा नहीं इसकी भी जानकारी नहीं हो सकी। लिहाजा सम्पूर्ण व्यय काल्पनिक प्रतीत होता है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री रामपति एवं ग्रा0वि0अ0 श्री दिनेश कुमार शुक्ला से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर—2 दि0 05.02.15 को हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु सामग्री क्रय हेतु राजकोट मिल स्टोर को रू0 30500.00 का भुगतान कैश बुक में दर्शित है। किन्तु वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक उक्त सामग्री का उपभोग नहीं किया गया। अतः उक्त व्यय को फर्जी दर्शित करते हुये धन का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री रामपति एवं ग्रा0वि0अ0 श्री दिनेश कुमार शुक्ल से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-3

दि० 25.08.14 को वृक्षारोपण हेतु पौधा क्रय हेतु रू० 9750.00 का भुगतान कैशबुक में दर्शित है। उक्त पौध क्रय की नर्सरी का वाउचर लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा। पौधा वितरण रजिस्टर एवं पेड़ों को लगाने की मजदूरी भुगतान भी लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा। जिससे उक्त व्यय पूर्णतः फर्जी प्रतीत होता है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री रामपति एवं ग्रा०वि०अ० श्री दिनेश कुमार शुक्ल से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-4

कैशबुक में निम्न विवरणानुसार माह जनवरी 15 से माह मार्च 15 तक केवल सामग्री पर व्यय दर्शित है –

13.01.15	सफायी कर्मचारी हेतु उपकरण खरीदे	5000.00
13.01.15	केशरवानी ट्रेडर्स से सामग्री हेतु भुगतान	18050.00
14.01.15	आरमान ब्रिक फील्ड	10200.00
22.01.15	सन्धासी बाबा फील्ड	56000.00
05.02.15	केशरवानी ट्रेडर्स	31500.00
26.02.15	कुर्सी, मेज, दरी क्रय	5000.00
27.02.15	सौरभ एजेन्सी क्रय (विवरण नहीं)	38600.00
	योग	164350.00

उक्त व्यय से प्रतीत होता है कि मात्र सामान क्रय पर ही, धनराशि का उपभोग दिखाकर धन का दुरुपयोग, धन का अपहरण किया गया है। पूरे तीन माह (जनवरी 15 से मार्च 15 तक) धन का आहरण केवल सामान क्रय पर ही है। उक्त सामान किस कार्य हेतु आया अज्ञात रहा एवं कार्य को कराया भी नहीं गया, मात्र सामग्री क्रय दिखाकर धन का दुरुपयोग करते हुये अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री रामपति एवं ग्रा०वि०अ० श्री दिनेश कुमार शुक्ल से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-5

हैण्डपम्प मरम्मत की सामग्री एवं मजदूरी पर व्यय कैशबुक में निम्न विवरणानुसार दर्शित है—

5 $\frac{4}{14}$	हैण्डपम्प मरम्मत की सामग्री	—	6300.00
30 $\frac{5}{14}$	हैण्डपम्प मरम्मत की मजदूरी	—	5000.00
25 $\frac{7}{14}$	हैण्डपम्प मरम्मत की सामग्री	—	20150.00
5 $\frac{8}{14}$	हैण्डपम्प मरम्मत की मजदूरी	—	10100.00
29 $\frac{10}{14}$	हैण्डपम्प मरम्मत की सामग्री	—	28000.00
5 $\frac{2}{14}$	हैण्डपम्प मरम्मत की सामग्री	—	30500

— **1,00,050 (सामग्री मजदूरी)**

हैण्डपम्प मरम्मत हेतु ग्राम वासियों द्वारा कोई प्रार्थना पत्र लेखा परीक्षा के दौरान देखने को नहीं मिला। हैण्ड पम्प मरम्मत किन स्थानों पर हुयी तथा क्या-क्या समान लगा एवं क्या पुराना समान निकला उसका विवरण स्टॉक रजिस्टर के अभाव में देखने को नहीं मिला। 29 $\frac{10}{14}$ एवं 5 $\frac{2}{14}$ को मात्र सामग्री पर व्यय

दर्शाकर धन का दुरुपयोग करते हये अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री रामपति एवं ग्रा०वि०अ० श्री दिनेश कुमार शुक्ल से संयुक्त रूप से अपेक्षित है।

1. नाम संस्था : ग्राम पंचायत शाखा बरीपुर
2. लेखा परीक्षा वर्ष : 2014-15
3. विकास खण्ड : मूरतगंज
4. जनपद : कौशाम्बी

प्रस्तर-1 आ०सं० 11, वर्ष दौरान हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय निम्न विवरणानुसार कैशबुक में दर्शित है—

22 $\frac{4}{14}$ हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री क्रय — 38040.00 सामग्री

हेतु राजकोट मिल स्टोर्स

28 $\frac{5}{14}$ हैण्डपम्प मरम्मत हेतु बबलू को भुतान — 10000.00 मजदूरी

6 $\frac{8}{14}$ हैण्डपम्प मरम्मत हेतु नरायणदास को — 5000.00 मजदूरी

19 $\frac{8}{14}$ हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सामग्री क्रय — 34950.00 सामग्री

राजकोट मिल स्टोर्स

19 $\frac{01}{15}$ हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सामग्री क्रय — 29448.00 सामग्री

19 $\frac{01}{15}$ हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सामग्री क्रय — 9000.00

योग — 1,26,438.00

उक्त तिथियों में सामग्री पर व्यय रू० 1,13,438.00 एवं मजदूरी पर व्यय रू० 15,000.00 कैश बुक में मनमाने रूप से दर्शित है किन किन स्थानों पर मरम्मत होनी थी उक्त से सम्बन्धित ग्रामवासियों द्वारा हस्ताक्षरित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं रहा। जो सामान खराब हुआ उसका स्टॉक रजिस्टर नहीं रखा गया। 19 $\frac{8}{14}$ से 19 $\frac{01}{15}$ के बीच में सामग्री पर रू० 73398.00 का व्यय दर्शित है। उक्त सामग्री का उपयोग वर्षान्त तक नहीं हुआ अतः पूर्ण धनराशि रू० 126438.00 को काल्पनिक रूप से दर्शाकर धन का अपहरण किया गया। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री अलताफ अहमद एवं ग्रा०वि०अ० श्री अखिलेश सोनी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-2 वर्ष दौरान दि० 3.09.14 को वृक्षारोपण हेतु पौधक्रय पर अतुल नर्सरी को रू० 12500.00 का भुगतान दर्शित है। किन्तु नर्सरी का व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा। जिससे पौधों की संख्या, प्रकार एवं दर एवं क्रय प्रमाणित नहीं हो सका। वितरण रजिस्टर भी नहीं प्रस्तुत किया गया। जिससे वृक्षारोपण हेतु भुगतान फर्जी दिखाकर धन का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री अलताफ हुसैन एवं ग्रा०वि०अ० श्री अखिलेश सोनी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-3 शाखा बरीपुर में खंडजा निर्माण पर सामग्री एवं मजदूरी पर व्यय निम्न प्रकार से कैश बुक में व्यय दर्शित हैं —

दिनांक	विवरण	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता
08.08.14	शाखा बरीपुर में खंडजा निर्माण हेतु ईट क्रय	25650.00	प्रधान अल्ताफ अहमद
19.08.14	शाखा बरीपुर में खंडजा निर्माण हेतु ईट क्रय	17100.00	विजय सिंह
20.10.14	शाखा बरीपुर में खंडजा निर्माण हेतु ईट क्रय	37400.00	विजय सिंह
4.10.14	शाखा बरीपुर में खंडजा निर्माण हेतु ईट क्रय	40800.00	प्रधान अल्ताफ अहमद
	योग	120950.00	
17.10.14	श्रमिक भुगतान (+)	16920.00	सुरेश चंद
	कुल व्यय	1,37,870.00	

शाखा बरीपुर में खंडजा निर्माण हेतु ईट क्रय पर रू0 120950.00 एवं श्रमिकों पर भुगतान रू0 16920.00 कैशबुक में व्यय दर्शित है। किन्तु खंडजा निर्माण के बारे में स्थान का माप का विवरण नहीं दिया गया है। मजदूरी का मस्टर रोल भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा। इस प्रकार खंडजा निर्माण पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर धन रू0 1,37,870.00 का अपहरण प्रधान एवं सचिव द्वारा किया गया है। उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री अल्ताफ हुसैन एवं ग्रा0वि0अ0 श्री अखिलेश सोनी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर—4 कैश बुक में खंडजा निर्माण एवं नाली निर्माण पर व्यय निम्न प्रकार दर्भित है।

दिनांक	विवरण	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता
19.01.15	शब्बी अखतर के घर से निसार के घर तक नाली निर्माण हेतु ईट क्रय	27200.00	मो0 नासिर
20.01.15	शब्बी अखतर के घर से निसार के घर तक खंडजा/नाली निर्माण में ईट क्रय	78200.00	शब्बी अखतर (कैशबुक में)
	योग	1,05,400.00	

उक्त कार्य हेतु ईट क्रय पर रू0 1,05,400.00 का व्यय दर्शाया गया है। ये ईट क्रय जनवरी 15 में क्रय की गयी। किन्तु उक्त कार्य को 03/16 तक नहीं प्रारंभ किया गया। इस प्रकार काल्पनिक कार्य हेतु सामग्री खरीद करके फर्जी व्यय दर्शाकर धन का अपहरण प्रधान एवं सचिव द्वारा किया गया है। उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री अल्ताफ हुसैन और ग्रा0वि0अ0 श्री अखिलेश सोनी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

1. नाम संस्था : ग्राम पंचायत पन्नोई
2. लेखा परीक्षा वर्ष : 2014-15
3. विकास खण्ड : मूरतगंज
4. जनपद : कौशाम्बी

प्रस्तर-1 वर्ष 2014-15 के दौरान दि० 15.04.2014, 17.06.14 एवं 16.02.15 को क्रमशः रु० 59900.00, रु० 86250.00 एवं रु० 19950.00 ह्यूम पाइप क्रय हेतु धनराशियों का व्यय कैश बुक में दर्शित है। उक्त ह्यूम पाइप की माप, संख्या एवं लगाने का स्थान का विवरण वाउचरों के अभाव में अज्ञात रहा। साथ ही इनको लगाये जाने हेतु मजदूरी संबंधित मस्टर रोल भी नहीं प्रस्तुत रहा। जिससे सम्पूर्ण धनराशि रु० 1,66,100.00 की फर्जी व्यय दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है। उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली दोनों ग्राम प्रधान श्री फूलचंद एवं ग्रा०वि०अ० श्री दिनेश कुमार शुक्ल से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-2 वर्ष दौरान हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय निम्न विवरणानुसार कैश बुक में दर्शित है –

26.04.14	एच०पी० हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सामग्री	25462.00 राजकोट मिल स्टोर
18.09.14	एच०पी० हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सामग्री	30950.00 मिल स्टोर्स
31.10.14	एच०पी० हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सामग्री	13600.00 मजदूरी
25.11.14	एच०पी० हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सामग्री	18650.00 राजकोट मिल स्टोर
19.11.14	एच०पी० हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सामग्री	28110.00 राजकोट मिल स्टोर
7.02.15	एच०पी० हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सामग्री	31500.00 राजकोट मिल स्टोर
25.02.15	एच०पी० हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सामग्री	8000.00 मजदूरी
	योग	156275

उक्त तिथियों में सामग्री पर कुल व्यय रु० 1,34,675 एवं मजदूरी पर व्यय रु० 21600.00 कैश बुक में मनमाने रूप से दर्शित है। किन-किन स्थानों पर मरम्मत होनी थी उक्त से संबंधित ग्राम वासियों द्वारा हस्ताक्षरित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं रहा। जो सामान खराब हुआ उसका स्टॉक रजि० नहीं रखा गया। सामग्री खरीद की तिथियों एवं मरम्मत की मजदूरी की तिथियों में 4 माह का अंतर होनेसे वित्तीय अनियमितता एवं धन के दुरुपयोग की पूर्ण संभावना प्रतीत होती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों ग्राम प्रधान श्री फूलचंद एवं ग्रा०वि०अ० श्री दिनेश कुमार शुक्ल से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-3 दि० 26.02.15 को कैशबुक में सौरभ ऐजेन्सी से क्रय सामग्री हेतु रु० 18500.00 का भुगतान । 02/138 में ट्रान्सफर है। उक्त सामग्री क्या थी एवं कितनी मात्रा में थी, दर क्या थी इसका विवरण वाउचर के अभाव में पुष्टि नहीं हो सकी। लिहाजा सम्पूर्ण धनराशि रु० 18500.00 का अपहरण किया गया प्रतीत होता है। जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों ग्राम प्रधान श्री फूलचंद एवं ग्रा०वि०अ० श्री दिनेश कुमार शुक्ल से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-4 वर्ष (2014-15) के दौरान कैश बुक में दि० 22.01.15 एवं 06.02.15 को क्रमशः राधे के घर से शिवलोचन के खेत तक एवं शिवलोचन के खेत से प्रा०पा तक मिट्टी कार्य पर रु० 10,000.00 एवं रु० 20100.00 का व्यय दर्शित है। उक्त स्थान पर मिट्टी गिराने के लिये ग्रामीणों द्वारा दिया गया कोई प्रार्थनापत्र एवं कार्यवाही पुस्तिका के अभाव में उक्त कार्य प्रस्तावित था अथवा

नहीं का लेखा परीक्षा के दौरान देखने को नहीं मिला। मिट्टी को खुदवाना, ढुलवाने एवं फैलाने से संबंधित कोई मस्टर रोल भी प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे सम्पूर्ण धनराशि रु0 30100.00 को काल्पनिक रूप से दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली दोनों ग्राम प्रधान श्री फूलचंद एवं ग्रा0वि0अ0 श्री दिनेश कुमार शुक्ल से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर—5

दि0 05.09.14 को अतुल नर्सरी को वृक्षारोपण हेतु रु0 22915.00 का भुगतान कैश बुक में दर्शित है। लेखा परीक्षा में न तो पौध क्रय का वाउचर उपलब्ध रहा जिससे पेड़ों की संख्या, प्रकार एवं दर की जानकारी हो सकी पौध वितरण रजिस्टर के अभाव से पौध लगाने हेतु मजदूरी का वाउचर भी अप्रस्तुत रहा। जिससे वृक्षारोपण हेतु पौध क्रय का भुगतान फर्जी प्रतीत होता है। जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों ग्राम प्रधान श्री फूलचंद एवं ग्रा0वि0अ0 श्री दिनेश कुमार से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर—6

कैशबुक में निम्नतिथियों के अनुसार खंडजा निर्माण में सामग्री एवं मजदूरी का व्यय का विवरण निम्न प्रकार है।

दिनांक	विवरण	धनराशि
12.08.14	जाफरी ट्रेडर्स को भुगतान	25000.00
30.09.14	बालू क्रय	20000.00
20.10.14	ज्ञान ब्रिक फील्ड ईट क्रय	36100.00
12.01.15	बालू क्रय	5000.00
21.10.14	श्याम ब्रिक फील्ड ईट क्रय	68000.00
14.01.15	अरमन ब्रिक फील्ड ईट क्रय	85000.00
		239100.00
2.03.15	राधे के घर से शिवलोचन के खेत तक खंडजा की मजदूरी	10000.00
04.03.15	राधे के घर से शिवलोचन के खेत तक खंडजा की मजदूरी	22500.00
		32500.00

उक्त सम्पूर्ण व्यय बिना किसी प्राकलन के सामग्री एवं मजदूरी पर मनमाना व्यय दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री फूलचंद एवं ग्रा0वि0अ0 श्री दिनेश कुमार शुक्ल से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत : पूरब भारीरा
विकास खण्ड : सरसंवा
जनपद : कौशाम्बी
वर्ष : 2014-15

क्र० सं०	आपत्ति सं०	आपत्तियों का विवरण	अपहरण	उत्तरदायी व्यक्तियों के नाम		
प्रस्तर—1	2	आलोच्य वर्ष की रोकड़ बही में खाता सं० 009867 में हैण्डपम्पों की मरम्मत पर सामग्री क्रय एवं मजदूरी पर निम्नतिथियों को निम्न प्रकार भुगतान दर्शाया गया है।	75500.00	श्री संजय कुमार प्रधान एवं श्री सतीश चौधरी ग्रा०वि०अ०		
		13.11.14, 000134			न्यू आदर्श मशीनरी स्टोर हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री क्रय	63500
		09.12.14, 000141			हीरालाल मिस्त्री को मजदूरी का भुगतान	12000
		योग			75500.00	
		उक्त भुगतान की गई धनराशि 75500.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक, सम्बन्धित व्यक्तियों से प्राप्त प्रार्थना पत्र, जल प्रबन्धन समिति से स्वीकृति, स्टॉक रजिस्टर, फिटनेस प्रमाण पत्रों की सूची तथा मरम्मत में प्रयुक्त सामानों के एवज में निष्प्रयोजन सामानों की निकाशी न दर्शाये जाने, आदि कारणों से उक्त दर्शित भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। अतः उक्त भुगतान की गयी धनराशि 75500.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री संजय कुमार तथा तत्कालीन ग्रा०वि०अधिकारी श्री सतीश चौधरी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।				
प्रस्तर—2	3	वर्ष 2014—15 की रोकड़ बही में इंटरलॉकिंग कार्य भैया लाल के घर से श्याम लाल के घर तक में सामग्री क्रय पर विभिन्न तिथियों में रू० 519800.00 का भुगतान किया जाना दर्शित है। विवरण निम्न इस प्रकार हैं —	519800.00	श्री संजय कुमार प्रधान एवं श्री सतीश चौधरी ग्रा०वि०अ०		
		18.09.2014, 000120			शिव इंटर प्राइजेज से इंटरलॉकिंग ईट क्रय 14000 / 21000। उक्त कार्य में प्रयुक्त 9000 इंटरलॉकिंग ईट — रू० 189000.00	
		20.09.14			उक्त फर्म से इंटरलॉकिंग क्रय 14000 / 21000.00। उक्त कार्य में प्रयुक्त 6000 इंटरलॉकिंग ईट रू० 126000.00	
		07.10.14, 000123			नारायण ब्रिक फील्ड से ईट क्रय 27200 / 7000.00। उक्त कार्य में प्रयुक्त 4000 ईट रू० 28000।	
		11.11.14, 000132			शारदा ट्रेडर्स से सीमेन्ट बालू क्रय 40575। उक्त कार्य में प्रयुक्त 38 बोरी सीमेंट एवं 9 घन मी० मोटी बालू रू० 20400.00	

		<table><tr><td>27.01.15 000160</td><td>शिव इंटरप्राइजेज से इंटरलाकिंग ईट क्रय 10000 / 23000.00 उक्त कार्य में प्रयुक्त 6800 इंटरलॉकिंग ईट रु0 156400.00</td></tr><tr><td>योग</td><td>रु0 519800.00</td></tr></table> उक्त कार्य में मजदूरी का भुगतान न होने का कार्य की पूर्णतः स्वतः असम्भव रहने के साथ-साथ उक्त कार्य से सम्बन्धी प्रस्ताव, कार्य योजना, वित्तीय स्वीकृति, कोटेशन, माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, व्यय प्रमाण आदि के अभाव में उक्त कार्य फर्जी एवं काल्पनिक है। तथा सामग्रियों के क्रय पर भुगतान की गयी। धनराशि 519800.000 का फर्जी भुगतान कर अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री संजय कुमार प्रधान तथा तत्कालीन ग्रा0वि0अ0 अधि. श्री सतीश चौधरी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।	27.01.15 000160	शिव इंटरप्राइजेज से इंटरलाकिंग ईट क्रय 10000 / 23000.00 उक्त कार्य में प्रयुक्त 6800 इंटरलॉकिंग ईट रु0 156400.00	योग	रु0 519800.00												
27.01.15 000160	शिव इंटरप्राइजेज से इंटरलाकिंग ईट क्रय 10000 / 23000.00 उक्त कार्य में प्रयुक्त 6800 इंटरलॉकिंग ईट रु0 156400.00																	
योग	रु0 519800.00																	
प्रस्तर-3	4.	आलेख्य वर्ष की रोकड़ बही में ग्राम पंचायत में निम्न स्थानों में निम्न कार्य हेतु मात्र सामग्री क्रय का भुगतान किया जाना दर्शित है। विवरण निम्न प्रकार है। (i) बालकेश के घर से कमल सिंह के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य – <table><tr><td>20.09.14, 000065</td><td>शिव इंटरप्राइजेज से 14000 इंटरलाकिंग ईट / 21000 क्रय उक्त कार्य में 6000 इंटरलॉकिंग ईट प्रयुक्त रु0 126000.00</td></tr><tr><td>07.10.14, 000123</td><td>नारायण ब्रिक फील्ड से 27200 ईट क्रय / 7000 उक्त कार्य में प्रयुक्त 4000 ई रु0 28000.00</td></tr><tr><td>07.01.15, 000156</td><td>उक्त फर्म में इंटरलॉकिंग ईट क्रय 5000 / 23000 रु0 115000</td></tr><tr><td>24.01.15, 000159</td><td>उक्त फर्म में 10000 इंटरलॉकिंग ईट क्रय / 23000 उक्त कार्य में प्रयुक्त 1500 इंटरलॉकिंग ईट रु0 34500.00 योग-303500.00</td></tr></table> (ठ) इंटरलॉकिंग कार्य गुलजारी लाल के घर से बृजेश सिंह के घर तक— <table><tr><td>22.12.14 000159</td><td>शिव इंटरप्राइजेज से इंटरलॉकिंग ईट 10000 / 23000 क्रय उक्त कार्य में प्रयुक्त 4000 इंटरलाकिंग ईट रु0 92000</td></tr><tr><td>23.12.14, 000147</td><td>उज्जवल बिक्रफील्ड से ईट तथा अद्धा ईट क्रय 6000 ईट / 7000 तथा अद्धा 2760 उक्त कार्य में प्रयुक्त 1000 ईट रु0 7000</td></tr><tr><td>02.01.15, 000151</td><td>उक्त फर्म से इंटरलाकिंग ईट 10000 / 23000 क्रय उक्त कार्य में प्रयुक्त 1500 इंटरलाकिंग ईट रु0 34500 योग- 133500 रु0</td></tr></table>	20.09.14, 000065	शिव इंटरप्राइजेज से 14000 इंटरलाकिंग ईट / 21000 क्रय उक्त कार्य में 6000 इंटरलॉकिंग ईट प्रयुक्त रु0 126000.00	07.10.14, 000123	नारायण ब्रिक फील्ड से 27200 ईट क्रय / 7000 उक्त कार्य में प्रयुक्त 4000 ई रु0 28000.00	07.01.15, 000156	उक्त फर्म में इंटरलॉकिंग ईट क्रय 5000 / 23000 रु0 115000	24.01.15, 000159	उक्त फर्म में 10000 इंटरलॉकिंग ईट क्रय / 23000 उक्त कार्य में प्रयुक्त 1500 इंटरलॉकिंग ईट रु0 34500.00 योग-303500.00	22.12.14 000159	शिव इंटरप्राइजेज से इंटरलॉकिंग ईट 10000 / 23000 क्रय उक्त कार्य में प्रयुक्त 4000 इंटरलाकिंग ईट रु0 92000	23.12.14, 000147	उज्जवल बिक्रफील्ड से ईट तथा अद्धा ईट क्रय 6000 ईट / 7000 तथा अद्धा 2760 उक्त कार्य में प्रयुक्त 1000 ईट रु0 7000	02.01.15, 000151	उक्त फर्म से इंटरलाकिंग ईट 10000 / 23000 क्रय उक्त कार्य में प्रयुक्त 1500 इंटरलाकिंग ईट रु0 34500 योग- 133500 रु0	1223600	श्री संजय कुमार प्रधान, श्री सतीश चौधरी ग्राम विकास अधिकारी
20.09.14, 000065	शिव इंटरप्राइजेज से 14000 इंटरलाकिंग ईट / 21000 क्रय उक्त कार्य में 6000 इंटरलॉकिंग ईट प्रयुक्त रु0 126000.00																	
07.10.14, 000123	नारायण ब्रिक फील्ड से 27200 ईट क्रय / 7000 उक्त कार्य में प्रयुक्त 4000 ई रु0 28000.00																	
07.01.15, 000156	उक्त फर्म में इंटरलॉकिंग ईट क्रय 5000 / 23000 रु0 115000																	
24.01.15, 000159	उक्त फर्म में 10000 इंटरलॉकिंग ईट क्रय / 23000 उक्त कार्य में प्रयुक्त 1500 इंटरलॉकिंग ईट रु0 34500.00 योग-303500.00																	
22.12.14 000159	शिव इंटरप्राइजेज से इंटरलॉकिंग ईट 10000 / 23000 क्रय उक्त कार्य में प्रयुक्त 4000 इंटरलाकिंग ईट रु0 92000																	
23.12.14, 000147	उज्जवल बिक्रफील्ड से ईट तथा अद्धा ईट क्रय 6000 ईट / 7000 तथा अद्धा 2760 उक्त कार्य में प्रयुक्त 1000 ईट रु0 7000																	
02.01.15, 000151	उक्त फर्म से इंटरलाकिंग ईट 10000 / 23000 क्रय उक्त कार्य में प्रयुक्त 1500 इंटरलाकिंग ईट रु0 34500 योग- 133500 रु0																	

(ब) इंटर लॉकिंग कार्य मेनरोड देवीलोध के डेरा से मंदिर तक –

02.01.15, 000151	शिव इंटरप्राइजेज से इंटरलाकिंग ईट 10000 / 23000 क्रय। उक्त कार्य में प्रयुक्त 7000 इंटरलाकिंग ईट रू0 161000 योग-161000 रू0

(क) इंटरलॉकिंग कार्य मुन्नूलाल के घर से दरोगा पाण्डे के खेत तक –

02.01.15, 000151	शिव इंटरप्राइजेज से इंटरलॉकिंग ईट 10000 / 23000 क्रय। उक्त कार्य में प्रयुक्त 1500 इंटरलॉकिंग ईट रू0 34500
24.01.15, 000159	उक्त फर्म से 10000 इंटरलाकिंग ईट क्रय / 23000 उक्त कार्य में 6000 इंटरलॉकिंग ईट प्रयुक्त रू0 138000
24.01.15, 000160	उक्त फर्म में 10000 इंटरलॉकिंग ईट क्रय / 23000 उक्त कार्य में प्रयुक्त 5500 इंटरलॉकिंग ईट रू0 126500 योग-299000.00

(म) इंटरलाकिंग कार्य मुन्नु लाल के घर से रामबाबू के घर तक –

27.01.15, 000160	शिव इंटरप्राइजेज से 4000 इंटरलाकिंग ईट क्रय / 23000 रू0 92000
24.01.15, 000159	उक्त फर्म से इंटरलाकिंग ईट क्रय 10000 / 23000 उक्त कार्य में प्रयुक्त 2500 इंटरलाकिंग ईट रू0 57500
24.01.15, 000158	उक्त फर्म से इंटरलाकिंग ईट क्रय 10000 / 23000 उक्त कार्य में प्रयुक्त 500 इंटरलाकिंग ईट रू0 11500 योग-161000

(थ) इंटरलाकिंग कार्य दिवाना रोड से प्राथमिक पाठशाला दमद का पूरा –

24.01.15, 000158	शिव इंटरप्राइजेज से 10000 इंटरलाकिंग ईट क्रय / 23000 उक्त कार्य में प्रयुक्त 4000 इंटरलाकिंग ईट रू0 92000
27.01.15, 000160	उक्त फर्म से इंटरलाकिंग ईट 1000 / 23000 क्रय उक्त कार्य में प्रयुक्त 3200 इंटरलाकिंग ईट रू0 73600 योग – 165600 रू0

उपरोक्त विवरण के अनुसार उक्त कार्यों पर व्यय धनराशियों क्रमशः 303500, 133500, 161000, 299000, 16,1000 तथा 165000 कुल योग 1223600 का भुगतान विभिन्न तिथियों में शिव इंटर प्राइजेज, नारायण ब्रिक फील्ड तथा उज्जवल ब्रिक फील्ड का भुगतान मनमाने ढंग से तथा बिना कोटेशन के मनमानी दर किया जाना दर्शित है। उक्त दर्शित कार्यों में अन्य सामग्री जैसे सीमेन्ट, बालू आदि तथा मजदूरी का भुगतान न किए जाने से उक्त सभी कार्यों की पूर्णतया स्वतः असम्भव एवं काल्पनिक है। यहाँ ये भी उल्लेखनीय है कि वे एक चेक द्वारा क्रय निर्माण सामग्री को कई कार्यों में अलग-अलग दर्शाया गया है। जबकि उन्ही कार्यों हेतु

		दोबारा चेक से निर्माण सामग्री क्रय की गयी है। जो अनियमिति एवं फर्जी क्रय प्रमाणित करता है। उक्त कार्यों से सम्बन्धित प्रस्ताव, कार्ययोजना, वित्तीय स्वीकृति अनुमानित व्यय, व्यय प्रमाणक, माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, स्टॉक पंजिका, तथा परिसंपत्ति रजिस्टर आदि के अभाव में तथा उक्त वर्णित कारणों से उक्त कार्य काल्पनिक एवं फर्जी है। जिन पर प्रधान एवं ग्राम विकास अधिकारी द्वारा रु0 1223600 का भुगतान करके उक्त धन का अपहरण किया है। अतः रु0 1223600 की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री संजय कुमार एवं तत्कालीन ग्रा0वि0अ0 श्री सतीश चौधरी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है। साथ ही ए0डी0ओ0 (पी.) द्वारा विधिक निरीक्षण के अभाव में उक्त धनराशि का अपहरण सम्भव हो सका इस और विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।														
प्रस्तर-4	5.	वर्ष 2014-15 की रोकड़ बही में गप्पू पासी के घर से प्राथमिक पाठशाला तक कराये गये इंटर लाकिंग कार्य में निम्न तिथियों को निम्न प्रकार भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। <table><tr><td>31.10.14, 000128</td><td>शिव इंटर प्राइजेज से 13000 इंटरलाकिंग ईट क्रय / 21000 उक्त कार्य में प्रयुक्त 13000 इंटरलाकिंग ईट रु0 273000</td></tr><tr><td>03.11.14, 000130</td><td>शारदा ट्रेडर्स से 97 बोरी सीमेन्ट दर 300 तथा मोटी एवं महीन बालू क्रय रु0 52100</td></tr><tr><td>14.11.14, 000129</td><td>नारायण ब्रिक फील्ड से 5000 ईट दर 7000 उक्त कार्य में प्रयुक्त 3700 ईट रु0 25900</td></tr><tr><td>08.12.14, 000144</td><td>मजदूरी का भुगतान रु0 24895</td></tr><tr><td>31.12.14, 000152</td><td>मजदूरी का भुगतान रु0 17823</td></tr><tr><td>योग</td><td>रु0 393718</td></tr></table> उपरोक्त कार्य में सामग्री एवं मजदूरी पर कुल भुगतान रु0 393718 के सापेक्ष पुष्टि में प्रस्ताव, कार्य, योजना, अनुमानित व्यय, वित्तीय स्वीकृति, सामग्रियों के क्रय सम्बन्धी कोटेशन, व्यय प्रमाणक, माप पुस्तिका, स्टॉक रजिस्टर, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र परिसम्पत्ति रजिस्टर आदि प्रमाणकों के अभाव में उक्त कार्य की तथा व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं होती है। उक्त अभिलेखों के अभाव में उक्त कार्य काल्पनिक एवं फर्जी है। अतः उक्त कार्य का व्यय धनराशि रु0 393718 का प्रधान एवं ग्रा0वि0अधि0 द्वारा भुगतान करके अपहरण किया। जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री संजय कुमार एवं तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी श्री सतीश चौधरी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।	31.10.14, 000128	शिव इंटर प्राइजेज से 13000 इंटरलाकिंग ईट क्रय / 21000 उक्त कार्य में प्रयुक्त 13000 इंटरलाकिंग ईट रु0 273000	03.11.14, 000130	शारदा ट्रेडर्स से 97 बोरी सीमेन्ट दर 300 तथा मोटी एवं महीन बालू क्रय रु0 52100	14.11.14, 000129	नारायण ब्रिक फील्ड से 5000 ईट दर 7000 उक्त कार्य में प्रयुक्त 3700 ईट रु0 25900	08.12.14, 000144	मजदूरी का भुगतान रु0 24895	31.12.14, 000152	मजदूरी का भुगतान रु0 17823	योग	रु0 393718	393718	श्री संजय कुमार प्रधान एवं श्री सतीश चौधरी ग्रा0वि0अ0
31.10.14, 000128	शिव इंटर प्राइजेज से 13000 इंटरलाकिंग ईट क्रय / 21000 उक्त कार्य में प्रयुक्त 13000 इंटरलाकिंग ईट रु0 273000															
03.11.14, 000130	शारदा ट्रेडर्स से 97 बोरी सीमेन्ट दर 300 तथा मोटी एवं महीन बालू क्रय रु0 52100															
14.11.14, 000129	नारायण ब्रिक फील्ड से 5000 ईट दर 7000 उक्त कार्य में प्रयुक्त 3700 ईट रु0 25900															
08.12.14, 000144	मजदूरी का भुगतान रु0 24895															
31.12.14, 000152	मजदूरी का भुगतान रु0 17823															
योग	रु0 393718															
प्रस्तर-5	6.	आलोच्य वर्ष की रोकड़ बही में मखन लाल विश्वकर्मा के घर से सोहन लाल केशरवानी के घर तक इंटरलाकिंग कार्य हेतु निम्न प्रकार से सामग्री क्रय तथा मजदूरी पर रु0 14771 का भुगतान	147711	श्री संजय कुमार प्रधान												

		किया गया है। विवरण निम्न प्रकार हैं – <table><tr><td>31.10.14, 000128</td><td>शिव इंटरप्राइजेज से इंटरलाकिंग ईट क्रय 15000 / 21000। उक्त कार्य प्रयुक्त 2000 इंटरलाकिंग ईट रु0 42000</td></tr><tr><td>05.11.14, 000131</td><td>उक्त फर्म से इंटरलाकिंग ईट क्रय 10000 / 21000। उक्त कार्य में प्रयुक्त 2800 इंटरलाकिंग ईट रु0 58800</td></tr><tr><td>11.11.14, 00132</td><td>शारदा ट्रेडर्स से सीमेंट बालू क्रय रु0 40575। उक्त कार्य में सीमेन्ट बालू प्रयुक्त रु0 20060</td></tr><tr><td>14.11.14, 000129</td><td>नारायण ब्रिक फीलड में ईट क्रय 5000 / 7000। उक्त कार्य में प्रयुक्त 1300 ईट। रु0 9100</td></tr><tr><td>31.12.14, 000152</td><td>उक्त कार्य की मजदूरी का भुगतान रु0 4251</td></tr><tr><td>08.01.15, 000154</td><td>उक्त कार्य की मजदूरी का भुगतान रु0 11349 तथा अर्द्धा ईट क्रय नगर भुगतान रु0 2151 योग-147711</td></tr></table> उपरोक्त विवरण के अनुसार उक्त कार्य में व्यय कुल धनराशि रु0 147711 की पुष्टि में उक्त कार्य से सम्बन्धित प्रस्ताव, कार्य योजना, अनुमानित व्यय, वित्तीय स्वीकृति, व्यय प्रमाणक, कोटेशन, मापपुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर आदि लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे। उक्त क्रय सामग्रियों जैसे इंटरलाकिंग ईट चेक नं0 000128 तथा 000131 से क्रय करने का उद्देश्य अलग-अलग तिथियों में, आदि कारणों से उक्त कार्य काल्पनिक है। रु0 147711 का भुगतान कर अपहरण किया गया है। अतः उक्त धन की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री संजय कुमार तथा तत्कालीन ग्रा0वि0अ0 श्री सतीश चौधरी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।	31.10.14, 000128	शिव इंटरप्राइजेज से इंटरलाकिंग ईट क्रय 15000 / 21000। उक्त कार्य प्रयुक्त 2000 इंटरलाकिंग ईट रु0 42000	05.11.14, 000131	उक्त फर्म से इंटरलाकिंग ईट क्रय 10000 / 21000। उक्त कार्य में प्रयुक्त 2800 इंटरलाकिंग ईट रु0 58800	11.11.14, 00132	शारदा ट्रेडर्स से सीमेंट बालू क्रय रु0 40575। उक्त कार्य में सीमेन्ट बालू प्रयुक्त रु0 20060	14.11.14, 000129	नारायण ब्रिक फीलड में ईट क्रय 5000 / 7000। उक्त कार्य में प्रयुक्त 1300 ईट। रु0 9100	31.12.14, 000152	उक्त कार्य की मजदूरी का भुगतान रु0 4251	08.01.15, 000154	उक्त कार्य की मजदूरी का भुगतान रु0 11349 तथा अर्द्धा ईट क्रय नगर भुगतान रु0 2151 योग-147711		एवं श्री सतीश चौधरी ग्रा0वि0 अधि0
31.10.14, 000128	शिव इंटरप्राइजेज से इंटरलाकिंग ईट क्रय 15000 / 21000। उक्त कार्य प्रयुक्त 2000 इंटरलाकिंग ईट रु0 42000															
05.11.14, 000131	उक्त फर्म से इंटरलाकिंग ईट क्रय 10000 / 21000। उक्त कार्य में प्रयुक्त 2800 इंटरलाकिंग ईट रु0 58800															
11.11.14, 00132	शारदा ट्रेडर्स से सीमेंट बालू क्रय रु0 40575। उक्त कार्य में सीमेन्ट बालू प्रयुक्त रु0 20060															
14.11.14, 000129	नारायण ब्रिक फीलड में ईट क्रय 5000 / 7000। उक्त कार्य में प्रयुक्त 1300 ईट। रु0 9100															
31.12.14, 000152	उक्त कार्य की मजदूरी का भुगतान रु0 4251															
08.01.15, 000154	उक्त कार्य की मजदूरी का भुगतान रु0 11349 तथा अर्द्धा ईट क्रय नगर भुगतान रु0 2151 योग-147711															
प्रस्तर-6	7	वर्ष 2014-15 की रोकड़ बही में इंटरलाकिंग कार्य सरपतही मेनरोड से उप स्वास्थ्य केन्द्र तक सामग्री क्रय में रु0 366450 का भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। विवरण निम्न प्रकार हैं – <table><tr><td>05.11.14, 000131</td><td>शिव इंटरप्राइजेज से इंटरलाकिंग ईट क्रय 10000 / 21000। उक्त कार्य में प्रयुक्त 7200 इंटरलाकिंग ईट रु0 151200</td></tr><tr><td>27.11.14, 000135</td><td>उक्त फर्म से इंटरलाकिंग ईट क्रय 8000 / 21000। उक्त कार्य में प्रयुक्त 6200 इंटरलाकिंग ईट रु0 130200</td></tr><tr><td>11.12.14, 000143</td><td>शारदा ट्रेडर्स से 90 बोरी सीमेन्ट क्रय / 300 रु0 27000.00</td></tr><tr><td>11.12.14</td><td>शारदा ट्रेडर्स से बालू क्रय रु0 30750</td></tr><tr><td>23.12.14, 000140</td><td>नारायण ब्रिक फील्ड से ईट क्रय 3900 / 7000 रु0 27300 योग- रु0 366450</td></tr></table>	05.11.14, 000131	शिव इंटरप्राइजेज से इंटरलाकिंग ईट क्रय 10000 / 21000। उक्त कार्य में प्रयुक्त 7200 इंटरलाकिंग ईट रु0 151200	27.11.14, 000135	उक्त फर्म से इंटरलाकिंग ईट क्रय 8000 / 21000। उक्त कार्य में प्रयुक्त 6200 इंटरलाकिंग ईट रु0 130200	11.12.14, 000143	शारदा ट्रेडर्स से 90 बोरी सीमेन्ट क्रय / 300 रु0 27000.00	11.12.14	शारदा ट्रेडर्स से बालू क्रय रु0 30750	23.12.14, 000140	नारायण ब्रिक फील्ड से ईट क्रय 3900 / 7000 रु0 27300 योग- रु0 366450	366450	श्री संजय कुमार प्रधान एवं श्री सतीश चौधरी ग्रा0वि0 अधि0		
05.11.14, 000131	शिव इंटरप्राइजेज से इंटरलाकिंग ईट क्रय 10000 / 21000। उक्त कार्य में प्रयुक्त 7200 इंटरलाकिंग ईट रु0 151200															
27.11.14, 000135	उक्त फर्म से इंटरलाकिंग ईट क्रय 8000 / 21000। उक्त कार्य में प्रयुक्त 6200 इंटरलाकिंग ईट रु0 130200															
11.12.14, 000143	शारदा ट्रेडर्स से 90 बोरी सीमेन्ट क्रय / 300 रु0 27000.00															
11.12.14	शारदा ट्रेडर्स से बालू क्रय रु0 30750															
23.12.14, 000140	नारायण ब्रिक फील्ड से ईट क्रय 3900 / 7000 रु0 27300 योग- रु0 366450															

		उक्त कार्य के केवल निर्माण सामग्री क्रय पर रू0 366450 का भुगतान किया जाना रोकड़बही में दर्शित है। उक्त कार्य में मजदूरी का भुगतान न होने से कार्य की पूर्णतः स्वतः ही असंभव है। साथ ही इंटरलाकिंग ईट का दो चेकों से क्रय करना (चेक नं0 000131 तथा 000135) कार्य की प्रमाणिकता को संदेहात्मक बनाता है। साथ ही उक्त कार्य से सम्बन्धि प्रस्ताव, की कार्य योजना, वित्तीय स्वीकृति, कोटेशन, व्यय प्रमाणक, माप पुस्तिका कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पत्ति रजिस्टार आदि लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहने से उक्त कार्य काल्पनिक है। तथा उक्त कार्य का भुगतान की गयी धनराशि रू0 366450 फर्जी है। जिसका अपहरण किया गया है। उक्त धन की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री संजय कुमार तथा तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी श्री सतीश चौधरी से संयुक्त रूप से की जानी की अपेक्षित है।												
प्रस्तर-7	8.	आलोच्य वर्ष की रोकड़ बही में दर्शित इंटरलाकिंग कार्य टोनहा का पूरा में नहर से सेन के घर तक में रू0 265260 का भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। विवरण निम्न प्रकार है – <table><tr><td>27.11.14, 000135</td><td>शिव इंटरप्राइजेज से इंटरलाकिंग ईट क्रय 8000/21000। उक्त कार्य में प्रयुक्त 1800 इंटरलाकिंग ईट रू0 37800</td></tr><tr><td>27.11.14, 000138</td><td>उक्त फर्म से इंटरलाकिंग ईट क्रय 7000/21000। रू0 147000</td></tr><tr><td>17.12.14, 000146</td><td>शारदा ट्रेडर्स सीमेन्ट बालू क्रय का भुगतान रू0 30200</td></tr><tr><td>22.12.14, 000149</td><td>उक्त फर्म से इंटरलाकिंग ईट क्रय 10000/23000। उक्त कार्य में प्रयुक्त 1000 इंटरलाकिंग ईट रू0 23000</td></tr><tr><td>23.12.14, 000147</td><td>उज्जवल ब्रिक फील्ड से ईट तथा अर्द्धा ईट 6000/7000, अर्द्धा ईट 2760। उक्त कार्य में प्रयुक्त 3500 ईट रू0 24500, अर्द्धा ईट रू0 2760 योग- 265260</td></tr></table> उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि उक्त कार्य में केवल सामग्री क्रय पर ही रू0 265260 भुगतान किया गया है। उक्त कार्य में मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है। जिससे उक्त कार्य स्वतः ही काल्पनिक एवं फर्जी है। तथा उक्त कार्य की प्रमाणिकता में प्रस्ताव, कार्ययोजना, अनुमानित व्यय, वित्तीय स्वीकृति, कोटेशन, व्यय प्रमाणक, माप पुस्तिका, स्टाक रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, परिसंपत्ति रजिस्टर आदि प्रस्तुत नहीं किए गए। तथा उक्त एक ही कार्य में चेक सं0 000135, 000138, 000149 से इंटरलाकिंग ईट क्रय करना भी कार्य को संदेहात्मक बनाता है। उक्त कार्य पर भुगतान की गयी धनराशि (सामग्री क्रय) रू0 265260 फर्जी भुगतान करके धन का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री संजय कुमार तथा तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश चौधरी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।	27.11.14, 000135	शिव इंटरप्राइजेज से इंटरलाकिंग ईट क्रय 8000/21000। उक्त कार्य में प्रयुक्त 1800 इंटरलाकिंग ईट रू0 37800	27.11.14, 000138	उक्त फर्म से इंटरलाकिंग ईट क्रय 7000/21000। रू0 147000	17.12.14, 000146	शारदा ट्रेडर्स सीमेन्ट बालू क्रय का भुगतान रू0 30200	22.12.14, 000149	उक्त फर्म से इंटरलाकिंग ईट क्रय 10000/23000। उक्त कार्य में प्रयुक्त 1000 इंटरलाकिंग ईट रू0 23000	23.12.14, 000147	उज्जवल ब्रिक फील्ड से ईट तथा अर्द्धा ईट 6000/7000, अर्द्धा ईट 2760। उक्त कार्य में प्रयुक्त 3500 ईट रू0 24500, अर्द्धा ईट रू0 2760 योग- 265260	265260	श्री संजय कुमार प्रधान एवं श्री सतीश चौधरी ग्रा0वि0अ0
27.11.14, 000135	शिव इंटरप्राइजेज से इंटरलाकिंग ईट क्रय 8000/21000। उक्त कार्य में प्रयुक्त 1800 इंटरलाकिंग ईट रू0 37800													
27.11.14, 000138	उक्त फर्म से इंटरलाकिंग ईट क्रय 7000/21000। रू0 147000													
17.12.14, 000146	शारदा ट्रेडर्स सीमेन्ट बालू क्रय का भुगतान रू0 30200													
22.12.14, 000149	उक्त फर्म से इंटरलाकिंग ईट क्रय 10000/23000। उक्त कार्य में प्रयुक्त 1000 इंटरलाकिंग ईट रू0 23000													
23.12.14, 000147	उज्जवल ब्रिक फील्ड से ईट तथा अर्द्धा ईट 6000/7000, अर्द्धा ईट 2760। उक्त कार्य में प्रयुक्त 3500 ईट रू0 24500, अर्द्धा ईट रू0 2760 योग- 265260													

प्रस्तर-8	9.	वर्ष 2014-15 की रोकड़ बही में कल्लू के घर से असरफी लाल के घर तक इंटरलाकिंग कार्य में रु0 140476 का भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। विवरण निम्न प्रकार हैं -	140476	श्री संजय कुमार प्रधान एवं श्री सतीश चौधरी ग्रा0वि0 अधि0
	22.12.14, 000149	शिव इंटरप्रोजेज से इंटरलाकिंग ईट क्रय 1000 / 23000 उक्त कार्य में प्रयुक्त 5000 इंटरलाकिंग ईट रु0 115000		
	22.12.14, 000150	उक्त कार्य की मजदूरी का भुगतान रु0 14976		
	23.12.14, 000147	उज्जवल ब्रिक फील्ड से ईट तथा अद्धा ईट क्रय 44760। उक्त कार्य में प्रयुक्त 1500 ईट रु0 10500 योग- 140476		
	ग्राम पंचायत में कराये गये उक्त इंटरलाकिंग कार्य में सीमेंट एवं बालू क्रय नहीं किया गया है। जिससे उक्त कार्य को पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। साथ ही साथ उक्त कार्य से सम्बन्धित प्रस्ताव, कार्य योजना, अनुमानित व्यय, वित्तीय स्वीकृति, कोटेशन, व्यय प्रमाणक, माप पुस्तिका,स्टाक रजिस्टर कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पत्ति रजिस्टर आदि के अभाव में काल्पनिक है। प्रधान एवं ग्राम विकास अधिकारी ने ग्राम पंचायत के खाते से उक्त कार्य को रोकड़ बही में दर्शाकर रु0 140476 आहरण किया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री संजय कुमार तथा तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी श्री सतीश चौधरी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।			

ग्राम पंचायत : बम्हरोली
विकास खण्ड : सिराथू
जनपद : कौशाम्बी
वर्ष : 2014-15

प्रस्तर-1

वर्ष 2013-14 में दि0 01.04.13 से 31.05.13 तक बैंक से कुल रु0 332000.00 राजवित्त/तेरहवां वित्त खाते से विभिन्न तिथियों में आहरित की गयी। जिसका विवरण निम्नांकित है।

क्रमांक	आहरित धनराशि का दिनांक	धनराशि
1	13.04.13	10000.00
2.	26.04.13	49000.00
3.	27.04.12	12500.00
4.	29.04.13	32000.00
5.	29.04.13	210000.00
6.	29.04.13	6000.00
7.	01.05.13	12500.00
	योग	332000.00

उक्त धनराशि कैश बुक में आय पक्ष में अंकन किया गया परन्तु कैश बुक के व्यय पक्ष में न ही उक्त धनराशि के समायोजन/नियमित कोई व्यय दर्शित किये गये और न ही कोई व्यय प्रमाणक/व्यय विवरण पत्र भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया न ही कैश बैलेंस के रूप में ही दिखाया गया है। जो स्पष्ट करता है रु0 332000.00 का अपहरण प्रधान श्रीमती सम्पति देवी एवं श्री नरेन्द्र सिंह ग्राम विकास अधिकारी तत्कालीन ग्राम पंचायत बम्हरौली द्वारा सीधे तौर पर अपहरण किया गया। अतः रु0 332000.00 प्रधान श्रीमती सम्पति देवी एवं सचिव नरेन्द्र सिंह, ग्राम विकास अधिकारी तत्कालीन ग्राम पंचायत बम्हरौली से संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-2

वर्ष 2013-14 में, दिनांक 01.06.13 से 31.09.13 तक बैंक से कुल रु0 324158.00 राज्यवित्त/तेरहवां वित्त खाते से विभिन्न तिथियों में आहरित की गयी। जिसका विवरण निम्नांकित है।

क्रमांक	आहरित धनराशि का दिनांक	धनराशि
1	24.06.13	45000.00
2.	24.06.13	45000.00
3.	24.06.13	46690.00
4.	24.06.13	45000.00
5.	24.06.13	45000.00
6.	27.06.13	45000.00
7.	27.06.13	38100.00
8.	27.06.13	11928.00
9.	09.07.13	500.00
10.	09.07.13	1500.00
	योग	324158.00

उक्त धनराशि कैश बुक में आय पक्ष में अंकन किया गया परन्तु कैश बुक व्यय पक्ष में न ही उक्त धनराशि के समायोजन/नियमित कोई व्यय दर्शित किये गये और न ही कोई व्यय प्रमाणक/व्यय का विवरण पत्र भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही कैश बैलेंस के रूप में ही दिखाया गया है। जो स्पष्ट करता है रु0 324158.00 का अपहरण किया गया है जिसके लिए प्रधान श्रीमती सम्पति देवी एवं श्री मोती लाल ग्राम पंचायत अधिकारी तत्कालीन ग्राम पंचायत बम्हरौली द्वारा सीधे तौर पर अपहरण किया गया अतः रु0 324158.00 मय 12% प्रधान श्रीमती सम्पति देवी एवं सचिव श्री मोती लाल ग्राम पंचायत अधिकारी तत्कालीन ग्राम पंचायत बम्हरौली से संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-3

कैश बुक में वर्ष दौरान वर्ष 2013-14 में (दि0 01.10.13 से 31.01.14 तक) जो बैंक से प्राप्त एवं उसके सापेक्ष व्यय कुल धनराशि 506149.00 का विवरण विभिन्न मदों से निम्नानुसार दर्शाया गया है।

क्र0 स0	दिनांक	वृत्त कार्य का विवरण	व्यय धनराशि	अन्य
1.	18.10.13	शक्ति ब्रिक फील्ड से ईट मिट्टी क्रय की धनराशि का भुगतान	19800.00	

2.	18.10.13	शक्ति ब्रिक फील्ड से ईट मिट्टी क्रय की धनराशि का भुगतान	71435.00	
3.	18.10.13	खडन्जा मरम्मत हेतु धनराशि का भुगतान	34506.00	
4.	19.10.13	न्यू मां वैष्णों ईट उद्योग ईट क्रय की धनराशि का भुगतान	125950.00	
5.	26.10.13	गणेश ब्रिक फील्ड से ईट मिट्टी क्रय की धनराशि का क्रय	110000.00	
6.	30.11.13	राजेश द्विवेदी के घर से छोटका यादव के घर तक खंडजा निर्माण हेतु मजदूरी एवं मिट्टी टैक्टर पुराई	32228.00	
7.	30.11.13	मिश्री लाल पासी के घर से रोशन लाल पासी के घर तक खंडजा निर्माण कार्य हेतु मजदूरी एवं टैक्टर द्वारा मिट्टी पुराई	13632.00	
8.	30.11.13	श्याम लाल के घर से दया पासी के घर खंडजा निर्माण हेतु मजदूरी व टैक्टर भुगतान	10174.00	
9.	30.11.13	किशोर लाल के दरवाजे से जयदेश पासी घर तक खंडजा निर्माण हेतु मजदूरी व टैक्टर द्वारा मिट्टी पुराई भुगतान	9586.00	
10.	05.02.14	1. हरि दत्त के दरवाजे से शिव प्रसाद के घर से होते हुए तालाब तक नाली निर्माण हेतु श्रमिक की धनराशि का भुगतान, 2- छनानी तालाब से गिरधारी के घर तक नाली निर्माण हेतु श्रमिक की धनराशि का भुगतान, 3- काली दीन के घर से राजनारायण के घर तक खंडजा निर्माण श्रमिक एवं टैक्टर द्वारा मिट्टी पुराई, 4- श्याम लाल यादव के घर से दया पासी के घर तक खंडजा कार्य निर्माण हेतु मिट्टी का भुगतान।	38460.00	

11.	06.02.14	1. हरि दत्त के दरवाजे से शिव प्रसाद के घर से होते हुए तालाब तक नाली निर्माण हेतु सीमेन्ट, बालू धनराशि का भुगतान गुड्डू सीमेंट एजेंसी, 2- छनानी तालाब से गिरधारी के तालाब तक नाली निर्माण	40290.00	
12.	31.03.14	स्टेशनरी व्यय भुगतान धनराशि	88.00	
		योग	506149.00	

किन्तु किसी भी व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा के दौरान उपलब्ध नहीं किराया गया । जो स्पष्ट करता है कि फर्जी व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। अतः फर्जी रूप से दर्शित व्यय के आधार पर बिना बाउचर (व्यय प्रमाणक) के कुल ₹0 506149.00 का अपहरण किया गया है जिसके लिए प्रधान श्रीमती सम्पति देवी एवं श्री पुनीत सिंह ग्राम विकास अधिकारी तत्कालीन ग्राम पंचायत बम्हरोली द्वारा सीधे तौर पर अपहरण किया गया अतः ₹0 506149.00 प्रधान श्रीमती सम्पति देवी एवं सचिव श्री पुनीत सिंह, ग्राम विकास अधिकारी तत्कालीन ग्राम पंचायत बम्हरोली से संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-4

वित्तीय वर्ष 2014-15 दिनांक 04.06.2014 को ग्राम निधि 1 खाता सं0 1/1036 से ₹0 448800.00 आहरित किया गया है जो पास बुक में दर्शित भी है। उक्त आहरण के सापेक्ष सचिव द्वारा कैश बुक व्यय पक्ष में फर्जी तरीके से धनराशि 1/1036 में जमा दर्शाई गयी है जबकि निकासी की धनराशि प्रकाश सोलर लाइट को दिया जाना चाहिए एवं प्रमाणक प्रस्तुत करना चाहिए धनराशि का भुगतान गलत दर्शाने एवं प्रमाणक के अभाव में समस्त धनराशि प्रधान श्रीमती सम्पति देवी एवं श्री पुनीत सिंह ग्राम विकास अधिकारी तत्कालीन ग्राम पंचायत बम्हरोली द्वारा सीधे तौर पर अपहरण किया गया है। अतः ₹0 0448800.00 प्रधान श्रीमती सम्पति देवी एवं श्री पुनीत सिंह ग्राम विकास अधिकारी तत्कालीन ग्राम पंचायत बम्हरोली से संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-5

कैश बुक में वर्ष दौरान वर्ष 2014-15 में (दिनांक 01.01.2015 से 10.03.2015 तक) जो बैंक से आहरण एवं उसके सापेक्ष व्यय कुल धनराशि ₹0 383575.00 का विवरण विभिन्न मदों में निम्नानुसार दर्शाया गया है।

क्र० सं०	दिनांक	वृत्त कार्य का विवरण	व्यय धनराशि	अन्य
1.	17.01.15	रा0वि/ते0वि0 से खड़न्जा निर्माण में श्याम लाल यादव से दयाराम पासी के घर तक 13 मजदूरों की मजदूरी का 72 मानव दिवस का भुगतान	12736.00	
2.	19.01.15	रा0वि0/ते0वि0से नाली निर्माण देवी	9865.00	

		लाल धोबी से राजू दुबे तक लगे 12 मजदूरों की मजदूरी का 56 मानव दिवस का भुगतान मा0 रो0 पर		
3.	19.01.15	खडन्जा निर्माण में ईट क्रय रसीद 9750, 7000 में शक्ति ब्रिक फील्ड	68250.00	
4.	19.01.15	मे शक्ति ब्रिक फील्ड ईट क्रय रसीद	40480.00	
5.	23.01.15	प्रिया सॉफ्ट फीडिंग की रसीद	2000.00	
6.	27.01.15	गुड्डू सीमेन्ट स्टोर क्रय रसीद सी0 39 दर 300 व बालू 6 700	15900.00	
7.	27.01.15	शाली मार ईट का रसीद	111090.00	
8.	02.02.15	गुड्डू सीमेन्ट स्टोर की क्रय रसीद	30128.00	
9.	02.02.15	शबीब से इन्टर लॉकिंग कार्य में रामचन्द्र पासी से हैण्डपम्प सुन्दर लाल यादव तक में 13 मजदूरों का भुगतान 154 मानव दिवस का भुगतान मा0रो0 पर	27220.00	
10.	02.02.15	मे शक्ति ब्रिक फील्ड ईट क्रय रसीद	50825.00	
11.	03.02.15	रसीद रामचन्द्र पासी से सुन्दर लाल यादव तक 7.58 दर 500 की रसीद	3790.00	
12.	03.02.15	रामचन्द्र पासी से सुन्दर लाल इन्टरलॉकिंग कार्य हेतु मिट्टी रसीद 54.7 दर 7695	4210.00	
13.	03.02.15	श्याम लाल से दया राम पासी तक खडन्जा निर्माण के मिट्टी की रसीद 77.48 दर 75.95 भुगतान	5962.00	
14.	10.03.15	ईट क्रय रसीद	1120.00	
		योग	383575.00	

किन्तु किसी भी व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा के दौरान उपलब्ध नहीं कराया गया। जो स्पष्ट करता है कि फर्जी व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। अतः फर्जी रूप से दर्शित व्यय के आधार पर बिना बाउचर, व्यय प्रमाणक के कुल रू0 383575.00 का अपहरण किया गया है जिसका प्रधान श्रीमती सम्पति देवी एवं श्री मोती लाल ग्राम पंचायत अधिकारी तत्कालीन ग्राम पंचायत बम्हरौली द्वारा सीधे तौर पर अपहरण किया गया। अतः रू0 383575.00 प्रधान श्रीमती सम्पति देवी एवं सचिव श्री मोती लाल, ग्राम पंचायत अधिकारी तत्कालीन ग्राम पंचायत बम्हरौली से संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-6

वर्ष 2014-15 में दिनांक 24.02.2015 को ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री मोती लाल ने चेक सं0 91 धनराशि रू0 16000.00 की चेक अपने नाम की काटी गयी और दिनांक 24.02.2015 को श्री मोती लाल द्वारा की धनराशि रू0 16000.00 बैंक से प्राप्त किया गया है और उक्त धनराशि ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मोती लाल द्वारा न ही कैश बुक के आय पक्ष में और न ही कैश बुक व्यय पक्ष में उक्त धनराशि का

समायोजन/नियमित कोई व्यय दर्शित नहीं किये गये और न ही कोई व्यय प्रमाणक/व्यय का विवरण पत्र ही लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही कैश बैलेस के रूप के ही दिखाया गया है। जो स्पष्ट करता है ₹0 16000.00 का अपहरण किया गया है जिसके लिए प्रधान श्रीमती सम्पति देवी एवं श्री मोती लाल ग्राम पंचायत अधिकारी तत्कालीन ग्राम पंचायत बम्हरौली द्वारा सीधे तौर पर अपहरण किया गया। अतः ₹0 16000.00 प्रधान श्रीमती सम्पति देवी एवं सचिव श्री मोती लाल, ग्राम पंचायत अधिकारी तत्कालीन ग्राम पंचायत बम्हरौली से संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-7

वर्ष दौरान वर्ष 2014-15 में (दि० 01.01.2015 से 10.03.2015 तक) जो बैंक से कुल ₹0 494846.00 राजवित्त/तेहरवां वित्त खाते से विभिन्न तिथियों में आहरित की गयी है। जिसका विवरण निम्नांकित है।

क्रमांक	आहरित धनराशि का दिनांक	धनराशि
1	17.03.15	206000.00
2.	19.03.15	267800.00
3.	24.03.15	21046.00
	योग	494846.00

उक्त धनराशि कैशबुक में आय पक्ष में अंकित किया गया परन्तु कैश बुक व्यय पक्ष में ही उक्त धनराशि के समायोजन/नियमित कोई व्यय दर्शित किये गये और न ही कोई व्यय प्रमाणक/व्यय का विवरण पत्र भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही बैलेन्स के रूप में ही दिखाया गया है। जो स्पष्ट करता है कि ₹0 494846.00 का अपहरण किया गया है जिसके लिए प्रधान श्रीमती सम्पति देवी एवं श्री मोती लाल ग्राम पंचायत अधिकारी तत्कालीन ग्राम पंचायत बम्हरौली द्वारा सीधे तौर पर किया गया अतः ₹0 494846.00 प्रधान श्रीमती सम्पति देवी एवं श्री मोती लाल ग्राम पंचायत अधिकारी तत्कालीन ग्राम पंचायत बम्हरौली से संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

जनपद—आजमगढ़

मण्डल—आजमगढ़

प्रस्तर सं०-1

ग्राम पंचायत—पियरिया

विकासखण्ड—कोयलसा।

ग्राम पंचायत—पियरिया के वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि बिना टेण्डर/कोटेशन आमंत्रित किये ही प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा धनराशि ₹0 464476 का ईंट, बिल्डिंग मैटेरियल व सोडियम लाईट का क्रय किया गया है। जबकि शासनादेश सं० ए-1-864/दस-08-15(1)/86 दिनांक 23.09.2008 के प्रस्तर 2 के अनुसार ₹0 20000 की सामग्री बिना कोटेशन व ₹0 20001 से 99999 तक की सामग्री हेतु कोटेशन एवं ₹0 100000 से अधिक मूल्य की सामग्री के लिये टेण्डर आमंत्रित करना अनिवार्य है। ऐसी स्थिति में बिना कोटेशन/टेण्डर आमंत्रित किये ही प्रधान श्री बालरूप एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कृपाशंकर द्वारा ₹0 464476 का क्रय कर अनियमितता की गयी है, जिसके लिये प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं० 03)

प्रस्तर सं०-2

ग्राम पंचायत-पियरिया

विकासखण्ड-कोयलसा।

ग्राम पंचायत-पियरिया के वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि बैंक में जमा अनुदान की धनराशि पर प्राप्त ब्याज को राजकीय कोष में जमा न कर व्यय किया गया है। जबकि शासनादेश सं० ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21.03.2012 के प्रस्तर-2 के अनुसार शासन द्वारा अवमुक्त धनराशियों को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया गया है तो अर्जित ब्याज ग्राम पंचायत की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी और अर्जित आय को राजकोष में जमा करा दिया जाय। वर्ष 2014-15 में ग्राम पंचायत में 2455 रूपया अनुदान पर ब्याज प्राप्त हुआ है। ग्राम पंचायत द्वारा ब्याज की धनराशि व्यय कर धन का दुरुपयोग किया गया है। जिसके लिये प्रधान श्री बालरूप एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कृपाशंकर उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध ब्याज सहित वसूली की आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं० 14)

प्रस्तर सं०-3

ग्राम पंचायत-पियरिया

विकासखण्ड-कोयलसा।

वर्ष 2014-15 की ग्राम निधि प्रथम कैशबुक की जांच में पाया गया कि कतिपय तिथियों में हैण्डपम्प मरम्मत पर भुगतान दर्शित है। ग्राम पंचायत में परिसम्पत्ति रजिस्टर नहीं बनाया गया है, जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका कि किन-किन जगहों पर लगे हैण्डपम्प की मरम्मत की गयी है। मरम्मत में बदले गये सामान की प्रविष्टि रिपेयरिंग रजिस्टर में नहीं की गयी है। ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत पर हुये व्यय की सम्पूर्ण धनराशि में से आधी धनराशि लाभार्थियों (जिसके सामने हैण्डपम्प लगा है) से लिया जाना चाहिये था। किन्तु सम्पूर्ण धनराशि ग्राम पंचायत द्वारा व्यय किया गया है। इस प्रकार रु० 35112 की धनराशि का अपहरण प्रधान श्री बालरूप एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कृपा शंकर द्वारा किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं० 15)

प्रस्तर सं०-4

ग्राम पंचायत-पियरिया

विकास खण्ड-कोयलसा।

वर्ष 2014-15 की ग्राम निधि प्रथम कैशबुक की जांच में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में ईट, बिल्डिंग मैटेरियल की खरीद पर भुगतान दर्शित है। किन्तु भुगतान करते समय फर्म से शासनादेशनुसार आयकर 2.24 प्रतिशत एवं व्यापार कर 4 प्रतिशत की दर से कटौती नहीं की गयी है। जबकि नियमानुसार आयकर रु० 7110 एवं व्यापार कर रु० 12695 की कटौती कर धनराशि बैंक में निर्धारित शीर्ष में जमा करके चालान की प्रति फर्म को उपलब्ध कराना चाहिये था ताकि फर्म आयकर एवं व्यापार कर रिटर्न दाखिल करते समय अपने रिटर्न में शामिल कर सके। कुल रु० 19805 की आयकर एवं व्यापार कर की कटौती न करके राजकीय राजस्व को क्षति पहुंचायी गयी है, जिसके लिये प्रधान श्री बालरूप एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कृपाशंकर गुप्ता उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं० 16)

प्रस्तर सं०-5

ग्राम पंचायत-पियरिया

विकास खण्ड-कोयलसा।

वर्ष 2014-15 की ग्राम निधि प्रथम कैशबुक की जांच में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में सोडियम लाईट क्रय पर रु० 147100 का भुगतान दर्शित है। ग्राम पंचायत में परिसम्पत्ति रजिस्टर नहीं बनाया गया है। भुगतान एकाउन्टपेयी चेक से न करके बीयरर चेक से किया गया है। भुगतान करते समय आपूर्तिकर्ता से आयकर एवं व्यापार कर की कटौती नहीं की गयी है। शासनादेश सं० 1310/33-3-2010-54/2010 दिनांक 09 जून 2010 के अनुसार ग्राम पंचायतें आवंटित धनराशि में से डा० अम्बेडकर ग्रामों में स्थापित सोडियम लाईट के अनुरक्षण एवं रख-रखाव हेतु व्यय कर सकेगी। कार्य योजना का अनुमोदन जिला पंचायत राज अधिकारी से प्राप्त नहीं किया गया है। सोडियम लाईट क्रय पर मनमाने ढंग से भुगतान दर्शित कर धन का अपहरण किया गया है। जिसके लिये प्रधान श्री बालरूप एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कृपाशंकर गुप्ता उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। (सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं०-17)

प्रस्तर सं०-6

ग्राम पंचायत-पियरिया

विकास खण्ड-कोयलसा।

ग्राम पंचायत की ग्राम निधि कैशबुक प्रथम/कार्यपूर्ति की जांच में पाया गया कि मानक से अधिक रु० 11235 मजदूरी का भुगतान करके धन का अपहरण किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री बालरूप एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कृपाशंकर गुप्ता से की जानी अपेक्षित रही।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं० 18)

प्रस्तर सं०-7

ग्राम पंचायत-भरौली टोड़र

विकास खण्ड-कोयलसा।

ग्राम पंचायत-भरौली टोड़र के वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि बिना टेण्डर/कोटेशन आमंत्रित किये ही प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा धनराशि रु० 828524 का ईट, बिल्डिंग मैटेरियल का क्रय किया गया है। जबकि शासनादेश सं० ए-1-864/दस-08-15(1)/86 दिनांक 23.09.2008 के प्रस्तर 2 के अनुसार रु० 20000 की सामग्री बिना कोटेशन व रु० 20001 से 99999 तक की सामग्री हेतु कोटेशन एवं रु० 100000 से अधिक मूल्य की सामग्री के लिये टेण्डर आमंत्रित करना अनिवार्य है। ऐसी स्थिति में बिना कोटेशन/टेण्डर आमंत्रित किये ही प्रधान श्रीमती गीता एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रमेश सोनकर रु० 828524 का क्रय कर अनियमितता की गयी है, जिसके लिये प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं० 03)

प्रस्तर सं०-8

ग्राम पंचायत-भरौली टोड़र

विकासखण्ड-कोयलसा।

वर्ष 2014-15 की ग्राम निधि प्रथम कैशबुक की जांच में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में ईट, बिल्डिंग मैटेरियल की खरीद पर भुगतान दर्शित है। किन्तु भुगतान करते समय फर्म से शासनादेशनुसार आयकर 2.24 प्रतिशत एवं व्यापार कर 4 प्रतिशत की दर से कटौती नहीं की गयी है। जबकि नियमानुसार आयकर रु० 18559 एवं व्यापार कर रु० 33141 की कटौती कर धनराशि बैंक में निर्धारित शीर्ष में जमा करके चालान की प्रति फर्म को उपलब्ध कराना चाहिये था ताकि फर्म आयकर एवं व्यापार कर रिटर्न दाखिल करते समय अपने रिटर्न में शामिल कर सके। कुल रु० 51700 की आयकर एवं व्यापार कर की कटौती न करके राजकीय राजस्व

को क्षति पहुंचायी गयी है, जिसके लिये प्रधान श्रीमती गीता एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रमेश सोनकर उत्तरदायी रहे। उत्तरादायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं० 14)

प्रस्तर सं०-9

ग्राम पंचायत-भरौली टोड़र विकासखण्ड-कोयलसा।

वर्ष 2014-15 की ग्राम निधि प्रथम कैशबुक की जांच में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में सोडियम लाईट क्रय पर रू० 139320 का भुगतान दर्शित है। ग्राम पंचायत में परिसम्पत्ति रजिस्टर नहीं बनाया गया है। भुगतान एकाउन्टपेयी चेक से न करके बीयरर चेक से किया गया है। भुगतान करते समय आपूर्तिकर्ता से आयकर एवं व्यापार कर की कटौती नहीं की गयी है। शासनादेश सं० 1310/33-3-2010 -54/2010 दिनांक 09 जून 2010 के अनुसार ग्राम पंचायतें आवंटित धनराशि में से डा० अम्बेडकर ग्रामों में स्थापित सोडियम लाईट के अनुरक्षण एवं रख-रखाव हेतु व्यय कर सकेगी। कार्य योजना का अनुमोदन जिला पंचायत राज अधिकारी से प्राप्त नहीं किया गया है। सोडियम लाईट क्रय पर मनमाने ढंग से भुगतान दर्शित कर धन का अपहरण किया गया है। जिसके लिये प्रधान श्रीमती गीता एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रमेश सोनकर उत्तरदायी रहे। उत्तरादायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं० 15)

प्रस्तर सं०-10

ग्राम पंचायत-भरौली टोड़र विकासखण्ड-कोयलसा।

वर्ष 2014-15 की ग्राम निधि प्रथम कैशबुक की जांच में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में ह्यूम पाइप क्रय पर रू० 27500 का भुगतान दर्शित है। ग्राम पंचायत में परिसम्पत्ति रजिस्टर व स्टॉक बुक रजिस्टर नहीं बनाया गया है। भुगतान एकाउन्टपेयी चेक से न करके बीयरर चेक से किया गया है। भुगतान करते समय आपूर्तिकर्ता से आयकर एवं व्यापार कर की कटौती नहीं की गयी है। इस प्रकार कैशबुक में फर्जी भुगतान दर्शित कर रू० 27500 का अपहरण किया गया है। जिसके लिये प्रधान श्रीमती गीता एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रमेश सोनकर उत्तरदायी रहे। उत्तरादायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं० 16)

प्रस्तर सं०-11

ग्राम पंचायत-भरौली टोड़र विकासखण्ड-कोयलसा।

शासनादेश सं० ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21.03.2012 के प्रस्तर (3) के अनुसार शासन द्वारा अवमुक्त धनराशियों को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया गया है, तो अर्जित ब्याज ग्राम पंचायत की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी और अर्जित आय को राजकोष में जमा करा दिया जाये। ग्राम पंचायत में वर्ष 2014-15 में ब्याज रू० 2432 प्राप्त हुआ है। किन्तु प्राप्त ब्याज राजकीय कोष में जमा न कर राजकीय धन का दुरुपयोग किया गया है, जिसके लिये प्रधान श्रीमती गीता एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रमेश सोनकर उत्तरदायी रहे। उत्तरादायी व्यक्तियों के विरुद्ध ब्याज सहित वसूली की आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं० 17)

प्रस्तर सं०-12

ग्राम पंचायत-भरौली टोड़र विकासखण्ड-कोयलसा।

वर्ष 2014-15 की ग्राम निधि प्रथम कैशबुक की जांच में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में हैण्डपम्प मरम्मत पर भुगतान दर्शित है। ग्राम पंचायत में परिसम्पत्ति रजिस्टर नहीं बनाया गया है, जिससे यह ज्ञात नहीं

हो सका कि किन-किन जगहों पर लगे हैण्डपम्प की मरम्मत की गयी है। मरम्मत में बदले गये सामान की प्रविष्टि रिपेयरिंग रजिस्टर में नहीं की गयी है। ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत पर हुये व्यय की सम्पूर्ण धनराशि में से आधी धनराशि लाभार्थियों (जिसके सामने हैण्डपम्प लगा है) से लिया जाना चाहिये था। किन्तु सम्पूर्ण धनराशि ग्राम पंचायत द्वारा व्यय किया गया है। इस प्रकार रू0 39000 की धनराशि का अपहरण किया गया है, जिसके लिये प्रधान श्रीमती गीता एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रमेश सोनकर उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं0 18)

प्रस्तर सं0-13

ग्राम पंचायत-भरौली टोड़र विकासखण्ड-कोयलसा।

वर्ष 2014-15 में कुल रू0 33579 का भुगतान प्राथमिक विद्यालय के शौचालय मरम्मत पर कैशबुक में दर्शित है। शौचालय मरम्मत भुगतान की स्वीकृति जिला पंचायत राज अधिकारी से प्राप्त नहीं की गयी है। इस प्रकार रू0 33579 अनियमित भुगतान किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान श्रीमती गीता एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रमेश सोनकर से संयुक्त रूप से अपेक्षित रही।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं0 19)

प्रस्तर सं0-14

ग्राम पंचायत-भैंसासुर चक रजई विकासखण्ड-कोयलसा।

ग्राम पंचायत-भैंसासुर चक रजई के वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि बिना टेण्डर/कोटेशन आमंत्रित किये ही प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा धनराशि रू0 151160 का ईट, बिल्डिंग मैटेरियल का क्रय किया गया है। जबकि शासनादेश सं0 ए-1-864/दस-08-15(1)/86 दिनांक 23.09.2008 के प्रस्तर 2 के अनुसार रू0 20000 की सामग्री बिना कोटेशन व रू0 20001 से 99999 तक की सामग्री हेतु कोटेशन एवं रू0 100000 से अधिक मूल्य की सामग्री के लिये टेण्डर आमंत्रित करना अनिवार्य है। ऐसी स्थिति में बिना कोटेशन/टेण्डर आमंत्रित किये ही प्रधान श्रीमती नीतू पाण्डेय एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजेन्द्र सिंह द्वारा अनियमितता की गयी है, जिसके लिये प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं0 03)

प्रस्तर सं0-15

ग्राम पंचायत-भैंसासुर चक रजई विकासखण्ड-कोयलसा।

वर्ष 2014-15 की ग्राम निधि प्रथम कैशबुक की जांच में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में ईट, बिल्डिंग मैटेरियल की खरीद पर भुगतान दर्शित है। किन्तु भुगतान करते समय फर्म से शासनादेशानुसार आयकर 2.24 प्रतिशत एवं व्यापार कर 4 प्रतिशत की दर से कटौती नहीं की गयी है। जबकि नियमानुसार आयकर रू0 3386 एवं व्यापार कर रू0 6046 की कटौती कर धनराशि बैंक में निर्धारित शीर्ष में जमा करके चालान की प्रति फर्म को उपलब्ध कराना चाहिये था ताकि फर्म आयकर एवं व्यापार कर रिटर्न दाखिल करते समय अपने रिटर्न में शामिल कर सके। कुल रू0 9432 की आयकर एवं व्यापार कर की कटौती न करके राजकीय राजस्व को क्षति पहुंचायी गयी है, जिसकेलिये प्रधान श्रीमती नीतू पाण्डेय एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजेन्द्र सिंह उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं0 14)

प्रस्तर सं०-16**ग्राम पंचायत-भैंसासुर चक रजई****विकासखण्ड-कोयलसा।**

वर्ष 2014-15 की ग्राम निधि प्रथम कैशबुक की जांच में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में सोडियम लाईट क्रय पर रू० 99100 का भुगतान दर्शित है। ग्राम पंचायत में परिसम्पत्ति रजिस्टर नहीं बनाया गया है। भुगतान एकाउन्टपेयी चेक से न करके बीयरर चेक से किया गया है। भुगतान करते समय आपूर्तिकर्ता से आयकर एवं व्यापार कर की कटौती नहीं की गयी है। शासनादेश सं० 1310/33-3-2010-54/2010 दिनांक 09 जून 2010 के अनुसार ग्राम पंचायतें आवंटित धनराशि में से डा० अम्बेडकर ग्रामों में स्थापित सोडियम लाईट के अनुरक्षण एवं रख-रखाव हेतु व्यय कर सकेंगी। कार्य योजना का अनुमोदन जिला पंचायत राज अधिकारी से प्राप्त नहीं किया गया है। सोडियम लाईट क्रय पर मनमाने ढंग से भुगतान दर्शित कर धन का अपहरण किया गया है। जिसकेलिये प्रधान श्रीमती नीतू पाण्डेय एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजेन्द्र सिंह उत्तरदायी रहे। उत्तरादायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं० 15)

प्रस्तर सं०-17**ग्राम पंचायत-भैंसासुर चक रजई****विकासखण्ड-कोयलसा।**

वर्ष 2014-15 की ग्राम निधि प्रथम कैशबुक की जांच में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में ह्यूम पाइप क्रय पर रू० 26117 का भुगतान दर्शित है। ग्राम पंचायत में परिसम्पत्ति रजिस्टर व स्टॉक बुक रजिस्टर नहीं बनाया गया है। भुगतान एकाउन्टपेयी चेक से न करके बीयरर चेक से किया गया है। भुगतान करते समय आपूर्तिकर्ता से आयकर एवं व्यापार कर की कटौती नहीं की गयी है। इस प्रकार कैशबुक में फर्जी भुगतान दर्शित कर रू० 26117 का अपहरण किया गया है। जिसकेलिये प्रधान श्रीमती नीतू पाण्डेय एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजेन्द्र सिंह उत्तरदायी रहे। उत्तरादायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं० 16)

प्रस्तर सं०-18**ग्राम पंचायत-भैंसासुर चक रजई****विकासखण्ड-कोयलसा।**

शासनादेश सं० ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21.03.2012 के प्रस्तर (3) के अनुसार शासन द्वारा अवमुक्त धनराशियों को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया गया है, तो अर्जित ब्याज ग्राम पंचायत की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी और अर्जित आय को राजकोष में जमा करा दिया जाये। ग्राम पंचायत में वर्ष 2014-15 में ब्याज रू० 2473 प्राप्त हुआ है। किन्तु प्राप्त ब्याज राजकीय कोष में जमा न कर राजकीय धन का दुरुपयोग किया गया है, जिसके लिये प्रधान श्रीमती नीतू पाण्डेय एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजेन्द्र सिंह उत्तरदायी रहे। उत्तरादायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं० 17)

प्रस्तर सं०-19**ग्राम पंचायत-भैंसासुर चक रजई****विकासखण्ड-कोयलसा।**

वर्ष 2014-15 की ग्राम निधि प्रथम कैशबुक की जांच में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में हैण्डपम्प मरम्मत पर भुगतान दर्शित है। ग्राम पंचायत में परिसम्पत्ति रजिस्टर नहीं बनाया गया है, जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका कि किन-किन जगहों पर लगे हैण्डपम्प की मरम्मत की गयी है। मरम्मत में बदले गये सामान की प्रविष्टि रिपेयरिंग रजिस्टर में नहीं की गयी है। ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत पर हुये व्यय की सम्पूर्ण धनराशि में से आधी धनराशि लाभार्थियों (जिसके सामने हैण्डपम्प लगा है) से लिया जाना चाहिये था। किन्तु सम्पूर्ण धनराशि ग्राम पंचायत द्वारा व्यय किया गया है। इस प्रकार रू० 23616 की धनराशि का अपहरण किया

गया है, जिसके लिये प्रधान श्रीमती नीतू पाण्डेय एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजेन्द्र सिंह उत्तरदायी रहे। उत्तरादायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं० 18)

प्रस्तर सं०-20

ग्राम पंचायत-भैंसासुर चक रजई

विकासखण्ड-कोयलसा।

दिनांक 21.05.2014 को प्रधान को मानदेय दिसम्बर 13 से अप्रैल 14 तक कुल रू० 12500 का का भुगतान किया गया है। जबकि दिसम्बर 13 का मानदेय रू० 750 देय होता है। इस प्रकार कुल रू० 10750 दिसम्बर 13 से अप्रैल 14 तक का भुगतान किया जाना चाहिये था। इस प्रकार रू० 1750 अधिक भुगतान किया गया है, जिसके लिये प्रधान श्रीमती नीतू पाण्डेय एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजेन्द्र सिंह उत्तरदायी रहे। उत्तरादायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं० 19)

प्रस्तर सं०-21

ग्राम पंचायत-भैंसासुर चक रजई

विकासखण्ड-कोयलसा।

वर्ष 2014-15 में सोडियम लाईट मरम्मत पर रू० 55800 भुगतान कैशबुक में दर्शित है। किन-किन स्थानों पर सोडियम लाईट की मरम्मत की गयी। परिसम्पत्ति रजिस्टर के अभाव में इसकी पुष्टि नहीं हो सकी। ग्राम पंचायत में परिसम्पत्ति रजिस्टर नहीं बनाया गया है। रिपेयरिंग रजिस्टर में रिपेयर सामान की प्रविष्टि नहीं की गयी है। मरम्मत की गयी धनराशि की स्वीकृति शासनादेश सं० 2566/33-3-2010/ 142/2010 दिनांक 23.12.2010 के अन्तर्गत जिला पंचायत राज अधिकारी से स्वीकृति नहीं ली गयी है। मनमाने ढंग से सोडियम लाईट मरम्मत पर भुगतान दर्शित कर धन का अपहरण किया गया है, जिसके लिये प्रधान श्रीमती नीतू पाण्डेय एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजेन्द्र सिंह उत्तरदायी रहे। उत्तरादायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं० 20)

प्रस्तर सं०-22

ग्राम पंचायत-सघन पट्टी

विकासखण्ड-कोयलसा।

ग्राम पंचायत-सघन पट्टी के वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि बिना टेण्डर/कोटेशन आमंत्रित किये ही प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा धनराशि रू० 135458 का ईट, बिल्डिंग मैटेरियल का क्रय किया गया है। जबकि शासनादेश सं० ए-1-864/दस-08-15(1)/86 दिनांक 23.09.2008 के प्रस्तर 2 के अनुसार रू० 20000 की सामग्री बिना कोटेशन व रू० 20001 से 99999 तक की सामग्री हेतु कोटेशन एवं रू० 100000 से अधिक मूल्य की सामग्री के लिये टेण्डर आमंत्रित करना अनिवार्य है। ऐसी स्थिति में बिना कोटेशन/टेण्डर आमंत्रित किये ही प्रधान श्री दिनेश एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रमेश सोनकर द्वारा अनियमितता की गयी है, जिसके लिये प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं० 03)

प्रस्तर सं०-23

ग्राम पंचायत-सघन पट्टी

विकासखण्ड-कोयलसा।

वर्ष 2014-15 की ग्राम निधि प्रथम कैशबुक की जांच में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में ईट, बिल्डिंग मैटेरियल की खरीद पर भुगतान दर्शित है। किन्तु भुगतान करते समय फर्म से शासनादेशानुसार आयकर 2.24 प्रतिशत एवं व्यापार कर 4 प्रतिशत की दर से कटौती नहीं की गयी है। जबकि नियमानुसार आयकर रू० 3034 एवं व्यापार कर रू० 5418 की कटौती कर धनराशि बैंक में निर्धारित शीर्ष में जमा करके चालान की प्रति फर्म

को उपलब्ध कराना चाहिये था ताकि फर्म आयकर एवं व्यापार कर रिटर्न दाखिल करते समय अपने रिटर्न में शामिल कर सके। कुल रु0 8452 की आयकर एवं व्यापार कर की कटौती न करके राजकीय राजस्व को क्षति पहुंचायी गयी है, जिसके लिये प्रधान श्री दिनेश एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रमेश सोनकर उत्तरदायी रहे। उत्तरादायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। **(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं0 14)**

प्रस्तर सं0-24

ग्राम पंचायत-सघन पट्टी

विकासखण्ड-कोयलसा।

वर्ष 2014-15 में सोडियम लाईट क्रय पर रु0 88720 भुगतान कैशबुक में दर्शित है। किन-किन स्थानों पर सोडियम लाईट की मरम्मत की गयी। परिसम्पत्ति रजिस्टर के अभाव में इसकी पुष्टि नहीं हो सकी। ग्राम पंचायत में परिसम्पत्ति रजिस्टर नहीं बनाया गया है। रिपेयरिंग रजिस्टर में रिपेयर सामान की प्रविष्टि नहीं की गयी है। मरम्मत की गयी धनराशि की स्वीकृति शासनादेश सं0 2566/33-3-2010 /142/2010 दिनांक 23.12.2010 के अन्तर्गत जिला पंचायत राज अधिकारी से स्वीकृति नहीं ली गयी है। मनमाने ढंग से सोडियम लाईट क्रय पर भुगतान दर्शित कर धन का अपहरण किया गया है, जिसके लिये प्रधान श्री दिनेश एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रमेश सोनकर उत्तरदायी रहे। उत्तरादायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं0 15)

प्रस्तर सं0-25

ग्राम पंचायत-सघन पट्टी

विकासखण्ड-कोयलसा।

वर्ष 2014-15 की ग्राम निधि प्रथम कैशबुक की जांच में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में ह्यूम पाइप क्रय पर रु0 31550 का भुगतान दर्शित है। ग्राम पंचायत में परिसम्पत्ति रजिस्टर व स्टॉक बुक रजिस्टर नहीं बनाया गया है। भुगतान एकाउन्टपेयी चेक से न करके बीयरर चेक से किया गया है। भुगतान करते समय आपूर्तिकर्ता से आयकर एवं व्यापार कर की कटौती नहीं की गयी है। इस प्रकार कैशबुक में फर्जी भुगतान दर्शित कर रु0 31550 का अपहरण किया गया है। जिसके लिये प्रधान श्री दिनेश एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रमेश सोनकर उत्तरदायी रहे। उत्तरादायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं0 16)

प्रस्तर सं0-26

ग्राम पंचायत-सघन पट्टी

विकासखण्ड-कोयलसा।

शासनादेश सं0 ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21.03.2012 के प्रस्तर (3) के अनुसार शासन द्वारा अवमुक्त धनराशियों को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया गया है, तो अर्जित ब्याज ग्राम पंचायत की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी और अर्जित आय को राजकोष में जमा करा दिया जाये। ग्राम पंचायत में वर्ष 2014-15 में ब्याज रु0 811 प्राप्त हुआ है। किन्तु प्राप्त ब्याज राजकीय कोष में जमा न कर राजकीय धन का दुरुपयोग किया गया है, जिसके लिये प्रधान श्री दिनेश एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रमेश सोनकर उत्तरदायी रहे। उत्तरादायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं0 17)

प्रस्तर सं0-27

ग्राम पंचायत-सघन पट्टी

विकासखण्ड-कोयलसा।

वर्ष 2014-15 की ग्राम निधि प्रथम कैशबुक की जांच में पाया गया कि कतिपय तिथियों में हैण्डपम्प मरम्मत पर भुगतान दर्शित है। ग्राम पंचायत में परिसम्पत्ति रजिस्टर नहीं बनाया गया है, जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका कि किन-किन जगहों पर लगे हैण्डपम्प की मरम्मत की गयी है। मरम्मत में बदले गये सामान की प्रविष्टि रिपेयरिंग रजिस्टर में नहीं की गयी है। ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत पर हुये व्यय की सम्पूर्ण धनराशि में से आधी धनराशि लाभार्थियों (जिसके सामने हैण्डपम्प लगा है) से लिया जाना चाहिये था। किन्तु

सम्पूर्ण धनराशि ग्राम पंचायत द्वारा व्यय किया गया है। इस प्रकार रू0 35875 की धनराशि का अपहरण किया गया है, जिसके लिये प्रधान श्री दिनेश एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रमेश सोनकर उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं0 18)

प्रस्तर सं0-28

ग्राम पंचायत-सघन पट्टी विकासखण्ड-कोयलसा।

वर्ष 2014-15 में कैशबुक की जांच में कुल रू0 59434 का भुगतान प्रा0वि0 शौचालय मरम्मत पर दर्शित है। शौचालय मरम्मत भुगतान की स्वीकृति जिला पंचायत राज अधिकारी से प्राप्त नहीं की गयी है। इस प्रकार रू0 59434 अनियमित भुगतान किया गया है। जिसके लिये प्रधान श्री दिनेश एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रमेश सोनकर उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं0 19)

प्रस्तर सं0-29

ग्राम पंचायत-पिपरी विकासखण्ड-कोयलसा।

ग्राम पंचायत-पिपरी के वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि बिना टेण्डर/कोटेशन आमंत्रित किये ही प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा धनराशि रू0 395729 का ईट, बिल्डिंग मैटेरियल का क्रय किया गया है। जबकि शासनादेश सं0 ए-1-864/दस-08-15(1)/86 दिनांक 23.09.2008 के प्रस्तर 2 के अनुसार रू0 20000 की सामग्री बिना कोटेशन व रू0 20001 से 99999 तक की सामग्री हेतु कोटेशन एवं रू0 100000 से अधिक मूल्य की सामग्री के लिये टेण्डर आमंत्रित करना अनिवार्य है। ऐसी स्थिति में बिना कोटेशन/टेण्डर आमंत्रित किये ही प्रधान श्रीमती फूलमती देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजेन्द्र सिंह द्वारा अनियमितता की गयी है, जिसके लिये प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं0 03)

प्रस्तर सं0-30

ग्राम पंचायत-पिपरी विकासखण्ड-कोयलसा।

वर्ष 2014-15 की ग्राम निधि प्रथम कैशबुक की जांच में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में ईट, बिल्डिंग मैटेरियल की खरीद पर भुगतान दर्शित है। किन्तु भुगतान करते समय फर्म से शासनादेशानुसार आयकर 2.24 प्रतिशत एवं व्यापार कर 4 प्रतिशत की दर से कटौती नहीं की गयी है। जबकि नियमानुसार आयकर रू0 8865 एवं व्यापार कर रू0 15829 की कटौती कर धनराशि बैंक में निर्धारित शीर्ष में जमा करके चालान की प्रति फर्म को उपलब्ध कराना चाहिये था ताकि फर्म आयकर एवं व्यापार कर रिटर्न दाखिल करते समय अपने रिटर्न में शामिल कर सके। कुल रू0 24694 की आयकर एवं व्यापार कर की कटौती न करके राजकीय राजस्व को क्षति पहुंचायी गयी है, जिसकेलिये प्रधान श्रीमती फूलमती एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजेन्द्र सिंह उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं0 14)

प्रस्तर सं0-31

ग्राम पंचायत-पिपरी विकासखण्ड-कोयलसा।

वर्ष 2014-15 में सोडियम लाईट क्रय पर रू0 208415 भुगतान कैशबुक में दर्शित है। किन-किन स्थानों पर सोडियम लाईट की मरम्मत की गयी। परिसम्पत्ति रजिस्टर के अभाव में इसकी पुष्टि नहीं हो सकी। ग्राम पंचायत में परिसम्पत्ति रजिस्टर नहीं बनाया गया है। रिपेयरिंग रजिस्टर में रिपेयर सामान की प्रविष्टि नहीं की गयी है। मरम्मत की गयी धनराशि की स्वीकृति शासनादेश सं0 2566/33-3-2010/142/2010 दिनांक

23.12.2010 के अन्तर्गत जिला पंचायत राज अधिकारी से स्वीकृति नहीं ली गयी है। मनमाने ढंग से सोडियम लाईट क्रय पर भुगतान दर्शित कर धन का अपहरण किया गया है, जिसके लिये प्रधान श्रीमती फूलमती एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजेन्द्र सिंह उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं० 15)

प्रस्तर सं०-32

ग्राम पंचायत-पिपरी

विकासखण्ड-कोयलसा।

वर्ष 2014-15 की ग्राम निधि प्रथम कैशबुक की जांच में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में ह्यूम पाइप क्रय पर रू० 48280 का भुगतान दर्शित है। ग्राम पंचायत में परिसम्पत्ति रजिस्टर व स्टॉक बुक रजिस्टर नहीं बनाया गया है। भुगतान एकाउन्टपेयी चेक से न करके बीयरर चेक से किया गया है। भुगतान करते समय आपूर्तिकर्ता से आयकर एवं व्यापार कर की कटौती नहीं की गयी है। इस प्रकार कैशबुक में फर्जी भुगतान दर्शित कर रू० 48280 का अपहरण किया गया है। जिसके लिये प्रधान श्रीमती फूलमती एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजेन्द्र सिंह उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं० 16)

प्रस्तर सं०-33

ग्राम पंचायत-पिपरी

विकासखण्ड-कोयलसा।

शासनादेश सं० ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21.03.2012 के प्रस्तर (3) के अनुसार शासन द्वारा अवमुक्त धनराशियों को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया गया है, तो अर्जित ब्याज ग्राम पंचायत की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी और अर्जित आय को राजकोष में जमा करा दिया जाये। ग्राम पंचायत में वर्ष 2014-15 में ब्याज रू० 1885 प्राप्त हुआ है। किन्तु प्राप्त ब्याज राजकीय कोष में जमा न कर राजकीय धन का दुरुपयोग किया गया है, जिसके लिये प्रधान श्रीमती फूलमती एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजेन्द्र सिंह उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं० 17)

प्रस्तर सं०-34

ग्राम पंचायत-पिपरी

विकासखण्ड-कोयलसा।

वर्ष 2014-15 की ग्राम निधि प्रथम कैशबुक की जांच में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में हैण्डपम्प मरम्मत पर भुगतान दर्शित है। ग्राम पंचायत में परिसम्पत्ति रजिस्टर नहीं बनाया गया है, जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका कि किन-किन जगहों पर लगे हैण्डपम्प की मरम्मत की गयी है। मरम्मत में बदले गये सामान की प्रविष्टि रिपेयरिंग रजिस्टर में नहीं की गयी है। ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत पर हुये व्यय की सम्पूर्ण धनराशि में से आधी धनराशि लाभार्थियों (जिसके सामने हैण्डपम्प लगा है) से लिया जाना चाहिये था। किन्तु सम्पूर्ण धनराशि ग्राम पंचायत द्वारा व्यय किया गया है। इस प्रकार रू० 25800 की धनराशि का अपहरण किया गया है, जिसके लिये प्रधान श्रीमती फूलमती एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजेन्द्र सिंह उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं० 18)

प्रस्तर सं०-35

ग्राम पंचायत-पिपरी

विकासखण्ड-कोयलसा।

दिनांक 16.06.2014 को प्रधान को मानदेय अगस्त 13 से मई 14 तक कुल रू० 18000 का भुगतान किया गया है। जबकि दिसम्बर 13 का मानदेय रू० 750 देय होता है। इस प्रकार कुल रू० 16250 अगस्त 13

से मई 14 तक का भुगतान किया जाना चाहिये था। इस प्रकार रू0 1750 अधिक भुगतान किया गया है, जिसके लिये प्रधान श्रीमती फूलमती एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजेन्द्र सिंह उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं0 19)

प्रस्तर सं0-36

ग्राम पंचायत-पिपरी

विकासखण्ड-कोयलसा।

वर्ष 2014-15 में सोडियम लाईट मरम्मत पर रू0 69700 भुगतान कैशबुक में दर्शित है। किन-किन स्थानों पर सोडियम लाईट की मरम्मत की गयी। परिसम्पत्ति रजिस्टर के अभाव में इसकी पुष्टि नहीं हो सकी। ग्राम पंचायत में परिसम्पत्ति रजिस्टर नहीं बनाया गया है। रिपेयरिंग रजिस्टर में रिपेयर सामान की प्रविष्टि नहीं की गयी है। मरम्मत की गयी धनराशि की स्वीकृति शासनादेश सं0 2566/33-3-2010/142/2010 दिनांक 23.12.2010 के अन्तर्गत जिला पंचायत राज अधिकारी से स्वीकृति नहीं ली गयी है। मनमाने ढंग से सोडियम लाईट मरम्मत पर भुगतान दर्शित कर धन का अपहरण किया गया है, जिसके लिये प्रधान श्रीमती फूलमती एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजेन्द्र सिंह उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं0 20)

प्रस्तर सं0-37

ग्राम पंचायत-पिपरी

विकासखण्ड-कोयलसा।

दिनांक 18.02.2015 को रू0 47763 रुपया जनता इन्टर प्राइजेज को भुगतान किया गया है। भुगतान स्कूल शौचालय मरम्मत हेतु शासनादेश सं0 2566/33-3-2010-142/2010 दिनांक 23.12.10 के अन्तर्गत जिला पंचायत राज अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी है। भुगतान मनमाने ढंग से करके अपहरण किया गया है। जिसके लिये प्रधान श्रीमती फूलमती देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजेन्द्र सिंह उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं0 21)

प्रस्तर सं0-38

ग्राम पंचायत-सिकहुला

विकासखण्ड-कोयलसा।

ग्राम पंचायत-सिकहुला के वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि बिना टेण्डर/कोटेशन आमंत्रित किये ही प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा धनराशि रू0 209275 का ईट, बिल्डिंग मैटेरियल का क्रय किया गया है। जबकि शासनादेश सं0 ए-1-864/दस-08-15(1)/86 दिनांक 23.09.2008 के प्रस्तर 2 के अनुसार रू0 20000 की सामग्री बिना कोटेशन व रू0 20001 से 99999 तक की सामग्री हेतु कोटेशन एवं रू0 100000 से अधिक मूल्य की सामग्री के लिये टेण्डर आमंत्रित करना अनिवार्य है। ऐसी स्थिति में बिना कोटेशन/टेण्डर आमंत्रित किये ही प्रधान श्रीमती जयन्ती देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रमेश सोनकर द्वारा अनियमितता की गयी है, जिसके लिये प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं0 03)

प्रस्तर सं0-39

ग्राम पंचायत-सिकहुला

विकासखण्ड-कोयलसा।

वर्ष 2014-15 की ग्राम निधि प्रथम कैशबुक की जांच में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में ईट, बिल्डिंग मैटेरियल की खरीद पर भुगतान दर्शित है। किन्तु भुगतान करते समय फर्म से शासनादेशानुसार आयकर 2.24 प्रतिशत एवं व्यापार कर 4 प्रतिशत की दर से कटौती नहीं की गयी है। जबकि नियमानुसार आयकर रू0 4688

एवं व्यापार कर रू0 8371 की कटौती कर धनराशि बैंक में निर्धारित शीर्ष में जमा करके चालान की प्रति फर्म को उपलब्ध कराना चाहिये था ताकि फर्म आयकर एवं व्यापार कर रिटर्न दाखिल करते समय अपने रिटर्न में शामिल कर सके। कुल रू0 13059 की आयकर एवं व्यापार कर की कटौती न करके राजकीय राजस्व को क्षति पहुंचायी गयी है, जिसके लिये प्रधान श्रीमती जयन्ती देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रमेश सोनकर उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं0 14)

प्रस्तर सं0-40

ग्राम पंचायत-सिकहुला

विकासखण्ड-कोयलसा।

वर्ष 2014-15 की ग्राम निधि प्रथम कैशबुक की जांच में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में सोडियम लाईट क्रय पर रू0 50260 का भुगतान दर्शित है। ग्राम पंचायत में परिसम्पत्ति रजिस्टर नहीं बनाया गया है। भुगतान एकाउन्टपेयी चेक से न करके बीयरर चेक से किया गया है। भुगतान करते समय आपूर्तिकर्ता से आयकर एवं व्यापार कर की कटौती नहीं की गयी है। शासनादेश सं0 1310/33-3-2010 -54/2010 दिनांक 09 जून 2010 के अनुसार ग्राम पंचायतें आवंटित धनराशि में से डा0 अम्बेडकर ग्रामों में स्थापित सोडियम लाईट के अनुरक्षण एवं रख-रखाव हेतु व्यय कर सकेंगी। कार्य योजना का अनुमोदन जिला पंचायत राज अधिकारी से प्राप्त नहीं किया गया है। सोडियम लाईट क्रय पर मनमाने ढंग से भुगतान दर्शित कर धन का अपहरण किया गया है। जिसके लिये प्रधान श्रीमती जयन्ती देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रमेश सोनकर उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं0 15)

प्रस्तर सं0-41

ग्राम पंचायत-सिकहुला

विकासखण्ड-कोयलसा।

वर्ष 2014-15 की ग्राम निधि प्रथम कैशबुक की जांच में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में ह्यूम पाइप क्रय पर रू0 29500 का भुगतान दर्शित है। ग्राम पंचायत में परिसम्पत्ति रजिस्टर व स्टाक बुक रजिस्टर नहीं बनाया गया है। भुगतान एकाउन्टपेयी चेक से न करके बीयरर चेक से किया गया है। भुगतान करते समय आपूर्तिकर्ता से आयकर एवं व्यापार कर की कटौती नहीं की गयी है। इस प्रकार कैशबुक में फर्जी भुगतान दर्शित कर रू0 29500 का अपहरण किया गया है। जिसके लिये प्रधान श्रीमती जयन्ती देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रमेश सोनकर उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं0 16)

प्रस्तर सं0-42

ग्राम पंचायत-सिकहुला

विकासखण्ड-कोयलसा।

शासनादेश सं0 ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21.03.2012 के प्रस्तर (3) के अनुसार शासन द्वारा अवमुक्त धनराशियों को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया गया है, तो अर्जित ब्याज ग्राम पंचायत की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी और अर्जित आय को राजकोष में जमा करा दिया जाये। ग्राम पंचायत में वर्ष 2014-15 में ब्याज रू0 1286 प्राप्त हुआ है। किन्तु प्राप्त ब्याज राजकीय कोष में जमा न कर राजकीय धन का दुरुपयोग किया गया है, जिसके लिये प्रधान श्रीमती जयन्ती देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रमेश सोनकर उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं0 17)

प्रस्तर सं०-43**ग्राम पंचायत-सिकहुला****विकासखण्ड-कोयलसा।**

वर्ष 2014-15 की ग्राम निधि प्रथम कैशबुक की जांच में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में हैण्डपम्प मरम्मत पर भुगतान दर्शित है। ग्राम पंचायत में परिसम्पत्ति रजिस्टर नहीं बनाया गया है, जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका कि किन-किन जगहों पर लगे हैण्डपम्प की मरम्मत की गयी है। मरम्मत में बदले गये सामान की प्रविष्टि रिपेयरिंग रजिस्टर में नहीं की गयी है। ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत पर हुये व्यय की सम्पूर्ण धनराशि में से आधी धनराशि लाभार्थियों (जिसके सामने हैण्डपम्प लगा है) से लिया जाना चाहिये था। किन्तु सम्पूर्ण धनराशि ग्राम पंचायत द्वारा व्यय किया गया है। इस प्रकार रु० 20900 की धनराशि का अपहरण किया गया है, जिसकेलिये प्रधान श्रीमती जयन्ती देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रमेश सोनकर उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं० 18)**प्रस्तर सं०-44****ग्राम पंचायत-बूढ़नपुर****विकासखण्ड-कोयलसा।**

ग्राम पंचायत-बूढ़नपुर के वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि बिना टेण्डर/कोटेशन आमंत्रित किये ही प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा धनराशि रु० 274504 का ईट, बिल्डिंग मैटेरियल का क्रय किया गया है। जबकि शासनादेश सं० ए-1-864/दस-08-15(1)/86 दिनांक 23.09.2008 के प्रस्तर 2 के अनुसार रु० 20000 की सामग्री बिना कोटेशन व रु० 20001 से 99999 तक की सामग्री हेतु कोटेशन एवं रु० 100000 से अधिक मूल्य की सामग्री के लिये टेण्डर आमंत्रित करना अनिवार्य है। ऐसी स्थिति में बिना कोटेशन/टेण्डर आमंत्रित किये ही प्रधान श्री अमित कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजेन्द्र सिंह द्वारा अनियमितता की गयी है, जिसके लिये प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं० 03)**प्रस्तर सं०-45****ग्राम पंचायत-बूढ़नपुर****विकासखण्ड-कोयलसा।**

वर्ष 2014-15 की ग्राम निधि प्रथम कैशबुक की जांच में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में ईट, बिल्डिंग मैटेरियल की खरीद पर भुगतान दर्शित है। किन्तु भुगतान करते समय फर्म से शासनादेशानुसार आयकर 2.24 प्रतिशत एवं व्यापार कर 4 प्रतिशत की दर से कटौती नहीं की गयी है। जबकि नियमानुसार आयकर रु० 6149 एवं व्यापार कर रु० 10981 की कटौती कर धनराशि बैंक में निर्धारित शीर्ष में जमा करके चालान की प्रति फर्म को उपलब्ध कराना चाहिये था ताकि फर्म आयकर एवं व्यापार कर रिटर्न दाखिल करते समय अपने रिटर्न में शामिल कर सके। कुल रु० 17130 की आयकर एवं व्यापार कर की कटौती न करके राजकीय राजस्व को क्षति पहुंचायी गयी है, जिसके लिये प्रधान श्री अमित कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजेन्द्र सिंह उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं० 14)**प्रस्तर सं०-46****ग्राम पंचायत-बूढ़नपुर****विकासखण्ड-कोयलसा।**

वर्ष 2014-15 की ग्राम निधि प्रथम कैशबुक की जांच में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में सोडियम लाईट क्रय पर रु० 366760 का भुगतान दर्शित है। ग्राम पंचायत में परिसम्पत्ति रजिस्टर नहीं बनाया गया है। भुगतान एकाउन्टपेयी चेक से न करके बीयरर चेक से किया गया है। भुगतान करते समय आपूर्तिकर्ता से

आयकर एवं व्यापार कर की कटौती नहीं की गयी है। शासनादेश सं० 1310/33-3-2010 -54/2010 दिनांक 09 जून 2010 के अनुसार ग्राम पंचायतें आवंटित धनराशि में से डा० अम्बेडकर ग्रामों में स्थापित सोडियम लाईट के अनुरक्षण एवं रख-रखाव हेतु व्यय कर सकेंगी। कार्य योजना का अनुमोदन जिला पंचायत राज अधिकारी से प्राप्त नहीं किया गया है। सोडियम लाईट क्रय पर मनमाने ढंग से भुगतान दर्शित कर धन का अपहरण किया गया है। जिसके लिये प्रधान श्री अमित कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजेन्द्र सिंह उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं० 15)

प्रस्तर सं०-47

ग्राम पंचायत-बूढ़नपुर

विकासखण्ड-कोयलसा।

वर्ष 2014-15 की ग्राम निधि प्रथम कैशबुक की जांच में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में ह्यूम पाइप क्रय पर रू० 107220 का भुगतान दर्शित है। ग्राम पंचायत में परिसम्पत्ति रजिस्टर व स्टॉक बुक रजिस्टर नहीं बनाया गया है। भुगतान एकाउन्टपेयी चेक से न करके बीयरर चेक से किया गया है। भुगतान करते समय आपूर्तिकर्ता से आयकर एवं व्यापार कर की कटौती नहीं की गयी है। इस प्रकार कैशबुक में फर्जी भुगतान दर्शित कर रू० 107220 का अपहरण किया गया है। जिसके लिये प्रधान श्री अमित कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजेन्द्र सिंह उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं० 16)

प्रस्तर सं०-48

ग्राम पंचायत-बूढ़नपुर

विकासखण्ड-कोयलसा।

शासनादेश सं० ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21.03.2012 के प्रस्तर (3) के अनुसार शासन द्वारा अवमुक्त धनराशियों को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया गया है, तो अर्जित ब्याज ग्राम पंचायत की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी और अर्जित आय को राजकोष में जमा करा दिया जाये। ग्राम पंचायत में वर्ष 2014-15 में ब्याज रू० 3253 प्राप्त हुआ है। किन्तु प्राप्त ब्याज राजकीय कोष में जमा न कर राजकीय धन का दुरुपयोग किया गया है, जिसकेलिये प्रधान श्री अमित कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजेन्द्र सिंह उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं० 17)

प्रस्तर सं०-49

ग्राम पंचायत-बूढ़नपुर

विकासखण्ड-कोयलसा।

वर्ष 2014-15 की ग्राम निधि प्रथम कैशबुक की जांच में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में हैण्डपम्प मरम्मत पर भुगतान दर्शित है। ग्राम पंचायत में परिसम्पत्ति रजिस्टर नहीं बनाया गया है, जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका कि किन-किन जगहों पर लगे हैण्डपम्प की मरम्मत की गयी है। मरम्मत में बदले गये सामान की प्रविष्टि रिपेयरिंग रजिस्टर में नहीं की गयी है। ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत पर हुये व्यय की सम्पूर्ण धनराशि में से आधी धनराशि लाभार्थियों (जिसके सामने हैण्डपम्प लगा है) से लिया जाना चाहिये था। किन्तु सम्पूर्ण धनराशि ग्राम पंचायत द्वारा व्यय किया गया है। इस प्रकार रू० 22175 की धनराशि का अपहरण किया गया है, जिसके लिये प्रधान श्री अमित कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजेन्द्र सिंह उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं० 18)

प्रस्तर सं०-50**ग्राम पंचायत-बूढ़नपुर****विकासखण्ड-कोयलसा।**

वर्ष 2014-15 में सोडियम लाईट मरम्मत पर रू० 120300 भुगतान कैशबुक में दर्शित है। किन-किन स्थानों पर सोडियम लाईट की मरम्मत की गयी। परिसम्पत्ति रजिस्टर के अभाव में इसकी पुष्टि नहीं हो सकी। ग्राम पंचायत में परिसम्पत्ति रजिस्टर नहीं बनाया गया है। रिपेयरिंग रजिस्टर में रिपेयर सामान की प्रविष्टि नहीं की गयी है। मरम्मत की गयी धनराशि की स्वीकृति शासनादेश सं० 2566/33-3-2010/142/2010 दिनांक 23.12.2010 के अन्तर्गत जिला पंचायत राज अधिकारी से स्वीकृति नहीं ली गयी है। मनमाने ढंग से सोडियम लाईट मरम्मत पर भुगतान दर्शित कर धन का अपहरण किया गया है, जिसके लिये प्रधान श्री अमित कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजेन्द्र सिंह उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं० 20)**प्रस्तर सं०-51****ग्राम पंचायत-बड़ागांव****विकासखण्ड-कोयलसा।**

ग्राम पंचायत-बड़ागांव के वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि बिना टेण्डर/कोटेशन आमंत्रित किये ही प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा धनराशि रू० 180538 का ईट, बिल्डिंग मैटेरियल का क्रय किया गया है। जबकि शासनादेश सं० ए-1-864/दस-08-15(1)/86 दिनांक 23.09.2008 के प्रस्तर 2 के अनुसार रू० 20000 की सामग्री बिना कोटेशन व रू० 20001 से 99999 तक की सामग्री हेतु कोटेशन एवं रू० 100000 से अधिक मूल्य की सामग्री के लिये टेण्डर आमंत्रित करना अनिवार्य है। ऐसी स्थिति में बिना कोटेशन/टेण्डर आमंत्रित किये ही प्रधान श्री प्रमोद कुमार यादव एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कृपाशंकर गुप्ता द्वारा अनियमितता की गयी है, जिसके लिये प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं० 03)**प्रस्तर सं०-52****ग्राम पंचायत-बड़ागांव****विकासखण्ड-कोयलसा।**

शासनादेश सं० ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21.03.2012 के प्रस्तर (3) के अनुसार शासन द्वारा अवमुक्त धनराशियों को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया गया है, तो अर्जित ब्याज ग्राम पंचायत की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी और अर्जित आय को राजकोष में जमा करा दिया जाये। ग्राम पंचायत में वर्ष 2014-15 में ब्याज रू० 1047 प्राप्त हुआ है। किन्तु प्राप्त ब्याज राजकीय कोष में जमा न कर राजकीय धन का दुरुपयोग किया गया है, जिसके लिये प्रधान श्री प्रमोद कुमार यादव एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कृपाशंकर गुप्ता उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं० 14)**प्रस्तर सं०-53****ग्राम पंचायत-बड़ागांव****विकासखण्ड-कोयलसा।**

वर्ष 2014-15 की ग्राम निधि प्रथम कैशबुक की जांच में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में हैण्डपम्प मरम्मत पर भुगतान दर्शित है। ग्राम पंचायत में परिसम्पत्ति रजिस्टर नहीं बनाया गया है, जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका कि किन-किन जगहों पर लगे हैण्डपम्प की मरम्मत की गयी है। मरम्मत में बदले गये सामान की प्रविष्टि रिपेयरिंग रजिस्टर में नहीं की गयी है। ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत पर हुये व्यय की सम्पूर्ण

धनराशि में से आधी धनराशि लाभार्थियों (जिसके सामने हैण्डपम्प लगा है) से लिया जाना चाहिये था। किन्तु सम्पूर्ण धनराशि ग्राम पंचायत द्वारा व्यय किया गया है। इस प्रकार रू0 13800 की धनराशि का अपहरण किया गया है, जिसके लिये प्रधान श्री प्रमोद कुमार यादव एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कृपाशंकर गुप्ता उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं0 15)

प्रस्तर सं0-54

ग्राम पंचायत-बड़ागांव

विकासखण्ड-कोयलसा।

वर्ष 2014-15 की ग्राम निधि प्रथम कैशबुक की जांच में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में ईट, बिल्डिंग मैटेरियल की खरीद पर भुगतान दर्शित है। किन्तु भुगतान करते समय फर्म से शासनादेशनुसार आयकर 2.24 प्रतिशत एवं व्यापार कर 4 प्रतिशत की दर से कटौती नहीं की गयी है। जबकि नियमानुसार आयकर रू0 4044 एवं व्यापार कर रू0 7222 की कटौती कर धनराशि बैंक में निर्धारित शीर्ष में जमा करके चालान की प्रति फर्म को उपलब्ध कराना चाहिये था ताकि फर्म आयकर एवं व्यापार कर रिटर्न दाखिल करते समय अपने रिटर्न में शामिल कर सके। कुल रू0 11266 की आयकर एवं व्यापार कर की कटौती न करके राजकीय राजस्व को क्षति पहुंचायी गयी है, जिसके लिये प्रधान श्री प्रमोद कुमार यादव एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कृपाशंकर गुप्ता उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं0 16)

प्रस्तर सं0-55

ग्राम पंचायत-बड़ागांव

विकासखण्ड-कोयलसा।

वर्ष 2014-15 की ग्राम निधि प्रथम कैशबुक की जांच में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में सोडियम लाईट क्रय पर रू0 155240 का भुगतान दर्शित है। ग्राम पंचायत में परिसम्पत्ति रजिस्टर नहीं बनाया गया है। भुगतान एकाउन्टपेयी चेक से न करके बीयरर चेक से किया गया है। भुगतान करते समय आपूर्तिकर्ता से आयकर एवं व्यापार कर की कटौती नहीं की गयी है। शासनादेश सं0 1310/33-3-2010 -54/2010 दिनांक 09 जून 2010 के अनुसार ग्राम पंचायतें आवंटित धनराशि में से डा0 अम्बेडकर ग्रामों में स्थापित सोडियम लाईट के अनुरक्षण एवं रख-रखाव हेतु व्यय कर सकेगी। कार्य योजना का अनुमोदन जिला पंचायत राज अधिकारी से प्राप्त नहीं किया गया है। सोडियम लाईट क्रय पर मनमाने ढंग से भुगतान दर्शित कर धन का अपहरण किया गया है। जिसके लिये प्रधान श्री प्रमोद कुमार यादव एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कृपाशंकर गुप्ता उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं0 17)

प्रस्तर सं0-56

ग्राम पंचायत-बड़ागांव

विकासखण्ड-कोयलसा।

वर्ष 2014-15 की ग्राम निधि प्रथम कैशबुक की जांच में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में ह्यूम पाइप क्रय पर रू0 27300 का भुगतान दर्शित है। ग्राम पंचायत में परिसम्पत्ति रजिस्टर व स्टॉक बुक रजिस्टर नहीं बनाया गया है। भुगतान एकाउन्टपेयी चेक से न करके बीयरर चेक से किया गया है। भुगतान करते समय आपूर्तिकर्ता से आयकर एवं व्यापार कर की कटौती नहीं की गयी है। इस प्रकार कैशबुक में फर्जी भुगतान दर्शित कर रू0 27300 का अपहरण किया गया है। जिसके लिये प्रधान श्री अमित कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजेन्द्र सिंह उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं0 16)

प्रस्तर सं०-57**ग्राम पंचायत-देवरिया विकासखण्ड-कोयलसा।**

ग्राम पंचायत-देवरिया के वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि बिना टेण्डर/कोटेशन आमंत्रित किये ही प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा धनराशि रू० 418785 का ईट, बिल्डिंग मैटेरियल का क्रय किया गया है। जबकि शासनादेश सं० ए-1-864/दस-08-15(1)/86 दिनांक 23.09.2008 के प्रस्तर 2 के अनुसार रू० 20000 की सामग्री बिना कोटेशन व रू० 20001 से 99999 तक की सामग्री हेतु कोटेशन एवं रू० 100000 से अधिक मूल्य की सामग्री के लिये टेण्डर आमंत्रित करना अनिवार्य है। ऐसी स्थिति में बिना कोटेशन/टेण्डर आमंत्रित किये ही प्रधान श्रीमती उमा देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रमेश सोनकर द्वारा अनियमितता की गयी है, जिसके लिये प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं० 03)

प्रस्तर सं०-58**ग्राम पंचायत-देवरिया विकासखण्ड-कोयलसा।**

वर्ष 2014-15 की ग्राम निधि प्रथम कैशबुक की जांच में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में ईट, बिल्डिंग मैटेरियल की खरीद पर भुगतान दर्शित है। किन्तु भुगतान करते समय फर्म से शासनादेशानुसार आयकर 2.24 प्रतिशत एवं व्यापार कर 4 प्रतिशत की दर से कटौती नहीं की गयी है। जबकि नियमानुसार आयकर रू० 9381 एवं व्यापार कर रू० 16751 की कटौती कर धनराशि बैंक में निर्धारित शीर्ष में जमा करके चालान की प्रति फर्म को उपलब्ध कराना चाहिये था ताकि फर्म आयकर एवं व्यापार कर रिटर्न दाखिल करते समय अपने रिटर्न में शामिल कर सके। कुल रू० 26132 की आयकर एवं व्यापार कर की कटौती न करके राजकीय राजस्व को क्षति पहुंचायी गयी है, जिसके लिये प्रधान श्रीमती उमा देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रमेश सोनकर उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं० 14)

प्रस्तर सं०-59**ग्राम पंचायत-देवरिया विकासखण्ड-कोयलसा।**

वर्ष 2014-15 की ग्राम निधि प्रथम कैशबुक की जांच में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में सोडियम लाईट क्रय पर रू० 50700 का भुगतान दर्शित है। ग्राम पंचायत में परिसम्पति रजिस्टर नहीं बनाया गया है। भुगतान एकाउन्टपेयी चेक से न करके बीयरर चेक से किया गया है। भुगतान करते समय आपूर्तिकर्ता से आयकर एवं व्यापार कर की कटौती नहीं की गयी है। शासनादेश सं० 1310/33-3-2010 -54/2010 दिनांक 09 जून 2010 के अनुसार ग्राम पंचायतें आवंटित धनराशि में से डा० अम्बेडकर ग्रामों में स्थापित सोडियम लाईट के अनुरक्षण एवं रख-रखाव हेतु व्यय कर सकेंगी। कार्य योजना का अनुमोदन जिला पंचायत राज अधिकारी से प्राप्त नहीं किया गया है। सोडियम लाईट क्रय पर मनमाने ढंग से भुगतान दर्शित कर धन का अपहरण किया गया है। जिसकेलिये प्रधान श्रीमती उमा देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रमेश सोनकर उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं० 15)

प्रस्तर सं०-60**ग्राम पंचायत-देवरिया विकासखण्ड-कोयलसा।**

वर्ष 2014-15 की ग्राम निधि प्रथम कैशबुक की जांच में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में ह्यूम पाइप क्रय पर रू० 21200 का भुगतान दर्शित है। ग्राम पंचायत में परिसम्पति रजिस्टर व स्टाक बुक रजिस्टर नहीं

बनाया गया है। भुगतान एकाउन्टपेयी चेक से न करके बीयरर चेक से किया गया है। भुगतान करते समय आपूर्तिकर्ता से आयकर एवं व्यापार कर की कटौती नहीं की गयी है। इस प्रकार कैशबुक में फर्जी भुगतान दर्शित कर रु0 21200 का अपहरण किया गया है। जिसके लिये प्रधान श्रीमती उमा देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रमेश सोनकर उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं0 16)

प्रस्तर सं0-61

ग्राम पंचायत-देवरिया विकासखण्ड-कोयलसा।

शासनादेश सं0 ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21.03.2012 के प्रस्तर (3) के अनुसार शासन द्वारा अवमुक्त धनराशियों को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया गया है, तो अर्जित ब्याज ग्राम पंचायत की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी और अर्जित आय को राजकोष में जमा करा दिया जाये। ग्राम पंचायत में वर्ष 2014-15 में ब्याज रु0 1040 प्राप्त हुआ है। किन्तु प्राप्त ब्याज राजकीय कोष में जमा न कर राजकीय धन का दुरुपयोग किया गया है, जिसकेलिये प्रधान श्रीमती उमा देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रमेश सोनकर उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं0 17)

प्रस्तर सं0-62

ग्राम पंचायत-देवरिया विकासखण्ड-कोयलसा।

वर्ष 2014-15 की ग्राम निधि प्रथम कैशबुक की जांच में पाया गया कि निम्न तिथियों में हैण्डपम्प मरम्मत पर भुगतान दर्शित है। ग्राम पंचायत में परिसम्पत्ति रजिस्टर नहीं बनाया गया है, जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका कि किन-किन जगहों पर लगे हैण्डपम्प की मरम्मत की गयी है। मरम्मत में बदले गये सामान की प्रविष्टि रिपेयरिंग रजिस्टर में नहीं की गयी है। ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत पर हुये व्यय की सम्पूर्ण धनराशि में से आधी धनराशि लाभार्थियों (जिसके सामने हैण्डपम्प लगा है) से लिया जाना चाहिये था। किन्तु सम्पूर्ण धनराशि ग्राम पंचायत द्वारा व्यय किया गया है। इस प्रकार रु0 24500 की धनराशि का अपहरण किया गया है, जिसके लिये प्रधान श्रीमती उमा देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रमेश सोनकर उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं0 18)

प्रस्तर सं0-63

ग्राम पंचायत-देवरिया विकासखण्ड-कोयलसा।

ग्राम निधि प्रथम कैशबुक/कार्यपूर्ति की जांच में पाया गया कि मानक से अधिक खड़जा मजदूरी खारिज कर रु0 20561 का अपहरण किया गया। जिसके लिये प्रधान श्रीमती उमा देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रमेश सोनकर उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं0 19)

प्रस्तर सं0-64

ग्राम पंचायत-धनेज पाण्डेय विकासखण्ड-कोयलसा।

ग्राम पंचायत-धनेज पाण्डेय के वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि बिना टेण्डर/कोटेशन आमंत्रित किये ही प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा धनराशि रु0 158805 का ईट, बिल्डिंग मैटेरियल का क्रय किया गया है। जबकि शासनादेश सं0 ए-1-864/दस-08-15(1)/86 दिनांक 23.09.2008 के प्रस्तर 2 के अनुसार रु0 20000 की सामग्री बिना कोटेशन व रु0 20001 से 99999 तक की सामग्री हेतु कोटेशन एवं रु0 100000 से अधिक मूल्य की सामग्री के लिये टेण्डर आमंत्रित करना अनिवार्य है। ऐसी स्थिति में बिना कोटेशन/टेण्डर आमंत्रित किये ही प्रधान श्री आदेश कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रमेश सोनकर द्वारा

अनियमितता की गयी है, जिसके लिये प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं० 03)

प्रस्तर सं०-65

ग्राम पंचायत-धनेज पाण्डेय विकासखण्ड-कोयलसा।

वर्ष 2014-15 की ग्राम निधि प्रथम कैशबुक की जांच में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में ईट, बिल्डिंग मैटेरियल की खरीद पर भुगतान दर्शित है। किन्तु भुगतान करते समय फर्म से शासनादेशनुसार आयकर 2.24 प्रतिशत एवं व्यापार कर 4 प्रतिशत की दर से कटौती नहीं की गयी है। जबकि नियमानुसार आयकर ₹0 3557 एवं व्यापार कर ₹0 6352 की कटौती कर धनराशि बैंक में निर्धारित शीर्ष में जमा करके चालान की प्रति फर्म को उपलब्ध कराना चाहिये था ताकि फर्म आयकर एवं व्यापार कर रिटर्न दाखिल करते समय अपने रिटर्न में शामिल कर सके। कुल ₹0 9909 की आयकर एवं व्यापार कर की कटौती न करके राजकीय राजस्व को क्षति पहुंचायी गयी है, जिसके लिये प्रधान श्री आदेश कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रमेश सोनकर उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं० 14)

प्रस्तर सं०-66

ग्राम पंचायत-धनेज पाण्डेय विकासखण्ड-कोयलसा।

वर्ष 2014-15 की ग्राम निधि प्रथम कैशबुक की जांच में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में सोडियम लाईट क्रय पर ₹0 100860 का भुगतान दर्शित है। ग्राम पंचायत में परिसम्पत्ति रजिस्टर नहीं बनाया गया है। भुगतान एकाउन्टपेयी चेक से न करके बीयरर चेक से किया गया है। भुगतान करते समय आपूर्तिकर्ता से आयकर एवं व्यापार कर की कटौती नहीं की गयी है। शासनादेश सं० 1310/33-3-2010 -54/2010 दिनांक 09 जून 2010 के अनुसार ग्राम पंचायतें आवंटित धनराशि में से डा० अम्बेडकर ग्रामों में स्थापित सोडियम लाईट के अनुरक्षण एवं रख-रखाव हेतु व्यय कर सकेंगी। कार्य योजना का अनुमोदन जिला पंचायत राज अधिकारी से प्राप्त नहीं किया गया है। सोडियम लाईट क्रय पर मनमाने ढंग से भुगतान दर्शित कर धन का अपहरण किया गया है। जिसके लिये प्रधान श्री आदेश कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रमेश सोनकर उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं० 15)

प्रस्तर सं०-67

ग्राम पंचायत-धनेज पाण्डेय विकासखण्ड-कोयलसा।

वर्ष 2014-15 की ग्राम निधि प्रथम कैशबुक की जांच में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में ह्यूम पाइप क्रय पर ₹0 66800 का भुगतान दर्शित है। ग्राम पंचायत में परिसम्पत्ति रजिस्टर व स्टॉक बुक रजिस्टर नहीं बनाया गया है। भुगतान एकाउन्टपेयी चेक से न करके बीयरर चेक से किया गया है। भुगतान करते समय आपूर्तिकर्ता से आयकर एवं व्यापार कर की कटौती नहीं की गयी है। इस प्रकार कैशबुक में फर्जी भुगतान दर्शित कर ₹0 66800 का अपहरण किया गया है। जिसके लिये प्रधान श्री आदेश कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रमेश सोनकर उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं० 16)

प्रस्तर सं०-68

ग्राम पंचायत-धनेज पाण्डेय विकासखण्ड-कोयलसा।

शासनादेश सं० ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21.03.2012 के प्रस्तर (3) के अनुसार शासन द्वारा अवमुक्त धनराशियों को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया गया है, तो अर्जित ब्याज ग्राम पंचायत की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी और अर्जित आय को राजकोष में जमा करा दिया जाये। ग्राम

पंचायत में वर्ष 2014-15 में ब्याज रु0 3268 प्राप्त हुआ है। किन्तु प्राप्त ब्याज राजकीय कोष में जमा न कर राजकीय धन का दुरुपयोग किया गया है, जिसके लिये प्रधान श्री आदेश कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रमेश सोनकर उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं0 17)

प्रस्तर सं0-69

ग्राम पंचायत-धनेज पाण्डेय विकासखण्ड-कोयलसा।

वर्ष 2014-15 की ग्राम निधि प्रथम कैशबुक की जांच में पाया गया कि निम्न तिथियों में हैण्डपम्प मरम्मत पर भुगतान दर्शित है। ग्राम पंचायत में परिसम्पत्ति रजिस्टर नहीं बनाया गया है, जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका कि किन-किन जगहों पर लगे हैण्डपम्प की मरम्मत की गयी है। मरम्मत में बदले गये सामान की प्रविष्टि रिपेयरिंग रजिस्टर में नहीं की गयी है। ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत पर हुये व्यय की सम्पूर्ण धनराशि में से आधी धनराशि लाभार्थियों (जिसके सामने हैण्डपम्प लगा है) से लिया जाना चाहिये था। किन्तु सम्पूर्ण धनराशि ग्राम पंचायत द्वारा व्यय किया गया है। इस प्रकार रु0 33800 की धनराशि का अपहरण किया गया है, जिसके लिये प्रधान श्री आदेश कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रमेश सोनकर उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं0 18)

प्रस्तर सं0-70 ए

ग्राम पंचायत-धनेज पाण्डेय विकासखण्ड-कोयलसा।

ग्राम निधि प्रथम कैशबुक की जांच में पाया गया कि दिनांक 22.04.2014 को प्रधान को मानदेय मई 2013 से मार्च 2014 तक 11 माह का कुल रु0 15250 भुगतान किया गया है। जबकि रु0 13500 होना चाहिये। इस प्रकार रु0 1750 अधिक भुगतान किया गया। जिसके लिये प्रधान श्री आदेश कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रमेश सोनकर उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं0 19)

प्रस्तर सं0-70 बी

ग्राम पंचायत-धनेज पाण्डेय विकासखण्ड-कोयलसा।

दिनांक (ग्राम निधि) 29.04.2014 को रु0 7950.00 का कैमरा क्रय किया गया है। कैमरा की प्रविष्टि डेड स्टॉक में नहीं की गयी है। अतः कैमरा खरीद के नाम से 7950 रुपया खारिज कर धन का अपहरण किया गया है। जिसके लिये प्रधान श्री आदेश कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रमेश सोनकर उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं0 20)

प्रस्तर सं0-71

ग्राम पंचायत-भदौरा मोलनापुर विकासखण्ड-कोयलसा।

ग्राम पंचायत-भदौरा मोलनापुर के वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि बिना टेण्डर/कोटेशन आमंत्रित किये ही प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा धनराशि रु0 431649 का ईंट, बिल्डिंग मैटेरियल का क्रय किया गया है। जबकि शासनादेश सं0 ए-1-864/दस-08-15(1)/86 दिनांक 23.09.2008 के प्रस्तर 2 के अनुसार रु0 20000 की सामग्री बिना कोटेशन व रु0 20001 से 99999 तक की सामग्री हेतु कोटेशन एवं रु0 100000 से अधिक मूल्य की सामग्री के लिये टेण्डर आमंत्रित करना अनिवार्य है। ऐसी स्थिति में बिना कोटेशन/टेण्डर आमंत्रित किये ही प्रधान श्री दयाशंकर एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रमेश सोनकर द्वारा अनियमितता की गयी है, जिसके लिये प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं0 03)

प्रस्तर सं०-72**ग्राम पंचायत-भदौरा मोलनापुर विकासखण्ड-कोयलसा।**

वर्ष 2014-15 की ग्राम निधि प्रथम कैशबुक की जांच में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में ईट, बिल्डिंग मैटेरियल की खरीद पर भुगतान दर्शित है। किन्तु भुगतान करते समय फर्म से शासनादेशनुसार आयकर 2.24 प्रतिशत एवं व्यापार कर 4 प्रतिशत की दर से कटौती नहीं की गयी है। जबकि नियमानुसार आयकर रु० 9669 एवं व्यापार कर रु० 17266 की कटौती कर धनराशि बैंक में निर्धारित शीर्ष में जमा करके चालान की प्रति फर्म को उपलब्ध कराना चाहिये था ताकि फर्म आयकर एवं व्यापार कर रिटर्न दाखिल करते समय अपने रिटर्न में शामिल कर सके। कुल रु० 26935 की आयकर एवं व्यापार कर की कटौती न करके राजकीय राजस्व को क्षति पहुंचायी गयी है, जिसके लिये प्रधान श्री दयाशंकर एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रमेश सोनकर उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं० 14)

प्रस्तर सं०-73**ग्राम पंचायत-भदौरा मोलनापुर विकासखण्ड-कोयलसा।**

वर्ष 2014-15 की ग्राम निधि प्रथम कैशबुक की जांच में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में सोडियम लाईट क्रय पर रु० 102400 का भुगतान दर्शित है। ग्राम पंचायत में परिसम्पत्ति रजिस्टर नहीं बनाया गया है। भुगतान एकाउन्टपेयी चेक से न करके बीयरर चेक से किया गया है। भुगतान करते समय आपूर्तिकर्ता से आयकर एवं व्यापार कर की कटौती नहीं की गयी है। शासनादेश सं० 1310/33-3-2010 -54/2010 दिनांक 09 जून 2010 के अनुसार ग्राम पंचायतें आवंटित धनराशि में से डा० अम्बेडकर ग्रामों में स्थापित सोडियम लाईट के अनुरक्षण एवं रख-रखाव हेतु व्यय कर सकेगी। कार्य योजना का अनुमोदन जिला पंचायत राज अधिकारी से प्राप्त नहीं किया गया है। सोडियम लाईट क्रय पर मनमाने ढंग से भुगतान दर्शित कर धन का अपहरण किया गया है। जिसके लिये प्रधान श्री दयाशंकर एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रमेश सोनकर उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं० 15)

प्रस्तर सं०-74**ग्राम पंचायत-भदौरा मोलनापुर विकासखण्ड-कोयलसा।**

वर्ष 2014-15 की ग्राम निधि प्रथम कैशबुक की जांच में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में ह्यूम पाइप क्रय पर रु० 33150 का भुगतान दर्शित है। ग्राम पंचायत में परिसम्पत्ति रजिस्टर व स्टॉक बुक रजिस्टर नहीं बनाया गया है। भुगतान एकाउन्टपेयी चेक से न करके बीयरर चेक से किया गया है। भुगतान करते समय आपूर्तिकर्ता से आयकर एवं व्यापार कर की कटौती नहीं की गयी है। इस प्रकार कैशबुक में फर्जी भुगतान दर्शित कर रु० 33150 का अपहरण किया गया है। जिसके लिये प्रधान श्री दयाशंकर एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रमेश सोनकर उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं० 16)

प्रस्तर सं०-75**ग्राम पंचायत-भदौरा मोलनापुर विकासखण्ड-कोयलसा।**

शासनादेश सं० ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21.03.2012 के प्रस्तर (3) के अनुसार शासन द्वारा अवमुक्त धनराशियों को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया गया है, तो अर्जित ब्याज ग्राम पंचायत की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी और अर्जित आय को राजकोष में जमा करा दिया जाये। ग्राम पंचायत में वर्ष 2014-15 में ब्याज रु० 1269 प्राप्त हुआ है। किन्तु प्राप्त ब्याज राजकीय कोष में जमा न कर

राजकीय धन का दुरुपयोग किया गया है, जिसकेलिये प्रधान श्री दयाशंकर एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रमेश सोनकर उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं० 17)

प्रस्तर सं०-76

ग्राम पंचायत-भदौरा मोलनापुर विकासखण्ड-कोयलसा।

वर्ष 2014-15 की ग्राम निधि प्रथम कैंशबुक की जांच में पाया गया कि निम्न तिथियों में हैण्डपम्प मरम्मत पर भुगतान दर्शित है। ग्राम पंचायत में परिसम्पत्ति रजिस्टर नहीं बनाया गया है, जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका कि किन-किन जगहों पर लगे हैण्डपम्प की मरम्मत की गयी है। मरम्मत में बदले गये सामान की प्रविष्टि रिपेयरिंग रजिस्टर में नहीं की गयी है। ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत पर हुये व्यय की सम्पूर्ण धनराशि में से आधी धनराशि लाभार्थियों (जिसके सामने हैण्डपम्प लगा है) से लिया जाना चाहिये था। किन्तु सम्पूर्ण धनराशि ग्राम पंचायत द्वारा व्यय किया गया है। इस प्रकार रु० 23275 की धनराशि का अपहरण किया गया है, जिसके लिये प्रधान श्री दयाशंकर एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रमेश सोनकर उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं० 18)

प्रस्तर सं०-77

ग्राम पंचायत-भदौरा मोलनापुर

विकासखण्ड-कोयलसा।

दिनांक (ग्राम निधि) 29.04.2014 को रु० 7950.00 का कैमरा क्रय किया गया है। कैमरा की प्रविष्टि डेड स्टॉक में नहीं की गयी है। अतः कैमरा खरीद के नाम से 7950 रूपया खारिज कर धन का अपहरण किया गया है। जिसके लिये प्रधान श्री दयाशंकर एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रमेश सोनकर उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं० 19)

प्रस्तर सं०-78

ग्राम पंचायत-मड़छा हरिबल्लभ

विकासखण्ड-कोयलसा।

ग्राम पंचायत-मड़छा हरिबल्लभ के वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि बिना टेण्डर/कोटेशन आमंत्रित किये ही प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा धनराशि रु० 611414 का ईंट, सोडियम लाईट, ह्यूम पाइप, शौचालय सेट का क्रय किया गया है। जबकि शासनादेश सं० ए-1-864/दस-08-15(1)/86 दिनांक 23.09.2008 के प्रस्तर 2 के अनुसार रु० 20000 की सामग्री बिना कोटेशन व रु० 20001 से 99999 तक की सामग्री हेतु कोटेशन एवं रु० 100000 से अधिक मूल्य की सामग्री के लिये टेण्डर आमंत्रित करना अनिवार्य है। ऐसी स्थिति में बिना कोटेशन/टेण्डर आमंत्रित किये ही प्रधान श्री जयप्रकाश एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजेन्द्र सिंह द्वारा अनियमितता की गयी है, जिसके लिये प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं० 03)

प्रस्तर सं०-79

ग्राम पंचायत-मड़छा हरिबल्लभ

विकासखण्ड-कोयलसा।

शासनादेश सं० ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21.03.2012 के प्रस्तर (3) के अनुसार शासन द्वारा अवमुक्त धनराशियों को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया गया है, तो अर्जित ब्याज ग्राम पंचायत की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी और अर्जित आय को राजकोष में जमा करा दिया जाये। ग्राम पंचायत में वर्ष 2014-15 में ब्याज रु० 19920 प्राप्त हुआ है। किन्तु प्राप्त ब्याज राजकीय कोष में जमा न कर

राजकीय धन का दुरुपयोग किया गया है, जिसके लिये प्रधान श्री जयप्रकाश एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजेन्द्र सिंह उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं० 15)

प्रस्तर सं०-80

ग्राम पंचायत-हूँसेपुर सनूप विकासखण्ड-कोयलसा।

ग्राम पंचायत-हूँसेपुर सनूप के वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि बिना टेण्डर/कोटेशन आमंत्रित किये ही प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा धनराशि रु० 285952 का ईट, सोडियम लाईट, ह्यूम पाइप, बिल्डिंग मैटेरियल शौचालय सेट का क्रय किया गया है। जबकि शासनादेश सं० ए-1-864/दस-08-15(1)/86 दिनांक 23.09.2008 के प्रस्तर 2 के अनुसार रु० 20000 की सामग्री बिना कोटेशन व रु० 20001 से 99999 तक की सामग्री हेतु कोटेशन एवं रु० 100000 से अधिक मूल्य की सामग्री के लिये टेण्डर आमंत्रित करना अनिवार्य है। ऐसी स्थिति में बिना कोटेशन/टेण्डर आमंत्रित किये ही प्रधान श्रीमती भानुमती एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजेन्द्र सिंह द्वारा अनियमितता की गयी है, जिसके लिये प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं० 03)

प्रस्तर सं०-81

ग्राम पंचायत-हूँसेपुर सनूप विकासखण्ड-कोयलसा।

शासनादेश सं० ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21.03.2012 के प्रस्तर (3) के अनुसार शासन द्वारा अवमुक्त धनराशियों को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया गया है, तो अर्जित ब्याज ग्राम पंचायत की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी और अर्जित आय को राजकोष में जमा करा दिया जाये। ग्राम पंचायत में वर्ष 2014-15 में ब्याज रु० 311 प्राप्त हुआ है। किन्तु प्राप्त ब्याज राजकीय कोष में जमा न कर राजकीय धन का दुरुपयोग किया गया है, जिसके लिये प्रधान श्रीमती भानुमती एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजेन्द्र सिंह उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं० 15)

प्रस्तर सं०-82

ग्राम पंचायत-लहरपार विकासखण्ड-कोयलसा।

ग्राम पंचायत-लहरपार के वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि बिना टेण्डर/कोटेशन आमंत्रित किये ही प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा धनराशि रु० 365475 का ईट, बिल्डिंग मैटेरियल सामान का क्रय किया गया है। जबकि शासनादेश सं० ए-1-864/दस-08-15(1)/86 दिनांक 23.09.2008 के प्रस्तर 2 के अनुसार रु० 20000 की सामग्री बिना कोटेशन व रु० 20001 से 99999 तक की सामग्री हेतु कोटेशन एवं रु० 100000 से अधिक मूल्य की सामग्री के लिये टेण्डर आमंत्रित करना अनिवार्य है। ऐसी स्थिति में बिना कोटेशन/टेण्डर आमंत्रित किये ही प्रधान श्री भानुप्रताप एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजेन्द्र सिंह द्वारा अनियमितता की गयी है, जिसके लिये प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं० 03)

प्रस्तर सं०-83

ग्राम पंचायत-लहरपार विकासखण्ड-कोयलसा।

शासनादेश सं० ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21.03.2012 के प्रस्तर (3) के अनुसार शासन द्वारा अवमुक्त धनराशियों को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया गया है, तो अर्जित ब्याज ग्राम पंचायत की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी और अर्जित आय को राजकोष में जमा करा दिया जाये। ग्राम पंचायत में वर्ष 2014-15 में ब्याज रु० 2335 प्राप्त हुआ है। किन्तु प्राप्त ब्याज राजकीय कोष में जमा न कर

राजकीय धन का दुरुपयोग किया गया है, जिसकेलिये प्रधान श्री भानुप्रताप एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजेन्द्र सिंह उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं० 15)

प्रस्तर सं०-84

ग्राम पंचायत-अराव गुलजार विकासखण्ड-कोयलसा।

ग्राम पंचायत-अराव गुलजार के वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि बिना टेण्डर/कोटेशन आमंत्रित किये ही प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा धनराशि रु० 278780 का ईंट, बिल्डिंग मैटेरियल का क्रय किया गया है। जबकि शासनादेश सं० ए-1-864/दस-08-15(1)/86 दिनांक 23.09.2008 के प्रस्तर 2 के अनुसार रु० 20000 की सामग्री बिना कोटेशन व रु० 20001 से 99999 तक की सामग्री हेतु कोटेशन एवं रु० 100000 से अधिक मूल्य की सामग्री के लिये टेण्डर आमंत्रित करना अनिवार्य है। ऐसी स्थिति में बिना कोटेशन/टेण्डर आमंत्रित किये ही प्रधान श्री राजाराम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रमेश सोनकर द्वारा अनियमितता की गयी है, जिसके लिये प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं० 03)

प्रस्तर सं०-85

ग्राम पंचायत-अराव गुलजार

विकासखण्ड-कोयलसा।

वर्ष 2014-15 की ग्राम निधि प्रथम कैशबुक की जांच में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में ईंट, बिल्डिंग मैटेरियल की खरीद पर भुगतान दर्शित है। किन्तु भुगतान करते समय फर्म से शासनादेशानुसार आयकर 2.24 प्रतिशत एवं व्यापार कर 4 प्रतिशत की दर से कटौती नहीं की गयी है। जबकि नियमानुसार आयकर रु० 6245 एवं व्यापार कर रु० 11151 की कटौती कर धनराशि बैंक में निर्धारित शीर्ष में जमा करके चालान की प्रति फर्म को उपलब्ध कराना चाहिये था ताकि फर्म आयकर एवं व्यापार कर रिटर्न दाखिल करते समय अपने रिटर्न में शामिल कर सके। कुल रु० 17396 की आयकर एवं व्यापार कर की कटौती न करके राजकीय राजस्व को क्षति पहुंचायी गयी है, जिसकेलिये प्रधान श्री राजाराम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रमेश सोनकर उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं० 14)

प्रस्तर सं०-86

ग्राम पंचायत-अराव गुलजार

विकासखण्ड-कोयलसा।

वर्ष 2014-15 की ग्राम निधि प्रथम कैशबुक की जांच में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में सोडियम लाईट क्रय पर रु० 144560 का भुगतान दर्शित है। ग्राम पंचायत में परिसम्पत्ति रजिस्टर नहीं बनाया गया है। भुगतान एकाउन्टपेयी चेक से न करके बीयरर चेक से किया गया है। भुगतान करते समय आपूर्तिकर्ता से आयकर एवं व्यापार कर की कटौती नहीं की गयी है। शासनादेश सं० 1310/33-3-2010-54/2010 दिनांक 09 जून 2010 के अनुसार ग्राम पंचायतें आवंटित धनराशि में से डा० अम्बेडकर ग्रामों में स्थापित सोडियम लाईट के अनुरक्षण एवं रख-रखाव हेतु व्यय कर सकेगी। कार्य योजना का अनुमोदन जिला पंचायत राज अधिकारी से प्राप्त नहीं किया गया है। सोडियम लाईट क्रय पर मनमाने ढंग से भुगतान दर्शित कर धन का अपहरण किया गया है। जिसकेलिये प्रधान श्री राजाराम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रमेश सोनकर उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं० 15)

प्रस्तर सं०-87**ग्राम पंचायत-अराव गुलजार****विकासखण्ड-कोयलसा।**

वर्ष 2014-15 की ग्राम निधि प्रथम कैशबुक की जांच में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में ह्यूम पाइप क्रय पर रू० 108650 का भुगतान दर्शित है। ग्राम पंचायत में परिसम्पत्ति रजिस्टर व स्टाक बुक रजिस्टर नहीं बनाया गया है। भुगतान एकाउन्टपेयी चेक से न करके बीयरर चेक से किया गया है। भुगतान करते समय आपूर्तिकर्ता से आयकर एवं व्यापार कर की कटौती नहीं की गयी है। इस प्रकार कैशबुक में फर्जी भुगतान दर्शित कर रू० 108650 का अपहरण किया गया है। जिसके लिये प्रधान श्री राजाराम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रमेश सोनकर उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं० 16)**प्रस्तर सं०-88****ग्राम पंचायत-अराव गुलजार****विकासखण्ड-कोयलसा।**

शासनादेश सं० ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21.03.2012 के प्रस्तर (3) के अनुसार शासन द्वारा अवमुक्त धनराशियों को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया गया है, तो अर्जित ब्याज ग्राम पंचायत की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी और अर्जित आय को राजकोष में जमा करा दिया जाये। ग्राम पंचायत में वर्ष 2014-15 में ब्याज रू० 1640 प्राप्त हुआ है। किन्तु प्राप्त ब्याज राजकीय कोष में जमा न कर राजकीय धन का दुरुपयोग किया गया है, जिसके लिये प्रधान श्री राजाराम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रमेश सोनकर उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं० 17)**प्रस्तर सं०-89****ग्राम पंचायत-अराव गुलजार****विकासखण्ड-कोयलसा।**

वर्ष 2014-15 की ग्राम निधि प्रथम कैशबुक की जांच में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में हैण्डपम्प मरम्मत पर भुगतान दर्शित है। ग्राम पंचायत में परिसम्पत्ति रजिस्टर नहीं बनाया गया है, जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका कि किन-किन जगहों पर लगे हैण्डपम्प की मरम्मत की गयी है। मरम्मत में बदले गये सामान की प्रविष्टि रिपेयरिंग रजिस्टर में नहीं की गयी है। ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत पर हुये व्यय की सम्पूर्ण धनराशि में से आधी धनराशि लाभार्थियों (जिसके सामने हैण्डपम्प लगा है) से लिया जाना चाहिये था। किन्तु सम्पूर्ण धनराशि ग्राम पंचायत द्वारा व्यय किया गया है। इस प्रकार रू० 18500 की धनराशि का अपहरण किया गया है, जिसके लिये प्रधान श्री राजाराम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रमेश सोनकर उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं० 18)**प्रस्तर सं०-90****ग्राम पंचायत-अराव गुलजार****विकासखण्ड-कोयलसा।**

ग्राम निधि कैशबुक प्रथम की जांच में पाया गया कि दिनांक 22.04.2014 को प्रधान को मानदेय मई 13 से मार्च 2014 तक 11 माह का कुल 15250 रूपया भुगतान किया गया। जबकि रू० 13500 होना चाहिये। इस प्रकार रू० 1750 अधिक भुगतान किया गया। जिसकेलिये प्रधान श्री राजाराम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रमेश सोनकर उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं० 19)

प्रस्तर सं०-91**ग्राम पंचायत-करीमुद्दीनपुर विकासखण्ड-पल्हनी।**

ग्राम निधि कैशबुक प्रथम की जांच में पाया गया कि माह अप्रैल 2017 का प्रारम्भिक अवशेष 58065 रुपया दर्शित रहा। माह अप्रैल 2014 में ₹0 10000 व 70000 कुल 80000 रुपया बैंक से आहरित किया गया तथा माह अप्रैल में 12000 व 21509 व 52751 कुल 86260 व्यय किया गया। इस प्रकार मासान्त में रोकड़ अवशेष ₹0 51805 होना चाहिये। जबकि रोकड़ अवशेष 41805 दर्शित है। इस प्रकार ₹0 10000 रोकड़ अवशेष कम दर्शित कर अपरण किया गया, जिसके लिये प्रधान श्री बलराम यादव एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संजीव सिंह उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं० 4)

प्रस्तर सं०-92**ग्राम पंचायत-गड़ौली विकासखण्ड-लालगंज।**

वर्ष 2014-15 में ग्राम निधि कैशबुक प्रथम की जांच में पाया गया कि खड़जा मरम्मत में ₹0 68580 ₹0 व्यय दर्शित है। जबकि कार्य की स्वीकृति ग्राम सभा से नहीं ली गयी है एवं क्रय सामग्री की प्रविष्टि स्टाक बुक में नहीं की गयी है। ईट आपूर्तिकर्ता को भुगतान एकाउन्टपेयी चेक के माध्यम से न कर नगद किया गया है। मस्टरोल पर मजदूरों के हस्ताक्षर में एकरूपता पायी गयी। कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र अप्राप्त रहा। इस प्रकार काल्पनिक भुगतान दर्शित कर ₹0 68580 का अपहरण किया गया है, जिसके लिये प्रधान श्री देवराज यादव एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शिवशंकर उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं० 1)

प्रस्तर सं०-93**ग्राम पंचायत-अगेहता विकासखण्ड-लालगंज।**

वर्ष 2014-15 में ग्राम निधि कैशबुक प्रथम की जांच में पाया गया कि ह्यूम पाइप क्रय एवं मजदूरी पर ₹0 31109 ₹0 व्यय दर्शित है। ह्यूम पाइप आपूर्तिकर्ता को भुगतान एकाउन्टपेयी चेक के माध्यम से बिना ग्राम सभा के प्रस्ताव के ही नगद किया गया है। मस्टरोल पर मजदूरों के हस्ताक्षर में एकरूपता पायी गयी। कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र अप्राप्त रहा। स्टाक बुक रजिस्टर में प्रविष्टि नहीं की गयी है। इस प्रकार काल्पनिक भुगतान दर्शित कर ₹0 31109 का अपहरण किया गया है, जिसके लिये प्रधान श्रीमती उर्मिला देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अजय कुमार उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं० 1)

प्रस्तर सं०-94**ग्राम पंचायत-मालटारी विकासखण्ड-अजमतगढ़।**

वर्ष 2014-15 में ग्राम निधि कैशबुक प्रथम की जांच में पाया गया कि दिनांक 30.01.2015 को कैशबुक में ₹0 86800 आहरण दर्शित है। जबकि सम्बन्धित बैंक पासबुक में अभय ईट भठठा को ईट क्रय हेतु चेक सं० 21021876 ₹0 86800 देय दर्शित है। किन्तु व्यय पक्ष में 10080 ईट क्रय ₹0 6500 प्रति हजार से 65520 रुपया की ईट क्रय दर्शित है। इस प्रकार ₹0 21280 अधिक ईट का मूल्य भुगतान दर्शाकर एवं ईट न प्राप्त कर ग्राम पंचायत के धन ₹0 21280 का अपहरण किया गया है, जिसके लिये प्रधान श्री हीरा सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कमलेश कुमार उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं० 8)

प्रस्तर सं०-95**ग्राम पंचायत-शाह खजूरा विकासखण्ड-रानी की सराय।**

वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि कैशबुक प्रथम की जांच में पाया गया कि दिनांक 30.07.2014 को ट्रैक्टर ट्राली द्वारा 325 ट्राली मिट्टी रु० 550 प्रति ट्राली कर दर से कैशबुक में रु० 176000 आहरण दर्शित है। जबकि 325 ट्राली रु० 550 प्रति ट्राली की दर से रु० 178750 होता है। इस प्रकार रु० 2750 से भुगतान कम अंकित है। उपरोक्त मिट्टी डालने का कार्य का ग्राम सभा द्वारा प्रस्ताव नहीं पारित किया गया है। मिट्टी खोदने, लादने, गिराने हेतु मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है। किसी सक्षम तकनीकी अधिकारी स्वीकृति नहीं ली गयी है तथा मिट्टी डाले जाने के स्थान का उल्लेख नहीं किया गया है। माप पुस्तिका एवं कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं रहा। इस प्रकार ट्रैक्टर ट्राली द्वारा मिट्टी डालने का अवास्तविक भुगतान दर्शाकर रु० 176000 का अपहरण किया गया है। जिसके लिये प्रधान श्रीमती जयन्ती देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुनील मिश्रा उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं० 2)**प्रस्तर सं०-96****ग्राम पंचायत-शाह खजूरा विकासखण्ड-रानी की सराय।**

वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि कैशबुक प्रथम के अनुसार दिनांक 19.11.2014 को प्रतीक इन्टर प्राइजेज को सौर ऊर्जा लाईट हेतु रु० 74000+55500=129500 का भुगतान दर्शित है। जिसकी रशीद/कैशमेमो लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा तथा ग्राम सभा द्वारा प्रस्ताव भी नहीं पाया गया। सौर ऊर्जा लाईट लगाये जाने के स्थान का भी उल्लेख नहीं किया गया है। इस प्रकार काल्पनिक व्यय दर्शाकर रु० 129500 का अपहरण किया गया है। जिसके लिये प्रधान श्रीमती जयन्ती देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुनील मिश्रा उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं० 3)**प्रस्तर सं०-97****ग्राम पंचायत-फरिहा विकासखण्ड-रानी की सराय।**

वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि कैशबुक प्रथम के अनुसार सौर ऊर्जा लाईट हेतु रु० 256500 का भुगतान दर्शित है। जिसकी रशीद/कैशमेमो लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा तथा ग्राम सभा द्वारा प्रस्ताव भी नहीं पाया गया। सौर ऊर्जा लाईट लगाये जाने के स्थान का भी उल्लेख नहीं किया गया है। इस प्रकार काल्पनिक व्यय दर्शाकर रु० 256500 का अपहरण किया गया है। जिसके लिये प्रधान श्री जावेद आलम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री धीरज सिंह उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं० 2)**प्रस्तर सं०-98****ग्राम पंचायत-फरिहा विकासखण्ड-रानी की सराय।**

वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि कैशबुक प्रथम के अनुसार रु० 151100 शौचालय की धनराशि गत वर्षों से अप्रयुक्त यथावत् चली आ रही है, जो शासन की मंशा के विपरीत है। इस प्रकार शासन द्वारा प्राप्त धन को अनियमित रूप से अवरुद्ध कर दुरुपयोग किया जा रहा है। जबकि उक्त धनराशि को सम्बन्धित विभाग को वापस किया जाना अपेक्षित रहा। इस अनियमित रूप से रु० 151100 अवरुद्ध कर

दुरुपयोग किया गया है। जिसकेलिये प्रधान श्री जावेद आलम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री धीरज सिंह उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं0 3)

प्रस्तर सं0-99

ग्राम पंचायत-बददोपुर विकासखण्ड-पल्हनी।

वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि कैशबुक प्रथम के अनुसार दिनांक 01.03.2015 को नकद रोकड़ अवशेष रू0 61078 है। माह मार्च 2015 में कुल रू0 342000 आहरित किया गया तथा माह में रू0 341598 का व्यय किया गया। इस प्रकार दिनांक 31.03.2015 को अवशेष रू0 61480 के स्थान पर रू0 402 दर्शित कर रू0 61078 का अपहरण किया गया है, जिसकेलिये प्रधान श्री गुलाबचन्द यादव एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संजीव सिंह उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं0 3)

प्रस्तर सं0-100

ग्राम पंचायत-बददोपुर विकासखण्ड-पल्हनी।

वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि कैशबुक प्रथम के अनुसार दिनांक 27.03.2015 को ग्राम प्रधान का मानदेय जनवरी 2015 से अप्रैल 2015 तक रू0 2500 प्रतिमाह की दर से रू0 10000 का भुगतान किया जाना दर्शित है। मानदेय माह अप्रैल 2015 का माह के समाप्ति से पूर्व किया जाना दर्शित है, जो अनियमित है। उक्त मानदेय की पुष्टि में मानदेय रजिस्टर भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः रू0 10000 की प्रधान श्री गुलाबचन्द यादव एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संजीव सिंह से की जानी अपेक्षित रही। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं0 5)

प्रस्तर सं0-101

ग्राम पंचायत-जेहतमंदपुर विकासखण्ड-लालगंज।

वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि कैशबुक प्रथम के अनुसार अक्टूबर 2011 में कुल आय रू0 59030 एवं कुल व्यय 44600 रूपया के पश्चात दिनांक 31.10.2011 में रोकड़ अवशेष रू0 14430 होना चाहिये। जबकि रू0 4430 रूपया दर्शित किया गया है। इस प्रकार रू0 10000 से रोकड़ कम दर्शित कर धन का अपहरण किया गया है, जिसके प्रधान श्रीमती दुर्गावती एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामसिंगार मौर्या से की जानी अपेक्षित रही। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं0 1)

प्रस्तर सं0-102

ग्राम पंचायत-जेहतमंदपुर विकासखण्ड-लालगंज।

वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि कैशबुक प्रथम के अनुसार दिनांक 11.03.2013 को ह्यूम पाइप क्रय पर रू0 23925 एवं मजदूरी पर रू0 3000 कुल रू0 26925 का भुगतान दर्शित है। ह्यूम पाइप का भुगतान एकाउन्टपेयी चेक से न कर नगद किया गया है। ह्यूम पाइप का प्रयोग किस स्थान पर किया गया है, कोई उल्लेख नहीं है। ह्यूम पाइप का स्टॉक बुक रजिस्टर में प्रविष्टि नहीं की गयी है। अतः रू0 26925 का काल्पनिक व्यय दर्शाकर अपहरण किया गया है, जिसके लिये प्रधान श्रीमती दुर्गावती एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामसिंगार मौर्या से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित रही।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं0 2)

प्रस्तर सं०-103**ग्राम पंचायत-फखरुद्दीनपुर****विकासखण्ड-लालगंज।**

वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि कैशबुक प्रथम की जांच में पाया गया कि दिनांक 19.05.2014 को रू० 30000 सोलर लाईट क्रय पर भुगतान दर्शित है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा सोलर लाईट लगवाने हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी से स्वीकृति नहीं ली गयी है। प्रस्ताव, कोटेशन, व्यय प्रमाणक, स्टॉक बुक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने के कारण उ०प्र० पंचायत राज लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु सं०-8(क) के अनुसार बिल/बाउचर के अभाव में किये गये भुगतान रू० 30000 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री धनन्जय तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सरोज कुमार शर्मा द्वारा किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से अपेक्षित है।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं० 9)**प्रस्तर सं०-104****ग्राम पंचायत-फखरुद्दीनपुर****विकासखण्ड-लालगंज।**

वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि कैशबुक प्रथम की जांच में पाया गया कि दिनांक 13.06.2014 को रू० 3948 नाली पर मजदूरी का भुगतान दर्शित है। लेखा परीक्षा में मस्टरोल प्रस्तुत नहीं किया गया है। लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करने के कारण उ०प्र० पंचायत राज लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु सं०-8(क) के अनुसार बिल/बाउचर के अभाव में किये गये भुगतान रू० 3948 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री धनन्जय तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सरोज कुमार शर्मा द्वारा किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली अपेक्षित रही।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं० 10)**प्रस्तर सं०-105****ग्राम पंचायत-फखरुद्दीनपुर****विकासखण्ड-लालगंज।**

वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि कैशबुक प्रथम की जांच में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में ईंट, सीमेन्ट, सफेद बालू, लाल बालू, गिट्टी आदि पर रू० 75722 का भुगतान दर्शित है। जिसकी पुष्टि में ग्राम पंचायत का प्रस्ताव, कोटेशन, व्यय प्रमाणक, स्टॉक बुक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करने के कारण उ०प्र० पंचायत राज लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु सं०-8(क) के अनुसार बिल/बाउचर के अभाव में किये गये भुगतान रू० 75722 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री धनन्जय तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सरोज कुमार शर्मा द्वारा किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली अपेक्षित रही।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं० 10ए)**प्रस्तर सं०-106****ग्राम पंचायत-सारंगपुर****विकासखण्ड-लालगंज।**

वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि कैशबुक प्रथम की जांच में पाया गया कि दिनांक 07.05.2014 को रू० 30000 सोलर लाईट क्रय पर भुगतान दर्शित है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा सोलर लाईट लगवाने हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी से स्वीकृति नहीं ली गयी है। प्रस्ताव, कोटेशन, व्यय प्रमाणक, स्टॉक बुक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने के कारण उ०प्र० पंचायत राज लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु सं०-8(क) के अनुसार बिल/बाउचर के अभाव में किये गये भुगतान रू० 30000 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती श्याम देवी तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सरोज कुमार शर्मा द्वारा किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली अपेक्षित रही।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं० 4)

प्रस्तर सं०-107**ग्राम पंचायत-सारंगपुर विकासखण्ड-लालगंज ।**

वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि कैशबुक प्रथम की जांच में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में ₹0 35954 नाली पर मजदूरी का भुगतान दर्शित है। लेखा परीक्षा में मस्टरोल प्रस्तुत नहीं किया गया है। लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करने के कारण उ०प्र० पंचायत राज लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु सं०-8(क) के अनुसार बिल/बाउचर के अभाव में किये गये भुगतान ₹0 35954 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती श्याम देवी तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सरोज कुमार शर्मा द्वारा किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली अपेक्षित रही।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं० 5)

प्रस्तर सं०-108**ग्राम पंचायत-सारंगपुर विकासखण्ड-लालगंज ।**

वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि कैशबुक प्रथम की जांच में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में ईंट, सीमेन्ट, सफेद बालू, लाल बालू, गिट्टी आदि पर ₹0 139879 का भुगतान दर्शित है। जिसकी पुष्टि में ग्राम पंचायत का प्रस्ताव, कोटेशन, व्यय प्रमाणक, स्टॉक बुक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करने के कारण उ०प्र० पंचायत राज लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु सं०-8(क) के अनुसार बिल/बाउचर के अभाव में किये गये भुगतान ₹0 139879 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती श्याम देवी तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सरोज कुमार शर्मा द्वारा किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली अपेक्षित रही।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं० 5ए)

प्रस्तर सं०-109**ग्राम पंचायत-बेइली विकासखण्ड-लालगंज ।**

वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि कैशबुक प्रथम की जांच में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में ₹0 35688 नाली पर मजदूरी का भुगतान दर्शित है। लेखा परीक्षा में मस्टरोल प्रस्तुत नहीं किया गया है। लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करने के कारण उ०प्र० पंचायत राज लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु सं०-8(क) के अनुसार बिल/बाउचर के अभाव में किये गये भुगतान ₹0 35688 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री पल्टन तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामसिंगार मौर्या द्वारा किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली अपेक्षित रही।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं० 3)

प्रस्तर सं०-110**ग्राम पंचायत-बेइली विकासखण्ड-लालगंज ।**

वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि कैशबुक प्रथम की जांच में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में नाली निर्माण पर ईंट, सीमेन्ट, सफेद बालू, लाल बालू, गिट्टी आदि पर ₹0 146577 का भुगतान दर्शित है। जिसकी पुष्टि में ग्राम पंचायत का प्रस्ताव, कोटेशन, व्यय प्रमाणक, स्टॉक बुक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करने के कारण उ०प्र० पंचायत राज लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु सं०-8(क) के अनुसार बिल/बाउचर के अभाव में किये गये भुगतान ₹0 146577 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री पल्टन तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामसिंगार मौर्या द्वारा किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली अपेक्षित रही।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं० 3ए)

प्रस्तर सं०-111**ग्राम पंचायत-बैरीडीह विकासखण्ड-लालगंज ।**

वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि कैशबुक प्रथम की जांच में पाया गया कि दिनांक 31.01.2013 से 31.08.2013 तक कुल रु० 638390 आहरित कर अपने पास रोककर रखा गया। जिसके कारण रु० 28238 का ब्याज की क्षति हुयी। जिसके लिये प्रधान श्री नदीम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामसिंगार मौर्य उत्तरदायी रहे। ब्याज सहित वसूली अपेक्षित रही।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं० 3)**प्रस्तर सं०-112****ग्राम पंचायत-बैरीडीह विकासखण्ड-लालगंज ।**

वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि कैशबुक प्रथम की जांच में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में खड़जा निर्माण पर ईंट और मजदूरी पर रु० 638390 का भुगतान दर्शित है। जिसकी पुष्टि में ग्राम पंचायत का प्रस्ताव, कोटेशन, व्यय प्रमाणक, स्टॉक बुक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करने के कारण उ०प्र० पंचायत राज लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु सं०-8(क) के अनुसार बिल/बाउचर के अभाव में किये गये भुगतान रु० 638390 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री नदीम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामसिंगार मौर्य द्वारा किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली अपेक्षित रही।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं० 4)

जनपद-मऊ मण्डल- आजमगढ़

ग्राम पंचायत - जमुनीपुर विकास क्षेत्र- दोहरीघाट**प्रस्तर - 1**

दिनांक 31-03-14 को ग्राम पंचायत की कोषबही में रु० 150189.00 प्रधान के पास रोकण शेष दर्शित था। दिनांक 31-03-15 को भी रु० 150189.00 की धनराशि प्रधान पास अवशेष कैशबुक में पड़ा रहा। इस प्रकार रु० 150189.00 की धनराशि प्रधान द्वारा अपने पास रोके रख कर वास्तव में धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। इस प्रकार रु० 75094.50 की तत्कालीन प्रधान श्री धरमू यादव से व रु० 75094.50 ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अखिलेश मल्ल से ब्याज सहित वसूली कर धनराशि खाते में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं० 2)**ग्राम पंचायत -अतरारी****विकास क्षेत्र - मुहम्मदाबाद****प्रस्तर - 2**

ग्राम पंचायत की कोषबही में कुल रु० 77120.00 हैण्डपम्प मरम्मत मद में व्यय दर्शित है। मरम्मत हेतु क्रय सामग्री की पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा। क्रय सामान की पुष्टि स्टॉक रजि० से भी नहीं होती तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः स्पष्ट है कि उक्त मद में काल्पनिक व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण प्रधान एवं ग्राम वि० अधि० द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है। ज्ञात हो कि उ०प्र० पंचायतीराज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर-8 क के अनुसार दर्शित व्यय को अपहरण मानते हुए आधी-आधी धनराशि प्रधान श्रीमती सेराजुन्नीशां व ग्राम विकास अधिकारी श्री चन्द्रभान से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्नवत है-

क्रमांक	दिनांक	धनराशि रु० में
1	26/05/2014	5020
2	19/06/2014	10000
3	15/07/2014	17580
4	12/08/2014	9000
5	29/10/2014	10200
6	20/11/2014	10320
7	09/12/2014	10000
8	11/02/2015	5000
योग		77120

(सामान्य आपत्ति सं० 2)

प्रस्तर-3

ग्राम पंचायत की कोषबही के अनुसार 15/10/2014 को रु 6000 की दर से तीन बार में कुल रु0 18000 का भुगतान किया गया दर्शित है। किन्तु उक्त भुगतान से सम्बन्धित पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त भुगतान अपुष्ट रहा। अतः उक्त दर्शित व्यय को दुरुपयोग मानते हुए आधी-आधी धनराशि प्रधान श्रीमती सेराजुन्नीशों व ग्राम विकास अधिकारी श्री चन्द्रभान से ब्याज सहित ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं० 3)

ग्राम पंचायत –करहाँ

विकास क्षेत्र – मुहम्मदाबाद

प्रस्तर – 4

ग्राम पंचायत की कोषबही में कुल रु0 49400.00 हैण्डपम्प मरम्मत मद में व्यय दर्शित है। मरम्मत हेतु क्रय सामाग्री की पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा। क्रय सामान की पुष्टि स्टॉक रजि० से भी नहीं होती तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः स्पष्ट है कि उक्त मद में काल्पनिक व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण प्रधान एवं ग्राम वि० अधि० द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है। ज्ञात हो कि उ०प्र० पंचायतीराज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर-8 क के अनुसार दर्शित व्यय को अपहरण मानते हुए आधी-आधी धनराशि प्रधान श्रीमती सुशीला देवी व ग्राम विकास अधिकारी श्री राजेन्द्र यादव से ब्याज सहित ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्नवत है-

क्रमांक	दिनांक	धनराशि रु० में
1	26/05/2014	19000
2	30/06/2014	15400
3	03/02/2015	15000
4	योग	49400

(सामान्य आपत्ति सं० 2)

प्रस्तर-5

ग्राम पंचायत की बैंक पासबुकके अनुसार दिनांक 11/06/2014 को रु 32000 का आहरण किया गया है, किन्तु उक्त धनराशि की प्रविष्टि कैशबुक में नहीं की गयी है। अतः उक्त आहरण की धनराशि को अपहरण

मानते हुए आधी-आधी धनराशि प्रधान श्रीमती सुशीला देवी व ग्राम विकास अधिकारी श्री राजेन्द्र यादव से ब्याज सहित ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं० 3)

ग्राम पंचायत — याकूबपुर

विकास क्षेत्र — मुहम्मदाबाद

प्रस्तर — 6

ग्राम पंचायत की कोषबही में कुल रु० 66000.00 हैण्डपम्प मरम्मत मद में व्यय दर्शित है। मरम्मत हेतु क्रय सामाग्री की पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा। क्रय सामान की पुष्टि स्टॉक रजि० से भी नहीं होती तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः स्पष्ट है कि उक्त मद में काल्पनिक व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण प्रधान एवं ग्राम वि० अधि० द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है। ज्ञात हो कि उ०प्र० पंचायती राज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर-8 क के अनुसार दर्शित व्यय को अपहरण मानते हुए आधी-आधी धनराशि प्रधान श्रीमती विद्या यादव व ग्राम विकास अधिकारी श्री हरिकेश राम से ब्याज सहित ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्नवत है—

क्रमांक	दिनांक	धनराशि रु० में
1	03 / 06 / 2014	30000
2	14 / 07 / 2014	18000
3	04 / 09 / 2014	8000
4	20 / 10 / 2014	10000
	योग	66000

(सामान्य आपत्ति सं० 2)

ग्राम पंचायत — कोपागंज देहात

विकास क्षेत्र — कोपागंज

प्रस्तर — 7

दिनांक 07.08.2014 को चेक सं० 505635 व 505636 द्वारा ग्राम पंचायत की कोषबही में कुल रु० 108000.00 का भुगतान श्री शिवशंकर यादव को लाईट क्रय हेतु दर्शित है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि लाईट क्रय से पूर्व कोई निविदा/कोटेशन नहीं लिया गया है, और न ही उक्त सामान के क्रय की स्वीकृति एवं सामान की प्राप्ति की कोई पुष्टि ग्राम सभा के क्रय समिति द्वारा की गयी है। साथ ही लेखा परीक्षा में उक्त क्रय का कोई बिल/ बाउचर भी प्रस्तुत नहीं किया गया। यह लाईट कहाँ-कहाँ लगवाई गयी इस सम्बन्ध में ग्राम सभा के सदस्यों का कोई उपभोग प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत नहीं रहा, जबकि लाईट जहाँ-जहाँ लगी वहाँ के निवासियों द्वारा इसका प्रमाण पत्र भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध होना चाहिये था। अतः आधी-आधी धनराशि प्रधान श्रीमती दुर्गावती देवी (रु० 54000) व ग्राम विकास अधिकारी श्री नन्द कुमार राय (रु० 54000) से ब्याज सहित ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं० 2)

ग्राम पंचायत — मुहम्मदपुर बरहिया

विकास क्षेत्र — रतनपुरा

प्रस्तर — 8

लेखापरीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक के अवलोकन में पाया गया कि दिनांक 28-10-2014 को चेक सं० 38743 द्वारा बैंक खाता सं० 5766 सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया से आहरित धनराशि रु० 19100.00 का अंकन कैशबुक में नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट है कि उक्त धनराशि तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रामजन्म राजभर एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री राजेन्द्र गुप्त द्वारा आपसी मिली भगत से कैशबुक में अंकन न कर

धनराशि का अपहरण किया गया। अतः इसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से समान रूप से ₹0 9550.00 की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0 17)

प्रस्तर-9

कैशबुक के अवलोकन में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में निम्न विवरणानुसार कराये गये खड़न्जा निर्माण कार्यों पर ट्राली से मिट्टी ढुलाई हेतु भुगतान दर्शाया गया है।

क्रम	दिनांक	कार्य का नाम	मिट्टी का विवरण	मिट्टी का मूल्य
1	17.05.2014	सिंहासन के घर से हीरामन के घर तक	25 ट्राली दर 600	₹0 15000.00
2	12.06.2014	जीवधन के खेत से धर्मदेव के घर तक	60 ट्राली दर 600	₹0 36000.00
3	02.07.2014	सालिक यादव के घर से स्वामीनाथ के घर तक	10 ट्राली दर 600	₹0 6000.00
4	02.09.2014	सम्पर्क मार्ग से लीलावती के घर तक	50 ट्राली दर 600	₹0 30000.00
5	18.10.2014	रामप्रीत के घर से रामगुलाब के घर तक	15 ट्राली दर 600	₹0 9000.00
6	21.11.2014	राजनाथ के खेत से जनार्दन के घर तक	05 ट्राली दर 600	₹0 3000.00
7	02.12.2014	लालू बाबा के खेत से सेवक के घर तक	60 ट्राली दर 600	₹0 36000.00

उपरोक्त के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि – 1- मिट्टी खरीद एवं ट्राली से ढुलाई हेतु कोई प्रस्ताव/मांग नहीं है। 2- इस हेतु सक्षम अधिकारी से कोई स्वीकृति प्राप्त नहीं है। 3- समस्त भुगतान नकद रूप में किया गया है। 4- भुगतान प्राप्तकर्ता का कोई बिल बाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा है। 5- उक्त भुगतान से सम्बन्धित कार्य विवरण रजिस्टर व कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र नहीं बनाया गया है। इससे स्पष्ट है कि किया गया भुगतान काल्पनिक है इसके प्रति तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रामजन्म राजभर एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री राजेन्द्र गुप्त उत्तरदायी है। अतः ₹0 135000.00 की ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर ₹0 67500.00 की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0 18)

ग्राम पंचायत –खालिसपुर विकास क्षेत्र – रतनपुरा

प्रस्तर-10-

लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक एवं पासबुक के अनुसार ₹0 30000.00 प्रधान श्री प्रदीप कुमार श्रीवास्तव के नाम दिनांक 21-08-2014 को आहरित है। उक्त धनराशि को दिनांक 17-09-2014 तक अर्थात् 27 दिन अपने पास रोककर कर जो गम्भीर रूप से अनियमित पाया गया। इससे स्पष्ट है कि आहरित धनराशि ₹0 30000.00 का प्रधान द्वारा निजहित में दुरुपयोग किया गया। इसके प्रति ग्राम प्रधान श्री प्रदीप कुमार श्रीवास्तव एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री संज्यू राम उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0 17)

प्रस्तर-11

लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक के आय पक्ष में निम्न विवरणानुसार ईट क्रय के भुगतान हेतु रू0 101000.00 का चेक निर्गत किया गया जबकि उक्त चेक की धनराशि के सापेक्ष कैशबुक के व्यय पक्ष में रू0 260000.00 का भुगतान किया गया जो चेक की वास्तविक धनराशि से रू0 159000.00 अधिक है जिसका कैश बुक के रोकड़ अवशेष से खारिज किया गया है।

क्रम	दिनांक	चेक संख्या	निर्गत चेक की धनराशि का विवरण	व्यय पक्ष में भुगतानित धनराशि	कैशबुक के रोकड़ से भुगतान
1	17.01.2015	0324917	10 हजार ईट दर 5100=51000	1,24,000.00	रू0 73000.00
2	06.02.2014	049063	10 हजार ईट दर 5000=50000	1,36,000.00	रू0 86000.00
			1,01,000.00	2,60,000.00	रू0 159000.00

इससे स्पष्ट है कि नकद रोकड़ अवशेष से किया गया भुगतान काल्पनिक अवास्तविक है। उक्त भुगतान की पुष्टि में प्रमाणक अप्रस्तुत रहा जो उ0प्र0 पंचायती राज वित्त व लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के प्रस्तर-8 के अनुसार गबन मानते हुए इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री प्रदीप कुमार श्रीवास्तव एवं ग्राम पं0/वि0 अधिकारी श्री संजू राम से समान रूप से की जानी अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0 सं0 18)

ग्राम पंचायत-हलधरपुर विकास क्षेत्र – रतनपुरा

प्रस्तर-12

लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक पर दिनांक 17-09-2014 को चेक सं0 37419 द्वारा योगेश सिंह ईट भट्टा के नाम कुल रू0 51000.00 का चेक निर्गत किया गया है। जबकि व्यय पक्ष में दिनांक 17-09-2014 को 10 हजार ईट का मूल्य रू0 6200.00 की दर से कुल रू0 62000.00 भुगतान किया गया है। इस प्रकार रू0 11000.00 ईट मूल्य तहबील खारिज कर ईट भट्टा मालिक को नकद दिया गया है। जबकि वित्त व लेखा मैनुअल उ0प्र0 पंचायती राज के अध्याय-5 के प्रस्तर-5 के अनुसार रू0 2000.00 से अधिक का भुगतान फर्म के नाम एकाउन्ट पेयी चेक द्वारा भुगतान किया जाना चाहिए। लेकिन प्रधान व ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा रू0 11000.00 नकद भुगतान कर उक्त शासनादेश का उलंघन कर गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी। इसके लिए प्रधान श्रीमती दुखनी देवी व ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री संजू राम समान रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0 20)

ग्राम पंचायत –मखना विकास क्षेत्र – रतनपुरा

प्रस्तर-13

कैशबुक के आय पक्ष में ईट मूल्य भुगतान हेतु निम्न विवरणानुसार निर्गत चेक की धनराशि रू0 153000.00 के सापेक्ष व्यय पक्ष में रू0 306000.00 का अधिक भुगतान दर्शाकर कैशबुक के रोकड़ अवशेष से रू0 153000.00 कम कर तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती शुभावती व ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री संजू राम द्वारा आपसी मिली भगत से रू0 153000.00 का अपहरण कर लिया गया है।

क्रम सं०	दिनांक	निर्गत चेक का विवरण	कैशबुक में दर्शित भुगतान की धनराशि	चेक से अधिक भुगतान
1.	28.11.2014	आर०एन०आर० ईट उद्योग को रू०110500.00	1,94,400.00	83,900.00
2	02.02.2015	जय माँ सम्मे ईट उद्योग को रू० 34000.00	1,11,600.00	69,100.00
3	03.02.2015	आर०एन०आर० ईट उद्योग को रू० 8500.00		
	योग	रू०1,53,000.00	306000.00	153000.00

अतः रू०153000.00 की ब्याज सहित वसूली समान रूप से ग्राम प्रधान श्रीमती सुभावती एवं ग्रा० पंचायत विकास अधिकारी श्री संजू राम से की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं० 20)

ग्राम पंचायत –भुड़सुरी विकास क्षेत्र – रतनपुरा

प्रस्तर-14-

आलोच्य वर्ष में निम्न विवरणानुसार कराये गये प्रत्येक खड्गजा निर्माण कार्यो पर ट्राली से मिट्टी का भुगतान किया गया है।

क्रम सं०	दिनांक	धनराशि	मिट्टी का मूल्य व कार्य का नाम
1	02-04-2014	12,000.00	20 ट्राली मिट्टी दर से 600.00 पीच सड़क से रणधीर के ट्यूबेल तक
2	12-05-2014	48,000.00	80 ट्राली मिट्टी दर से 600.00 मल्लू के घर से स्वामीनाथ के घर तक
3	02-06-2014	51,000.00	85 ट्राली मिट्टी दर से 600.00 पीच सड़क से जूनियर हाईस्कूल भुड़सुरी तक
4	17-08-2014	51,000.00	85 ट्राली मिट्टी दर से 600.00 बढ़या पीच से जवाहर के खेत तक
5	02-09-2014	42,600.00	71 ट्राली मिट्टी दर से 600.00 गौधी चबूतरा के बगल में।
6	19-10-2014	24,000.00	40 ट्राली मिट्टी दर से 600.00 सीमा यादव के घर से महेन्द्र के घर तक।
7	16-11-2014	57,000.00	95 ट्राली मिट्टी दर से 600.00 लालू के घर से राजेश के घर तक
8	29-11-2014	48,000.00	80 ट्राली मिट्टी दर से 600.00 प्राईमरी विद्यालय भुड़सुरी के चबुतरा के पास
	योग	3,33,600.00	

उपरोक्त के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि –(1) मिट्टी खरीद एवं ढुलाई हेतु आवेदन नहीं किया गया है। (2) सक्षम अधिकारी से कोई स्वीकृति नहीं ली गयी है। (3) समस्त भुगतान नकद किया गया है जबकि विभागीय निर्देशानुसार भुगतान चेक के द्वारा संबंधित खाते में जमा किया जाना चाहिए। (4) कृत कार्य की पुष्टि में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य विवरण रजिस्टर व सम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया है। (5)

भुगतान प्राप्तकर्ता का कोई बिला बाउचर नहीं हैं। उक्त के आलोक में स्पष्ट है कि उक्त धनराशि तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी श्री राजेन्द्र गुप्ता एवं ग्राम प्रधान श्री अजय सिंह के आपसी मिली भगत से काल्पनिक व्यय दर्शाकर कोषबही से नकद रोकड़ शेष खारिज कर अपहरण कर लिया गया हैं। अतः रु0 3,33,600-00 की ब्याज सहित वसूली दोनों से समान रूप से रु0 166800.00 की जानी अपेक्षित हैं।

(सा0आ0सं0 20)

ग्राम पंचायत –बहरवार विकास क्षेत्र–रतनपुरा

प्रस्तर-15

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि निम्नांकित विवरणानुसार अप्रयुक्त अनुदान शासन को वापस न कर बैंक में रोककर रखा गया है। जबकि मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0 बी-1-1197/दस-99 दिनांक 30 मार्च 1999 के अनुसार राजकीय धनराशि कोषागार के वैयक्तिक खाते में रखा जाना चाहिए। इस प्रकार शासनादेश का उल्लंघन कर गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी है जिसके लिये ग्राम प्रधान श्रीमती फूलमती व ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री लाल बिहारी उत्तरदायी है। अप्रयुक्त अनुदान शासन को वापस करने हेतु आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्ति के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0 17)

क्रम सं0	खाता संख्या	धनराशि
1	16052	रु0 12,734.00
2	16054	रु0 11,060.00
	योग	रु0 23,794.00

जनपद— बलिया

मण्डल— आजमगढ़

प्रस्तर सं0	ग्राम पंचायत का नाम	विकास क्षेत्र	आपत्ति का विवरण	धनराशि		
				अपहरण	दुर्विनि-योग	गम्भीर अनियमितता
1	2	3	4	5	6	7
1	मुरार पट्टी	मुरली छपरा	रु0 600.00 का चेक द्वारा नरेन्द्र सिंह को भुगतान कैमरा की बैटरी हेतु किया गया है ग्रा0पं0 में कैमरा खरीद नहीं किया गया है। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती चांदगी एवं ग्रा0पं0 अधिकारी श्री संजय सिंह पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। इनसे ब्याज सहित ब्याज सहित वसूल किया जाना चाहिए।	600	—	—
2	मुरार पट्टी	मुरली छपरा	मनरेगा के अन्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्य हेतु रु0 168840.00 की सामग्री खरीद पर 2.24% की दर से आयकर रु0 3771.00 तथा 4% दर से व्यापार कर रु0 6752.00 कुल रु0 10533.00 राजकीय कोषागार	—	—	10533

			में जमा न करके अनियमितता बरती गयी है। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती चांदगी एवं ग्रा0प0अधिकारी श्री संजय सिंह पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। इनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।			
3	मुरार पट्टी	मुरली छपरा	राज्य वित्त/तेरहवां वित्त के अन्तर्गत कुल सामग्री कुप रु0 1177823.00 का किया गया है। जिस पर आयकर रु0 26383.00 तथा व्यापार कर रु0 47113.00 कुल रु0 73496.00 जमा न करके राजकीय राजस्व की क्षति पहुँचायी गयी है। जिसे लिए ग्राम प्रधान श्रीमती चांदगी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संजय सिंह पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। इनसे ब्याज सहित ब्याज सहित वसूल कर जमा कराया जाना चाहिए।	—	—	73496
4	वाजिदपुर	मुरली छपरा	दिनांक 09.07.2014 को राज्य वित्त/13वां वित्त के अन्तर्गत निर्माण कार्य हेतु रु0 119189.00 का धर्मनाथ सिंह ईट भट्टा से खरीदा गया परन्तु आयकर 2.24% की दर तथा व्यापार कर 4% नहीं काटने के कारण सरकारी राजस्व की हानि हुई। अतः आयकर रु0 2670 तथा व्यापार कर रु0 4768 कुल रु0 7438 की ब्याज सहित वसूली प्रधान हरि” ांकर तथा सचिव मनोज गुप्ता से कर संबन्धित शीर्ष में जमा किया जाना अपेक्षित है।	—	—	7438
5	वाजिदपुर	मुरली छपरा	मनरेगा के अन्तर्गत आलोच्य वर्षों में कुल रु0 1752359.00 काम हुआ। जबकि सिर्फ 9 कार्य पूरे किये उच्च स्तरीय जाँच किया जाना अपेक्षित है। वित्तीय स्वीकृति देने वाले अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार है। इसमें सरकारी नियमों की अवहेलना की गयी है। ग्राम प्रधान श्री हरिशंकर, ग्रा0प0अधिकारी श्री मनोज गुप्ता एवं वित्तीय स्वीकृति देने वाले अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।	—	—	1752359
6	मुरली छपरा	मुरली छपरा	राज्य वित्त के अन्तर्गत वर्ष 2011-12 में 30.06. 2011 को रु0 101520.00 का ईट सलदेव सिंह ईट भट्टा से क्रय किया गया किन्तु टैक्स नहीं काटा गया। अतः उक्त पर आयकर 2.24% से रु0 2274. 00 तथा व्यापार कर 4% 4061.00 कुल रु0 6335.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान सोनिया सिंह तथा दिनेश प्रसाद सचिव से किया जाना अपेक्षित है तथा उक्त धनराशि को राजकीय कोषागार में जमा किया जाना अपेक्षित है।	—	—	6335

7			राज्य वित्त के अन्तर्गत 2011-12 में दिनांक 18.07.2011 को रु0 53280.00 तथा 03.12.2011 को रु0 32292.00 का ईट कुल रु0 85572.00 का ईट खरीदा गया परन्तु कोई कर नहीं काटा गया जिससे राजस्व की हानि हुई। अतः आयकर 2.24% से कुल 1917.00 तथा व्यापार कर 4% से रु0 3223.00 कुल रु0 5140.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान सोनिया सिंह तथा सचिव दिनेश प्रसाद से किया जाना चाहिए।	—	—	5140
8			राज्य वित्त के अन्तर्गत वर्ष 2012-13 में रु0 418422.00 खरीदी गयी परन्तु टैक्स नहीं काटा गया। अतः उक्त पर आयकर 2.24% से 9373 तथा व्यापार कर 4% 16737 कुल रु0 26110 की ब्याज सहित वसूली प्रधान सोनिया सिंह तथा सचिव मनोज गुप्ता से कर राजकीय कोषागार में जमा किया जाना अपेक्षित है।	—	—	26110
9			राज्य वित्त के अन्तर्गत वर्ष 2013-14 में विभिन्न तिथियों में संतोष ट्रेडर्स से रु0 208975 की सामग्री खरीदी गयी परन्तु कोई कर नहीं काटा गया। जिससे राजकीय राजस्व की हानि हुई उक्त आयकर 2.24 से रु0 4681 तथा व्यापार कर 4% से रु0 8359 कुल 13040 की ब्याज सहित वसूली सोनिया सिंह प्रधान तथा मनोज गुप्ता सचिव से कर राजकीय कोषागार में जमा करना सुनिश्चित करें।	—	—	13040
10			राज्य वित्त के अन्तर्गत वर्ष 2013-14 में विभिन्न तिथियों में रु0 80325 का ईट खरीद कर कोई कर नहीं दिया गया। जिससे राजस्व की हानि हुई। अतः उक्त आयकर 2.24% से 1799 तथा व्यापार कर 4% रु0 3213 कुल रु0 5012 की ब्याज सहित वसूली प्रधान सोनिया सिंह तथा मनोज गुप्ता कर राज कोषीय में जमा करना सुनिश्चित करें।	—	—	5012
11			13वां वित्त के विभिन्न तिथियों में रु0 93095 का 896.63 घन मी0 का मिट्टी खनन खरीद की गयी। उक्त पर रायल्टी नहीं काट कर भासन को हानि पहुंचाया गया। अतः रायल्टी 9 रु0/घन मी0 से 8070 रु0 की रायल्टी प्रधान सोनिया सिंह तथा दिनेश प्रसाद से ब्याज सहित वसूली कर कोषागार में जमा कराये।	—	—	8070

12			वर्ष 2011-12, 13वां वित्त के अन्तर्गत विभिन्न तिथियों में कुल ₹0 352799 की सामग्री खरीद कर टैक्स नहीं काटकर राजस्व की हानि पहुंचायी गयी। अतः आयकर 2.24% से ₹0 7903 तथा व्यापार कर 4% 14112 कुल ₹0 22015 की ब्याज सहित वसूली प्रधान सोनिया सिंह तथा दिनेश प्रसाद से कर राजकीय कोषागार में जमा करना अपेक्षित है।	—	—	22015
13			13वां वित्त के अन्तर्गत 2012-13 में विभिन्न तिथियों में ₹0 118800 का ईट खरीदा कर टैक्स नहीं दिया गया। उक्त पर आयकर ₹0 2261 तथा व्यापार कर 4752 कुल ₹0 7013 की ब्याज सहित वसूली सोनिया सिंह तथा मनोज गुप्ता से कर राजकीय कोषागार में जमा किया जाना अपेक्षित है।	—	—	7013
14			वर्ष 2013-14 में 13वां वित्त के अन्तर्गत विभिन्न तिथियों में ₹0 347508 का चेक बसन्त कुमार सिंह ईट भट्टा को दिया गया परन्तु कोई टैक्स नहीं काट कर राजस्व की हानि पहुंचायी गयी। अतः आयकर 2.24% से ₹0 7784 तथा व्यापार कर 4% 13900 कुल ₹0 21684 की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्रीमती सोनिया, ग्रा0पं0 अधिकारी श्री मनोज गुप्ता से कर राजकीय कोषागार में जमा करना अपेक्षित है।	—	—	21684
15			वर्ष 2013-14 में कुल ₹0 536466 का अन्य सामग्री खरीद कर टैक्स नहीं काटा गया जिस पर आयकर 2.24 से 12017 तथा व्यापार कर 4% से ₹0 21459 कुल ₹0 33476 की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्रीमती सोनिया तथा ग्रा0पं0 अधिकारी श्री मनोज गुप्ता कर राजकीय कोषागार में जमा किया जाना सुनिश्चित करें।	—	—	33476
16			वर्ष 2014-15 में कुल ₹0 704682 की ईट विभिन्न तिथियों में खरीदी गयी जिसपर आयकर 2.24% से 15785 तथा व्यापार 4% से 28187 कुल ₹0 43972 की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्रीमती सोनिया, ग्रा0पं0 अधिकारी श्री मनोज गुप्ता सचिव से कर राजकीय कोषागार में जमा किया जाना अपेक्षित है।	—	—	43972
17	कोउहरा नौबरार		मनरेगा के अन्तर्गत क्रमशः 4 विभिन्न कार्यों पर ₹0 450450 की सामग्री खरीदी गयी परन्तु कोई मजदूरी न देकर धन का अपहरण कर दिया गया। अतः टी0ए0 (अज्ञात) के फर्जी एम0बी0 से ये धन का	450450	—	—

			अपहरण हुआ टी0ए0 (अज्ञात), दिलीप सिंह सचिव तथा प्रधान विमला देवी से ब्याज सहित वसूल अपेक्षित है। निम्नलिखित कार्य का नाम — दिनांक 28.03.2011 जे0पी0नगर विद्युत उपकेन्द्र पर सड़क निर्माण रू0 64000 दिनांक 16.12.2011 भवन टोला में बवन सिंह महेन्द्र सिंह के घर तक खड़जा निर्माण रू0 238450 दिनांक 15.11.2012 प्रधानमंत्री सड़क से हजारी गोंड तक खड़जा निर्माण रू0 127500 दिनांक 20.01.2014 संसार टोला में वृन्दा यादव, रवीन्द्र यादव, सोलिंग कार्य रू0 45000			
18			मनरेगा के अन्तर्गत विभिन्न तिथियों में कुल 468700 की सामग्री खरीदी गयी परन्तु टैक्स न काट राजस्व की हानि पहुंचायी गयी। अतः आयकर 2.24% से तथा व्यापार कर 4% क्रमशः रू0 10500 तथा रू0 18748 कुल 29248 की ब्याज सहित वसूली प्रधान विमला देवी तथा सचिव दिलीप सिंह से कर राजकीय कोषागार में जमा करना अपेक्षित है।	—	—	29248
19			दिनांक 15.08.2011 तथा 20.08.2011 को राज्य वित्त/13वां वित्त के अन्तर्गत दो नाव दर रू0 45000 से रू0 90000 का खरीदा गया परन्तु संबंधित सक्षम अधिकारी से कोई वित्तीय स्वीकृति नहीं ली गयी न कोई प्रमाणक ही प्रस्तुत किया गया। अतः लिखित आदेश के अभाव में क्रय फर्जी दर्शाकर उक्त धन का अपहरण कर लिया गया। जिसके लिए प्रधान विमला देवी तथा सचिव दिलीप सिंह से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।	90000	—	—
20			विभिन्न तिथियों में निर्माण कार्य हेतु रू0 164951.00 का 1306 घन मी0 मिट्टी खरीदा गया लेकिन शासन को कोई रायल्टी नहीं दी गयी। जिससे राजस्व की हानि हुई। अतः उक्त रू0 12808 की रायल्टी की ब्याज सहित वसूली प्रधान विमला देवी तथा सचिव दिलीप सिंह कर रायल्टी की धनराशि को राजकीय कोषागार में जमा किया जाना अपेक्षित है।	—	—	12808
21			राज्य वित्त/13वां वित्त के अन्तर्गत विभिन्न तिथियों में निर्माण हेतु रू0 4805400 की सामग्री खरीदी गयी परन्तु उक्त पर आयकर व व्यापार पर न काटकर राजस्व की हानि पहुंचायी गयी। अतः उक्त	—	—	299853

			पर आयकर 2.24% से 107637 तथा व्यापार दर 4% से 192216 कुल रू0 299853 की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्रीमती विमला देवी तथा दिलीप सिंह सचिव से कर राजकीय कोषागार के सम्बद्ध शीर्ष में जमा कराना अपेक्षित है।															
22			मनरेगा के अन्तर्गत वर्ष 2011-12 में दिनांक 19.09.2011 को पदुमन बाबा के स्थान से सेवक राम टोला तक मिट्टी कार्य पर कुल रू0 1022322 रू0 काम हुआ। इस कार्य 0-2000 मी0 को कैसे किया गया। इसकी वित्तीय स्वीकृति कार्यक्रम अधिकारी द्वारा कैसे दिया गया। इसका एम0बी0 अज्ञात तकनीकी सहायक द्वारा कैसे किया गया गम्भीर अनियमितता दर्शित होती है, कार्यक्रम अधिकारी/अज्ञात सचिव दिलीप सिंह तथा प्रधान चेतनाथ जिम्मेदार होंगे। उच्च स्तरीय विभागीय फर्जी है। अतः धन का अपहरण कर लिया गया सचिव तथा प्रधान से ब्याज सहित वसूली कराया जाना चाहिए।	1022322	—	—												
23			मनरेगा के अन्तर्गत दिनांक 12.11.2012 को खेदारू यादव के घर से गिरिजा से गड्ढे तक मिट्टी सोलिंग कार्य हेतु 183.75 घन मी. रू0 140 रू0 25725 की मिट्टी खरीद कर आपूर्ति किया गया मनरेगा में मिट्टी कैसे खरीदी गयी। स्पष्ट किया जाना चाहिए। मिट्टी खरीद कर रायल्टी न देकर राजस्व की हानि पहुँचायी गयी। अतः रायल्टी दर रू0 9 से रू0 1654 की ब्याज सहित वसूली प्रधान चेतनाथ तथा सचिव दिलीप सिंह से किया जाना चाहिए।	—	—	1654												
24			मनरेगा के अन्तर्गत कुशल मजदूर/मिस्त्री को मजदूरी टेबल में दर्शित है समय के साथ मजदूरी नहीं है। यह सारे पक्का कार्य निर्माण को संदेहास्पद बना दिया है अन्यथा सारा कार्य फर्जी हो सकता। जिसके लिए सचिव तथा प्रधान जिम्मेदार होंगे। <table border="1"><thead><tr><th>दिनांक</th><th>धनराशि</th><th>मजदूरी रेट</th></tr></thead><tbody><tr><td>09.01.2012</td><td>14400</td><td>200</td></tr><tr><td>23.03.2012</td><td>4992</td><td>192</td></tr><tr><td>05.04.2013</td><td>13260</td><td>170</td></tr></tbody></table> मनरेगा के अन्तर्गत विभिन्न तिथियों में सामग्री खरीदी (रू0 52533) गयी पर कोई टैक्स न काट	दिनांक	धनराशि	मजदूरी रेट	09.01.2012	14400	200	23.03.2012	4992	192	05.04.2013	13260	170	—	—	32880
दिनांक	धनराशि	मजदूरी रेट																
09.01.2012	14400	200																
23.03.2012	4992	192																
05.04.2013	13260	170																

			राजस्व की हानि हुई। अतः आयकर दर 2.24% से 11867 तथा व्यापार कर रू0 21013 कुल रू0 32880 की ब्याज सहित वसूली प्रधान चेतनाथ तथा सचिव दिलीप सिंह से कर राजकीय कोषागार में जमा किया जाना अपेक्षित है।			
25			राज्य वित्त/13वां वित्त के अन्तर्गत विभिन्न तिथियों में निर्माण कार्य हेतु रू0 275002 का 1714.48 घन मी0 मिट्टी खरीदा गया। उक्त पर रायल्टी न देकर राजस्व की हानि पहुंचायी गयी। अतः रायल्टी रू0 17392 की ब्याज सहित वसूली प्रधान चेतनाथ तथा सचिव दिलीप सिंह से किया जाना अपेक्षित है।	—	—	17392
26			राज्य वित्त/13वां वित्त के अन्तर्गत विभिन्न तिथियों में निर्माण हेतु सामग्री रू0 10676350 खरीदकर उक्त पर टैक्स नहीं दिया गया। जिससे राजस्व की हानि हुई। अतः आयकर 2.24% से रू0 239081 तथा व्यापार कर दर 4% से रू0 427074 कुल रू0 666155 की ब्याज सहित वसूली चेतनाथ प्रधान तथा दिलीप सिंह से कर राजकीय कोषागार में जमा किया जाना अपेक्षित है।	—	—	666155
27			दिनांक 08.12.2014 को 13वां वित्त के अन्तर्गत तीन नाली निर्माण हेतु कुल रू0 604255 तथा दिनांक 25.02.2015 को अन्य कार्यों हेतु रू0 855219 कुल 1459474 का चेक एक ही साथ काटा गया। इनके कार्यों का एक साथ ही चेक काटना गलत है सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय स्वीकृति कैसे दी गयी फिर दो कार्यों का एक साथ ही चेक काटा गया। इनके कार्यों हेतु टेण्डर/कोटेशन भी नहीं लिया गया जो एक गम्भीर अनियमितता का प्रतीक है प्रधान चेतनाथ, सचिव दिलीप सिंह तथा जे0ई0 सभी जिम्मेदार है। इनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।	—	—	1459474
28			13वां वित्त के अन्तर्गत दिनांक 28.11.2011 तथा अन्य तिथियों में रू0 1127352 का चेक काटा गया। जिसमें 6 कार्य क्लब है स्पष्ट किया जाना है कि वित्तीय स्वीकृति कैसे की गयी एम0बी0 करने वाले अभियन्ता ने नियमों की घोर अवहेलना कर ऐसा किया है। जिसके लिए पंचायत सचिव दिलीप सिंह तथा प्रधान चेतनाथ जिम्मेदार है। यह पद के	—	—	1127352

			दुरुपयोग/अनियमितता का सीधा उदाहरण है। इनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।			
29			दिनांक 11.10.2012 को ₹0 7000 का चेक तथा 25.06.2013 को ₹0 5000 का चेक मनोज सिंह को परिवार रजिस्टर बनाने हेतु दिया गया। दिनांक 06.09.2012 को विद्या भूषण चौबे पत्रकार को दिनांक 07.01.2013 को सुधीर सिंह पत्रकार, दिनांक 13.10.2014 को तपस्था कान्हेक्टर को 7916 को चेक कुल ₹0 25916 का चेक निम्नलिखित को दिया गया। परन्तु व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण कर लिया गया। जिसके लिए प्रधान चेतनाथ तथा सचिव दिलीप सिंह जिम्मेदार है। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।	25916	—	—
30	रामपुर कोडहरा		दिनांक 12.03.2010 मनरेगा के अन्तर्गत ₹0 15800 का 253.8 घन मी0 मिट्टी आपूर्ति राजेन्द्र यादव द्वारा किया गया परन्तु शासन को रायल्टी नहीं देकर शासन को हानि पहुंचायी गयी। अतः रायल्टी दर 6 से 1523 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन सचिव दिनेश प्रसाद तथा प्र० दशरथ यादव से कर राजकीय कोषागार में जमा किया जाना अपेक्षित है।	—	—	1523
31			मनरेगा के अन्तर्गत 2014-15 में श्री राम गोंड के घर से श्री राम यादव के घर तक मिट्टी सोलिंग कार्य में ₹0 218576 की सामग्री क्रय कर कोई टैक्स न देकर राजस्व की हानि पहुंचायी गयी। अतः आयकर ₹0 4896 तथा व्यापार दर 8743 कुल ₹0 13639 ब्याज सहित वसूली मनोज गुप्ता सचिव तथा दशरथ यादव प्रधान से अपेक्षित है।	—	—	13639
32			मनरेगा के अन्तर्गत विभिन्न तिथियों में निर्माण कार्य हेतु सामग्री खरीदी गयी। उक्त पर टैक्स नहीं देकर राजस्व की हानि पहुंचायी गयी। अतः ₹0 15126 आयकर तथा व्यापार कर 27012 कुल ₹0 42138 की ब्याज सहित वसूली दिनेश प्रसाद सचिव तथा दशरथ यादव प्रधान से की जानी अपेक्षित है।	—	—	42138
33			राज्य वित्त/13वां वित्त के विभिन्न निर्माण कार्य हेतु सामग्री खरीद कर आयकर तथा व्यापार कर नहीं देकर राजस्व की हानि पहुंचायी गयी। अतः आयकर ₹0 5364 तथा व्यापार कर ₹0 9580 कुल ₹0 14944 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। (दिनेश	—	—	14944 72133

			प्रसाद सचिव व दशरथ यादव, प्रधान) पुनः मनोज कुमार गुप्ता तथा प्रधान दशरथ यादव से कुल रु0 72133 (आयकर 25894 तथा व्यापार कर रु0 46239) की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।			
34			मनरेगा के अन्तर्गत वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में क्रमशः रु0 1669623 तथा 1147694 कुल रु0 2817317 व्यय किया गया है। जिसकी वित्तीय स्वीकृति ए.डी. ओ. सहकारिता (प्रभारी) ने दिया है। मनरेगा में दिया गया कैशबुक भी स्पष्ट नहीं है क्योंकि कार्यों के जगह आई0डी0न0 लिखा है। बैंक पास से मिलान/दिये गये पत्रावली से मिलान करना अलग दुरुह कार्य रहा। पूर्व सचिव अन्यत्र पदस्थापित इस कार्य कोई स्पष्टीकरण सम्भव नहीं। उक्त वर्षों में गम्भीर अनियमितता दिखाई दे रही है। जिसके लिए कार्यक्रम अधिकारी/ए.डी. ओ. सहकारिता के0 के सम्बन्ध टी.ए., सचिव दिनेश प्रसाद तथा प्रधान दशरथ यादव जिम्मेदार है। इनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।	—	—	2817317
35			राज्य वित्त के अन्तर्गत वर्ष 2007-08 से 2009-10 तक के अभिलेख ले0प0 में नहीं दिया गया जबकि उक्त वर्षों में रु0 1526535 का व्यय हुआ है। अतः सम्पूर्ण व्यय धनराशि का अपहरण/गबन कर लिया गया है। तत्कालीन सचिव श्री दिनेश प्रसाद तथा प्रधान दशरथ यादव से सम्पूर्ण धनराशि की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।	1526535	—	—
36			मध्याह्न भोजन के अन्तर्गत वर्ष 2007-08 से वर्ष 2010-11 तक ग्राम पंचायत के विभिन्न विद्यालयों में रु0 444618 मध्याह्न भोजन पर व्यय हुआ है परन्तु संबंधित पत्रावली, अभिलेख ले0प0 में नहीं दिया गया। जिससे व्यय की पुष्टि नहीं हो गयी। वह गम्भीर अनियमितता का द्योतक है। तत्कालीन सचिव दिनेश प्रसाद तथा प्रधान दशरथ यादव जिम्मेदार है। इनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।	—	—	444618
37	कोड़हरा उपरवार		मनरेगा के अन्तर्गत विभिन्न तिथियों में सामग्रियों रु0 468988 की खरीदी गयी परन्तु कोई कर न देकर राजस्व की हानि पहुंचायी गयी। अतः आयकर दर 2.24 से 29266 रु0 10506 तथा व्यापार कर दर 4% से 18760 कुल रु0 29266 की ब्याज सहित वसूली प्रधान देवमुनी यादव तथा तत्कालीन सचिव	—	—	29266

			श्री दिलीप सिंह से किया जाना चाहिए।			
38			वर्ष 2014-15 में मनरेगा के अन्तर्गत दो पेवर्स हलाक निर्माण कार्य में रु0 439496 व्यय हुआ परन्तु आयकर व व्यापार कर नहीं काट कर राजस्व की हानि पहुंचायी गयी। अतः आयकर दर 2.24% से रु0 9845 तथा व्यापार कर दर 4% से रु0 17580 कुल रु0 27425 की ब्याज सहित वसूली प्रमोद प्रसाद सचिव तथा प्रधान देवमुनी यादव कर संबंधित शीर्ष में जमा किया जाना अपेक्षित है।	—	—	27425
39			मनरेगा के अन्तर्गत दिनांक 04.03.2011 को श्री राम गौड़ के घर से गढ़े तक नाली निर्माण हेतु रु0 64260 सामग्री पर व्यय किया गया है जबकि मजदूरी रु0 11040 दिनांक 30.09.2011 को 9 महिना बाद देने का क्या औचित्य है, स्पष्ट है कि सामग्री क्रय का मजदूरी नहीं देकर कुल रु0 75300 धन का अपहरण कर लिया गया है। प्रधान देवमुनी यादव तथा सचिव दिलीप सिंह जिम्मेदार है ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।	75300	—	—
40			दिनांक 17.11.2011 को पी0डब्लू0डी0 रोड से सत्यनारायण ठाकुर के घर तक मिट्टी कार्य एवं ह्यूम पाइप लगाने में रु0 32200 का ईट का टुकड़ा क्यों खरीदा गया। इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। अतः उक्त धनराशि का गबन/अपहरण कर लिया गया। जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान देवमुनी यादव तथा तत्कालीन सचिव दिलीप सिंह से किया जाना अपेक्षित है।	32200	—	—
41			दिनांक 12.12.2010 को राज्य वित्त के अन्तर्गत ह्यूम पाईप/स्पन पाईप क्रय किया गया। परन्तु इनको कार्य में उपयोग नहीं किया गया। अतः रु0 65380 का अपहरण कर लिया गया है। जिसके लिए तत्कालीन सचिव दिलीप सिंह तथा प्रधान देवमुनी यादव जिम्मेदार है ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।	65380	—	—
42			दिनांक 24.01.2011 को लक्ष्मण छपरा में वि” वेश्वर ब्रम्हा स्थान पर मिट्टी व पक्का चबूतरा बनाने के लिए रु0 86400 का ईट तथा रु0 19970 का मिट्टी खरीदा गया, परन्तु सीमेन्ट, बालू के बिना पक्का चबूतरा कैसे बना? मजदूरी पर रु0 53460 व्यय (मजदूर को रु0 38880 तथा मिस्त्री को रु0 14580) हैं। अतः यह पूरा कार्य फर्जी है सम्पूर्ण	159830	—	—

			धनराशि की ब्याज सहित वसूली सचिव दिलीप सिंह तथा प्रधान देवमुनी यादव से अपेक्षित है।																							
43			राज्य वित्त/13वां वित्त विभिन्न तिथियों में निर्माण कार्य हेतु रू0 2619188 सामग्री पर व्यय किया गया है जिस पर कोई आयकर व व्यापार कर नहीं लगाया गया। जिससे राजस्व की हानि हुई इसलिए आयकर दर 2.24% से 58670 तथा व्यापार दर 4% से 104762 कुल रू0 163432 की ब्याज सहित वसूली प्रधान देवमुनी यादव तथा तत्कालीन सचिव श्री प्रमोद प्रसाद, श्री दिलीप सिंह से किया जाना अपेक्षित है। <table> <tr> <td>नाम</td> <td>कुल धन राशि</td> <td>आयकर</td> <td>व्यापार</td> <td>कुल</td> </tr> <tr> <td>दिलीप कुमार सिंह</td> <td>801958</td> <td>17964</td> <td>32078</td> <td>50042</td> </tr> <tr> <td>विनोद कु0 तिवारी</td> <td>944180</td> <td>21150</td> <td>37762</td> <td>58912</td> </tr> <tr> <td>प्रमोद प्रसाद</td> <td>873050</td> <td>19556</td> <td>34922</td> <td>54478</td> </tr> </table>	नाम	कुल धन राशि	आयकर	व्यापार	कुल	दिलीप कुमार सिंह	801958	17964	32078	50042	विनोद कु0 तिवारी	944180	21150	37762	58912	प्रमोद प्रसाद	873050	19556	34922	54478	—	—	163432
नाम	कुल धन राशि	आयकर	व्यापार	कुल																						
दिलीप कुमार सिंह	801958	17964	32078	50042																						
विनोद कु0 तिवारी	944180	21150	37762	58912																						
प्रमोद प्रसाद	873050	19556	34922	54478																						
44			मनरेगा के अन्तर्गत रू0 4250881 व्यय है। जिसमें श्रमांश खाते सं0 3032963 तथा सामग्री पर रू0 1217618 व्यय हुआ मगर लेखा परीक्षा में माप पुस्तिका, मस्टररोल, जॉब कार्ड रजिस्टर इत्यादि नहीं देने के कारण उक्त की पुष्टि नहीं हो पायी। आलोच्य वर्ष में कुल 19352 मा0 दि0 कार्य किये गये है इतने कार्य के बाद शायद ही कोई काम ग्रा0पं0 में बचा रहेगा उच्च स्तरीय जॉच अपेक्षित है क्योंकि सोशल आर्डर की आख्या भी प्रस्तुत नहीं की गयी। ग्राम प्रधान श्री देवमुनी यादव, सचिव श्री प्रमोद प्रसाद एवं श्री दिलीप सिंह के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।	—	—	4250881																				
45	दलमी नं0 1		मनरेगा के अन्तर्गत वर्ष 2011-12 में दीनानाथ के घर से पुलियालीस सड़क तक नाली निर्माण तक रू0 175315 की सामग्री क्रय की गई। उक्त पर कोई कर	—	—	10940																				

			नहीं काटा गया। जिससे गम्भीर अनियमितता हुई। अतः उक्त पर आयकर 3927 तथा व्यापार कर 7013 कुल 10940 की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्रीमती जानकी देवी तथा तत्कालीन सचिव दिलीप कुं0 सिंह से अपेक्षित है			
46			मनरेगा के अन्तर्गत विभिन्न तिथियों में निर्माण कार्य हेतु कुल रु0 336364 की सामग्री खरीदी गयी, उक्त पर टैक्स न काटकर अनियमितता बरती गयी। अतः रु0 7534 आयकर 2.24% की दर से व व्यापार कर 4% से रु0 13454 कुल रु0 20988 की ब्याज सहित वसूली प्रधान जानकी देवी तथा सचिव दिलीप कुमार सिंह से अपेक्षित है तथा उक्त धनराशि को कोषागार में जमा किया जाना चाहिए।	—	—	20988
47			दिनांक 17.08.2012 को राज्य वित्त/13वां वित्त के अन्तर्गत चेक सं0 1827 से प्रधान द्वारा नगद रु0 15000 तथा दिनांक 12.09.2012 को चेक सं0 1829 से नगद रु0 46000 प्रधान द्वारा कुल रु0 61000 के आहरण किया गया। जिससे 16 स्ट्रीट लाइट खरीदना दिखाकर क्रय की पुष्टि में बाउचर प्रस्तुत नहीं करने के कारण स्टॉक रजिस्टर इत्यादि अप्राप्त रहा। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली श्रीमती जानकी देवी, प्रधान श्री दिलीप सिंह से किया जाना चाहिए।	61000	—	—
48			राज्य वित्त/13वां वित्त के अन्तर्गत निर्माण कार्य हेतु सामग्री खरीदी गयी परन्तु कोई कर न काटकर गम्भीर अनियमितता की गयी जिसमें सरकारी राजस्व की हानि पहुंचायी गयी। अतः उक्त पर आयकर रु0 33462 तथा व्यापार कर रु0 59756 कुल रु0 93218 की ब्याज सहित वसूली प्रधान जानकी देवी तथा तत्कालीन सचिव दिलीप सिंह से किया जाना अपेक्षित है।	—	—	93218
49			आलोच्य वर्षों में विभिन्न निर्माण कार्य हेतु मिट्टी खरीद की गई परन्तु शासन को कोई रायल्टी नहीं दी गयी जिससे गम्भीर अनियमितता हुई अतः रायल्टी रु0 5678 की ब्याज सहित वसूली श्रीमती जानकी देवी तथा सचिव दिलीप सिंह से किया जाना अपेक्षित है।	—	—	5678
50	सोनकी भांट		मनरेगा के अन्तर्गत विभिन्न तिथियों में निर्माण कार्य हेतु सामग्री खरीदी गयी परन्तु उक्त पर कोई	—	—	24202

			टैक्स (आयकर व व्यापार कर) न काट राजस्व की हानि पहुंचायी गयी। अतः आयकर दर 2.24% से 8688 तथा व्यापार कर 4% से 15514 कील रु0 24202 की ब्याज सहित वसूली प्रधान रणजीत सिंह एवं संजय सिंह से कर उक्त धन को कोषागार में जमा किया जाना अपेक्षित है।			
51			13वां वित्त तथा राज्य वित्त के अन्तर्गत निर्माण कार्य हेतु विभिन्न तिथियों में 1558298 की सामग्री खरीदी गयी परन्तु उक्त पर आयकर व व्यापार कर न काट कर राजस्व की हानि पहुंचायी गयी। अतः आयकर रु0 34910 तथा व्यापार कर 62332 कुल रु0 97242 की ब्याज सहित वसूली संजय सिंह सचिव तथा रणजीत सिंह प्रधान से की जानी अपेक्षित है तथा उक्त धनराशि को कोषागार में जमा किया जाना अपेक्षित है।	—	—	97242
52			मनरेगा के अन्तर्गत वर्ष 2010-11 से 2013-14 तक कुल 3184711 व्यय किया गया परन्तु इसकी पत्रावली कोषबही एम0वी0 इत्यादि लेखा परीक्षा में नहीं दी गयी लेबर खाते से रु0 2330080 व्यय किया गया जबकि सामग्री खाते से रु0 854631 खर्चा किया गया परन्तु उक्त की पुष्टि नहीं हो पायी। इसी प्रकार वर्ष 2014-15 का अभिलेख लेखा परीक्षा में नहीं देकर अनियमितता बरती गयी। शौचालय वर्ष 2013-14 में बना है परन्तु कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में नहीं दिया गया। ग्राम प्रधान श्री रणजीत सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संजय सिंह के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।	—	—	3184711
53	बहुआरा	मुरली छपरा	आपत्ति संख्या (1) मनरेगा के अन्तर्गत वर्ष 2012-13 में 5 कटान विरोधी कार्य गंगा नदी के किनारे तब किया गय जब माह अगस्त सितम्बर 2012 में भयंकर बाढ़ आया था तथा सामग्री पर व्यय रु0 769677 (मजदूरी रु0 568265 125 दिन की दर से) तथा सामग्री पर व्यय रु0 201412 हुआ। स्पष्टीकरण अपेक्षित है। (क) क्या कटान विरोधी कार्य मनरेगा के अन्तर्गत सही है। (ख) उच्च स्तरीय जांच किया जाना चाहिए कि बरसात के दिनों में क्या ऐसा कार्य करना उचित है क्योंकि सरकारी धन तो बाढ़ के पानी में बह गया।	769677	—	—

			(ग) अगर कटान विरोधी कार्य मनरेगा के अन्तर्गत वर्जित है तो ऐसे में वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने वाले तत्कालीन कार्यक्रम अधिकारी एम0वी0 करने वाले तकनीकी सहायक, प्रधान तथा ग्राम विकास अधिकारी जिम्मेदार है, जान बूझकर उक्त कार्य को दर्शाकर फर्जी कार्य कर धन का अपहरण कर लिया गया। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री राज नारायन सिंह व सचिव श्री मनोज गुप्ता से किया जाना चाहिए।			
54			मनरेगा के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 में सामग्री पर रु0 415450 व्यय हुआ परन्तु कोई भी टैक्स न देकर राजकीय राजस्व की हानि पहुंचायी गयी। अतः आयकर 2.24% की दर से रु0 9307 तथा व्यापार कर 4% की दर से रु0 16618 कुल रु0 25925 ग्राम प्रधान राजनरायन सिंह व सचिव श्री मनोज गुप्ता से ब्याज सहित वसूल कर सरकारी कोष में जमा करना अपेक्षित है।	—	—	25925
55			वर्ष 2013-14 राज्य वित्त के अन्तर्गत विभिन्न तिथियों में निर्माण कार्य पर सामग्री रु0 522860 की देकर परन्तु कोई कर न देकर राजस्व की हानि पहुंचायी गयी। अतः उक्त पर आयकर 2.24% की दर से रु0 11713 तथा व्यापार कर 4% की दर से रु0 20915 कुल रु0 32628 की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री राजनरायन सिंह तथा सचिव श्री मनोज गुप्ता से किया जाना चाहिए तथा उसे सरकारी कोषागार में जमा कराना अपेक्षित है।	—	—	32628
56			13वां वित्त के अन्तर्गत वर्ष 2011-12 में विभिन्न कार्य हेतु रु0 461471 का सामग्री खरीदी गयी परन्तु पंचायत द्वारा उक्त धन निकासी पर भासन को कोई टैक्स नहीं दिया गया। अतः आयकर 2.24% की दर से रु0 10337 व्यापार कर 4% की दर से रु0 18460 कुल रु0 287997 की ब्याज सहित वसूली प्रधान राजनारायन सिंह तथा सचिव श्री मनोज गुप्ता से ब्याज सहित वसूल कर राजकीय कोषागार में जमा किया जाना चाहिए।	—	—	28797
57			वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में विभिन्न कार्यों पर सामग्री रु0 2342150 की खरीद की गयी। उक्त पर आयकर 2.24% तथा व्यापार कर 4% की दर से	—	—	146149

			जमा नहीं किया गया। अतः आयकर रु0 52463 तथा व्यापार कर रु0 93686 कुल रु0 146149 की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री राजनरायन सिंह तथा सचिव श्री मनोज गुप्ता से कर राजकीय कोषागार में जमा किया जाना अपेक्षित है।			
58			दिनांक 08.05.2010 को राज्य वित्त के अन्तर्गत तीन कार्य हेतु रु0 116500 की सामग्री खरीदी गयी पुनः 12.06.2010 को रु0 122600 की सामग्री कुल रु0 239100 की सामग्री खरीदी गयी परन्तु कोई कर न देकर राजस्व की हानि हुई। अतः आयकर दर 5356 तथा व्यापार कर दर 4% रु0 9564 से कुल रु0 14920 की ब्याज सहित वसूली सचिव श्री मनोज गुप्ता तथा प्रधान सुमेर सिंह से किया जाना अपेक्षित है।	—	—	14920
59			वर्ष 2012-13 में राज्य वित्त के अन्तर्गत विभिन्न तिथियों में रु0 168960 दर 1407.93 एम ³ मिट्टी खरीद की गयी है परन्तु को रायल्टी नहीं दी गयी है। अतः रायल्टी दर 9/एम ³ की दर से 12672 की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री राजनारायन सिंह तथा सचिव श्री मनोज गुप्ता से कर कोषागार में जमा किया जाना चाहिए।	—	—	12672
60			मनरेगा के अन्तर्गत विभिन्न तिथियों में निर्माण कार्य हेतु सामग्री क्रय की गयी है परन्तु उक्त पर कोई टैक्स नहीं दिया गया है जिससे राजस्व की क्षति हुई है। सचिव श्री पी0वी0राय रु0 31481 आयकर 2.24% 5186, 4% सेल टैक्स रु0 9259 कुल रु0 14445 ब्याज सहित वसूल कर कोषागार में जमा किया जाना अपेक्षित है। सचिव श्री विनोद तिवारी रु0 2450454 आयकर 2.24% 5489 व्यापार कर 4% की दर से रु0 9800 कुल रु0 15290 की ब्याज सहित वसूली कर कोषागार में जमा किया जाना अपेक्षित है।	—	—	29735
61			दिनांक 15.09.2011 को 13वां वित्त के अन्तर्गत निर्माण कार्य हेतु रु0 16641 का 208 एम ³ की मिट्टी खरीद की गयी है परन्तु उक्त पर रायल्टी नहीं दी गयी हिस्से राजस्व की क्षति हुई। अतः उक्त धनराशि पर 9% की दर से 1872 प्रधान श्री कैलाश	—	—	1872

			राम तथा सचिव वी०पी०राय ब्याज सहित ब्याज सहित वसूल कर कोषागार में जमा किया जाना अपेक्षित है।			
62		मुरली छपरा	दिनांक 14.11.2011 को राज्य वित्त/13वां वित्त के अन्तर्गत रु० 15000 (चेक सं० 831951) ग्राम पंचायत में कुर्सी, मेज, आलमारी हेतु काटा गया परन्तु स्टाक रजिस्टर के अभाव में इसकी पुष्टि नहीं की जा सकी क्योंकि क्रय प्रमाणक भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उक्त धन का अपहरण कर लिया गया। जिसके लिए तत्कालीन सचिव श्री वी०पी०राय तथा प्रधान कैलाश राम जिम्मेदार है ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।	15000	—	—
63			दिनांक 13.08.2013 को दैनिक जागरण को रु० 5000 तथा 13.01.2015 को दैनिक हिन्दुस्तान को रु० 5000 कुल रु० 10000 दिया गया परन्तु क्रय प्रमाणक एवं विभाग पेपर के अभाव में पुष्टि नहीं की जा सकी। उक्त धन का फर्जी क्रय दिखाकर धन का अपहरण प्रधान श्री कैलाश राम तथा सचिव श्री विनोद तिवारी द्वारा कर लिया गया है। अतः ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।	10000	—	—
64			राज्य वित्त/तेरहवां वित्त के तहत विभिन्न तिथियों में निर्माण सामग्री रु० 1890271 की खरीद की गयी जिसपर आयकर 2.24% तथा व्यापार कर 4% की दर से नहीं काटा गया है। जिससे सरकार के राजस्व की हानि हुई है, अतः सभी तत्कालीन सचिव श्री वी०पी०राय, श्री विनोद तिवारी तथा श्री संजय सिंह जिम्मेदार है। उपर्युक्त जानकारी के अनुसार श्री वी०पी०राय दिनांक 25.10.2011 तक रहे उस कार्यकाल में 424505 की सामग्री खरीद की गयी। जिसपर आयकर 2.24% से रु० 9510 तथा व्यापार कर 4% दर से रु० 19622 कुल रु० 29132 श्री विनोद तिवारी दिनांक 20.02.2014 तक रहे उस दौरान रु० 1465766 से रु० आयकर 2.24% से 32533 तथा व्यापार कर रु० 58631 कुल रु० 91464 रहा। इस प्रकार कुल कटौती की धनराशि रु० 120596 रही। उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली दोनों सचिवों से कर कोषागार में जमा किया जाना अपेक्षित है।	—	—	120596

65			राज्य वित्त/तेरहवां वित्त के अन्तर्गत 14.04.2012 को खड़जा निर्माण हेतु रू0 138376 की सामग्री खरीदी गयी परन्तु कोई कर न देकर राजस्व की हानि पहुंचायी गयी। अतः आयकर 2.24% से रू0 3100 तथा व्यापार कर 4% की दर से रू0 5535 कुल रू0 8635 की प्रधान श्री विजय बहादुर सिंह तथा सचिव श्री मनोज गुप्ता से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूली कर कोषागार में जमा किया जाना अपेक्षित है।	—	—	8635
66			दिनांक 03.02.2014 को खड़जा निर्माण हेतु रू0 115519 की सामग्री क्रय की गयी जिस पर आयकर रू0 2588 तथा व्यापार कर रू0 4621 कुल रू0 7209 की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री विजय बहादुर सिंह तथा सचिव श्री मनोज गुप्ता से की जानी अपेक्षित है।	—	—	7209
67			दिनांक 17.06.2014 को प्रा0वि0 शिवपुर में शौचालय निर्माण में रू0 100762 की सामग्री क्रय की गयी परन्तु उक्त पर आयकर व व्यापार कर नहीं काटा गया। अतः आयकर रू0 2257 तथा व्यापार कर रू0 4030 कुल रू0 6287 की प्रधान श्री विजय बहादुर सिंह तथा सचिव श्री मनोज गुप्ता से ब्याज सहित वसूली कर कोषागार में जमा किया जाना अपेक्षित है।	—	—	6287
68	इब्राहिमवाद उपरवार	मुरली छपरा	मनरेगा के अन्तर्गत दिनांक 02.02.2011 को सामग्री खाते में रू0 113420 क्रय किया गया परन्तु खरीद के सापेक्ष मिस्त्री/कुशल मजदूर को कोई मजदूरी नहीं दी गयी। इस प्रकार बिना कुशल मजदूर के कार्य कराना असंभव/संदिग्ध प्रतीत होता है। इस प्रकार रू0 113420 का अपहरण प्रधान तथा ग्रा0वि0अ0 श्री दिनेश प्रसाद द्वारा कर लिया गया। इसी प्रकार दिनांक 04.10.2012 को जगनारायण सिंह के घर तथा सुरेन्द्र सिंह के घर तक नाली कवर सहित निर्माण में मिस्त्री को कोई भी मजदूरी नहीं दी गयी जबकि एम0वी0 के अनुसार सामग्री की धनराशि रू0 257075 रही। परन्तु एम0वी0 के अनुसार रू0 6000 का सरिया चाहिए जो क्रय नहीं किया गया। बिना सरिया के नाली ढक्कन का निर्माण कैसे किया गया अज्ञात रहा। अतः फर्जी एम0वी0 बनाकर ससंधान का अपहरण सचिव श्री शिवसागर दूबे प्रधान	370495	—	—

			श्री विनोद सिंह तथा जे.ई.टी.ए.द्वारा कर लिया गया। अतः कुल रु0 370495 की ब्याज सहित वसूली उक्त लोगों से किया जाना अपेक्षित है। एम0वी0 के अनुसार अकुशल मजदूर को सं0 125 से 13260 दिया जाना चाहिए जबकि मजदूरी रु0 20625 दिया गया है।																																	
69			मनरेगा के अन्तर्गत विभिन्न तिथियों में निर्माण कार्य हेतु सामग्री खरीदी गयी परन्तु टैक्स (आयकर + व्यापार कर) नहीं काटा गया। अतः उक्त सामग्री पर आयकर 2.24% से रु0 6466 तथा व्यापार कर 4% की दर से रु0 11715 कुल रु0 17581 की कटौती श्री विनोद कुमार सिंह (प्रधान) तथा सचिव श्री दिनेश प्रसाद से ब्याज सहित वसूली कर कोषागार में जमा किया जाना चाहिए।	—	—	17581																														
70			आलोच्य वर्ष 2010—11 से 2014—15 के दौरान राज्य वित्त/13वां वित्त के अन्तर्गत विभिन्न तिथियों में निर्माण कार्य हेतु सामग्री खरीदी गयी परन्तु उस पर आयकर व्यापार कर की कटौती नहीं की गयी है। जिससे सरकार के राजस्व की क्षति हुई। अतः निम्न धनराशि की प्रधान श्री विनोद कुमार सिंह तथा सचिव श्री दिनेश प्रसाद शिवसागर दूबे विनोद तिवारी तथा दिलीप सिंह से रु0 288919 पर आयकर 2.24% तथा 4% व्यापार कर से रु0 511887 ब्याज सहित वसूली कर कोषागार में जमा किया जाना अपेक्षित है। <table><tr><th>क्र. सं.</th><th>सचिव का नाम</th><th>कार्य—काल</th><th>आय कर</th><th>व्यापार कर</th><th>योग</th></tr><tr><td>1</td><td>दिनेश प्रसाद</td><td>27.1.11 से 29.5.12</td><td>79173</td><td>141349</td><td>220522</td></tr><tr><td>2</td><td>शिव सागर</td><td>7.7.12 से 18.12.12</td><td>31437</td><td>56138</td><td>87575</td></tr><tr><td>3</td><td>दिनेश प्रसाद</td><td>22.3.13 से 20.4.14</td><td>10376 4</td><td>185296</td><td>289060</td></tr><tr><td>4</td><td>दिनेश प्रसाद</td><td>22.4.14 से अब तक</td><td>74545</td><td>129074</td><td>203619</td></tr></table> विस्तृत सारणी सामान्य लेखा परीक्षा में दर्शित है। अतः प्रधान श्री विनोद कुमार सिंह तथा उपर्युक्त	क्र. सं.	सचिव का नाम	कार्य—काल	आय कर	व्यापार कर	योग	1	दिनेश प्रसाद	27.1.11 से 29.5.12	79173	141349	220522	2	शिव सागर	7.7.12 से 18.12.12	31437	56138	87575	3	दिनेश प्रसाद	22.3.13 से 20.4.14	10376 4	185296	289060	4	दिनेश प्रसाद	22.4.14 से अब तक	74545	129074	203619	—	—	800776
क्र. सं.	सचिव का नाम	कार्य—काल	आय कर	व्यापार कर	योग																															
1	दिनेश प्रसाद	27.1.11 से 29.5.12	79173	141349	220522																															
2	शिव सागर	7.7.12 से 18.12.12	31437	56138	87575																															
3	दिनेश प्रसाद	22.3.13 से 20.4.14	10376 4	185296	289060																															
4	दिनेश प्रसाद	22.4.14 से अब तक	74545	129074	203619																															

			सचिव से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।			
71			दिनांक 27.07.2012 की छात्रवृत्ति खाते से रू0 396000 चेक संख्या 511148 से प्रधान द्वारा आहरित है। चूंकि लेखा परीक्षा में छात्रवृत्ति बच्चों की दी गयी अथवा नहीं अज्ञात रहा। अतः उच्च स्तरीय जांच आवश्यक है अन्यथा इस धनराशि का निश्चित रूप से अपहरण/गबन कर लिया गया है। इसके लिए सचिव श्री शिवसागर दूबे तथा प्रधान श्री विनोद सिंह जिम्मेदार है। इनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।	396000	—	—
72	चाँद दियर		मनरेगा के अन्तर्गत दिनांक 20.01.2013 को देवमुनी चौधरी के घर से राजनारायन के घर होते हुए गड़ढे तक नाली निर्माण में कुल 52390 की सामग्री खरीद है परन्तु मजदूरी पर व्यय नहीं है। इस प्रकार मनरेगा के तकनीकी सहायक अज्ञात प्रमोद कुमार ग्रा0वि0अधि0 तथा विमल देवी प्रधान द्वारा फर्जी एम0बी0 की धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।	52390	—	—
73			मनरेगा के अन्तर्गत विभिन्न तिथियों में निर्माण हेतु रू0 737919 की सामग्री खरीदी गयी परन्तु उस पर कोई टैक्स नहीं काट राजस्व की हानि पहुंचायी गयी। अतः आयकर 2.24% से 16531 तथा व्यापार कर 4% रू0 29517 कुल रू0 46048 की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्रीमती विमल देवी तथा ग्रा0पं0अधि0 श्री प्रमोद प्रसाद से अपेक्षित है।	—	—	46048
74			मनरेगा के अन्तर्गत वर्ष 2012-13 में दो कार्यों पर 137 घन मी0 मिट्टी रू0 140 घन मी0 से क्रय किया गया परन्तु शासन को रायल्टी न देकर शासन को हानि पहुंचायी गयी। अतः रायल्टी की धनराशि रू0 1233 की ब्याज सहित वसूली विमल देवी प्रधान तथा प्रमोद प्रसाद सचिव से कर राजकीय कोषागार के शीर्ष में जमा कराना अपेक्षित है।	—	—	1233
75			राज्य वित्त/13वां वित्त के अन्तर्गत विभिन्न तिथियों में कार्यों हेतु सामग्री क्रय कर कोई टैक्स नहीं दिया गया। अतः आयकर दर 2.24% से 71517 तथा व्यापार कर रू0 127718 कुल रू0 199235 की ब्याज सहित वसूली प्रधान विमल देवी तथा सचिव प्रमोद प्रसाद से कर राजकीय कोषागार के शीर्ष में	—	—	199235

			जमा करना अपेक्षित है।			
76			राज्य वित्त/13वां वित्त के अन्तर्गत वर्ष 2011-12 में विभिन्न तिथियों में 802.76 सी. यू./एम. मिट्टी दर रु0 85 सी. यू./एम रु0 68134 वर्ष 2012-13 में कुल 714.75 घन मी0 दर 160 रु0 से रु0 114360, वर्ष 2013-14 में 327.79 सी. यू./एम दर रु0 180 से रु0 59000 की मिट्टी खरीदी गयी। उक्त पर रायल्टी दर रु0 9 से 16607 की रायल्टी ब्याज सहित वसूल कर (प्रधान विमला देवी तथा प्रमोद प्रसाद सचिव) राजकीय कोषागार में जमा किया जाना अपेक्षित है।	16607	—	16607
77			छात्रवृत्ति के अन्तर्गत दिनांक 08.08.2012 को रु0 139680 चेक सं0 445749 एवं दिनांक 28.08.2012 को रु0 180000 चेक सं0 44575 कुल रु0 319680 की निवासी की गयी है परन्तु कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा तथा छात्रवृत्ति वितरण रजिस्टर, जिला बेसिक अधिकारी द्वारा अनुमोदित सूची इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर उक्त धन का अपहरण कर लिया गया। प्रधान विमल देवी तथा सचिव प्रमोद प्रसाद से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।	319680	—	—
78	सुकरौली	मुरली छपरा	मनरेगा के अन्तर्गत विभिन्न तिथियों में निर्माण कार्य हेतु रु0 104200 की सामग्री खरीदी गयी परन्तु आयकर तथा व्यापार कर नहीं काटने के कारण राजस्व की हानि हुई। अतः आयकर 2.24 % की दर से रु0 2333 तथा व्यापार कर 4% की दर से रु0 4166 कुल 6501 की ब्याज सहित वसूली प्रधान रामदेव यादव एवं सचिव दिलीप कुमार सिंह से करते हुए राजकीय कोषागार में जमा कराया जाना अपेक्षित है।	—	—	6501
79			राज्य वित्त/13वां वित्त के अन्तर्गत विभिन्न तिथियों में निर्माण हेतु रु0 84333 की सामग्री खरीद कर कोई टैक्स नहीं काटा गया है। जिससे राजस्व की हानि हुई। अतः उक्त पर 2.24% की दर से आयकर रु0 18892 तथा 4% की दर से व्यापार कर रु0 33734 कुल रु0 52626 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान रामदेव यादव एवं सचिव दिलीप सिंह से करते हुए संबंधित कोषागार के शीर्ष में जमा कराया जाना चाहिए।	—	—	52626
80			दिनांक 01.02.2013 को निर्माण हेतु राज्य वित्त	—	—	1125

			के अन्तर्गत रू0 20000 का 125 घनमी0 रू0 160 की दर से मिट्टी खरीदी गयी परन्तु शासन को रायल्टी न देकर राजस्व की हानि पहुंचायी गयी। अतः रायल्टी रू0 9 की दर से रू0 1125 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान रामदेव यादव एवं दिलीप सिंह से करते हुए राजकीय कोषागार में जमा कराया जाना चाहिये।			
81			मनरेगा के अन्तर्गत वर्ष 2010-11 से 2013-14 तक रू0 2300253 व्यय हुआ, परन्तु इससे संबंधित पत्रावली, मस्टररोल एवं प्रमाणक लेखा परीक्षा में नहीं दिया गया। श्रमांश खाते से रू0 1791618 का व्यय तथा सामग्री खाते से रू0 508635 खर्च किया गया। उक्त के लिए मनरेगा कार्यक्रम अधिकारी प्रधान रामदेव यादव तथा सचिव दिलीप सिंह जिम्मेदार है। वित्तीय स्वीकृति एवं व्यय से संबंधित उच्च स्तरीय जांच अपेक्षित है। वर्ष 2013-14 में कुल 73 शौचालय निर्माण कराया गया। उक्त से संबंधित कोई अभिलेख नहीं दिया गया। इनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।	—	—	2300253
82			छात्रवृत्ति खाते के अन्तर्गत वर्ष 2010-11 से 2012-13 तक कुल रू0 236100 छात्रवृत्ति बांटी गयी। परन्तु वितरण से संबंधित कोई अभिलेख लेखा परीक्षा में नहीं दिया गया। अभिलेख के अभाव में गंभीर अनियमितता रही। इसके लिए ग्राम प्रधान रामदेव यादव एवं सचिव दिलीप सिंह जिम्मेदार है। इनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।	—	—	236100
83	शिवपुर कपूर दियर	मुरली छपरा	मनरेगा के अन्तर्गत सामग्री खाते से रू0 38007 का चेक मकर ध्वज को मिट्टी आपूर्ति 1309 घ0मी0 दर 123 दिया गया परन्तु रायल्टी नहीं काट शासन को हानि पहुंचायी गयी। अतः रू0 11791 की ब्याज सहित वसूली (दर रू0 9 सी. यू./एम) प्रधान सुशीला देवी तथा सचिव संजय सिंह से किया जाना अपेक्षित है।	—	—	11781
84			मनरेगा के अन्तर्गत विभिन्न तिथियों में निर्माण कार्य हेतु रू0 374521 की सामग्री खरीदी है परन्तु कोई टैक्स न काट राजस्व की हानि पहुंचायी गयी। अतः आयकर दर 2.24% से 8384 तथा व्यापार कर दर 4% से 14980 कुल 23369 की ब्याज सहित वसूली सुशीला देवी प्रधान तथा सचिन संजय सिंह	—	—	23369

			कर राजकीय कोषागार में जमा किया जाना अपेक्षित है।			
85			राज्य वित्त/13वां वित्त के अन्तर्गत विभिन्न तिथियों में कार्यों हेतु रू0 1377025 की सामग्री खरीदी गयी परन्तु कोई कर न देकर राजस्व की हानि पहुंचायी है। अतः आयकर व व्यापार कर क्रमशः रू0 30543 तथा व्यापार कर 55081 कुल रू0 85624 की ब्याज सहित वसूली सुशीला देवी तथा संजय सिंह सचिव से किया जाना अपेक्षित है।	—	—	85624
86	इब्राहिमाबाद नौवरा	मुरली छपरा	मनरेगा के अन्तर्गत विभिन्न तिथियों में रू0 104295 की सामग्री खरीदी गयी। उस पर आयकर 2.24% तथा व्यापार कर 4% नहीं देकर राजस्व को हानि पहुंचायी गयी। अतः आयकर रू0 2336 तथा व्यापार कर 4172 कुल रू0 6508 की ब्याज सहित वसूली प्रधान बच्चा जी यादव तथा सचिव संजय सिंह से करते हुए संबंधित शीर्ष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।	—	—	6508
87			राज्य वित्त/13वां वित्त के अन्तर्गत विभिन्न तिथियों में रू0 1561700 की सामग्री निर्माण हेतु खरीदी जिसपर आयकर 2.24% तथा व्यापार कर 4% से नहीं काटकर राजस्व को हानि पहुंचायी गयी। अतः आयकर रू0 34989 तथा व्यापार कर रू0 62468 कुल रू0 97457 की ब्याज सहित वसूली प्रधान बच्चा जी यादव तथा सचिव संजय सिंह से करते हुए राजकीय कोषागार के संबंधित शीर्ष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।	—	—	97457
88	दलन छपरा		दिनांक 10.04.2011 को मनरेगा के अन्तर्गत रू0 14900 का डिजिटल कैमरा चेक सं0 351164 से खरीदा गया। लेखा परीक्षा में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया और स्टॉक रजिस्टर में भी लेखा नहीं है। इस प्रकार फर्जी क्रय दिखाकर धन का अपहरण किया गया है। इसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री राजनारायन तथा सचिव प्रमोद कुमार से की जानी अपेक्षित है।	14900	—	—
89			दिनांक 15.09.2011 को 13वां वित्त के अन्तर्गत रू0 45000 व 30000 (चेक सं0 0831222 तथा 831224) निकाला गया परन्तु इसका विवरण कैशबुक में दर्ज नहीं कर धन का अपहरण किया गया है। उक्त की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान राजनारायन	75000	—	—

			तथा सचिव प्रमोद प्रसाद से की जाये।			
90			राज्य वित्त/13वां वित्त के अन्तर्गत विभिन्न तिथियों में निर्माण हेतु रू0 351502 की 3023 घन मी0 खरीदी गयी परन्तु भासन को रायल्टी नहीं देकर राजस्व को क्षति पहुंचायी गयी। अतः रायल्टी रू0 2859 की ब्याज सहित वसूली प्रधान राजनारायन तथा सचिव प्रमोद प्रसाद से करते हुए सरकारी कोषागार में जमा कराया जाना अपेक्षित है।	—	—	28595
91			राज्य वित्त के अन्तर्गत दिनांक 10.05.2011 को धन जी के मकान से श्री भगवान के पूर्व नाली तथा कवर कार्य हेतु रू0 57382 की सामग्री खरीदी गयी परन्तु बिना ईट के नाली का निर्माण सम्भव नहीं है। अतएव उक्त धन का अपहरण कर लिया गया। उक्त की ब्याज सहित वसूली प्रधान राजनारायन तथा सचिव प्रमोद प्रसाद से की जानी अपेक्षित है।	57382	—	—
92			आलोच्य वर्ष में राज्य वित्त/13वां वित्त के अन्तर्गत निर्माण हेतु रू0 2226588 की सामग्री विभिन्न तिथियों में खरीदी गयी परन्तु कोई टैक्स न देकर राजस्व की हानि पहुंचायी गयी। अतः 2.24% की दर से आयकर तथा 4% की दर से व्यापार कर क्रमशः 49876 तथा 89062 कुल रू0 138938 की ब्याज सहित वसूली प्रधान राजनारायन तथा सचिव प्रमोद प्रसाद से की जाये।	—	—	138938
93			वर्ष 2014-15 में 13वां वित्त के अन्तर्गत निर्माण कार्य हेतु विभिन्न तिथियों में मिट्टी रू0 96400 का कुल 496.85 घ0मी0 खनन कर रायल्टी शासन को न देकर राजस्व की क्षति पहुंचायी गयी। अतः रायल्टी रू0 6956 प्रधान श्री राजनारायन एवं सचिव श्री प्रमोद प्रसाद से ब्याज सहित वसूल कर राजकीय कोषागार में जमा कराया जाये।	—	—	6956
94	रामपुर	मुरली छपरा	दिनांक 18.03.2011 को मनरेगा के अन्तर्गत (अकाउन्ट 10064) लेवर खाते से रू0 58076 का चेक सिसोदिया सीमेन्ट स्टोर को दिया गया जबकि कोई पक्का कार्य नहीं कराया गया है। इस प्रकार धन का अपहरण किया गया है। लेवर खाते से सामग्री क्रय भी अनियमितता रहा। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्रीमती देवन्ती देवी तथा सचिव श्री प्रमोद प्रसाद से की जानी अपेक्षित है।	58076	—	—

95			दिनांक 02.04.2011 को मनरेगा सामग्री खाते (अकाउन्ट नं0. 11698) से चेक सं0 351906 से रू0 50850 का चेक बजरंग ईट भट्ठा को दिया गया है परन्तु उक्त तिथि में कोई पक्का कार्य न कराकर मात्र मिट्टी कार्य कराकर धन का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती देवन्ती देवी एवं सचिव श्री प्रमोद प्रसाद से ब्याज सहित वसूल किया जाना चाहिए।	50850	—	—
96			दिनांक 21.03.2012 को मनरेगा के अन्तर्गत मिस्त्री/कुशल मजदूर को रू0 8000 का भुगतान चेक सं0 0351920 से किया गया है परन्तु कोई कार्य नहीं कराया गया है। अतः उक्त धन का अपहरण किया गया है। उक्त धन की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती देवन्ती देवी एवं सचिव श्री प्रमोद प्रसाद से की जानी अपेक्षित है।	8000	—	—
97			राज्य वित्त/13वां वित्त के अन्तर्गत विभिन्न तिथियों में मिट्टी खनन/क्रय (रू0 294720 का 1852.75 घ0मी0) करके शासन को रायल्टी नहीं देकर राजस्व की हानि पहुंचायी गयी। कुल रायल्टी रू0 17676 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती देवन्ती देवी एवं सचिव श्री प्रमोद प्रसाद से करते हुए राजकीय कोषागार में जमा कराया जाना अपेक्षित है।	—	—	17676
98			वर्ष 2014-15 में तेरहवां वित्त के अन्तर्गत विभिन्न तिथियों में शिव शंकर/शक्ति ईट भट्ठा दोनों से रू0 343900 का ईट खरीद हेतु चेक दिया गया परन्तु कोई आयकर/व्यापार कर नहीं काट कर राजस्व की क्षति की गयी है। उक्त धनराशि पर 2.24% की दर से आयकर रू0 7703 तथा 4% की दर से व्यापार कर रू0 13756 कुल रू0 21459 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती देवन्ती देवी एवं सचिव श्री प्रमोद प्रसाद से करते हुए राजकीय कोषागार में जमा कराना अपेक्षित है।	—	—	21459
99			वर्ष 2014-15 में तेरहवां वित्त के अन्तर्गत विभिन्न तिथियों में रू0 152400 की निर्माण सामग्री क्रय कर कोई कर शासन को न देकर राजस्व की हानि पहुंचायी गयी है। उक्त पर आयकर 2.24% की दर से रू0 3414 तथा व्यापार कर 4% की दर से रू0 6096 कुल रू0 9510 की ब्याज सहित वसूली प्रधान	—	—	9510

			श्रीमती देवन्ती देवी एवं सचिव श्री प्रमोद प्रसाद से करते हुए संबंधित राजकीय कोषागार में जमा कराया जाना अपेक्षित है।			
100			छात्रवृत्ति के अन्तर्गत दिनांक 12.12.2012 को चेक संख्या 351855 से रू0 100000 की धनराशि निकाली गयी। परन्तु छात्रवृत्ति से संबंधित कोई अभिलेख न प्रस्तुत धन का अपहरण किया गया है। उक्त की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती देवन्ती देवी एवं सचिव श्री प्रमोद प्रसाद से की जानी अपेक्षित है।	100000	—	—
101	हृदयपुर	मुरली छपरा	दिनांक 05.06.2013 को राज्य वित्त के अन्तर्गत महन्त गौड़ के घर से संतोष यादव के घर तक खड़न्जा मरम्मत कार्य तथा दीनदयाल के घर से बच्चा यादव के घर होते हुए योगेन्द्र यादव के घर तक नाली उच्चीकरण कार्य में विभिन्न तिथियों में कुल रू0 297560 नकद निकाल कर एवं उक्त का लेखांकन कैशबुक में न कर उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री किशुन यादव तथा सचिव श्री विनोद तिवारी से की जानी अपेक्षित है।	297560	—	—
102			दिनांक 05.12.2013 को 13वां वित्त के अन्तर्गत रू0 100000 प्रधान श्री किशुन यादव द्वारा चेक (सं0 7278) से निकाल कर व उक्त का कैशबुक में लेखांकन न कर अपहरण किया गया है। उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली श्री विनोद तिवारी से की जानी अपेक्षित है।	100000	—	—
103			दिनांक 20.03.2015 तथा अन्य तिथियों में 13वां वित्त के अन्तर्गत श्री योगेन्द्र यादव के घर से गोवर्धन बाबा तक पेवर्स ब्लाक के निर्माण में सामग्री रू0 382300 मी0 खरीदी गयी। इस पर न ही कोई कर दिया गया। अतः आयकर रू0 8564 तथा व्यापार कर रू0 15292 कुल रू0 23856 की प्रधान श्री किशुन यादव एवं सचिव श्री विनोद तिवारी से कर संबंधित राजकीय कोषागार में जमा कराया जाये। साथ उक्त कार्य पर कोई मजदूरी भुगतान नहीं है जिससे स्पष्ट है कि उक्त कार्य नहीं हुआ है। उक्त सम्पूर्ण धनराशि अपहरण की गयी है। ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।	382300	—	—
104			13वां वित्त के अन्तर्गत दिनांक 07.08.2014 को नाली निर्माण हेतु रू0 27900 की सामग्री खरीदी गयी	27900	—	—

			किन्तु कोई मजदूरी नहीं दिया गया। अतः उक्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया। उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री किशुन यादव एवं सचिव श्री प्रमोद प्रसाद से की जानी अपेक्षित है।			
105			वर्ष 2014-15 में 13वां वित्त के अन्तर्गत विभिन्न तिथियों में निर्माण कार्य हेतु रु0 1358158 की सामग्री खरीदी गयी है। उक्त पर टैक्स न देकर राजकीय राजस्व की हानि पहुंचायी गयी। अतः आयकर 2.24% से रु0 31319 तथा व्यापार कर 4% की दर से रु0 5596 कुल रु0 87245 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री किशुन यादव एवं सचिव श्री प्रमोद कुमार से करते हुए राजकीय कोषागार में जमा कराया जाये।	—	—	87245
106			13वां वित्त के अन्तर्गत विभिन्न तिथियों में निर्माण कार्य हेतु मिट्टी रु0 132238 की कुल 738.55 घन मीटर खरीदी गयी है परन्तु रायल्टी की धनराशि न देकर अनियमितता की गयी। अतः रायल्टी की धनराशि रु0 10340 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री किशुन यादव एवं सचिव श्री प्रमोद कुमार से करते हुए राजकीय कोषागार में जमा कराया जाना अपेक्षित है।	—	—	10340
107			दिनांक 09.05.2014 को नाली निर्माण हेतु ईट श्री कृष्ण ईट भट्टा से रु0 54000 चेक सं0 16407 तथा अन्य सामग्री हेतु सुनील ट्रेडर्स को रु0 44000 चेक सं0 16416 द्वारा दिया गया है परन्तु कोई मजदूरी न देकर धन का अपहरण कर लिया गया है अस्तु ग्राम प्रधान श्री किशुन यादव तथा सचिव श्री प्रमोद कुमार से संयुक्त रूप से रु0 100000 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।	100000	—	—
108	भोजापुर	मुरली छपरा	दिनांक 25.10.2012 को मनरेगा के अन्तर्गत मिट्टी सोलिंग कार्य हेतु रु0 75480.00 का ईट खरीदा गया जिस पर कोई कर नहीं काटा गया है। जिससे राजस्व की हानि हुई है। अतः उक्त पर आयकर 2.24% की दर से रु0 1691.00 तथा व्यापार कर 4% की दर से रु0 3019.00 कुल रु0 4710.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री विनायक मोर्य तथा सचिव श्री मनोज गुप्ता से करते हुए राजकीय कोषागार में जमा कराया जाना अपेक्षित है।	—	—	4710
109	भोजापुर	मुरली	दिनांक 15.06.2012 तथा अन्य तिथियों में रु0	—	—	9200

		छपरा	147436.00 का सामग्री खरीदी गयी परन्तु कोई कर नहीं काटकर राजस्व की हानि पहुंचायी गयी। अतः आयकर 2.24% की दर से 3303.00 तथा व्यापार कर 4% की दर से ₹0 5897.00 कुल ₹0 9200.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री विनायक मौर्य तथा सचिव श्री दिनेश प्रसाद से करते हुए राजकीय कोषागार में जमा कराया जाना अपेक्षित है।			
110	भोजापुर	मुरली छपरा	दिनांक 20.06.2013 को राज्य वित्त के अन्तर्गत खडंजा निर्माण हेतु ₹0 121230.00 ईंट खरीदा गया परन्तु कोई कर नहीं काटा गया। अतएव आयकर 2.24% की दर से ₹0 2716.00 तथा व्यापार कर 4% की दर से ₹0 4849.00 कुल ₹0 7565.00 की ब्याज सहित वसूली सचिव श्री मनोज गुप्ता तथा प्रधान श्री विनायक मौर्य से करते हुए राजकीय कोषागार में जमा कराया जाये।	—	—	7565
111	भोजापुर	मुरली छपरा	दिनांक 17.11.2014 को मिट्टी खडंजा कार्य निर्माण हेतु ₹0 161353.00 का ईंट तथा ₹0 42904.00 की अन्य सामग्री कुल ₹0 207257.00 पर कोई कर नहीं काटा गया है। जिसमें आयकर 2.24% की दर से ₹0 4643.00 तथा व्यापार कर 4% की दर से ₹0 8290.00 कुल ₹0 12933.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री विनायक मौर्य एवं सचिव श्री दिनेश प्रसाद से करते हुए राजकीय कोषागार में जमा करना अपेक्षित है।	—	—	12933
112	भोजापुर	मुरली छपरा	दिनांक 26.02.2015 को खडंजा कार्य हेतु ₹0 299182 की सामग्री खरीद पर कोई टैक्स नहीं लिया गया है। जिसके कारण राजकीय राजस्व की हानि हुई। उक्त पर आयकर 2.24% की दर से ₹0 6702 तथा 4% की दर से व्यापार कर ₹0 11967 कुल ₹0 18669 की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री विनायक मौर्य एवं सचिव श्री मनोज गुप्ता से करते हुए राजकीय कोषागार में जमा कराया जाना अपेक्षित है।	—	—	18699
113	सूर्यभानपुर	मुरली छपरा	मनरेगा के अन्तर्गत आलोच्य वर्षों में विभिन्न कार्यों हेतु सामग्री ₹0 20063.00 की खरीदी गयी परन्तु कर नहीं काट कर राजस्व को हानि पहुंचायी गयी। इसलिए आयकर 2.24% से ₹0 4497.00 तथा व्यापार कर 4% से ₹0 8024.00 कुल ₹0 12518.00	—	—	12518

			की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्रीमती पूनम तिवारी तथा सचिव श्री प्रमोद प्रसाद से करते हुए सरकारी कोषागार के संबंधित शीर्ष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।			
114	सूर्यभानपुर	मुरली छपरा	राज्य वित्त/13वां वित्त के अन्तर्गत आलोच्य वर्षों में कुल रू0 135482.00 को निर्माण सामग्री खरीदी गयी। उक्त पर आयकर तथा व्यापार कर नहीं काटकर राजस्व की हानि पहुंचायी गयी। अतः आयकर 2.24% से रू0 30338.00 तथा व्यापार कर 4 की दर से रू0 54200.00 कुल रू0 84538.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्रीमती पूनम तिवारी तथा सचिव श्री प्रमोद प्रसाद से कर राजकीय कोषागार के संबंध शीर्ष में जमा कराया जाये।	—	—	84538
115	सूर्यभानपुर	मुरली छपरा	दिनांक 16.09.2014 को 13वां वित्त के अन्तर्गत खडंजा निर्माण हेतु रू0 27000.00 चेक सं0 17579 से 137.75 घन मीटर मिट्टी खरीदा गया परन्तु भासन को रायल्टी रू0 1929 देकर हानि पहुँचायी गयी। अतः रू0 1929.00 रायल्टी की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री पूनम तिवारी तथा सचिव श्री प्रमोद प्रसाद से करते हुए राजकीय कोषागार में जमा कराया जाना अपेक्षित है।	—	—	1929
116	श्रीपतिपुर	मुरली छपरा	मनरेगा के अन्तर्गत विभिन्न तिथियों में रू0 391300.00 की सामग्री खरीदी गयी परन्तु कोई कर नहीं देकर राजस्व को हानि पहुँचायी गयी है। अतः आयकर 2.24% से रू0 8944.00 तथा व्यापार कर 4% की दर से रू0 15973.00 कुल रू0 24917.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्रीमती रिन्तु देवी तथा सचिव श्री संजय सिंह से करते हुए राजकीय कोषागार में जमा कराया जाना चाहिए।	—	—	24917
117	श्रीपतिपुर	मुरली छपरा	राज्य वित्त/13वां वित्त के अन्तर्गत विभिन्न तिथियों में निर्माण कार्यों हेतु रू0 6073.00 की सामग्री खरीदी गयी परन्तु उस धनराशि पर कोई आयकर व व्यापार कर न काट कर राजस्व की हानि पहुँचायी गयी। अतः आयकर 2.24% की दर से रू0 12818.00 तथा व्यापार कर 4% की दर से रू0 24292.00 कुल रू0 37110.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्रीमती रिन्तु देवी तथा सचिव श्री संजय सिंह से करते हुए राजकीय कोषागार में जमा कराया जाना चाहिए।	—	—	37110

118	शाहपुर बभनौली	सोहांव	निम्नलिखित विवरण के अनुसार ग्राम निधि खाता के कैशबुक एवं पासबुक के अनुसार वर्षवार व्यय विभिन्न मदें में किया गया है – <table><tr><th>खाता सं०</th><th>2012—13</th><th>2013—14</th><th>2014—15</th><th>योग</th></tr><tr><td>6065 ग्रामीण बैंक</td><td>157451</td><td>322455</td><td>0</td><td>479906</td></tr><tr><td>504108 यूनियन बैंक</td><td>349845</td><td>618518</td><td>635506</td><td>1603869</td></tr><tr><td>योग</td><td>507296</td><td>940973</td><td>635506</td><td>2083775</td></tr></table> उक्त से सम्बन्धित कोई भी प्रमाणक, बिल बाउचर, इस्टीमेट, चलान, एम0बी0 सामग्री आपूर्ति आदेश, भुगतान आदेश, मस्टररोल, कार्यपूर्ति, नक्शा प्लान, कोटेशन, टेंडर, वित्तीय, स्वीकृति आदि ऑडिट में प्रस्तुत नहीं रहे। बिना प्रमाणक व्यय कोष बही में अंकित किया जाना लेखा परीक्षा को मान्य नहीं है। बिना प्रमाणक एवं सहायक अभिलेखों के कोषबही में व्यय अंकित किया जाना, उक्त धन का अपहरण सीधे होता है, कुल व्यय राशि रू० 2083775.00 हेतु प्रधान एवं सचिव सामान्य रूप से जिम्मेदार है। विभागीय जाँचोपरान्त उक्त धनराशि रू० 2083775 का आधा माँग रू० 1041887.50 प्रधान श्री रविंदर प्रसाद राम एवं आधा भाग रू० 1041887.50 सचिव श्री दयानन्द सिंह कुशवाहा (ग्रा०पं०अ०) से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।	खाता सं०	2012—13	2013—14	2014—15	योग	6065 ग्रामीण बैंक	157451	322455	0	479906	504108 यूनियन बैंक	349845	618518	635506	1603869	योग	507296	940973	635506	2083775	2083775	—	—
खाता सं०	2012—13	2013—14	2014—15	योग																						
6065 ग्रामीण बैंक	157451	322455	0	479906																						
504108 यूनियन बैंक	349845	618518	635506	1603869																						
योग	507296	940973	635506	2083775																						

119	सिन्दु रिया	सोहांव	निम्न विवरण के अनुसार ग्राम निधि/कैशबुक एवं पासबुक के अनुसार खाते से विभिन्न मदों में व्यय किया गया है – <table><tr><th>खाता सं०</th><th>2011-12</th><th>2012-13</th><th>2013-14</th><th>2014-15</th><th>योग</th></tr><tr><td>ग्रामीण बैंक 7737</td><td>152256.50</td><td>18467.00</td><td>328000.00</td><td>17640.00</td><td>516363.50</td></tr><tr><td>यूनियन बैंक 504100</td><td>49650.00</td><td>12005.00</td><td>120900.00</td><td>565455.00</td><td>748010.00</td></tr><tr><td>योग</td><td>201906.50</td><td>30472.00</td><td>448900.00</td><td>583095.00</td><td>126437350</td></tr></table> उक्त से सम्बन्धित कोई भी प्रमाणक, बिल बाउचर, रसीद, कैशमेमो, मस्टररोल, चालान, नक्शा, प्लान, स्टीमेट, एम0बी0, कार्यपूर्ति, कोटेशन, टेण्डर, वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति, विभागीय स्वीकृति आदि आडिट में प्रस्तुत नहीं किये गये। बिना प्रमाणक एवं सहायक अभिलेखों के कोषबही में व्यय अंकित किया जाना लेखा परीक्षा को मान्य नहीं है। प्रमाण विहीन व्यय कोषबही में अंकित किया जाना उक्त धन का अपहरण सिद्ध होता है। जिस हेतु प्रधान एवं सचिव सामान्य रूप से जिम्मेदार है, विभागीय जांचोपरान्त कुल व्यय धनराशि रु0 1264375.50 का आधा भाग रु0 632186.75 प्रधान श्रीमती बेबी आधा भाग रु0 632186.75 सचिव श्री महेन्द्र नाथ राय ग्रा0पं0अ0 से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।	खाता सं०	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	योग	ग्रामीण बैंक 7737	152256.50	18467.00	328000.00	17640.00	516363.50	यूनियन बैंक 504100	49650.00	12005.00	120900.00	565455.00	748010.00	योग	201906.50	30472.00	448900.00	583095.00	126437350	1264373.50	—	—
खाता सं०	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	योग																									
ग्रामीण बैंक 7737	152256.50	18467.00	328000.00	17640.00	516363.50																									
यूनियन बैंक 504100	49650.00	12005.00	120900.00	565455.00	748010.00																									
योग	201906.50	30472.00	448900.00	583095.00	126437350																									
120			मनरेगा से संबंधित अभिलेख आडिट में प्रस्तुत नहीं रहे। ब्लाक स्तर से प्राप्त कम्प्यूटराइज्ड विवरण आडिट में प्रस्तुत रहा। जिसके अनुसार वर्षवार विवरण निम्न प्रकार व्यय किया गया है – <table><tr><th>वर्ष</th><th>श्रमांश</th><th>सामग्री</th><th>योग</th></tr><tr><td>2012-13</td><td>105000</td><td>—</td><td>105000</td></tr><tr><td>2013-14</td><td>130000</td><td>—</td><td>130000</td></tr><tr><td>2014-15</td><td>203000</td><td>—</td><td>203000</td></tr><tr><td>योग</td><td>438000</td><td></td><td>438000</td></tr></table> उक्त से संबंधित कोई भी अभिलेख आडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया जो घोर लापरवाही एवं अनियमितता का द्योतक है। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।	वर्ष	श्रमांश	सामग्री	योग	2012-13	105000	—	105000	2013-14	130000	—	130000	2014-15	203000	—	203000	योग	438000		438000	—	—	438000.00				
वर्ष	श्रमांश	सामग्री	योग																											
2012-13	105000	—	105000																											
2013-14	130000	—	130000																											
2014-15	203000	—	203000																											
योग	438000		438000																											

121	कैथ वली	सोहांव	निम्न विवरण के अनुसार ग्राम निधि/कैशबुक एवं पासबुक के अनुसार खाते से विभिन्न मदों में व्यय किया गया है – <table><tr><th>विवरण</th><th>2011–12</th><th>2012–13</th><th>2013–14</th><th>2014–15</th><th>योग</th></tr><tr><td>ग्रामीण बैंक 6831</td><td>86349.27</td><td>18403.73</td><td>537089.00</td><td>—</td><td>641842.00</td></tr><tr><td>यूनियन बैंक 504113</td><td>—</td><td>530524.00</td><td>769231.00</td><td>935098.00</td><td>2234853.00</td></tr><tr><td>योग</td><td>86349.27</td><td>548927.73</td><td>1306320.00</td><td>935098.00</td><td>2876695.00</td></tr></table> उक्त से सम्बन्धित कोई भी प्रमाणक, बिल बाउचर, रसीद, कैशमेमो, मस्टररोल, चालान, नक्शा, प्रस्ताव, प्लान, स्टीमेट, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, सामग्री आपूर्ति, भुगतान आदेश, कार्ययोजना, कोटेशन, टेण्डर, वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति, विभागीय स्वीकृति आदि आडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया। बिना प्रमाणक एवं सहायक अभिलेखों के कोषबही में व्यय अंकित किया जाना लेखा परीक्षा को मान्य नहीं है। प्रमाण विहीन व्यय कोषबही में अंकित किया जाना उक्त धन का अपहरण सिद्ध होता है। जिस हेतु प्रधान एवं सचिव सामान्य रूप से जिम्मेदार है, विभागीय जांचोपरान्त कुल व्यय धनराशि रु0 2876695.00 का आधा भाग रु0 1438347.50 प्रधान श्री रामनिवास यादव से एवं आधा भाग रु0 1438347.50 सचिव श्री महेन्द्र नाथ राय ग्रा0पं0अ0 से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।	विवरण	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	योग	ग्रामीण बैंक 6831	86349.27	18403.73	537089.00	—	641842.00	यूनियन बैंक 504113	—	530524.00	769231.00	935098.00	2234853.00	योग	86349.27	548927.73	1306320.00	935098.00	2876695.00	2876695	—	—
विवरण	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	योग																									
ग्रामीण बैंक 6831	86349.27	18403.73	537089.00	—	641842.00																									
यूनियन बैंक 504113	—	530524.00	769231.00	935098.00	2234853.00																									
योग	86349.27	548927.73	1306320.00	935098.00	2876695.00																									
122			मनरेगा से संबंधित अभिलेख ऑडिट में प्रस्तुत नहीं रहे। ब्लाक स्तर से प्राप्त कम्प्यूटराइज्ड विवरण ऑडिट में प्रस्तुत किया गया है। जिसके अनुसार वर्षवार विवरण निम्न प्रकार व्यय किया गया है। <table><tr><th>वर्ष</th><th>श्रमांश</th><th>सामग्री</th><th>योग</th><th></th></tr><tr><td>2012–13</td><td>12000</td><td>3000</td><td>15000</td><td rowspan="3">वर्ष 2011–12 से संबंधित अवधि का विवरण प्रस्तुत नहीं रहा।</td></tr><tr><td>2013–14</td><td>185000</td><td>241000</td><td>426000</td></tr><tr><td>2014–15</td><td>959000</td><td>521000</td><td>1480000</td></tr><tr><td>योग</td><td>1156000</td><td>765000</td><td>1921000</td><td></td></tr></table> उक्त से संबंधित कोई भी प्रमाणक, कोषबही, पासबुक या अन्य सहायक अभिलेख आडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया, जो घोर लापरवाही एवं अनियमितता का द्योतक है। आवश्यक विभागीय	वर्ष	श्रमांश	सामग्री	योग		2012–13	12000	3000	15000	वर्ष 2011–12 से संबंधित अवधि का विवरण प्रस्तुत नहीं रहा।	2013–14	185000	241000	426000	2014–15	959000	521000	1480000	योग	1156000	765000	1921000		—	—	1921000	
वर्ष	श्रमांश	सामग्री	योग																											
2012–13	12000	3000	15000	वर्ष 2011–12 से संबंधित अवधि का विवरण प्रस्तुत नहीं रहा।																										
2013–14	185000	241000	426000																											
2014–15	959000	521000	1480000																											
योग	1156000	765000	1921000																											

			कार्यवाही अपेक्षित है। ग्राम प्रधान श्री रामनिवास यादव, सचिव श्री महेन्द्र नाथ राय के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।			

123	सरया	सोहॉव	निम्न विवरण के अनुसार ग्राम निधि/कैशबुक एवं पासबुक के अनुसार खाते से विभिन्न मदों में व्यय किया गया है – <table><tr><th>वर्ष</th><th>धनराशि</th></tr><tr><td>2012–13</td><td>642588.00</td></tr><tr><td>2013–14</td><td>566502.00</td></tr><tr><td>2014–15</td><td>1775272.00</td></tr><tr><td>योग</td><td>2984362.00</td></tr></table> उक्त से संबंधित कोई भी प्रमाणक, बिल बाउचर, रसीदें, कैशमेमो, मस्टररोल, चालान, नक्शा, प्लान, स्टीमेट, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, सामग्री आपूर्ति आदेश, भुगतान आदेश, प्रस्ताव कार्य योजना, कोटेशन, टेण्डर, वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, विभागीय स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति आदि ऑडिट में प्रस्तुत नहीं रहे। बिना प्रमाणक एवं सहायक अभिलेखों के कोषबही में व्यय अंकित किया जाना लेखा परीक्षा को मान्य नहीं है। प्रमाणक विहीन व्यय कोषबही में अंकित किया जाना उक्त धन का अपहरण सिद्ध होता है। जिस हेतु प्रधान एवं सचिव सामान्य रूप से जिम्मेदार है, विभागीय जांचोपरान्त कुल व्यय धनराशि रू0 2984362.00 का आधा भाग रू0 1492181.00 प्रधान श्री कुबेर तिवारी एवं आधा भाग रू0 1492181.00 सचिव श्री दयानन्द सिंह (ग्रा0वि0अ0) से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।	वर्ष	धनराशि	2012–13	642588.00	2013–14	566502.00	2014–15	1775272.00	योग	2984362.00	2984362	—	—				
वर्ष	धनराशि																			
2012–13	642588.00																			
2013–14	566502.00																			
2014–15	1775272.00																			
योग	2984362.00																			
124	उचेरा	चिल कहर	दिनांक 26.04.2011 को चेक सं0– 014385 से रू0 19116.00 का बैंक से आहरण किया गया है, उक्त आहरण का लेखांकन कोषबही में भाग रू0 19000.00 ही किया गया है, अर्थात् आय पक्ष में रू0 116.00 से कम लेखांकन कर धन का अपहरण किया गया है, उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्रा0पं0अ0 श्री गणेश राम एवं ग्राम प्रधान श्रीमती मीरा से की जानी अपेक्षित है।	116	—	—														
125			निम्नांकित तिथियों में बैंक निकासी का लेखांकन ग्राम पंचायत की कोषबही न कर धन का अपहरण किया गया है— <table><tr><th>दिनांक</th><th>धनराशि</th><th>चेक सं0</th></tr><tr><td rowspan="2">02.05.2014</td><td>20000</td><td>14390</td></tr><tr><td>54000</td><td>14388</td></tr><tr><td>07.05.2014</td><td>10000</td><td>14391</td></tr><tr><td>15.05.2014</td><td>10874</td><td>14395</td></tr></table>	दिनांक	धनराशि	चेक सं0	02.05.2014	20000	14390	54000	14388	07.05.2014	10000	14391	15.05.2014	10874	14395	151874	—	—
दिनांक	धनराशि	चेक सं0																		
02.05.2014	20000	14390																		
	54000	14388																		
07.05.2014	10000	14391																		
15.05.2014	10874	14395																		

			<table><tr><td>19.05.2014</td><td>57000</td><td>14393</td></tr><tr><td>योग</td><td>151874.00</td><td></td></tr></table> इस प्रकार उक्त तिथियों में चिलकहर सेन्ट्रल बैंक के खाता सं०— 3101774934 से उक्त धनराशियों का अपहरण किया गया है परन्तु उक्त अपहरणों का लेखांकन रोकड़ बही में न कर अपहरण कर लिया गया है। उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी श्री गणेश राम एवं ग्राम प्रधान श्रीमती मीरा से संयुक्त रूप से की जाये।	19.05.2014	57000	14393	योग	151874.00																			
19.05.2014	57000	14393																									
योग	151874.00																										
126	सरांक	बांसडीह	वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में माह अप्रैल 2014 के दिनांक 07.04.2014 ग्राम पंचायत के इलाहाबाद बैंक खाता सं०-50044692781 द्वारा रू० 30000.00 आहरित किया गया है। जिसकी प्रविष्टि कैशबुक के आय पक्ष में न करके प्रधान श्री रमाशंकर राजभर एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री बसंत लाल द्वारा अपहरण किया गया है। ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।	30000	—	—																					
127	सरांक	बांसडीह	वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में माह अगस्त 2014 को कैशबुक के व्यय पक्ष में योग रू० 17098.00 के स्थान पर रू० 24098.00 अंकित करके रू० 7000.00 अधिक व्यय दर्शाकर धन का अपहरण प्रधान श्रीमती मीरा एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री गणेश राम द्वारा किया गया है। ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।	7000	—	—																					
128	महाराज	बांसडीह	वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में माह अक्टूबर एवं नवम्बर 2014 में ग्राम पंचायत में रू० 138000.00 एवं 128000.00 कुल रू० 266000.00 का अपहरण इलाहाबाद बैंक के खाता सं०-5004493671 द्वारा विभिन्न तिथियों में निम्न विवरणानुसार ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से आहरित किया गया है। किन्तु इसकी प्रविष्टि न तो कैशबुक के आय पक्ष में की गयी है और न ही कोई व्यय अंकित किया गया है। इस प्रकार रू० 266000.00 का बैंक खाते से आहरण करके प्रधान राधेश्याम एवं ग्राम विकास अधिकारी बसन्त लाल द्वारा अपहरण कर लिया गया है। ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। <table><tr><th colspan="3">आहरण का विवरण निम्नवत् है —</th></tr><tr><th>दिनांक</th><th>चेक सं०</th><th>धनराशि</th></tr><tr><td>22.10.2014</td><td>14088</td><td>20000</td></tr><tr><td>22.10.2014</td><td>14089</td><td>98000</td></tr><tr><td>28.10.2014</td><td>14090</td><td>20000</td></tr><tr><td>21.11.2014</td><td>14092</td><td>20000</td></tr><tr><td>21.11.2014</td><td>14091</td><td>98000</td></tr></table>	आहरण का विवरण निम्नवत् है —			दिनांक	चेक सं०	धनराशि	22.10.2014	14088	20000	22.10.2014	14089	98000	28.10.2014	14090	20000	21.11.2014	14092	20000	21.11.2014	14091	98000	266000	—	—
आहरण का विवरण निम्नवत् है —																											
दिनांक	चेक सं०	धनराशि																									
22.10.2014	14088	20000																									
22.10.2014	14089	98000																									
28.10.2014	14090	20000																									
21.11.2014	14092	20000																									
21.11.2014	14091	98000																									

			28.11.2014	14093	10000				
			योग		266000.00				
129			वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में माह जनवरी 2015 में व्यय पक्ष का योग रु0 365659.00 के स्थान पर रु0 413810.00 अंकित करके रु0 48151.00 का व्यय अधिक दर्शाकर धन का अपहरण प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।				48151	—	—

जनपद— बरेली मण्डल—बरेली

क्र म	जनप द	विकास खण्ड	नाम ग्राम पंचायत	ले0प0 वर्ष	सा0 आ0 संख्या	धनराशि	आपत्ति का विवरण				
1	बरेली	आ0जा0 बाद	दिगाई	2014-15	24	17080.00	निम्नानुसार बैंक से आहरित धनराशि के सापेक्ष कैश बुक में कम/शून्य आहरण दर्शित कर अपहरण किया गया है, जिसके लिए प्रधान सतीश चन्द्र एवं सचिव श्री राजेन्द्र सिंह, जयपाल सिंह एवं सुखपाल सिंह से ब्याज सहित वसूली के साथ सम्बन्धित के विरुद्ध अधिभार सम्बन्धी एवं विधिक कार्यवाही अपेक्षित है।				
							दिनांक	चेक संख्या	बैंक स्टेटमेंट में दर्शित भुगतान	कैश बुक में दर्शित आहरण	अन्तर
							6.6.13	396023	12680.00	12600.00	80.00
							19.9.13	656863	8000.00	5000.00	3000.00
							7.4.14	423524	10000.00	5000.00	5000.00
							11.6.14	423548	9000.00	शून्य	9000.00
								योग—			17080.00
2	बरेली	आ0जा0 बाद	चन्दौआ	2014-15	22	10000.00	दिनांक 20.12.13 को चेक संख्या 661953 द्वारा 10000.00 श्री वेद प्रकाश शर्मा द्वारा नकद आहरण को कैश बुक में अंकित न करके धन का अपहरण किया गया है। प्रधान श्री वेद प्रकाश एवं सचिव दुक्कू राम, विश्वजीत से ब्याज सहित वसूली एवं सम्बन्धित के विरुद्ध विधिक कार्यवाही अपेक्षित है।				
	योग—					27080.00					

क्रम	जनपद	विकास खण्ड	नाम ग्राम पंचायत	ले0प0वर्ष	सा0आ0 संख्या	धनराशि	आपत्ति का विवरण
1	बरेली	नवाबगंज	रिछोला चौधरी	2014-15	21	26000.00	दिनांक 6.9.14 को हैण्ड पम्प मरम्मत का अंकन रू0- 26000.00 का भुगतान किया गया है। किन्तु प्रमाणकों पर कार्य-स्थल अंकित नहीं है। जो कि भुगतान की पुष्टि हेतु अपेक्षित था। कार्यस्थल बगैर अंकित कराये गये भुगतान किया जाना आपत्तिजनक रहा। लेखा परीक्षा में कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, सार्वजनिक कार्य का रजिस्टर, रूप पत्र-दो, चल-अचल सम्पत्ति रजिस्टर, व्यय अनुमान पुस्तिका तथा कार्यवाही पंजिका अप्राप्त रही। जिसके अभाव में व्यय फर्जी प्रतीत होता है। जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान श्रीमती कान्ती देवी तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री तुलाराम से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।
2	बरेली	नवाबगंज	रिछोला चौधरी	2014-15	22	7000.00	दिनांक 05.12.14 को 7000.00 रुपये का भुगतान कूड़ा ठेला खरीद का कोषांकित है। किन्तु ठेला खरीद से पूर्व कोटेशन प्राप्त नहीं किया गया। इस प्रकार बिना कोटेशन प्राप्त किये खरीद किया जाना आपत्तिजनक रहा। लेखा परीक्षा में डेड स्टॉक रजिस्टर व प्रार्थना पत्र अप्राप्त रहा। उक्त के अभाव में व्यय फर्जी प्रतीत होता है। जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान श्रीमती कान्ती देवी, तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री तुलाराम से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

3	बरेली	नवाबगंज	लभेड़ा उर्फ बुलन्दनगर	2013-14, 2014-15	24	10000.00	लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 08.08.2013 को चेक संख्या 104 द्वारा 10000.00 का आहरण बैंक से किया गया है। जिसको कैश बुक में आय पक्ष में अंकित न कर अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रहनुमाबी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री खरगसेन से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।
4	बरेली	नवाबगंज	सुण्डियावा	2013-14, 2014-15	24	10000.00	दिनांक 18.02.14 को चेक संख्या 69 द्वारा बैंक से 10000.00 का आहरण किया गया है। जिसकी आय की प्रविष्टि कैश बुक में अंकित न कर धन का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान श्रीमती कान्ति देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री खरगसेन से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।
योग-						53000.00	

क्र 0	जनपद	विकास खण्ड	नाम ग्राम पंचायत	ले0 प0 वर्ष	सा0 आ0 सं0	धन राशि	आपत्ति का विवरण							
1	बरेली	भदपुरा	अभय राजपुर	2014 — 15	25	25000.00	आलोच्य वर्ष में श्रीमती संगीता देवी ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी द्वारा दिनांक 3.4.14 व 21.10.14 को चेक संख्या 979450 व 267765 द्वारा क्रमशः 15000.00 व 10000.00 कुल 25000.00 बैंक से नकद आहरित किया गया। आहरित धनराशि को रोकड़ बही में नहीं दर्शाया गया है। व्यय की गई धनराशि से सम्बन्धित अभिलेख, व्यय प्रमाणक मस्टर रोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर, स्वीकृत स्टीमेट, कार्य योजना, आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। इससे स्पष्ट है कि आहरित धनराशि रु0 25000.00 का अपहरण सचिव श्रीमती संगीता देवी द्वारा किया गया। जिसकी ब्याज सहित वसूली नियमानुसार की जानी आवश्यक है।							
2	बरेली	भदपुरा	पुरैनिया	2013 -14, 2014 -15	24	463400.00	आलोच्य वर्ष 2013-14 में प्रधान/सचिव द्वारा खाता सं0 12710100015708 से चेकों के माध्यम से निम्न नकद धनराशि आहरित की गई है।							
							दिनांक	चेक सं0	आह कर्ता	धन राशि	दिनांक	चेक सं0	आह कर्ता	धन राशि
							5.4.13	501776	सत्य वीर	15000	21.2.14	11	स्वयं	50000
							6.4.13	501777	सत्य वीर	15000	8.4.13	501778	ठाकुरदास	5000

							29.4.13	505430	सत्य वीर	5000.	11.4.13	501780	ठाकुरदास	5000
							30.4.13	507322	सत्य वीर	10000.	12.4.13	505429	ठाकुरदास	5000
							10.5.13	507325	सत्य वीर	5000.	29.4.13	507321	ठाकुरदास	5000
							18.5.13	507326	सत्य वीर	10000.	6.5.13	507323	ठाकुरदास	5000
							5.7.13	508723	सत्य वीर	5000.	23.5.13	507328	ठाकुरदास	5000
							31.7.13	508724	सत्य वीर	5000.	27.5.13	507329	ठाकुरदास	5000
							1.8.13	508727	सत्य वीर	5000.	12.6.13	507327	ठाकुरदास	5000
							21.10.13	02	सत्य वीर	20000.	5.7.13	508722	ठाकुरदास	5000
							16.12.13	514082	सत्य वीर	25000.	1.8.13	508726	ठाकुरदास	5000
							8.1.14	06	सत्य वीर	23000.	24.8.13	509101	ठाकुरदास	5000
							7.1.14	09	सत्य वीर	26000.	21.9.13	509108	ठाकुरदास	5000
							13.2.14	514083	सत्य वीर	5000.	1.10.13	509109	ठाकुरदास	5000
							19.2.14	10	सत्य वीर	10000.	21.10.13	509110	ठाकुरदास	10000
							22.2.14	514084	सत्य वीर	4400.	22.10.13	02	ठाकुरदास	10000
							25.2.14	12	सत्य वीर	20000.	8.1.14	08	ठाकुरदास	20000
							26.2.14	14	सत्य वीर	10000.	25.2.14	07,13	ठाकुरदास	40000
							28.2.14	514085	सत्य वीर	25000.	28.2.14	514086	ठाकुरदास	25000

क्र०	जन पद	वि० खण्ड	नाम ग्राम पंचायत	ले०प० वर्ष	सा० आ० संख्या	धनराशि	आपत्ति का विवरण
2	बरेली	भदपुरा	पुरैनिया	2014-15	24	463400.	इस प्रकार उपरोक्त कुल धनराशि रू० 463400.00 प्रधान/सचिव द्वारा नकद आहरित की गई। आहरित धनराशि 463400.00 में से रू० 397703.00 ईंट क्रय पर दर्शित है। जबकि ईंट क्रय रजा ब्रिक फील्ड से मात्र 40000.00 बैंक स्टेटमेन्ट पर दर्शित है। अतः 357703.00 का फर्जी व्यय कोष बही पर अंकित है। इसी तरह सीमेन्ट का भुगतान रू० 45000.00 का किया गया है। जबकि कोष बही पर 74000.00 अंकित है। मिट्टी व एम०आर०पर रू० 55000.00 व 89206.00 कोष बही पर अंकित है। कोष बही पर अंकित धनराशि से संबंधित अभिलेख जैसे-व्यय प्रमाणक, मस्टर

							रोल, अवशेष स्टॉक रजिस्टर, आहरित धनराशि से कार्य कहाँ कहाँ किया गया, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, कुटेशन/निविदा प्रक्रिया आदि अभिलेख अप्राप्त रहे। इससे स्पष्ट है कि आहरित धनराशि रु0 463400.00 का अपहरण सचिव/प्रधान द्वारा कर के कोष बही पर इसे फर्जी व्यय दर्शित कर अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री ठाकुरदास प्रधान व श्री सत्यवीर ग्राम पं0अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।																																																																																																					
3	बरेली	भदपुरा	पुरैनिया	2014 —15	25	514200.	<table><tr><td>दिनांक</td><td>चेक सं0</td><td>आह कर्ता</td><td>धनराशि</td><td>दिनांक</td><td>चेक सं0</td></tr><tr><td>10.4.14</td><td>514088</td><td>स्वयं</td><td>10000.</td><td>4.9.14</td><td>517048</td></tr><tr><td>22.4.14</td><td>514089</td><td>सत्यवीर</td><td>10000</td><td>4.9.14</td><td>517049</td></tr><tr><td>23.4.14</td><td>514002</td><td>स्वयं</td><td>10000</td><td>8.9.14</td><td>517050</td></tr><tr><td>23.4.14</td><td>514001</td><td>स्वयं</td><td>5000.</td><td>8.9.14</td><td>517051</td></tr><tr><td>24.4.14</td><td>514004</td><td>सत्यवीर</td><td>15000.</td><td>8.9.14</td><td>517053</td></tr><tr><td>3.5.14</td><td>514006</td><td>स्वयं</td><td>20000.</td><td>1.10.14</td><td>517054</td></tr><tr><td>5.5.14</td><td>514007</td><td>स्वयं</td><td>20000.</td><td>16.10.14</td><td>517056</td></tr><tr><td>8.5.14</td><td>514008</td><td>स्वयं</td><td>9500.</td><td>17.10.14</td><td>517058</td></tr><tr><td>15.5.14</td><td>517041</td><td>ठाकुरदास</td><td>11000.</td><td>17.10.14</td><td>517057</td></tr><tr><td>30.7.14</td><td>514009</td><td>सत्यवीर</td><td>10000.</td><td>10.11.14</td><td>517059</td></tr><tr><td>31.7.14</td><td>517044</td><td>सत्यवीर</td><td>19000</td><td>15.11.14</td><td>517060</td></tr><tr><td>31.7.14</td><td>517043</td><td>ठाकुरदास</td><td>17000</td><td>5.1.15</td><td>521524</td></tr><tr><td>20.8.14</td><td>517045</td><td>ठाकुरदास</td><td>50000</td><td>9.1.15</td><td>521527</td></tr><tr><td>28.8.14</td><td>514100</td><td>सत्यवीर</td><td>10000.</td><td>16.1.15</td><td>521528</td></tr><tr><td>1.9.14</td><td>517046</td><td>सत्यवीर</td><td>10000.</td><td>31.1.15</td><td>521529</td></tr></table>						दिनांक	चेक सं0	आह कर्ता	धनराशि	दिनांक	चेक सं0	10.4.14	514088	स्वयं	10000.	4.9.14	517048	22.4.14	514089	सत्यवीर	10000	4.9.14	517049	23.4.14	514002	स्वयं	10000	8.9.14	517050	23.4.14	514001	स्वयं	5000.	8.9.14	517051	24.4.14	514004	सत्यवीर	15000.	8.9.14	517053	3.5.14	514006	स्वयं	20000.	1.10.14	517054	5.5.14	514007	स्वयं	20000.	16.10.14	517056	8.5.14	514008	स्वयं	9500.	17.10.14	517058	15.5.14	517041	ठाकुरदास	11000.	17.10.14	517057	30.7.14	514009	सत्यवीर	10000.	10.11.14	517059	31.7.14	517044	सत्यवीर	19000	15.11.14	517060	31.7.14	517043	ठाकुरदास	17000	5.1.15	521524	20.8.14	517045	ठाकुरदास	50000	9.1.15	521527	28.8.14	514100	सत्यवीर	10000.	16.1.15	521528	1.9.14	517046	सत्यवीर	10000.	31.1.15	521529
दिनांक	चेक सं0	आह कर्ता	धनराशि	दिनांक	चेक सं0																																																																																																							
10.4.14	514088	स्वयं	10000.	4.9.14	517048																																																																																																							
22.4.14	514089	सत्यवीर	10000	4.9.14	517049																																																																																																							
23.4.14	514002	स्वयं	10000	8.9.14	517050																																																																																																							
23.4.14	514001	स्वयं	5000.	8.9.14	517051																																																																																																							
24.4.14	514004	सत्यवीर	15000.	8.9.14	517053																																																																																																							
3.5.14	514006	स्वयं	20000.	1.10.14	517054																																																																																																							
5.5.14	514007	स्वयं	20000.	16.10.14	517056																																																																																																							
8.5.14	514008	स्वयं	9500.	17.10.14	517058																																																																																																							
15.5.14	517041	ठाकुरदास	11000.	17.10.14	517057																																																																																																							
30.7.14	514009	सत्यवीर	10000.	10.11.14	517059																																																																																																							
31.7.14	517044	सत्यवीर	19000	15.11.14	517060																																																																																																							
31.7.14	517043	ठाकुरदास	17000	5.1.15	521524																																																																																																							
20.8.14	517045	ठाकुरदास	50000	9.1.15	521527																																																																																																							
28.8.14	514100	सत्यवीर	10000.	16.1.15	521528																																																																																																							
1.9.14	517046	सत्यवीर	10000.	31.1.15	521529																																																																																																							

क्र0	जनपद	विकास खण्ड	नाम ग्राम पंचायत	ले0प0 वर्ष	सा0 आ0 सं0	धनराशि	अपत्ति का विवरण							
							दिनांक	चेक सं0	आह कर्ता	धन राशि	दिनांक	चेक सं0	आह कर्ता	धन राशि
3	बरेली	भदपुरा	परैनिया	2014-15	25	514200	3.03.15	521 531	ठाकुर दास	5000.00	03.03.15	521 532	सत्य वीर	5000. 00
							21.03. 15	521 537	सत्य वीर	4000.00				
कुल योग-514200.00														
इस प्रकार उपरोक्त कुल धनराशि 514200.00 प्रधान/सचिव द्वारा नकद														

							आहरित की गई। आहरित की गई धनराशि को कैश बुक में फर्जी व्यय दर्शाया गया है। परन्तु व्यय की गयी धनराशि से सम्बन्धित अभिलेख जैसे—व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, अवशेष स्टॉक रजिस्टर, आहरित धनराशि से कार्य कहाँ किया गया,कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र. कुटेशन/निविदा प्रक्रिया आदि अभिलेख अप्राप्त रहे। इससे स्पष्ट है कि आहरित धनराशि रु0 514200.00 का अपहरण सचिव/प्रधान द्वारा किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री ठाकुर दास प्रधान व श्री सत्यवीर सचिव से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।															
4	बरेली	भदपुरा	बहरजागीर	2014—15		576200.00	ग्राम पंचायत कोषबही/पासबुक के अनुसार निम्नांकित व्यय दर्शित किये गये हैं। व्यय रु0 576200.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक (टिन न0 सहित),मस्टर रोल, टेन्डर पत्रावली, कार्यपूर्ति कार्य योजना, प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर, स्वीकृत एस्टीमेट, कार्य योजना, ईट के डिलीवरी चालान आदि कोई भी प्रमाणक लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे। जिससे किये गये व्यय की पुष्टि नहीं होती है। <table><tr><th>दिनांक/ चेक सं0</th><th>धनराशि आहरित करने वाले का नाम</th><th>आहरित धनराशि</th><th>व्ययित धन राशि</th><th></th></tr><tr><td>07.04.14 515714</td><td>श्री प्रेमपाल</td><td>25000</td><td>25000.00</td><td>मिश्रीलाल की जगह से दीनदयाल की जगह तक मिट्टी कार्य व खड्डंजा मरम्मत एवं होली चौराहे पर मिट्टी भराव के लियें मिट्टी ट्राली का भुगतान।</td></tr><tr><td>7.04.14 / 515714</td><td>श्री सत्यवीर</td><td>29000</td><td>29000</td><td>उपरोक्त</td></tr></table>	दिनांक/ चेक सं0	धनराशि आहरित करने वाले का नाम	आहरित धनराशि	व्ययित धन राशि		07.04.14 515714	श्री प्रेमपाल	25000	25000.00	मिश्रीलाल की जगह से दीनदयाल की जगह तक मिट्टी कार्य व खड्डंजा मरम्मत एवं होली चौराहे पर मिट्टी भराव के लियें मिट्टी ट्राली का भुगतान।	7.04.14 / 515714	श्री सत्यवीर	29000	29000	उपरोक्त
दिनांक/ चेक सं0	धनराशि आहरित करने वाले का नाम	आहरित धनराशि	व्ययित धन राशि																			
07.04.14 515714	श्री प्रेमपाल	25000	25000.00	मिश्रीलाल की जगह से दीनदयाल की जगह तक मिट्टी कार्य व खड्डंजा मरम्मत एवं होली चौराहे पर मिट्टी भराव के लियें मिट्टी ट्राली का भुगतान।																		
7.04.14 / 515714	श्री सत्यवीर	29000	29000	उपरोक्त																		

क्रम	जनपद	विकास खण्ड	नाम ग्राम पंचायत	ले0 प0 वर्ष	सा0आ0 संख्या	धनराशि	अपत्ति का विवरण				
4	बरेली	भदपुरा	बहरजागीर	2014-15		576200	09.04.14 515715, 17,18	स्वयम प्रेमपाल सत्यवीर	19000. 25000 25000	69000	चटका ईट की खरीद पर भुगतान की गई धनराशि।
							22.04.14 26.04.14 511719 516521,	श्री सत्यवीर	10000 , 10000	20000	चटका ईट की खरीद पर भुगतान की गई धनराशि-17430.00 एवं 05 हैण्ड पम्पों की मरम्मत पर भुगतान धनराशि 2570.00
							03.05.14	स्वयम	20000	20000,	चटका ईट की

							515720		,		खरीद पर भुगतान की गई धनराशि।
							07.07.14 516524	श्री सत्य वीर	20000	20000	लेबर को भुगतान
							19.08.14 516527 20.08.14 516526	श्री सत्य वीर	20000 , 25000	18964 26036	मिस्त्री व लेबर को भुगतान मदनलाल व राजेन्द्र के समाने तालाब तक नाली निर्माण व खड्जा मरम्मत के लिये सीमेंट मोरंग व देशी रेत आदि पर भुगतान की गई धनराशि
							21.08.14 516523 22.08.14 516531	श्री प्रेमपाल श्री सत्यवीर	20000 , 15000	35000	प्रथम ईट व रोड़ा खरीद पर भुगतान
							25.08.14 516528 26.08.14 516529 28.08.14 516532 30.08.14 516533	02/71 श्री प्रेमपाल श्री प्रेमपाल श्री प्रेमपाल	40000 20000 15000 15000	10000 80000	मिट्टी ट्राली को भुगतान की गई धनराशि चटका ईट की खरीद के लिये रजा ब्रिक फील्ड को भुगतान की गई धनराशि।
							01.09.14 516530 08.09.14 515716	श्री प्रेमपाल श्री प्रेमपाल	10000 , 10000	11000	मिस्त्री व लेबर को भुगतान

क्रम	जनपद	विकास खण्ड	नाम ग्राम पंचायत	ले0 प0 वर्ष	सा0आ0 संख्या	धनराशि	अपत्ति का विवरण				
4	बरेली	भदपुरा	बहरजागीर	2014-15		576200.	17.10.14 516534	श्री प्रेमपाल	18200.	18200.	श्री प्रेमपाल
							17.10.14 516535	श्री सत्यवीर	20000.	20000.	वेदार के घर के पास सत्यवीर के मकान से रोड तक नाली व पुलिया निर्माण के लिये गंगवार आयरन सीमेंट स्टोर को भुगतान
							18.10.14 516536	स्वयम	5000.	5000	उपरोक्त
							30.10.14	श्री	20000.		प्रथम ईट व रोड़ा

							516538 30.10.14 516539	प्रेमपाल श्री सत्यवीर	15000.	35000.	की खरीद के लिये रजा ब्रिक को भुगतान
							11.11.14 516540	श्री प्रेमपाल	2000.	2000.	05 हैण्ड पम्पों की मरम्मत
							15.12.14 521501	श्री मोतीराम	3000.	3000	06 हैण्ड पम्पों की मरम्मत के लिये मोतीराम को भुगतान
							15.12.14 521503	श्री सत्यवीर	7000.	7000.	मिट्टी ट्राली को भुगतान
							23.12.14 521504	हरिओम सीमेंट स्टोर	40000	40000	प्रदीप के मकान पूसी के घर तक नाली निर्माण व खड्डंजा मरम्मत के लिये हरिओम सीमेंट स्टोर को भुगतान
							27.12.14 521506 29.12.14 521507	श्री प्रेमपाल श्री प्रेमपाल	20000. 20000.	19964 20036	मिस्त्री व लेबर को भुगतान प्रथम ईंट व रोड़ा की खरीद पर भुगतान की धनराशि ।
							5.1.15 521505 6.1.15 521508	श्री प्रेमपाल	9000. 10000.	19000.	प्रथम ईंट व रोड़ा की खरीद पर भुगतान की धनराशि ।
							31.01.15 521509	श्री सत्यवीर	3000.	3000.	मिट्टी ट्राली को भुगतान
							10.03.15 521511 10.03.15	श्री सत्यवीर श्री सत्यवीर	15000. 5000.	20000	प्रथम ईंट व रोड़ा की खरीद पर भुगतान की धनराशि ।
							कुल योग—576200.00				

क्रम	जनपद	विकास खण्ड	नाम ग्राम पंचायत	ले0प0वर्ष	सा0आ0 संख्या	धनराशि	आपत्ति का विवरण
4	बरेली	भदपुरा	बहरजागीर	2014—15		576200.	उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि 255200.00 रु0 ग्राम प्रधान श्री प्रेमपाल 194000.00 ग्राम पंचायत अधिकारी/विकास अधिकारी श्री सत्यवीर सिंह, 44000. स्वयम, 40000. 2 / 71,3000.00

							श्री मोतीराम व 40000. हरिओम सीमेंट स्टोर द्वारा खाता संख्या 12710100015711 बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा क्योलड़िया से समय समय पर आहरित किये गये। तत्कालीन प्रधान व सचिव से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।
	योग—					1578800.	
1	बरेली	भोजीपुरा	सुरला	2014—15	22	10000.	दिनांक 31.5.14 को प्रधान श्री सुमेरीलाल द्वारा चेक संख्या 65 से नकद, 10000. आहरित किया गया। जिसकी प्रविष्टि कैश बुक में न कर 10000. का अपहरण प्रधान श्री सुमेरी लाल द्वारा किया गया। जिसकी ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।
2	बरेली	भोजीपुरा	सुरला	2014—15	23	5000.	दिनांक 26.2.16 को सचिव श्री विकास रविन्द्र द्वारा चेक संख्या 107 से 15000. नकद आहरित किया गया है, जबकि कैश बुक में मात्र रु 10000. ही अंकित है। इस प्रकार 5000. की प्रविष्टि कैश बुक में न कर सचिव द्वारा अपहरण किया गया। जिसकी ब्याज सहित वसूली सचिव विकास रविन्द्र से की जानी अपेक्षित है।
3	बरेली	भोजीपुरा	जटऊपट्टी	2014—15	21	9964.	कैश बुक की जाँच में पाया गया कि माह मार्च 15 में बैंक से कुल आहरित धन राशि 68101. के सापेक्ष माह दौरान रु0 58121. का ही व्यय कोषांकित है। माह मार्च के प्रारम्भ में नकद रोकड़ 234. तथा माहान्त में 250. शेष रहा। इस प्रकार 9964.00 का व्यय कम अंकित कर उक्त धनराशि का अपहरण सचिव प्रधान द्वारा किया गया। जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से अपेक्षित है।
	योग—					24964.00	

1	बरेली	बिथरीचैनपुर	कीरतपुर	2014-15	04	40000.	दिनांक 21.10.14 को 30000. एवं दिनांक 25.10.14 को 10000. का भुगतान के रूप में कोषांकित है। (कुल-40000.)परन्तु उक्त मिट्टी कार्य किन किन स्थानों पर किया गया एवं मिट्टी कार्य में किस नम्बर की ट्रैक्टर ट्राली को प्रयुक्त किया गया, आदि विवरण संलग्न वाउचर पर अंकित न किये जाने से उक्त व्यय की पुष्टि न की जा सकी। अतः किया गया व्यय फर्जी प्रतीत होता है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन सचिव/प्रधान से किये जाने हेतु प्रबन्ध एवं विभागीय अधिकारियों द्वारा आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।
2	बरेली	बिथरीचैनपुर	कीरतपुर	2014-15	05	2500.	दिनांक 7.3.15 को 2500.00 का भुगतान कोष बही में नल मिस्त्री खूबचन्द को बावत नल मरम्मत कोषांकित है। परन्तु संलग्न वाउचर से यह स्पष्ट नहीं होता है कि उक्त व्यय किन किन स्थानों पर स्थित नलों की मरम्मत पर किया गया है। अतः किया गया व्यय फर्जी प्रतीत होता है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन सचिव/प्रधान से किये जाने हेतु प्रबन्ध एवं विभागीय अधिकारियों द्वारा आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।
	योग-					42500.	

क्रम	जनपद	विकास खण्ड	नाम ग्राम पंचायत	ले०प० वर्ष	सा० आ० सं०	धनराशि	आपत्ति का विवरण
1	बरेली	मझगवाँ	बड़ागाँव	2014-15	18	25000.	आलोच्य वर्ष 14-15 की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि ग्राम निधि बड़ा गाँव का बैंक के खुले खाते में दिनांक 7.10.14 व दिनांक 09.10.14 को क्रमशः रुपये 15000. व रुपये 10000. कुल रूपया 25000. बैंक से नकद आहरित किया गया। किन्तु उक्त धनराशि की प्रविष्टि ग्राम निधि कोष बही में न करके कुल धन राशि रुपये 25000. का सीधा अपहरण किया गया। जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रेमपाल सिंह प्रधान व राकेश सिंह सचिव से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।
2	बरेली	मझगवाँ	भूड़ा	2014-15	18	19900.	आलोच्य वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि ग्राम निधि भूड़ा के बैंक में खुले खाते से माह सितम्बर 14 को क्रमशः रु010000.00 व 9900.00 कुल रूपया 19900.00 बैंक से नकद आहरित किया गया। किन्तु उक्त धनराशि की प्रविष्टि ग्राम निधि कोष बही-1 में न करके कुल धनराशि रूपया 19900.00 का सीधा अपहरण किया गया। जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रेमपाल सिंह प्रधान व राकेश सिंह सचिव से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।
	कुल योग-					44900.	
1	बरेली	मीरगंज	सैजना	2014-15	18	55280.	निम्नलिखित तिथियों में हैण्ड पम्प लगाने का भुगतान श्री शफीक अहमद, मीरगंज को रु0 55280.00 का किया गया। किन्तु प्रमाणकों पर कार्य स्थल अंकित नहीं किया गया। जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा

							सकी। इसके अतिरिक्त लेखा परीक्षा में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र,प्रार्थना पत्र,कार्यवाही पंजिका अप्राप्त रही। जिसके अभाव में उक्त व्यय क पुष्टि नहीं होती है। अतः भुगतान/व्यय फर्जी प्रतीत होता है, जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान एवं ग्राम विकास अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है। दिनांक 11.04.14-10000.,30.08.14-30000.,26.2.14-11440.,28.2.14-3840.00
2	बरेली	मीरगंज	सैजना	2014-15	19	1,00,000 20,000.	दिनांक 26.8.14 को 100000. तथा दिनांक 29.8.14 को रु020000. स्ट्रीट लाइट लगवाई का भुगतान माँ वैष्णों इलैक्ट्रिकल्स को किया गया है। किन्तु स्ट्रीट लाइट लगवाने से पूर्व कोटेशन प्राप्त नहीं किये गये हैं। इसके अतिरिक्त लेखा परीक्षा में व्यय अनुमान, स्टॉक रजिस्टर, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, कार्यवाही रजिस्टर, प्रार्थना पत्र, स्टॉक रजिस्टर, चल व अचल सम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिसके अभाव में उक्त व्यय फर्जी प्रतीत होता है, जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

क्रम	जनपद	विकास खण्ड	नाम ग्राम पंचायत	ले० प० वर्ष	सा० आ० सं०	धन राशि	आपत्ति का विवरण
3	बरेली	मीरगंज	गूला	2014-15	18	47190.	नल मरम्मत के भुगतान प्रमाणकों पर कार्य सलिल अंकित नहीं है। कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र, सार्वजनिक कार्यों का रजिस्टर, चल व अचल सम्पत्ति रजिस्टर, व्यय अनुमान पुस्तिका, एवं कार्यवाही पंजिका अप्राप्त रही। जिससे भुगतान फर्जी प्रतीत होता है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।
4	बरेली	मीरगंज	गूला	2014-15	19	25000.	दिनांक 25.8.14को रु0 15000.तथा 10000. मैसर्स अंजुम वारसी को स्ट्रीट लाइट लगवाने का भुगतान किया गया है। किन्तु कुटेशन प्राप्त नहीं किया गया है। जो कि अपेक्षित थे। इसके अतिरिक्त लेखा

							परीक्षा में डेड स्टॉक रजिस्टर, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र,प्रार्थना पत्र, कार्यवाही पंजिका, चल व अचल सम्पत्ति रजिस्टर जाँच में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः भुगतान फर्जी प्रतीत होता है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।																														
5	बरेली	मीरगंज	गूला	2014—15	19	30600.	दिनांक 27.6.14 को सिराज अहमद को लोहे के जालों का भुगतान 30,600.किया गया है। किन्तु लोहे के जाल को बनवाने हेतु कोटेशन प्राप्त नहीं किये गये हैं। इस प्रकार बिना कोटेशन प्राप्त किये भुगतान किया जाना आपत्तिजनक रहा। लेखा परीक्षा में स्टॉक रजिस्टर, प्रार्थना पत्र, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, कार्यवाही रजि0, अभिलेखों के अभाव में व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः भुगतान फर्जी प्रतीत होता है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।																														
6	बरेली	मीरगंज	सिंधौली	2014—15	18	208900	लेखा परीक्षा में पाया गया कि मैसर्स अंजुम वारसी इले0 मीरगंज की स्ट्रीट लाइट लगवाने का भुगतान 2,08,900.00 हेतु अन्य फर्मों से कोटेशन प्राप्त नहीं किया गया है। बिना कोटेशन प्राप्त किये भुगतान अनियमित रहा। लेखा परीक्षा में कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र, स्टॉक रजिस्टर, कार्यस्थल, प्रार्थना पत्र, कार्यवाही रजिस्टर भी उपलब्ध नहीं रहा। अतः उक्त अभिलेखों के अभाव में भुगतान किया जाना अनियमित एवं फर्जी प्रतीत होता है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है। <table><tr><td>क्र0</td><td>दिनांक</td><td>धन राशि</td><td></td><td>दिनांक</td><td>धन राशि</td></tr><tr><td>1</td><td>23.5.14</td><td>20400.</td><td>4</td><td>11.6.14</td><td>36500</td></tr><tr><td>2</td><td>4.6.14</td><td>38000.</td><td>5</td><td>25.7.14</td><td>38000</td></tr><tr><td>3</td><td>5.6.14</td><td>76000.</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="6">कुल योग—208900</td></tr></table>	क्र0	दिनांक	धन राशि		दिनांक	धन राशि	1	23.5.14	20400.	4	11.6.14	36500	2	4.6.14	38000.	5	25.7.14	38000	3	5.6.14	76000.				कुल योग—208900					
क्र0	दिनांक	धन राशि		दिनांक	धन राशि																																
1	23.5.14	20400.	4	11.6.14	36500																																
2	4.6.14	38000.	5	25.7.14	38000																																
3	5.6.14	76000.																																			
कुल योग—208900																																					

क्रम	जनपद	विकास खण्ड	नाम ग्राम पंचायत	ले0प0 वर्ष	सा0 आ0 सं0	धनराशि	आपत्ति का विवरण																																										
7	बरेली	मीरगंज	सिंघौली	2014-15	19	235700.	लेखा परीक्षा में पाया गया कि रू0 235700. का भुगतान नल मरम्मत शकील अहमद, मीरगंज व मूलचन्द को किया गया है, किन्तु प्रमाणकों पर कार्यस्थल अंकित नहीं किया गया है। कार्य कराने से पूर्व कोटेशन प्राप्त नहीं किये गये हैं। इस प्रकार बिना कार्य सील अंकित किये जाने, बिना कोटेशन प्राप्त किये भुगतान अनियमित रहा। इसके अतिरिक्त लेखा परीक्षा में कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, कार्यवाही रजिस्टर,प्रार्थना पत्र,व्यय भुगतान पंजिका भी उपलब्ध नहीं कराई गई। जिससे किये गये भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः उपरोक्त अभिलेखों के अभाव में व्यय किया जाना एवं भुगतान किया जाना फर्जी प्रतीत होता है, जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है। —शफीक अहमद मिस्त्री <table><tr><th>क्रम</th><th>दिनांक</th><th>धन राशि</th><th>क्रम</th><th>दिनांक</th><th>धनराशि</th></tr><tr><td>1</td><td>12.4.14</td><td>29500.00</td><td>7</td><td>27.8.14</td><td>30000.00</td></tr><tr><td>2</td><td>3.5.14</td><td>15000.00</td><td>8</td><td>28.8.14</td><td>24590.00</td></tr><tr><td>3</td><td>28.5.14</td><td>15000.00</td><td>9</td><td>29.1.15</td><td>25690.00</td></tr><tr><td>4</td><td>18.6.14</td><td>15000.00</td><td>10</td><td>31.3.15</td><td>16540.00</td></tr><tr><td>5</td><td>4.8.14</td><td>15780.00</td><td>11</td><td>30.11.14</td><td>14560.00</td></tr><tr><td>6</td><td>24.8.14</td><td>11340.00</td><td>12</td><td>25.12.14</td><td>22700.00</td></tr></table> कुल योग—235700.00	क्रम	दिनांक	धन राशि	क्रम	दिनांक	धनराशि	1	12.4.14	29500.00	7	27.8.14	30000.00	2	3.5.14	15000.00	8	28.8.14	24590.00	3	28.5.14	15000.00	9	29.1.15	25690.00	4	18.6.14	15000.00	10	31.3.15	16540.00	5	4.8.14	15780.00	11	30.11.14	14560.00	6	24.8.14	11340.00	12	25.12.14	22700.00
क्रम	दिनांक	धन राशि	क्रम	दिनांक	धनराशि																																												
1	12.4.14	29500.00	7	27.8.14	30000.00																																												
2	3.5.14	15000.00	8	28.8.14	24590.00																																												
3	28.5.14	15000.00	9	29.1.15	25690.00																																												
4	18.6.14	15000.00	10	31.3.15	16540.00																																												
5	4.8.14	15780.00	11	30.11.14	14560.00																																												
6	24.8.14	11340.00	12	25.12.14	22700.00																																												
8	बरेली	मीरगंज	सिंघौली	2014-15	20	69500.00	दिनांक 20.3.15 को रू0 69500.00 स्कूल भवनों में टंकी फिटिंग का भुगतान किया गया है। जिसकी पुष्टि में स्टीमेट, कोटेशन प्राप्त नहीं किये गये हैं। इस प्रकार बिना कोटेशन स्टीमेट प्राप्त किये बिना भुगतान किया जाना अनियमित रहा। इसके अतिरिक्त लेखा परीक्षा में कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, चल व अचल सम्पत्ति रजिस्टर,व्यय अनुमान पंजिका, प्रार्थना पत्र, कार्यवाही रजिस्टर, भी उपलब्ध नहीं रहा। जिसके अभाव में उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। तथा उक्त																																										

							अभिलेखों के अभाव में व्यय व भुगतान किया जाना फर्जी प्रतीत होता है, जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।
	योग—					792170.00	

क्रम	जनपद	विकास खण्ड	नाम ग्राम पंचायत	ले०प० वर्ष	सा० आ० सं०	धनराशि	आपत्ति का विवरण				
1	बरेली	भुता	भगवती राजा राम	2014—15	25	40000.	ग्राम निधि खाता संख्या 6065000100019547 के अन्तर्गत निम्न विवरण के अनुसार धनराशि आहरित की गयी। लेकिन उक्त धनराशि की प्रविष्टि कैश बुक में अंकित नहीं की गयी। इस प्रकार दर्शित तिथियों में कुल धनराशि रु० 40000.(चालीस हजार)आहरण कर अपहरण किया गया। जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान श्रीमती रामवेटी व सचिव श्री सूरज पाल सिंह से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।				
							दिनांक	चेक संख्या	धनराशि आहरित करने वाले का नाम	धनराशि	
							23.02.2015	326516	श्रीमती रामवेटी	5000.00	
							24.02.2015	326517	श्रीमती रामवेटी	5000.00	
							25.02.2015	326518	श्रीमती रामवेटी	5000.00	
							3.3.2015	326519	श्रीमती रामवेटी	5000.00	
							4.3.2015	326520	श्रीमती रामवेटी	5000.00	
							12.3.2015	326521	श्रीमती रामवेटी	5000.00	
							19.3.2015	326522	श्रीमती रामवेटी	5000.00	
							20.3.2015	326523	श्रीमती रामवेटी	5000.00	
								योग—		40000.00	
योग						40000.					

क्रम	विकास खण्ड	धनराशि
1	आ0जा0बाद	27080.00
2	नवाबगंज	53000.00
3	भदपुरा	1578800.00
4	भोजीपुरा	24964.00
5	बिथरीचैनपुर	42500.00
6	मझगवाँ	44900.00
7	मीरगंज	792170.00
8	भुता	40000.00
	योग—	2603414

क्रम	जनपद	विकास खण्ड	नाम ग्राम पंचायत	ले0प0 वर्ष	सा0 आ0 संख्या	धनराशि	आपत्ति का विवरण
1	बरेली	आ0जा0बाद	दिगोई	2013—14, 2014—15	25	200.00	दिनांक 25.10.13 को चेक संख्या 659114 द्वारा रू04800.00 का भुगतान बैंक स्टेटमेन्ट में दर्शित है, के सापेक्ष कैश बुक में 5000.00 का व्यय कोषांकित है। इस प्रकार 200.00 का अधिक आहरण/व्यय दर्शित कर गम्भीर अनियमितता की गयी है। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। ।
2	बरेली	आ0जा0बाद	चन्दौआ	2013—14, 2014—15	22	9980.00	वर्ष 13—14 में माह अक्टूबर'13 में रू0 182434.00 का आहरण किया गया,के सापेक्ष 192434.00 का व्यय दर्शित कर 10000.00 की गम्भीर अनियमितता की गयी है। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। ।
योग—						10180.00	

3	बरेली	क्यारा	जोगीठेर	2014-15	14	591290.	आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि खाता संख्या 4111000100048950 से रूपये 591290.00 का विभिन्न तिथियों में ईट क्रय हेतु एस0एस0 ट्रेडर्स के नाम से चेक काटे गये हैं। लेखा मैनुअल अध्याय-7 एवं उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 1-2086/ दस/96-15(1)36 दिनांक 14.10.1998 के अनुसार रू0 15000.00 से अधिक मूल्य के ईट क्रय करते समय टेण्डर आमंत्रित करना चाहिये था। साथ ही फर्म का पंजीकरण/टिन नं0 अवश्य होना चाहिये था। परन्तु लेखा मैनुअल के नियमों की अवहेलना करते हुए भिन्न भिन्न तिथियों में 15000.से अधिक का ईट क्रय किया गया है। इतनी अधिक मात्रा में ईट क्रय करने के उपरान्त भी स्टॉक लेखा नहीं रखा गया है। और निर्माण कार्य पूरा होने पर कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र तथा कार्य योजना,ईट,भट्टे का डिलीवरी चालान,निर्माण कार्य स्थलों का विवरण भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। इससे स्पष्ट है कि ए0एस0ट्रेडर्स के नाम जारी चेकों का प्रयोग सरकारी धन का दुरुपयोग करने के लिये किया गया। उक्त समस्त अभिलेखों के अभाव में किया गया भुगतान फर्जी मानते हुए ब्याज सहित वसूली तत्कालीन सचिव/ प्रधान से संयुक्त रूप से अपेक्षित है।

क्रम	जनपद	विकास खण्ड	नाम ग्राम पंचायत	ले०प० वर्ष	सा० आ० सं०	धनराशि	आपत्ति का विवरण					
3	बरेली	क्यारा	जोगी ठेर	2014 – 15	14	591290.	दिनांक	चेक सं०	धन राशि	दिनांक	चेक सं०	धनराशि
							11.4.14	474552	25000.	15.12.14	474583	45500.
							22.5.14	474556	50000.	19.12.14	474587	5000.
							25.8.14	474558	35490.	24.12.14	474584	20000.
							25.8.14	474559	34510.	24.12.14	474590	20000.
							25.8.14	474560	41120.	2.1.15	474591	50000.
							25.8.14	474561	38870.	16.1.15	474596	10000.
							25.8.14	474564	31570.	28.2.15	474602	50000
							25.8.14	474565	28430.	25.3.15	474608	50000
							15.1214	474582	55800.			
							कुल योग—591290.00					
	योग—				591290.00							
4	बरेली	दम खोदा	अर्सिया बोझ	2014 – 15	24	185000.00	आलोच्य वर्ष में प्रधान/सचिव द्वारा खाता संख्या 31546440768 से चेकों के माध्यम से निम्न नकद धनराशि आहरित की गई है।					
							दिनांक	चेक सं०	धनराशि आहरित करने वाले व्यक्ति का नाम		धनराशि	
							10.5.14	245961	शकुन्तला देवी		50000.00	
							26.7.14	245963	मुकेश कुमार		65000.00	
							26.7.14	245962	शकुन्तला देवी		70000.00	
							कुल योग—185000.00					
							इस प्रकार उपरोक्त कुल धनराशि 1850000. प्रधान/सचिव द्वारा नकद आहरित की गई। शासन के वित्तीय नियमों के बावजूद विभिन्न तिथियों में रु०50000.से अधिक धनराशि आहरित की गयी है। आहरित की गयी धनराशि को कैश बुक में फर्जी व्यय दर्शाया गया है, परन्तु व्यय की गयी धनराशि से सम्बन्धित अभिलेख जैसे— व्यय प्रमाणक,मस्टर रोल, अवशेष स्टॉक रजिस्टर, आहरित धनराशि से					

							कार्य कहाँ-कहाँ किया गया, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र,कुटेशन/निविदा प्रक्रिया आदि अभिलेख अप्राप्त रहे। इससे स्पष्ट है कि आहरित धनराशि 185000.00 क गंभीर अनि0/दुरुपयोग सचिव/प्रधान द्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती शकुन्तला देवी प्रधान व श्री मुकेश कुमार शर्मा सचिव से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

क्र म	जन पद	वि0 ख0	नाम ग्राम पंचायत	ले0 प0 वर्ष	सा0 आ0 सं0	धन राशि	आपत्ति का विवरण							
4	बरेली	दम खोदा	अर्सिया बोझ	2014-15	24	185000								
5	बरेली	दम खोदा	मिलक पिचौरा	2014-15	24	868000	आलोच्य वर्ष में प्रधान/सचिव द्वारा खाता सं0-31537760744 से चेकों के माध्यम से निम्न नकद धनराशि आहरित की गई है-							
							दिनांक	चेक सं0	आहरण कर्ता	धन राशि	दिनांक	चेक सं0	आहरण कर्ता	धन राशि
							3.4.14	611486	नजरूल हसन	20000.	15.5.14	611515	परमेश्वरी	25000
							11.4.14	611501	नजरूल हसन	25000.	28.7.14	611523	परमेश्वरी	25000
							29.4.14	611508	नजरूल हसन	25000	28.7.14	611522	परमेश्वरी	25000
							29.4.14	611509	नजरूल हसन	25000	28.7.14	611521	परमेश्वरी	25000
							7.5.14	611513	नजरूल हसन	25000	13.8.14	611526	परमेश्वरी	30000.
							28.5.14	611517	नजरूल हसन	10000.	13.8.14	611527	परमेश्वरी	25000.
							28.7.14	611524	नजरूल हसन	8000.	27.8.14	611529	परमेश्वरी	25000.
							26.8.14	611528	नजरूल हसन	25000.	9.10.14	232995	परमेश्वरी	15000.
							7.4.14	611487	परमेश्वरी	20000.	22.10.14	233000	परमेश्वरी	20000.
							7.4.14	611484	परमेश्वरी	20000.	22.10.14	232999	परमेश्वरी	15000
							9.4.14	611483	परमेश्वरी	20000.	19.12.14	233010	परमेश्वरी	15000
							9.4.14	611485	परमेश्वरी	10000.	30.1.15	233016	परमेश्वरी	25000
							15.4.14	611497	परमेश्वरी	25000	12.2.15	233021	परमेश्वरी	25000
							15.4.14	611500	परमेश्वरी	25000	20.2.15	233024	परमेश्वरी	25000
							15.4.14	611498	परमेश्वरी	25000	20.2.15	233025	परमेश्वरी	25000
							25.4.14	611506	परमेश्वरी	25000	20.2.15	233023	परमेश्वरी	25000

							25.4.14	611507	परमेश्वरी	25000	3.3.15	233022	परमेश्वरी	25000
							28.4.14	611504	परमेश्वरी	25000	3.3.15	233027	परमेश्वरी	15000
							6.5.14	611502	परमेश्वरी	25000	3.3.15	233026	परमेश्वरी	15000
							15.5.14	611514	परमेश्वरी	25000	3.3.15	233028	परमेश्वरी	10000
							कुल योग—868000.00							

क्रम	जनपद	विकास खण्ड	नाम ग्राम पंचायत	ले0प0 वर्ष	सा0 आ0 सं0	धनराशि	आपत्ति का विवरण																									
5	बरेली	दमखोदा	मिलक पिचौरा	2014 – 15	24	868000.	इस प्रकार उपरोक्त कुल धनराशि रू0 868000. प्रधान/सचिव द्वारा नकद आहरित किया गया है। शासन के वित्तीय नियमों के बावजूद विभिन्न तिथियों में रू0 25000. से अधिक की धनराशि आहरित की गयी है। आहरित धनराशि को कैश बुक में व्यय दर्शाया गया है,परन्तु व्यय की गई धनराशि से सम्बन्धित अभिलेख जैसे व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, अवशेष स्टॉक रजिस्टर, आहरित धनराशि से कार्य कहाँ-कहाँ किया गया, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, कुटेशन/निविदा प्रक्रिया,आदि अभिलेख अप्राप्त रहे। इससे स्पष्ट है कि आहरित धनराशि रू0 868000. की गंभीर अनि0/दुरुपयोग, सचिव/प्रधान द्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती परमेश्वरी देवी प्रधान व श्री नजरूल हसन ग्रा0पं0अधि0 से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।																									
6	बरेली	दमखोदा	मगदपुर	2014– 15	24	63000.	<table><tr><td>आलोच्य वर्ष में प्रधान/सचिव द्वारा खाता संख्या 31543141681 से चेकों के माध्यम से निम्न नकद धनराशि आहरित की गई है।</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>दिनांक</td><td>चेक सं0</td><td>धनराशि आहरण कर्ता</td><td>धनराशि</td><td>व्यय मद</td></tr><tr><td>22.4.14</td><td>771725</td><td>नेतराम -----</td><td>13000.00</td><td>मिट्टी डाल ने पर</td></tr><tr><td>10.10.14</td><td>778594</td><td>----- नत्थो देवी</td><td>20000.00</td><td>मिट्टी डाल ने पर</td></tr><tr><td>11.10.14</td><td>778596</td><td>नत्थो देवी -----</td><td>15000.00</td><td>मिट्टी डाल ने पर</td></tr></table>	आलोच्य वर्ष में प्रधान/सचिव द्वारा खाता संख्या 31543141681 से चेकों के माध्यम से निम्न नकद धनराशि आहरित की गई है।					दिनांक	चेक सं0	धनराशि आहरण कर्ता	धनराशि	व्यय मद	22.4.14	771725	नेतराम -----	13000.00	मिट्टी डाल ने पर	10.10.14	778594	----- नत्थो देवी	20000.00	मिट्टी डाल ने पर	11.10.14	778596	नत्थो देवी -----	15000.00	मिट्टी डाल ने पर
आलोच्य वर्ष में प्रधान/सचिव द्वारा खाता संख्या 31543141681 से चेकों के माध्यम से निम्न नकद धनराशि आहरित की गई है।																																
दिनांक	चेक सं0	धनराशि आहरण कर्ता	धनराशि	व्यय मद																												
22.4.14	771725	नेतराम -----	13000.00	मिट्टी डाल ने पर																												
10.10.14	778594	----- नत्थो देवी	20000.00	मिट्टी डाल ने पर																												
11.10.14	778596	नत्थो देवी -----	15000.00	मिट्टी डाल ने पर																												

							10.11.14	778600	----- नत्थो देवी	15000.00	मिट्टी डाल ने पर
								योग—		63000.00	
							इस प्रकार उपरोक्त कुल धनराशि रु0 63000. प्रधान/सचिव द्वारा नकद आहरित की गयी। शासन के वित्तीय नियमों के बावजूद विभिन्न तिथियों में रु013000.00 से अधिक की धनराशि आहरित की गई है। आहरित की गयी धन— राशि को कैश बुक में फर्जी मिट्टी व्यय दर्शाया गया है। परन्तु व्यय की गयी धनराशि से सम्बन्धित अभिलेख जैसे—व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, अवशेष स्टॉक रजिस्टर, आहरित धनराशि से कार्य कहाँ कहाँ किया गया, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, कुटेशन/निविदा प्रक्रिया, आदि अभिलेख अप्राप्त रहे। इससे स्पष्ट है कि आहरित धनराशि रु063000. की गंभीर अनियमितता/दुरुपयोग, सचिव/प्रधान द्वारा किया गया है। जिसक ब्याज सहित वसूली श्रीमती नत्थो देवी प्रधान व श्री वीरपाल सचिव से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।				

क्र 0	जन पद	वि० ख०	नाम ग्राम पंचा यत	ले० प० वर्ष	सा० आ० सं०	धनराशि	आपत्ति का विवरण									
7	बरेली	दम खोदा	पुरैना ताल	2014 —15	24	334108	आलोच्य वर्ष में प्रधान/सचिव द्वारा खाता सं०—31543147402 से चेकों के माध्यम से निम्न नकद धनराशि आहरित की गई है।									
							दिनांक	चेक सं०	आहर ण कर्ता	धन राशि	व्यय मद	दिनांक	चेक सं०	आह रण कर्ता	धन राशि	व्यय मद
							23.4.14	179 214	नरेन्द्र सिंह	14250	ईट	17.11.14	682 736	नरेन्द्र सिंह	8232.	ईट
							9.5.14	179 216	नरेन्द्र सिंह	20000	ईट	21.11.14	682 738	नरेन्द्र सिंह	10.308	ईट
							15.5.14	179 215	नरेन्द्र सिंह	15000	सीमे न्ट	21.11.14	682 735	नरेन्द्र सिंह	16986	ईट
							7.7.14	179 218	नरेन्द्र सिंह	15000	मिट्टी	5.12.14	682 741	नरेन्द्र सिंह	17500	एम आर
							7.7.14	179 219	नरेन्द्र सिंह	15000	मिट्टी	9.12.14	682 740	नरेन्द्र सिंह	7492	सीमेन्ट
							7.7.14	179 217	नरेन्द्र सिंह	15000	ईट	9.12.14	682 734	नरेन्द्र सिंह	5744	सीमेन्ट
							7.7.14	179	नरेन्द्र	15000	एम	30.12.14	682	नरेन्द्र	10000	मिट्टी

								220	सिंह		आर		742	सिंह		
							13.10.14	179 221	नरेन्द्र सिंह	15000	ईट	16.1.15	682 746	नरेन्द्र सिंह	15000	ईट
							13.10.14	179 222	नरेन्द्र सिंह	15000	ईट	16.1.15	682 747	नरेन्द्र सिंह	15000	ईट
							20.10.14	179 224	नरेन्द्र सिंह	15000	सीमे न्ट	21.1.15	682 748	नरेन्द्र सिंह	15000	मिट्टी
							31.10.14	682 732	नरेन्द्र सिंह	15000	मिट्टी	28.1.15	682 748	नरेन्द्र सिंह	15000	एम आर
							31.10.14	682 731	नरेन्द्र सिंह	15000	एम आर	----	— —	----	----	----
							17.11.14	682 737	नरेन्द्र सिंह	13596	सीमे न्ट	कुल योग—334108.00				

इस प्रकार उपरोक्त कुल धनराशि रू0 334108. प्रधान/सचिव द्वारा नकद आहरित की गयी है। शासन के वित्तीय नियमों के बावजूद विभिन्न तिथियों में रू0 15000.से अधिक की धनराशि आहरित की गयी है। आहरित धनराशि रू0 334108. में 144776. ईट में रू0 70000. मिट्टी में, 62500. एम.आर भुगतान तथा रू0 56832. सीमेन्ट, बजरी रेत व्यय में दर्शित किया गया है। परन्तु व्यय की गयी धन राशि से सम्बन्धित अभिलेख जैसे,व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, अवशेष स्टॉक रजिस्टर, आहरित धनराशि से कार्य कहाँ कहाँ किया गया, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, कुटेशन/निविदा प्रक्रिया आदि अभिलेख अप्राप्त रहे। इससे स्पष्ट है कि आहरित धनराशि रू0 334108.की गंभीर अनि0/दुरुपयोग, सचिव/प्रधान द्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री नरेन्द्र सिंह प्रधान व श्री वीरपाल ग्राम विकास अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

क्र०	जनपद	वि० खण्ड	नाम ग्राम पंचायत	ले० प० वर्ष	सा० आ० सं०	धनराशि	आपत्ति का विवरण			
8	बरेली	भदपुरा	मुड़िया चौधरी	2013 -14, 2014 -15	24	23000.00	आलोच्य वर्ष में प्रधान/सचिव द्वारा खाता संख्या 12710100009524 से चेकों के माध्यम से निम्न नकद धनराशि आहरित की गई है।			
							दिनांक	चेक सं०	धनराशि आहरणकर्ता	धनराशि
							6.1.14	514120	संगीता	5000.00
							9.1.14	514118	नकद	5000.00
							9.1.14	514115	नकद	5000.00
							13.2.14	514119	स्वयं	5000.00
							20.2.14	07	स्वयं	3000.00
								योग-		23000.00
							इस प्रकार उपरोक्त कुल धनराशि रु० 23000. प्रधान/सचिव द्वारा नकद आहरित की गई। आहरित की गई धनराशि को कैश बुक में फर्जी व्यय दर्शाया गया है। परन्तु व्यय की गयी धनराशि से सम्बन्धित अभिलेख जैसे-व्यय प्रमाणकमस्टर रोल, अवशेष स्टॉक रजिस्टर, आहरित धनराशि से कार्य कहाँ कहाँ किया गया, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, कुटेशन/निविदा प्रक्रिया आदि अभिलेख अप्राप्त रहे। इससे स्पष्ट है कि आहरित धनराशि रु० 23000.की गंभीर अनि०/दुरुपयोग, सचिव/प्रधान द्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री हरप्रसाद प्रधान व श्रीमती संगीता देवी सचिव सेसंयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।			
9	बरेली	भदपुरा	मधुनगला	2013 -14, 2014 -15	24	175000.00	आलोच्य वर्ष 2013-14 में प्रधान/सचिव द्वारा खाता संख्या-12710100009518 से चेकों के माध्यम से निम्न नकद धनराशि आहरित की गई है।			
							दिनांक	चेक सं०	आहरण कर्ता	धन राशि
							12.4.13	506 582	संगीता	5000.
							18.4.13	506 584	रामवीर	5000
							18.4.13	506 589	रामवीर	5000
							18.4.13	506 586	रामवीर	5000
							2.5.13	506	संगीता	5000
							5.9.13	509 040	रामवीर	5000

								596				893		
							31.8.13	509 032	रामवीर	5000	2.11.13	509 894	रामवीर	5000
							31.8.13	509 033	रामवीर	5000	26.12.13	509 900	संगीता	5000
							4.9.13	509 038	रामवीर	5000	26.12.13	509 899	संगीता	5000

क्र०	जन पद	वि० ख०	नाम ग्राम पंचायत	ले० प० वर्ष	सा० आ० सं०	धन राशि	आपत्ति का विवरण							
10	बरेली	भद पुरा	मधु नगला	2013-14, 2014-15	25	112400	आलोच्य वर्ष 2014-15 में प्रधान/सचिव द्वारा खाता सं०-12710100009518 से चेक द्वारा निम्न नकद धनराशि आहरित की गई है।							
							दिनांक	चेक सं.	आहरण कर्ता	धन राशि	दिनांक	चेक सं.	आहरण कर्ता	धन राशि
							09.4.14	9	स्वयं	10000	16.1.15	521 861	श्री राम	15000.
							11.4.14	10	राम वीर	10000	5.2.15	521 861	रामवीर	10000.
							28.6.14	18	राम वीर	9900.	12.2.15	521 861	श्री राम	15000.
							27.11.14	5218 61	श्री राम	15000	3.3.15	525 401	श्री राम	12500.
							10.1.15	5218 65	राम वीर	15000				
							कुल योग-112400.00							
							इस प्रकार उपरोक्त कुल धनराशि रु०112400. प्रधान/सचिव द्वारा नकद आहरित की गयी। आहरित की गयी धनराशि को कैश बुक में फर्जी व्यय दर्शाया गया है। परन्तु व्यय की गयी धनराशि से सम्बन्धित अभिलेख जैसे-व्यय प्रमाणक,मस्टर रोल,अवशेष स्टॉक रजिस्टर, आहरित धनराशि से कार्य कहाँ कहाँ किया गया,कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र,कुटेशन/निविदा प्रक्रिया आदि अभिलेख अप्राप्त रहे। इससे स्पष्ट है कि आहरित धनराशि रु० 112400. की गंभीर अनि०/दुरुपयोग सचिव/प्रधान द्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री रामवीर प्रधान व श्री राम वर्मा सचिव सेसंयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।							

क्रम	जनपद	विकास ख०	नाम ग्राम पंचायत	ले० प० वर्ष	सा० आ० सं०	धन राशि	आपत्ति का विवरण																																								
11	बरेली	भदपुरा	अभयराज पुर	2014-15	26	105000.	आलोच्य वर्ष में निम्नांकित तिथियों में 105000. रहमान ब्रिक्स फील्ड फर्म को पी०एन०बी० खाता संख्या 4194000100065677 के माध्यम से भुगतान किया गया। इतनी बड़ी मात्रा में ईट क्रय करने के उपरान्त स्टॉक पंजिका नहीं बनाई गई। साथ ही वर्ष के दौरान कहाँ कहाँ कार्य सम्पन्न किये गये अज्ञात रहा। व्यय प्रमाणक मस्टर रोल, टेन्डर पत्रावली, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर, स्वीकृत एस्टीमेट, कार्य योजना ईट के डिलीवरी चालान आदि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे। फर्म रजिस्टर्ड है या नहीं, टिन है या नहीं, स्पष्ट नहीं हो सका। 30000. से अधिक के क्रय में टी०डी०एस० काटा जाना चाहिये था, जो नहीं काटा गया दर्शित है। अभिलेखों के अभाव में रू० 105000. को फर्जी मानते हुए प्रधान व सचिव से सयुक्त रूप से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। <table border="1"> <thead> <tr> <th>दिनांक</th><th>चेक सं.</th><th>नाम फर्म</th><th>धन राशि</th><th>दिनांक</th><th>चेक सं.</th><th>नाम फर्म</th><th>धन राशि</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16.8.14</td><td>26774 8</td><td>रहमान ब्रि० फी०</td><td>15000</td><td>26.8.14</td><td>26775 2</td><td>रहमान ब्रि० फी०</td><td>15000</td></tr> <tr> <td>16.8.14</td><td>26774 9</td><td>रहमान ब्रि० फी०</td><td>15000</td><td>3.11.14</td><td>26776 2</td><td>रहमान ब्रि० फी०</td><td>15000</td></tr> <tr> <td>26.8.14</td><td>26775 4</td><td>रहमान ब्रि० फी०</td><td>15000</td><td>3.11.14</td><td>26776 3</td><td>रहमान ब्रि० फी०</td><td>15000</td></tr> <tr> <td>26.8.14</td><td>26775 5</td><td>रहमान ब्रि० फी०</td><td>15000</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> कुल योग—105000.00	दिनांक	चेक सं.	नाम फर्म	धन राशि	दिनांक	चेक सं.	नाम फर्म	धन राशि	16.8.14	26774 8	रहमान ब्रि० फी०	15000	26.8.14	26775 2	रहमान ब्रि० फी०	15000	16.8.14	26774 9	रहमान ब्रि० फी०	15000	3.11.14	26776 2	रहमान ब्रि० फी०	15000	26.8.14	26775 4	रहमान ब्रि० फी०	15000	3.11.14	26776 3	रहमान ब्रि० फी०	15000	26.8.14	26775 5	रहमान ब्रि० फी०	15000				
दिनांक	चेक सं.	नाम फर्म	धन राशि	दिनांक	चेक सं.	नाम फर्म	धन राशि																																								
16.8.14	26774 8	रहमान ब्रि० फी०	15000	26.8.14	26775 2	रहमान ब्रि० फी०	15000																																								
16.8.14	26774 9	रहमान ब्रि० फी०	15000	3.11.14	26776 2	रहमान ब्रि० फी०	15000																																								
26.8.14	26775 4	रहमान ब्रि० फी०	15000	3.11.14	26776 3	रहमान ब्रि० फी०	15000																																								
26.8.14	26775 5	रहमान ब्रि० फी०	15000																																												
	योग—					415400.																																									
12	बरेली	बिथरी चैनपुर	परेवा कुईया	2014-15	15	521100.	आलोच्य वर्ष 14-15 में श्री विपिन कुमार सक्सेना(सचिव) द्वारा दिनांक 7.4.14 से 5.11.14 तक विभिन्न तिथियों में रू० 521100. का व्यय किया गया है। परन्तु लेखा परीक्षा के दौरान जाँच हेतु उक्त व्यय की धनराशि 521100. के सापेक्ष कोष बही व्यय प्रमाणक, स्टॉक रजि०, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र एवं कार्य कहाँ-कहाँ सम्पन्न हुआ, से सम्बन्धित पंजिका आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। उक्त अभिलेखों के अभाव में उक्त व्यय की गई धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः उक्त व्यय की धनराशि 521100. के दुरुपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः प्रधान/सचिव से सयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूली हेतु विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।																																								
	योग—					521100.00																																									

क्रम	जनपद	विकास खण्ड	नाम ग्राम पंचायत	ले0प0वर्ष	सा0 आ0 सं0	धनराशि	आपत्ति का विवरण		
13	बरेली	शेरगढ़	ढकिया ठाकुरान	,2014—15	19	40444.	वर्ष आलोच्य की रोकड़ बही की जाँच में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में सीमेन्ट, बजरफुट (निर्माण सामग्री) आदि निम्नानुसार क्रय किया जाना दर्शित है।		
							दिनांक	सामग्री क्रय	धनराशि
							16.8.14	सीमेन्ट क्रय	10000.00
							16.8.14	बजरफुट क्रय	10000.00
							26.8.14	सीमेन्ट क्रय	15000.00
							26.8.14	रेता बजरी व लोहा	5444.00
							कुल योग—40444.00		
	योग—				40444.	उक्त सामग्री के प्रयोग की पुष्टि जो मजदुरी का भुगतान मस्टर रोल के आधार पर किया गया है। वह दिनांक 20.9.14 का है,तथा अंकित विवरण के अनुसार यह भुगतान खंडजा निर्माण के संदर्भ में किया गया है। जबकि खंडजा निर्माण में उक्त क्रय सामग्री के प्रयोग का कोई औचित्य नहीं है। व निर्माण पंजिका एवं स्टॉक पंजिका भी नहीं बनाया गया है। जिससे उक्त सामग्री के क्रय व उसके उपयोग की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो। अतः उक्त से स्पष्ट है कि क्रय सामग्री काल्पनिक दर्शा कर रूपया 40444.00 का दुरुपयोग किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।			
14	बरेली	मझगवाँ	जैतपुर शरीफपुर	2014—15	19	183000.	लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत स्तर पर माह अगस्त'14 मे रू0183000, की सामग्री निम्न विवरणानुसार क्रय की गई है। 20.8.14—ईट क्रय—49000, 49000, 50000, 35000,—183000.00 उक्त क्रय निम्न तथ्यों के आधार पर काल्पनिक रहा—1.क्रय से पूर्व ग्राम पंचायत स्तर पर पारित प्रस्ताव की पुष्टि में कार्यवाही पंजिका अप्राप्त रही। 2.ईट क्रय आदेश व आपूर्ति आदेश की प्रति भी लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रही। 3.ऐसा कोई विवरण/एस्टीमेट भी नहीं पाया गया कि ईट का प्रयोग किन-किन स्थानों पर किन-किन		

							कार्यों हेतु किया जाना है। 4. स्टॉक पंजिका प्रस्तुत नहीं किये जाने से इसके स्टॉक प्रविष्टि की भी पुष्टि नहीं होती है। 5. क्रय किये गये ईट के प्रयोग की पुष्टि में कोई प्रमाणक (मस्टर रोल) भी प्रस्तुत नहीं रहा। वस्तुतः ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं रहा, जिससे उक्त क्रय ईट के प्रयोग की पुष्टि होती हो। उक्त से स्पष्ट है कि वास्तव में ईट क्रय ही नहीं किया गया। अतः रु० 183000 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

—प्रारूप—04—

—ग्राम पंचायत (प्रस्तर-02) — (गंभीर अनियमितता)

क्र०	जनपद	वि० ख०	नाम ग्राम पंचायत	ले० प० वर्ष	सा० आ० सं०	धनराशि	आपत्ति का विवरण
15	बरेली	क्यारा	चन्दपुर जोगियान	,2014 —15	14	296000.	आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि खाता संख्या 4111000100048987 से एस०एस०ट्रेडर्स को 170000. तथा किंग ब्रिक को 126000. कुल 296000. का विभिन्न तिथियों में ईट क्रय हेतु चेक काटे गये हैं। लेखा मैनुअल के अध्याय-7 एवं उ०प्र० शासनादेश संख्या 1 – 2086/दस/96-15(1)36 दिनांक 14.10.1998 के अनुसार रु० 15000. से अधिक मूल्य की ईट क्रय करते समय टेण्डर आमंत्रित करना चाहिये था। साथ ही फर्म का पंजीकरण/टिन नं० अवश्य अंकित होना चाहिये, परन्तु लेखा मैनुअल के नियमों की अवहेलना करते हुए विभिन्न तिथियों में 15000. से अधिक का ईट क्रय किया गया है। इतनी अधिक मात्रा में ईट क्रय करने के उपरान्त भी स्टॉक लेखा नहीं रखा गया है। और निर्माण कार्य पूरा होने पर कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, तथा कार्य योजना, ईट भट्टे का डिलीवरी चालान, निर्माण कार्य स्थलों का विवरण भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। इससे स्पष्ट है कि एस०एस० ट्रेडर्स तथा किंग ब्रिक के नाम जारी चेकों का प्रयोग सरकारी धन का दुरुपयोग करने के लिये किया गया। उक्त समस्त अभिलेखों के अभाव में किया गया

							भुगतान फर्जी मानते हुए ब्याज सहित वसूली सचिव/प्रधान से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।																																																
							<table><tr><th>दिनांक</th><th>चेक सं०</th><th>धन राशि</th><th>दिनांक</th><th>चेक सं०</th><th>धनराशि</th></tr><tr><td>24.11.14</td><td>2778 66</td><td>20000.</td><td>16.3.15</td><td>277899</td><td>40000.</td></tr><tr><td>9.12.14</td><td>277876</td><td>20000.</td><td>26.11.14</td><td>277862</td><td>50000.</td></tr><tr><td>13.1.15</td><td>277888</td><td>10000.</td><td>2.12.14</td><td>277871</td><td>21000</td></tr><tr><td>24.2.15</td><td>277891</td><td>30000.</td><td>27.12.14</td><td>277884</td><td>30000.</td></tr><tr><td>27.2.15</td><td>277894</td><td>25000.</td><td>20.2.14</td><td>277892</td><td>25000.</td></tr><tr><td>7.3.15</td><td>277897</td><td>25000.</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="6">कुल योग—296000.00</td></tr></table>	दिनांक	चेक सं०	धन राशि	दिनांक	चेक सं०	धनराशि	24.11.14	2778 66	20000.	16.3.15	277899	40000.	9.12.14	277876	20000.	26.11.14	277862	50000.	13.1.15	277888	10000.	2.12.14	277871	21000	24.2.15	277891	30000.	27.12.14	277884	30000.	27.2.15	277894	25000.	20.2.14	277892	25000.	7.3.15	277897	25000.				कुल योग—296000.00					
दिनांक	चेक सं०	धन राशि	दिनांक	चेक सं०	धनराशि																																																		
24.11.14	2778 66	20000.	16.3.15	277899	40000.																																																		
9.12.14	277876	20000.	26.11.14	277862	50000.																																																		
13.1.15	277888	10000.	2.12.14	277871	21000																																																		
24.2.15	277891	30000.	27.12.14	277884	30000.																																																		
27.2.15	277894	25000.	20.2.14	277892	25000.																																																		
7.3.15	277897	25000.																																																					
कुल योग—296000.00																																																							

क्रम	जनपद	वि० ख०	नाम ग्राम पंचायत	ले० प० वर्ष	सा० आ० सं०	धनराशि	आपत्ति का विवरण
16	बरेली	क्यारा	गौतारा	,2014-15	14	278900.	आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि खाता संख्या 4111000100048941 से कुल 278900 का विभिन्न तिथियों में ईट क्रय हेतु एस. एस. ट्रेडर्स को 102000., तथा नियु शिवा ब्रिक को 176900. कुल 278900. के चेक काटे गये हैं। लेखा मैनुअल के अध्याय-7 एवं उ०प्र०शासनादेश संख्या 1-2086/दस/96-15(1)36 दिनांक 14.10.1998 के अनुसार रु०15000.से अधिक मूल्य की ईट क्रय करते समय टेण्डर आमंत्रित करना चाहिये था। साथ ही फर्म का पंजीकरण/टिन न० अवश्य अंकित होना चाहिये,परन्तु लेखा मैनुअल के नियमों की अवहेलना करते हुए विभिन्न तिथियों में 15000.से अधिक का ईट क्रय किया गया है। इतनी अधिक मात्रा में ईट क्रय करने के उपरान्त भी स्टॉक लेखा नहीं रखा गया है। और निर्माण कार्य पूरा होने पर कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, तथा कार्य योजना, ईट भट्टे का डिलीवरी चालान, निर्माण कार्य स्थलों का विवरण भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। इससे स्पष्ट है कि एस०एस०ट्रेडर्स तथा न्यू शिवा ब्रिक के नाम जारी चेकों का प्रयोग सरकारी धन का दुरुपयोग करने के लिये किया गया। उक्त समस्त अभिलेखों के अभाव में किया गया भुगतान फर्जी मानते हुए ब्याज सहित वसूली

							सचिव/प्रधान से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।																																										
							<table><tr><th>दिनांक</th><th>चेक सं०</th><th>धन राशि</th><th>दिनांक</th><th>चेक सं०</th><th>धन राशि</th></tr><tr><td>10.6.14</td><td>295071</td><td>30000.00</td><td>14.3.15</td><td>295088</td><td>10000.00</td></tr><tr><td>16.10.14</td><td>63326</td><td>10000.00</td><td>11.4.14</td><td>63319</td><td>7190.00</td></tr><tr><td>16.10.14</td><td>63327</td><td>10000.00</td><td>15.10.14</td><td>63325</td><td>30000.00</td></tr><tr><td>10.11.14</td><td>63336</td><td>30000.00</td><td>25.11.14</td><td>63338</td><td>75000.00</td></tr><tr><td>25.11.14</td><td>295080</td><td>12000.00</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="6">कुल योग—278900.00</td></tr></table>	दिनांक	चेक सं०	धन राशि	दिनांक	चेक सं०	धन राशि	10.6.14	295071	30000.00	14.3.15	295088	10000.00	16.10.14	63326	10000.00	11.4.14	63319	7190.00	16.10.14	63327	10000.00	15.10.14	63325	30000.00	10.11.14	63336	30000.00	25.11.14	63338	75000.00	25.11.14	295080	12000.00				कुल योग—278900.00					
दिनांक	चेक सं०	धन राशि	दिनांक	चेक सं०	धन राशि																																												
10.6.14	295071	30000.00	14.3.15	295088	10000.00																																												
16.10.14	63326	10000.00	11.4.14	63319	7190.00																																												
16.10.14	63327	10000.00	15.10.14	63325	30000.00																																												
10.11.14	63336	30000.00	25.11.14	63338	75000.00																																												
25.11.14	295080	12000.00																																															
कुल योग—278900.00																																																	

क्र०	जनपद	विकास खण्ड	नाम ग्राम पंचायत	ले० प० वर्ष	सा० आ० सं०	धन राशि	आपत्ति का विवरण																																																																																								
17	बरेली	दमखोदा	दमखोदा	2014-15	24	895000.	आलोच्य वर्ष 2013-14में प्रधान/सचिव द्वारा खाता सं०-31537763789 से चेकों के माध्यम से निम्न नकद धनराशि आहरित की गई है। <table> <tr> <th>दिनांक</th><th>चेक सं.</th><th>आहरणकर्ता</th><th>धन राशि</th><th>दिनांक</th><th>चेक सं.</th><th>आहरणकर्ता</th><th>धन राशि</th></tr> <tr> <td>4.4.14</td><td>721194</td><td>करन</td><td>40000.</td><td>19.8.14</td><td>082046</td><td>रवि कुमार</td><td>15000</td></tr> <tr> <td>4.4.14</td><td>721192</td><td>करन</td><td>40000.</td><td>9.9.14</td><td>082048</td><td>रवि कुमार</td><td>15000</td></tr> <tr> <td>7.4.14</td><td>721188</td><td>रवि कुमार</td><td>60000</td><td>9.9.14</td><td>082051</td><td>करन</td><td>10000.</td></tr> <tr> <td>7.4.14</td><td>721190</td><td>रवि कुमार</td><td>40000.</td><td>9.9.14</td><td>082049</td><td>करन</td><td>15000.</td></tr> <tr> <td>7.4.14</td><td>721191</td><td>रवि कुमार</td><td>20000.</td><td>3.2.15</td><td>082054</td><td>रवि कुमार</td><td>15000</td></tr> <tr> <td>11.4.14</td><td>721187</td><td>रवि कुमार</td><td>40000.</td><td>3.2.15</td><td>082055</td><td>रवि कुमार</td><td>15000</td></tr> <tr> <td>11.4.14</td><td>721188</td><td>रवि कुमार</td><td>40000</td><td>3.2.15</td><td>082056</td><td>रवि कुमार</td><td>15000</td></tr> <tr> <td>11.4.14</td><td>721198</td><td>रवि कुमार</td><td>20000.</td><td>3.2.15</td><td>082057</td><td>रवि कुमार</td><td>15000.</td></tr> <tr> <td>11.4.14</td><td>721177</td><td>करन</td><td>30000</td><td>10.2.15</td><td>082056</td><td>रवि कुमार</td><td>15000.</td></tr> <tr> <td>11.4.14</td><td>721197</td><td>करन</td><td>30000</td><td>10.2.15</td><td>082059</td><td>रवि</td><td>15000.</td></tr> </table>	दिनांक	चेक सं.	आहरणकर्ता	धन राशि	दिनांक	चेक सं.	आहरणकर्ता	धन राशि	4.4.14	721194	करन	40000.	19.8.14	082046	रवि कुमार	15000	4.4.14	721192	करन	40000.	9.9.14	082048	रवि कुमार	15000	7.4.14	721188	रवि कुमार	60000	9.9.14	082051	करन	10000.	7.4.14	721190	रवि कुमार	40000.	9.9.14	082049	करन	15000.	7.4.14	721191	रवि कुमार	20000.	3.2.15	082054	रवि कुमार	15000	11.4.14	721187	रवि कुमार	40000.	3.2.15	082055	रवि कुमार	15000	11.4.14	721188	रवि कुमार	40000	3.2.15	082056	रवि कुमार	15000	11.4.14	721198	रवि कुमार	20000.	3.2.15	082057	रवि कुमार	15000.	11.4.14	721177	करन	30000	10.2.15	082056	रवि कुमार	15000.	11.4.14	721197	करन	30000	10.2.15	082059	रवि	15000.
दिनांक	चेक सं.	आहरणकर्ता	धन राशि	दिनांक	चेक सं.	आहरणकर्ता	धन राशि																																																																																								
4.4.14	721194	करन	40000.	19.8.14	082046	रवि कुमार	15000																																																																																								
4.4.14	721192	करन	40000.	9.9.14	082048	रवि कुमार	15000																																																																																								
7.4.14	721188	रवि कुमार	60000	9.9.14	082051	करन	10000.																																																																																								
7.4.14	721190	रवि कुमार	40000.	9.9.14	082049	करन	15000.																																																																																								
7.4.14	721191	रवि कुमार	20000.	3.2.15	082054	रवि कुमार	15000																																																																																								
11.4.14	721187	रवि कुमार	40000.	3.2.15	082055	रवि कुमार	15000																																																																																								
11.4.14	721188	रवि कुमार	40000	3.2.15	082056	रवि कुमार	15000																																																																																								
11.4.14	721198	रवि कुमार	20000.	3.2.15	082057	रवि कुमार	15000.																																																																																								
11.4.14	721177	करन	30000	10.2.15	082056	रवि कुमार	15000.																																																																																								
11.4.14	721197	करन	30000	10.2.15	082059	रवि	15000.																																																																																								

													कुमार		
							11.4.14	721195	करन	40000.	11.2.15	082065	रवि कुमार	15000.	
							21.4.14	721196	करन	15000.	11.2.16	082066	रवि कुमार	15000.	
							29.4.14	721185	करन	15000.	20.2.15	082060	रवि कुमार	15000.	
							30.4.14	116222	करन	12000	20.2.15	082061	रवि कुमार	15000.	
							15.5.14	116224	रवि कुमार	25000	20.2.15	082062	रवि कुमार	15000.	
							28.5.14	116223	नेम चन्द	10000	27.2.15	082070	रवि कुमार	10000.	
							2.6.14	621200	करन	25000.	27.2.15	082071	रवि कुमार	20000.	
							23.6.14	737650.	रवि कुमार	15000.	27.2.15	082067	रवि कुमार	10000.	
							7.7.14	737649	करन	10000	27.2.15	082073	रवि कुमार	20000.	
							4.8.14	082041	रवि कुमार	10000	3.3.15	082076	रवि कुमार	15000.	
							6.8.14	082042	करन	8000.	13.3.15	082077	रवि कुमार	15000.	
							12.8.14	082044	रवि कुमार	15000.	13.3.15	082078	रवि कुमार	15000.	
							कुल योग—895000.00								

क्रम	जनपद	विकास खण्ड	नाम ग्राम पंचायत	ले0प0 वर्ष	सा0 आ0 सं0	धनराशि	आपत्ति का विवरण
17	बरेली	दमखोदा	दमखोदा	2014-15	24	895000.	इस प्रकार उपरोक्त कुल धनराशि रु0 895000.00 प्रधान/सचिव द्वारा नकद आहरित की गयी। आहरित धनराशि को कैश बुक में फर्जी व्यय दर्शित किया गया है। दर्शित व्यय से संबंधित अभिलेख जैसे-व्यय प्रमाणक,मस्टर रोल,अवशेष स्टॉक रजि0 आहरित धनराशि से कार्य कहाँ कहाँ किया

							गया,कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र,कुटेशन/निविदा प्रक्रिया आदि अभिलेख अप्राप्त रहे। इससे स्पष्ट है कि आहरित धनराशि रु0 895000. की गंभीर अनि0/दुरुपयोग,सचिव/प्रधान द्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री रवि कुमार प्रधान व श्री करन सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।																				
18	बरेली	दमखोदा	दमखोदा	2014—15	25	215950.	<table><tr><td colspan="4">आलोच्य वर्ष 2014—15 में निम्न चेक आहरित है।</td></tr><tr><td>दिनांक</td><td>चेक संख्या</td><td>आहरण कर्ता</td><td>धनराशि</td></tr><tr><td>16.7.14</td><td>737648.</td><td>नेडा प्रो0प्लान</td><td>78450.00</td></tr><tr><td>14.9.14</td><td>082050.</td><td>नेडा प्रो0प्लान</td><td>137500.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td>योग—</td><td>215950.00</td></tr></table> इस प्रकार वर्ष आलोच्य में रु0215950. का व्यय संस्था नेडा प्रो0प्लान को किया गया है। इससे सम्बन्धित अभिलेख जैसे—आदेश प्रमाण पत्र,व्यय प्रमाणक, निविदा प्रक्रिया,कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र आदि अभिलेख अप्राप्त रहे। इससे स्पष्ट है कि उपरोक्त धनराशि रूपये 215950. 00 की गंभीर अनि0/दुरु0,सचिव/प्रधान द्वारा की गई है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री रवि कुमार प्रधान व श्री करन सिंह सचिव से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।	आलोच्य वर्ष 2014—15 में निम्न चेक आहरित है।				दिनांक	चेक संख्या	आहरण कर्ता	धनराशि	16.7.14	737648.	नेडा प्रो0प्लान	78450.00	14.9.14	082050.	नेडा प्रो0प्लान	137500.00			योग—	215950.00
आलोच्य वर्ष 2014—15 में निम्न चेक आहरित है।																											
दिनांक	चेक संख्या	आहरण कर्ता	धनराशि																								
16.7.14	737648.	नेडा प्रो0प्लान	78450.00																								
14.9.14	082050.	नेडा प्रो0प्लान	137500.00																								
		योग—	215950.00																								

—ग्राम पंचायत(प्रस्तर-02)—(गंभीर अनियमितता)

क्रम	विकास खण्ड	अपहरण	गंभीर अनिय0	योग
1	आ0जा0बाद	27080.00	10180.00	37260.00
2	दमखोदा	-----	2561058.00	5124392.00
3	नवाबगंज	53000.00	-----	53000.00
4	भदपुरा	1578800.00	415400.00	1994200.00
5	भोजीपुरा	24964.00	-----	24964.00
6	बिथरी चैनपुर	42500.00	521100.00	563600.00
7	मझगवाँ	44900.00	183000.00	227900.00
8	क्यारा	-----	1166150.00	1166150.00

9	मीरगंज	792170.00	-----	792170.00
10	भुता	40000.00	-----	40000.00
11	शेरगढ़	-----	40444.00	40444.00
	योग—	2603414.00	4897332.00	7500746.00

जनपद शाहजहाँपुर मण्डल बरेली

ग्राम पंचायत — हेतम नगल लेखा परीक्षा वर्ष — 2014—15

(1) 3—वर्ष दौरान निम्नांकित विवरणानुसार नल व हैंडपम्प मरम्मत का भुगतान किया गया, जिसकी पुष्टि में स्थान का उल्लेख, अनुमानित व्यय का मांगपत्र व उसकी स्वीकृति, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं नल/ हैंडपम्प रखरखाव संबंधित पंजिका लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया जिससे धन का अपहरण किया गया स्पष्ट है। अतः इसकी ग्राम प्रधान श्रीमती रामवती व ग्रा0 पं0 अ प्रमोद कुमार मिश्रा से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है—

<u>दिनांक</u>	<u>प्रमाणक संख्या</u>	<u>धनराशि</u>
11.04.2014	07	4500.00
30.05.2014	09	1915.00
08.09.2014	23	580.00
15.09.2014	25	1500.00
24.09.2014	29	1500.00
11.12.2014	31	2000.00
09.02.2015	40	2970.00

योग— 14965.00

(2) 4—दिनांक 22.07.2014 को प्रमाणक सं0 11 द्वारा रू0 3000.00 का भुगतान सफाई उपकरण आदि का किया गया है जिसकी पुष्टि में मांग पत्र, अनुमानित व्यय व उसकी स्वीकृति तथा उपकरण का डेड स्टॉक में आमद दर्ज होने की पुष्टि में डेड स्टॉक रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा, जिससे धन का अपहरण किया गया स्पष्ट है। अतः इसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान श्रीमती रामवती व ग्राण पंण अण श्री प्रमोद कुमार मिश्रा से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत :- विराहिमपुर झंझरिया

लेखा परीक्षा वर्ष :- 2014—15

(3) 3—वर्ष दौरान निम्नांकित विवरणानुसार नल व हैंडपम्प मरम्मत का भुगतान किया गया, जिसकी पुष्टि में स्थान का उल्लेख, अनुमानित व्यय का मांगपत्र व उसकी स्वीकृति, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं

नल/ हैंडपम्प रखरखाव संबंधित पंजिका लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया जिससे धन का अपहरण किया गया स्पष्ट है। अतः इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रामवती व ग्रा० पं० अ० श्री प्रमोद कुमार मिश्रा से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है—

दिनांक	प्रमाणक संख्या	धनराशि
04.04.2014	07	3000.00
11.04.2014	10	2540.00
30.04.2014	16	958.00
09.05.2014	21	700.00
19.08.2014	25	1950.00
19.08.2014	26	500.00
17.09.2014	35	1500.00
03.02.2015	44	2650.00

योग— 13798.00

(4) 4—दि 15.05.2014 प्रमाणक सं० 18 द्वारा रू० 3925.00 का भुगतान सफाई उपकरण आदि का किया गया है जिसकी पुष्टि में मांग पत्र, अनुमानित व्यय व उसकी स्वीकृति तथा उपकरण का डेड स्टॉक में आमद दर्ज होने की पुष्टि में डेड स्टॉक रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा, जिससे धन का अपहरण किया गया स्पष्ट है। अतः इसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान श्रीमती रामवती व ग्रा० पं० अ० श्री प्रमोद कुमार मिश्रा से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत— बरौरा वर्ष— 2011—12 से 2014—15, सिंधौली

(5) ग्राम निधि खाता संख्या— 11020100014220 से वर्ष 2011—12 में तथा वर्ष 2012—13 में क्रमशः रू० 2,90,534 /— एवं रू० 5,33,881 /— प्रधान व सचिव द्वारा नकद आहरण/चेक द्वारा भुगतान (व्यय) किया गया है जिससे सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में बार—बार मांग के बावजूद भी प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि प्राप्त अनुदान के धन का दुरुपयोग व अपहरण छिपाने के उद्देश्य से अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।

वर्तमान सचिव द्वारा अवगत करवाया गया कि श्री प्रताप सिंह द्वारा अभिलेख चार्ज में उपलब्ध नहीं कराया गया एवं श्री सिंह का तबादला वर्ष 2013 में अन्य विकास खण्ड को हो गया है। विगत वर्षों के अभिलेख (कैश बुक, प्रमाणक, स्टॉक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर आदि) चार्ज में न दिया जाना एवं समय पर लेखा परीक्षा न कराना गबन/दुरुपयोग की सम्भावना को और भी पुख्ता करता है साथ ही लचर व्यवस्था को भी दर्शाता है।

अतः उक्त के सम्बन्ध में कार्यवाही करते हुए तत्कालीन सचिव श्री प्रताप सिंह तथा प्रधान श्रीमती करुणा देवी से बराबर—बराबर ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-पलिया पट्टी वर्ष-2013-14 से 2014-15,**तिलहर**

(6) दिनांक 21.04.2014 को श्री मुन्ने को रू0 50,000/- चेक नं0 8 से भुगतान प्राप्त हुआ है। परन्तु कैश बुक में दर्शित विवरण से स्पष्ट है कि श्री मुन्ने से कोई सामग्री क्रय नहीं की गई न ही कोई कार्य कराया गया है जबकि बैंक स्टेटमेन्ट से श्री मुन्ने को भुगतान किया जाना स्पष्ट है।

कैश बुक में निम्नानुसार व्यय दर्शित है-

21.04.2014 मस्टर रोल खडंजा माप नहीं रू0 18,360/- (30 राज 60 मज0)

21.04.2014 सीमेन्ट 80 बैग रू0 24,000/-

21.04.2014 खडंजा मस्टर रोल माप नहीं रू0 16,200/- (28 राज 50 मज0)

अतः स्पष्ट है कि फर्जी व्यय दर्शाकर श्री मुन्ने से मिलकर धन का अपहरण किया गया है। अतः रू0 50,000/- की ब्याज सहित वसूली श्री धर्मेन्द्र मिश्रा व प्रधान से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

(7) लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 31.01.2015 को रू0 7000/- का उपयोग श्री यदुवीर सिंह द्वारा चेक नं0 23 से भुगतान लिया गया है। कैश बुक से स्पष्ट है कि रू0 7000/- का कोई व्यय नहीं है। दिनांक 31.01.2015 को रू0 18600/- सीधा झामा रू0-4000 क्रय पर भुगतान दर्शाया गया है। ग्राम प्रधान श्रीमती मधुवती ग्राम प0 अधिकारी श्री धर्मेन्द्र मिश्रा।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि क्रय सीधा झामा 4000/- का उपयोग वर्ष आलोच्य में क्रय तिथि से 31.03.2015 तक नहीं किया गया है न ही क्रय की पुष्टि में स्टॉक पंजिका, आमद चालान है। अतः रू0 7000/- के साथ-साथ रू0 11600/- कुल रू0.-18600.00 फर्जी व्यय दर्शाकर अपहरण किया गया। जिसकी ब्याज सहित वसूली सचिव व प्रधान से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- अकबराबाद उर्फ खैरपुर वर्ष-2013-14 से 2014-15, तिलहर

(8) दिनांक 18.07.2014 को 12,000/- सीधा झामा क्रय को मूल्य / 4650 से रू0 59,985/- किया गया दर्शाया गया है जबकि 12,000/- ईट/झामा की कीमत / 4650 से कुल रू0 55,800/- होता है। अतः रू0 4185/- अधिक भुगतान किया गया जिसकी ब्याज सहित वसूली सचिव श्री धर्मेन्द्र मिश्रा से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है। ग्राम प्रधान-श्रीमती हुस्न आरा।

(9) लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 30.08.2014 को चेक नं0 15 से रू0 25,000/- का भुगतान श्री कासिफ को हुआ है परन्तु कैश बुक में दर्शित व्यय से स्पष्ट है कि श्री कासिफ को भुगतान नहीं किया जाना था।

30.08.2014 मस्टर रोल खडंजा निर्माण माप नहीं रू0 24,240/-

30.08.2014 हैण्ड पम्प मरम्मत स्थान नहीं रू0 1740/-

योग-25080.00

अतः दर्शित व्यय से स्पष्ट है कि फर्जी व्यय दर्शाकर श्री कासिफ के नाम चेक निर्गत कर धन का अपहरण किया गया। अतः सचिव से रू0 25,000/- की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(10) दिनांक 01.12.2014 को श्री साबिर को रू0 10,000/- का भुगतान चेक नं0 19 से हुआ है परन्तु कैश बुक में उक्त के सापेक्ष खडंजा निर्माण पर मस्टर रोल द्वारा रू0 9440/- का भुगतान दर्शित है। इससे स्पष्ट है कि श्री साबिर से मिलकर धन का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज

सहित वसूली प्रधान एवं सचिव से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है। ग्राम प्रधान—श्रीमती हुस्न आरा, ग्राम पं० अ० श्री धर्मेन्द्र मिश्रा।

(11) कैश बुक जांच में पाया गया कि निम्नानुसार आहरित धन का उपयोग दर्शाया गया है जिसमें से ₹ 35000/- का भुगतान श्री कासिफ को क्यों किया गया अपुष्ट है। श्री कासिफ को निर्गत आहरित/भुगतानित धनराशि का अपहरण किया गया है—

11.02.2015	चेक नं० 22	₹ 47000/- श्री धर्मेन्द्र मिश्रा
24.02.2015	चेक नं० 23	₹ 35000/- श्री कासिफ
26.02.2015	चेक नं० 24	₹ 25000/- श्री हुस्नआरा
		योग— ₹ 107000/-

उपरोक्त के सापेक्ष कैश बुक में दर्शित व्यय

11.02.2015	मिट्टी 8 ट्राली	₹ 8000/-
24.02.2015	सीधा झामा 10700	₹ 49755/-
26.02.2015	मस्टर रोल माप नहीं	₹ 19224/-
28.02.2015	मानदेय प्रधान	₹ 27500/-

योग ₹ 1,04,479/-

अतः ₹ 35000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी श्री धर्मेन्द्र मिश्रा ग्राम प्रधान श्री हुस्नआरा से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

(12) माह जून 2014 के आय पक्ष का योग ₹ 2,26,450/- होता है जबकि ₹ 2,28,476/- अंकित किया गया है। व्यय पक्ष का योग ₹ 2,27,031/- होता है तथा मासान्त शेष ₹ 1444/- अंकित किया गया है। उपरोक्त त्रुटि के कारण ₹ 2026/- से बिना आय के व्यय दर्शाया गया है जिससे स्पष्ट है कि गम्भीरता पूर्वक अभिलेख तैयार नहीं किये जाते हैं तथा दर्शित व्यय की शुद्धता संदेहास्पद है। अतः उत्तरदायी के प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित रही।

ग्राम पंचायत—हाजीपुर वर्ष—2013—14 से 2014—15, तिलहर

(13) दिनांक 04.03.2015 को चेक नं० 56 से ₹ 50,000/- का भुगतान—हस्तांतरण भुगतान एकाउन्ट नं०. 02/7099 में हुआ है। लेखा परीक्षा में उपलब्ध कैश बुक में उक्त के सापेक्ष निम्नानुसार व्यय दर्शित है।

दिनांक—	04.03.2015	सीधा झामा 10,000	₹ 46,500/-
	30.03.2015	टेली मरम्मत	₹ 3500/-

योग—50000.00

उपरोक्त से स्पष्ट है कि सम्बन्धित खातेदार से मिलकर धन का अपहरण किया गया है। साथ ही यह तथ्य भी अपहरण को प्रमाणित करता है कि क्रय झामा का उपयोग नहीं दर्शाया गया है न ही क्रय की पुष्टि में स्टॉक पंजिका उपलब्ध करायी गयी। ईंट आमद चालान उपलब्ध कराया गया। अतः ₹ 50000.00 का ब्याज सहित वसूली ग्राम पं० अ० श्री धर्मेन्द्र मिश्रा एवं ग्र० प्रधान श्रीमती रामवती से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

(14) दिनांक 03.03.2015 को श्री धर्मेन्द्र मिश्रा सचिव द्वारा ₹ 25,000/- का आहरण किया गया है। कैश बुक में उक्त आहरित धन से ईंट 5000/- क्रय किया जाना दर्शित है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि क्रय ईट से कोई कार्य नहीं किया गया है जब आवश्यकता नहीं थी तो ईट क्यों क्रय की गई। क्रय ईट की पुष्टि में अथवा शेष होने की पुष्टि में स्टॉक पंजिका उपलब्ध नहीं कराया जाना इस तथ्य की पुष्टि करता है कि उक्त धनराशि का अपहरण फर्जी व्यय दर्शाकर किया गया है। अतः अपहरित धनराशि ₹0- 25000.00 की ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से सचिव श्री धर्मेन्द्र मिश्रा एवं ग्र0 प्रधान श्रीमती रामवती से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत— अरेली इस्माइलपुर लेखा परीक्षा वर्ष—2014—2015

(15) ग्राम पंचायत कोषबही/बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार निम्नलिखित व्यय दर्शाया गया है व्यय ₹0 424703.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, टेण्डर पत्रावली, कार्य योजना, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर, स्वीकृति एस्टीमेट, ईट के डिलीवरी, चालान, कार्यवाही रजिस्टर आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे कराये गये कार्य की पुष्टि नहीं की जा सकी।

ऐसी स्थिति में निम्न दर्शित व्यय में स्वयं के फर्जी स्पष्ट है अतः ₹0 424703.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामप्रकाश मिश्र व ग्राम प्रधान श्रीमती रामबेटी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

क्र0	मद	धनराशि
1	हैड पम्प मरम्मत	25600.00
2	मौरंग, सीमेन्ट, सरिया व पाइप	52925.00
3	रेता	14000.00
4	ईट	219450.00
5	ट्राली मिट्टी	10700.00
6	मास्टर रोल खडंजा, नाली मरम्मत	94528.00
7	आंगनवाडी केन्द्र पुताई	2300.00
8	सफाई उपकरण	1700.00
9	ठिलिया मरम्मत	3500.00
योग		424703.00

ग्राम पंचायत— सहदेवपुर लेखा परीक्षा वर्ष—2014—2015

(16) ग्राम पंचायत कोषबही/बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार निम्नलिखित व्यय दर्शाया गया है व्यय ₹0 534226.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, टेण्डर पत्रावली, कार्य योजना, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर, स्वीकृति स्टीमेट, ईट के डिलीवरी, चालान, कार्यवाही रजिस्टर आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे कराये गये कार्य की पुष्टि नहीं की जा सकी।

ऐसी स्थिति में निम्न दर्शित व्यय में फर्जी स्पष्ट है अतः ₹0 534226=00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामप्रकाश मिश्र व ग्राम प्रधान श्रीमती राधादेवी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

क्र०	मद	धनराशि
1	हैड पम्प मरम्मत	23650.00
2	ईट	298500.00
3	ट्राली मिट्टी	12536.00
4	सीमेन्ट, रेता	58700.00
5	मास्टर रोल खडंजा व नाली निर्माण/आंगनवाडी केन्द्र व शौचाल	113504.00
6	सफाई	3000.00
7	आंगनवाडी केन्द्र पुताई	15000.00
8	ठिलिया मरम्मत	1500.00
9	फोटो स्टेट	956.00
10	पाइप क्रय	6880.00
कुल योग		534226.00

ग्राम पंचायत— मझिला

लेखा परीक्षा वर्ष— 2014—15

(17) ग्राम पंचायत कोषवाही/बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार निम्नलिखित व्यय दर्शाया गया है व्यय रु० 1035450 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक, मास्टर रोल, टेण्डर पत्रावली, कार्य योजना, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर, स्वीकृति एस्टीमेट, ईट के डिलीवरी, चालान, कार्यवाही रजिस्टर आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे कराये गये कार्य की पुष्टि नहीं की जा सकी।
ऐसी स्थिति में निम्न दर्शित व्यय में फर्जी स्पष्ट है अतः रु० 1035450 की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी श्री पवन कुमार व ग्राम प्रधान श्री नेतराम से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

क्र०	मद	धनराशि
1	हैण्डपम्प मरम्मत	91000.00
2	सीमेन्ट, मोरगं व लोहा	184850.00
3	ईट क्रय	549500.00
4	रेता	12000.00
5	ठिलिया मरम्मत	5000.00
6	आंगनवाडी केन्द्र पुताई	9000.00
7	ट्राली मिट्टी	125000.00
8	मास्टर रोल खडंजा, नाली व अन्य	59100.00
योग		1035450.00

ग्राम पंचायत— दीपपुर

लेखा परीक्षा वर्ष— 2014—2015

(18) ग्राम पंचायत कोषवाही/बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार निम्नलिखित व्यय दर्शाया गया है व्यय रु० 820425=00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक, मास्टर रोल, टेण्डर पत्रावली, कार्य योजना, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र,

स्टॉक रजिस्टर, स्वीकृति स्टीमेट, ईट के डिलीवरी, चालान, कार्यवाही रजिस्टर आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे कराये गये कार्य की पुष्टि नहीं की जा सकी।

ऐसी स्थिति में निम्न दर्शित व्यय में फर्जी स्पष्ट है अतः रु० 820425=00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी श्री पवन कुमार व ग्राम प्रधान श्री मो० जावेद आलम से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

क्र०	मद	धनराशि
1	फोटो स्टेट व स्टेशनरी क्रय	5000.00
2	हैंड पम्प मरम्मत	77800.00
3	सीमेन्ट पाइप	16000.00
4	सीमेन्ट, मौरग, सरिया	215000.00
5	ईट	363525.00
6	ट्राली मिट्टी किराया	20000.00
7	ठिलिया मरम्मत	9000.00
8	वाल्टी, तसला, फावडा	10000.00
9	आंगनवाडी केन्द्र पुताई	18000.00
10	मास्टर रोल, शौचालय मरम्मत	63000.00
—	खडंजा कार्य व विद्यालय वाउन्ड्री	
11	ग्राम पंचायत में चूना डलवाई	10000.00
12	रेता	3000.00
13	प्रा० विद्यालय लोहागेट	10100.00
कुल योग		820425.00

ग्राम पंचायत— राजपूतपूर उर्फ चित्ती

लेखा परीक्षा वर्ष 2014—15

(19) लेखा परीक्षा में पाया गया कि निम्नवत सफाई उपकरण आदि का भुगतान नकद किया गया है। जिसकी पुष्टि में सफाई कर्मचारी के मांगपत्र, उपकरण क्रय पर होने वाले अनुमानित व्यय व उसकी स्वीकृति तथा उपकरण का डेड स्टॉक रजिस्टर में आमद दर्ज होने की पुष्टि में डेड स्टॉक रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभिलेखों के अभाव में किया गया व्यय अपुष्ट है जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान एवं ग्राम विकास अधिकारी से संयुक्त रूप से की जाना अपेक्षित है। अतः अपहरित धनराशि रु०—3000.00 की ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से सचिव श्री उमाशंकर शर्मा एवं ग्राम प्रधान श्रीमती कान्ती देवी से की जानी अपेक्षित है।

दिनांक	धनराशि
23.08.2014	3000.00
योग— 3000.00	

(20) लेखा परीक्षा में पाया गया कि निम्नवत हैडपम्प/नल मरम्मत का भुगतान किया गया है, कार्यस्थल बगैरह अंकित कराये गये बिना भुगतान किया जाना आपत्तिजनक रहा। लेखा परीक्षा में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, सार्वजनिक कार्यों का रजिस्टर, रूपपत्र—2, चल व अचल सम्पत्ति का रजिस्टर,

व्यय अनुमान पुस्तिका, कार्यवाही पंजिका अप्राप्त रही। जिससे किया गया व्यय अपुष्ट है। जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान एवं ग्राम विकास अधिकारी से संयुक्त रूप से की जाना अपेक्षित है। अतः अपहरित धनराशि रू0-3500.00 की ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से सचिव श्री उमाशंकर शर्मा एवं ग्राम प्रधान श्रीमती कान्ती देवी से की जानी अपेक्षित है।

दिनांक	धनराशि
31.01.2015	2000.00
04.02.2015	1500.00
योग— 3500.00	

ग्राम पंचायत— बौरी

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-2015

(21) लेखा परीक्षा में पाया गया कि निम्नवत हैडपम्प/नल मरम्मत का भुगतान किया गया है, कार्यस्थल बगैरह अंकित कराये गये बिना भुगतान किया जाना आपत्तिजनक रहा। लेखा परीक्षा में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, सार्वजनिक कार्यों का रजिस्टर, रूपपत्र-2, चल व अचल सम्पत्ति का रजिस्टर, व्यय अनुमान पुस्तिका, कार्यवाही पंजिका अप्राप्त रही। जिससे किया गया व्यय अपुष्ट है। जिसकी प्रधान एवं ग्राम विकास अधिकारी से संयुक्त रूप से की जाना अपेक्षित है। अतः अपहरित धनराशि रू0-3500.00 की ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से सचिव श्री उमाशंकर शर्मा एवं ग्राम प्रधान श्रीमती कान्ती देवी से की जानी अपेक्षित है। अतः अपहरित धनराशि रू0-51920.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी श्री उमाशंकर शर्मा एवं ग्राम प्रधान श्री रामकुमार से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

दिनांक	धनराशि
30.05.2014	15000.00
28.08.2014	16920.00
02.09.2014	5000.00
30.03.2015	15000.00
योग— 51920.00	

(22) लेखा परीक्षा में पाया गया कि निम्नवत सफाई उपकरण आदि का भुगतान नकद किया गया है। जिसकी पुष्टि में सफाई कर्मचारी के मांगपत्र, उपकरण क्रय पर होने वाले अनुमानित व्यय व उसकी स्वीकृति तथा उपकरण का डेड स्टॉक रजिस्टर में आमद दर्ज होने की पुष्टि में डेड स्टॉक रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभिलेखों के अभाव में किया गया व्यय अपुष्ट है जिसकी प्रधान एवं ग्राम विकास अधिकारी से संयुक्त रूप से की जाना अपेक्षित है। अतः रू0-7500.00 की ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से ग्राम पंचायत अधिकारी श्री उमाशंकर शर्मा एवं ग्राम प्रधान श्री रामकुमार से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

दिनांक	धनराशि
27.08.2014	1500.00
12.09.2014	1500.00
23.01.2015	1500.00

03.02.2015	1500.00
04.02.2015	1500.00
योग—7500.00	

ग्राम पंचायत— केवल रामपुर चिलौआ लेखा परीक्षा वर्ष—2014—2015

(23) दिनांक 25.03.2015 को बैंक से आहरित धनराशि रु0 15000.00 कैश बुक में कोषांकित न कर धन का अपहरण किया गया। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान छोटेलाल व सचिव श्री रामदयाल से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत— अवा लेखा परीक्षा वर्ष— 2014—2015

(24) आलोच्य वर्ष में दिनांक 29.04.2014 को चेक सं0 516818 से प्रधान द्वारा चैक धनराशि के अन्तर का धन रुपये 5000.00 के आहरण का लेखा रोकड़ वही के आय पक्ष में किया गया है परन्तु व्यय पक्ष में बिना विवरण का उल्लेख किये रोकड़ खारिज किया गया है। व्यय की गयी धनराशि से सम्बन्धित अभिलेख व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर, स्वीकृति स्टीमेट, कार्य योजना आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। इससे स्पष्ट है कि आहरित धनराशि रु0 5000/- का अपहरण प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा किया गया जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से प्रधान श्रीमती कुसुम पाठक सेक्रेटरी श्री कुलदीप सक्सेनाकी जानी अपेक्षित है।

(25) कतिपय तिथियों में मस्टर रोल पर अंकित विवरण के अनुसार वास्तविक योग से अधिक भुगतान किया गया। विवरण निम्नानुसार है—

दिनांक	विवरण	वास्तविक योग धनराशि	भुगतानित धनराशि	अन्तर की
25.06.2014	55 राज, 90 मजदूर	29990/-	30770/-	780.00
16.09.2014	12 राज , 50 मजदूर	11280/-	11700/-	420.00
योग—				1200.00

इस तरह भुगतानिक धनराशि रु0 1200/- की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधानश्रीमती कुसुम पाठक एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कुलदीप सक्सेना से की जानी अपेक्षित है।

(26) बैंक ऑफ बड़ौदा रसेवन के खाता सं0 22420100009861 के स्टेटमेन्ट के अनुसार आलोच्य वर्ष 2014—2015 में कुल अहारित धन रु0 717360/- है जबकि रोकड़ वही में किये गये लेखा के अनुसार कुल आहरित धनराशि रु0 687360/- दर्शित है। इस तरह अन्तर की धनराशि रु0 30,000/- का लेखा रोकड़ वही के आय पक्ष में नहीं किया गया है। उक्त अहारण दिनांक 18.03.2015 एवं 31.03.2015 के मध्य किया गया है। व्यय की गयी धनराशि से सम्बन्धित अभिलेख, मस्टर रोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर, स्वीकृत स्टीमेट, कार्ययोजना आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। इससे स्पष्ट है कि आहरित धनराशि रु0 30,000/- का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती कुसुम पाठक एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कुलदीप सक्सेना द्वारा किया गया जिसकी ब्याज सहित वसूली नियमानुसार की जानी अपेक्षित है।

(27) कतिपय तिथियों में क्रय किये गये ईट की मात्रा का दर्शित दर से वास्तविक योग से अधिक भुगतान किया गया।

दिनांक	फर्म	मात्रा	दर	वास्तविक भुगतानित	अन्तर की योग धनराशि	धनराशि
22.04.2014	राजू ईट उद्योग	4300	4650	19995/-	20,000/-	5.00
03.06.2014	बाला जी ब्रिक फील्ड	22580	4650	104997/-	1,05,000/-	3.00

योग— 8.00

इस तरह अधिक भुगतानित धनराशि की ब्याज सहित वसूली प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

(28) क्रय की गयी निर्माण सामग्री हेतु टेण्डर/कोटेशन आमन्त्रित किये गये हैं जो विशेष आपत्तिजनक है। निर्देशानुसार निर्माण कार्य हेतु क्रय की गयी सामग्री के लिये टेण्डर/कोटेशन आमन्त्रित कर गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए सबसे कम दर हेतु टेण्डर/कोटेशन स्वीकृत होने पर सामग्री क्रय की जानी चाहिये थी किन्तु इस नियम का पालन न कर अनियमित क्रय कर धनराशि का दुरुपयोग किया गया है। विवरण निम्न प्रकार है— ईट 436500/-रु0, सीमेन्ट मौरंग आदि 24500/-कुल 461000/- की धनराशि के सम्बन्ध में लेखा परीक्षण में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, सार्वजनिक कार्यों का रजिस्टर चल व अचल सम्पत्ति का रजिस्टर, कार्यवाही पंजिका, ईट भट्टे का डिलवरी चालान, स्टॉक रजिस्टर, निर्माण कार्य स्थलों का विवरण भी उपलब्ध नहीं कराया गया उक्त तथ्यों के आधार पर व्यय फर्जी है जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधानश्रीमती कुसुम पाठक एवं ग्राम पंचायत अधिकारीश्री कुलदीप सक्सेना से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत— नवदिया दरुदगां

वर्ष 2014—15

(29) आलोच्य वर्ष 2014—15 की लेखा परीक्षा में रु0 281840.00 के प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया जो गम्भीर आपत्ति का विषय है। उक्त धनराशि प्रधान श्रीमती अनीता देवी तथा श्री नन्हेंलाल ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अपहरण की गयी है। इसकी संयुक्त ब्याज सहित वसूली हेतु आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी चाहिये।

प्रमाणकों का विवरण निम्नवत् है:—

प्रमाणक संख्या	तिथि	धनराशि	मद विवरण
2	06.05.2014	29100.00	मिट्टी कार्य
3	20.05.2014	9800.00	ईट क्रय
4	22.05.2014	3830.00	हैंड पम्प मरम्मत
5	22.05.2014	61500.00	ईट क्रय खडंजा हेतु
7	10.06.2014	2000.00	रोड़ा क्रय
8	18.06.2014	4800.00	16 बोरी सीमेन्ट क्रय नाली हेतु
9	30.06.2014	4000.00	रेता क्रय नाली हेतु
11	19.08.2014	5000.00	35 कु0 मौरंग क्रय नाली हेतु
12	19.08.2014	3000.00	गड्ढा पटाई मिट्टी कार्य

14	04.09.2014	5000.00	खडंजा कार्य में मिट्टी कार्य
15	11.09.2014	5000.00	खडंजा कार्य में मिट्टी कार्य
16	13.09.2014	23250.00	ईट अव्वल क्रय नाली हेतु 4650 /—रु0 प्रति हजार
17	24.09.2014	5921.00	खडंजा कार्य में मिट्टी कार्य
18	25.09.2014	7740.00	नाली निर्माण हेतु मिट्टी क्रय
19	30.09.2014	3084.00	हैंड पम्प मरम्मत
21	30.09.2014	22120.00	नाली निर्माण 34 राज व 84 लेबर
23	30.10.2014	15000.00	ट्राली द्वारा मिट्टी खंडजा हेतु
24	28.01.2015	18000.00	ट्राली द्वारा मिट्टी खंडजा हेतु
26	09.02.2015	4500.00	हैंड पम्प मरम्मत
27	12.02.2015	34875.00	ईट क्रय खडंजा हेतु
28	28.02.2015	13200.00	खडंजा लगवाई
29	28.02.2015	1120.00	हैंड पम्प मरम्मत

योग—281840.00 (दो लाख इक्यासी हजार आठ सौ चालीस मात्र)

संस्था— कबरा सलेमपुर

लेखा परीक्षा वर्ष— 2011—12 व 12—13

(30) वर्ष 2011—12 व 2012—13 की लेखा परीक्षा के दौरान विदित हुआ कि सेक्रेटरी श्री राम बहोरन व प्रधान श्रीमती केतकी देवी प्रधान ने संयुक्त रूप से विभिन्न लोगों—पार्टियों के नाम चेक जारी कर बैंक ऑफ बड़ौदा मिर्जापुर शाह से वर्ष 2011—12 में श्री राम बहोरन सेक्रेटरी के नाम रु027,200 /— श्रीमती केतकी देवी प्रधान के नाम रु0 131,700 /— ईट उद्योग व सीमेंट एजेन्सियों के नाम रु0 1,16,868 /— तथा अन्य व्यक्तियों के नाम रु0 61,700 /— यानी कुल धनराशि रु0 337468 /— आहरित कर खडंजा, नाली सम्पर्क मार्ग निर्माण व मरम्मत, हैंड पम्प मरम्मत इत्यादि निर्माण कार्यों में व्यय दर्शाया है। इसी प्रकार वर्ष 2012—13 में श्री राम बहोरन सेक्रेटरी के नाम रु0 5000 /— श्रीमती केतकी देवी प्रधान के नाम रु0 120,900 /— ईट उद्योग व सीमेंट एजेन्सियों के नाम रु0 1,37,544 /— तथा अन्य व्यक्तियों के नाम रु0 58,790 /— यानि कुल धनराशि रु0 3,22,234 /— आहरित कर उन्हीं मदों में खर्च किया किन्तु लेखा परीक्षा में इन दोनों वर्षों के व्ययों से सम्बन्धित कोई प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। आहरित धनराशि की बैंक से पुष्टि की गयी है। आहरित धनराशि का विवरण निम्नवत् है:—

वर्ष 2011—12 में आहरित धनराशि का विवरण

दिनांक	निर्गत चेक सं०	आहरित धनराशि	व्यक्ति जिसके नाम से धनराशि का आहरण किया गया

17.10.11	501149	7200.00	श्री राम बहोरन (सेक्रेटरी)
31.10.11	504088	10000.00	„
24.03.12	200691	10000.00	„ योग—27200.00
14.06.11	501143	10000.00	श्रीमती केतकी देवी (प्रधान)
17.06.11	501141	5000.00	„

05.07.11	501145	15000.00	„
24.10.11	504086	5900.00	„
12.11.11	504079	9600.00 कैश	„
12.11.11	503252	22000.00 कैश	„
02.12.11	503253	9600.00	„
28.01.12	503260	18800.00	„
14.02.12	200683	8000.00	„
13.03.12	200685	9000.00	„
26.03.12	200689	8800.00	„
26.03.12	200690	10000.00	„योग—131700.00
15.09.11	504081	15000.00	कृष्णा सीमेंट एजेन्सी
05.12.11	503254	12000.00	यादव सीमेन्ट एजेन्सी
28.12.11	503257	15000.00	„योग—42000.00
23.01.12	503258	12000.00	रघुवंशी बिक्र फील्ड
31.01.12	503259	12000.00	जय दुर्गे ईट उद्योग
01.03.12	200682	33468.00	„
15.03.12	200684	17400.00	„ योग—116868.00
अन्य को ट्रान्सफर			
13.06.11	501142	15000.00	ट्रान्सफर
19.07.11	501144	1000.00	डीपी—ए0जी0पी0
21.07.11	501148	9600.00	धर्मराज
04.10.11	504082	1000.00	धर्मवीर सिंह
12.10.11	501147	1000.00	जिला पंचायत राज अधिकारी
18.10.11	504084	10000.00	ओ0बी0सी0
24.10.11	504083	500.00	राजीव मिश्रा
04.11.11	504087	10000.00	धर्मराज
06.11.11	504085	1500.00	ओ0बी0सी0 2111114304676
22.12.11	503255	9600.00	धर्मराज
20.03.12	200681	1000.00	मुकेश बाबू
26.03.12	200688	1500.00	राजीव मिश्रा
			योग—61700.00

इस प्रकार वर्ष 2011—12 में रू0 3,36,468/— आहरित कर खर्च किया गया

वर्ष 2012—13 में बैंक से आहरित धनराशि:—

दिनांक	निर्गत चेक सं0	आहरित धनराशि	व्यक्ति जिसके नाम से धनराशि का आहरण किया गया
20.04.12	200697	5000.00	राम बहोरन (सेक्रेटरी)
19.04.12	200696	5000.00	श्रीमती केतकी देवी प्रधान

08.05.12	200700	9600.00	„	
29.05.12	203263	5000.00	„	
07.06.12	203264	10000.00	„	
21.08.12	203266	6000.00	„	
23.10.12	203267	7335.00	„	
23.10.12	203268	9300.00	„	
23.10.12	203267	5190.00	„	
01.11.12	203273	9125.00	„	
01.11.12	203272	9050.00	„	
12.11.12	203277	9000.00	„	
12.11.12	203276	9050.00	„	
17.11.12	203278	6350.00	„	
17.11.12	203279	4500.00	„	
10.12.12	203280	7625.00	„	
28.01.13	506575	6000.00	„	
07.03.13	506577	8800.00	„	योग—126925.00
अन्य को				
04.04.12	200687	1000.00	हरिओम	
12.04.12	200693	1000.00	शैलेन्द्र कुमार	
12.04.12	200686	1000.00	हिमान्शु पाठक	
17.04.12	200694	1000.00	धर्मवीर	
08.05.12	200699	2200.00	मेघनाथ	
07.06.12	200698	22000.00	राजाराम	
14.01.13	506572	1500.00	गायत्री	
28.01.13	506573	29090.00	श्री काली	
योग—58790.00				
04.04.12	200692	11000.00	यादव सीमेंट एजेन्सी	
30.05.12	203262	5000.00	राम सीमेंट एजेन्सी	
10.07.12	203265	8921.00	यादव सीमेंट एजेन्सी	
01.11.12	203271	6750.00	„	

07.12.12	203275	8953.00	„
11.01.13	506571	6843.00	„ योग-47467.00
30.05.12	203261	22000.00	राम बिक्र फील्ड (पृथ्वीपुर ढाई)
01.11.12	203274	29090.00	„
01.11.12	203270	17052.00	„
07.03.13	506576	14175.00	„ योग-82317.00
28.01.13	506574	7760.00	राहुल मशीनरी स्टोर

दोनों वर्षों के प्रमाणकों के अभाव में रु0 3,36,468/- और रु0 3,22,234/- का व्यय अपुष्ट रहा। इसके अतिरिक्त अन्य और भी आपत्तियों परिलक्षित हुई जो निम्न प्रकार पायी गयी।

1 ईट उद्योगों सीमेंट, एजेन्सियों से रु0 1,16,868/- का वर्ष 2011-12 में तथा 2012-13 रु0 1,37,544/- की सामग्री क्रय की गयी है। किन्तु इसके लिये कोई कोटेशन/टेण्डर की प्रक्रिया में नहीं लायी गयी। इस प्रकार उत्तर प्रदेश पंचायत राज मैन्युअल के अध्याय 07 के पैरा 02, 03, 04 व 05 में निर्दिष्ट सिद्धान्तों का पालन नहीं किया गया।

2 प्रधान तथा सेक्रेटरी भी स्वयं अपने नाम से वर्ष 2011-12 में रु0 27,200/- तथा 1,31,700/- एवं वर्ष 2012-13 में क्रमशः रु0 5,000/- तथा 1,20,900/- आहरित किये हैं। जबकि एकाउन्ट पेयी चेक से पार्टी को भुगतान करना चाहिये।

3 निर्माण कार्य से सम्बन्धित अनुमोदित कार्य योजना, माप पुस्तिका () कार्य तकनीकी स्वीकृति आडिट में अप्राप्त रही।

4 निर्माण कार्य की योजना कार्यवाही के बैठक के किस प्रस्ताव में पारित की गयी है। स्पष्ट नहीं है।

5 निर्माण कार्य पर किये गये व्यय की स्वीकृति सक्षम अधिकारी से नहीं ली गयी। तथा जिन कार्यों के लिये समीतियाँ गठित की गयी हैं, उन कार्यों पर व्यय की स्वीकृति हेतु उनसे संस्तुति नहीं ली गयी है।

6 “किसी प्रयोजन विशेष के लिये उपलब्ध धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा” इस आशय की जानकारी हेतु 11, 12, 13 वें वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान की आवंटित धनराशियों का अलग-अलग व्यौरा नहीं रखा गया है।

7 निर्माण कार्यों पर कार्यरत मजदूरों की दैनिक उपस्थिति का रजिस्टर (मस्टर रोल) आडिट में सुलभ नहीं कराया गया।

8 कार्य का अन्तिम रूप से भुगतान करने से पहले, कार्य पूरा हो जाने के सम्बन्ध में समिति/सक्षम अधिकारी से इस आशय का प्रमाण पत्र भी नहीं लिया गया। कि “उसके द्वारा कार्य का निरीक्षण कर लिया गया है। समस्त कार्य नियमानुसार आकलन तथा स्वीकृत मानचित्र के अनुसार उचित प्रकार से पूरा किया गया है”।

9 सम्पादित कार्य के भुगतान हेतु निर्माण कार्यों की प्रगति का विवरण उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली के नियम सं0 207 के अनुसार रूप पत्र 21 पर (सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर पर) अंकित कर प्रस्तुत नहीं किया गया।

10 सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी (तकनीकी) द्वारा जारी की गयी कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।

11 हैंड पम्प मरम्मत हेतु व्यक्तियों से मांग पत्र नहीं लिया गया। गाँव सभा में कितने सरकारी हैंड पम्प व प्राइवेट हैंड पम्प लगाये गये हैं, का विवरण आडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया।

उपरोक्त बिन्दुओं से यह परिलक्षित होता है, कि प्रधान व सेक्रेटरी ने संयुक्त रूप से स्वयं/अन्य तीसरे व्यक्ति के नाम से चेक से धनराशि आहरित कर उ०प्र० पंचायत राज मैनुअल के दिशा निर्देशों को दृष्टिगत न रखते हुए खडंजा, नाली, सम्पर्क मार्ग, हैंड पम्प मरम्मत इत्यादि निर्माण कार्यों में काल्पनिक, अवास्तविक व्यय दर्शाकर राजकीय अनुदान की धनराशि को हड़पने के सफल प्रयास किया। आहरित धनराशि के व्यय के पुष्टि में व्यय प्रमाणक (वाउचर) आडिट ने सुलभ नहीं कराये जाने से उ०प्र० पंचायत राज मैनुअल के नियमों के तहत वर्ष 2011-2012 का ₹0 3,36,468/- एवं 2012-2013 में 3,22,234/- यानि कुल ₹0 658702/- का स्पष्ट रूप से गबन किया, जिसके लिये श्री राम बहोरन सेक्रेटरी तथा श्रीमती केतुकी देवी प्रधान ग्राम पंचायत व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं। वैधानिक कार्यवाही के साथ ₹0 658702/- श्री राम बहोरन सेक्रेटरी तथा श्रीमती केतुकी देवी प्रधान ग्राम पंचायत से बराबर-बराबर मात्रा में ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है। ब्याज सहित वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी से अपेक्षा की जाती है, कि भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत श्री राम बहोरन सेक्रेटरी तथा श्रीमती केतुकी देवी प्रधान के विरुद्ध एफ०आई०आर० दर्ज कराकर सक्षम न्यायालय में गबन का मुकदमा पंजीकृत कराये।

प्रस्तर 3

ग्राम पंचायत-पलिया पट्टी

वर्ष-2013-14 से 2014-15 तिलहर

(1) दिनांक 05.04.2014 को श्री यदुवीर को चेक नं० 10 से ₹0 1,60,000/- का भुगतान हुआ है इसके सापेक्ष दर्शित व्यय कैश बुक में सीधा झामा 34000 / 4650 से ₹0 1,58,100/- है। यहां यह स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है कि जब ₹0 1,58,100/- की ही ईट/झामा खरीदी गई तो ₹0 1,60,000/- का चेक क्यों दिया गया और सम्बन्धित फर्म जिससे ईट क्रय किया गया उसके नाम चेक क्यों नहीं निर्गत किया गया।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त ईट/झामा क्रय से पूर्व टेण्डर आमंत्रित नहीं किया गया। अतः क्रय प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया न ही क्रय की पुष्टि में स्टॉक पंजिका उपलब्ध कराया गया तथा क्रय ईट से कराये गये कार्य की पुष्टि में सत्यापन रिपोर्ट, माप पंजिका भी उपलब्ध नहीं कराया गया। अपेक्षित साक्ष्य के अभाव में उक्त व्यय फर्जी है। अतः इसकी ब्याज सहित वसूली सचिव श्री धर्मेन्द्र मिश्रा व प्रधान मधुवती से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

(2) दिनांक 07.04.2015 को चेक सं०-6 से ₹0 70,000/- का भुगतान कुमार ईट उद्योग को हुआ जिसके सापेक्ष ईट ₹0 63,160/- की क्रय दर्शित है। यदि ₹0 63,160/- की ईट क्रय की गई तो 70,000/- के चेक निर्गत क्यों किये गये। इससे स्पष्ट होता है कि अनुदान की धनराशि का दुरुपयोग किया जाता है तथा दिये गये दिशा निर्देश का पालन न कर मनमाने तरीके से सचिव द्वारा कार्य किया जाता है। उक्त के प्रति उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। क्रय किये गये ईट से कराये गये निर्माण कार्य की पुष्टि में सत्यापन रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराये गये न ही क्रय ईट की पुष्टि में स्टॉक पंजिका उपलब्ध कराई गई। अतः उक्त आहरित धनराशि की ब्याज सहित वसूली सचिव श्री धर्मेन्द्र मिश्रा व ग्राम प्रधान श्रीमती मधुवती से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

(3) दिनांक 29.04.2014 को श्री यदुवीर को चेक नं० 11 का रू० 35,000/- का भुगतान प्राप्त हुआ है। परन्तु कैश बुक में विभिन्न मदों में उक्त धन के सापेक्ष व्यय है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि उक्त धन का दुरुपयोग किया गया अथवा अपहरण किया गया है।

24.04.2014 मस्टर रोल नाली माप नहीं रू० 10,068/-

30.04.2014 मस्टर रोल खडंजा उखड़ाई रू० 10,920/-

30.04.2014 मस्टर रोल नाली माप नहीं रू० 15,180/-

अतः बैंक स्टेटमेन्ट व दर्शित विवरण स्वतः ही स्पष्ट करते हैं कि धन का दुरुपयोग किया गया जिसकी ब्याज सहित वसूली सचिव श्री धर्मेन्द्र मिश्रा व प्रधान श्रीमती मधुवती से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

(4) दिनांक 15.05.2014 को श्री सुरेन्द्र सिंघल को रू० 4000/- का भुगतान चेक नं० 13 से हुआ है परन्तु उपरोक्त के सापेक्ष दर्शित व्यय बिल्कुल भिन्न है जिससे स्पष्ट है कि सचिव श्री धर्मेन्द्र मिश्रा व प्रधान श्रीमती मधुवती द्वारा धन का दुरुपयोग किया गया है। जो बैंक स्टेटमेन्ट व दर्शित व्यय से स्पष्ट है।

दिनांक—

15.05.2014 मस्टर रोल मिट्टी कार्य रू० 8900/-

26.05.2014 हैण्ड पम्प मरम्मत रू० 800/-

अतः रू० 4000/- की ब्याज सहित वसूली सचिव श्री धर्मेन्द्र मिश्रा व प्रधान श्रीमती मधुवती से की जानी अपेक्षित है।

(5) विभिन्न तिथियों में विभिन्न व्यक्तियों को बैंक स्टेटमेन्ट अनुसार निम्नानुसार भुगतान हुआ है परन्तु कैश बुक में दर्शित व्यय व भुगतानित धनराशि में कोई तारतम्य नहीं है जिससे स्पष्ट होता है कि भुगतान के उपरान्त धन के समायोजन हेतु मनमाने ढंग से मनगढंत व्यय दर्शाया गया है।

चूँकि दर्शित व्ययों की पुष्टि में न तो स्टॉक पंजिका उपलब्ध करायी गयी न ही परिसम्पत्ति रजिस्टर/निर्माण कार्य रजिस्टर न ही सत्यापन रिपोर्ट।

आहरित/भुगतानित धनराशि

24.11.2014 चेक नं०. 16 रू० 4000/- श्री सुरेन्द्र सिंघल

26.11.2014 चेक नं०. 20 रू० 55000/- श्री यदुवीर

28.11.2014 चेक नं०. 17 रू० 2000/- श्री मनोज

योग— रू० 61000/-

कैश बुक में उक्त के सापेक्ष दर्शित व्यय

26.11.2014 मस्टर रोल खडंजा माप नहीं रू० 7632/- (14 राज 22 मज०)

26.11.2014 सीमेन्ट 22 बैग, रेता 4 घन मी० रू० 9456/-

30.11.2014 मस्टर रोल नाली माप नहीं रू० 13884/- (26 राज 39 मज०)

30.11.2014 ईट/झामा 6300 रू० 29295/-

योग— रू० 60267/-

उपरोक्त से स्वतः ही स्पष्ट है अतः उक्त दुरुपयोग धन की ब्याज सहित वसूली सचिव धर्मेन्द्र मिश्रा व प्रधान श्रीमती मधुवती से संयुक्त रूप से की जाये।

ग्राम पंचायत— अकबराबाद उर्फ खैरपुर वर्ष—2013—14 से 2014—15, तिलहर

(6) दिनांक 02.06.2014 को चेक नं० 7 से रू० 2,00,000/— का भुगतान आर्या ब्रिक फील्ड को हुआ है जिससे सापेक्ष दिनांक 07.06.2014 को सीधा झामा 38940 / 4650 रू० 1,81,071/— का क्रय किया जाना दर्शित है। यहाँ यह स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है कि जब रू० 1,81,071/— की ईट/झामा क्रय की गई तो रू० 2,00,000/— का भुगतान हेतु चेक क्यों जारी किया गया।

इसी प्रकार दिनांक 05.07.2014 को चेक नं०. 10 से आर्या ब्रिक फील्ड को रू० 2,00,000/— का भुगतान हुआ है, जिसके सापेक्ष दिनांक 05.07.2014 को रू० 1,99,950/— का 43,000/— सीधा झामा / 4650 से क्रय किया जाना दर्शित है। यहां भी रू० 50 से अधिक का चेक निर्गत किया गया।

उपरोक्त दोनों ही क्रय में शासनादेशानुसार दिये गये निर्देशों का पालन नहीं किया गया। जबकि रू० 1,00,000/— से अधिक की ईट/सामग्री क्रय करने से पूर्व टेण्डर आमंत्रित किया जाना चाहिये जो नहीं किया गया तथा क्रय की पुष्टि में स्टॉक पंजिका चालान भी उपलब्ध नहीं करायी गई। अतः क्रय नियम को शिथिलता प्रदान करते हुए अनियमितता की गई। क्रय के सापेक्ष कराये गये कार्यों का भौतिक सत्यापन रिपोर्ट भी प्रस्तुत नहीं किया गया। उपरोक्त अभिलेखों के अभाव में किया गया भुगतान अहरण रू०—400000.00 फर्जी मानते हुए सचिव श्री धर्मेन्द्र मिश्रा व प्रधान हुस्नआरा से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(7) लेखा परीक्षा जाँच में पाया गया कि माह नवम्बर 2014 में विभिन्न चेक का भुगतान विभिन्न व्यक्तियों द्वारा किया गया है परन्तु दर्शित व्यय से स्पष्ट है कि भुगतान अनियमित हुआ है तथा क्रय सामग्री की पुष्टि में पर्याप्त साक्ष्य भी नहीं है। यथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टॉक पंजिका, ईट क्रय, आमद चालान आदि। अतः रू० 1,40,200/— की ब्याज सहित वसूली सचिव व प्रधान से की जाये।

आहरित भुगतानित धनराशि का विवरण

दिनांक: 18.11.2014	चेक नं०. 16	रू० 50,200/— श्री कासिफ
21.11.2014	चेक नं०. 17	रू० 60,000/— श्री कासिफ
26.11.2014	चेक नं०. 18	रू० 30,000/— श्री साबिर
		योग— रू० 1,40,200/—

कैश बुक में उक्त के सापेक्ष दर्शित व्यय—

13.11.2014	मिट्टी 17 ट्राली	रू० 17,000/—
26.11.2014	सीधा झामा 25311	रू० 1,17,696/— नकद भुगतान क्यों?
27.11.2014	हैण्ड पम्प मरम्मत	रू० 5,000/—
		योग— 1,39,696/—

यह भी उल्लेखनीय है कि ईट क्रय का भुगतान नकद किया गया है तथा टेण्डर भी आमंत्रित नहीं किया गया जो दर्शाता है कि क्रय प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया है।

(8) निम्नानुसार धन का भुगतान/आहरण दर्शित है जिसके सापेक्ष कैश बुक में दर्शित व्यय से स्पष्ट है कि आहरण/भुगतान के सापेक्ष व्यय सही नहीं दर्शित है तथा धन के दुरुपयोग को दर्शाता है। चूँकि दर्शित कार्य की पुष्टि में सत्यापन रिपोर्ट में स्टॉक पंजिका भी नहीं है।

आहरित/भुगतानित धनराशि मय चेक नं० व दिनांक

21.01.2015	चेक नं०. 120	रू० 3500/— श्री दया शंकर
23.01.2015	चेक नं०. 21	रू० 50900/— श्री कासिफ
		योग— रू० 54400/—

कैश बुक में उक्त के सापेक्ष दर्शित व्यय—

23.01.2015	मस्टर रोल खडंजा माप नहीं	रु0 15000 /— (राज 50 / 300)
24.01.2015	मिट्टी 4 ट्राली	रु0 4000 /—
26.01.2015	सीधा झामा 6608	रु0 30727 /— (राज 10, मज0 17)
30.01.2015	मस्टर रोल खडंजा माप नहीं	रु0 5652 /—
योग—		रु0 55379 /—

यह उल्लेखनीय है कि दिनांक 23.01.2015 खडंजा निर्माण मस्टर रोल पर सिर्फ राज मिस्त्री ने कार्य किया है मजदूर ने कार्य नहीं किया है जो सदिग्धता की पुष्टि करता है धन के दुरुपयोग को दर्शाता है। अतः दुरुपयोगित धन 54400 /— की ब्याज सहित वसूली सचिव श्री धर्मेन्द्र मिश्रा व प्रधान श्रीमती हुस्नआरा से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत— हाजीपुर वर्ष 2013.—14 से 2014—15, तिलहर

(9) लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराये गये बैंक स्टेटमेन्ट अनुसार दिनांक 23.04.2014 चेक नं0. 31 से खाता सं0— 02—7099 में भुगतान/हस्तान्तरण पाया गया परन्तु कैश बुक में उक्त चेक से आहरित/भुगतानित धनराशि रु0 46500 /— के सापेक्ष निम्नानुसार व्यय दर्शित किया गया जिससे स्पष्ट है कि दर्शित व्यय अवास्तविक है तथा आहरित/भुगतानित धनराशि का दुरुपयोग किया गया है चूँकि क्रय सामग्री की पुष्टि में स्टॉक पंजिका भी उपलब्ध नहीं कराया गया न ही कराये गये कार्य की पुष्टि में सत्यापन आख्या। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान व सचिव से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित हैं। सचिव श्री धर्मेन्द्र मिश्रा प्रधान रामवती ।

24.04.2014	सीमेंट 47 बैग रेटा 7 घन मी0	रु0 19098 /—
28.04.2014	मस्टर रोल निर्माण माप नहीं	रु0 11748 /—
29.04.2014	मस्टर रोल खडंजा उखड़वाई माप नहीं	रु0 1248 /—
30.04.2014	हैण्ड पम्प मरम्मत स्थान नहीं	रु0 5000 /—
30.04.2014	सीधा झामा 5841	रु0 27160 /—

(10) लेखा परीक्षा में पाया गया कि श्री रामरतन के नाम से विभिन्न तिथियों में विभिन्न चेंक नं0 से भुगतान किया गया/अथवा रामरतन के द्वारा भुगतान लिया गया है। परन्तु भुगतानित धनराशि के सापेक्ष दर्शित व्यय संदेह उत्पन्न करते हैं चूँकि जितनी धनराशि का भुगतान दर्शित है वह वास्तविक नहीं है। चूँकि न तो व्यय की पुष्टि में स्टॉक पंजिका उपलब्ध करायी गयी न कराये गये कार्यों का सत्यापन रिपोर्ट। यहां यह भी स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है कि विभिन्न कार्यों के लिये एक ही व्यक्ति को भुगतान क्यों किया गया। जैसा कि बैंक स्टेटमेन्ट से स्पष्ट है।

श्री रामरतन को भुगतानित धनराशि भुगतानित धनराशि के मय चेक नं0 व दिनांक सापेक्ष कैश बुक में दर्शित व्यय

26.08.2014	चेक नं0. 42	रु0 32000	26.08.2014 ईट—1	6400	रु0 32000 /—
15.09.2014	चेक नं0. 45	रु0 31200	15.09.2014 सीधा झामा	3000	रु0 13950 /—
17.09.2014			मिट्टी3 ट्राली		रु0 3000 /—
21.09.2014			म0रोल खडंजा नि0		रु0 2136 /—
26.09.2014			म0रोल खडंजा नि0		रु0 7932 /—

30.09.2014		म0रोल नाली नि0	रु0 4116/—
09.10.2014	चेक नं0.46	रु0 11000	
09.10.2014		म0रोल खडंजा उ0	रु0 3432/—
15.10.2014	मिट्टी 7 ट्राली	रु0 7000/—	
30.01.2015	चेक नं0.52	रु0 24000	
30.01.2015	म0रोल खडंजा नि0	रु0 16020/—	
30.01.2015	मिट्टी 7 ट्राली	रु0 7000/—	

उपरोक्त विवरण स्पष्ट करते हैं कि धन का दुरुपयोग किया गया है। अतः उपरोक्त कुल धनराशि रु0 98200/— की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रामवती व सचिव श्री धर्मेन्द्र मिश्रा से की जानी अपेक्षित है।

(11) दिनांक 24.01.2015 चेक नं0.50 रु0 2000/— का भुगतान श्री इन्द्रभान सिंह द्वारा लिया गया/भुगतान पाया गया। कैश बुक में उक्त भुगतान के सापेक्ष मस्टर रोल नाली निर्माण रु0 2592/— दर्शित है। जिससे स्पष्ट है कि दर्शित व्यय वास्तविक नहीं है। अतः रु0 2000/— का दुरुपयोग किया गया जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान व सचिव से की जानी अपेक्षित है। मस्टर रोल पर 5 मिस्त्री / 300 तथा 7 मजदूर / 156 से कार्य किया है।

(12) जाँच में पाया गया कि चेक नं0 53 रु0 50,000/— दिनांक 14.02.2015 का भुगतान खाता सं0 02/7099 में तथा चेक नं0 54 रु0 10,000/— दिनांक 21.02.2015 का भुगतान वर्मा बिल्डिंग मटेरियल को हुआ है। जो उपलब्ध बैंक स्टेटमेंट से स्पष्ट है। कैश बुक के अवलोकन में पाया गया कि उपरोक्त अहरित धनराशि के सापेक्ष धनराशि कुल रु0—60000.00 का व्यय विभिन्न तिथियों में विभिन्न मदों में किया गया है। जिससे स्वतः ही स्पष्ट होता है कि व्यय फर्जी दर्शाया गया है।

कैश बुक में उक्त के सापेक्ष दर्शित व्यय—

14.02.2015	मानदेय प्रधान	रु0 27,500/—
15.02.2015	मिट्टी 2 ट्राली	रु0 2,000/—
16.02.2015	सीधा झामा 2000	रु0 9300/—
21.02.2015	मस्टर रोल खडंजा माप नहीं	रु0 2136/—
22.02.2015	ईट 1700	रु0 8500/—
25.02.2015	मस्टर रोल माप नहीं	रु0 3204/—
28.02.2015	मिट्टी 6 ट्राली	रु0 6000/—
30.02.2015	हैण्ड पम्प मरम्मत	रु0 2808/—

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि फरवरी माह में 30.02.2015 तक कार्य/व्यय दर्शाया गया है तथा उपरोक्त दर्शित व्ययों में क्रय सामग्री व कराये गये कार्यों की पुष्टि में सत्यापन रिपोर्ट स्टॉक पंजिका व परिसम्पत्ति रजिस्टर भी नहीं है। अतः रु0— 50000.00 की ब्याज सहित वसूली सचिव श्री धर्मेन्द्र मिश्रा व प्रधान श्रीमती रामवती से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत— जोगीपुर

वर्ष 2014—15,

तिलहर

(13) दिनांक 14.06.2014 चेक नं० 4 रू० 46500 श्री अन्सारी को तथा 14.06.2014 चेक नं० 11 रू० 4000/— श्री सुरेन्द्र को भुगतान हुआ है जो बैंक स्टेटमेन्ट से स्पष्ट है। परन्तु इसके सापेक्ष क्रय/व्यय के मद अस्पष्ट है। माह जून 2014 में आहरित/निर्गत चेक के सापेक्ष दर्शित व्यय में उक्त से किसी भी सामग्री का क्रय किया जाना स्पष्ट नहीं है अतः उक्त धन के सापेक्ष दर्शित व्यय वास्तविक नहीं है जिससे स्पष्ट है कि रू०— 50500.00 धनराशि का दुरुपयोग किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली सचिव श्री धर्मेन्द्र मिश्रा व प्रधान हेमादेवी से की जानी अपेक्षित है।

(14) दिनांक 13.06.2014 को सीधा झामा क्रय रू० 108642/— (मात्रा 23364 / 4650 प्रति हजार) भुगतान दर्शाया गया है। उक्त धनराशि व्यय करने से पूर्व क्रय प्रक्रिया को अनुपालन नहीं किया गया है जबकि शासनादेशानुसार रू० 100000/— रू० अधिक के ईटे/सामग्री क्रय से पूर्व टेण्डर आमंत्रित किया जाना आवश्यक है। अतः क्रय प्रक्रिया का अनुपालन न कर अनियमितता की गई। जिसकी ब्याज सहित वसूली सचिव श्री धर्मेन्द्र मिश्रा व प्रधान श्रीमती हेमादेवी से की जानी अपेक्षित है।

(15) दिनांक 15.07.2014 को चेक नं० 14 रू० 30000/— का भुगतान श्री रामसेवक को किया गया है जो बैंक स्टेटमेन्ट से स्पष्ट है। जबकि रू० 30000/— का व्यय किसी मद में दर्शित नहीं है। कैश बुक में 15.07.2014 को ईट क्रय रू० 99589/— 26.07.2014 मस्टर रोल खड्जा निर्माण रू० 11064/— तथा 27.07.2014 को रोड़ी क्रय रू० 6412/— व्यय दर्शित है। जिससे स्पष्ट है कि उक्त रू० 30,000/— का व्यय वास्तविक नहीं है अतः फर्जी व्यय दर्शाकर धन का दुरुपयोग किया है। अकिंत विवरण से स्पष्ट है कि धन का दुरुपयोग किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली सचिव श्री धर्मेन्द्र मिश्रा व प्रधान श्रीमती हेमादेवी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

(16) लेखा परीक्षा में पाया गया निम्नानुसार निम्न को भुगतान हुआ है जिसके सापेक्ष कैश बुक में दर्शित व्यय संदेहास्पद है। अंकित विवरण से स्पष्ट है कि धन का दुरुपयोग किया गया है—

बैंक स्टेटमेन्ट अनुसार आहरित धनराशि का विवरण मय चेक नं० व दिनांक

08.10.2014	चेक नं०.53	रू० 10000/—	श्री नरवीर सिंह
10.10.2014	चेक नं०.51	रू० 4000/—	श्री मनोज
10.10.2014	चेक नं०.50	रू० 2000/—	श्री इन्द्रभान
13.10.2014	चेक नं०.54	रू० 10000/—	श्री जय प्रकाश
22.10.2014	चेक नं०.49	रू० 65000/—	श्री राम सेवक

योग— रू० 91000/—

उपरोक्त के सापेक्ष कैश बुक में दर्शित व्यय

22.10.2014	सीमेंट 103 बैग	रू० 30900/—
25.10.2014	मस्टर रोल नाली माप नहीं	रू० 24540/—
26.10.2014	मिट्टी 4 ट्राली	रू० 4000/—
28.10.2014	मस्टर रोल खड्जा माप नहीं	रू० 3060/—
29.10.2014	ईट 5280 रोड़ी 1 घन मी०	रू० 12316/—
30.10.2014	सीमेंट 9 बैग, रेत 1.4 घन मी०	रू० 3700/—
31.10.2014	हैण्ड पम्प मरम्मत	रू० 13000/—

योग— रू० 91516/—

क्रय सामग्री की पुष्टि में स्टॉक पंजिका व निर्माण कार्य पंजिका/सत्यापन आख्या नहीं है। अतः इसके अभाव में व उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि अपहरित धनराशि रु0-91000.00 की ब्याज सहित वसूली सचिव श्री धर्मेन्द्र मिश्रा व प्रधान श्रीमती हेमादेवी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है। धन का दुरुपयोग किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान व सचिव से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- सुरुजपुर

लेखा परीक्षा वर्ष- 2013-14, 2014-15

(17) लेखा परीक्षा में पाया गया कि निम्नानुसार हैण्डपम्प मिस्त्री को नल मरम्मत हेतु भुगतान किया गया है। कार्यस्थल बगैरहा अंकित किये बिना भुगतान किया जाना आपत्ति जनक रहा। लेखा परीक्षा में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, सार्वजनिक कार्यों का रजिस्टर, रुप पत्र 2, चल व अचल सम्पत्ति का रजिस्टर, व्यय अनुमान पुस्तिका, कार्यवाही पंजिका अप्राप्त रही जिससे किया गया व्यय उक्त तथ्यों के आधार पर फर्जी है जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है। अतः अपहरित धनराशि रु0-24080.00 की ब्याज सहित वसूली सचिव श्री प्रताप सिंह व प्रधान श्री धर्मवीर से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

दिनांक	धनराशि
06.05.2014	2540 / -
26.08.2014	16964 / -
14.09.2014	4576 / -
	योग- 24080 / -

(18) क्रय की गयी निर्माण सामग्री हेतु टेण्डर/कोटेशन आमन्त्रित नहीं किये गये हैं जो विशेष आपत्तिजनक है। निदेशानुसार निर्माण कार्य हेतु क्रय की गयी सामग्री के लिये टेण्डर/कोटेशन आमन्त्रित कर गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए सबसे कम दर हेतु टेण्डर/कोटेशन स्वीकृत होने पर सामग्री क्रय की जानी चाहिये थी किन्तु इस नियम का पालन न कर अनियमित क्रय कर धनराशि का दुरुपयोग किया गया है। विवरण निम्न प्रकार है- ईट 443772 / -, सीमेंट मौरग आदि 57822 / - कुल 501594 / - की धनराशि के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, सार्वजनिक कार्यों का रजिस्टर, चल व अचल, सम्पत्ति का रजिस्टर, कार्यवाही पंजिका, ईट भट्टे का डिलवरी चालान, स्टॉक रजिस्टर, निर्माण कार्य स्थलों का विवरण भी उपलब्ध नहीं कराया गया। उक्त तथ्यों के आधार पर व्यय 501594.00 फर्जी है जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से प्रधान श्री धर्मवीर एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रताप सिंह से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - अवा

लेखा परीक्षा वर्ष- 2014-15

(19) लेखा परीक्षा में पाया गया कि निम्नानुसार बालाजी ट्रेडर्स, दुर्गा ट्रेडर्स, हैण्डपम्प मिस्त्री को नल मरम्मत हेतु नगद भुगतान किया गया है। कार्यस्थल बगैरहा अंकित किये बिना भुगतान किया जाना आपत्ति जनक रहा। लेखा परीक्षा में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, सार्वजनिक कार्यों का रजिस्टर, रुप पत्र 2, चल व अचल सम्पत्ति का रजिस्टर, व्यय अनुमान पुस्तिका, कार्यवाही पंजिका अप्राप्त रही जिससे किया गया व्यय उक्त तथ्यों के आधार पर फर्जी है जिसकी प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है। अतः अपहरित धनराशि रु-27250 की ब्याज सहित वसूली सचिव कुलदीप सक्सेना एवं प्रधान श्रीमती कुसुम पाठक से की जानी अपेक्षित है।

दिनांक	धनराशि	
18.06.2014	9780 /—	बालाजी ट्रेडर्स से सामान क्रय
20.06.2014	2520 /—	हैण्डपम्प मिस्त्री
08.02.2015	11800 /—	दुर्गा ट्रेडर्स से सामान क्रय
10.02.2015	3150 /—	हैण्डपम्प मिस्त्री
योग— 27250 /—		

जनपद —पीलीभीत

मण्डल—बरेली

प्रस्तर सं०—01

आपत्ति संख्या—01

लेखा परीक्षा वर्ष 2013—14 व 2014—15 में निम्न विवरणानुसार हैण्ड पम्पों की मरम्मत पर व्यय किया जाना दर्शित किया गया। विवरण निम्नवत् है:—

क्रमांक	दिनांक	कैश बुक में अंकित प्रमाणक सं०	धनराशि
01.	03.07.13	—	4255.00
02.	15.01.14	26	4256.00
03.	04.02.14	27	2000.00
04.	09.10.14	—	1500.00
05.	10.01.15	—	7000.00
		कुल योग	19011.00

उक्त की पुष्टि में व्यय प्रमाणक व कार्यस्थल का विवरण उपलब्ध नहीं रहा जिस कारण उक्त किया गया व्यय पूर्णतः अप्रमाणित व संदिग्ध रहा। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती लडैली/ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मेवा लाल से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित रही। उपरोक्त दर्शित व्यय में दिनांक 15.01.2014 व 04.02.2014 में प्रमाणक संख्या कैश बुक में तो अंकित है परन्तु यह प्रमाणक भी अनुपलब्ध रहा।

(ग्राम सकुटिया जसकरनपुर सा०आ०सं०—18)

आपत्ति संख्या—02

लेखा परीक्षा में पाया गया कि निम्न विवरण अनुसार चैक निर्गत कर धनराशियां फर्मों को भुगतान की गई हैं। जिसकी पुष्टि बैंक खाते से भी हो रही है। परन्तु उक्त भुगतान के सापेक्ष कौन सी वस्तु/ सामग्री किस दर, किस मात्रा में खरीदी गई एवं इसका उपयोग किस प्रकार किया गया है, के सम्बन्ध में कोई भी अभिलेख ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री लाल बहादुर मौर्य द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया। उदाहरणार्थ— कार्यवाही/प्रस्ताव पंजिका, अनुमोदित कार्य योजना, क्रय आदेश फर्म का बिल, कार्य—पूर्ति प्रमाण—पत्र, स्टॉक/उपभोग पंजिका एवं सचम अधिकारी द्वारा स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट आदि। धन आहरण किये जाने का विवरण निम्न प्रकार से है—

क्र०सं०	चेक संख्या	दिनांक	धनराशि	भुगतान किसे किया गया
1.		63	11.10.14120000.00	मै० शंकर ब्रिक फील्ड
2.		62	11.10.14130000.00	मै० शंकर ब्रिक फील्ड
3.		61	14.10.14152690.00	मै० राज पाइप इन्डस्ट्रीज
एवं				
1.		66	27.10.1440200.00	कैश
2.		65	28.10.1418000.00	कैश

इस प्रकार कुल रु० 460890.00 (402690.00+58200) की ब्याज सहित वसूली अभिलेखों के अभाव में, ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रोहितेश कुमार 30.06.2014 तक श्री लाल बहादुर मौर्य 01.07.2014 से 31.03.2015 तक एवं ग्राम प्रधान श्री जगजीत सिंह सेसंयुक्त रूप से की जानी आपेक्षित रही।

(ग्राम पंचायत पिपरिया करम सा०आ०सं०-17)

आपत्ति सं०-3

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में बैंक खाते की जांच में पाया गया कि वर्ष में कुल आहरण रु० 346585.00 के सापेक्ष रु० 139000.00 नकद ग्राम प्रधान द्वारा एवं रु० 192500.00 नकद ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा (कुल रु० 331500.00) आहरित किया है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:-

ग्राम प्रधान द्वारा			ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा		
दिनांक	चैक संख्या	धनराशि	दिनांक	चैक संख्या	धनराशि
09.04.14	17	15000.00	09.04.14	16	7000.00
24.04.14	20	10000.00	09.04.14	19	15000.00
12.05.14	25	4000.00	22.04.14	21	10000.00
27.05.14	27	10000.00	22.04.14	22	10000.00
04.08.14	लोकल चैक	15000.00	28.04.14	23	3000.00
28.08.14	3	10000.00	19.06.14	28	17000.00
04.09.14	1	10000.00	04.08.14	लोकल चैक	15000.00
04.10.14	8	15000.00	26.08.14	2	15000.00
04.10.14	10	17500.00	04.10.14	9	17500.00
18.12.14	15	20000.00	08.12.14	12	2000.00
02.02.15	65	12500.00	18.12.14	14	6500.00
			18.12.14	14	20000.00
			02.02.15	66	30000.00
			05.02.15	67	9500.00
				लोकल चैक	15000.00
	योग	139000.00		योग	192500.00

आहरित कर स्वयं प्राप्त किया गया है। उक्त आहरण के व्यय की पुष्टि में अनुमोदित कार्य योजना, कार्यवाही पंजिका, कार्य का प्राक्कलन, बिल वाउचर, क्रय आदेश, मस्टर रोल, सामग्री स्टॉक पंजिका, सक्षम अधिकारी द्वारा स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, उपभोग प्रमाण पत्र/कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र आदि अभिलेख उपलब्ध नहीं

रहे। जिससे स्पष्ट है कि आहरित धनराशि रु0 331500.00 (रु0 तीन लाख इक्तीस हजार पांच सौ मात्र) का अपहरण ग्राम प्रधान श्री वरिष्ठ कुमार मौर्य एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विवेक वर्मा ग्राम विकास अधिकारी द्वारा किया गया है। अतः उक्त धन की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

(ग्राम पंचायत शास्त्री नगर सा0आ0सं0-08)

आपत्ति सं0-4

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में ग्राम निधि खाते से रोजगार सेवक श्री रोजकुमार के नाम चैक निर्गत कर खाते से धन का आहरण किया जाना विवरण निम्नवत है:-

दिनांक	चैक सं0	धनराशि
25.04.2014	639811	रु0 4500.00
13.06.2014	639820	रु0 2000.00
07.02.2015	760319	रु0 1500.00
16.02.2015	760330	रु0 18000.00
कुल योग -		26000.00

उक्त रुपये 26000.00 का आहरण अनियमित तरीके से रोजगार सेवक (श्री राजकुमार) से कराया गया है। जबकि रोजगार सेवक का चयन केवल मनरेगा योजना से सम्बन्धित कार्य हेतु किया गया है। अन्य किसी मद/योजना की देख-रेख रोजगार सेवक नहीं करेगा। उक्त रु0 26000.00 आहरित धनराशि की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक/वाउचर भी उपलब्ध नहीं रहा जिस कारण अनियमित तरीके से किये गये आहरण के दुरुपयोग की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। अतः रु0 26000.00 की हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दरीश भारती व ग्राम प्रधान श्रीमती नवलेश कुमारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी व्यक्ति हैं। संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित रही।

(ग्राम पंचायत पिपरिया जयभद्र सा0आप0 सं0-08)

आपत्ति सं0-5

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में पाया गया कि चैक सं0- 639825 दिनांक 03.07.2014 के द्वारा रु0 93276.00 का भुगतान डी0के0 हायूम स्पन पाईप के पक्ष में किया जाना दर्शित है जिस सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां पायी गयी है।

(i) उक्त पाइपों को क्रय किये जाने हेतु ग्राम पंचायत की अनुमोदित कार्य योजना एवं कार्यवाही पंजिका उपलब्ध नहीं रही जिस कारण यह अस्पष्ट रहा कि ग्राम पंचायत को कितने और किस साईज के हायूम पाइपों की आवश्यकता थी।

(ii) सम्बन्धित फर्म/संस्था का बिल/वाउचर उपलब्ध नहीं रहा।

(iii) क्रय पाइपों को ग्राम पंचायत में किन-किन स्थान पर लगवाया/डलवाया गया है, से सम्बन्धित पत्रावली/अभिलेख उपलब्ध न रहना।

(iv) कराये कार्य के कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र/उपभोग प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं रहे।

(v) सक्षम अधिकारी के स्थलीय निरीक्षण/सत्यापन रिपोर्ट उपलब्ध नहीं रही।

उक्त के अभाव में सन्दर्भित क्रय संदिग्ध प्रतीत हो रहा है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दरीश भारती एवं ग्राम प्रधान श्रीमती नवलेश कुमारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित रही।

(ग्राम पंचायत पिपरिया जयभद्र सा0आप0 सं0-09)

आपत्ति सं०-6

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में निम्न विवरणानुसार ग्राम प्रधान के पति श्री प्रमोद कुमार के नाम चेक निर्गत कर धन का आहरण किया गया है:-

क्र०सं०	दिनांक	चैक सं०	धनराशि
1.	05.04.2014	639808	रु० 13200.00
2.	03.05.2014	639814	रु० 4900.00
3.	12.05.2014	639815	रु० 13544.00
4.	01.08.2014	759745	रु० 10000.00
5.	18.10.2014	760304	रु० 10000.00
6.	09.02.2015	76325	रु० 9500.00
7.	16.02.2015	760329	रु० 10000.00
		कुल योग	रु० 71144.00

उक्त रु० 71144.00 का आहरण अनियमित तरीके से किया गया है। नियमानुसार क्रय सामग्री सम्बन्धी भुगतान सम्बन्धित फर्म के नाम चेक निर्गत कर किया जाये एवं मजदूरी का भुगतान बैंक एडवाइस के द्वारा किया जाना चाहिये था व ग्राम प्रधान के पति को अपने नाम चैक निर्गत कराये जाने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति में उक्त आहरण के दुरुपयोग की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से का पूर्ण उत्तरदायित्व ग्राम पंचायत अधिकारी दरीश भारती व ग्राम प्रधान श्रीमती नवलेश कुमारी का है।

(ग्राम पंचायत पिपरिया जयभद्र सा०आप० सं०-10)

आपत्ति संख्या-7

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में निम्न विवरणानुसार सामग्री क्रय किया जाना दर्शित पाया गया। पुष्टि में सम्बन्धित फर्म के बिल/वाउचर उपलब्ध नहीं रहे विवरण निम्नवत-

क्र०सं०	दिनांक	चैक सं०	धनराशि	धनराशि
1	30.08.2014	के०जे०एन० सीमेंट	कैश बुक में अंकित नहीं	रु० 18400.00
2	27.10.2014	बरसी ब्रिक फील्ड	कैश बुक में अंकित नहीं	रु० 57500.00
3.	09.12.2015	बरसी ब्रिक फील्ड	कैश बुक में अंकित नहीं	88500.00

योग -164400.00

उक्त रु० 164400.00 के बिल/वाउचर उपलब्ध न रहने के कारण यह स्पष्ट न हो सका कि कितनी ईंट व सीमेंट क्रय किया गया और कैश बुक से भी यह स्पष्ट नहीं हो सका कि उक्त सामग्री किस कार्य पर प्रयुक्त हुई है। इस कारण उक्त किया गया क्रय पूर्णतः अप्रमाणित रहा। अर्थात् रु० 164400.00 की ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से ग्राम पंचायत अधिकारी दरीश भारती व ग्राम प्रधान श्रीमती नवलेश कुमारी से की जानी अपेक्षित रही।

(ग्राम पंचायत पिपरिया जयभद्र सा०आप० सं०-11)

आपत्ति संख्या-8

लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14 व 2014-15 में निम्न विवरणानुसार हैण्ड पम्पों की मरम्मत पर व्यय किया जाना दर्शित पाया गया। विवरण निम्नवत है:-

क्रमांक	दिनांक	कैश बुक में अंकित प्रमाणक सं०	धनराशि
01.	25.09.13	16	1678.00
02.	09.12.13	20	4000.00
03.	14.03.14	39	8700.00
		कुल योग	14378.00

उक्त की पुष्टि में व्यय प्रमाणक व कार्यस्थल का सत्यापन विवरण उपलब्ध नहीं रहा फलस्वरूप उक्त किया गया व्यय पूर्णतः अप्रमाणित व संदिग्ध रहा। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान गुलजारी लाल एवं ग्राम प्रधान अधिकारी श्री अवनीश कुमार से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित रही।

(ग्राम पंचायत शिवपुरी नवदिया सा०आप० सं०-16)

आपत्ति संख्या-9

दिनांक 16.07.13 को सफाई कर्मियों हेतु ठेली क्रय मात्रा दो, कैश बुक में अंकन रु० 24300.00 व्यय प्रमाणक सं० 08 पर किया जाना दर्शित पाया गया। पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा-परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा जिससे यह विदित नहीं हो सका कि ग्राम पंचायत में कितनी कुल ठेली क्रय की गई व किस दर से। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत की प्रस्ताव पंजिका एवं कार्य योजना एवं विभागीय स्वीकृति भी उपलब्ध नहीं रही और न ही डैड स्टॉक पंजिका उपलब्ध रही, फलस्वरूप उक्त किया गया भुगतान अप्रमाणित रहा। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री गुलजारी लाल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अवनीश कुमार से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

(ग्राम पंचायत शिवपुरी नवदिया सा०आप० सं०-17)

आपत्ति संख्या-10

लेखा परीक्षा वर्ष 2012-13 से 2014-15 तक में श्री शानू के नाम चैक निर्गत कर धन का आहरण किया गया है। विवरण निम्नवत है:-

दिनांक 30.09.2013 व दिनांक 07.05.2014 चैक सं०- 56 व 89 के द्वारा क्रमशः 12350 व रु० 19800 कुल रु० 32150 के आहरण के व्यय की पुष्टि में प्रस्ताव पंजिका, अनुमोदित कार्ययोजना, कार्य का प्रवक्कलन, बिल वाउचर, क्रय आदेश, सामग्री स्टॉक पंजिका, मस्टर रोल, माप पुस्तिका, डी०पी०सी०-9, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र आदि अभिलेख उपलब्ध नहीं रहे और न ही यह स्पष्ट हो सका कि शानू को भुगतान क्यों किया गया। क्योंकि श्री शानू न तो किसी फर्म के मालिक हैं और न ही मजदूर/राज मिस्त्री हैं, पूछने पर ग्राम प्रधान द्वारा बताया गया कि श्री शानू प्राइवेट तौर पर कागज तैयार करने का काम करते हैं। जो पूरनपुर के रहने वाले हैं। ऐसी स्थिति में उक्त आहरित धन का व्यय पूर्णतः फर्जी रहा। उक्त से स्पष्ट होता है कि ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी, ग्राम प्रधान द्वारा श्री शानू के नाम से चेक निर्गत कर अनियमित तरीके से आहरण कर रु० 32150 का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रामकली ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विकास पाण्डे व ग्राम्य विकास अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

(ग्राम पंचायत हमीरपुर सा०आप० सं०-18)

आपत्ति संख्या-11

लेखा परीक्षा वर्ष 2012-13 से 2014-15 तक में श्री विकास पाण्डेय ग्राम्य विकास अधिकारी द्वारा बैंक से नगद आहरण किया गया है। जिसकी पुष्टि में निम्न आपत्तियां पायी गयी-

(अ)- बैंक से नकद आहरण रु० 83915.00 का लेखा कोषवही में नहीं किया गया है विवरण निम्नवत है-

दिनांक:	चैक सं०	धनराशि
08.04.13	लूज चैक सं०-534901	रु० 30000.00

30.09.13	69	रु0 21000.00
07.03.14	71	रु0 12000.00
12.04.14	77	रु0 10225.00
17.05.14	91	रु0 10690.00

कुल योग रु0 83915.00

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि रु0 83915.00 का नकद आहरण श्री विकास पाण्डेय ग्राम्य विकास अधिकारी द्वारा अनियमित तरीके से किया गया है। कि व्यय की पुष्टि में कैश बुक में लेखा पारित न होना, बिल वाउचर, मस्टर रोल, सामग्री स्टॉक पंजिका क्रय आदेश, उपभोग प्रमाण पत्र/कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र इत्यादि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध न रहने के कारण उक्त आहरण का पूर्णतः अपहरण ग्राम विकास अधिकारी व ग्राम प्रधान द्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विकास पाण्डे व ग्राम प्रधान श्रीमती रामकली से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है विभागीय अधिकारी की कार्यवाही करें।

(ब)– बैंक से श्री विकास पाण्डेय ग्राम्य विकास अधिकारी द्वारा नकद आहरण कर मिट्टी भराव/डलवायी पर व्यय किया जाना दर्शित है विवरण निम्नवत है—

दिनांक	चैक सं०	धनराशि
29.04.13	41	रु0 10000.00
04.06.13	42	रु0 12500.00
28.09.13	55	रु0 12000.00
योग		रु0 34500.00

उक्त मिट्टी भराव/डलवायी की पुष्टि में बिल वाउचर उपलब्ध नहीं रहा और न ही कार्य स्थल का उल्लेख व ल0X चौ0X ग0, प्राक्कलन, अनुमोदित कार्ययोजना, कार्यवाही पंजिका, कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र/उपभोगप्रमाण पत्र एवं सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापन रिपोर्ट आदि अभिलेख उपलब्ध न रहने के कारण व्यय फर्जी व काल्पनिक रहा रु0 34500.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित रही।

(स) उपरोक्तानुसार ही एम0आर0 (मस्टर रोल) पर व्यय किया जाना दर्शित पाया गया।

दिनांक	चैक सं०	धनराशि
26.06.13	50	रु0 21020.00
25.04.14	83	रु0 19125.00
योग		रु0 40145.00

रु0 40145.00 का नकद आहरण श्री पाण्डे द्वारा एम0आर0 (मस्टर रोलों) पर भुगतान हेतु अनियमित तरीके से किया गया है। नियमानुसार बैंक एडवाइस द्वारा भुगतान किया जाना चाहिये था। उक्त की पुष्टि में कैश बुक में केवल मस्टर रोलों पर भुगतान किया जाना दर्शित पाया गया। जांच में मस्टर रोल उपलब्ध नहीं रहे जिस कारण कार्यस्थल, कार्य का नाम, कार्य की माप, कार्य प्रारम्भ व समाप्ति की तिथि, मजदूरों की संख्या इत्यादि की स्थिति अज्ञात रही और न ही कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, उपभोग प्रमाणपत्र, विभागीय सक्षम अधिकारी की स्थलीय रिपोर्ट आदि उपलब्ध रहे जिस कारण उक्त आहरण का व्यय पूर्णतः फर्जी व काल्पनिक रहा। अतः रु0 40145.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित रही।

(ग्राम पंचायत हमीरपुर सा0आप0 सं०-19)

आपत्ति संख्या-12

लेखा परीक्षा वर्षों में श्री दिनेश कुमार को चेक निर्गत कर भुगतान कर भुगतान किया जाना दर्शित पाया गया।

विवरण निम्नवत है:-

दिनांक	चैक सं०	धनराशि
07.03.14	73	रु० 10210.00
19.12.13	61	रु० 4500.00
01.02.14	62	रु० 23400.00
22.02.14	66	रु० 7000.00
22.02.14	64	रु० 12660.00
04.03.14	70	रु० 2200.00
04.03.14	68	रु० 14900.00
12.04.14	76	रु० 11650.00
19.04.14	80	रु० 10450.00

कुल योग्य 96970.00

उक्त रु० 96970.00 के व्यय की पुष्टि में प्रस्ताव पंजिका, अनुमोदित कार्य योजना, प्राक्कलन, कार्य का नाम, बिल वाउचर, क्रय आदेश, मस्टर रोल, सक्षम अधिकारी का स्थलीय सत्यापन रिपोर्ट, माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र इत्यादि अभिलेख उपलब्ध नहीं रहे और न ही यह स्पष्ट हो सका कि श्री दिनेश कुमार को भुगतान क्यों किया गया। श्री कुमार को किये गये भुगतान से सम्बन्धित अभिलेख/साक्ष्य लेखा परीक्षा में उपलब्ध न रहने के कारण उक्त भुगतान फर्जी व काल्पनिक रहा। जिसकी ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी से की जानी वांछनीय रही। रु० 96970.00 की ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से ग्राम प्रधान श्रीमती रामकली एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विकास पाण्डे से किया जाना अपेक्षित है।

(ग्राम पंचायत हमीरपुर सा०आप० सं०-20)

आपत्ति संख्या-13

लेखा परीक्षा वर्षों में श्री विकास पाण्डे ग्राम्य विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधान श्रीमती रामकली द्वारा श्री रामरतन ग्राम प्रधान पुत्र के नाम ग्राम निधित मद/खाते से चैक निर्गत कर रु० 260920.00 का अनियमित तरीके से आहरण किया गया है। विवरण निम्नवत है:-

क्र०सं०	दिनांक	चैक सं०-	धनराशि
01	22.05.13	40	रु० 10000.00
02	18.07.13	46	रु० 12750.00
03	19.08.13	49	रु० 20000.00
04	01.10.13	58	रु० 12100.00
05	01.02.14	63	रु० 24500.00
06	22.02.14	65	रु० 7800.00
07	04.03.14	67	रु० 12500.00
08	07.03.14	72	रु० 14200.00
09	22.04.14	82	रु० 19890.00
10	07.05.14	88	रु० 20100.00
11	23.06.14	93	रु० 10280.00
12	15.10.14	103	रु० 31800.00

13	13.01.15	107	रु0 20500.00
14	03.03.15	109	रु0 27500.00
15	23.03.15	113	रु0 17000.00

कुल योग— 260920.00

उक्त रु0 260920.00 के व्यय की पुष्टि में बिल वाउचर/व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे, और न ही कार्य स्थल, कार्य की माप, प्राकलन पंजिका, विभागीय सक्षम अधिकारियों द्वारा स्थलीय सत्यापन रिपोर्ट, कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र/उपभोग प्रमाणपत्र, सामग्री स्टॉक पंजिका एवं कराये गये कार्यों की निर्माण पंजिका आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। जिस कारण नकद आहरण पूर्णतः अप्रमाणित रहा। ग्राम प्रधान पुत्र श्री राम रतन से नकद आहरण क्यों कराया गया यह स्पष्ट न हो सका क्योंकि प्रधान पुत्र का सरकारी खाते से धन आहरण करने का कोई अधिकार नहीं था। नियमानुसार सम्बन्धित फर्मों के चेक के माध्यम से भुगतान किया जाना चाहिये था। उक्त से स्पष्ट होता है कि ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास अधिकारी द्वारा श्री रामरतन से रु0 260920.00 आहरण कराकर अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रामकली व ग्राम वि० अधि० श्री विकास पाण्डे से कराये जाने हेतु विभागीय अधिकारी कार्यवाही करें। जो अपेक्षित है।

(ग्राम पंचायत हमीरपुर सा०आप० सं०-21)

आपत्ति संख्या-14

लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14 से 2014-15 तक में श्री लाल बहादुर (सचिव) व ग्राम प्रधान के संयुक्त हस्ताक्षरों से ग्राम निधि खाते से रु0 328000.00 का आहरण दिनांक 01.07.2014 से दिनांक 31.03.2015 तक कर व्यय किया जाना दर्शित पाया गया। विवरण निम्नवत है—

(क) ग्राम प्रधान के नाम से अनियमित तरीके से आहरण।			(ख) ग्राम्य वि० अधिकारी श्री लाल बहादुर द्वारा आहरण		
दिनांक	चैक सं०	धनराशि	दिनांक	चैक सं०	धनराशि
21.10.14	105	17500.00	29.11.14	108	20600.00
28.11.14	107	29400.00	21.03.15	141	17600.00
24.12.14	112	12000.00	21.03.15	120	14600.00
21.03.15	142	21900.00		योग	52800.00
	योग	80800.00			
(ग) दीपक ब्रिक फील्ड को			(घ) सीमेंट मोरिंग क्रय पर भुगतान		
दिनांक	चैक सं०	धनराशि	दिनांक	चैक सं०	धनराशि
26.12.14	111	50000.00	16.10.14	104	24000.00
24.03.15	140	13750.00	23.03.15	138	10600.00
	योग	63750.00	23.03.15	136	16850.00
				योग	51450.00
(ड) श्री चेताराम के नाम से आहरण			(च) श्री सलीम के नाम से आहरण		

दिनांक	चैक सं०	धनराशि	दिनांक	चैक सं०	धनराशि
17.07.14	101	15600.00	02.01.15	113	15000.00
13.12.14	110	10000.00		योग	15000.00
28.11.14	106	10200.00			
23.03.15	137	11900.00			
23.03.15	139	3000.00			
	योग	50700.00			

(ग) अन्य विभिन्न नाम से आहरण			
दिनांक	नाम आहरणकर्ता	चैक सं०	धनराशि
09.01.15	श्री योगेश कुमार	115	3500.00
31.01.15	श्री संदीप कुमार	117	3500.00
02.02.15	श्री आलोक कुमार	116	3500.00
18.02.15	श्री संजीव कुमार	118	3000.00
		योग	13500.00

(क)	ग्राम प्रधान के नाम से आहरण	रु० 80800.00
(ख)	ग्राम्य विकास अधि० के नाम से आहरण	रु० 52800.00
(ग)	ईंट भट्टे वाले के नाम से आहरण	रु० 63750.00
(घ)	सीमेन्ट मोरिंग वाले के नाम से आहरण	रु० 51450.00
(ङ)	श्री चेताराम के नाम से आहरण	रु० 50700.00
(च)	श्री सलीम के नाम से आहरण	रु० 15000.00
(छ)	अन्य विभिन्न नामों से आहरण	रु० 13500.00

योग रु० 328000.00

उक्त विवरणानुसार रु० 328000.00 का दि० 01.07.14 से 31.03.15 तक अनियमित तरीके से ग्राम प्रधान व ग्राम्य विकास अधिकारी द्वारा आहरण कर व्यय किया जाना दर्शित पाया गया। पुष्टि में कोषवही (रूप का सं०-6) बिल वाउचर/व्यय प्रमाणक, सामग्री स्टॉक पंजिका, प्रस्ताव पंजिका, अनुमोदित कार्य योजना, प्राक्कलन पत्रावली, कार्यस्थल, कार्य की माप, विभागीय सक्षम अधिकारियों के द्वारा स्थलीय सत्यापन रिपोर्ट, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व उपभोग प्रमाण पत्र इत्यादि अभिलेखों को लेखा परीक्षा में जांच हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया। उक्त अभिलेखों के अभाव में रु० 328000.00 की व्यय धनराशि की पुष्टि न की जा सकी। अतः रु० 328000.00 व्यय का अपहरण श्री लाल बहादुर ग्राम्य विकास अधिकारी, श्री मोहन सिंह ग्राम प्रधान द्वारा

किया गया है की ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम प्रधान से संयुक्त रूप से की जानी वांछनीय है। अतः विभागीय अधिकारी ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही करें। जो अपेक्षित है। ग्राम प्रधान श्री मोहन सिंह व श्री लाल बहादुर मौर्य से।
(ग्राम पंचायत नदहा ता0 माधौटाडॉ सा0आप0 सं0-15)

आपत्ति संख्या-15

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में कैश बुक की जांच में पाया गया कि हरदेई के घर से लोचन के घर तक रम्पुरा रोड पर मिट्टी भराव कार्य पर निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शाया गया है। कार्य की माप यथा लम्बाई, चौड़ाई, एवं गहराई अंकित नहीं की गई हैं।

दिनांक	वाउचर	मिट्टी हेतु धनराशि	वाउचर नम्बर	लेवर धनराशि हेतु
11.02.2015	55	12000.00	—	—
18.02.2015	—	—	5	11388.00

कुल व्यय

रु0 23388.00

उक्त कार्य के सम्बन्ध में कैश बुक में पाया गया कि इसी कार्य पर खडंजा निर्माण पूर्व में ही कराया जा चुका है। जिसमें दर्शित भुगतान का विवरण निम्न प्रकार से है।

दिनांक	वाउचर नं0	ईट	वाउचर नम्बर	मिट्टी	वाउचर नम्बर	मिट्टी
02.05.14	—	—	06	11500.00	—	—
05.05.14	07	90000.00	—	—	—	—
30.06.174	—	—	—	—	17	11280.00
09.07.14	—	—	—	—	20	13260.00
योग		90000.00		11500.00		24540.00

अतः पुनः मिट्टी भराव कार्य दर्शाकर रु0 23388.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जांच हेतु एक भी वाउचर उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम प्रधान श्री हरी प्रसाद व ग्राम पं0 अधि0 श्री मनोरंज सिंह।

(ग्राम पंचायत नवदिया धनेश सा0आप0 सं0-11)

आपत्ति संख्या-16

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में कैश बुक की जांच में पाया गया है कि रम्पुरा रोड तक नत्थूलाल के घर से पण्डित की बगिया एवं रम्पुरा रोड से छत्रपाल के खेत तक खडंजा निर्माण कार्य कराये जाने पर निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित है।

दिनांक	वाउचर नं	ईट क्रय	वाउचर नं0	मिट्टी क्रय	वाउचर नं0	लेवर
03.04.14	01	100000.00	—	—	—	—
24.04.14	—	—	02	24000.00	—	—

29.04.14	—	—	—	—	03	29640.00
-----	—	—	—	—	04	15400.00
02.05.14	—	—	—	—	05	8280.00
05.05.14	08	66935.00	—	—	—	—
योग	166935.00		—	24000.00	—	53320.00

कुल व्यय

रु0 244255.00

इस कार्य में निम्न आपत्तियां प्रकाश में आई:-

(अ) उपरोक्त कार्य की लम्बाई चौड़ाई अंकित नहीं की गई है, जिस कारण प्रयुक्त की गई ईंटों की संख्या की गणना की जानी सम्भव नहीं हो सकी।

(ब) कितने फिट मिट्टी डलवाई गई है का भी कहीं उल्लेख नहीं किये जाने के कारण, यह गणना की जानी सम्भव नहीं हो सकी कि कितने धन फुट मिट्टी की आवश्यकता थी। इस कार्य में लगे टैक्टर, ट्राली नम्बर एवं उसके मालिक के नाम सहित बिल भी उपलब्ध नहीं है। दर्शित मजदूरी रु0 29640.00 में कुल कितने मजदूरों ने किस-किस तिथि में कितने दिन कार्य किया है। मस्टर रोलों के अभाव में अपुष्ट रहा।

(स) दर्शित मजदूरी पर व्यय भी मास्टर रोलों के अभाव में अपुष्ट रहा।

(द) ग्राम पंचायत की अनुमोदित कार्य योजना, कार्यवाही पंजिका, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र स्थलीय निरीक्षण/सत्यापन पत्रावली अप्राप्त।

(य) कार्य का प्राक्कलन, प्रशासनिक, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति एवं पैमाइश पुस्तिका के अभाव में कराया गया कार्य संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। अतः कुल व्यय रु0 244255.00 के दुरुपयोग की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अतः कुल व्यय 244255.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी आपेक्षित है।

(ग्राम पंचायत नवदिया धनेश सा0आप0 सं0-12ग)

आपत्ति संख्या-17

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में सफाई कर्मी हेतु ठेली खरीद किया जाना दर्शाया गया है। जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:-

दिनांक	चैक सं0	संस्था की रसीद	वउचर	धनराशि
19.07.14	805350	एम0के0	23	7300.00
01.08.14	805352	इन्टरप्राइजेज	26	7300.00

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि दो ठेली क्रय की गई हैं। सम्बन्धित फर्म का बिल अप्राप्त रहा। एक ठेली अधिक खरीद की गई है। क्योंकि ग्राम पंचायत में एक ही सफाई कर्मी तैनात है। अतः रु0 7300.00 का भुगतान यह अस्पष्ट रहा कि दर्शित किया गया आइटम स्टोर तक आया भी या नहीं। अतः अस्पष्टता की स्थिति में रु0 7300.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान से संयुक्त रूप से की जानी आपेक्षित रही।

(ग्राम पंचायत नवदिया धनेश सा0आप0 सं0-13ग)

आपत्ति संख्या-18

वउचर नं0-22 दिनांक 18.07.2014 के द्वारा रु0 14800.00 का भुगतान प्राथमिक विद्यालय शौचालय मरम्मत एवं सफाई आदि पर व्यय दर्शाया गया है। जिसकी पुष्टि में विभागीय आदेश, ग्राम सभा का प्रस्ताव अनुमोदन कार्य प्राक्कलन के अभाव में यह अस्पष्ट रहा कि क्या-क्या मरम्मत होनी थी। गांव पंचायत में सफाई कर्मी तैनात है जिसका दायित्व विद्यालय प्रांगण एवं शौचालय की सफाई करना भी है। इसी कारण विद्यालय के

प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर, सफाई कर्मों के वेतन बिल पर कराये जाते हैं। ऐसे में सफाई पर किया गया भुगतान अनुचित है। अतः अभिलेखों की अनुपलब्धता के कारण रु० 14800.00 का भुगतान अनियमित रहा। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

(ग्राम पंचायत नवदिया धनेश सा०आप० सं०-14ग)

आपत्ति संख्या-19

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में रम्पुरा रोड पर रामपाल के घर से पास रोड क्रय वाउचर नं०- 29 दिनांक 08.08.14 से रु० 24998.00 दर्शाया गया है। जिसका भुगतान चेक संख्या 091000.00 दिनांक 08.08.2014 के द्वारा आज हिन्द ब्रिक्स को रु० 69750.00 से किया गया बताया गया। पुष्टि में ईट क्रय वाउचर/बिल उपलब्ध नहीं रहा, तथा इस कार्य में मजदूरों को मजदूरी का भुगतान भी नहीं किया गया है। अतः उपरोक्त क्रय फर्जी प्रतीत हो रही है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित रही।

(ग्राम पंचायत नवदिया धनेश सा०आप० सं०-15ग)

आपत्ति संख्या-20

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में वाउचर नं०-61 दिनांक 13.03.2015 एवं वाउचर नं०-62 दिनांक 13.03.2015 के द्वारा क्रमशः रु० 8000.00 की मिट्टी खरीद पर एवं रु० 9204.00 मजदूरी का भुगतान किया जाना दर्शित है, परन्तु अभिलेखों से यह स्पष्ट नहीं हो रहा कि मिट्टी कहाँ और किस माप में डाली गयी है। अतः धन का दुरुपयोग की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार रु० 17204.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित रखा।

(ग्राम पंचायत नवदिया धनेश सा०आप० सं०-16ग)

आपत्ति संख्या-21

लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14 में वाउचर सं०-42 दिनांक 08.01.14 के द्वारा रु० 7000.00 भी मिट्टी खरीद दर्शित है। एवं दिनांक 11.07.2014 में वाउचर सं०-21 के द्वारा मजदूरी के दौरान रु० 7952 दर्शित है यह दोनों ही भुगतान बैंक से धन अहरित कर नकद किये गये हैं। जबकि पंचायती राज नियमावली की धारा-152, 153, 154 तथा 209 के अनुसार श्रमिकों को साप्ताहिक भुगतान किये जाने का प्रावधान है। अतः रु० 14952.00 का भुगतान मनमाने ढंग से दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

(ग्राम पंचायत नवदिया धनेश सा०आप० सं०-17ग)

आपत्ति संख्या-22

लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14 में कैश बुक व व्यय प्रमाणकों की जांच में पाया गया कि विवरणानुसार सामग्री क्रय किया जाना दर्शित पाया गया विवरण निम्नवत है:-

क्र०सं०	दिनांक	चेक सं०	व्यय प्रमाणक सं०	फर्म का नाम	क्रय की गयी सामग्री की विवरण	भुगतान की धनराशि
01	22.05.13	37	कैशबुक में दर्शित नहीं	दयाल बन्धु ईट भट्टा-पूरनपुर	विवरण कैशबुक में अंकित नहीं	रु० 80000.00
02	13.06.13	39	“ ”	सिंह एण्ड कम्पनी पूरनपुर	“ ”	रु० 100000.00
					योग	180000.00

उक्त सामग्री क्रय में निम्न आपत्तियां पायी गयी:-

- (क)- लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14 में जितने भी कार्य कराये जाने दर्शाये गये हैं, उनमें प्रयुक्त की गयी सामग्री को पृथक-पृथक कार्य अनुसार खरीद किया जाना दर्शाया गया है। क्रय सामग्री की पुष्टि कैश बुक से भी हो रही है।
- (ख)- क्रमांक 01 व 02 की संदर्भित खरीद/व्यय किसी कार्य से सम्बन्धित नहीं है की पुष्टि कैश बुक से होती है। (वर्ष 2013-14)
- (ग)- उक्त सामग्री क्रय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक व स्टोर/सामग्री स्टाफ पंजिका उपलब्ध नहीं रही।
- (घ) सामग्री खरीद उपरान्त उक्त सामग्री का उपभोग कहाँ-कहाँ किया गया का विवरण उपलब्ध नहीं रहा।
- (ङ) सामग्री क्रय में शासनादेश सं०-ए-1 864 (1) दस-2008-15(1)-86 दिनांक 23 सितम्बर-2008 का पालन न किया जाना।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर स्पष्ट हो रहा है कि ग्राम पंचायत अधिकारी व ग्राम प्रधान द्वारा उक्त सामग्री क्रय की फर्मों के साथ सांठगांठ कर फर्जी क्रय दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है। रु० 180000.00 की ब्याज सहित वसूली श्री मनोरंजन सिंह ग्राप०अधि० व श्री छत्रपाल ग्राम प्रधान से संयुक्त रूप से ही जानी अपेक्षित रही है।

(ग्राम पंचायत नरायनपुर बुजुर्ग सा०आप० सं०-06)

आपत्ति संख्या-23

दिनांक 12.06.2013 को रु० 25000.00 का भुगतान मस्टर रोल बावत कुशल मजदूरों हेतु कैश बुक के अनुसार दर्शित पाया गया पुष्टि में मस्टर रोल व कार्य का विवरण उपलब्ध नहीं रहा जिस कारण उक्त किया गया भुगतान पूर्णतः अप्रमाणित रहा। जबकि बैंक जांच में पाया गया कि उक्त भुगतान चैक सं०-38 के द्वारा सुशील नाम के व्यक्ति को किया गया है। पूछने पर ग्राम प्रधान द्वारा बताया गया कि श्री सुशील माधोटांडा में सरिया, सीमेंट, मोरंग के विक्रेता है। उक्त से स्पष्ट हो रहा है कि कैश बुक में फर्जी तरीके से मस्टर रोल पर व्यय दर्शाया है। एवं सरिया, सीमेंट एवं मोरंग विक्रेता श्री सुशील के साथ मिलकर रु० 25000.00 का अपहरण श्री मनोरंजन सिंह ग्राम पंच०अधि० व श्री छत्रपाल ग्राम प्रधान द्वारा किया गया जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से अपेक्षित रही।

(ग्राम पंचायत नरायनपुर बुजुर्ग सा०आप० सं०-07)

आपत्ति संख्या-24

दिनांक 12.11.2013 को कैश बुक के अनुसार रु० 19900.00 की ईंट रोड़ा क्रय किया जाना दर्शित पाया गया है। (कार्य- राजेन्द्र से रामबहादुर, रामबहादुर से राजकुमार, राजू से पप्पू व शिव कुमार से दंगल सिंह तक नाली निर्माण हेतु) उक्त ईंट क्रय का भुगतान नकद किया गया है। जबकि ईंट क्रय का भुगतान चैक के माध्यम से फर्म को किया जाना चाहिये था। उक्त भुगतान की पुष्टि में व्यय प्रमाणक/वाउचर व नाली निर्माण सम्बन्धी पत्रावली उपलब्ध नहीं रही जिससे स्पष्ट हो रहा है कि ग्राम प्रधान द्वारा नकद आहरण कर फर्जी ईंट रोड़ा क्रय किया जाना दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है। ब्याज सहित वसूली श्री मनोरंजन सिंह (ग्राम०पंच०अधि०) व ग्राम प्रधान श्री छत्रपाल से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

(ग्राम पंचायत नरायनपुर बुजुर्ग सा०आप० सं०-10)

आपत्ति संख्या-25

अर्जुन सिंह के घर से सियाराम के घर तक मिट्टी एवं खडंजा कार्य। यह कार्य गांव की कार्य योजना नं०-8/27 पर दर्ज है जो अनुमोदित नहीं है। यह एक ही कार्य है, परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा दो बार में पूर्ण कराया गया है जो अनुचित है। प्रथम बार में 180 मी० मिट्टी भराव कार्य कराया गया है।

(अ) उक्त कार्य गांव की प्रस्ताव सं०- 8/27 से प्रेषित किया है। कार्य की लम्बाई 180 मी० चौड़ाई $7+8/2 = 7.5$ मी० है। कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति + तकनीकी स्वीकृति संख्या = 4 दिनांक 06.08.13 एवं वित्तीय स्वीकृति 1922/18.09.13 से प्राप्त की गयी है। कार्य का प्राक्कलन रु० - 109145.00 का तैयार किया गया है। (श्रमांश रु० 54270.00 सामग्री रु० 54675.00 फोटो 200.00 कार्य की आई०डी०.नं०-326007174/आर० सी०/95848625546114) है। इस कार्य की एम०बी० की संख्या 2340 पर पृष्ठ संख्या 14 से 16 पर दर्ज की गयी है जिसके अनुसार रिकार्ड आफ मेजरमेन्ट सेक्शन के अनुसार औसत 0.58 सेमी० गहराई में मिट्टी भराव कार्य कराया जाना पुष्टित हो रहा है। इसी प्रकार डीटेल आफ मेजरमेन्टसेक्शनके अनुसार 30-30 मी० के सेक्शन बनाये गये हैं, और कुल 180 मी० लम्बाई में 782.65 घन मी० मिट्टी की आवश्यकता दर्शाई है। जबकि पी०डब्ल्यू०डी०के नार्म्सअनुसार मिट्टी भराव में 12.5% कटौती अनुमन्य है। अतः 97.83 घन मी० कटौती दिया जाना चाहिये था जो नहीं दिया गया।

एम०बी०. के अनुसार	-	मिट्टी का मूल्य	782.65X67.50	52828.87
		लेबर का भुगतान	782.65X67.00	52437.55
				105266.42

भुगतान-	चैक नं०-287186/06.11.13	मजदूरी	
	चैक नं०-287185/05.10.13	मिट्टी	11000.00
	84/10.10.13		21000.00
	81/23.09.13		21000.00
			53000.00
लेखा परीक्षा अनुसार 1- मिट्टी का मूल्य			रु० 46225.00

	782.65-97.83	=	684.82X67.50	
किया गया भुगतान			रु० 53000.00	अधिक भुगतान 6774.65
2- मजदूरी भुगतान	684.82X67.00	=	रु० 45882.94	
किया गया भुगतान			रु० 52540.00	
अधिक भुगतान			रु० 6775.06	

अतः रु० 6775.00 + 6657.00 कुल 13432.00 की ब्याज सहित वसूली टी०ए०.श्री प्रमोद कुमार ग्राम प्रधान श्री छत्रपाल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मनोरंजन सिंह से की जानी आपेक्षित है।

(ग्राम पंचायत नरायनपुर बुजुर्ग सा०आप० सं०-02अ)

आपत्ति सं०-26

इसी प्रकार, इस कार्य को खडंजा निर्माण हेतु एक नये कार्य के रूप में प्रेषित कर कार्य कराया गया है। कार्य योजना का क्रमांक 8/27 प्रेषण वर्ष 2013-14 कार्य की लम्बाई 250 मी० दर्शित है। प्राक्कलन की धनराशि रु० 350300.00 (श्रमांश 41625.00 सामग्री 308643.00) कार्य की आई०डी० नं०-31600174/आर०सी०/958486255822569649 है। इस कार्य की एम०बी० पैमाइश पुस्तिका संख्या 2340 के पृष्ठ सं०-20 से लेकर 22 एवं 45 से 50 तक की गई है। एम०बी० की जांच में पाया गया कि एम०बी० के अनुसार पृष्ठ संख्या-50 पर कुल 63000 ईंटों की पुष्टि हो रही है। जिनकी कीमत 4650.00 हजार उपलब्ध की दर से रु० 292950.00 की पुष्टि हुई है। परन्तु ग्राम पंचायत के विवरण अनुसार ग्राम पंचायत ने कुल 66350

ईंटे रु0 308527.00 की क्रय की गई है। जिसका विवरण निम्न प्रकार से है— नव भारत ब्रिक्स फील्ड लुकरिहाई पूरनपुर

चैक नं०— दर/हजार	दिनांक	बिल नं०	दिनांक	धनराशि	मात्रा
287195/21.11.13		210	21.11.13	155775.00	33500 4650
287193/19.11.13		212	20.11.13	116250.00	25000 ———
287197/21.11.13		209	21.11.13	36502.00	7850
			योग	308527.00	66350

अतः 308527.00 — 292950.00 = रु0 15577.00 किये गये अधिक भुगतान की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है। ग्राम प्रधान श्री छत्रपाल व ग्रा0 पं0 अधि0 श्री मनोरंजन सिंह। **(ग्राम पंचायत नरायनपुर बुजुर्ग सा0आप0 सं0-02 मनरेगा)**

आपत्ति सं०-27

भीकम सिंह के खेत से भूपराम के खेत तक मूल सफाई कार्य, कार्य योजना क्रमांक-02/2013-14 प्रस्ताव प्रेषित का दिनांक 03.10.2012, तकनीकी स्वीकृति 08/24.06.13, वित्तीय स्वीकृति 683/08.07.13 प्राक्कलन रु0 9492.00 (श्रमांश रु0 9492.00 सामग्री —शून्य), आई0डी0 सं0 03126007174/आर0सी0/-958486255822517320।

उक्त कार्य के स्टीमेट एवं एम0बी0 की जांच में पाया गया कि कार्य भीकम सिंह के खेत से भूपराम के खेत तक मूल सफाई अंकित है। परन्तु उपलब्ध कराये गये एम0आर0संख्या- 13569/28.11.13 एवं 13599/28.11.2013 पर कार्य का नाम मिलक सिंह के खेत से भूपराम के खेत तक मिट्टी कार्य (चकरोड) अंकित है। इस कार्य पर कुल रु0 9088.00 का भुगतान किया है। अतः इस प्रकार किया गया कार्य अनियमित है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है। **(ग्राम पंचायत नरायनपुर बुजुर्ग सा0आप0 सं0-03 मनरेगा)**

आपत्ति सं०-28

राजपाल के घर से रामकुमार के घर तक मिट्टी भराव कार्य/लम्बाई 90 मी0, चौ0 कार्य योजना का प्रस्ताव सं०-8/26/2013-14 प्रेषण का दिनांक 10.10.2013, स्टीमेट अनुसार श्रमांश 25084.00 सामग्री 26976.00 कुल रु0 52060.00 तकनीकी स्वीकृति 2718/31.10.2013, आई0डी0 सं0 आर0सी0/2564-46

उक्त कार्य की एम0बी0 की जांच में पाया गया कि डीटेल मेजरमेन्ट अनुसार 371.57 घन मी0 मिट्टी की आवश्यकता की। जिसकी कीमत $371.57 \times 67 = 24895.10$ के सापेक्ष कुल रु0 25500.00 का भुगतान मिट्टी खरीद हेतु किया गया है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

क्रमांक	चैक सं०	दिनांक	धनराशि	धनप्राप्तकर्ता का नाम
1.	287198	25.11.13	3500.00	ख्याली राम पुत्र कुन्दन लाल
2.	287191	07.11.13	10000.00	—————
3.	287192	08.11.13	12000.00	गुरुदेव सिंह पुत्र श्री

इस प्रकार रु0 605.00 का किया गया अधिक भुगतान की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्रा0प0अधिकारी से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

(ग्राम पंचायत नरायनपुर बुजुर्ग सा0आप0 सं0-04 मनरेगा)

आपत्ति सं0-29

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 की मनरेगा मद की जांच में मूल अभिलेखों से मापांकन पुस्तिका में निम्नलिखित अन्तर पाये गये विवरण निम्नवत हैं:-

(क) माखन लाल के घर से लम्बाई कार्ययोजना टी0एस0 सं0.34 एफ0एस0सं0 .429वर्क आई0डी0		
राम सनेही के घर तक 140मी0	44 / 01.04.14 25.05.14	29.05.14 आर0सी0-632523
एम0बी0 के अनुसार	मूल अभिलेखों	अन्तर राशि
भुगतान होना चाहिये	के अनुसार भुगतान	कम अधिक
	किया गया।	भुगतान
(i) श्रमांश रु0 25833.20 रु0 28080.00 -		2246.80 अधिक
(ii)सामग्री रु0 23698.57 रु0 25650.00 -		1951.43
(iii)वाटर मैन रु0 4212.00 शून्य		शून्य
योग 53743.77 53730.00		4198.23

ख) ओम प्रकाश के घर से कार्ययोजना टी0एस0 सं0.35 एफ0एस0सं0 .429वर्क आई0डी0		
जागन लाल के घर तक शून्य/02.10.13 25.05.14	29.05.14	आर0सी0-632522
एम0बी0 के अनुसार	मूल अभिलेखों	अन्तर राशि
भुगतान होना चाहिये	के अनुसार भुगतान	कम अधिक
	किया गया।	भुगतान भुगतान

(i) श्रमांश रु0 21352.18 रु0 21996.00 -		रु0 643.82
(ii)सामग्री रु0 19587.82 रु0 20520.00 -		रु0 932.18
(iii)वाटर मैन रु0 156.00 शून्य		शून्य
योग 42500.00 42516.00		1576.00

ग) फूलचन्द्र के घर से कार्ययोजना टी0एस0 सं0.33 एफ0एस0सं0 .430वर्क आई0डी0		
बेनीराम के घर तक अप्राप्त/02.10.13 25.05.14	29.05.14	
एम0बी0 के अनुसार	मूल अभिलेखों	अन्तर राशि
भुगतान होना चाहिये	के अनुसार भुगतान	कम अधिक
	किया गया।	भुगतान भुगतान

(i) श्रमांश रु0 17762.00 रु0 18096.00 -		रु0 334.00
(ii)सामग्री रु0 16294.00 रु0 18495.00 -		रु0 2201.00
(iii)वाटर मैन रु0 2496.00 शून्य		शून्य
योग 36552.00 36591.00		2535.00 वसूली

उपरोक्त मनरेगा कार्यों से स्पष्ट है कि एम0बी0 बुक से अधिक एम0आर0 मस्टर रोल व सामग्री क्रय किया जाना दर्शाया गया है। जिसकी पूर्ण वसूली की जानी है उक्त वसूली को छिपाये जाने हेतु एम0बी0 बुक

में वाटरमैन का प्रावधान किया गया है जो अनियमित है। प्राक्कलन में वाटर मैन का कोई प्रावधान नहीं किया गया और न ही मस्टर रोल में कहीं पर भी वाटरमैन का उल्लेख नहीं किया गया है। अतः ₹0 4198.23 + ₹0 1576.00 + ₹0 2535.00 कुल रुपये 8309.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन तकनीकी सहायक व ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है। ग्राम प्रधान श्री छत्रपाल, ग्राम पं० अधि० श्री मनोरंजन सिंह तकनीकी सहायक श्री प्रमोद कुमार।

(ग्राम पंचायत नरायनपुर बुजुर्ग सा०आप० सं०-05 मनरेगा)

आपत्ति सं०-30

लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14 में चैक संख्या-149050 दिनांक 24.06.13 के द्वारा रुपये 41000.00 का भुगतान राणा प्रताप सिंह को लाइट खरीद हेतु किया जाना दर्शित है। जिसकी पुष्टि में कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं था एवं निम्न आपत्तियां दर्ज की जा रही हैं:-

- (अ) ग्राम पंचायत की अनुमोदित कार्य योजना एवं कार्यवाही पंजिका अप्राप्त रहने के कारण यह अस्पष्ट रहा कि क्या वास्तव में लाइटों की आवश्यकता थी, अगर थी तो कितनी लाइटों की आवश्यकता थी।
- (ब) सम्बन्धित संस्था का बिल अप्राप्त रहा।
- (स) स्टोर/स्टॉक पंजिका उपलब्ध नहीं रही।
- (द) सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र/स्थलीय निरीक्षण पत्रावली के अभाव में व्यय अपुष्ट रहा।

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि धन के दुरुपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः रुपये 41,000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री रमन शाह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मनोरंजन सिंह से की जानी अपेक्षित है।

(ग्राम पंचायत टांडा गुलाबराय, सा०आ०सं०-12ग)

आपत्ति सं०-31

लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14 में कब्रिस्तान के पास व नन्हें शाह से पी०डब्लू०डी० रोड तक मिट्टी कार्य (लम्बाई, चौड़ाई एवं गहराई का उल्लेख नहीं किया गया है) पर दिनांक 26.03.2014 को रुपये 16000.00 मिट्टी एवं 22.04.2014 को उक्त कार्य पर लेबर चार्ज रुपये 17472.00 कुल रुपये 33472.00 का व्यय दर्शाया गया है। उक्त दोनों भुगतान बैंक से नकद धन आहरित कर दिये जाने दर्शाये हैं।

उक्त के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां अंकित हैं:-

- (अ) ग्राम पंचायत की अनुमोदित कार्य योजना एवं कार्यवाही पंजिका अप्राप्त।
- (ब) मिट्टी किसके द्वारा उपलब्ध कराई हैं ट्रैक्टर/ट्राली के मालिक की धन प्राप्ति रसीद।
- (स) लेबर को भुगतान नकद आहरण कर दिया गया है जबकि यह बैंक एडवाइज से किया जाना चाहिए था।
- (द) सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र/स्थलीय निरीक्षण पत्रावली के अभाव में व्यय अपुष्ट रहा। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री रमन शाह एवं ग्राम पं० अधि० मनोरंजन सिंह से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

(ग्राम पंचायत टांडा गुलाबराय, सा०आ०सं०-14)

आपत्ति सं०-32

लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14 में निम्न विवरणानुसार धन आहरित कर व्यय किया जाना दर्शित है। कार्य का नाम प्राथमिक विद्यालय से शखाबत शाह के घर तक मिट्टी भराव कार्य (लम्बाई चौड़ाई गहराई अंकित नहीं) पुष्टि में मिट्टी खरीद एवं मजदूरों को किये गये भुगतान सम्बन्धी बिल/रसीद उपलब्ध नहीं रहने के कारण व्यय अपुष्ट/विवरण इस प्रकार से है।

क्रमांक	दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	आहरित किसने किया	व्यय
1.	01.08.13	149056	10000.00	श्री मनोरंजन सिंह	15000.00
2.	01.08.13	149055	10000.00	श्री रामचन्द्र	मिट्टी
3.	01.08.13	149054	10000.00	श्री रमन शाह	14910.00 मजदूरी पर
	योग		30000.00		29910.00

उक्त विवरण की पुष्टि हेतु ग्राम पंचायत की अनुमोदित कार्य योजना एवं कार्यवाही पंजिका, कार्य-पूर्ति पत्र उपलब्ध नहीं रहा। इससे स्पष्ट है कि आधारित धन को मनमाने ढंग से व्यय दर्शाकर, धन का अपहरण किया गया है। अतः रुपये 29910.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।
(ग्राम पंचायत टांडा गुलाबराय, सा0आ0सं0-16)

आपत्ति सं0-33

दिनांक 04.12.15 को चेक संख्या-779935 के द्वारा रु0 5300.00 रोजगार सेवक श्री राम नरेश के द्वारा आहरण कर कैमरा खरीद किया जाना दर्शित है।

उक्त खरीद से सम्बन्धित कोई भी विभागीय आदेश उपलब्ध नहीं रहा और न ही बिल जांच कर उपलब्ध रहा। जबकि पूर्व में सभी ग्राम पंचायतों द्वारा कैमरे खरीदे जा चुके हैं। ऐसे में दोबारा कैमरा का खरीदा जाना आपत्तिजनक है। कार्यवाही पंजिका एवं बिल तथा विभागीय आदेश के अभाव में उक्त व्यय अपुष्ट रहा। अतः रुपये 5300.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।
(ग्राम पंचायत टांडा गुलाबराय, सा0आ0सं0-17ग)

आपत्ति सं0-34

लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14 में मुन्शी राम के घर से हीरालाल के घर तक नाली निर्माण दोनों ओर (कार्य की लम्बाई एवं नाली की गहराई तथा प्रकार अंकित नहीं) पर निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शाया है:-

क्र0	दिनांक	ईंट क्रय	मिट्टी	मजदूरी	सीमेंट/मोरिंग/रेता
1.	22.08.12	54142.00	—	—	—
2.	26.09.13	—	—	18896.00	—
3.	28.09.13	—	6000.00	—	10000.00
4.	08.10.13	—	—	—	20000.00
		54142.00	6000.00	18896.00	30000.00
	कुल	109038.00			

उक्त कार्य की पुष्टि में अनुमोदित कार्य योजना, कार्यवाही पंजिका, क्रय की गई सामग्री का बिल तथा भुगतान की गई मजदूरी से सम्बन्धित मस्टर रोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र तथा सक्षम अधिकारी द्वारा स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट आदि उपलब्ध नहीं रहने के कारण उक्त व्यय अपुष्ट रहा। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि कृत कार्य की लम्बाई एवं नाली की चौड़ाई तथा गहराई अंकित नहीं किये जाने के कारण सामग्री का आंकलन नहीं

किया जा सका। अतः रुपये 109038.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।
(ग्राम पंचायत टांडा गुलाबराय, सा0आ0सं0-18ग)

आपत्ति सं0-35

लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14 में विवरणानुसार मिट्टी भराव कार्य कराया जाना दर्शित है, जिसकी लम्बाई, चौड़ाई एवं गहराई अंकित नहीं है। विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्र0 सं0	कार्य का नाम	दिनांक	मिट्टी	मजदूरी
1.	सुलेमान के घर से भोदूराज के घर तक	31.01.14	12000.00	12780.00
2.	सुलेमान के घर से पी0डब्लू0डी0 रोड तक	18.02.14	21000.00	21300.00
3.	मिट्टू शाह के घर से जफर शाह के घर तक	13.03.14	17000.00	18460.00
4.	मुन्शीलाल के घर से डोरी लाल के घर तक	13.03.14	—	—
			50000.00	52540.00
	कुल व्यय	102540.00		

उक्त कार्य की पुष्टि में अनुमोदित कार्य-योजना, कार्यवाही पंजिका, क्रय की गई सामग्री का बिल/रसीद तथा भुगतान की गई मजदूरी से सम्बन्धित मस्टर रोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र तथा सक्षम अधिकारी द्वारा स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट आदि उपलब्ध नहीं रहने के कारण उक्त व्यय अपुष्ट रहे। समस्त व्यय धन नकद में आहरित कर मनमाने ढंग से किये गये हैं। अतः रु0 102540.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान से की जानी अपेक्षित रही।

(ग्राम पंचायत टांडा गुलाबराय, सा0आ0सं0-19ग)

आपत्ति सं0-36

दिनांक 18.06.14 को लाइट मरम्मत पर व्यय रु0 13000.00 कैश बुक में दर्शित है। जिसकी पुष्टि में कोई भी अभिलेख (बिल/रसीद) उपलब्ध नहीं रहा। संदर्भित लाइट क्रय से सम्बन्धित पत्रावली भी उपलब्ध नहीं करायी गई, जिस कारण यह भी अपुष्ट रहा कि कहीं लाइट गारन्टी अवधि में तो नहीं है। उक्त व्यय नकद धन आहरण कर किया गया है। जबकि यह मद फर्म के नाम चेक से होना चाहिए था। अतः स्पष्ट है कि व्यय मनमाने ढंग से दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है। रुपये 13000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

(ग्राम पंचायत टांडा गुलाबराय, सा0आ0सं0-21ग)

आपत्ति सं0-37

दिनांक 30.07.14 को चैक संख्या-638948 के द्वारा रुपये 25500.00 एवं दिनांक 27.08.14 को चैक संख्या-638967 के द्वारा रुपये 19750.00 का भुगतान मैसर्स एम0के0 इन्टरप्राइजेज को सी0एफ0एल0 क्रय हेतु किया जाना दर्शित है। जिसकी पुष्टि के निम्न आपत्तियां दर्ज की गई हैं।

(अ) ग्राम पंचायत की अनुमोदित कार्य योजना, कार्यवाही पंजिका अप्राप्त होने के कारण यह अपुष्ट रहा कि कितनी सी0एफ0एल0 लाइट का प्रस्ताव था।

(ब) विक्रेता फर्म का बिल उपलब्ध नहीं रहने के कारण यह अस्पष्ट रहा कि कितनी सी0एफ0एल0 लाइटें किस दर से खरीदी गयी तथा इनकी गारण्टी/वारण्टी अवधि क्या है?

(स) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र/सक्षम अधिकारी द्वारा स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट के अभाव में धन के दुरुपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः रुपये 45250.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

(ग्राम पंचायत टांडा गुलाबराय, सा0आ0सं0-22ग)

आपत्ति सं0-38

लेखा परीक्षा वर्ष में निम्न विवरण अनुसार मिट्टी भराव कार्य कैश बुक में दर्शित है, विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	कार्य का नाम	दिनांक	मिट्टी	मजदूरी
1.	बाजार में मिट्टी डलवाई	30.06.14	5000.00	4680.00
2.	रमन शाह के घर से साबिर शाह के घर तक	22.09.14	25000.00	-----
		24.09.14	-----	15000.00
		13.10.14	-----	12300.00
3.	मिट्टी डलवाई ग्राम पंचायत वास्ते	30.10.14	4000.00	-----
	योग रुपये 65980.00		34000.00	31980.00

मिट्टी भराव किस क्षेत्रफल में कराया गया है, कैश बुक से स्पष्ट नहीं हो सका। जिस कारण मिट्टी पराव में लगे मजदूरों को दिया गया भुगतान अपुष्ट रहा। क्रम संख्या-03 पर दर्शित कार्य में मजदूरों को कोई भुगतान नहीं किया गया है जो संदेहास्पद है।

— ग्राम पंचायत की अनुमोदित कार्य योजना, कार्यवाही/प्रस्ताव पंजिका अप्राप्त।

— कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र एवं सक्षम अधिकारी द्वारा किया गया स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट अप्राप्त है।

उक्त से स्पष्ट है कि मनमाने ढंग से नकद धन आहरित कर व्यय दर्शाकर धन का आहरण किया गया है। अतः रुपये 65980.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

(ग्राम पंचायत टांडा गुलाबराय, सा0आ0सं0-23ग)

आपत्ति सं0-39

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में निम्न विवरणानुसार जानकी लाल के घर से तालाब की पुलिया तक नाली निर्माण/उक्त कार्य की लम्बाई एवं नाली की गहराई तथा प्रकार एवं नाली रास्ते के एक ओर बनी है अथवा दोनों ओर का उल्लेख कैश बुक में नहीं किया गया। विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्र.सं.	सामग्री/मजदूरी	दिनांक	ईंट	सीमेन्ट	मजदूरी
1.	ईंट क्रय ब्रिक्स चैक सं0-440330	13.01.15	55000	—	—
2.	सीमेंट/रेता/मोरिंग (नकद)	24.01.15	—	27000	—
3.	सीमेंट/रेता के0जी0एन0 सीमेंट स्टोर	09.02.15	—	10000	—
	चैक संख्या-439615				
4.	श्री गणेश ब्रिक्स फील्ड 439616	09.02.15	15000	—	—

5.	सीमेंट/मोरिंग/रेता नकद	26.02.15	—	23000	—
6.	खान ब्रिक्स फील्ड 443262	07.03.15	50000	—	—
7	सीमेन्ट/मोरिंग/रेता नकद	27.03.15	—	35346	—
	कुल व्यय रुपये	215346	120000	95346	

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि कार्य की अनुमोदित कार्य योजना, प्रस्ताव/कार्यवाही पंजिका उपलब्ध नहीं रहने, संदर्भित क्रय सामग्री के बिल/रसीद, कार्यपूर्ति, प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा किया गया। स्थलीय निरीक्षण की रिपोर्ट उपलब्ध नहीं रहने के कारण तथा इसे पूरे कार्य पर मजदूरी हेतु कोई भी भुगतान नहीं दर्शाये जाने के कारण, कार्य संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री रमन शाह एवं ग्राम पं० अधि० श्री मनोरंजन सिंह से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

(ग्राम पंचायत टांडा गुलाबराय, सा०आ०सं०-24ग)

आपत्ति सं०-40

लेखा परीक्षा वर्ष में 20.04.2015 में गुलाब टांडा हद से राजपुर मेन रोड तक मिट्टी कार्य लम्बाई 1300 मी, चौड़ाई 07 मीटर, स्टीमेन्ट रु० 360100.00 (श्रमांश 360100.00 सामग्री निल) कार्य योजना का क्रमांक 49/2013-14 प्रस्ताव प्रेषण का दिनांक 20.10.2012 तकनीकी स्वीकृति संख्या-36/24.05.14 कुल रु० 360100.00 द्वारा जे०ई० आर०ई०एस० (पी०) वित्तीय स्वीकृति-2888/6.11.13, आई०डी० सं० आर०सी०/95848625 5822576511 पैमाइश पुस्तिका संख्या-2340 पृष्ठ सं०-51 से 55 तक के अनुसार डीटेल ऑफ मेजरमेन्टके अनुसार कुल 3306 घन मी० मिट्टी का आंकलन किया गया है। जिसका पी०डब्ल्यू०डी० नार्म्सके अनुसार मूल्य $3306 \times 73.50 = \text{रु० } 242991.00$ हो रहा है। जिसके सापेक्ष एम०आर० सं०. 1785-17951 दिनांक 07.06.2004 के अनुसार कुल रुपये 243672.00 का भुगतान हो गया।

एम०बी० अनुसार आंकलनरु० 242991.00

एम०आर० अनुसार आंकलनरु० 243672.00

अधिक भुगतान रु० 681.00

अतः रु० 681.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री छत्रपाल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मनोरंजन सिंह से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

(ग्राम पंचायत नारायनपुर बुजुर्ग, सा०आ०सं०-6)

आपत्ति सं०-41

गांव के उत्तर मेन रोड से टेकचन्द के खेत तक मिट्टी कार्य, की मात्र 700 मी०, चौड़ाई 7.5 मी० कार्य योजना का क्रमांक 617 भूमि विकास वर्ष 2014-15, प्रेषण का दिनांक 16.10.13 तकनीकी स्वीकृति 57/27.05.2014, वित्तीय स्वीकृति 577/30.05.2014, इस कार्य की आई०डी० सं० 3126007174/डब्ल्यू०एच०/3129059087 है। उक्त कार्य की पैमाइश पुस्तिका सं०-2340 में पृष्ठ सं०-59-62 पर अंकित किया गया है। डीटेल ऑफ मेजरमेन्टके अनुसार कुल 1269.85 घन मी० मिट्टी की आवश्यकता है।

अतः एम०बी० के अनुसार आंकलन 1269.85×73.50 पर 93333.97

एम०आर० अनुसार भुगतान 4096-60/11.07.14 तक 95940.00

अन्तर 2606.00

अतः रु०- 2606.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति सं०-42

लाला राम के खेत से रावेन्द्र सिंह के खेत तक मिट्टी कार्य/लम्बाई 300 मी०, चौड़ाई 4.5+5.5/2 मी० प्राक्कलन 56300.00 (श्रमांश 56300.00 सामग्री निल) कार्य योजना का क्रमांक निल वर्ष 2014-'15 प्रस्ताव प्रेषण का दिनांक 25.10.2013 प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति 28/एन/14 दिनांक 24.05.14 वित्तीय स्वीकृति संख्या-427/29.514 की आई०डी० सं० 3126007174/आर०सी०/958486255822632556 है।

पैमाइश पुस्तिका-2340 के पृष्ठ संख्या-56-58 की जांच में पाया गया कि दिनांक 12.07.14 से प्रारम्भ होकर 14.07.14 तक पूर्ण हो गया। अर्थात् 300 मी० कार्य पूर्ण हो गया जिस पर एम०आर०. संख्या 4165-4175 दिनांक 12.07.14 तक कुल रुपये 39156.00 का भुगतान किया गया है। परन्तु एम०बी० अनुसार कुल 540.75 घन मी० मिट्टी का आंकलन हुआ है जिस आधार पर रुपये 39745.12 (540.75 x 73.50) का भुगतान होना चाहिए था। अतः टी०ए०श्री के०के० गौतम ने रुपये 589.12 की बचत दर्शायी है।

परन्तु पुनः पैमाइश पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 67-69 पर भी इसकी कार्य को 300 मी० पूर्ण होना दर्शाकर इस पर होने वाले व्यय के सापेक्ष एम०आर० भुगतान को दर्शाया गया है। विवरण निम्न प्रकार से है:-

एम०आर०. अनुसार 209.66 घनमी० मिट्टी x73.50 दर 15410.00 परन्तु एम०आर० नं०- 5573-5588 दिनांक 01.08.14 कार्य प्रा० तिथि-04.08.14 एवं समापन तिथि 06.08.14 से कुल रु० 14976.00 का भुगतान किया जाना दर्शित है। उक्त विवरण से स्पष्ट है कि इस कार्य की पुनः एम०बी० कर एवं एम०आर०. भरवाकर रुपये 14976.00 का भुगतान फर्जी तरीके से दोबारा ले लिया गया है। (टी०ए०श्री प्रमोद कुमार)

अतः रुपये 14976.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री छत्रपाल ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मनोरंजन सिंह व टी०ए०श्री प्रमोद कुमार से की जानी अपेक्षित है।

(ग्राम पंचायत नारायनपुर बुजुर्ग, सा०आ०सं०-8 मनरेगा)

प्रस्तर सं०-02

आपत्ति संख्या-01

लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14 से 2014-15 तक ग्राम पंचायत को निम्न विवरणानुसार ग्राम निधि खाते से ब्याज की प्राप्ति हुयी:-

क्रमांक	वर्ष	ब्याज की कुल प्राप्त राशि
01.	2013-14	2021.00
02.	2014-15	3184.00
	कुल योग	5205.00

उक्त अर्जित ब्याज को नियमानुसार अनुदान प्रदायकर्ता को वापस किया जाना चाहिये था, जिसे वापस न करके धन का दुरुपयोग किया गया है। उत्तरदायी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मेवालाल के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(ग्राम सुकटिया जसकरनपुर सा०आ०सं०-19)

आपत्ति संख्या-02

लेखा परीक्षा में पाया गया कि रु० 32500.00 का भुगतान विभिन्न तिथियों में विज्ञापन मद में किया गया है। जबकि शासन द्वारा धन ग्राम पंचायत के विकास कार्यों के लिये उपलब्ध कराया गया था। इस प्रकार स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा धन का दुरुपयोग किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री जगदीश सिंह एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री लाल बहादुर मौर्य से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्र०सं०	चैक सं०	दिनांक	धनराशि	नाम	भुगतान प्राप्तकर्ता
1.	44	29.09.14	4000.00	श्री संजीव सिंह	
2.	45	07.10.14	3000.00	श्री संतोष सिंह	
3.	69	10.01.15	3500.00	श्री योगेश कुमार	
4.	71	30.01.15	3500.00	श्री संदीप कुमार	
5.	70	12.02.15	3500.00	श्री आलोक कुमार	
6.	72	20.02.15	3000.00	श्री संजीव सिंह	
7.	73	24.02.15	3000.00	श्री संतोष सिंह	
8.	74	12.03.15	3000.00	श्री सुधांशु	
9.	75	13.03.15	3000.00	श्री योगेश कुमार	
10.	46	13.03.15	3000.00	श्री सोहन	
			योग	32500.00	

(ग्राम पंचायत पिपरिया करम सा०आ०सं०-18)

आपत्ति संख्या-03

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में ग्राम निधि खाते में जमा अवशेष धनराशि पर बैंक द्वारा ब्याज के रूप में दिनांक 06.09.2014 व दिनांक 06.03.2015 को क्रमशः रु० 2225.00 व रु० 1504.00 कुल रु० 3729.00 दिया गया है। जिसको नियमानुसार अनुदान प्रदाय दाता (सरकार) को वापस किया जाना चाहिये था। उक्त ब्याज रु० 3729.00 को सरकार को वापस न कर ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा मनमाने ढंग से आहरण कर खर्च किया गया है। जो की राजकीय धन का दुरुपयोग है। इस प्रकार अनियमित तरीके से किया गया खर्च की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी श्री हरीश भारती व ग्राम प्रधान श्रीमती नवलेख कुमारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

(ग्राम पंचायत पिपरिया जयभद्र सा०आ०सं०-05)

आपत्ति सं०-04

लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14 से 2014-15 तक ग्राम पंचायत को निम्न विवरणानुसार ग्राम निधि खाते से ब्याज की प्राप्ति हुई।

क्रमांक	वर्ष	ब्याज की कुल प्राप्त राशि
01.	2013-14	8303.00
02.	2014-15	5624.00
	कुल योग	13927.00

नियमानुसार उक्त अर्जित ब्याज की धनराशि को अनुदान प्रदायकर्ता को वापस किया जाना चाहिये था, जिसे वापस न करके धन का दुरुपयोग किया गया है। उत्तरदायी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अवनीश कुमार के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(ग्राम पंचायत शिवपुरी नवदिया सा०आप० सं०-18)

आपत्ति संख्या-05

दिनांक 24.06.13 में चैक संख्या-645691 के द्वारा श्री राना प्रताप सिंह को रु0 41000.00 का भुगतान मरकरी लाइट क्रय हेतु किया जाना कैश बुक (रूप प्र0-6) में दर्शाया गया है। जिसकी पुष्टि में निम्न आपत्तियां दर्ज की गई हैं।

- (क) मरकरी लाइट क्रय हेतु ग्राम पंचायत की अनुमोदित कार्य योजना एवं कार्यवाही पंजिका अप्राप्त।
- (ख) कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र अप्राप्त।
- (ग) सक्षम अधिकारी द्वारा स्थलीय निरीक्षण/सत्यापन रिपोर्ट उक्त के अभाव में आहरित किये गये धन के दुरुपयोग की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। अतः रु0 41000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री हरी प्रसाद एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मनोरंजन सिंह से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

(ग्राम पंचायत नवदिया धनेश सा0आप0 सं0-08)

आपत्ति संख्या-06

लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14 में दिनांक 22.05.2013 को चेक संख्या 645688.00 के द्वारा रु0 50000.00 एवं 2014-15 में दिनांक 19.02.2015 में चेक संख्या 805392 के द्वारा रु0 53460.00 कुल रु0 103460.00 का भुगतान मै0 राज पाइप इन्डस्ट्रीज पूरनपुर को किया गया है। इस सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां दर्ज की गयी।

- (क) ग्राम पंचायत की कार्यवाही पंजिका एवं अनुमोदित कार्य योजना।
- (ख) सम्बन्धित फर्म का बिल।
- (ग) कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र।
- (घ) स्टॉक पंजिका/उपभोग पंजिका।
- (ङ) सक्षम अधिकारी द्वारा स्थलीय निरीक्षण/सत्यापन रिपोर्ट।

अतः उक्त के अभाव में यह अपुष्ट रहा कि क्या वास्तव में पाइप क्रय किये जाने आवश्यक थे। कितने एवं किस साइज के पाइपों की आवश्यकता थी। इनका उपयोग कहा-कहा किया गया, भी कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र के अभाव में अपुष्ट रहा। ऐसी स्थिति में धन के दुरुपयोग की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

अतः अपुष्ट धन रु0 103460.00 एवं 03.03.2015 के वाउचर नं0- 59 से पाइप डालने हेतु किया गया भुगतान रु0 7800.00 कुल रु0 111260.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मनोरंजन सिंह एवं ग्राम प्रधान श्री हरी प्रसाद से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित रही।

(ग्राम पंचायत नवदिया धनेश सा0आप0 सं0-09)

आपत्ति संख्या-07

लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14 से 2014-15 तक ग्राम पंचायत को निम्न विवरणानुसार ग्राम निधि खाते से ब्याज की प्राप्ति हुई:-

दिनांक	धनराशि	दिनांक	धनराशि कुल प्राप्त धनराशि
08.05.13	6061.00	05.05.14	5916.00
08.11.13	6360.00	04.11.14	7208.00

योग रु0 12421.00

योग रु0 13124.00

योग रु0 25545.00

उक्त ग्राम निधि खाते की अन्तिम अवशेष पर रु0 25545.00 ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ है को नियमानुसार अनुदान प्रदायदाता को वापस किया जाना चाहिये था। परन्तु उक्त प्राप्त ब्याज की धनराशि को वापस करने के स्थान पर विभिन्न कार्यों में व्यय दर्शाकर अनियमित तरीके से खर्च किया गया है। अतः रु0 25545.00 ब्याज प्राप्ति के सापेक्ष बैंक खाते में जमा अवशेष रु0 24984.00 दर्शित पाया गया अन्तर राशि

561.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मनोरंजन सिंह व ग्राम प्रधान श्री छत्रपाल से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।
(ग्राम पंचायत नारायनपुर बुजुर्ग सा0आ0सं0 03)

आपत्ति सं0-8

लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14 में बैंक पास बुक अनुसार चैक सं0-149052 दिनांक 02.07.2013 का भुगतान श्री अहमद मियाँ खान को किये जाने की पुष्टि हो रही है जो दैनिक स्पष्ट आवाज के पत्रकार है। परन्तु कैश बुक में रसीद बावत मिट्टी डलवाई दर्शित है। पुष्टि में बिल बाउचर उपलब्ध नहीं रहने के कारण उक्त व्यय अपुष्ट रहा। स्पष्ट है कि आवंटित धन का दुरुपयोग किया गया है। अतः रुपये 3000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री रमन शाह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मनोरंजन सिंह से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

(ग्राम पंचायत टांडा गुलाबराय, सा0आ0सं0-15ग)

प्रस्तर सं0-03

आपत्ति संख्या-01

दिनांक 20.03.14 को कैश बुक में प्रविष्ट व्यय प्रमाणक संख्या 33 द्वारा रु0 22522.00 मूल्य की सोलर लाइट (स्ट्रीट लाइट हेतु) क्रय हेतु व्यय किया जाना दर्शित रहा। पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका कि ग्राम पंचायत में कितनी सोलर लाइट क्रय की गई एवं किस दर से? इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत की प्रस्ताव पंजिका एवं कार्य योजना व विभागीय स्वीकृति भी उपलब्ध नहीं रही और न ही कार्यस्थल पर की गई सत्यापन रिपोर्ट उपलब्ध रही जिस कारण उक्त किया गया भुगतान अप्रमाणित रहा जिसकी ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। ग्राम प्रधान श्रीमती लडैली देवी व ग्राम पं0 अधि0 श्री मेवालाल

(ग्राम सुकटिया जसकरनपुर सा0आ0सं0-20)

आपत्ति संख्या-02

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 मनरेगा आपरेशनल गाइड लाइन्स 6.2 के अनुसार कुल एम.आई.एस. फीडिंग रु0 8.34 लाख के सापेक्ष सामग्री अंश (कुशल श्रमिक 0.52 लाख + सामग्री 4.88 लाख + अन्य 0.11 लाख) रुपये 5.51 लाख की फीडिंग कराई हैं। जो कुल के 40% रुपये 3.34 लाख से रु0 2.17 लाख अधिक है। यह गम्भीर वित्तीय अनियमिततायें हैं। ग्राम प्रधान श्री रमन शाह ग्राम पं0 अधि0 श्री मनोरंजन सिंह से संयुक्त रूप से विभागीय कार्यवाही करते हुए ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(ग्राम पंचायत टांडा गुलाबराय, सा0आ0सं0-2ग मनरेगा)

आपत्ति संख्या-03

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में दिनांक 24.06.2014 को चैक संख्या-638961 के द्वारा रु0 22522 का भुगतान बैंक अनुसार पंचायत उद्योग को किये जाने की पुष्टि हो रही है परन्तु कैश बुक अनुसार इस धनराशि से क्या खरीदा गया की पुष्टि नहीं हो रही है। बिल भी उपलब्ध नहीं कराया गया। जिस कारण धन के दुरुपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः रु0 22522.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री रमन भाह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मनोरंजन सिंह से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

(ग्राम पंचायत टांडा गुलाबराय, सा0आ0सं0-20ग)

आपत्ति नं0-04

लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14 से 2014-15 तक में एम0आई0एस0 फीडिंग के अनुसार वर्ष 2013-14 में अकुशल श्रमिकों पर रु0 3.50 लाख एवं सामग्री पर रुपये 3.87 लाख कुल 7.37 लाख व्यय किया जाना दर्शित

है, इस प्रकार वर्ष में सामग्री अंश पर 0.92 लाख अधिक व्यय दर्शाया गया है। इसी प्रकार वर्ष 2014-15 में अकुशल श्रमिकों पर रुपये 6.61 लाख एवं सामग्री पर रुपये 5.67 लाख एवं कुशल श्रमिकों पर 0.58 लाख कुल 12.86 लाख फीडिंग कर व्यय दर्शाया गया है। इस प्रकार लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14 व 2014-15 में कुल रुपये 2.03 लाख सामग्री अंश अधिक व्यय किया जाना दर्शाया गया जबकि मनरेगा, आपरेशनल गाइड लाइन्स 6.2 (श्रमिक, सामग्री 60:40) का स्पष्ट उल्लंघन है, यह गम्भीर वित्तीय आपत्तिजनक स्थित है। 40 प्रतिशत से अधिक सामग्री अंश व्यय की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री छत्रपाल ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मनोरंजन सिंह व मनरेगा कार्यक्रम अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी आपेक्षित रही।

(ग्राम पंचायत नारायनपुर बुजुर्ग, सा0आ0सं0-11 मनरेगा)

जनपद –बदायूँ मण्डल– बरेली

प्रस्तर संख्या-1

क)-ग्राम पंचायत सिरसा विकास खण्ड-समरेर जनपद-बदायूँ

वर्ष 2013-14 की ग्राम निधि प्रथम बैक पास बुक के अनुसार ग्राम विकास अधिकारी श्री सुरेश चन्द्र व प्रधान श्रीमती कीर्ति सिंह द्वारा निम्न दिवसों में निम्नलिखित व्यक्तियों के नाम से राजकीय धन आहरण कर निम्न मदों में व्यय किया जाना दर्शित है।

भाग सं0-1

क्रम संख्या	तिथि	नाम व्यक्ति	चैक संख्या	आहरित धनराशि
1	06.05.2013	कल्लू	235240	5000.00
2	06.05.2013	के0पी0सिंह	235241	5000.00
3	06.05.2013	के0पी0सिंह	235242	5000.00
4	06.05.2013	संजीव	235235	5000.00
5	07.05.2013	सनी	235236	5000.00
6	09.05.2013	हरीश	235239	5000.00
7	09.05.2013	के0पी0 सिंह	235243	5000.00
8	10.05.2013	सनी	235244	5000.00
9	10.05.2013	सनी	235245	5000.00
10	10.05.2013	सनी	235246	5000.00
			योग-	50000.00

(दि0-10.05.2013 को ईट क्रय किया जाना कैश बुक में दर्शित)

भाग सं0-2

क्रम संख्या	तिथि	नाम व्यक्ति	चैक संख्या	आहरित धनराशि
1	11.05.2013	सनी	235247	5000.00
2	14.05.2013	कल्लू	235249	5000.00
3	14.05.2013	कल्लू	235248	5000.00
4	16.05.2013	सनी	235218	5000.00
			योग :-	20000.00

(दि0-16.05.2013 को सीमेन्ट रेता बजरपुट क्रय किया जाना कैश बुक में दर्शित)

भाग सं0-3

क्रम संख्या	तिथि	नाम व्यक्ति	चैक संख्या	आहरित धनराशि
1	13.06.2013	सनी	488702	5000.00
2	13.06.2013	सनी	488703	5000.00
3	25.06.2013	मनोज	488707	5000.00
4	25.06.2013	मनोज	488706	5000.00
5	26.06.2013	मनोज	488709	5000.00
6	26.06.2013	कल्लू	488704	5000.00
7	26.06.2013	कल्लू	488705	5000.00
8	29.06.2013	के0पी0सिंह	488708	5000.00
			योग :-	40000.00

(दि0-29.06.2013 को 37000.00 की ईट क्रय)

भाग सं0-4

क्रम संख्या	तिथि	नाम व्यक्ति	चैक संख्या	आहरित धनराशि
1	03.07.2013	के0पी0सिंह	488710	5000.00
2	05.07.2013	शिशुपाल	488711	5000.00
3	08.07.2013	मनोज कुमार	488716	5000.00
4	08.07.2013	मनोज कुमार	488717	5000.00
			योग :-	20000.00

(दि0-16.05.2013 को सीमेन्ट, रेता आदि क्रय)

भाग सं०-5

क्रम संख्या	तिथि	नाम व्यक्ति	चैक संख्या	आहरित धनराशि
1	06.08.2013	के०पी०सिंह	488726	5000.00
2	06.08.2013	के०पी०सिंह	488727	5000.00
3	06.08.2013	के०पी०सिंह	488729	5000.00
4	06.08.2013	के०पी०सिंह	488730	5000.00
5	06.08.2013	के०पी०सिंह	488725	5000.00
6	06.08.2013	के०पी०सिंह	488728	5000.00
7	06.08.2013	कैलाश	488720	5000.00
8	06.08.2013	कैलाश	488721	5000.00
9	06.08.2013	कैलाश	488722	5000.00
10	06.08.2013	कैलाश	488724	5000.00
			योग :-	50000.00

(दि०-06.08.2013 को ईट क्रय)

भाग सं०-6

क्रम संख्या	तिथि	नाम व्यक्ति	चैक संख्या	आहरित धनराशि
1	03.01.2014	मनोज	488726	5000.00
2	03.01.2014	मनोज	488727	5000.00
3	03.01.2014	सुभाष	488729	5000.00
4	03.01.2014	सुभाष	488730	5000.00
5	08.01.2014	ओमपाल	488725	5000.00
6	08.01.2014	निवास	488728	5000.00
7	08.01.2014	निवास	488720	5000.00
8	08.01.2014	निवास	488721	5000.00
9	08.01.2014	निवास	488722	5000.00
10	08.01.2014	निवास	488724	5000.00
			योग :-	50000.00

(दि०-08.01.2014को नाली निर्माण में रु०-10000.00 व्यय दर्शित दि०-08.01.2014 को ईट क्रय दर्शित)

भाग सं0-7

क्रम संख्या	तिथि	नाम व्यक्ति	चैक संख्या	आहरित धनराशि
1	29.01.2014	मनोज	488790	5000.00
2	29.01.2014	मनोज	488791	5000.00
3	29.01.2014	मनोज	488792	5000.00
4	29.01.2014	सुरजीत	488789	5000.00
			योग :-	20000.00

(दि0-29.01.2014 को सीमेन्ट रेता बजरपुट क्रय किया जाना कैश बुक में दर्शित)

इससे स्पष्ट होता है कि भाग-1,2,3,4,5,6 व 7 की धनराशि क्रमशः 50000+20000+37000+20000+50000+50000+20000=रु0247000.00 मात्र को अपने निजी हित लाभ के लिये अलग अलग नामों से चैक काटकर सचिव व प्रधान द्वारा समस्त धनराशि का अपहरण किया गया है। अतः समस्त धनराशि रु0-247000.00 को अपहरण मानते हुए इसकी ब्याज सहित वसूली सचिव श्री सुरेश चन्द्र व प्रधान श्रीमती कीर्ति सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

ख)-ग्राम पंचायत सेहरा पुख्ता विकास खण्ड-समरेर जनपद-बदायूँ

1-वित्तीय वर्ष 2013-14 में ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुरेश चन्द्र व ग्राम प्रधान श्री रामाश्रय द्वारा निम्नलिखित तिथियों को ग्राम निधि प्रथम खातों से आहरण कर निम्न मदों में व्यय किये गये।

क्रम संख्या	तिथि	धनराशि	विवरण
1	02.04.2013	10000.00	मिटटी कार्य
2	30.04.2013	10000.00	बिल्डिंग मैटेरियल
3	02.05.2013	30000.00	बिल्डिंग मैटेरियल
4	12.09.2013	80000.00	ईट क्रय
5	02.09.2013	17500.00	खंडजा नाली निर्माण
	योग :-	147500.00	

उपरोक्तानुसार ग्राम सचिव द्वारा ईट व सीमेन्ट आदि क्रय कर स्टॉक बुक में प्रविष्टि नहीं की गई है। सीमेन्ट क्रय के 4 माह 10 दिन पश्चात् ईट क्रय की गई तथा 6 माह पश्चात् खंडजा व नाली निर्माण कार्य किया गया।

उक्त से स्पष्ट है कि सचिव व प्रधान द्वारा फर्जी व्यय दर्शाकर समस्त धनराशि का अपहरण किया गया है। अतः समस्त धनराशि ₹0-147500.00 को अपहरण मानते हुए इसकी ब्याज सहित वसूली सचिव व प्रधान से किया जाना अपेक्षित है।

2-वित्तीय वर्ष 2014-15 में ग्राम पंचायत अधिकारी व ग्राम प्रधान द्वारा निम्नलिखित तिथियों को ग्राम निधि प्रथम खातों से आहरण कर निम्न मदों में व्यय किये गये

क्रम संख्या	तिथि	धनराशि	विवरण
1	24.04.2014	10000.00	बिल्डिंग मैटेरियल
2	25.04.2014	50000.00	ईट क्रय
3	26.04.2014	25000.00	ईट क्रय
4	29.04.2014	5000.00	ईट क्रय
5	09.05.2014	15000.00	मिटटी कार्य
6	10.05.2014	15000.00	ईट क्रय
7	19.06.2014	20000.00	ईट क्रय
8	31.10.2014	14120.00	खंडजा नाली निर्माण
	योग :-	154120.00	

उपरोक्तानुसार ग्राम सचिव द्वारा ईट व सीमेन्ट आदि क्रय कर स्टॉक बुक में प्रविष्टि नहीं की गई है। 24 अप्रैल को सीमेन्ट आदि क्रय के उपरान्त अप्रैल में ₹0- 80000.00 की ईट क्रय मई में ₹0-15000.00 का मिटटी कार्य व 15000.00 की ईट क्रय तथा 19 जून को ₹0-20000.00 की ईट क्रय की गई। सीमेन्ट आदि क्रय के छः माह सात दिन के बाद खंडजा व नाली निर्माण किया गया।

उक्त से स्वतः स्पष्ट है कि सचिव व प्रधान द्वारा फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। इसकी ब्याज सहित वसूली सचिव श्री सुरेश चन्द्र व प्रधान श्री रामाश्रय से किया जाना अपेक्षित है।

जनपद—बस्ती मण्डल—बस्ती

प्रस्तर संख्या	आपत्ति का विवरण
प्रस्तर—01	विकास खण्ड कुदरहा की ग्राम पंचायत अमरौना में निधि—। खाते से दिनांक 01.04.13 से 31.03.15 तक व्यय की गयी धनराशियों कुल रु0 676770.00 के उपयोगिता की पुष्टि व्यय प्रमाणको तथा अन्य अभिलेखो से न कराकर अपहरण संयुक्त रूप से किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री रामदीन यादव, प्रधान से रु0 338385.00 एवं श्री हरिओमपाल, ग्रा0 पं0 अ0 से रु0 338385.00 की जानी अपेक्षित है।
प्रस्तर—02	विकास खण्ड कुदरहा की ग्राम पंचायत हथियांवकला में निधि—। खाते से दिनांक 01.04.12 से 31.03.15 तक व्यय की गयी धनराशियों कुल रु0 1177054.00 के उपयोगिता की पुष्टि व्यय प्रमाणको तथा अन्य अभिलेखो से न कराकर अपहरण संयुक्त रूप से किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री रामऔतार, प्रधान से रु0 588527.00 एवं श्री हरिओमपाल, ग्रा0 पं0 अ0 से रु0 588527.00 की जानी अपेक्षित है।
प्रस्तर—03	विकास खण्ड बनकटी की ग्राम पंचायत सिकराखुर्द में निधि—। खाते से दिनांक 01.04.11 से 31.05.13 तक व्यय की गयी धनराशियों कुल रु0 408700.00 के उपयोगिता की पुष्टि व्यय प्रमाणको तथा अन्य अभिलेखो से न कराकर अपहरण संयुक्त रूप से किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती सोनमती, प्रधान से रु0 204350.00 एवं श्री राजेन्द्र प्रसाद गौड़, ग्रा0 पं0 अ0 से रु0 204350.00 की जानी अपेक्षित है।
प्रस्तर—04	विकास खण्ड बनकटी की ग्राम पंचायत सिकराखुर्द में निधि—। खाते से दिनांक 01.06.13 से 31.03.15 तक व्यय की गयी धनराशियों कुल रु0 901990.00 के उपयोगिता की पुष्टि व्यय प्रमाणको तथा अन्य अभिलेखो से न कराकर अपहरण संयुक्त रूप से किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती सोनमती, प्रधान से रु0 450995.00 एवं श्री शिवनन्दन त्रिपाठी, ग्रा0पं0अ0 से रु0 450995.00 की जानी अपेक्षित है।
प्रस्तर—05	विकास खण्ड कुदरहा की ग्राम पंचायत गोनार में निधि—। खाते से दिनांक 01.04.12 से 31.03.15 तक व्यय की गयी धनराशियों कुल रु0 893170.00 के उपयोगिता की पुष्टि व्यय प्रमाणको तथा अन्य अभिलेखो से न कराकर अपहरण संयुक्त रूप से किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती रीतापाल, प्रधान से रु0 446585.00 एवं श्री हरिओमपाल, ग्रा0 पं0 अ0 से रु0 446585.00 की जानी अपेक्षित है।
प्रस्तर—06	विकास खण्ड कुदरहा की ग्राम पंचायत मेहनौना में निधि—। खाते से दिनांक 01.04.13 से 31.03.15 तक व्यय की गयी धनराशियों कुल रु0 947570.00 के उपयोगिता की पुष्टि व्यय प्रमाणको तथा अन्य अभिलेखो से न कराकर अपहरण संयुक्त रूप से किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती करमशीला, प्रधान से रु0 473785.00 एवं श्री हरिओमपाल, ग्रा0 पं0 अ0 से रु0 473785.00 की जानी अपेक्षित है।
प्रस्तर—07	विकास खण्ड कुदरहा की ग्राम पंचायत जगन्नाथपुर में निधि—। खाते से दिनांक 01.04.12 से 31.03.13 एवं 01.04.14 से 31.03.15 तक व्यय की गयी धनराशियों कुल रु0 1257501.00 के उपयोगिता की पुष्टि व्यय प्रमाणको तथा अन्य अभिलेखो से न कराकर अपहरण संयुक्त रूप से किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री लालजी यादव, प्रधान से रु0 628751.00 एवं श्री हरिओमपाल, ग्रा0 पं0 अ0 से रु0 628750.00 की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-08	विकास खण्ड कुदरहा की ग्राम पंचायत मंझरिया में निधि-। खाते से दिनांक 01.04.12 से 31.03.15 तक व्यय की गयी धनराशियों कुल रू0 1193092.00 के उपयोगिता की पुष्टि व्यय प्रमाणको तथा अन्य अभिलेखो से न कराकर अपहरण संयुक्त रूप से किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती राजमती देवी, प्रधान से रू0 596546.00 एवं श्री हरिओमपाल, ग्रा0पं0अ0 से रू0 596546.00 की जानी अपेक्षित है।
प्रस्तर-09	विकास खण्ड कुदरहा की ग्राम पंचायत तेनुआ में निधि-। खाते से दिनांक 01.04.12 से 31.03.15 तक व्यय की गयी धनराशियों कुल रू0 980500.00 के उपयोगिता की पुष्टि व्यय प्रमाणको तथा अन्य अभिलेखो से न कराकर अपहरण संयुक्त रूप से किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री देवेन्द्र बहादुरपाल, प्रधान से रू0 490250.00 एवं श्री हरिओमपाल, ग्रा0 पं0 अ0 से रू0 490250.00 की जानी अपेक्षित है।
प्रस्तर-10	विकास खण्ड कुदरहा की ग्राम पंचायत मसुरिहा में निधि-। खाते से दिनांक 01.04.12 से 31.03.15 तक व्यय की गयी धनराशियों कुल रू0 1041254.00 के उपयोगिता की पुष्टि व्यय प्रमाणको तथा अन्य अभिलेखो से न कराकर अपहरण संयुक्त रूप से किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री रामराज, प्रधान से रू0 520627.00 एवं श्री हरिओमपाल, ग्रा0 पं0 अ0 से रू0 520627.00 की जानी अपेक्षित है।
प्रस्तर-11	विकास खण्ड हरैया की ग्राम पंचायत जोगापुर में हयूम पाइप क्रय पर काल्पनिक रूप से व्यय दर्शाकर रू0 105750.00 का अपहरण संयुक्त रूप से किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती द्रोपती देवी, प्रधान से रू0 52875.00 एवं श्रीमती माधुरी देवी, ग्रा0पं0अ0 से रू0 52875.00 की जानी अपेक्षित है।
प्रस्तर-12	विकास खण्ड हरैया की ग्राम पंचायत जोगापुर में ईट क्रय पर काल्पनिक रूप से व्यय दर्शाकर रू0 279000.00 का अपहरण संयुक्त रूप से किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती द्रोपती देवी, प्रधान से रू0 139500.00 एवं श्रीमती माधुरी देवी, ग्रा0पं0अ0 से रू0 139500.00 की जानी अपेक्षित है।
प्रस्तर-13	विकास खण्ड विक्रमजोत की ग्राम पंचायत सिकटहा पाण्डेय में निधि-। खाते से दिनांक 01.04.14 से 31.03.15 तक व्यय की गयी धनराशियों कुल रू0 512306.00 के उपयोगिता की पुष्टि व्यय प्रमाणको तथा अन्य अभिलेखो से न कराकर संयुक्त रूप से अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री कमलेश, प्रधान से रू0 256153.00 एवं श्री सुभाष चन्द्र चौधरी, ग्रा0 पं0 अ0 से रू0 256153.00 की जानी अपेक्षित है।
प्रस्तर-14	विकास खण्ड विक्रमजोत की ग्राम पंचायत रिक्खीपुर में निधि-। खाते से दिनांक 01.04.14 से 31.03.15 तक व्यय की गयी धनराशियों कुल रू0 378950.00 के उपयोगिता की पुष्टि व्यय प्रमाणको तथा अन्य अभिलेखो से न कराकर संयुक्त रूप से अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री अफजल, प्रधान से रू0 189475.00 एवं श्री अनिल सिंह, ग्रा0 पं0 अ0 से रू0 189475.00 की जानी अपेक्षित है।
प्रस्तर-15	विकास खण्ड विक्रमजोत की ग्राम पंचायत बस्थनवाँ में निधि-। खाते से दिनांक 01.04.14 से 31.03.15 तक व्यय की गयी धनराशियों कुल रू0 650073.00 के उपयोगिता की पुष्टि व्यय प्रमाणको तथा अन्य अभिलेखो से न कराकर संयुक्त रूप से अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती पुष्पा देवी, प्रधान से रू0 325037.00 एवं श्री अनिल सिंह, ग्रा0 पं0 अ0 से रू0 325036.00 की जानी अपेक्षित है।
प्रस्तर-16	विकास खण्ड विक्रमजोत की ग्राम पंचायत सेवरालाला में निधि-। खाते से दिनांक 01.04.14

	से 31.03.15 तक व्यय की गयी धनराशियों कुल रू0 412919.00 के उपयोगिता की पुष्टि व्यय प्रमाणको तथा अन्य अभिलेखो से न कराकर संयुक्त रूप से अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री चन्द्र प्रकाश यादव, प्रधान से रू0 206460.00 एवं श्री अनिल सिंह, ग्रा0 पं0 अ0 से रू0 206459.00 की जानी अपेक्षित है।
प्रस्तर-17	विकास खण्ड विक्रमजोत की ग्राम पंचायत खानकला में निधि-। खाते से दिनांक 01.04.14 से 31.03.15 तक व्यय की गयी धनराशियों कुल रू0 800800.00 के उपयोगिता की पुष्टि व्यय प्रमाणको तथा अन्य अभिलेखो से न कराकर संयुक्त रूप से अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री हनुमान सोनी, प्रधान से रू0 400400.00 एवं श्री अनिल सिंह, ग्रा0 पं0 अ0 से रू0 400400.00 की जानी अपेक्षित है।
प्रस्तर-18	विकास खण्ड विक्रमजोत की ग्राम पंचायत वीरपुर खरहरा में निधि-। खाते से दिनांक 01.04.14 से 31.03.15 तक व्यय की गयी धनराशियों कुल रू0 894567.00 के उपयोगिता की पुष्टि व्यय प्रमाणको तथा अन्य अभिलेखो से न कराकर संयुक्त रूप से अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री कृष्ण कुमार मिश्र, प्रधान से रू0 447284.00 एवं श्री सुभाष चन्द्र चौधरी, ग्रा0 पं0 अ0 से रू0 447283.00 की जानी अपेक्षित है।
प्रस्तर-19	विकास खण्ड विक्रमजोत की ग्राम पंचायत सुकरौली पाण्डेय0 में निधि-। खाते से दिनांक 01.04.13 से 31.03.15 तक व्यय की गयी धनराशियों कुल रू0 960455.00 के उपयोगिता की पुष्टि व्यय प्रमाणको तथा अन्य अभिलेखो से न कराकर संयुक्त रूप से अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती अनीता उर्फ किरन, प्रधान से रू0 480228.00 एवं श्री शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी , ग्रा0 पं0 अ0 से रू0 480227.00 की जानी अपेक्षित है।

जनपद-संत कबीर नगर मण्डल-बस्ती

प्रस्तर संख्या	आपत्ति का विवरण
प्रस्तर-01	विकास खण्ड सेमरियांवा की ग्राम पंचायत तिलजा में कोषबही में अनियमित योग/अवशेष का लेखाकन कर/नकद रोकड अवशेष रू0 2416.00 अधिक दर्शाकर अनियमितता की गयी है। जिस हेतु श्री खुर्शीद अहमद, ग्राम प्रधान तथा श्री जीतेन्द्र नाथ तिवारी, ग्रा0पं0अधि0 उत्तरदायी हैं। आवश्यक कार्यवाही करते हुए लेखा सुधार कराया जाना अपेक्षित है।
प्रस्तर-02	विकास खण्ड सेमरियांवा की ग्राम पंचायत तिलजा में विभिन्न तिथियों में बैंक से धन का आहरण कर परन्तु कोषांकित न कर कुल रू0 206500.00 का अपहरण संयुक्त रूप से किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री खुर्शीद अहमद, ग्राम प्रधान से रू0 103250.00 एवं श्री जीतेन्द्र नाथ तिवारी, ग्रा0पं0अ0 से रू0 103250.00 की जानी अपेक्षित है। उक्त हेतु तत्कालीन ए0डी0ओ(पं0), डी0पी0आर0ओ0 एवं बी0डी0ओ0 भी सहउत्तरदायी रहे है।
प्रस्तर-03	विकास खण्ड सेमरियांवा की ग्राम पंचायत मूडाडीहा बेग की कैशबुक में विभिन्न तिथियों बैंक से धन का आहरण कर किन्तु कोषांकित न कर कुल रू0 1515000.00 का अपहरण संयुक्त रूप से किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री वसील अहमद, ग्राम प्रधान से रू0 757500.00 एवं श्री जीतेन्द्र नाथ तिवारी, ग्रा0 पं0 अधि0 से रू0 757500.00 की जानी अपेक्षित है। उक्त हेतु तत्कालीन ए0डी0ओ(पं0), डी0पी0आर0ओ0 एवं बी0डी0ओ0 भी सहउत्तरदायी रहे है।

जनपद—सिद्धार्थनगर

मण्डल—बस्ती

ग्राम पंचायत से सम्बंधित आपत्तियाँ—

1—ग्राम पंचायत —देईपार लेखा परीक्षा वर्ष— 2013—14 से 14—15 विकास खण्ड—डुमरियागंज

जनपद—सिद्धार्थनगर

प्रस्तर संख्या—01

ग्राम पंचायत की लेखापरीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्ष 13—14 एवं 14—15 में विभिन्न तिथियों में कुल रुपया 454353.00 का स्टाक क्रय किया जाना रोकड़ बही में अंकित है। परन्तु लेखापरीक्षा में क्रय स्टाक की पुष्टि में न तो कोटेशन ही प्रस्तुत किया गया है और न ही उससे सम्बंधित प्रमाणक ही प्रस्तुत किया गया है। स्टाक क्रय के भुगतान की स्वीकृती भी निर्माण समिति से नहीं कराई गई है। धन का भुगतान फर्म को अकाउन्ट पेयी चेक के द्वारा न कर के नगद किया गया है। स्पष्ट है कि स्टाक का क्रय दर्शाकर रु0 454353.00 का अपहरण ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जय प्रकाश राय एवं ग्राम प्रधान श्री राधेश्याम द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री जयप्रकाश राय से रु0 227176.50 एवं ग्राम प्रधान श्री राधेश्याम से रु0 227176.50 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
454353.00	—	—	454353.00

प्रस्तर संख्या—02

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि ग्राम निधि प्रथम् खातें से रु0 531048.00 का भुगतान मजदूरी के रूप में किया जाना रोकड़ बही में दर्शित है। परन्तु भुगतानित धनराशि की पुष्टि में तिथिवार मस्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे मजदूरी पर किये गये भुगतान की सत्यता प्रमाणित नहीं की जा सकती। कराये गये कार्यों का कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे कार्य पूर्ण हाने की पुष्टि नहीं की जा सकी। स्पष्ट है कि ग्रा0प0अधि0 एवं ग्राम प्रधान द्वारा मजदूरी पर भुगतान दर्शाकर धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री जयप्रकाश राय से रु0 265524.00 एवं ग्राम प्रधान श्री राधेश्याम से रु0 265524.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
531048.00	—	—	531048.00

प्रस्तर संख्या—03

लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्ष 13—14 एवं 14—15 में इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु रु0 47173.00 रोकड़ बही से खारिज किया गया है। परन्तु—खराब हैण्ड पम्पों की सूची तथा उनके मरम्मत का प्रस्ताव लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। भुगतान से सम्बंधित कोई प्रमाण कभी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। हैण्ड पम्प मरम्मत में प्रयुक्त सामग्री एवं मस्टर रोल पर व्यय का अलग—अलग अंकन नहीं है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत में दर्शित हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय काल्पनिक एवं आधारहीन है। अस्तु हैण्ड पम्प मरम्मत पर किये गये धन (रु0—47173.00) की ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास

अधिकारी श्री जय प्रकाश राय से रु0 23586.50 एवं ग्राम प्रधान श्री राधेश्याम से रु0 23586.50 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
47173.00	—	—	47173.00

2—ग्राम पंचायत —औसान कुईयाँ लेखा परीक्षा वर्ष— 13—14 से 14—15 वि0ख0—डुमरियागंज जनपद—सिद्धार्थनगर

प्रस्तर संख्या—04

ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्ष 13—14 एवं 14—15 में विभिन्न तिथियों में कुल रुपया 872023.00 का स्टाक क्रय किया जाना रोकड़ बही में अंकित है। परन्तु लेखापरीक्षा में क्रय स्टाक की पुष्टि में न तो कोटेशन ही प्रस्तुत किया गया है और न ही उससे सम्बंधित प्रमाणक ही प्रस्तुत किया गया है। स्टाक क्रय के भुगतान की स्वीकृती भी निर्माण समिति से नहीं कराई गई है। धन का भुगतान फर्म को अकाउन्ट पेयी पी.एस.डी. के द्वारा न कर के नगद किया गया है। स्पष्ट है कि स्टाक का क्रय दर्शाकर रु0 872023.00 का अपहरण ग्रा0प0अधि श्री जय प्रकाश राय एवं श्री कृष्ण बिहारी सिंह तथा ग्राम प्रधान श्री शफीउल्लाह द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्रा0पि0अधि0 श्री जय प्रकाश राय से रु0 218006.00 एवं ग्रा0पि0अधि0 श्री कृष्ण बिहारी सिंह से रु0 218006.00 तथा ग्राम प्रधान श्री शफीउल्लाह से रु0 436012.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
872023.00	—	—	872023.00

प्रस्तर संख्या—05

आलोच्य वर्षों की लेखापरीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि ग्रामनिधि प्रथम् खातें से रु0 235544.00 का भुगतान मजदूरी के रुप में किया जाना रोकड़ बही में दर्शित है। परन्तु भुगतानित धनराशि की पुष्टि में तिथिवार मस्टररोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे मजदूरी पर किये गये भुगतान की सत्यता प्रमाणित नहीं की जा सकती। कराये गये कार्यों का कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे कार्य पूर्ण हाने की पुष्टि नहीं की जा सकी। स्पष्ट है कि ग्रा0प0अधि एवं ग्राम प्रधान द्वारा मजदूरी पर भुगतान दर्शाकर धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्रा0प0अधि अधिकारी श्री जय प्रकाशराय से रु0 58886.00 एवं ग्रा0प0अधि0 श्री कृष्ण बिहारी सिंह से रु0 58886.00 तथा ग्राम प्रधान श्री शफीउल्लाह से रु0 117772.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
235544.00	—	—	235544.00

प्रस्तर संख्या—06

लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्षों 14—15 में इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु रु0 12000.00 रोकड़ बही से खारिज किया गया है। परन्तु—खराब हैण्ड पम्पो की सूची तथा उनके मरम्मत का प्रस्ताव लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। भुगतान से सम्बंधित कोई प्रमाण कभी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत

नहीं किये गये हैं। हैण्ड पम्प मरम्मत में प्रयुक्त सामग्री एवं मस्टर रोल पर व्यय का अलग-अलग अंकन नहीं है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत में दर्शित हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय काल्पनिक एवं आधारहीन है।

अस्तु हैण्ड पम्प मरम्मत पर किये गये धन (₹0-12000.00) की ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री जय प्रकाश राय से ₹ 6000.0 एवं ग्राम प्रधान श्री शफीउल्लाह से ₹0 6000.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
12000.00	—	—	12000.00

3-ग्राम पंचायत —थुम्हवा लेखा परीक्षा वर्ष— 13-14 से 14-15 वि०ख०—डुमरियागंज जनपद—सिद्धार्थनगर

प्रस्तर संख्या-07

ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्ष 13-14 एवं 14-15 में विभिन्न तिथियों में कुल रुपया 1093577.00 का स्टाक क्रय किया जाना रोकड़ बही में अंकित है। परन्तु लेखापरीक्षा में क्रय स्टाककी पुष्टि में न तो कोटेशन ही प्रस्तुत किया गया है और न ही उससे सम्बंधित प्रमाणक ही प्रस्तुत किया गया है। स्टाक क्रय के भुगतान की स्वीकृती भी निर्माण समिति से नहीं कराई गई है। धन का भुगतान फर्म को एकाउन्ट पेईचेक के द्वारा न कर के नगद किया गया है। स्पष्ट है कि स्टाक का क्रय दर्शाकर कर ₹ 1093577.00 का अपहरण ग्रा०प०अधि० श्री कृष्ण बिहार सिंह एवं ग्रा०प०अधि० श्री जय प्रकाश राय द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्रा०प०अधि० अधिकारीश्री जयप्रकाश राय से ₹0 15000.00 एवं ग्रा०प०अधि० श्रीकृष्ण बिहारी सिंह से ₹0 531788.50 तथा ग्राम प्रधान श्री सरुन्निसा से ₹0 546788.50 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
1093577.00	—	—	1093577.00

प्रस्तर संख्या-08

आलोच्य वर्षों की लेखा परीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि ग्राम निधि प्रथम् खातें से ₹0 265136.00 का भुगतान मजदूरी के रूप में किया जाना रोकड़ बही में दर्शित है। परन्तु भुगतानित धनराशि की पुष्टि में तिथिवार मस्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे मजदूरी पर किये गये भुगतान की सत्यता प्रमाणित नहीं की जा सकती, कराये गये कार्यों का कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे कार्य पूर्ण हाने की पुष्टि नहीं की जा सकी। स्पष्ट है कि ग्रा०प०अधि० एवं ग्राम प्रधान द्वारा मजदूरी पर भुगतान दर्शाकर धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्रा०प०अधि० अधिकारी श्री जय प्रकाश राय से ₹0 80496.00 एवं ग्रा०प०अधि० श्री कृष्ण बिहारी सिंह से ₹0 52072.00 तथा ग्राम प्रधान श्री सरुन्निसा से ₹0 132568.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
265136.00	—	—	265136.00

प्रस्तर संख्या-09

लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्ष 14-15 में इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु ₹0 10000.00 रोकड़ बही से खारिज किया गया है। परन्तु—खराब हैण्ड पम्पो की सूचीतथा उनके मरम्मत का

प्रस्ताव लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। भुगतान से सम्बंधित कोई प्रमाण कभी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए हैं, हैण्डपम्प मरम्मत में प्रयुक्त सामग्री एवं मस्टर रोल पर व्यय का अलग-अलग अंकन नहीं है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत में दर्शित हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय काल्पनिक एवं आधारहीन है। अस्तु हैण्ड पम्प मरम्मत पर किये गये धन (रु0-10000.00) की ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री जयप्रकाश राय से रु 5000.0 एवं ग्राम प्रधान श्री सरुनिसा से रु0 5000.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
10000.00	—	—	10000.00

4-ग्राम पंचायत-झहरांव लेखा परीक्षा वर्ष- 2013-14 से 14-15 विकास खण्ड-डुमरियागंज जनपद-सिद्धार्थनगर

प्रस्तर संख्या-10

ग्राम पंचायत की लेखापरीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्ष 13-14 एवं 14-15 में विभिन्न तिथियों में कुल रुपया 1095498.00 का स्टाक क्रय किया जाना रोकड़ बही में अंकित है। परन्तु लेखापरीक्षा में क्रय स्टाक की पुष्टि में न तो कोटेशन ही प्रस्तुत किया गया है और न ही उससे सम्बंधित प्रमाणक ही प्रस्तुत किया गया है। स्टाक क्रय के भुगतान की स्वीकृति भी निर्माण समिति से नहीं कराई गई है। धन का भुगतान फर्म को एकान्त पेयी चेक के द्वारा न कर के नगद किया गया है। स्पष्ट है कि स्टाक का क्रय दर्शाकर रु 1095498.00 का अपहरण ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कृष्ण बिहारी सिंह एवं ग्राम प्रधान श्रीमती नीलम द्वारा कर लिया गया है। जिसक ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री कृष्ण बिहारी सिंह से रु0 547749.00 एवं ग्राम प्रधान श्रीमती नीलम से रु0 547749.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
1095498.00	—	—	1095498.00

प्रस्तर संख्या-11

आलोच्य वर्षों की लेखा परीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि ग्राम निधि प्रथम खातों से रु0 217513.00 का भुगतान मजदूरी के रूप में किया जाना रोकड़ बही में दर्शित है। परन्तु भुगतानित धनराशि की पुष्टि में तिथिवार मस्टर रोल लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे मजदूरी पर किये गये भुगतान की सत्यता प्रमाणित नहीं की जा सकती, कराये गये कार्यों का कार्यपूति प्रमाण पत्र भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे कार्य पूर्ण हाने की पुष्टि नहीं की जा सकी। स्पष्ट है कि ग्रा0प0अधि0 एवं ग्राम प्रधान द्वारा मजदूरी पर भुगतान दर्शाकर धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री कृष्ण बिहारी सिंह से रु0 108756.50 एवं ग्राम प्रधान श्रीमती नीलम से रु0 108756.50 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
217513.00	—	—	217513.00

**5-ग्राम पंचायत रठैना लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14 से 14-15 विकास खण्ड-डुमरियागंज
जनपद-सिद्धार्थनगर**

प्रस्तर संख्या-12

ग्राम पंचायत की लेखापरीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्ष 13-14 एवं 14-15 में विभिन्न तिथियों में कुल रुपया 1843697.00 का स्टाक क्रय किया जाना रोकड़ बही में अंकित है। परन्तु लेखापरीक्षा में क्रय स्टाक की पुष्टि में न तो कोटेशन ही प्रस्तुत किया गया है और न ही उससे सम्बंधित प्रमाणक ही प्रस्तुत किया गया है। स्टाक क्रय के भुगतान की स्वीकृति भी निर्माण समिति से नहीं कराई गई है। धन का भुगतान फर्म को एकान्त पेयी चेक के द्वारा न कर के नगद किया गया है। स्पष्ट है कि स्टाक का क्रय दर्शाकर रु0 1843697.00 का अपहरण ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कृष्ण बिहारी सिंह एवं ग्राम प्रधान श्रीमती विद्यावती द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री कृष्ण बिहारी सिंह से रु0 921848.50 एवं ग्राम प्रधान श्रीमती विद्यावती से रु0 921848.50 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
1843697.00	—	—	1843697.00

प्रस्तर संख्या-13

आलोच्य वर्षों की लेखापरीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि ग्राम निधि प्रथम् खातें से रु0 159466.00 का भुगतान मजदूरी के रूप में किया जाना रोकड़ बही में दर्शित है। परन्तु भुगतानित धनराशि की पुष्टि में तिथिवार मस्टर रोल लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे मजदूरी पर किये गये भुगतान की सत्यता प्रमाणित नहीं की जा सकती, कराये गये कार्यों का कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे कार्य पूर्ण हाने की पुष्टि नहीं की जा सकी। स्पष्ट है कि ग्रा0प0अधि0 एवं ग्राम प्रधान द्वारा मजदूरी पर भुगतान दर्शाकर धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री कृष्ण बिहारी सिंह से रु0 79733.00 एवं ग्राम प्रधान श्रीमती विद्यावती से रु0 79733.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
159466.00	—	—	159466.00

**6-ग्राम पंचायत -भिटानानकार लेखा परीक्षा वर्ष- 2014-15 विकास खण्ड-भनवापुर
जनपद-सिद्धार्थनगर**

प्रस्तर संख्या-14

ग्राम पंचायत भिटानानकार में वर्ष 2014-15 में सी0सी रोड निर्माण पर रु0 873235 का व्यय ग्राम निधि प्रथम खाते के रोकड़ बही में दर्शाया गया है। परन्तु उपरोक्त व्ययकी पुष्टि में कार्यवाही रजिस्टर, कराये गये कार्य की तकनीकी स्वीकृति की पत्रावली, स्टाक रजिस्टर, व्यय प्रमाणक, माप पुस्तिका एवं कार्य पूर्ती प्रमाणपत्र लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। सी0सी रोड निर्माण का स्थान भी रोकड़ बही में दर्शित नहीं है। क्रय की गयी सामग्री का भुगतान भी एकान्त पेयी चेक के द्वारा फर्म को न कर के अधिकांश धन का आहरण ग्राम प्रधान द्वारा किया गया है, जिससे प्रतित होता है की काल्पनिक ढंग से सी0सी रोड का निर्माण दर्शाकर ग्राम प्रधान श्रीमती रीता देवी एवं ग्रा0प0अधि श्री बृजेश गुप्ता द्वारा रु0 873235.00 का अपहरण कर लिया गया है।

जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री बृजेश गुप्ता से रु0 418617.50 एवं ग्राम प्रधान ग्राम प्रधान श्रीमती रीता देवी से रु0 418617.50 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
873235.00	—	—	873235.00

7-ग्राम पंचायत —भनवापुर लेखा परीक्षा वर्ष — 2014-15 विकास खण्ड—भनवापुर जनपद—सिद्धार्थनगर

प्रस्तर संख्या—15

ग्राम पंचायत भनवापुर में वर्ष 2014-15 में खड़न्जा निर्माण पर रु0 304616.00का व्यय ग्राम निधि प्रथम खाते के रोकड़ बही में दर्शाया गया है। परन्तु उपरोक्त व्यय की पुष्टि में कार्यवाही रजिस्टर, कराये गये कार्य की तकनीकी स्वीकृति की पत्रावली, स्टाक रजिस्टर, व्यय प्रमाणक, माप पुस्तिका, एवं कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। खड़न्जा का निर्माण का स्थान भी रोकड़ बही में दर्शित नहीं है। क्रय की गयी सामग्री का भुगतान भी एकान्त पेयी चेक के द्वारा फर्म को न कर के अधिकांश धन का आहरण ग्राम प्रधान द्वारा किया गया है, जिससे प्रतीत होता है की काल्पनिक ढंग से खड़न्जा का निर्माण दर्शाकर ग्राम प्रधान श्री अवधेश सिंह एवं ग्रा0पं0अधि श्री अंजुलेस केरकेटा द्वारा रु0 304616.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री अंजुलेस केरकेटा से रु0 152308.00 एवं ग्राम प्रधान श्री अवधेश सिंह से 152308.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
304616.00	—	—	304616.00

प्रस्तर संख्या—16

ग्राम पंचायत भनवापुर में वर्ष 2014-15 में खड़न्जा/नाली निर्माण पर रु0 189696.00 का व्यय ग्राम निधि प्रथम खाते के रोकड़ बही में दर्शाया गया है। परन्तु उपरोक्त व्यय की पुष्टि में कार्यवाही रजिस्टर, कराये गये कार्य की तकनीकी स्वीकृति की पत्रावली, स्टाक रजिस्टर, व्यय प्रमाणक, माप पुस्तिका, एवं कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। खड़न्जा का निर्माण का स्थान भी रोकड़ बही में दर्शित नहीं है। क्रय की गयी सामग्री का भुगतान भी एकान्त पेयी चेक के द्वारा फर्म को न कर के अधिकांश धन का आहरण ग्राम प्रधान द्वारा किया गया है, जिससे प्रतीत होता है की काल्पनिक ढंग से खड़न्जा का निर्माण दर्शाकर ग्राम प्रधान श्री अवधेश सिंह एवं ग्रा0पं0अधि श्री अंजुलेस केरकेटा द्वारा रु0 189696.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री अंजुलेस केरकेटा से रु0 94848.00 एवं ग्राम प्रधान श्री अवधेश सिंह से 94848.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
189696.00	—	—	189696.00

प्रस्तर संख्या—17

लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है की दिनांक 08.09.14 को चेक संख्या सं0 572829 द्वारा श्री सदर आलम को रु0 40000.00 का भुगतान इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु किया गया किन्तु पुष्टि में जलप्रबंधन कमेटी की रिपोर्ट कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, लाभार्थी द्वारा जारी किया गया संतुष्टि प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। हैण्ड पम्प मरम्मत का स्थान भी कैश बुक में दर्शित नहीं है। इस प्रकार रु0

40000.00 का फर्जी भुगतान दर्शाकर ग्राम प्रधान श्री अवधेश सिंह एवं ग्रा0पं0अधि0 श्री अंजुलेस केरकेटा द्वारा रु0 40000.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री अंजुलेस केरकेटा से रु0 20000.00 एवं ग्राम प्रधान श्री अवधेश सिंह से 20000.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
—	40000.00	—	40000.00

प्रस्तर संख्या—18

लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है की कैशबुक में वर्षान्त में 18 रु0 का नगद रोकड़ शेष न दर्शाकर ग्राम प्रधान श्री अवधेश सिंह एवं ग्रा0पं0अधि0 श्री अंजुलेस केरकेटा द्वारा रु0 18.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री अंजुलेस केरकेटा से रु0 09.00 एवं ग्राम प्रधान श्री अवधेश सिंह से 09.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
18.00	—	—	18.00

8—ग्राम पंचायत —पिकौरा लेखा परीक्षा वर्ष— 2014—15 विकास खण्ड—मनवापुर जनपद—सिद्धार्थनगर

प्रस्तर संख्या—19

लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है की कैशबुक में वर्षान्त में 32260 रु0 का नगद रोकड़ शेष न दर्शाकर ग्राम प्रधान श्री वसीम एवं ग्रा0पं0अधि0 श्री राम हर्ष रु0 32260.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री राम हर्ष से रु0 16130.00 एवं ग्राम प्रधान श्री वसीम से रु0 16130.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
32260.00	—	—	32260.00

प्रस्तर संख्या—20

लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है की रु 43670.00 का भुगतान इन्डिया मार्का हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु किया गया किन्तु पुष्टि में जलप्रबंधन कमेटी की रिपोर्ट कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, लाभार्थी द्वारा जारी किया गया संतुष्टि प्रमाण पत्र लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। हैण्ड पम्प मरम्मत का स्थान भी कैश बुक में दर्शित नहीं है। इस प्रकार रु0 43670.00 का फर्जी भुगतान दर्शाकर ग्राम प्रधान श्री वसीम एवं ग्रा0पं0अधि0 श्री राम हर्ष द्वारा रु0 43670.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री राम हर्ष से रु0 21835.00 एवं ग्राम प्रधान श्री वसीम से रु0 21835.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
—	43670.00	—	43670.00

9—ग्राम पंचायत —हथपरा लेखा परीक्षा वर्ष— 2014—15 विकास खण्ड—भनवापुर**जनपद—सिद्धार्थनगर****प्रस्तर संख्या—21**

ग्राम पंचायत हथपरा में वर्ष 2014—15 में खड़न्जा निर्माण पर रु0 170585.00 का व्यय ग्राम निधि प्रथम् खाते के रोकड़ बही में दर्शाया गया है। परन्तु उपरोक्त व्ययकी पुष्टि में कार्यवाही रजिस्टर, कराये गये कार्य की तकनीकी स्वीकृती की पत्रावली, स्टाक रजिस्टर, व्यय प्रमाणक, माप पुस्तिका एवं कार्यपूर्ती प्रमाणपत्र लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। खड़न्जा का निर्माण का स्थान भी रोकड़ बही में दर्शित नहीं है। क्रय की गयी सामग्री का भुगतान भी एकान्तपेयी चेक के द्वारा फर्म को न कर के अधिकांश धन का आहरण ग्राम प्रधान एवं ग्रा0प0 अधि द्वारा किया गया है, जिससे प्रतीत होता है की काल्पनिक ढंग से खड़न्जा का निर्माण दर्शाकर ग्राम प्रधान श्रीमती मालती एवं ग्रा0पं0अधि0 श्री अंजुलेस केरकेटा द्वारा रु0 170585.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री अंजुलेस केरकेटा से रु0 85292.50 एवं ग्राम प्रधान श्रीमती मालती से रु0 85292.50 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
170585.00	—	—	170585.00

प्रस्तर संख्या—22

ग्राम पंचायत हथपरा में वर्ष 2014—15 में नाली निर्माण पर रु0 153529.00 का व्यय ग्राम निधी प्रथम् खाते के रोकड़ बही में दर्शाया गया है। परन्तु उपरोक्त व्यय की पुष्टि में कार्यवाही रजिस्टर, कराये गये कार्य की तकनीकी स्वीकृती की पत्रावली, स्टाक रजिस्टर, व्यय प्रमाणक, माप पुस्तिका, एवं कार्य पूर्ती प्रमाणपत्र लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। नाली का निर्माण का स्थान भी रोकड़ बही में दर्शित नहीं है। क्रय की गयी सामग्री का भुगतान भी एकान्त पेयी चेक के द्वारा फर्म को न कर के अधिकांश धन का आहरण ग्राम प्रधान एवं ग्रा0प0 अधि द्वारा बारी—बारी से किया गया है, जिससे प्रतीत होता है की काल्पनिक ढंग से नाली का निर्माण दर्शाकर ग्राम प्रधान श्रीमती मालती एवं ग्रा0पं0अधि0 श्री अंजुलेस केरकेटा द्वारा रु0 153529.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री अंजुलेस केरकेटा से रु0 76764.50 एवं ग्राम प्रधान श्रीमती मालती से रु0 76764.50 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
153529.00	—	—	153529.00

10—ग्राम पंचायत —बचड़ा—बचड़ी लेखा परीक्षा वर्ष — 2014—15 विकास खण्ड—नौगढ़**जनपद—सिद्धार्थनगर****प्रस्तर संख्या—23**

वर्ष 14—15 की लेखा परीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि राज्य वित्त/तेरहवें वित्त खाते से विभिन्न तिथियों में रु0 288498.00 का व्यय, सामग्री क्रय एवं मजदूरी भुगतान मे कैशबुक में अंकित विवरण के अनुसार किया गया है। कैशबुक में सामग्री क्रय एवं मजदूरी भुगतान में न सम्मिलित रुप से दर्शाया गया है। परन्तु लेखापरीक्षा मे स्टाक क्रय की पुष्टि तो कोटेशन ही प्रस्तुत किया गया है और न ही उससे संबंधित चालान, बिल वाउचर प्रस्तुत किया गया है। क्रय स्टाक की भुगतान की स्वीकृति भी निर्माण समिति से नहीं करायी गयी है। धन का भुगतान फर्म को एकान्त पेयी चेक के द्वारा न कर के नगद किया गया है। मजदूरी

भुगतान के पुष्टि में तिथिवार मस्टर रोल भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। स्पष्ट है कि मस्टर रोल के अभाव में भुगतान काल्पनिक रहा। स्पष्ट है की स्टाक क्रय एवं मजदूरी भुगतान दर्शा कर रु0 288498.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्रा0प0अधि0 श्री सुजीत जायसवाल से रु0 144249.00 एवं ग्राम प्रधान श्रीमती बेबी से रु0 144249.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
288498.00	—	—	288498.00

11—ग्राम पंचायत—गनेरा लेखा परीक्षा वर्ष—2014—15 विकास खण्ड—नौगढ़ जनपद—सिद्धार्थनगर प्रस्तर संख्या—24

वर्ष 14—15 की लेखा परीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि खड़न्जा/नाली मरम्मत में राज्य वित्त खाते से रु0 224699.0 का व्यय रोकड़ बही में दर्शाया गया है। व्यय की संपूर्ण धनराशि पांच तिथियों में निर्धारित सीमा से अधिक निकासी कर विभिन्न तिथियों में सामग्री एवं मजदूरी भुगतान दर्शित दी गयी है। भुगतान की गयी मजदूरी दर अनुमोदित सीमा से अधिक है। 13.08.14 को इस परियोजना पर तीसरी बार सामग्री क्रय दर्शाया गया, लेकिन उक्त सामग्री के प्रयोग के क्रम में दि0 13.08.14 या बाद की तिथियों में इस कार्य पर कोई मजदूरी भुगतान दर्शित नहीं है। सामग्री के सापेक्ष चालान, बिल/वाउचर आदि भी लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर पाया गया कि उपरोक्त कार्य पर कुल रु0 224699.00 का व्यय दर्शा कर तात्कालीन प्रधान व सचिव द्वारा अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्रा0वि0अधि0 श्री शैलेन्द्र गुप्ता से रु0 112349.50 एवं ग्राम प्रधान श्री चन्द्रजीत से रु0 112349.50 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
224699.00	—	—	224699.00

प्रस्तर संख्या—25

वर्ष 14—15 की लेखा परीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि खड़न्जा/नाली मरम्मत में राज्य वित्त खाते से रु0 280189.0 का व्यय रोकड़ बही में दर्शाया गया है। व्यय की संपूर्ण धनराशि पाँच तिथियों में निर्धारित सीमा से अधिक निकासी कर विभिन्न तिथियों में सामग्री एवं मजदूरी भुगतान दर्शा दी गयी है। भुगतान की गयी मजदूरी दर अनुमोदित सीमा से अधिक है। 13.08.14 को इस परियोजना पर तीसरी बार सामग्री क्रय दर्शाया गया, लेकिन उक्त सामग्री के प्रयोग के क्रम में दि0 27.03.15 या बाद की तिथियों में इस कार्य पर कोई मजदूरी भुगतान दर्शित नहीं है। सामग्री के सापेक्ष चालान, बिल/वाउचर आदि भी लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर पाया गया कि उपरोक्त कार्य पर कुल रु0 280189.00 का व्यय दर्शाकर तत्कालीन प्रधान व सचिव द्वारा अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्रा0वि0अधि0 श्री शैलेन्द्र गुप्ता से रु0 140094.50 एवं ग्राम प्रधान श्री चन्द्रजीत से रु0 140094.50 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
280189.00	—	—	280189.00

12—ग्राम पंचायत—बेल्टीकर लेखा परीक्षा वर्ष — 2014—15 विकास खण्ड—नौगढ़**जनपद—सिद्धार्थनगर****प्रस्तर संख्या—26**

ग्राम पंचायत की लेखापरीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्ष 14—15 में विभिन्न तिथियों में कुल रुपया 718477.00 का स्टाक क्रय किया जाना रोकड़ बही में अंकित है। परन्तु लेखापरीक्षा में क्रय स्टाक क्रय की पुष्टि में न तो कोटेशन ही प्रस्तुत किया गया है और न ही उससे संबंधित प्रमाणक ही प्रस्तुत किया गया है। स्टाक क्रय के भुगतान की स्वीकृती भी निर्माण समिति से नहीं कराई गई है। धन का भुगतान फर्म को एकाउन्ट पेई चेक के द्वारा न कर के नगद किया गया है। स्पष्ट है कि स्टाक का क्रय दर्शाकर रु0 718477.00 का अपहरण ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शैलेन्द्र गुप्ता एवं ग्राम प्रधान श्रीमती शुभावती द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री शैलेन्द्र गुप्ता से रु0 359238.50 एवं ग्राम प्रधान श्रीमती शुभावती से रु0 359238.50 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
718477.00	—	—	718477.00

प्रस्तर संख्या—27

आलोच्य वर्षों की लेखापरीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि ग्राम निधि प्रथम् खातें से रु0 162108.00 का भुगतान मजदूरी के रूप में किया जाना रोकड़ बही में दर्शित है। परन्तु भुगतानित धनराशि की पुष्टि में तिथिवार मस्टर रोल लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे मजदूरी पर किये गये भुगतान की सत्यता प्रमाणित नहीं की जा सकती। कराये गये कार्यों का कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे कार्य पूर्ण हाने की पुष्टि नहीं की जा सकी। स्पष्ट है कि ग्रा0प0अधि0 एवं ग्राम प्रधान द्वारा मजदूरी पर भुगतान दर्शाकर धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री शैलेन्द्र गुप्ता से रु0 81054.00 एवं ग्राम प्रधान श्रीमती शुभावती से रु0 81054.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
162108.00	—	—	162108.00

13—ग्राम पंचायत—बरगदवा लेखा परीक्षा वर्ष— 2014—15 विकास खण्ड—नौगढ़**जनपद—सिद्धार्थनगर****प्रस्तर संख्या—28**

ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्ष 14—15 में विभिन्न तिथियों में कुल रुपया 614457.00 का स्टाक क्रय किया जाना रोकड़ बही में अंकित है। परन्तु लेखा परीक्षा में क्रय स्टाक की पुष्टि में न तो कोटेशन ही प्रस्तुत किया गया है और न ही उससे संबंधित प्रमाणक ही प्रस्तुत किया गया है। स्टाक क्रय के भुगतान की स्वीकृती भी निर्माण समिति से नहीं कराई गई है। धन का भुगतान फर्म को एकाउन्ट पेई चेक के द्वारा न कर के नगद किया गया है। स्पष्ट है कि स्टाक का क्रय दर्शाकर रु0 614457.00 का अपहरण ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शैलेन्द्र गुप्ता एवं ग्राम प्रधान श्रीमती तशी बुन्सिा द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री शैलेन्द्र गुप्ता से रु0 307228.50 एवं ग्राम प्रधान श्रीमती तशी बुन्सिा से रु0 307228.50 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
614457.00	—	—	614457.00

प्रस्तर संख्या-29

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि ग्राम निधि प्रथम खातों से रु0 120315.00 का भुगतान मजदूरी के रूप में किया जाना रोकड़ बही में दर्शित है। परन्तु भुगतानित धनराशि की पुष्टि में तिथिवार मस्टर रोल लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे मजदूरी पर किये गये भुगतान की सत्यता प्रमाणित नहीं की जा सकती, कराये गये कार्यों का कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे कार्य पूर्ण हाने की पुष्टि नहीं की जा सकी। स्पष्ट है कि ग्रा0प0अधि0 एवं ग्राम प्रधान द्वारा मजदूरी पर भुगतान दर्शाकर धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री शैलेन्द्र गुप्ता से रु0 60157.50 एवं ग्राम प्रधान श्रीमती तशीबुन्निसा से रु0 60157.50 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
120315.00	—	—	120315.00

14-ग्राम पंचायत-सिसवाग्रान्त लेखा परीक्षा वर्ष- 2014-15

विकास खण्ड-नौगढ़

जनपद-सिद्धार्थनगर

प्रस्तर संख्या-30

ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्ष 14-15 में विभिन्न तिथियों में कुल रुपया 333000.00 का स्टॉक क्रय किया जाना रोकड़ बही में अंकित है। परन्तु लेखा परीक्षा में क्रय स्टॉक की पुष्टि में न तो कोटेशन ही प्रस्तुत किया गया है और न ही उससे सम्बंधित प्रमाणक ही प्रस्तुत किया गया है। स्टॉक क्रय के भुगतान की स्वीकृति भी निर्माण समिति से नहीं कराई गई है। धन का भुगतान फर्म को एकाउन्ट पेई चेक के द्वारा न कर के नगद किया गया है। स्पष्ट है कि स्टॉक का क्रय दर्शाकर रु0 333000.00 का अपहरण ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विनय कुमार एवं ग्राम प्रधान श्री मकसूद द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री विनय कुमार से रु0 166500.00 एवं ग्राम प्रधान श्री मकसूदसे रु 166500.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
333000.00	—	—	333000.00

प्रस्तर संख्या-31

आलोच्य वर्ष की लेखापरीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि ग्राम निधि प्रथम खातों से रु0 89548.00 का भुगतान मजदूरी के रूप में किया जाना रोकड़ बही में दर्शित है। परन्तु भुगतानित धनराशि की पुष्टि में तिथिवार मस्टर रोल लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे मजदूरी पर किये गये भुगतान की सत्यता प्रमाणित नहीं की जा सकती कराये गये कार्यों का कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे कार्य पूर्ण होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। स्पष्ट है कि ग्रा0प0अधि0 एवं ग्राम प्रधान द्वारा मजदूरी पर भुगतान दर्शाकर धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास

अधिकारी श्री विनय कुमार से रु0 44774.00 एवं ग्राम प्रधान श्री मकसूद से रु0 44774.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
89548.00	—	—	89548.00

15—ग्राम पंचायत —शाहा लेखा परीक्षा वर्ष— 2014—15 विकास खण्ड—नौगढ़ जनपद—सिद्धार्थनगर प्रस्तर संख्या—32

वर्ष 14—15 की लेखा परीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि राज्य वित्त/तेरहवें वित्त खाते से विभिन्न तिथियों में रु0 524807.00 का व्यय, सामग्री क्रय एवं मजदूरी भुगतान में कैश बुक में अंकित विवरण के अनुसार किया गया है। कैशबुक में सामग्री क्रय एवं मजदूरी भुगतान में न सम्मिलित रूप से दर्शाया गया है। परन्तु लेखा परीक्षा में स्टॉक क्रय की पुष्टि तो कोटेशन ही प्रस्तुत किया गया है और न ही उससे संबंधित चालान, बिल वाउचर प्रस्तुत किया गया है। क्रय स्टॉक की भुगतान की स्वीकृती भी निर्माण समिति से नहीं करायी गयी है। धन का भुगतान फर्म को एकाउन्ट पेई चेक के द्वारा न कर के नगद किया गया है। मजदूरी भुगतान के पुष्टि में तिथिवार मस्टर रोल भी लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। स्पष्ट है कि मस्टर रोल के अभाव में भुगतान काल्पनिक रहा। स्पष्ट है की स्टॉक क्रय एवं मजदूरी भुगतान दर्शाकर रु0 524807.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्रा0प0अधि0 श्री संजय पाण्डेय से रु0 262403.50 एवं ग्राम प्रधान श्रीमती सत्यभामा से रु 262403.50 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
524807.00	—	—	524807.00

16—ग्राम पंचायत —बसौनी लेखा परीक्षा वर्ष— 2014—15 विकास खण्ड—नौगढ़ जनपद—सिद्धार्थनगर प्रस्तर संख्या—33

वर्ष 14—15 की लेखा परीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि राज्य वित्त/तेरहवें वित्त खाते से विभिन्न तिथियों में रु0 462435.00 का व्यय, सामग्री क्रय एवं मजदूरी भुगतान में कैशबुक में अंकित विवरण के अनुसार किया गया है। कैश बुक में सामग्री क्रय एवं मजदूरी भुगतान सम्मिलित रूप से दर्शाया गया है। परन्तु लेखापरीक्षा में स्टॉक क्रय की पुष्टि में न तो कोटेशन ही प्रस्तुत किया गया है और न ही उससे संबंधित चालान, बिल वाउचर प्रस्तुत किया गया है। क्रय स्टॉक की भुगतान की स्वीकृती भी निर्माण समिति से नहीं करायी गयी है। धन का भुगतान फर्म को एकाउन्ट पेई चेक के द्वारा न कर के नगद किया गया है। मजदूरी भुगतान के पुष्टि में तिथिवार मस्टर रोल भी लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। स्पष्ट है कि मस्टर रोल के अभाव में भुगतान काल्पनिक रहा। स्पष्ट है की स्टॉक क्रय एवं मजदूरी भुगतान दर्शाकर रु0 462435.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्रा0प0अधि0 श्री सुजीत जायसवाल से रु0 231217.50 एवं ग्राम प्रधान श्रीमती चन्दा से रु0 231217.50 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
462435.00	—	—	462435.00

17—ग्राम पंचायत—सेमरियाँव लेखा परीक्षा वर्ष— 2014—15 विकास खण्ड—नौगढ़**जनपद—सिद्धार्थनगर****प्रस्तर संख्या—34**

वर्ष 14—15 की लेखा परीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि राज्य वित्त/तेरहवें वित्त खाते से विभिन्न तिथियों में रु0 611830.00 का व्यय, सामग्री क्रय एवं मजदूरी भुगतान में कैश बुक में अंकित विवरण के अनुसार किया गया है। कैश बुक में सामग्री क्रय एवं मजदूरी भुगतान सम्मिलित रूप से दर्शाया गया है। परन्तु लेखापरीक्षा में स्टॉक क्रय की पुष्टि में न तो कोटेशन ही प्रस्तुत किया गया है और न ही उससे संबंधित चालान बिल वाउचर प्रस्तुत किया गया है। क्रय स्टॉक की भुगतान की स्वीकृति भी निर्माण समिति से नहीं करायी गयी है। धन का भुगतान फर्म को एकाउन्ट पेई चेक के द्वारा न कर के नगद किया गया है। मजदूरी भुगतान के पुष्टि में तिथिवार मस्टर रोल भी लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। स्पष्ट है कि मस्टर रोल के अभाव में भुगतान का तथ्य नहीं रहा। स्पष्ट है कि स्टॉक क्रय एवं मजदूरी भुगतान दर्शा कर रु0 611830.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्रा0प0अधि श्री संजय पाण्डेय से रु0 305915.00 एवं ग्राम प्रधान श्रीमती विनिता देवी से रु0 305915.50 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
611830.00	—	—	611830.00

18—ग्राम पंचायत—कुशभैना लेखा परीक्षा वर्ष— 2014—15 विकास खण्ड—नौगढ़**जनपद—सिद्धार्थनगर**

प्रस्तर संख्या—35—ग्राम पंचायत की लेखापरीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्ष 14—15 में विभिन्न तिथियों में कुल रुपया 307767.00 का स्टॉक क्रय किया जाना रोकड़ बही में अंकित है। परन्तु लेखापरीक्षा में क्रय स्टॉक की पुष्टि में न तो कोटेशन ही प्रस्तुत किया गया है और न ही उससे सम्बंधित प्रमाणक ही प्रस्तुत किया गया है। स्टॉक क्रय के भुगतान की स्वीकृति भी निर्माण समिति से नहीं कराई गई है। धन का भुगतान फर्म को एकाउन्ट पेयी चेक के द्वारा न कर के नगद किया गया है। स्पष्ट है कि स्टॉक का क्रय दर्शाकर रु0 307767.00 का अपहरण ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विनय कुमार एवं ग्राम प्रधान श्री बेकारु द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री विनय कुमार से रु0 153883.50 एवं ग्राम प्रधान श्री बेकारु से रु0 153883.50 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
307767.00	—	—	307767.00

प्रस्तर संख्या—36

आलोच्य वर्षों की लेखापरीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि ग्राम निधि प्रथम खातों से रु0 42128.00 का भुगतान मजदूरी के रूप में किया जाना रोकड़ बही में दर्शित है। परन्तु भुगतानित धनराशि की पुष्टि में तिथिवार मस्टर रोल लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे मजदूरी पर किये गये भुगतान की सत्यता प्रमाणित नहीं की जा सकती। कराये गये कार्यों का कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे कार्य पूर्ण होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। स्पष्ट है कि ग्रा0प0अधि0 एवं ग्राम प्रधान द्वारा मजदूरी पर भुगतान दर्शाकर धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री विनय कुमार से रु0 21064.00 एवं ग्राम प्रधान श्री बेकारु से रु0 21064.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
42128.00	—	—	42128.00

19—ग्राम पंचायत—जगदीशपुर राजा लेखा परीक्षा वर्ष—2014—15 विकास खण्ड—नौगढ़

जनपद—सिद्धार्थनगर

प्रस्तर संख्या—37

ग्राम पंचायत की लेखापरीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्ष 14—15 में विभिन्न तिथियों में कुल रुपया 690000.00 का स्टाक क्रय किया जाना रोकड़ बही में अंकित है। परन्तु लेखापरीक्षा में क्रय स्टाक की पुष्टि में न तो कोटेशन ही प्रस्तुत किया गया है और न ही उससे सम्बंधित प्रमाणक ही प्रस्तुत किया गया है। स्टाक क्रय के भुगतान की स्वीकृति भी निर्माण समिति से नहीं कराई गई है। धन का भुगतान फर्म को एकाउन्ट पेई चेक के द्वारा न कर के नगद किया गया है। स्पष्ट है कि स्टाक का क्रय दर्शाकर रु0 690000.00 का अपहरण ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुजीत जायसवाल एवं ग्राम प्रधान श्रीमती आरती द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री सुजीत जायसवाल से रु0 345000.00 एवं ग्राम प्रधान श्री आरती से रु0 345000.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
690000.00	—	—	690000.00

प्रस्तर संख्या—38

आलोच्य वर्षों की लेखापरीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि ग्रामनिधि प्रथम् खातों से रु0 172000.00 का भुगतान मजदूरी के रूप में किया जाना रोकड़ बही में दर्शित है। परन्तु भुगतानित धनराशि की पुष्टि में तिथिवार मस्टररोल लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे मजदूरी पर किये गये भुगतान की सत्यता प्रमाणित नहीं की जा सकती। कराये गये कार्यों का कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र भी लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे कार्य पूर्ण हाने की पुष्टि नहीं की जा सकी। स्पष्ट है कि ग्रा0प0अधि0 एवं ग्राम प्रधान द्वारा मजदूरी पर भुगतान दर्शाकर धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री सुजीत जायसवाल से रु0 86000.00 एवं ग्राम प्रधान श्रीमती आरती से रु0 86000.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
172000.00	—	—	172000.00

20—ग्राम पंचायत —पिपरा पाण्डेय लेखा परीक्षा वर्ष— 2014—15 विकास खण्ड—नौगढ़

जनपद—सिद्धार्थनगर

प्रस्तर संख्या—39

वर्ष 14—15 की लेखा परीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि राज्य वित्त/तेरहवें वित्त खाते से विभिन्न तिथियों में रु0 417000.00 का व्यय, सामग्री क्रय एवं मजदूरी भुगतान में कैश बुक में अंकित विवरण के अनुसार किया गया है। कैश बुक में सामग्री क्रय एवं मजदूरी भुगतान सम्मिलित रूप से दर्शाया गया है। परन्तु लेखापरीक्षा में स्टाक क्रय की पुष्टि में न तो कोटेशन ही प्रस्तुत किया गया है और न ही उससे संबंधित चालान, बिल वाउचर प्रस्तुत किया गया है। क्रय स्टाक की भुगतान की स्वीकृति भी निर्माण समिति से नहीं करायी गयी है। धन का भुगतान फर्म को एकाउन्ट पेई चेक के द्वारा न कर के नगद किया गया है। मजदूरी

भुगतान के पुष्टि मे तिथिवार मस्टर रोल भी लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। स्पष्ट है कि मस्टर रोल के अभाव में भुगतान काल्पनिक रहा। स्पष्ट है की स्टाक क्रय एवं मजदूरी भुगतान दर्शा कर रु0 417000.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्रा0प0अधि श्री केशभान यादव से रु0 208500.00 एवं ग्राम प्रधान श्रीमती कल्पलता से रु0 208500.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
417000.00	—	—	417000.00

21—ग्राम पंचायत—बेलवा लेखा परीक्षा वर्ष— 2014—15 विकास खण्ड—नौगढ़ जनपद—सिद्धार्थनगर

प्रस्तर संख्या—40

वर्ष 14—15 की लेखा परीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि राज्य वित्त/तेरहवें वित्त खाते से विभिन्न तिथियों में रु0 709554.00 का व्यय, सामग्री क्रय एवं मजदूरी भुगतान मे कैश बुक में अंकित विवरण के अनुसार किया गया है। कैश बुक में सामग्री क्रय एवं मजदूरी भुगतान सम्मिलित रुप से दर्शाया गया है। परन्तु लेखापरीक्षा मे स्टाक क्रय की पुष्टि में न तो कोटेशन ही प्रस्तुत किया गया है और न ही उससे संबंधित चालान बिल वाउचर प्रस्तुत किया गया है। क्रय स्टाक की भुगतान की स्वीकृती भी निर्माण समिति से नहीं करायी गयी है। धन का भुगतान फर्म को एकाउन्ट पेई चेक के द्वारा न कर के नगद किया गया है। मजदूरी भुगतान के पुष्टि मे तिथिवार मस्टर रोल भी लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। स्पष्ट है कि मस्टर रोल के अभाव में भुगतान काल्पनिक रहा। स्पष्ट है की स्टाक क्रय एवं मजदूरी भुगतान दर्शा कर रु0 709554.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्रा0प0अधि श्री केशभान यादव से रु0 354777.00 एवं ग्राम प्रधान श्री रमाशंकर सिंह से रु0 354777.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
709554.00	—	—	709554.00

22—ग्राम पंचायत—चनरगड्डी लेखा परीक्षा वर्ष— 2014—15 विकास खण्ड—नौगढ़ जनपद—सिद्धार्थनगर

प्रस्तर संख्या—41

वर्ष 14—15 की लेखा परीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि राज्य वित्त/तेरहवें वित्त खाते से विभिन्न तिथियों में रु0 519265.00 का व्यय, सामग्री क्रय एवं मजदूरी भुगतान मे कैश बुक में अंकित विवरण के अनुसार किया गया है। कैश बुक में सामग्री क्रय एवं मजदूरी भुगतान सम्मिलित रुप से दर्शाया गया है परन्तु लेखापरीक्षा मे स्टाक क्रय की पुष्टि में न तो कोटेशन ही प्रस्तुत किया गया है और न ही उससे संबंधित चालान बिल वाउचर प्रस्तुत किया गया है। क्रय स्टाक की भुगतान की स्वीकृति भी निर्माण समिति से नहीं करायी गयी है। धन का भुगतान फर्म को एकाउन्ट पेई चेक के द्वारा न कर के नगद किया गया है। मजदूरी भुगतान के पुष्टि मे तिथिवार मस्टर रोल भी लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। स्पष्ट है कि मस्टर रोल के अभाव में भुगतान काल्पनिक रहा। स्पष्ट है की स्टाक क्रय एवं मजदूरी भुगतान दर्शा कर रु0 519265.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्रा0प0अधि0 श्री केशभान यादव से रु0 259632.50 एवं ग्राम प्रधान श्रीमती किशलावती से रु0 259632.50 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
519265.00	—	—	519265.00

23—ग्राम पंचायत —सरौता लेखा परीक्षा वर्ष— 2014—15 विकास खण्ड—नौगढ़**जनपद—सिद्धार्थनगर****प्रस्तर संख्या—42**

वर्ष 14—15 की लेखा परीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि राज्य वित्त/तेरहवें वित्त खाते से विभिन्न तिथियों में रु0 749429.00 का व्यय, सामग्री क्रय एवं मजदूरी भुगतान में कैश बुक में अंकित विवरण के अनुसार किया गया है। कैश बुक में सामग्री क्रय एवं मजदूरी भुगतान सम्मिलित रूप से दर्शाया गया है। परन्तु लेखापरीक्षा में स्टॉक क्रय की पुष्टि में न तो कोटेशन ही प्रस्तुत किया गया है और न ही उससे संबंधित चालान, बिल वाउचर प्रस्तुत किया गया है। क्रय स्टॉक की भुगतान की स्वीकृति भी निर्माण समिति से नहीं करायी गयी है। धन का भुगतान फर्म को एकाउन्ट पेई चेक के द्वारा न कर के नगद किया गया है। मजदूरी भुगतान के पुष्टि में तिथिवार मस्टर रोल भी लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। स्पष्ट है कि मस्टर रोल के अभाव में भुगतान काल्पनिक रहा। स्पष्ट है की स्टॉक क्रय एवं मजदूरी भुगतान दर्शा कर रु0 749249.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्रा0प0अधि श्री केशभान यादव से रु0 374714.50 एवं ग्राम प्रधान श्री राजनारायन से रु0 374714.50 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
749429.00	—	—	749429.00

24—ग्राम पंचायत —पारानानकार लेखा परीक्षा वर्ष— 2014—15 विकास खण्ड—नौगढ़**जनपद—सिद्धार्थनगर****प्रस्तर संख्या—43**

वर्ष 14—15 की लेखा परीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि राज्य वित्त/तेरहवें वित्त खाते से विभिन्न तिथियों में रु0 750064.00 का व्यय, सामग्री क्रय एवं मजदूरी भुगतान में कैश बुक में अंकित विवरण अनुसार किया गया है। कैश बुक में सामग्री क्रय एवं मजदूरी भुगतान सम्मिलित रूप से दर्शाया गया है। परन्तु लेखापरीक्षा में स्टॉक क्रय की पुष्टि में न तो कोटेशन ही प्रस्तुत किया गया है और न ही उससे संबंधित चालान, बिल वाउचर प्रस्तुत किया गया है। क्रय स्टॉक की भुगतान की स्वीकृति भी निर्माण समिति से नहीं करायी गयी है। धन का भुगतान फर्म को एकाउन्ट पेई चेक के द्वारा न कर के नगद किया गया है। मजदूरी भुगतान के पुष्टि में तिथिवार मस्टर रोल भी लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। स्पष्ट है कि मस्टर रोल के अभाव में भुगतान काल्पनिक रहा। स्पष्ट है की स्टॉक क्रय एवं मजदूरी भुगतान दर्शाकर रु0 750064.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्रा0प0अधि श्री केशभान यादव से रु0 375032.00 एवं ग्राम प्रधान श्रीमती गिरजा से रु0 375032.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
750064.00	—	—	750064.00

25—ग्राम पंचायत —मधुकरपुर लेखा परीक्षा वर्ष— 2014—15 विकास खण्ड—नौगढ़**जनपद—सिद्धार्थनगर****प्रस्तर संख्या—44**

वर्ष 14—15 की लेखा परीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि राज्य वित्त/तेरहवें वित्त खाते से विभिन्न तिथियों में रु0 574416.00 का व्यय, सामग्री क्रय एवं मजदूरी भुगतान में कैश बुक में अंकित विवरण के अनुसार किया गया है। कैश बुक में सामग्री क्रय एवं मजदूरी भुगतान सम्मिलित रूप से दर्शाया गया है। परन्तु लेखापरीक्षा में स्टॉक क्रय की पुष्टि में न तो कोटेशन ही प्रस्तुत किया गया है और न ही उससे संबंधित चालान बिल वाउचर प्रस्तुत किया गया है। क्रय स्टॉक की भुगतान की स्वीकृति भी निर्माण समिति से नहीं

करायी गयी है। धन का भुगतान फर्म को एकाउन्ट पेई चेक के द्वारा न कर के नगद किया गया है। मजदूरी भुगतान के पुष्टि में तिथिवार मस्टर रोल भी लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। स्पष्ट है कि मस्टर रोल के अभाव में भुगतान काल्पनिक रहा। स्पष्ट है की स्टाक क्रय एवं मजदूरी भुगतान दर्शा कर रु0 574416.00 का अपहरण कर लिया गया हैं जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्रा0प0अधि श्री सुरेश पाण्डेय से रु0 287208.00 एवं ग्राम प्रधान श्रीमती चिनकी से रु0 287208.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
574416.00	—	—	574416.00

26—ग्राम पंचायत —धौरीकुईयाँ लेखा परीक्षा वर्ष— 2014—15 विकास खण्ड—नौगढ़

जनपद—सिद्धार्थनगर

प्रस्तर संख्या—45

वर्ष 14—15 की लेखा परीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि राज्य वित्त/तेरहवें वित्त खाते से विभिन्न तिथियों में रु0 1036581.00 का व्यय, सामग्री क्रय एवं मजदूरी भुगतान में कैश बुक में अंकित विवरण के अनुसार किया गया है। कैश बुक में सामग्री क्रय एवं मजदूरी भुगतान सम्मिलित रुप से दर्शाया गया है। परन्तु लेखापरीक्षा में स्टाक क्रय की पुष्टि में न तो कोटेशन ही प्रस्तुत किया गया है और न ही उससे संबंधित चालान बिल वाउचर प्रस्तुत किया गया है। क्रय स्टाक की भुगतान की स्वीकृती भी निर्माण समिति से नहीं करायी गयी है। धन का भुगतान फर्म को एकाउन्ट पेई के द्वारा न कर के नगद किया गया है। मजदूरी भुगतान के पुष्टि में तिथिवार मस्टर रोल भी लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। स्पष्ट है कि मस्टर रोल के अभाव में भुगतान काल्पनिक रहा। स्पष्ट है की स्टाक क्रय एवं मजदूरी भुगतान दर्शा कर रु0 1036581.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्रा0प0अधि0 श्री विनय श्रीवास्तव से रु0 518290.50 एवं ग्राम प्रधान श्रीमती अनिता से रु0 518290.50 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
1036581.00	—	—	1036581.00

27—ग्राम पंचायत —रेहरा लेखा परीक्षा वर्ष— 2014—15 विकास खण्ड—नौगढ़

जनपद—सिद्धार्थनगर

प्रस्तर संख्या—46

वर्ष 14—15 की लेखा परीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि राज्य वित्त/तेरहवें वित्त खाते से विभिन्न तिथियों में रु0 868606.00 का व्यय, सामग्री क्रय एवं मजदूरी भुगतान में कैश बुक में अंकित विवरण के अनुसार किया गया है। कैश बुक में सामग्री क्रय एवं मजदूरी भुगतान सम्मिलित रुप से दर्शाया गया है। परन्तु लेखापरीक्षा में स्टाक क्रय की पुष्टि में न तो कोटेशन ही प्रस्तुत किया गया है और न ही उससे संबंधित चालान, बिल वाउचर प्रस्तुत किया गया है। क्रय स्टाक की भुगतान की स्वीकृती भी निर्माण समिति से नहीं करायी गयी है। धन का भुगतान फर्म को एकाउन्ट पेई चेक के द्वारा न कर के नगद किया गया है। मजदूरी भुगतान के पुष्टि में तिथिवार मस्टर रोल भी लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। स्पष्ट है कि मस्टर रोल के अभाव में भुगतान काल्पनिक रहा। स्पष्ट है की स्टाक क्रय एवं मजदूरी भुगतान दर्शा कर रु0 868606.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्रा0प0अधि श्री केशभान यादव से रु0 434303.00 एवं ग्राम प्रधान श्रीमती मंजू से रु0 434303.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
868606.00	—	—	868606.00

28—ग्राम पंचायत —महदेवा नानकार लेखा परीक्षा वर्ष— 2014—15 विकास खण्ड—नौगढ़

जनपद—सिद्धार्थनगर

प्रस्तर संख्या—47

वर्ष 14—15 की लेखा परीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि राज्य वित्त/तेरहवें वित्त खाते से विभिन्न तिथियों में रु0 766398.00 का व्यय ,सामग्री क्रय एवं मजदूरी भुगतान मे कैश बुक में अंकित विवरण के अनुसार किया गया है। कैश बुक में सामग्री क्रय एवं मजदूरी भुगतान सम्मिलित रुप से दर्शाया गया है। परन्तु लेखा परीक्षा मे स्टाक क्रय की पुष्टि में न तो कोटेशन ही प्रस्तुत किया गया है और न ही उससे संबंधित चालान, बिल वाउचर प्रस्तुत किया गया है। क्रय स्टाक की भुगतान की स्वीकृती भी निर्माण समिति से नहीं करायी गयी है। धन का भुगतान फर्म को एकाउन्ट पेई चेक के द्वारा न कर के नगद किया गया है। मजदूरी भुगतान के पुष्टि में तिथिवार मस्टर रोल भी लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। स्पष्ट है कि मस्टर रोल के अभाव में भुगतान काल्पनिक रहा। स्पष्ट है की स्टाक क्रय एवं मजदूरी भुगतान दर्शाकर रु0 766398.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्रा0प0अधि श्री केशभान यादव से रु0 383199.00 एवं ग्राम प्रधान श्री बुद्धिसागर से रु0 383199.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
766398.00	—	—	766398.00

29—ग्राम पंचायत —धेन्सानानकार लेखा परीक्षा वर्ष— 2014—15 विकास खण्ड—नौगढ़

जनपद—सिद्धार्थनगर

प्रस्तर संख्या—48

वर्ष 14—15 की लेखा परीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि राज्य वित्त/तेरहवें वित्त खाते से विभिन्न तिथियों में रु0 568039.00 का व्यय, सामग्री क्रय एवं मजदूरी भुगतान मे कैश बुक में अंकित विवरण के अनुसार किया गया है। कैश बुक में सामग्री क्रय एवं मजदूरी भुगतान सम्मिलित रुप से दर्शाया गया है। परन्तु लेखापरीक्षा मे स्टाक क्रय की पुष्टि में न तो कोटेशन ही प्रस्तुत किया गया है और न ही उससे संबंधित चालान, बिल वाउचर प्रस्तुत किया गया है। क्रय स्टाक की भुगतान की स्वीकृती भी निर्माण समिति से नहीं करायी गयी है। धन का भुगतान फर्म को एकाउन्ट पेई चेक के द्वारा न कर के नगद किया गया है। मजदूरी भुगतान के पुष्टि मे तिथिवार मस्टर रोल भी लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। स्पष्ट है कि मस्टर रोल के अभाव में भुगतान काल्पनिक रहा। स्पष्ट है की स्टाक क्रय एवं मजदूरी भुगतान दर्शा कर रु0 568309.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्रा0प0अधि0 श्री सुरेश पाण्डेय से रु0 284019.50 एवं ग्राम प्रधान श्री चन्द्रभान से रु0 284019.50 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
568039.00	—	—	568039.00

**30—ग्राम पंचायत—खलीलपुर लेखा परीक्षा वर्ष—2014—15 विकास खण्ड—नौगढ़ जनपद—सिद्धार्थनगर
प्रस्तर संख्या—49**

ग्राम पंचायत की लेखापरीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्ष 14—15 में विभिन्न तिथियों में कुल रुपया 2035254.00 का स्टाक क्रय किया जाना रोकड़ बही में अंकित है। परन्तु लेखापरीक्षा में क्रय स्टाक की पुष्टि में न तो कोटेशन ही प्रस्तुत किया गया है और न ही उससे सम्बंधित प्रमाणक ही प्रस्तुत किया गया है। स्टाक क्रय के भुगतान की स्वीकृती भी निर्माण समिति से नहीं कराई गई है। धन का भुगतान फर्म को अकाउन्ट पेयी पी.एस.डी. अकाउन्ट पेयी पी.एस.डी. के द्वारा न कर के नगद किया गया है। स्पष्ट है कि स्टाक का क्रय दर्शाकर रु0 2035254.00 का अपहरण ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जयसिंह सोनकर एवं ग्राम प्रधान श्री रामनिवास द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री जयसिंह सोनकर से रु0 1017627.00 एवं ग्राम प्रधान श्री राम निवास से रु0 1017627.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
2035254.00	—	—	2035254.00

प्रस्तर संख्या—50

आलोच्य वर्ष की लेखापरीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि ग्राम निधि प्रथम् खातें से रु0 266172.00 का भुगतान मजदूरी के रूप में किया जाना रोकड़ बही में दर्शित है। परन्तु भुगतानित धनराशि की पुष्टि में तिथिवार मस्टर रोल लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे मजदूरी पर किये गये भुगतान की सत्यता प्रमाणित नहीं की जा सकती। कराये गये कार्यों का कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे कार्य पूर्ण होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। स्पष्ट है कि ग्रा0प0अधि0 एवं ग्राम प्रधान द्वारा मजदूरी पर भुगतान दर्शाकर धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री जय सिंह सोनकर से रु0 133086.00 एवं ग्राम प्रधान श्री राम निवास से रु0 133086.50 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
266172.00	—	—	266172.00

**31—ग्राम पंचायत—मुड़िला लेखा परीक्षा वर्ष—2014—15 विकास खण्ड—नौगढ़
जनपद—सिद्धार्थनगर**

प्रस्तर संख्या—51

ग्राम पंचायत की लेखापरीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्ष 14—15 में विभिन्न तिथियों में कुल रुपया 930269.00 का स्टाक क्रय किया जाना रोकड़ बही में अंकित है। परन्तु लेखापरीक्षा में क्रय स्टाक की पुष्टि में न तो कोटेशन ही प्रस्तुत किया गया है और न ही उससे सम्बंधित प्रमाणक ही प्रस्तुत किया गया है। स्टाक क्रय के भुगतान की स्वीकृती भी निर्माण समिति से नहीं कराई गई है। धन का भुगतान फर्म को अकाउन्ट पेयी चेक के द्वारा न कर के नगद किया गया है। स्पष्ट है कि स्टाक का क्रय दर्शाकर रु 930269.00 का अपहरण ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जय सिंह सोनकर एवं ग्राम प्रधान श्री रामनिवास द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री जय सिंह सोनकर से रु0 465134.50 एवं ग्राम प्रधान श्री मसूद आलम से रु0 465134.50 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
930269.00	—	—	930269.00

प्रस्तर संख्या—53

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि ग्राम निधि प्रथम् खातें से रु0 160840.00 का भुगतान मजदूरी के रुप मे किया जाना रोकड़ बही में दर्शित है। परन्तु भुगतानित धनराशि की पुष्टि में तिथिवार मस्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे मजदूरी पर किये गये भुगतान की सत्यता प्रमाणित नहीं की जा सकती, कराये गये कार्यों का कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे कार्य पूर्ण होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। स्पष्ट है कि ग्रा0प0अधि0 एवं ग्राम प्रधान द्वारा मजदूरी पर भुगतान दर्शाकर धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री जय सिंह सोनकर से रु0 80420.00 एवं ग्राम प्रधान श्री मकसूद आलम से रु0 80420.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
160840.00	—	—	160840.00

32—ग्राम पंचायत —झंगटी लेखा परीक्षा वर्ष— 2014—15 विकास खण्ड—बर्डपुर जनपद—सिद्धार्थनगर प्रस्तर संख्या—53

वर्ष 14—15 की लेखा परीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि राज्य वित्त/तेरहवें वित्त खाते से विभिन्न तिथियों में रु0 1267920.00 का व्यय, सामग्री क्रय एवं मजदूरी भुगतान मे कैश बुक में अंकित विवरण के अनुसार किया गया है। कैश बुक में सामग्री क्रय एवं मजदूरी भुगतान सम्मिलित रुप से दर्शाया गया है। परन्तु लेखापरीक्षा मे स्टॉक क्रय की पुष्टि में न तो कोटेशन ही प्रस्तुत किया गया है और न ही उससे संबंधित चालान, बिल वाउचर प्रस्तुत किया गया है। क्रय स्टॉक की भुगतान की स्वीकृती भी निर्माण समिति से नहीं करायी गयी है। धन का भुगतान फर्म को एकाउन्ट पेई चेक के द्वारा न कर के नगद किया गया है। मजदूरी भुगतान के पुष्टि में तिथिवार मस्टर रोल भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। स्पष्ट है कि मस्टर रोल के अभाव में भुगतान काल्पनिक रहा। स्पष्ट है की स्टॉक क्रय एवं मजदूरी भुगतान दर्शा कर रु0 1267920.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्रा0प0अधि0 श्रीमती सुमन से रु0 633960.00 एवं ग्राम प्रधान श्री उपेन्द्र मणि से रु0 633960.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
1267920.00	—	—	1267920.00

33—ग्राम पंचायत —बर्डपुर न0—12 लेखा परीक्षा वर्ष— 2014—15 विकास खण्ड—बर्डपुर जनपद—सिद्धार्थनगर

प्रस्तर संख्या—54

वर्ष 14—15 की लेखा परीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि राज्य वित्त/तेरहवें वित्त खाते से विभिन्न तिथियों में रु0 443862.00 का व्यय, सामग्री क्रय एवं मजदूरी भुगतान मे कैश बुक में अंकित विवरण के अनुसार किया गया है। कैश बुक में सामग्री क्रय एवं मजदूरी भुगतान सम्मिलित रुप से दर्शाया गया है।

परन्तु लेखापरीक्षा मे स्टाक क्रय की पुष्टि में न तो कोटेशन ही प्रस्तुत किया गया है और न ही उससे संबंधित चालान बिल वाउचर प्रस्तुत किया गया है। क्रय स्टाक की भुगतान की स्वीकृती भी निर्माण समिति से नहीं करायी गयी है। धन का भुगतान फर्म को एकाउन्ट पेई चेक के द्वारा न कर के नगद किया गया है। मजदूरी भुगतान के पुष्टि में तिथिवार मस्टर रोल भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। स्पष्ट है कि मस्टर रोल के अभाव में भुगतान काल्पनिक रहा। स्पष्ट है की स्टाक क्रय एवं मजदूरी भुगतान दर्शा कर रु0 443862.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्रा0प0अधि0 श्रीमती सुमन से रु0 221931.00 एवं ग्राम प्रधान श्रीमती मान्ती से रु0 221931.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
443862.00	—	—	443862.00

34—ग्राम पंचायत—मरचा लेखा परीक्षा वर्ष—2010—11 से 2014—15 विकास खण्ड—बाँसी जनपद—सिद्धार्थनगर

प्रस्तर संख्या—55

वर्ष 14—15 की लेखा परीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि राज्य वित्त/तेरहवें वित्त खाते से विभिन्न तिथियों में रु0 498852.00 का व्यय, सामग्री क्रय एवं मजदूरी भुगतान मे कैश बुक में अंकित विवरण के अनुसार किया गया है। कैश बुक में सामग्री क्रय एवं मजदूरी भुगतान सम्मिलित रुप से दर्शाया गया है। परन्तु लेखापरीक्षा मे स्टाक क्रय की पुष्टि में न तो कोटेशन ही प्रस्तुत किया गया है और न ही उससे संबंधित चालान बिल वाउचर प्रस्तुत किया गया है। क्रय स्टाक की भुगतान की स्वीकृती भी निर्माण समिति से नहीं करायी गयी है। धन का भुगतान फर्म को एकाउन्ट पेई चेक के द्वारा न कर के नगद किया गया है। मजदूरी भुगतान के पुष्टि में तिथिवार मस्टर रोल भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। स्पष्ट है कि मस्टर रोल के अभाव में भुगतान काल्पनिक रहा। स्पष्ट है की स्टाक क्रय एवं मजदूरी भुगतान दर्शा कर रु0 498852.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्रा0प0अधि0 श्री दिलीप तिवारी से रु0 249426.00 एवं ग्राम प्रधान श्री हंसनाथ यादव से रु0 249426.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
498852.00	—	—	498852.00

35—ग्राम पंचायत —सेखुईया लेखा परीक्षा वर्ष—2013—14 से 2014—15 विकास खण्ड—बाँसी जनपद—सिद्धार्थनगर

प्रस्तर संख्या—56

वर्ष 14—15 की लेखा परीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि राज्य वित्त/तेरहवें वित्त खाते से विभिन्न तिथियों में रु0 126434.00 का व्यय, सामग्री क्रय एवं मजदूरी भुगतान मे कैश बुक में अंकित विवरण के अनुसार किया गया है। कैश बुक में सामग्री क्रय एवं मजदूरी भुगतान में न सम्मिलित रुप से दर्शाया गया है। परन्तु लेखा परीक्षा मे स्टाक क्रय की पुष्टि तो कोटेशन ही प्रस्तुत किया गया है और न ही उससे संबंधित चालान, बिल वाउचर प्रस्तुत किया गया है। क्रय स्टाक की भुगतान की स्वीकृती भी निर्माण समिति से नहीं करायी गयी है। धन का भुगतान फर्म को एकाउन्ट पेई चेक के द्वारा न कर के नगद किया गया है। मजदूरी भुगतान के पुष्टि में तिथिवार मस्टर रोल भी लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। स्पष्ट है कि मस्टर रोल के अभाव में भुगतान काल्पनिक रहा। स्पष्ट है की स्टाक क्रय एवं मजदूरी भुगतान दर्शा कर रु0 126434.00 का अपहरण

कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्रा0प0अधि0 श्री रामसूरत उपाध्याय से रु0 63217.00 एवं ग्राम प्रधान श्री चन्द्रपाल से रु0 63217.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
126434.00	—	—	126434.00

36—ग्राम पंचायत —बसन्तपुर लेखा परीक्षा वर्ष—2014—15 विकास खण्ड—बाँसी जनपद—सिद्धार्थनगर प्रस्तर संख्या—57

वर्ष 14—15 की लेखा परीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि राज्य वित्त/तेरहवें वित्त खाते से विभिन्न तिथियों में रु0 72342.00 का व्यय, सामग्री क्रय एवं मजदूरी भुगतान में कैश बुक में अंकित विवरण के अनुसार किया गया है। कैश बुक में सामग्री क्रय एवं मजदूरी भुगतान सम्मिलित रूप से दर्शाया गया है। परन्तु लेखा परीक्षा में स्टॉक क्रय की पुष्टि में न तो कोटेशन ही प्रस्तुत किया गया है और न ही उससे संबंधित चालान, बिल वाउचर प्रस्तुत किया गया है। क्रय स्टॉक की भुगतान की स्वीकृति भी निर्माण समिति से नहीं करायी गयी है। धन का भुगतान फर्म को एकाउन्ट पेई चेक के द्वारा न कर के नगद किया गया है। मजदूरी भुगतान के पुष्टि में तिथिवार मस्टर रोल भी लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। स्पष्ट है कि मस्टर रोल के अभाव में भुगतान काल्पनिक रहा। स्पष्ट है कि स्टॉक क्रय एवं मजदूरी भुगतान दर्शा कर रु0 72342.00 का चालानकर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्रा0प0अधि0 श्री सतीश शंकर मिश्र से रु0 36171.00 एवं ग्राम प्रधान श्री रघुवर से रु0 36171.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
72342.00	—	—	72342.00

37—ग्राम पंचायत —जमलाजोत लेखा परीक्षा वर्ष—2013—14 से 2014—15 विकास खण्ड—बाँसी जनपद—सिद्धार्थनगर प्रस्तर संख्या—58

वर्ष 14—15 की लेखा परीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि राज्य वित्त/तेरहवें वित्त खाते से विभिन्न तिथियों में रु0 774318.00 का व्यय, सामग्री क्रय एवं मजदूरी भुगतान में कैश बुक में अंकित विवरण के अनुसार किया गया है। कैश बुक में सामग्री क्रय एवं मजदूरी भुगतान सम्मिलित रूप से दर्शाया गया है। परन्तु लेखापरीक्षा में स्टॉक क्रय की पुष्टि में न तो कोटेशन ही प्रस्तुत किया गया है और न ही उससे संबंधित चालान बिल वाउचर प्रस्तुत किया गया है। क्रय स्टॉक की भुगतान की स्वीकृति भी निर्माण समिति से नहीं करायी गयी है। धन का भुगतान फर्म को एकाउन्ट पेई चेक के द्वारा न कर के नगद किया गया है। मजदूरी भुगतान के पुष्टि में तिथिवार मस्टर रोल भी लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। स्पष्ट है कि मस्टर रोल के अभाव में भुगतान काल्पनिक रहा। स्पष्ट है कि स्टॉक क्रय एवं मजदूरी भुगतान दर्शाकर रु0 774318.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्रा0प0अधि0 श्री रामसूरत उपाध्याय से रु0 387159.00 एवं ग्राम प्रधान श्रीमती गुलाबी से रु0 387159.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
774318.00	—	—	774318.00

38—ग्राम पंचायत—तिवारपूर पूर्वी लेखा परीक्षा वर्ष— 2014—15 विकास खण्ड—बाँसी**जनपद—सिद्धार्थनगर****प्रस्तर संख्या—59**

वर्ष 14—15 की लेखा परीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि राज्य वित्त/तेरहवें वित्त खाते से विभिन्न तिथियों में रु0 69938.00 का व्यय, सामग्री क्रय एवं मजदूरी भुगतान में कैश बुक में अंकित विवरण के अनुसार किया गया है। कैश बुक में सामग्री क्रय एवं मजदूरी भुगतान सम्मिलित रूप से दर्शाया गया है। परन्तु लेखापरीक्षा में स्टॉक क्रय की पुष्टि में न तो कोटेशन ही प्रस्तुत किया गया है और न ही उससे संबंधित चालान बिल वाउचर प्रस्तुत किया गया है। क्रय स्टॉक की भुगतान की स्वीकृति भी निर्माण समिति से नहीं करायी गयी है। धन का भुगतान फर्म को एकाउन्ट पेई चेक के द्वारा न कर के नगद किया गया है। मजदूरी भुगतान के पुष्टि में तिथिवार मस्टर रोल भी लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। स्पष्ट है कि मस्टर रोल के अभाव में भुगतान काल्पनिक रहा। स्पष्ट है की स्टॉक क्रय एवं मजदूरी भुगतान दर्शाकर रु0 69938.00 का अपहरण कर लिया गया है। ब्याज सहित वसूली ग्रा0प0अधि0 श्री दिलीप तिवारी से रु0 34969.0 एवं ग्राम प्रधान श्री राजमंगल से रु0 34969.00 किया जाना अपेक्षित है

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
69938.00	—	—	69938.00

39—ग्राम पंचायत—तिवारपूर पश्चिमी लेखा परीक्षा वर्ष— 2014—15 विकास खण्ड—बाँसी**जनपद—सिद्धार्थनगर****प्रस्तर संख्या—60**

वर्ष 14—15 की लेखा परीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि राज्य वित्त/तेरहवें वित्त खाते से विभिन्न तिथियों में रु0 305000.00 का व्यय, सामग्री क्रय एवं मजदूरी भुगतान में कैश बुक में अंकित विवरण के अनुसार किया गया है। कैश बुक में सामग्री क्रय एवं मजदूरी भुगतान सम्मिलित रूप से दर्शाया गया है। परन्तु लेखापरीक्षा में स्टॉक क्रय की पुष्टि में न तो कोटेशन ही प्रस्तुत किया गया है और न ही उससे संबंधित चालान बिल वाउचर प्रस्तुत किया गया है। क्रय स्टॉक की भुगतान की स्वीकृति भी निर्माण समिति से नहीं करायी गयी है। धन का भुगतान फर्म को एकाउन्ट पेई चेक के द्वारा न कर के नगद किया गया है। मजदूरी भुगतान के पुष्टि में तिथिवार मस्टर रोल भी लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। स्पष्ट है कि मस्टर रोल के अभाव में भुगतान काल्पनिक रहा। स्पष्ट है की स्टॉक क्रय एवं मजदूरी भुगतान दर्शाकर रु0 305000.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्रा0प0अधि0 श्री दिलीप तिवारी से रु0 152500.00 एवं ग्राम प्रधान श्री अदालत से रु0 152500.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
305000.00	—	—	305000.00

40—ग्राम पंचायत—महुआ कला लेखा परीक्षा वर्ष— 2014—15 विकास खण्ड—बाँसी**जनपद—सिद्धार्थनगर****प्रस्तर संख्या—61**

वर्ष 14—15 की लेखा परीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि राज्य वित्त/तेरहवें वित्त खाते से विभिन्न तिथियों में रु0 223095.00 का व्यय, सामग्री क्रय एवं मजदूरी भुगतान में कैश बुक में अंकित विवरण

के अनुसार किया गया है। कैश बुक में सामग्री क्रय एवं मजदूरी भुगतान सम्मिलित रूप से दर्शाया गया है। परन्तु लेखापरीक्षा में स्टाक क्रय की पुष्टि में न तो कोटेशन ही प्रस्तुत किया गया है और न ही उससे संबंधित चालान, बिल वाउचर प्रस्तुत किया गया है। क्रय स्टाक की भुगतान की स्वीकृति भी निर्माण समिति से नहीं करायी गयी है। धन का भुगतान फर्म को एकाउन्ट पेई चेक के द्वारा न कर के नगद किया गया है। मजदूरी भुगतान के पुष्टि में तिथिवार मस्टर रोल भी लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। स्पष्ट है कि मस्टर रोल के अभाव में भुगतान काल्पनिक रहा। स्पष्ट है की स्टाक क्रय एवं मजदूरी भुगतान दर्शा कर रु0 223095.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्रा0प0अधि0 श्री दिलीप तिवारी से रु0 111547.50 एवं ग्राम प्रधान श्रीमती सूरसती से रु0 111547.50 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
223095.00	—	—	223095.00

41—ग्राम पंचायत —रेहरा लेखा परीक्षा वर्ष— 2014—15 विकास खण्ड—बॉसी जनपद—सिद्धार्थनगर प्रस्तर संख्या—62

वर्ष 14—15 की लेखा परीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि राज्य वित्त/तेरहवें वित्त खाते से विभिन्न तिथियों में रु0 138322.00 का व्यय, सामग्री क्रय एवं मजदूरी भुगतान में कैश बुक में अंकित विवरण के अनुसार किया गया है। कैश बुक में सामग्री क्रय एवं मजदूरी भुगतान सम्मिलित रूप से दर्शाया गया है। परन्तु लेखापरीक्षा में स्टाक क्रय की पुष्टि में न तो कोटेशन ही प्रस्तुत किया गया है और न ही उससे संबंधित चालान, बिल वाउचर प्रस्तुत किया गया है। क्रय स्टाक की भुगतान की स्वीकृति भी निर्माण समिति से नहीं करायी गयी है। धन का भुगतान फर्म को एकाउन्ट पेई चेक के द्वारा न कर के नगद किया गया है। मजदूरी भुगतान के पुष्टि में तिथिवार मस्टर रोल भी लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। स्पष्ट है कि मस्टर रोल के अभाव में भुगतान काल्पनिक रहा। स्पष्ट है की स्टाक क्रय एवं मजदूरी भुगतान दर्शाकर रु0 138322.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्रा0प0अधि0 श्री दिलीप तिवारी से रु0 69161.00 एवं ग्राम प्रधान श्रीमती अंजू सिंह से रु0 69161.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
138322.00	—	—	138322.00

42—ग्राम पंचायत —बरदही नानकार लेखा परीक्षा वर्ष— 2014—15 विकास खण्ड—बॉसी जनपद—सिद्धार्थनगर प्रस्तर संख्या—63

वर्ष 14—15 की लेखा परीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि राज्य वित्त/तेरहवें वित्त खाते से विभिन्न तिथियों में रु0 280873.00 का व्यय, सामग्री क्रय एवं मजदूरी भुगतान में कैश बुक में अंकित विवरण के अनुसार किया गया है। कैश बुक में सामग्री क्रय एवं मजदूरी भुगतान सम्मिलित रूप से दर्शाया गया है। परन्तु लेखापरीक्षा में स्टाक क्रय की पुष्टि में न तो कोटेशन ही प्रस्तुत किया गया है और न ही उससे संबंधित चालान, बिल वाउचर प्रस्तुत किया गया है। क्रय स्टाक की भुगतान की स्वीकृति भी निर्माण समिति से नहीं करायी गयी है। धन का भुगतान फर्म को एकाउन्ट पेई चेक के द्वारा न कर के नगद किया गया है। मजदूरी भुगतान के पुष्टि में तिथिवार मस्टर रोल भी लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। स्पष्ट है कि मस्टर रोल के अभाव में भुगतान काल्पनिक रहा। स्पष्ट है की स्टाक क्रय एवं मजदूरी भुगतान दर्शा कर रु0 280873.00 का अपहरण

कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्रा0प0अधि0 श्री दिलीप तिवारी से रु0 140436.50 एवं ग्राम प्रधान श्रीमती बसन्ती से रु0 140436.50 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
280873.00	—	—	280873.00

43—ग्राम पंचायत —तेलौरा लेखा परीक्षा वर्ष—2013—14 से 2014—15 विकास खण्ड—बाँसी
जनपद—सिद्धार्थनगर
प्रस्तर संख्या—64

वर्ष 14—15 की लेखा परीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि राज्य वित्त/तेरहवें वित्त खाते से विभिन्न तिथियों में रु0 515144.00 का व्यय, सामग्री क्रय एवं मजदूरी भुगतान में कैश बुक में अंकित विवरण के अनुसार किया गया है। कैश बुक में सामग्री क्रय एवं मजदूरी भुगतान सम्मिलित रूप से दर्शाया गया है। परन्तु लेखापरीक्षा में स्टॉक क्रय की पुष्टि में न तो कोटेशन ही प्रस्तुत किया गया है और न ही उससे संबंधित चालान, बिल वाउचर प्रस्तुत किया गया है। क्रय स्टॉक की भुगतान की स्वीकृति भी निर्माण समिति से नहीं करायी गयी है। धन का भुगतान फर्म को एकाउन्ट पेई चेक के द्वारा न कर के नगद किया गया है। मजदूरी भुगतान के पुष्टि में तिथिवार मस्टर रोल भी लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। स्पष्ट है कि मस्टर रोल के अभाव में भुगतान काल्पनिक रहा। स्पष्ट है कि स्टॉक क्रय एवं मजदूरी भुगतान दर्शा कर रु0 515144.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्रा0प0अधि0 श्री रामसूरत उपाध्याय से रु0 257572.00 एवं ग्राम प्रधान श्रीमती अनारकली से रु0 257572.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
515144.00	—	—	515144.00

44—ग्राम पंचायत—मंझारी लेखा परीक्षा वर्ष— 2014—15 विकास खण्ड—बाँसी जनपद—सिद्धार्थनगर
प्रस्तर संख्या—65

ग्राम पंचायत की लेखापरीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्ष 14—15 में विभिन्न तिथियों में कुल रुपया 935116.00 का स्टॉक क्रय किया जाना रोकड़ बही में अंकित है। परन्तु लेखा परीक्षा में क्रय स्टॉक की पुष्टि में न तो कोटेशन ही प्रस्तुत किया गया है और न ही उससे सम्बंधित प्रमाणक ही प्रस्तुत किया गया है। स्टॉक क्रय के भुगतान की स्वीकृति भी निर्माण समिति से नहीं कराई गई है। धन का भुगतान फर्म को एकाउन्ट पेई चेक के द्वारा न कर के नगद किया गया है। स्पष्ट है कि स्टॉक का क्रय दर्शाकर रु0 935116.00 का अपहरण ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामसूरत उपाध्याय एवं ग्राम प्रधान श्रीमती सिरता जी द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री रामसूरत उपाध्याय से रु0 467558.00 एवं ग्राम प्रधान श्रीमती सिरता जी से रु0 467558.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
935116.00	—	—	935116.00

प्रस्तर संख्या—66

आलोच्य वर्षों की लेखा परीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि ग्राम निधि प्रथम खाते से रु0 217612.00 का भुगतान मजदूरी के रूप में किया जाना रोकड़ बही में दर्शित है। परन्तु भुगतानित धनराशि की

पुष्टि में तिथिवार मस्टर रोल लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे मजदूरी पर किये गये भुगतान की सत्यता प्रमाणित नहीं की जा सकती। कराये गये कार्यों का कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे कार्य पूर्ण हाने की पुष्टि नहीं की जा सकी। स्पष्ट है कि ग्रा0प0अधि0 एवं ग्राम प्रधान द्वारा मजदूरी पर भुगतान दर्शाकर धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री रामसूरत उपाध्याय से रु0 108806.00 एवं ग्राम प्रधान श्रीमती सिरताजी से रु0 108806.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
217612.00	—	—	217612.00

45—ग्राम पंचायत सोनफेरवा बुजुर्ग लेखा परीक्षा वर्ष—2013—14 से 2014—15 विकास खण्ड—बॉसी जनपद—सिद्धार्थनगर

प्रस्तर संख्या—67

आलोच्य वर्षों की लेखा परीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि ग्राम निधि खाते से टोनी के घर के सामने कूप मरम्मत एवं ढक्कन के निर्माण कार्य में दिनांक 01.02.15 को कुल रुपया 60000.00 का भुगतान दर्शाया गया है। परन्तु उक्त कार्य के सापेक्ष सामग्री एवं श्रमांश का ब्यौरा अलग-अलग नहीं दर्शाया गया है। परियोजना की स्वीकृती ग्राम पंचायत तक नहीं ली गयी है। कार्य के सापेक्ष आपूर्ति सामग्री का चालान, बिल, वाउचर, स्टॉक पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, माप पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। स्पष्ट है की कूप मरम्मत पर व्यय दर्शाकर का धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली ग्रा0प0अधि0 श्री दिलीप तिवारी से रु0 30000.00 एवं ग्राम प्रधान श्रीमती मंजू से रु0 30000.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
60000.00	—	—	60000.00

प्रस्तर संख्या—68

ग्राम पंचायत सोनफेरवा बुजुर्ग की लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि दिनांक 01.03.15 को प्रधान का मानदेय भुगतान मद में रु 75000.00 का भुगतान दर्शाया गया है। लेखापरीक्षा में यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि उक्त भुगतान किस अवधि से संबंधित हैं। यदि पूरे वित्तीय वर्ष की अवधि को गणना में शामिल किया जाय तो भी इतनी धनराशि मानदेयमद में देय नहीं होगी। मानदेय भुगतान पंजिका, एवं भुगतान प्राप्ति रसीद भी लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। स्पष्ट है कि मानदेय मद में भुगतान दर्शाकर कुल रु0 75000.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्रा0प0अधि0 श्री दिलीप तिवारी से रु0 37500.00 एवं ग्रामप्रधान श्रीमती मंजू से रु0 37500.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
75000.00	—	—	75000.00

46—ग्राम पंचायत —सरौली लेखा परीक्षा वर्ष— 2014—15 विकास खण्ड—उस्का
जनपद—सिद्धार्थनगर
प्रस्तर संख्या—69

आलोच्य वर्ष की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है की रोकड़ बही में विभिन्न तिथियों में सामग्री क्रय पर रु0 259920.00 व्यय दर्शित है, परन्तु उक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक, स्टॉक पंजिका व निर्माण समिति का भुगतान आदेश लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। प्रमाणक के अभाव में श्री देवेन्द्र मणि त्रिपाठी (ग्रा0वि0अधि) व ग्राम प्रधान श्री रामचन्द्र वर्मा द्वारा फर्जी व्यय दर्शाकर उक्त धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्रा0वि0अधि श्री देवेन्द्र मणि त्रिपाठी से रु0 129960.00 एवं ग्राम प्रधानश्री रामचन्द्र वर्मा से रु0 129960.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
259920.00	—	—	259920.00

47—ग्राम पंचायत —सैनुआ लेखा परीक्षा वर्ष— 2014—15 विकास खण्ड—लोटन
जनपद—सिद्धार्थनगर
प्रस्तर संख्या—70

रोकड़ बही में दिनांक 30.12.2014 को चेक संख्या 698435, 36,37,38 व 698439 कुल पाँच चेक से रु0 50000.00 (प्रत्येक से 10000.00) निकासी कर के व्यय दर्शित है। परन्तु उक्त तिथि का एक भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। प्रमाणक के अभाव में धन के व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकती। स्पष्ट है की फर्जी व्यय दर्शाकर ग्रा0प0अधि0 एवं ग्राम प्रधान द्वारा धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री अशोक कुमार से रु0 25000.00 एवं ग्रा0प0अधि0 श्री सुभाषचन्द्र से रु0 25000.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
50000.00	—	—	50000.00

प्रस्तर संख्या—71

रोकड़ बही में विभिन्न तिथियों में सामग्री क्रय पर व्यय दर्शित है, परन्तु उक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक, स्टॉक पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। स्पष्ट है की फर्जी व्यय दर्शाकर ग्रा0प0अधि0 एवं ग्राम प्रधान द्वारा धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री अशोक कुमार से रु0 66250.00 एवं ग्रा0प0अधि0 श्री सुभाष चन्द्र से रु0 66250.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
132500.00	—	—	132500.00

48—ग्राम पंचायत—सोहास दरमियानी लेखा परीक्षा वर्ष— 2014—15 विकास खण्ड—उस्का
जनपद—सिद्धार्थनगर
प्रस्तर संख्या—72

रोकड़ बही में विभिन्न तिथियों में सामग्री क्रय पर व्यय दर्शित है, परन्तु उक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक ,स्टाक पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। स्पष्ट है की फर्जी व्यय दर्शाकर ग्रा0प0अधि0 एवं ग्राम प्रधान द्वारा धन का अपाहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती दिमिरिता देवी से रु0 843855.50 एवं ग्रा0प0अधि श्री संजय वरुण से रु0 843855.50 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
168771.00	—	—	168771.00

49—ग्राम पंचायत —हथवड़ताल लेखा परीक्षा वर्ष— 2014—15 विकास खण्ड—उस्का
जनपद—सिद्धार्थनगर
प्रस्तर संख्या—73

आलोच्य वर्ष की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है की रोकड़ बही में विभिन्न तिथियों में सामग्री क्रय पर रु0 241200.00 व्यय दर्शित है, परन्तु उक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक, स्टॉक पंजिका व निर्माण समिति का भुगतान आदेश लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। प्रमाणक के अभाव में श्री देवेन्द्र मणि त्रिपाठी (ग्रा0वि0अधि0) व ग्राम प्रधान श्री मनोज द्वारा फर्जी व्यय दर्शाकर उक्त धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्रा0वि0अधि0 श्री देवेन्द्र मणि त्रिपाठी से रु0 120600.00 एवं ग्राम प्रधान श्री मनोज से रु0 120600.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
241200.00	—	—	241200.00

50—ग्राम पंचायत —धरनिहवा लेखा परीक्षा वर्ष—2014—15 विकास खण्ड—लोटन
जनपद—सिद्धार्थनगर
प्रस्तर संख्या—74

आलोच्य वर्ष की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है की रोकड़ बही में विभिन्न तिथियों में सामग्री क्रय पर रु0 179080.00 व्यय दर्शित है, परन्तु उक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक, स्टॉक पंजिका व निर्माण समिति का भुगतान आदेश लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। प्रमाणक के अभाव में श्री कृष्ण कुमार शुक्ल (ग्रा0वि0अधि0) व ग्राम प्रधान श्रीमती उर्मिला देवी द्वारा फर्जी व्यय दर्शाकर उक्त धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्रा0वि0अधि0 श्री कृष्ण कुमार शुक्ल से रु0 89540.00 एवं ग्राम प्रधान श्रीमती उर्मिला से रु0 89540.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
179080.00	—	—	179080.00

51—ग्राम पंचायत बेलवा लेखा परीक्षा वर्ष— 2013—14 से 2014—15 विकास खण्ड—खुनियाँव
जनपद—सिद्धार्थनगर
प्रस्तर संख्या—75

ग्राम पंचायत बेलवा में वर्ष 2013—14 एवं 14—15 में खड़न्जा निर्माण पर रु0 1424538.00 का व्यय ग्राम निधी प्रथम् खाते के रोकड़ बही में दर्शाया गया है। परन्तु उपरोक्त व्यय की पुष्टि में कार्यवाही रजिस्टर, कराये गये कार्य की तकनीकी स्वीकृती की पत्रावली, स्टाक रजिस्टर, व्यय प्रमाणक, माप पुस्तिका एवं कार्यपूर्ती प्रमाणपत्र लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। खड़न्जा का निर्माण का स्थान भी रोकड़ बही में दर्शित नहीं है। क्रय की गयी सामग्री का भुगतान भी एकाउन्ट पेई चेक के द्वारा फर्मा को न कर के अधिकांश धन का आहरण ग्रामप्रधान एवं ग्रा0प0अधि0 द्वारा किया गया है। खड़न्जा निर्माण में प्रयुक्त सामग्री एवं मजदूरी का अंकन अलग—अलग नहीं किया गया है। जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका की सामग्री पर कितना भुगतान किया गया एवं मजदूरी पर कितना भुगतान किया गया। मजदूरी के भुगतान की पुष्टि में तिथिवार मस्टर रोल भी लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे प्रतीत होता है कि काल्पनिक ढंग से खड़न्जा का निर्माण दर्शाकर ग्राम प्रधान श्रीमती मिथलेस कुमारी एवं ग्रा0प0अधि0 श्री गनेश नारायन त्रिपाठी द्वारा रु0 1424538.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री गनेश नारायन त्रिपाठी से रु0 712269.00 एवं ग्राम प्रधान श्रीमती मिथलेस कुमारी से रु0 712269.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
1424538.00	—	—	1424538.00

प्रस्तर संख्या—76

ग्राम पंचायत बेलवा में वर्ष 2013—14 एवं 14—15 में सी0सी रोड निर्माण पर रु0 763594.00 का व्यय ग्राम निधी प्रथम् खाते के रोकड़ बही में दर्शाया गया है। परन्तु उपरोक्त व्यय की पुष्टि में कार्यवाही रजिस्टर ,कराये गये कार्य की तकनीकी स्वीकृती की पत्रावली, स्टाक रजिस्टर, व्यय प्रमाणक, माप पुस्तिका एवं कार्य पूर्ती प्रमाणपत्र लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। खड़न्जा का निर्माण का स्थान भी रोकड़ बही में दर्शित नहीं है। क्रय की गयी सामग्री का भुगतान भी एकाउन्ट पेई चेक के द्वारा फर्मा को न कर के अधिकांश धन का आहरण ग्राम प्रधान एवं ग्रा0प0अधि द्वारा किया गया है। सी0सी रोड निर्माण में प्रयुक्त सामग्री एवं मजदूरी का अंकन अलग—अलग नहीं किया गया है। जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका कि सामग्री पर कितना भुगतान किया गया एवं मजदूरी पर कितना भुगतान किया गया। मजदूरी के भुगतान की पुष्टि में तिथिवार मस्टर रोल भी लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे प्रतीत होता है की काल्पनिक ढंग से खड़न्जा का निर्माण दर्शाया कर ग्राम प्रधान श्रीमती मिथलेस कुमारी एवं ग्रा0प0अधि0 श्री गनेश नारायन त्रिपाठी द्वारा रु0 1424538.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री गनेश नारायन त्रिपाठी से रु0 381797.00 एवं ग्राम प्रधान श्रीमती मिथलेस कुमारी से रु 381797.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
763594.00	—	—	763594.00

प्रस्तर संख्या—77

ग्राम पंचायत बेलवा में वर्ष 2013—14 एवं 14—15 में नाली निर्माण पर रु0 174000.00 का व्यय ग्राम निधी प्रथम् खाते के रोकड़ बही में दर्शाया गया है। परन्तु उपरोक्त व्यय की पुष्टि में कार्यवाही रजिस्टर, कराये गये कार्य की तकनीकी स्वीकृती की पत्रावली, स्टाक रजिस्टर, व्यय प्रमाणक, माप पुस्तिका, एवं कार्यपूर्ती

प्रमाणपत्र लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। खड़न्जा का निर्माण का स्थान भी रोकड़ बही में दर्शित नहीं है। क्रय की गयी सामग्री का भुगतान भी एकाउन्ट पेई चेक के द्वारा फर्मा को न कर के अधिकांश धन का आहरण ग्राम प्रधान एवं ग्रा0प0अधि0 द्वारा किया गया है। नाली निर्माण में प्रयुक्त सामग्री एवं मजदूरी का अंकन अलग-अलग नहीं किया गया है। जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका की सामग्री पर कितना भुगतान किया गया एवं मजदूरी पर कितना भुगतान किया गया। मजदूरी के भुगतान की पुष्टि में तिथिवार मस्टर रोल भी लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे प्रतीत होता है की काल्पनिक ढंग से खड़न्जा का निर्माण दर्शाकर ग्राम प्रधान श्रीमती मिथलेस कुमारी एवं ग्रा0प0अधि0 श्री गणेश नारायन त्रिपाठी द्वारा रु0 174000.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री गणेश नारायन त्रिपाठी से रु0 87000.00 एवं ग्राम प्रधान श्रीमती मिथलेस कुमारी से रु 87000.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
174000.00	—	—	174000.00

52—ग्राम पंचायत—कुसुम्ही लेखा परीक्षा वर्ष— 2013—14 से 2014—15 विकास खण्ड—खुनियॉँव जनपद—सिद्धार्थनगर

प्रस्तर सं0—78

ग्राम पंचायत कुसुम्ही में वर्ष 2013—14 एवं 14—15 में खड़न्जा एवं सोख्ता निर्माण पर रु0 650548.00 का व्यय ग्राम निधी प्रथम् खाते के रोकड़ बही में दर्शाया गया है। परन्तु उपरोक्त व्यय की पुष्टि में कार्यवाही रजिस्टर, कराये गये कार्य की तकनीकी स्वीकृती की पत्रावली, स्टाक रजिस्टर, व्यय प्रमाणक, माप पुस्तिका एवं कार्यपूर्ती प्रमाणपत्र लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। खड़न्जा का निर्माण का स्थान भी रोकड़बही में दर्शित नहीं है। क्रय की गयी सामग्री का भुगतान भी एकाउन्ट पेई चेक के द्वारा फर्मा को न कर के अधिकांश धन का आहरण ग्राम प्रधान एवं ग्रा0प0 अधि0 द्वारा किया गया है। खड़न्जा निर्माण में प्रयुक्त सामग्री एवं मजदूरी का अंकन अलग-अलग नहीं किया गया है। जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका की सामग्री पर कितना भुगतान किया गया एवं मजदूरी पर कितना भुगतान किया गया। मजदूरी के भुगतान की पुष्टि में तिथिवार मस्टर रोल भी लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे प्रतीत होता है की काल्पनिक ढंग से खड़न्जा का निर्माण दर्शाकर ग्राम प्रधान श्री मंजूपूरी एवं ग्रा0प0अधि0 श्री गणेश नारायन त्रिपाठी द्वारा रु0 650548 का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री गणेशनारायन त्रिपाठी से रु0 325274.00 एवं ग्राम प्रधान श्रीमती मंजूपूरी से रु0 325274.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
650548.00	—	—	650548.00

प्रस्तर संख्या—79

ग्रा0प0 कुसुम्ही में वर्ष 2013—14 एवं 14—15 में नाली एवं सोख्ता रोड निर्माण पर रु0 656532.00 का व्यय ग्रामनिधी प्रथम् खाते के रोकड़ बही में दर्शाया गया है। परन्तु उपरोक्त व्यय की पुष्टि में कार्यवाही रजिस्टर ,कराये गये कार्य की तकनीकी स्वीकृती की पत्रावली,स्टाक रजिस्टर, व्यय प्रमाणक, माप पुस्तिका, एवं कार्यपूर्ती प्रमाणपत्र लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। खड़न्जा का निर्माण का स्थान भी रोकड़ बही में दर्शित नहीं है। क्रय की गयी सामग्री का भुगतान भी एकाउन्ट पेई चेक के द्वारा फर्मा को न कर के अधिकांश धन का आहरण ग्राम प्रधान एवं ग्रा0प0 अधि द्वारा किया गया है। सोख्ता निर्माण में प्रयुक्त सामग्री एवं मजदूरी का अंकन अलग-अलग नहीं किया गया है। जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका की सामग्री पर कितना भुगतान

किया गया एवं मजदूरी पर कितना भुगतान किया गया। मजदूरी के भुगतान की पुष्टि में तिथिवार मस्टर रोल भी लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे प्रतीत होता है की काल्पनिक ढंग से खड़न्जा का निर्माण दर्शाकर ग्राम प्रधान श्री मंजू पूरी एवं ग्रा0पं0अधि0 श्री गनेश नारायन त्रिपाठी द्वारा रु0 656532.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री गनेश नारायन त्रिपाठी से रु0 328266.00 एवं ग्राम प्रधान श्री मंजूपूरी से रु 328266.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
656532.00	—	—	656532.00

53—ग्राम पंचायत—रतनपुर लेखा परीक्षा वर्ष—2013—14 से 2014—15 विकास खण्ड—खुनियॉव जनपद—सिद्धार्थनगर प्रस्तर संख्या—80

ग्राम पंचायत रतनपुर में वर्ष 2013—14 एवं 14—15 में खड़न्जा निर्माण पर रु0 278550.00 का व्यय ग्राम निधि प्रथम् खाते के रोकड़ बही में दर्शाया गया है। परन्तु उपरोक्त व्यय की पुष्टि में कार्यवाही रजिस्टर, कराये गये कार्य की तकनीकी स्वीकृति की पत्रावली, स्टाक रजिस्टर, व्यय प्रमाणक, माप पुस्तिका, एवं कार्य पूर्ती प्रमाणपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। खड़न्जा का निर्माण का स्थान भी रोकड़ बही में दर्शित नहीं है। क्रय की गयी सामग्री का भुगतान भी एकाउन्ट पेई के द्वारा फर्मा को न कर के अधिकांश धन का आहरण ग्रामप्रधान एवं ग्रा0प0 अधि द्वारा किया गया है। खड़न्जा निर्माण में प्रयुक्त सामग्री एवं मजदूरी का अंकन अलग—अलग नहीं किया गया है। जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका की सामग्री पर कितना भुगतान किया गया एवं मजदूरी पर कितना भुगतान किया गया। मजदूरी के भुगतान की पुष्टि में तिथिवार मस्टर रोल भी लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे प्रतीत होता है की काल्पनिक ढंग से खड़न्जा का निर्माण दर्शाकर ग्रामप्रधान श्री ब्रह्मानन्द एवं ग्रा0पं0अधि0 श्री गनेश नारायन त्रिपाठी द्वारा रु0 278550.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री गनेश नारायन त्रिपाठी से रु0 139275.00 एवं ग्राम प्रधान श्री ब्रह्मानन्द से रु 139275.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
278550.00	—	—	278550.00

प्रस्तर संख्या—81

ग्राम पंचायत रतनपुर में वर्ष 2013—14 एवं 14—15 में नाली मरम्मत/निर्माण पर रु0 136130.00 का व्यय ग्राम निधि प्रथम् खाते के रोकड़ बही में दर्शाया गया है। परन्तु उपरोक्त व्यय की पुष्टि में कार्यवाही रजिस्टर, कराये गये कार्य की तकनीकी स्वीकृति की पत्रावली, स्टाक रजिस्टर, व्यय प्रमाणक, माप पुस्तिका एवं कार्य पूर्ती प्रमाणपत्र लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। खड़न्जा का निर्माण का स्थान भी रोकड़ बही में दर्शित नहीं है। क्रय की गयी सामग्री का भुगतान भी एकाउन्ट पेई चेक के द्वारा फर्मा को न कर के अधिकांश धन का आहरण ग्राम प्रधान एवं ग्रा0प0 अधि द्वारा किया गया है। नाली निर्माण में प्रयुक्त सामग्री एवं मजदूरी का अंकन अलग—अलग नहीं किया गया है। जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका की सामग्री पर कितना भुगतान किया गया एवं मजदूरी पर कितना भुगतान किया गया। मजदूरी के भुगतान की पुष्टि में तिथिवार मस्टर रोल भी लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे प्रतीत होता है की काल्पनिक ढंग से खड़न्जा का निर्माण दर्शाकर ग्राम प्रधान श्री ब्रह्मानन्द एवं ग्रा0पं0अधि0 श्री गनेश नारायन त्रिपाठी द्वारा रु 136130.00 का अपहरण

कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री गनेश नारायन त्रिपाठी से रु0 68065.00 एवं ग्राम प्रधान श्री ब्रह्मानन्द से रु 68065.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
136130.00	—	—	136130.00

प्रस्तर संख्या-82

ग्राम पंचायत रतनपुर में वर्षों 2013-15 एवं 14-15 में सोख्ता निर्माण पर रु0 98500.00 का व्यय ग्राम निधी प्रथम् खाते के रोकड़ बही में दर्शाया गया है। परन्तु उपरोक्त व्यय की पुष्टि में कार्यवाही रजिस्टर ,कराये गये कार्य की तकनीकी स्वीकृती की पत्रावली,स्टाक रजिस्टर,व्यय प्रमाणक, माप पुस्तिका, एवं कार्यपूर्ती प्रमाणपत्र लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। खड़न्जा का निर्माण का स्थान भी रोकड़ बही में दर्शित नहीं है। क्रय की गयी सामग्री का भुगतान भी एकाउन्ट पेई चेक के द्वारा फर्म को न कर के अधिकांश धन का आहरण ग्राम प्रधान एवं ग्रा0प0 अधि0 द्वारा किया गया है। सोख्ता निर्माण में प्रयुक्त सामग्री एवं मजदूरी का अंकन अलग-अलग नहीं किया गया है। जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका की सामग्री पर कितना भुगतान किया गया एवं मजदूरी पर कितना भुगतान किया गया। मजदूरी के भुगतान की पुष्टि में तिथिवार मस्टर रोल भी लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे प्रतित होता है की काल्पनिक ढंग से खड़न्जा का निर्माण दर्शाकर ग्राम प्रधान श्री ब्रह्मानन्द एवं ग्रा0प0अधि0 श्री गनेश नारायन त्रिपाठी द्वारा रु0 98500.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री गनेश नारायन त्रिपाठी से रु0 49250.00 एवं ग्राम प्रधान श्री ब्रह्मानन्द से रु0 49250.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
98500.00	—	—	98500.00

54-ग्राम पंचायत तेलियाडीह लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 से 14-15 विकास खण्ड-खुनियॉव जनपद-सिद्धार्थनगर

प्रस्तर संख्या-83

ग्राम पंचायत की लेखापरीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्ष 13-14 एवं 14-15 में विभिन्न तिथियों में कुल रुपया 368640.00 का स्टाक क्रय किया जाना रोकड़ बही में अंकित है। परन्तु लेखापरीक्षा में क्रय स्टाक की पुष्टि में न तो कोटेशन ही प्रस्तुत किया गया है और न ही उससे सम्बंधित प्रमाणक ही प्रस्तुत किया गया है। स्टाक क्रय के भुगतान की स्वीकृती भी निर्माण समिति से नहीं कराई गई है। धन का भुगतान फर्म को एकाउन्ट पेई चेक के द्वारा न कर के नगद किया गया है। स्पष्ट है कि स्टाक का क्रय दर्शाकर रु 368640.00 का अपहरण ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुनिल कुमार एवं ग्राम प्रधान श्री मुनीर द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री सुनिल कुमार से रु0 184320.00 एवं ग्राम प्रधान श्री मुनीर से रु0 184320.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
368640.00	—	—	368640.00

प्रस्तर संख्या-84

आलोच्य वर्षों की लेखापरीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि ग्राम निधी प्रथम् खातों से रु0 60469.00 का भुगतान मजदूरी के रुप मे किया जाना रोकड़ बहीमें दर्शित है। परन्तु भुगतानित धनराशि की

पुष्टि में तिथिवार मस्टर रोल लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे मजदूरी पर किये गये भुगतान की सत्यता प्रमाणित नहीं की जा सकती। कराये गये कार्यों का कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे कार्य पूर्ण हाने की पुष्टि नहीं की जा सकी। स्पष्ट है कि ग्रा0प0अधि0 एवं ग्राम प्रधान द्वारा मजदूरी पर भुगतान दर्शाकर धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री सुनिल कुमार से रु0 30234.50 एवं ग्राम प्रधान श्री मुनीर से रु0 30234.50 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
60469.00			60469.00

प्रस्तर संख्या-85

ग्राम पंचायत की लेखापरीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्ष 10-11 से 14-15 में विभिन्न तिथियों में कुल रुपया 123000.00 का स्ट्रीट लाईट क्रय किया जाना रोकड़ बही में अंकित है। परन्तु लेखापरीक्षा में क्रय स्टॉक की पुष्टि में न तो कोटेशन ही प्रस्तुत किया गया है और न ही उससे सम्बंधित प्रमाणक ही प्रस्तुत किया गया है। स्टॉक क्रय के भुगतान की स्वीकृति भी निर्माण समिति से नहीं कराई गई है। धन का भुगतान फर्म को एकाउन्ट पेयी चेक के द्वारा न कर के नगद किया गया है। स्ट्रीट लाईट कहां-कहां प्रयोग में लाए गये हैं इसका प्रमाणक संबंधित ग्राम पंचायत के निवासियों से पुष्ट करा कर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। स्पष्ट है कि स्ट्रीट लाईट का क्रय दर्शाकर रु0 123000.00 का अपहरण ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुनिल कुमार एवं ग्राम प्रधान श्री मुनिर द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री सुनिल कुमार से रु0 61500.00 एवं ग्राम प्रधान श्री मुनीर से रु0 61500.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
123000.00	—	—	123000.00

55-ग्राम पंचायत -पेंदानानकार लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 से 2014-15 विकास खण्ड-खुनियॉव जनपदसिद्धार्थनगर

प्रस्तर संख्या-86

ग्राम पंचायत पेंदानानकार में वर्ष 2010-11 से 14-15 में खड़न्जा निर्माण पर रु0 495500.00 का व्यय ग्राम निधी प्रथम् खाते के रोकड़ बही में दर्शाया गया है। परन्तु उपरोक्त व्यय की पुष्टि में कार्यवाही रजिस्टर, कराये गये कार्य की तकनीकी स्वीकृति की पत्रावली, स्टॉक रजिस्टर, व्यय प्रमाणक, माप पुस्तिका, एवं कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। खड़न्जा का निर्माण का स्थान भी रोकड़ बही में दर्शित नहीं है। क्रय की गयी सामग्री का भुगतान भी एकाउन्ट पेई चेक के द्वारा फर्म को न कर के अधिकांश धन का अपहरण ग्राम प्रधान एवं ग्रा0प0अधि0 द्वारा किया गया है। खड़न्जा निर्माण में प्रयुक्त सामग्री एवं मजदूरी का अंकन अलग-अलग नहीं किया गया है। जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका की सामग्री पर कितना भुगतान किया गया एवं मजदूरी पर कितना भुगतान किया गया। मजदूरी के भुगतान की पुष्टि में तिथिवार मस्टर रोल भी लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे प्रतीत होता है की काल्पनिक ढंग से खड़न्जा का निर्माण दर्शाकर ग्राम प्रधान श्री हंसराज एवं ग्रा0प0अधि0 श्री सुनिल कुमार द्वारा रु 495500.0 का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री सुनिल कुमार से रु0 247750.00 एवं ग्राम प्रधान श्री हंसराज से रु0 247750.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
495500.00	—	—	495500.00

प्रस्तर संख्या-87

ग्राम पंचायत पेंदानानकार में वर्ष 2010-11 से 14-15 में नाली निर्माण पर रु0 875660.00 का व्यय ग्राम निधी प्रथम् खाते के रोकड़ बही में दर्शाया गया है। परन्तु उपरोक्त व्यय की पुष्टि में कार्यवाही रजिस्टर, कराये गये कार्य की तकनीकी स्वीकृती की पत्रावली, स्टॉक रजिस्टर, व्यय प्रमाणक, माप पुस्तिका, एवं कार्य पूर्ती प्रमाणपत्र लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। खड़न्जा का निर्माण का स्थान भी रोकड़ बही में दर्शित नहीं है। क्रय की गयी सामग्री का भुगतान भी एकाउन्ट पेई चेक के द्वारा फर्मा को न कर के अधिकांश धन का आहरण ग्राम प्रधान एवं ग्रा0प0अधि0 द्वारा किया गया है। नाली निर्माण में प्रयुक्त सामग्री एवं मजदूरी का अंकन अलग-अलग नहीं किया गया है। जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका की सामग्री पर कितना भुगतान किया गया एवं मजदूरी पर कितना भुगतान किया गया। मजदूरी के भुगतान की पुष्टि में तिथिवार मस्टर रोल भी लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे प्रतित होता है की काल्पनिक ढंग से खड़न्जा का निर्माण दर्शाकर ग्रामप्रधान श्री हंसराज एवं ग्रा0प0अधि0 श्री सुनिल कुमार द्वारा रु0 875660.00 का अपहरण कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री सुनिल कुमार से रु0 437830.00 एवं ग्राम प्रधान श्री हंसराज से रु0 437830.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
875660.00	—	—	875660.00

प्रस्तर संख्या-88

ग्राम पंचायत की लेखापरीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्ष 10-11 से 14-15 में विभिन्न तिथियों में कुल रुपया 183251.00 का स्ट्रीट लाईट क्रय किया जाना रोकड़ बही में अंकित है। परन्तु लेखापरीक्षा में क्रय स्टॉक की पुष्टि में न तो कोटेशन ही प्रस्तुत किया गया है और न ही उससे सम्बंधित प्रमाणक ही प्रस्तुत किया गया है। स्टॉक क्रय के भुगतान की स्वीकृती भी निर्माण समिति से नहीं कराई गई है। धन का भुगतान फर्म को एकाउन्ट पेयी चेक के द्वारा न कर के नगद किया गया है। स्ट्रीट लाईट कहाँ-कहाँ प्रयोग में लाए गये हैं इसका प्रमाणक संबंधित ग्राम पंचायत के निवासियों से पुष्ट करा कर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। स्पष्ट है कि स्ट्रीट लाईट का क्रय दर्शाकर रु 183251.00 का अपहरण ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुनिल कुमार एवं ग्राम प्रधान श्री मुनिर द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री सुनिल कुमार से रु 91625.50 एवं ग्राम प्रधान श्री हंसराज से रु0 91625.50 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
183251.00	—	—	183251.00

**56—ग्राम पंचायत रमवापुर सीरलेखा परीक्षा वर्ष 2013—14 से 2014—15 विकास खण्ड खुनियोंव
जनपद—सिद्धार्थनगर**

प्रस्तर संख्या—89

ग्राम पंचायत रमवापुरसीर में वर्ष 2013—14 से 14—15 में खड़न्जा निर्माण पर रु0 853200.00 का व्यय ग्राम निधी प्रथम् खाते के रोकड़ बही में दर्शाया गया है। परन्तु उपरोक्त व्ययकी पुष्टि में कार्यवाही रजिस्टर, कराये गये कार्य की तकनीकी स्वीकृती की पत्रावली, स्टाक रजिस्टर, व्यय प्रमाणक, माप पुस्तिका, एवं कार्य पूर्ती प्रमाणपत्र लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। खड़न्जा का निर्माण का स्थान भी रोकड़ बही में दर्शित नहीं है। क्रय की गयी सामग्री का भुगतान भी एकाउन्ट पेई चेक के द्वारा फर्मा को न कर के अधिकांश धन का आहरण ग्राम प्रधान एवं ग्रा0प0 अधि द्वारा किया गया है। खड़न्जा निर्माण में प्रयुक्त सामग्री एवं मजदूरी का अंकन अलग—अलग नहीं किया गया है। जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका की सामग्री पर कितना भुगतान किया गया एवं मजदूरी पर कितना भुगतान किया गया। मजदूरी के भुगतान की पुष्टि में तिथिवार मस्टर रोल भी लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे प्रतीत होता है की काल्पनिक ढंग से खड़न्जा का निर्माण दर्शाकर ग्राम प्रधान श्री लवकुश एवं ग्रा0प0अधि0 श्री सुनिल कुमार द्वारा रु0 853200.0 का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री सुनिल कुमार से रु0 426600.00 एवं ग्राम प्रधान श्री लवकुश से रु0 426600.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
853200.00	—	—	853200.00

प्रस्तर संख्या—90

ग्राम पंचायत रमवापुरसीर में वर्ष 2013—14 से 14—15 में खड़न्जा निर्माण पर रु0 626000.00 का व्यय ग्राम निधी प्रथम् खाते के रोकड़ बही में दर्शाया गया है। परन्तु उपरोक्त व्यय की पुष्टि में कार्यवाही रजिस्टर, कराये गये कार्य की तकनीकी स्वीकृती की पत्रावली, स्टाक रजिस्टर, व्यय प्रमाणक, माप पुस्तिका, एवं कार्य पूर्ती प्रमाणपत्र लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। खड़न्जा का निर्माण का स्थान भी रोकड़ बही में दर्शित नहीं है। क्रय की गयी सामग्री का भुगतान भी एकाउन्ट पेई चेक के द्वारा फर्म को न कर के अधिकांश धन का आहरण ग्राम प्रधान एवं ग्रा0प0 अधि द्वारा किया गया है। खड़न्जा निर्माण में प्रयुक्त सामग्री एवं मजदूरी का अंकन अलग—अलग नहीं किया गया है। जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका की सामग्री पर कितना भुगतान किया गया एवं मजदूरी पर कितना भुगतान किया गया। मजदूरी के भुगतान की पुष्टि में तिथिवार मस्टर रोल भी लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे प्रतीत होता है की काल्पनिक ढंग से खड़न्जा का निर्माण दर्शाकर ग्राम प्रधान श्री लव कुश एवं ग्रा0प0अधि श्री सुनिल कुमार द्वारा रु0 626000.0 का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री सुनिल कुमार से रु0 313000.00 एवं ग्राम प्रधान श्री लवकुश से रु0 313000.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
626000.00	—	—	626000.00

**57-ग्राम पंचायत -भूतहिया लेखा परीक्षा वर्ष- 2011-12 से 14-15 विकास खण्ड-जोगिया
जनपद-सिद्धार्थनगर**

प्रस्तर संख्या-91

ग्राम पंचायत की लेखापरीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्ष 11-12 एवं 14-15 में विभिन्न तिथियों में कुल रुपया 1691776.00 का स्टाक क्रय किया जाना रोकड़ बही में अंकित है। परन्तु लेखापरीक्षा में क्रय स्टाक की पुष्टि में न तो कोटेशन ही प्रस्तुत किया गया है और न ही उससे सम्बंधित प्रमाणक ही प्रस्तुत किया गया है। स्टाक क्रय के भुगतान की स्वीकृती भी निर्माण समिति से नहीं कराई गई है। धन का भुगतान फर्म को एकाउन्ट पेई चेक के द्वारा न कर के नगद किया गया है। स्पष्ट है कि स्टाक का क्रय दर्शाकर कर रु0 1691776.00 का अपहरण ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सनंदन लाल यादव एवं ग्राम प्रधान श्रीमती कलावती द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री सनंदन लाल यादव से रु0 845888.00 एवं ग्राम प्रधान श्रीमती कलावती से रु0 845888.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
1691776.00	—	—	1691776.00

प्रस्तर संख्या-92

आलोच्य वर्षों की लेखापरीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि ग्राम निधि प्रथम् खातों से रु0 121615.00 का भुगतान मजदूरी के रुप मे किया जाना रोकड़ बही में दर्शित है। परन्तु भुगतानित धनराशि की पुष्टि में तिथिवार मस्टर रोल लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे मजदूरी पर किये गये भुगतान की सत्यता प्रमाणित नहीं की जा सकती। कराये गये कार्यों का कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे कार्य पूर्ण हाने की पुष्टि नहीं की जा सकी। स्पष्ट है कि ग्रा0प0अधि एवं ग्राम प्रधान द्वारा मजदूरी पर भुगतान दर्शाकर धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री सनंदन लाल यादव से रु0 60807.50 एवं ग्राम प्रधान श्रीमती कलावती से रु0 60807.50 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
121615.00	—	—	121615.00

प्रस्तर संख्या-93

ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्ष 14-15 में विभिन्न तिथियों में कुल रुपया 55200.00 का स्ट्रीट लाईट क्रय किया जाना रोकड़ बही में अंकित है। परन्तु लेखा परीक्षा में क्रय स्टाक की पुष्टि में न तो कोटेशन ही प्रस्तुत किया गया है और न ही उससे सम्बंधित प्रमाणक ही प्रस्तुत किया गया है। स्टाक क्रय के भुगतान की स्वीकृती भी निर्माण समिति से नहीं कराई गई है। धन का भुगतान फर्म को एकाउन्ट पेयी चेक के द्वारा न कर के नगद किया गया है। स्ट्रीट लाईट कहां-कहां प्रयोग में लाए गये हैं। इसका प्रमाणक संबंधित ग्राम पंचायत के निवासियों से पुष्ट करा कर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। स्पष्ट है कि स्ट्रीट लाईट का क्रय दर्शाकर रु0 55200.00 का अपहरण ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सनंदन लाल यादव एवं ग्राम प्रधान श्रीमती कलावती द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री सनंदन लाल यादव से रु0 27600.00 एवं ग्राम प्रधान श्रीमती कलावती से रु0 27600.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
55200.00	—	—	55200.00

58—ग्राम पंचायत —डड़वा राजा लेखा परीक्षा वर्ष— 2013—14 से 14—15 विकास

खण्ड—मिठवलजनपद—सिद्धार्थनगर

प्रस्तर संख्या—94

ग्राम पंचायत की लेखापरीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्ष 13—14 एवं 14—15 में विभिन्न तिथियों में कुल रुपया 648380.00 का स्टाक क्रय किया जाना रोकड़ बही में अंकित है। परन्तु लेखापरीक्षा में क्रय स्टाक की पुष्टि में न तो कोटेशन ही प्रस्तुत किया गया है और न ही उससे सम्बंधित प्रमाणक ही प्रस्तुत किया गया है। स्टाक क्रय के भुगतान की स्वीकृति भी निर्माण समिति से नहीं कराई गई है। धन का भुगतान फर्म को एकाउन्ट पेयी चेक के द्वारा न कर के नगद किया गया है। स्पष्ट है कि स्टाक का क्रय दर्शाकर रु0 648380.00 का अपहरण ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शेष दत्त मिश्र एवं ग्राम प्रधान श्रीमती राजकुमारी द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री शेष मिश्र से रु0 324190.00 एवं ग्राम प्रधान श्रीमती राजकुमारी से रु0 324190.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
648380.00	—	—	648380.00

प्रस्तर संख्या—95

आलोच्य वर्षों की लेखापरीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि ग्राम निधि प्रथम खातों से रु0 96692.00 का भुगतान मजदूरी के रूप में किया जाना रोकड़ बही में दर्शित है। परन्तु भुगतानित धनराशि की पुष्टि में तिथिवार मस्टर रोल लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे मजदूरी पर किये गये भुगतान की सत्यता प्रमाणित नहीं की जा सकती। कराये गये कार्यों का कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे कार्य पूर्ण हाने की पुष्टि नहीं की जा सकी। स्पष्ट है कि ग्रा0प0अधि0 एवं ग्राम प्रधान द्वारा मजदूरी पर भुगतान दर्शाकर धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री शेषदत्त मिश्र से रु0 48346.00 एवं ग्राम प्रधान श्रीमती राजकुमारी से रु0 48346.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
96692.00			96692.00

59—ग्राम पंचायत —गौरी लेखा परीक्षा वर्ष— 14—15 विकास खण्ड—मिठवल जनपद—सिद्धार्थनगर

प्रस्तर संख्या—96

ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्ष 14—15 में विभिन्न तिथियों में कुल रुपया 329540.00 का स्टाक क्रय किया जाना रोकड़ बही में अंकित है। परन्तु लेखापरीक्षा में क्रय स्टाक की पुष्टि में न तो कोटेशन ही प्रस्तुत किया गया है और न ही उससे सम्बंधित प्रमाणक ही प्रस्तुत किया गया है। स्टाक क्रय के भुगतान की स्वीकृति भी निर्माण समिति से नहीं कराई गई है। धन का भुगतान फर्म को एकाउन्ट पेयी चेक के द्वारा न कर के नगद किया गया है। स्पष्ट है कि स्टाक का क्रय दर्शाकर रु0 329540.00 का अपहरण ग्राम पंचायत अधिकारी श्री हनुमान प्रसाद एवं ग्राम प्रधान श्री राम प्यारे मौर्य द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री हनुमान प्रसाद से रु0 164770.00 एवं ग्राम प्रधान श्री राम प्यारे मौर्य से रु0 164770.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
329540.00	—	—	329540.00

प्रस्तर संख्या—97

आलोच्य वर्षों की लेखापरीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि ग्राम निधि प्रथम् खातों से रु0 75674.00 का भुगतान मजदूरी के रूप में किया जाना रोकड़ बही में दर्शित है। परन्तु भुगतानित धनराशि की पुष्टि में तिथिवार मस्टर रोल लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे मजदूरी पर किये गये भुगतान की सत्यता प्रमाणित नहीं की जा सकती। कराये गये कार्यों का कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे कार्य पूर्ण हाने की पुष्टि नहीं की जा सकी। स्पष्ट है कि ग्रा0प0अधि0 एवं ग्राम प्रधान द्वारा मजदूरी पर भुगतान दर्शाकर धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री हनुमान प्रसाद से रु0 37837.00 एवं ग्राम प्रधान श्री राम प्यारे मौर्य से रु0 37837.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
75674.00			75674.00

60—ग्राम पंचायत —करमहिया लेखा परीक्षा वर्ष— 14—15 विकास खण्ड—मिठवल जनपद—सिद्धार्थनगर

प्रस्तर संख्या—98

ग्राम पंचायत की लेखापरीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्ष 14—15 में विभिन्न तिथियों में कुल रुपया 385200.00 का स्टॉक क्रय किया जाना रोकड़ बही में अंकित है। परन्तु लेखापरीक्षा में क्रय स्टॉक की पुष्टि में न तो कोटेशन ही प्रस्तुत किया गया है और न ही उससे सम्बंधित प्रमाणक ही प्रस्तुत किया गया है। स्टॉक क्रय के भुगतान की स्वीकृति भी निर्माण समिति से नहीं कराई गई है। धन का भुगतान फर्म को एकाउन्ट पेयी चेक के द्वारा न कर के नगद किया गया है। स्पष्ट है कि स्टॉक का क्रय दर्शा कर रु0 385200.00 का अपहरण ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शेषदत्त मिश्र एवं ग्राम प्रधान श्रीमती रिजवाना खातून द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री शेषदत्त मिश्र से रु0 192600.00 एवं ग्राम प्रधान श्रीमती रिजवाना खातून से रु0 192600.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
385200.00	—	—	385200.00

प्रस्तर संख्या—99

आलोच्य वर्षों की लेखापरीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि ग्राम निधि प्रथम् खातों से रु0 101308.00 का भुगतान मजदूरी के रूप में किया जाना रोकड़ बही में दर्शित है। परन्तु भुगतानित धनराशि की पुष्टि में तिथिवार मस्टर रोल लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे मजदूरी पर किये गये भुगतान की सत्यता प्रमाणित नहीं की जा सकती। कराये गये कार्यों का कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे कार्य पूर्ण हाने की पुष्टि नहीं की जा सकी। स्पष्ट है कि ग्रा0प0अधि0 एवं ग्राम प्रधान द्वारा मजदूरी पर भुगतान दर्शाकर धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री शेषदत्त मिश्र से रु0 50654.00 एवं ग्राम प्रधान श्रीमती रिजवाना खातून से रु0 50654.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
101308.00			101308.00

**61—ग्राम पंचायत—धर्मपुरवा लेखा परीक्षा वर्ष—13—14 से 14—15 विकास खण्ड—मिठवल
जनपद—सिद्धार्थनगर
प्रस्तर संख्या—100**

ग्राम पंचायत की लेखापरीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्ष 13—14 से 14—15 में विभिन्न तिथियों में कुल रुपया 421500.00 का स्टॉक क्रय किया जाना रोकड़ बही में अंकित है। परन्तु लेखापरीक्षा में क्रय स्टॉक की पुष्टि में न तो कोटेशन ही प्रस्तुत किया गया है और न ही उससे सम्बंधित प्रमाणक ही प्रस्तुत किया गया है। स्टॉक क्रय के भुगतान की स्वीकृति भी निर्माण समिति से नहीं कराई गई है। धन का भुगतान फर्म को एकाउन्ट पेयी चेक के द्वारा न कर के नगद किया गया है। स्पष्ट है कि स्टॉक का क्रय दर्शाकर रु0 42150.00 का अपहरण ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शेष दत्त मिश्र एवं ग्राम प्रधान श्रीमती तरावुन्निसा द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री शेष मिश्र से रु0 210750.00 एवं ग्राम प्रधान श्रीमती तरावुन्निसा से रु0 210750.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
421500.00	—	—	421500.00

प्रस्तर संख्या—101

आलोच्य वर्षों की लेखापरीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि ग्राम निधि प्रथम खाते से रु0 102138.00 का भुगतान मजदूरी के रूप में किया जाना रोकड़ बही में दर्शित है। परन्तु भुगतानित धनराशि की पुष्टि में तिथिवार मस्टर रोल लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे मजदूरी पर किये गये भुगतान की सत्यता प्रमाणित नहीं की जा सकती। कराये गये कार्यों का कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे कार्य पूर्ण हाने की पुष्टि नहीं की जा सकी। स्पष्ट है कि ग्रा0प0अधि0 एवं ग्राम प्रधान द्वारा मजदूरी पर भुगतान दर्शाकर धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री शेष दत्त मिश्र से रु0 51069.00 एवं ग्राम प्रधान श्रीमती तरावुन्निसा से रु0 51069.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
102138.00			102138.00

**62—ग्राम पंचायत —चरथरी लेखा परीक्षा वर्ष— 14—15 विकास खण्ड—मिठवल
जनपद—सिद्धार्थनगर
प्रस्तर संख्या—102**

ग्राम पंचायत की लेखापरीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्ष 14—15 में विभिन्न तिथियों में कुल रुपया 253480.00 का स्टॉक क्रय किया जाना रोकड़ बही में अंकित है। परन्तु लेखापरीक्षा में क्रय स्टॉक की पुष्टि में न तो कोटेशन ही प्रस्तुत किया गया है और न ही उससे सम्बंधित प्रमाणक ही प्रस्तुत किया गया है। स्टॉक क्रय के भुगतान की स्वीकृति भी निर्माण समिति से नहीं कराई गई है। धन का भुगतान फर्म को एकाउन्ट पेयी चेक के द्वारा न कर के नगद किया गया है। स्पष्ट है कि स्टॉक का क्रय दर्शाकर रु0

253480.00 का अपहरण ग्राम पंचायत अधिकारी श्री हनुमान प्रसाद एवं ग्राम प्रधान श्री विष्णु प्रसाद द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री हनुमान प्रसाद से रु0 126740.00 एवं ग्राम प्रधान श्री विष्णु प्रसाद से रु0 126740.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
253480.00	—	—	253480.00

प्रस्तर संख्या—103

आलोच्य वर्ष की लेखापरीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि ग्राम निधि प्रथम् खातों से रु 110748.00 का भुगतान मजदूरी के रूप में किया जाना रोकड़ बही में दर्शित है। परन्तु भुगतानित धनराशि की पुष्टि में तिथिवार मस्टर रोल लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे मजदूरी पर किये गये भुगतान की सत्यता प्रमाणित नहीं की जा सकती। कराये गये कार्यों का कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे कार्य पूर्ण हाने की पुष्टि नहीं की जा सकी। स्पष्ट है कि ग्रा0प0अधि एवं ग्राम प्रधान द्वारा मजदूरी पर भुगतान दर्शाकर धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री हनुमान प्रसाद से रु0 55374.00 एवं ग्राम प्रधान श्री विष्णु प्रसाद से रु0 55374.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
110748.00			110748.00

63—ग्राम पंचायत —घुमची लेखा परीक्षा वर्ष—14—15 विकास खण्ड—मिठवल जनपद—सिद्धार्थनगर प्रस्तर संख्या—104

ग्राम पंचायत की लेखापरीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्ष 14—15 में विभिन्न तिथियों में कुल रुपया 351170.00 का स्टॉकक्रय किया जाना रोकड़ बही में अंकित है। परन्तु लेखापरीक्षा में क्रय स्टॉककी पुष्टि में न तो कोटेशन ही प्रस्तुत किया गया है और न ही उससे सम्बंधित प्रमाणक ही प्रस्तुत किया गया है। स्टॉक क्रय के भुगतान की स्वीकृति भी निर्माण समिति से नहीं कराई गई है। धन का भुगतान फर्म को एकाउन्ट पेयी चेक के द्वारा न कर के नगद किया गया है। स्पष्ट है कि स्टॉक का क्रय दर्शाकर रु0 351170.00 का अपहरण ग्राम पंचायत अधिकारी श्री हनुमान प्रसाद एवं ग्राम प्रधान श्री पंकज उपाध्याय द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री हनुमान प्रसाद से रु0 175585.00 एवं ग्राम प्रधान श्री पंकज उपाध्याय से रु0 175585.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
351170.00	—	—	351170.00

प्रस्तर संख्या—105

आलोच्य वर्ष की लेखापरीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि ग्राम निधि प्रथम्खातों से रु0 72224.00 का भुगतान मजदूरी के रूप में किया जाना रोकड़ बही में दर्शित है। परन्तु भुगतानित धनराशि की पुष्टि में तिथिवार मस्टर रोल लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे मजदूरी पर किये गये भुगतान की सत्यता प्रमाणित नहीं की जा सकती। कराये गये कार्यों का कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे कार्य पूर्ण हाने की पुष्टि नहीं की जा सकी। स्पष्ट है कि ग्रा0प0अधि एवं ग्राम प्रधान द्वारा मजदूरी पर भुगतान दर्शाकर धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास

अधिकारी श्री हनुमान प्रसाद से रु0 36112.00 एवं ग्राम प्रधान श्री पंकज उपाध्याय से रु0 36112.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
72224.00			72224.00

64—ग्राम पंचायत—दुबाई लेखा परीक्षा वर्ष— 14—15 विकास खण्ड—खेसरहा जनपद—सिद्धार्थनगर प्रस्तर संख्या—108

ग्राम पंचायत की लेखापरीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्ष 14—15 में विभिन्न तिथियों में कुल रुपया 366990.00 का स्टॉक क्रय किया जाना रोकड़ बही में अंकित है। परन्तु लेखापरीक्षा में क्रय स्टॉक की पुष्टि में न तो कोटेशन ही प्रस्तुत किया गया है और न ही उससे सम्बंधित प्रमाणक ही प्रस्तुत किया गया है। स्टॉक क्रय के भुगतान की स्वीकृति भी निर्माण समिति से नहीं कराई गई है। धन का भुगतान फर्म को एकाउन्ट पेयी चेक के द्वारा न कर के नगद किया गया है। स्पष्ट है कि स्टॉक का क्रय दर्शाकर रु0 366990.00 का अपहरण ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मनिराम वर्मा एवं ग्राम प्रधान श्री मो0 आजम द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री मनिराम वर्मा से रु0 183495.00 एवं ग्राम प्रधान श्रीमो0 आजम से रु0 183495.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
366990.00	—	—	366990.00

प्रस्तर संख्या—107

आलोच्य वर्ष की लेखापरीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि ग्राम निधि प्रथम खातें से रु0 101123.00 का भुगतान मजदूरी के रूप में किया जाना रोकड़ बही में दर्शित है। परन्तु भुगतानित धनराशि की पुष्टि में तिथिवार मस्टर रोल लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे मजदूरी पर किये गये भुगतान की सत्यता प्रमाणित नहीं की जा सकती। कराये गये कार्यों का कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे कार्य पूर्ण होने की पुष्टि नहीं की जासकी। स्पष्ट है कि ग्रा0प0अधि0 एवं ग्राम प्रधान द्वारा मजदूरी पर भुगतान दर्शाकर धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री मनिराम वर्मा से रु0 50561.50 एवं ग्राम प्रधान श्री मो0 आजम से रु0 50561.50 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
101123.00			101123.00

65—ग्राम पंचायत—अरजी लेखा परीक्षा वर्ष— 14—15 विकास खण्ड—खेसरहा जनपद—सिद्धार्थनगर प्रस्तर संख्या—108

ग्राम पंचायत अरजी की लेखा परीक्षा में पाया गया की भड़सार गाँव में पुलिया मरम्मत कार्य में लेखा परीक्षा वर्ष में रु0 59764.00 का व्यय रोकड़ बही में दर्शित है। उपरोक्त पुलिया निर्माण कब हुआ, मरम्मत की आवश्यकता थी या नहीं लेखा परीक्षा में इसका कोई संतोषजनक समाधान नहीं मिला। ग्राम0प0 की सदन को संज्ञान में लाए बिना प्रधान एवं सचिव द्वारा खाते से अनुमन्य सीमा से अधिक धनराशि आहरित कर ली गई,

जिसे बाद की तिथियों में समायोजन व्यय लेखा पारित कर दिया गया। सामग्री आमद की पुष्टि में स्टॉक पंजिका भी प्रस्तुत नहीं रही। उक्त भुगतान के सापेक्ष चालान/बिल वाउचर भी प्रस्तुत नहीं रहा। मरम्मत कार्य से संबंधित स्वीकृत प्राक्कलन माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, मस्टर रोल भी लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। उपरोक्त बिन्दुओं के क्रम में लेखापरीक्षा में कुल रु 59764.00 अपहरण की श्रेणी में माना गया, जिसके लिए ग्रा0प0अधि0 एवं ग्राम प्रधान सयुक्त रुप से उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम0वि0अधि0 श्री मनिराम वर्मा से रु0 29882.00 एवं ग्राम प्रधान राम लौट से रु0 29882.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
59764.00			59764.00

प्रस्तर संख्या-109

ग्राम पंचायत अरजी की लेखा परीक्षा में पाया गया की पिच रोड से प्रा0वि0 तक खड़न्जा मरम्मत कार्य में कुल रु 81628.00 का व्यय रोकड़ बही में दर्शित है। उपरोक्त खड़न्जा निर्माण कब हुआ ,मरम्मत की आवश्यकता थी या नहीं लेखा परीक्षा में इसका कोई संतोषजनक समाधान नहीं मिला। ग्राम0प0 की सदन को संज्ञान में लाए बिना प्रधान एवं सचिव द्वारा खाते से अनुमन्य सीमा से अधिक धनराशि आहरित कर ली गई, जिसे बाद की तिथियों में समायोजन व्यय लेखा पारित कर दिया गया। सामग्री आमद की पुष्टि में स्टॉक पंजिका भी प्रस्तुत नहीं रही। उक्त भुगतान के सापेक्ष चालान/बिल वाउचर भी प्रस्तुत नहीं रहा। मरम्मत कार्य से संबंधित स्वीकृत प्राक्कलन माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, मस्टर रोल भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। उपरोक्त बिन्दुओं के क्रम में लेखापरीक्षा में कुल रु0 81628.00 अपहरण की श्रेणी में माना गया, जिसके लिए ग्रा0प0अधि0 एवं ग्राम प्रधान सयुक्त रुप से उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम0वि0अधि0 श्री मनिराम वर्मा से रु0 40814.00 एवं ग्राम प्रधान राम लौट से रु0 40814.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
81628.00			81628.00

प्रस्तर संख्या-110

ग्राम पंचायत की लेखापरीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्ष 14-15 में विभिन्न तिथियों में कुल रुपया 255092.00 का स्टाक क्रय किया जाना रोकड़ बही में अंकित है। परन्तु लेखापरीक्षा में क्रय स्टाक की पुष्टि में न तो कोटेशन ही प्रस्तुत किया गया है और न ही उससे सम्बंधित प्रमाणक ही प्रस्तुत किया गया है। स्टाक क्रय के भुगतान की स्वीकृति भी निर्माण समिति से नहीं कराई गई है। धन का भुगतान फर्म को एकाउन्ट पेयी चेक के द्वारा न कर के नगद किया गया है। स्पष्ट है कि स्टाक का क्रय दर्शाकर रु0 255092.00 का अपहरण ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मनिराम वर्मा एवं ग्राम प्रधान श्री मो0 आजम द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री मनिराम वर्मा से रु0 127546.00 एवं ग्राम प्रधान श्री राम लौट से रु0 127546.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
255092.00	—	—	255092.00

66—ग्राम पंचायत —टिकुर लेखा परीक्षा वर्ष— 14—15 विकास खण्ड—खेसरहा
जनपद—सिद्धार्थनगर
प्रस्तर संख्या—111

ग्रा0प0 टिकुर की लेखापरीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया कि प्रायःग्राम प्रधान व सचिव द्वारा मनमाने तरिके से खाते से अधिक नगद निकासी कर नगद अवशेष के रुप में बड़ी मात्रा में धनराशि को अवरुद्ध रखा जा रहा है। विवरण निम्न है—

दिनांक	अवरुद्ध नगद धनराशि
31.01.15	56494.00
16.02.15	20110.00
योग	76604.00

स्पष्ट है कि बिना जरूरत व नियमों का उल्लंघन कर मनमाने तरिके से प्रधान के पास नगद अवशेष रख कर राजकीय अनुदान की धनराशि का दुरुपयोग किया गया है, जिसके लिए ग्रा0प0अधि0 एवं ग्राम प्रधान सयुक्त रुप से उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम0वि0अधि0 श्री मनिराम वर्मा से रु0 38302.00 एवं ग्राम प्रधान श्रीमती रमावती से रु0 38302.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
—	76604.00	—	76604.00

प्रस्तर संख्या—112

ग्राम पंचायत टिकुर की लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया कि प्रधान औरसचिव द्वारा बिना स्वीकृति के बैंक खाते से स्वयं के नाम नगद आहरण कर लम्बी अवधि तक धनराशि रु0 930765.00 को अपने पास अवरुद्ध रखा गया। बिना स्वीकृत प्रस्ताव, अनुमोदित कार्ययोजना, आपूर्तित सामग्री के सापेक्ष सप्लायर्स को एकाउन्ट पेयी चेक से टी0डी0एस0 की कटौती कर भुगतान न करके दर्शित धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। भुगतान दर्शित मजदूरी के सापेक्षमस्टररोल भी प्रस्तुत नहीं रहा। परियोजना के सापेक्ष लेखा परीक्षा में भुगतान से पूर्व नियोजन समिति से स्वीकृति नहीं ली गई। प्रयुक्त किए गए सामग्री के सापेक्ष सप्लायर्स का चालान/बिल/बाउचर भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। इस हेतु उत्तरदायी व्यक्ति तत्कालीन प्रधान श्रीमती रामावती से रु0 465382.50 एवं सचिव श्री मनीराम वर्मा से रु0 465382.50 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
930765.00	—	—	930765.00

प्रस्तर सं0-113

ग्रा0पं0 टिकुर की लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया कि ग्रा0पं0सदन की स्वीकृति के बिना कुल रु0 26000.00 सी0एफ0एल0 लाईट मरम्मत के नाम पर नकद निकासी कर अपहरण कर लिया गया। लेखा परीक्षा में इससे संबंधित कोई चालान/बिल/बाउचर प्रस्तुत नहीं रहा। इस हेतु उत्तरदायी तत्कालिन प्रधानश्रीमती रामावती से रु0 13000.00 एवं सचिवश्री मनीराम वर्मा से रु0 13000.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
26000.00	—	—	26000.00

67—ग्राम पंचायत —कठमोरवा लेखा परीक्षा वर्ष— 14-15 विकास खण्ड—खेसरहा
जनपद—सिद्धार्थनगर
प्रस्तर सं0-114

ग्राम पंचायत कठमोरवा की लेखापरीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया कीनाली निर्माण के नाम पर कुल रु 244287.00 का नगद आहरण कर रोकड़ बही में व्यय समायोजन लेखा पारित कर धनराशि का अपाहरण कर लिया गया है। प्रयुक्त दर्शित सामग्री के सापेक्ष आपूर्तिकर्ता का चालान, बिल, एवं वाउचर भी प्रस्तुत नहीं रहा। कार्य के सापेक्ष भुगतान हेतु निर्माण समिति की संस्तुति, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टाक पंजिका, परिसम्पत्ति पंजिका आदि उपलब्ध नहीं रहा। जिसके लिए उत्तरदायी व्यक्ति तात्कालीन प्रधान श्री रामबृक्ष से रु0 122143.50 एवं सचिव श्री लाले से 122143.50 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
244287.00	—	—	244287.00

प्रस्तर सं0-115

ग्राम0पं0 कठमोरवा के ग्राम निधी प्रथम की लेखापरीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया की मार्च 2015 में विभिन्न तिथियों में एक ही खातों में कुल रु0 123150.00 अंतरित कर रोकड़ बही में सामग्री क्रय ,मजदूरी भुगतान, प्रधान का मानदेय, स्टेशनरी खरीद का समायोजन लेखा पारित कर धनराशि का अपहरण का लिया गया है। इस हेतु उत्तरदायी तत्कालीन प्रधान श्री रामबृक्ष से रु0 61575.00 एवं सचिव श्री लाले से 61575.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
123150.00	—	—	123150.00

प्रस्तर सं0-116

ग्राम पंचायत कठमोरवा की लेखापरीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया की नाली निर्माण के नाम पर कुल रु 225844.00 का नगद आहरण कर रोकड़ बही में व्यय समायोजन लेखा पारित कर धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। प्रयुक्त दर्शित सामग्री के सापेक्ष आपूर्तिकर्ता का चालान, बिल, एवं वाउचर भी प्रस्तुत नहीं रहा। कार्य के सापेक्ष भुगतान हेतु निर्माण समिति की संस्तुति कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टाक पंजिका, परिसम्पत्ति पंजिका आदि उपलब्ध नहीं रहा। जिसके लिए उत्तरदायी व्यक्ति तत्कालीन प्रधान श्री रामबृक्ष से रु0 112922.00 एवं सचिव श्री लाले से 112922.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
225844.00	—	—	225844.00

प्रस्तर सं०-117

ग्राम पंचायत कठमोरवा की लेखापरीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया की खाते से कुल रु० 116986.00 की नगद निकासी कर एक कूप मरम्मत के नाम पर रोकड़बही में समायोजन लेखा पारित कर धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। इससे संबंधित स्वीकृति योजना, सामग्री आपूर्तिकर्ता का चालान, बिल, वाउचर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, माप पुस्तिका, परिसम्पत्ति पंजिका आदि प्रस्तुत नहीं रहा, जिसके लिए उत्तरदायी व्यक्ति तात्कालीन प्रधान श्री रामबृक्ष से रु० 58493.00 एवं सचिव श्री लाले से 58493.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
116986.00	—	—	116986.00

68—ग्राम पंचायत —बकैनिहा लेखा परीक्षा वर्ष— 14—15 विकास खण्ड—खेसरहा
जनपद—सिद्धार्थनगर
प्रस्तर सं०-118

ग्राम पंचायत बकैनिहा की लेखापरीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया की प्रधान एवं सचिव की दुरभिसंधि से राजकीय अनुदान की धनराशियों को विभिन्न व्यक्तियों के नाम चेक निर्गत कर बिना उचित प्रक्रिया के सामग्री व मजदूरी मद में समायोजन लेखा दर्शा कर कुल रु 369850.00 का अपहरण कर लिया गया है। इससे संबंधित स्वीकृति योजना, सामग्री आपूर्तिकर्ता का चालान, बिल, वाउचर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, माप पुस्तिका परिसम्पत्ति पंजिका आदि प्रस्तुत नहीं रहा। जिसके लिए उत्तरदायी व्यक्ति तत्कालीन प्रधान श्रीमती प्रभावती से रु० 184925.00 एवं सचिव श्री लाले से 184925.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
369850.00	—	—	369850.00

69—ग्राम पंचायत —केशवार लेखा परीक्षा वर्ष— 14—15 विकास खण्ड—खेसरहा
जनपद—सिद्धार्थनगर
प्रस्तर सं०-119

ग्राम पंचायत केशवार की लेखापरीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया कि विभिन्न योजनाओं के सापेक्ष ग्रा०नि प्रथम में प्राप्त शासकीय अनुदान की धनराशि का योजनाओं के सापेक्ष निर्गत गाईड लाईन का उल्लंघन कर सीर्फ एक ही परियोजना "नन्दे के चक के पास पुलिया निर्माण "मद में रु 519275.00 भुगतान दर्शा कर अपहरण कर लिया गया है। परियोजना से संबंधित वित्तीय/प्रशासनीक/तकनीकी स्वीकृती नहीं ली गई, न ही टेन्डर निकाला गया ,कार्य के सापेक्ष स्टीमेंट, माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र मस्टर रोल तथा प्रयुक्त सामग्री के सापेक्ष चालान, बिल वाउचर, स्टॉक पंजिका अनुपलब्ध रहा। जिसके लिए उत्तरदायी व्यक्ति तात्कालीन प्रधान श्रीमती सती से रु० 259637.50 एवं सचिव श्री मनीराम वर्मा से 259637.50 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
519275.00	—	—	519275.00

70—ग्राम पंचायत—बनुहिया बुजुर्ग लेखा परीक्षा वर्ष—14—15 विकास खण्ड—खेसरहा**जनपद—सिद्धार्थनगर****प्रस्तर सं०—120**

ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्ष 14—15 में विभिन्न तिथियों में कुल रुपया 362068.00 का स्टाक क्रय किया जाना रोकड़ बही में अंकित है। परन्तु लेखापरीक्षा में क्रय स्टाक की पुष्टि में न तो कोटेशन ही प्रस्तुत किया गया है और न ही उससे सम्बंधित प्रमाणक ही प्रस्तुत किया गया है। स्टाक क्रय के भुगतान की स्वीकृति भी निर्माण समिति से नहीं कराई गई है। धन का भुगतान फर्म को अकाउन्ट पेयी पी.एस.डी. के द्वारा न कर के नगद किया गया है। स्पष्ट है कि स्टाक का क्रय दर्शाकर रु० 362068.00 का अपहरण ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मनिराम वर्मा एवं ग्राम प्रधान श्रीमती मिथिलेश द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री मनिराम वर्मा से रु० 181034.00 एवं ग्राम प्रधान श्रीमती मिथिलेश से रु 181034.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
362068.00	—	—	362068.00

प्रस्तर संख्या—121

आलोच्य वर्ष की लेखापरीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि ग्रामनिधि प्रथम् खातें से रु० 87969.00 का भुगतान मजदूरी के रूप में किया जाना रोकड़ बही में दर्शित है। परन्तु भुगतानित धनराशि की पुष्टि में तिथिवार मस्टर रोल लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे मजदूरी पर किये गये भुगतान की सत्यता प्रमाणित नहीं की जा सकती। कराये गये कार्यों का कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी लेखापरीक्षामें प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे कार्य पूर्ण हाने की पुष्टि नहीं की जा सकी। स्पष्ट है कि ग्रा०प०अधि० एवं ग्राम प्रधान द्वारा मजदूरी पर भुगतान दर्शाकर धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री मनिराम वर्मा से रु० 43984.50 एवं ग्राम प्रधान श्रीमती मिथिलेश से रु० 43984.50 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
87969.00			87969.00

71—ग्राम पंचायत —पेडारीबुजुर्ग लेखा परीक्षा वर्ष— 14—15 विकास खण्ड—खेसरहा**जनपद—सिद्धार्थनगर****प्रस्तर सं०—122**

ग्राम पंचायत की लेखापरीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि प्रधान द्वारा अधिकतम नगद निकासी की सीमा का उल्लंघन कर ,एवं ग्रा०प० सदन की स्वीकृति के बिना खाते से लेखापरीक्षा वर्ष में कुल रु 723000.00 स्वयं के नाम नगद निकासी कर सामग्री एवं मजदूरी मद में समायोजन लेखा पारित कर धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। प्रयुक्त दर्शित सामग्री के सापेक्ष आपूर्तिकर्ता का चालान, बिल एवं वाउचर भी प्रस्तुत नहीं रहा। कार्य के सापेक्ष भुगतान हेतु निर्माण समिति की संस्तुति कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टाक पंजिका, परिसम्पत्ति पंजिका आदि उपलब्ध नहीं रहा। मजदूरी भुगतान की पुष्टि में तिथिवार मस्टर रोल भी लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। स्पष्ट है कि ग्राम०प्रधान एवं ग्रा०प०अधि० द्वारा समायोजन लेखा पारित कर धन का

अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री मनिराम वर्मा से रु0 361500.00 एवं ग्राम प्रधान श्रीमती चन्द्रावती देवीसे रु 361500.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
723000.00			723000.00

प्रस्तर सं0-123

ग्राम पंचायत की लेखापरीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि ब्याज से प्राप्त धनराशि को अन्य प्राप्तियां मद में दर्शाकर निर्माण कार्यों में व्यय कर रु0 3858.00 का दुरुपयोग किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री मनिराम वर्मा से रु0 1929.00 एवं ग्राम प्रधान श्रीमती चन्द्रावती देवी से रु0 1929.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
—	3858.00	—	3858.00

72-ग्राम पंचायत –पटहरा लेखा परीक्षा वर्ष- 14-15 विकास खण्ड-खेसरहा जनपद-सिद्धार्थनगर

प्रस्तर सं0-124

ग्राम पंचायत की लेखापरीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि “निर्मल के घर के सामने कूप मरम्मत कार्य” ग्राम पंचायत सदन की स्वीकृति, वित्तीय तकनीकी स्वीकृति लिए बिना समस्त भुगतान प्रधान के नाम पर नगद लेकर रु 54538.0 का अपहरण कर लिया गया है। सामग्री के सापेक्ष फर्म को टी0डी0एस काटकर अकाउंट पेई चेक से भुगतान नहीं किया गया है, न ही सामग्री आमद के सापेक्ष स्टॉक पंजिका चालान, बिल वाउचर, लेखापरीक्षा में प्रस्तुत रहा। कार्य के सापेक्ष माप पुस्तिका कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, सृजित सम्पत्ति से संबंधित परिसम्पत्ती पंजिका प्रस्तुत नहीं रहा। स्पष्ट है की रु0 54538.00 व्यय दर्शाकर ग्रा0प0 एवं ग्रा0प0अधि0 का द्वारा धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री मनिराम वर्मा से रु0 27269.00 एवं ग्राम प्रधान श्रीमती रीता देवी से रु0 27269.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
54538.00			54538.00

प्रस्तर सं0-125

ग्राम पंचायत की लेखापरीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि “बलिकरन के घर के सामने कूप मरम्मत कार्य” ग्राम पंचायत सदन की स्वीकृति, वित्तीय, तकनीकी स्वीकृति लिए बिना समस्त भुगतान प्रधान के नाम पर नगद लेकर रु0 60053.00 का अपहरण कर लिया गया है। सामग्री के सापेक्ष फर्म को टी0डी0एस काटकर अकाउंट पेई चेक से भुगतान नहीं किया गया है, न ही सामग्री आमद के सापेक्ष स्टॉक पंजिका, चालान, बिल वाउचर, लेखापरीक्षा में प्रस्तुत है। कार्य के सापेक्ष माप पुस्तिका कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, सृजित सम्पत्ति से संबंधित परिसम्पत्ती पंजिका प्रस्तुत नहीं रहा। स्पष्ट है की रु0 60053.00 व्यय दर्शाकर

ग्रा0प्र0 एवं ग्रा0प0अधि0 का द्वारा धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री मनिरामवर्मा से रु0 30026.50 एवं ग्राम प्रधान श्रीमती रीता देवी से रु0 30026.50 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
60053.00	—	—	60053.00

प्रस्तर सं0—126

ग्राम पंचायत की लेखापरीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि लेखापरीक्षा वर्ष में पाँच कूप मरम्मत कार्य” कराया गया है। ग्राम पंचायत सदन की स्वीकृति, वित्तीय तकनीकी स्वीकृति लिए बिना समस्त भुगतान प्रधान के नाम पर नगद लेकर रु0 208422.00 का अपहरण कर लिया गया है। सामग्री के सापेक्ष फर्म को टी0डी0एस0 काटकर अकाउंट पेई चेक से भुगतान नहीं किया गया है, न ही सामग्री आमद के सापेक्ष स्टॉक पंजिका, चालान, बिल वाउचर, लेखापरीक्षा में प्रस्तुत रहा। कार्य के सापेक्ष माप पुस्तिका कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, सृजित सम्पत्ति से संबंधित परिसम्पत्ती पंजिका प्रस्तुत नहीं रहा। स्पष्ट है की रु0 208422.00 व्यय दर्शाकर ग्रा0प्रधान एवं ग्रा0प0अधि0 का द्वारा धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री मनिराम वर्मा से रु0 104211.00 एवं ग्राम प्रधान श्रीमती रीता देवी से रु0 104211.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
208422.00			208422.00

73—ग्राम पंचायत —रिउना लेखा परीक्षा वर्ष— 14—15 विकास खण्ड—खेसरहा जनपद—सिद्धार्थनगर

प्रस्तर सं0—127

ग्राम पंचायत की लेखापरीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि लेखापरीक्षा वर्ष में तीन कूप मरम्मत कार्य” कराया गया है। ग्राम पंचायत सदन की स्वीकृति, वित्तीय तकनीकी स्वीकृति लिए बिना समस्त भुगतान प्रधान के नाम पर नगद लेकर रु0 185188.00 का अपहरण कर लिया गया है। सामग्री के सापेक्ष फर्म को टी0डी0एस0 काटकर अकाउंट पेई चेक से भुगतान नहीं किया गया है, न ही सामग्री आमद के सापेक्ष स्टॉक पंजिका, चालान, बिल वाउचर, लेखापरीक्षा में प्रस्तुत रहा। कार्य के सापेक्ष माप पुस्तिका कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, सृजित सम्पत्ति से संबंधित परिसम्पत्ती पंजिका प्रस्तुत नहीं रहा। स्पष्ट है की रु0 185188.00 व्यय दर्शाकर ग्रा0प्रधान एवं ग्रा0प0अधि0 का द्वारा धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री मनिराम वर्मा से रु0 92594.00 एवं ग्राम प्रधान श्रीमती कुसुम से रु0 92594.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
185188.00	—	—	185188.00

प्रस्तर सं0—128

ग्राम पंचायत रिउना की लेखापरीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि ग्राम पंचायत सदन को संज्ञान में लाए बिना प्रधान के पास रोकड़ बही में दर्शित नगद अवशेष रु 31500.00 को हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय दर्शा का धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। इस सम्बंध में सदन में लाया गया प्रस्ताव, खराब हैण्ड पम्प

की सूची, जलप्रबंध समिति की भुगतान हेतु संस्तुति आदि के सम्बंध में लेखापरीक्षा में संतोषजनक उत्तर नहीं प्राप्त हुआ। मरम्मत कार्य में प्रयुक्त सामग्री, और मजदूरी पर भुगतान, खराब सामग्री का स्टॉक आदि की स्थिति अज्ञात रही। स्पष्ट है की रु0 31500.00 व्यय दर्शाकर ग्रा0प्रधान एवं ग्रा0प0अधि0 का द्वारा धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री मनिराम वर्मा से रु0 15750.00 एवं ग्राम प्रधान श्रीमती कुसुम से रु0 15750.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
31500.00	—	—	31500.00

प्रस्तर सं0—129

ग्राम पंचायत रिउना की लेखापरीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि ग्राम पंचायत सदन को संज्ञान में लाए बिना खाते से नगद निकासी कर रु0 35000.00 को लाईट मरम्मत व सी0एफ0एल0 लाईट लगवाने पर व्यय दर्शा कर धनराशि का अपहरण कर लिया गया। लेखपरीक्षा में खराब लाईट की सूची, उक्त लाईट की गारन्टी अवधि, नवीन खरीदी गयी लाईट की मात्रा व धनराशि सामग्री के सापेक्ष कोटेशन, बिल, वाउचर, प्रस्तुत नहीं रहा। स्पष्ट है कि रु0 31500.00 व्यय दर्शाकर ग्रा0प्रधान एवं ग्रा0प0अधि0 का द्वारा धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री मनिराम वर्मा से रु0 17500.00 एवं ग्राम प्रधान श्रीमती कुसुम से रु0 17500.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
35000.00	—	—	35000.00

74—ग्राम पंचायत —मड़वा लेखा परीक्षा वर्ष—13—14 से 14—15 विकास खण्ड—शोहरतगढ़ जनपद—सिद्धार्थनगर

प्रस्तर सं0—130

ग्राम पंचायत मड़वा की लेखापरीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि ग्राम निधि प्रथम् (वर्ष 13—14) से रु 185000.00 का नगद आहरण कर तत्कालीन सचिव व प्रधान द्वारा बिना ग्राम पंचायत की संस्तुति एवं निर्माण समिति की पुष्टि के व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। निकासी धन की पुष्टि में व्यय प्रमाणक भी प्रस्तुत नहीं किया गया तथा निकासी की तिथि तक ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 13—14 की कार्य योजना का अनुमोदन भी नहीं किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री विनोद चन्द्र श्रीवास्तव से रु0 92500.00 एवं ग्राम प्रधान श्रीमती अकलबुन्ना से रु0 92500.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
185000.00	—	—	185000.00

प्रस्तर सं0—131

ग्राम पंचायत मड़वा की लेखापरीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि ग्राम निधि प्रथम (वर्ष 14—15) से रु 164300.00 का नगद आहरण तत्कालीन सचिव श्री विनोद श्रीवास्तव द्वारा स्वयं के नाम से, बिना ग्राम पंचायत की संस्तुति एवं निर्माण समिति की पुष्टि के व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। निकासी धन की पुष्टि में व्यय प्रमाणक भी प्रस्तुत नहीं किया गया तथा निकासी की तिथि तक ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 14—15 की कार्य योजना का अनुमोदन भी नहीं किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम

विकास अधिकारी श्री विनोद चन्द्र श्रीवास्तव से रु0 82150.00 एवं ग्राम प्रधान श्रीमती अकलबुन्ना से रु0 82150.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
164300.00	—	—	164300.00

प्रस्तर सं0—132

ग्राम पंचायत मड़वा की लेखापरीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि ग्राम निधि प्रथम से रु0 273400.00 विभिन्न फर्मों को आर्डर चेक से भुगतान किया गया है, जबकि भुगतान अकाउंट पेड़ चेक से संबंधित फर्म के खाते में किया जाना चाहिए था। भुगतान की पुष्टि में फर्म का चालान, बिल, ग्राम पंचायत का आपूर्ति आदेश, निर्माण समिति की भुगतान हेतु संस्तुति, सामग्री आमद की पुष्टि में स्टॉक रजिस्टर आदि उपलब्ध नहीं रहा। स्पष्ट है की रु0 273400.00 व्यय दर्शाकर ग्रा0प्रधान एवं ग्रा0प0अधि0 का द्वारा धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री विनोद श्रीवास्तव से रु0 136700.00 एवं ग्राम प्रधान श्रीमती अकलबुन्ना से रु0 136700 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
273400.00	—	—	273400.00

प्रस्तर सं0—133

ग्राम पंचायत मड़वा की लेखापरीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि विभिन्न तिथियों में कुल रु0 348500.00 सचिव व प्रधान के दुरभिसंधि से 10000.00 के गुणक में नगद आहरित कर अपहरण कर लिया गया है। आहरित धन की पुष्टि में ग्राम पंचायत की निर्माण समिति का आदेश, व्यय धन से संबंधित व्यय प्रमाणक, पुष्टि हेतु उपलब्ध नहीं रहें। स्पष्ट है की रु0 348500.00 व्यय दर्शाकर ग्रा0प्रधान एवं ग्रा0प0अधि0 का द्वारा धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री विनोद श्रीवास्तव से रु0 174250.00 एवं ग्राम प्रधान श्रीमती अकलबुन्ना से रु0 174250.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
348500.00	—	—	348500.00

75—ग्राम पंचायत—मस्जिदिया लेखा परीक्षा वर्ष—12—13 से 14—15 विकास खण्ड—शोहरतगढ़ जनपद—सिद्धार्थनगर

प्रस्तर सं0—134

ग्राम पंचायत मस्जिदिया की लेखापरीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि तत्कालीन सचिव व प्रधान की दुरभिसंधि से लेखापरीक्षा वर्ष के दौरान ग्राम पंचायत की अनुमति के बगैर खाते से कुल रु0 804000.00 स्वयं के नाम नगद आहरित कर धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 40 क 3 घ के अनुसार इतने बड़े पैमाने पर शासकीय अनुदान में प्राप्त धन का नगद आहरण प्रतिबंधित है। आहरित धन की पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा। स्पष्ट है की रु0 804000.00 व्यय दर्शाकर ग्रा0प्रधान एवं ग्रा0प0अधि0 का द्वारा धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री विनोद श्रीवास्तव से रु0 402000.00 एवं ग्राम प्रधान श्री सुभाष चन्द्र से रु 402000.0 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
804000.00	—	—	804000.00

प्रस्तर सं०-135

ग्राम पंचायत मस्जिदिया की लेखापरीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि ग्राम निधि प्रथम से रु 357832.00 विभिन्न फर्मों को आर्डर चेक से भुगतान किया गया है, जबकी भुगतान अकाउंट पेई चेक से संबंधित फर्म के खाते में किया जाना चाहिए था। भुगतान की पुष्टि में फर्म का चालान, बिल, ग्राम पंचायत का आपूर्ति आदेश, निर्माण समिति की भुगतान हेतु संस्तुति, सामग्री आमद की पुष्टि में स्टॉक रजिस्टर आदि उपलब्ध नहीं रहा। स्पष्ट है की रु 357832.00 व्यय दर्शाकर ग्रा० प्रधान एवं ग्रा० प० अधि० का द्वारा धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री विनोद श्रीवास्तव से रु 178916.00 एवं ग्राम प्रधान श्री सुभाष चन्द्र से रु 178916.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
357832.00	—	—	357832.00

76-ग्राम पंचायत-सेखुईताज लेखापरीक्षा वर्ष-2010-11 से 14-15 विकासखण्ड-डुमरियागंज जनपद-सिद्धार्थनगर

प्रस्तर संख्या-136

ग्राम पंचायत की लेखापरीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्ष 10-11 से 14-15 में विभिन्न तिथियों में कुल रुपया 1449900.00 का स्टॉक क्रय किया जाना रोकड़ बही में अंकित है। परन्तु लेखापरीक्षा में क्रय स्टॉक की पुष्टि में न तो कोटेशन ही प्रस्तुत किया गया है और न ही उससे सम्बंधित प्रमाणक ही प्रस्तुत किया गया है। स्टॉक क्रय के भुगतान की स्वीकृति भी निर्माण समिति से नहीं कराई गई है। धन का भुगतान फर्म को अकाउन्ट पेयी चेक के द्वारा न कर के नगद किया गया है। स्पष्ट है कि स्टॉक का क्रय दर्शाकर रु 1449900.00 का अपहरण ग्राम पंचायत अधिकारी श्री एवं श्री शचीन्द्र नाथ पाठक ग्राम प्रधान श्रीमती प्रेमावती द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री शचीन्द्र नाथ पाठक से रु 724950.00 एवं ग्राम प्रधान श्रीमती प्रेमावती से रु 724950.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
1449900.00	—	—	1449900.00

प्रस्तर संख्या-137

आलोच्य वर्षों की लेखापरीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि ग्राम निधि प्रथम खातों से रु 282903.00 का भुगतान मजदूरी के रुप में किया जाना रोकड़ बही में दर्शित है। परन्तु भुगतानित धनराशि की पुष्टि में तिथिवार मस्टर रोल लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे मजदूरी पर किये गये भुगतान की सत्यता प्रमाणित नहीं की जा सकती। कराये गये कार्यों का कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे कार्य पूर्ण हाने की पुष्टि नहीं की जा सकी। स्पष्ट है कि ग्रा० प० अधि० एवं ग्राम प्रधान द्वारा मजदूरी पर भुगतान दर्शाकर धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास

अधिकारी श्री शचीन्द्र नाथ पाठक से रु0 141451.50 एवं ग्राम प्रधान श्रीमती प्रेमावती से रु0 141451.50 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
282903.00	—	—	282903.00

प्रस्तर संख्या—138

आलोच्य वर्षों की लेखापरीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि ग्रामकि वर्ष 10—11 से 14—15 में इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प मरम्मत पर रु0 11000.00 का व्यय ग्राम निधि प्रथम खाते के रोकड़ बही में दर्शित है। परन्तु भुगतान की पुष्टि में जलप्रबंधन समिति का स्वीकृत प्रस्ताव अप्रस्तुत रहा जिससे हैण्ड पम्प मरम्मत पर किया गया व्यय संदेहास्पद है। भुगतान से संबंधित कोई प्रमाणक लेखापरीक्षा प्रस्तुत नहीं किया गया। हैण्ड पम्प मरम्मत में प्रयुक्त सामग्री एवं मस्तोर रोल का अलग—अलग अंकन नहीं है। अस्तु हैण्ड पम्प मरम्मत पर किए गए धन की ब्याज सहित वसूली जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री शचीन्द्र नाथ पाठक से रु0 5500.00 एवं ग्राम प्रधान श्रीमती प्रेमावती से रु0 5500.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
11000.00	—	—	11000.00

77—ग्राम पंचायत —मैना लेखा परीक्षा वर्ष— 2011—12 से 14—15 विकास खण्ड—खुनियॉव जनपद—सिद्धार्थनगर

प्रस्तर संख्या—139

ग्राम पंचायत मैना की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि दिनांक 11.05.12 को रु 40500.00 की ईट क्रय कैश बुक में अंकित है, किन्तु ईट क्रय से संबंधित रसीद, स्टॉक रजिस्टर व कोटेशन ही प्रस्तुत नहीं रहा और न ही उससे संबंधित चालान, बिल, वाउचर, प्रस्तुत रहा। ईट का उपयोग स्थल भी अंकित नहीं है। स्पष्ट है की ईट का क्रय दर्शा कर गांव प्रधान एवं गांव प्रोधि द्वारा राजकीय धन का अपहरण का लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती उजमा से रु0 20250.00 एवं गांव प्रोधि श्री हरिशंकर सिंह से रु0 20250.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
40500.00	—	—	40500.00

प्रस्तर संख्या—140

ग्राम पंचायत मैना की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि दिनांक 02.07.13 को राज्य वित्त के खाते से रु0 45200.00 आहरित किया गया किन्तु उक्त के संबंध में कोई अंकन कैश बुक में नहीं किया गया है। स्पष्ट है बैंक से धन निकाल कर गांव प्रोधि एवं गांव प्रो द्वारा धनदका अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती उजमा से रु0 22600.00 एवं गांव प्रोधि श्री हरिशंकर सिंह से रु0 22600.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
45200.00	—	—	45200.00

प्रस्तर संख्या—141

ग्राम पंचायत मैना की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि दिनांक 04.12.13 को राज्य वित्त के खाते से रु 47000.00 का ईट क्रय किया जाना कैश बुक में दर्शित है। परन्तु ईट क्रय से संबंधित रसीद, चालान, बिल लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। फर्म को भुगतान अकाउंट पेई चेक से न कर के नगद किया गया है। ईट का उपयोग स्थल भी कैश बुक में अंकित नहीं है। स्पष्ट है की ईट का क्रय दर्शा कर गा0प्रधान एवं गा0प्र0धि0 द्वारा राजकीय धन का अपहरण का लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती उजमा से रु0 23500.00 एवं गा0प0अधि0 श्री हरिशंकर सिंह से रु0 23500.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
47000.00	—	—	47000.00

78—ग्राम पंचायत —धोबहा मु0 लेखा परीक्षा वर्ष— 2011—12 से 14—15 विकास खण्ड—खुनियाँव जनपद—सिद्धार्थनगर

प्रस्तर संख्या—142

गा0प0 धोबहा मु0 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया की दिनांक 07.04.14 को रु 45000.00 श्री सतेन्द्र के नाम से बीयरर चेक से धनराशि आहरित की गयी है। उक्त धनराशि संबंधित को किस कार्य हेतु भुगतान किया गया रोकड़ बही में इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। 20000.00 से उपर का कोई भी भुगतान फर्म को अकाउंट पेई चेक से किया जाना चाहिए न की बीयरर चेक से। स्पष्ट है कि गा0प0अधि0 एवं गा0प्र द्वारा उक्त धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सुभावती देवी से रु0 22500.00 एवं गा0प0अधि0 श्री हरिशंकर सिंह से रु0 22500.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
45000.00	—	—	45000.00

प्रस्तर संख्या—143

गा0प0 धोबहा मु0 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया की दिनांक 07.04.14 को रु 45000.00 श्री हरिओम के नाम से बीयरर चेक से धनराशि आहरित की गयी है। उक्त धनराशि संबंधित को किस कार्य हेतु भुगतान किया गया रोकड़ बही में इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। 20000.00 से उपर का कोई भी भुगतान फर्म को अकाउंट पेई चेक से किया जाना चाहिए न की बीयरर चेक से। स्पष्ट है कि गा0प0अधि0 एवं गा0प्रद्वारा उक्त धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्रामप्रधान श्रीमती सुभावती देवी से रु 22500.00 एवं गा0प0अधि0 श्री हरिशंकर सिंह से रु0 22500.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
45000.00	—	—	45000.00

प्रस्तर संख्या—144

ग्रा0प0 धोबहा मु0 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया की दिनांक 16.04.14 को रु0 50000.00 श्री हरिओम के नाम से बीयरर चेक से धनराशि आहरित की गयी है। उक्त धनराशि संबंधित को किस कार्य हेतु भुगतान किया गया रोकड़ बही में इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। 20000.00 से उपर का कोई भी भुगतान फर्म को अकाउंट पेई चेक से किया जाना चाहिए न की बीयरर चेक से। स्पष्ट है कि ग्रा0प0अधि0 एवं ग्रा0 प्र0 द्वारा उक्त धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सुभावती देवी से रु0 25000.00 एवं ग्रा0प0अधि0 श्री हरिशंकर सिंह से रु0 25000.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
50000.00	—	—	50000.00

**79—ग्राम पंचायत —भरथना लेखा परीक्षा वर्ष— 2010—11 से 14—15 विकास खण्ड—मिठवल
जनपद—सिद्धार्थनगर**
प्रस्तर संख्या—145

ग्राम पंचायत की लेखापरीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्ष 10—11 से 14—15 में विभिन्न तिथियों में कुल रुपया 588470.00 का स्टाक क्रय किया जाना रोकड़ बही में अंकित है। परन्तु लेखापरीक्षा में क्रय स्टाक की पुष्टि में न तो कोटेशन ही प्रस्तुत किया गया है और न ही उससे सम्बंधित प्रमाणक ही प्रस्तुत किया गया है। स्टाक क्रय के भुगतान की स्वीकृति भी निर्माण समिति से नहीं कराई गई है। धन का भुगतान फर्म को अकाउंट पेई चेक के द्वारा न कर के नगद किया गया है। स्पष्ट है कि स्टाक का क्रय दर्शाकर रु0 588470.00 का अपहरण ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शेष दत्त मिश्र एवं ग्राम प्रधान श्रीमती शीला देवी द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्रा0 वि0अधि0 श्री शेषदत्त मिश्र से रु0 294235.00 एवं ग्राम प्रधान श्रीमती शीला देवी से रु0 294235.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
588470.00	—	—	588470.00

प्रस्तर संख्या—146

ग्राम पंचायत भरथना की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है की राज्य वित्त खाते में शौचालय निर्माण कार्य हेतु कुल 138240.00 रु अनुदान हेतु प्राप्त हुआ था। उक्त धनराशि ग्राम0वि0अधि एवं ग्राम प्रधान द्वारा खाते से नगद आहरित कर के लाभार्थियों को वितरित किया जाना कैश बुक में दर्शाया गया है। जबकी उक्त धन के नगद भुगतान की कोई व्यवस्था नहीं थी ,लाभार्थियों अंश प्राप्त होने पर प्रोत्साहन राशी को उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाना था। लेखापरीक्षा में शौचालय निर्माण से संबंधित लाभार्थियों द्वारा प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र भी लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह पुष्ट नहीं किया जा सका की शौचालय निर्माण कराया गया था की नहीं। नगद धन वितरण की प्राप्ति रसीद भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत की गयी जिससे यह पुष्ट नहीं किया जा सका की वास्तव में लाभार्थियों का धनराशि वितरित की गयी थी या नहीं, उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट है की ग्राम प्रधान एवं ग्रा0वि0अधि0 द्वारा धनराशि का अपहरण कर

लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती शीला देवी से रुपया 69120.00 एवं ग्रा0वि0अधि0 श्री शेष दत्त मिश्र से रु0 69120.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
138240.00	—	—	138240.00

प्रस्तर संख्या—147

आलोच्य वर्षों की लेखापरीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि स्ट्रीट लाईट क्रय हेतु 116500.00 रु0 का व्यय किया जाना राज्य वित्त के कैश बुक में दर्शित है। परन्तु स्ट्रीट लाईट क्रय की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। स्ट्रीट लाईट लगाये जाने के स्थान का भी कोई विवरण कैशबुक में अंकित नहीं हैं। स्ट्रीट लाईट का अंकन स्टॉक बुक में भी नहीं किया गयी है। उक्त तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट है की स्ट्रीट लाईट क्रय पर व्यय दर्शा कर ग्राम प्रधान एवं ग्रा0वि0अधि0 द्वारा धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती शीला देवी से रु0 58250.00 एवं ग्रा0वि0अधि0 शेषदत्त मिश्र से रु0 58250.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
116500.00	—	—	116500.00

80—ग्राम पंचायत—महादेवा गंगाराम

लेखा परीक्षा वर्ष 2014—15 विकास खण्ड—नौगढ़

जिला—सिद्धार्थनगर

प्रस्तर संख्या—148

ग्राम पंचायत महादेव गंगाराम वर्ष 2014—15 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि विभिन्न तिथियों में रु0 248257.00 का व्यय सामग्री क्रय और मजदूरी भुगतान के रूप में कैश बुक में अंकित है। कैशबुक में सामग्री क्रय एवं मजदूरी भुगतान सम्मिलित रूप से दर्शाया गया है। परन्तु लेखा परीक्षा में क्रय स्टॉक की पुष्टि में न तो कोटेशन ही प्रस्तुत रहा और नहीं उससे संबंधित चालान, बिल, वाउचर प्रस्तुत किया गया। धन का भुगतान फर्म को अकाउंट पेई चेक के द्वारा न कर के नगद किया गया है। मजदूरी भुगतान के पुष्टि में तिथिवार मस्टर रोल भी लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। स्पष्ट है कि स्टॉक क्रय एवं मजदूरी भुगतान दर्शाकर रु 248257.00 ग्राम प्रधान एवं ग्रा0पं0अधि0 द्वारा धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री संजय पाण्डेय से रुपया 124128.50 एवं ग्राम प्रधान श्री प्रेमचन्द से रु0 124128.50 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
248257.00	—	—	248257.00

81— ग्राम पंचायत—पलिया टेकधर लेखापरीक्षा वर्ष 2014—15 विकास खण्ड—नौगढ़ जिला—सिद्धार्थनगर

प्रस्तर संख्या—149

ग्राम पंचायत पलिया टेकधर वर्ष 2014—15 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि विभिन्न तिथियों में रु0 215339.00 का व्यय सामग्री क्रय और मजदूरी भुगतान के रूप में कैश बुक में अंकित है। कैशबुक में सामग्री क्रय एवं मजदूरी भुगतान सम्मिलित रूप से दर्शाया गया है। परन्तु लेखापरीक्षा में क्रय स्टॉक की पुष्टि में न तो कोटेशन ही प्रस्तुत रहा और नही उससे संबंधित चालान, बिल, वाउचर प्रस्तुत किया गया। धन का भुगतान फर्म को अकाउंट पेई चेक के द्वारा न कर के नगद किया गया है। मजदूरी भुगतान के पुष्टि में तिथिवार मस्टर रोल भी लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। स्पष्ट है कि स्टॉक क्रय एवं मजदूरी भुगतान दर्शाकर रु0 215339.00 ग्राम प्रधान एवं ग्रा0प0अधि0 द्वारा धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री संजय पाण्डेय से रुपया 107669.50 एवं ग्राम प्रधान श्री सीताराम से रु0 107669.50 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
215339.00	—	—	215339.00

82— ग्राम पंचायत—अगया लेखा परीक्षा वर्ष 2013—14 से 2014—15 विकासखण्ड—डुमरियागंज जिला—सिद्धार्थनगर

प्रस्तर संख्या—150

ग्राम पंचायत की लेखापरीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्षों 13—14 से 14—15 में विभिन्न तिथियों में कुल रुपया 1211167.00 का स्टॉक क्रय किया जाना रोकड़ बही में अंकित है। परन्तु लेखापरीक्षा में क्रय स्टॉक की पुष्टि में न तो कोटेशन ही प्रस्तुत किया गया है और न ही उससे सम्बंधित प्रमाणक ही प्रस्तुत किया गया है। स्टॉक क्रय के भुगतान की स्वीकृती भी निर्माण समिति से नहीं कराई गई है। धन का भुगतान फर्म को अकाउंट पेई के द्वारा न कर के नगद किया गया है। स्पष्ट है कि स्टॉक का क्रय दर्शाकर रु 1211167.00 का अपहरण ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीकृष्ण बिहारी सिंह एवं ग्राम प्रधान श्री विजय कुमार द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री कृष्ण बिहारी सिंह से रु0 6055835.00 एवं ग्राम प्रधान श्री विजय कुमार से रु0 6055835.00 से किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
1211167.00	—	—	1211167.00

प्रस्तर संख्या—151

आलोच्य वर्षों की लेखापरीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि ग्राम निधि प्रथम खातों से रु0 209516.00 का भुगतान मजदूरी के रूप में किया जाना रोकड़ बही में दर्शित है। परन्तु भुगतानित धनराशि की पुष्टि में तिथिवार मस्टर रोल लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे मजदूरी पर किये गये भुगतान की सत्यता प्रमाणित नहीं की जा सकती। कराये गये कार्यों का कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे कार्य पूर्ण हाने की पुष्टि नहीं की जा सकी। स्पष्ट है कि ग्रा0प0अधि एवं ग्राम प्रधान द्वारा मजदूरी पर भुगतान दर्शाकर धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास

अधिकारी श्री कृष्ण बिहारी सिंह से रु0 104758.00 एवं ग्राम प्रधान श्री विजय कुमार से रु0 104758.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
209516.00	—	—	209516.00

83—ग्राम पंचायत—जिमडी लेखापरीक्षा वर्ष 2003—04 से 2014—15 विकास खण्ड—डुमरियागंज जिला—सिद्धार्थनगर

प्रस्तर संख्या—152

ग्राम पंचायत की लेखापरीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्ष 03—04 से 14—15 में विभिन्न तिथियों में कुल रुपया 1601743.00 का स्टाक क्रय किया जाना रोकड़ बही में अंकित है। परन्तु लेखापरीक्षा में क्रय स्टाक की पुष्टि में न तो कोटेशन ही प्रस्तुत किया गया है और न ही उससे सम्बंधित प्रमाणक ही प्रस्तुत किया गया है। स्टाक क्रय के भुगतान की स्वीकृती भी निर्माण समिति से नहीं कराई गई है। धन का भुगतान फर्म को अकाउन्ट पेई चेक के द्वारा न कर के नगद किया गया है। स्पष्ट है कि स्टाक का क्रय दर्शाकर रु 1601743.00 का अपहरण ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शचीन्द्र नाथ पाठक एवं ग्राम प्रधान श्री विजय कुमार द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री शचीन्द्र नाथ पाठक से रु0 800871.50 एवं ग्राम प्रधान श्री मिसवाउलहक से रु0 800871.50 से किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
1601743.00	—	—	1601743.00

प्रस्तर संख्या—153

आलोच्य वर्षों की लेखापरीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि ग्रामनिधि प्रथम खातों से रु0 295132.00 का भुगतान मजदूरी के रूप में किया जाना रोकड़ बही में दर्शित है। परन्तु भुगतानित धनराशि की पुष्टि में तिथिवार मस्टररोललेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे मजदूरी पर किये गये भुगतान की सत्यता प्रमाणित नहीं की जा सकती। कराये गये कार्यों का कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र भी लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे कार्य पूर्ण हाने की पुष्टि नहीं की जा सकती। स्पष्ट है कि ग्रा0प0अधि0 एवं ग्राम प्रधान द्वारा मजदूरी पर भुगतान दर्शाकर धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री शचीन्द्र नाथ पाठक से रु 147566.00 एवं ग्राम प्रधान श्री मिसवाउलहकसे रु0 147566.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
295132.00	—	—	295132.00

84— ग्राम पंचायत—बहेरिया लेखापरीक्षा वर्ष 2004—05 से 2014—15 विकासखण्ड—डुमरियागंज जिला—सिद्धार्थनगर

प्रस्तर संख्या—154

ग्राम पंचायत की लेखापरीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्ष 04—05 से 14—15 में विभिन्न तिथियों में कुल रुपया 1083751.00 का स्टाक क्रय किया जाना रोकड़ बही में अंकित है। परन्तु लेखापरीक्षा में क्रय स्टाक की पुष्टि में न तो कोटेशन ही प्रस्तुत किया गया है और न ही उससे सम्बंधित प्रमाणक ही प्रस्तुत किया गया है। स्टाक क्रय के भुगतान की स्वीकृति भी निर्माण समिति से नहीं कराई गई है। धन का भुगतान फर्म अकाउन्ट पेई चेक के द्वारा न कर के नगद किया गया है। स्पष्ट है की स्टाक का क्रय दर्शाकर कर रु 1083751.00 का अपहरण ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शचीन्द्र नाथ पाठक एवं ग्राम प्रधान श्रीमती संगीता देवी द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री शचीन्द्र नाथ पाठक से रु0 541875.50 एवं ग्राम प्रधान श्रीमती संगीता देवी से रु0 541875.50 से किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
1083751.00	—	—	1083751.00

प्रस्तर संख्या—155

आलोच्य वर्षों की लेखापरीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि ग्राम निधि प्रथम् खातें से रु0 232644.00 का भुगतान मजदूरी के रूप में किया जाना रोकड़ बही में दर्शित है। परन्तु भुगतानित धनराशि की पुष्टि में तिथिवार मस्टर रोल लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे मजदूरी पर किये गये भुगतान की सत्यता प्रमाणित नहीं की जा सकती। कराये गये कार्यों का कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे कार्य पूर्ण हाने की पुष्टि नहीं की जासकी। स्पष्ट है कि ग्रा0प0अधि एवं ग्राम प्रधान द्वारा

मजदूरी पर भुगतान दर्शाकर धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्रीशचीन्द्र नाथ पाठक से रु0 116322.00 एवं ग्राम प्रधान श्रीमती संगीता देवीसे रु0 116322.00 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
232644.00	—	—	232644.00

जनपद –चित्रकूट मण्डल – चित्रकूट धाम मण्डल

प्रस्तर संख्या-1

ग्राम पंचायत नादिन कुर्मियान, विकास खण्ड –रामनगर, की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में इण्टर लाकिंग खड़न्जा कार्य कराकर सामग्री रुपये 646587.00 व्यय में दर्शाकर भुगतानितके परिक्षेत्र में दिनांक 31.03.2015 तक श्रमिकों को श्रम के रुप में मजदूरी भुगतानित न हाने से सामग्री क्रय रु 646587.00 फर्जी प्रमाणक दर्शाकर एवं उ0प्र0 पंचायत नियमावली 1947 के नियम संख्या 209 के तहत कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी सक्षम अधिकार द्वारा प्रमाणित नहीं पाया गया है यह भी पाया गया कि उक्त क्रय सामग्री के व्यय प्रमाणाकें से आयकर एवं व्यापार कर की कटौती नहीं की गयी थी एवं न ही सम्बन्धित विभागों में जमा किया गया था जो आपत्ति जनक रहा, अतः रु 646587.00 ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री सुरेश चन्द्र से संयुक्त रुप से बराबर बराबर ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-2

ग्राम पंचायत लुधौरा बरेठी, विकास खण्ड – रामनगर, की लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2011-12 में ग्राम निधि एकाउंट संख्या 50046808285 एवं एकाउंट संख्या 927/11290100009180 से 456675.00 धन का आहरण भुगतान किया गया था किंतु उक्त धन की पुष्टिमें कैश बुक व्यय प्रमाणक कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। भुगतान की धनराशि 456675.00 का तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमति बृजरानी ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री संतराम से संयुक्त रुप से बराबर बराबर ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-3

ग्राम पंचायत लुधौरा बरेठी, विकास खण्ड – रामनगर, की लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2012-13 व 2013-14 में हैण्डपंप मरम्मत सामग्री मद में कुल रुपये 140755.00 व्यय में दर्शाया गया था। किन्तु सामग्री क्रय का मरम्मत किये गये हैण्डपंपो का स्थान दर्शित नहीं था। ग्राम पंचायत में कुल हैण्डपंपो की संख्या उपलब्ध नहीं थी। मरम्मत किये गये हैण्डपंपों के अगल बगल रहने वाले से मरम्मत किये जाने की पुष्टिप्रमाणपत्र नहीं पाई गई। स्टाक पंचायत स्तर पर तैनात जल निगम कर्मियों को कोई कर्मियों को कोई जॉच आख्या नहीं पाई गई। मरम्मत किये गये हैण्डपम्पों से निकाली गयी निस्प्रयोजित सामग्री (पीपल बाल, लोहे का पाईप, लोहे की छड़, नट बाल्ट आदि) को स्टाक रजिस्टर में न दर्शाकर अनुमानतः क्रय सामग्री का 40 प्रतिशत रु 56302.00 को ग्राम पंचायत के आय पक्ष में दर्शित नहीं था। उपरोक्त बिन्दुओं से स्पष्ट है कि हैण्डपंपो की मरम्मत पर रु 140755.00 के फर्जी सामग्री के व्यय प्रमाणक दर्शाकर तत्कालीन ग्रा.पं.वि. अधिकारी श्री संतराम एवं ग्राम प्रधान श्रीमति बृजरानी दोनों द्वारा अपहरण किया गया। अतः भुगतान की धनराशि 140755.00 का तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमति बृजरानी ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री संतराम से संयुक्त रुप से बराबर बराबर ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-4

ग्राम पंचायत लुधौरा बरेठी, विकास खण्ड — रामनगर, की लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2014-15 में दिनांक 23.08.2014 को क्रमशः रु 2000.00 व रु 2000.00 कुल रु 4000.00 का आहरण / भुगतानित दर्शित था किन्तु किस मद हेतु भुगतानित था, का उल्लेख नहीं था। इस प्रकार कुल रुपये 4000.00 फर्जी दर्शाकर तत्कालीन ग्रा.पं.वि. अधिकारी श्री प्रद्युमनसिंह एवं ग्राम प्रधान श्रीमति बृजरानी दोनों द्वारा अपहरण किया गया। अतः भुगतान की धनराशि 4000.00 तातारीख मय ब्याज के तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमति बिजरानीव ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री संतराम से संयुक्त रूप से बराबर बराबर ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-5

ग्राम पंचायत लुधौरा बरेठी, विकास खण्ड — रामनगर, की लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2014-15 में दिनांक 05.01.2015 को चेक संख्या 00608 से रु 5000.00 मार्च तथा अप्रैल 2014 का प्रधान का मानदेय, दिनांक 30.01.2015 को चेक संख्या 00610 से रु 5000.00 मई तथा जून 2014 का प्रधान का मानदेय, दिनांक 31.01.2015 को चेक संख्या 00611 से रु 5000.00 जुलाई तथा अगस्त 2014 का प्रधान का मानदेय व दिनांक 13.03.2015 को चेक संख्या 002511 से रु 5000.00 सितम्बर तथा अक्टूबर 2014 का प्रधान का मानदेय आहरित दर्शित था। उपरोक्त की पुष्टि में कोई प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा। आहरित धनराशि की पुष्टि हेतु प्रस्तुत चेक बुक की प्रतिपण से उपरोक्त राशियों का मिलान में भिन्नता पाई गई, जो दिनांक 05.01.2015 को चेक संख्या 00608 से रु 5000.00 चेक भैयालाल के नामे, दिनांक 30.01.2015 को चेक संख्या 00610 से रु 5000.00 चेक पुष्पेन्द्र के नामे, दिनांक 31.01.2015 को चेक संख्या 00611 से रु 5000.00 चेक पुष्पेन्द्र के नामे व दिनांक 13.03.2015 को चेक संख्या 002511 से रु 5000.00 चेक मतगंजन के नामे पाया गया। उपरोक्त अवलोकन से स्पष्ट है कि जिस कार्य हेतु चेक निर्गत किये गये थे, जो बैंक द्वारा भुगतानित रहे का लेखा कैशबुक में न कर फर्जी लेखा दर्शाकर आहरित धनराशि 20000.00 का अपहरण तत्कालीन ग्रा.पं.वि. अधिकारी श्री सुरेश चंद्र एवं ग्राम प्रधान श्रीमति बृजरानी दोनों द्वारा अपहरण किया गया। अतः भुगतान की धनराशि 20000.00 तातारीख मय ब्याज के तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमति बृजरानी ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री संतराम से संयुक्त रूप से बराबर बराबर ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-6

ग्राम पंचायत इटवाँ, विकास खण्ड — रामनगर, की लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2011-12 में दिनांक 08.04.2011 को खाता संख्या श्रम/21505926850 रु 10800.00, दिनांक 27.05.2011 को खाता संख्या श्रम/21505926850 में रु 12240.00, दिनांक 13.02.2012 को खाता संख्या श्रम/21505926850 में रु 69480.00, दिनांक 29.02.2012 को खाता संख्या श्रम/21505926850 में रु 11760.00 व दिनांक 26.03.2012 को खाता संख्या श्रम/21505967671 में रु 5088.00 कुल रु 109368.00 मनरेगा के अंतर्गत श्रम एवं सामग्री खातों को आहरित / भुगतानित किया गया। परंतु कैश बुक में पुष्टि नहीं किया जा सका। अतः आहरित धनराशि कुल रु 109368.00 तत्कालीन ग्रा.पं.वि. अधिकारी श्री रामानुज त्रिपाठी एवं ग्राम प्रधान श्रीमति दवमनी दोनों से तातारीख मय ब्याज के संयुक्त रूप से बराबर बराबर ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-7

ग्राम पंचायत इटवाँ, विकास खण्ड – रामनगर, की लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2012-13 में दिनांक 28.12.2012 को चेक संख्या 004339 से रु 35000.00, आहरित कर ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास अधिकारी द्वारा कम्बल क्रय ग्राम पंचायत में वितरित किया गया था, की पुष्टि में वितरित सूची एवं विभागीय अधिकारी से, ग्राम पंचायत में, ग्राम धन से कम्बल वितरित किये जाने की स्वीकृति नहीं ली गई थी। अतः रु 35000.00 का दुरुपयोग तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधान श्रीमति देवमनी दोनों द्वारा किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्रा.पं.वि. अधिकारी श्री रामानुज त्रिपाठी एवं ग्राम प्रधान श्रीमति देवमनी दोनों से संयुक्त रूप से बराबर बराबर ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-8

ग्राम पंचायत इटवाँ, विकास खण्ड – रामनगर, की लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 में निम्न विवरण के अनुसार छात्रवृत्ति खाता संख्या 21505923087 से आहरित छात्रवृत्ति दर्शित थी –

वर्ष 2011-12			वर्ष 2012-13		
तिथि	चेक संख्या	धनराशि	तिथि	चेक संख्या	धनराशि
21.04.2011	685940	79120.00	21.04.2012	685948	164280.00
21.04.2011	685941	30000.00	21.04.2012	685949	79125.00
21.04.2011	685944	145500.00	21.04.2012	685950	51000.00
21.04.2012	685943	102250.00		योग	294405.00
21.04.2012	685945	69675.00			
21.04.2012	685946	24225.00			
21.04.2012	685947	73525.00			
	योग	524295.00			

उपरोक्त के क्रम में निम्न बिन्दु रहे –

- I. छात्रवृत्ति वितरण रजिस्टर प्रस्तुत नहीं रहा।
- II. छात्रवृत्ति हेतु छात्रों की सत्यापित सूची प्रस्तुत नहीं रही।
- III. छात्रवृत्ति वितरण रजिस्टर की पुष्टि में प्रधानाध्यापक द्वारा देय प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं रहा।

उपरोक्त बिन्दुओं से स्पष्ट है कि वर्ष 2011-12 में रु 524295.00 व वर्ष 2012-13 में रु 294405.00 आहरित धनराशि का अपहरण तत्कालीन ग्रा.पं.वि. अधिकारी श्री रामानुज त्रिपाठी एवं ग्राम प्रधान श्रीमति देवमनी दोनों द्वारा अपहरण किया गया। अतः भुगतान की धनराशि के तत्कालीन ग्रा.पं.वि.

अधिकारी श्री रामानुज त्रिपाठी एवं ग्राम प्रधान श्रीमति देवमनी से बराबर बराबर ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-9

ग्राम पंचायत बरुवा, विकास खण्ड-रामनगर, की लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2011-12 में दिनांक 04.04.2011 को रु 2000.00 व दिनांक 07.06.2011 को रु 2000.00 कुल रु 4000.00 ग्राम निधि - एक खाता संख्या 903 से का आहरण / भुगतानित दर्शित था किन्तु किस मद हेतु भुगतानित था, का उल्लेख नहीं था। इस प्रकार कुल रुपये 4000.00 फर्जी दर्शाकर तत्कालीन ग्रा.पं.वि. अधिकारी श्री ब्रजबिहारी एवं ग्राम प्रधान श्री रामजी दोनों द्वारा अपहरण किया गया। अतः भुगतान की धनराशि 4000.00 तत्कालीन ग्रा.पं.वि. अधिकारी श्री ब्रजबिहारी एवं ग्राम प्रधान श्री रामजी से संयुक्त रूप से बराबर बराबर ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-10

ग्राम पंचायत बरुवा, विकास खण्ड - रामनगर, की लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 में निम्न विवरण के अनुसार छात्रवृत्ति खाता संख्या 1540/11290100003949 से आहरित छात्रवृत्ति दर्शित थी -

वर्ष 2011-12			वर्ष 2012-13		
तिथि	चेक संख्या	धनराशि	तिथि	चेक संख्या	धनराशि
07.08.2011	---	24000.00	14.05.2012	---	50620.00
02.09.2011	---	50860.00	11.09.2012	---	62300.00
22.10.2011	नगद	140640.00		योग	112920.00
22.12.2011	नगद	44860.00			
	योग	260360.00			
रु 2108.00 खाते में वापस					

उक्त धनराशियों में से वर्ष 2011-12 में रु 21080.00 व वर्ष 2012-13 में रु 26700.00 छात्रवृत्ति खाते में वापस जमा किया गया। अतः वर्ष 2011-12 व वर्ष 2012-13 में शुद्ध निकासी क्रमशः रु 239280.00 व 86220.00 कुल निकासी रु 325500.00 की गई। लेखा परीक्षा में निम्न बिन्दु रहे -

- I. छात्रवृत्ति वितरण रजिस्टर प्रस्तुत नहीं रहा।
- II. छात्रवृत्ति हेतु छात्रों की सत्यापित सूची प्रस्तुत नहीं रहा।
- III. छात्रवृत्ति वितरण रजिस्टर की पुष्टि में प्रधानाध्यापक द्वारा देय प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं रहा।

उपरोक्त बिन्दुओं से स्पष्ट है कि कुल रु 325500.00 आहरित धनराशि का अपहरण तत्कालीन ग्रा.पं.वि. अधिकारी श्री रामानुज त्रिपाठी एवं ग्राम प्रधान श्रीमति देवमनी दोनों द्वारा अपहरण किया गया। अतः भुगतान की धनराशि तत्कालीन ग्रा.पं.वि. अधिकारी श्री ब्रजबिहारी एवं ग्राम प्रधान श्री रामजी से बराबर बराबर ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-11

ग्राम पंचायत करौंदीकला, विकास खण्ड – रामनगर, की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 17.01.2015 को रु 65120.00 बेलोके घर से चन्द्रदत्त के घर तक नाला निर्माण की मजदूरी श्रमिकों को भुगतानित दर्शित थी। जबकि उक्त धनराशि का चेक संख्या 000751 रु 191950.00 सामग्री क्रय कर सप्लायर विजय ट्रेडर्स के नामे निर्गत किया गया एवं बैंक द्वारा भुगतानित किया गया। लेखा परीक्षा में पाया गया। स्पष्ट है कि श्रमिकों को भुगतानित रु 65120.00 का या तो फर्जी मस्टर रोल है या विजय ट्रेडर्स को फर्जी भुगतानित है। क्योंकि क्रय सामग्री के परिपेक्ष्य में श्रमिकों को भुगतानित धनराशि उपरोक्त कार्य पर शून्य है।

अतः उपरोक्त कार्य पर निम्न विवरणानुसार भुगतानित रुपये 257070.00 का उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 209 के तहत समक्ष अधिकारियों द्वारा प्रमाणित कार्य पूर्ति नहीं थी। एवं न ही उक्त क्रय सामग्री व्यय प्रमाणकों में आयकर एवं व्यापार कर की कटौती की गई थी। और न ही संबंधित विभागों में जमा किया गया। जो आपत्तिजनक रहा। इस प्रकार रु 257070.00 ग्राम पंचायत में फर्जी दर्शाकर श्री सुरेश चन्द्र ग्राम पंचायत विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधान श्री बाबूलाल दोनो द्वारा अपहरण किया गया। अतः श्री सुरेश चन्द्र ग्राम पंचायत विकास अधिकारी एवं श्री बाबूलाल ग्राम प्रधान दोनो से आधा आधा ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-12

ग्राम पंचायत चकौंध, विकास खण्ड – पहाड़ी, की लेखा परीक्षा में आलोच्य वर्ष 2014-15 में ग्राम पंचायत का कृत कार्य व व्यय धनराशियां राज्यवित्त/13हवें वित्त से निम्न प्रकार दर्शित रही –

क्रम संख्या	कार्य का नाम	समग्री क्रय व्यय	श्रम व्यय	योग
(1)	हैण्ड पंप मरम्मत	55500.00	27600.00	83100.00
(2)	पुलिया निर्माण	113400.00	25548.00	138948.00
(3)	सामुदायिक भवन मरम्मत	93600.00	13248.00	106848.00
(4)	खड़न्जा + नाली निर्माण	283000.00	37716.00	320716.00
(5)	घाट मरम्मत	36200.00	14964.00	51164.00
(6)	नाली निर्माण	104900.00	36480.00	141380.00

(7)	खड़न्जा निर्माण	28500.00		28500.00
(8)	नाली / रोड मरम्मत	39600.00		39600.00
(9)	कैमरा क्रय	6490.00		
(10)	मनदेय प्रधान	25000.00		
			योग	910256.00

क्रमांक 1 से 8 तक कृत कार्य व व्यय धनराशि रु0 910256.00 निम्न कारणों से अनियमित रही

- I. दर्शित कृत कार्य ग्राम सभा द्वारा प्रस्तावित नहीं रहा। कृत कार्य व व्यय धनराशि की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी तथा कृत कार्य का व्यय धनराशि की पुष्टि में कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र निर्गत नहीं किया गया है।
- II. सामग्री क्रय हेतु दर प्राप्त नहीं किये गये। जबकि भिन्न प्रतिष्ठानों से दर प्राप्त करने के पश्चात निम्न दर पर सामग्री क्रय की जानी थी जो नहीं किया गया।
- III. सामग्री क्रय की पुष्टि में प्रस्तुत कैश रसीदों पर रसीद बुक संख्या व व्यापार कर नम्बर अंकित नहीं रहा जो अमान्य रहा। क्रय सामग्री का स्टॉक विवरण नहीं बनाया गया है।
- IV. श्रम विभाग की पुष्टि में प्रस्तुत प्रमाणकों पर श्रमिकों के हस्ताक्षर व अंगूठा निशान संदिग्ध प्रतीत होते हैं।

उपरोक्त कारणों से स्पष्ट है कि ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव द्वारा अनियमित रूप से व्यय दिखाकर राज्य वित्त/13वें वित्त से प्राप्त धन राशि से मु0 910256.00 का व्यय किय गया है। उत्तरदायी व्यक्ति श्री शैलेन्द्र कुमार ग्राम प्रधान व श्री चन्द्रभान सिंह ग्राम पंचायत सचिव से आधा आधा ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-13

ग्राम पंचायत लोहदा, विकास खण्ड – पहाड़ी, की लेखा परीक्षा में आलोच्य वर्ष 2014-15 में ग्राम पंचायत का कृत कार्य व व्यय धनराशियां राज्यवित्त / 13हवें वित्त से निम्न प्रकार दर्शित रही –

क्र. सं.	कार्य का नाम	समग्री क्रय व्यय	श्रम व्यय	योग
(1)	हैण्ड पंप मरम्मत	96165.00	31700.00	127865.00
(2)	नाली / रोड मरम्मत	344250.00	63000.00	407250.00
(3)	पुलिया निर्माण	31553.00	4420.00	35973.00
(4)	घाट निर्माण	98000.00		98000.00
(5)	कैमरा क्रय	6490.00		

(6)	मानदेय प्रधान	50550.00		
(7)	अन्य प्रशासनिक व्यय	1468.00		
			योग	669088.00

क्रमांक 1 से 4 तक कृत कार्य व व्यय धनराशि रु0669088.00 निम्न कारणों से अनियमित रही

- I. दर्शित कृत कार्य ग्राम सभा द्वारा प्रस्तावित नहीं रहा। कृत कार्य व व्यय धनराशि की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी तथा कृत कार्य का व्यय धनराशि की पुष्टि में कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र निर्गत नहीं किया गया है।
- II. सामग्री क्रय हेतु कोटेशन प्राप्त नहीं किये गये। जबकि भिन्न प्रतिष्ठानों से दर प्राप्त करने के पश्चात निम्न दर पर सामग्री क्रय की जानी थी जो नहीं किया गया।
- III. सामग्री क्रय की पुष्टि में प्रस्तुत कैश रसीदों पर रसीद बुक संख्या व व्यापार कर नम्बर अंकित नहीं रहा जो अमान्य रहा। क्रय सामग्री का स्टॉक विवरण नहीं बनाया गया है। व्यापार कर 4 प्रतिशत की कटौती नहीं की गई।
- IV. श्रम विभाग की पुष्टि में प्रस्तुत प्रमाणकों पर श्रमिकों के हस्ताक्षर व अंगूठा निशान संदिग्ध प्रतीत होते हैं।

उपरोक्त कारणों से स्पष्ट है कि ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव द्वारा अनियमित रूप से व्यय दिखाकर राज्य वित्त / 13वें वित्त से प्राप्त धन राशि से मु. 669088.00 का व्यय किय गया है। उत्तरदायी व्यक्ति श्री श्यामसुन्दर ग्राम प्रधान से रु 334544.00, योगेन्द्र सिंह सचिव से रु0 104998.00 व दिनेश सिंह सचिव से रु0 229546.00 ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-14

ग्राम पंचायत सगवारा, विकास खण्ड – पहाड़ी, की लेखा परीक्षा में आलोच्य वर्ष 2014-15 में ग्राम पंचायत का कृत कार्य व व्यय धनराशियां राज्यवित्त / 13वें वित्त से निम्न प्रकार दर्शित रही-

क्र. सं.	कार्य का नाम	समग्री क्रय व्यय	श्रम व्यय	योग
(1)	हैण्ड पंप मरम्मत	55820.00	18400.00	74220.00
(2)	नाली निर्माण व्यय	37142.00	77114.00	114256.00
(3)	खड़न्जा निर्माण व्यय	408669.00	—	408669.00
(4)	शौचालय निर्माण व्यय	30210.00	25000.00	55210.00
(5)	कूप मरम्मत व्यय	63220.00		63220.00
(6)	इन्टरलाकिंग खड़न्जा	316500.00		316500.00
	योग	911561.00	120514	1032075.00

क्रमांक 1 से 6 तक कृत कार्य व व्यय धनराशि मु. 911561.00 व श्रम व्यय मु. 120514.00 निम्न कारणों से अनियमित रही –

- I. दर्शित कृत कार्य ग्राम सभा द्वारा प्रस्तावित नहीं रहा। कृत कार्य व व्यय धनराशि की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी तथा कृत कार्य का व्यय धनराशि की पुष्टि में कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र निर्गत नहीं किया गया है।
- II. सामग्री क्रय हेतु कोटेशन प्राप्त नहीं किये गये। जबकि भिन्न प्रतिष्ठानों से दर प्राप्त करने के पश्चात निम्न दर पर सामग्री क्रय की जानी थी जो नहीं किया गया।
- III. सामग्री क्रय की पुष्टि में प्रस्तुत कैश रसीदों पर रसीद बुक संख्या व व्यापार कर नम्बर अंकित नहीं रहा जो अमान्य रहा। क्रय सामग्री का स्टॉक विवरण नहीं बनाया गया है। व्यापार कर 4 प्रतिशत की कटौती नहीं की गई।
- IV. श्रम विभाग की पुष्टि में प्रस्तुत प्रमाणकों पर श्रमिकों के हस्ताक्षर व अंगूठा निशान संदिग्ध प्रतीत होते हैं।
- V. नियम 209 के तहत कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र तैयार कर रखा जाना था जो नहीं बनाया गया। कृत कार्य व धनराशि की पुष्टि में सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणपत्र निर्गत नहीं किया गया है।

उपरोक्त कारणों से स्पष्ट है कि ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव द्वारा अनियमित रूप से व्यय दिखाकर राज्य वित्त/13वें वित्त से प्राप्त धन राशि से मु. 1032075.00 का व्यय किया गया है। उत्तरदायी व्यक्ति श्री रज्जन ग्राम प्रधान से रु 516038.00, चंद्र भान सिंह ग्रा.प.वि.अ. से रु 516037.00 ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-15

ग्राम पंचायत सगवारा, विकास खण्ड – पहाड़ी, की लेखा परीक्षा में आलोच्य वर्ष 2014-15 में निम्न लिखित तिथियों में खाता संख्या 50045103387 इलाहाबाद बैंक शाखा पहाड़ी की पासबुक अनुसार निम्नलिखित तिथियों में बैंक खाते से धन का आहरण किया गया। परन्तु कैश बुक में आहरित धन का लेखा पारित नहीं रहा।

दिनांक	राशि
26.11.14	110000.00
27.11.14	15010.00
28.11.14	50210.00
योग	175220.00

इस प्रकार बैंक से रु 175220.00 रु आहरित धन का लेखा कैश बुक में पारित न कर मु. 175220.00 का अपहरण किया गया। अपहरित धन में से 87610.00 ग्राम प्रधान श्री रज्जन व रु 87610.00 ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री चंद्रभान सिंह से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-16

ग्राम पंचायत चिल्लीमल, विकास खण्ड-पहाड़ी, की लेखा परीक्षा में आलोच्य वर्ष 2014-15 में निम्नलिखित तिथियों में बगैर प्रमाणक के विवरण रहित व्यय दिखाया गया था।

दिनांक	राशि
22.07.14	255110.00
23.07.14	107205.00
06.08.14	115000.00
28.11.14	15000.00
योग	492315.00

उपरोक्त विवरण रहित दर्शित व्यय मूल्य 492315.00 की पुष्टि में प्रमाणक अप्राप्त रहे। ऐसी स्थिति में प्रमाणक विहिन विवरण रहित दर्शित व्यय मूल्य 492315.00 दुरुपयोगित रहा। दुरुपयोगित व्यय 492315.00 में से ग्राम प्रधान श्री करुणेश कुमार से रु 246158.00 व तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री चंद्रभान गुप्ता रु 246157.00 से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-17

ग्राम पंचायत बक्टाखुर्द, विकास खण्ड - पहाड़ी, की लेखा परीक्षा में आलोच्य वर्ष 2014-15 में दिनांक 02.01.2015 में पासबुक अनुसार रु 76896.00 का आहरण किया गया। परन्तु कैश बुक में आहरित धन का लेखा पारित नहीं रहा। इस प्रकार बैंक से मूल्य 76896.00 रु आहरित धन का लेखा कैश बुक में पारित न कर मु0 76896.00 का अपहरण किया गया। अपहरित धन में से 38448.00 ग्राम प्रधान श्री लल्लू व रु0 38448.00 ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री चंद्रभान गुप्ता से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-18

ग्राम पंचायत बक्टाखुर्द, विकास खण्ड - पहाड़ी, की लेखा परीक्षा में आलोच्य वर्ष 2014-15 में निम्नलिखित तिथियों में बगैर प्रमाणक के अज्ञात कार्य हेतु विवरण रहित व्यय दिखाया गया था। उपरोक्त विवरण रहित दर्शित व्यय मूल्य सामग्री क्रय हेतु 135000.00 व श्रम व्यय रु 105205.00 रु कुल योग रु 240205.00 व्यय दर्शित रहा। ऐसी स्थिति में प्रमाणक विहिन विवरण रहित दर्शित व्यय मूल्य 240205.00 दुरुपयोगित रहा। दुरुपयोगित व्यय 240205.00 में से ग्राम प्रधान श्री लल्लू से रु 120103.00 व तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री चंद्रभान गुप्ता रु 120102.00 से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-19

ग्राम पंचायत बक्टाखुर्द, विकास खण्ड – पहाड़ी, की लेखा परीक्षा में आलोच्य वर्ष 2014-15 में ग्राम पंचायत का कृत कार्य व व्यय धनराशियां राज्यवित्त / 13वें वित्त से निम्न प्रकार दर्शित रही –

क्र. सं.	कार्य का नाम	सामग्री क्रय व्यय	श्रम व्यय	योग
(1)	हैण्ड पंप मरम्मत व्यय	190700.00	41000.00	231700.00
(2)	खड़न्जा मरम्मत व्यय		10000.00	10000.00
(3)	शौचालय निर्माण व्यय		30000.00	30000.00
	योग	190700.00	81000.00	271700.00

क्रमांक 1 से 3 तक कृत कार्य में सामग्री क्रय व्यय धनराशि मु. 190700.00 व श्रम व्यय मु. 81000.00 कुल योग व्यय 271700.00 निम्न कारणों से अनियमित रही –

- I. दर्शित कृत कार्य ग्राम सभा द्वारा प्रस्तावित नहीं रहा। कृत कार्य व व्यय धनराशि की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी।
- II. सामग्री क्रय हेतु कोटेशन प्राप्त नहीं किये गये।
- III. कृत कार्य की एम.बी. अप्राप्त रही।
- IV. व्यय धनराशि की पुष्टि में कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र निर्गत नहीं किया गया है।
- V. सामग्री क्रय की पुष्टि में प्रस्तुत कैश रसीदों पर रसीद बुक संख्या व व्यापार कर नम्बर अंकित नहीं रहा जो अमान्य रहा। क्रय सामग्री का स्टॉक विवरण नहीं बनाया गया है। व्यापार कर 4 प्रतिशत की कटौती नहीं की गई।
- VI. श्रम विभाग की पुष्टि में मस्टर रोलों एवं प्रस्तुत प्रमाणकों पर श्रमिकों के हस्ताक्षर व अंगूठा निशान संदिग्ध प्रतीत होते हैं।
- VII. नियम 209 के तहत कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र तैयार कर रखा जाना था जो नहीं बनाया गया। कृत कार्य व धनराशि की पुष्टि में सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणपत्र निर्गत नहीं किया गया है।
- VIII. दर्शित क्रय सामग्री का अंकन स्टॉक रजिस्टर में नहीं किया गया है।

उपरोक्त कारणों से स्पष्ट है कि ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव द्वारा अनियमित रूप से व्यय दिखाकर राज्य वित्त / 13वें वित्त से प्राप्त धन राशि से मु. 271700.00 का व्यय अनियमित रूप से किया गया है। विभागीय जांचोपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्ति श्री लल्लू ग्राम प्रधान से रु 135850.00, श्री चंद्रभान गुप्ता ग्रा.प.वि.अ. से रु 135850.00 ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-20

ग्राम पंचायत सखौहा, विकास खण्ड – मऊ, की लेखा परीक्षा में आलोच्य वर्ष 2014-15 में तेरहवें वित्त से विभिन्न स्थानों पर खण्डा निर्माण दर्शाकर रुपया 286650.00 दर्शित व्यय का विवरण निम्न प्रकार से कैशबुक में दर्शित रहा –

क्र.स.	कार्यस्थल	सामग्री पर		श्रम पर	
		दिनांक	धनराशि	दिनांक	धनराशि
1.	इन्द्रपाल के दरवाजे के आगे से लल्लू चमार के घर तक	18.06.14	90000.00		
2.	इन्द्रपाल के दरवाजे से बुद्धू धोबी के घर तक			24.06.14	9900.00
3.	बुद्धू धोबी के घर से लल्लू चमार के घर तक	20.01.14	48500.00	20.01.14	5000.00
		27.01.14	48300.00	21.01.14	5000.00
		06.02.14	4500.00		
4.	लल्लू के घर से प्रेम गौतम के घर तक	20.02.14	30750.00		
5.	विनय पाण्डे के घर से महाशय पाण्डे के घर तक	03.03.14	44700.00		
	योग		266750.00		19900.00

उपरोक्त पर निम्नलिखित बिन्दु रहे –

- क्रमांक 1, 4 व 5 पर सामग्री के सापेक्ष श्रम मूल्य शून्य था।
- क्रमांक 2 पर बिना सामग्री के श्रम के सापेक्ष श्रमिकों को भुगतान था।
- क्रमांक 3 पर सामग्री 101300.00 के सापेक्ष श्रमिकों को 10000.00 भुगतानित राशि में कुशल श्रमिक नहीं था एवं एक किमी खड्ग निर्माण पर श्रम का अंग 31.88 एवं सामग्री का अंश 68.62 होना चाहिए। के विरुद्ध सामग्री अंश रु 79771.00 अधिक व्यय किया गया था।
- उत्तरप्रदेश पंचायतराज नियमावली 1947 के नियम संख्या 209 के तहत द्वारा सक्षम अधिकारी कार्य पूर्ति प्रमाण नहीं पाये गये।
- निर्माण सामग्री क्रय व्यय प्रमाणकों में आयकर व व्यापार कर की कटौती नहीं की गई, जो आपत्तिजनक रहा।

उपरोक्त बिन्दुओं से स्पष्ट है कि क्रमांक 1, 2, 4 एवं 5 पर फर्जी प्रमाणक रखकर रु 175350.00 एवं क्रमांक 3 पर अधिक सामग्री रु 79771.00 कुल रुपये 255121.00 का अपहरण श्री रामभरोस, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी एवं श्रीमती मनोरमा देवी, ग्राम प्रधान द्वारा किया गया है।

अतः रु 127560.50 श्री रामभरो से ग्राम पंचायत विकास अधिकारी एवं रु 127560.50 श्रीमति मनोरमा देवी ग्राम प्रधान से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-21

ग्राम पंचायत बरियारी कला, विकास खण्ड – मऊ, की लेखा परीक्षा में आलोच्य वर्ष 2014-15 में ग्राम निधि खाता संख्या 59001109680 से दिनांक 03.04.14 को चेक संख्या 019384 से रु 23351.00 एवं 05.04.14 को चेक संख्या 019385 से रु 42120.00 आहरित का लेखा कैश बुक में नहीं किया गया है।

स्पष्ट है आहरित राशि 65471.00 का बिना लेखा किये सीधा अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली रु 32735.50 श्री कालेन्द्र प्रसाद, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी एवं रु 32735.50 श्री कल्लू ग्राम प्रधान से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-22

ग्राम पंचायत बरियारी कला, विकास खण्ड – मऊ, की लेखा परीक्षा में आलोच्य वर्ष 2014-15 में प्रस्तुत कैशबुक (राज्य वित्त एवं तेरहवां वित्त) में नाली निर्माण पर निम्न व्यय दर्शित था: –

दिनांक	धनराशि	विवरण	मात्रा
02.09.14	21000.00	ईट	2693
22.09.14	15000.00	गिट्टी	15मी ³
16.10.14	31200.00	ईट	4000
19.11.14	21000.00	—	—
07.01.15	18800.00	सीमेन्ट	64 बोरी मय भाड़ा
19.01.15	31500.00	बालू	18मी ³
20.02.15	31500.00	गिट्टी	31मी ³
13.03.15	30000.00	ईट	3822
12.13.15	45000.00	—	—
26.03.15	42000.00	ईट	6000
योग	287000.00		
02.03.15	21000.00	श्रमिकों को	21.02.15 से 27.02.15 तक
23.03.15	21000.00	श्रमिकों को	13.03.15 से 20.03.15 तक
कुल योग	329000.00		

उपरोक्त पर निम्न बिन्दु रहे : –

- कार्य के सन्दर्भ में न तो कार्य माप पुस्तिका बनाई गई और न ही कार्य का मापन एवं मुल्यांकन किया गया है।

2. मस्टर रोलों पर श्रमिकों के अंगूठा निशान एक समान प्रतीत थे, मस्टर रोल पर कार्य का कार्य स्थल, लम्बाई चौड़ाई और उंचाई तथा प्रस्ताव संख्या व दिनांक दर्शित नहीं के साथ साथ भुगतान प्रमाणित नहीं था।
3. श्रम के बदले श्रमिकों को भुगतानित राशि की पुष्टिमें प्रस्तुत मस्टर रोल समान धनराशि एवं समान श्रमिकों के अलग-अलग तिथियों में प्रस्तुत था।
4. क्रय सामग्री स्टाक रजिस्टर में दर्शित थी या नहीं स्टाक रजिस्टर अनुपलब्ध था।
5. सामग्री क्रय में शासनादेश संख्या ए-1-864(1)/दस-2008-15(1)86 दिनांक 23.09.08 का पालन नहीं किया गया।
6. क्रय सामग्री की पहली तिथि एवं उपभोग तिथि में 171 दिन का अन्तर था।
7. नाली निर्माण में प्रस्तुत सामग्री में सर्वप्रथम गिट्टी, बालू, एवं सीमेंट तथा ईंट की आवश्यकता के विपरीत सामग्री क्रय थी।
8. उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 209 के तहत द्वारा सक्षम अधिकारी कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र नहीं पाये गये।
9. निर्माण सामग्री व्यय प्रमाणकों से आयकर व व्यापार कर नहीं काटा गया, जो आपत्तिजनक रहा।

उपरोक्त बिन्दुओं से स्पष्ट है कि फर्जी प्रमाण रखकर ग्राम पंचायत धन 329000.00 का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली रु 164500.00 श्री कालेन्द्र प्रसाद, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी एवं रु 164500.00 श्री कल्लू ग्राम प्रधान से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-23 ग्राम पंचायत ददरी, विकास खण्ड — मऊ, की लेखा परीक्षा में आलोच्य वर्ष 2014-15 में प्रस्तुत कैशबुक में ग्राम निधि खाता संख्या 59001097720 अधीन जमा वित्त एवं तेरहवां वित्त की राशि से आहरण कर खड़न्जा मरम्मत परम बाबा के पास कराया गया पर निम्न प्रकार व्यय दर्शित था : —

दिनांक	धनराशि	विवरण
05.04.15	10000.00	सामग्री
29.05.14	10000.00	सामग्री
21.10.14	10000.00	सामग्री
07.01.15	40000.00	सामग्री
योग	70000.00	

उपरोक्त पर निम्न बिन्दु रहे : —

1. क्रय सामग्री के सापेक्ष श्रम शून्य था।
2. खड़न्जा मरम्मत पर उपयोगित सामग्री पूर्णांक में थी।
3. क्रय सामग्री पहली तिथि से 24 दिन बाद फिर चार माह 21 दिन बाद अन्त में दो माह सोलह दिन बाद क्रय थी।
4. क्रय सामग्री स्टाक रजिस्टर अन्तर्गत नहीं दर्शित थी।
5. उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 209 के तहत द्वारा सक्षम अधिकारी कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र नहीं पाये गये।

6. क्रय सामग्री के व्यय प्रमाणको में आयकर एवं व्यापार कर की कटौती नहीं की गयी, जो आपत्तिजनक रहा।

उपरोक्त बिन्दुओं से स्पष्ट है कि खड़न्जा मरम्मत पर फर्जी सामग्री प्रमाणक रखकर रु 70000.00 का अपहरण राजकिशोर द्विवेदी, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी एवं श्री कैलाश, ग्राम प्रधान द्वारा किया गया है। संयुक्त रूप से रु 70000.00 की ब्याज सहित वसूली रु 35000.00 श्री राजकिशोर द्विवेदी, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी एवं रु 35000.00 श्री कैलाश ग्राम प्रधान से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-24 ग्राम पंचायत सिकरो, विकास खण्ड – मऊ, की लेखा परीक्षा में आलोच्य वर्ष 2014-15 में प्रस्तुत कैशबुक में जमा वित्त एवं तेरहवां वित्त की राशि से आहरण कर खड़न्जा मरम्मत दर्शित था : –

दिनांक	धनराशि	विवरण
04.01.15	10375.00	समग्री पर
29.01.15	10570.00	सामग्री पर
26.02.15	28500.00	सामग्री पर
27.01.15	2148.00	श्रम पर
योग	51593.00	

उपरोक्त पर निम्न बिन्दु रहे : –

1. उक्त कार्य से सम्बन्धित ग्राम पंचायत का प्रस्ताव, स्वीकृति प्रस्तुत नहीं किया गया।
2. मस्टर रोल पर कार्य का प्रस्ताव का दिनांक एवं क्रमांक अंकित नहीं किया गया।
3. मस्टर रोल पर निशानी अंगुठा एवं भुगतानित धनराशि की पुष्टिनिर्माण कार्य समिति से नहीं करायी गयी।
4. क्रय सामग्री स्टाक रजिस्टर अन्तर्गत नहीं दर्शित थी। पुष्टिमें स्टाक रजिस्टर प्रस्तुत नहीं रहा। प्रमाण पर स्टाक इन्ट्री करने का उल्लेख भी नहीं पाया गया।
5. उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 209 के तहत पुष्टिमें कार्य योजना, माप पुस्तिका, कार्य निर्माण रजिस्टर एवं एवं सक्षम अधिकारी कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र नहीं पाये गये।
6. खड़न्जा मरम्मत में सामग्री पर रु 49445.00 एवं श्रम पर रु 2148.00 व्यय किया गया था जो श्रम का 23 गुना सामग्री पर व्यय था।
7. क्रय सामग्री के व्यय प्रमाणको में आयकर एवं व्यापार कर की कटौती नहीं की गयी, जो आपत्तिजनक रहा।

उपरोक्त बिन्दुओं से स्पष्ट है कि फर्जी सामग्री प्रमाणक रखकर रु 51593.00 का अपहरण श्री अम्बरीश त्रिपाठी, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी एवं श्रीमति मनबोधनी, ग्राम प्रधान द्वारा किया गया है। संयुक्त रूप से रु 51593.00 की ब्याज सहित वसूली रु 25796.50 श्री अम्बरीश त्रिपाठी, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी एवं रु 25796.50 श्रीमति मनबोधनी ग्राम प्रधान से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-25 ग्राम पंचायत खण्डेहा, विकास खण्ड – मऊ, की लेखा परीक्षा में आलोच्य वर्ष 2014-15 में प्रस्तुत कैशबुक में इण्टरलाकिंग खड़न्जा निर्माण पर निम्न प्रकार व्यय दर्शित था : –

क्र.स.	कार्यस्थल	सामग्री पर		श्रम पर	
		दिनांक	धनराशि	दिनांक	धनराशि
1.	सुधाकर के घर के पास	08.10.14	60743.00	18.10.14	7484.00
		08.10.14	36261.00	18.10.14	7484.00
		योग	97004.00	योग	14968.00
2.	धीरेन्द्र के घर से बिहारी के घर तक	08.10.14	197670.00	21.10.14	24898.00
		09.10.14	165790.00	21.10.14	10014.00
		योग	363460.00	योग	34912.00
3.	नीरज सिंह की पोखरी में	02.03.15	112080.00	02.03.15	15368.00
		17.03.15	110075.00	18.03.15	10010.00
		20.03.15	106462.00	24.03.15	1636.00
		03.03.15	9000.00		
		योग	337617.00	योग	27014.00
4.	रामलाल के घर से मनका के घर तक	24.03.15	91300.00		
		योग	91300.00		
		कुल योग	889381.00		76894.00

उपरोक्त क्रमांक 1, 2 एवं 3 पर श्रम का क्रमशः 12.97, 10.4 एवं 12.5 प्रतिशत सामग्री पर व्यय किया गया था जबकि श्रम का 9.3 प्रतिशत सामग्री पर व्यय होना चाहिए गी जो न कर सामग्री पर क्रमशः 27402.00, 38778.00, एवं 86387.00 अधिक व्यय किया गया था।

स्पष्ट है कि इंटरलाकिंग खड़न्जा निर्माण पर श्रम के सापेक्ष सामग्री पर रु 152567.00 अधिक व्यय किया गया था जिसकी ब्याज सहित वसूली रु 76283.50 श्री राजकिशोर द्विवेदी, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी एवं रु 76283.50 श्री मइयन ग्राम प्रधान से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-26 ग्राम पंचायत खण्डेहा, विकास खण्ड – मऊ, की लेखा परीक्षा में आलोच्य वर्ष 2014-15 में प्रस्तुत कैशबुक में राज्य वित्त एवं तेरहवें वित्त से निर्मित खड़न्जा तुरा में, के उपर किये व्यय का निम्न प्रकार विवरण दर्शित था : –

क्र.स.	कार्यस्थल	सामग्री पर		श्रम पर	
		दिनांक	धनराशि	दिनांक	धनराशि
1.	गौतम कान्स्ट्रक्टर एण्ड सप्लायर्स	28.07.14	176515.00	21.08.14	38156.00

2.	गौतम कान्स्ट्रक्टर एण्ड सप्लायर्स	22.08.14	95714.00	01.09.14	14772.00
3.	गौतम कान्स्ट्रक्टर एण्ड सप्लायर्स	01.09.14	59923.00	29.09.14	14028.00
4.	सोनी इण्टरप्राइजेज	01.09.14	27000.00		
5.	गौतम कान्स्ट्रक्टर एण्ड सप्लायर्स	01.09.14	8343.00		
	योग		367495.00		66956.00

खड़न्जा निर्माण में श्रम का अंश 31.88 प्रतिशत एवं सामग्री का अंश 68.62 प्रतिशत रहेगा। का पालन न कर उपरोक्त निर्माण पर रुपया 211265.00 सामग्री पर अधिक व्यय दर्शाकर अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली रु0 105632.50 श्री राजकिशोर द्विवेदी, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी एवं रु 105632.50 श्री मइयन ग्राम प्रधान से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-27 ग्राम पंचायत खण्डेहा, विकास खण्ड – मऊ, की लेखा परीक्षा में आलोच्य वर्ष 2014-15 में प्रस्तुत कैशबुक में राज्य वित्त एवं तेरहवें वित्त से निर्मित खड़न्जा तुरा में, के उपर किये व्यय का निम्न प्रकार विवरण दर्शित था : –

क्र. सं.	दिनांक	धनराशि	विवरण	उद्देश्य	कार्य का विवरण
1.	04.11.14	34800.00	सामग्री	मोरंगीकरण	हंसीपुरवा में मेन रोड से शिवचरण के घर तक और रामभवन कोल के घर से कुलुरिया के घर तक
2.		21000.00	सामग्री	मोरंमीकरण	उपरोक्तानुसार
3.	11.11.14	42000.00	सामग्री	मोरंमीकरण	उपरोक्तानुसार
4.		48000.00	सामग्री	मोरंमीकरण	उपरोक्तानुसार
5.	14.11.14	9360.00	श्रम	मोरंमीकरण	उपरोक्तानुसार
6.	16.11.14	84500.00	सामग्री	मोरंमीकरण	तुरी नहर से दादू बाबा की ओर सम्पर्क मार्ग में।

7.	17.11.14	22620.00	श्रम	मोरंभीकरण	तुरी नहर से दादू बाबा की ओर सम्पर्क मार्ग में।
8.	17.11.14	58775.00	सामग्री	नाली निर्माण	अहिरनपुर में धर्मराज के घर से पोखरी तक।
9.	17.11.14	120063.00	श्रम	नाली निर्माण	हैंडपंप से अनुसुईया के घर तक
10.	17.11.14	242458.00	सामग्री	पत्थर खड़न्जा	बबूलाल कौल के घर से सामुदायिक भवन तक
11.	17.11.14	73805.00	सामग्री	इण्टरलाकिंग खड़न्जा	मजरा लवेद से मेनरोड से कमलेश के घर तक
12.		192213.00	सामग्री	इण्टरलाकिंग खड़न्जा	मजरा लवेद से मेनरोड से कमलेश के घर तक
13.	18.11.14	359400.00	सामग्री	इण्टरलाकिंग खड़न्जा	मजरा लवेद से मेनरोड से कमलेश के घर तक
14.	03.11.14	3200.00	श्रम	हैंडपंप मरम्मत	कल्लू मिस्त्री को 16 नग हैंडपंप का
15.	05.11.14	3200.00	श्रम	हैंडपंप मरम्मत	कल्लू मिस्त्री को 16 नग हैंडपंप का
16.		4000.00	श्रम	हैंडपंप मरम्मत	द्वारिका मिस्त्री को 20 नग हैंडपंप का
	योग	1319394.00			

क्रम 8 से 13 तक निम्न बिन्दु रहे : —

1. क्रम 8 से 13 तक कार्य संपादित कराने से पूर्व दिनांक 09.11.2014 को क्षेत्रीय समाचार पत्र के माध्यम से सामग्री आपूर्ति हेतु टेण्डर आमंत्रित किये गये में प्राप्त धरोहर राशि सामग्री मूल्य की 2 प्रतिशत 31200.00 का लेखा कैश बुक आय पक्ष में दर्शित नहीं था।
2. क्रम 8, 9, 11, 12 एवं 13 पर दर्शित सामग्री 804256.00 मूल्य की, श्यामा कन्सट्रक्सन एवं सप्लायर द्वारा पूर्ति की गई एवं क्रम 10 पर दर्शित सामग्री 242458.00 मूल्य की गौतम कन्सट्रक्सन एवं सप्लायर द्वारा आपूर्ति की गई की पुष्टिमें प्रस्तुत प्रमाणक पर दर्शित राशि के सापेक्ष काटे गये व्यापार कर एवं अन्य कर से संबंधित प्रमाणक प्रस्तुत नहीं था।

3. आपूर्ति सामग्री स्टोर पंजिका स्टाक रजिस्टर अंतर्गत रखी गयी या नही पुष्टिमें स्टाक पंजिका अप्रस्तुत थीं।
4. प्रस्तुत प्रमाणक पर धनराशि भुगतान प्रमाणित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के हस्ताक्षर सहित अंकित था, किंतु आपूर्ति सामग्री ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्रामा प्रधान या निर्माण समिति के किसी सदस्य द्वारा प्राप्त किये जाने संबंधि आख्या अंकित नही थी।
5. आपूर्ति सामग्री दिनांक 31.03.15 तक कार्यस्थल उपभोगित थी, की पुष्टिमें श्रमिकों के श्रम के बदले भुगतानित राशि के मस्टररोल प्रस्तुत नही था।
6. क्रम 8 से 11 तक दर्शित, पूर्ण कराए कार्यों की प्रस्तुत एम.बी. में श्रमिकों को श्रम के बदले भुगतानित रुपया 130871.00 कुल किस मद एवं किसी खाता अधीन जमा धनराशि से किया गया, प्रस्तुत नही था।
7. दिनांक 22.11.14 को कार्यरत ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री उदयमान के संस्पेंड किये जाने बाद ग्राम पंचायत का संचालन श्री राजकिशोर द्विवेदी ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा किया गया, जिसके द्वारा उक्त कार्यों का संपादन दिनांक 31.03.15 तक नही कराया गया था।
8. उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 209 के तहत सक्षम अधिकारी कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र नही पाये गये, जो आपत्तिजनक रहा।

उपरोक्त बिन्दुओं से क्रय सामग्री 1046214.00 मूल्य पर श्रमिकों को भुगतान न होना क्रय सामग्री उपयोगित प्रतीत नही होती बल्कि ग्राम पंचायत धन दुरुपयोगित प्रतीत होता है तथा प्राप्त धरोहर राशि रु 31200.00 का लेखा कैश बुक में न कर अपहरित प्रतीत होता है।

अतः रु 1077414.00 की ब्याज सहित वसूली रु 538707.00 श्री उदयमान, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी एवं रु 538707.00 श्री मइयन ग्राम प्रधान से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-28

ग्राम पंचायत बगदरी, विकास खण्ड –मानिकपुर, की लेखा परीक्षा में आलोच्य वर्ष 2014-15 में खाता संख्या 59001179499 इलाहाबाद बैंक शाखा मानिकपुर से निम्न विवरणानुसार आहरित राशि का लेखा विभिन्न मदों पर कर भुगतानित दर्शित था।

क्र.सं.	विवरण	सामग्री	श्रम	योग
A 1.	हैण्डपंप मरम्मत	113760.00	22425.00	136185.00
2.	आर.सी.सी. पुलिया निर्माण	40000.00	30096.00	70096.00
3.	इण्टरलाकिंग खड़न्जा निर्माण	194800.00	59272.00	254072.00
4.	खड़न्जा मरम्मत	221000.00	88540.00	309540.00
5.	नाली मरम्मत	60000.00	8424.00	68424.00

6.	खड़न्जा एवं नाली मरम्मत	58000.00	22500.00	80500.00
7.	कूप सफाई / मरम्मत	61800.00	11864.00	73664.00
8.	प्रशासनिक व्यय			
(i)	स्टेशनरी + बैंक चार्ज 420.00			6220.00
(ii)	मृत स्कन्ध			8500.00
(iii)	विज्ञापन			13000.00
(iv)	सामान्य साभ निधि			1000.00
(v)	कान्टीजेन्सी			7600.00
	योग			1028801.00
B	सांसद निधि से खड़न्जा निर्माण	198466.00	25704.00	224170.00
	कुल योग	947826.00	268825.00	1252971.00

निम्न बिन्दु उल्लेखनीय हैं : –

1. उपरोक्त भुगतानित राशि 1252971.00 रुपये की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक एवं अन्य पुष्टि प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं रहा। इस संबंध में अवगत कराने की वर्तमान में कार्यरत ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री आशुतोष कुमार द्वारा अभिलेख प्राप्त करने हेतु खण्ड विकास अधिकारी मानिकपुर एवं सहायक विकास अधिकारी मानिकपुर के माध्यम से दिनांक 29.06.15, 22.07.15 एवं 30.09.15 में श्री सतीश कुमार पाण्डे, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से अभिलेख दिलाये जाने की प्रार्थना की गई। इन पत्रों की छाया प्रति अभिलेख अप्राप्त की पुष्टिमें सलग्न है।
2. उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 209 के तहत सक्षम अधिकारी कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र नहीं पाये गये, जो आपत्तिजनक रहा।
3. क्रय सामग्री के व्यय प्रमाणको में आयकर एवं व्यापार कर की कटौती नहीं की गयी, जो आपत्तिजनक रहा।

अतः स्पष्ट है कि व्यय प्रमाणक, मस्टररोल, कार्ययोजना माप पुस्तिका, निर्माण कार्य रजिस्टर, परिसंपत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र, अनुमानित व्यय एवं अन्य अभिलेख के अभाव में उक्त भुगतानित रु 1252971.00 विभिन्न मदों पर समायोजित कर ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत विकास

अधिकारी द्वारा अपहरित किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली रु 626485.50 श्री सतीश कुमार पाण्डे, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी एवं रु 626485.50 श्रीमति सुगन ग्राम प्रधान से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-29

ग्राम पंचायत सकरौहा, विकास खण्ड – मानिकपुर, की लेखा परीक्षा में आलोच्य वर्ष 2014-15 में प्रस्तुत बैंक समाधान विवरणपत्र एवं बैंक पास बुक में दिनांक 20.04.14 को चेक संख्या 012013 से रुपये 20800.00 आहरित का लेखा प्रस्तुत कैशबुक में न कर ग्राम पंचायत विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपहरण कर लिया गया। अतः आहरित धनराशि रु 20800.00 की ब्याज सहित वसूली श्री राजेश कुमार, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से 10400.00 एवं श्रीमति सोनम, ग्राम प्रधान से 10400.00 अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-30

ग्राम पंचायत सकरौहा, विकास खण्ड – मानिकपुर, की लेखा परीक्षा में आलोच्य वर्ष 2014-15 में प्रस्तुत बैंक समाधान विवरणपत्र एवं बैंक पास बुक संख्या 59001202136 इलाहाबाद बैंक शाखा मानिकपुर में चेक संख्या 018795 दिनांक 22.09.14 से रुपये 5000.00, चेक संख्या 018796 दिनांक 23.09.14 से रुपये 5000.00 एवं चेक संख्या 018798 दिनांक 23.09.14 से रुपये 5000.00 आहरित का लेखा कैश बुक में विभिन्न तिथियों में न कर माह के अंत में प्रधान के पास नगद रु 15000.00 दर्शाया गया, में दिनांक 01.10.14 को चेक संख्या 018799 से रुपये 27000.00 एवं चेक संख्या 018800 दिनांक 13.10.14 को रुपये 5000.00 आहरित को सम्मिलित करते हुए कैश बुक के ब्याज पक्ष में दिनांक 01.10.14 को 47000.00 मूल्य की नाली निर्माण हेतु सामग्री दर्शाकर मेसर्स सालिनी ट्रेडर्स मानिकपुर को भुगतान दर्शित था। उपरोक्त पर निम्न बिन्दु रहे : –

1. विभिन्न तिथियों में काटे गये चैकों से आहरित राशि का लेखा कैशबुक में नहीं दर्शाया गया।
2. उपरोक्त क्रय सामग्री रु 47000.00 की पुष्टि में व्यय प्रमाणक नहीं रहा।
3. दिनांक 01.10.14 को क्रय सामग्री की धनराशि एवं अवशेष धनराशियों का कैश बुक में उपलेखन नहीं किया गया।
4. क्रय सामग्री के उपभोग से संबंधित श्रमिकों को भुगतानित मस्टररोल 31.03.15 तक अप्रस्तुत रहा।
5. स्टॉक रजिस्टर अप्रस्तुत रहा।
6. उक्त कार्य से संबंधित कर्मचारी का स्थानांतरण अन्यत्र हो जाने के पश्चात, नियुक्त कर्मचारी श्री हतपाल सिंह द्वारा उक्त क्रय सामग्री का उपभोग ग्राम पंचायत के विकास के किन्ही मदों एवं किन्ही कार्यों पर दिनांक 31.03.15 तक प्रस्तुत कैश बुक में नहीं किया गया था। स्पष्ट है कि दिनांक 01.10.14 को क्रय सामग्री में आहरित धनराशि का अपहरण कर समायोजन कर लिया गया दर्शित था।

अतः आहरित धनराशि रु 47000.00 का अपहरण कर लिया गया है अतः इसकी ब्याज सहित वसूली श्री राजेश कुमार, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से 23500.00 एवं श्रीमति सोनम, ग्राम प्रधान से 35000.00 अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-31

ग्राम पंचायत सकरौहा, विकास खण्ड – मानिकपुर, की लेखा परीक्षा में आलोच्य वर्ष 2014-15 में प्रस्तुत कैश बुक में विभिन्न तिथियों को क्रय सामग्री के सापेक्ष संबंधित पक्ष को भुगतानित धनराशि निम्न विवरणानुसार दर्शित थी: –

क्र.स.	दिनांक	चेक नंबर	धनराशि	विवरण	पक्ष
1.	20.07.14	012028	48290.00	सामग्री नाली निर्माण	मेसर्स अग्रवाल ट्रेडर्स मानिकपुर
2.	02.08.14	018791	49200.00	सामग्री खडंजा मरम्मत हेतु	मेसर्स अग्रवाल ट्रेडर्स मानिकपुर
		योग	97490.00		

उपरोक्त पर निम्न बिन्दु रहे : –

1. उपरोक्त क्रय सामग्री की पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा।
2. क्रय सामग्री के उपभोग से संबंधित श्रमिकों को भुगतानित मस्टररोल अप्रस्तुत रहा।
3. उपरोक्त क्रय सामग्री भुगतान से पूर्व ग्राम पंचायत की बैठक में स्वीकृति नहीं ली गई थी।
4. उपरोक्त क्रय सामग्री भुगतान से पूर्व सक्षम अधिकारी से स्वीकृति नहीं ली गई थी।
5. उपरोक्त क्रय सामग्री दिनांक 31.03.15 तक अनुपयोगित रही।
6. उपरोक्त क्रय सामग्री से संबंधित स्टॉक रजिस्टर अप्रस्तुत रहा।
7. उपरोक्त क्रय सामग्री, भुगतान से पूर्व माहों में, ग्राम पंचायत की किसी भी विकास कार्य में प्रयोगित नहीं थी।
8. उपरोक्त क्रय सामग्री के उपभोग से संबंधित अनुमानित लागत, कार्य योजना, कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र, एम.बी., निर्माण कार्य रजिस्टर, परिसंपत्ति रजिस्टर, मस्टर रोल आदि अप्रस्तुत रहे।
9. उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 209 के तहत सक्षम अधिकारी कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप में नहीं पाये गये, जो स्पष्ट करता है कि निर्माण कार्य नहीं कराया गया एवं सुनियोजित ढंग से धन का अपहरण किया गया।
10. कैश बुक 13-14 एवं 14-15 की जांच में पाया गया कि क्रय सामग्री की धनराशि में से आयकर की व व्यापार कर की कटौती नहीं की गई, न ही संबंधित विभागों में जमा किया गया। जो स्पष्ट करता है कि दर्शित व्यय काल्पनिक व मनगढ़न्त है।

अतः उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अपहरित धनराशि 97490.00 सामग्री क्रय दर्शाकर बिना प्रमाणक के धन का समायोजन कर अपहरण श्री राजेश कुमार, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी एवं श्रीमति सोनम, ग्राम प्रधान द्वारा किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री राजेश कुमार, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से 48745.00 एवं श्रीमति सोनम, ग्राम प्रधान से 48745.00 अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-32

ग्राम पंचायत सकरौहा, विकास खण्ड – मानिकपुर, की लेखा परीक्षा में आलोच्य वर्ष 2014-15 में प्रस्तुत कैश बुक में दिनांक 01.04.14 को दर्शित असत्यापित अवशेष धनराशि 165212.00 रुपये नगद प्रधान के पास का समायोजन माहवार निम्न मद में किया गया दर्शित था।

दिनांक	धनराशि	विवरण
26.04.13	14400.00	नाली निर्माण पर श्रमिकों को भुगतान
30.04.13	1500.00	मानदेय प्रधान मार्च 2013 एवं अप्रैल 2013
06.05.13	13871.00	नाली निर्माण पर श्रमिकों को भुगतान
26.06.13	11160.00	नाली निर्माण पर श्रमिकों को भुगतान
26.07.13	21490.00	नाली निर्माण पर श्रमिकों को भुगतान
योग	62421.00	

उपरोक्त समायोजन के उपरान्त ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री शिवनरेश द्वारा 31.07.13 को ग्राम पंचायत का चार्ज श्री आशुतोष कुमार, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को दिया गया।

श्री आशुतोष कुमार, ग्रा.प.वि.अ. द्वारा अवशेष धनराशि रु 1.00 से कम दर्शाते हुए दिनांक 01.08.13 को लेखा कर विभिन्न तिथियों में ग्राम पंचायत खाता संख्या 590012018800 से आहरित कर ग्राम पंचायत में कार्य कराये गये, के उपरान्त दिनांक 28.02.15 को, दिनांक 31.07.13 का अवशेष रु 102791.00 + 5.00 रु कुल 102796.00 रु दर्शाया गया। एवं दिनांक 01.03.15 को श्री मोहनलाल सिंह, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को चार्ज दिया गया। उक्त नगद अवशेष 102796.00 यथावत 31.03.15 तक दर्शित थी, जिसका सत्यापन किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा नहीं किया गया। एवं नहीं कराया गया। कोषबही तातारीख लिखी न होने के कारण लेखा परीक्षा में अवशेष रोकड़ का सत्यापन न किया जा सका।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि दिनांक 01.08.13 को कोषबही में दर्शित अवशेष धनराशि 102791.00 पूर्व में ही ग्राम पंचायत विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपहरित कर ली गई थी जिसे प्रधान के पास नगद अवशेष 31.03.15 तक काल्पनिक रूप से दर्शाया गया था।

यदि भौतिक रूप में नगद अवशेष होता तो दिनांक 01.08.13 को चार्ज प्राप्त ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा उक्त धन से ग्राम पंचायत के विकास कार्यों को संपादित कराया गया होता।

अतः दिनांक 01.08.13 को दर्शित अवशेष नगद धनराशि रु 102791.00 पूर्व में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी एवं श्री शिवनरेश, एवं ग्राम प्रधान श्री रामकुमार द्वारा अपहरित कर ली गई, का काल्पनिक लेखा दिनांक 31.03.15 तक किये गये कि ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री रामकुमार से 51395.50 रु एवं एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री शिवनरेश से 51395.50 रु0 अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-33 ग्राम पंचायत इटवा डुडैली, विकास खण्ड – मानिकपुर, की लेखा परीक्षा में आलोच्य वर्ष 2014-15 में प्रस्तुत कैश बुक में ग्राम निधि खाता संख्या 59001202169 इलाहाबाद बैंक शाखा मानिकपुर से दिनांक 30.03.14 को 400000.00 रु मूल्य की समग्री क्रय निम्न विवरणानुसार संबंधित कार्यों पर भुगतानित दर्शित था। विवरण निम्नवत है : –

क्र.स.	दिनांक	धनराशि	कोषबही में दर्शित विवरण
1.	30.03.14	106660.00	डुडैली में खड़न्जा / नाली निर्माण कार्य हेतु क्रय की गई सामग्री का भुगतान
2.	30.03.14	35070.00	पंचायत भवन मरम्मत कार्य हेतु क्रय की गई सामग्री का भुगतान
3.	30.03.14	36260.00	शौचालय मरम्मत कार्य हेतु एवं स्नानधर निर्माण हेतु क्रय की गई सामग्री का भुगतान
4.	30.03.14	97165.00	ग्राम पंचायत के 5 पेयजल कूप मरम्मत एवं जगत निर्माण हेतु क्रय की गई सामग्री का भुगतान
5.	30.03.14	62135.00	मेन रोड से मनोज के घर तक मोरमीकरण हेतु क्रय की गई सामग्री का भुगतान
6.	30.03.14	62710.00	इटवा के जगन्नाथपुरम में खड़न्जा मरम्मत कार्य में क्रय की गई सामग्री का भुगतान
	योग	400000.00	

उपरोक्तक्रय सामग्री पर निम्न बिन्दु रहे : –

1. कार्य से संबंधित ग्राम पंचायत का कोई प्रस्ताव एवं स्वीकृति लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
2. विभिन्न कार्यों हेतु क्रय सामग्री का भुगतान एक ही चेक से रु 400000.00 का बैंक द्वारा भुगतानित किया गया।
3. समक्ष अधिकारी से कार्य की स्वीकृति नहीं ली गई थी।
4. उपरोक्त क्रय सामग्री की पुष्टिमें व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा।
5. उपरोक्त क्रय सामग्री लेखा परीक्षा समाप्ति अवधि दिनांक 31.03.15 तक अनुपयोगित रही।
6. क्रय सामग्री के उपभोग से संबंधित श्रमिकों को भुगतानित मस्टररोल अप्रस्तुत रहा।
7. सामग्री क्रय मे शासनादेश का पालन नहीं किया गया।

8. उपरोक्त क्रय सामग्री के उपभोग से संबंधित अनुमानित लागत, कार्य योजना, कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र, एम.बी., निर्माण कार्य रजिस्टर, परिसंपत्ति रजिस्टर, मस्टर रोल आदि अप्रस्तुत रहे।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि सामग्री क्रय फर्जी दर्शाकर धन का समायोजन कर रुपये 400000.00 का अपहरण ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री राजेश एवं ग्राम प्रधान श्रीमति गायत्री देवी द्वारा कर लिया गया।

अतः रुपये 400000.00 की ब्याज सहित वसूली श्री राजेश ग्रा.प.वि.अ. से 200000.00 रुपये एवं श्रीमति गायत्री देवी ग्राम प्रधान से 200000.00 रुपये अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-34 ग्राम पंचायत इटवा डुडैली, विकास खण्ड – मानिकपुर, की लेखा परीक्षा में आलोच्य वर्ष 2014-15 में प्रस्तुत कैश बुक में ग्राम निधि खाता संख्या 59001202169 इलाहाबाद बैंक शाखा मानिकपुर से सामग्री क्रय कर सम्बन्धित फर्म (पक्षों) को भुगतानित दर्शित था। विवरण निम्नवत था : –

क्र.स.	दिनांक	चेक नम्बर	धनराशि	कोषबही में दर्शित विवरण
1.	01.06.14	016352	65500.00	मछरिहा में खड़न्जा निर्माण कार्य हेतु क्रय की गई सामग्री का भुगतान मेसर्स रामजी ट्रेडर्स मानिकपुर, चित्रकूट।
2.	01.06.14	016353	65500.00	मछरिहा में खड़न्जा निर्माण कार्य हेतु क्रय की गई सामग्री का भुगतान मेसर्स शालिनी ट्रेडर्स मानिकपुर, चित्रकूट।
3.	12.06.14	016357	132444.00	खड़न्जा एवं पुलिया निर्माण कार्य हेतु क्रय की गई सामग्री का भुगतान मेसर्स शालिनी ट्रेडर्स मानिकपुर, चित्रकूट।
		योग	263444.00	

उपरोक्त क्रय सामग्री पर निम्न आपत्तियाँ रही : –

- क्रमांक 1 एवं 2 पर एक ही कार्य हेतु क्रय सामग्री अलग अलग फर्म से एवं एक ही धनराशि योग की व्यय दर्शित है।
- समक्ष अधिकारी से कार्य की स्वीकृति नहीं ली गई थी।
- उपरोक्त क्रय सामग्री लेखा परीक्षा समाप्ति अवधि दिनांक 31.03.15 तक अनुपयोगित रही।
- उपरोक्त क्रय सामग्री को स्टॉक रजिस्टर में नहीं दर्शाया गया।
- सामग्री क्रय में शासनादेश का पालन नहीं किया गया।
- क्रय सामग्री के उपभोग से संबंधित श्रमिकों को भुगतानित मस्टररोल अप्रस्तुत रहा।
- उपरोक्त क्रय सामग्री की पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा।
- कार्य से संबंधित ग्राम पंचायत का कोई प्रस्ताव एवं स्वीकृति लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

9. उपरोक्त क्रय सामग्री के उपभोग से संबंधित अनुमानित लागत, कार्य योजना, कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र, एम.बी., निर्माण कार्य रजिस्टर, परिसंपत्ति रजिस्टर, मस्टर रोल आदि अप्रस्तुत रहे।
10. उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 209 के तहत सक्षम अधिकारी कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप में नहीं पाये गये, जो स्पष्ट करता है कि निर्माण कार्य नहीं कराया गया एवं सुनियोजित ढंग से धन का अपहरण किया गया।
11. कैश बुक 13-14 एवं 14-15 की जांच में पाया गया कि क्रय सामग्री की धनराशि में से आयकर की व व्यापार कर की कटौती नहीं की गई, न ही संबंधित विभागों में जमा किया गया। जो स्पष्ट करता है कि दर्शित व्यय काल्पनिक व मनगढ़न्त है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि सामग्री क्रय फर्जी दर्शाकर धन का रुपये 263444.00 का अपहरण ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री राजेश एवं ग्राम प्रधान श्रीमती गायत्री देवी द्वारा कर लिया गया।

अतः रुपये 263444.00 की ब्याज सहित वसूली श्री राजेश ग्रा.प.वि.अ. से 131722.00 रुपये एवं श्रीमति गायत्री देवी ग्राम प्रधान से 131722.00 रुपये अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-35

ग्राम पंचायत इटवा मडैयन, विकास खण्ड – मानिकपुर, की लेखा परीक्षा में आलोच्य वर्ष 2014-15 में प्रस्तुत कैश बुक में ग्राम निधि खाता संख्या 59001199926 इलाहाबाद बैंक शाखा मानिकपुर से सामग्री क्रय कर सम्बन्धित फर्म (पक्षों) को भुगतानित दर्शित था। विवरण निम्नवत था : –

क्र. स.	दिनांक	चेक नम्बर	धनराशि	कोषबही में दर्शित विवरण
1.	23.02.15	016092	99175.00	विजहना कालोनी में नाली एवं खड़न्जा मरम्मत कार्य हेतु क्रय की गई सामग्री।
2.	24.02.15	016091	51780.00	हैण्डपंप का प्लेटफार्म बनाने एवं मरम्मत कार्य हेतु क्रय की गई सामग्री।
3.	24.02.15	016093	99175.00	कोलमजरा में खड़न्जा मरम्मत कार्य हेतु क्रय की गई सामग्री।
4.	17.03.15		95175.00	विजहना कालोनी में नाली एवं खड़न्जा मरम्मत कार्य हेतु क्रय की गई सामग्री।
5.	17.03.15		50750.00	विजहना कालोनी में नाली एवं खड़न्जा मरम्मत कार्य हेतु क्रय की गई सामग्री।
6.	24.03.15		40000.00	हैण्डपंप मरम्मत कार्य हेतु क्रय की गई सामग्री।
7.	24.03.15		40000.00	हैण्डपंप मरम्मत कार्य हेतु क्रय की गई सामग्री।
		योग	476055.00	

उपरोक्त क्रय सामग्री पर निम्न आपत्तियां रही : –

1. उपरोक्त क्रय सामग्री की पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा।

2. क्रय सामग्री के उपभोग से संबंधित श्रमिकों को भुगतानित मस्टररोल अप्रस्तुत रहा।
3. लेखा परीक्षा अवधि दिनांक 07.10.15 तक क्रय सामग्री के उपभोग से संबंधित कोई भी पुष्टि प्रमाणपत्र लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये।
4. उपरोक्त क्रय सामग्री को स्टॉक रजिस्टर में नहीं दर्शाया गया।
5. क्रमांक 1 एवं 2 पर एक ही कार्य हेतु क्रय सामग्री अलग अलग फर्म से एवं एक ही धनराशि योग की व्यय दर्शित है।
6. क्रमांक 6 एवं 7 पर क्रय सामग्री से पूर्व टैक्निशियन से रिपोर्ट प्राप्त नहीं थी।
7. दिनांक 23.2.15 श्री दिनेश, ग्रा.प.वि.अ. द्वारा क्रय सामग्री मूल्य रु 99175.00 का उपभोग किये बिना, ग्राम पंचायत से नियुक्त श्री राजेश कुमार ग्रा.प.वि.अ. द्वारा दिनांक 17.03.15 को 145925.00 मूल्य की सामग्री का उपभोग दिनांक 31.03.15 तक नहीं किया गया।
8. क्रमांक 2 पर श्री दिनेश, ग्रा.प.वि.अ. द्वारा क्रय सामग्री मूल्य रु 51780.00 एवं क्रमांक 6 एवं 7 पर श्री राजेश कुमार ग्रा.प.वि.अ. द्वारा क्रय सामग्री मूल्य रुपये 80000.00 का उपभोग 31.03.15 तक उपलब्ध अभिलेखों में नहीं पाया गया, और न ही उक्त क्रय सामग्री पूर्व माहों में प्रयोगित थी।
9. कार्य से संबंधित ग्राम पंचायत का कोई प्रस्ताव एवं स्वीकृति लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
10. समक्ष अधिकारी से कार्य की स्वीकृति नहीं ली गई थी।
11. उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 209 के तहत सक्षम अधिकारी कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप में नहीं पाये गये, जो स्पष्ट करता है कि निर्माण कार्य नहीं कराया गया एवं सुनियोजित ढंग से धन का अपहरण किया गया।
12. कैश बुक 13-14 एवं 14-15 की जांच में पाया गया कि क्रय सामग्री की धनराशि में से आयकर की व व्यापार कर की कटौती नहीं की गई, न ही संबंधित विभागों में जमा किया गया। जो स्पष्ट करता है कि दर्शित व्यय काल्पनिक व मनगढ़न्त है।
13. उपरोक्त संबंधित अन्य पुष्टिप्रमाणपत्र तथा बिल बाउचर, मस्टर रोल, कार्य योजना, एम.बी., निर्माण कार्य रजिस्टर, परिसंपत्ति रजिस्टर आदि अप्रस्तुत रहे।

अतः उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत खाते से आहरित धनराशि रुपये 476055.00 का विभिन्न मदों पर सामग्री क्रय फर्जी ढंग से दर्शाकर धन का समायोजन कर ग्राम पंचायत विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपहरण किया गया।

उपरोक्त अपहरित धनराशि रु0-250130.00में से श्री दिनेश ग्रा.प.वि.अ. से रु 125065.00 एवं श्री नरेन्द्र यादव ग्राम प्रधान से रु 125065.00 एवं रुपये 225925.00 की ब्याज सहित वसूली में से श्री राजेश कुमार ग्रा.पं.वि.अ. से 112962.50 रु एवं श्री नरेन्द्र यादव ग्राम प्रधान से 112962.50 रुपये, अर्थात् प्रधान से कुल रुपये 238027.50 अपेक्षित है।

जनपद का नाम — बाँदा मण्डल — चित्रकूट धाम मण्डल

प्रस्तर संख्या—1

ग्राम पंचायत पलरा, विकास खण्ड — तिन्दवारी, की लेखा परीक्षा में पाया गया कि कैश बुक में दिनांक 01.09.2014 को क्रमशः चैक संख्या 13072 व 13073 द्वारा बनियन तालाब पलरा में तथा बिझौली तालाब सरहन में श्री दलपत सिंह व श्री शिवकुमार के ट्यूब बेल से पानी की भराई रुपया 7000.00 व रुपया 7000.00 कुल रुपये 14000.00 का व्यय दर्शित है। जिसका व्यय प्रमाणक नहीं पाया गया। अतः किया गया व्यय फर्जी है, जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री योगेन्द्र सिंह ग्राम प्रधान व श्री अनुज कुमार ग्राम विकास अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या—2

ग्राम पंचायत डिघवट, विकास खण्ड — तिन्दवारी, की लेखा परीक्षा में पाया गया कि कैश बुक में दिनांक 31.01.2015 को चैक संख्या 17799 द्वारा घूर सफाई पर व्यय रुपये 13800.00 बिना प्रमाणक कैश बुक में दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री जितेन्द्र प्रसाद ग्राम प्रधान व श्री अनुज कुमार ग्राम विकास अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या—3

ग्राम पंचायत डिघवट, विकास खण्ड — तिन्दवारी, की लेखा परीक्षा में पाया गया कि कैश बुक में दिनांक 23.03.2015 को क्रमशः चैक संख्या 20082 व 20087 द्वारा रुपया 3500.00 व रुपया 3535.00 कुल रुपये 7035.00 का व्यय दर्शित है। जिसका व्यय प्रमाणक नहीं पाया गया। अतः किया गया व्यय फर्जी है, जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री जितेन्द्र प्रसाद ग्राम प्रधान व श्री अनुज कुमार ग्राम विकास अधिकारी से बराबर बराबर की धनराशि ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या—4

ग्राम पंचायत देवरार, विकास खण्ड — महुआ, की लेखा परीक्षा में पाया गया कि कैश बुक में ह्यूम पाईप पर व्यय रुपये 4836.00 बिना प्रमाणक कैश बुक में दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है जिसको श्री भवानी दीन यादव ग्राम प्रधान व श्री ओम प्रकाश पाल ग्राम विकास अधिकारी से बराबर बराबर की धनराशि ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या—5

ग्राम पंचायत पाराबन्नो बेगम, विकास खण्ड — बबेरु, की लेखा परीक्षा में पाया गया कि कैश बुक में खेल कूद में सामग्री के नाम पर व्यय रुपये 5000.00 बिना प्रमाणक, बिना स्टॉक रजिस्टर में इन्ट्री किये कैश बुक में दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमति ननकी देवी ग्राम प्रधान व श्री विमल कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर बराबर की धनराशि ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या—6

ग्राम पंचायत बरौली आजम, विकास खण्ड — बबेरु, की लेखा परीक्षा में पाया गया कि कैश बुक में स्टेशनरी मद के नाम पर पर व्यय रुपये 5200.00 बिना प्रमाणक, बिना स्टॉक रजिस्टर में इन्ट्री किये कैश बुक में दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमति रेखा देवी ग्राम प्रधान व श्री हरिनारायण ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से बराबर बराबर की धनराशि ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

जनपद—हमीरपुर मण्डल — चित्रकूट धाम, बांदा।

प्रस्तर 01

ग्राम पंचायत कनौटा विकास खण्ड कुरारा में ग्राम पंचायत की छात्रवृत्ति की कैशबुक एवं बैंक पासबुक अकाउन्ट सं०— 282 डी०सी०बी० कुरारा के अनुसार माह मई 2012 को 4,150.00 रुपये जमा है तथा कैशबुक में 17,190.00 रुपये दर्शित है। इस प्रकार अद्यतन 21,340.00 रुपये की धनराशि का दुर्विनियोग किया जा रहा है। जिसका उत्तरदायित्व तत्कालीन सचिव श्री अरुण कुमार तिवारी एवं प्रधान श्री भगवन पाल का है। उत्तरदायी के प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 02

ग्राम पंचायत गिर्मुँहा विकास खण्ड कुरारा में ग्राम पंचायत की छात्रवृत्ति की कैशबुक एवं बैंक पासबुक अकाउन्ट सं०— 2893 में मु० 9,330.00 रुपये जमा है तथा कैशबुक में 1,360.00 रुपये दिनांक 30.04.2012 को नकद अवशेष दर्शित है। जिसको विभाग को वापस न करके दुर्विनियोग किया गया है। जिसका उत्तरदायित्व सचिव श्री अरुण कुमार तिवारी एवं प्रधान श्रीभूरी का होगा। उत्तरदायी के प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 03

ग्राम पंचायत गिर्मुँहा विकास खण्ड कुरारा में वर्ष 2010—11 में एम०डी०एम० योजनान्तर्गत कैशबुक में नकद मु० 168.00 रुपये तथा बैंक पासबुक में नकद 520.00 रुपये जमा है। जिसको सम्बन्धित विभाग को वापस न करके दुर्विनियोग किया गया है। जिसका उत्तरदायित्व सचिव श्री अरुण कुमार तिवारी एवं प्रधान श्रीभूरी का होगा। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 04

ग्राम पंचायत गिर्मुँहा विकास खण्ड कुरारा में माह नवम्बर 2006 को अवशेष छात्रवृत्ति नकद मु0 1,640.00 रुपये का व्यय स्टेशनरी क्रय किया गया जबकि धनराशि सम्बन्धित विभाग को वापस न करके मु0— 1,640.00 रुपये दुरुपयोग किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान श्रीमती भूरी एवं सचिव श्री अरुण कुमार तिवारी से बराबर—बराबर की जाये।

प्रस्तर 05

ग्राम पंचायत गिर्मुँहा विकास खण्ड कुरारा में दिनांक 19.02.2016 को खाता सं0— 2320 की चेक सं0— 320602 से बैंक से मु0— 30,000.00 का भुगतान लिया गया है। किन्तु कैशबुक में निर्गत चेक की धनराशि मात्र मु0 5,000.00 रुपये अंकित कर अन्तर की धनराशि मु0 25,000.00 रुपये का अपहरण किया गया है, जिसका उत्तरदायित्व सचिव श्री अरुण कुमार तिवारी एवं प्रधान श्रीमती भूरी का है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 06

ग्राम पंचायत गिर्मुँहा विकास खण्ड कुरारा में माह दिसम्बर 2011 के ग्राम निधि के खाता सं0—50044517640 के स्टेटमेन्ट में 1,69,618.00 रुपये अवशेष दर्शित है जो कैशबुक के अनुसार माह जनवरी 2012 में बैंक से 25,000.00 रुपये धनराशि की निकासी के बाद अवशेष 1,39,618.00 है। इस प्रकार निकासी 30,000.00 रुपये होनी चाहिये थी। अन्तर की धनराशि रु0—5000.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन सचिव श्री अरुण कुमार तिवारी एवं प्रधान श्रीमती भूरी से की जानी चाहिये।

प्रस्तर 07

ग्राम पंचायत गिर्मुँहा विकास खण्ड कुरारा में संस्था के डी0सी0बी0 के खाता सं0— 2685 का संचालन 30.10.2006 से बन्द पड़ा है तथा इसी प्रकार डी0सी0बी0 के खाता सं0— 2320 दिनांक 12.01.2012 से बन्द पड़ा है। जिससे क्रमशः 21,539.30 एवं 5,832.00 जमा दर्शित है जिसको सम्बन्धित योजनाओं में हस्तान्तरित न करके धनराशि को रोके रखा गया। जिसका उत्तरदायित्व तत्कालीन सचिव एवं प्रधान का है। उत्तरदायी के प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 08

ग्राम पंचायत गिर्मुँहा विकास खण्ड कुरारा में दिनांक 30.06.2014 को मनरेगा योजनान्तर्गत के मैटेरियल खाता सं0— एस0बी0आई0 खाता सं0— 31043902500 में अवशेष मु0— 9,736.00 दर्शित है। जिसको सम्बन्धित विभागों को वापस किया जाना चाहिये था। अद्यतन वापस न करने का दायित्व सचिव एवं प्रधान का होगा। उत्तरदायी के प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 09

ग्राम पंचायत गिर्मुँहा विकास खण्ड कुरारा में दिनांक 26.03.2009 को डी0सी0बी0 के खाता सं0— 200069 में मनरेगा योजना के अन्तर्गत मु0— 48,022.00 रुपये अवशेष अद्यतन दर्शित है। जिसको

सम्बन्धित योजना/विभाग को वापस किया जाना चाहिये था। वापस न करने का दायित्व सचिव एवं प्रधान का होगा। उत्तरदायी के प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 10

वर्ष 2012-13 से 2014-15 के ग्राम पंचायत नहदौरा के लेखा परीक्षण में दिनांक 31.03.2013 की अवशेष छात्रवृत्ति रु0- 13,500.00 कोष बही में नकद दर्शित थी जिसे दिनांक 01.11.2012 के प्रारम्भिक अवशेष में न दर्शाकर रोकड़ का अपहरण किया गया है। जिसे सचिव श्री हरिश्चन्द्र एवं प्रधान श्री हीरालाल से आधी-आधी ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 11

ग्राम पंचायत सैदपुर विकास खण्ड राठ में वर्ष 2010-11 में रु0- 2,09,400.00 तथा वर्ष 2011-12 में रु0- 1,69,720.00 तथा वर्ष 2012-13 में रु0- 43,895.00 की धनराशि वितरण की कैशबुक एवं व्यय प्रमाण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जो अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः रु0- 4,23,015.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान एवं सचिव की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 12

वर्ष 2010-11 में एम0डी0एम0 मद सेग्राम पंचायतसैदपुर में रु0- 1,31,000.00 की धनराशि बैंक से निकालकर अपहरण किया है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित कैशबुक एवं व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जिससे किया गया व्यय, अपहरण की श्रेणी में आता है, जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान एवं सचिव की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 13

ग्राम पंचायत सैदपुर में वर्ष 2011-12 में राज्य वित्त एवं बारहवें वित्त एवं तेरहवें वित्त से रु0- 8,79,377.00 की धनराशि से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य प्रमाणक जैसे स्टॉक रजिस्टर/निर्माण रजिस्टर आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे व्यय की गयी धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है। जिससे दर्शायी गयी व्यय धनराशि रु0- 8,79,377.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री शिवप्रसाद एवं सचिव श्री अनूप वर्मा से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 14

ग्राम पंचायत कम्हरिया में दिनांक 01.04.2014 की रोकड़ अवशेष नकद रु0- 5,660.00 दर्शित है जो छात्रवृत्ति योजना से सम्बन्धित है। छात्रवृत्ति योजना जून 2012 से संचालन ग्राम पंचायत से पृथक कर दिया गया है, तभी से यह रोकड़ प्रधान/सचिव द्वारा अपने पास रोककर निजी प्रयोग में रखकर दुरुपयोग कर रहे हैं। जबकि इसे पूर्व में ही चालान से सम्बन्धित पक्ष का जमा कर देना चाहिये था परन्तु ऐसा न कर रोकड़ की अपहरण किया गया है। जिसे सचिव श्री नसीम अहमद एवं प्रधान श्री अजीमुद्दीन से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 15

ग्राम पंचायत किसवाही मे वर्ष 2014-15 की कोष बही मे प्रारम्भिक रोकड़ अवशेष नकद दिनांक 01.04.2014 को नकद शेष रुपये 17,810.00 दर्शित है जो छात्रवृत्ति की पूर्व वर्षों से रोकड़ अवशेष दर्शित चली आ रही है तथा दिनांक 31.03.2015 को यथावत दर्शित है जबकि इसे छात्रवृत्ति योजना समाप्ति वर्ष 2012 में ही समाज कल्याण/पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी आदि से सम्बन्धित विभाग को चालान से वापस कर दिया जाना चाहिये था, परन्तु सचिव सुनील निगम व प्रधान श्री गजेन्द्र सिंह द्वारा अतिथि तक अपने पास अनधिकृत रोकें जाने पर रूप से अपहरण प्रतीत होता है। अतः रू0— 17,810.00 की धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्री गजेन्द्र सिंह एवं सचिव श्री सुनील निगम से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 16

ग्राम पंचायत टिकरी बुजुर्ग मे दिनांक 01.04.2014 को कैशबुक मे नकद रोकड़ अवशेष रू0— 16,900.00 दर्शित है जो छात्रवृत्ति की रोकड़ अवशेष विगत कई वर्षों से दर्शित चली आ रही है। जिसे प्रधान श्री कल्लू सिंह व सचिव श्री नसीम अहमद द्वारा अपने पास रोककर रोकड़ की अपहरण किया जा रहा है। जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री कल्लू सिंह एवं सचिव श्री नसीम अहमद से की जानी अपेक्षित है।

जनपद : गोण्डा

मण्डल—देवीपाटन

प्रस्तर संख्या	ग्राम पंचायत का नाम	विकास खण्ड	जिला	आपत्ति का विवरण	सन्निहित धनराशि																																																																				
1	2	3	4	5	6																																																																				
1.	मान्दे	झझरी	गोण्डा	दिनांक 01.04.2012 से दिनांक 31.03.2015 की कैशबुक में निम्न विवरणानुसार व्यय को दर्शाया गया है। जिसकी पुष्टि में समस्त व्यय प्रमाणक, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, कार्य योजना, प्रस्ताव / कार्यवाही पंजिका, एम0बी0 पंजिका आदि अप्रस्तुत रहे। विवरण निम्न है :- <table><tr><th>क्र. सं.</th><th>प्रमाणक संख्या व दिनांक</th><th>मद का विवरण</th><th>धनराशि रु0</th></tr><tr><td>1.</td><td>01 / 04.04.2012</td><td>सीमेंट बालू क्रय</td><td>6,600.00</td></tr><tr><td>2.</td><td>02 / 11.04.2012</td><td>ईट क्रय</td><td>10,500.00</td></tr><tr><td>3.</td><td>03 / 12.04.2012</td><td>मस्टररोल से भुगतान</td><td>3,000.00</td></tr><tr><td>4.</td><td>08 / 10.07.2012</td><td>फावड़ा, तसला क्रय</td><td>5,000.00</td></tr><tr><td>5.</td><td>09 / 12.07.2012</td><td>हैण्डपम्प मरम्मत</td><td>18,320.00</td></tr><tr><td>6.</td><td>10 / 15.08.2012</td><td>प्रा० पा० पर मिट्टी कार्य</td><td>20,000.00</td></tr><tr><td>7.</td><td>12 / 11.09.2012</td><td>66 ट्राली से मिट्टी क्रय</td><td>33,000.00</td></tr><tr><td>8.</td><td>15 / 25.11.2012</td><td>85 ट्राली से मिट्टी क्रय</td><td>42,500.00</td></tr><tr><td>9.</td><td>16 / 18.12.2012</td><td>हैण्डपम्प मरम्मत</td><td>22,800.00</td></tr><tr><td>10.</td><td>09 / 22.08.2013</td><td>ट्राली से मिट्टी क्रय</td><td>10,000.00</td></tr><tr><td>11.</td><td>12 / 26.10.2013</td><td>ईट क्रय</td><td>17,600.00</td></tr><tr><td>12.</td><td>13 / 26.10.2013</td><td>सामग्री क्रय</td><td>12,492.00</td></tr><tr><td>13.</td><td>14 / 30.10.2013</td><td>मस्टररोल से भुगतान</td><td>4,908.00</td></tr><tr><td>14.</td><td>19 / 11.01.2014</td><td>हैण्डपम्प मरम्मत</td><td>9,600.00</td></tr><tr><td>15.</td><td>20 / 13.01.2014</td><td>हैण्डपम्प मरम्मत</td><td>9,800.00</td></tr><tr><td>16.</td><td>24 / 03.03.2014</td><td>ईट क्रय</td><td>38,400.00</td></tr></table>	क्र. सं.	प्रमाणक संख्या व दिनांक	मद का विवरण	धनराशि रु0	1.	01 / 04.04.2012	सीमेंट बालू क्रय	6,600.00	2.	02 / 11.04.2012	ईट क्रय	10,500.00	3.	03 / 12.04.2012	मस्टररोल से भुगतान	3,000.00	4.	08 / 10.07.2012	फावड़ा, तसला क्रय	5,000.00	5.	09 / 12.07.2012	हैण्डपम्प मरम्मत	18,320.00	6.	10 / 15.08.2012	प्रा० पा० पर मिट्टी कार्य	20,000.00	7.	12 / 11.09.2012	66 ट्राली से मिट्टी क्रय	33,000.00	8.	15 / 25.11.2012	85 ट्राली से मिट्टी क्रय	42,500.00	9.	16 / 18.12.2012	हैण्डपम्प मरम्मत	22,800.00	10.	09 / 22.08.2013	ट्राली से मिट्टी क्रय	10,000.00	11.	12 / 26.10.2013	ईट क्रय	17,600.00	12.	13 / 26.10.2013	सामग्री क्रय	12,492.00	13.	14 / 30.10.2013	मस्टररोल से भुगतान	4,908.00	14.	19 / 11.01.2014	हैण्डपम्प मरम्मत	9,600.00	15.	20 / 13.01.2014	हैण्डपम्प मरम्मत	9,800.00	16.	24 / 03.03.2014	ईट क्रय	38,400.00	705766.00
क्र. सं.	प्रमाणक संख्या व दिनांक	मद का विवरण	धनराशि रु0																																																																						
1.	01 / 04.04.2012	सीमेंट बालू क्रय	6,600.00																																																																						
2.	02 / 11.04.2012	ईट क्रय	10,500.00																																																																						
3.	03 / 12.04.2012	मस्टररोल से भुगतान	3,000.00																																																																						
4.	08 / 10.07.2012	फावड़ा, तसला क्रय	5,000.00																																																																						
5.	09 / 12.07.2012	हैण्डपम्प मरम्मत	18,320.00																																																																						
6.	10 / 15.08.2012	प्रा० पा० पर मिट्टी कार्य	20,000.00																																																																						
7.	12 / 11.09.2012	66 ट्राली से मिट्टी क्रय	33,000.00																																																																						
8.	15 / 25.11.2012	85 ट्राली से मिट्टी क्रय	42,500.00																																																																						
9.	16 / 18.12.2012	हैण्डपम्प मरम्मत	22,800.00																																																																						
10.	09 / 22.08.2013	ट्राली से मिट्टी क्रय	10,000.00																																																																						
11.	12 / 26.10.2013	ईट क्रय	17,600.00																																																																						
12.	13 / 26.10.2013	सामग्री क्रय	12,492.00																																																																						
13.	14 / 30.10.2013	मस्टररोल से भुगतान	4,908.00																																																																						
14.	19 / 11.01.2014	हैण्डपम्प मरम्मत	9,600.00																																																																						
15.	20 / 13.01.2014	हैण्डपम्प मरम्मत	9,800.00																																																																						
16.	24 / 03.03.2014	ईट क्रय	38,400.00																																																																						

				<table><tr><td>17.</td><td>25 / 14.03.2014</td><td>ट्राली से मिट्टी क्रय</td><td>7,500.00</td></tr><tr><td>18.</td><td>26 / 31.03.2014</td><td>मस्टररोल से भुगतान</td><td>11,928.00</td></tr><tr><td>19.</td><td>27 / 31.03.2014</td><td>हैण्डपम्प मरम्मत</td><td>22,000.00</td></tr><tr><td>20.</td><td>01 / 04.04.2014</td><td>ट्राली से मिट्टी क्रय</td><td>18,500.00</td></tr><tr><td>21.</td><td>04 / 06.04.2014</td><td>ट्राली से मिट्टी क्रय</td><td>9,500.00</td></tr><tr><td>22.</td><td>07 / 13.04.2014</td><td>ट्राली से मिट्टी क्रय</td><td>10,000.00</td></tr><tr><td>23.</td><td>12 / 30.06.2014</td><td>हैण्डपम्प मरम्मत</td><td>12,120.00</td></tr><tr><td>24.</td><td>13 / 10.09.2014</td><td>मस्टररोल से भुगतान</td><td>28,485.00</td></tr><tr><td>25.</td><td>14 / 16.09.2014</td><td>मस्टररोल से भुगतान</td><td>24,960.00</td></tr><tr><td>26.</td><td>15 / 07.10.2014</td><td>मस्टररोल से भुगतान</td><td>34,944.00</td></tr><tr><td>27.</td><td>20 / 21.10.2014</td><td>मस्टररोल से भुगतान</td><td>29,952.00</td></tr><tr><td>28.</td><td>21 / 19.01.2015</td><td>मस्टररोल से भुगतान</td><td>11,700.00</td></tr><tr><td>29.</td><td>24 / 10.02.2015</td><td>सामग्री क्रय</td><td>2,447.00</td></tr><tr><td>30.</td><td>29 / 25.02.2015</td><td>मस्टररोल से भुगतान</td><td>41,510.00</td></tr><tr><td>31.</td><td>31 / 28.02.2015</td><td>सीमेंट बालू क्रय</td><td>51,700.00</td></tr><tr><td>32.</td><td>37 / 18.03.2015</td><td>ईट क्रय</td><td>1,24,000.00</td></tr><tr><td colspan="3">योग</td><td>7,05,766.00</td></tr></table> अस्तु लेखा परीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अवास्तविक व्यय के आधार पर कैशबुक में 7,05,766.00 का भुगतान दर्शाकर रोकड़ अवशेष का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की वैधानिक कार्यवाही तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री जगमोहन तथा तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जयनारायन सिंह से संयुक्त रूप से अपेक्षित है।	17.	25 / 14.03.2014	ट्राली से मिट्टी क्रय	7,500.00	18.	26 / 31.03.2014	मस्टररोल से भुगतान	11,928.00	19.	27 / 31.03.2014	हैण्डपम्प मरम्मत	22,000.00	20.	01 / 04.04.2014	ट्राली से मिट्टी क्रय	18,500.00	21.	04 / 06.04.2014	ट्राली से मिट्टी क्रय	9,500.00	22.	07 / 13.04.2014	ट्राली से मिट्टी क्रय	10,000.00	23.	12 / 30.06.2014	हैण्डपम्प मरम्मत	12,120.00	24.	13 / 10.09.2014	मस्टररोल से भुगतान	28,485.00	25.	14 / 16.09.2014	मस्टररोल से भुगतान	24,960.00	26.	15 / 07.10.2014	मस्टररोल से भुगतान	34,944.00	27.	20 / 21.10.2014	मस्टररोल से भुगतान	29,952.00	28.	21 / 19.01.2015	मस्टररोल से भुगतान	11,700.00	29.	24 / 10.02.2015	सामग्री क्रय	2,447.00	30.	29 / 25.02.2015	मस्टररोल से भुगतान	41,510.00	31.	31 / 28.02.2015	सीमेंट बालू क्रय	51,700.00	32.	37 / 18.03.2015	ईट क्रय	1,24,000.00	योग			7,05,766.00	
17.	25 / 14.03.2014	ट्राली से मिट्टी क्रय	7,500.00																																																																						
18.	26 / 31.03.2014	मस्टररोल से भुगतान	11,928.00																																																																						
19.	27 / 31.03.2014	हैण्डपम्प मरम्मत	22,000.00																																																																						
20.	01 / 04.04.2014	ट्राली से मिट्टी क्रय	18,500.00																																																																						
21.	04 / 06.04.2014	ट्राली से मिट्टी क्रय	9,500.00																																																																						
22.	07 / 13.04.2014	ट्राली से मिट्टी क्रय	10,000.00																																																																						
23.	12 / 30.06.2014	हैण्डपम्प मरम्मत	12,120.00																																																																						
24.	13 / 10.09.2014	मस्टररोल से भुगतान	28,485.00																																																																						
25.	14 / 16.09.2014	मस्टररोल से भुगतान	24,960.00																																																																						
26.	15 / 07.10.2014	मस्टररोल से भुगतान	34,944.00																																																																						
27.	20 / 21.10.2014	मस्टररोल से भुगतान	29,952.00																																																																						
28.	21 / 19.01.2015	मस्टररोल से भुगतान	11,700.00																																																																						
29.	24 / 10.02.2015	सामग्री क्रय	2,447.00																																																																						
30.	29 / 25.02.2015	मस्टररोल से भुगतान	41,510.00																																																																						
31.	31 / 28.02.2015	सीमेंट बालू क्रय	51,700.00																																																																						
32.	37 / 18.03.2015	ईट क्रय	1,24,000.00																																																																						
योग			7,05,766.00																																																																						
2	चन्दवत पुर	झझरी	गोण्डा	दिनांक 01.04.2010 से दिनांक 31.10.2010 की कैशबुक में निम्न विवरणनुसार व्यय को दर्शाया गया है। जिसकी पुष्टिमें समस्त वयय प्रमाणक, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, कार्य योजना, प्रस्ताव/कार्यवाही पंजिका,एम0बी0पंजिका, आदि अप्रस्तुत रहे। विवरण निम्न है :- <table><tr><th>क्र. सं.</th><th>प्रमाणक संख्या व दिनांक</th><th>मद का विवरण</th><th>धनराशिरु०</th></tr><tr><td>1.</td><td>02/07.04.2010</td><td>मिट्टी मजदूरी पर व्यय</td><td>7,800.00</td></tr><tr><td>2.</td><td>03/09.04.2010</td><td>मिट्टी मजदूरी पर व्यय</td><td>7,500.00</td></tr></table>	क्र. सं.	प्रमाणक संख्या व दिनांक	मद का विवरण	धनराशिरु०	1.	02/07.04.2010	मिट्टी मजदूरी पर व्यय	7,800.00	2.	03/09.04.2010	मिट्टी मजदूरी पर व्यय	7,500.00	223870.00																																																								
क्र. सं.	प्रमाणक संख्या व दिनांक	मद का विवरण	धनराशिरु०																																																																						
1.	02/07.04.2010	मिट्टी मजदूरी पर व्यय	7,800.00																																																																						
2.	03/09.04.2010	मिट्टी मजदूरी पर व्यय	7,500.00																																																																						

				3.	05/08.05.2010	ईंट क्रय	12,800.00		
				4.	06/19.05.2010	सीमेंट बालू क्रय	4,650.00		
				5.	07/20.05.2010	तालाब में पानी भराई	10,000.00		
				6.	08/09.06.2010	कूप मजदूरी व्यय	6,840.00		
				7.	09/09.06.2010	ईंट क्रय	32,000.00		
				8.	10/09.06.2010	सीमेंट क्रय	5,400.00		
				9.	11/09.06.2010	बालू क्रय	1,350.00		
				10.	12/15.06.2010	कूप मरम्मत मजदूरी	9,380.00		
				11.	13/28.06.2010	मजदूरी भुगतान	7,980.00		
				12.	14/28.06.2010	ईंट क्रय	32,000.00		
				13.	15/16.07.2010	सीमेंट क्रय	9,300.00		
				14.	16/16.07.2010	मजदूरी भुगतान	6,840.00		
				15.	17/20.07.2010	मजदूरी भुगतान	5,700.00		
				16.	18/26.07.2010	मजदूरी भुगतान	5,700.00		
				17.	19/26.07.2010	सीमेंट क्रय	6,300.00		
				18.	20/30.07.2010	मजदूरी व्यय	2,350.00		
				19.	21/13.08.2010	ईंट क्रय	20,000.00		
				20.	22/30.08.2010	ईंट क्रय	12,800.00		
				21.	23/30.08.2010	सीमेंट बालू क्रय	6,700.00		
				22.	24/30.08.2010	मजदूरी भुगतान	7,980.00		
				23.	25/30.08.2010	हैण्ड पम्प मरममत	2,500.00		
				योग			2,23,870.00		
				अस्तु लेखा परीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अवास्तविक व्यय के आधार पर कैशबुक में रु० 2,23,870.00 का भुगतान दर्शाकर रोकड़ अवशेष का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की वैधानिक कार्यवाही तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती विमला तथा तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रवि मिश्रा से संयुक्त रुप से अपेक्षित है।					

3	चन्दवत पुर	झझरी	गोण्डा	दिनांक 01.11.2010 से दिनांक 31.03.2013 की कैशबुक में निम्नविवरणनुसार व्यय को दर्शाया गया है। जिसकी पुष्टिमें समस्त व्यय प्रमाणक, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, कार्य योजना, प्रस्ताव/कार्यवाही पंजिका, एम0बी0पंजिका, आदि अप्रस्तुत रहे। विवरण निम्न है :- <table><tr><th>क्र.सं.</th><th>प्रमाणक संख्या व दिनांक</th><th>मद का विवरण</th><th>धनराशि रु0</th></tr><tr><td>1.</td><td>26/02.11.2010</td><td>कूप मरम्मत मजदूरी</td><td>6,400.00</td></tr><tr><td>2.</td><td>27/02.11.2010</td><td>सीमेंट बालू क्रय</td><td>3,060.00</td></tr><tr><td>3.</td><td>28/07.11.2010</td><td>मजदूरी कार्य</td><td>4,700.00</td></tr><tr><td>4.</td><td>30/01.12.2010</td><td>स्टेशनरी क्रय</td><td>500.00</td></tr><tr><td>5.</td><td>31/.21.01.2011</td><td>ईट क्रय</td><td>14,880.00</td></tr><tr><td>6.</td><td>34/05.03.2011</td><td>ईट क्रय</td><td>12,800.00</td></tr><tr><td>7.</td><td>35/05.03.2011</td><td>सीमेंट बालू क्रय</td><td>6,900.00</td></tr><tr><td>8.</td><td>36/07.03.2011</td><td>मजदूरी भुगतान</td><td>5,700.00</td></tr><tr><td>9.</td><td>39/16.03.2011</td><td>25 स्ट्रीट लाईट</td><td>1,00,000.00</td></tr><tr><td>10.</td><td>40/18.03.2011</td><td>सरिया सीमेंट पाईप क्रय</td><td>3,200.00</td></tr><tr><td>11.</td><td>41/18.03.2011</td><td>मजदूरी भुगतान</td><td>5,700.00</td></tr><tr><td>12.</td><td>42/29.03.2011</td><td>ईट क्रय</td><td>51,200.00</td></tr><tr><td>13.</td><td>01/02.04.2011</td><td>सीमेंट बालू क्रय</td><td>25,000.00</td></tr><tr><td>14.</td><td>02/06.04.2011</td><td>ईट क्रय</td><td>32,500.00</td></tr><tr><td>15.</td><td>05/.01.11.2011</td><td>शौचालय मजदूरी भुगतान</td><td>10,000.00</td></tr><tr><td>16.</td><td>06/14.11.2011</td><td>पानी की टंकी की पाईप क्रय</td><td>10,000.00</td></tr><tr><td>17.</td><td>10/24.12.2011</td><td>नाली मजदूरी भुगतान</td><td>10,000.00</td></tr><tr><td>18.</td><td>11/26.12.2011</td><td>ह्यूम पाईप खरीद</td><td>98,000.00</td></tr><tr><td>19.</td><td>12/04.01.2012</td><td>हैण्ड पम्प मरम्मत</td><td>10,000.00</td></tr><tr><td>20.</td><td>13/12.01.2012</td><td>मजदूरी भुगतान</td><td>10,000.00</td></tr><tr><td>21.</td><td>14/21.01.2012</td><td>मजदूरी भुगतान</td><td>10,000.00</td></tr><tr><td>22.</td><td>15/24.01.2012</td><td>ह्यूम पाईप खरीद</td><td>1,09,000.00</td></tr><tr><td>23.</td><td>16/01.02.2012</td><td>फावड़ा ठेलिया क्रय</td><td>10,000.00</td></tr><tr><td>24.</td><td>18/24.02.2012</td><td>स्टेशनरी एवं फर्निचर क्रय</td><td>10,000.00</td></tr><tr><td>25.</td><td>19/20.03.2012</td><td>ट्राली से मिट्टी क्रय</td><td>10,000.00</td></tr><tr><td>26.</td><td>20/23.03.2012</td><td>ट्राली से मिट्टी क्रय</td><td>10,000.00</td></tr><tr><td>27.</td><td>02/09.04.2012</td><td>सफाई कर्मी हेतु</td><td>1,000.00</td></tr></table>	क्र.सं.	प्रमाणक संख्या व दिनांक	मद का विवरण	धनराशि रु0	1.	26/02.11.2010	कूप मरम्मत मजदूरी	6,400.00	2.	27/02.11.2010	सीमेंट बालू क्रय	3,060.00	3.	28/07.11.2010	मजदूरी कार्य	4,700.00	4.	30/01.12.2010	स्टेशनरी क्रय	500.00	5.	31/.21.01.2011	ईट क्रय	14,880.00	6.	34/05.03.2011	ईट क्रय	12,800.00	7.	35/05.03.2011	सीमेंट बालू क्रय	6,900.00	8.	36/07.03.2011	मजदूरी भुगतान	5,700.00	9.	39/16.03.2011	25 स्ट्रीट लाईट	1,00,000.00	10.	40/18.03.2011	सरिया सीमेंट पाईप क्रय	3,200.00	11.	41/18.03.2011	मजदूरी भुगतान	5,700.00	12.	42/29.03.2011	ईट क्रय	51,200.00	13.	01/02.04.2011	सीमेंट बालू क्रय	25,000.00	14.	02/06.04.2011	ईट क्रय	32,500.00	15.	05/.01.11.2011	शौचालय मजदूरी भुगतान	10,000.00	16.	06/14.11.2011	पानी की टंकी की पाईप क्रय	10,000.00	17.	10/24.12.2011	नाली मजदूरी भुगतान	10,000.00	18.	11/26.12.2011	ह्यूम पाईप खरीद	98,000.00	19.	12/04.01.2012	हैण्ड पम्प मरम्मत	10,000.00	20.	13/12.01.2012	मजदूरी भुगतान	10,000.00	21.	14/21.01.2012	मजदूरी भुगतान	10,000.00	22.	15/24.01.2012	ह्यूम पाईप खरीद	1,09,000.00	23.	16/01.02.2012	फावड़ा ठेलिया क्रय	10,000.00	24.	18/24.02.2012	स्टेशनरी एवं फर्निचर क्रय	10,000.00	25.	19/20.03.2012	ट्राली से मिट्टी क्रय	10,000.00	26.	20/23.03.2012	ट्राली से मिट्टी क्रय	10,000.00	27.	02/09.04.2012	सफाई कर्मी हेतु	1,000.00	786540.00
क्र.सं.	प्रमाणक संख्या व दिनांक	मद का विवरण	धनराशि रु0																																																																																																																		
1.	26/02.11.2010	कूप मरम्मत मजदूरी	6,400.00																																																																																																																		
2.	27/02.11.2010	सीमेंट बालू क्रय	3,060.00																																																																																																																		
3.	28/07.11.2010	मजदूरी कार्य	4,700.00																																																																																																																		
4.	30/01.12.2010	स्टेशनरी क्रय	500.00																																																																																																																		
5.	31/.21.01.2011	ईट क्रय	14,880.00																																																																																																																		
6.	34/05.03.2011	ईट क्रय	12,800.00																																																																																																																		
7.	35/05.03.2011	सीमेंट बालू क्रय	6,900.00																																																																																																																		
8.	36/07.03.2011	मजदूरी भुगतान	5,700.00																																																																																																																		
9.	39/16.03.2011	25 स्ट्रीट लाईट	1,00,000.00																																																																																																																		
10.	40/18.03.2011	सरिया सीमेंट पाईप क्रय	3,200.00																																																																																																																		
11.	41/18.03.2011	मजदूरी भुगतान	5,700.00																																																																																																																		
12.	42/29.03.2011	ईट क्रय	51,200.00																																																																																																																		
13.	01/02.04.2011	सीमेंट बालू क्रय	25,000.00																																																																																																																		
14.	02/06.04.2011	ईट क्रय	32,500.00																																																																																																																		
15.	05/.01.11.2011	शौचालय मजदूरी भुगतान	10,000.00																																																																																																																		
16.	06/14.11.2011	पानी की टंकी की पाईप क्रय	10,000.00																																																																																																																		
17.	10/24.12.2011	नाली मजदूरी भुगतान	10,000.00																																																																																																																		
18.	11/26.12.2011	ह्यूम पाईप खरीद	98,000.00																																																																																																																		
19.	12/04.01.2012	हैण्ड पम्प मरम्मत	10,000.00																																																																																																																		
20.	13/12.01.2012	मजदूरी भुगतान	10,000.00																																																																																																																		
21.	14/21.01.2012	मजदूरी भुगतान	10,000.00																																																																																																																		
22.	15/24.01.2012	ह्यूम पाईप खरीद	1,09,000.00																																																																																																																		
23.	16/01.02.2012	फावड़ा ठेलिया क्रय	10,000.00																																																																																																																		
24.	18/24.02.2012	स्टेशनरी एवं फर्निचर क्रय	10,000.00																																																																																																																		
25.	19/20.03.2012	ट्राली से मिट्टी क्रय	10,000.00																																																																																																																		
26.	20/23.03.2012	ट्राली से मिट्टी क्रय	10,000.00																																																																																																																		
27.	02/09.04.2012	सफाई कर्मी हेतु	1,000.00																																																																																																																		

4	चन्दवत पुर	झंझरी	गोण्डा		झाडू क्रय		
				28.	03/10.05.2012	तालाब में पानी भरवाई	10,000.00
				29.	04/31.05.2012	हैण्ड पम्प मरम्मत	10,000.00
				30.	05/19.06.2012	तालाब में पानी भरवाई	10,000.00
				31.	06/27.06.2012	हैण्ड पम्प मरम्मत	10,000.00
				32.	08/18.07.2012	ग्राम पंचायत के अभिलेख क्रय	3,000.00
				33.	09/01.08.2012	खड़न्जा मरम्मत पर व्यय	10,000.00
				34.	10/17.08.2012	खड़न्जा मरम्मत पर व्यय	10,000.00
				35.	11/27.11.2012	खड़न्जा मरम्मत पर व्यय	10,000.00
				36.	12/24.12.2012	खड़न्जा मरम्मत पर व्यय	10,000.00
				37.	13/10.01.2013	खड़न्जा मरम्मत पर व्यय	10,000.00
				38.	14/30.01.2013	खड़न्जा मरम्मत पर व्यय	10,000.00
				39.	15/27.02.2013	लाईट क्रय	1,03,000.00
				योग			7,86,540.00
				अस्तु लेखा परीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अवास्तविक व्यय के आधार पर कैशबुक में रु०7,86,540.00 का भुगतान दर्शाकर रोकड़ अवशेष का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की वैधानिक कार्यवाही तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री लल्लू तथा तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रवि मिश्रा से संयुक्त रूप से अपेक्षित है।			
				दिनांक 01.04.2013 से दिनांक 31.03.2015 की कैशबुक में निम्न विवरणनुसार व्यय को दर्शाया गया है। जिसकी पुष्टिमें समस्त व्यय प्रमाणक, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, कार्य योजना, प्रस्ताव/कार्यवाही पंजिका, एम0बी0पंजिका, आदि अप्रस्तुत रहे। विवरण निम्न है :-			
				क्र . सं .	प्रमाणक संख्या व दिनांक	मद का विवरण	धनराशि
				1.	01/01.05.2013	मिट्टी मजदूरी पर व्यय	10,000.00

1464762.00

				2.	02/08.05.2013	फावड़ा, डलिया क्रय	10,000.00	
				3.	03/21.05.2013	डेलिया क्रय	10,000.00	
				4.	04/23.08.2013	मिट्टी मजदूरी पर व्यय	9,940.00	
				5.	05/31.08.2013	पौध क्रय	4,500.00	
				6.	06/21.08.2013	ट्राली से मिट्टी क्रय पर व्यय	9,500.00	
				7.	07/10.10.2013	खड़न्जा निर्माण	14,200.00	
				8.	08/10.10.2013	ट्राली से मिट्टी क्रय पर व्यय	7,500.00	
				9.	09/18.10.2013	ईंट क्रय	37,440.00	
				10.	10/24.10.2013	ट्राली से मिट्टी क्रय पर व्यय	10,000.00	
				11.	11/24.10.2013	ट्राली से मिट्टी क्रय पर व्यय	10,000.00	
				12.	12/28.10.2013	मिट्टी मजदूरी पर व्यय	9,940.00	
				13.	13/28.10.2013	ईंट क्रय	37,440.00	
				14.	14/28.10.2013	ट्राली से मिट्टी क्रय पर व्यय	9,000.00	
				15.	15/29.10.2013	ईंट क्रय	81,600.00	
				16.	16/31.10.2013	मिट्टी मजदूरी पर व्यय	5,396.00	
				17.	17/02.11.2013	ट्राली से मिट्टी क्रय पर व्यय	10,000.00	
				18.	18/20.11.2013	हैण्ड पम्प मरम्मत	16,400.00	
				19.	19/04.12.2013	हैण्ड पम्प मरम्मत	14,030.00	
				20.	20/05.12.2013	ट्राली से मिट्टी क्रय पर व्यय	5,000.00	
				21.	21/05.12.2013	सफाई कर्मी हेतु सामान क्रय	4,000.00	
				22.	24/23.01.2014	मिट्टी मजदूरी पर व्यय	10,000.00	
				23.	25/23.01.2014	मिट्टी मजदूरी पर व्यय	10,000.00	
					26/28.01.2014	मिट्टी मजदूरी पर व्यय	9,940.00	
					27/31.01.2014	मिट्टी मजदूरी पर व्यय	9,940.00	
					28/03.02.2014	ईंट क्रय	48,000.00	

					29/10.02.2014	मिट्टी मजदूरी पर व्यय	9,940.00	
					30/19.02.2014	ईंट क्रय	28,800.00	
					31/24.02.2014	ट्राली से मिट्टी क्रय पर व्यय	20,000.00	
				24.	32/25.02.2014	कुर्सी मेज क्रय	5,600.00	
				25.	33/26.02.2014	ट्राली से मिट्टी क्रय पर व्यय	3,500.00	
				26.	34/08.03.2014	5 ट्राली अध्वा ईंट क्रय	12,000.00	
				27.	35/14.03.2014	मिट्टी मजदूरी पर व्यय	5,340.00	
				28.	37/14.03.2014	ट्राली से मिट्टी क्रय पर व्यय	7,000.00	
				29.	38/14.03.2014	दो अदद दरवाजा क्रय	3,500.00	
				30.	39/18.03.2014	ईंट क्रय	15,600.00	
				31.	40/28.03.2014	सीमेंट बालू क्रय	2,750.00	
				32.	41/18.03.2014	सीमेंट बालू क्रय	10,200.00	
				33.	41/27.03.2014	मिट्टी मजदूरी पर व्यय	9,940.00	
				34.	43/27.03.2014	ट्राली से मिट्टी क्रय पर व्यय	10,000.00	
				35.	02/10.04.2014	मिट्टी मजदूरी पर व्यय	9,798.00	
				36.	03/10.04.2014	सोख्ता निर्माण सामग्री पर व्यय	13,530.00	
				37.	04/11.04.2014	मिट्टी मजदूरी पर व्यय	9,940.00	
				38.	05/15.04.2014	ट्राली से मिट्टी क्रय पर व्यय	6,000.00	
				39.	06/16.04.2014	मिट्टी मजदूरी पर व्यय	8,520.00	
				40.	07/28.04.2014	हैण्ड पम्प मरम्मत	9,950.00	
				41.	08/09.05.2014	मिट्टी मजदूरी पर व्यय	9,940.00	
				42.	10/12.05.2014	ट्राली से मिट्टी क्रय पर व्यय	10,000.00	
				43.	11/29.05.2014	मिट्टी मजदूरी पर व्यय	11,232.00	
				44.	12/30.05.2014	ट्राली से मिट्टी क्रय पर व्यय	10,000.00	
				45.	13/03.06.2014	ईंट क्रय	37,200.00	

				46.	14/09.06.2014	सीमेंट बालू क्रय	18,000.00	
				47.	15/09.06.2014	मिट्टी मजदूरी पर व्यय	19,984.00	
				48.	16/13.06.2014	ईंट क्रय	46,546.00	
				49.	17/13.06.2014	मिट्टी मजदूरी पर व्यय	9,984.00	
				50.	18/14.06.2014	ट्राली से मिट्टी क्रय पर व्यय	5,000.00	
				51.	19/16.06.2014	ईंट क्रय	96,000.00	
				52.	20/17.06.2014	ह्यूम पाईप खरीद	1,26,000.00	
				53.	21/23.06.2014	ट्राली से मिट्टी क्रय पर व्यय	10,000.00	
				54.	22/01.07.2014	मिट्टी मजदूरी पर व्यय	11,232.00	
				55.	23/01.07.2014	मिट्टी मजदूरी पर व्यय	11,232.00	
				56.	24/01.07.2014	नाली मजदूरी पर व्यय	21,216.00	
				57.	25/01.07.2014	ईंट क्रय	14,400.00	
				58.	26/03.07.2014	ट्राली से मिट्टी क्रय पर व्यय	10,000.00	
				59.	28/07.07.2014	मिट्टी मजदूरी पर व्यय	19,968.00	
				60.	29/31.07.2014	ट्राली से मिट्टी क्रय पर व्यय	6,000.00	
				61.	31/14.08.2014	ईंट क्रय	48,000.00	
				62.	32/16.08.2014	मिट्टी मजदूरी पर व्यय	9,984.00	
				63.	33/23.09.2014	मिट्टी मजदूरी पर व्यय	9,984.00	
				64.	34/26.09.2014	मिट्टी मजदूरी पर व्यय	9,984.00	
				65.	35/26.09.2014	सोख्ता मजदूरी पर व्यय	18,728.00	
				66.	36/30.09.2014	ट्राली से मिट्टी क्रय पर व्यय	7,000.00	
				67.	37/08.10.2014	मिट्टी मजदूरी पर व्यय	9,360.00	
				68.	38/20.10.2014	ट्राली से मिट्टी क्रय पर व्यय	8,000.00	
				69.	40/30.10.2014	मिट्टी मजदूरी पर व्यय	9,984.00	
				70.	41/01.11.2014	ट्राली से मिट्टी	9,000.00	

					क्रय पर व्यय		
71.	42/03.11.2014	ट्राली से मिट्टी	क्रय पर व्यय	5,000.00			
72.	43/10.11.2014	ट्राली से मिट्टी	क्रय पर व्यय	2,500.00			
73.	44/08.12.2014	ट्राली से मिट्टी	क्रय पर व्यय	5,000.00			
74.	45/26.12.2014	ट्राली से मिट्टी	क्रय पर व्यय	5,800.00			
75.	46/02.01.2015	ट्राली से मिट्टी	क्रय पर व्यय	10,000.00			
76.	47/09.01.2015	ईंट क्रय		60,000.00			
77.	48/29.01.2015	मिट्टी मजदूरी	पर व्यय	4,680.00			
78.	49/29.01.2015	ट्राली से मिट्टी	क्रय पर व्यय	5,000.00			
79.	50/30.01.2015	सीमेंट बालू क्रय		25,200.00			
80.	51/05.02.2015	हैण्ड पम्प	मरम्मत	4,000.00			
81.	53/16.02.2015	ट्राली से मिट्टी	क्रय पर व्यय	10,000.00			
82.	54/02.03.2015	मिट्टी मजदूरी	पर व्यय	17,982.00			
83.	55/10.03.2015	मिट्टी मजदूरी	पर व्यय	9,984.00			
84.	56/19.03.2015	मिट्टी मजदूरी	पर व्यय	9,984.00			
85.	57/19.03.2015	ईंट क्रय		30,000.00			
योग				14,64,762.00			
अस्तु लेखा परीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अवास्तविक व्यय के आधार पर कैशबुक में रु०14,64,762.00 का भुगतान दर्शाकर रोकड़ अवशेष का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की वैधानिक कार्यवाही तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री लल्लू तथा तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती कृष्णा त्रिपाठी से संयुक्त रूप से अपेक्षित है।							

5	करमडीह कला	इटिया थोक	गोण्डा	1—दिनांक 01.04.2012 से दिनांक 31.03.2013 की कैशबुक में निम्नविवरणनुसार मस्टररोल के आधार पर व्यय को दर्शाया गया है। उक्त व्यय की पुष्टिमें मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, कार्य योजना, प्रस्ताव/कार्यवाही पंजिका, एम0बी0 पंजिका, आदि अप्रस्तुत रहे। विवरण निम्न है :— <table><tr><th>क्र. सं.</th><th>प्रमाणक संख्या व दिनांक</th><th>मद का विवरण</th><th>धनराशि</th></tr><tr><td>1.</td><td>40/08.10.2012</td><td>मनीराम के घर से ओमप्रकाश के घर तक मिट्टी कार्य</td><td>25,000.00</td></tr><tr><td>2.</td><td>45/13.10.2012</td><td>नाली निर्माण पर मजदूरी व्यय</td><td>9,000.00</td></tr><tr><td>3.</td><td>46/17.10.2012</td><td>अलखराम के घर से चौकीदार के घर तक मिट्टी कार्य</td><td>25,000.00</td></tr><tr><td>4.</td><td>47/22.10.2012</td><td>उपरोक्तानुसार मिट्टी कार्य</td><td>22,500.00</td></tr><tr><td>5.</td><td>48/29.12.2012</td><td>उपरोक्तानुसार मिट्टी कार्य</td><td>24,500.00</td></tr><tr><td>6.</td><td>49/02.11.2012</td><td>उपरोक्तानुसार मिट्टी कार्य</td><td>9,000.00</td></tr><tr><td>7.</td><td>55/16.11.2012</td><td>मनीराम के घर से ओमप्रकाश के घर तक मजदूरी कार्य</td><td>24,750.00</td></tr><tr><td colspan="3">योग</td><td>1,39,750.00</td></tr></table> अतः रु०1,39,750.00 का व्यय अवास्तविक रहा जिसकी ब्याज सहित वसूली की वैधानिक कार्यवाही तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती कृष्णावती तथा तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामरूप तिवारी से संयुक्त रूप से अपेक्षित है।	क्र. सं.	प्रमाणक संख्या व दिनांक	मद का विवरण	धनराशि	1.	40/08.10.2012	मनीराम के घर से ओमप्रकाश के घर तक मिट्टी कार्य	25,000.00	2.	45/13.10.2012	नाली निर्माण पर मजदूरी व्यय	9,000.00	3.	46/17.10.2012	अलखराम के घर से चौकीदार के घर तक मिट्टी कार्य	25,000.00	4.	47/22.10.2012	उपरोक्तानुसार मिट्टी कार्य	22,500.00	5.	48/29.12.2012	उपरोक्तानुसार मिट्टी कार्य	24,500.00	6.	49/02.11.2012	उपरोक्तानुसार मिट्टी कार्य	9,000.00	7.	55/16.11.2012	मनीराम के घर से ओमप्रकाश के घर तक मजदूरी कार्य	24,750.00	योग			1,39,750.00	139750.00
क्र. सं.	प्रमाणक संख्या व दिनांक	मद का विवरण	धनराशि																																						
1.	40/08.10.2012	मनीराम के घर से ओमप्रकाश के घर तक मिट्टी कार्य	25,000.00																																						
2.	45/13.10.2012	नाली निर्माण पर मजदूरी व्यय	9,000.00																																						
3.	46/17.10.2012	अलखराम के घर से चौकीदार के घर तक मिट्टी कार्य	25,000.00																																						
4.	47/22.10.2012	उपरोक्तानुसार मिट्टी कार्य	22,500.00																																						
5.	48/29.12.2012	उपरोक्तानुसार मिट्टी कार्य	24,500.00																																						
6.	49/02.11.2012	उपरोक्तानुसार मिट्टी कार्य	9,000.00																																						
7.	55/16.11.2012	मनीराम के घर से ओमप्रकाश के घर तक मजदूरी कार्य	24,750.00																																						
योग			1,39,750.00																																						
6	करमडीह कला	इटिया थोक	गोण्डा	2—दिनांक 01.04.2013 से दिनांक 31.03.2014 की कैशबुक में निम्नविवरणनुसार मस्टररोल के आधार पर व्यय को दर्शाया गया है। <table><tr><th>क्र. सं.</th><th>प्रमाणक संख्या व दिनांक</th><th>मद का विवरण</th><th>धनराशि</th></tr><tr><td>1.</td><td>04/27.04.2013</td><td>झांगुर के घर से कन्हई के घर तक मिट्टी कार्य</td><td>35,642.00</td></tr><tr><td colspan="3">योग</td><td>35,642.00</td></tr></table>	क्र. सं.	प्रमाणक संख्या व दिनांक	मद का विवरण	धनराशि	1.	04/27.04.2013	झांगुर के घर से कन्हई के घर तक मिट्टी कार्य	35,642.00	योग			35,642.00	35642.00																								
क्र. सं.	प्रमाणक संख्या व दिनांक	मद का विवरण	धनराशि																																						
1.	04/27.04.2013	झांगुर के घर से कन्हई के घर तक मिट्टी कार्य	35,642.00																																						
योग			35,642.00																																						

7	करमडीह कला	इटिया थोक	गोण्डा	उक्त व्यय से सम्बंधित मस्टररोल में क्रम संख्या 18 तथा 19 पर एक ही व्यक्ति लालमनी पुत्र श्री यज्ञराम का दो बार उल्लेख करके भुगतान दर्शाया गया है। अस्तु लेखा परीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अवास्तविक मस्टररोल के आधार पर कैशबुक में ₹35,642.00 का भुगतान दर्शाकर रोकड़ अवशेष का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की वैधानिक कार्यवाही तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती कृष्णावती तथा तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती आनन्द कुमारी से संयुक्त रूप से अपेक्षित है। दिनांक 01.04.2013 से दिनांक 31.03.2015 की कैशबुक में निम्न विवरणनुसार व्यय को दर्शाया गया है। <table><tr><th>क्र. सं.</th><th>प्रमाणक संख्या व दिनांक</th><th>मद का विवरण</th><th>धनराशि</th></tr><tr><td>1.</td><td>10/12.11.2013</td><td>10 ट्राली मिट्टी एवं राबिस क्रय।</td><td>20,000.00</td></tr><tr><td>2.</td><td>03/10.06.2014</td><td>खड़जा निर्माण पर मजदूरी</td><td>19656.00</td></tr><tr><td>3.</td><td>05/11.06.2014</td><td>उक्त कार्य</td><td>11,232.00</td></tr><tr><td>4.</td><td>20/20.11.2014</td><td>नाली निर्माण पर मजदूरी</td><td>8,856.00</td></tr><tr><td>5.</td><td>25/18.12.2014</td><td>मिट्टी कार्य पर व्यय</td><td>10,140.00</td></tr><tr><td colspan="3">योग</td><td>69,884.00</td></tr></table> उक्त व्यय की पुष्टि में मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, कार्य योजना, प्रस्ताव/कार्यवाही पंजिका, एम0बी0 पंजिका, आदि अप्रस्तुत रहे। अतः समस्त व्यय अपहरित रहा। जिसकी ब्याज सहित वसूली की वैधानिक कार्यवाही तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती कृष्णावती तथा तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती आनन्द कुमारी से संयुक्त रूप से अपेक्षित है।	क्र. सं.	प्रमाणक संख्या व दिनांक	मद का विवरण	धनराशि	1.	10/12.11.2013	10 ट्राली मिट्टी एवं राबिस क्रय।	20,000.00	2.	03/10.06.2014	खड़जा निर्माण पर मजदूरी	19656.00	3.	05/11.06.2014	उक्त कार्य	11,232.00	4.	20/20.11.2014	नाली निर्माण पर मजदूरी	8,856.00	5.	25/18.12.2014	मिट्टी कार्य पर व्यय	10,140.00	योग			69,884.00	69884.00
क्र. सं.	प्रमाणक संख्या व दिनांक	मद का विवरण	धनराशि																														
1.	10/12.11.2013	10 ट्राली मिट्टी एवं राबिस क्रय।	20,000.00																														
2.	03/10.06.2014	खड़जा निर्माण पर मजदूरी	19656.00																														
3.	05/11.06.2014	उक्त कार्य	11,232.00																														
4.	20/20.11.2014	नाली निर्माण पर मजदूरी	8,856.00																														
5.	25/18.12.2014	मिट्टी कार्य पर व्यय	10,140.00																														
योग			69,884.00																														
8	करमडीह कला	इटिया थोक	गोण्डा	दिनांक 01.04.2014 से दिनांक 31.03.2015 की कैशबुक में निम्नविवरणनुसार ईंट क्रय के आधार पर व्यय को दर्शाया गया है। <table><tr><th>क्र. सं.</th><th>प्रमाणक संख्या व दिनांक</th><th>रसीद संख्या</th><th>धनराशि</th></tr><tr><td>1.</td><td>18/18.11.2014</td><td>16</td><td>27,000.00</td></tr><tr><td>2.</td><td>26/18.12.2014</td><td>15</td><td>60,000.00</td></tr><tr><td colspan="3">योग</td><td>87,000.00</td></tr></table>	क्र. सं.	प्रमाणक संख्या व दिनांक	रसीद संख्या	धनराशि	1.	18/18.11.2014	16	27,000.00	2.	26/18.12.2014	15	60,000.00	योग			87,000.00	87000.00												
क्र. सं.	प्रमाणक संख्या व दिनांक	रसीद संख्या	धनराशि																														
1.	18/18.11.2014	16	27,000.00																														
2.	26/18.12.2014	15	60,000.00																														
योग			87,000.00																														

				उक्त ईट क्रय अबरार अहमद हाजी करम मोहम्मद ब्रिक फिल्ड पूरेमाहा से किया गया है। रसीद संख्या 16 से दिनांक 18.11.2014 को क्रय किया गया जबकि रसीद संख्या 15 से एक माह बाद दिनांक 18.12.2014 को ईट क्रय किया गया। अस्तु लेखा परीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अवास्तविक ईट क्रय के आधार पर कैशबुक में रु०87,000.00 का भुगतान दर्शाकर रोकड़ अवशेष का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की वैधानिक कार्यवाही तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती कृष्णावती तथा तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती आनन्द कुमारी से अपेक्षित है।																																																																									
9	बहेर कुआं	इटिया थोक	गोण्डा	दिनांक 01.04.2012 से दिनांक 31.03.2015 की कैशबुक में निम्न विवरणनुसार व्यय को दर्शाया गया है। जिसकी पुष्टिमें समस्त व्यय प्रमाणक, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, कार्य योजना, प्रस्ताव/कार्यवाही पंजिका, एम0बी0पंजिका, आदि अप्रस्तुत रहे। विवरण निम्न है :- <table><tr><th>क्र. सं.</th><th>प्रमाणक संख्या व दिनांक</th><th>मद का विवरण</th><th>धनराशि</th></tr><tr><td>1.</td><td>01/19.05.2012</td><td>ईट क्रय</td><td>76,000.00</td></tr><tr><td>2.</td><td>02/27.09.2012</td><td>15 ट्राली मिट्टी</td><td>6,000.00</td></tr><tr><td>3.</td><td>03/27.11.2012</td><td>मिट्टी कार्य</td><td>10,000.00</td></tr><tr><td>4.</td><td>04/27.12.2012</td><td>मजदूरी व्यय</td><td>8,400.00</td></tr><tr><td>5.</td><td>05/27.12.2012</td><td>सीमेंट बालू क्रय</td><td>35,360.00</td></tr><tr><td>6.</td><td>06/27.12.2012</td><td>ईट क्रय</td><td>5,760.00</td></tr><tr><td>7.</td><td>07/23.02.2013</td><td>मजदूरी व्यय</td><td>2,400.00</td></tr><tr><td>8.</td><td>08/23.02.2013</td><td>मजदूरी व्यय</td><td>2,400.00</td></tr><tr><td>9.</td><td>09/23.02.2013</td><td>मजदूरी व्यय</td><td>3,500.00</td></tr><tr><td>10.</td><td>10/25.03.2013</td><td>मिट्टी कार्य</td><td>15,000.00</td></tr><tr><td>11.</td><td>11/25.03.2013</td><td>हैण्डपम्प मरम्मत</td><td>2,180.00</td></tr><tr><td>12.</td><td>01/29.04.2013</td><td>80 ट्राली मिट्टी</td><td>40,000.00</td></tr><tr><td>13.</td><td>02/20.06.2013</td><td>कुड़ादान पर व्यय</td><td>5,400.00</td></tr><tr><td>14.</td><td>03/23.07.2013</td><td>मिट्टी कार्य</td><td>19,880.00</td></tr><tr><td>15.</td><td>04/28.09.2013</td><td>हैण्डपम्प मरम्मत</td><td>10,000.00</td></tr><tr><td>16.</td><td>05/31.10.2013</td><td>मिट्टी पटाई</td><td>14,200.00</td></tr><tr><td>17.</td><td>06/12.12.2013</td><td>मिट्टी कार्य</td><td>14,200.00</td></tr></table>	क्र. सं.	प्रमाणक संख्या व दिनांक	मद का विवरण	धनराशि	1.	01/19.05.2012	ईट क्रय	76,000.00	2.	02/27.09.2012	15 ट्राली मिट्टी	6,000.00	3.	03/27.11.2012	मिट्टी कार्य	10,000.00	4.	04/27.12.2012	मजदूरी व्यय	8,400.00	5.	05/27.12.2012	सीमेंट बालू क्रय	35,360.00	6.	06/27.12.2012	ईट क्रय	5,760.00	7.	07/23.02.2013	मजदूरी व्यय	2,400.00	8.	08/23.02.2013	मजदूरी व्यय	2,400.00	9.	09/23.02.2013	मजदूरी व्यय	3,500.00	10.	10/25.03.2013	मिट्टी कार्य	15,000.00	11.	11/25.03.2013	हैण्डपम्प मरम्मत	2,180.00	12.	01/29.04.2013	80 ट्राली मिट्टी	40,000.00	13.	02/20.06.2013	कुड़ादान पर व्यय	5,400.00	14.	03/23.07.2013	मिट्टी कार्य	19,880.00	15.	04/28.09.2013	हैण्डपम्प मरम्मत	10,000.00	16.	05/31.10.2013	मिट्टी पटाई	14,200.00	17.	06/12.12.2013	मिट्टी कार्य	14,200.00	930850.00
क्र. सं.	प्रमाणक संख्या व दिनांक	मद का विवरण	धनराशि																																																																										
1.	01/19.05.2012	ईट क्रय	76,000.00																																																																										
2.	02/27.09.2012	15 ट्राली मिट्टी	6,000.00																																																																										
3.	03/27.11.2012	मिट्टी कार्य	10,000.00																																																																										
4.	04/27.12.2012	मजदूरी व्यय	8,400.00																																																																										
5.	05/27.12.2012	सीमेंट बालू क्रय	35,360.00																																																																										
6.	06/27.12.2012	ईट क्रय	5,760.00																																																																										
7.	07/23.02.2013	मजदूरी व्यय	2,400.00																																																																										
8.	08/23.02.2013	मजदूरी व्यय	2,400.00																																																																										
9.	09/23.02.2013	मजदूरी व्यय	3,500.00																																																																										
10.	10/25.03.2013	मिट्टी कार्य	15,000.00																																																																										
11.	11/25.03.2013	हैण्डपम्प मरम्मत	2,180.00																																																																										
12.	01/29.04.2013	80 ट्राली मिट्टी	40,000.00																																																																										
13.	02/20.06.2013	कुड़ादान पर व्यय	5,400.00																																																																										
14.	03/23.07.2013	मिट्टी कार्य	19,880.00																																																																										
15.	04/28.09.2013	हैण्डपम्प मरम्मत	10,000.00																																																																										
16.	05/31.10.2013	मिट्टी पटाई	14,200.00																																																																										
17.	06/12.12.2013	मिट्टी कार्य	14,200.00																																																																										

				18.	07/14.02.2014	मिट्टी कार्य	20,448.00	
				19.	08/14.02.2014	मिट्टी कार्य	7,952.00	
				20.	09/28.02.2014	मिट्टी कार्य	39,760.00	
				21.	10/06.03.2014	सीमेंट बालू क्रय	38,770.00	
				22.	11/06.03.2014	बोरिंग पाईप क्रय	31,500.00	
				23.	12/06.03.2014	मजदूरी व्यय	20,730.00	
				24.	13/15.03.2014	मिट्टी कार्य	28,400.00	
				25.	14/25.03.2014	पानी टंकी क्रय	15,000.00	
				26.	15/26.03.2014	नाली निर्माण सामग्री	31,000.00	
				27.	16/26.03.2014	ईट क्रय	65,590.00	
				28.	17/26.03.2014	मजदूरी व्यय	22,036.00	
				29.	01/10.04.2014	खुली बैठक पर व्यय	2,000.00	
				30.	02/20.04.2014	10 ट्राली मिट्टी	6,000.00	
				31.	03/22.04.2014	हैण्डपम्प मरम्मत	2,000.00	
				32.	04/13.05.2014	30 ट्राली मिट्टी	18,000.00	
				33.	05/30.05.2014	हैण्डपम्प मरम्मत	2,000.00	
				34.	06/11.06.2014	10 ट्राली मिट्टी	6,000.00	
				35.	07/23.06.2014	55 ट्राली मिट्टी	33,000.00	
				36.	08/03.07.2014	स्टेशनरी	1,000.00	
				37.	09/05.07.2014	10 ट्राली मिट्टी	6,000.00	
				38.	10/07.07.2014	20 ट्राली मिट्टी	12,000.00	
				39.	11/07.07.2014	खुली बैठक पर व्यय	2,000.00	
				40.	12/04.10.2014	15 अगस्त पर व्यय	3,000.00	
				41.	13/04.10.2014	02 अक्टूबर व्यय	2,000.00	
				42.	14/09.10.2014	नाली ढक्कन सामग्री	15,000.00	

				<table><tr><td>43.</td><td>15/21.10.2014</td><td>45 ट्राली मिट्टी</td><td>27,000.00</td></tr><tr><td>44.</td><td>16/21.10.2014</td><td>मिट्टी कार्य</td><td>9,984.00</td></tr><tr><td>45.</td><td>17/31.10.2014</td><td>ईट क्रय</td><td>60,000.00</td></tr><tr><td>46.</td><td>18/31.10.2014</td><td>मजदूरी व्यय</td><td>10,920.00</td></tr><tr><td>47.</td><td>19/31.10.2014</td><td>हैण्डपम्प मरम्मत</td><td>7,000.00</td></tr><tr><td>48.</td><td>20/31.10.2014</td><td>स्टेशनरी</td><td>96.00</td></tr><tr><td>49.</td><td>21/18.11.2014</td><td>मजदूरी व्यय</td><td>9,984.00</td></tr><tr><td>50.</td><td>24/10.12.2014</td><td>मजदूरी व्यय</td><td>34,944.00</td></tr><tr><td>51.</td><td>25/23.12.2014</td><td>ह्यूम पाईप खरीद</td><td>39,000.00</td></tr><tr><td>52.</td><td>27/31.12.2014</td><td>स्टेशनरी</td><td>56.00</td></tr><tr><td>53.</td><td>28/13.01.2015</td><td>मजदूरी व्यय</td><td>9,984.00</td></tr><tr><td>54.</td><td>29/13.01.2015</td><td>स्टेशनरी</td><td>16.00</td></tr><tr><td>55.</td><td>30/06.02.2015</td><td>नाली ढक्कन सामग्री</td><td>20,000.00</td></tr><tr><td colspan="3">योग</td><td>9,30,850.00</td></tr></table> अस्तु लेखा परीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अवास्तविक व्यय के आधार पर कैशबुक में रु०9,30,850.00 का भुगतान दर्शाकर रोकड़ अवशेष का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की वैधानिक कार्यवाही तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राकेश शुक्ला तथा तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामरूप तिवारी से संयुक्त रूप से अपेक्षित है।	43.	15/21.10.2014	45 ट्राली मिट्टी	27,000.00	44.	16/21.10.2014	मिट्टी कार्य	9,984.00	45.	17/31.10.2014	ईट क्रय	60,000.00	46.	18/31.10.2014	मजदूरी व्यय	10,920.00	47.	19/31.10.2014	हैण्डपम्प मरम्मत	7,000.00	48.	20/31.10.2014	स्टेशनरी	96.00	49.	21/18.11.2014	मजदूरी व्यय	9,984.00	50.	24/10.12.2014	मजदूरी व्यय	34,944.00	51.	25/23.12.2014	ह्यूम पाईप खरीद	39,000.00	52.	27/31.12.2014	स्टेशनरी	56.00	53.	28/13.01.2015	मजदूरी व्यय	9,984.00	54.	29/13.01.2015	स्टेशनरी	16.00	55.	30/06.02.2015	नाली ढक्कन सामग्री	20,000.00	योग			9,30,850.00	
43.	15/21.10.2014	45 ट्राली मिट्टी	27,000.00																																																										
44.	16/21.10.2014	मिट्टी कार्य	9,984.00																																																										
45.	17/31.10.2014	ईट क्रय	60,000.00																																																										
46.	18/31.10.2014	मजदूरी व्यय	10,920.00																																																										
47.	19/31.10.2014	हैण्डपम्प मरम्मत	7,000.00																																																										
48.	20/31.10.2014	स्टेशनरी	96.00																																																										
49.	21/18.11.2014	मजदूरी व्यय	9,984.00																																																										
50.	24/10.12.2014	मजदूरी व्यय	34,944.00																																																										
51.	25/23.12.2014	ह्यूम पाईप खरीद	39,000.00																																																										
52.	27/31.12.2014	स्टेशनरी	56.00																																																										
53.	28/13.01.2015	मजदूरी व्यय	9,984.00																																																										
54.	29/13.01.2015	स्टेशनरी	16.00																																																										
55.	30/06.02.2015	नाली ढक्कन सामग्री	20,000.00																																																										
योग			9,30,850.00																																																										
10	लालपुर	इटिया थोक	गोण्डा	दिनांक 01.04.2011 से दिनांक 31.03.2013 की कैशबुक में निम्नविवरणनुसार व्यय को दर्शाया गया है। जिसकी पुष्टि में समस्त व्यय प्रमाणक, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, कार्य योजना, प्रस्ताव/कार्यवाही पंजिका, एम0बी0पंजिका, आदि अप्रस्तुत रहे। विवरण निम्न है :- <table><tr><th>क्र. सं.</th><th>प्रमाणक संख्या व दिनांक</th><th>मद का विवरण</th><th>धनराशि</th></tr><tr><td>1.</td><td>01/04.04.2011</td><td>10 स्ट्रीट लाईट क्रय</td><td>50.000.00</td></tr><tr><td>2.</td><td>02/18.04.2011</td><td>स्टेशनरी क्रय</td><td>1,000.00</td></tr></table>	क्र. सं.	प्रमाणक संख्या व दिनांक	मद का विवरण	धनराशि	1.	01/04.04.2011	10 स्ट्रीट लाईट क्रय	50.000.00	2.	02/18.04.2011	स्टेशनरी क्रय	1,000.00	367255.00																																												
क्र. सं.	प्रमाणक संख्या व दिनांक	मद का विवरण	धनराशि																																																										
1.	01/04.04.2011	10 स्ट्रीट लाईट क्रय	50.000.00																																																										
2.	02/18.04.2011	स्टेशनरी क्रय	1,000.00																																																										

				3.	12/09.05.2011	मजदूरी पर व्यय	1,000.00	
				4.	22/06.07.2011	पुलिया निर्माण मजदूरी	14,055.00	
				5.	24/22.10.2011	मिट्टी कार्य	20000.00	
				6.	01/01.06.2012	मजदूरी व्यय	9,600.00	
				7.	02/01.06.2012	30 टाली मिट्टी कार्य	9,000.00	
				8.	03/05.06.2012	मजदूरी व्यय	12,500.00	
				9.	04/05.06.2012	मजदूरी व्यय	18,250.00	
				10.	05/09.06.2012	मजदूरी व्यय	12,500.00	
				11.	06/11.06.2012	मिट्टी कार्य	12,500.00	
				12.	07/11.06.2012	तालाब मे पानी भराई	7,500.00	
				13.	08/16.06.2012	तालाब मे पानी भराई	8,200.00	
				14.	08/16.06.2012	ईट क्रय	21,600.00	
				15.	10/17.06.2012	मजदूरी व्यय	16,250.00	
				16.	11/18.06.2012	मजदूरी व्यय	14,500.00	
				17.	12/18.06.2012	मजदूरी व्यय	16,500.00	
				18.	13/24.11.2012	मिट्टी कार्य	20,000.00	
				19.	14/27.11.2012	मजदूरी व्यय	10,000.00	
				20.	15/04.12.2012	मजदूरी व्यय	5,000.00	
				21.	16/28.12.2012	मजदूरी व्यय	4,600.00	
				22.	17/28.12.2012	मजदूरी व्यय	4,500.00	
				23.	18/01.01.2013	मजदूरी व्यय	22,000.00	
				24.	19/12.01.2013	मजदूरी व्यय	10,000.00	
				25.	20/23.03.2013	ईट क्रय	35,200.00	
				26.	21/28.03.2013	मजदूरी व्यय	11,000.00	
				योग			3,67,255-00	

				अस्तु लेखा परीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अवास्तविक व्यय के आधार पर कैशबुक में रु० 367255.00 का भुगतान दर्शाकर रोकड़ अवशेष का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की वैधानिक कार्यवाही तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राकेश शुक्ला तथा तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामरूप तिवारी से संयुक्त रूप से अपेक्षित है।																					
11	शीशव	तरबगंज	गोण्डा	आलोच्य वर्ष 2014-15 में ग्राम पंचायत की कैशबुक में हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय धनराशि निम्न प्रकार से दर्शित है। <table><tr><th>क्र. सं.</th><th>दिनांक</th><th>प्रमाणक संख्या</th><th>चेक संख्या</th><th>सन्निहित धनराशि</th></tr><tr><td>1.</td><td>10.04.2014</td><td>01</td><td>---</td><td>6,000.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>योग</td><td>6,000.00</td></tr></table> उक्त विवरण से लेखा परीक्षा को निम्न आपत्तियाँ हैं :- - व्यय की पुष्टिमें कोई भी प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। - उक्त से सम्बंधित कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया। - डेडस्टाक रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया। हैण्ड पम्प मरम्मत पर रु०6,000.00 का अवास्तविक व्यय दर्शाकर राजकीय अनुदान का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री राम नारायण एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मतीउज्जमा खान से किया जाना संयुक्त रूप से अपेक्षित है।	क्र. सं.	दिनांक	प्रमाणक संख्या	चेक संख्या	सन्निहित धनराशि	1.	10.04.2014	01	---	6,000.00				योग	6,000.00	6000.00					
क्र. सं.	दिनांक	प्रमाणक संख्या	चेक संख्या	सन्निहित धनराशि																					
1.	10.04.2014	01	---	6,000.00																					
			योग	6,000.00																					
12	शीशव	तरबगंज	गोण्डा	आलोच्य वर्ष 2014-15 में ग्राम पंचायत की कैशबुक में सम्पर्क मार्ग के मरम्मत पर व्यय धराशि निम्न प्रकार से दर्शित है। <table><tr><th>क्र. सं.</th><th>दिनांक</th><th>प्रमाणक संख्या</th><th>चेक संख्या</th><th>सन्निहित धनराशि</th></tr><tr><td>1.</td><td>20.10.2014</td><td>12</td><td>006171</td><td>45,000.00</td></tr><tr><td>2.</td><td>10.11.2014</td><td>16</td><td>006174</td><td>10,000.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>योग</td><td>55,000.00</td></tr></table> उक्त विवरण से लेखा परीक्षा को निम्न आपत्तियाँ हैं :- - व्यय की पुष्टिमें कोई भी प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। - उक्त से सम्बंधित कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया।	क्र. सं.	दिनांक	प्रमाणक संख्या	चेक संख्या	सन्निहित धनराशि	1.	20.10.2014	12	006171	45,000.00	2.	10.11.2014	16	006174	10,000.00				योग	55,000.00	55000.00
क्र. सं.	दिनांक	प्रमाणक संख्या	चेक संख्या	सन्निहित धनराशि																					
1.	20.10.2014	12	006171	45,000.00																					
2.	10.11.2014	16	006174	10,000.00																					
			योग	55,000.00																					

13	शीशव	तरबगंज	गोण्डा	उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि सम्पर्क मार्ग पर रु०55,000.00 का अवास्तविक व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान श्री राम नरायन तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विजय कुमार ने राजकीय अनुदान का अपहरण कर लिया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बंधित से संयुक्त रूप से अपेक्षित है। आलोच्य वर्ष 2014-15 में ग्राम पंचायत के कैशबुक में मजदूरी पर व्यय धराशि निम्न प्रकार से दर्शित है। <table><tr><th>क्र. सं.</th><th>दिनांक</th><th>प्रमाणक संख्या</th><th>चेक संख्या</th><th>सन्निहित धनराशि</th></tr><tr><td>1.</td><td>20.10.2014</td><td>13</td><td>006170</td><td>9,984.00</td></tr><tr><td>2.</td><td>30.10.2014</td><td>14</td><td>006172</td><td>9,984.00</td></tr><tr><td>3.</td><td>31.10.2014</td><td>15</td><td>006173</td><td>9,984.00</td></tr><tr><td>4.</td><td>10.12.2014</td><td>21</td><td>006780</td><td>9,984.00</td></tr><tr><td>5.</td><td>15.12.2014</td><td>26</td><td>008465</td><td>9,984.00</td></tr><tr><td>6.</td><td>29.01.2015</td><td>31</td><td>008472</td><td>8,892.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>योग</td><td>58,812.00</td></tr></table> उक्त विवरण से लेखा परीक्षा को निम्न आपत्तियाँ हैं :- - व्यय की पुष्टिमें कोई भी मस्टररोल प्रस्तुत नहीं किया गया। - उक्त से सम्बंधित कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त विवरण से स्पष्ट है कि कोषबही में मजदूरी पर रु०58,812.00 का अवास्तविक व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान श्री राम नरायन तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विजय कुमार ने राजकीय अनुदान का अपहरण कर लिया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बंधित से संयुक्त रूप से अपेक्षित है।	क्र. सं.	दिनांक	प्रमाणक संख्या	चेक संख्या	सन्निहित धनराशि	1.	20.10.2014	13	006170	9,984.00	2.	30.10.2014	14	006172	9,984.00	3.	31.10.2014	15	006173	9,984.00	4.	10.12.2014	21	006780	9,984.00	5.	15.12.2014	26	008465	9,984.00	6.	29.01.2015	31	008472	8,892.00				योग	58,812.00	58812.00
क्र. सं.	दिनांक	प्रमाणक संख्या	चेक संख्या	सन्निहित धनराशि																																									
1.	20.10.2014	13	006170	9,984.00																																									
2.	30.10.2014	14	006172	9,984.00																																									
3.	31.10.2014	15	006173	9,984.00																																									
4.	10.12.2014	21	006780	9,984.00																																									
5.	15.12.2014	26	008465	9,984.00																																									
6.	29.01.2015	31	008472	8,892.00																																									
			योग	58,812.00																																									
14	शीशव	तरबगंज	गोण्डा	आलोच्य वर्ष 2014-15 में ग्राम पंचायत के कैशबुक में मिट्टी कार्य पर व्यय धराशि निम्न प्रकार से दर्शित है।	102000.00																																								

				<table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र. सं.</th><th>दिनांक</th><th>प्रमाणक संख्या</th><th>चेक संख्या</th><th>सन्निहित धनराशि</th><th>विवरण रु0 500 प्रतिट्राली</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1.</td><td>10.11.2014</td><td>16</td><td>006174</td><td>10,000.00</td><td>20 ट्राली</td></tr> <tr><td>2.</td><td>11.11.2014</td><td>17</td><td>006175</td><td>10,000.00</td><td>20 ट्राली</td></tr> <tr><td>3.</td><td>11.11.2014</td><td>18</td><td>006176</td><td>2,000.00</td><td>04 ट्राली</td></tr> <tr><td>4.</td><td>20.11.2014</td><td>20</td><td>006179</td><td>10,000.00</td><td>20 ट्राली</td></tr> <tr><td>5.</td><td>10.12.2014</td><td>22</td><td>008461</td><td>10,000.00</td><td>20 ट्राली</td></tr> <tr><td>6.</td><td>11.12.2014</td><td>23</td><td>008462</td><td>10,000.00</td><td>20 ट्राली</td></tr> <tr><td>7.</td><td>12.12.2014</td><td>24</td><td>008463</td><td>10,000.00</td><td>20 ट्राली</td></tr> <tr><td>8.</td><td>15.12.2014</td><td>25</td><td>008464</td><td>10,000.00</td><td>20 ट्राली</td></tr> <tr><td>9.</td><td>10.01.2015</td><td>27</td><td>008466</td><td>10,000.00</td><td>20 ट्राली</td></tr> <tr><td>10</td><td>11.01.2015</td><td>28</td><td>008467</td><td>10,000.00</td><td>20 ट्राली</td></tr> <tr><td>.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td>12.01.2015</td><td>29</td><td>008468</td><td>10,000.00</td><td>20 ट्राली</td></tr> <tr><td>.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>योग</td><td>1,02,000.00</td><td></td></tr> </tbody> </table> उक्त विवरण से लेखा परीक्षा को निम्न आपत्तियाँ हैं :- 1. व्यय की पुष्टि में कोई भी प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। 2. उपरोक्त निर्माण कार्य का आंकलन पत्र व एम.बी. रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जो आपत्तिजनक रहा। उपरोक्त के अभाव में निर्माण कार्य का आंकलन व मूल्यांकन नहीं किया गया। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि कोषबही में ट्राली से मिट्टी के कार्य पर रु०1,02,000.00 का अवास्तविक व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान श्री राम नारायन तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विजय कुमार द्वारा राजकीय अनुदान का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बंधित से संयुक्त रुप से अपेक्षित है।	क्र. सं.	दिनांक	प्रमाणक संख्या	चेक संख्या	सन्निहित धनराशि	विवरण रु0 500 प्रतिट्राली	1.	10.11.2014	16	006174	10,000.00	20 ट्राली	2.	11.11.2014	17	006175	10,000.00	20 ट्राली	3.	11.11.2014	18	006176	2,000.00	04 ट्राली	4.	20.11.2014	20	006179	10,000.00	20 ट्राली	5.	10.12.2014	22	008461	10,000.00	20 ट्राली	6.	11.12.2014	23	008462	10,000.00	20 ट्राली	7.	12.12.2014	24	008463	10,000.00	20 ट्राली	8.	15.12.2014	25	008464	10,000.00	20 ट्राली	9.	10.01.2015	27	008466	10,000.00	20 ट्राली	10	11.01.2015	28	008467	10,000.00	20 ट्राली	.						11	12.01.2015	29	008468	10,000.00	20 ट्राली	.									योग	1,02,000.00		
क्र. सं.	दिनांक	प्रमाणक संख्या	चेक संख्या	सन्निहित धनराशि	विवरण रु0 500 प्रतिट्राली																																																																																										
1.	10.11.2014	16	006174	10,000.00	20 ट्राली																																																																																										
2.	11.11.2014	17	006175	10,000.00	20 ट्राली																																																																																										
3.	11.11.2014	18	006176	2,000.00	04 ट्राली																																																																																										
4.	20.11.2014	20	006179	10,000.00	20 ट्राली																																																																																										
5.	10.12.2014	22	008461	10,000.00	20 ट्राली																																																																																										
6.	11.12.2014	23	008462	10,000.00	20 ट्राली																																																																																										
7.	12.12.2014	24	008463	10,000.00	20 ट्राली																																																																																										
8.	15.12.2014	25	008464	10,000.00	20 ट्राली																																																																																										
9.	10.01.2015	27	008466	10,000.00	20 ट्राली																																																																																										
10	11.01.2015	28	008467	10,000.00	20 ट्राली																																																																																										
.																																																																																															
11	12.01.2015	29	008468	10,000.00	20 ट्राली																																																																																										
.																																																																																															
			योग	1,02,000.00																																																																																											

15	पिपरी रोहुआ	तरबगंज	गोण्डा	आलोच्य वर्ष 2014-15 में मजदूरी पर रु० 2,19,984.00 का व्यय दर्शित किया गया है। जिससे सम्बंधित कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, कार्यवाही पंजिका, मस्टररोल प्रस्तुत नहीं किया है। <table><tr><th>क्र. सं.</th><th>दिनांक</th><th>प्रमाणक संख्या</th><th>चेक संख्या</th><th>सन्निहित धनराशि</th></tr><tr><td>1.</td><td>14.04.2014</td><td>01</td><td>000495</td><td>19,812.00</td></tr><tr><td>2.</td><td>14.04.2014</td><td>02</td><td>000496</td><td>19,812.00</td></tr><tr><td>3.</td><td>16.04.2014</td><td>03</td><td>000497</td><td>9,828.00</td></tr><tr><td>4.</td><td>16.04.2014</td><td>04</td><td>007701</td><td>19,812.00</td></tr><tr><td>5.</td><td>17.04.2014</td><td>05</td><td>007702</td><td>19,656.00</td></tr><tr><td>6.</td><td>20.04.2014</td><td>06</td><td>007703</td><td>19,344.00</td></tr><tr><td>7.</td><td>28.04.2014</td><td>10</td><td>007706</td><td>18,720.00</td></tr><tr><td>8.</td><td>25.05.2014</td><td>16</td><td>007710</td><td>18,720.00</td></tr><tr><td>9.</td><td>10.06.2014</td><td>18</td><td>007713</td><td>15,000.00</td></tr><tr><td>10.</td><td>30.06.2014</td><td>20</td><td>007715</td><td>19,656.00</td></tr><tr><td>11.</td><td>30.07.2014</td><td>21</td><td>007716</td><td>19,656.00</td></tr><tr><td>12.</td><td>07.09.2014</td><td>24</td><td>007719</td><td>9,984.00</td></tr><tr><td>13.</td><td>10.09.2014</td><td>25</td><td>007720</td><td>9,984.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>योग</td><td>2,19,984.00</td></tr></table> अतः लेखा परीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि उक्त व्यय धनराशि रु०2,19,984/- का अपहरण ग्राम प्रधान श्री बसंत कुमार शुक्ला तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विजय कुमार द्वारा सम्मिलित रूप से किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बंधित से संयुक्त रूप से अपेक्षित है।	क्र. सं.	दिनांक	प्रमाणक संख्या	चेक संख्या	सन्निहित धनराशि	1.	14.04.2014	01	000495	19,812.00	2.	14.04.2014	02	000496	19,812.00	3.	16.04.2014	03	000497	9,828.00	4.	16.04.2014	04	007701	19,812.00	5.	17.04.2014	05	007702	19,656.00	6.	20.04.2014	06	007703	19,344.00	7.	28.04.2014	10	007706	18,720.00	8.	25.05.2014	16	007710	18,720.00	9.	10.06.2014	18	007713	15,000.00	10.	30.06.2014	20	007715	19,656.00	11.	30.07.2014	21	007716	19,656.00	12.	07.09.2014	24	007719	9,984.00	13.	10.09.2014	25	007720	9,984.00				योग	2,19,984.00	219984.00
क्र. सं.	दिनांक	प्रमाणक संख्या	चेक संख्या	सन्निहित धनराशि																																																																												
1.	14.04.2014	01	000495	19,812.00																																																																												
2.	14.04.2014	02	000496	19,812.00																																																																												
3.	16.04.2014	03	000497	9,828.00																																																																												
4.	16.04.2014	04	007701	19,812.00																																																																												
5.	17.04.2014	05	007702	19,656.00																																																																												
6.	20.04.2014	06	007703	19,344.00																																																																												
7.	28.04.2014	10	007706	18,720.00																																																																												
8.	25.05.2014	16	007710	18,720.00																																																																												
9.	10.06.2014	18	007713	15,000.00																																																																												
10.	30.06.2014	20	007715	19,656.00																																																																												
11.	30.07.2014	21	007716	19,656.00																																																																												
12.	07.09.2014	24	007719	9,984.00																																																																												
13.	10.09.2014	25	007720	9,984.00																																																																												
			योग	2,19,984.00																																																																												
16	पिपरी रोहुआ	तरबगंज	गोण्डा	आलोच्य वर्ष 2014-15 में खड़ंजा मरम्मत कार्य पर रु०1,92,260/- का व्यय दर्शित किया गया। जिससे सम्बंधित मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, कार्यवाही पंजिका, एम.बी., स्वीकृत कार्ययोजना एवं स्टीमेट प्रस्तुत नहीं किया गया है। <table><tr><th>क्र. सं.</th><th>दिनांक</th><th>प्रमाणक संख्या</th><th>चेक संख्या</th><th>सन्निहित धनराशि</th><th>विवरण</th></tr><tr><td>1.</td><td>20.04.2014</td><td>06</td><td>000498</td><td>1,00,032.00</td><td>खड़ंजा मरम्मत</td></tr></table>	क्र. सं.	दिनांक	प्रमाणक संख्या	चेक संख्या	सन्निहित धनराशि	विवरण	1.	20.04.2014	06	000498	1,00,032.00	खड़ंजा मरम्मत	192260.00																																																															
क्र. सं.	दिनांक	प्रमाणक संख्या	चेक संख्या	सन्निहित धनराशि	विवरण																																																																											
1.	20.04.2014	06	000498	1,00,032.00	खड़ंजा मरम्मत																																																																											

17	पिपरी रोहुआ	तरबगंज	गोण्डा						कार्य	15000.00
				2.	22.04.2014	08	007704	14,820.00	खड़जा मरम्मत कार्य	
				3.	23.04.2014	09	007705	19,812.00	खड़जा मरम्मत कार्य	
				4.	29.04.2014	11	000499	18,876.00	खड़जा मरम्मत कार्य	
				5.	15.05.2014	13	007707	20,000.00	खड़जा मरम्मत कार्य	
				6.	20.05.2014	15	007709	18,720.00	खड़जा मरम्मत कार्य	
							योग	1,92,260.00		
				अतः लेखा परीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उक्त व्यय धनराशि रु० 1,92,260/- का अपहरण ग्राम प्रधान श्री बसंत कुमार शुक्ला तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विजय कुमार द्वारा सम्मिलित रूप से किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बंधित से संयुक्त रूप से अपेक्षित है।						
				आलोच्य वर्ष 2014-15 में मिट्टी कार्य पर व्यय दर्शाया गया, जिससे सम्बंधित व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि अप्रस्तुत रहा।						
				क्र. सं.	विवरण	प्रमाणक संख्या	चेक संख्या	सन्निहित धनराशि		
				1.	20 ट्राली मिट्टी कार्य	17	007712	10,000.00		
				2.	10 ट्राली मिट्टी कार्य	19	007714	5,000.00		
							योग	15,000.00		
अतः लेखा परीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उक्त व्यय धनराशि रु० 15,000/- का अपहरण ग्राम प्रधान श्री बसंत कुमार शुक्ला तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विजय कुमार द्वारा सम्मिलित रूप से किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बंधित से संयुक्त रूप से अपेक्षित है।										

18	पिपरी रोहुआ	तरबगंज	गोण्डा	आलोच्य वर्ष 2014-15 में मरम्मत किये गये नलों की संख्या व स्थल अंकित नहीं पाया गया और न ही प्रयुक्त सामग्रियों का विवरण, मात्रा, दर ही अंकित किया गया और न ही इससे सम्बंधित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत किया गया। अतः ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अवास्तविक व्यय दर्शाकर रु० 8,074/- का अपहरण कर लिया गया। <table><tr><td>क्र. सं.</td><td>दिनांक</td><td>प्रमाणक संख्या</td><td>चेक संख्या</td><td>सन्निहित धनराशि</td></tr><tr><td>1.</td><td>30.04.2014</td><td>12</td><td>000500</td><td>8,074.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>योग</td><td>8,074.00</td></tr></table> अतः लेखा परीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि उक्त व्यय धनराशि रु०8,074/- का अपहरण ग्राम प्रधान श्री बसंत कुमार शुक्ला तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विजय कुमार द्वारा सम्मिलित रूप से किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बंधित से संयुक्त रूप से अपेक्षित है।	क्र. सं.	दिनांक	प्रमाणक संख्या	चेक संख्या	सन्निहित धनराशि	1.	30.04.2014	12	000500	8,074.00				योग	8,074.00	8074.00					
क्र. सं.	दिनांक	प्रमाणक संख्या	चेक संख्या	सन्निहित धनराशि																					
1.	30.04.2014	12	000500	8,074.00																					
			योग	8,074.00																					
19	बसेहिया	करनैल गंज	गोण्डा	लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2014-15 ग्राम पंचायत बसेहिया के इलाहाबाद बैंक, करनैलगंज के खाता संख्या 50053633847 के बैंक स्टेटमेंट के अनुसार स्थिति निम्नवत् है :- <table><tr><td>दिनांक</td><td>आहरण</td><td>जमा</td><td>अन्तिम अवशेष</td></tr><tr><td>22.04.2014</td><td>10,000.00</td><td>--</td><td>4,36,665.00</td></tr><tr><td>23.04.2014</td><td>48,391.00</td><td>--</td><td>3,88,274.00</td></tr><tr><td>--</td><td>--</td><td>--</td><td>--</td></tr><tr><td>25.04.2014</td><td>--</td><td>500.00</td><td>3,58,636.00</td></tr></table> उपरोक्त के अनुसार दिनांक 25.04.2014 को अन्तिम अवशेष रु०3,58,636/- अंकित है। अतः 24.04.2014 को अन्तिम अवशेष रु०3,58,636.00- 500.00 = 3,58,136/- को जो दिनांक 23.04.2014 को अन्तिम अवशेष की धनराशि से अन्तर रु०30,138/- है, जिसका अपहरण ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा किया गया जिसको कैशबुक की आय पक्ष में न दर्शाकर रु० 30,138/- का अपहरण कर लिया गया। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री राम कुमार तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती प्रेमा देवी से विधिक कार्यवाही सहित संयुक्त रूप से अपेक्षित है।	दिनांक	आहरण	जमा	अन्तिम अवशेष	22.04.2014	10,000.00	--	4,36,665.00	23.04.2014	48,391.00	--	3,88,274.00	--	--	--	--	25.04.2014	--	500.00	3,58,636.00	30138.00
दिनांक	आहरण	जमा	अन्तिम अवशेष																						
22.04.2014	10,000.00	--	4,36,665.00																						
23.04.2014	48,391.00	--	3,88,274.00																						
--	--	--	--																						
25.04.2014	--	500.00	3,58,636.00																						

20	बसेहिया	करनैल गंज	गोण्डा	लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2014-15 ग्राम पंचायत बसेहिया के इलाहाबाद बैंक, करनैलगंज के खाता संख्या 50053633847 के बैंक स्टेटमेंट के अनुसार स्थिति निम्नवत् है :- <table><tr><th>दिनांक</th><th>अपहरण</th><th>जमा</th><th>अन्तिम अवशेष</th></tr><tr><td>20.10.2014</td><td>72,420.00</td><td>--</td><td>5,30,844.00</td></tr><tr><td>30.10.2014</td><td>10,000.00</td><td>--</td><td>5,20,844.00</td></tr><tr><td>--</td><td>--</td><td>--</td><td>--</td></tr><tr><td>13.11.2014</td><td>10,000.00</td><td>--</td><td>4,90,844.00</td></tr></table> उपरोक्त के अनुसार दिनांक 13.11.2014 को अन्तिम अवशेष रु०4,91844/- अंकित है। दिनांक 12.11.2014 अथवा 13.11.2014 को अन्तिम अवशेष 4,90,844 + 10,000 = 5,00,844/- था जिसका दिनांक 30.10.2014 को अन्तिम अवशेष में धनराशि रु०20,000/- का अन्तर है। जिसका आहरण ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा किया गया जिसको कैशबुक की आय पक्ष में न दर्शाकर रु०20,000/- का अपहरण कर लिया गया। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री राम कुमार तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती प्रेमा देवी से विधिक कार्यवाही सहित संयुक्त रूप से अपेक्षित है।	दिनांक	अपहरण	जमा	अन्तिम अवशेष	20.10.2014	72,420.00	--	5,30,844.00	30.10.2014	10,000.00	--	5,20,844.00	--	--	--	--	13.11.2014	10,000.00	--	4,90,844.00	20000.00																																											
दिनांक	अपहरण	जमा	अन्तिम अवशेष																																																																	
20.10.2014	72,420.00	--	5,30,844.00																																																																	
30.10.2014	10,000.00	--	5,20,844.00																																																																	
--	--	--	--																																																																	
13.11.2014	10,000.00	--	4,90,844.00																																																																	
21	बसेहिया	करनैल गंज	गोण्डा	आलोच्य वित्तीय वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निम्नलिखित विवरण के अनुसार ईट क्रय किया जाना ग्राम पंचायत की कैशबुक में दर्शित है। <table><tr><th>क्र. सं.</th><th>दिनांक</th><th>वाउचर सं०</th><th>चेक सं०</th><th>मात्रा</th><th>दर</th><th>सन्निहित धनराशि</th></tr><tr><td>1.</td><td>30.04.2014</td><td>04</td><td>000137</td><td>8000</td><td>6000</td><td>48,000.00</td></tr><tr><td>2.</td><td>25.05.2014</td><td>07</td><td>002262</td><td>10137</td><td>6000</td><td>60,818.00</td></tr><tr><td>3.</td><td>20.10.2014</td><td>13</td><td>002275 002274</td><td>26880</td><td>6000</td><td>1,61,280.00</td></tr><tr><td>4.</td><td>29.11.2014</td><td>16</td><td>015923</td><td>14147</td><td>6000</td><td>84,880.00</td></tr><tr><td>5.</td><td>01.12.2014</td><td>17</td><td>015924</td><td>8150</td><td>6000</td><td>48,900.00</td></tr><tr><td>6.</td><td>19.12.2014</td><td>20</td><td>015927</td><td>8317</td><td>6000</td><td>48,902.00</td></tr><tr><td>7.</td><td>09.03.2015</td><td>26</td><td>015935</td><td>4000</td><td>6000</td><td>24,000.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>योग</td><td></td><td></td><td>4,76,780.00</td></tr></table> उक्त व्यय पर लेखा को निम्नलिखित आपत्तियाँ हैं :- (क) क्रय की गयी सामग्री पर टी.डी.एस. भुगतान आवश्यक था जो कि नहीं किया गया है।	क्र. सं.	दिनांक	वाउचर सं०	चेक सं०	मात्रा	दर	सन्निहित धनराशि	1.	30.04.2014	04	000137	8000	6000	48,000.00	2.	25.05.2014	07	002262	10137	6000	60,818.00	3.	20.10.2014	13	002275 002274	26880	6000	1,61,280.00	4.	29.11.2014	16	015923	14147	6000	84,880.00	5.	01.12.2014	17	015924	8150	6000	48,900.00	6.	19.12.2014	20	015927	8317	6000	48,902.00	7.	09.03.2015	26	015935	4000	6000	24,000.00				योग			4,76,780.00	476780.00
क्र. सं.	दिनांक	वाउचर सं०	चेक सं०	मात्रा	दर	सन्निहित धनराशि																																																														
1.	30.04.2014	04	000137	8000	6000	48,000.00																																																														
2.	25.05.2014	07	002262	10137	6000	60,818.00																																																														
3.	20.10.2014	13	002275 002274	26880	6000	1,61,280.00																																																														
4.	29.11.2014	16	015923	14147	6000	84,880.00																																																														
5.	01.12.2014	17	015924	8150	6000	48,900.00																																																														
6.	19.12.2014	20	015927	8317	6000	48,902.00																																																														
7.	09.03.2015	26	015935	4000	6000	24,000.00																																																														
			योग			4,76,780.00																																																														

22	बसेहिया	करनैल गंज	गोण्डा	(ख) लेखा परीक्षा में कराये गये कार्य से सम्बंधित कार्य योजना, वित्तीय स्वीकृति, एम.बी. पंजिका, व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र अप्रस्तुत रहा। अस्तु लेखा परीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि धनराशि रु० 4,76,780 /— का अपहरण कर लिया गया जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किया जाना संयुक्त रूप से अपेक्षित है। आलोच्य वित्तीय वर्ष 2014–15 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत में खड़जा निर्माण एवं मरम्मत पर निम्न विवरण के अनुसार कैशबुक में मस्टररोलों के आधार पर व्यय किया जाना अंकित है। <table><tr><th>क्र. सं.</th><th>दिनांक</th><th>वारु चर सं०</th><th>मज—दूर</th><th>दिन</th><th>दर</th><th>सन्निहित धनराशि</th></tr><tr><td>1.</td><td>29.04.2014</td><td>02</td><td>08</td><td>10</td><td>142/265</td><td>13,820.00</td></tr><tr><td>2.</td><td>29.04.2014</td><td>03</td><td>08</td><td>05</td><td>142</td><td>5,680.00</td></tr><tr><td>3.</td><td>15.05.2014</td><td>05</td><td>15</td><td>12</td><td>142</td><td>25,560.00</td></tr><tr><td>4.</td><td>28.05.2014</td><td>06</td><td>20</td><td>12</td><td>142</td><td>34,080.00</td></tr><tr><td>5.</td><td>25.06.2014</td><td>08</td><td>16</td><td>12</td><td>156</td><td>38,860.00</td></tr><tr><td>6.</td><td>11.07.2014</td><td>09</td><td>10</td><td>05</td><td>156</td><td>7,800.00</td></tr><tr><td>7.</td><td>11.07.2014</td><td>11</td><td>08</td><td>05</td><td>156/270</td><td>7,380.00</td></tr><tr><td>8.</td><td>30.10.2014</td><td>14</td><td>10</td><td>12</td><td>156</td><td>18,720.00</td></tr><tr><td>9.</td><td>27.11.2014</td><td>15</td><td>11</td><td>12</td><td>156</td><td>20,592.00</td></tr><tr><td>10.</td><td>19.12.2014</td><td>19</td><td>11</td><td>12</td><td>156</td><td>20,592.00</td></tr><tr><td>11.</td><td>21.01.2015</td><td>22</td><td>09</td><td>07</td><td>156/270</td><td>9,240.00</td></tr><tr><td>12.</td><td>30.01.2015</td><td>23</td><td>08</td><td>07</td><td>156/270</td><td>10,332.00</td></tr><tr><td>13.</td><td>25.02.2015</td><td>25</td><td>07</td><td>07</td><td>156/270</td><td>9,240.00</td></tr><tr><td>14.</td><td>19.03.2015</td><td>27</td><td>08</td><td>08</td><td>156/270</td><td>11,184.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>योग</td><td></td><td></td><td>2,23,080.00</td></tr></table> उक्त व्यय की पुष्टि में कार्ययोजना, वित्तीय स्वीकृति, एम. बी. पंजिका, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि अप्रस्तुत रहा। अस्तु लेखा परीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि उक्त व्यय धनराशि रु० 2,23,080 /— का अपहरण किया गया जिसकी ब्याज	क्र. सं.	दिनांक	वारु चर सं०	मज—दूर	दिन	दर	सन्निहित धनराशि	1.	29.04.2014	02	08	10	142/265	13,820.00	2.	29.04.2014	03	08	05	142	5,680.00	3.	15.05.2014	05	15	12	142	25,560.00	4.	28.05.2014	06	20	12	142	34,080.00	5.	25.06.2014	08	16	12	156	38,860.00	6.	11.07.2014	09	10	05	156	7,800.00	7.	11.07.2014	11	08	05	156/270	7,380.00	8.	30.10.2014	14	10	12	156	18,720.00	9.	27.11.2014	15	11	12	156	20,592.00	10.	19.12.2014	19	11	12	156	20,592.00	11.	21.01.2015	22	09	07	156/270	9,240.00	12.	30.01.2015	23	08	07	156/270	10,332.00	13.	25.02.2015	25	07	07	156/270	9,240.00	14.	19.03.2015	27	08	08	156/270	11,184.00				योग			2,23,080.00	223080.00
क्र. सं.	दिनांक	वारु चर सं०	मज—दूर	दिन	दर	सन्निहित धनराशि																																																																																																															
1.	29.04.2014	02	08	10	142/265	13,820.00																																																																																																															
2.	29.04.2014	03	08	05	142	5,680.00																																																																																																															
3.	15.05.2014	05	15	12	142	25,560.00																																																																																																															
4.	28.05.2014	06	20	12	142	34,080.00																																																																																																															
5.	25.06.2014	08	16	12	156	38,860.00																																																																																																															
6.	11.07.2014	09	10	05	156	7,800.00																																																																																																															
7.	11.07.2014	11	08	05	156/270	7,380.00																																																																																																															
8.	30.10.2014	14	10	12	156	18,720.00																																																																																																															
9.	27.11.2014	15	11	12	156	20,592.00																																																																																																															
10.	19.12.2014	19	11	12	156	20,592.00																																																																																																															
11.	21.01.2015	22	09	07	156/270	9,240.00																																																																																																															
12.	30.01.2015	23	08	07	156/270	10,332.00																																																																																																															
13.	25.02.2015	25	07	07	156/270	9,240.00																																																																																																															
14.	19.03.2015	27	08	08	156/270	11,184.00																																																																																																															
			योग			2,23,080.00																																																																																																															

23	बसेहिया	करनैल गंज	गोण्डा	सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री राम कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती प्रेमा देवी से संयुक्त रुप से अपेक्षित है। लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 11.07.2014 प्रमाणक संख्या 12 से रु० 1,820/— हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु किया गया है। उक्त व्यय पर लेखा परीक्षा को निम्न आपत्तियाँ हैं :- (क) हैण्ड पम्प मरम्मत किस स्थान पर कराये गये इसका अंकन कैशबुक में नहीं किया गया है। (ख) उक्त से सम्बंधित व्यय प्रमाणक, स्टॉक पंजिका प्रस्तुत नहीं किया गया। (ग) ए.डी.ओ. (पंचायत) द्वारा निर्गत सत्यापन सूची अनुपलब्ध रही। अस्तु लेखा परीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि उक्त व्यय धनराशि रु०1,820/— का अपहरण किया गया जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री राम कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती प्रेमा देवी से संयुक्त रुप से अपेक्षित है।	1820.00														
24	करूआ	करनैल गंज	गोण्डा	1— लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2014—15 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार खाता संख्या 50053807180 से दिनांक 17.10. 2014 को चेक संख्या 010597 द्वारा रु०10,000/— एवं चेक संख्या 010596 द्वारा रु०20,000/— आहरित किया गया। उक्त आहरित धनराशि का अंकन कैश बुक के आय पक्ष में न दर्शाकर सीधे अपहरण कर लिया गया। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री हरी लाल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनंत कुमार से विधिक कार्यवाही सहित संयुक्त रुप से अपेक्षित है।	30000.00														
25	करूआ	करनैल गंज	गोण्डा	2— आलोच्य वित्तीय वर्ष 2014—15 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निम्नलिखित विवरण के अनुसार ईट क्रय किया जाना कैशबुक में दर्शित है। <table><tr><th>क्र. सं.</th><th>दिनांक</th><th>वाउ —चर सं०</th><th>चेक सं०</th><th>मात्रा</th><th>दर/ हजार</th><th>सन्निहित धनराशि</th></tr><tr><td>1.</td><td>22.04.2014</td><td>01</td><td>010 581</td><td>10000</td><td>4800</td><td>46,924.00</td></tr></table>	क्र. सं.	दिनांक	वाउ —चर सं०	चेक सं०	मात्रा	दर/ हजार	सन्निहित धनराशि	1.	22.04.2014	01	010 581	10000	4800	46,924.00	413547.00
क्र. सं.	दिनांक	वाउ —चर सं०	चेक सं०	मात्रा	दर/ हजार	सन्निहित धनराशि													
1.	22.04.2014	01	010 581	10000	4800	46,924.00													

				2.	22.04.2014	02	010 582	10000	4800	46,924.00		
				3.	22.04.2014	03	010 583	10000	4800	46,924.00		
				4.	18.06.2014	07	010 587	10000	4800	48,000.00		
				5.	29.09.2014	09	010 592	10000	4800	46,925.00		
				6.	30.09.2014	11	010 593	10000	4800	46,925.00		
				7.	30.09.2014	13	010 591	10000	4800	46,925.00		
				8.	07.11.2014	21	015 343	10000	6000	60,000.00		
				9.	07.11.2014	20	..	4000	6000	24,000.00		
							योग			4,13,547.00		
				26	करुआ	करनैल गंज	गोण्डा	उक्त व्यय पर लेखा परीक्षा को निम्न आपत्तियाँ हैं :- (क) लेखा परीक्षा में पाया गया कि 50000 से अधिक का ईट क्रय किया गया। जिसका टेण्डर दिया जाना अपेक्षित था जो नहीं दिया गया। (ख) लेखा परीक्षा में कराये गये कार्य से सम्बंधित कार्य योजना, वित्तीय स्वीकृति, एम.बी. पंजिका, व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र अप्रस्तुत रहा। अस्तु लेखा परीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि उक्त व्यय धनराशि रु०4,13,547/- का अपहरण किया गया जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री हरी लाल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनंत कुमार से संयुक्त रुप से अपेक्षित है।				
3- आलोच्य वित्तीय वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत में खड़जा निर्माण एवं मरम्मत पर मस्टररोल के आधार पर व्यय किया गया है।												
क्र. सं.	दिनांक	वाउ-चर सं०	चेक सं०					मजदूर	दर	सन्निहित धनराशि		
1.	30.04.2014	05	..					10	156	15,600.00		
2.	17.10.2014	15	..					12	156/ 250	20,600.00		

27

करूआ

करनैल
गंज

गोण्डा

3.	22.10.2014	17	..	10	156/ 250	12,236.00
4.	29.12.2014	26	..	10	156	9,360.00
			योग			57,796.00

लेखा परीक्षा में कराये गये कार्य से सम्बंधित कार्य योजना, वित्तीय स्वीकृति, एम.बी. पंजिका, व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र अप्रस्तुत रहा।

अस्तु लेखा परीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि उक्त व्यय धनराशि रु०57,796/— का अपहरण किया गया जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री हरी लाल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनंत कुमार से संयुक्त रुप से अपेक्षित है।

4— आलोच्य वित्तीय वर्ष 2014—15 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत में निर्माण सामग्री किया जाना कैशबुक में अंकित है।

क्र. सं.	दिनांक	वाउचर संख्या	चेक संख्या	सामग्री	दर	सन्निहित धनराशि
1.	30.08.2014	12	..	सीमेंट बालू आदि	..	45,000.00
2.	20.10.2014	16	..	सीमेंट बालू आदि	..	20,000.00
3.	29.12.2014	27	..	सीमेंट बालू आदि	..	12,824.00
			योग			77,824.00

लेखा परीक्षा में कराये गये कार्य से सम्बंधित कार्य योजना, वित्तीय स्वीकृति, एम.बी. पंजिका, व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, स्टॉक रजिस्टर आदि अप्रस्तुत रहा। अस्तु लेखा परीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि उक्त व्यय धनराशि रु०77,824/— का अपहरण किया गया जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री हरी लाल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनंत कुमार से संयुक्त रुप से अपेक्षित है।

77824.00

28	करुआ	करनैल गंज	गोण्डा	5- लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्षमें दिनांक 22.10.2014 को वाउचर संख्या 18 से रू०2,764/- हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु किया गया है। उक्त व्यय पर लेखा परीक्षा को निम्न आपत्तियाँ हैं :- (क) हैण्ड पम्प मरम्मत किस स्थान पर कराये गये इसका अंकन कैशबुक में नहीं किया गया है। (ख) उक्त से सम्बंधित व्यय प्रमाणक, स्टॉक पंजिका प्रस्तुत नहीं किया गया। (ग) ए.डी.ओ. (पंचायत) द्वारा निर्गत सत्यापन सूची अनुपलब्ध रही। अस्तु लेखा परीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि उक्त व्यय धनराशि रू० 2,764/- का अपहरण किया गया जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री हरी लाल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनंत कुमार से संयुक्त रूप से अपेक्षित है।	2764.00	

जनपद— बलरामपुर मण्डल—देवीपाटन

प्रस्तर संख्या	ग्राम पंचायत का नाम	विकास खण्ड	जिला	आपत्ति का विवरण	सन्निहित धनराशि												
1	2	3	4	5	6												
1	नथईपुर कुँवर	रेहरा बाजार	बलराम पुर	ग्राम पंचायत नथईपुर कुँवर की आलोच्य वर्ष 2013-14 व 2014-15 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निम्नलिखित विवरण के अनुसार कैशबुक में निकासी धनराशि दर्शित है :- <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>क्र. सं.</th><th>दिनांक</th><th>चेक नं०</th><th>धनराशि</th><th>मद</th><th>उत्तरदायी व्यक्ति का नाम</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td>11.09.2014</td><td>002518</td><td>27,000.00</td><td>ईट क्रय</td><td>ग्राम प्रधान श्रीमती कलावती सेक्रेटरी श्री संजय कुमार मिश्र</td></tr> </tbody> </table>	क्र. सं.	दिनांक	चेक नं०	धनराशि	मद	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम	1.	11.09.2014	002518	27,000.00	ईट क्रय	ग्राम प्रधान श्रीमती कलावती सेक्रेटरी श्री संजय कुमार मिश्र	रू०-54,000.00
क्र. सं.	दिनांक	चेक नं०	धनराशि	मद	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम												
1.	11.09.2014	002518	27,000.00	ईट क्रय	ग्राम प्रधान श्रीमती कलावती सेक्रेटरी श्री संजय कुमार मिश्र												

				<table border="1"> <tr> <td>2.</td><td>11.11.2014</td><td>002516</td><td>27,000.00</td><td>ईट क्रय</td><td>ग्राम प्रधान श्रीमती कलावती सेक्रेटरी श्री संजय कुमार मिश्र</td></tr> </table> उक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक अनुपलब्ध रहा। अस्तु उक्त व्यय धनराशि रु० 54,000/- अपहरित कर ली गयी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली बराबर हिस्सों में रु० 27,000/- ग्राम प्रधान श्रीमती कलावती व रु० 27,000/- सेक्रेटरी श्री संजय कुमार मिश्र से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।	2.	11.11.2014	002516	27,000.00	ईट क्रय	ग्राम प्रधान श्रीमती कलावती सेक्रेटरी श्री संजय कुमार मिश्र							
2.	11.11.2014	002516	27,000.00	ईट क्रय	ग्राम प्रधान श्रीमती कलावती सेक्रेटरी श्री संजय कुमार मिश्र												
2.	मीरपुर	रेहरा बाजार	बलरामपुर	ग्राम पंचायत मीरपुर की आलोच्य वर्ष 2013-14 व 2014-15 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निम्नलिखित विवरण के अनुसार कैशबुक में निकासी धनराशि दर्शित है - <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र. सं.</th><th>दिनांक</th><th>चेक नं०</th><th>धनराशि</th><th>मद</th><th>उत्तरदायी व्यक्ति का नाम</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td>16.04.2013</td><td>005008</td><td>48,000.00</td><td>ईट क्रय</td><td>ग्राम प्रधान श्री गुलाम हैदर, सेक्रेटरी श्री संजय कुमार मिश्र।</td></tr> </tbody> </table> उक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक अनुपलब्ध रहा। अस्तु उक्त व्यय धनराशि रु० 48,000/- अपहरित कर ली गयी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली बराबर हिस्सों में रु० 24,000/- ग्राम प्रधान श्री गुलाम हैदर व रु० 24,000/- सेक्रेटरी श्री संजय कुमार मिश्र से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।	क्र. सं.	दिनांक	चेक नं०	धनराशि	मद	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम	1.	16.04.2013	005008	48,000.00	ईट क्रय	ग्राम प्रधान श्री गुलाम हैदर, सेक्रेटरी श्री संजय कुमार मिश्र।	रु० 48,000.00
क्र. सं.	दिनांक	चेक नं०	धनराशि	मद	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम												
1.	16.04.2013	005008	48,000.00	ईट क्रय	ग्राम प्रधान श्री गुलाम हैदर, सेक्रेटरी श्री संजय कुमार मिश्र।												
3.	कलवारी	बलरामपुर	बलरामपुर	वर्ष 2010-11 से वर्ष 2013-14 की लेखा परीक्षा में दिनांक 01.10.2010 से दिनांक 30.06.2011 तक सर्व यू०पी० ग्रामीण बैंक खाता संख्या 9013100020277 की निकासी से संबंधित कैशबुक, व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, एम.बी. पंजिका, स्टीमेट, प्रस्ताव/कार्यवाही पंजिका आदि अप्रस्तुत रहे।	रु० 213910.00												

				<table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र. सं.</th><th>निकासी तिथि</th><th>धनराशि</th><th>क्र. सं.</th><th>निकासी तिथि</th><th>धनराशि</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1.</td><td>10.10.2010</td><td>5,000.00</td><td>8.</td><td>18.04.2013</td><td>62,210.00</td></tr> <tr><td>2.</td><td>12.10.2010</td><td>2,200.00</td><td>9.</td><td>19.04.2011</td><td>3,000.00</td></tr> <tr><td>3.</td><td>13.10.2010</td><td>3,750.00</td><td>10.</td><td>19.04.2011</td><td>3,000.00</td></tr> <tr><td>4.</td><td>20.12.2010</td><td>7,100.00</td><td>11.</td><td>19.04.2011</td><td>16,800.00</td></tr> <tr><td>5.</td><td>27.12.2010</td><td>4,000.00</td><td>12.</td><td>20.04.2011</td><td>3,000.00</td></tr> <tr><td>6.</td><td>28.12.2010</td><td>4,000.00</td><td>13.</td><td>25.04.2011</td><td>11,760.00</td></tr> <tr><td>7.</td><td>18.04.2011</td><td>79,740.00</td><td>14.</td><td>20.06.2011</td><td>8,350.00</td></tr> <tr> <td colspan="5">योग</td><td>2,13,910.00</td></tr> </tbody> </table> उक्त रु० 2,13,910/- का धन अपहृत रहा। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन गांव प्रधान श्रीमती सुशीला तथा तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रुप से की जानी अपेक्षित है।	क्र. सं.	निकासी तिथि	धनराशि	क्र. सं.	निकासी तिथि	धनराशि	1.	10.10.2010	5,000.00	8.	18.04.2013	62,210.00	2.	12.10.2010	2,200.00	9.	19.04.2011	3,000.00	3.	13.10.2010	3,750.00	10.	19.04.2011	3,000.00	4.	20.12.2010	7,100.00	11.	19.04.2011	16,800.00	5.	27.12.2010	4,000.00	12.	20.04.2011	3,000.00	6.	28.12.2010	4,000.00	13.	25.04.2011	11,760.00	7.	18.04.2011	79,740.00	14.	20.06.2011	8,350.00	योग					2,13,910.00	
क्र. सं.	निकासी तिथि	धनराशि	क्र. सं.	निकासी तिथि	धनराशि																																																						
1.	10.10.2010	5,000.00	8.	18.04.2013	62,210.00																																																						
2.	12.10.2010	2,200.00	9.	19.04.2011	3,000.00																																																						
3.	13.10.2010	3,750.00	10.	19.04.2011	3,000.00																																																						
4.	20.12.2010	7,100.00	11.	19.04.2011	16,800.00																																																						
5.	27.12.2010	4,000.00	12.	20.04.2011	3,000.00																																																						
6.	28.12.2010	4,000.00	13.	25.04.2011	11,760.00																																																						
7.	18.04.2011	79,740.00	14.	20.06.2011	8,350.00																																																						
योग					2,13,910.00																																																						
4	धुसाह	बलरामपुर	बलरामपुर	वर्ष 2010-11 से वर्ष 2013-14 की लेखा परीक्षा में दिनांक 01.04.2010 से दिनांक 30.11.2011 तक बैंकनिकासी के सापेक्ष संबंधित कैशबुक , व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, एम.बी. पंजिका, स्टीमेट, प्रस्ताव/कार्यवाही पंजिका आदि अप्रस्तुत रहे। <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र. सं.</th><th>निकासी तिथि</th><th>धनराशि</th><th>क्र. सं.</th><th>निकासी तिथि</th><th>धनराशि</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1.</td><td>26.04.2010</td><td>15,000.00</td><td>8.</td><td>10.08.2010</td><td>5,886.00</td></tr> <tr><td>2.</td><td>26.04.2010</td><td>40,000.00</td><td>9.</td><td>08.09.2010</td><td>24,000.00</td></tr> <tr><td>3.</td><td>29.04.2010</td><td>3,200.00</td><td>10.</td><td>09.09.2010</td><td>4,200.00</td></tr> <tr><td>4.</td><td>20.07.2010</td><td>2,100.00</td><td>11.</td><td>04.09.2010</td><td>8,750.00</td></tr> <tr><td>5.</td><td>24.07.2010</td><td>2,100.00</td><td>12.</td><td>01.11.2010</td><td>4,900.00</td></tr> <tr><td>6.</td><td>16.08.2010</td><td>15,500.00</td><td>13.</td><td>01.11.2010</td><td>4,750.00</td></tr> <tr><td>7.</td><td>17.08.2010</td><td>9,000.00</td><td>14.</td><td>01.11.2010</td><td>4,850.00</td></tr> <tr> <td colspan="5">योग</td><td>1,44,236.00</td></tr> </tbody> </table> उक्त रु० 1,44,236/- का धन अपहृत रहा। जिसके लिए तत्कालीन गांव प्रधान तथा तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी जिम्मेदार हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली की वैधानिक कार्यवाही तत्कालीन ग्राम प्रधान तथा तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रुप से की जानी अपेक्षित है।	क्र. सं.	निकासी तिथि	धनराशि	क्र. सं.	निकासी तिथि	धनराशि	1.	26.04.2010	15,000.00	8.	10.08.2010	5,886.00	2.	26.04.2010	40,000.00	9.	08.09.2010	24,000.00	3.	29.04.2010	3,200.00	10.	09.09.2010	4,200.00	4.	20.07.2010	2,100.00	11.	04.09.2010	8,750.00	5.	24.07.2010	2,100.00	12.	01.11.2010	4,900.00	6.	16.08.2010	15,500.00	13.	01.11.2010	4,750.00	7.	17.08.2010	9,000.00	14.	01.11.2010	4,850.00	योग					1,44,236.00	रु० 144236.00
क्र. सं.	निकासी तिथि	धनराशि	क्र. सं.	निकासी तिथि	धनराशि																																																						
1.	26.04.2010	15,000.00	8.	10.08.2010	5,886.00																																																						
2.	26.04.2010	40,000.00	9.	08.09.2010	24,000.00																																																						
3.	29.04.2010	3,200.00	10.	09.09.2010	4,200.00																																																						
4.	20.07.2010	2,100.00	11.	04.09.2010	8,750.00																																																						
5.	24.07.2010	2,100.00	12.	01.11.2010	4,900.00																																																						
6.	16.08.2010	15,500.00	13.	01.11.2010	4,750.00																																																						
7.	17.08.2010	9,000.00	14.	01.11.2010	4,850.00																																																						
योग					1,44,236.00																																																						
5	धुसाह	बलरामपुर	बलरामपुर	वर्ष 2010-11 से वर्ष 2013-14 की लेखा परीक्षा में दिनांक 01.04.2011 से दिनांक 31.03.2012 तक बैंक निकासी के सापेक्ष सम्बंधित कैशबुक , व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र,	रु० 283317.00																																																						

				एम.बी. पंजिका, स्टीमेट, प्रस्ताव/कार्यवाही पंजिका आदि अग्रस्तुत रहे। <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र. सं.</th><th>निकासी तिथि</th><th>धनराशि</th><th>क्र. सं.</th><th>निकासी तिथि</th><th>धनराशि</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1.</td><td>02.04.2011</td><td>7,500.00</td><td>18.</td><td>20.10.2011</td><td>5,000.00</td></tr> <tr><td>2.</td><td>08.04.2011</td><td>5,000.00</td><td>19.</td><td>20.10.2011</td><td>5,000.00</td></tr> <tr><td>3.</td><td>11.04.2011</td><td>5,000.00</td><td>20.</td><td>20.10.2011</td><td>5,000.00</td></tr> <tr><td>4.</td><td>11.04.2011</td><td>5,000.00</td><td>21.</td><td>03.11.2011</td><td>15,000.00</td></tr> <tr><td>5.</td><td>11.04.2011</td><td>2,250.00</td><td>22.</td><td>04.11.2011</td><td>15,000.00</td></tr> <tr><td>6.</td><td>13.04.2011</td><td>5,000.00</td><td>23.</td><td>21.11.2011</td><td>5,000.00</td></tr> <tr><td>7.</td><td>18.04.2011</td><td>2,400.00</td><td>24.</td><td>20.11.2011</td><td>5,250.00</td></tr> <tr><td>8.</td><td>19.04.2011</td><td>3,600.00</td><td>25.</td><td>14.12.2011</td><td>5,000.00</td></tr> <tr><td>9.</td><td>09.05.2011</td><td>26,617.00</td><td>26.</td><td>28.12.2011</td><td>20,800.00</td></tr> <tr><td>10.</td><td>13.05.2011</td><td>7,500.00</td><td>27.</td><td>29.12.2011</td><td>4,050.00</td></tr> <tr><td>11.</td><td>16.05.2011</td><td>10,000.00</td><td>28.</td><td>30.12.2011</td><td>40,000.00</td></tr> <tr><td>12.</td><td>23.05.2011</td><td>5,000.00</td><td>29.</td><td>10.01.2012</td><td>4,500.00</td></tr> <tr><td>13.</td><td>11.06.2011</td><td>9,400.00</td><td>30.</td><td>10.01.2012</td><td>4,400.00</td></tr> <tr><td>14.</td><td>18.06.2011</td><td>600.00</td><td>31.</td><td>16.01.2012</td><td>9,900.00</td></tr> <tr><td>15.</td><td>19.07.2011</td><td>4,200.00</td><td>32.</td><td>19.01.2012</td><td>5,000.00</td></tr> <tr><td>16.</td><td>21.09.2011</td><td>13,750.00</td><td>33.</td><td>22.02.2012</td><td>5,000.00</td></tr> <tr><td>17.</td><td>29.09.2011</td><td>4,000.00</td><td>34.</td><td>02.03.2012</td><td>12,600.00</td></tr> <tr> <td colspan="5">योग</td><td>2,83,317.00</td></tr> </tbody> </table> उक्त रु० 2,83,317/- का धन अपहृत रहा। जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सुमन देवी तथा तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती कमला देवी जिम्मेदार हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली की वैधानिक कार्यवाही तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सुमन देवी तथा तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती कमला देवी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।	क्र. सं.	निकासी तिथि	धनराशि	क्र. सं.	निकासी तिथि	धनराशि	1.	02.04.2011	7,500.00	18.	20.10.2011	5,000.00	2.	08.04.2011	5,000.00	19.	20.10.2011	5,000.00	3.	11.04.2011	5,000.00	20.	20.10.2011	5,000.00	4.	11.04.2011	5,000.00	21.	03.11.2011	15,000.00	5.	11.04.2011	2,250.00	22.	04.11.2011	15,000.00	6.	13.04.2011	5,000.00	23.	21.11.2011	5,000.00	7.	18.04.2011	2,400.00	24.	20.11.2011	5,250.00	8.	19.04.2011	3,600.00	25.	14.12.2011	5,000.00	9.	09.05.2011	26,617.00	26.	28.12.2011	20,800.00	10.	13.05.2011	7,500.00	27.	29.12.2011	4,050.00	11.	16.05.2011	10,000.00	28.	30.12.2011	40,000.00	12.	23.05.2011	5,000.00	29.	10.01.2012	4,500.00	13.	11.06.2011	9,400.00	30.	10.01.2012	4,400.00	14.	18.06.2011	600.00	31.	16.01.2012	9,900.00	15.	19.07.2011	4,200.00	32.	19.01.2012	5,000.00	16.	21.09.2011	13,750.00	33.	22.02.2012	5,000.00	17.	29.09.2011	4,000.00	34.	02.03.2012	12,600.00	योग					2,83,317.00	
क्र. सं.	निकासी तिथि	धनराशि	क्र. सं.	निकासी तिथि	धनराशि																																																																																																																		
1.	02.04.2011	7,500.00	18.	20.10.2011	5,000.00																																																																																																																		
2.	08.04.2011	5,000.00	19.	20.10.2011	5,000.00																																																																																																																		
3.	11.04.2011	5,000.00	20.	20.10.2011	5,000.00																																																																																																																		
4.	11.04.2011	5,000.00	21.	03.11.2011	15,000.00																																																																																																																		
5.	11.04.2011	2,250.00	22.	04.11.2011	15,000.00																																																																																																																		
6.	13.04.2011	5,000.00	23.	21.11.2011	5,000.00																																																																																																																		
7.	18.04.2011	2,400.00	24.	20.11.2011	5,250.00																																																																																																																		
8.	19.04.2011	3,600.00	25.	14.12.2011	5,000.00																																																																																																																		
9.	09.05.2011	26,617.00	26.	28.12.2011	20,800.00																																																																																																																		
10.	13.05.2011	7,500.00	27.	29.12.2011	4,050.00																																																																																																																		
11.	16.05.2011	10,000.00	28.	30.12.2011	40,000.00																																																																																																																		
12.	23.05.2011	5,000.00	29.	10.01.2012	4,500.00																																																																																																																		
13.	11.06.2011	9,400.00	30.	10.01.2012	4,400.00																																																																																																																		
14.	18.06.2011	600.00	31.	16.01.2012	9,900.00																																																																																																																		
15.	19.07.2011	4,200.00	32.	19.01.2012	5,000.00																																																																																																																		
16.	21.09.2011	13,750.00	33.	22.02.2012	5,000.00																																																																																																																		
17.	29.09.2011	4,000.00	34.	02.03.2012	12,600.00																																																																																																																		
योग					2,83,317.00																																																																																																																		
6	इमिलिया	बलरामपुर	बलरामपुर	वर्ष 2010-11 के कैशबुक के अनुसार दिनांक 31.03.2011 को प्रधान के पास नगद रोकड़ अवशेष रु० 2,795/- दर्शित था। दिनांक 01.04.2011 की कैशबुक में प्रारम्भिक रोकड़ अवशेष रु० 2,795/- के स्थान पर शून्य दर्शाकर रु० 2,795/- का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की वैधानिक कार्यवाही तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री जयप्रकाश तथा तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।	रु० 2795.00																																																																																																																		

7	इमिलिया	बलरामपुर	बलरामपुर	वर्ष 2010-11 में निम्न विवरणानुसार सर्व यू.पी. ग्रामीण बैंक खाता संख्या 90350100001735 से निकासी को कैशबुक में नहीं दर्शाया गया है। दिनांक 01.04.2013 से दिनांक 31.03.2014 की कैशबुक में <table><tr><th>क्र.सं.</th><th>चेक संख्या व दिनांक</th><th>धनराशि</th></tr><tr><td>1.</td><td>609241/29.04.2011</td><td>49,773.00</td></tr><tr><td>2.</td><td>609242/29.04.2011</td><td>1,06,000.00</td></tr><tr><td>3.</td><td>609243/29.04.2011</td><td>15,120.00</td></tr><tr><td>4.</td><td>609244/29.04.2011</td><td>13,000.00</td></tr><tr><td colspan="2">योग</td><td>1,83,893.00</td></tr></table> अतः समस्त धन अपहृत रहा। जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री जयप्रकाश तथा तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी जिम्मेदार हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली की वैधानिक कार्यवाही तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री जयप्रकाश तथा तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।	क्र.सं.	चेक संख्या व दिनांक	धनराशि	1.	609241/29.04.2011	49,773.00	2.	609242/29.04.2011	1,06,000.00	3.	609243/29.04.2011	15,120.00	4.	609244/29.04.2011	13,000.00	योग		1,83,893.00	रु0 183893.00						
क्र.सं.	चेक संख्या व दिनांक	धनराशि																											
1.	609241/29.04.2011	49,773.00																											
2.	609242/29.04.2011	1,06,000.00																											
3.	609243/29.04.2011	15,120.00																											
4.	609244/29.04.2011	13,000.00																											
योग		1,83,893.00																											
8	केराडीह	रेहरा बाजार	बलरामपुर	ग्राम पंचायत केराडीह की आलोच्य वर्ष 2013-14 व 2014-15 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निम्नलिखित विवरण के अनुसार कैशबुक में निकासी धनराशि दर्शित है। <table><tr><th>क्र. सं.</th><th>दिनांक</th><th>चेक नं०</th><th>धनराशि</th><th>मद</th><th>उत्तरदायी व्यक्ति का नाम</th></tr><tr><td>1.</td><td>03.02.2014</td><td>014948</td><td>63,540.00</td><td>ह्यूम पाइप क्रय</td><td>ग्राम प्रधान श्री राजू सेक्रेटरी श्री प्रीतम कुमार श्रीवास्तव</td></tr><tr><td>2.</td><td>03.02.2014</td><td>014949</td><td>63,540.00</td><td>ह्यूम पाइप क्रय</td><td>ग्राम प्रधान श्री राजू सेक्रेटरी श्री प्रीतम कुमार श्रीवास्तव</td></tr><tr><td>3.</td><td>03.02.2014</td><td>014950</td><td>63,540.00</td><td>ह्यूम पाइप क्रय</td><td>ग्राम प्रधान श्री राजू सेक्रेटरी श्री प्रीतम कुमार श्रीवास्तव</td></tr></table> उक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहा। अस्तु उक्त व्यय धनराशि रु० 1,90,620/- अपहृत कर ली गयी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली बराबर हिस्सों में रु० 95,310/- ग्राम प्रधान श्री राजू व रु० 95,310 सेक्रेटरी श्री प्रीतम कुमार श्रीवास्तव से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।	क्र. सं.	दिनांक	चेक नं०	धनराशि	मद	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम	1.	03.02.2014	014948	63,540.00	ह्यूम पाइप क्रय	ग्राम प्रधान श्री राजू सेक्रेटरी श्री प्रीतम कुमार श्रीवास्तव	2.	03.02.2014	014949	63,540.00	ह्यूम पाइप क्रय	ग्राम प्रधान श्री राजू सेक्रेटरी श्री प्रीतम कुमार श्रीवास्तव	3.	03.02.2014	014950	63,540.00	ह्यूम पाइप क्रय	ग्राम प्रधान श्री राजू सेक्रेटरी श्री प्रीतम कुमार श्रीवास्तव	रु0 190620.00
क्र. सं.	दिनांक	चेक नं०	धनराशि	मद	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम																								
1.	03.02.2014	014948	63,540.00	ह्यूम पाइप क्रय	ग्राम प्रधान श्री राजू सेक्रेटरी श्री प्रीतम कुमार श्रीवास्तव																								
2.	03.02.2014	014949	63,540.00	ह्यूम पाइप क्रय	ग्राम प्रधान श्री राजू सेक्रेटरी श्री प्रीतम कुमार श्रीवास्तव																								
3.	03.02.2014	014950	63,540.00	ह्यूम पाइप क्रय	ग्राम प्रधान श्री राजू सेक्रेटरी श्री प्रीतम कुमार श्रीवास्तव																								

जनपद—बहराइच मण्डल—देवीपाटन

प्रस0 सं0	ग्राम पंचाय का नाम	विकास खण्ड	जिला	आपत्ति का विवरण	सन्निहित धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	रहीमनगर	नवाबगंज	बहराइच	दिनांक 16.04.2014 एवं 21.04.2014 को ह्यूम पाइप क्रय कर व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री राम नरेश ग्राम प्रधान एवं श्री जितेन्द्र कुमार वर्मा ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर— बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।	51024.00
2	रहीमनगर	नवाबगंज	बहराइच	दिनांक 04.04.2014, 10.04.2014, 04.07.2014, 04.07.2014 को हैण्डपम्प मरम्मत हेतु व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक न प्रस्तुत कर धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री राम नरेश ग्राम प्रधान एवं श्री जितेन्द्र कुमार वर्मा ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर— बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।	25000.00
3	रहीमनगर	नवाबगंज	बहराइच	दिनांक 11.04.2014, 30.04.2014, 21.05.2014, 24.05.2014, 01.01.2015 को ईट क्रय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक न प्रस्तुत कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री राम नरेश ग्राम प्रधान एवं श्री जितेन्द्र कुमार वर्मा ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर—बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।	259340.00
4	रहीमनगर	नवाबगंज	बहराइच	दिनांक 15.04.2014, 15.05.2014, 01.08.2014, 16.10.2014, 01.01.2015, 17.01.2015 मस्टर रोल प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री राम नरेश ग्राम प्रधान एवं श्री जितेन्द्र कुमार वर्मा ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर— बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।	90456.00
5	रहीमनगर	नवाबगंज	बहराइच	दिनांक 15.04.2014, 21.05.2014, 28.05.2014, 10.02.2015 कोसीमेंट, बालू, सीट, दरवाजा, स्टेशनरी क्रय करके व्यय प्रमाणक न प्रस्तुत कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री राम नरेश ग्राम प्रधान एवं श्री जितेन्द्र कुमार वर्मा ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर— बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।	83100.00
6	रहीमनगर	नवाबगंज	बहराइच	दिनांक 09.07.2014पेंटिंग पंचायत भवन कार्य हेतु व्यय दर्शाकर व्यय प्रमाणक न प्रस्तुत कर धनराशि धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री राम नरेश ग्राम प्रधान एवं श्री जितेन्द्र कुमार वर्मा ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर— बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।	15000.00
7	रहीमनगर	नवाबगंज	बहराइच	दिनांक 15.04.2014 खाता सं0—21522907463 से रू0 34840.00 आहरण करके कैशबुक ग्राम निधि प्रथम में व्यय पक्ष में कोई व्यय खारिज न करके धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री राम नरेश ग्राम प्रधान एवं श्री जितेन्द्र कुमार वर्मा ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर— बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।	34840.00
				योग:—	558760.00

8	रंजीत बोझा	नवाबगंज	बहराइच	दिनांक 04.04.2014, 15.04.2014, 11.06.2014, 04.12.2014 को हैण्डपम्प मरम्मत हेतु व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक न प्रस्तुत कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री नकछेद ग्राम प्रधान एवं श्री जितेन्द्र कुमार वर्मा ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर— बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।	26000.00
9	रंजीत बोझा	नवाबगंज	बहराइच	दिनांक 14.06.2014, 15.10.2014 को पंचायत भवन मरम्मत सीमेंट, बालू मिट्टी पटाई व्यय दर्शाकर पुष्टि में व्यय प्रमाणक न प्रस्तुत कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री नकछेद ग्राम प्रधान एवं श्री जितेन्द्र कुमार वर्मा ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर—बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।	29000.00
10	रंजीत बोझा	नवाबगंज	बहराइच	दिनांक 11.06.2014, 04.09.2014, 24.09.2014 को प्रा0 पा0 शौचालय हेतु ईट क्रय, दरवाजा पेंटिंग टाइल्स पर व्यय दर्शाकर व्यय प्रमाणक न प्रस्तुत कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री नकछेद ग्राम प्रधान एवं श्री जितेन्द्र कुमार वर्मा ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर— बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।	16000.00
11	रंजीत बोझा	नवाबगंज	बहराइच	दिनांक 18.06.2014, 20.10.2014, 24.11.2014, 24.02.2015 को ईट क्रय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक न प्रस्तुत कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री नकछेद ग्राम प्रधान एवं श्री जितेन्द्र कुमार वर्मा ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर— बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।	488350.00
12	रंजीत बोझा	नवाबगंज	बहराइच	दिनांक 12.07.2014, 27.07.2014, 13.10.2014, 18.11.2014 को मस्टर रोल द्वारा व्यय दर्शाकर व्यय प्रमाणक न प्रस्तुत कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री नकछेद ग्राम प्रधान एवं श्री जितेन्द्र कुमार वर्मा ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर— बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।	52572.00
13	रंजीत बोझा	नवाबगंज	बहराइच	दिनांक 27.06.2014, 11.07.2014, 10.02.2015 नाली निर्माण में सीमेंट, बालू क्रय व्यय दर्शाकर व्यय प्रमाणक न प्रस्तुत कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री नकछेद ग्राम प्रधान एवं श्री जितेन्द्र कुमार वर्मा ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर— बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।	69800.00
14	रंजीत बोझा	नवाबगंज	बहराइच	दिनांक 20.10.14 को खाता सं0 50047436575 से रू0 59800.00 का आहरण करके व्यय रू0—58800.00 खारिज कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री नकछेद ग्राम प्रधान एवं श्री जितेन्द्र कुमार वर्मा ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर— बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।	1000.00
				योग—	682722.00
15	विरई गांव	नवाबगंज	बहराइच	दिनांक 15.05.2014, 16.05.2014, 18.06.2014, 07.07.2014, 10.07.2014 हैण्डपम्प मरम्मत हेतु व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक न प्रस्तुत कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती श्यामकली ग्राम प्रधान एवं श्री जितेन्द्र कुमार वर्मा ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर— बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।	33200.00
16	विरई गांव	नवाबगंज	बहराइच	दिनांक 12.04.2014 ह्यूम पाइप क्रय कर व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती श्यामकली ग्राम प्रधान एवं श्री जितेन्द्र कुमार वर्मा ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर— बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।	56014.00

17	बिरई गांव	नवाबगंज	बहराइच	दिनांक 09.04.2014, 11.06.2014, 20.10.2014 ईंट क्रय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक न प्रस्तुत कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती श्यामकली ग्राम प्रधान एवं श्री जितेन्द्र कुमार वर्मा ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर— बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।	451999.00
18	बिरई गांव	नवाबगंज	बहराइच	दिनांक 23.08.2014, 27.06.2014, 11.07.2014, 16.07.2014, 20.10.2014, 04.12.2014, 11.12.2014, 11.02.2015 मस्टर रोल पर दर्शित व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक न प्रस्तुत कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती श्यामकली ग्राम प्रधान एवं श्री जितेन्द्र कुमार वर्मा ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर— बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।	122836.00
19	बिरई गांव	नवाबगंज	बहराइच	दिनांक 12.05.2014, 12.05.2014, 24.05.2014, 12.05.2014, 09.07.2014, 11.07.2014, 20.10.2014, 28.06.2014, 03.07.2014 सीमेंट, मौरंग, बालू, खिडकी, दरवाजा, वाटर पाइप, पेंट सफेदी कराने आदि क्रय व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक न प्रस्तुत कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती श्यामकली ग्राम प्रधान एवं श्री जितेन्द्र कुमार वर्मा ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर— बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।	107363.00
20	बिरई गांव	नवाबगंज	बहराइच	सफाई हेतु स्लोगन लिखाई पर व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती श्यामकली ग्राम प्रधान एवं श्री जितेन्द्र कुमार वर्मा ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर— बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।	12784.00
21	बिरई गांव	नवाबगंज	बहराइच	दिनांक 27.06.2014, 04.12.2014, 11.02.2015 मिट्टी पट्टाई का व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती श्यामकली ग्राम प्रधान एवं श्री जितेन्द्र कुमार वर्मा ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर— बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।	27680.00
22	बिरई गांव	नवाबगंज	बहराइच	दिनांक 21.01.15 को 5000.00 तथा दिनांक 09.02.2015 को 57988.00 कुल ₹ 62988.00 आहरण कर कैशबुक में आय एवं व्यय की प्रविष्टि न कर व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती श्यामकली ग्राम प्रधान एवं श्री जितेन्द्र कुमार वर्मा ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर— बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।	62988.00
				योग—	874864.00
23	जमुनहॉ नौबस्ता	नवाबगंज	बहराइच	दिनांक 19.08.2013 सोलर लाइट क्रय पर व्यय दर्शाकर व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती शीला सिंह ग्राम प्रधान एवं श्री राम आधार ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर— बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।	60000.00
24	जमुनहॉ नौबस्ता	नवाबगंज	बहराइच	वर्ष 2013—14, 2014—15 हैण्डपम्प मरम्मत हेतु व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक न प्रस्तुत कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती शीला सिंह ग्राम प्रधान एवं श्री राम आधार ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर— बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।	72100.00
25	जमुनहॉ नौबस्ता	नवाबगंज	बहराइच	वर्ष 2013—14, 2014—15 मस्टर रोल पर दर्शित व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक न प्रस्तुत कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती भीला सिंह ग्राम प्रधान एवं श्री राम आधार ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर— बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।	271986.00

26	जमुनहॉ नौबस्ता	नवाबगंज	बहराइच	वर्ष 2013-14 में 853860 व 2014-15 में 408160 रु० की ईट क्रय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक न प्रस्तुत कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री श्रीमती शीला सिंह ग्राम प्रधान एवं श्री राम आधार ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर- बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।	1262020.00
27	जमुनहॉ नौबस्ता	नवाबगंज	बहराइच	दिनांक 05.06.2013, 07.08.2013, 27.01.2014, 06.03.2014, 24.05.2014, 30.05.2014, 04.06.2014, 05.06.2014, 13.06.2014, 23.06.2014 में मिट्टी पटाई की पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री श्रीमती शीला सिंह ग्राम प्रधान एवं श्री राम आधार ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर- बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।	190829.00
				योग-	1856935.00
28	सिरसिया	नवाबगंज	बहराइच	दिनांक 02.04.2013, 17.07.2013, 17.07.2013, 21.04.2014 ह्यूम पाइप क्रय कर व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री छोटे लाल ग्राम प्रधान एवं श्री संदीप कुमार त्रिपाठी ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर- बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।	203528.00
29	सिरसिया	नवाबगंज	बहराइच	21.04.2014, 17.12.2014, 23.02.2015, 02.06.2014, 16.05.2014, 27.11.2014, 08.07.2013, 27.10.2013 हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय दिखाकर व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करके धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री छोटे लाल ग्राम प्रधान एवं श्री संदीप कुमार त्रिपाठी ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर- बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।	49700.00
30	सिरसिया	नवाबगंज	बहराइच	दिनांक 13.08.2013, 20.08.2013, 31.08.2013, 30.05.2014, 02.06.2014, 11.06.2014 मस्टर रोल द्वारा व्यय दर्शाकर व्यय प्रमाणक न प्रस्तुत कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री छोटे लाल ग्राम प्रधान एवं श्री संदीप कुमार त्रिपाठी ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर- बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।	111624.00
31	सिरसिया	नवाबगंज	बहराइच	वर्ष 2013-14 व 2014-15 की विभिन्न तिथियों में ईट क्रय दर्शाकर व्यय प्रमाणक न प्रस्तुत कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री छोटे लाल ग्राम प्रधान एवं श्री संदीप कुमार त्रिपाठी ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर- बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।	507370.00
32	सिरसिया	नवाबगंज	बहराइच	वर्ष 2013-14 व 2014-15 की विभिन्न तिथियों में सीमेंट, मौरंग, बालू क्रय पर व्यय दर्शाकर व्यय प्रमाणक न प्रस्तुत कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री छोटे लाल ग्राम प्रधान एवं श्री संदीप कुमार त्रिपाठी ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर- बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।	401120.00

33	सिरसिया	नवाबगंज	बहराइच	वर्ष 2013-14 व 2014-15 की विभिन्न तिथियों में सीट, दरवाजा, कुर्सी, मेज, पेंटिंग कार्य पर व्यय दर्शाकर व्यय प्रमाणक न प्रस्तुत कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री छोटे लाल ग्राम प्रधान एवं श्री संदीप कुमार त्रिपाठी ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर- बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।	46000.00
34	सिरसिया	नवाबगंज	बहराइच	वर्ष 2013-14 व 2014-15 की विभिन्न तिथियों में ट्राली द्वारा मिट्टी गिराई पर व्यय दर्शाकर व्यय प्रमाणक न प्रस्तुत कर धन का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री छोटे लाल ग्राम प्रधान एवं श्री संदीप कुमार त्रिपाठी ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर- बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।	42400.00
35	सिरसिया	नवाबगंज	बहराइच	दिनांक 10.03.2015 बैंक खाता सं0-59001319892 में दिनांक 10.03.2015 को स्टेटमेंट के अनुसार चेक सं0-011280 दिनांक 10.03.2015 द्वारा श्री सन्दीप कुमार त्रिपाठी ग्रा0पं0अधि0 के नाम चेक काटकर स्वयं भुगतान प्राप्त करके कैशबुक के आय व व्यय में प्रविष्टि न करके सीधे 20000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।	20000.00
				योग-	1381742.00
36	बभनीसैदा	रिसिया	बहराइच	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करके धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती शफीकुर निशा ग्राम प्रधान एवं श्री सत्य प्रकाश सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर- बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।	13000.00
37	बभनीसैदा	रिसिया	बहराइच	दिनांक 16.06.2014, 11.11.2014, 11.11.2014 को ट्राली द्वारा मिट्टी पटाई की पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती शफीकुर निशा ग्राम प्रधान एवं श्री सत्य प्रकाश सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर- बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।	51100.00
38	बभनीसैदा	रिसिया	बहराइच	दिनांक 24.04.2014, 11.11.2014 ईंट क्रय पर व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक न प्रस्तुत कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती शफीकुर निशा ग्राम प्रधान एवं श्री सत्य प्रकाश सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर- बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।	106000.00
39	बभनीसैदा	रिसिया	बहराइच	दिनांक 17.10.2014, 11.11.2014, 11.11.2014 को खडण्जा मरम्मत पर व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक न प्रस्तुत कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती शफीकुर निशा ग्राम प्रधान एवं श्री सत्य प्रकाश सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर- बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।	53400.00
40	बभनीसैदा	रिसिया	बहराइच	दिनांक 09.04.2014, 01.05.2014, 17.10.2014, 18.10.2014, 12.02.2015 को विज्ञापन शुल्क पर व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक न प्रस्तुत कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती शफीकुर निशा ग्राम प्रधान एवं श्री सत्य प्रकाश सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर- बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।	6000.00
				योग-	229500.00

41	गौरा धनौली	रिसिया	बहराइच	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करके धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती पुष्पा रानी ग्राम प्रधान एवं श्री सत्य प्रकाश सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर- बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।	78780.00
42	गौरा धनौली	रिसिया	बहराइच	दिनांक 28.06.2014, 10.07.2014, 14.08.2014, 17.10.2014, 27.12.2014, 23.01.2015 ट्राली द्वारा मिट्टी पटाई की पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती पुष्पा रानी ग्राम प्रधान एवं श्री सत्य प्रकाश सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर- बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।	105800.00
43	गौरा धनौली	रिसिया	बहराइच	दिनांक 09.07.2014, 10.07.2014, 01.08.2014, 20.08.2014, 28.10.2014, 23.01.2015, 19.02.2015 ईंट क्रय पर व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक न प्रस्तुत कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती पुष्पा रानी ग्राम प्रधान एवं श्री सत्य प्रकाश सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर- बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।	391750.00
44	गौरा धनौली	रिसिया	बहराइच	दिनांक 28.06.2014, 01.08.2014, 24.12.2014, 20.02.2015, 13.03.2015 खडण्जा मरम्मत पर व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक न प्रस्तुत कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती पुष्पा रानी ग्राम प्रधान एवं श्री सत्य प्रकाश सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर- बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।	89800.00
45	गौरा धनौली	रिसिया	बहराइच	दिनांक 28.08.2014, 01.12.2014, 23.01.2015, 31.03.2015 को विज्ञापन शुल्क पर व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक न प्रस्तुत कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती पुष्पा रानी ग्राम प्रधान एवं श्री सत्य प्रकाश सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर- बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।	5000.00
				योग	671130.00
46	बंगलाचक	रिसिया	बहराइच	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करके धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री गंगा ग्राम प्रधान एवं श्री सत्य प्रकाश सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर- बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।	42708.00
47	बंगलाचक	रिसिया	बहराइच	दिनांक 24.04.2014, 24.04.2014, 26.06.2014, 25.06.2014, 13.10.2014, 13.10.2014 ट्राली द्वारा मिट्टी पटाई की पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री गंगा ग्राम प्रधान एवं श्री सत्य प्रकाश सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर- बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।	344500.00
48	बंगलाचक	रिसिया	बहराइच	दिनांक 02.04.2014, 24.04.2014, 11.11.2014, 18.02.2015 ईंट क्रय पर व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक न प्रस्तुत कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री गंगा ग्राम प्रधान एवं श्री सत्य प्रकाश सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर- बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।	293430.00

49	बंगलाचक	रिसिया	बहराइच	दिनांक 24.06.2014, 13.10.2014, 13.10.2014, 13.11.2014, 20.02.2015 खडण्जा मरम्मत पर व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक न प्रस्तुत कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री गंगा ग्राम प्रधान एवं श्री सत्य प्रकाश सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर-बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।	133114.00
50	बंगलाचक	रिसिया	बहराइच	दिनांक 02.04.2014, 13.10.2014, 08.11.2014, 11.11.2014, 19.11.2014, 28.11.2014, 09.01.2015, 19.01.2015, 30.01.2015, 07.01.2015, 16.02.2015 विज्ञापन शुल्क पर व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक न प्रस्तुत कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री गंगा ग्राम प्रधान एवं श्री सत्य प्रकाश सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर- बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।	16500.00
				योग-	830252.00
51	मासूपुर	रिसिया	बहराइच	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करके धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री अमरिका प्रसाद ग्राम प्रधान एवं श्री सत्य प्रकाश सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर- बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।	38860.00
52	मासूपुर	रिसिया	बहराइच	दिनांक 30.04.2014, 17.05.2014, 09.06.2014, 13.06.2014, 30.06.2015, 14.07.2015, 22.12.2014, 08.01.2015, 02.02.2015 ट्राली द्वारा मिट्टी पटाई की पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री अमरिका प्रसाद ग्राम प्रधान एवं श्री सत्य प्रकाश सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर- बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।	76800.00
53	मासूपुर	रिसिया	बहराइच	दिनांक 12.05.2014, 21.11.2014, 28.11.2014, 17.12.2014, 14.02.2015 को ईट क्रय पर व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक न प्रस्तुत कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री अमरिका प्रसाद ग्राम प्रधान एवं श्री सत्य प्रकाश सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर-बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।	233850.00
54	मासूपुर	रिसिया	बहराइच	दिनांक 26.06.2014, 06.12.2014, 27.12.2014, 14.01.2015, 30.01.2015, 19.02.2015 खडण्जा मरम्मत पर व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक न प्रस्तुत कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री अमरिका प्रसाद ग्राम प्रधान एवं श्री सत्य प्रकाश सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर- बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।	89350.00
55	मासूपुर	रिसिया	बहराइच	दिनांक 02.08.2014, 23.01.2015, 12.03.2015 को विज्ञापन शुल्क पर व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक न प्रस्तुत कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री अमरिका प्रसादग्राम प्रधान एवं श्री सत्य प्रकाश सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर- बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।	3000.00
				योग-	441860.00
56	रमवापुर गोन्दौरा	रिसिया	बहराइच	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करके धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री बब्लू राम ग्राम प्रधान एवं श्री सत्य प्रकाश सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर- बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।	18852.00

57	रमवापुर गोंदौरा	रिसिया	बहराइच	दिनांक 30.05.2014, 16.06.2014, 13.10.2014, 11.11.2014, 06.02.2015, 16.02.2015 ट्राली द्वारा मिट्टी पटाई की पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री बब्लू राम ग्राम प्रधान एवं श्री सत्य प्रकाश सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर— बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।	89000.00
58	रमवापुर गोंदौरा	रिसिया	बहराइच	दिनांक 05.05.2014, 13.10.2014, 11.11.2014 को ईंट क्रय पर व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणकन प्रस्तुत कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री बब्लू राम ग्राम प्रधान एवं श्री सत्य प्रकाश सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर— बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।	222300.00
59	रमवापुर गोंदौरा	रिसिया	बहराइच	दिनांक 16.06.2014, 18.10.2014, 10.11.2014, 10.11.2014, 16.02.2015, 28.02.2015 कोखडण्जा मरम्मत पर व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक न प्रस्तुत कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री बब्लू राम ग्राम प्रधान एवं श्री सत्य प्रकाश सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर— बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।	118200.00
60	रमवापुर गोंदौरा	रिसिया	बहराइच	दिनांक 13.10.2014, 18.10.2014, 11.11.2014, 13.11.2014, 18.11.2014, 27.11.2014, 06.02.2015, 07.02.2015, 09.02.2015, 20.02.2015 को विज्ञापन शुल्क पर व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक न प्रस्तुत कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री बब्लू राम ग्राम प्रधान एवं श्री सत्य प्रकाश सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर— बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।	15000.00
				योग—	463352.00
61	बहबोलिया महादा	रिसिया	बहराइच	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करके धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती अफसर जहाँ ग्राम प्रधान एवं श्री सत्य प्रकाश सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर— बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।	25800.00
62	बहबोलिया महादा	रिसिया	बहराइच	दिनांक 14.10.2014, 10.11.2014, 23.12.2014, 01.03.2015 को ट्राली द्वारा मिट्टी पटाई की पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती अफसर जहाँ ग्राम प्रधान एवं श्री सत्य प्रकाश सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर— बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।	47890.00
63	बहबोलिया महादा	रिसिया	बहराइच	दिनांक 16.08.2014, 10.11.2014, 14.11.2014 को ईंट क्रय पर व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणकन प्रस्तुत कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती अफसर जहाँ ग्राम प्रधान एवं श्री सत्य प्रकाश सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर— बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।	330600.00
64	बहबोलिया महादा	रिसिया	बहराइच	दिनांक 09.06.2014, 14.10.2014, 10.11.2014, 14.11.2014, 20.02.2015, 28.03.2015 कोखडण्जा मरम्मत पर व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक न प्रस्तुत कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती अफसर जहाँ ग्राम प्रधान एवं श्री सत्य प्रकाश सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर— बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।	179662.00

65	बहबोलिया महादा	रिसिया	बहराइच	दिनांक 20.08.2014, 29.08.2014, 02.09.2014, 13.10.2014, 29.10.2014, 06.02.2015, 07.02.2015, 09.02.2015, 04.03.2015, 16.03.2015 विज्ञापन शुल्क पर व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक न प्रस्तुत कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती अफसर जहाँ ग्राम प्रधान एवं श्री सत्य प्रकाश सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर-बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।	17500.00
				योग-	601452.00
66	बेझा	मिहीपुरवा	बहराइच	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करके धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री मौजी लाल ग्राम प्रधान एवं श्री सोहन सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर- बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।	43540.00
67	बेझा	मिहीपुरवा	बहराइच	दिनांक 16.04.2014, 20.10.2014, 27.11.2014, 19.02.2015 को ट्राली द्वारा मिट्टी पटाई की पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री मौजी लाल ग्राम प्रधान एवं श्री सोहन सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर- बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।	95500.00
68	बेझा	मिहीपुरवा	बहराइच	दिनांक 24.04.2014, 11.06.2014, 16.10.2014, 08.11.2014, 23.02.2015 को ईट क्रय पर व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक न प्रस्तुत कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री मौजी लाल ग्राम प्रधान एवं श्री सोहन सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर- बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।	299069.00
69	बेझा	मिही पुरवा	बहराइच	दिनांक 29.04.2014, 06.06.2014, 28.06.2014, 20.08.2014, 20.10.2014, 03.03.2015 को खडण्जा मरम्मत पर व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक न प्रस्तुत कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री मौजी लाल ग्राम प्रधान एवं श्री सोहन सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर- बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।	157936.00
				योग-	596045.00

जनपद—श्रावस्ती मण्डल—देवीपाटन

प्रस्तर संख्या	ग्राम पंचायत का नाम	विकास खण्ड	आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम जिनसे बराबर—बराबर ब्याज सहित वसूली की जानी है।	सन्निहित धनराशि
1	हरिहरपुर करनपुर	जमुनहा	दिनांक 17.04.2014, 19.08.2014, 31.08.2014, 31.08.2014, 31.10.2014 को ट्राली द्वारा मिट्टी पटाई एवं कूप मरम्मत की पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।	— श्री त्रिभुवन, ग्राम प्रधान —श्री नरेश चन्द श्रीवास्तव, ग्राम पंचायत अधिकारी	209124.00
2	हरिहरपुर करनपुर		दिनांक 24.04.2014, 20.05.2014, 20.06.2014, 30.07.2014, 30.12.2014 को बिना शौचालय निर्माण किये सामाग्री की व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।		337100.00
3	हरिहरपुर करनपुर		दिनांक 30.07.2014 एवं 28.02.2015 को मस्टररोल खडण्जा आदि पर व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।		281898.00
				सम्पूर्ण योग	<u>828122.00</u>
4	खजुरी	जमुनहा	हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।	—श्रीमती शन्नो देवी, प्रधान—श्री नरेश चन्द श्रीवास्तव, ग्राम पंचायत अधिकारी	24551.00
5	खजुरी		—दिनांक 17.05.2014, 26.06.2014, 10.07.2014, 30.08.2014, 26.09.2014 एवं 21.10.2014 को ट्राली द्वारा मिट्टी पटाई की पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया है		209600.00

6	खजुरी		जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रुप से की जानी अपेक्षित है। —दिनांक 05.04.2014, 05.05.2014, 17.05.2014, 14.06.2014, 18.12.2014, 24.12.2014 को ईट क्रय की पुष्टिमें व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रुप से की जानी अपेक्षित है।		519200.00
7	खजुरी		—दिनांक 16.04.2014, 05.07.2014, 08.10.2014, 27.03.2015 को मस्टररोल खडण्जा आदि पर व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रुप से की जानी अपेक्षित है।		175444.00
सम्पूर्ण योग					928795.00
8	गौसपुर	जमुनहा	—हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रुप से की जानी अपेक्षित है।	—श्रीमती अनीता देवी, प्रधान—श्री नरेश चन्द श्रीवास्तव, ग्राम पंचायत अधिकारी	12068.00
9	गौसपुर		—दिनांक 17.05.2014, 10.06.2014, 10.06.2014, 30.07.2014, 04.08.2014 को ट्राली द्वारा मिटटी पटाई की पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रुप से की जानी अपेक्षित है।		55200.00
10	गौसपुर		—दिनांक 16.04.2014, 18.06.2014, 03.03.2015 को ईट क्रय की पुष्टिमें व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रुप से की जानी अपेक्षित है।		570600.00
11	गौसपुर		—दिनांक 10.06.2014, 10.06.2014, 10.06.2014, 19.07.2014, 04.08.2014 को मस्टररोल खडण्जा आदि पर व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज		68840.00

			सहित वसूली संयुक्त रुप से की जानी अपेक्षित है।	सम्पूर्ण योग	706708.00
12	तेंदुआबराव	जमुनहॉ	—हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रुप से की जानी अपेक्षित है।	श्री जाफरी ग्राम प्रधान—श्री नरेश चन्द श्रीवास्तव, ग्राम पंचायत अधिकारी	25547.00
13	तेंदुआबराव		—दिनांक 20.05.2014, 06.06.2014, 21.08.2014, 18.11.2014 को ईट क्रय की पुष्टिमें व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रुप से की जानी अपेक्षित है।		60000.00
14	तेंदुआबराव		—दिनांक 29.04.2014, 12.05.2014, 12.05.2014, 19.06.2014, 01.08.2014 , 17.10.2014 को ईट क्रय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रुप से की जानी अपेक्षित है।		416200.00
15	तेंदुआबराव		—दिनांक 17.04.2014, 17.07.2014, 28.07.2014, 13.10.2014, 23.12.2014, 19.03.2015 को मस्टररोल खडण्जा आदि पर व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रुप से की जानी अपेक्षित है।		118812.00
				सम्पूर्ण योग	620559.00
16	गिलौला	गिलौला	— दिनांक 05.04.2014, 31.07.2014, 04.03.2014, 25.09.2014, को शासनादेश के विरुद्ध सोलर लाइट एवं लाइट मरम्मत पर विवरण विहीन व प्रमाणक विहीन काल्पनिक व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रुप से की जानी अपेक्षित है।	—श्री कैलाश नाथ यादव,ग्राम प्रधान —श्री संजय मिश्रा, ग्राम पंचायत अधिकारी ।	199460.00
17	गिलौला		— दिनांक 25.07.2014, 04.03.2015, 25.09.2014, 31.07.2014, 26.09.2014,		

			02.03.2015, 31.07.2014, 26.09.2014, 10.03.2015 को नाली निर्माण पर मानक से अधिक विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन व्यय दर्शित कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।		459191.00
18	गिलौला		— दिनांक 20.01.2015, 02.01.2015, 28.02.2015, 31.03.2015 को ग्राम पंचायत में सफाई कर्मी होते हुए भी काल्पनिक सफाई कार्य पर प्रमाण विहीन एवं विवरण हीन व्यय दर्शित कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।		145548.00
19	गिलौला		— दिनांक 02.04.2014, 02.04.2014, 09.04.2014, 17.04.2014, 03.05.2014, 11.05.2014, 27.05.2014, 12.06.2014, 08.07.2014, 21.07.2014, 21.07.2014, 06.08.2014, 22.08.2014, 23.08.2014, 22.09.2014, 09.04.2014, 27.05.2014, 12.08.2014, 29.04.2014, 24.06.2014, को ईट स्कन्ध का अपहरण कर एवं बिना प्रमाण ईट क्रय दर्शित कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।		1144406.00
20	गिलौला		— दिनांक 22.10.2014, 13.10.2014, 13.10.2014, 17.10.2014, को विवरण विहीन एवं व्यय प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर ईट क्रय दर्शाकर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।		185936.00
21	गिलौला		— दिनांक 02.04.2014, 09.04.2014, 03.05.2014, 27.05.2014, 02.06.2014, 24.06.2014, 12.08.2014, 22.09.2014, 25.09.2014, 25.09.2014, 01.10.2014, 02.01.2015 एवं 24.02.2015 को तेरहवें वित्त आयोग के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के विपरीत इण्टरलाकिंग कार्य पर विवरण विहीन व प्रमाणक विहीन काल्पनिक व्यय		333768.00

22	गिलौला		दर्शाकर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है। — दिनांक 17.04.2014, 17.04.2014, 15.05.2014, 06.08.2014, 24.09.2014, 25.09.2014, 01.01.2015, 08.01.2015, 09.01.2015, 23.01.2015, 24.02.2015, 02.01.2015 को तेरहवें वित्त आयोग के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के विपरीत ग्राम पंचायत में सीसी निर्माण एवं मरम्मत पर विवरण विहीन व प्रमाणक विहीन काल्पनिक व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।	सम्पूर्ण योग	1616041.00 4300763.00
23	पचदेवरी माफी	गिलौला	— दिनांक 10.04.2014, 31.07.2014, 25.10.2014, 01.11.2014, को हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।	—श्रीमती सरिता, प्रधान —श्री चन्द्र केतु सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी	24580.00
24	पचदेवरी माफी		— दिनांक 24.04.2014, 31.07.2014, 22.09.2014, 17.10.2014, 30.12.2014, 21.02.2015, 09.02.2015 को ट्राली द्वारा मिटटी पटाई की पुष्टिमें व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।		120000.00
25	पचदेवरी माफी		— दिनांक 02.04.2014, 03.04.2014, 29.04.2014, 29.04.2014, 11.06.2014, 02.07.2014, 02.07.2014, 14.07.2014, 11.08.2014, 22.08.2014, 20.10.2014, 01.11.2015, 30.12.2014, 21.01.2015 एवं 25.03.2015 को ईट क्रय की पुष्टिमें व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।		788156.00

26	पचदेवरी माफी		— दिनांक 28.08.2014, 31.07.2014, 25.08.2014, 17.10.2014, 21.10.2014, 30.12.2014, 21.02.2015, 25.02.2015 को मस्टररोल खडण्जा आदि पर व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।		166097.00
27	पचदेवरी माफी		— दिनांक 03.04.2014, 29.04.2014, 03.06.2014, 11.07.2014, 22.08.2014, 21.10.2014, 21.01.2015 एवं 21.02.2015 को सामाग्री आदि पर व्यय की पुष्टिमें व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।		714192.00
28	पचदेवरी माफी		—दिनांक 30.12.2014 एवं 21.01.2015 को सोलर लाइट व्यय मरम्मत आदि पर व्यय की पुष्टिमें व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।		72852.00
				सम्पूर्ण योग	<u>1885877.00</u>
29	किशुनपुर चन्दनभारी	गिलौला	— दिनांक 23.04.2014, 21.07.2014, 01.09.2014, 28.01.2015, को हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।	—श्री हनुमान, ग्राम प्रधान —श्री इन्द्रदेव मिश्र, ग्रा0पं0अ0	30545.00
30	किशुनपुर चन्दनभारी		— दिनांक 05.06.2014, 10.06.2014, 22.08.2014, 16.09.2014, 26.09.2014, 29.09.2014, 17.03.2015, को ट्राली द्वारा मिट्टी पटाई की पुष्टिमें व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।		221500.00
31	किशुनपुर चन्दनभारी		— दिनांक 42.04.2014, 24.04.2014, 26.05.2014, 13.06.2014, 14.06.2014, 25.06.2014, 15.07.2014, 30.07.2014, 11.08.2014, 11.08.2014, 25.09.2014, 04.10.2015, 28.10.2014, 05.11.2014,		1333440.00

			05.11.2014, 05.11.2014, 24.12.2014, 24.12.2014, 30.01.2015, 19.02.2015, 19.02.2015, 19.02.2015, 30.03.2014, 30.03.2015, 30.03.2015 को ईट क्रय की पुष्टिमें व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रुप से की जानी अपेक्षित है।		
32	किशुनपुर चन्दनभारी		— दिनांक 21.04.2014, 02.05.2014, 14.06.2014, 24.06.2014, 11.09.2014, 28.10.2014, 19.11.2014, 23.12.2014, 31.12.2014, 13.02.2014, 23.02.2015, 24.02.2015 एवं 27.03.2015 को मस्टररोल खडण्जा आदि पर व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रुप से की जानी अपेक्षित है।		296724.00
33	किशुनपुर चन्दनभारी		—दिनांक 23.09.2014, 05.01.2015 एवं 16.03.2015 को सोलर लाइट व्यय मरम्मत आदि पर व्यय की पुष्टिमें व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रुप से की जानी अपेक्षित है।		109800.00
				सम्पूर्ण योग	<u>1992009.00</u>
34	मनिकापुर खुर्द	गिलौला	—दिनांक 10.04.2014, 27.05.2014, 03.06.2014, 23.07.2014, 10.04.2014, 15.07.2014, 19.08.2014, 20.08.2014, 10.04.2014, 03.06.2014, 09.04.2014, 20.08.2014 एवं 10.10.2014 को तेरहवें वित्त आयोग के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के विपरीत इण्टरलाकिंग कार्य पर विवरण विहीन व प्रमाणक विहीन काल्पनिक व्यय दर्शाकर धनराशि का धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रुप से की जानी अपेक्षित है।	—श्री बड़े लाल, प्रधान —श्री संजय मिश्रा, ग्रा0पं0ओ	818386.00
35	मनिकापुर खुर्द		— दिनांक 13.11.2014, 29.01.2015 एवं 02.02.2015 को विवरण विहीन एवं व्यय प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर ईट क्रय दर्शाकर धनराशि का अपहरण किया गया		71217.00

36	मनिकापुर खुर्द		है जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है। — दिनांक 16.01.2015, 17.01.2015, 28.02.2015 को व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार व्यय मजदूरी मस्टररोल अपुष्ट रहे । जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।		411975.00
37	मनिकापुर खुर्द		— दिनांक 10.04.2014, 28.02.2015, 28.02.2015, 03.06.2014, 13.10.2014 को विवरण विहीन एवं व्यय प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर ईट क्रय दर्शाकर अपहरण किया गया । दर्शित निर्मित खडंजे की लम्बाई से अधिक लम्बाई पर काल्पनिक ट्राली मिट्टी का भुगतान कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।		140300.00
सम्पूर्ण योग					1441878.00
38	लखना	गिलौला	— दिनांक 02.04.2014, 28.05.2014, 14.08.2014, 22.10.2014, 22.10.2014, को हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।	—मौ० समीद, ग्राम प्रधान —श्री संजय मिश्रा, ग्रा०प०अ०	23680.00
39	लखना		—दिनांक 29.04.2014, 10.04.2014, 30.09.2014, 05.01.2015, 25.02.2015, 21.03.2015 ट्राली द्वारा मिट्टी पटाई की पुष्टिमें व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।		100400.00
40	लखना		— दिनांक 09.04.2014, 30.07.2014, 30.09.2014, 10.10.2014, 14.01.2015, 25.02.2015, 29.04.2014, 29.10.2014, 22.09.2014, को ईट क्रय की पुष्टिमें व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से की जानी		462466.00

47	मनसुखा		06.09.2014, 06.09.2014, 06.09.2014 एवं 22.09.2014 को ईट क्रय की पुष्टिमें व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रुप से की जानी अपेक्षित है। —दिनांक 18.04.2014, 22.08.2014, 19.09.2014, 29.09.2014, 04.10.2014, 19.12.2014, एवं 03.01.2015 को मस्टररोल खडण्जा आदि पर व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रुप से की जानी अपेक्षित है।		153660.00
48	मनसुखा		—दिनांक 25.09.2014, 05.01.2015 एवं 16.03.2015 को सोलर लाइट व्यय मरम्मत आदि पर व्यय की पुष्टिमें व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रुप से की जानी अपेक्षित है।		137500.00
49	मनसुखा		—दिनांक 25.08.2014, 29.08.2014, 09.09.2014, 12.09.2014, 16.09.2014, 16.09.2014, 17.09.2014, 29.09.2014 को सीसी रोड सामाग्री आदि व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रुप से की जानी अपेक्षित है।		461700.00
				सम्पूर्ण योग	<u>1736316.00</u>
50	बेलवाखतीब	गिलौला	— दिनांक 02.04.2014, 24.02.2014, 23.06.2014, 06.09.2014, 21.10.2014, 21.10.2014, को हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रुप से की जानी अपेक्षित है।	—श्रीमती राम राजी, प्रधान —श्री संजय मिश्र, ग्रा0पं0अ0	35530.00
51	बेलवाखतीब		— दिनांक 12.04.2014, 30.04.2014, 11.06.2014, 02.07.2014, 26.07.2014, 20.10.2014, 01.01.2015, 24.02.2015, 04.03.2015 को ट्राली द्वारा मिट्टी पटाई की पुष्टिमें व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर		246000.00

52	बेलवाखतीब		धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है। — दिनांक 04.04.2014, 26.04.2014, 25.05.2014, 26.07.2014, 23.09.2014, 20.10.2014, 22.10.2014, 04.03.2015, को ईट क्रय की पुष्टिमें व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।		911410.00
53	बेलवाखतीब		— दिनांक 26.04.2014, 10.06.2014, 26.07.2014, 01.01.2015, 24.02.2015, 30.12.2014, को मस्टररोल खडण्जा आदि पर व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।		251472.00
54	बेलवाखतीब		— दिनांक 22.04.2014, 26.04.2014, 21.06.2014 को सोलर लाइट व्यय मरम्मत आदि पर व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।		96551.00
सम्पूर्ण योग					1538963.00
55	गौहनिया	गिलौला	—दिनांक 03.05.2014, 10.06.2014, 17.07.2014, 06.08.2014, 06.08.2014, 10.09.2014, 18.10.2014, 19.10.2014, 10.01.2015 को तेरहवें वित्त आयोग के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के विपरीत ग्राम पंचायत में खडंजा निर्माण एवं मरम्मत पर विवरण विहीन व प्रमाणक विहीन ईट क्रय पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।	—श्रीमती आमना, प्रधान —श्री इन्द्रदेव मिश्रा, ग्रा0प0अ0	577162.00
56	गौहनिया		—दिनांक 19.08.2014, 19.04.2014, 24.06.2014, 19.06.2014 को हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।		21969.00

57	गौहनिया		—दिनांक 30.04.2014, 03.05.2014, 20.05.2014, 22.05.2014, 09.06.2014, 25.07.2014, 04.08.2014, 03.09.2014, का दर्शित निर्मित खडंजे की लम्बाई से अधिक लम्बाई पर काल्पनिक ट्राली मिट्टी का भुगतान कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।		137000.00
58	गौहनिया		—दिनांक 30.04.2014, 05.05.2014, 24.06.2014, 31.07.2014, 29.09.2014, 17.10.2014, को तेरहवें वित्त आयोग के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के विपरीत खडंजा निर्माण एवं मरम्मत कार्य पर विवरण विहीन व प्रमाणक विहीन काल्पनिक व्यय दर्शाकर धनराशि का धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।		146172.00
59	गौहनिया		—दिनांक 02.05.2014 एवं 06.01.2015 को सोलर लाइट व्यय मरम्मत आदि पर व्यय की पुष्टिमें व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।		20900.00
60	गौहनिया		—दिनांक 24.11.2014, 30.01.2015, 30.01.2015, 24.03.2015, 25.03.2015 को ग्राम पंचायत में काल्पनिक असंतुलित सामाग्री क्रय दर्शित कर प्रमाणक विहीन एवं विवरण विहीन व्यय कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।	सम्पूर्ण योग	<u>1034677.00</u>
61	तिलकपुर	गिलौला	— दिनांक 02.04.2014, 28.05.2014, 14.08.2014, 22.10.2014, 21.10.2014, को हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।	—श्रीमती पार्वती, प्रधान —श्री संजय मिश्रा, ग्र0पं0अ0	37310.00

62	तिलकपुर		— दिनांक 22.04.2014, 31.07.2014, 25.08.2014, 01.09.2014, 20.10.2014, को ट्राली द्वारा मिट्टी पटाई की पुष्टिमें व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रुप से की जानी अपेक्षित है।		99500.00
63	तिलकपुर		— दिनांक 17.04.2014, 25.08.2014, 25.04.2014, 30.04.2014, 26.05.2014, 31.07.2014, 21.08.2014, 23.08.2014, 25.08.2014, 22.09.2014, 17.10.2014, 28.02.2014 को ईंट क्रय की पुष्टिमें व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रुप से की जानी अपेक्षित है।		759517.00
64	तिलकपुर		— दिनांक 11.04.2014, 23.07.2014, 25.08.2014, 23.09.2014, 10.10.2014, 01.11.2014, 21.02.2015, 25.02.2015 को मस्टररोल खडण्जा आदि पर व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रुप से की जानी अपेक्षित है।		251472.00
65	तिलकपुर		दिनांक 22.04.2014, 26.04.2014 को सोलर लाइट व्यय मरम्मत आदि पर व्यय की पुष्टिमें व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रुप से की जानी अपेक्षित है।		61456.00
66	तिलकपुर		दिनांक 23.04.2014, 24.06.2014, 14.08.2014, 14.08.2014, 25.02.2015, 04.03.2014, को सामाग्री आदि पर व्यय की पुष्टिमें व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रुप से की जानी अपेक्षित है।	सम्पूर्ण योग	449219.00 <u>1658474.00</u>
67	गोपालपुर	गिलौला	—दिनांक 27.05.2014, 05.06.2014, 23.06.2014, 10.07.2014, 26.07.2014, 07.08.2014, 16.08.2014, 01.09.2014,	—श्रीमती गीता देवी,प्रधान	563178.00

			17.10.2014, 03.01.2015, 21.02.2015, 11.03.2015, 12.03.2015, को तेरहवें वित्त आयोग के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के विपरीत खडंजा निर्माण एवं मरम्मत कार्य पर विवरण विहीन व प्रमाणक विहीन काल्पनिक व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।	—श्री संजय मिश्रा, ग्र0पं0अ0	
68	गोपालपुर		दिनांक 27.05.2014, 08.08.2014 एवं 21.10.2014 को हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।		21240.00
69	गोपालपुर		— दिनांक 09.04.2014, 15.05.2014, 19.07.2014, 23.07.2014, 10.10.2014, 17.10.2014, 16.01.2015, 18.02.2015 को दर्शित निर्मित खडंजे की लम्बाई से अधिक लम्बाई पर काल्पनिक ट्राली मिटटी का भुगतान कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।		155500.00
70	गोपालपुर		— दिनांक 30.04.2014, 10.06.2014, 23.07.2014, 21.08.2014, 24.09.2014, 29.09.2014, 29.09.2014, 07.10.2014, 15.03.2015 को तेरहवें वित्त आयोग के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के विपरीत खडंजा निर्माण एवं मरम्मत कार्य पर विवरण विहीन व प्रमाणक विहीन काल्पनिक व्यय दर्शाकर धनराशि का धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।		199536.00
71	गोपालपुर		— दिनांक 03.04.2014, 14.08.2014, 21.08.2014, को सोलर लाइट व्यय मरम्मत आदि पर व्यय की पुष्टिमें व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।		55600.00

72	गोपालपुर		—दिनांक 21.08.2014, 24.09.2014, एवं 12.03.2014 को ग्राम पंचायत में काल्पनिक सामाग्री क्रय दर्शित कर प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय दर्शित कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रुप से की जानी अपेक्षित है।		36920.00
सम्पूर्ण योग					1031974.00
73	भवानी नगर	गिलौला	— दिनांक 16.05.2014, 14.07.2014, 28.07.2014, 11.07.2014, 06.08.2014, 19.10.2014, 29.10.2014, 24.11.2014, 16.12.2014, 01.01.2015, 20.01.2015, 16.02.2015, 04.03.2015, 20.03.2015, 25.03.2015 को तेरहवें वित्त आयोग के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के विपरीत खडंजा निर्माण एवं मरम्मत कार्य पर विवरण विहीन व प्रमाणक विहीन काल्पनिक व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रुप से की जानी अपेक्षित है।	—श्रीमती रमा देवी, प्रधान —श्री इन्द्रदेव मिश्रा, ग्र0पं0अ0	553360.00
74	भवानी नगर		—दिनांक 19.08.2014, 24.06.2014 एवं 19.10.2014 को हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रुप से की जानी अपेक्षित है।		24810.00
75	भवानी नगर		— दिनांक 30.04.2014, 31.07.2014, 09.09.2014, 18.09.2014, 29.09.2014, 04.10.2014, 29.10.2014, 19.12.2014, 03.02.2015, को ट्राली द्वारा मिटटी पटाई की पुष्टिमें व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रुप से की जानी अपेक्षित है।		112500.00
76	भवानी नगर		— दिनांक 09.04.2014, 15.05.2014, 14.07.2014, 23.09.2014, 04.10.2014, 21.10.2014, 04.12.2014, 22.12.2014, 20.01.2015 एवं 28.03.2015 को तेरहवें वित्त आयोग के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के विपरीत खडंजा निर्माण एवं मरम्मत कार्य		126462.00

77	भवानी नगर		पर विवरण विहीन व प्रमाणक विहीन काल्पनिक व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है। —दिनांक 03.04.2014, 08.12.2015 एवं 20.12.2014 को दर्शित सोलर लाइट व्यय मरम्मत आदि पर व्यय की पुष्टिमें व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।		68100.00
सम्पूर्ण योग					885232.00
78	दूब कलां	गिलौला	— दिनांक 28.05.2014, 28.05.2014, 11.06.2014, 24.06.2014, 04.03.2014, 24.03.2014, को बी आर जी एफ निर्माण पत्रावली, एस्टीमेंट,एम बी तथा वाउचर स्टॉक आदि आडिट में प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।	—श्रीमती गीता देवी, प्रधान —श्री चन्द्रकेतु सिंह, ग्र0प0अ0	465358.00
79	दूब कलां		— दिनांक 02.04.2014, 09.04.2014, 11.04.2014, 22.04.2014, 03.05.2014, 21.05.2014, 02.06.2014, 04.06.2014, 11.06.2014, 21.06.2014 को विवरण विहीन व प्रमाणक विहीन ईट क्रय पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।		100746.00
80	दूब कलां		दिनांक 24.06.2014, 26.06.2014, 08.07.2014, 11.08.2014, 22.08.2014, 31.08.2014, 13.10.2014, 21.10.2014, 05.11.2014, 23.01.2015, 20.02.2015, 16.02.2015, 02.03.2015, 10.03.2015, 24.03.2015 एवं 05.05.2014विवरण विहीन व प्रमाणक विहीन ईट क्रय पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली		1528672.00

81	दूब कलां		संयुक्त रुप से की जानी अपेक्षित है। — दिनांक 05.05.2014, 09.04.2014, 26.08.2014, 11.10.2014, को ग्राम पंचायत में हयूम पाइप, सौर ऊर्जा कार्य हेतु काल्पनिक कार्य पर विवरण विहीन व प्रमाणक विहीन काल्पनिक व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रुप से की जानी अपेक्षित है।	सम्पूर्ण योग	68800.00 2163576.00
82	नीबाभारी	गिलौला	— दिनांक 12.04.2014, 22.04.2014, 24.04.2014, 20.05.2014, 25.11.2014, 26.02.2014, 03.03.2015 दर्शित निर्मित खडंजे की लम्बाई से अधिक लम्बाई पर काल्पनिक ट्राली मिट्टी का भुगतान कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रुप से की जानी अपेक्षित है।	—श्रीमती जगरानी, प्रधान —श्रीइन्द्रदेव मिश्रा, ग्र0पं0अ0	157000.00 109018.00
83	नीबाभारी		— दिनांक 03.04.2014, 22.04.2014, 28.07.2014, 02.09.2014, 31.03.2015, 04.02.2015, 09.02.2015, 23.02.2015, 13.03.2015, 24.03.2015 तेरहवें वित्त आयोग के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के विपरीत खडंजा निर्माण एवं मरम्मत कार्य पर विवरण विहीन व प्रमाणक विहीन ईट क्रय पर व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रुप से की जानी अपेक्षित है।		1035030.00
84	नीबाभारी		— दिनांक 03.04.2014, 22.04.2014, 28.07.2014, 02.09.2014, 31.03.2015, 04.02.2015, 09.02.2015, 23.02.2015, 13.03.2015, 24.03.2015 को विवरण विहीन व प्रमाणक विहीन ईट क्रय पर व्यय		130140.00

85	नीबाभारी		दर्शाकर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है। दिनांक 20.05.2014, 06.08.2014, 09.09.2014, 17.10.2014, 29.09.2014, 10.10.2014, का ग्राम पंचायत में कूप मरम्मत एवं काल्पनिक असंतुलित मैटेरियल क्रय दर्शित कर विवरण विहीन व प्रमाणक विहीन काल्पनिक व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।		192688.00
86	नीबाभारी		—दिनांक 28.08.2014, 19.10.2014, 19.10.2014, 31.03.2015, 21.10.2014 को नाली निर्माण पर मानक से अधिक विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।	सम्पूर्ण योग	1623876.00
87	रानीपुर काजी	गिलौला	— दिनांक 04.04.2014, 09.04.2014, 22.05.2014, 24.06.2014, 18.08.2015, 30.09.2015, को शासनादेश के विरुद्ध क्रय ईट का स्टॉक अपहरण कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।	— श्री बिट्टन, प्रधान —श्री संजय मिश्रा, ग्र0प्र0अ0	95894.00
88	रानीपुर काजी		दिनांक 22.05.2014, 01.06.2014, को विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर व्यय मजदूरी ईट मूल्य का धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।		230346.00
89	रानीपुर काजी		—दिनांक 16.05.2014, 22.05.2014, 27.05.2014, 20.10.2014 एवं 27.02.2015 को दर्शित निर्मित खडंजे की लम्बाई से अधिक लम्बाई पर काल्पनिक ट्राली मिट्टी का भुगतान कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज		68650.00

90	रानीपुर काजी		सहित वसूली संयुक्त रुप से की जानी अपेक्षित है। — दिनांक 20.10.2014, 25.02.2015तेरहवें वित्त आयोग के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के विपरीत नाली निर्माण मानक से अधिक विवरण विहीन व प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रुप से की जानी अपेक्षित है।	सम्पूर्ण योग	442924.00 837814.00
91	कटहा	गिलौला	—हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रुप से की जानी अपेक्षित है।	—श्रीमती साकरून, प्रधान —श्री संजय मिश्रा, ग्र0पं0अ0	26390.00
92	कटहा		—दिनांक 20.05.2014, 30.06.2014, 15.01.2015, 20.01.2015 को ट्राली द्वारा मिट्टी पटाई की पुष्टिमें व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रुप से की जानी अपेक्षित है।		87500.00
93	कटहा		—दिनांक 12.04.2014, 19.05.2014, 20.05.2014, 30.06.2014, 07.08.2014, 07.08.2014, 22.09.2014, 15.01.2015, 02.03.2015 को ईट क्रय पर व्यय की पुष्टिमें व्यय प्रमाण प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रुप से की जानी अपेक्षित है।		640390.00
94	कटहा		—दिनांक 07.04.2014, 20.05.2014, 15.01.2015, 15.01.2015, 11.03.2015 कोमस्टररोल खडण्जा आदि पर व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रुप से की जानी अपेक्षित है।		247138.00
95	कटहा		दिनांक 30.06.2014, 11.08.2014, 27.09.2014, 01.10.2014, 17.10.2014 को सामाग्री क्रय आदि पर व्यय की पुष्टिमें व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज		93670.00

96	कटहा		सहित वसूली संयुक्त रुप से की जानी अपेक्षित है। —दिनांक 30.06.2014, 11.08.2014, 01.10.2014, 10.10.2014, 30.10.2014 को नाली निर्माण मजदूरी आदि पर व्यय की पुष्टिमें व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रुप से की जानी अपेक्षित है।	सम्पूर्ण योग	83472.00 <u>1178560.00</u>
97	नेवरिया	गिलौला	—दिनांक 03.04.2014, 25.06.2014, 18.07.2014, 14.11.2015, 10.01.2015 को हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रुप से की जानी अपेक्षित है।	—श्रीमती बड़की, प्रधान —श्रीइन्द्रदेव मिश्रा,ग्र0पं0अ0	35475.00
98	नेवरिया		— दिनांक 21.04.2014, 30.04.2014, 26.05.2014, 24.06.2014, 03.07.2014, 18.10.2014, 21.02.2015, 25.02.2015, 27.02.2015, 25.03.2015, का ट्राली द्वारा मिटटी पटाई की पुष्टिमें व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रुप से की जानी अपेक्षित है।		233000.00
99	नेवरिया		—दिनांक 04.04.2014, 04.04.2014, 04.04.2014, 04.04.2014, 03.05.2014, 03.05.2014, 13.06.2014, 25.06.2014, 25.06.2014, 25.06.2014, 14.07.2014, 16.10.2014, 01.01.2015, , 01.01.2015, 27.02.2015, 27.02.2015, 27.02.2015, 03.03..2015, को ईट क्रय पर व्यय की पुष्टिमें व्यय प्रमाण प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रुप से की जानी अपेक्षित है।		1102540.00

100	नेवरिया		—दिनांक 07.04.2014, 23.08.2014, 20.05.2014, 30.07.2014, 30.07.2014, 16.10.2014, 07.01.2015, 27.02.2015, 03.09.2015, को मस्टररोल खडण्जा मजदूरी आदि पर व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।		245232.00
101	नेवरिया		—दिनांक 23.09.2014, 30.09.2014, 15.01.2015, 16.03.2014 को सोलर लाइट क्रय ,मरम्मत आदि पर व्यय की पुष्टिमें व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।		119310.00
102	नेवरिया		—दिनांक 14.07.2014, 28.07.2014, 29.10.2014, 14.11.2014, 01.01.2015, 14.07.2014, 14.07.2014, 28.07.2014, 04.08.2014, 16.09.2014, 29.10.2014, 09.11.2014, 09.12.2015, 31.12.2014, 31.12.2014, 05.01.2015, को नाली निर्माण सामाग्री एवं मजदूरी आदि पर व्यय की पुष्टिमें व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।		908724.00
				सम्पूर्ण योग	<u>2644281.00</u>
103	मध्य नगर	गिलौला	—दिनांक 25.06.2014, 29.09.2014 को हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।	—श्री राम उजागर, प्रधान —श्री इन्द्रदेव मिश्र, ग्र0प0अ0	26272.00
104	मध्य नगर		— दिनांक 29.04.2014, 29.04.2014, 05.05.2014, 27.05.2014, 05.06.2014, 10.10.2014, 05.11.2014, को ट्राली द्वारा मिटटी पटाई की पुष्टिमें व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।		61500.00

105	मध्य नगर		—दिनांक 29.04.2014, 04.04.2014, 03.05.2014, 03.05.2014, 27.05.2014, 25.06.2014, 07.07.2014, 05.08.2014, 18.10.2014, 27.12.2014, 31.01.2015, 25.02.2015, 29.03.2015, को ईंट क्रय पर व्यय की पुष्टिमें व्यय प्रमाण प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रुप से की जानी अपेक्षित है।		335115.00
106	मध्य नगर		—दिनांक 11.04.2014, 22.04.2014, 20.05.2014, 05.06.2014, 22.09.2014, 22.09.2014, 10.10.2014, 05.11.2014 को मस्टररोल खडण्जा मजदूरी आदि पर व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रुप से की जानी अपेक्षित है।		70980.00
107	मध्य नगर		—दिनांक 03.03.2014 को सोलर लाइट क्रय ,मरम्मत आदि पर व्यय की पुष्टिमें व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रुप से की जानी अपेक्षित है।		130000.00
				सम्पूर्ण योग	<u>623867.00</u>
108	सेहनिया	गिलौला	—हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रुप से की जानी अपेक्षित है।	—श्रीमती मझीला, प्रधान —श्री इन्द्रदेव मिश्रा, ग्र0प0अ0	10040.00
109	सेहनिया		—ट्राली द्वारा मिटटी पटाई की पुष्टिमें व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रुप से की जानी अपेक्षित है।		90500.00
110	सेहनिया		ईंट क्रय पर व्यय की पुष्टिमें व्यय प्रमाण प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रुप से की जानी अपेक्षित है।		478290.00

111	सेहनिया		—मस्टररोल खडण्जा मजदूरी आदि पर व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।		130188.00
112	सेहनिया		—सोलर लाइट क्रय ,मरम्मत आदि पर व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।	सम्पूर्ण योग	16500.00 725518.00
113	रायपुर प्यारे	गिलौला	—दिनांक 23.04.2014, 21.07.2014, 01.09.2014, 28.01.2015 को हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।	—श्री किशुन, प्रधान —श्री चन्द्रकेतु सिंह, ग्र0पं0अ0	37590.00
114	रायपुर प्यारे		— दिनांक 02.04.2014, 13.04.2014, 29.05.2014, 04.06.2014, 09.06.2014, 04.09.2014, 11.09.2014, 30.09.2014, 20.10.2014, 10.12.2014, 31.12.2014, 12.01.2015, 19.01.2015, 10.02.2015, 28.02.2015, को ट्राली द्वारा मिट्टी पटाई की पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।		265000.00
115	रायपुर प्यारे		दिनांक 24.04.2014, 24.05.2014, 10.06.2014, 16.07.2014, 24.07.2014, 16.10.2014, 20.10.2014, 20.10.2014, 30.12.2014, 26.03.2015, का ईट क्रय पर व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाण प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।		493320.00
116	रायपुर प्यारे		— दिनांक 03.04.2014, 12.04.2014, 04.06.2014, 04.06.2014, 31.07.2014, 18.10.2014, 31.12.2014, 31.12.2014, 25.01.2015, का मस्टररोल खडण्जा मजदूरी आदि पर व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अपहरण किया गया है। जिसकी		173160.00

117	रायपुर प्यारे		ब्याज सहित वसूली संयुक्त रुप से की जानी अपेक्षित है। —दिनांक 23.09.2014, 23.09.2014, 05.01.2015, 05.01.2015, 16.03.2015, 16.03.2015 को सोलर लाइट क्रय ,मरम्मत आदि पर व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रुप से की जानी अपेक्षित है।		118300.00
सम्पूर्ण योग					1087370.00
118	रघुनाथपुर	गिलौला	— दिनांक 29.08.2014, 19.09.2014, 20.10.2014, 20.10.2014, 08.12.2014, 08.12.2014 को हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रुप से की जानी अपेक्षित है।	—श्री रविन्द्र वर्मा, प्रधान —श्री इन्द्रदेव मिश्रा, ग्र0पं0अ0	32370.00
119	रघुनाथपुर		दिनांक 26.08.2014, 01.09.2014, 20.10.2014, 20.10.2014, 08.12.2014, 08.12.2014 को ट्राली द्वारा मिटटी पटाई की पुष्टिमें व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रुप से की जानी अपेक्षित है।		159000.00
120	रघुनाथपुर		— दिनांक 01.04.2014, 29.08.2014, 06.09.2014, 22.09.2014, 25.09.2014, 21.10.2014, 05.11.2014, 20.11.2014, 25.11.2014, 27.03.2015, 30.03.2015, 30.03.2015, 30.03.2015, को ईट क्रय पर व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाण प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रुप से की जानी अपेक्षित है।		747859.00
121	रघुनाथपुर		— दिनांक 20.08.2014, 05.09.2014, 09.09.2014, 11.09.2014, 18.09.2014, 19.09.2014, 29.09.2014, 13.10.2014, 22.10.2014 14.11.2014, 26.11.2014, 30.12.2014, 12.01.2015,को मस्टररोल खडण्जा मजदूरी आदि पर व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रुप से की जानी		342235.00

122	रघुनाथपुर		अपेक्षित है। —दिनांक 31.08.2014, 07.10.2014, 28.10.2014, 11.11.2014, 11.11.2014 को सोलर लाइट क्रय ,मरम्मत आदि पर व्यय की पुष्टिमें व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रुप से की जानी अपेक्षित है।		147900.00
123	रघुनाथपुर		—दिनांक 11.09.2014, 12.09.2014, 13.10.2014 को सीमेंट एवं निर्माण सामाग्री आदि पर किये गये व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रुप से की जानी अपेक्षित है।		93100.00
				सम्पूर्ण योग	<u>1522464.00</u>

